

TIGHT BINDING BOOK

**Drenched Book**

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_178626**

UNIVERSAL  
LIBRARY





# OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No H 523-154  
P 91 B

Accession No G.H. 2688


Author: प्रसाद, राजेन्द्र

Title: भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिये गये महत्त्वपूर्ण  
- पूर्ण व्याख्यान 1950-52

This book should be returned on or before the date last marked below







NDRA PRASAD



सत्यमेव जयते

# भारत के राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद

के

## भाषण

—:०:—

जनवरी १९५०—मई १९५२

—०:—



राष्ट्रपति जी के ता० २६ जनवरी १९५० से २१ अप्रैल १९५२ तक  
के दिये गये भाषणों की विषय सूची

क्र.सं.	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ संख्या
१.	पद शपथ	१
२.	राष्ट्रपति भवन में राजभोज	२
३.	दिल्ली में नागरिक अभिनन्दन	४
४.	नई दिल्ली नगरपालिका का मानपत्र	७
५.	अन्तर्विश्व विद्यालय मडल की रजत जयन्ती	८
६.	काशी विश्वविद्यालय का विशेष समावर्तन	१३
७.	काशी में सार्वजनिक सभा	१७
८.	शिलालेखों का उद्घाटन	२०
९.	पटना विश्वविद्यालय का समावर्तन	२१
१०.	सदाकत आश्रम	२६
११.	अभिनन्दन ग्रन्थ की भेट	२७
१२.	गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षान्त भाषण	३४
१३.	आकाशवाणी द्वारा सन्देश	३८
१४.	अखिल भारतीय सहकारी प्रदर्शनी	३९
१५.	'देहली' जहाज पर	४२
१६.	शरावबन्दी प्रदर्शनी	४३
१७.	बम्बई में अभिनन्दन	४३
१८.	ग्रामोद्योग मन्दिर, बम्बई	४६
१९.	बालकन जी बारी	४८
२०.	महात्मा गांधी स्मृति मन्दिर	५०
२१.	चिल्ड्रेन्स होम	५३
२२.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बम्बई	५४
२३.	मर्यानिषेध सप्ताह	५५
२४.	वैमानिको को उपदेश	५८
२५.	सिक्खों द्वारा अभिनन्दन	५९
२६.	रोशनआरा क्लब में अभिनन्दन	६१
२७.	दिल्ली विश्वविद्यालय का विशेष समावर्तन	६३
२८.	जैनो द्वारा अभिनन्दन	६४
२९.	कान्स्टीट्यूशन क्लब में अभिनन्दन	६७
३०.	हरिजन कार्यकर्ताओं को उद्बोधन	६८



क्रम	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
३१.	इण्डियन रैडक्रास और सेट जान एम्बुलेन्स एसोसियेशन .	७०
३२.	इण्डियन स्कूल आफ माइन्स . . . . .	७२
३३.	धनवाद में अभिनन्दन . . . . .	७५
३४.	ईधन गवेषणा प्रतिष्ठान . . . . .	७६
३५.	हज़ारी बाग में जनता को उद्बोधन . . . . .	८१
३६.	जूमरी तेलिया में सार्वजनिक मभा . . . . .	८१
३७.	शिमला यंग टोमो के बीच गेद का फाइनल मैच . . . . .	८२
३८.	आगरे में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	८३
३९.	वन महोत्सव . . . . .	८९
४०.	ट्री-प्लान्टिंग . . . . .	९०
४१.	शान्ति गस्था . . . . .	९१
४२.	स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रपति जी का ब्राडकास्ट भाषण . . . . .	९४
४३.	बौद्ध स्मारक चिह्न . . . . .	९६
४४.	भारतीय कृषि गवेषणा प्रतिष्ठान . . . . .	९७
४५.	दिल्ली नाट्य संघ . . . . .	१००
४६.	यूनाइटेड चेम्बर आफ ट्रेडर्स एसोसियेशन . . . . .	१००
४७.	दरगाह निजामुद्दीन . . . . .	१०४
४८.	शिमले में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	१०६
४९.	गन्धर्व गाइड को उपदेश . . . . .	१०९
५०.	गान्धी जी के चित्र का अनावरण . . . . .	११०
५१.	आनन्दपुर गुरुद्वारे में अभिनन्दन . . . . .	११३
५२.	भारतीय प्रशासन सेवा के भावी सदस्यों में वार्तचीत . . . . .	११३
५३.	श्री विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण . . . . .	११७
५४.	सत्याग्रह आश्रम . . . . .	११९
५५.	अहमदाबाद में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	१२१
५६.	सेवादल को उद्बोधन . . . . .	१२५
५७.	नडियाड स्टेशन पर अभिनन्दन . . . . .	१२६
५८.	भीमसेवा मडल की रजत जयन्ती . . . . .	१२७
५९.	कोआपरेटिव मिल्क यूनियन . . . . .	१२९
६०.	ऐग्रीकलचरल इन्स्टीट्यूट . . . . .	१३१
६१.	कामर्स कालेज, आनन्द . . . . .	१३५
६२.	वारडोली आश्रम . . . . .	१३७
६३.	सरदार बल्लभ भाई की प्रतिमा का अनावरण . . . . .	१३९
६४.	सूदन में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	१४२

क्रम	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
६५.	गुजरात विद्यापीठ में उद्बोधन	१४६
६६.	अखिल भारतीय नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य सम्मेलन	१४९
६७.	विजयादशमी	१५२
६८.	विजयादशमी का उत्सव	१५३
६९.	देहरादून में नागरिक अभिनन्दन	१५५
७०.	दून स्कूल का संस्थापक दिवस	१५८
७१.	सयुक्तराष्ट्र दिवस	१६२
७२.	शिलांग में नागरिक अभिनन्दन	१६३
७३.	आसाम प्रान्तीय कांग्रेस द्वारा अभिनन्दन	१६६
७४.	कलकत्ता वार एमोमियेशन में अभिनन्दन	१७०
७५.	कलकत्ता मैदान में मार्चजनिक सभा	१७२
७६.	नित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क	१७७
७७.	बैद्यों द्वारा अभिनन्दन	१८०
७८.	काश्मीर विश्वविद्यालय का समावर्तन	१८२
७९.	श्रीनगर में नागरिक अभिनन्दन	१८६
८०.	कृषिक मास्यकीय भारतीय संस्था	१९०
८१.	प्रेमिडेंट स्टेट रिजियेशन क्लब	१९४
८२.	गुरु नानक जन्म दिवस	१९५
८३.	आल इण्डिया फूड कौन्सिल की प्रदर्शनी	१९६
८४.	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन	१९८
८५.	राष्ट्रपति जन्म दिवस	२०२
८६.	उर्दू मुगायरा	२०२
८७.	दिल्ली विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह	२०३
८८.	गोनपुर श्मशान घाट चम्बई में सरदार बल्लभभाई पटेल का दाहकर्म	२१२
८९.	नागपुर विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण	२१२
९०.	अनुमोचित जानियो द्वारा अभिनन्दन	२२१
९१.	नागपुर में नागरिक अभिनन्दन	२२३
९२.	अखिल भारतीय इतिहास महासभा	२२९
९३.	खापरखेडा विद्यन केन्द्र का उद्घाटन	२३५
९४.	कांग्रेस द्वारा अभिनन्दन	२३७
९५.	गोला वारुद कारखाना, जबलपुर	२४४
९६.	कला निकेतन, जबलपुर	२४४
९७.	महाकौशल महाविद्यालय का शिलान्यास	२४७
९८.	जबलपुर में नागरिक अभिनन्दन	२४८

क्रम	दिये गये भावणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
९९.	मोजरी आश्रम . . . . .	२५३
१००.	शिवाजी लोक विद्यापीठ . . . . .	२५४
१०१.	अमरावती में अभिनन्दन . . . . .	२५७
१०२.	बाखी में अभिनन्दन . . . . .	२६१
१०३.	ज्ञान मन्दिर वर्धा का शिलान्यास . . . . .	२६३
१०४.	सेवाग्राम . . . . .	२६५
१०५.	वर्धा में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	२६९
१०६.	विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण . . . . .	२७८
१०७.	पंजाब विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह . . . . .	२८२
१०८.	अम्बाले में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	२८८
१०९.	रामजस कालेज का शिलान्यास . . . . .	२९०
११०.	राष्ट्र को सन्देश . . . . .	२९२
१११.	महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण . . . . .	२९५
११२.	खजूराहो में अभिनन्दन . . . . .	२९९
११३.	आगरा कालेज मे शक्तोतरी जयन्ती . . . . .	३००
११४.	बलिदान दिवस . . . . .	३०४
११५.	राजघाट पर बलिदान दिवस . . . . .	३०५
११६.	उदयपुर मे नागरिक अभिनन्दन . . . . .	३०७
११७.	अखिल भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . . . .	३१२
११८.	हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपदेश . . . . .	३१६
११९.	विद्या विहार, पिलानी . . . . .	३१७
१२०.	बिरला इन्जीनियरिंग कालेज ब्लाक का उद्घाटन . . . . .	३२२
१२१.	जयपुर मे नागरिक अभिनन्दन . . . . .	३२३
१२२.	गांधी मेला, गलता . . . . .	३२८
१२३.	मेयो कालेज मे पारितोषिक वितरण . . . . .	३२९
१२४.	दरगाह शरीफ, अजमेर . . . . .	३३३
१२५.	अजमेर में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	३३३
१२६.	पुष्प प्रदर्शनी . . . . .	३३६
१२७.	अखिल भारतीय कला तथा शिल्प प्रदर्शनी . . . . .	३३७
१२८.	लखनऊ में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	३३८
१२९.	लखनऊ विश्वविद्यालय मे फिजिक्स ब्लॉक का उद्घाटन . . . . .	३४२
१३०.	सरोजनी नगर का शिलान्यास . . . . .	३४६
१३१.	प्रयाग में अभिनन्दन . . . . .	३४८
१३२.	सरस्वती मन्दिर का शिलान्यास . . . . .	३५०

क्रम	दिद्ये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
१३३.	प्रयाग महिला विद्यापीठ	३५३
१३४.	राष्ट्रीय वैमानिक दौड़	३५६
१३५.	कानपुर में नागरिक अभिनन्दन	३५७
१३६.	प्रेसिडेण्ट्स स्टेट्स स्पोर्ट्स क्लब	३६२
१३७.	मसनजोर बांध	३६२
१३८.	बालिका विद्यालय लन्बीसराय	३६७
१३९.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर	३७५
१४०.	देवघर में नागरिक अभिनन्दन	३८२
१४१.	लेडी अरविन कालेज नई दिल्ली का समावर्तन	३८४
१४२.	हिसार में नागरिक अभिनन्दन	३८५
१४३.	आल इण्डिया कैटल शो	३८८
१४४.	अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन	३९४
१४५.	दस्तकारी प्रदर्शनी	४००
१४६.	त्रिवेन्द्रम में नागरिक अभिनन्दन	४०२
१४७.	यूनीवर्सिटी स्टेडियम त्रिवेन्द्रम में सार्वजनिक सभा	४०३
१४८.	इरनाकुलम में सार्वजनिक सभा	४१०
१४९.	इरनाकुलम में नागरिक अभिनन्दन	४१७
१५०.	फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के भवन का शिलान्याम	४२१
१५१.	मद्रास का बाल मन्दिर	४२२
१५२.	मद्रास मे नागरिक अभिनन्दन	४२२
१५३.	मद्रास मे व्यापार मडल द्वारा अभिनन्दन	४२६
१५४.	मद्रास मे श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र का अनावरण	४३१
१५५.	तिरुक्कुरल गवेषणा का उद्घाटन	४३३
१५६.	सेवासदन अडयार	४३५
१५७.	श्री बी० एस० श्रीनिवास शास्त्री के चित्र का अनावरण	४३७
१५८.	अंजुमने मुफीदे अहले इस्लाम द्वारा स्वागत	४३९
१५९.	अखिल विश्व केन्सर दिवस	४४२
१६०.	मैसूर नगर समिति द्वारा अभिनन्दन	४४३
१६१.	मैसूर विश्वविद्यालय का विशेष ममावर्तन	४४८
१६२.	अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान, बंगलौर	४५१
१६३.	बंगलौर में नागरिक अभिनन्दन,	४५५
१६४.	बंगलौर औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन	४५९
१६५.	बनारसी दास चांदीवाला नेत्र चिकित्सालय	४६१
१६६.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ का वार्षिक अधिवेशन	४६२

क्रम	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
१६७.	इण्डियन रैडक्रास सोसायटी और सेन्ट जान एम्बुलैन्स एसोसियेशन का वार्षिक अधिवेशन . . . . .	४६३
१६८.	बिहार अकाल पीड़ितों के लिये अन्न दान . . . . .	४६५
१६९.	विक्रम कीर्ति मन्दिर . . . . .	४६६
१७०.	महाराजा माधवराव की मूर्ति का अनावरण . . . . .	४७१
१७१.	उज्जैन में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	४७५
१७२.	कस्तूरबा सेवा सदन . . . . .	४७६
१७३.	इन्दौर में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	४७७
१७४.	कस्तूरबा ग्राम . . . . .	४८२
१७५.	बाल निकेतन . . . . .	४८४
१७६.	सोमनाथ मन्दिर . . . . .	४८५
१७७.	संस्कृत परिषद् . . . . .	४८७
१७८.	श्री कृष्णस्मारक . . . . .	४८९
१७९.	वैरावल में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	४८९
१८०.	जूनागढ़ में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	४९१
१८१.	कीर्ति मन्दिर, पोगबन्दर . . . . .	४९४
१८२.	राजकोट में सार्वजनिक सभा . . . . .	४९६
१८३.	राष्ट्रीयशाला, राजकोट . . . . .	५०१
१८४.	जामनगर में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	५०३
१८५.	एकलव्य आश्रम . . . . .	५०८
१८६.	भारतीय नौसेना को झंडा दान . . . . .	५११
१८७.	तारापुरवाला मत्स्यालय का उद्घाटन . . . . .	५१३
१८८.	भूमि सेना . . . . .	५१६
१८९.	वन महोत्सव . . . . .	५१९
१९०.	राष्ट्रपति भवन में वन महोत्सव . . . . .	५२०
१९१.	राष्ट्रपति भवन में ईद . . . . .	५२१
१९२.	ईद . . . . .	५२२
१९३.	प्रेसिडेन्टस स्टेट टूर्नामेंट . . . . .	५२३
१९४.	उस्मानिया विश्वविद्यालय का समावर्तन . . . . .	५२४
१९५.	हैदराबाद में राजभोज . . . . .	५२७
१९६.	विद्यार्थियों को उद्बोध . . . . .	५२८
१९७.	हैदराबाद में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	५२९
१९८.	औरंगाबाद में विद्यालय का शिलान्यास . . . . .	५३२
१९९.	औरंगाबाद में सार्वजनिक सभा . . . . .	५३४

क्रम	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
२००.	महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण	५३९
२०१.	जानपदीय अभिनन्दन	५४०
२०२.	सेवाग्राम	५४१
२०३.	सेवाग्राम में सांस्कृतिक खेल	५४४
२०४.	अंगरक्षकों को उद्बोधन	५४४
२०५.	लाला लाजपतराय की मूर्ति पर पुष्पहार	५४६
२०६.	लेबर शो, शिमला	५४७
२०७.	वाल्मीकि मन्दिर, शिमला	५४७
२०८.	गर्ल गाइड्स रैली	५४८
२०९.	मनावर पब्लिक स्कूल	५४९
२१०.	गांधी जी के चित्र का अनावरण	५५१
२११.	सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण	५५१
२१२.	सार्वजनिक सभा, पटियाला	५५३
२१३.	यादवेन्द्र स्कूल, पटियाला	५५९
२१४.	राजपुरा में अभिनन्दन	५६०
२१५.	सनातन धर्म कालेज, अम्बाला	५६१
२१६.	राष्ट्रपति भवन में दशहरा	५६४
२१७.	लियाकत अली खा के लिये शोक सभा	५६५
२१८.	संयुक्तराष्ट्र दिवस	५६६
२१९.	दीपावलि	५६७
२२०.	चीनी सांस्कृतिक मंडल	५६८
२२१.	भूमिदान यज्ञ	५६९
२२२.	पुरी में अभिनन्दन	५७०
२२३.	कोनार्क सूर्य मन्दिर	५७२
२२४.	महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण	५७४
२२५.	कटक में अभिनन्दन	५७७
२२६.	बाजीराजत छात्रावास	५८०
२२७.	कृषिक प्रतियोगिता	५८१
२२८.	महिला चर्खाक्लास, पटना	५८४
२२९.	बिहार कलाभवन का शिलान्यास	५८७
२३०.	मगध ज्ञान प्रतिष्ठान	५९०
२३१.	मुजफ्फर नगर शहीद स्मारक का उद्घाटन	५९५
२३२.	सदाकत आश्रम	५९७
२३३.	संस्कृत रिसर्च इन्स्टीट्यूट का शिलान्यास	५९९

क्रम	दिये गये भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
२३४.	महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण . . . . .	६०७
२३५.	दरभंगा गोशाला में अभिनन्दन . . . . .	६०८
२३६.	बाबू वृजकिशोरप्रसाद के चित्र का अनावरण . . . . .	६१०
२३७.	बाबू धरनीधर के चित्र का अनावरण . . . . .	६१०
२३८.	महेन्द्र जयन्ती . . . . .	६१२
२३९.	राजेन्द्र पुस्तकालय . . . . .	६१२
२४०.	जीरादेई में सार्वजनिक सभा . . . . .	६१३
२४१.	कमला मार्केट का उद्घाटन . . . . .	६१७
२४२.	जन्म दिवस पर अभिनन्दन . . . . .	६१८
२४३.	अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रतिष्ठान का उद्घाटन . . . . .	६१९
२४४.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय का समावर्तन . . . . .	६२१
२४५.	अलीगढ़ यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन . . . . .	६२६
२४६.	अलीगढ़ में नागरिक अभिनन्दन . . . . .	६२८
२४७.	भारतीय कृषिक सांख्यिकी संस्था का पंचम वार्षिक अधिवेशन . . . . .	६३१
२४८.	प्रेसीडेन्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स क्लब . . . . .	६३६
२४९.	राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन . . . . .	६३६
२५०.	माडर्न हाई स्कूल . . . . .	६४४
२५१.	भारतीय विज्ञान विद्या परिषद् के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन . . . . .	६४५
२५२.	कस्तूरबा बालिका आश्रम . . . . .	६४९
२५३.	आल इण्डिया फाइन आर्ट्स सोसायटी . . . . .	६५२
२५४.	बाल भवन का उद्घाटन . . . . .	६५४
२५५.	न्यू टैक्सटाइल स्पिनिंग मशीनरी . . . . .	६५५
२५६.	रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई . . . . .	६५७
२५७.	पूना विश्वविद्यालय में अभिनन्दन . . . . .	६५८
२५८.	नाथीबाई दामोदर ठक्करसी कालेज, पूना . . . . .	६५९
२५९.	पूना नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन . . . . .	६६१
२६०.	पूना आबजरवेटरी . . . . .	६६६
२६१.	हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था . . . . .	६६७
२६२.	भड़ोच नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन . . . . .	६६९
२६३.	भड़ोच गांधी अस्पताल . . . . .	६७२
२६४.	साबरमती आश्रम . . . . .	६७५
२६५.	गुजरात विद्यापीठ . . . . .	६७६
२६६.	वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण . . . . .	६८१
२६७.	प्लोरेस नाइटिंगेल पदक प्रदान . . . . .	६८३

क्रम	दिय गय भाषणों के शीर्षक	पृष्ठ
संख्या		संख्या
२६८.	गिसेज इलीनर रुजवैल्ट को डिग्री प्रदान	६८४
२६९.	दिल्ली राज्य के बाय स्काउट्स और गाइड्स	६८५
२७०.	राजाजी फुटबाल टूर्नामेंट	६८६
२७१.	राष्ट्रपति भवन में संगीतोत्सव	६८७
२७२.	भारतीय विद्याभवन की शाखा का शिलान्यास	६८८
२७३.	गन्धर्व महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती	६८९
२७४.	ब्रजसाहित्य मण्डल के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन	६९३
२७५.	हाथरस नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन	६९६
२७६.	हरि आई अस्पताल	६९७
२७७.	ब्रजसाहित्य मण्डल	६९९
२७८.	हैदराबाद कला प्रदर्शनी	७०६
२७९.	सिख शिक्षा सम्मेलन	७०७
२८०.	इण्डियन रैंडक्रास सोसायटी का वार्षिक अधिवेशन	७०९
२८१.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ	७११





## पद शपथ

२६ जनवरी १९५० को पद शपथ लेने के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने कहा—

हमारे इतिहास में यह स्मरणीय दिवस है। स्वशक्तिमान् परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें यह आज का शुभ दिन दिखलाया और राष्ट्रपिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें और संसार को अपना सत्याग्रह जैसा अमोघ अस्त्र प्रदान किया और हमें स्वतंत्रता पथ पर आगे बढ़ाया तथा मैं उन अनेकानेक नर नारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या से स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत में सर्वप्रभुतासम्पन्न प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना सम्भव की। हमारे लम्बे और घटनापूर्ण इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में काठियावाड़ से और कच्छ से लेकर पूर्व में कोकनाडा और कामरूप तक यह विशाल देश सब का सब एक सविधान और एक मंघ राज्य के छात्राधीन हुआ है जिसने कि इस के ३२ करोड़ नर नारियों के कल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। अब इसका प्रशासन इसकी जनता द्वारा और इसकी जनता के ही हितों में चलेगा। इस देश के पास अनन्त प्राकृतिक सम्पत्ति साधन हैं और अब इस को वह महान अवसर मिला है जब यह अपनी विशाल जन सन्ख्या को सुखी और सम्पन्न बनाये तथा संसार में शान्ति स्थापना के लिए अपना अशदान करे।

हमारे गणतन्त्र का यह उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता और समता प्राप्त कराये तथा इसके विशाल प्रदेशों में बसने वाले तथा भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले और भिन्न भिन्न आचार विचार वाले लोगों में भाईचारे की अभिवृद्धि करे। हम सब देशों के साथ मैत्री भाव में रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश में सर्वोत्तम प्रगति करें। शान्ति, दास्य और अज्ञान के उन्मूलन का हमारा प्रोग्राम है। हम इस बात के लिए उत्सुक और चिन्तित हैं कि हम उन उद्वामित भाइयों को, जिन्हें अनेक याननाये और कठिनाइयाँ महनी पड़ी हैं और पड़ रही हैं, फिर से बसाये और काम में लगाये। जो जीवन की दौड़ में पीछे रह गये हैं उन को दूसरों के स्तर पर लाने के लिए विशेष कदम उठाना आवश्यक और उचित है। इन सब को पूरा करने के लिए हमें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना परमावश्यक है। किन्तु वर्तमान युग में नैतिक स्वतन्त्रता के समान ही आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की भी आवश्यकता है। मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम इस अवसर का सदुपयोग करें और अपने देश और अपनी जनता की सेवा में अपने सम्पत्ति-साधन और शक्ति लगा दें। भूतकाल से भी अधिक वर्तमान में लगन और सेवा की आवश्यकता है। मैं यह भी आशा और प्रार्थना करता हूँ कि आज के शुभ और सुखमय दिन के लिए उल्लाम के साथ साथ ही हमारे लोग अपने गुरु उत्तरदायित्व को और भी अधिक समझेगे और उस महान् उद्देश्य को पूरा करने में अपने को पूर्ण समर्पित कर देंगे जिसके लिए राष्ट्रपिता जिये, कार्य करते रहे और जिसके लिए मरे।

## राष्ट्रपति भवन में राजभोज

\*नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राजभोज में राजदूत वर्ग के प्रमुख के भाषण के उत्तर में राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—

हमारे देश के लिए आज यह गौरवपूर्ण दिवस है। भारत का लम्बा और घटनापूर्ण इतिहास रहा है। यदि इस का कुछ अंश तमसावृत्त रहा है तो अन्य ज्योतिर्मय और गौरवपूर्ण। किन्तु इसके अभिकांश गरिमामय युगों में भी, जिनका इतिहास हमें प्राप्य है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह समस्त देश एक सविधान और एक शासन के छात्राधीन रहा हो। हमारी पुस्तकों में अनेक गणतन्त्रों का वर्णन मिलता है और हमारे अभिलेखों में जिन घटनाओं और स्थानों का वर्णन है उन का न्यूनाधिक क्रमबद्ध वर्णन करने में हमारे इतिहासज्ञ सफल हुए हैं। किन्तु ये गणतन्त्र बहुत ही छोटे थे और उन का रूप और क्षेत्र लगभग वैसा ही था जैसा कि उसी युग के यूनानी गणतन्त्रों का था। हमारे यहां राजाओं और महाराजाओं में से कुछ चक्रवर्ती भी थे अर्थात् जिन की प्रभुता अन्य राजा मानते थे जो स्वयं अपने प्रदेशों में उसी प्रकार राज्य करते थे जिस प्रकार कि अंग्रेजी राज्य काल में देशी राजागण ब्रिटेन की प्रभुता स्वीकार करने के पश्चात् अपने ही प्रदेशों में अपनी रीति से राज्य चलाते थे। आज यह पहला ही अवसर है जब हमने ऐसे संविधान का प्रवर्तन किया है जिसका विस्तार सारे देश तक है। आज ऐसे संघीय गणतन्त्र का जन्म हो रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य हैं किन्तु उन की अपनी कोई प्रभुता नहीं है और वे एक ही संघ और एक ही प्रशासन के सदस्य और अंगमात्र हैं। नैदरलैंड के महामहिम राजदूत ने अभी अभी उन सम्बन्धों की ओर संकेत किया है जो हमारे देश के अन्य पूर्वी और पश्चिमी देशों से थे। जहां तक इस देश का प्रश्न है ये सम्बन्ध सर्वदा ही मैत्री के रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे ऋषियों की वाणी और सदेश को दूर दूर तक ले गये थे और उन्होंने ऐसे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित कर दिये थे जिनको काल मिटा नहीं सका और जो आज भी मौजूद हैं जब कि अनेक साम्राज्य धूलधूसरित अथवा छिन्न भिन्न हो गये हैं। हमारे ये सम्बन्ध आज भी हैं। क्योंकि वे न तो लोहे और इस्पात और न ही सोने के थे वरन् वे मानव आत्मा के रेशमी धागों के सम्बन्ध थे। भारत को अनेक बार विदेशियों के आक्रमण और आघात सहने पड़े हैं और कई बार उनके सामने इसकी हार हो गयी है किन्तु ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब हमारे देश ने किसी अन्य देश पर सैनिक आक्रमण किया हो अथवा सैनिक युद्ध की घोषणा की हो। अतः यह उचित ही हुआ है तथा हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परम्पराओं के फलस्वरूप है कि हम अपनी स्वतन्त्रता बड़े शांतिपूर्ण और अदृश्य ढंग से और बिना रक्तपात किये प्राप्त कर सके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रकृति की कोई अनहोनी बात नहीं थे वरन् वे अहिंसा के उस आदर्श की मूर्तिमान् प्रतिमा और उसी के विकास के फल थे जो हमारी महान् विरासत है। उन के अपूर्व नेतृत्व के अधीन हम केवल अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता ही नहीं प्राप्त कर पाये हैं वरन् उन लोगों के साथ भी जिनके विरुद्ध हम लड़े और जीते हमारी मैत्री के सम्बन्ध और भी सुदृढ़ और स्थिर हो गये हैं और इस बात में उन लोगों का भी श्रेय है।

हमारा संविधान प्रजातन्त्रात्मक संविधान है और वह प्रत्येक नागरिक को अमृत्य स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है। भारत ने न तो किसी प्रकार के विचार और विश्वास पर प्रति-

बन्ध लगाया और न उन को दण्डनीय किया तथा हमारे दर्शन में भक्तिमान् भगवान् तथा नास्तिक और अनास्था वाले सब लोगों के लिए ही पूरा स्थान है। अतः अपने संविधान के अधीन हम व्यावहारिक दृष्टि से वही बात पूरी करेंगे जो कि हमें अपनी परम्परा से विरासत में मिली है अर्थात् विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सब को प्राप्त करायेंगे। जिस नये संविधान का प्रारम्भ हम कर रहे हैं उसके अधीन रह कर हमें यह आशा है कि हम अपने नेता की शिक्षाओं के अनुकूल आचरण कर सकते हैं तथा जगत भर में अपनी विनम्र रीति से शान्ति स्थापना में सहायता कर सकते हैं। सब देशों के प्रति हमारा पूर्ण मैत्री भाव है। किसी के विरुद्ध हमारे मन में कोई चाल नहीं है। और न हमारे मन में दूसरों पर आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षा ही है। हमारी यह भी आशा है कि दूसरे भी हमारे विरुद्ध अपने मन में कोई बात नहीं रखेंगे। भूतकाल में अन्य देशों के आक्रामक व्यवहार का हमें कड़वा अनुभव है और इसलिये हम यही आशा प्रकट करते हैं कि ऐसा अवसर न आये कि जब हमें अपनी आत्म-रक्षा के हेतु कोई कदम उठाना आवश्यक हो जाय।

जैसा कि आप जानते हैं आज संसार बहुत ही अनिश्चित और चिंताकुल अवस्था में होकर गुजर रहा है। एक पीढ़ी के जीवन काल में ही दो संसार व्यापी युद्ध हुए। उन में जो विनाश हुआ और उन के बाद लोगों को जो यातनायें और दुख सहने पड़े वे भी लोगों को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाये हैं कि युद्ध द्वारा युद्ध का अन्त नहीं किया जा सकता। अतः युद्धों का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग सर्वभूत हिताय कार्य करें और विनाशात्मक प्रयोजनों के स्थान में उत्पादन और कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए अपने साधनों का प्रयोग करना ससार सीख ले। इस सद्भावना और विश्वास तथा सहयोग के वातावरण के स्थापित करने में भारत को भी अपना विशेष भाग अदा करना है ऐसा मुझे विश्वास है। अतः गर्व और द्वेष से मुक्त हमारा गणतन्त्र आज संसार क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसका यह विनम्र विश्वास और प्रयास है कि अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक मामलों में हमारे राजनायक हमारे राष्ट्रपिता की शिक्षाओं से अर्थात् सहिष्णुता, पारस्परिक मेल, अहिंसा तथा आक्रामक-युद्ध विरोधी भावना से प्रेरित रहेंगे।

ऐसे देश में और ऐसे समय में हमारी जनता के प्रतिनिधियों ने मुझे इस उच्च आसन पर आसीन किया है। सहज में ही आप मेरी घबराहट को समझ सकते हैं जो हमारी नवार्जित स्वतन्त्रता के सामने वर्तमान महान् कार्य के कारण ही नहीं वरन् इस जानकारी से पैदा हुई है कि चाहे पद में न सही किन्तु कार्य क्षेत्र में तो अवश्य ही मैं ऐसे व्यक्ति का स्थान ले रहा हूँ जिन्होंने संघर्ष और आन्दोलन के युग में ही नहीं वरन् रचनात्मक कार्यक्रम और व्यावहारिक प्रशासन में भी बड़ा प्रमुख कार्य किया है। आप श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को जानते हैं और आपको उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, प्रकाण्ड पाण्डित्य, व्यवहार कुशलता तथा मधुर स्वभाव का अनुभव है। २० वर्ष से भी अधिक उन के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और यद्यपि समय समय पर हम में आपस में कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर मतभेद क्यों न रहे हों तथापि हमारे वैयक्तिक सम्बन्धों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आयी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर प्रकार के विपत्ति काल में, जिस का सामना मुझे करना पड़े, उन की सम्मति मुझे प्राप्त रहेगी। मेरी घबराहट और चिन्ता बहुत कुछ इस विचार से कम हो जाती है कि मुझे अपने प्रधान मंत्री,

उपप्रधान मंत्री और मन्त्रपरिषद् और संसद् के सदस्यों तथा सारी जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त है। मैं उस विश्वास का पात्र बनने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि यह देश दूसरे देशों का विश्वास प्राप्त करने में तथा ऐसी सहायता प्राप्त करने में, जो कि इसे किसी समय आवश्यक हो, सफल होगा।

स्वास्थ्य पान का आमन्त्रण देकर जो शुभकामना आपने प्रकट की है वही मैं भी सहर्ष प्रकट करता हूँ।

### दिल्ली में नागरिक अभिनन्दन

ता. ५-२-५० को दिल्ली नगर पालिका के मानपत्र का उत्तर देते हुये राष्ट्रपति ने कहा—

दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष, सदस्यगण और दिल्ली शहर के रहने वाले भाइयों, और बहिनो,

दिल्ली शहर की ओर से आप ने जिस समारोह और प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया वह आप के योग्य है और मैं आप को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली बहुत पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इस ने अपनी हजारों वर्षों की जिन्दगी में, बहुत कुछ देखा है। भारत के इतिहास की बहुत घटनायें इस शहर के इर्द-गिर्द में, इस की सड़कों, गलियों और कूर्चों में हुई हैं, उन की शहादत यहां मीलों तक फैले हुए खण्डहर और खड़ी इमारतें दे रही हैं। इस ने हिन्दू राजाओं के काल से ले कर मुसलमानी जमाने और अंग्रेजी राज्य तक में, राजधानी होने का गौरव पाया। इस के इतिहास में चढ़ाव उतार भी बराबर होते रहे हैं। अगर समय समय पर इस की सड़कों और चौराहों ने बड़े बड़े शानदार जशन और जलूस देखे हैं तो उन्ही सड़कों, चौराहों और गलियों ने कत्लेआम भी देखे हैं। यद्यपि बहुधा यह राजधानी रही तो भी समय समय पर यहां से हट कर वह दूसरी जगहों में भी चली गयी। ठीक है, यह सब होता रहा पर, चाहे जिस नाम से हो दिल्ली जैसी की तैसी बनी रही है और बनी रहेगी। अगर इस ने समय समय पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं और नवाबों का, जो बहुत तैयारियों के साथ यहां आया करते थे, स्वागत किया है, तो इसने जमाने के मारे हुए लाखों निर्वासित लोगों को भी अपना का सौभाग्य पाया है। इस ने यदि अधिकार युक्त गवर्नर जनरल और वायसराय का स्वागत किया है तो इस ने ब्रिटिश सरकार से लड़ती हुई कांग्रेस के अध्यक्ष का भी उसी उदारता और उत्साह के साथ स्वागत किया है। यदि इसने स्वराज्य की स्थापना का दृश्य देखा है तो वह दृश्य भी देखा है जब पाबन्दी लगाई हुई कांग्रेस का वह अधिवेशन किया गया जब पुलिस चारों तरफ दौड़ भाग कर रही थी और इसी घंटाघर के नीचे देश के कोने कोने से छुप कर आये हुए प्रतिनिधि खुल कर अधिवेशन कर रहे थे। इस ने १९३२ की २६वीं जनवरी को उस अधिवेशन का दृश्य देखा और १९५० की जनवरी को देखा गणराज्य की घोषणा के समारोह का दृश्य। इस ने १९२० के उन दिनों के आपस के आतृभाव और मेल को

देखा जब स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुसलमानों के निमंत्रण पर जामा मस्जिद में जा कर भाषण दिया और उन्हीं स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या भी देखी और देखे १९४७ के भयानक और दर्दनाक नज़ारे । इस तरह इस ने बहुत कुछ देखा है । पर जो दृश्य यह आज देख रही है वैसे आज तक इस ने कभी नहीं देखा । आज एक सूत्र में बंधे एक संविधान के नीचे एक गवर्नमेन्ट के शासन में के सारे भारत के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए राष्ट्रपति को उस शासन के एकमात्र प्रतीकरूप में इस ने आज तक कभी नहीं देखा और न कभी उस का स्वागत किया । यह दृश्य दिल्ली और भारत के लिये नया गौरव है । खादी के इस सेवक के लिये जिसे ऐसा प्रतीक बनाया गया है उस से बढ़ कर और दूसरा गौरव और सम्मान ही क्या सकता है ।

इस सम्मान की रक्षा देश की जनता के हाथों में है । स्वतन्त्र देश को सुरक्षित रखना हरेक भारतवासी का सब से बड़ा और पहला फर्ज है । हम ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है और देश को बनाने और बिगाड़ने का पूरा हक हासिल कर लिया है । अगर हम अपने कर्तव्य ठीक समझें और उन्हें पूरा करते रहें तो देश उन्नति करेगा और इस की गणना संसार के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे राष्ट्रों में हो जायेगी । ईश्वर ने इसे धन धान्य से भरपूर बनाया है । इस में बसने वाले आदमी प्रकृति प्रदत्त गुणों में किसी देश की जनता से कम नहीं है । अब हमारा काम है कि इन गुणों को विकसित करे और इस देश के हरेक नर नारी को इस का मौका दे कि वह अधिक से अधिक तरक्की कर सके । ठीक है, हमारे सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा है पर उस पर विजय पाना भी तो हमारा ही काम है ।

हम ने लोकतन्त्रात्मक गणराज्य कायम किया है । इस का यह अर्थ है कि जनता के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधि देश का शासन करेंगे जो जनता का विश्वास पा सकेंगे और जब तक पाते रहेंगे वे ही और उसी समय तक ही वे शासन के अधिकारी होंगे । दूसरे शब्दों में जनता के मत और हुकम के मुताबिक देश का कारखार चलेगा । इसलिये अगर जनता ऐसे लोगों को, जो योग्य हों, सच्चे और ईमानदार हों, जो सेवाभाव से भार उठाना चाहते हों, चुन कर शासन का भार सौंपेगी और ऐसे चुने हुए लोग अपना फर्ज अदा करेंगे तो देश का कल्याण होगा और देश तरक्की करेगा । हमारे नवसंविधान द्वारा इस चुनाव में भाग लेने का प्रत्येक बालिग को हक मिल गया है और इस तरह वह शासन के लिये जिम्मेदार हो गया है । थोड़े ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है । वह इतने बड़े पैमाने पर होगा कि इस के जोड़ का चुनाव आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुआ । इस में १६-१७ करोड़ मत देने वाले होंगे और सब मिला कर चार हज़ार से अधिक प्रतिनिधि चुने जायेंगे । इस चुनाव का प्रबन्ध करना भी इतना बड़ा काम है कि इस में हमारी सगठन शक्ति का पहला इम्तिहान हो जायेगा । चुनाव के नतीजे से हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि जनता ने कितनी समझदारी और जिम्मेदारी से मत देने के अधिकार को काम में लाया । जो चुने जायेंगे उन का पहला इम्तिहान चुनाव के दिनों में ही होगा जब हम देख सकेंगे कि वे कितनी समझदारी और संयम के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरा इम्तिहान चुनाव के बाद होगा जब यह देखा जायेगा कि उन्होंने किस तरह से सारे देश के हित को सामने रख कर अपना फर्ज अदा किया है ।

जनता के प्रतिनिधि वही हो सकते हैं जो जनता की राय को, उस के विचारों को, उस की अभिलाषाओं और उम्मीदों को उस की योग्यता और कर्मण्यता को ठीक ठीक प्रतिबिम्बित कर दें। इस लिये मेरा विश्वास है कि यद्यपि प्रौढ़ मताधिकार नई चीज होगी तथापि हमारी जनता उस का ठीक उपयोग करेगी और जो प्रतिनिधि चुने जायेंगे वे देश का भला कर सकेंगे।

इस समय बहुत कुछ करने को है। सब से पहली चीज तो हमें यह करनी है कि जनता को स्वराज्य का अनुभव दिन प्रतिदिन के जीवन में होने लगे। स्वतंत्रता बड़ी और कीमती चीज है। पर यदि वह केवल भावना मात्र ही रह जायें और उस का सदेह नतीजा देखने को न मिले तो वह भावना के रूप में भी नहीं रह सकेगी, और स्पष्ट है कि अगर भावना दृढ़ न रही तो आजादी भी डीली और कमजोर हो जा सकती है। इसलिये इस आजादी को मूर्तिरूप देना है, इसे अमली जामा पहनाना है। गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, को देश से निकालना है और उन की जगह पर लोगों के जीवन-स्तर को इस तरह ऊंचा करना है कि जो भूखा है उसे पेट भर अन्न मिलने लगे और सभी लोग आराम के साथ जिन्दगी बसर कर सके। सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारों के लिये दवा और इलाज का प्रबन्ध हो और सब को शिक्षा पाने की सुविधा हासिल हो। इस के लिये समाज का गठन ही ऐसा बनाना होगा जिस में सब सुविधायें सब के लिये सुलभ हो जायें और जो बड़ी खाई आज धनी और गरीबों के बीच में बहुत गहरी और चौड़ी पड़ी हुई है वह समानता और सद्भावना से पट जायें और देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का हम इस तरह इस्तेमाल कर सकें जिस में सभी उस से लाभ उठा सके और वह किसी व्यक्ति या वर्ग को एक तरफ धनी बनाने और दूसरे वर्ग को अधिक गरीब बनाने का कारण न हो। देश में सभी लोगों को चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों धार्मिक स्वतन्त्रता हो और सभी विचार और प्रचार की आजादी भोग सके। हमारे संविधान ने इस तरह की सभी बातों की बहुत विस्तार पूर्वक व्यवस्था की है और उन को पूरा करने के लिये लोकतन्त्रात्मक साधनों की भी व्यवस्था बताई है। पर यह सब कुछ तभी हो सकेगा जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे और उन्हें पूरा करने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे। संविधान चाहे कितना ही सुन्दर और सुव्यवस्थित क्यों न हो यदि उस के चलाने वाले चरित्रवान और चतुर कर्तव्यपरायण और निःस्वार्थी न हों तो वह कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है और व्यावहारिक जगत में उस की कोई अच्छाई देखने में नहीं आती। इस लिये इस राजधानी में बसने वाले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सारे देश के लिये एक ऐसा नमूना बनें कि वह आप का अनुसरण करते हुए उन्नति कर सके।

इस शहर में निर्वासित लोग बहुत बड़ी संख्या में आ बसे हैं। उन्होने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। अब भी यहां और दूसरी जगहों में फैले निर्वासित भाई बहिनें बहुत कठिनाइयां झेल रहे हैं। जहां तक हो सकता है गवर्नमेन्ट उन को बसाने का प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी। इस के लिये आप सब की मदद और सहयोग अपेक्षित है। पर इस से भी अगर कोई दूसरी चीज बढ़ कर है तो यह है कि हम अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के उन कारणों को दूर कर दें जो इन कष्टों के लिये जिम्मेदार हैं। अगर हम अब भी न संभले तो हम और अनेकों को उन्हीं

मुसीबतों में मुब्तिला कर देंगे । आपस का वैमनस्य और झगड़ा हमारी सभी मुसीबतों का मूलभूत कारण है । अगर उस से हम देश को सुरक्षित रख सकें तो उसे हम और सब मुसीबतों से बचा सकेंगे ।

### नई दिल्ली नगरपालिका का मान पत्र

\*नई दिल्ली नगरपालिका के मानपत्र का उतर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

कुछ वर्षों से मैं दिल्ली का नागरिक हूँ । इसलिये मैं समझता हूँ कि मैं उन विशेषाधिकारों का दावा कर सकता हूँ जिन का दावा दिल्ली का कोई अन्य नागरिक कर सकता है । इस दृष्टि से देखा जाये तो अपने नागरिकों में से ही एक को मानपत्र भेंट किया जाना कुछ अजीब सा लग सकता है किन्तु मैं जानता हूँ कि आप ने जो स्वागत और सम्मान मुझे प्रदान किया है वह मेरे लिये उतना नहीं है जितना कि उस पद के लिये है जिस पर देश ने मुझे विठाया है । मैं गणतन्त्र का राष्ट्रपति होने के नाते आप से कोई बात आज नहीं कहूँगा, किन्तु यदि आप की अनुमति हो तो मैं गणतन्त्र भारत की राजधानी के नागरिक की हैसियत से इस के अन्य नागरिकों से कुछ शब्द कहूँगा ।

जैसा कि आप ने अपने मानपत्र में कहा है, आप के सामने बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं । सभी नगरपालिकाओं और नगरप्रशासनों को बहुत कुछ इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात् शिक्षा की समस्या, संचार की समस्या, सफाई की समस्या, और नगर में शुद्ध और आवश्यक खाने पीने की चीजों के मुह्य्या करने की और खास तौर से दिल्ली जैसी जगह में शुद्ध दूध की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । जब कि चावल और गेहूँ के आटे में भी मिलावट की जाती है तो यह सदेह स्वाभाविक ही है कि जो दूध हमें मिलता है उस में भी मिलावट होगी ही । मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग नागरिकों के लिये शुद्ध दूध मुह्य्या करने के सवाल पर विचार कर रहे हैं या नहीं और न मैं यह जानता हूँ कि आप जनता के जिस गरीब भाग पर सारे शहर की सफाई निर्भर करती है उस की कोई विशेष देख भाल करते हैं या नहीं । आप ने कहा है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिन भगी बस्ती में बिताये । हम सब जानते हैं कि जीवन के अन्तिम भाग में वे जहाँ भी जाते थे वही गरीब लोगों के अर्थात् भंगियों और उसी वर्ग के लोगों के साथ साधारणतः रहते थे । वह ऐसा इसलिये करते थे ताकि दूररे लोगों को भी यह मौका मिले कि वह यह जान सकें कि ये लोग कैसे रहते हैं और इसलिये भी कि इस प्रकार संभवतः इन लोगों की दशा में कुछ सुधार हो जाये । अपने बारे में मैं यह बात स्वीकार कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ के भंगियों के जीवन के बारे में सिवा उतने थोड़े से ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ ज्ञान नहीं है जो मुझे उस समय हो गया था जब कि महात्मा गांधी जी के पास मैं भंगी बस्ती में जाता था । किन्तु मेरा आप लोगों से सुझाव है कि जिन विभिन्न आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र आपने किया है उन सब के बावजूद और इस बात के बावजूद भी कि जहाँ आप का

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद



जन संख्या बहुत बढी है वहां आप की आमदनी में तदनरूप कोई वृद्धि नहीं हुई है, गरीब लोगों की आवश्यकताओं को अपने ध्यान में रखना आप के लिये उचित होगा। जब कोई भी बाहर से यहा आयेगा और जहा वे लोग रहते हैं उम जगह से हो कर निकलेगा तो वहा वह जो कुछ देखेगा उसी के आधार पर वह आप के नगर के प्रशासन के बारे में अपनी सम्मति वनायेगा।

यह नगर भारत की राजधानी है। यहां न केवल इस देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि ही उपस्थित हैं अपितु ससार के विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी यहां हैं और इसलिये ही आप लोगों को अपने प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्य कुशलता के स्तर को बहुत ऊंचा रखना है। मैं कभी कभी सोचा करता हू कि इस नगर के जो लोग संघाकाल में सिहद्वार पर घूमने जाते हैं क्या उन के लिये मजबूरी है कि वह खोमचे वालो के गाने से ही सन्तुष्ट हो जाये ? क्या यह उचित नहीं है कि उन के लिये इस से बेहतर किसी चीज का प्रबन्ध किया जाये। हमारे देश का संगीत बहुत ऊंचे दर्जे का है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि किम सीमा तक उस को बड़े बड़े समूहों की आवश्यकताओं के लिये प्रयोग किया जा सकता है पर मैं यह सुझाव रखूंगा कि न केवल सिहद्वार पर ही वर्न् लोक-समागम के अन्य स्थानों पर भी जहा नागरिक और विशेषतः छोटे वच्चे जाते हैं यहा की जनता के लाभ के लिये कुछ सुविधाओं का आप प्रबन्ध करे। यह तालकटोग वाग, बहुत ही मुन्दर स्थान है, किन्तु देहली जैसे दूरी प्रधान नगर में केवल एक वाग पर्याप्त नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है और अन्य जगहों में चाहे बहुत सी कमियां न भी अखरे किन्तु यहा पर तो इस प्रकार की आवश्यकताओं पर आप को ध्यान देना चाहिये।

### अन्तर्विश्व विद्यालय मंडल की रजत जयन्ती

\*२८ फरवरी, १९५० मंगलवार को बनारस में अन्तर्विश्व विद्यालय मंडल की रजत जयन्ती सम्मेलन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति ने कहा—

मेरे लिये यह बहुत संतोष की बात है तथा इस बात के लिये मैं कृतज्ञ हूं कि केवल भारत के हीन द्वीवरन् पड़ोसी दो देशों के भी अर्थात् लंका और बर्मा के भी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करने का मुझे यह अवसर दिया गया है। मई सन् २४ में इस सम्मेलन की प्रथम बैठक हुई थी और तब से उस के फलस्वरूप स्थापित अन्तर्विश्व विद्यालय मंडल प्रति वर्ष अपनी बैठक विश्वविद्यालयों के सामान्य हितों में सम्बद्ध प्रश्नों पर विचार करने के लिये तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षा के हितों के साधन के लिये आवश्यक और वाछनीय समझें गये कार्य को हाथ में लेने के लिये करता रहा है। अभी हाल में भारत सरकार ने एक आयोग विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिये नियुक्त किया था। इस के सदस्यों में भारत के ही नहीं वरन् इंगलैंड और अमेरीका के ख्यातिनामा शिक्षा शास्त्री थे। इस का अध्यक्ष पद डाक्टर राधाकृष्णन् ने संभाला था। आयोग ने बहुत ही मूल्यवान

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

रिपोर्ट पेश की है जिस में हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षा क्षेत्र में सफलताओं का ही विवरण नहीं है वरन् उन के सम्बन्ध में बहुत ही सार गभित सिफारिशों और सुझाव भी है। हम अब एक स्वतन्त्र देश हैं। हमारा संविधान गणतान्त्रिक है,। उसके अनुसार इस देश में प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये आवश्यक योग्यताओं वाले अनेक नर नारियों की जरूरत है। इस का यह अर्थ नहीं कि यहां के लोग प्रजातन्त्र से सर्वथा अपरिचित थे। हमारे देश में अनेक गणतन्त्र रहे हैं, किन्तु जो गणतन्त्र हम ने हाल में ही स्थापित किया है उस की तुलना में वे बहुत ही सूक्ष्म थे। जनता का उत्तरदायित्व नये गणतन्त्र के क्षेत्र के अनुपात में ही बढ़ गया है तथा हमारी शैक्षिक संस्थाओं का अब यह कर्तव्य है कि वे उन को उन कार्यों के योग्य बनायें जो उन के सामने आने वाले है। संविधान स्वयं ही कुछ खास बात तब तक नहीं कर सकता जब तक कि इस के पीछे विशिष्ट स्तर की बुद्धि, सार्वजनिक भावना, और देश के हित के प्रति लगन साधारण नागरिकों में न हों तथा शैक्षिक संस्थाओं का यह काम है कि वे ऐसा वातावरण पैदा करे जिस में गुण विकसित हों और उन का यह काम भी है कि उन के प्रभाव में पलने वाले व्यक्तियों को वे आवश्यक योग्यतायें प्रदान करें। विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन का महत्व इस बात में है कि वह इस देश की वर्तमान व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है तथा इस आधार पर शिक्षा समस्याओं पर विचार करता है। अतः इस को बहुत से क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सुझाव देना पडा है। साथ ही इस की रिपोर्ट की यह भी खूबी है कि वह पुरानी परम्परा से पूर्णतया विच्छेद का सुझाव नहीं रखती वरन् जो कुछ उस में प्राप्य है उस में से सब से अच्छे को बनाये रखना चाहती है और जो सर्वोत्तम बात प्राप्त करना वांछनीय है उस के लिये प्रयास करने का सुझाव रखती है। मुझे इस में शंका नहीं है कि हमारी आधुनिक शिक्षा परम्पराओं और आकांक्षाओं के संरक्षक की हैसियत से और हमारे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने की हैसियत से आप उन सिफारिशों और सुझावों पर पूरा विचार करेंगे।

आप की अनुमति से मैं इस रिपोर्ट से पैदा होने वाली बहुत सी बातों में से कुछ की ओर आप के विशेष विचार करने के लिये संकेत करता हूँ। यद्यपि हमारे विश्वविद्यालय लगभग एक शताब्दि में अस्तित्व में है तो भी पिछले ४० वर्षों में उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पिछले कुछ वर्षों में तो उन की अभिवृद्धि उल्लेखनीय और चमत्कारिक है। यह भी विशेष प्रवृत्ति पायी जाती है कि एक के बाद दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। इस से प्रकट है कि उच्च शिक्षा के विकास के लिये लोगों के मन में कितनी रुचि है। पिछली अर्द्धशताब्दि में हाई स्कूलों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और इस लिये यह स्वाभाविक ही था कि हाई स्कूलों में से शिक्षा समाप्त कर के निकलने वाले विद्यार्थियों की आगे की शिक्षा के लिये नये विद्यालयों की मांग बढ़ जाये। स्कूलों और विद्यालयों की संख्या के बढ़ने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ना भी अनिवार्य थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किन्तु साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्षेत्र में केवल संख्या के बढ़ने का यह आवश्यकीय अर्थ नहीं है कि मानसिक और बौद्धिक साधनों में भी अनुपातेन वृद्धि हुई है। तथा यदि मैं इन संस्थाओं के विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति के स्तर में किसी सीमा तक गिरावट से हुई—और मेरा सीमित अनुभव मुझे स गिरावट

की ओर संकेत करता है--अपनी निराशा की बात आप से कहूँ तो मे नहीं चाहता कि उस से आप कुछ और धारणा मन में बैठा लें। किन्तु इस भावना के अतिरिक्त, जो इन संस्थाओं से मेरे से अधिक निकटतम सम्बद्ध लोगों के मन में चाहे हो और चाहे न भी हो, मुझे यह भी लगता है कि अब समय आ गया है जब कि हमें अपनी सारी शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निमाण पर विचार करना है और इस के लिये प्रयास करना है। चूकि विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट हमें इस दिशा में आगे बढ़ाती है इस लिये मैं इस को पर्याप्त महत्व देता हूँ।

कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जिन का उत्तर देना हमारे लिये आवश्यक है। उदाहरणार्थ शिक्षा माध्यम के प्रश्न को ही ले लीजिये। कुछ भी कारण क्यों न हो काफी लम्बे समय से हमारा शिक्षा माध्यम विदेशी भाषा रही है। मैं ने अपनी पढाई अंग्रेजी अक्षरों के सीखने से आरम्भ की थी। तथा तब से इस दिशा में कुछ परिवर्तन हो गया है पर मैं नहीं जानता कि क्या यह कहा जा सकता है कि बालक की शिक्षा का माध्यम सर्वथा उस की मातृभाषा कर दी गई है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि अभी इस परिवर्तन की आरम्भिक अवस्था ही पूरी होने वाली है। जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत से स्थानों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाये हो रही है। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह परिवर्तन पूरी तरह किया जा चुका है। विश्वविद्यालयों में तो यह परिवर्तन मुश्किल से ही कहीं शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि इस विषय के सब प्राधिकारी और जानकारी रखने वाले लोग यह मानते हैं कि यदि शिक्षा प्रभावी, पूर्ण, और धन तथा समय की दृष्टि से मितव्ययी होनी है तो वह जनता की भाषा में दी जानी चाहिये। हमारे देश की उपस्थित परिस्थितियों में इस सर्वमान्य सिद्धान्त पर किस प्रकार से व्यवहार किया जाये केवल यही प्रश्न विचारणीय है। आयोग ने इस का एक हल मुझाया है जिसे मैं एक प्रकार से समझौते वाला हल मानता हूँ। सब बातों पर विचार कर के व्यक्तिगत दृष्टि से उसे एक शर्त पर पूर्णतया स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और वह शर्त यह है कि इस पर अविलम्ब और मन में निहित विपरीत भावना के बिना कार्य आरम्भ कर दिया जाये।

हमारे सामने परीक्षाओं की भी समस्या है जो अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था का प्रधान अंग रही है। जब हम उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिन में हमारी शिक्षा संस्थाओं का विकास हुआ और उस कार्य पर विचार करते हैं जो हमारे विश्वविद्यालयों के आरम्भिक पचास वर्षों में उन को सौंपा गया था तो हमें पता चलता है कि बात कुछ और हो भी न सकती थी। उस समय हमारे विश्वविद्यालय केवल ऐसी ही संस्थाएँ थीं जो स्वयं 'उद्दाने के लिये जिम्मेदार न थीं वरन् केवल इस बात से सन्तुष्ट थीं कि विद्यार्थी को यह प्रमाणपत्र दे दिया जाये कि उस ने विशिष्ट दर्जे की योग्यता हासिल कर ली है। जिन संस्थाओं का यह काम था कि वे विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली इन परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को तैयार करें उन का स्वभावतः यह प्रयास रहता था कि इस प्रयोजन को अर्थात् परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कराने के प्रयोजन को वे पूरा करें क्योंकि इसी प्रयोजन से तो

विद्यार्थी उन में प्रविष्ट होते थे। विद्यार्थियों के लिये भी इस बात के अलावा और कुछ चारा न था कि वे और सब बातों से ज्यादा इन प्रमाण पत्रों को महत्व दें। क्यों कि इन्हीं प्रमाणपत्रों पर तो उन का भविष्य और भाषी जीवन लगभग सर्वथा निर्भर करता था। स्वभावतः शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों ही के लिये एक तरफ और दूसरी तरफ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिये परीक्षाओं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हो गयीं। इस व्यवस्था की सब से द्योतक आलोचना यही है कि आज भी ऐसे विश्वविद्यालयों की, जो अभिज्ञान प्रदान करने वाले हैं, आमदनी का मुख्य भाग उन शुल्कों से आता है जो उन की परीक्षाओं में बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी देते हैं। एक शताब्दि के अन्तिम चतुर्थाश में या उस से कुछ अधिक समय में यद्यपि शिक्षा प्रदान करने वाली सस्थाओं के रूप में कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है तथापि वे भी परीक्षाओं की जकड़ से अपने को मुक्त नहीं कर पाये हैं। यह भी उसी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जो हमारे देश में थी और जिस के अन्तर्गत हमारे शिक्षक भाई अपनी जीविका के लिये केवल कुछ सीमित प्रकार की नौकरियों और धन्धों की बात ही सोच सकते हैं और इन धन्धों में सफलता प्राप्त करना भी इन परीक्षाओं के फलों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि इस भार से किस प्रकार और किस सीमा तक नव युवकों को मुक्त किया जाये जिस से कि वे अपना ध्यान और समय सत्य-ज्ञान और सत्य-शिक्षा के उपार्जन में लगा सके जो कि परीक्षा में सफलता प्रदान करने वाली और अधिक नम्बर दिलाने वाली जानकारी से बिल्कुल विभन्न होगी। जब तक कि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता है मुझे भय है कि तब तक हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये मौलिक ज्ञान के क्षेत्र में विशेष कामयाबी हासिल करना सम्भव न होगा। यह सत्य है कि हमारे यहां बहुत से मेधावी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अच्छी ख्याति पाई है। उन की जितनी प्रशंसा की जाय-थोड़ी होगी। किन्तु वे तो मरुभूमि में इक्की दुबकी हरियाली के समान हैं, जो अपने कामों के कारण प्रख्यात हो जाते हैं किन्तु जो अपनी योग्यता के बावजूद देश की रूपरेखा को बदलने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं।

हमारे देश में किसी समय गुरुकुलों की व्यवस्था थी। उस प्राचीन परम्परागत गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी में पारस्परिक बड़े घनिष्ट और निकटतम सम्बन्ध होते थे। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रारम्भ होने तक व्यावहारिक दृष्टि से पाठशालाओं और मकतबों में भी यह घनिष्टता बहुत कुछ मौजूद थी। यद्यपि यह बात नहीं कही जा सकती कि इस में उस समय भी इस की आरम्भिक शुद्धता या प्रभुता थी किन्तु उस आदर्श से आधुनिक व्यवस्था शून्यः शून्यः दूर ही चली जाती रही है और आज हमारे विद्यालयों और पाठशालाओं में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मौलिक और नौकर के सम्बन्ध के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध सम्भवतः नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक की सेवाओं के लिये शुल्क देता है और शिक्षक दिन में कुछ घंटे पढ़ाने का काम कर देता है इस के अतिरिक्त दोनों में और कोई सम्पर्क नहीं होता। इस बारे में अपवाद हो सकते हैं। किन्तु मुझे भरोसा है कि स्थिति का ऐसा दिग्दर्शन कर के मैं उस के रूप का भौडा चित्र नहीं दे रहा हूँ। नुस ११। लगता है कि विद्यार्थियों में जिस अनुशासन हीनता की बात आज कल

भारत लोग सुनते हैं वह इन्हीं वर्तमान परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम है। अनुशासन सर्वदा बलपूर्वक नहीं मनवाया जाता है वरन् उस की भावना तो हृदय के अन्दर से ही पैदा होती है। और इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि कुछ स्वाभाविक परिस्थितियाँ मौजूद हों। आज ये परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं और इसलिये हम कुछ अधिक अच्छे परिणामों की भी अपेक्षा नहीं कर सकते।

इसी समस्या के साथ विद्यार्थी के इस गुण के विकास की समस्या भी बंधी हुई है जिसे हम एक शब्द में चरित्र कह सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया है। किन्तु मेरा विचार है कि अन्ततोगत्वा विद्यार्थी के मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक गठन का महत्व और मूल्य केवल उस के लिये ही नहीं वरन् सारे देश के लिये उस के कोरे बौद्धिक विकास से कहीं अधिक है। यह ऐसी समस्या है जिसे हल करना है और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के इस पहलू पर विश्वविद्यालय आयोग ने विचार किया है।

एक बात और है जो मेरी दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जिस के सम्बन्ध में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त विचार किया है और उसे पर्याप्त स्थान दिया है, वह एक नये प्रकार के विश्वविद्यालयों की जिन्हें हम ग्राम्य विश्वविद्यालय का नाम दे सकते हैं स्थापना का प्रश्न है। जब महात्मा गांधी ने वृन्दादी नालीम की स्कीम देश के सामने रखी थी तो कुछ लोगों ने इसे क्रान्तिकारी स्कीम समझा था गो कि देश के ह्यातिनामा शिक्षा शास्त्रियों में से पर्याप्त अधिक ने इस का अनुमोदन किया था। और कामों की तरह जिन्हें उन्होंने अपने हाथ में लिया था वे इस बारे में भी बहुत ही स्थिरमत थे और उन की प्रेरणा से बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने इस प्रयोग को आरम्भ किया। पड़ीसी बिहार प्रान्त में किये जाने वाले इस प्रयोग से साधारणतया सम्बद्ध होने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। यह प्रयोग एक छोटे पैमाने पर किया जा रहा था किन्तु सौभाग्यवश इसे पूरा किये जाने का अवसर मिला। ऐसी बात दूसरे प्रान्तों में नहीं हुई। बहुत सी बाधाओं के बावजूद, जिन का सामना इसे करना पडा, यह अधिकृत व्यक्तियों की दृष्टि में पूर्णतया सफल हुआ और इस ने प्रान्त के शिक्षा शास्त्रियों के सामने कार्य का नया क्षेत्र खोल दिया। मुझे ज्ञात हुआ है कि कार्यदक्षता का ध्यान रख कर इस व्यवस्था को अब विस्तृत क्षेत्र में फैलाया जा रहा है। कार्यदक्षता तो योग्य और अच्छे शिक्षकों की सख्या पर निर्भर करती है इसलिये मेरा विचार है कि इस व्यवस्था का विस्तार वहा इसी गत पर निर्भर करता है कि इस प्रयोजन के लिये विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की प्रशिक्षा में और उन्हें तैयार करने में कितना समय लगता है। ग्राम्य विश्व विद्यालयों की योजना जैसा कि रिपोर्ट के लेखक स्वयं कहते हैं इसी योजना का ऐसे परिवर्तनों सहित विस्तार है जो उन्हें उचित जचे है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी दशा में शिक्षा के विस्तार की सिफारिश कर के आयोग ने देश की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ी सेवा की है। अब यह विशेषज्ञों का और राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का काम है कि वे इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये व्यवहारिक बातों का निर्णय करें। मुझे इस में शंका नहीं है कि यह योजना देशवासियों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी

परिवर्तन कर सकती है और ग्रामों की रूपरेखा को बेहतर बना सकती है। आज कल गांव से आनेवाला नौजवान मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् ऐसे शहर में जहां उसे हर हालत में आज कल की मंहगी के कारण अपने खर्च को अपनी आमदनी के अन्दर रखना और खास तौर से उस हालत में जब कि दफ्तर में जाने के लिये उस की हैसियत वाले व्यक्ति को जो खर्च करना पड़ता है उस को भी इस में शामिल कर लिया जाये तो उसे अपनी आमदनी के अन्दर ही रखना बहुत मुश्किल होगा वहां के किसी दफ्तर में कुछ रूपये तनख्वाह वाली नौकरी पाने की कोशिश करता है। इस से तो कहीं बेहतर यही होगा कि वह अपने परिवार के पुराने धन्धे में ही लगा रहे और गांव के वातावरण में खेती को सुधारे और स्वास्थ्यजनक जीवन व्यतीत करे। किन्तु आज कल का तथाकथित शिक्षित नौजवान यह बात नहीं कर सकता। चूंकि वह पढ़ लिख गया है इसलिये अपने बाप या चाचा के खेत में उस के लिये काम करना सम्भव नहीं है। मेरे सामने एक प्रश्न सदा ब्रना रहता है कि क्या सत्य ही हमारी शिक्षा का प्रयोजन हमारे लोगों को अयोग्य और पगबलम्बी बनाता है? क्या उसे उन को अधिक आत्मविश्वासी, जीवन संघर्ष का मुकाबला करने के लिये मुसज्जिन और अपने परिवारों की ओर साथ ही साथ सारे देश की सेवा के लिये विशिष्टतया मुसज्जित करना नहीं है? जो व्यवस्था अब तक कल्पम रही है उस ने गांव से उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्हें शिक्षा पाने का अवसर मिला है और इस प्रकार गांवों को वहीं का वहीं रहने दिया है जहां वह पहले थे। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप गांव से उन के सर्वोत्तम व्यक्तियों के अलग हो जाने के प्रश्न पर आयोग ने बड़ी गहराई और चिन्ता से विचार किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस दलदल से बचने का रास्ता सम्भवतः इन ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना द्वारा निकल सकता है। ऐसा ही स्केन्डिनेविया के देशों में भी हुआ था। मैं आप सबसे इस प्रश्न पर विचार करने का आग्रह करता हूं। और भी बातें हैं जिन पर आप को विचार करना है। किन्तु मैं आप का और समय नहीं लेना चाहता। मुझे आशा है कि आप का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट करने के लिये जो मुझे ठीक जवो आप मुझे श्रुत न समझेगे। मुझे ऐसा लगा कि आप का जैसा मण्डल ऐसे प्रश्नों पर सब बातों को ध्यान में रख कर विचार कर सकता है और इसी लिये मैं ने उन की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करने की स्वतन्त्रता वरती। इस आयोग में भाग लेने के लिये मुझे आप ने यह मौका दिया उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ और चाहे मेरा इस में कितना ही कम भाग क्यों न हो इस का उद्घाटन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

### काशी विश्व विद्यालय का विशेष समावर्तन

काशी विश्वविद्यालय के विशेष समावर्तन के अवसर पर भाषण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

आपका विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसे यह रखना भी चाहिये क्योंकि यह एक ऐसी नगरी में है जो हमारी भारतीय संस्कृति और विद्या का

केन्द्र स्थान मानी जाती रही है। काशी नगरी का अपना एक विलक्षण इतिहास रहा है और वह इतिहास बड़ा ही समुन्नत, पवित्र और गौरवपूर्ण रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यह बहुत पुरानी नगरी है। इस पुरानेपन के साथ साथ इसकी अपनी पवित्रता भी जुटी हुई है। गंगा गंगोत्तरी से निकल कर कई स्थानों से भ्रमण करती हुई यहां पहुंची है और काशी में आकर अपना विशेष स्थान प्राप्त करती है और काशी नगरी पवित्र मानी जाती है। यों तो गंगा कई नगरों, उपनगरों से गुजरी है पर ऐसे बहुत कम स्थान हैं जिनको काशी की गंगा की शोभा और आदर मिला है। यहां की गंगा का वर्णन आपके सामने क्या किया जाये जब आप उसके किनारे ही बसते हैं और दिने प्रतिदिन लाभ उठाते हैं। यहां वह घाट भी है जहां हमारे सन्त तुलसीदास जी ने उस उच्च और महान साहित्य काव्य का निर्माण किया जो आज घर घर पूजनीय है। ऐसे कई सन्त और महापुरुष तथा दानी इस नगर में रहे जो अपना उदाहरण हमारे लिये छोड़ गये हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि काशी आज भी अपने प्राचीन पुराने गौरव को शिक्षा केन्द्र बन कर कायम रख रही है।

यह भारतीय संस्कृति का केन्द्र स्थान रहा है और आज भी दूर दूर के देशवाले तथा भारत के कोने कोने से लोग इस नगरी के दर्शनार्थ तथा यहां की ऐतिहासिक कृतियों और संस्कृति से लाभ उठाने आते हैं। कुछ तो तीर्थस्थान समझकर आते हैं और पवित्र गंगा में गोता लगा कर विश्वनाथ जी के मन्दिर की परिक्रमा कर अपने को धन्य मानते हैं और श्री अन्नपूर्णा जी के मन्दिर में मौन साधना करते हुए अन्न से परिपूर्ण करने का वरदान मांगते हैं। इस पवित्र नगरी से बहुतेरे अपने अपने स्थानों के लिये कुछ न कुछ अभ्यास कर, सीख कर ले जाते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतिरूप काशी में सहवास के लिये अपने को धन्य मानते हैं। यह सब आप के लिये सहज सुलभ है।

आपका यह विश्वविद्यालय भी बड़ा विख्यात हो गया है, इसलिये नहीं कि यहां बड़े बड़े आलीशान कालेज और होस्टेल के मकान बनाये गये हैं बल्कि इसलिये कि पूज्य मालवीय जी के पवित्र उद्देश्य का यह कीर्तिस्तम्भ माना जाता है। पूज्य मालवीय जी हमारे और हमारी भावी संतान के लिये अपनी कार्यकुशलता, रहन सहन, आचार विचार, तथा अपनी कीर्ति का यह नमूना छोड़ गये हैं। विश्वविद्यालय के खोलने में उन का उद्देश्य रहा कि यह वह विश्वविद्यालय हो जहा से सुसंस्कृत, योग्य और भारतीयता के मान और मर्यादा को बढ़ाने वाले युवक निकले जो फिर से भारत का वह स्थान लौटा दें जो हम इसके प्राचीनतम इतिहास में पढते हैं। इस देश मे संकड़ी वर्षों से ब्रिटिश राज्य का प्रभुत्व रहा और उस ने कुछ विश्वविद्यालयों को खोला। उसके चलाने का उद्देश्य तथा भावना यह रही कि वह ऐसे विश्वविद्यालयों से ऐसे युवक तैयार करे जो शकल सूरत में भारतीय होते हुए भी उनकी विचार शैली, रहन सहन, तौर तरीका पश्चिमी ढंग के हों और अंग्रेजीयत का जामा पहना कर उनके द्वारा ही यहां का राज्य चलावे। इसके विपरीत ही पूज्य मालवीय जी का इस विश्वविद्यालय के खोलने का उद्देश्य और भावना थी यद्यपि अब तक यह अपने उद्देश्य को उतना पूरा नहीं कर सका है जितना चाहिये पर आज भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया है, इसने अपने लिये एक संविधान बनाया है। इस के बनाने में यहा की सभी उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने

और सरल बनाने को ध्यान में रखकर काफी उदारता से काम लिया गया है। यहां पहले पहल बालिग मताधिकार को माना गया है। जो इक्कीस वर्ष से ऊपर के हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि अपना सच्चा प्रतिनिधि चुनें और उनकी मदद करें, उनको सहयोग दें ताकि उनके लिये वह बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर सकें। हमने सब जाति और धर्म की समानता मानी है। हमारे यहां अब से कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति धर्म, पुरुष नारी का विभेद इसलिये नहीं किया जायेगा कि एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, एक पिछड़ा हुआ है तो दूसरा उठा हुआ है। सबको एक सतह पर लाना ही इस संविधान के इस हिस्से का उद्देश्य है। यह विभेद इतना बढ़ गया था कि अब भी हम इतना बड़ा कदम उठाने में हिचकते थे और हमारी धारणा ऐसी बन गई है कि हमने उसे धर्म और कर्म का रूप दे रखा है और अपने किये पर भगवान के बनाने का रूप दे रखने का बहाना कर उन पर आप पार उतरना चाहते हैं। इस अन्ध विश्वास को अब मिटाना चाहिये और इसके मिटाने में तेजी से कदम बढ़ाना चाहिये ताकि हम और दूसरे दूसरे सत्कर्मों की ओर बढ़े और उस से निकले सुफल का उपभोग कर सकें।

हमने उस में शिक्षा को बड़ा स्थान दिया है। जहां हमारे यहां शिक्षा का कितना बड़ा अभाव रहा है और यहां अशिक्षा का साम्राज्य ही फैल गया था। इस तरह हम करोड़ों करोड़ अशिक्षा रूपी अंधकार के गर्त में भटक रहे थे। अब समय आया है कि उन सब के अन्धकार को हम दूर करें। ऐसी हालत में आप का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है चूंकि यह आप का ही काम है कि आप बाकी लोगों को शिक्षित करें, उन्हें उठावें और स्वराज्य का मतलब समझावें। साथ ही ग्रामों की उन्नति तथा उनको साफ मुथरा रखने का क्या तरीका हो सकता है जिस से लोगों का रहन सहन और उन का जीवन स्तर ऊंचा उठे ऐसा पाठ उन को पढ़ायें। इसमें विश्वविद्यालय जैसी संस्था को तुरन्त लग जाना है। वह जनता की सेवा करे और अपनी सेवा से उन के गिरे हुए स्तर को उठावे। हम शहर के चकाचौध में गांव को भूलते जा रहे हैं। उस ग्रामीण जनता के पाम ही हमारे इस चकाचौध के कुल साधन हैं जिसका हम उपभोग करते हैं और उलटे उस को भूलते जाते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो-उनके अन्धकार दूर करने के साधन और बुद्धि है उनके अन्धकार को दूर करने में हम लगायें और इसका फल उनको चखने दें और उनसे हमको जो जरूरत है लें और उन की जरूरत को पूरा करें।

हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजकीय भाषा माना है। अब तक हमारा सारा कारोबार दूसरी भाषा में होता रहा है और हिन्दी को गौण स्थान में रखा गया था। हिन्दी भाषी प्रान्तों में भी हिन्दी एक प्रकार से तिरस्कृत भाषा रही है। पर अब जब कि देश आजाद हो गया और अपना काम अपने हाथ में आया तो यह लाजमी था कि हम अपनी ही किसी भाषा को राजकीय भाषा मानें। हमें यह भी ध्यान रखना है कि वह राजकीय भाषा वैसी होनी चाहिये जिसके द्वारा हमारा सम्पर्क जनता जनार्दन के साथ अधिक से अधिक बढ़े और हम अपने किये काम को उन तक पहुंचायें और वह हमारे किये काम को अच्छी तरह समझे। भाव और व्यवहार को एक दूसरे पर व्यक्त करने के लिये भाषा का



बहुत बड़ा सहारा रहता है, और वह ऐसी ही भाषा होनी चाहिये जिस को आम लोग बोल और काम में ला सकते हों। भारत की अधिक जन संख्या के बीच यही भाषा बोली, पढ़ी और समझी जाती है। इसलिये इसे ही वह स्थान दिया गया है।

जमाना बदल गया है। हमारे सामने बड़े बड़े काम आगये हैं। इन सब कामों को करने के लिये समृद्ध भाषा, साहित्य और शब्द चाहिये। हर क्षेत्र में हर तरह का साहित्य अपने स्थान में भरपूर होना चाहिये। हमारा देश गुलामी के गर्त में फंसा हुआ था और इसलिये हम सब दिशाओं में न खुद आगे बढ़ सके और न हमारा साहित्य ही। इसके मुकाबिले में दूसरे दूसरे देश जो स्वतंत्र रहे हैं वह क्रमशः आगे बढ़े हैं चाहे वह साहित्य में हों, कला में हों, भौतिक शास्त्र में हो, खगोल, भूगोल, गणित या विज्ञान में। इन सबों के लिये उनके साहित्य में अपने अपने शब्द बन गये हैं। इस तरह दूसरी भाषाओं के शब्दभंडार भरपूर हैं। अबतक हम अंग्रेजी के शब्द, केवल शब्द ही नहीं, साहित्य से भी काम चलाते रहे हैं। पर हमें इन सभी दिशाओं में बढ़ने का कदम उठाना है और अपनी भाषा में इन सब चीजों को लाने के प्रयत्न में लगना है। हमें अपना शब्द और साहित्य भंडार बढ़ाना है। इस में अगर हम संकोच और सकीर्णता से काम लेंगे तो हम कंगाल के कंगाल ही रह जायेंगे और हम अपने को औरों की होड़ में नहीं ला जुटावेंगे और हम जल्दी सब की समता में नहीं आ सकेंगे। इसलिये अभी हमें शब्द और साहित्य को बढ़ाने में उदारता से काम लेना होगा। शक्तिशाली भाषा का माप भी यही हो सकता है कि वह जितने हमारे शब्द को लेकर अपने भाव और व्याकरण का लिवासा पहनाकर पचा सके वह उतनी ही विकसित होकर दूसरे को भी उस से लाभ पहुंचा सकती है। मेरा मतलब यह नहीं कि हम इन दूसरे दूसरे शब्दों को इतने अश में ले ले कि हमारी भाषा का अस्तित्व ही मिट जाये।

आप का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। इस तरह आप को नव-भारत के निर्माण में हाथ बटाना है। आप आज से यह विचार करें और सोचें कि आप की उपयोगिता किधर और किस दिशा में है। कालेज तथा विश्वविद्यालय से निकले युवक का झुकाव नौकरी की ओर ज्यादा रहा है। वह वृत्ति अब छोड़नी चाहिये।

आखिर नौकरी भी सब को कहां तक मिल सकती है। इस प्रवृत्ति के तो दो ही रास्ते निकल सकते हैं। या तो हर साल जितने युवक कालेज और विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकले सब के लिये जगह रखी जाये और बनायी जाये और यदि उन के लिये नौकरी की जगह नहीं हो तो कालेज और विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया जाये। नहीं, विश्वविद्यालय का उद्देश्य लड़के और लड़कियों को सिर्फ नौकरी के लिये तैयार करना नहीं है बल्कि ज्ञान को विकसित करने के लिये, राष्ट्र निर्माण में हिस्सा बनाने के लिये और यहां की गरीबी, अविद्या, अशिक्षा आदि को दूर करने के लिये है। साथ ही प्रकृति ने इस देश को जो सम्पत्ति दी है उस की खोज निकाल कर उस को उपयोगी बनाना है। यह देश धनधान्य से परिपूर्ण है। हमारी अज्ञानता इसे खोज निकाल नहीं सकती। अब इसे आप को खोजना है और देश को सुखी बनाना है। यह काम एक आदमी या एक संस्था का नहीं है। इसे हम सब को मिल कर करना है। अब किसी खास आदमी की जवाबदारी है ऐसी बात

नहीं होनी चाहिये। आप का अपना राज्य है और आप अपने लिये राज्य प्रबन्धक चुनते हैं और यह अधिकार आप को मिला है। इसलिये आप यह नहीं कह सकते कि सरकार ऐसी है वैसी है। आप को अब से मानना होगा कि सरकार के साथ साथ आपकी भी अपनी जवाबदेही और अपना कर्तव्य है जिसे आप को करना है।

लोकशक्ति द्वारा अर्जित स्वाधीनता हमारे युग की सैन्य स्वाधीनता से भिन्न है। एक में नवनिर्माण का उत्तरदायित्व, भावी रक्षण का कार्य, राजा या सेनापति पर होता है। दूसरे में यही उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से प्रत्येक नागरिक के ऊपर बंट जाता है क्योंकि लोकशक्ति द्वारा प्राप्त स्वाधीनता का विकास और ठहराव लोकतंत्र के आधार पर होता है। लोकतंत्र की सफलता व्यक्ति विशेष के गुण और कार्य पर अवलम्बित नहीं। सम्पूर्ण राष्ट्र जब तक सक्रिय रूप से शासन विधान और निर्माण के विषय में नहीं सोचता तब तक के लिये लोकतंत्र चंद व्यक्तियों की कार्यसीमा में बंध जाता है। ऐसा लोकशासन न तो लोकभावना का प्रतिनिधित्व करता है और न उस पर जनमत का अंकुश ही रहता है। “कोउ नृप होइ हमें का होनी,” वाली भावना लोकतंत्र की सब से भयंकर शत्रु है।

सच्चे स्वराज्य के फैलाने, बढ़ाने और जनता तक पहुंचाने में आप का हाथ होना चाहिये। आप इस की उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप का सहयोग इस में नहीं मिलेगा तो यह अधिक दिनों तक कागज़ी चीज़ ही रहेगी और बेचारी निरीह जनता इस के फल से लाभान्वित नहीं हो सकेगी और निराश हो जायेगी।

मं चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय इस के पूज्य चिरस्मरणीय संस्थापक के सउद्देश्य को पूरा करे और जिनको इसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह समझ लें और उन का पालन करें।

### काशी में सार्वजनिक सभा

ता० २८ फ़रवरी १९५० की संध्या को काशी की सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति ने कहा—

बहिनो और भाइयो,

अभी आठ दस घंटे ही हुए है जब कि हम इस काशी नगरी में पहुंचे हैं। इस समय से लगातार अब तक कितने ही भाई और बहनों ने जो प्रेम दिखलाया है, जो मेरा स्वागत किया है उसके लिये मैं किस तरह आप सब का धन्यवाद करूं यह मैं नहीं जानता। मुझे जो सम्मान और प्रेम आप से मिला है और आप ने जो यह आदर दिखलाया है वह मेरा नहीं बल्कि उस पद का है जिस पर राष्ट्र ने मुझे बैठा दिया है। मैं तो वहां आप सबों की शोभा बढ़ाने के ह्याल से ही नियुक्त किया गया हूं। इसलिये मैं यह मानता हूं कि यह सब सम्मान उस पद के लिये है मेरे लिये नहीं।

थोड़े ही दिना म इस दश के अन्दर एक ऐसा घटना घटा ह जिस का अर्थ हम अभी पूरा तरह से नहीं समझ सकें हैं। कन्याकमारी से त्रिमालय तक आर बंगाल को खाड़ी से अरब सागर तक फैले हुए इस देश के अन्दर इन थोड़े दिनों के अन्दर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन की मिसाल अब तक के इतिहास में देखने की नहीं मिलती। वह इतिहास भी तो पर्याप्त पुराना और अनेक उतार चढ़ाव वाला है। किन्तु इतिहास के इस पन्ने को अभी हमने उलटा ही है, हम उसको पढ़ नहीं पाये हैं। इसलिये इस घटना का सही महत्व हमारी समझ में अभी नहीं आ पाया है। हमने प्राचीन इतिहास में गणराज्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ा और देखा है। उस युग में बहुत जगह गणराज्य वर्तमान थे। पर आज जो गणराज्य स्थापित हुआ है वैसा अब तक संसार में कभी न था। मैं यह बात इसलिये कहता हूँ क्योंकि हमारा वर्तमान गणराज्य सारे भारत को एक सूत्र में बंधे हुए है। भारत का कुछ हिस्सा बंटवारे के कारण हमारे हाथ से निकल गया है किन्तु जो बचा है वह भी रूस को निकाल देने के बाद बचे हुए यूरूप के बराबर है। भारत के ३२,३३ करोड़ वासियों को एक छत्र राज्य में कर के यह गणराज्य बना है। ऐसे गणतंत्र की मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। यह कैसे बना आप सब जानते हैं। जब हम इस बात का स्मरण करते हैं कि गांधी जी की राह पर चलकर हमने यह गणराज्य बना पाया है तो हमें और भी खुशी होती है। इस खुशी की मात्रा तब और बढ़ जाती है जब हमारे ध्यान में यह बात आती है कि हमने हथियारों का प्रयोग किये बिना ही इतने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य से राजसत्ता अपने हाथ में कर ली और इतने बड़े गणराज्य की स्थापना कर ली। इस अभूतपूर्व सफलता के आधार पर हम कह सकते हैं कि महात्माजी का बताया रास्ता ईश्वरीय चमत्कार ही है।

जब १९४७ ई० में इस देश को छोड़ कर अंग्रेज गये तो उस समय देश के सामने कई समस्याएँ थीं। कुछ तो हल हुई हैं और कुछ बाकी भी हैं। इस देश के जितने रजवाड़े थे और उन की संख्या करीब करीब ५६४ के लगभग थी, उन सब के साथ अंग्रेजों के अपने सुलहनामे थे जिन से कि ये राज्य अंग्रेजों से बंधे हुए थे। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने इन सुलहनामों को समाप्त कर दिया और इन रजवाड़ों को भी भारत के अन्य हिस्सों की तरह आजाद कर दिया। इस तरह इन रजवाड़ों का बाकी भारत के साथ कोई बन्धन नहीं रहा। स्मरण रहे, उस समय ५६४ रजवाड़े थे। अगर वे चाहते तो उन में से हर एक अपने को स्वतन्त्र कर सकता था। इस काम में वे कहां तक सफल होते यह दूसरी बात है। पर उनकी उच्च अभिलाषा, देश के प्रति प्रेम और उन के प्रति हमारे भी प्रेम के फलस्वरूप उन्होंने अवशिष्ट भारत से एक हो जाना ही उचित समझा। इसलिये आज हम देखते हैं कि सारा भारत ओर उस के सारे बासी एक है और हम सब मिलकर एक राष्ट्र की सेवा करने में लगे हुए हैं और समझने लगे हैं कि उसे की सेवा में ही हमारा कल्याण है और उस की भलाई में ही हमारी भलाई है।

हमने स्वराज्य प्राप्त किया पर क्या हमने इसको पूरी तरह समझा है? इसको पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिये हमने क्या कुछ किया है? अगर हम अपने अपने फ़ैज को अदा नहीं करेंगे तो उस का क्या नतीजा होगा क्या इस को हमने समझ लिया है? मैं हमेशा कहता

हूँ कि किसी देश के लिये कितना ही बढ़िया संविधान क्यों न बनाया जाये पर यदि उसमें ठीक से काम में लाने वाले न हों तो वह संविधान किस काम का सिद्ध हो सकता है? हमारे सामने ऐसे हज़ारों प्रश्न हैं जिन को हमें हल करना है। हर एक को हल करने के लिये हमें अच्छे से अच्छे काम करने वालों और सेवकों की ज़रूरत है। अगर हम सब ने अपना अपना कर्तव्य समझ लिया और ठीक समझ कर अपना अपना काम किया तो देश का भला होगा और हम सबकी उन्नति होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच्ची स्वतंत्रता नहीं रहेगी और गणतंत्र भी नहीं रहेगा। प्रजातंत्र का सच्चा अर्थ यही है कि प्रजा राज्य को अपना समझे। इसलिये हम ने बालिग मताधिकार का विधान किया है। अब २१ वर्ष और उस से अधिक आयु वाले नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपने लिये प्रतिनिधि चुनें। अच्छी अवस्था बनाने का काम इन निर्वाचित प्रतिनिधियों का होगा। जनता को इस बात के समझाने का काम आप लोगों का है। आज विश्व विद्यालय में भी मैंने यही कहा था कि इस दिशा में शिक्षा संस्थाएं नुमायां कार्य कर सकती हैं और जनता को बता सकती है कि इस अधिकार का वह कैसे प्रयोग करे।

शहरों के लोगों को अधिक लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इसलिये आप का भी यह काम है कि जब भी आप से कभी गांव के लोग मिलें तो आप उन को इस अधिकार की बात और उस के उचित प्रयोग की रीति बतावें। यह बालिग मताधिकार का उचित प्रयोग सरल बात नहीं है। यह तो दुधारी तलवार के समान है। इस का हितकर प्रयोग भी हो सकता है और हानिकर भी। यदि जनता को ठीक न समझाकर उस से इस का गलत प्रयोग करा लिया गया तो बुरा नतीजा निकलेगा। अब थोड़े-ही दिनों में आम चुनाव होने वाला है। उस में अपने लिये प्रतिनिधि चुनने में आप को बड़ी सावधानी से काम लेना है। यह बात में किसी विशेष वर्ग को संकेत करके नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरे इस कथन का सम्बन्ध तो देश के सब नागरिकों से है जिन्हें अपने लिये प्रतिनिधियों को चुनना है। जैसा मैंने अभी अभी कहा हमें अच्छे और सच्चे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। चुनाव में सब को यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रतिनिधि ही चुने जायें।

आप कहते हैं कि आज कल लोगों में बेईमानी और रिश्वतखोरी का बोलबाला है। किन्तु जब काफ़ी लोग इस बात की शिकायत करते हैं तो इस में कुछ सत्य हो सकता है। जहां धुंआ उठती है वहां आग होगी ही। इसी तरह इस में भी कुछ न कुछ सत्य हो सकता है। यदि इस में कोई सच्चाई न ही तो मुझे सब से बड़ी खुशी होगी। किन्तु फिर भी मैं समझता हूँ कि इस संभाव्य दोष को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यक्षेत्र में हर प्रकार की खराबी को दूर करने में लग जाये। खराबी को दूर करने के लिये यह चीज ज़रूरी नहीं है कि सब के सब सही रास्ते पर हों। जैसा कि गांधीजी कहते थे कि एक पुरुष यदि सच्चा सत्याग्रही हो जाये तो उस का भी बड़ा प्रभाव होता है। एक का भी पूरा सत्याग्रही बनना आसान बात नहीं। गांधीजी खुद अपने लिये कहा करते थे कि मैं भी पूरा सत्याग्रही नहीं हूँ पर जो कुछ उन्होंने किया वह भी हमारे लिये उदाहरणीय है। हमें लोगों का यह सौभाग्य था कि ऐसे महात्मा के साथ हमारा सम्पर्क रहा और उन के

के भी विद्वान सदस्य थे। उन्होंने बहुत परिश्रम कर के सभी विश्वविद्यालयों की अध्यापन पद्धति और दूसरी बातों की जांच की और एक बड़ी व्यापक रिपोर्ट दी है जिस में शिक्षा के सभी पहलुओं पर बहुत गहराई से विचार किया गया है और बहुत ही मार्के का सुझाव दिया गया है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की सभी यूनीवर्सिटियाँ उस रिपोर्ट पर बम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी और आप भी उस में से जो कुछ आप के योग्य बताया गया हो मन्जूर करेंगे। मैं केवल एक विषय की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि दो कारणों से इस सूत्र का उस विषय से विशेष सम्बन्ध है। एक तो यह है कि इस सूत्र में पिछले ३०-३५ वर्षों के अन्दर शिक्षा का प्रचार बहुत बढ़ गया है। स्कूलों की संख्या तो बहुत बढ़ ही गई है कालेजों की संख्या भी बहुत बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। पर शिक्षा पद्धति में और कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कुछ पटना यूनीवर्सिटी के नियमों के अनुसार चल रहा था उसी को घटा बढ़ा कर इन नये खोले गये स्कूलों तथा कालिजों में भी जारी रखा गया है और इस बात की भी कोशिश हो रही है कि नई यूनीवर्सिटियाँ भी कायम की जायें। यह सतोष का विषय है कि लोगों में शिक्षा सम्बन्धी उत्साह और दिलचस्पी देखने में आ रही है पर इतना ही काफी नहीं है। उस उत्साह का अच्छा से अच्छा उपयोग किया जाय तभी उस से अपेक्षित अच्छा फल निकल सकता है।

हमारी शिक्षा पद्धति की बड़ी त्रुटि यह रही है कि जो लोग यूनीवर्सिटी से पढ़ कर निकलते हैं उन को न तो किसी विशेष धन्धे के लिये ही योग्य हमारी शिक्षा पद्धति बनाती है और न उन में ऐसी व्यापक विद्या ही वह दे सकती है कि आधुनिक दुनियाँ के शिक्षित समाज में उन को कोई अच्छा स्थान मिल सके। इस तरह वह विद्या न तो अर्थकारी होती है और न ज्ञानदायिनी एक बुरा नतीजा यह भी होता है कि जो शिक्षा पा लेते हैं वह हाथ से काम करना और शरीर-श्रम को हेच निगाह से देखने लगते हैं। बहुत वर्षों की बात है कि मेरे गांव के नज़दीक के एक लड़के ने जिस के घर के लोगों से मेरा परिचय था मेरे पास पत्र लिखा कि मैं मैट्रीकुलेशन पास कर चुका, मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिये और मैं अब घर का काम नहीं कर सकता जो और लोग करते हैं। वह अच्छे किसान घर का लड़का था और घर के लोग खेती कर के सुख से रहा करते थे। उस काम को करने में वह अपने को असमर्थ पाता था और नौकरी की फिर में जिस में, न तो कोई विशेष प्रतिष्ठा मिलती और न बहुत पैसे, तलाश में था। मैंने इस में उस का कोई दोष नहीं देखा। यह तो दोष शिक्षापद्धति का था कि अपने खानदानी काम को वह तुच्छ समझने लगा और किसी नये अच्छे काम के योग्य भी नहीं हुआ। वही सिलसिला अब बहुत ज़ोरों से और बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रान्त में बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। जितना नतीजा दो प्रकार से देश के लिये बहुत ही हानिकर हो रहा है। यों तो अक्षर ज्ञान से थोड़ा बहुत जो कुछ स्कूलों में और कालिजों में लोग सीख लेते हैं उस से उन को कुछ न कुछ लाभ पहुंचता ही है पर समाज को दो विशेष नुकसान पहुंचते हैं। पहली बात तो यह होती है कि जो इस प्रकार से शिक्षित हो जाते हैं और वह अपनी जैसी योग्यता समझते हैं उसकी दूसरे न तो उतनी कदर करते हैं और न जितनी आशा ले कर वह शिक्षा समाप्त करते हैं वह समाज पूरी करता है। इस का नतीजा यह होता है कि उन के दिलों में समाज के प्रति और अपनी सारी त्रिभंगों से एक प्रकार का द्वेष और संघर्ष पैदा हो जाता है और उन की सारी चिन्तनी निराशा-

मूर्ण हो जाती है। वह एक इवोत्साह श्रुते हुए मनुष्य की तरह नवजन्मा से ही दिन गिनते लगते हैं और किसी चीज़ में तू तो उत की दिलचस्पी रह जाती है और तू कोई जीवन में उच्चाभिलाषा। दूसरे वह जो कुछ सीखते हैं और जानते हैं उस का लाभ गांवों को नहीं मिलता क्योंकि इस प्रकार के शिक्षित लोग गांव में रहना पसन्द नहीं करते। उन की जिन्दगी ही ऐसी बन जाती है कि वह शहर के चहल पहल को अधिक पसन्द करने लगते हैं और इतने अधिक शिक्षित लोगों के शिक्षित होने के बावजूद हमारे गांव जैसे के तैसे रह जाते हैं। शहरों की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। शिक्षित उत्साही उच्चाभिलाषी सभी लोग गांव को छोड़ कर शहरों में आ जाते हैं चाहे वहां आने पर उन की जो भी दुर्गति हो। गांव की स्वस्थकर जिन्दगी उन से छूट जाती है और शहरों का सुख बहुत थोड़ा ही लोगों को नसीब होता है। इस तरह एक ओर समाज के प्रति असन्तोष और द्वेष की भावना बढ़ती है और दूसरी ओर जो गांव को उन्नत बना सकते थे वह असफल मनोरथ शहरवासी बन जाते हैं। इस से देश का कितना बड़ा नुकसान होता है इस का अनुमान लगना कठिन है। जिन लोगों ने इस विषय का अनुसंधान किया है उन का कहना है कि जो लोग गांव से आकर शहरों में बसते हैं उन की तीन चार पीढ़ी से अधिक नहीं चलती और इस तरह अच्छे से अच्छे लोग गांवों से शहरों में आकर अपनी समाप्ति कर देते हैं। इस लिये इन स्कूलों, कालेजों तथा यूनीवर्सिटियों को बढ़ाते चले जाने के पहले इस विषय पर हम को सोचना चाहिये कि क्या इस पद्धति को जारी रखना जरूरी है, और इस से क्या सचमुच हम लाभ उठा रहे हैं या केवल भेड़ीभसान कर रहे हैं।

इस के अलावा इस प्रान्त में एक बड़े मार्के का काम हुआ है। जब सन् १९३८ में महात्मा गांधी जी ने नई तालीम की योजना देश के सामने रखी तो सभी प्रान्तों में कुछ न कुछ काम शुरू किया गया। इस प्रान्त का यह सौभाग्य रहा कि यद्यपि वह प्रयोग छोटे पैमाने पर शुरू किया गया वह किसी न किसी तरह एक प्रकार से पूरा हो सका और देखा गया कि यद्यपि वातावरण और परिस्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं थी तो भी जो सुविधा मिली उस से ही वह प्रयोग सफल साबित हुआ और मैं ने सुना और मुझे यह जान कर बड़ा सन्तोष हुआ कि अब उस को और भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस से भी बढ़ कर संतोष का विषय यह है कि जनता इस विषय में बहुत दिलचस्पी ले रही है और अपनी दिलचस्पी और उत्साह को क्रियात्मक रूप में ज़मीन का दान दे कर और दूसरे प्रकार से पूरा कर रही है। इस का अधिक प्रसार और प्रचार हुआ और इस में मैं बहुत आशा के चिन्ह देख रहा हूं।

यूनीवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में एक बड़ा अध्याय ग्रामीण यूनीवर्सिटी के नाम से दिया गया है जिस में यह दिखलाया गया है कि जो नई तालीम या बुनियादी तालीम गांधी जी ने आरम्भ की थी उस को और भी किस तरह बढ़ाया जा सकता है और उच्चशिक्षा किस तरह गांवों में रहते हुए लोगों को दी जा सकती है और किस तरह उच्चशिक्षा को पा कर भी लोग गांवों में रहते हुए स्वयं अधिक सुखी रह सकते हैं और साथ ही गांवों की भी उन्नति कर सकते हैं। इस लिये मैं ने कहा कि उस रिपोर्ट के इस अध्याय का इस प्रान्त के लिये विशेष महत्व है क्योंकि वह प्रचलित प्रथा के अनुसार विद्यार्थ्य बढ़ते जा रहे हैं और उन के द्वारा गांवों

कं हित के बदले अहित होना सम्भावी है। यदि इस पद्धति का रुख बदल दिया जायं जिस के लिये बुनियादी तालीम ने बुनियाद डाल दी है और जमीन तैयार करदी है तो सारे प्रान्त का सुधार हो जाये और उस की हालत ही बहुत कुछ बदल जाये। मैं चाहता हूँ कि यूनीवर्सिटी के लोग और दूसरे लोग जो शिक्षा में दिलचस्पी रखते हैं इस विषय का अध्ययन करें और शिक्षालयों का रुख, कार्यक्रम, शिक्षा पद्धति बदल दें जिस में जो लाभ रिपोर्ट में नई पद्धति में दिखलाया गया है वह हम उठा सकें, जो उन्साह आज जनता में देखने में आ रहा है उस का सदुपयोग हो जाये और जिस तरह हम बुनियादी तालीम के प्रयोग में आगे रहे हैं उसी तरह उस प्रयोग के नतीजे से पूरा पूरा लाभ उठा कर जो नई दिशा ग्रामीण यूनीवर्सिटी कायम करने की रिपोर्ट में दिखलाई गई है उस ओर हम आगे बढ़ें। जो लोग नये कालेज और नयी यूनीवर्सिटी खोलने के फ़िक्र में हैं उन से मेरा अनुरोध है कि विशेष कर इस विषय पर विचार करें और लकीर के फकीर न बन कर नये रास्ते पर चल कर देश का लाभ करें।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत कर के जो कुछ डेनमार्क के गांवों के लिये वहां की ग्रामीण शिक्षापद्धति द्वारा किया गया है उसी से प्रभावित होकर और जो बुनियादी तालीम की नीव गांधी जी ने डाली उस पर यह बड़ी इमारत खड़ी करने का मन्सूबा यूनीवर्सिटी कमीशन ने किया। डेनमार्क यद्यपि एक छोटा देश है जिस की सारी आबादी ४० लाख के लगभग है, सुखी लोगों का देश है जिस में सभी लोग शिक्षित भी हैं और जिस में धनी के धन और गरीब की गरीबी में इतना बड़ा अन्तर नहीं है जितना और देशों के धनी और गरीबों में पाया जाता है। सभी लोग प्रायः मध्यम वृत्ति के हैं और बिना किसी दूसरे देश और दूसरे लोगों के साथ कोई इस प्रकार का विशेष प्रबन्ध रखे हुए जो योरप के अनेक देश एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ रखते हैं, वे सुखी हैं! और सब बातों में भी वह योरप के दूसरे देशों के मुकाबले में कम उन्नत नहीं हैं बल्कि कई बातों में योरप के लोग ही उन्हें अधिक उन्नत मानते हैं। इस का एक विशेष कारण उन की शिक्षा पद्धति है जिस का आरम्भिक भाग बुनियादी शिक्षा और अन्तिम श्रेणी ग्रामीण यूनीवर्सिटी में देखा जा सकता है। यह नई पद्धति केवल हमारी शिक्षा में ही क्रान्ति नहीं लायेगी, हमारे जीवन में भी क्रान्ति लायेगी जिस से लाभ तो होगा ही, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का भी आधुनिक विज्ञान के साथ एक ऐसा सुन्दर समन्वय हो जायेगा जो सब के जीवन के लिये एक आदर्शरूप होगा। इस लिये मैं चाहता हूँ कि जो लोग बिहार में नई यूनीवर्सिटी स्थापित करने को सोच रहे हैं वह केवल पुरानी यूनीवर्सिटियों की नकल कर के ही संतुष्ट न हों, इस ग्रामीण यूनीवर्सिटी की योजना को ही मान कर अपना काम पूरा करें। जब से मेरा सम्पर्क पूज्य महात्मा गांधी जी के साथ हुआ तब से ही मेरा आदर मौजूदा पद्धति और शिक्षा संस्थाओं के प्रति कम हो गया और यद्यपि कई मित्रों ने पुराने ढर्रे की संस्थाओं की स्थापना के लिये बहुत परिश्रम किया, मेरी कोई विशेष दिलचस्पी उस में नहीं रही पर मैं राष्ट्रीय विद्यालयों और नई तालीम के साथ काफ़ी दिलचस्पी रखता रहा हूँ। और आज जब प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो गई है और यूनीवर्सिटी कमीशन की सिफ़ारिशें सामने आ गई हैं तो मेरी दिलचस्पी इस नई तालीम में और ग्रामीण यूनीवर्सिटी में और भी बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रयोग को जो इस सूबे ने सफलता पूर्वक चलाया है उस के आगे की

सीढ़ियों पर यह प्रदेश बढ़े और ग्रामीण यूनीवर्सिटी की स्थापना सब से पहले कर के नया आदर्श देश के सामने रखे ।

ग्रामीण यूनीवर्सिटी के अलावा मौजूदा यूनीवर्सिटियों के सुधार के लिए और उन की प्रगति के लिए नई दिशा का निर्देश भी बहुत ही सुन्दरता और गम्भीरता के साथ यूनीवर्सिटी कमीशन ने किया है । मैं उसकी चन्द सिफारिशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें इस यूनीवर्सिटी को और इससे सम्बद्ध स्कूल और कालेजों को आप सुधार सकें । मैं यहां केवल इशारा मात्र कर सकता हूँ । पूरी सिफारिश और उसके महत्व को समझने के लिए तो रिपोर्ट को ही पढ़ना चाहिये । गणराज्य की सफलता के लिए उन लोगों में जिनके हाथों में अधिकार दिया गया है कुछ गुण होने चाहियें । लोग बहुधा कह दिया करते हैं कि इस देश के लोग बहुत करके निरक्षर हैं इसलिए वह बालिग मताधिकार का ठीक उपयोग नहीं करेंगे । मैं यह नहीं मानता हूँ । मेरा विचार है कि अक्षर ज्ञान के बिना भी हमारे सारे देश के लोगों में संस्कृति की ऐसी पुट है और साधारणतया उनमें इतनी बुद्धि और विवेक है कि यदि उन को अपने स्वत्वों और दायित्वों को ठीक समझा दिया जाये तो वह इस अधिकार का सदुपयोग करेंगे । इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अक्षर ज्ञान और पुस्तकी ज्ञान को महत्व नहीं देता हूँ । उनका महत्व है पर यह नहीं मानना चाहिये कि जब तक वह ज्ञान जनता को प्राप्त न हो जाये तब तक वह निकम्मी बनी रहेगी । बात यह है कि जिस प्रकार का पुस्तकी ज्ञान आज हमको मिलता है वह कुछ बहुत काम का नहीं है । विशेषकर के नई परिस्थिति में उससे उतना काम नहीं निकलेगा जितने की हम अपेक्षा करते हैं । यूनीवर्सिटी कमीशन ने इस बात को समझ कर के प्रचलित पद्धति में हेरफेर की सिफारिश की है । एक मार्को की सिफारिश यह है कि किसी विशेष विषय के ज्ञान से ही हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिये । विशेष ज्ञान के पहले साधारण ज्ञान ऐसा होना चाहिये जो मनुष्य को जीवन संग्राम में सफल बना सके, जो उस के विवेक बुद्धि को इस तरह जागृत कर सके कि जो प्रश्न उसके सामने आवे उसको वह समझ सके और आवश्यकतानुसार निर्णय कर सके जो अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा को हमेशा जागृत रखे और जो प्रत्येक मनुष्य को उसको अपना स्थान समाज और देश में ठीक बता दे और जो उसमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा जागृत कर दे । इस प्रकार की शिक्षा को उन्होंने जनरल एजुकेशन का नाम दिया है । मैं इसे एक बड़े महत्व की सिफारिश मानता हूँ कि इस पर उन्होंने इतना जोर दिया है ।

शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत गवेषणा की है और बतलाया है कि मातृ-भाषा का और राजकीय भाषा का शिक्षाक्रम में क्या स्थान होना चाहिये और उनके अभ्यास के लिए कितना समय और श्रम लगाना चाहिये । जहां की राजकीय भाषा और मातृभाषा एक ही है वहां के लोगों के लिए संस्कृत अथवा दूसरी प्राचीन भाषा का और भारतीय दूसरी प्रान्तीय भाषाओं में से कम से कम एक का ज्ञान उन के लिए किस तरह और क्यों आवश्यक समझना चाहिये । हिन्दी प्रदेश होने के नाते इस सम्बन्ध में बिहार का विशेष दायित्व है और बिहार की यूनीवर्सिटी को अपना कर्तव्य समझ कर इसे पूरा करने में अग्रसर होना चाहिये । मैं मानता हूँ कि जो पन्द्रह वर्ष की अवधि हमारे संविधान में अंग्रेजी को राजकीय भाषा रहने देने के लिए दी गयी है वह इस लिए दी गयी है कि एक तरफ तो हिन्दी इतनी समझ और सगम हो



जाये कि उसमें सब काम आसानी से चलाया जा सके और दूसरी ओर अहिन्दी भाषी प्रदेशों के लोग हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि वह हिन्दीभाषियों के मुकाबिले में पीछे न रह जायें । इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में हिन्दी भाषी प्रान्तों की यूनीवर्सिटियां बहुत काम कर सकती हैं । हिन्दी की शब्दावलि को बढ़ाना, हिन्दी रचना की और व्याकरण की और लेखनशैली की उन्नति करना और हिन्दी साहित्य में सभी विषयों के लच्छ कोटि के ग्रन्थों का निर्माण करना, हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा बनाने के लिए आवश्यक हैं । दूसरी ओर अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के सम्पन्न और शीघ्रप्रचार के लिए हिन्दी भाषी लोगों की सहायता और सेवा आवश्यक और अपेक्षित है । इस लिये पटना यूनीवर्सिटी का यह धर्म है कि वह इन दोनों प्रकार के कामों को हाथ में ले और तेजी से आगे बढ़े । इसे एक अच्छा सुअवसर भी मिला है । आपके वायस चान्सलर इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं । उनमें योग्यता है और उनके सामने अपने पूज्य पिता बाबू रामदीनसिंह और अग्रज बाबू रामरणविजय सिंह का हिन्दी के प्रति प्रेम और सेवा का उदाहरण है जिसके अनुसार चलना एक प्रकार से पेतक ऋण चुकाने के समान उनका कर्तव्य है ।

यूनीवर्सिटी कमीशन ने विद्यार्थियों के चरित्रगठन के सम्बन्ध में भी जो सिफारिश की है वह विचारने योग्य है । साधारण लोगों के सामने सुचरित्रता का नमूना पेश करना शिक्षित लोगों का धर्म है । वह मौखिक व्याख्यानों द्वारा नहीं पूरा किया जा सकता । उसके लिए उनको स्वयं सुचरित्र होना होगा और अपने जीवन द्वारा दूसरों को शिक्षा देनी होगी । हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में यह एक बड़ा दोष रहा है कि चरित्रगठन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है । शायद ऐसा मान लिया गया है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है पर मैं इसे भारी भूल समझता हूँ । यदि एक छोटी पुस्तक में लिखी बातों में परीक्षा देने के लिए लम्बी तैयारी करनी पड़ती है तो यह सोचना कि चरित्र जो मनुष्य के रहन सहन, रंग ढंग सब को प्रभावित करता रहता है वह अनायास ही बिना श्रम के ही ठीक ढल जायेंगा एक दुराशामात्र है । इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम में कुछ ऐसे क्रियात्मक प्रयोग अथवा उद्योग होने चाहियें जो चरित्र को ठीक ढांचे पर ढालें और सत्य के प्रति श्रद्धा, सेवा के प्रति प्रेम और निःस्वार्थ में सच्ची स्वार्थपरता देखने की शक्ति देवे ।

हमारी शिक्षा पद्धति में आजकल परीक्षाओं का बड़ा ऊंचा स्थान और महत्व है । इस सम्बन्ध में भी कमीशन ने अपनी सिफारिशें की हैं । मैं इन चन्द बातों की ओर आपका ध्यान इस लिए आकर्षित कर रहा हूँ कि आप इन पर विशेष करके तथा दूसरी सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अपनी पद्धति में आवश्यक सुधार लावें जिसमें आज की नई परिस्थिति में यह सूबा शिक्षा संस्थाओं से पूरा लाभ उठा सके ।

### सदाकत आश्रम

सदाकत आश्रम में ४ मार्च १९५० को बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

मैं झण्डा अभिवादन के समय ही बोलना चाहता था परन्तु उद्गार व्यक्त करने के लिये मुझे कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं मिल रहे थे । यहां मेरी जिन्दगी के २५, ३० वर्ष बीते हैं । इसके लिये मैं और क्या कहूँ । यह तो मेरा घर है । यहां मेरे स्वागत की कोई आवश्यकता न थी । स्वा-

गत करके तो आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं वहाँ का हूँ ही नहीं। पर मैं इस अधिकार को छोड़ नहीं सकता। मैं वहाँ अपने घर को देखने आया हूँ, मयों को देखने आया हूँ और खेतों को देखने आया हूँ, यहाँ के बासियों को देखने आया हूँ जिन्हें मैं अपना ही समझता हूँ।

मैं ने बापू से कुछ सीखा है। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप उन की शिक्षा पर चलें। बापू हिन्दू मुस्लिम एकता को सबसे बड़ा काम समझते थे। वे मानते थे कि उसी पर देश की सुख समृद्धि निर्भर करती है। यह आश्रम है, इसलिये हम इससे इसकी विशेष अपेक्षा करेंगे।

इसकी एक अपनी परम्परा रही है। मौका आने पर यहाँ के वासी देश के कठिन समय में काम आये हैं और उन्होंने परिस्थितियों को संभाला है। आप कह न समझें कि स्वतन्त्र होने के बाद आपका काम समाप्त हो गया। मैंने अभी कल काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच कहा कि आज भी गौर सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता है। उनका काम है कि वे सरकार का पथ प्रदर्शन करें। वे देश के रचनात्मक कामों में सर्वप्रथम कदम उठा सकती हैं और यही मेरी अपेक्षा आपसे भी है। सरकार तो देश की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी किन्तु इनका हल करने में जनता की सहायता की पूरी पूरी आवश्यकता है और आप इस बारे में यथास्वी कार्य कर सकते हैं।

### अभिनन्दन ग्रन्थ की भेंट

आरा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अभिनन्दन ग्रन्थ दिये जाने के अवसर पर मि० फालगुण शु० १४ सं० २००६ को राष्ट्रपति ने कहा—

हिन्दी संसार के साहित्यिकों की कृपा मेरे ऊपर बराबर रही है। उन में भी इस प्रांत के लोगों का प्रेम और भी अधिक रहना स्वाभाविक है। इसलिये जब मुझ से यह कहा गया कि आप लोग एक अभिनन्दन ग्रन्थ का आयोजन कर रहे हैं तो मुझे इस में कोई आश्चर्य नहीं हुआ, यद्यपि मैं ने इसे अनावश्यक जरूर समझा। उसी प्रेम और कृतज्ञ के कारण मुझे प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभ्यपतित्व भी दिया गया, यद्यपि मैं अपने को इन पदों के श्रेय्य कभी नहीं समझता था। साहित्य की मैं ने कोई खास सेवा नहीं की है और न साहित्य का अध्ययन ही किया है। मैं किसी तरह इस का दावा नहीं कर सकता कि साहित्यकारों में मेरी गिनती की जाये। तब भी मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी दिलचस्पी हिन्दी साहित्य की उन्नति और प्रचार में हमेशा रही है और आज भी है। पिछले ४०-५० वर्षों में जो हिन्दी साहित्य की उन्नति हुई है उस का यदि दिग्दर्शन किया जाये तो उसी से पता चलेगा कि हिन्दी साहित्य कितना और कितनी तेजी के साथ इस अर्ध शताब्दी में आगे बढ़ा है। आज केवल गद्य और पद्य की रचना ही ऊँचे दर्जे की नहीं बन रही है बल्कि अन्य विषयों में जिनका सम्बन्ध दर्शन, विज्ञान इत्यादि के साथ है बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं और दिन प्रति दिन उन की संख्या बढ़ती जा रही है। पत्र पत्रिकाओं की संख्या बहुत हो गयी है और उन में बहुतेरी उच्चकोटि की भी हुआ करती हैं। मैं इसकी श्रेय्यता नहीं रखता और न इसमें बढ़ते हुए साहित्य के साथ रचना परिश्रम की रक्षता हूँ कि उस की श्रेय्यता आलोचना करके आप के सामने रखूँ। मैं इनसे खे ही संतोष

मानता हूँ कि हिन्दी साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति हो रही है। यहां में प्रस्तुत साहित्य की ममालोचना न करके आप का ध्यान उन खतरों की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ जो इसे नकसान पहुंचा सकते हैं और उन दिशाओं को दिखलाना चाहता हूँ जिन की ओर हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को अग्रसर होना चाहिये।

हिन्दी पुस्तकों और पत्रों के पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। उन की छपाई इत्यादि भी बहुत उन्नति कर गयी है और बहुत सज धज के साथ पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इस तरह बाहरी सजावट, ऊपरी सज धज से पाठक मोहित और आकर्षित होते हैं। इन कारणों से पुस्तकों और पत्रिकाओं की अच्छी क्रीमत भी देते हैं और उनको खुशी से खरीद करके बटूतेरे लोग पढ़ते हैं। मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार हिन्दी बोलने वालों और समझने वालों की संख्या देश भर में अन्य सभी भाषाओं के बोलने और समझने वालों से अधिक है इसी तरह यदि सब पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशित पुस्तकों के पढ़ने वालों की संख्या भी इकट्ठी की जाये तो और किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के पाठकों की संख्या से वह अधिक जरूर निकलेगी। पर आज जैसी स्थिति में और जब हिन्दी अखिल भारतीय काम के लिये संविधान में राजकीय भाषा मान ली गयी है तो वह दिन दूर नहीं है जब हिन्दी पाठको की संख्या और भी अधिक बढ़ जायेगी और हिन्दी के अच्छे ग्रन्थों और पत्र पत्रिकाओं की मांग कहीं अधिक हो जायेगी। यह एक शुभ लक्षण है। साथ ही हिन्दी साहित्यिकों, पत्रकारों और लेखकों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है।

जैसे जैसे अहिन्दी प्रान्तों और प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा वहां के लोग हिन्दी के प्रकाशनों की तुलना अपने प्रादेशिक प्रकाशनों से करने लगेंगे। चाहे दैनिक पत्र हों जिन में लेख तेजी से लिखे जाते हैं और जिन में समाचारों का संपादन और चयन घड़ी के कांटे की चाल के अनुसार ही करना पड़ता है, चाहे किसी गम्भीर विषय पर बहुत समय लगा कर बहुत परिश्रम के बाद कोई ग्रन्थ क्यों न लिखा गया हो उसी प्रकार के पत्र और ग्रन्थ के साथ, जो भारत के किसी भी प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित हो, मुकाबला किया जाने लगेगा। इस तरह उत्तम से उत्तम पत्र और ग्रन्थों का मुकाबला हिन्दी के किसी भी पत्र और ग्रन्थ के साथ किया जायेगा। क्या हम आज यह दावा कर सकते हैं कि इस होड़ में हम सफल हो सकेंगे? प्रतिभाशाली गद्य पद्य के रचयिता सभी भाषाओं में समय समय पर ही हुआ करते हैं। वह प्रतिभा प्रकृति की एक देन हुआ करती है जो किसी दूसरे प्रकार से हासिल नहीं की जा सकती, पर प्रतिभा के अलावे और जितने गुण होने चाहियें वह इसी जन्म में हासिल किये जा सकते हैं। वह सब परिश्रम साध्य है। इसलिये कि किसी को यह सोच कर कि उस में प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, निराश हो कर बैठे रहना उचित नहीं। परिश्रम द्वारा यह कमी बहुत हद तक दूर की जा सकती है और मैं चाहता हूँ हिन्दी के प्रेमी अपने इस दायित्व को पूरी तरह समझें। जब संविधान परिषद् में हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने के सम्बन्ध में वादविवाद हो रहा था तब कई अहिन्दी भाषिणों ने यह खुल कर कहा था कि वे हिन्दी को इस लिये अखिल भारतीय राजकीय भाषा नहीं मान रहे हैं कि, वह भारतीय सभी भाषाओं में सब से अधिक उन्नत है अथवा उस का साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से अधिक

बढ़ा चढ़ा है, बल्कि वे हिन्दी को इसलिये स्वीकार कर रहे हैं कि वह दूसरी भाषाओं की तुलना में देश के बहुत बड़े भाग में समझी और बोली जाती है और उस के समझने और बोलने वाले और किसी भाषा के बोलने और समझने वालों की संख्या से बहुत अधिक है। इस कथन में तथ्य है और हिन्दी वालों के लिये एक प्रकार की चुनौती भी है। कुछ भाई तो हिन्दी को केवल राजकीय भाषा मानने के लिये तैयार थे पर उसे राष्ट्रीय पद देना नहीं चाहते थे। उन का कहना था कि उन के लिये उनकी प्रादेशिक भाषा ही, जो उन की मातृ-भाषा है, उन्नत है; उस का साहित्य भंडार हिन्दी से कम भर-पूर नहीं है और इस लिये वह उसे ही राष्ट्रभाषा मानते हैं और मानेंगे। हां, राजकीय कारबार के लिये एक भाषा ऐसी होनी चाहिये जो सार्वदेशिक काम के लिये उपयोग में लायी जा सके और वह अपना अधिक प्रचार के कारण हिन्दी ही हो सकती है और उसे ही हम मान लेते हैं।

मे ने ऊपर कहा है कि इन वाक्यों में तथ्य है और एक प्रकार की चुनौती भी है। हिन्दी भाषियों को अपना दायित्व और कर्तव्य समझना चाहिये। जो गौरव हिन्दी को सार्वदेशिक राजकीय भाषा होने का मिला है उसके योग्य उन्हें हिन्दी को सावित करना है। इस कर्तव्य का पालन करना हिन्दी के प्रत्येक लेखक, पत्रकार, साहित्यिक और प्रकाशक को पूरी तरह समझ लेना चाहिये। सब से पहली चीज यह है कि हिन्दी का शब्द भंडार जितना बढ़ सके बढ़ाना चाहिये। शब्दों के लेने में हमें न तो संकोच होना चाहिये और न हम को किसी प्रकार का ओछापन आने देना चाहिये। आज की हिन्दी की शब्दावलि में केवल संस्कृत के ही तत्सम या तद्भव शब्द नहीं हैं। देश की दूसरी भाषाओं के अतिरिक्त उस में बहुतेरे विदेशी शब्द भी आ गये हैं जिन का मूल अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, लेटिन, फ्रांसीसी, स्पैनिश, पोर्तुगीज़, डच, इत्यादि भाषाओं में मिलता है। जिन जिन भाषाओं के बोलने वालों के साथ हिन्दी का सम्पर्क हुआ उन के कुछ न कुछ शब्द हिन्दी ने ग्रहण कर लिए। यह सभी जीती जागती भाषाओं का एक लक्षण है और ऐसा करने से हिन्दी को कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि लाभ ही हुआ है। इसलिए इस नीति को छोड़ना नहीं चाहिये और अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर उन्हें हिन्दी का जामा पहना कर ऐसा बना देना चाहिये कि वे हिन्दी में घुलमिल जायें। जो शब्द इस तरह से हिन्दी में घुलमिल गये हैं या इस तरह मिलाने जा सकते हैं, उन को निकालने में कोई बुद्धिमानी में नहीं मानता हूँ और न यह मानता हूँ कि इस से हिन्दी का कोई हित होगा। मेरा विश्वास है कि जब एक ही अर्थ के कई शब्द हिन्दी में हो जायेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते उनके अर्थ में बारीक फ़र्क पड़ने लग जायेगा और कुछ दिनों में विचार की बारीकी व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग होने लग जायेगा और यह बारीकी जितनी आती जायेगी भाषा समृद्ध होती जायेगी। इस लिए मैं किसी प्रकार के शब्दों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं हूँ और चाहता हूँ कि हिन्दी का दरवाज़ा खुला रहे और दूसरी भाषाओं के शब्द भी विशेष करके भारत की प्रादेशिक भाषाओं के शब्द जिनके लिए ठीक पर्याय-वाची हिन्दी में नहीं मिलते, लाये जायें। हिन्दी भाषी प्रदेशों के गांवों में भी बहुतेरे ऐसे शब्द ग्रामीण भाषा में मिलते हैं जो बहुत ही सुन्दर, मधुर और अर्थभरे होते हैं। उनको भी यह कह कर कि वह ग्रामीण और गंवारों की बोलचाल के शब्द हैं नहीं छोड़ना चाहिये। जो पहले से ही प्रचलित हो गये हैं उनको निकाल देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

शब्दों के अतिरिक्त बहुत मुहावरे ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत रोचक और सुगम तथा अर्थ-भरते होते हैं। इनमें बहुतों तो ऐसे होते हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं लिए जा सकते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में अपनाये जा सकते हैं। विशेषकर के जब ऐसी भाषाओं का उद्गम एक ही अथवा उनका एक दूसरे के साथ सम्पर्क रहा हो और एक दूसरे को वह प्रभावित कर सकती हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के अनेकों मुहावरे या प्रयोग होंगे जो हिन्दी में आ गये हैं या आ रहे हैं या लाये जा सकते हैं। हिन्दी का सम्पर्क दूसरी भाषाओं से जितना बढ़ेगा उतना ही ऐसे प्रयोगों का अधिक उपयोग मालूम होने लगेगा।

प्रत्येक भाषा की अपनी शैली और अपना व्याकरण हुआ करते हैं, पर यह भी मानना ही पड़ेगा कि जब दूसरी भाषाओं के साथ उसका सम्पर्क बढ़ता है तब उस शैली और व्याकरण में भी कुछ न कुछ परिवर्तन हुये बिना नहीं रह सकता। कुछ तो परिवर्तन जानबूझ कर किये जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहना सम्भव नहीं होता कि वह परिवर्तन क्यों, कब और किस तरह लाये गये। हिन्दी भाषा का सम्पर्क ज्यों ज्यों दूसरी भाषाओं के साथ बढ़ेगा, यह परिवर्तन भी अनिवार्य हो जायेगा।

गन्दाबलि, मुहावरे, शैली और व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तन या परिवर्धन जो हिन्दी में होना चाहिये या होगा वह किसी विशेष विद्वान नडली अथवा संस्था के करने से नहीं होगा। जीती जागती भाषा इस प्रकार की संस्थाओं के प्रस्तावों और निश्चयों से न बढ़ाई जा सकती है और न घटाई, और न उसकी चाल निर्धारित की जा सकती है। सम्पर्क का स्वाभाविक फल होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन और परिवर्धन हो जाते हैं। बुद्धिमानी और समय का तक्राजा है कि इनके रास्ते में रोड़े न अटकाने जायें और भाषाविकास के प्राकृतिक नियमों को अबाध रूप से काम करने का मौका दिया जाय। यह आज हिन्दी के सार्वदेशिक राजकीय भाषा बन जाने के कारण आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया है। हम हिन्दी भाषी यदि इसमें अनुदार हुए और हमने किसी प्रकार की इस विचार से कि हिन्दी भाषा हमारी है और इसकी शुद्धता और पवित्रता इस प्रकार के परिवर्तन और परिवर्धन से नष्ट हो जायेगी कोई बाधा डालने का प्रयत्न किया तो हमारा प्रयत्न या तो असफल होकर रहेगा या सफल हुआ तो हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा बनने से वंचित होकर रहना पड़ेगा। वह एक प्रादेशिक भाषा होकर ही रह जायेगी। आज हिन्दी की होड़ भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ है और वह सार्वदेशिक स्थान तभी सुरक्षित रख सकती है जब वह अपने में इतनी उदारता और लचक ला सकेगी कि वह सब दूसरी भाषाओं को अपना सके और सभी दूसरी भाषाएँ उसको अपना सकें। अपनाते का अर्थ यह नहीं है कि, हिन्दी हिन्दी न रह जाये बल्कि उसका अर्थ इतना ही मात्र है कि वह हिन्दी रहते हुये भी सार्वदेशिक हो जाये।

हिन्दीभाषी को चाहिये कि भारतीय अन्य भाषाओं का वह ज्ञान प्राप्त करे। कम से कम किसी एक दूसरी भाषा को तो प्रत्येक हिन्दी भाषी की ज़रूर सीखना ही चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि हिन्दी भाषी दूसरों के साथ सम्पर्क और अपनी बढ़ा सकेंगे और इसके अलावा उनको इसका भी मौका मिलेगा कि वह हिन्दी के नैवप्रकाशित ग्रन्थों और पत्रों का उस दूसरी

भाषा के ग्रन्थों और पत्रों से मुँकाबला करके खुद देखें सकेंगे कि हिन्दी कहाँ तक उनके मुँकाबले में पहुँचती है, इसमें क्या त्रुटियाँ रह जाती हैं और किस दिशा में उसें कौनसी कमी पूरी करनी है। ऐसे लोगों के लिए तो जो कुछ लिखना चाहते हैं या कोई अपनी विशेष रचना करना चाहते हैं दूसरी भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य मानना चाहिये। इसके बिना उनकी रचनाओं में न तो वह व्यापकता आ सकेगी और न वह ओज जो अच्छे साहित्य के लिए आवश्यक है। अहिन्दी प्रदेशों के लोगों ने तो जान बूझ कर राष्ट्रीय और देश हित के विचार से हिन्दी सीखने का बोझ अपने सिर पर उठाया है। तो क्या हम हिन्दी भाषी इतना भी नहीं करेंगे कि उन दूसरी भाषाओं के बोलने वालों और लिखने वालों के विचारों और उद्गारों से अपने को परिचित बनावें ? और इस परिचय से हम उन पर कोई मेहरबानी या ऐहसान नहीं करेंगे। यह परिचय तो हिन्दी को उन्नत और समृद्धशाली बनाने में काम आयेगा जिसके बिना हिन्दी का जो स्थान मिला है कायम रखना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा। इसलिये हिन्दी भाषियों को देशहित और हिन्दी हित के विचार से भारतीय दूसरी भाषाओं के साथ परिचय करना, उनके साहित्य का अध्ययन करना एक अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिये। उचित तो यह होगा कि जिस तरह हम अहिन्दी भाषाभाषियों से यह आशा रखते हैं कि वह हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि उस भाषा में वह सब राष्ट्रीय काम लिख पढ़ और बोलचाल कर सकें, तो हमको भी किसी दूसरी भाषा का इतना ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये कि हम भी उसी तरह उस भाषा में लिख पढ़ कर और बोलचाल कर सभी आवश्यक काम चला सकें।

एक दूसरी दृष्टि से भी दूसरी भाषाओं का ज्ञान हिन्दी भाषियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दी का प्रचार अहिन्दी प्रान्तों में करना है। इसमें हिन्दी भाषियों को बहुत कुछ आरम्भ में करना होगा। वे जब तक कि दूसरे प्रान्तों की भाषाओं का कम से कम कामचलाऊ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक इस काम को नहीं कर सकेंगे। इसलिये भी दूसरी भाषाओं का ज्ञान हिन्दी भाषियों के लिए आवश्यक है। दक्षिण भारत में जब हिन्दी का प्रचार आज से ३०-३२ वर्ष पहिले आरम्भ किया गया था तो पहले हिन्दी भाषियों को ही जाकर यह काम आरम्भ करना पड़ा था। अब तो वहाँ के निवासियों में ही बहुतेरे ऐसे तैयार हो गये हैं जो इस काम को बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं और कर रहे हैं। ती भी अगर जो १५ वर्ष की अवधि हमारे संविधान ने दी है इसके भीतर सभी प्रान्तों में हिन्दी का काफ़ी प्रचार और प्रसार होना है, तो हिन्दी भाषियों का यह बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि वे दूसरी भाषाओं को सीख कर इस काम में जितनी सहायता दे सकते हैं दें। दूसरी भाषाओं के ज्ञान से हिन्दी की शब्दावली शैली और व्याकरण और मुहावरों पर भी एक अपरोक्ष रीति से हम प्रभाव डालेंगे जो केवल दूसरे प्रदेशों के लोग हिन्दी सीख कर उतने, अच्छे ढंग से और हिन्दी की अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए शायद न डाल सकेंगे। प्रभाव पड़ना तो अनिवार्य है पर हिन्दी की अपनी मर्यादा जिस हद तक हिन्दी भाषी समझेंगे और सुरक्षित रख सकेंगे, उस हद तक शायद दूसरे नहीं और इसलिये भी हिन्दी भाषियों को दूसरी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया है।

हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरपूर और राष्ट्रभाषा के योग्य बनाने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हिन्दी में उच्च कौटि के मौलिक साहित्य का निर्माण किया जाये। साहित्य से मेरा अर्थ केवल गद्य और पद्य को उन कृतियों से ही नहीं है जो साधारण-

तथा हम समझते हैं। साहित्य शब्द का व्यवहार हम ने एक विस्तृत और व्यापक अर्थ में किया है और इसमें मैं सभी विषयों से सम्बन्ध रखने वाले ग्रंथों और कृतियों को समाविष्ट करता हूँ। मेरा अर्थ यह है कि मौलिक खोज और अनुसंधान के फल, चाहे वह खोज और अनुसंधान किसी वैज्ञानिक विषय के साथ सम्बन्ध रखती हो, चाहे प्राचीन इतिहास और पुरातत्वों के साथ, चाहे वह भूगोल और खगोल के साथ सम्बन्ध रखती हो, अथवा रेखा गणित, बीज गणित या अन्य प्रकार के गणित के साथ सम्बन्ध रखता हो चाहे वह दर्शन के साथ सम्बन्ध रखता हो अथवा इस प्रकार की गद्य-पद्य रचना के साथ ही जिसे हम साधारणतः साहित्य का नाम देते हैं, सम्बन्ध रखता हो, हम इन सभी और सभी अन्य प्रकार की कृतियों को साहित्य का नाम देते हैं। और जब उसके भण्डार को भरपूर करने की बात करते हैं तो इन सब की पूर्ति हम चाहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषी इन सभी विषयों के स्वतन्त्र और मौलिक ग्रंथों के लिखने की योग्यता प्राप्त करे और ऐसे मौलिक ग्रंथ लिखें। इस में एक दो नहीं हजार हजार विद्वानों और अनुसंधानकों को लगना होगा जो सभी बातों को भूल कर एकचित्त सच्चे योगी बन कर जिस विषय को वे लेवें उस में मौलिक कृति देश को और संसार को देवें। जैसा कि मैं ने ऊपर कहा है यह महान् कार्य बहुत करके श्रम साध्य है और यदि हमारे विद्वानों ने विशेष करके युवकों ने इस ओर ध्यान दिया और उसमें लग गये तो पन्द्रह वर्ष के भीतर ही इस का फल कुछ न कुछ देखने को मिल सकेगा।

मौलिक कृतियों के अतिरिक्त अनुवाद के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का सृजन और प्रकाशन होता ही रहता है। उन में जितने अच्छे ग्रन्थ चाहे वे प्राचीन हों अथवा नये और चाहे जिस विषय के हों यदि उन में कुछ ऐसा विषय अथवा तथ्य हो जो हिन्दी भाषियों के लिए आवश्यक अथवा हित कर समझा जाये तो उनका अनुवाद हिन्दी में अवश्य होना चाहिये। आज अनुवाद विशेष करके हिन्दी भाषियों को ही करना होगा और वह केवल भारतीय भाषाओं से ही नहीं, संसार की दूसरी भाषाओं से भी ग्रंथों को लेकर करना आवश्यक होगा। यह तभी हो सकता है जब कुछ हिन्दी के विद्वान दूसरी भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान और उनके साहित्य से इतना परिचय प्राप्त कर लें कि वे उनमें से अच्छे और उच्च कोटि के ग्रंथों को चुन कर निकाल सकें और उनको पढ़ कर रसा-स्वादन केवल स्वयं न कर सकें, बल्कि इतनी योग्यता रखें कि मौलिक ग्रन्थ की रचना और ओज को अपने अनुवाद में भी कुछ हद तक ला सकें। एक प्रकार से मौलिक लेख लिखना आसान है, पर किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। मेरा निजी अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में उतनी आसानी से अनुवाद नहीं कर सकता जितनी आसानी के साथ इन दोनों भाषाओं में लिख या बोल सकता हूँ। गहन विषयों का तो अनुवाद और भी कठिन होता है। अनुवादक को केवल उन दोनों भाषाओं का जिन में कि एक से दूसरी में अनुवाद करना है अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य ही नहीं है, बल्कि उस विषय पर भी उसका अधिकार होना चाहिये जिस विषय से वह अनुवाद किया जाने वाला ग्रन्थ सम्बन्ध रखता है। इसलिए किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि अगर वह दो भाषाओं को मामूली तौर से जानता है तो वह एक से दूसरी में अनुवाद कर सकता है। अनुवाद के लिए ग्रंथ चुनने में भी विषय का ज्ञान आवश्यक है और हिन्दी में उस विषय पर क्या मौजूद है वह तो जानना जरूरी है ही।

सब से बड़ा डर मुझे इस बात का है कि हिन्दी पाठकों की संख्या बढ़ जाने से हर प्रकार की पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का प्रचार अधिक हो रहा है और आगे और भी अधिक होने वाला है। कुछ दिन पहले इस विषय पर श्री बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने कुछ चर्चा छेड़ी थी और उन्होंने तुच्छ और हानिकारक साहित्य को घासलेटी साहित्य का नाम दिया था। मुझे डर है कि घासलेटी साहित्य की अब जब हिन्दी पाठकों की संख्या बढ़ेगी तब वृद्धि भी होगी। हिन्दी साहित्यकारों और प्रकाशकों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस प्रकार के साहित्य के प्रचार को रोके—कम से कम उस में सहायक न हो। यह काम आसान नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध पैसों से जुटा हुआ है। और पैसों का लोभ संवरण करना आसान नहीं होता है। पर मैं मानता हूँ कि यदि उच्चकोटि के साहित्यकारों ने और आलोचकों ने इस पर ध्यान दिया तो इस प्रचार के रोकने में वह सफल हो सकते हैं। हमको यह समझना चाहिये कि हिन्दी का घासलेटी साहित्य केवल हिन्दी भाषियों के ही हाथों में नहीं जायेगा। अब वह अन्य भाषाभाषियों के हाथों में भी पहुँचेगा और इस से सारे हिन्दी साहित्य की बदनामी होगी। इसलिए हिन्दी की प्रतिष्ठा की यह अपेक्षा है कि इस प्रकार का अस्वस्थकर साहित्य हिन्दी में स्थान न पावे। और जिस तरह से कोई चोर या व्यभिचारी किसी अच्छे समाज में स्थान नहीं पाता उसी तरह से हमारा साहित्यिक समाज ऐसा बन जाये कि उस में इस प्रकार के व्यभिचारी साहित्य को स्थान न मिल सके।

बिहार के रहनेवालों का एक और विशेष कर्तव्य है। इस प्रान्त में प्रायः ५० लाख आदिम-जाति के लोग बसते हैं जिन की अनेक बोलिया यथा मथाली, मुण्डारी, पहाड़ी, खड़िया, उड़ाव और हो इत्यादि हैं। इनका रहन सहन और इनकी बोलियाँ को भी जानना आवश्यक है। विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि उन अंचलों में बसते हैं जहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं उनके साथ हमारा सम्पर्क बढ़ना चाहिये। वह सम्पर्क शोषण के लिए नहीं उनकी सेवा के लिए आवश्यक है। वे बहुत बातों में पिछड़े हुए हैं पर उन में बहुतेरे गुण भी हैं जिन को हमें उन से सीखना है। आधुनिक रीति से वे अशिक्षित जरूर हैं और उनका रहन सहन भी आधुनिक लोगों को ठीक नहीं जचता, पर हम यह नहीं भूल सकते कि आज के आधुनिक लोगों के मुकाबले उन में झूठ परेब बहुत कम है और सचाई तथा सीधापन बहुत अधिक है जिस से हम में से बहुतेरे अनुचित लाभ उठाने से बाज्र नहीं आते। बहुत अशों में उनका समाज गठन भी ऐसा है जो हमारे आज के विगृहल समाज के लिए नमूना पेश कर सकता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा के लिए और उन से जो कुछ सीख सकते हैं सीखने के लिए उन के साथ सम्पर्क बढ़ावें, उनकी बोली का ज्ञान प्राप्त करें और उनके बीच में हिन्दी का प्रचार करें जिस से वे भी और लोगों के मुकाबले में बराबरी का भाग सार्वदेशिक कामों में ले सकें।

आरा नागरी प्रचारिणी सभा बहुत दिनों से हिन्दी की सेवा करती आ रही है। इसने यह अभिनन्दन ग्रथ तैयार करा कर और मुझे भेंट करके मेरा आदर बढ़ाया है। मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं समझता हूँ कि अपनी कृतज्ञता मैं इसी तरह प्रकट कर सकता हूँ कि आज जो हिन्दी भाषियों पर और हिन्दी के सेवकों पर दायित्व आ गया है उसको उनके सामने रख दूँ और उन से यह आशा करूँ कि वे इस महान् कार्य को पूरा करने में अपनी शक्ति लगायेंगे और उत्साह दिखलायेंगे। इसी भावना से मैं ने जो कुछ उचित समझा कहा और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे।



## गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षान्त भाषण

गुरुकुल कांगड़ी में ५ मार्च १९५० को दीक्षान्त भाषण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

प्रायः २५ वर्ष हुए होंगे जब मैं पू० महात्मा गांधी जी के साथ गुरुकुल के समावर्तन के अवसर पर एक बार पहले आया था। तब से देश में कितना बड़ा अन्तर हो गया है यह आप भलीभांति जानते हैं। उस समय हम स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारा अहिंसात्मक संग्राम चल रहा था। आज हम स्वतन्त्र हैं। अंग्रेज इस देश से चले गये और अपने भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का पूरा अधिकार हम अपने हाथों में ले चुके हैं। इसलिए आज हमारे सामने जितने प्रश्न आते हैं, उनका हमें स्वयं ही हल खोज निकालना है। और जिस हद तक हम सफलतापूर्वक प्रश्नों का निपटारा कर सकेंगे, देश उन्नत होगा।

देश की सेवा के लिए अच्छे मुचरित्र, वृद्धिशाली, कर्मठ और त्यागी काम करने वालों की जरूरत है। जो नया संविधान देश के लिये बनाया गया है उस में सभी २१ वर्ष के लोगों को मत देकर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। जो प्रतिनिधि चुने जायेंगे उनके हाथों में प्रान्त अथवा सारे देश के शासन की वागडोर रहेगी और उनके ही निश्चयों के अनुसार देश का सारा काम चलाया जायेगा। उनके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में राजकीय कर्मचारी होंगे जिनको प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार देश के शासन का काम चलाना होगा। इन सभी स्थानों के लिए, चाहे वे प्रतिनिधियों के हों अथवा कर्मचारियों के, योग्य ईमानदार सेवकों की आवश्यकता होगी। काम भी कितने प्रकार के होंगे। विद्या प्रचार के लिए ग्रामीण पाठशालाओं से लेकर उच्च से उच्च कोटि की संस्थाओं के लिए शिक्षक और ऐसे विद्वान् जो हर प्रकार की विद्या-ज्ञान सम्बन्धी खोज और अनुसंधान करके नित्य नये विचारों का प्रचार कर सकें, बीमारी और अस्वस्थता दूर करने के लिए ऐसे लोगों की जो केवल इन विषयों में निष्णात ही न हों पर सच्ची भावना से काम करने वाले हों, जरूरत पड़ेगी। गरीबी दूर करने के लिए सम्पत्ति बढ़ाने के उपायों के रास्ते ढूढ निकालने वाले और जो सम्पत्ति प्रकृति ने देश को दी है, उस को देश और जनता की सेवा में लगा देने की शक्ति रखने वाले लोगों की भी आवश्यकता होगी जो देश में दृग्दृता के स्थान पर सम्पन्नता ला सकें। अर्थात् सभी प्रकार के काम करने वालों की आवश्यकता देश को है। ऐसे लोगों को तैयार करने का काम हमारे विद्यालयों और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का है।

आपका गुरुकुल एक प्राचीन ढंग पर चलने वाला नये प्रकार का विद्यालय रहा है। सारे देश में अंग्रेजी का बोलबाला था और सभी विद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही शिक्षा दी जा रही थी। आपके दूरदर्शी संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी ने हिन्दी के माध्यम द्वारा उच्चकोटि की शिक्षा देने का निश्चय किया और इस संस्था को आज से ५० वर्ष पूर्व स्थापित किया। इन ५० वर्षों के प्रयोगों से यह प्रमाणित हो गया कि उच्चकोटि की शिक्षा भी हिन्दी द्वारा दी जा सकती है और जो विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, वे दूसरे विद्यालयों में जहां अंग्रेजी माध्यम है, शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों से किसी बात में कम नहीं होते। बात तो यह है कि विदेशी भाषा सीखने

का भार—विशेष करके जब दूसरे विषयों के जानने और सीखने का विदेशी भाषा ही माध्यम हो—वह भार बड़ा होता है और वह मनुष्य के मस्तिष्क के विकास को अवरोधित कर देता है। आपने यही समझ कर यह नया काम ऐन दिनों में शुरू किया था जब इस में किसी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन गवर्नमेंट से मिलने की आशा नहीं थी। जो विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा पाकर निकलते, उनको किसी सरकारी सस्था में योग्यता रहते हुए भी कोई स्थान नहीं मिलता और अन्य प्रकार की अनेक बाधाएँ जो किसी भी कमज़ोर आदमी को हतोत्साह कर सकती थी, आये दिन सामने आती रही। पर किसी की परवा न कर आग के संचालक गुरुकुल को चलाते रहे और जनता ने सहायता की। आज अब यह मान लिया गया है कि हिन्दी देश की राजकीय भाषा होगी और यह भी शिक्षा शास्त्रों मानने लग गये हैं कि शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी भाषा होनी चाहिये न कि विदेशी भाषा। इस दिशा में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी आरम्भ हो गया है और आशा की जाती है कि थोड़े ही दिनों में हमारे सभी शिक्षालयों में अपनी भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जाने लगेगी और देश का सारा कारबार अपनी भाषा में ही होने लगेगा। यह देख कर आपके संचालकों को सतोष होना चाहिये ही और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो गुरुकुल के संस्थापक ने इतने दिन पहले सोचा था और जिस काम का नन्हा सा पौदा लगाया था, वह आज एक वृक्ष हो गया है और अब उस में फूल और फल शीघ्र ही देखने में आजायेंगे।

आपकी दूसरी विशेषता यह रही है कि आपने गुरुकुल की प्राचीन प्रथा को पुनर्जीवित किया। उस प्रथा का महत्व और विशेषता इस में है कि गुरु और शिष्य का सम्बन्ध एक परिवार के लोगों जैसा हो जाता है। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और गुरु शिष्य को पुत्रवत् मानने लगता है और इस तरह गुरु वात्सल्य प्रेम और शिष्य भक्ति और श्रद्धा करता है। इसका प्रभाव अध्ययन के अलावा चरित्र पर बहुत गहरा पड़ता है। आधुनिक प्रथा में यह भावना बिल्कुल नहीं होती है और इसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे विद्यालयों और शिक्षालयों में जो अध्यापक और आचार्य होते हैं उनका विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क होने ही नहीं पाता है। कालेजों में तो मैं कह सकता हूँ कि इतना ही सम्पर्क होता है जितना किसी आबमी का एक सार्वजनिक सभा में भाषणकर्ता से होता है। शायद यही कारण है कि अध्यापकों में एक श्रेणी लैक्चरर्स की होती है, अर्थात् जो केवल लैक्चर या भाषण दिया करते हैं। बहुतेरे ऐसे विद्यार्थी बड़े बड़े कालेजों में मिलेंगे जिनके नाम तक भी अध्यापक नहीं जानते और जिनके साथ उनकी एक बार भी सारी अवधि में जो विद्यार्थी कालेज में बिताता है, अध्यापक से बातें नहीं हो पाती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में अध्यापक के चरित्र का कोई विशेष प्रभाव विद्यार्थी पर नहीं पड़ सकता और दोनों के बीच गुरु शिष्य का सम्बन्ध तो ही नहीं रह सकता। इसलिये यदि विद्यार्थियों को अध्यापक सम्भाल में नहीं रख सकते और दोनों के बीच कई बातों में दो विरोधियों जैसा सम्बन्ध पैदा हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी पुरानी पद्धति में जब विद्यार्थी गुरु से भी अधिक विद्वान् और योग्य हो जाता था तो भी गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव बना रहता था और विद्यार्थी मानता था कि यद्यपि वह विद्या प्राप्त करने में गुरु से बढ़ गया है तो भी आरम्भ में विद्या तो गुरु ने ही दी है और वह उस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। आज एक कारखाने में मजदूर काम करता है और समझता है कि

उसका सम्बन्ध कारखाने के मालिक से इतना ही है कि वह काम कर दिया करे और मजदूरी ले लिया करे अथवा जैसे मालिक समझता है कि वह मजदूरी देता है तो मजदूर से काम कराने तक का हक है, उसी तरह विद्यार्थी और गुरु समझते हैं कि विद्यार्थी का हक है कि जब वह अपने स्कूल या कालेज में फीस दे देता है तो अध्यापक जो कुछ पढ़ा सकता है वह उस को पढ़ा देना चाहिये और अध्यापक समझता है कि जब विद्यार्थी फीस देता है तो उसका काम है कि समय पर जितने घण्टे या मिनट उसको पढ़ा देना लाजिमी है उतना उसे क्लास में लैक्चर या भाषण दे देना चाहिये और उसके कर्तव्य की इतिश्री वहां ही हो जाती है। ऐसी अवस्था में विशृंखलता मनमानापन और उदृग्धता अगर देखने में आवे तो उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। मनुष्य का स्वभाव कुछ तो जन्म से ही बनता है पर बहुत करके जैसे वातावरण में वह पलता है और जैसे लोगों के सम्पर्क में आता है और वह सम्पर्क जितना घनिष्ठ होता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि यह कहा जाये कि इस वातावरण और सम्पर्क का प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर अधिक पड़ता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति की यह एक बड़ी भारी त्रुटि थी जिसको दूर करने का प्रयत्न पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करके किया गया।

चरित्र गठन में धार्मिक भावना और श्रद्धा बहुत असर डालती है। धार्मिक भावना से अर्थ कट्टरपना नहीं है और श्रद्धा अध भक्ति नहीं है, पर यह ऐसी चीज है जो परीक्ष रीति से मनुष्य के जीवन पर प्रत्येक क्षण बहुत असर डालती रहती है और चाहे मनुष्य माने या न माने उसका नैतिक चरित्र उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। इस लिये यहां आप ने उस धार्मिक भावना का भी काफ़ी प्रभाव रखा है। मैं मानता हूँ कि हमारे सभी शिक्षालयों का उद्देश्य होना चाहिये कि स्वस्थ विद्याभ्यासी और मुचरित्र सेवक देश को दे जो सब प्रकार के काम के लिए अपने को योग्य साबित कर सकें।

स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वस्थकर भोजन, शुद्ध जल वायु, आवश्यक शरीरश्रम और शुद्ध आचरण आवश्यक हैं। गुरुकुल जैसी सस्था में यह सब उपलब्ध हो सकता है। पर ऐसे स्थान में और ऐसे शिक्षालय में इन में से एक का भी मिलना दुर्लभ है, जहां विद्यार्थी किसी न किसी तरह जहां कहीं उसे रहने को जगह मिल जाये और जो कुछ खाने पीने को मिल जाये, वह खा पी लिया करे और उसका अपने विद्यालय से और शिक्षकों के साथ केवल उतने ही समय तक सम्पर्क रहे जितने समय में उसे अपने वर्ग में बैठना अनिवार्य हो। विद्याभ्यास से अर्थ केवल रटन्त विद्या नहीं है और न वह विद्या जो केवल परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर देने ही के लिए प्राप्त की जाती है। सच्चा विद्याभ्यास तो वही कहा जा सकता है जिस में जो कुछ सीखा गया है उसके अतिरिक्त अधिक सीखने की और अधिक जानने की एक ऐसी चाह उत्पन्न हो जाये कि मनुष्य सारे जीवन भर अभ्यासक्रम को जारी रखे और अपने ज्ञान को अन्त तक बढ़ाता ही रहे। इस प्रकार का विद्याभ्यास ऐसे विद्यालयों में कहाँ हो सकता है, जहां परीक्षा पास करना ही मुख्य उद्देश्य हो और जहां न विद्यार्थी के सामने और न शिक्षक के सामने कोई भी दूसरा आदर्श रहता हो।

चरित्र के सम्बन्ध में एक ऐसी धारणा हो गई है कि इस के लिये हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। यह स्वतः बन जाता है। बात यह है कि जो कुछ स्वतः बन सकता है वह स्वतः बिगड़

भी सकता है और यही होता है। इस की ओर ध्यान नहीं देने का एक प्रत्यक्ष फल यह होता है कि कुछ लोग तो अच्छे वातावरण और सच्चे सम्पर्क से जो उनको अनायास मिल जाता है बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ लोग इनके विपरीत होने से बिगड़ भी जाते हैं। इसलिये यदि प्रयत्नपूर्वक चरित्र सुधारने के लिए हमारे शिक्षालयों में कोई प्रबन्ध किया जाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि विद्यार्थियों को सच्चरित्रता के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन मौखिक पाठ पढ़ाया जाये। मैं मानता हूँ कि इसका भी कुछ असर अवश्य ही पड़ता है। पर मैं चाहता हूँ कि केवल मौखिक शिक्षा न दे कर कुछ ऐसे काम दिये जायें और किये जायें जिनके द्वारा विद्यार्थियों को कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में वस्तु-पाठ मिला करे। इसके लिए सामूहिक व्यायाम और खेलकूद का भी अच्छा उपयोग हो सकता है। मनोरंजन के साधन भी ऐसे प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि जिनका असर चरित्र पर अच्छा पड़ सकता है। पर यही साधन बुरे हों तो उनका बुरा असर भी पड़ सकता है। आजकल मैं देखता हूँ कि जितने ऐसे स्थान हैं जहाँ विद्यार्थियों का जमघट है, वहाँ सिनेमा के ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद विद्यार्थियों की ही हुआ करती है। सिनेमा में यदि अच्छे खेल दिखलाये गये तो उनका अच्छा असर पड़ सकता है। पर बुरे खेल का बुरा असर पड़े बिना रह नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि जो खेल शहरो और बाजारों में दिखलाये जाते हैं और जिनको ही अधिष्ठित करके विद्यार्थी लोग देखा करते हैं, उनका कोई अच्छा असर पड़ता है। इसलिये यदि इस प्रकार के मनोरंजन आवश्यक समझे जायें तो उनका प्रबन्ध विद्यालय को स्वयं करना चाहिये जिम में जांचे हुए खेल ही दिखलाये जाये और विद्यार्थियों को खुले आम टकाही सिनेमा में जाने की इजाजत न दी जाये, जिन में, या तो आधुनिक यन्त्रों द्वारा किस तरह से चोरी डकैती की जाती है अथवा युवा अवस्था की प्रेम कहानी के ही खेल, जिनका कोई उच्च आदर्श नहीं, दिखलाये जाते हैं। इस पर भरोसा करना कि केवल अच्छी कहानिया ही दिखलायी जायेंगी, ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक ग्राहक उस प्रकार के अवांछनीय खेजों को ही पसन्द करने रहेंगे तब तक वह सामने आते ही रहेंगे और उन का रोकना कठिन ही रहेगा।

मैंने कुछ विषयान्तर कर दिया पर शायद यह एक प्रकार से आवश्यक है। सेवा की भावना सेवा करके ही पैदा की जा सकती है और इसलिए यदि देश और समाज के अच्छे सेवक तैयार करने हैं तो उनके सामने क्रियात्मक रूप से सच्ची सेवा का उदाहरण रखना चाहिये और विद्यार्थियों को इसका मौका देना चाहिये कि वे किसी न किसी सेवा कार्य में कुछ भाग ले सकें। केवल मौका ही नहीं, जहाँ तक हो सके प्रोत्साहन भी देना चाहिये। इसलिए कोई भी शिक्षालय तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें यह सभी सामान जो स्वास्थ्य, विद्याभ्यास, चरित्रगठन और सेवा के लिए आवश्यक है, प्रस्तुत न हों। मैं गुरुकुल जैसी संस्थाओं का इस लिये आदर करता हूँ कि इनमें यह आदर्श रख कर काम किया जाता है और जहाँ अच्छे अध्यापक और आचार्य मिल जायेंगे और यह आदर्श सामने रखे जायेंगे वहाँ सच्ची और उपयोगी शिक्षा जो देश के लिये हितकर होगी मिलेगी।

जिस समय इस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, विदेशों हुकूमत चर रही थी। बहुत बातों में उस हुकूमत का इन आदर्शों के साथ मेल नहीं खाना था और इसलिये उस हुकूमत की मात-हत्ती क्रबूल करना ऐसी संस्थाओं के लिए न हितकर था और न सम्भव। पर आज वह स्थिति

नहीं रही और कोई कारण अब नहीं रह गया कि इन आदर्शों का राष्ट्रीय विधान और नियंत्रण तथा शासन के साथ पूरा सामंजस्य न हो जाये। मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि यह सामंजस्य शीघ्र से शीघ्र स्थापित हो जाये और वे शिक्षण संस्थाएं जो आज तक राष्ट्रीय शिक्षण देने का विशेष प्रयत्न किया करती थी वे भी सरकारी शिक्षालयों के साथ घुलमिल जायें और जो सरकारी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं वे भी अपने कार्यक्रम को ऐसा बना लें कि वे भी उन्हीं आदर्शों की पूर्ति कर सकें जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के एकीकरण में सभी संस्थाएं दत्तचित्त होंगी और जो एक बड़ी खायी देशी और विदेशी भाषा के शिक्षामाध्यम होने के कारण पड़ गई थी वह शीघ्र ही पट जायेगी और सब संस्थाएं एक उद्देश्य और एक लक्ष्य से अनुप्राणित होकर ऐसे जनसेवक तैयार करने में लग जायेंगी जो हमारी कठिन से कठिन समस्याओं को हल करने में समर्थ होंगे और जो उन्नति का रास्ता हमारे लिये स्वराज्य प्राप्ति में खुल गया है उस पर देश आगे बढ़ेगा।

### आकाश वाणी द्वारा संदेश

जखिल भारतीय आकाशवाणी द्वारा राष्ट्र को संदेश देते हुए राष्ट्रपति ने २९ मार्च १९५० को कहा—

जबसे मैंने पद ग्रहण किया उसके बाद यह पहला ही अवसर है कि मैं आपसे रेडियो पर कुछ कह रहा हूँ। मेरा दिल भरा हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उस दुःख को व्यक्त कर सकूँ जो हाल की घटनाओं ने मेरे दिल को पहुंचाया है। मैं जानता हूँ कि उन सब लोगों को जिनको मजबूर हो कर अपना घरबार सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ा है किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट से जो कुछ हो सकता है उन की सहायता सेवा के लिये कर रही है। पर यह प्रश्न केवल सेवा सहायता का नहीं है। इसकी जड़ बहुत गहरी पहुंच गयी है और इस को इस तरह हल करना है जिसमें सेवा सहायता की जरूरत ही न रह जाये। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। दोनों का हित इसी में है कि उनका आपस का वर्तव मित्रता का रहे और दोनों में किसी भी तरह से कोई ऐसी कार्रवाई न हो जिससे लोगों के दिलों में गुस्सा आवे और हलचल पैदा हो। इसलिए मुझे कम तकलीफ़ उन कामों से नहीं पहुंची है कि हमारे कुछ लोग पागलपन के शिकार बन गये हैं जिसके कारण बर्बरतापूर्ण और अक्षम्य काम हुए हैं। मैंने कल ही भारत के नागरिकों के नाम एक अपील पत्रों में निकाली है जिसमें मैंने कहा है कि लोग गवर्नमेंट की सहायता लोगों की जान माल की रक्षा करने में करें। कोई भी सभ्य गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को अपने हाथों में कानून ले लेने का अधिकार नहीं दे सकती। प्रत्येक सभ्य गवर्नमेंट का यह कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में जितने लोग बसते हैं सब की जानमाल की हिफ़ाजत करे चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। इसलिये आज जो हमारे प्रधान मन्त्री ने संसद् में बयान दिया है और जो दुःख और लज्जा प्रकट की है उसमें मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। आपने सुना है कि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने हमारे प्रधानमन्त्री का निमंत्रण स्वीकार किया है और अपने कुछ साथियों के साथ आपस में बातचीत करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मेरी आशा है कि यह बातचीत जो २ अप्रैल से शुरू होगी सफल होगी। मैं एक शब्द भी

ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ जो दिक्कतें पेश हैं उन को बढ़ावे और मैं जितना जोर देकर कह सकता हूँ उसके साथ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई ऐसी बात न कहें और करे जो वातावरण को विषाक्त बनावे। जप्त और सहिष्णुता से हर हालत में सामाजिक सुव्यवस्था आती है। पर आज की नाजूक परिस्थिति में उसकी और भी जरूरत है। कोई ऐसा न समझे कि हमारे प्रधान मन्त्री उसकी परिस्थिति से पूरी जानकारी नहीं रखते। जो प्रश्न हमारे सामने हैं उन को वह पूरी तरह जानते और समझते हैं और वह इस बात पर दृढ़ हैं कि साधारण स्थिति फिर भी कायम हो जाये। जो लोग गवर्नमेंट की सहायता करने की इच्छा रखते हैं वे इसे इस तरह कर सकते हैं कि उनकी स्थिति संभालने में वह जो मुनासिब समझे वैसा करने का पूरा मौका दे और अपने किसी गैरकानूनी काम से उसके रास्ते में कठिनाई न लावे। हम दूसरों को ठीक रास्ते पर चलने के लिए तभी मजबूर कर सकते हैं जब स्वयं ठीक रास्ते पर रहें। एक सफ़ेद चादर पर छोटा सा भी दाग उसे दूषित कर देता है। आप सब से मेरा साग्रह अनुरोध है कि आप गवर्नमेंट पर भरोसा रखें और उसे परिस्थिति को अपने तरीके से संभालने दें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस नाजूक स्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं चूकेगी।

यही छोटा सा बयान देने के लिए और निवेदन करने के लिए मैं ने आप को तकलीफ़ दी।

जय हिन्द ।

### अखिल भारतीय सहकारी प्रदर्शनी

ता० २ अप्रैल १९५० को आल इण्डिया कोआपरेटिव प्रदर्शनी के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—

कमला देवी, बहनो, तथा भाइयो,

मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि सारे हिन्दुस्तान में जो कोआपरेटिव के जरिये से काम हो रहा है उसका कुछ नमूना मैं यहां आकर देख सकूँ। हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव सोसायटी के काम को शुरू हुए बहुत साल हो चुके, शायद ५० वर्ष या इससे भी ज्यादा। उस वक्त से यहां कुछ न कुछ कोआपरेटिव का काम हुआ है। मगर बहुत दिनों तक यह काम इस तरह से होता रहा कि इसका ज्यादातर सम्बन्ध कुछ कर्ज, लेनदेन से ही रहा। इसका एक फल यह हुआ कि बहुत सी जगहों में कोआपरेटिव से किसी हद तक लोग अलग हो गये। जहां नुकसान हुआ वहां लोगों ने देखा कि थोड़े आदमियों की गलती से उन लोगों को भी, जो ईमानदार और सच्चे हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से कई जगहों पर, मेरे सूबे में भी लोग, कुछ कोआपरेटिव से नाराज हो गये। मगर यह ऐसा काम है जिसे सिर्फ़ एक ही चीज़ में महदूद रखना सरासर गलती है। कर्ज, लेनदेन का काम भी जरूरी है, मगर जम्मे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इसके जरिये लोगों की सारी जिन्दगी के ढांचे को बदला जाये। वह तभी हो सकता है जब कि इसके हाथ में बहुत तरह के काम आ जायें। इसी वजह से यहां पर आप जो नुमाइश कर रहे हैं उसकी बड़ी कीमत है। क्योंकि यहां पर कर्ज की बात तो कही देखने में

नहीं आती । यहां तो यह बात देखने में आ रही है कि लोगों ने कोआपरेटिव के जरिये कितना काम किया है, और अब भी कितना काम कर रहे हैं ।

अभी अभी रिपोर्ट पढ़ने के वक्त मन्त्रीजी ने कहा कि अब तक जितना कपड़ा हिन्दुस्तान में तैयार होता रहा उसका करीब करीब एक चौथाई हिस्सा हैडलूम द्वारा गांवों में तैयार होता है । मुझे ख्याल है कि आज से कुछ साल पहले बिहार में गवर्नमेंट ने एक मर्तवा हैडलूम का सेन्सस लिया था और वहा उससे यह पता लगा कि बिहार में बुने जाने वाले कुल कपड़े और वहां खपत होने वाले कुल सूत का एक तिहाई कपड़ा हैडलूम पर बुना जाता है । अब भी इस तरह के कारीगर बहुतेरे मौजूद हैं जिनको अगर किसी भी क्रिसम का खूबसूरत और मुश्किल से मुश्किल नमूना हाथ से बुनने के लिए दिया जाये तो नमूने को देखकर ही वे अपने हैडलूम पर उस चीज को तैयार कर सकते हैं । चूकि मेरा अपना ताल्लुक जयादातर सूत कताई और कपड़े के बुनने से रहा है इस लिए मैं इस को जानता हूं कि इसमें तरक्की की कितनी गुजाइश है, और इसके जरिये कितना काम हो सकता है । यह भी बात गौर करने की है कि जो कुछ भी हमारे यहां के कारीगर जानते हैं और कर सकते हैं वह उन लोगों ने कही किसी टेक्निकल स्कूल में नहीं सीखा है और न उनको शिक्षण देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सोसायटी की तरफ से इन्तजाम किया गया है । बाप दादाओं के वक्त से चले आने वाले पेशे के जर्गिये ही वे सब कुछ सीखे हैं । आप यहां पर जो बहुत कुछ देख रहे हैं चाहे वे काश्मीरी शाल के नमूने हों, वे चाहे बनारस के अच्छे से अच्छे कमखाब के नमूने हों, चाहे मूरत के अच्छे अच्छे नमूने हों या पजाब के या राजपूताना के हों, ये सब उन्ही लोगों की मेहनत और कारीगरी का नतीजा है । इन चीजों को किसी स्कूल में ट्रेनिंग लेकर नहीं बनाया गया है । यह तो परम्परागत कारीगरी के आधार पर बनाई गयी है और उसे वे लोग सहज में ही सीख लेते हैं । आज ये चीजें कोआपरेटिव के जर्गिये बनाई जा रही हैं । मुझे उम्मीद है कि यह व्यवसाय काफी तरक्की करेगा ।

जितना कोआपरेटिव के जरिये काम हो सकता है और किसी जरिये से नहीं हो सकता । ठीक है कि हर काम में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे उसको नुकसान पहुंचता है । जो केवल पैसा कमाने का उद्देश्य ही सामने रखते हैं वे लोग तो इसके जरिये शरीब कारीगरों को अपने नफे के लिए क्रम दाम देकर खुद नफा उठाते हैं और उन बेचारों को जितना मिलना चाहिये नहीं मिल पाता है । प्रोत्साहन का तो प्रश्न ही क्या उन्हें अपनी मेहनत का मावजा भी नहीं मिलता है । इसलिये वह इस काम को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं और यह कला कुछ दिनों बाद मर जाती है । पर मुझे आशा है कि कोआपरेटिव के जरिये वे इन कलाओं को जिन्दा रख सकेंगे ।

अभी श्रीमती कमला देवी जी ने फरीदाबाद का जिक्र किया । फरीदाबाद में एक नया तरीका काम में लाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है । वहां सब चीजें बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं । मसलन वहां मकान बनेंगे । मकानों के लिए जो कुछ सामान चाहिये उम सब को कोआपरेटिव तरीके से बनाया जायेगा । जो वहा शरणार्थी लोग हैं उन लोगों के हाथों से सब चीजें बनायी जायेंगी । इस नुमाइश में आपके सामने कुछ ईंटे रक्खी गयी हैं जो मकान बनाने के काम में आती हैं । इसके अलावा और चीजें हैं जिनके

कारण लोगों का रीजगार मिल जायेगा। यह सब चीजें कोआपरेटिव तरीके पर बनाने का विचार है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे देश को बड़ा भारी लाभ होगा। जिन चीजों के निस्वत में ने अभी कहा ये सब दस्तकारी की चीजें हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन को फिर से जिलाना है। देश में और बाहर भी इनका प्रचार करना है। यह सब कोआपरेटिव के जरिये ही हम कर सकते हैं। मगर सिर्फ दस्तकारी या हाथ से बनी चीजों के साथ ही कोआपरेटिव का ताल्लुक रखना ठीक न होगा। उसको तो खेती के काम के लिए भी प्रयोग करना होगा। मेरे विचार में खेती का काम कोआपरेटिव की सहायता के बिना तरक्की न कर सकेगा। अगर कोआपरेटिव के जरिये से इस काम को किया जाये तो मैं समझता हूँ कि काश्तकारों की बहुत बड़ी तरक्की होगी। हमारे यहां काश्तकारों के खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन के पास न तो इतना पैसा होता है और न इतना वक्त कि वे अच्छे बीज खरीद करके उनका इस्तेमाल कर सकें और अपने काम को बढ़ा सकें। इसलिये नतीजा यह होता है कि वे पुराने हल और पुराने तरीके से सब काम करते हैं जिस से पैदावार कम होती है। वे जानते और समझते हैं कि किस तरीके से काम करने पर आमदनी ज्यादा हो सकेगी और पैदावार भी ज्यादा होगी, मुनाफ़ा भी काफ़ी होगा। मगर उनके पास साधन नहीं होते। अगर यह साधन कोआपरेटिव के जरिये दिये जायें तो वे नये तरीकों को बरत सकेंगे। गांव के सब काश्तकार एक साथ मिल कर के अपने खेत बोयेंगे और जोतेगे। इससे एक ओर तो खर्च कम होगा और दूसरी ओर आमदनी काफ़ी बढ़ेगी। पैदावार भी बढ़ेगी। यहां इस तरह का कोई गांव देखने का मौका तो मुझे नहीं मिला है जहां सब एक साथ मिल कर के खेत बोते और जोतते हैं। पर बिहार के एक गांव में इसी तरीके पर खेती की जाती है। वह गांव सारन जिले में है। वहां उन्होंने कोई चीज बाहर से नहीं मगाई है। गांव की खेती की जरूरत की जिनकी भी चीजें हैं उनको गांव पे ही मुहैया कर लेते हैं और १०-२० आदमी एक साथ खेती करते हैं। इससे पैदावार भी बढ़ जाती है। खर्चा भी कम होता है और हर एक आदमी को पहले जो मिला करता था उससे कुछ ज्यादा ही बच जाता है। करीब करीब डेढ़ गुना फायदा होता है। इस बात को उन्होंने महसूस किया है। अगर गांव के लोगों को बीज, खाद, लोहा और इसी तरह की दूसरी चीजें जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती है कोआपरेटिव के जरिये से मुहय्या की जायें तो मेरी समझ में कोई बजह नहीं है कि वे लोग तरक्की न कर सकें।

साथ ही जो कुछ वह पैदा करते हैं उसको कोआपरेटिव के जरिये से बेचने का भी इंतज़ाम किया जाये तो और भी अच्छा होगा। जो कुछ पैदा होता है उसको उस वक्त तक रक्खा जाये जब तक कि उसकी कीमत अच्छी न आये। मैं समझता हूँ कि किसानों को जो कुछ भी आज मिलता है, उससे उनको ज्यादा मिलने लगेगा। इस तरह से काम करने से उन को बहुत नफ़ा होगा। मैं समझता हूँ कि अगर फ़ार्मों की कोआपरेटिव तरीके से इस प्रकार आर्थिक सहायता की जायें तो इसमें भी बहुत मुनाफ़ा हो सकता है। इसके बाद लोग भी खुदबखुद दिलचस्पी लेने लगेंगे, काम करेंगे। इसलिये मेरा अपना ख्याल है कि इनके जरिये से देश की भलाई हो सकती है।

इसी लिए इस तरह की एक नुमाइश की गयी। गवर्नमेंट का काम है कि इस में मदद करे। इसमें उसे मदद देनी ही चाहिये। गवर्नमेंट ने आज तक कोआपरेटिव पर काम चलाने में ज्यादा



से ज्यादा मदद दी है। वह अपने हाथ में सब रख कर काम करती थी। बेहतर यह है कि इस रीति के अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाये। लोग काम करने लगे और अगर मदद की जरूरत हो तो मदद दी जाये। पहले लोगों को इसमें पडना चाहिये। इसके लिए बहुत काम करने वालों की जरूरत है। यह काम जो इतना कामयाब हुआ है उसकी वजह कमला देवी जी और दूसरे भाई वहन हैं जिनकी मेहनत का यह फल है। थोड़े दिन में ही इसका नतीजा आप देख सकेंगे। दूसरी जगह भी अच्छी है। अगर अच्छे काम करने वाले इस काम में अपना समय लगायेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वे कामयाब होंगे और देश तरक्की करेगा। इसी में हमारी भलाई है। आयन्दा के लिए यह एक ऐसी चीज है जिसमें तरक्की करने की काफी गुंजाइश है।

मैं आप सब भाई वहनों को म्बाराकवाद देता हू कि आपने इस काम को रूढ़ी के साथ अंजाम दिया है और मैं उम्मीद करता हू कि दूसरे लोग भी इस काम में आपकी मदद करेंगे, आपका उत्साह बढ़ायेगे और आप सब लोग मिल कर काम को आगे बढ़ायेगे। ज२ हिन्द।

### 'देहली' जहाज़ पर

५ अप्रैल १९५० को बुधवार को भारतीय नौसेना के 'देहली' जहाज़ के पदाधिकारियों और नाविकों तथा भारतीय नौसैनिक बेड़े के अन्य जहाज़ों के प्रतिनिधि वर्ग के समक्ष जहाज़ (बम्बई) पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

आज संध्या काल में आप से मिलने का यह मौका पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। यद्यपि हमारी नौसेना अभी कम दिनों की है किन्तु अतीत काल में समुद्र में नौवहन की हमारी कीर्ति बहुत पुरानी है। हमारी नौ सेना चाहे वह सशस्त्र हो अथवा व्यापारिक, हमारे नाविकों और नौवहन करने वालों पर पूर्णतया निर्भर करती है। हम अब नौ सेना का निर्माण कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वह हमारे देश के गौरव और विशालता के अनुरूप ही बड़ी और शक्तिशाली होगी। इसे महान् और शक्तिशाली बनाने का भार आप ही लोगों पर है जो हाल ही में नौसेना में भरती हुए हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब हम हिन्दुस्तानी जहाजी कारखानों में समुद्र में जाने वाले जहाज़ बनाया करते थे और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिनों तक बड़े बड़े जहाज़ यहां बनाये जाते थे तथा उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक हम अंग्रेजी नौसेना को जहाज़ दिया करते थे। मेरा विश्वास है कि अब जबकि हम अपने जहाजी कारखानों को फिर बना रहे हैं, हमारे आधुनिक जहाजी कारखानों के साथ साथ ही हमारी वाणिज्यिक नौ सेना भी हमारे व्यापार के बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भाग लेने में समर्थ होगी। पुरानी परम्परा को कायम रखने की हमें आप से अपेक्षा है। तथा इस बात की अपेक्षा है कि आप कार्यदक्षता के ऐसे स्तर तक पहुँचेंगे और उस पर कायम रहेंगे जो आप के लिये और आप के देश के लिये यशदायी होगा। मैं चाहता हू कि आप भाग्यवान हों और मेरी शुभ कामनाएँ आप के साथ हैं।

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

## शराबबन्दी प्रदर्शनी

११० ५ अप्रैल १९५० को शराबबन्दी प्रदर्शनी के अवसर पर भाषण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस सूचे में आप ने गांधीजी के कार्यक्रम के एक अंग को पूरा किया है। यह है शराबबन्दी। सारे सूचे में अब शराबबन्दी कर दी जायेगी। कई वर्षों में सारे देश में इस बान का प्रयत्न होता रहा है पर आप को यह श्रेय है कि आज आप इसे पूरा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो चार्टर्स और नक्शे आप ने दिखलाये हैं, वे दिल पर बहुत ही अमर डालने वाले हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रदर्शनी से लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे और शराब के कारण जो नुकसान लोगों को पहुँचा है, उस को अच्छी तरह समझ लेंगे और शराब छोड़ देंगे।

मुझे इन विषय में कल कुछ और अधिक कहना होगा, इस लिये आज आप लोगों में इतना ही कह कर आप को मुबारकवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि इस सूचे के लोग इस काम को सफल करेंगे। इस से न केवल भारत में बल्कि सारे ससार के सामने हम यह कह सकेंगे कि शराबबन्दी से लोगों को कितना फायदा हुआ और शराब छोड़ कर कितने लोग सुखी हुए और कितने गरीब लोगों को भरपेट भोजन मिला। इस के लिये मैं फिर आप लोगों को मुबारकवाद देता हूँ।

## बम्बई में अभिनन्दन

११० ५ अप्रैल १९५० को फीरोज़शाह मेहता गार्डन में बम्बई की नगरपालिका और बम्बई के नागरिकों की ओर से दिये गये मानपत्र के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहा—

मेअर साहब, बहनो और भाइयो,

मैं आप की इजाजत चाहता हूँ कि पहले अपने चन्द्र लपज अपनी भाषा में अर्ज करूँ और चूँकि बहुत ऐसे भाई हैं जो सिर्फ अंग्रेजी ही जानते हैं और समझ सकते हैं, उनके लिये पीछे कुछ अंग्रेजी में भी कहने की इजाजत आप में मागूँगा।

मेरा यह सौभाग्य है कि बहुत दिनों से बम्बई शहर ने मुझे एक तरह से अपना लिया है। आपने जो मानपत्र दिया है, उस में आप ने उस कांग्रेस का जिक्र किया है जिस के लिये आज से १६ साल पहले मैं बम्बई आया था और आप ने अपना प्रेम और उत्साह इतने जोरों से दिखलाया था कि उस को मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता, आप लोग भी जिन्होंने उसे देखा था कदाचित्त ही भूल सकेंगे। उस वक्त के और आज के हिन्दुस्तान की हालत में बहुत फर्क पड़ गया है। उस वक्त मैं एक बागी जमात के सरदार की हैसियत से यहां आया था

और आज मैं आया हूँ सारे भारतवर्ष की जनता की ओर से उस का सरदार चुटे जाने के बाद। उस समय से आज तक जितना फर्क हो गया है इस का अदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं।

महात्मा गांधीजी की तपस्या का यह फल है कि इन चन्द वर्षों के अन्दर ही सारे सारा में देश-ने यह स्थान हासिल कर लिया है और यह फल है हमारे देश के हज़ारों लाखों भाई बहनों के त्याग और तपस्या का कि आज मेरे जैसे व्यक्ति को आप इतने ऊचे स्थान पर पा रहे हैं। कोई भी इस स्थान पर होता ही, मैं या दूसरा और कोई होता। किन्तु व्यक्ति के भेद में कोई विशेषता न होती। मैं जिस विशेषता की ओर सकेत कर रहा हूँ वह यह है कि हम वक्त हमें यह अधिकार है कि जिस को चाहें इस स्थान पर बैठायें और जैसी हमारी मर्जी हो, जैसी हमारी स्वाइश हो, जैसी हमारी इच्छा हो, उस के मुताबिक उस से वह काम करायें जिस में हमारी भलाई हो। आज हिन्दुस्तान के पास यह अस्तित्व है। भारत अपने भाग्य का निर्णय आज खुद कर सकता है। उसे बनाना चाहे बना सकता है, बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकता है। यह है वह विशेषता जिस की ओर मैं आप का ध्यान खीचना चाहता हूँ। आज कोई दूसरी ताकत, दूसरी शक्ति नहीं है जिस पर आप बिगाड़ने का इल्जाम लगा सकें और जिस को अच्छी बात करने के लिये हम मुबारकवाद दे सकें। भले और बुरे का जो श्रेय है या जो शिकायत है, वह सब हमारे अपने सरो पर ही है। इसलिये जब आज की स्थिति पर ध्यान जाता है और पिछले द्वाइ वर्षों में देश में जो कुछ हुआ है उस की ओर ध्यान जाता है तो कुछ थोड़ी चिन्ता भी होती है, दुःख भी होता है और कुछ ऐसा भी मालूम होता है कि क्या सचमुच हम हिन्दुस्तान को इसलिये आज़ाद करने में सफल हुए कि हम आपस में लड़कर ही, एक दूसरे से झगड़ा करके ही जो कुछ हमको मिला है उस को एक बार फिर खो दें। सच ही क्या हम और आप ऐसी जिन्दगी बिताना चाहते हैं जिस में कोई भी चैन से, सुख और शान्ति के साथ रात की नीद न ले सके।

हमारे लिये यह दुःख की बात है कि मुल्का का बंटवारा हुआ। हम ने बटवारे को पसन्द तो नहीं किया था। मगर यह समझकर हमने उस को मजबूरन कबूल कर लिया था कि ऐसा हो जाने के बाद हम सुख और शान्ति के साथ दिन बिता सकेंगे और हम जैसा चाहेगें वैसा अपने देस का इतज़ाम और प्रबन्ध कर सकेंगे। मगर बटवारे के साथ साथ ऐसी विपत्तियाँ हमारे सार पर आयीं, ऐसी मुसीबतों का हमको मुकाबिला करना पड़ा कि जिन के दायरे से अभी तक हम अपने को निकाल नहीं सके हैं और आज भी इस तरह के वाक्यात, दर्दनाक वाक्यात, भयानक घटनाएँ हो रही हैं और कभी कभी हुआ करती हैं जिन से हमको शर्म महसूस होती है और दर्द भी मालूम होता है। इसलिये हम को यह सोचना है कि चाहे और जगहों में जो कुछ हो, वहाँ के लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे और हम का कैसा व्यवहार करना चाहिये। इस में शक नहीं कि कोई समझदार आदमी यह नहीं कह सकता कि अगर बम्बई से १५०० मील की दूरी पर कहीं कुछ लोग पागल होकर कुछ हिन्दुओं के साथ ज्यादती या उन पर जुल्म करते हैं तो उस का बदला बम्बई के लोग यहाँ के लोगों से ले। इसमें न तो कोई बुद्धिमानी है और न आलमदी है न सचाई है, और न कोई धर्म।

जो जुर्म करता है उस को तो वहां पर ही सजा मिलनी चाहिये। कम से कम उस का बदला दूसरी जगह पर दूसरे लोगों से नहीं लिया जा सकता। खासकर कोई भी गवर्नमेंट अपने शहरियों को इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि वे अपने हाथों में कानून लेकर अपनी मनमानी अर्थात् जैमी चाहें लोगों को सजा दें। गवर्नमेंट का यह काम है, यह फर्ज है कि उस के मातहत जितने लोग बसते हैं, चाहे उन का कोई भी धर्म हो, चाहे उन की कोई भी जाति हो, कोई भी पेशा हो, सबकी हिफाजत करे, सब को इसका मौक़ा दे कि वे अपनी तरक्की करें अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करें और देश में जो कुछ हक एक तबके को दिया है वैसे ही दूसरे तबके को भी दे। यह तरीक़ा है जो सभ्य जातियों के लिये ठीक समझा जा सकता है और जो संविधान हमने बनाया है और जिस का जिक्र अभी अभी मेअर साहब के भाषण और एड्रेस में किया गया है, उस संविधान में इस बात को हमने साफ़ साफ़ कह दिया है। इसलिये अब यह बात केवल समझदारी की बात ही न रहकर संविधान का आदेश भी हो गयी है कि हमारे देश के अन्दर जितने लोग बसते हैं उन सब की हिफाजत की जाये और उन सब को बराबर मौके दिये जायें।

यह ठीक है कि जब ऐसे लोगों के साथ, जिन के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है, ज्यादाती होती है और उन पर जुल्म किया जाता है तो हमारे दिलों में बवाल पैदा होता है, रज पैदा होता है, गुस्सा आता है। मगर हमारे लिये यह मुनासिब है कि हम यह सोचें कि उस रंज को हम किस तरह से काम में लाकर इन दुःखी लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। यह समझदारी की बात नहीं कि इस गुस्से में पड़कर हम जल्दबाजी में कुछ इस तरह की गलतिया कर बैठे जिन से इन दुःखी भाइयों को मदद मिलने के बजाये और भी नुकसान हो। आप सब भाई बहनों से और सारे मुल्क के लोगों से मेरी यह दरखास्त है कि वे इस बात को न भूलें कि वक्त बड़ा नाजुक है। ऐसे वक्त में आप सब से यही उम्मीद रखी जाती है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने को संभाल कर के रखें, अपने को और सब लोगों को संभाल करके ठीक रास्ते पर चलायें और उस बात को जिस बात से आप को रंज पहुंच रहा है गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दें। इस चीज का वह क्या इतज़ाम करेगी और किस तरह उस को दूर करेगी, यह बात उस के लिये ही छोड़ दीजिये। मेरा विश्वास है और मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट न तो गाफिल है और न मुस्त। वह सब चीजों को जानती है। सब चीजों को देख रही है और ठीक तरीक़े से उस को हल कर सकती है। इस के हल करने में चाहे जो भी तरीक़ा उस को अस्तियार करना पड़े उस को अस्तियार करने में वह नहीं हिचकिचाएगी। आप को यह विश्वास रखना चाहिये कि उसी समस्या को हल करने का यह पहला कदम है कि आज आपस में बातचीत चल रही है। अगर इस बातचीत में हमारी कामयाबी हो गयी और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझ से सहमत हैं कि इस में किसी तरह कामयाबी होनी ही चाहिये तो यह हमारे लिये, पाकिस्तान के लिये और दूसरे मुल्कों के लिये भी एक बहुत बड़ा काम होगा।

पिछले ढाई वर्षों में हम आपस के झगड़ों में ही ऐसे फंसे रहे हैं कि हमारे जो बहुत से मनसूबे थे, उन को हम पूरा नहीं कर सके हैं, बहुत कार्यक्रम जो हमने सोचे थे उन को हाथ

में नही ले सके हैं। अगर शान्ति हो जाये अगर उस चिन्ता से हम मुक्त हो जायें जिस की वजह से न केवल हमारा वक्त ही बब दि हो रहा है बल्कि जिस की वजह से गवर्नमेंट की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में लगाया जा रहा है जिन में उस का लगाया जाना शायद जरूरी नहीं है तो हमारा समय और पैसा भी ऐसे कामों में लगाया जा सकेगा जिस से जनता की और सारे देश की भलाई हो। मैं उम्मीद रखता हू कि आप को यह जानकर खुशी होगी कि जो बातचीत इस वक्त दिल्ली में चल रही है, वह बहुत उम्मीद के साथ दिल खोलकर आपस में हो रही है। हम सब इस बात की दुआ करें जिस में आइन्दा के लिये हमारा रास्ता साफ हो जाये और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस में हम सब कामयाब हों, और हम सुख और शान्ति के साथ अपने दिन बिता सके और जो उम्मीद हम अपने दिलों में किये हुए हैं और जो जो मनसूबे हम बनाए हुए हैं, जो जो कार्यक्रम हम ने निश्चित किये हुए हैं उन सब को पूरा कर सकें।

### ग्रामोद्योग मन्दिर, बम्बई

ता० ६ अप्रैल १९५० को बोरिवली, बम्बई, के कोरा ग्रामोद्योग मन्दिर में गट्टूपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

यहा पर आप ने ग्रामसंगठन का जो काम आरम्भ किया है उस को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। महात्मा गांधीजी का यह विचार था कि हमारे गांवो को भी ऐसा ही बनाया जाये कि जहा तक संभव हो वहां के लोग अपनी सब जरूरत की चीजो को अपने गांव मे ही पैदा कर लें। इस काम को वह विशेष महत्व इस लिये देते थे कि हमारे गांवों के लोगों के पाम बहुत समय रहता है और उस का बड़ा भाग बर्बाद जाता है। इसलिये उन का वह समय ऐसे काम मे लगा दिया जाये जो वे अपने गांव में कर सकते हो। इस मे उन का बहुत पैसा बच जायेगा और वे वहा आराम मे अपने दिन बिता सकेंगे। हम यह देखते है कि जो लोग बडे बड़े शहरो मे जाते है उन के लिये वहां के रहन सहन, तौर तरीके, वहां के खर्च और वहां सामने आनेवाले तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह के टेम्पटेशन से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिये अगर जहा तक हो सके लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर ही अपनी सब जरूरतों को पूरा कर सकें तो वह सब से अच्छो बात होगी। यह ठीक है कि आजकल की दुनियां में कल कारखाने इतने बढ़ गये है और बराबर बढ़ रहे है कि अगर आदमी अपने को उन से बिल्कुल अलग रखना चाहे भी तो ऐसा करना शायद उस के लिये संभव न होगा। पर फिर भी मेरी समझ में जरूरत की बहुत सी चीजें ऐसी है जिन के लिये हम को किसी दूसरे पर भरोसा करना जरूरी नहीं है।

आदमी की जिन्दगी के लिये तीन चीजें जरूरी है। १. खाना २. कपड़ा और ३. रहने के लिये घर। ये तीनों चीजे हम अपने गांवो में जितनी चाहें पैदा कर सकते है। जो लोग

बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वे आजकल भी खाने के बारे में गांव वालों के ही मोहताज होते हैं। गांव वाले अगर भोजन न दें तो शहर वाले भूखे ही मर जायेंगे। कपड़े की हालत भी यही थी। मगर अब कल कारखाने की वजह से स्थिति बदल गई है। फिर भी अगर गांववाले चाहें तो कम से कम अपने लिये वे जितना चाहें कपड़ा तैयार कर सकते हैं। यहां के काम करने वालों ने और दूसरे भाइयों ने जिन्होंने खादी के काम में अपना समय लगाया है यह दिखला दिया है कि अपने लिये जरूरी कपड़ा हम आसानी से बना सकते हैं। इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम चाहे तो अपने लिये आसानी से काफी कपड़ा पैदा कर सकते हैं। जो लोग चर्खा चलाते हैं, उन को यह बात मालूम होगी कि अगर आधे घण्टे तक रोज नियमपूर्वक चर्खा चलाया जाये तो एक आदमी अपने लिये जरूरी कपड़ा तैयार कर सकता है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन का आधे घण्टे का समय रोज बर्बाद न जाता हो। महात्माजी जब तक रहे बराबर आधे घण्टे तक प्रतिदिन सूत कानने रहे। उन्होंने देश के लिये जो भी किया वह सबको मालूम ही है। फिर भी वह किसी न किसी तरह समय निकाल कर चर्खा कात लिया ही करते थे। हमारा जो वक्त बर्बाद हो जाता है अगर उनमें से ही हम अपने अपने हाथ में चर्खा ले ले तो मुझे विश्वास है कि और यह हजारों का तजुर्बा भी है कि आधे घण्टे में हम इतना काफी सूत पैदा कर लेंगे जो हमारी अपनी अकेली आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त होगा।

मकान के सम्बन्ध में भी स्थिति कुछ अधिक भिन्न नहीं है। जो मकान यहां बना हुआ है उस को तो आपने देखा ही है। जो शरणार्थी यहां आये हैं और जिन्हें यहां आये दो ढाई वर्षों का चुके हैं उन के लिये मकान बनवाने की हम बराबर कोशिश में हैं। बहुत सी जगहों में बहुत से मकान बनवाये भी गये हैं मगर अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन के लिये मकान बन नहीं पाये हैं। मुझे बताया गया है कि यह मकान जो यहां पर है, सिर्फ ९ दिन में बनकर तैयार हुआ है और इस में खर्चा भी ज्यादा नहीं लगा है। इस तरह की बहुत सी चीजें हम कम खर्च में बना सकते हैं। बड़े बड़े इजिनियर, शहरों में रहनेवाले इजिनियर, शहरों के बड़े बड़े मकान देखकर ही खर्चा आकते हैं। उन गांवों के मकान के बारे में उन्हें कुछ विशेष जानकारी नहीं होती। वे तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। वे कहते हैं कि कच्चा मकान तैयार कैसे होगा। अगर वे लोग भी गांवों में जाकर देखते तो पाते कि १०० में ९० मकानों में मिट्टी की दीवारें बनायी गयी हैं। गांव में जो सामान मिलता है उसी से वे मकान बने हैं। तो हम इस बात पर ध्यान न देकर बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ जाने हैं। यह ठीक है कि गांवों में भी सब लोगों के लिये अच्छे मकान बनाये जायें। लेकिन सबके लिये उस तरह के मकान बनवाना हमारी शक्ति से बाहर की बात है। जो मकान हम बना सकते हैं वे छोटे होने चाहिये और साथ ही मुन्दर और आरामदेह भी।

खाने की चीजों के बारे में भी गांववालों के लिये मुझे कुछ कहना है। गांव वाले भी कुछ बाहर की चीजें खरीदकर खाने के आदी हो गये हैं। मैंने यहां तेल निकालते हुए देखा। आज शहरों में शुद्ध तेल मिलना मुश्किल हो गया है। हमारे सूबे में और उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोगों में एक प्रकार की बीमारी फैली हुई है। लोगों के हाथ पैर फूल जाने हैं

लोग इस का कारण ढूँढ़ रहे हैं और डाक्टरों का कहना है कि तेल में कोई चीजें फेंट दी जाती हैं जिस से यह बीमारी फैल जाती है। यह सब इस वजह से है कि गांववालों को भी तेल और दूसरी चीजें दूर से मंगाकर खानी पड़ती है। अगर गांववाले चाहें तो खाने की सब चीजें अपने यहां पर ही तैयार कर सकते हैं। उस स्थिति में किसी चीज में किसी चीज के मिलाये जाने की गुंजाइश नहीं रहती। घी का मिलना भी आज कठिन है। मगर आजकल चावल में भी दूसरा कुछ फेंटा जाता है। आटे में भी न मालूम क्या क्या चीजें फेंट दी जाती हैं। गहूँ का भी यही हाल है। चावल में पत्थर के छोटे छोटे कंकर फेंट दिये जाते हैं। तो इस तरह से खाने की चीजों में हानिकर चीजें फेंटी जाने लगी हैं। इस से देश के लोगो का स्वास्थ्य कैसे कायम रहेगा ? उस का उपाय यही है कि गांव में रहनेवाले लोग अपनी जरूरत की चीजें वहां पर ही बना लें। कम से कम जो लोग गांव में रहते हैं वे तो इस तरह की हानिकर वस्तु के फेंटे जाने से अपने को बचा लें। अगर गांव के लोग भी सबकुछ खरीद कर खाने लगे और खरीद कर पहनने लगे तब तो देश के लिये बड़ा ही कठिन काम हो जायेगा। इसलिये जिस तरह की जो भी चीज गांव में बनती है उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लोग इस बात को समझ लें कि महात्मा गांधी हमारा जीवन कितना सादा और सुखी बनाना चाहते थे। इसलिये मुझे यहां आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यहां पर ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जो कई वर्षों से गांधीजी के साथ रह कर काम करते रहे हैं। ये लोग उन से बहुत कुछ सीख सके हैं और उन की यही इच्छा भी है कि अपना जीवन सुखी बनाने के लिये ये लोग अपनी जरूरत की चीजें यहां पर ही तैयार कर लें और इसी प्रयत्न में आप लोग हैं भी।

मैं आप सब भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ।

### बालकन जी बारी

ता० ६ अप्रैल १९५० को बम्बई में बालकन जी बारी में राष्ट्रपति जी ने कहा—

बालकन जी बारी के सदस्यगण तथा बालकों व बालिकाओं,

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि बालकन जी बारी इतनी तेजी से प्रगति कर रही है। कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली में बालकन जी बारी के कुछ बच्चे और बच्चियों से मिलने का मौका मिला था और मैं ने उन के खेल तमांगे देखकर बहुत आनन्द प्राप्त किया था। इसलिये जब मुझ से यह कहा गया कि मैं संरक्षक का पद मंजूर कर लू तो मैं ने खुशी से उसे मंजूर कर लिया। इस का जन्म या उद्गम यहां बम्बई में हुआ है। इसलिये मेरे यहां आने पर आप लोगों ने यह आयोजन किया, इतने सब बालकों से मेरी मुलाकात हुई यह भी बहुत अच्छा हुआ।

मैं आप बड़ों से और क्या कहूँ, आप से यही कहना है कि कल के भारत के नेता होने वाले आज के बालक हैं। जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय बच्चों के लिये ऐसी सुविधाएं

नहीं थी जो आजकल के बालकों को प्राप्त है। उस समय के लोग इन सब बातों को इतना जानते भी नहीं थे। और आज जब हम को बालकन जी बारी के लाभ मालूम हो गये हैं और इस से हम बच्चों का कितना भला कर सकते हैं यह हम जान चुके हैं तो सब लोगों का यह धर्म है कि इन चीजों को प्रोत्साहन दिया जाये। मैं ने इसीलिये संरक्षक होना मंजूर कर लिया है कि मुझ से जो कुछ हो सके इसकी मदद करूँ।

बच्चों से मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं उन को सीखो और सीखकर जो अच्छी बातें हैं उन को केवल मन ही में न रक्खो बल्कि उन के अनुसार काम भी करो। अगर तुम को यह सिखाया जाता है कि तुम को एक दूसरे की मुसीबतों में मदद और सहायता करनी चाहिये तो तुम को चाहिये कि तुम उस के मुताबिक अमल करो; केवल यही नहीं कि सीख लिया और उस को वहा पर ही छोड़ दिया, बल्कि जब किसी दूसरे पर कोई विपत्ति या मुसीबत आये तो उस की अमली मदद भी करो, केवल मन मे ही सोचकर संतुष्ट न हो जाओ। इसी तरह अगर तुमको सिखाया जाता है कि "सच बोला करो" कभी कोई बात झूठ न बोलो तो इसे केवल दिल मे ही न रक्खा करो बल्कि झूठ न बोला करो। मैं तो मानता हूँ कि जो बात तुम को यहां पर सिखाई जाती है उस में कोई भी बात खराब न होगी। मत्र वाते ऐसी ही होती होंगी, जिन में तुम्हारी भलाई है। इस के अनुसार काम करने का आगे चलकर तुम्हारी ही भलाई है। मैं ने महात्मा गांधीजी को अक्सर यह कहते सुना है कि किसी को भी कोई गलत बात न कहनी चाहिये। झूठ न बोलना चाहिये। उन्होंने अपनी माता से वायदा किया था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन के जीवन में बड़े बड़े मौके आये। उन के सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां आयी। परन्तु वह कभी झूठ नहीं बोले। वह हमेशा सोचा करते थे कि अगर मैं खराब काम करूँ और अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिये कोई ऐसा काम ही न करना चाहिये जिस में झूठ बोलने की बागी आये। इस तरह उन्होंने सब मुसीबतों से अपने को बचाया। कल सध्या को बम्बई में एक छोटा सा नाटक दिखलाया गया। एक राजा था जिम ने सोचा कि राज्य मे क्या ऐसा काम किया जाये जिस से सब लोग सुखी रहे और कौन ऐसा सब से बड़ा पाप है जिस को देश से निकालने से मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उस से पूछा कि तुम ऐसा सब से बड़ा और बुरा पाप बताओ जिस के बन्द करने से हमारी प्रजा सुखी हो जाये। मंत्री ने कहा कि एक प्रदर्शनी की जाये जहा सब पापो का सामान रख दिया जाये और लोगों से कहा जाये कि वह उन में से किसी न किसी पाप को जरूर करें और जो न करे उस को सजा दी जाये। वहां पर शराब, धन, नाचरंग का सामान इत्यादि रख दिया गया जिन के कारण लोग पाप करते हैं। लोग वहां पर गये। उन में दो पंडित भी थे। पहले पंडितों ने मांस आदि अखाद्य वस्तुओं को देखा। उस को उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध समझकर छुआ तक नहीं। धन की चोरी भी नहीं की। नाचरंग भी नहीं देखा। जब वह लोग शराब के पास आये तो उन में से एक ने कहा कि यह ऐसी छोटी बात है जिस का अनुभव हम करें तो हमें कुछ विशेष नुकसान नहीं होगा। राजाज्ञा के दंड से भी हम अब बच सकते हैं। केवल दो घूट ही लेने चाहिये। दोनों ने उस को पी लिया। चकि उन को उस की आदत नहीं थी, थोड़ा सा पीने से भी नशा हो गया और उन्हें कुछ



खाने की इच्छा हो गयी। उन्होंने अखाद्य वस्तुएं खा ली। नाचरंग देखने की इच्छा अब जाग्रत हुई। इस के लिये पैसा चाहिये। वहां पर पैसा भी रखा हुआ था। उन्होंने चोरी की। इस तरह मांस का भक्षण किया नाचरंग का आनन्द लिया, और नाच का रस लेते लेते आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को मार डाला। पुलिस आयी और उसे पकड़ ले गयी। राजा ने पूछा कि तुम ने मित्रवध का पाप क्यों किया तो उस ने उत्तर दिया कि इस मे मेरा दोष नहीं है। राजा ने ऐसी चीजों को रक्खा ही क्यों और पाप करने की आज्ञा ही क्यों दी? हमने शराब पी। हमने तो इसको सबसे छोटा पाप समझ कर किया मगर साबित हुआ कि शराब का पीना सब से बड़ा पाप है। कहने का मतलब यह है कि छोटा भी पाप हो, उस को नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस के करने से मनुष्य पूरा पापी बन जाता है। इसलिये मैं आप को इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी छोटा बुरा काम हो तो उसे नहीं करना चाहिये। इस का अभ्यास बचपन से करना चाहिये।

### महात्मा गांधी स्मृति मन्दिर

ता० ६ अप्रैल १९५० को बम्बई के कृष्णागिरी उपवन के महात्मा गांधीस्मृति मन्दिर म राष्ट्रपतिजी ने कहा—

श्री मुरारजी भाई देसाई, बहनो तथा भाइयो,

आप का यह विचार कि यहां एक उपवन बनाया जाये जहां दूर दूर से लोग आ कर कुछ देर तक शान्ति से विचार कर सके, कुछ देर के लिये शान्ति प्राप्त कर सके, बहुत ही सुन्दर विचार है। अभी आप के श्री बाला साहब खेर का तैयार किया हुआ भाषण हम को सुनाया गया। उस से मालूम हुआ कि इस तरह के उपवन हमारे देश मे बहुत दिनों से और प्रायः इस के सभी हिस्सो मे बनाये जाते रहे हैं और उन से लोग हमेशा लाभ उठाते रहे हैं। आप ने कई उपवनों का नाम भी दिया है। वृन्दावन के पास ही एक और उपवन है जिस का नाम है कामवन। इस जगह भी दूर दूर के यात्री आते हैं और वहां भ्रमण करते रहते हैं और शान्ति का अनुभव करते हैं। इसलिये मे इस प्रकार के उपवन की उपयोगिता और आवश्यकता को मानता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप ने एक ऐसे स्थान को इस काम के लिये चुना है जिस का ऐतिहासिक महत्व है और जिस की बुद्धदेव के नाम के साथ कुछ न कुछ कहानी जुटी है।

इस वक्त तक भारतवर्ष की चारो दिशाओ में बुद्धदेव के या उन के धर्म के अनुयायी अशोक के चिह्नस्तम्भ खड़े पाये जाते हैं। या जहां खड़े नहीं हैं वहां टूटे फूटे टुकड़े ही मिलते हैं। जो कुछ उस समय के उनके नियम थे वे सब इन्ही स्तम्भों पर लिखे मिलते हैं। यह

बातें कागज पर छपा कर उन दिनों आसानी से सारे देश में नहीं भेजी जा सकती थी और न उन का प्रचार किया जा सकता था। इस लिये उस समय के अनुसार अशोक ने यही निश्चय किया कि स्थान स्थान पर इस तरह के स्तम्भ खड़े किये जायें और जहां जहां मौका मिला उन नियमों को पत्थर पर खुदवा कर उन का प्रचार किया गया। इस तरह इन का प्रचार उत्तर से लेकर दक्षिण तक के प्रदेशों में और पश्चिम से लेकर पूर्व के प्रदेशों तक हुआ। आज भारत के प्रत्येक भाग में इस तरह के खोदे हुये लेख और स्तम्भ मिलते हैं। यह बात उस समय के अनुरूप ही है।

आप ने ठीक ही कहा है कि बुद्ध देव के बाद पिछले २५००, २६०० वर्ष में भारतवर्ष में दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिस ने लोगों के जीवन पर इतनी गहरी छाप डाली हो जैसी कि गांधी जी ने डाली है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि तीस, इकतीस वर्ष तक गांधी जी के चरणों में रह कर मैं बहुत निकट से कुछ न कुछ करता रहा। मैंने एक जगह लिखा है कि गांधी जी बहुत बड़े महापुरुष थे और उन के नजदीक रह कर भी मैं उतना लाभ न उठा सका जितना उन के निकट रहने वालों को उठाना चाहिये। यह बात सर्वथा ठीक है। मुझ में जितनी शक्ति थी उतना ही लाभ मैं उठा सका। मनुष्य में जितनी शक्ति और प्रतिभा होती है उस के अनुसार ही वह काम करता है। किसी बीमार से डाक्टर लोग यह कहे कि फला औषधि बड़ी पौष्टिक है और अगर वे उसे उम औषधि को देवें भी पर अगर उस बीमार में उस को पचाने की शक्ति ही न हो तो उस के लिये यह औषधि किस काम की? वह उस बीमार को लाभ नहीं पहुंचा सकती। वही बात बड़े लोगों के समागम से भी होती है। जिस तरह गंगा नदी हिमालय से लेकर समुद्र तक १५००, १६०० मील तक बराबर बहती है उसी तरह महात्मा गांधी अपनी ८० वर्ष की अवस्था तक लोगों को सिखाते गये और हमारे ऐहिक और पारलौकिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातें बताते गये। गंगा तो सब जगह में ही बहती है मगर उस से किसी को ज्यादा लाभ मिलता है और किसी को कम। उस से सब को बराबर लाभ नहीं मिल पाता है। जिस में जितनी शक्ति होती है वह उतना ही उस से लाभ उठता है। कोई कोई तो एक छोटे से लोटे में उम का जल निकाल कर पी सकता है और किसी के लिये वह भी संभव नहीं होता। गांधी जी का जीवन भी ऐसा ही था। जिस की जितनी शक्ति थी वह उतना ही लाभ गांधी जी की जीवन गंगा से हार्मिल कर सकता था। जिस की शक्ति कम रही वह बहुत ही कम ले सका। मैं उनके नजदीक रह कर भी उन की जीवन गंगा से एक लोटे भर ही अमृत ले सका।

गांधी जी का जीवन आदर्श जीवन था। वह अपने जीवन में लोगों को यह दिखा गये कि किस तरह मनुष्य को अपना जीवन बनाना चाहिये। हमें यह समझ लेना चाहिये कि उन्हो के बताये हुए आदर्श पर चल कर ही हम अपना और देश का भला कर सकते हैं। हमें चाहिये कि हमेशा उन के आदर्श को सामने रख कर ही हम आगे बढ़ें। गांधी जी को यहां से गये अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। शायद हम ने उन से बहुत कुछ सीखा नहीं और ऐसा मालूम होता है कि बहुत कुछ सुना नहीं; उन के साथ रह कर भी हम उन से बहुत दूर बने रहे। हम ने उन से वही

सीखा जो सीख सकते थे । एक कहावत है कि चिराम के नीचे अंधेरा । वही कहावत यहा भी लागू होती है । गो हम चिराम के नीचे रहते थे पर फिर भी हमारा व्यक्तित्व उन के प्रकाश से ज्योतिमय न हुआ ।

भारतवर्ष के सामने आज यही सब से बड़ी समस्या है कि वह गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कहां तक और कब तक चल सकता है और कहां तक उस के वशे में दूसरे रास्ते पर चलने में इम की भलाई है । मेरा अपना तो विश्वास यह है कि सिर्फ भारतवर्ष के लिये ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिये गांधी जी के बताये रास्ते के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है । अगर हम शान्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सचमुच मनुष्य बन कर रहना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम गांधी जी के बताये हुए मार्ग पर चल कर अपनी और साथ साथ सारे संसार की भलाई करें । आज दुनिया में नये नये आविष्कार हो रहे हैं । वैज्ञानिक आविष्कारों के फल आज हम को मिल रहे हैं । उन को देख कर हम लुभा जाते हैं । पर इस लोभ को देख कर अक्सर मुझे डर लगता है कि कहीं हम गलत रास्ते पर न चले जायें । पहले भी ऐसा हुआ है । दूसरे देश के लोगों ने यहा की शिक्षा से फायदा उठाया है और इम देश में रहते हुए भी हम उम से बचिन रहे । गांधी जी के जीवन से तो हम ने लगभग कुछ नहीं सीखा । हो सकता है कि उन्होंने ने जो कुछ बताया उम को हम भूल जायें और दूसरे देश के लोग जिन्होंने उन की शिक्षा को अगनाया हो हमारे यहा आ कर हम को उन की शिक्षा का पाठ नये मारे से पढाये । भगवान बुद्धदेव भारत में पैदा हुए । हम ने उन से जो कुछ सीखा था हम उम को भूल गये । देश के बाहर के लोगों ने उन के सिखाये हुए मार्ग पर चल कर बहुत कुछ लाभ उठाया । और वही लोग आज हम को उन का संदेश सुना रहे हैं । ८० वर्ष की अवस्था तक भगवान बुद्ध इम देश में प्रचार करते रहे । गांधी जी भी ८० वर्ष तक प्रचार करते रहे । सारे देश में भ्रमण करके उन्होंने लोगों को शिक्षा दी । उन के जीवन में और जीवन के बाद भी करोड़ों लोगों ने उन की शिक्षा को ग्रहण किया था । मगर सारे देश में देखा जाये तो आज इने गिने बुद्धमत वाले मिलते हैं ; जब कि दूसरे देशों में आज भी करोड़ों की संख्या में बुद्धमत वाले लोग मिलते हैं । हा यह ठीक है कि उन का बहिष्कार नहीं किया गया । मेरा विचार है कि बुद्धदेव की शिक्षा हमारे देशवासियों ने बहुत हद तक अपने जीवन में अपना ली । मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम गांधी जी के आदर्शों के अनुकूल आचरण करें । जो जो मुसीबतें हमारे सार पर आयें उन में हम बचें । गांधी जी चाहते थे कि एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाये । हम आपस में मिल जुल कर रहे । सिर्फ अपने ही लोगों से नहीं बल्कि सारे मनुष्यमात्र में प्रेम का बर्ताव करें । इस शिक्षा को हम ध्यान में रख कर अपने जीवन को उसी तरह बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । इस से सारे देश का उद्धार होगा ।

आप ने मुझे यहा बुला कर जो मेरा मान बढ़ाया है और इस स्मारक का उद्घाटन करने का काम मेरे जन्म में मुपुर्द किया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ और इस आशा के साथ उद्घाटन करता हूँ कि शायद इस में से कुछ लोग ऐसे निकल आयें जो महात्मा गांधी जी की शिक्षा को समझ कर उस के अनुसार काम कर सकें ।

## चिल्ड्रन्स होम

ता० ६ अप्रैल १९५० को बम्बई, चिल्ड्रन्स होम में राष्ट्रपति जी ने कहा—

संस्था के संचालकजी, भाइयो तथा बहिनो,

इस संस्था को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह की संस्था मैंने कहीं और दूसरी जगह नहीं देखी। हो सकता है कि ऐसी संस्था अन्यत्र हो पर मेरे देखने में न आई हो। यहां मैंने बच्चों को देखा, उन सब से मिला, उन के कार्य को देखा और यह सब देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैंने यह भी देखा कि इन बच्चों को यहां पर किस तरह से रखा जाता है। इस को तो आप भली भांति जानते ही हैं कि इस प्रकार की संस्था से देश को कितना बड़ा लाभ है। जो बच्चे किसी कारणवश किसी बुरी आदत में फस जाते हैं, उन का मुद्धार अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कारण से बुरी आदत में फसे बच्चों को मुद्धारना और उन्हें अच्छे और सीधे मार्ग पर चलाना आसान काम नहीं है। उन को इस योग्य बनाना कि वे भी अपने जीवन को ठीक प्रकार से निभा सकें और अपना जीवन उमी तरह चला सकें जिम तरह दूसरे अच्छे लोग समाज में रहते हैं, यह काम अत्यन्त प्रशंसनीय है। इस के लिये मैं आप को तथा संस्था में काम करने वाले सब लोगों को मुबारकवाद देना है। मुझे यह देख कर भी बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने यहां पर बहुत सी चीजें बनाई हैं। वे बहुत ही मुन्दर और काम की चीजें हैं। मैंने यह भी देखा कि यहां पर खेल कूद और कमरत द्वारा वे किस प्रकार अपनी शारीरिक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं और बिना तरह से मिल कर कवायद करते हैं। मुझे आशा है कि बाद में इस आदत के कारण उन में एक साथ मिल कर काम करने की आदत पड़ जायेगी। मैंने अच्छी तरह देखा कि बच्चों को यहां किस तरह रखा जाता है और अपने नाम के अनुरूप ही यह सच्चा कैदखाना न हो कर उन के अपने घर के ही गमान है। यहां उन को शिक्षा भी दी जाती है। नतीजा यह है कि सब का रहना सहन वैसा ही अनुशासनशील हो गया है जैसा कि किसी अच्छे बच्चे का होना चाहिये। बुरी सगत की वजह से जो बुरी आदत उन में पड़ गई होती है उन को यहां आहिस्ता-आहिस्ता निकाल दिया जाता है। जनता को भी चाहिये कि वह इस काम में हर प्रकार की सहायता दे।

यह सवाल बड़ा है कि आदमी गुनाह क्यों करता है ? विभिन्न विचार वालों ने इस के विभिन्न कारण बताये हैं उन में से कुछ का कहना है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उस को गुनाह करने के लिये प्रवृत्त करता है। अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण ही चोर चोरी करता है। पर दूसरों का विचार है कि परिस्थिति के कारण ही मानव गुनाह करता है। वे मानते हैं कि अगर उन परिस्थितियों को दूर कर दिया जाये तो सहसा लोगों का मन गुनाह करने की तरफ न जाये। इस मत में काफ़ी तथ्य नज़र आता है। इसलिये मैं समझता हूं कि हम को पहले परिस्थिति को सुधारना चाहिये। ऐसा कर के हम मनुष्य का चरित्र बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अच्छे बच्चे भी कभी कभी परिस्थिति का शिकार हो कर गुनाह कर बैठते हैं। यदि ऐसा प्रबन्ध हो जाये कि बुरी परिस्थिति को हटा कर अच्छी परिस्थिति लाई जाये तो संभवतः कोई भी बच्चा

गुनाह न करे। मेरा विचार है कि अगर किसी को अच्छी आदत के लिये प्रोत्साहन मिलेगा तो वह अच्छे काम करेगा। यदि कोई खराब होता है तो यह परिस्थिति का दोष है न कि उस बच्चे का। अगर हम अच्छी परिस्थिति पैदा करते तो बुरी आदतें खुद बखुद नष्ट हो जाती हैं और अच्छी आदतें बन जाती हैं और लोग अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो काम आप ने यहाँ शुरू किया है और जिस को यहाँ कई वर्षों से चलाया जा रहा है उस में और भी प्रगति होगी। आप के सूत्रों और भारतवर्ष के अन्य सूत्रों में भी ऐसा काम शुरू होना चाहिये। यदि बच्चे अच्छे हो जायें तो गांधी जी का राम राज्य स्थापित होने में देरी नहीं लगेगी। आइंदा भारत का सब कुछ इन बच्चों पर ही तो निर्भर करता है। अगर बच्चे बर्बाद हो गये तो सब कुछ बर्बाद हो जायेगा। इस लिये यह बड़ा महत्त्व का काम है। इस में जो भी खर्चा हो उस की हमें परवाह नहीं करनी चाहिये। वह खर्चा बर्बाद नहीं समझना चाहिये। मुझे बताया गया है कि सस्था का खर्च ७,३५,००० सालाना है। मैंने यह भी पूछा कि एक आदमी पर मालाना कितना खर्च आता है। मुझे बताया गया कि ८५० या ५०० के लगभग खर्च आता है, यानी प्रतिमास ४० रुपये। खर्च तो काफी है। पर हम खर्चों को इस स्थान से नहीं देखना चाहिये कि इस की मात्रा कितनी है। यह खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अगर यही बच्चे बुरे हो जायेंगे तो गवर्नमेंट को और अधिक खर्चा करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इन बच्चों का मुधार कर देती है तो समाज को बड़ा लाभ होगा। हमें इस खर्चों को इस दृष्टि से देखना चाहिये। बम्बई के व्यापारियों की दृष्टि में भी यह कोई बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा ही इन्वेस्टमेंट है। हर दृष्टि से इस तरह के काम होने की आवश्यकता है।

बच्चों से मेरा यह कहना है कि उन को अपना सौभाग्य समझना चाहिये कि वह ऐसी संस्था में पहुँच गये हैं। उन्हें संस्था को पूरा सहयोग देना चाहिये। और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उन में जो बुराई आ गई है उस को निकाल कर अच्छे बनें। जो बाहर की मदद हो सकती है वह तो मिलती ही रहेगी। सस्था के काम करने वाले लोग और बच्चे दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो और भी उन्नति हो सकती है। इस दृष्टि विद्वास के साथ आगे बढ़ जाइये कि जो आज बिगडा हुआ भी हो वह आगे चल कर अच्छा बन सकता है। और देश के लिये अच्छे काम कर सकता है।

मैं आप सब लोगों को फिर एक बार बधाई देता हूँ।

### आयुर्वेदिक चिकित्सालय बम्बई

ता० ६ अप्रैल १९५० को बम्बई, सिवान में आयुर्वेद प्रकाश मंडल के नये आयुर्वेदिक अस्पताल में राष्ट्रपति जी ने कहा—  
बहनों और भाइयों

यह संस्था ऐसे काम में लगी है जिस में मेरी अपनी दिलचस्पी काफ़ी रही है। आज कल भी आयुर्वेद से भारत में अनक लोगों को फायदा होता है। जब आप को दानी लोगों ने इस तरह से दल खोल कर संस्था चलाने के साधन दिये हैं तो मैं चाहता हूँ कि अब आप इस को इस खूबी से चलायें कि जिस से आयुर्वेद की उन्नति हो। आयुर्वेद के मार्ग में जो रोड़ा है उसे दूर

कर के इसे आगे बढ़ाइये ताकि यह संसार में अपना उचित स्थान पा सके। हृदय से मेरी यही कामना है और मुझे आशा है कि आप भी इसी नीति पर अमल करेंगे जिस से आयुर्वेद पुनः गौरवान्वित हो जाये--

### मद्य निषेध सप्ताह

बृहस्पतिवार ६ अप्रैल १९५० के सांयकाल ६ बजे चौपाटी बम्बई में मद्यनिषेध सप्ताह को शुरू करने के समय राष्ट्रपति जी ने कहा--

बहनो तथा भाइयो,

जब मेरे पास बम्बई के गवर्नर महोदय का और प्रधान मन्त्री का निमन्त्रण आया कि मैं आज के समारोह में आ कर शरीक होऊं तो मैं ने उसे मंजूर कर लिया। मेरे मंजूर कर लेने के बाद मेरे पास कई मित्रों के तार पहुंचे जिन में उन्होंने ने लिखा कि मुझे यह निमन्त्रण मंजूर नहीं करना चाहिये था क्योंकि मैं इस वक्त राष्ट्रपति की हैसियत के कारण किसी विशेष दल का नुमाइन्दा न हो कर सभी दलों का नुमाइन्दा हूं। बान ठीक है। चाहे इस के पहले मेरी जो भी हैसियत रही हो अब मेरी केवल एक ही हैसियत है और वह यह है कि मैं सारे राष्ट्र का नुमाइन्दा समझा जा सकता हूं। पर मैं यह नहीं मानता हू कि इस काम को करने में मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो राष्ट्र का काम नहीं है, किसी एक दल विशेष का काम है।

कुछ दिन पहले जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं ने सारे देश का दौरा किया था। उस वक्त कहीं कहीं कुछ सभाओं में कुछ थोड़े भाई काले झंडे ले कर आते थे और कहते थे "गो बैक"। जो लोग सभा में होते उन में से कुछ प्रदर्शनकारियों पर गुस्से होते। मैं ने कहा कि इस सभा में हज़ारों लोग हैं उन में से जो इस "गो बैक" के नारे से सहानुभूति रखते हों, मेहरबानी कर के अपना हाथ उठा दें। दस पांच इने गिने लोगों ने हाथ उठाये। इस के बाद मैं ने कहा कि जो लोग इस "गो बैक" के नारे से सहमत नहीं हैं वह भी अपना हाथ उठा दें। सारी सभा ने हाथ उठा दिये। जब मेरे पास इस तरह के पत्र आये तो मुझे यह पुरानी बात याद आई कि कुछ भाई तो चाहते हैं कि शराब बन्दी न हो, मगर यदि सारे देश की जनता की राय ली जाये, तो इस में कोई शक नहीं है कि उस का बहुत बड़ा बहुमत शराब बन्दी के पक्ष में होगा। इस लिये जिस तरह की उस सभा में मैं ने उन "गो बैक" कहने वाले भाइयों से कहा था कि सभा की राय है कि मैं नहीं आप "गो बैक" उसी तरह मैं उन भाइयों को भी जिन्होंने मुझे यहां न आने की राय दी थी यही जवाब देता हूं कि जनमत उन के खिलाफ है। मैं इस बारे में दृढ़ता से यह बात इस लिये कह सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि यह विषय आप की धारा सभा में आया था और वहां सब लोगों ने मिल कर इसे स्वीकार किया था।

उन दिनों भी जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता न आई थी, हमारे हज़ारों भाई बहिनों ने नशाबन्दी के लिये जेल खाने के कष्ट भोगे थे। उस वक्त हम सब लोगों से कहा करते थे कि नशाबन्दी होनी चाहिये। जब पिछला चुनाव हुआ तो चुनाव के लिये हम ने जो घोषणा

पत्र निकाला था उस में भी हम ने नशाबन्दी का खास तौर पर जिक्र किया था। घोषणापत्र के अनुसार जनता ने आज की धारा सभा के सदस्यों को चुना और तदनुसार ही उन लोगों ने यहां आकर यह निश्चय किया। इस लिये यह अब ऐसी बात नहीं है जिस के सम्बन्ध में किसी तरह के मतभेद की गुजाइश हो। हर हालत में प्रजातन्त्र में निश्चय करने का यही तरीका हो सकता है कि पहले जनमत जान लिया जाये और फिर जनमत के अनुसार प्रजातन्त्र अपना राजकाज चलाये। नशाबन्दी के सम्बन्ध में जनमत ने अच्छी तरह से अपनी राय जाहिर कर दी है। किसी भी प्रजातन्त्र के अन्दर जनमत जान लेने के जो भी तरीके हो सकते हैं वे सब तरीके बरत कर के हम ने जनमत को जान लिया है और मान लिया है। यों तो शायद ही कोई ऐसी बात होती है जिस के सम्बन्ध में सब के सब एकमत हों। कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जिन का दूसरों से किसी न किसी चीज में मतभेद रहेगा। मगर प्रजातन्त्र की कोई खास बात है तो वह यही है कि जब तक राय पक्की तरह से जान न ली जाये तब तक तो प्रत्येक आदमी को अधिकार हो कि वह अपनी राय सब को बतावे और समझाये। मगर जब एक बार यह मालूम हो जाये कि बहुमत किसी एक बात के पक्ष में है और वह बात ऐसी नहीं है कि जिसे हमारी आत्मा कबूल नहीं कर सकती तो हम को उसे मान लेना चाहिये और चाहे उम से हमारी राय न भी मिलती हो तो भी हम को उसके मूनायिक चलना चाहिये। मैं इस लिये कहता हू कि बम्बई सरकार ने जो यह निश्चय किया है कि सारे सूबे में, इस राज्य भर में, एक बारगी नशाबन्दी कर दी जाये, वह उम ने जनमत की आज्ञा का पालन करने के लिये ही किया है। इतना ही नहीं उम ने देश का बहुत बड़ा उपकार भी किया है।

इधर जब १९४६ ई० से कांग्रेस के लोग मन्त्रिपद पर जाये हैं, मुझे यह देखने का मौका तो नहीं मिला है कि नशाबन्दी के सम्बन्ध में लोग क्या कर रहे हैं। मगर मुझे सन् १९३७ ई० का कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव याद है जिस का मैं जिक्र यहां कर देना चाहता हू। हमारे सूबे में, बिहार में, यह प्रस्ताव किया गया कि वहां के जिस इलाके में शराब बहुत चली है वहां शराब बन्दी की जाये। वह इलाका था कोयले की खानों वाला इलाका जहां खानों में काम करने वाले मजदूर शराब बहुत पिया करते हैं। मैं वहां गया सारे इलाके में फिरा। जहां जहां दारू की दुकानें थी उन दुकानों में गया ओर वहां पर हज़ारों आदमियों से मिला। मैं ने उन से पूछा कि तुम क्यों शराब पीते हो? कोई साफ़ जवाब नहीं मिला। मैंने उन से पूछा कि क्या तुम्हारे बाल बच्चे इस को पसन्द करते हैं, तुम्हारी स्त्रियां इस को पसन्द करती हैं? बहुतेरों ने कहा कि नहीं। मैं ने यह भी कहा कि अगर इस के छोड़ देने से तुम्हारे बाल बच्चे अच्छा कपड़ा पहिन सकें, और अच्छा खाना खा सकें तो तुम इस को छोड़ देने के लिये तैयार हो जाओगे? उन्होंने ने कहा हां। यह चीज मिलती है इस लिये पीते हैं। मैं ने कहा, अगर ये दुकानें बन्द हो जायें, और यह चीज न मिले तो नहीं पीओगे? उन्होंने ने जवाब दिया, हां। यह मैं मानता हू कि जो लोग पीते हैं कम से कम उन में से बहुतेरे इसी कारण पीते हैं। हां पीछे चल कर वे पक्के हो जाते हैं। मगर मेरा खयाल है कि आरम्भ में अधिकतर ऐसे ही लोग होते हैं। जब उस इलाके में शराब-बन्दी की गई तो वहां की स्त्रियों ने हम सब को पहले आशीर्वाद दिया। उन्होंने ने कहा कि अब हम घर में सुख से रह सकती हैं। अच्छा खाने को मिलता है। थोड़े ही दिनों के बाद हम ने यह भी

देखा कि उन के हाथ में चांदी के कड़े दिखाई देने लगे। मजदूरो को काम देने वाले उनकी खानों के जो मालिक थे उन्होंने भी हम से कहा कि अब उन को अच्छा वेतन मिलता है क्यों कि अब वे कम ग़ैर हाज़िर रहते हैं और समय पर आ कर काम करते हैं। कोयला भी ज़्यादा निकालते हैं। इन सब चीज़ों को देख कर मेरे दिल में यह विश्वास हो गया है कि हज़ार रूकावटें भी हों तो भी हम को इसे जारी रखना चाहिये। हमारे सूबे में जो काम हुआ था वह सन् १९४० में फिर बन्द हो गया। इस लिये मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप बम्बई में इस काम को दूसरे तरीके से शुरू कर रहे हैं या यों कहिये कि पूरा कर रहे हैं। उन दिनों यह तरीका था, बम्बई में भी यही तरीका था और मद्रास में भी यही तरीका था कि कुछ ज़िलो को चुन लिया जाता था और उन ज़िलो में शराब बन्दी की जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता नये ज़िलो में भी शराब बन्दी लागू की जाती थी और यह उम्मीद की जाती थी कि इस तरह कुछ दिनों के बाद सभी जगहों में शराब बन्दी हो जायेगी। पर इस में यह दिक्कत होती थी कि आस पास के इलाके से कुछ लोग शराब बन्दी वाले इलाके में चोरी से शराब ला कर के बेचते थे और इस तरह उस इलाके में भी लोगों को शराब मिल जाती थी। इस लिये पूरी तरह शराब बन्दी करने में कठिनाई पड़ती थी। आप ने यह होशियारी की बात को कि सारे सूबे में एक साथ शराबबन्दी कर दी। पहले आप ने शराब बन्दी हफ्ते में दो दिन के लिये की, फिर पाच दिन के लिये और अब तो आप ने हफ्ते के सब दिनों के लिये लागू कर दिया है। जब शराबबन्दी हफ्ते में दो या पांच दिन के लिये ही थी तब भी आप ने यह नियम बना रखा था कि अन्य राशन की हुई चीज़ों की तरह शराब भी निश्चिन्त राशन ही में मिले। कोई दो दिन के अन्दर ही सात दिन के लिये शराब खरीद कर रख नहीं सकता था। उस का नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता शराब की खपत खत्म हो गई। जो लोग पहले आम पास से शराब लाया करते थे अब उन को ऐसा मौका नहीं मिलता। इस प्रकार आप सचमुच ही शराबबन्दी करने में कामयाब हुए हैं। आज से आप ने सारे सूबे में शराबबन्दी कर दी है, मुझे आशा है कि उम में आप को सफलता मिलेगी।

मुझे यह देख कर भी खुशी होती है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से इस का प्रबन्ध किया जा रहा है कि लोगों को मन बहलाव के लिये दूसरे सामान दिये जायें। मैं चाहता हूँ कि कानून पर ही भरोसा न कर के लोग अपनी समझ पर ही भरोसा करना सीखें। जो लोग इस रोज़गार में लगे हुए थे यानी शराब या शराब जैसी नशे की और चीज़ों के बेचने, बनाने में या और ऐसे कामों में लगे हुए थे उन के लिये दूसरे धन्धे जुटाने का प्रयत्न हमें करना चाहिये और हमारी कोशिश होनी चाहिये कि उस जमात में कोई ऐसा न रहे जाये जिस को बेकारी की मुसीबत का सामना करना पड़े। मैं आप को बधाई देता हूँ कि आप सोच समझ कर इस काम को कर रहे हैं और चला रहे हैं।

गवर्नमेन्ट को जो कुछ करना है वह तो वह कर ही रही है। मगर यह काम ऐसा है कि जो गवर्नमेन्ट का ही काम नहीं है। अगर सच पूछा जाये तो असल में यह काम जनता का है। अगर कोई शराब पीना न चाहे तो गवर्नमेन्ट के बेचने पर भी उसे खरीदेगा कौन? गवर्नमेन्ट को तो इस मामले में पड़ने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब लोग नशा खाते पीते हैं। आप जो जनसाधारण यहां इकट्ठे हुए हैं, ऐसा न समझें कि आप का काम समाप्त हो गया है क्यों कि गवर्नमेन्ट ने शराब



बन्द कर दी है। यह तो आप का काम है कि आप सारी जनता में ऐसी भावना पैदा कर दें कि इस की ज़रूरत ही न रह जाये कि गवर्नमेन्ट को कानून के ज़रिये इसको रोकना पड़े बल्कि हालत यह हो जाये कि अपनी ही मर्जी से लोग अपनी ही ख्वाहिश से लोग इस का तिरस्कार करने लगे और इसे हमेशा के लिये छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं।

हमारे देश में इस के लिये काफ़ी सुविधायें भी हैं पश्चिमी देशों में और हमारे देश में बहुत अन्तर है। आज तक हमारे देश में इस चीज़ को समाज ने उस तरह ग्रहण नहीं किया जिस तरह पश्चिम के बहुतेरे देशों ने शराब को ग्रहण कर लिया है। अर्थात् वहाँ शराब को पीना समाज में बुरा नहीं समझा जाता। यानी मामूली तौर से शराब पीने को खराब नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज ने तो इस चीज़ को बुरा माना है और अगर कोई पीता है तो ऐसा करने में वह ज़रा शर्माता है। थोड़े ही ऐसे लोग हैं जो इस बात से नहीं शर्माते। जो पीते हैं वे भी समझते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिस को समाज पसन्द नहीं करता। हमारी धार्मिक संस्कृति और समाज ने इस को मना किया है। जब ऐसी बात है तो हमारा काम और भी सीधा हो जाता है और वह सीधा होना भी चाहिये। इस लिये मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेन्ट अपना काम कर रही है उसी तरह जनता भी अपना काम करेगी तो यह पाप हमारे यहाँ से हमेशा के लिये दूर हो जायेगा। महात्मा गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि यह चीज़, यह बुराई हमारे देश से दूर हो जाये। उन्होने देखा और समझा था कि इस के कारण न केवल पैसे की ही बल्कि चरित्र की भी हानि होती है। मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, जानवर बन जाता है। इस लिये कोशिश इस बात की की जानी चाहिये कि इस को लोगों की ओर से बन्द कर दिया जाये ताकि मनुष्य मनुष्य बना रहे। इस का लोगों में प्रचार किया जाना चाहिये कि मनुष्य जान बूझ कर पशु न बने। आज गांधी जी की इच्छा पूर्ण हो रही है यह देख कर उन की आत्मा को ज़रूर प्रसन्नता होगी। गांधी जी ने देश के लिये बड़े बड़े महत्व के काम किये। आखिर उन की इच्छा के अनुसार इस बम्बई शहर के अन्दर ही आप ने शराब बन्दी करने का व्रत लिया है। यहाँ जो इतने भाई बहिन इकट्ठे हुए हैं उन्हें देख कर मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको शक्ति दे कि आप इस में कामयाब हों।

### वेमानिकों को उपदेश

बृहस्पतिवार, ता० ७ अप्रैल को जूहू, बम्बई के हवाई अड्डे पर सांयकाल साठ आठ बजे राष्ट्रपति जी ने कहा—

शारमी मैन, केडिट प्रैन, और भाइयो,

आप लोग यहाँ जो काम सीख रहे हैं उस की देश को बहुत ज़रूरत है। सारे संसार में आज कल दिन ब दिन हवाई जहाज़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है और इन के ज़रिये न सिर्फ एक जगह से

दूसरी जगह यात्री ले जाये जाते हैं और न केवल उन से लड़ाई में ही काम लिया जा रहा है बल्कि आज कल उन के द्वारा माल भी ऐसी-ऐसी जगहों में पहुंचाया जा रहा है जहां उस का पहले पहुंचाया जाना मुश्किल था। हाल ही में भारत में भी ऐसे मौके आये थे। हमारे देश के पूर्व के कोने में आसाम है। पर उस के और बाकी भारत के बीच पूर्वी पाकिस्तान का बहुत बड़ा भाग है। इस लिये रेल से वहां जाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में हो कर आज कल भी जाना पड़ता है और ऐसा किये बिना भारत से वहां रेल के ज़रिये आज कल नहीं पहुंचा जा सकता। इस वजह से वहां से भारत माल आने में बड़ी दिक्कत होती रही है और फलस्वरूप वहां का कारोबार बन्द सा हो गया है। वहां नारंगी नीबू बहुत होते हैं। इन चीजों की पूरी खपत वहां नहीं है। पहले ये चीज भारत के अन्य भागों को निर्यात होती थी पर अब यह काम उस हद तक नहीं हो पाता है। वहां के लोगों को इस वजह से बहुत कष्ट होता था। इसे दूर करने के लिये हमने हवाई जहाज से माल ले जाने का प्रबन्ध कर दिया है। आवश्यक चीजों को हवाई जहाज द्वारा वहां पहुंचा देते हैं और हवाई जहाज द्वारा वहां की पैदावार को कलकत्ता ले आते हैं। इस प्रकार हवाई जहाजों की सहायता से हम यह मुश्किल दूर कर सके हैं। इस से स्पष्ट है कि हवाई जहाज में किस तरह यातायात की और अन्य तरह की समस्यायें हल की जा सकती हैं और की जा रही हैं। इस लिये हवाई जहाज का काम सीखना आज कल बड़ा ही आवश्यक है। मुझे भरोसा है कि इस महत्वपूर्ण काम को सीखने में आप को पूरी सफलता मिलेगी और इस के बाद इस से आप को जीवन में भी सफलता मिलेगी।

यह देख कर तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि यहां पर सिर्फ नौ जवान ही नहीं बल्कि युवतिया भी काम सीख रही हैं। मुझे आशा है कि यहां से आप अपना यह काम अच्छी तरह सीख कर निकलेंगे और अपनी योग्यता से सब लोगों की ऐसी सफल सेवा करेंगे कि वे आप के कार्य से पूर्ण सन्तुष्ट हों और आप की प्रशंसा करें।

### सिखों द्वारा अभिनन्दन

ता० १३ अप्रैल १९५० को बैसाखी दिवस के अवसर पर सिखों द्वारा दिये गये मानपत्र के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रीमान् महाराजा साहब, सिख भाइयो तथा बहिनो,

आप ने जो मेरा मान किया उस के लिये मैं आप को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज से नहीं जब से सिख धर्म का प्रचार हुआ हिन्दुस्तान के सिख बहुत बड़े-बड़े काम करते रहते। हिन्दुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि सारे संसार के इतिहास में उन की एक खास जगह है। उन का इतिहास ऐसा है कि उसे पढ़ कर सभी लोग बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं।

अपने मानपत्र म आप ने ठीक ही कहा है कि इस शहर के अन्दर भी और में समझता हूँ कि पंजाब के बड़े बड़े शहरों में और बहुत सी जगहों में आज भी ऐसे अनेक मुकामात मिलते हैं जहा पर आप लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानिया दी है और आप के वजुर्गों ने बड़े बड़े त्याग किये थे। शहादत के ये निशानात, जो कोई देखना चाहे, देख सकता है। सारी दुनिया के लोग देख सकते हैं। उन्हे आम लोग देख सकते हैं। जब हम इस देश की आजादी के काम में लगे हुए थे, उस वक्त भी जो कुछ आप ने किया वह हम लोगों के दिल पर, जो उस काम में लगे हुए थे, हमेशा के लिये नक्श रहेगा।

अभी हाल में मुल्क के बटवारे के बाद जो मुसीबते आप पर आई और जिस तरह से और जिस बहादुरी के साथ आप ने उन का मुकामिला किया वह भी इतिहास के लिये बहुत बड़ी चीज है। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, आप पर हमेशा भरोसा रखते हैं, और चाहते हैं कि आप भी एक दूसरे पर वैसा ही भरोसा और प्रेम रखें। इसी में इस देश की भलाई है। आज का दिन भी हमारे नये युग के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज ही के दिन जलियावाले बाग में, उस शहर में जो सिखों का सबसे पवित्र मन्दिर स्थान समझा जाता है और उस मन्दिर के नजदीक में ही कुछ वाकयात हुए और उन के कारण हिन्दू, मुसलमान और सिख सब ही का खून एक साथ बहा। उसी खून से मुल्क के अन्दर आजादी की धारा निकली और उसी के फलस्वरूप हम सब ने अब आजादी हासिल कर ली है। इसी खून बहाने का यह नतीजा था कि हम इस मुकाम तक पहुँच पाये और दुनिया के रयतन्त्र देशों में हमारा दर्जा ऊँचा हो गया। आज ही आप के पंच प्यारे पैदा हुए। आज के ही दिन हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में नया शोला पैदा हुआ जिस ने हमारी सब मुसीबतों को जला दिया और हमें आज आजाद बना दिया। इस शोले ने आप लोगों को भी नये जोश से भर दिया। इस तरह आज का दिन आप के पुगने इतिहास और भारत के नये इतिहास को जोड़ने वाली कड़ी है। मेरे दिल में जरा भी शक नहीं है कि जो मुसीबतें आप के सामने हैं वे सब मुसीबतें दूर हो जायेंगी और फिर आप उसी तरीके से रहेंगे जिस तरह कि आप पहले रहा करते थे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में यकीन है और आप में हिम्मत है। अपनी मेहनत से आप ने पश्चिमी पंजाब के उजड़े हुए हिस्सों को बिल्कुल ताजा बना दिया है। आज आप उन को छोड़ कर निकल आये हैं। पर मुझे यकीन है कि आप जहा पर भी रहेंगे, उस हिस्से को उसी तरह सुन्दर और शादाव बना कर ही आप चैन लेंगे जिस तरह कि आप ने उन उजड़े हुए हिस्सों को शादाव बना कर चैन लिया था। इस लिये आप के मुस्तकबिल के सम्बन्ध में मेरे दिल में जरा भी शक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसमें सारा देश भी आपके साथ है आपका भविष्य सारे भारतवर्ष के भविष्य के साथ इसी तरह जुटा हुआ है, मिला हुआ है जिस तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस लिये हम सब का फर्ज है कि हम आपस में मिल कर के अपने भविष्य को सुन्दर बनायें।

हाल ही में, जैसा कि आप को मालूम है, पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता हुआ है। इस समझौते ने नया रास्ता दिखाया है। मगर इस में कामयाबी तभी हो सकती है जब कि हम

उस के मुताबिक चलने की दिल से कोशिश करे और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस की तरफ न देखें। हम अपनी तरफ से इसे कामयाब बनाने के लिये सब कुछ करना चाहिये। इस में सब के सहयोग की जरूरत है। कहने की बात नहीं कि हम सब को दूसरे के साथ मिल कर काम करना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इस मे देश का साथ देंगे और आप लोगों का जो फर्ज है उसे आप पूरा करेगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि दूसरी तरफ के लोग भी अपने फर्ज को महसूस करेगे और इस समझौते को कामयाब बनाने में अपनी हुकमत का हाथ बटायेगे। जो कुछ अपनी तरफ से गवर्नमेन्ट कर सकती है वह करती ही रहेगी।

गवर्नमेन्ट आप की दिक्कतों को खूब महसूस करती है। हाँसले से आप ने इन तमाम मसीबतों को बर्दाश्त किया है उस को भी वह महसूस करती है। गवर्नमेन्ट यह भी जानती है कि आप उस को कितनी मदद कर सकन है और कितना काम कर सकते हैं। इस लिये आप इस बात से निश्चिन्त रहें कि गवर्नमेन्ट की तरफ से आप के लिये कोई गफलत नहीं होगी। यह हाँ सकता है कि ऐसे भी मौके आये जिस में गवर्नमेन्ट चाहने पर भी बहुत कुछ न कर सके। इतने बड़े मुल्क में इस तरह की बाते होना मुमकिन है पर हर हालत में आप लोगों को गवर्नमेन्ट पर पूरा भरोसा रखना चाहिये। अगर हम एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ काम करते रहेगे और एक साथ मिल कर चलेंगे तो हम सब की जितनी भी मुसीबत है, जितनी भी दिक्कत है वे सब हमेशा के लिये दूर हो ही जायेगी। हमें ईश्वर का नाम ले कर आगे बढ़ना चाहिये।

आप ने मुझे यहा बुला कर जो मेरा मान बढ़ाया है इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

### रोशनारा क्लब में अभिनन्दन

१५ अप्रैल १९५० के शाम को सवा छः बजे रोशनआरा क्लब के सदस्यों द्वारा दी गई दावत में राष्ट्रपति ने कहा—

श्री शंकर प्रनाद, श्रीमन्, क्लब के सदस्या, वहां और भाइयो,

मुझे यकीन है कि इस क्लब का पैट्रन बनने का जो न्यौता मुझे दिया गया था उस को स्वीकार कर के मैं ने कोई गलती नहीं की है। जिन परिस्थितियों में इस क्लब का जन्म हुआ था उन में, और अपने जन्म दिन से, यह बिना किसी भेद भाव के सब समुदायों के सद्भावना रखने वाले व्यक्तियों को एकत्रित करने के जिस काम में लगा हुआ है वह वास्तव में ऐसा काम है जिस की सबसे अधिक आवश्यकता हमें इस देश में है जिस में अनेक प्रकार की जातिया, अनेक प्रकार की भाषाओं के बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले नर नारी बसते हैं और आज कल जिस में हमारे देश के ही लोग नहीं वरन् अनेक विदेशों से आये हुए नर नारियों की भी बड़ी

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

काफी संख्या है। देहली भारत की राजधानी है, स्वभावतः अनेक देशों के लोगों को यह आकृष्ट करती है। ऐसे स्थान में इस प्रकार के क्लब का अपना विशिष्ट महत्व है। इस लिये ऐसे क्लब की स्थापना और कायम रखने का मैं स्वागत करता हूँ जो शताब्दि के चतुर्थांश से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करता रहा है।

नई दिल्ली में राजधानी स्थापित हो जाने के पश्चात् यह स्थान कुछ अगम्य सा हो गया है या कम से कम वे लोग जो नगर के उस पार रहते हैं उन में से बहुत से यहां आसानी से नहीं आ सकते। मुझे यकीन है कि अगर नई दिल्ली में राजधानी के पश्चात् इस की स्थापना होती तो सम्भवतः यह भी वही होता; यद्यपि उस हालत में इस के पास इतने विस्तृत और सुन्दर मैदान और बाग़ीचे न होते जैसे कि नगर के इस ओर इस के पास है। फिर भी इस क्लब की लोकप्रियता का यह अच्छा सबूत है कि इस बड़े नगर में रहने वाले सब वर्गों के लोगों में से इस के बहुत काफी सदस्य हैं। मेरा यह विचार सर्वदा रहा है कि सामाजिक स्तर पर भेंट करना मिलने का सब से अच्छा ऐसा तरीका है जिसे हम अपना सकते हैं। वहा हम दफ़्तर की बात भूल जाते हैं; दिन भर जिस काम में हम परेशान रहते हैं उस काम की बात भूल जाते हैं और सरकार में या व्यापार में या जीवन के किसी और अन्य क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन सब व्यक्तियों की जो स्वाभाविक बहुत सी चिन्ताये होती हैं उन सब को वे भूल जाते हैं। इस प्रकार की सस्था के महत्व को बड़ा चढ़ा कर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि हम यह जानते हैं कि आधुनिक काल में मनुष्य का जीवन एक सतत दौड़ का जीवन है; आजकल हम एक न एक काम में लगे ही रहते हैं; किसी न किसी संकट काल में सर्वदा ग्रस्त रहते हैं। ऐसे युग में ऐसे स्थान का जहां हम चिन्ताओं से मुक्त हों, जरा आराम की सांत्न ले सके और जहां दूसरों से समता मैत्री, और भ्रातृता के नाते मिल सकें बहुत ही मूल्यवान है। इस का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब आप यहा खेल कूद का और ऐसी अन्य बातों का भी प्रबन्ध कर लेते हैं जिन के कारण विभिन्न समूहों और विभिन्न वर्गों के लोगों को यहा आने का विशिष्ट आकर्षण हो जाता है। ऐसी बातों से सस्था का उपयोग बहुत बढ़ जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि यहा खेलों और अन्य सामाजिक कार्यों का ही प्रबन्ध नहीं है वरन् आप के यहा ये प्रशस्त मैदान भी है जो स्वयं भी उन लोगों के लिये काफी आकर्षक होते होंगे जो आप की सस्था के सदस्य बनना चाहते हैं।

मुझे हर्ष है कि आप ने यहा इतने मित्रों से मिलने का मुझे अवसर दिया और मुझे आशा है कि अपने अन्य कार्यों और चिन्ताओं में व्यस्त रहने के बावजूद यदा कदा मेरे लिये यह सम्भव होगा कि मैं जब चाहूँ आप के यहां आ सकूँ जिस से कि हम लोग मिल सकें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें जैसा कि हम अभी कर सकते हैं जब कि हम अन्य रीति से मिलने के बजाय सामाजिक क्षेत्र में आपस में मिलते हैं।

आप ने मेरा जो स्वागत किया और इस क्लब का पैट्रन बनने की दावत देकर आप ने जो मेरा आदर किया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

## दिल्ली विश्वविद्यालय का विशेष समावर्तन

\*१६ अप्रैल सन ५० को प्रातः दस बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष समावर्तन समारोह में कुलपति ने कहा—

सर मौरिसगौयर, बहनो और भाइयो,

मैं इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि आज प्रातःकाल के सुखद समारोह में मैं भाग ले सका। सर मौरिसगौयर इस देश में अब काफी दिनों से हैं और विश्वविद्यालय से उन का सम्बन्ध लगभग १२ वर्ष से है। विधिविज्ञ के नाते उनकी बड़ी ख्याति है और उसी रूप में वे यहाँ आये थे तथा हम सब यह जानते हैं कि सन् ३५ का जो भारत सरकार अधिनियम हमारे संविधान का, जिसे हमने अभी हाल में स्वीकार किया है, बहुत अंश में और बहुत बातों में मूलस्वरूप के समान रहा है उसके मसविदा बनाने में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण भाग लिया था।

इस विश्वविद्यालय में उनका कार्य अभूतपूर्व रहा है। अपने काम में उन्होंने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य और अपनी तीक्ष्ण न्याय बुद्धि का ही प्रयोग नहीं किया है वरन् उसमें एक नवयुवक का उत्साह भी लगाया है। इस विश्वविद्यालय में जो १२ वर्ष उन्होंने व्यतीत किये हैं उनमें वह जैसा कि आपने उल्लेख में ठीक ही कहा है इस विश्वविद्यालय के निर्माता सिद्ध हुए हैं। यह विश्वविद्यालय इस काल में बराबर तरक्की करता गया है और जैसा कि आपने कहा है इसमें नये नये विभाग नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खोले गये हैं और दिन ब दिन नयी इमारतें बनी हैं या बन रही हैं।

कितना अच्छा होता यदि हमारे अन्य अवकाश प्राप्त लोग अपने पद भार को छोड़ने के पश्चात् इसी उत्साह और इसी लगन से शिक्षा कार्य में लग जाते जिस से कि सर मौरिसगौयर ने इस विश्वविद्यालय की सेवा की है। यदि वे ऐसा करे तो हमारे विश्वविद्यालय उनकी सेवा से समुन्नत हो जायेंगे। और हमारे नौजवानों के सामने यह महान् उदाहरण होगा कि हमारे देश की महान् विभूतियों में से कुछ ने विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपने जीवन कार्य को समाप्त किया है।

सर मौरिसगौयर, मैं यह चाहता हूँ कि आपका अवशिष्ट जीवन, जो आप अपने प्रिय देश में व्यतीत करेंगे, सुखमय हो और आपको यह आश्वासन दिलाता है कि आप अपने पीछे बड़ा सुन्दर उदाहरण हम लोगों के अपनाने के लिये छोड़े जा रहे हैं और भारत में आपने जो सेवाएँ की हैं उनको न केवल यह विश्वविद्यालय ही वरन् वे लोग भी जो आप के इस कार्य की जानकारी हासिल करेंगे सर्वदा स्मरण रखेंगे। एक बात और है जिसकी घोषणा मैं अभी कर देता हूँ और वह यह है कि दिल्ली के विश्वविद्यालय से सर मौरिसगौयर का जो सम्बन्ध रहा है उस की यादगार में यूनिवर्सिटी हाल को गायर हाल और राजपुर कालोनी को मौरिस नगर नाम देने का फ़ैसला विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने किया है। जो आप का यहाँ आदर है और यश है उस का

तो यह एक छोटा ही प्रतिमान है और मैं यह जानता हूँ आपका नाम इन संस्थाओं से जुड़े होने के कारण नहीं बल्कि आपने जो महान् सेवायें की हैं उन के कारण यहाँ स्मरणीय रहेगा।

### जैनों द्वारा अभिनन्दन

ता० १६ अप्रैल १९५० को सायकाल ६ बजे, लेडी हार्डिंग कोलेज के मैदान में अखिल भारतीय जैन महासभा के सश्यों द्वारा किये गये स्वागत के उत्तर में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

सज्जनो और देवियो,

मुझे आदर देने के लिये आपने जो यह समारोह किया है और आपने जिस उत्साह और प्रेम के साथ, मेरा स्वागत किया है, इसके लिये मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ?

जो मानस्य पढ़ कर आपने मुनाया और उसके पहले जो स्वागत भाषण आपकी तरफ से किया गया, इन दोनों में आने पूज्य महात्मा गाँधी जी के उन विचारों और शिक्षाओं की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित किया है जिन पर कुछ हद तक चलकर इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। ये हमारे देश के लिये कोई नयी चीज़ या नये सिद्धान्त नहीं है। अत्यन्त प्राचीन काल से हमारे देश में जितने धर्मग्रन्थ बने हैं और जितने धर्मगुरु हुए हैं, सभी ने उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है और प्रचार किया है। मेरा यह सीमाप्य है कि मैं उस प्रान्त में जन्मा जो इन सिद्धान्तों की जन्मभूमि है। आपने ठीक ही कहा है कि इस प्रान्त की भूमि का कण कण इन सिद्धान्तों के प्रवर्तन करने वाले उन महात्माओं के पदरज में इस तरह पावन और पवित्र हुआ है कि जिसका उदाहरण संसार के किसी भी भाग में नहीं मिलता। इतिहास की यह बात मुझे सर्वदा स्मरण रहती है। लगभग एक ही युग में बुद्धदेव और महावीर स्वामी गंगा के उत्तर से गंगा के दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक बिहार के गाँव गाँव में फिरे और उन्होंने स्थान स्थान पर धर्म का प्रचार किया। उस समय के भाग्यशाली लोगो ने उनके न केवल दर्शनों का ही लाभ उठाया बल्कि उनके वचनमृत से अपने को पावन भी किया। प्रायः २५०० वर्षों के बाद उसी प्रकार का एक महात्मा इस देश में पैदा हुआ। उसने वैसे ही सिद्धान्तों द्वारा हमारी मरी हुई हड्डियों में जान फूकी और हमें इस योग्य बनाया कि हम अपना सिर उठाकर आज संसार के दूसरे देशों से आँखें मिला सकते हैं।

हम लोगो पर जो आज इस वक्तु इस देश के, इस स्वतंत्र देश के, राजकाज के कामों में लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ी भारी जवाबदेही और जिम्मेदारी आयी है। वह यह है कि हम इस देश के कारबार को इस तरह से चलायें कि जिसमें उन सिद्धान्तों की रक्षा हो और उनकी रक्षा करते हुए हम उनका प्रचार भी कर सकें। किन्तु दुःखकी बात है कि हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात् इस देश के कुछ हिस्सों में कुछ इस तरह की घटनाएँ घटी हैं और कुछ इस तरह

की बातें हुई है जो इन सिद्धान्तों के सिर्फ विपरीत ही नहीं है बल्कि जो एक प्रकार से उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर सकती है। इसलिये आज हम सब पर और विशेष करके उन समाजों पर, उन धर्मों के अनुयायियों पर, जो इन सिद्धान्तों को हमेशा से मानते चले आये हैं, एक और भी अधिक जिम्मेदारी आगयी है। वह यह है कि जिन सिद्धान्तों को आज तक वे बराबर से सीखते आये हैं और जिनका एक प्रकार से पुनरुत्थान महात्मा गाँधीजी ने किया है, उनको वे फिर ताज़ा करें और जहाँ तक उनसे हो सके अपने जीवन से, अपने कर्म से, और अपने कार्यों से उन सिद्धान्तों की रक्षा करें।

आपने सच ही कहा है कि अभी हाल ही में इसी शहर के अन्दर जो समझौता हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ किया है, उससे आशा की किरण नज़र आ रही है। मुझे आशा है कि यह किरण दोपहर के सूरज की किरण की तरह तेजमयी होगी और आज इस वक्त तक जिस अंधेरे में हम रहे हैं उस अंधेरे से हमको वह किरण त्राण देगी और हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में सुख शान्ति का प्रकाश फैलाएगी।

जब से मैं इस पद पर आया हूँ, तब से मुझे कई प्रकार के लोगों ने बुला बुला करके मेरा सम्मान किया है और आदर दिखलाया है। जब जब लोगों की ओर से इस प्रकार मेरा आदर सत्कार हुआ है मैंने उस आदर और प्रेम को नम्रता के साथ स्वीकार किया है। पर मेरे मन में यह प्रश्न पैदा हुआ है कि क्या सचमुच यह जरूरी है कि यह स्वागत सत्कार देश के लोग अलग अलग बंटी टुकड़ियों में करें? क्या यह संभव नहीं कि देश के हर विभाग के लोग उसी प्रकार एक साथ मिलकर ऐसे समारोह का आयोजन करें जिस प्रकार कि संविधान द्वारा हमने सबको एक ही राष्ट्र माना है? जब आपने मुझे यहाँ आने के लिये निमंत्रण दिया तो मेरे मन में यह प्रश्न प्रतिध्वनित हो गया। मैंने आपका आग्रह माना किन्तु मेरे मन में अब भी यह प्रश्न बार बार उता है। मेरा विचार है कि इस तरह अलग अलग कभी सिवों की तरफ से, कभी जैनियों की तरफ से और शायद किसी और जाति या संप्रदाय की तरफ से इस प्रकार का समारोह किया जाना ठीक नहीं। मैं यह पसन्द करूँगा कि आगे इस प्रकार का समारोह किसी एक विशिष्ट संप्रदाय या जाति की ओर से आयोजित न किया जाये और यदि कोई भाई इस प्रकार के आयोजन का विचार कर रहे हों तो वे उस विचार को छोड़ दें। मैं जानता हूँ कि यह स्वागत आपके प्रेम का द्योतक है। मैं यह भी जानता हूँ कि जो प्रेम और आदर आप दिखलाना चाहते हैं वह पूर्णतया हादिक है, ऊपरी नहीं। उसके लिये मुझे कृतज्ञ होना चाहिये और सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ। किन्तु साथ ही मैं यह भी कह देना उचित समझता हूँ कि जैसे हमने अपने अपने संविधान में इस समूचे देश के सब वासियों को अलग अलग न मानकर एक राष्ट्र माना है उसी तरह हम यह चाहते हैं कि सब लोग एक राष्ट्र होकर, एक जाति होकर रहें। हम केवल धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में कोई विभेद नहीं करना चाहते। राजकीय क्षेत्र में हम उन सब को एक समान ही मानते हैं। डॉ. अपने



व्यक्तिगत मामलों में जो जिस धर्म को मानना चाहे माने और उसके अनुसार चले। वैयक्तिक क्षेत्र में उसको बैसा करना ही चाहिये। उसी में उसकी उन्नति होगी। सरकार की तरफ से उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं की जायेगी। हमारे संविधान ने इस बात का आश्वासन ही नहीं दिया है वरन् आज देश के जितने सेवक हैं और जिन लोगों के हाथों में इस वक्त देश के शासन की बागडोर है उनका यही दृढ़ मत है और उनका आचरण भी इसी के अनुकूल है। सब धर्म और मतों के माननेवाले उनके लिये बराबर का दर्जा रखते हैं। उनकी ओर से किसी के धर्म में कोई बाधा पड़ने का डर ही नहीं है। अपने व्यक्तिगत कामों में और अपने धार्मिक स्थानों में जहाँ भी आप मिले अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने लिये रखकर उन पर अमल कर सकते हैं। किन्तु जहाँ आप सार्वजनिक काम के लिये इकट्ठे हुए हों वहाँ आपको केवल अपनी धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरित न होकर एक राष्ट्र के नागरिकों की दृष्टियन में ही और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही मिलना अच्छा होगा।

हमारे देश की हमेशा से यह बदकिस्मती रही है कि हम बहुत दिनों में अलग अलग टुकड़ों में बंट गये हैं। हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग अलग है, हमारे अन्दर प्रान्तीय भावना बहुत भरी हुई है। किन्तु अब पारस्परिक द्वेष और संकुचित दृष्टिकोण दूर करना है। आप जैनों में दिगम्बर, श्वेताम्बर, न मालूम और कितने प्रकार के पंथ हैं। इसी तरह में हमारे मुसलमान भाइयों में भी शिया और सुन्नी का झगड़ा है। सिखों के अन्दर भी नामधारी अकाली इत्यादि हैं। इसी तरह कोई ऐसा सम्प्रदाय नहीं है और न कोई जाति है जिसमें प्रकार प्रकार के विभेद पैदा नहीं हो गये हों। इन सब विभेदों के आधार पर यदि जातीय द्वेष पैदा हो तो उत्तम देश की खतरा है। देश की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि हम तद् जन्य किसी जातीय द्वेष को न रहने दें।

आपने जो इतने प्रेम से मुझे बुलाया और अपनी तरफ से सेवा करने का आपने मुझे यह मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं यह फिर दुहरा देना चाहता हूँ कि अगर कोई अन्य भाई मेरा इस तरह से अलग रीति से स्वागत करना चाहते हों तो मैंने जो बात अभी कुछ देर पहले कही है उसको ध्यान में रखकर ऐसे आयोजन की बात सोचें।

मैं आशा करता हूँ कि महात्माओं और स्वामियों ने हमें जो सिखाया है, उन सिद्धान्तों पर हम चलेगे। उन सिद्धान्तों की आज हमारे ही देश को नहीं सारे संसार को बड़ी जरूरत है। मुझे यह भी आशा है कि आप अपने धर्म पर चलकर उन सिद्धान्तों को पुनर्जीवित करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपके धर्म में प्राणिमात्र के साथ प्रेम करना सिखाया गया है। अगर हम मनुष्य मात्र के साथ ही प्रेम करना सीख लें और अमल करे तो भी यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी बात होगी और इससे हम सबका कल्याण होगा। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि वह सिद्धान्तों पर अमल करने में हमारी सहायता करे।

## कान्सटीट्यूशन क्लब में अभिनन्दन

\* १७ अप्रैल सन् १९५० को कान्सटीट्यूशन क्लब की गर्वनिंग बोडी द्वारा किये गये स्वागत समारोह के अवसर पर संसद् के सदस्यों के सामने राष्ट्रपति ने कहा—

श्री मावलंकर जी, बहनों और भाइयो,

संसद् के इतने सदस्यों और दिल्ली के इतने नागरिकों से भी मित्रों का जो यह अवसर आपने मुझे दिया है - उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। इस प्रकार की संस्था का महत्व सर्वदा इसी बात में होता है कि यह विभिन्न धर्मों के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लोगों को कुछ मनोविनोद का अवसर प्रदान करती है और साथ ही उन को एक दूसरे से सम्पर्क में आने और एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का भी मौका देती है। इस प्रकार की संस्था का यही सबसे बड़ा महत्व है। मुझे वैयक्तिक रूप से इस बात का हर्ष है कि जब यह क्लब सन् ४७ के वर्ष में शुरू किया गया था तब मैं सचिवालय तथा अध्यक्ष था। और तब से यह और भी अधिक फूला फला है और लोकप्रिय हुआ है। मुझे यह आशा है कि आप के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और कुछ समय पर्यन्त आप को यह आवश्यकता न रहेगी कि आप सदस्यों के दो प्रकार रहें। क्योंकि मेरा यह मत है कि भविष्य में संसद् का कार्य बहुत कुछ निरन्तर चलता रहेगा। तथा संसद् के सदस्य यहाँ से अपनी अनुपस्थिति के कारण अन्य सदस्यों की अपेक्षा किसी प्रकार की गियायत न तो मांगेंगे और न मांगने के हक्दार ही होंगे। मुझे यह भी आशा है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को आपस में मिलाने के लिये यह क्लब अधिकाधिक और उत्तमोत्तम कार्य करेगा और उन्हें आपस में विचार विनिमय करने की सुविधा देगा जिसमें कि वे जीवन के जिस क्षेत्र में भी हो अधिक उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकें।

मुझे इस बात से हर्ष है कि आप लोग यहाँ खेलों का इन्तजाम करने की बात भी सोच रहे हैं। मैं नहीं समझता कि संसद् के सदस्यों को जिन का सांग समय संसद् में ही व्यतीत होता है इस बात का भी अवसर मिलना है कि वे संसद् भवन में कहीं किसी प्रकार के परेल् खेल भी खेल लें। मुझे मालूम है कि वारलडवैरी में कुछ इस प्रकार के खेलों का प्रबन्ध होता है और वहाँ लोग मनोविनोद में कुछ समय व्यतीत करने का मौका पाते हैं। यद्यपि चाहे यह सर्वदा वांछनीय और लाभदायक न भी हो किन्तु मेरा विचार है कि अभी हमारे विधि-निर्माता इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाये हैं। अतः यह आवश्यक है कि संसद् सदस्यों के लिए ऐसा क्लब हो जहाँ कि उनको ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हों। चूँकि यह क्लब उस जगह से थोड़ी दूर पर ही है जहाँ कि अर्थात् कान्सटीट्यूशन हाउस में उनमें से बहूतों का निवासस्थान है इसलिये इस क्लब की उपयोगिता बढ़ गयी है। इस क्लब की उपयोगिता को समझ कर सरकार इसको मदद देती रही है। पर ऐसा करके उन्होंने गैर मामूली बात भी नहीं की है। मेरी कामना है कि आप के क्लब को हर प्रकार की सफलता मिले। मुझे यह भी आशा है कि आप

अपने सदस्यों से मिलने का मुझे यदा कदा अवसर देंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि संसद् के सदस्यों से मिलने के लिये यह क्लब मुझे गीके अवश्य प्रदान करेगा और इस प्रकार मुझे उन निधन्त्रणों से जो मेरे वर्तमान पद के कारण मेरे आने जाने की स्वतन्त्रता पर लगे हुए हैं बचायेगा। मुझे यकीन है कि मेरी इंग्लैंड कठिनाई को आपका क्लब मुझे कभी कभी यहाँ बुलाकर दूर कर सकता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके निधन्त्रण से मुझे सदा हर्ष होगा और कभी कभी तो मैं यहाँ आने के लिये अपने को स्वयं ही न्योता दे लूँगा। इस स्वागत के लिये मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

### हरिजन कार्यकर्ताओं को उद्बोधन

सोमवार, ता० १७ अप्रैल १९५० को सायंकाल साढ़े सात बजे भंगी कोलोनी, नई दिल्ली में अखिल भारतीय हरिजन कार्यकर्ताओं की सभा में राष्ट्रपति जी ने कहा—

**डाक्टर साहब, बहनो तथा भाइयो,**

मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इतने भाइयों से एक साथ मिलने का मुझे अवसर मिला है। मैंने सुना कि सम्मेलन में करीब ४०० आदमी हैं जो हिन्दुस्तान के हर कोने से आये हुये हैं और आप लोगों ने भिन्न-भिन्न इन प्रश्नों और समस्याओं पर विचार किया है जिनसे आप समझते हैं कि देश की तथा आपकी भलाई होगी।

महात्मा गांधी जी के साथ जब से रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तब से उनकी आज्ञा के मूताविक उनके बताये हुये रास्ते पर चल कर आप लोगों की जो थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिला उसे मैंने किया। उसके लिये न तो कोई धन-वाद की आवश्यकता है और न किसी प्रकार से आपको मुझे लज्जित करना चाहिये कि मैंने इतना काम आपके लिये किया और कर सका। मैं यह जानता हूँ कि यह जो अछूतपन का भार बोझ, हभारे समाज में इतने दिनों से चला आता है उसे दूर करना और जो लोग दलित समझे जाते हैं उनको ऊपर उठाने में सहायता करना यह कोई मेहरबानी या एहसान की बात नहीं थी बल्कि यह हम सब के लिये एक प्रकार का प्राथमिक था और अपने भूले हुये कर्तव्य को फिर से पालन करना था। महात्मा गांधी जी ने हमें यह सिखाया था कि यह काम सबसे मरुतब का है। इसलिये मुझे थोड़ी बहुत सेवा करने का भी अवसर मिलता गया, मैंने उसे किया। जब कभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ मुझे इस तरह की बातें कही जाती हैं तो मैं लज्जित होता हूँ। मैं यह नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई बड़ा एहसान किया है। आइन्दा भी चाहे जिस जगह पर मैं रहूँ मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानूँगा कि जो भी सुअवसर मेरे सामने आये मैं आप की कुछ सेवा कर सकूँ और वह भी इसी दृष्टि से, कुछ एहसान की दृष्टि से नहीं, कि यह मेरा कर्तव्य है जिसे मुझे पूरा करना है।

अभी डाक्टर साहब ने कहा कि जगजीवन बाबू से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। मेरा उन से भाई भाई का सम्बन्ध रहा है और आज भी है। पर मैं यह नहीं मानता कि मैंने उनके लिये कुछ किया है। जिस स्थान पर वह पहुंचे है वह अपनी योग्यता से पहुंचे है और जिस योग्यता के साथ उन्होंने काम किया है, उससे सारा देश बाकिफ है। मैं तो यह कहूंगा कि आप में और बहुतेरे ऐसे भाई होंगे जो बाहर आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको बाहर आना चाहिये और निकलना चाहिये जिससे सब लोगों को इस बात का पता लगे कि आज भी आप में ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर मौका दिया जाये तो वे अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकते हैं और करने की योग्यता रखते हैं।

मैं यह जानता हूँ कि आप में अभी शिक्षा का बहुत कुछ अभाव है। आप में गरीबी बहुत है। यह भी जानता हूँ कि आप में अभी तक बहुत सी रूढ़ियाँ हैं जिन को अभी दूर करना बाकी है। शिक्षा के अभाव को दूर करना है। आर्थिक स्थिति सुधारनी है। अगर आप और लोगों के मुकाबले में पीछे रहे, जो आगे समझे जाते हैं, उनके साथ आप शाना व शाना काम न कर सकें तो उन लोगों की भी उन्नति नहीं हो सकेगी। इस से न केवल हमारा ही भला होगा बल्कि आपका और देश का भी भला होगा। आपकी संख्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या अगर पिछड़ी रहे तो देश कैसे आगे बढ़ सकेगा। आगे बढ़ने के लिये कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसे पीछे से कोई खींचता हो तो वह कमजोर हो जाता है। आप को सारे देश के साथ आगे बढ़ना है। जब तक आप लोग भी और लोगों के मुकाबले में न आओगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा जी ने इस बात को समझा था कि जब तक आप को साथ न लिया जायेगा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था। ईश्वर की कृपा से जो कुछ गांधी जी चाहते थे उस में से बहुत कुछ हो चुका है। मगर मैं यह समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जितना बाकी है, अगर हम उस को भी पूरा कर सकें और अगर आप सब को इस स्थान तक पहुंचा सकें जो आप के लिये उचित है और आप जिम का हक रखते हैं तो मैं समझूंगा कि ऐसा करके देग ने अपने साथ उपकार किया और तभी देश उन्नत हो सकेगा।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस काम में देश की मदद करें। इसके साथ ही आप को अपनी अवस्था सुधारने के लिये स्वयं सक्रिय होना चाहिये। जो कुछ सुधार और उन्नति चाहिये वह अपने अन्दर से ही निकलनी चाहिये। बाहर के लोग इतना ही कर सकते हैं कि जो बाधाएँ और दिक्कतें रास्ते में हैं, उन बाधाओं और दिक्कतों को हटा दें और अगर हो सके तो किसी तरह कुछ सहारा पहुंचा दें। इस बारे में सर्वप्रथम कदम अपने में विद्या प्रचार करने का है। ऐसी संस्थायें जो इस तरह की सेवा करने को तैयार हों आप में पैदा होनी चाहिये। यह सब जहाँ तक हो सके आप में से ही निकलना चाहिये। मेरा यह विश्वास है कि अगर आप इस काम को आगे बढ़ायेंगे तो दूसरे लोग भी जो सेवा करना चाहते हैं, वे आगे आयेंगे। गांधी जी ने हम में नई प्राप्ति पैदा करदी है, तड़प पैदा कर दी है हम उस को अभी तक भूले नहीं हैं और

आशा करते हैं कि कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस सम्मेलन से और इसी प्रकार की अन्य सस्थाओं से आप को सहायता मिलेगी और मौका मिलेगा जिस में आप आगे बढ़ सकेंगे।

यह स्थान भी जो आप के सम्मेलन के लिये चुना गया है वह भी एक महत्व का स्थान है। महात्मा गांधी जी ने यहाँ बहुत दिन बिताये थे और वे भी ऐसे समय में बिताये थे जब कि देश के भाग्य का फैसला होने वाला था। यहाँ बहुत से ऐसे फैसले किये गये जिन से देश के भाग्य का निर्णय हुआ।

गुरु जी ने मुझे एक पत्र लिख कर दिया है जिस में उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के स्मारक के रूप में एक शिक्षा संस्था कायम होनी चाहिये। मैं यह आप से कह देना चाहता हूँ कि इस चीज को मैं गांधी स्मारक निधि के साभने पेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक ऐसा स्मारक बने जो केवल ईट पत्थर का स्मारक न रहे बल्कि ऐसा स्मारक हो जो यहाँ के लोगों के दिलों में वह चीज पैदा करे जिस से आप की सच्ची सेवा हो। मैं यह आशा रखता हूँ कि इस काम में आप सब की मदद मिलेगी और यह कार्य सफल होकर रहेगा।

### इण्डियन रेडक्रास और सेंट जान एम्बुलैन्स एसोसियेशन

\*इण्डियन रेडक्रास मोसाइटी और सेंट जान एम्बुलैन्स एसोसियेशन के वार्षिक साधारण अधिवेशन में राष्ट्रपति जी ने कहा -

श्रीमन्तजों, बहो और भाइयों,

आप सब का और विशेषतया राज्यों के प्रतिनिधियों का, जो रेडक्रास और सेंट जान के काम में दिलचस्पी लेने के कारण इतनी लम्बी यात्रा करने के पश्चात् इस बैठक में सम्मिलित होने को आये हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

राजकुमारी जी ने मेरे लिये जो प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं उन के लिये मैं उनका आभारी हूँ और मैं आप को आश्वासन दिलाता हूँ कि आप के दोनों महान् और मानव-सेवा करने वाली संस्थाओं से सम्बद्ध होने में मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़ा प्रसन्न होऊँगा यदि मैं आप के इस अच्छे काम में जितनी सहायता कर सकता हूँ उतनी सहायता कर सकूँ।

मुझे इस बात को मुन कर बड़ा हर्ष हुआ कि सेंट जान एम्बुलैन्स एसोसियेशन के शिक्षा कार्य में १९४९ के वर्ष में बड़ी तरक्की हुई है और अपने केडेट विभागों में खास तौर से ब्रिगेड ने अपनी तरक्की की है। मुझे आशा है कि आपकी तरक्की बराबर होती रहेगी और हमारे युवक और युवती आप की आरम्भिक उपचर्या तथा होम नर्सिंग कोर्स में बराबर दिलचस्पी लेंगे जिस से कि वे कष्टनिवारण में उपयोगी कार्य कर सकें।

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

यह बात बड़ी मन्तोषप्रद है कि सेंट जान अम्बुलैंस के सदस्यों ने सहस्त्रों घायलों की प्राथमिक उपचर्या की है और इस उपचर्या के कोमल कार्य के लिये उन्हें गर्व करने का पूरा हक है।

जम्मू और काश्मीर राज्य में इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी ने जो सुश्रुषा कार्य किया है वह विशेष उल्लेखनीय है तथा वह कार्य भी जो उन्होंने ऐसे विस्थापित लोगों की सहायता करके, जो इस देश में अपना जीवन नये सिरे से आरम्भ कर रहे हैं, किया है उल्लेखनीय है। यह सुन कर मुझे संतोष हुआ कि आप की दोनों संस्थाएं पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की मदद कर रही हैं और मैं आप के साथ यह आशा करता हूँ कि वहाँ निकट भविष्य में बेहतर वातावरण कायम हो जायेगा।

दस कराड़ सदस्यों की रेडक्रास की संस्था का यह परिवार, जो अडसठ राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सारे संसार में इस महान कार्य से सम्बद्ध है शान्ति बनाये रखने के लिये बड़ी भारी शक्ति है। यह सन्तोष की बात है कि कई संस्थाओं ने हमारे सहायता के भार को हलका किया है और हमारी अपने देश की भारी जरूरतों के बावजूद हमारी सोसायटी समुद्र पार अपनी अन्य भगिनीसम सोसायटीयों को उनकी आवश्यकताओं में मदद दे सकी।

मुझे हर्ष है कि पाकिस्तान सोसायटी के मैत्रीपूर्ण सहयोग से रेडक्रास द्वारा दी जाने वाली सब सुविधायें अटक किले में बन्दी भारतीयों को हमारी सोसायटी और यॉल में पाकिस्तान बन्दिनों को पाकिस्तान सोसायटी वरावर पहुंचाती रही है। बन्दिनों के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को, जिन में अपने सम्बन्धियों से वरावर खतोकितावत भी सम्मिलित है और जो उन को बड़ी सान्त्वना देने वाली है, प्राप्त कराने में पिछले साल जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है उसके लिये मैं अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास प्रतिनिधियों अर्थात् डाक्टर मार्टी और मिस्टर वर्कहार्ट की विशेष प्रशंसा करता हूँ। डाक्टर मार्टी आजकल बंगाली उद्वासितों की सहायता के लिये आवश्यक बातों का अन्दाजा लगाने के लिये यहां फिर आये हुए हैं और मुझे भरोसा है कि उन के प्रयत्नों के फलस्वरूप उन लोगों को आवश्यक सुविधायें मिल जायेंगी। स्थायी रूप से शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हुए फौजियों की रेडक्रास होम्स में सुश्रुषा करके तथा फौजी हस्पतालों में और रणभूमि में के चिकित्सा केन्द्रों में सेवा कार्य करने वाले लोगों के द्वारा आवश्यक वस्तुएं पहुंचा कर और उनका इलाज करा के जो काम हास्पिटल सर्विस ने किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। अपने मैडिकल-आफ्टर-केयर फण्ड द्वारा अवकाश प्राप्त बीमार फौजियों की सोसायटी ने जो सहायता की है वह भी प्रशंसनीय है। क्योंकि जिन लोगों ने उन की सेवा की है जो प्रतिरक्षा दलों में सेवा कर चुके हैं उन का देश अत्यंत आभारी है।

जूनियर रेडक्रास मूवमेंट की निरन्तर प्रगति भी सन्तोष का कारण है क्योंकि नयी पीढ़ी के मन पर रेडक्रास के उसूलों की छाप डालने की इस से हमें अपेक्षा है।

मुझे इस बात का संतोष है कि प्रसूति और शिशु-कल्याण संस्था ने भी सन्तोष-जनक प्रगति की है। माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये

कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में इस संस्था की सहायक कार्यवाहियों के महत्व की प्रशंसा जितनी की जाये थोड़ी ही होगी। और खास तौर से ऐसे ग्रामों के देश में जहाँ इस प्रकार की चिकित्सक सहायता की सुविधायें विलकुल अपर्याप्त हैं इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि नर्सों के सहायक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाये जिस से कि वे देश में नर्सों के कार्य में सक्रिय सहायता कर सकें। मैं राजकुमारी जी की इस अपील का जोरदार शब्दों से समर्थन करता हूँ कि हमारी नारियों को होमनासिंग की प्रशिक्षा के लिये अधिक से अधिक संख्या में आगे बढ़ना चाहिये क्योंकि उन के अपने घरों में ही वे उन के लिये उपयोगी न होगी वरन् उन्हें दूसरों की सेवा करने का भी अवसर प्रदान करेगी।

अन्त में जो अच्छा कार्य आपने पिछले साल में किया है उसके लिये मैं आप सब को बधाई देता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने जो कठिन काम सर्वदा ही पड़ा रहता है उन में आपकी सफलता के लिये मैं कामना करता हूँ। संसार के भविष्य के लिये आपका कार्य महत्वपूर्ण है और आप को अपने इस प्रयास में सर्वदा रेडक्रास के उद्देश्यों में श्रद्धा से तथा इस जानकारी से कि आप ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अंग हैं, जो जाति, धर्म अथवा वर्ण के विचार के बिना मानव कष्ट को दूर करने में लगी हुई है, बल मिलता रहेगा।

हमें श्री उषानाथ सेन की बीमारी का दुःख है जिस के कारण रेडक्रास के अध्यक्ष के कष्ट साध्य कर्तव्य पूरा करने में वह असमर्थ रहे। हमारी सब की यह इच्छा है कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जायें और मुझे आशा है कि व्यवस्थापक समिति की बैठकों में उपस्थित होने के योग्य वे जल्द ही हो जायेंगे। उस में मैंने उन को नामजद किया है जिस से कि सोसायटी को उनके महत्वपूर्ण अनुभव से वंचित न होना पड़े। राजकुमारी जी की यह बड़ी उदारता है कि उन्होंने रेडक्रास की अध्यक्षता होना स्वीकार कर लिया। इस से उनके कष्टसाध्य कर्तव्यों की संख्या और बढ़ जायेगी। मुझे भरोसा है कि उनकी निःस्वार्थ सामाजिक सेवा के लम्बे अनुभव से इन मानव सेवी संस्थाओं को लाभ पहुंचेगा। मुख्य मंत्री सरदार बलवन्तसिंह पुरी की मूल्यवान् सेवाओं का विशेष उल्लेख भी मैं अपने वक्तव्य के समाप्त करने से पूर्व आवश्यक समझता हूँ। यदि रेडक्रास का कार्य आज भी भारत में इस उन्नत शिखर पर है तो उसका बहुत कुछ श्रेय हमारे अनथक प्रयास करने वाले मुख्य मंत्री को है जिन्होंने इस संस्था के नींव पड़ने के दिन से ही इसके निर्माण में अत्यन्त लगन से कार्य किया है।

### इण्डियन स्कूल आफ माइन्स

\*२१ अप्रैल सन् १९५० को इण्डियन स्कूल आफ माइन्स और अप्लाइड ज्योलोजी के प्रिन्सिपल डाक्टर आर० पी० सिन्हा द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति ने कहा—

महामहिम राज्यपाल, डाक्टर सिन्हा और मित्रो,

इस माइन्स और अप्लाइड ज्योलोजी के स्कूल में आने का मुझे यह मौका मिला इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। अपने राजकीय जीवन के शुरू की

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

मंजिल में ही मुझे यह मौका मिला है इसने मुझे और भी खुशी है। पिछले तीस वर्षों में मैं इस प्रदेश में अनेक बार आया हूँ। किन्तु इस संस्था के अन्दर पदार्पण करने का मेरा दुर्भाग्यवश यह पहला ही अवसर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कारण इस संस्था या इस स्कूल में मेरी दिलचस्पी किसी कदर कम रही है।

कुछ वर्ष पूर्व खानों के स्नेहायने के अपने दोरे के सिलभिले में—मिस्टर ब्रैरवल्फ को यह बहुत अच्छी तरह से स्मरण होगा कि—मैं बहुत सी खानों में गया था और खानों में काम करने वालों को तथा खानों के प्रबन्ध करने वालों को जितने प्रकार का भी काम करना होता है वह मैंने देखा था। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी संस्था हो जो कार्यकर्त्ताओं को इन खानों के दक्षतापूर्वक और सफलता पूर्वक प्रबन्ध करने के हेतु योग्य बनाने के लिये आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करे। यह संस्था इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर लगभग ३५ वर्ष पहले आरम्भ की गयी थी और तब से जैसा कि आपने कहा है अपने महत्व और अपने क्षेत्र में बढ़ती गयी है। गवर्नमेंन्ट ने इस बात को समझ लिया है कि इस संस्था के सम्बन्ध में बहुत सी बातें करनी हैं और उसने इसलिये एक समिति नियुक्त की थी जिसने कुछ सिफारिशों की हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इनमें से अधिक सिफारिशों पर उहले ही अमल हो गया है और जिन पर अभी काम होना बाकी है और जिनका जिक्र आपने किया है वे विचाराधीन हैं और मुझे शंका नहीं है कि सरकार द्वारा उनको उचित मान्यता प्रदान की जायेगी।

इस संस्था के विद्यार्थियों और शिक्षकों की यह इच्छा और महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है कि उनके डिप्लोमाओं को उचित मान्यता मिले। वैसी मान्यता विद्यार्थियों के लिये इस लिये आवश्यक है कि वे उच्चतर शिक्षा पा सकें और नौकरी पा सकें। जहाँ तक पहली बात का सवाल है वह अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल के विचाराधीन है और हमें आशा करनी चाहिये कि उनकी सिफारिश विलकुल माफिक होगी और विश्वविद्यालय उचित मान्यता दे देंगे।

आपने यह भी कहा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के लिये भी प्रयास किये गये हैं किन्तु वे प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं। मेरा विचार है कि जब आप हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे तो बाहरी देश भी इस स्थिति में होंगे कि आपको यह मान्यता प्रदान कर दें। मैं आप लोगों के मन में यह बात बैठाना चाहता हूँ कि केवल मान्यता से उतना फल न होगा जितना कि उस वास्तविक काम और कार्यकुशलता से होगा जो आप यहाँ कर के दिखायेंगे तथा किसी भी आदमी की वास्तविक कार्यदक्षता इस कार्य में प्रकट होती है जो वह करता है और यदि उसका कार्य सन्तोषप्रद होता है तो उसको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह सब से मान्यता पाये।



मेरा आप से यह कहना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त करने के लिये आप मन न भटकायें वरन् अपनी इस संस्था को अपना पूरा दिल लगा कर सारे संसार की दृष्टि में कार्यकुशल और योग्य सिद्ध कर दें और जब आप इस मंजिल पर पहुंच जायेंगे तब आप का यह काम न होगा कि आप मान्यता की तलाश करे वरन् यह और लोगों का काम होगा कि वे आप से मान्यता प्राप्त करें । हमें आशा करनी चाहिये कि वह दिन दूर नहीं है जब आप उस मंजिल तक पहुंच जायेंगे ।

नौकरियों के लिये मान्यता के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह ऐसा मामला है जिससे मुख्यतया सरकार का सम्बन्ध है । मुझे शंका नहीं है कि इंजीनियरों की संस्था से मान्यता प्राप्त कराने के लिये जो कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है वह कार्यवाही ठीक दिशा में की गयी है और जो कुछ भी आगे कदम उठाना है वह उचित समय पर सरकार उठायेगी तथा आप के डिप्लोमा की देश के लोक-सेवा-आयोग की दृष्टि में वही कीमत होगी जो विश्वविद्यालयों की डिग्री की । इससे विद्यार्थियों के लिये यह भी संभव होगा कि वे इस विषय की उच्चतर शिक्षा और अध्ययन कर सकें । इस बात के लिये आवश्यक है कि विदेशी विश्व-विद्यालय आप के डिप्लोमा को मान्यता दें किन्तु मुझे आशा है कि जहां एक दफे भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस अपनी मान्यता प्रदान की वहीं फिर इस बारे में और कोई कठिनाई नहीं रहेगी । यह सवाल कि खानों के मनेजरों की नियुक्ति के लिये आप की संस्था को मान्यता प्रदान कर दी जाये या आप को उसके लिये और कोई इम्तहान देने से बरी कर दिया जाये न्यूनधिक ऐसा सवाल है जिसके सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कह सकता । किन्तु मेरा विश्वास है कि इस संस्था में आप को जो सैद्धान्तिक शिक्षा मिलती है और जैसा आपने कहा है कि खानों में जो २ वर्ष की शिक्षा मिलती है वह इस बात के लिये पर्याप्त समझी जानी चाहिये कि वे उस कोर्स में दाखिल हो आये । यह ऐसा सवाल है जो एक विशेष समिति के जैसा कि अभी आपने कहा है, विचाराधीन है और इससे पूर्व कि यह मान्यता आप को दी जाये कुछ प्रतिबंधों को हटाना आवश्यक है । मुझे आशा है कि ऐसा शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

मुझे इस बात की खुशी है कि समिति की और सिफारिशों को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है । इस स्कूल का पहले ही विस्तार हो चुका है । आपने इससे पहले ही अपनी प्रवेश संख्या २५ प्रति वर्ष के स्थान में ४८ प्रति वर्ष कर ली है और वह और भी बढ़ायी जाने वाली है जिससे कि १९५२ के साल में आप साठ विद्यार्थी प्रति वर्ष दाखिल करने के लिये समर्थ हो जायेंगे । यह तो अच्छी बढ़ोत्तरी है । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अध्यापकों की संख्या में भी और उनके वेतनों और भावी लाभों में भी इसी अनुपात से वृद्धि हुई है । मुझे आशा है कि इस संस्था की स्थिति में सर्वतोन्मुखी उन्नति होगी और मुझे यकीन है कि इस जैसी संस्था को हर प्रकार के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को सरकार

महसूस करती है जिस संस्था से कि यह आशा की जाती है कि वह ऐसे लोगों को पैदा करेगी जो खानों का अच्छी तरह और योग्यता से प्रबन्ध कर सकें।

आप ने जो कुछ सफलता हासिल कर ली है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप और भी सफलताएं हासिल करेंगे। मेरा जो आपने स्वागत किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### धनवाद में अभिनन्दन

ता० २१ अप्रैल १९५० को धनवाद नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्यों की ओर से दिये गये मानपत्र के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहा—

धनवाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, दूसरे सदस्यगण, भाइयो तथा बहनो,

यह मेरे लिये पहला मौका नहीं है जब मैं धनवाद में आया हूँ। इसके पहले भी मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और आपने कई बार मेरा स्वागत भी किया है। मगर यह भी सच है कि इस बार मैं जिन हेतुओं से आया हूँ वह हेतुओं में कुछ और ही हैं। पर मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। आपने मेरा आदर और सम्मान किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद अवश्य देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह से आप का प्रेम मेरे प्रति बना रहेगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा।

आपने जिन ज़रूरतों का जिक्र इस मानपत्र में किया है, वे तो सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब आपके प्रान्त के गवर्नर साहब, जो यहाँ मौजूद हैं, और मिनिस्टर लोग जो यहाँ मौजूद हैं, दे सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो ज़रूरतें होंगी उन पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। गवर्नमेन्ट जहाँ तक कर सकती है वह तो करेगी ही लेकिन आपको भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिये। आपने इस मानपत्र में इसका भी जिक्र किया है कि यहाँ आपके पास अभी पानी का इंतज़ाम ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह शिकायत सिर्फ धनवाद के लोगों की ही नहीं है मगर बहुत हद तक यह शिकायत तमाम कोयले की खानों के अन्दर काम करने वाले लोगों की अब तक भी मौजूद है। इस शिकायत को दूर करने के लिये कई वर्षों से कई तरह की कोशिश की जा रही है और किसी हद तक पानी पहुँचाने का इन्तज़ाम भी किया गया है मगर तो भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, काफी पानी नहीं पहुँचा पाया है। खास करके गर्मी के दिनों में लोगों को पानी का कष्ट हुआ ही करता है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द ही लोगों के कष्ट दूर होंगे और आपके शहर में रहने वालों के लिये जो पानी की तकलीफ है वह तकलीफ भी दूर हो सकेगी।

आपने अपने मानपत्र में जित दूसरी बात का जिक्र किया है वह एक कालेज बनाने के सम्बन्ध में है। अभी हम लोग स्कूल आफ माइन्स देखने के लिये गये थे। प्रधान मंत्री ने वहाँ यह कहा था कि कालेज पढ़ कर क्या होगा? कालेज खुलते जा रहे हैं। सिर्फ कालेज ही नहीं बल्कि यूनीवर्सिटियां खोलने की भी एक होड़ सी मच गई है। कालेज में सन्तोष न हो कर यूनीवर्सिटी भी खोलने के प्रयत्न हो रहे हैं। ये सब चीजे अपने तरीके पर अच्छी हैं। सिर्फ उनका रख बढलना चाहिये। किसकी जरूरत कहां तक और क्या है इसको समझ कर ऐसी संस्था को जारी करना चाहिये। अगर उसी तरीके पर काम चलता रहा और कालेज और यूनीवर्सिटियो से निकल कर ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती रही जिनको कोई उद्योग धंधा नहीं मिलता तो इसमें कोई खान लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप, जहां पर दूसरे तरीकों पर काम हो रहा है वहाँ जायें और देखें कि कुछ नया हो रहा है या नहीं और यदि कुछ नया हो रहा है तो उन कामों को बढ़ाने का प्रयत्न करें। जहां पर कोयले का काम हो रहा है वहाँ पर कोयले के काम के साथ साथ और तरह के बहुत से कारवार खुलने चाहिये। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये। हमारे नौजवानों को चाहिये कि वे उन उद्योगधंधों में, कारवार में लग जायें जिनसे देश की उन्नति हो सकती है। केवल कालेज और यूनीवर्सिटी की पढ़ाई से कुछ लाभ नहीं होता। हम केवल पुराने तरीके से ही काम कर के तरक्की नहीं कर सकेंगे। स के लिये आधुनिक तरीकों पर काम करना जरूरी है। मेरा यह विश्वास है कि अगर हमारे नौजवान कालेज से निकल कर नौकरी आदि ढूढने के बजाय इन उद्योगधंधों के बढ़ाने की ओर ध्यान दें तो मैं सन्नता हू कि इससे हमारे देश को अवश्य लाभ पहुंचेगा।

मैं आप सब भाई वहरनों को जिन्होंने प्रेम दिखाया है और मेरा आदर किया है, उस के लिये धन्यवाद देता हूँ। यहा पर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ और जिनके चेहरे मैं यहां देखता हूँ, उनसे मिल कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।

### ईंधन गवेषणा प्रतिष्ठान

\*२२ अप्रैल १९५० को झरिया कोयला खानों में के दिगवाडीह में स्थित ईंधन गवेषणा प्रतिष्ठान के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—

९ जुलाई १९४० की पुरानी बात है जब वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा के निर्देशक की सिफारिश पर भारत सरकार ने स्वर्गीय डा० एच० के० सेन की अध्यक्षता में ईंधन-गवेषणा-समिति नियुक्त की थी। अपनी पहली ही बैठक में उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि अन्त में हम भारत भर के लिये केन्द्रीय-ईंधन-गवेषणा स्टेशन की स्थापना करें और बाद में उसने इस निश्चय

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

को दुहराया कि केन्द्रीय-ईन्धन-गवेषणा-स्टेशन की शीघ्र स्थापना की जाये। सन् १९४१ की जनवरी के शुरू में वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा मण्डल की एक उपसमिति ने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय-ईन्धन-गवेषणा-प्रतिष्ठान की स्थापना की जाये और उसके निम्न कृत्य हों अर्थात् (क) भारतीय कोयले की रसायनिक और भौतिकीय नाप जोल (ख) कोयला और खास तौर से धातुकामिक कोक निकालना (विधायन) और तैयार करना। तथा (ग) मन्दतापप्रांगण।

यद्यपि समय पर विभिन्न योजनाओं पर विचार किया गया किन्तु इस बारे में कोई आगे का कदम १९४३ के दिसम्बर के पहले न उठाया जा सका। उस मास में वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने ईन्धन-गवेषणा-स्टेशन की स्थापना के लिए प्राक्कलना मंजूर की और १९४४-४५ में भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये परिषद् को ३ लाख रुपये का अनुदान दिया। ईन्धन-गवेषणा समिति की सिफारिश पर परिषद् ने १९४४ में स्थानीय योजना-समिति इस प्रयोजन से नियुक्त की कि वह प्रतिष्ठान की स्थापना सम्बन्धी दिन प्रतिदिन का कार्य चलाये तथा डा० जे० डबल्यू व्हिटटेकर को प्रतिष्ठान के निदेशक के पद पर और डा० ए० लाहिड़ी को उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अनुमानतः १४ लाख के खर्च से इस प्रयोगालय को बनाने और सज्जित करने की योजना तैयार की गयी और उसे वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने मंजूर कर लिया। तत्पश्चात् इमारत और सामान, जिसका अधिकांश विदेशों से मंगाया जाता था, इन दोनों के मूल्य की दर बढ़ जाने की बात ध्यान में रख कर वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् की सिफारिश को मान कर भारत सरकार ने प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये पूंजी-अनुदान को बढ़ा कर २९.२५ लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया गया। पांच कोयला-नापजों व-स्टेशनों को सज्जित करने के लिये ९ लाख का अतिरिक्त अनुदान भी मंजूर किया गया है।

कार्यों, खानों और शक्ति के तत्कालीन मन्त्री माननीय श्री सी० एच० भावा ने १९४६ के १७ नवम्बर को इस प्रतिष्ठान का शिलान्यास किया। उस समय यह निश्चय हुआ था कि आधार शिला रखने का आदर मुझे प्रदान किया जाये। किन्तु अपनी अस्वस्थता के कारण मैं दुर्भाग्यवश यात्रा न कर सका और मेरे मित्र श्री भावा को इस कार्य के लिये यहां आने का कष्ट उठाना पड़ा। अतः मुझे इत वात का हर्ष है कि जो कार्य मैं तब न कर सका था उसको आज पूरा करने का भार मुझ पर आया है और इसलिये मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि ईन्धन-गवेषणा-प्रतिष्ठान के इस उद्घाटन समारोह में मैं भाग ले सकूँ।

इस प्रकार के प्रतिष्ठान की तथा अपने देश में ईन्धन सम्बन्धी गवेषणा की आवश्यकता और उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना मैं आवश्यक नहीं समझता। यह तो भली प्रकार विदित है कि आधुनिक औद्योगिक युग में सब कुछ शक्ति पर ही निर्भर करता है और ईन्धन को ताप में परिवर्तन करने से ही शक्ति पैदा होती है। भारत अपनी खनिज सम्पत्ति में काफी धनी है। अनुमान लगाने पर पता चला है कि हमारा समस्त कोयला-भण्डार लगभग ६५ अरब टन है जिसमें से आजकल

२२ अरब टन ऐसा है जिनके निकालने का आजकल प्रबन्ध किया जा सकता है । किन्तु अच्छी किस्म का कोयला ५ अरब टन से अधिक नहीं है पर यह सब भी धातु-कामिक प्रयोजनों के काम का नहीं है । हर प्रकार के कोयले का हमारी सालाना निकासी ३ करोड़ टन के लगभग है । जिसमें से एक तिहाई तो रेलों के खर्च में आ जाता है चतुर्थांश धातुकर्म तथा और उद्योगों में तथा दशांश घरेलू कामों में खर्च होता है । खानों में से निकाले गये ३ करोड़ कुल कोयले में से लगभग १ करोड़ ३० लाख टन धातुकर्म के लिये काम में लाया जा रहा है । बाकी ऐसे प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है जिन के लिये कौक किस्म से अतिरिक्त दूसरे प्रकार का कोयला काम में लाया जा सकता है ।

सन् १९३७ की कोयला-खनन-समिति ने यह तखमीना लगाया था कि सब अच्छे किस्म के भारतीय कोयलों का भण्डार एकसौ बीस वर्ष के लिये, अच्छी किस्म के पत्थर के कोयले का भण्डार ६२ वर्ष के लिये तथा पत्थर के कोयले के अलावा अच्छे किस्म के कोयलों का भण्डार १०० वर्ष के लिये पर्याप्त है । इस से प्रकट है कि पत्थर के कोयले का भण्डार भारत में बहुत कम है और यह बात इस लिये और भी खटकती है क्योंकि कि भारत में अच्छे किस्म के लोह का बहुत बड़ा भण्डार है । कोयले की खानों से लगभग १५० मील की दूरी पर ही लोहे का ३ अरब टन से भी अधिक भण्डार है । आजकल की निकासी, उपभोग, और खानों में खराब हो जाने की जो रफ्तार है उनके हिसाब से अच्छे किस्म के पत्थर के कोयले का भारत में भण्डार तो मुश्किल से ही ५० वर्ष से अधिक चलेगा । ठीक है इस बारे में हमें उस समिति की रिपोर्ट से अधिक जानकारी मिल जायेगी जो आजकल पत्थर के कोयले के भण्डारों की संरक्षा के प्रश्न पर विचार कर रही है । धातुकामिक किस्म के कोयले के अलावा काफी उत्पन्न वाला कोयला कुछ विशिष्ट कामों के लिये अर्थात् प्रांगारण, उपोत्पात प्रत्यादाय, तेलों का सश्लिष्ट उत्पादन, वाति उत्पादन, रसायनिक उद्योग और इमी प्रकार के अन्य कामों के लिये प्रयोग होता है । कोलतार उद्योग का भविष्य महान् है । साथ ही सड़कों को बढ़ाने के कार्यक्रम की दृष्टि से यह उद्योग आवश्यक भी है । कई प्रकार के तेलों, तीव्र विस्फोट को, रंगों, दवाइयों, प्लास्टिक की चीजों, प्रतिश्यों, कीटघनों जीवाणुनाशी, इत्यादि इत्यादि भी कोलतार से निकाले जा सकते हैं । सच तो यह है कि देश के औद्योगिक विकास के लिये हमारे कोयले के भण्डारों का उपयोग और संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है और यह बात निचली किस्म के कोयले को अच्छा बनाने और उपयोग में लाने और विभिन्न उद्योगों के लिये अलग अलग किस्म के कोयले के विभिन्न संभारों के प्रबन्ध करने की हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करेगी । ईन्धन उद्योग और देश भर के लाभ के लिये यह आवश्यक है कि कोयले का उपोत्पादन व्यवसाय भी आरम्भ किया जाये । अतः यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोयला-आयोग और कोयला खनन समिति से लगाकर लगभग प्रत्येक समिति ने जिसे कोयले की समस्या पर विचार करना पड़ा है उसने केन्द्रीय-ईन्धन-गवेषणा-प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये सिफारिश की है । मुझे स्मरण है कि १९३८-३९ में जब मैं बिहार सरकार द्वारा नियुक्त बिहार श्रमिक-जाँच-समिति के काम से, जिसका मैं अध्यक्ष था,

कोयले की खानों को देखने गया था तो डाक्टर फर्कहार ने, जो पहले ईन्धन-गवेषणा-समितिके अध्यक्ष थे मुझे इस बात की अत्यन्त आवश्यकता समझाई थी कि अच्छे किस्म के कोयले को धातुकामिक प्रयोजनों के लिये संरक्षित रखा जाये और इसका जो बेमतलब खर्च हो रहा है उनकी बड़ी शिकायत की थी।

भारतीय भूगर्भ माप से हमें इस बात का कुछ अन्दाजा लगा है कि हमारे यहाँ कोयले का कितना भण्डार है। किन्तु अभी इसके बारे में रसायनिक और भौतिकी बातों की बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस दिशा में कुछ काम औद्योगिक फर्मों ने किया है। किन्तु कुल मिलाकर अब तक जो कुछ हुआ है वह उस काम की तुलना में, जो अभी हमें करना बाकी है, बहुत कम है। इस प्रकार ईन्धन गवेषणा प्रतिष्ठान का उद्देश्य यह है कि ठोस, तरल और वास्तविक ईन्धन के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की सारी गवेषणा को हाथ में ले, यद्यपि फिलहाल मजबूरी के कारण ठोस ईन्धन और खास तौर से कोयले और उससे निकाले जाने वाले तरल और वास्तविक ईन्धन के सम्बन्ध में ही काफी हद तक इसकी कारवाई सीमित रहेगी। विषय विज्ञान सम्बन्धी है और इस की व्याख्या ऐसे विद्वान के लिये ही छोड़ना ठीक है जैसे डाक्टर शान्ति स्वरूप भटनागर हैं। दिल्ली में भौतिकी प्रयोगालय खोलते समय श्री राजगोपालाचारी ने उन्हें मूर्तिमान विद्युत बताया था। केवल इसी प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये ही नहीं वरन् और दो प्रतिष्ठानों की अर्थात् देहली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगालय और पूना में राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगालय की स्थापना के लिये भी जिनमें पिछले कुछ ही वर्षों में कार्यारम्भ हो गया है तथा इन वर्ष में चार और प्रतिष्ठानों के अर्थात् कलकत्ते में केन्द्रीय कांच और मृत्तिका शिल्प-गवेषणा-प्रतिष्ठान, मंसूर में केन्द्रीय-खाद्य-प्रायोगिक-गवेषणा-प्रतिष्ठान, लखनऊ में केन्द्रीय-भेषज-गवेषणा-प्रतिष्ठान और जमशेदपुर में राष्ट्रीय-धातुकामिक-गवेषणा-प्रतिष्ठान के प्रारम्भ करने के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया है। इस ईन्धन गवेषणा प्रतिष्ठान को अपने काम में बंगाल, विहार, विन्ध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश और ग्रामाम में के पांच वाह्य स्थित-क्षेत्रीय प्रयोगालयों में सहायता और सहाय मिलेगा।

कोयले से निकलने वाली बहुत सी चीजों को हम विदेशों से मंगाते हैं। यदि हमारे इस प्रतिष्ठान ने इस बारे में कार्य किया कि हमारे कोयले के भण्डार के उपयोग करने की सर्वोत्तम रीति क्या है तो हम केवल कोयले और लोहे के उत्पादन में, जिसके लिये कच्चा माल यहाँ अपरिमित तादाद में उपलब्ध है, काफी वृद्धि की ही नहीं वरन् उपर्युक्त उपोत्पादों में से अनेकों की, जिनमें से लगभग सभी को हमें आवश्यक मात्रा में विदेशों से मंगाना पड़ता है, पैदावार की आशा कर सकेंगे। जो उद्योग कोयले और उसके उपोत्पादों का उपयोग करें और जो वे चीजें जिन्हें हमें आज कल बाहर से मंगाना पड़ता है हमें दे सके उनको यहाँ शुरू करने और उन्नत करने का काम हमारी शक्ति से परे न होना चाहिये। जिन देशों के पास खनिज तैल नहीं है वे अपने कोयले के भण्डार को तरल ईन्धन में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने देश में हम भी अभी तक गण्यमात्रा में खनिज तैल का पता नहीं चला पाये हैं। यह

वैज्ञानिकों का काम है कि वे हमें बतावें कि अपने प्राकृतिक सम्पत्ति-साधनों की इस कमी को उस वस्तु का, जो हमारे यहाँ पर्याप्त बड़ी मात्रा में उपलब्ध है अर्थात् कोयले का उपयोग करके हम किस तरह पूरी करें। उस समय भी जब हम ने अपनी जलशक्ति का आज की तुलना में कहीं अधिक विकास कर लिया होगा हमें धातुकामिक प्रयोजनों के लिये तथा उसके उपोत्पादों में से अनेकों के लिये कोयले की आवश्यकता बनी ही रहेगी। जल-सम्पत्ति-साधनों के उपयोग द्वारा अधिक शक्ति के उत्पादन की योजना को कोयले के भण्डार की उपयोग की योजना से मिला लेना चाहिये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ उस कोयले का, जो निकाला जाता है, लगभग एक तृतीयांश हमारी रेलों के काम आ जाता है तथा उस का काफी अंश धातुकामिक उद्योगों से अन्य उद्योगों के काम में आता है। यदि इन सब प्रयोजनों के लिये आवश्यक सब शक्ति हमारे जलविद्युत कारखानों का विकास करने से उचित समय के अन्दर मित्र भी सके तो भी हमें अपने कोयले के वैज्ञानिक उपयोग की आवश्यकता उन विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के लिये बनी रहेगी जिनका जिक्र मैंने पहले किया है और इस लिये योजना तैयार करने का एक अंग यह होगा कि इन दोनों प्रकार के विकासों में किस प्रकार मेल बैठाय जाये जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ न हो और जिस किसी चीज को हम स्थापित करें वह बर्बाद न जाये।

पिछले तीस वर्षों से मैं कोयले की खानों में जब तब आता रहा हूँ और हर बार जब मुझे इस प्रदेश में एक या दो राते बितानी पड़ी है मैंने सड़क के किनारे, घरों के अहातों में और लगभग सभी जगह बड़ी मात्रा में कोयला जलाया जाता देखा है जिससे कि बड़ी तादाद में धुआँ निकलता है और जीना हराम कर देता है। कोयले को कोक में परिवर्तित करने के लिये यह किया जाता है। किन्तु इस रीति से काम करने में वे सब उपोत्पाद हाथ से निकल जाते हैं जो यदि वैज्ञानिक रीति से काम किया जाये तो उपलब्ध हों। मुझे आशा है कि ऐसी योजना की जा सकेगी कि जिससे छोटी कोयले की खानें भी अपने उस कोयले को, जिसे वे कोक में परिवर्तित करना चाहें, ऐसी रीति से परिवर्तित करने में समर्थ हो जिससे वे उपोत्पाद जो आजकल बर्बाद हो जाते हैं उपलब्ध ही न होंगे वरन् उस तकलीफ और कष्ट से भी कोयले की खानों का जीवन मुक्त हो जायेगा जो कोयले का यहाँ वहाँ और सब जगह जलाने से पैदा होता है।

यह बहुत विशद कार्यक्षेत्र है और मुझे पूरा यक़ीन है कि यह प्रतिष्ठान अपने एतत्स्थानीय तथा मानहृत प्रयोगालयों द्वारा उस समय जब कि इन में पूरी तरह काम होने लगा होगा हमारे ईन्धन के भण्डार और विशेषतया कोयले के सर्वोत्तम उपयोग करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस बात का विस्मरण नहीं कर सकता कि यह प्रतिष्ठान ऐसे राज्य में स्थित है जहाँ का मैं स्वयं हूँ और इसीलिये मेरी इस में और भी दिलचस्पी है। मैं मनुष्य के दर्जे में कुछ गिरा होऊँगा यदि मैं इस बात को स्वीकार न करूँ कि इस कारण भी इस की उन्नति और सफलता में मेरी खास दिलचस्पी है। किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि इस की सफलता में निहार और बंगाल को ही नहीं वरन् सारे देश को भी लाभ होगा। मुझे आशा है कि हमारे की कमी से इस के काम में बाधा न पड़ेगी और राज्यों और संघ की सरकारों से

ही नहीं बरन् वृहद् और प्रभावशील औद्योगिक वर्ग से भी, जिन का इसके विकास में उतना ही हित है जितना कि सरकार का, सहायता मिलने का इसे भरोसा होगा। मुझे यह भी आशा है कि हमारे विश्वविद्यालय भी इसे ऐसे गवेषणा करने वाले कार्यकर्ता देकर इसकी सहायता करेंगे जैसे कि इस प्रतिष्ठान की सफलता के लिये आवश्यक है। इस के प्रयोगालय आधुनिकतम रीति से बनाये गये हैं और नवीनतम औजारों से सुसज्जित किये गये हैं किन्तु कोई प्रयोगालय स्वयमेव ही कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इस से लाभ उठाने के लिये ऐसे नर नारी न हों जो पर्याप्त ज्ञान से सज्जित, गवेषणा के लिये उत्साह पूर्ण और देश के कल्याण से प्रेरित हैं। आपके इस प्रतिष्ठान का संचालनभार डाक्टर विहट्टेकर और डाक्टर लाहिड़ी पर है जिन्होंने अपने किये गये काम द्वारा अपनी योग्यता व्यक्त कर दी है और मुझे इस में कोई शंका नहीं है कि भविष्य में भी भूतकाल के समान ही उनकी सेवायें देश के लिये बहुमूल्य सिद्ध होंगी। इस प्रतिष्ठान से और इस से अपेक्षित पारंगामों से हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों के सामने सेवा और ज्ञान का प्रशस्त नया मैदान बन गया है और मैं तो आशा करता हूँ कि अपने सामने पड़े कार्य के लिये वे अपने को भली प्रकार से सज्जित करेंगे।

इन शब्दों से मैं इस राष्ट्रीय ईन्धन गवेषणा प्रतिष्ठान को खुला घोषित करता हूँ।

### हजारी बाग में जनता को उद्बोधन

हजारी बाग में ता० २३ अप्रैल १९५० को दिन में १ बजे राष्ट्रपति जी ने एकत्रित जनसमूह से कहा—

भाइयो तथा बहनो,

मैं तो आपके यहां बराबर आया जाता करता हूँ। कुछ नया तो हूँ बर्ही। दो डायी साल से हम आजाद हुए हैं। मुझे तो आप से इतना ही कहना है कि मुझे जो कुछ कहना था पंडित जी ने कह दिया है। उसके मुताबिक काम किया जाये। आप से इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

आप लोगों के दर्शन हुए इसके लिये धन्यवाद।

### झूमरी तैलिया में सार्वजनिक सभा

झूमरी तैलिया में ता० २३ अप्रैल १९५० में शाम के ६-३० बजे सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति जी ने कहा—

भाइयो और बहनो,

आपको यह मालूम ही है कि मैं और हमारे प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल जी दो तीन दिनों से आपके इस इलाके का दौरा कर रहे हैं और जो इस इलाके में काम हो रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इन कामों से आप लोगों का क्या सम्बन्ध है और आप लोगों को इन से क्या लाभ पहुंच सकता है। कहीं



तक इन कामों के बनने में तरक्की हुई है और कितना काम अभी बाकी है, यह सब देखते सुनते अ.ज. सवेरे से आप के ज़िले में हम लोग फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ दामोदर नदी के सिलसिले में जो जो बांध बनने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन की सफाई होने जा रही है, उन सब को हमने देखा। जिन्हें अपनी अपनी जगहों से हटना पड़ा है उनको नये सिरे से बसाने का किस तरह इन्तज़ाम हो रहा है उन सब चीज़ों को देखते देखते अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं।

जब से हमारे हाथों में अधिकार आया है, बहुत तरह की मुसीबतें हमारे सामने रही हैं और सब से बड़ी मुसीबत यह रही है कि हमारे आपसी झगड़ों की वजह से हम उन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे सके हैं जितना कि हम को देना चाहिये था। मगर बावजूद इन सब रुकावटों के अब तक जो कुछ काम हुआ है और होने जा रहा है उसका कुछ नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका भी आप खयाल रखे कि यहाँ पर जो बड़ा काम हो रहा है वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। इसके अलावा जो सूबे की गवर्नमेन्ट है वे भी अपने अपने दायरे में सभी जगहों पर इस तरह के काम कर रही हैं और सभी जगहों पर ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर देश के लोग आपसी झगड़ों से बचें और शान्ति रखें और अगर गवर्नमेन्ट को इन रचनात्मक कामों की तरफ अपना ध्यान देने का मौका दें तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा।

मैं ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद अभी प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल जी बहुत कुछ आपसे कहने वाले हैं। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे प्रधान मन्त्री जी की पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री जी के साथ नई दिल्ली में जो बातचीत हुई है और उसमें जो तय हुआ है उसके अनुसार हमारे देश के हर एक आदमी को चलना चाहिये। उसका यह फर्ज है कि वह उसके मुताबिक चले और उसको पूरा करे। उसके पूरा करने का अर्थ यह होगा कि आपस के झगड़े कम होंगे; और हम रचनात्मक काम की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे; हमारी जो आशाएँ हैं और जो हीसले हैं उनको हम पूरा कर सकेंगे। उन आशाओं को पूरा करने के लिये शान्ति का कायम रखना जरूरी है। इसलिये आप से यह आशा की जाती है और देश के लोगों से उम्मीद रखी जाती है कि वे गवर्नमेन्ट का पूरा हाथ बंटाकर हर तरह से उस फ़ैसले को पूरा करने में गवर्नमेन्ट को मदद देंगे।

आप सब भाई बहनों को कष्ट लेकर यहाँ आने के लिये धन्यवाद देता हूँ।

### शिमला यंग टीमों के बीच गेंद का फाइनल मैच

शिमला यंग और दिल्ली यंग टीमों के बीच गेंद के फाइनल में ता० २६ अप्रैल १९५० को शाम के ६-३० बजे राष्ट्रपति जी ने कहा—

दोस्तों,

मझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं इस मौके पर आप लोगों का खेल देख सका। यों तो अपने बचपन में मैं भी कुछ थोड़ी बहुत दौड़ घूप किया करता था। पर करीब

३०, ३५ वर्ष से मुझे मैच देखने का कोई मौका नहीं मिला। आज यहां मुझे अच्छा खेल देखने का मौका मिला। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। दोनों तरफ के लोगों ने बड़े मजे के साथ, खुशी के साथ खेल खेला। सब मे बड़ी बात यह हुई कि आप सब लोग अच्छी तरह से खेले। किसी ने किसी के साथ ज्यादाती नहीं की। सब लोगों ने मिलकर बड़े आनंद के साथ खेला। मैं इसके लिये आप सब दोनों तरफ के खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ। जब कोई खेल खेला जाता है तो उसमें जीतना और हारना हुआ ही करता है। एक पार्टी जीतती है तो दूसरी का हारना जरूरी है। हो सकता है कि इस बार जीतने की आपकी बारी हुई तो दूसरी बार उनकी हो। जो पार्टी जीतती है वह तो खुश होगी ही, पर जो हारी है उसे भी अफसोस करने की जरूरत नहीं। उनको भी खुश होना चाहिये।

आप लोगों को चाहिये कि जिस खेल को आप खेलते हैं उसको हमेशा जारी रखें। इससे आपकी तन्दुरुस्ती बढ़ती है। तन्दुरुस्ती बढ़ने से आप अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं।

ऐसे मिल जुलकर खेल खेलने से यह आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम हो आप उसको मिल जुलकर कर सकेंगे। इसमें आपस में किसी तरह का मुकाबला होने पर भी एक दूसरे के साथ मुहब्बत और प्रेम का भाव बना रहेगा। इस चीज को हमें आज सीखना है। आज के इस खेल से हमें यह चीज देखने को और सीखने को मिली।

मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।

### आगरे में नागरिक अभिनन्द

ह्यूवट पार्क, अगरा में. सार्वजनिक स्वागत सभा में ता० ३० जून १९५० को शाम के ७ बजे राष्ट्रपतिजी ने कहा—

आगरा नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, जिला पालिका के अध्यक्ष महोदय, आगरा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और आगरा जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा महोदया, भाइयो तथा बहनों,

जब से मैं आया हूँ, तब से बराबर जो आदर और सत्कार आपने मेरे प्रति दिखाया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक प्रकार से यह आदर और सत्कार स्वाभाविक था क्योंकि यह पहला ही अवसर है जब देश का राष्ट्रपति चाहे वह कोई भी हो आपके नगर में उस हैसियत से आया है।

हम लोग अभी तीन वर्ष भी पूरे नहीं हुए कि स्वतंत्र हुए हैं। अभी पांच ही महीने बीते हैं जब हमने अपने देश को स्वतंत्र गणतन्त्र घोषित करके अपने लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रपति चुना था। यह इतना अद्भुत और महत्व का काम हुआ है जिसकी भिसाल हमारे इतिहास में शायद ही मिले। आज तक का जो इतिहास ग्रन्थ को मिलता है उस में गणतंत्र की कथा तो मिलती है। एक नहीं कई

रिपब्लिकों हिन्दुस्तान के अन्दर कायम हुई और उन रिपब्लिकों ने अपने अपने समय में बहुत काम भी किया। मगर वे सब छोटी छोटी रिपब्लिकें थीं ; आज के शायद एक जिले के बराबर दो जिले के बराबर या इससे भी कम। हमारे यहां ऐसे ऐसे चक्रवर्ती राजा भी हुए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया; ऐसे ऐसे बादशाह भी हुए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को विजय करके अपने कब्जे में रखकर उस पर हुकूमत की। मगर यह ही पहला अवसर है जब सारे हिन्दुस्तान की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने देश के अपने एक सेवक को चुन कर उसको यह पद प्रदान किया है। इसलिए जब मैं कहीं जाता हूं और लोग मेरा आदर और स्वागत करते हैं तो मैं समझता हूं कि वे इस महान् कार्य की महत्ता को समझ कर जो आदर देते हैं वह तो चुने हुए पद के लिये देते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये। मैं यह मानता हूं कि जो कोई भी इस पद पर आ जाये उसका भी वही आदर और सम्मान हमेशा होना चाहिये क्योंकि यह तो देश का काम है और इसलिये देश के चुने हुए मुख्य लोगों का काम है कि वे तय करें कि किस के जिम्मे कौन सा काम वे सुपुर्द करें।

जब सन् १९३७ में बिहार में और देश के दूसरे सूबों में पहले पहल कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी और वहां के मिनिस्टर नियुक्त हुए तो मैंने उस समय यह कहा था कि आज हम जिन भाइयों को अपने प्रान्त का प्राइममिनिस्टर या दूसरा मिनिस्टर बना रहे हैं, हो सकता है कि मौका आने पर देश उन्हें हुक्म दे कि तुम गांव गांव में जाकर झाड़ू दो। यह सेवा भी उतने ही आदर की होगी जितने की उनके वर्तमान मन्त्रिपद है। उन को उस समय भी चाहिये कि देश के हुक्म देने पर उतने उत्साह के साथ उस काम को भी करें जिस उत्साह के साथ वे प्रधान मंत्री का पद स्वीकार कर रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं कि यद्यपि आज देश ने मुझे इस ऊंचे पद पर बिठाया है फिर भी मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि अगर कल देश ज़रूरी समझे और ऐसा खयाल करे कि मेरे झाड़ू लगाने से देश की बेहतर सेवा हो सकती है तो वह भी मैं करने के लिये तैयार हूं।

हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। अब देश का भाग्य हमारे हाथों में है। उसको हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। अब यह मौका नहीं रहा कि अगर कोई बात बिगड़े तो उस की शिकायत हम दूसरे से करें और उसका इल्जाम दूसरे के सिर पर डालें। अब तो जो भी बात बनेगी उसके लिये सब श्रेय हम ही को है। जो बात बिगड़ेगी उसका जो इल्जाम होगा और शिकायत होगी वह भी हमारी ही होनी चाहिये। हम अब किसी पर दोष नहीं लगा सकते न हम को ऐसा करने का हक है। हमें यह सब समझ कर आज देश की सेवा में लग जाना चाहिये। महात्मा गांधी जी ने जब अपना काम शुरू किया था और देश के सामने स्वतंत्रता हासिल करने के मसले को रखा था और साथ ही एक नया रास्ता बतलाया था जिस पर चल कर हम

जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं तो उस वक्त हम में से बहुतेरों ने सोचा था कि इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत से लोगों ने यह भी सोचा था कि शायद इस रास्ते पर चल कर हम स्वतंत्रता कभी प्राप्त कर नहीं सकेंगे क्योंकि इस तरह के उदाहरण इतिहास में कहीं दूसरी जगह नहीं देखने में आये। किसी भी देश के निहत्थे लोग बिना किसी हथियार के बहुत बड़ी सल्तनत के खिलाफ उठ कर और लड़ कर और उस को मजबूर करके किस तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे यह बात समझ में नहीं आती थी। मगर हमने देखा कि गांधी जी ने जो रास्ता बतलाया था वह हमारे लिये कितना अच्छा और कितना कारगर रास्ता निकला। मैं उस वक्त इस बात को सोचता था और आज भी मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लिये ही नहीं किन्तु सारे संसार के लिये जो रास्ता गांधी जी ने बतलाया था वही सब से अच्छा और सुन्दर और लाभप्रद रास्ता है। मगर अफसोस है कि आज हम दूसरों को क्या कहें, खुद उस चीज को बहुत हद तक भूल गये हैं और भूलते जा रहे हैं और अभी थोड़े ही दिन पहले हमने जो कामयाबी हासिल की थी, उस कामयाबी को भूल कर अब हम अगर मगर के फेर में पड़ रहे हैं। हमारे दिल में तरह तरह के शकोशुबा हैं और तरह तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि देश का कल्याण इसी में है और संसार का कल्याण भी इसी में है कि वह गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर ही चलता रहे और उस को ही अपना अटल रास्ता मान कर बराबर उस पर अडिग रहे। चाहे उस में देखने के लिये इस वक्त हम को कुछ कठिनाई और दिक्कत भी मालूम हो तो भी हमें चाहिये कि उसको न छोड़ कर बराबर उस पर हम अमल करते रहें। सन् १९२० में गांधी जी ने हमें जो रास्ता दिखलाया था उस के पहले हमें हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता था। दूसरा कुछ भी नजर नहीं आता था तो भी आशा करके, विश्वास करके और श्रद्धा करके हम निश्चित मत से उस रास्ते पर जो कुछ थोड़ा बहुत चल सके उसका नतीजा यह हुआ कि ३० वर्ष के अन्दर ही हम अपने देश को गणतंत्र राज्य घोषित कर सके और उसके लिये एक राष्ट्रपति भी चुन सके। इस तरह से जो कुछ दिक्कतें आज हमारे सामने नजर आती हैं और जो कुछ अंधकार हमें मालूम होता है अगर हम दृढ़तापूर्वक उस रास्ते से विचलित न होकर उसी पर डटे रहें तो जिस तरह सुबह के सूरज को निकलता देखकर कोहरा गायब हो जाता है उसकी ही तरह गांधी जी के रास्ते पर चलने से तमाम अंधकार फट जायेगा और हमारा रास्ता प्रशस्त और साफ हो जायेगा और हम अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकेंगे।

गांधी जी ने हम को बतलाया था कि सब से अच्छी और सबसे बड़ी चीज आपस में मिल कर रहने की है और झगड़ा न करने की है। हम इस वक्त उस बात को भूल से मये हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि जिस दिन से हम स्वतन्त्र हुए हैं उसी दिन से हमारे सामने ऐसे ऐसे बड़ बड़ प्रश्न आकर खड़े हो गये जिन को आज तक हम सलझा नहीं सके हैं। आप जानते ही हैं कि आज किन्तु ही

काका बादमी एक जगह से उजड़ कर बेघरदार होकर दूसरी जगह बस रहे हैं। उनको बसाने का काम बहुत ही कठिन काम साबित हो रहा है और यह सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यह सब किस कारण हुआ? सिर्फ गांधी जी की बताया हुई एक चीज़ को छोड़ने का नतीजा इतना भयंकर हुआ है जिसको हमें आज भुगतना पड़ रहा है; न मालूम और कितना हमको भुगतना पड़े। इसलिये मैं चाहता हूँ कि गांधी जी की हर बात को हम ध्यान में रखें। उन्होंने एक एक चीज़ जो हमें बतलाई थी वह सब दूरदर्शिता के साथ बहुत विचार करके बतलाई थी। हमारे पास कोई दिव्यदृष्टि ऐसी नहीं है जिनसे हम भविष्य की बातों को जान सकें। अगर हम चाहें तो हम अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास पैदा कर सकते हैं और उसके अनुसार अगर हम चलें तो कुछ कामयाबी भी हासिल हो सकती है।

इस वक्त आप देखते हैं कि सारा संसार बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी दो चार ही दिन के अन्दर ही आपने अखबार में देखा होगा कि कुछ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं कि जिनका नतीजा आज कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है। पिछले ४० वर्षों के अन्दर दो महायुद्ध हो चुके हैं और उन दोनों महायुद्धों में कितनी खूनखराबी हुई है इसका अन्दाजा भी लगाने से सिर चकरा जाता है। लेकिन फिर भी कोई कह नहीं सकता कि जिस तरह आज घटनाचक्र चल रहा है उस से कोई तीसरी लड़ाई न शुरू हो जायेगी। इसलिये जब सारी दुनिया की ऐसी स्थिति है और इस प्रकार वह बहुत ही कठिन और मुश्किल रास्ते पर चल रही है तो आसानी से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा रास्ता सरल और प्रशस्त है। मेरे विचार में तो गांधी जी का बताया हुआ रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर हम अपने को तमाम दिक्कतों से दूर रख सकते हैं। उन्होंने एक दीपक की तरह हम को सब कुछ दिखला दिया है और हमारे लिये यह ज़रूरी है कि उस पर विश्वास रख कर उस पर चलें। अगर ऐसे समय में जबकि सारा संसार परेशान है गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर हम चलें तो न केवल अपना ही बल्कि सारे संसार का हम भला कर सकेंगे। इसलिये मैं कहता हूँ कि ऐसा करने में ही सब का कल्याण है।

आप लोग एक ऐसे शहर और ज़िले के रहने वाले हैं जिसका महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। मैं आज सवेरे से फतहपुरसीकरी और आगरा में जहाँ जहाँ पुरानी इमारतें हैं उन को देखता रहा हूँ। आगरा में तो मैं पहले भी आया हूँ। इन इमारतों को थोड़ा बहुत देखा भी है लेकिन इस मतंबा कुछ अधिक देख सका हूँ। जब मैं देखता हूँ कि किस तरह से अकबर ने हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मवालों को मिलाने का प्रयत्न किया था और उनका प्रयत्न उनके जमाने में और उनके बाद भी कहीं तक सफल हुआ और जब मैं यह भी याद करता हूँ कि उनकी उस नीति को छोड़ने का नतीजा सब के लिये

कितना भयंकर हुआ, तब मुझे यही ज्ञात होता है कि गांधी जी ने जो नीति हम को बतलाई थी केवल वही नीति हमारे लिये श्रेयस्कर है और हो सकती है।

आपके शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वे सब सुन्दर हैं और इनमें कला का तो एक प्रकार से चरम विकास हुआ है। इसलिये आपको इस बात का गर्व होना जायज़ है कि आप ऐसे शहर और ज़िले के रहने वाले हैं जहाँ इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं और जहाँ के लोग आज तक भी कुछ न कुछ उन पुरानी चीजों को याद रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो इस तरह का काम अभी तक भी कर सकते हैं। मैं ने सुना है कि इन इमारतों की मरम्मत में जो लीग लगे हुए हैं वे सब यहाँ के रहने वाले हैं और उन लोगों में कला का कुछ अंश अभी तक बाकी रह गया है। हमारे देश का यह काम है कि देश की इस पुरानी कला को जीवित रखे और अगर हो सके तो उन्नत बनाये। इसलिये यह आवश्यक है कि नगरपालिकाएँ, ज़िला पालिकाएँ या ग्राम-पालिकाएँ, सुबे की गवर्नमेंट और सारे देश की सरकार इन कलाकारों को सहायता दें। यदि कला के पुनरुद्धार में हम जिस हद तक मदद दे सकते हैं उस हद तक मदद दें और मिल जुल कर मदद दें तो इस दिशा में पर्याप्त कामयाबी मिल सकती है।

आज देश की जैसी स्थिति है उस को देखते हुए आप यह समझ सकते हैं कि हम अभी तक कुछ ज्यादा ठोस काम नहीं कर सके हैं और शायद आगे भी कुछ समय तक इस तरफ जितना हमारा ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं जा सकेगा। अगर ध्यान गया भी तो भी हमारे पास इतने अच्छे साधन नहीं हैं जिनके जरिये से हम यह काम आसानी से कर सकें। किन्तु फिर भी इनका ध्यान तो रखना ही चाहिये। मेरा ऐसा विचार है कि हम सब मिल कर इन पुरानी इमारतों को जो हमारी पुरानी सभ्यता के मूर्तिमान चिन्ह हैं कायम रख सकें तो यह न केवल अपने लिये ही बल्कि सारे संसार के लिये भी अच्छा होगा। यह चीज़ हमारे पास शरोहर के रूप में रखी हुई है। इस पर सारे संसार के लोगों का उतना ही हक है जितना कि हमारा। इनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब को इसका ध्यान है। इसलिये मैं केवल एक बात कह करके आप को बधाई देता हुआ अपना भाषण खतम करना चाहता हूँ। गांधी जी ने हम को आज तक [जितनी भी बातें बताई थीं उन में सब से बड़ी और सब से अच्छी सीख उन्होंने हम को जो दी है वह यह है कि मनुष्यों का चरित्र ठीक होना चाहिये। हम अभी अभी स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं। अभी थोड़े ही दिनों में चुनाव होगा। देश के सब बालिग लोगों को, २१ वर्ष की अवस्था के सब नर नारियों को यह हक होगा कि मत देकर अपना पंच चर्च और उन पंच लोगों का काम होगा कि सारे देश का शासन करें। मैं

यह कहना चाहता हूँ कि जब तक हर एक मतदाता अपने कर्तव्य को न समझे और जो उम्मीदवार होगा वह भी जब तक यह न समझे कि जनता द्वारा चुने जाने के पश्चात् उसका क्या कर्तव्य होगा तब तक हम सफलता नहीं पा सकते; अगर सब लोग अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य को न समझें तो इस चुनाव का कोई फायदा नहीं। संविधान कैसा भी सुन्दर, कैसा भी अच्छा क्यों न हो देश की भलाई नहीं कर सकता। देश की भलाई केवल संविधान के अच्छे होने पर निर्भर नहीं है बल्कि संविधान पर चलने वालों की सचाई पर भी निर्भर करती है। संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में पड़े तो इससे देश का और सब का कल्याण है और अगर बुरे लोगों के हाथ में पड़े तो देश के साथ साथ सब का ही नुकसान है। इसमें संविधान का कोई दोष नहीं होता। बुरे लोग अच्छे संविधान की अच्छाई को छोड़कर बुराई कर सकते हैं; या कम से कम अच्छी बातों को हटाकर उनकी जगह पर बुरी बातें डाल सकते हैं। अगर हम देश की भलाई चाहते हैं तो हम को व्यक्तियों को सुधारना है; हर एक आदमी को सुधारना है। हम आज देश में तरह तरह की शिकायतें सुनते हैं। कोई कंट्रोल की शिकायत करता है तो कोई चोरबाजारी और रिश्वत की शिकायत करता है। सब एक दूसरे से झगड़ते हैं। कांग्रेस के अन्दर हो या बाहर आपस में ऐसी दलबन्दी कायम हो गई है जिस का नतीजा आगे चलकर देश के लिये अच्छा नहीं होगा। मैं जब सोचता हूँ तो सब की जड़ में यही कारण मालूम पड़ता है कि हमारे दिल कुछ कमजोर पड़ गये हैं। गांधी जी ने जो त्याग का रास्ता हम को सिखाया था उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे और जो दूसरी बातें हमारे दिलों के अन्दर हैं उनको दूर करके और जो दूसरे प्रकार के खयाल हमारे हृदयों में आन्दोलन पैदा कर रहे हैं उन सब को दूर रख कर अगर हम सीधे रास्ते पर चलें तो हम इन सारी मुसीबतों से बच सकते हैं; और इनका बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

इसलिये मैं तो यही चाहूँगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि मेरा इस वक्त क्या कर्तव्य है। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अब सेवा का समय बीत गया है और अब भोग का समय आ गया है। मैं यह मानता हूँ कि भोग का समय अच्छे लोगों के लिये कभी आता ही नहीं। जो लोग भोग चाहते हैं उनके लिये भोग का समय आता है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिये ऐसा समय कभी आता ही नहीं। हम को यह मानना पड़ेगा कि इस समय देश की जैसी स्थिति है उसको देखते हुए हम में से किसी को भोग की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये। प्रत्येक को दिलोजान से और उत्साह के साथ काम करना चाहिये। आज तक जिस देश प्रेम के साथ हम काम करते आये हैं उससे भी अधिक अब काम करने की ज़रूरत है। हमें चाहिये कि हम अपने में त्याग की भावना को पैदा करें और समय आने पर हर प्रकार के त्याग के लिये तैयार रहें।

अन्त में मैं आप सब भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

## वन महोत्सव

वन महोत्सव सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर राजघाट में ता० १ जुलाई १९५० के सबरे ७-५० पर राष्ट्रपतिजी ने कहा—

भाइयो व बहनो,

आज का यह महोत्सव बहुत महत्व रखता है। हमारे देश में आज से नहीं बहुत दिनों से एक प्रथा चली आ रही है कि हम वृक्षों को लगाना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। इसी वजह से जब कभी देश में किसी उत्सव का समय आता है तो हम लोग हर बार वृक्ष लगाया करते हैं। इन वृक्षों से हमें इतने तरह की सहायता मिलती है जितनी कि किसी और चीज से नहीं मिलती। पर दुर्भाग्यवश इधर कुछ दिनों से हमने उसके महत्व को भुला दिया है। गत कई वर्षों में तो इतने वृक्ष कट गये हैं और उन्हें इतनी बेरहमी के साथ काट डाला गया है कि इनके न रहने की वजह से मुल्क को बहुत तरह का नुकसान पहुंच रहा है। एक एक चीज को अगर देखें तो मालूम होगा कि वृक्षों से कितना फायदा होता है। देश की भलाई के लिये हमको यह जानना जरूरी है कि वृक्षों से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। इसका पहला लाभ तो यह है कि जमीन को इन वृक्षों की ही वजह से पानी मिलता है। अगर वृक्ष न हों तो जो पानी जमीन पर गिरता है वह व्यर्थ चला जाता है। उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर वृक्ष काफी संख्या में हों तो वे पहाड़ से बहते हुए आने वाले पानी को रोकने में मदद करते हैं। अगर पानी के रोकने का कोई साधन न हो तो पानी बाढ़ की शक्ल में बर्बादी फैलाते हुए समुद्र की ओर बहता चला जाता है। पर अगर वृक्ष हों तो यह पानी रुक जाता है। इसका फायदा यह होता है कि वहाँ की जमीन को पानी के साथ साथ वृक्षों के कारण खाद भी मिलता है। आज हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे देश के बहुत से हिस्सों में वर्षा बहुत कम हो रही है। कहा जाता है कि वृक्षों के काटे जाने का ही यह परिणाम है कि बहुत जगहों में जितना पानी पहले बरसता था उतना अब नहीं बरस रहा है। हमें चाहिये कि इन जंगलों को फिर से आबाद कर दें। अगर हमने ऐसा किया तो पानी की जो कमी महसूस हो रही है वह दूर हो जायेगी। खाद की भी जो कमी है वह भी जाती रहेगी। बड़ी खुशी की बात है कि थोड़े दिनों से लोगों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया है। यह भी कहा जाता है कि राजपूताने में जो मरुभूमि है वह हर साल कुछ न कुछ फैलती जा रही है। अगर यह सिल-सिला जारी रहा तो इसका यह नतीजा हो सकता है कि १००, २०० वर्षों के बाद हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बालू का समुद्र हो जायेगा। इस भयानक घटना से बचने के लिए और जिस से देश को खाद, पानी मिले समय पर वर्षा हुआ करे यह आवश्यक है कि हम वृक्षों को लगायें। इस लिये यह काम जो शुरू किया है बड़े महत्व का है। हमें यह भी सोचना चाहिये कि हम कितने प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं। कुछ वृक्ष हमको ऐसे भी लगाने चाहिये जो केवल जलाने के काम के ही हों। हमारे देश को जलाने की लकड़ी की बहुत जरूरत है। मवेशी का जो गोबर होता है वह खाद का काम दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इससे जलावन का काम लिया जा रहा है। जो कुछ गोबर हमें मिलता है अगर हम उसे



खाद बना कर प्रयोग कर सकें तो ज़मीन की पैदावार बहुत बढ़ सकती है। इस लिये मोबर से जलावन का काम न लेने के लिए हमें जलावन की लकड़ी की बड़ी आवश्यकता है। खाद्यान्न की कमी का जो प्रश्न हमारे सामने है वह भी बहुत हद तक वृक्ष लगाने से हल हो सकता है।

मुझ से कहा गया है कि प्रायः २ करोड़ वृक्ष लगाये जाने वाले हैं। वृक्ष तो लगाना ठीक है परन्तु वृक्ष जो लगाये जाते हैं उनके ज़िन्दा रखने का भी इन्तज़ाम होना चाहिये नहीं तो जिस तरह से बच्चे को पैदा करके बचपन में ही मर जाने देना महान् पाप का काम होता है उसी तरह वृक्ष को लगा करके ज़िन्दा रखने का प्रयत्न न करना उनको मार डालने के बराबर होगा और यह महान् पाप भी होगा। हर एक पीढ़े को तैयार करने में खर्चा लगता है। अगर सब लोग वृक्ष लगायें और उनके ज़िन्दा रखने की तरफ कोई ध्यान न दे तो इससे बड़ा भारी नुकसान होगा। वृक्ष लगाना तो आसान है लेकिन उसकी देखभाल करना मुश्किल है। वृक्ष लगाने के बाद उसकी ज़िन्दा रखना बहुत ज़रूरी है।

एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ। वह यह है कि हमारा उत्सव हर साल मनाया जायेगा। पर हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हर उत्सव के समय हम कुछ न कुछ पुण्य का काम करते रहें। शादी के समय, मुण्डन के समय, यज्ञोपवीत के समय हम उत्सव मनाते हैं। ऐसे उत्सव के समय यदि वृक्ष लगाया करें तो मैं समझता हूँ कि उस काम के लिये हमको एक खास हफ्ता अलग न रखना पड़ेगा। खुद ब खुद साल भर यह काम चलता ही रहेगा। यह काम हमने आरम्भ किया है, इसको जारी रखना बहुत ज़रूरी है।

### ट्री-प्लान्टिंग

ता० १ जुलाई १९५० को सबेरे ९ बजे राष्ट्रपति एस्टेट के बगीचे में ट्री-प्लान्टिंग समारोह में राष्ट्रपति जी ने कहा—

भाइयो और बहनो,

अभी आप लोगों ने देखा कि यहां पूजा की गयी और इसके बाद वृक्ष आरोपित किये गये। हमारे खाद्य तथा कृषि विभाग के मंत्री श्रीयुत मुन्शी जी ने भी यहां पर वृक्ष लगाया। वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा महत्त्व और पुण्य हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसी वजह से पहले लोग वृक्ष लगाने को एक अच्छा काम समझते आये हैं। इधर ज़मीन पर लोगों का बहुत दबाव पड़ा। ज़मीन बहुत कम होने की वजह से जहां जहां जंगल बढ़ गये थे उनको काट काट कर लोगों ने ज़मीन को श्रावाद करना आरम्भ कर दिया। इसी वजह से वृक्ष बहुत कम हो गये हैं। जहां जहां जंगल अब भी मौजूद है वहां भी वह कम होता जा रहा है। मगर वृक्ष और जंगल के बना खेती का काम ठीक नहीं चल सकता। इसका कारण यह है कि आसमान में जो बादल आते हैं वे उन बंधों से टकराते हैं और वर्षा होती है। अगर

वर्षा न होवे तो किसी को जल नहीं मिलेगा । जल के बिना कैसे काम चल सकता है । इसलिये जंगलों का और बड़े बड़े वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है । हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां खेती का काम अधिक होता है । अधिक लोग खेती करने वाले हैं । यह सच है कि बहुत दिनों से वृक्षों को काटा जा रहा है और उनकी जगह नये वृक्ष नहीं लगाये गये हैं । इसका कारण यह हुआ कि हमारे देश में पहले जितनी वर्षा होती थी वह अब नहीं हो रही है । इसका मूल कारण वृक्षों की कमी ही है । इसीलिये हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से श्री मुन्शी साहब ने यह काम आरम्भ कर दिया है । आज तो सारे देश में इस तरह का काम आरम्भ हो गया है । सभी जगहों पर लोग वृक्ष लगायेंगे और इसके लिये एक सप्ताह तक समय भी दिया गया है । एक सप्ताह के अन्दर जिससे जितना बन पड़े वृक्ष लगाये । जो सब से अधिक वृक्ष और सब से अच्छे वृक्ष लगायेगा उसको गवर्नमेन्ट की तरफ से इनाम देने की बात रखी गयी है । वृक्ष भी ऐसे होने चाहिये जिससे हमको फायदा हो । मैंने यहां पर बहुत से ऐसे वृक्ष देखे हैं जिनसे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता । यहां मैंने फल के दरख्त बहुत कम देखे । कुछ नीबू के दरख्त देखे । बहुत से छोटे छोटे फलों के वृक्ष हैं जो केवल देखने के लिये ही शोभा देते हैं दूसरे काम में नहीं लाये जाते हैं । नीबू के सिवाय कोई दूसरे पेड़ भेरे देखने में नहीं आये । बहुत से दरख्त ऐसे हैं जिन के फल कौए तक नहीं खाते । ऐसे भी फल किस काम के जो किसी के भी काम न आये । इनके बजाय अच्छे फलों के वृक्ष लगाये जायें । मेरा सुझाव यह है कि इस महीने में जब बरसात शुरू होगी १००-५० आम के और दूसरे प्रकार के वृक्ष लग जाने चाहियें । केवल वृक्ष लगाने से ही काम नहीं चलेगा । उनकी देख भाल भी करनी जरूरी है । जब ये वृक्ष बच्चे रहते हैं तब आदमी के बच्चे की तरह उनको भी सम्भालना जरूरी होता है । अगर नहीं सम्भाला जाता है तो बर्बाद हो जाते हैं । इसलिये जरूरी है कि इन्हें ज्यादा धूप, ज्यादा वर्षा, ज्यादा हवा से बचाना चाहिये । ज्यादा हवा से वृक्ष सूख जाने का अधिक डर रहता है । ज्यादा ठंड लगने से भी वृक्ष मर जाते हैं उन्हें उससे भी बचाना चाहिये । अगर आदमी भी जरूरत से ज्यादा खा ले तो अपच हो जाता है । अगर वृक्षों को भी ज्यादा पानी और खाद दिया जाये तो उससे भी उन्हें नुकसान होता है । यह काम हम सब लोगों का है । सब लोग मिल कर इसको सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है । आप के काम में ईश्वर आपकी मदद करे ।

### शान्तिसंस्था

\*शान्तिसंस्था के पहले अधिवेशन के अवसर पर ता० १४ अगस्त १९५० को शाम के ६-११ बजे, इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली में राष्ट्रपतिजी ने कहा—  
डाक्टर किचलू, बाबा खड्गसिंह, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात का हर्ष है कि इतने मित्रों से मिलने का मुझे यहां अवसर मिला । आप ने कृपा करके जो मानपत्र मुझ दिया है उस में मुझे आन्दोलन के उन गौरवपूर्ण दिनों की

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

बाद दिलाई है जब हमारे अनेक देशवासियों ने अपने जीवन की इति दी थी और इन से भी अधिक लोगों ने हर प्रकार की यातनाओं को सहा था और हर प्रकार के त्याग किये थे। यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि आज उस आन्दोलन की स्मृति पर इस बड़े सम्मेलन में आप लोगों में से मैं इतनों को देख रहा हूँ। साथ ही अशोक स्तम्भ को देकर मुझे आपने उस महान् सभ्यता की याद दिलाई है जिसने आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व अपने युग में उन सिद्धान्तों को बताया और प्रचार किया जिन्हें हमने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अपने तरीके से प्रयुक्त किया था। हमारा आन्दोलन बहुत प्रकार से अपूर्व था। इसमें बरती गई कार्य रीति के लिये तथा इस के द्वारा प्राप्त हुई विजयों के लिये हमारा आन्दोलन अपूर्व था। दया की भांति इस ने उन लोगों का कल्याण किया जिन्होंने हमें हमारी स्वतन्त्रता दी और उन लोगों का भी कल्याण किया जिन को कि उन लोगों से स्वतन्त्रता मिली। मुझे अब आशा है कि देश उन सुविधाओं से हर तरह का लाभ उठायेगा जो उस को प्राप्त हुई हैं और समय बीतने पर हम अपने को न केवल अपनी सेवा के लिये ही किन्तु सारे विश्व की सेवा के योग्य बनाने में समर्थ हो जायेंगे। जो अशोक स्तम्भ हमारे राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय झन्डे का भाग है उस का भी यही महत्व है। अशोक ने अपने जीवन के पूर्व भाग में तलवार द्वारा संसार को जीतने का प्रयास किया था और वह अपने प्रयास में सफल भी हुआ था किन्तु कर्लिंग विजय के पश्चात् उस ने अपनी तलवार को अलग रख दिया और अपने जीवन को शान्ति के लिये उत्सर्ग कर दिया; ऐसी शान्ति के लिये जिस की याद संसार में हमेशा बनी रही है। उस ने अपने महान् संदेशों को प्रस्तर स्तम्भों पर लिखवा दिया जिन्हें कि हम देश के विभिन्न भागों में अभी भी देख सकते हैं और वह संदेश आज की दुनिया में भी उतने ही सत्य और महत्वपूर्ण हैं जितने कि उस समय थे। संसार में आज भयानक ज्वाला के चिन्ह क्षितिज पर दीख रहे हैं, हमारी सब की मनोकामना है और प्रार्थना है कि यह भयानक संकट संसार पर न आवे। हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिये कि महान् अशोक के जीवन को जिस श्रद्धा ने अनुप्राणित किया था और मैं विनम्रता से यह भी कह सकता हूँ कि जिस ने हमें अपनी स्वतन्त्रता आन्दोलन में अनुप्राणित किया था वह अहिंसा का संदेश उन लोगों के हृदयों में भी बैठ जाये और उन लोगों की रक्षा करे जिन के हाथ में आज संसार की बागडोर है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि वह समय भी आयेगा जब कि हम दुःखता से और ओज भरे शब्दों में यह घोषणा करेंगे कि हम न केवल अपने निजी विभेदों को अपितु अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को भी जिस के कारण आज युद्ध होता है सम्झौतों के द्वारा, विचार विनिमय के द्वारा और बातचीत के द्वारा निपटायेंगे। जब तक दुनियाँ इस सिद्धांत पर आस्था नहीं लाती और जब तक इस ही अपने कार्यक्रम की बुनियाद नहीं बनाती तब तक संसार ने अब तक जो गति की है और उन्नतिशील देशों ने विनाश के हथियारों के बनाने में जो

कामयाबी हासिल की है उस के कारण यह भय बराबर बना रहेगा कि न मालूम दुनियां की क्या हालत हो और उस का भविष्य क्या हो। अतः इस भयानक दुर्घटना से हमारे बचने की केवल एक ही आशा है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन का विश्वास है कि गान्धीजी ने अपने जीवन में जो मार्ग दिखाया, जो शिक्षा दी उसी के द्वारा संसार उस भयानक दुर्घटना से बच सकता है जो आज उस के सिर पर मंडरा रही है। आप ने अपने मानपत्र में उन कठिनाइयों का भी जिक्र किया है जिनका मुकाबला हमारी सरकार को करना पड़ा है। स्वतन्त्रता अमूल्य वस्तु है। हम इस का मान करते हैं और यह भी जानते हैं कि स्वतन्त्रता अपने साथ अपनी विशेष समस्याएँ भी लायी है जिनका हल हमें करना है। उन में से एक वह है जिसकी ओर आपने विशेष रूप से संकेत किया है, अर्थात् उन असंख्य लोगों के पुनर्वास की समस्या जिन्हें परिस्थिति के कारण अपने घरबारों को छोड़ना पड़ा और ऐसे सुदूर स्थानों को जाना पड़ा जिन के बारे में उन्हें भरोसा था कि वहाँ उन की रक्षा हो सकेगी। लाखों ही नर नारी भारत में आ गये हैं और हमारी सरकार इस बात का प्रयास करती रही है कि उन को फिर से बसा दिया जाये और उन की सहायता की जाये। किन्तु समस्या इतनी महान् और इतनी टेढ़ी है कि यह आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार उन लोगों की अभ्यासित आकाक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है और न ही अपने इरादों को पूरी तरह अमल में ला सकी है। यह समस्या और भी उलझ गयी है; इस का हल और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इस का विस्तार ऐसे कारण से और भी बढ़ गया है जिसे कि हम सब लोग जानते हैं। पिछले कुछ महीनों से अत्यधिक संख्या में लोग अपने घरबार छोड़ कर भागे चले आ रहे हैं और यह बाढ़ अभी तक रुकी नहीं है। हमें केवल पश्चिम में ही यह समस्या हल नहीं करनी है इसे पूर्व में भी हल करना है और इस में कोई शंका नहीं कि समस्या अत्यन्त ही कठिन है। अतः हम सब का यह धर्म है कि हम अपनी सारी शक्ति और साधन इसके हल करने में लगा दें। इस बात का मुझे विश्वास और संतोष है कि सरकार शरणार्थियों को फिर से बसाने में अपनी सारी शक्ति लगाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचायेगी किन्तु साथ ही यह समस्या ऐसी भी है कि जिस को जनता को सुलझाना है और उन लोगों को भी इस के सुलझाने में सरकार की पूरी सहायता और उस को पूरा सहयोग देना है जो स्वयं शरणार्थी है। हम यह आशा कर सकते हैं कि सब लोगों के सहयोग से वह समय आयेगा जब हम इस समस्या के सुलझाने में ऐसा काम कर चुकेंगे जिसके लिये हम अभिमान कर सकें। मैं यह खूब जानता हूँ कि शरणार्थी इस देश के लिये एक निधि हैं और सब लोग समझते हैं कि हम को उन्हें निधि की तरह से ही मानना है नकि एक भार के समान। चाहे यह ठीक है कि हम उनके लिये वह सब कुछ नहीं कर सके जो हम को करना था किन्तु मैं आप लोगों को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह सोचता न हो कि

इस समस्या को शीघ्र हल करना है और उसे अपने सब साधनों को इसे सुलझाने और हल करने में लगाना है। मैं आप लोगों से एक बार फिर अपने उस स्वागत के लिये धन्यवाद देता हूँ जो आप ने मुझे यह मानपत्र देकर और यह अत्यन्त सुन्दर अशोक स्तम्भ देकर किया है।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपकी संस्था को अपने ध्येय प्राप्ति में पूरी पूरी सफलता प्राप्त हो।

### स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपतिजी का ब्राडकास्ट भाषण

१५ अगस्त को राष्ट्रपति ने अ. भा. रेडियो के दिल्ली केन्द्रसे निम्न भाषण ब्राडकास्ट किया—

हमारी स्वतंत्रता का यह तीसरा वाषिकोत्सव हमारे लिये केवल खुशी का ही दिन नहीं बरन् एक चुनौती भी है। हम आज उस प्रगति के लिये खुशी मना सकते हैं जो पहले तीन वर्षों में हम ने राजनैतिक और प्रशासनीय दृष्टि से देश के एकीकरण में, उस की सेना के राष्ट्रीयकरण में, उसके प्रशासन के पुनर्संगठन में और योजना बनाने वाली संस्था के कायम करने में की है। किन्तु जहां हम उस शक्तिशाली यंत्र अथवा राजनैतिक शक्तिपूज के बनाने में सफल हुए हैं, जिसके द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के कायाकल्प करने की आशा करते हैं, वहाँ हम यह नहीं कह सकते कि जो आर्थिक कमियाँ और कठिनाइयाँ पिछले तीन वर्षों में हमें सताती रही हैं, उन सब पर विजय पाने में हमने संतोषप्रद प्रगति की है। इस दिशा में हमारी प्रगति बहुत कम और धीमी रही है। यह ठीक है कि यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों को हम दूर कर चुके हैं और सामान अब खासी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। शरणार्थियों के बसाने के सम्बन्ध में भी हमने कुछ कामयाबी हासिल की है किन्तु अब भी बहुत कुछ करना बाकी है और बंगाल को हाल की घटनाओं ने तो इस समस्या के विस्तार को और भी बढ़ा दिया है और उसे और भी विषम बना दिया है। शायद हम अधिक जमीन को खेती में लगा पायें हैं किन्तु इस दिशा में भी हमारी प्रगति ऐसी नहीं हुई है कि हम चिन्ता से मुक्त हो जायें। खाद्यसमस्या अभी भी खासा सिरदँद बनी हुई है। पिछले हफ्तों में तो देश के कुछ भागों में इसने भयंकर रूप धारण कर लिया परन्तु तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये कार्रवाई कर दी गई है। हमने ऐसी बहुमुखी बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया है जिनके पूरा होने पर हमें न केवल पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति ही प्राप्त होगी बरन् हम बाढ़ों के अभिशाप से भी मुक्त हो जायेंगे। परन्तु इस क्षेत्र में भी हमारी गति काफ़ी धीमी और कम है। पर इस बारे में हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस क्षेत्र में प्रगति धीमी तो होगी ही क्योंकि हमारे सापने जो परिस्थिति है उस के विकास में महज हमारा ही नहीं बल्कि ऐसी प्राकृतिक और अन्तर्राष्ट्रीय बातों और शक्तियों का भी पर्याप्त भाग रहा है - जिन पर हमारा न कोई विबंत्रण है और न हो सकता है। हमारी वर्तमान कठिनाइयाँ महान् और भारी हैं किन्तु उन का यह अर्थ नहीं कि हम निराश और निम्न हो जायें। इसके विपरीत

हमें तो यह जान लेना चाहिये कि सचमुच में वे हमारे नैतिक, मानसिक, शारीरिक बल के लिये एक चुनौती हैं। हमें सदा के लिये यही समझ लेना चाहिये कि हम इस चुनौती का ठीक जवाब तभी दे सकेंगे जब हम दृढ़ता से सचाई के रास्ते पर ही बटे रहेंगे। बात यह है कि मनुष्य अपनी मुसीबत से तभी छुटकारा पा सकता है जब कि वह अपनी कठोर परीक्षा और महान् संकट के समय भी नैतिक धर्म पर दृढ़ बना रहे और यह एक ऐसी सचाई है जिसकी पुष्टि धार्मिक ग्रन्थों और लौकिक इतिहास की सहस्रों गाथाओं से होती है। राष्ट्रपिता ने हमें जो शिक्षा दी थी उसका भी निचोड़ यही सचाई है। सब युगों से आज यह कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि हम उस नैतिक धर्म को दृढ़तापूर्वक अपना लें जो उन्होंने हमारे सामने रखा था अर्थात् हम अहं से जगत को, भोग से सेवा को, हिंसा से प्रेम को, विनाश से निर्माण को कहीं अधिक श्रेयस्कर मानें। आज के ऐतिहासिक युग में इस नैतिक धर्म में श्रद्धा रखने का यही अर्थ है कि हमें से प्रत्येक अधिकारों की आहुति दे कर भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये तत्पर और प्रस्तुत रहे। जब तक हमारे सामने नहज अंग्रेजों से शक्ति छीनने का ही सवाल था तब तक हमें अपने आन्दोलन और प्रोग्रान को अपने राष्ट्रीय और जातीय हकूक के नाम से चलाने के अलावा और कोई रास्ता न था। किन्तु अब सवाल अधिकार प्राप्त करने का नहीं है। अब तो सवाल यह है कि जो शक्ति हमारे पास मौजूद है उसे हम कैसे प्रयोग करें कि वह सारे देश के हितों का सर्वोत्तम साधन होवे। स्वाभाविक रूप से पाने की अपेक्षा देना और वैयक्तिक स्वत्वों की अपेक्षा सनाज के प्रति कर्तव्यों का महत्व अधिक हो गया है। शताब्दियों से इकट्ठी होने वाली विचित्र तमसनाओं के कारण तो इस प्रकार का परिवर्तन और भी आवश्यक हो गया है। आज हमारे पास इतिहास जनित भार के सिवा और कुछ भी आपस में बाँटने के लिये नहीं है। हम सब इस भार को तभी सफलता से उठा सकेंगे जब हमें से प्रत्येक चाहे फिर यह सन्धान हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, नगरवासी हो या ग्रामीण, बूढ़ा हो या जवान, पुरुष हो या स्त्री, इसमें हिंसा बंटाने के लिये तैयार और राजी हो। इसका यह अर्थ है कि केवल निजी विशेषाधिकार और लाभ, सुविधा और सुख, दावे और स्वत्व पर उठे रहना किसी भी व्यक्ति के लिये आज उचित नहीं है। इसके विपरीत, प्रत्येक नागरिक को चाहिये कि वह भूतकाल की चुनौती से मुकाबला करने में और भविष्य के चित्र को पूरा करने में अपनी सारी शक्ति और साधन लगा दे तथा अपनी इस जन्मभूमि के असंख्य ग्रामों और नगरों की प्रत्येक कुटिया में जीवन और ज्योति भर देने में रातदिन लगा रहे। चारों ओर से घिरी रहने वाली कठिनाइयों पर हम तभी विजय पा सकेंगे और तभी अपनी स्वतंत्रता को सार्थक और सारवान बना सकेंगे जब हमारा वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन कर्तव्य लगन से ओतप्रोत हो गया होगा। ज्यों ही हम इस सर्वोपम सचाई को कि भोग से पहले सेवा, और अहं से पहले जगत का स्थान है, ग्रहण कर लेंगे वैसे ही वे समस्याएँ जो वातावरण को विषाक्त कर रही हैं और हमें पंगु बना रही हैं दूर होने लगेंगी। साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता, आपसी संघर्ष, स्वायं के लिये दलबन्दी, रिश्तबत्तखोरी और चोरबाजारी, सब ही सामूहिक कार्यशीलता के बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धान्त में अविश्वास के ही साफ दिखने वाले बुरे लक्षण हैं। हमें इस बात की सबसे ज्यादा

जरूरत है कि हम समस्या को ठीक ठीक समझें, उमर्क; बारीकी से परीक्षा करें और अन्तर्मुखी दृष्टि से अपनी अम्नी कमजोरियों को देखें और सुधारें। हमें व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ही हैसियत से महान् आदर्शों का केवल पुनर्स्थापन और पुनर्ग्रहण ही नहीं करना है वरन् जीवन में नीति और धर्म पर अवलम्बित रहन सहन और चालचलन का नियम भी बना लेना है, जिस के अनुसार हम दिन प्रति दिन चलें। हमारे लिये अपने को बचाने का केवल एक ही रास्ता है—वह यह है कि हम सब और हम में से प्रत्येक इस नैतिक धर्म के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर दे। शक्ति लाभ ने जिन लालसाओं को हम में जगा दिया है उन का दमन करना आवश्यक है। दूसरों को हानि पहुंचा कर और स्वयं पतित हो कर घनवान बनने के लोभ को छोड़ देना परमावश्यक है। परिश्रम और त्याग के युग का अन्त हो गया है और फल के स्वाद लेने का युग आ गया है इस मिथ्या और मोहक विचार को भी हमें मिटा देना चाहिये।

भयावह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की दृष्टि से तो इस जीवनोत्सर्ग का महत्त्व और भी अधिक है। दुनिया आज गहरी खाई के किनारे पर खड़ी है और यदि वह लेशमात्र भी लड़खड़ाई तो विनाश और क्रूर युद्ध की कराल खाई में एक ब एक समाजायेगी। अतः मुझे आशा है कि हमारी साधारण जनता, हमारे किसान और मजदूर, हमारे बलक और प्रशासक, हमारे दार्शनिक और लेखक, सब समय की पुकार को सुनेंगे और स्वार्थ भावना का परित्याग कर नये और बेहतर भारत के निर्माण के महान् कार्य में जुट जायेंगे। धनिक, व्यापारी, मजदूर, सरकारी नौकर और पेशेवर, सब ही को इस महान् यज्ञ में आहुति डालनी है और इसका भार संभालना है। मुझे यह आशा है कि वे अपने कर्तव्य भार को पूरी तरह से उठायेंगे। हम महान् भूतकाल के बारिस है और उस से कहीं बेहतर और सुन्दर भावी के निर्माता हैं। हमें अपने भाग्य की इस चुनौती को स्वीकार करना है और इस पर विजय पाना है। परमात्मा की कृपा से और देश भाइयों के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से अपने पथ में बिखरी हुई कठिनाइयों पर हम विजय पायेंगे और उस पथ पर बढ़े चलेंगे जो शान्ति, सम्पन्नता और समुन्नति के मन्दिर की ओर जाता है। जय भारत !

### बौद्ध स्मारक-चिह्न

महाबोधिहाल, रीडिंग रोड, नई दिल्ली में बौद्ध स्मारक-चिह्नों के दर्शन के अवसर पर राष्ट्रपतिजी ने कहा—

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बुद्धदेव ने इस देश में जन्म लेकर न केवल इस देश का बल्कि सारे संसार का उद्धार किया। उन्होंने अवतार ले कर न केवल इस देश के लोगों में बल्कि संसार के एक बहुत बड़े हिस्से में इस धर्म का प्रचार किया। उन्होंने जो धर्मचक्र चलाया उसका प्रभाव आज तक संसार में कायम है। संसार में अब तक बहुत से साम्राज्य हुए; बड़े बड़े बादशाह और राजा हुए जिन्होंने अपने अपने समय में बड़े बड़े साम्राज्य

कायम किये, लेकिन वे सब साम्राज्य स्थायी नहीं रहे, बहुत दिनों तक नहीं चले, क्यों कि उन साम्राज्यों का आधार धर्म नहीं था। वे हिंसा पर कायम हुए थे। मगर बुद्धदेव का जो साम्राज्य संसार में स्थापित हुआ वह तो हमेशा कायम रहेगा। उसका प्रभाव कभी भी नहीं जायेगा। चूंकि बुद्धदेव का जन्म इस देश में हुआ इसलिये आज तक भी, २५०० वर्ष के बाद भी, इनका प्रभाव इस देश के रहने वालों पर ज्यों का त्यों कायम है। और जब तक संसार के लोग धर्म के उसूल समझते रहेंगे उस समय तक इनका साम्राज्य दुनिया पर कायम रहेगा। इस समय देश की जो सरकार बनी है वह बुद्धदेव के बताये हुए मार्ग पर चलने वाली है।

यह सौभाग्य की बात है कि हमारी जो निधि यहां से विदेश चली गयी थी वह आज फिर वापिस आ गयी है और फिर उन लोगों को पूजा करने का और श्रद्धा दिखाने का मौका मिला है जो लोग विश्वास रखते हैं और जो लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। इसलिये जिन मूहानुभावों ने मुझे यह अवसर दिया है वे सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैं और उन सब को मैं धन्यवाद देता हूं। इस देश में बुद्धदेव का जन्म होने के बावजूद इस देश में उनके धर्म का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। विशेष करके जहां इनका जन्म हुआ था वहां आज इनके अनुयायी ज्यादा देखने को नहीं मिलते। मगर इस में कोई संदेह नहीं कि जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है और जो बातें उन्होंने हमें बतलायी थीं उनको बहुत हद तक हमारे देश के लोगों ने ग्रहण कर लिया था। इस देश में आहिस्ता आहिस्ता करके उनको इस तरह ग्रहण कर लिया गया कि हम लोग जो आज यहां एकत्रित हैं वे सब ही उनकी शिक्षा से अनजाने ही प्रभावित हैं। मैं यह चाहता हूं कि जहां जहाँ भी इस धर्म के लोग हों वहां वहां उनके साथ हमारा घनिष्ट सम्बन्ध बना रहे। उनके साथ मिलजुल कर हम मानव की सेवा करें।

### भारतीय कृषि गवेषणा प्रतिष्ठान

\*भारतीय कृषि गवेषणा प्रतिष्ठान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से तारीख ३०-८-५० की राष्ट्रपति जी ने कहा—

डाक्टर मुखर्जी, श्री पंजाबी और मित्रो,

यहां फिर एक बार आने से और इस प्रतिष्ठान में किये जाने वाले कार्य को देख कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। जब मेरा कृषि मन्त्रालय से सम्बन्ध था तब मैं कई बार इस प्रतिष्ठान में आया था। लेकिन जब से मैं विशाल भवन में गया हूं तब से यहां आने का यह मेरा पहला अवसर है। आप के कार्य में मुझे सच्ची दिलचस्पी है। उसका कारण यह है कि मैं यह समझता हूं और आपको इस बात को समझना चाहिये कि भारत का मुख्य उद्योग कृषि है। भारत में ८० प्रतिशत से भी अधिक लोग इस पर निर्भर करते हैं। और उद्योग भी अपने कच्चे माल के लिये कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अतः मेरा विचार है कि जो काम आप यहां कर रहे हैं वह देश की सब से अच्छी सेवा है। आजकल हमें इस बात का प्रयास करना है कि हमारे कृषकों की ऐसी सहायता की जाये कि वे हमारी सारी जन संख्या के लिये अन्न उपजाने के लिये समर्थ हो जायें। वास्तव में यह अत्यन्त खेद और लज्जा

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद ।



की बात है कि जो भारत अब तक कृषि-प्रधान देश रहा है वह अपने लिये पर्याप्त अन्न नहीं पैदा करता। इस कारण आपके कार्य का महत्व पैदा होता है। अब यह आप का काम है कि हमारी आवश्यकतानुसार अन्न पैदा करने में आप देश की सहायता करें। हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम भूमि का क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते। ठीक है कि अभी तक कुछ ऐसी भूमि है जिसे खेती में नहीं लगाया गया है और जिसे खेती में लगाया जा सकता है। किन्तु वह इतनी नहीं है कि हमारी बढ़ने वाली जन संख्या के लिये पर्याप्त हो। अतः यह प्रश्न है कि आवश्यक अन्न को कैसे पैदा किया जाये। इस बारे में कुछ तो करना ही है।

हमारे सामने यह काम है कि हम भूमि की पैदावार की मात्रा बढ़ाने की रीति का पता चलायें। विज्ञान ने जीवन के अनेकों क्षेत्रों में चमत्कारिक काम किये हैं। मेरा विश्वास है कि भारत में भी यह चमत्कार दिखा सकता है। हमारे कृषक भी खाद देकर या दूसरे तरीकों से पैदावार बढ़ाने की कला जानते हैं। किन्तु उनके तरीके बहुत ही दकियानुसी हैं। मुझे आशा है कि वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं की सहायता से और विशेषतया आप की संस्था, जो कृषि में सुधार के आधारभूत प्रश्न पर ही अपना सारा प्रयास केन्द्रित किये हुए है, उसके प्रयास से हम भविष्य में अधिक पैदावार करने में सफल हो जायेंगे। मुझे विश्वास है कि आवश्यक अन्न किस प्रकार पैदा किया जा सकता है यह तरीका सुझाने के लिये आप समर्थ सिद्ध होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भूमि के उतने ही क्षेत्र में अधिक अन्न क्यों न पैदा किया जा सके। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां फी एकड़ भूमि की पैदावार लगभग एक तिहाई या एक चौथाई है। किन्तु साथ ही आप को यह भी पता चलाना है कि इस बात के बावजूद कि हमारे देश में शताब्दियों तक खेती होती रही है हमारी भूमि का उर्वरापन अभी बहुत कुछ बना हुआ है जब कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया जहां खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाती है और जहां पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षों पहले ही भूमि को खेती में लगाया गया था वहां भूमि के उर्वरापन में कमी आने के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपको यह पता चलाना है कि क्या कारण है कि अपने वैज्ञानिकों के बावजूद ये देश अपनी भूमि के उर्वरापन को बनाये रखने में क्यों असफल हो रहे हैं जब कि हमारे लोग जिन की खेती का तरीका अवैज्ञानिक है पिछली शताब्दियों में अपनी भूमि के उर्वरापन को बनाये रखने में समर्थ सिद्ध हुए हैं। मेरा अपना विचार तो यह है कि साधारण कृषि में खाद के जरिये या फसल के हेर फेर से हम भूमि को वे चीजें लौटा भी देते हैं जो हम उस में से निकालते हैं।

आधुनिक सभ्यता के युग में हम आमतौर से एक क्षण में इतनी चीजें प्रयोग कर डालते हैं जितनी कि करोड़ों वर्षों में बन पायी हैं। उदाहरणार्थ कोयले या पेट्रोल को लीजिये। हम उन्हें करोड़ों टन की मात्रा में काम में ला रहे हैं। इस को हम पुनः प्रकृति को वापस नहीं लौटा रहे हैं। बहुत काफी छोटे पैमाने पर कुछ ऐसी ही बात खेती के लिये भी ठीक है। गहरी जुताई, रसायनों और उर्वरकों के प्रयोग से वे फ़ोंग पैदावार की मात्रा बढ़ाने में समर्थ हो गये हैं किन्तु वे भूमि के उर्वरापन को

बनाये रखने में समर्थ नहीं हुए हैं जब कि शताब्दियों तक खेती करने के बाद भी हम अपने उर्वरापन को बनाये रख सके हैं। यह ऐसी समस्या है जिसे हल करना आवश्यक है। मैं आप से कहूँगा कि आप इसे परम्परागत दृष्टिकोण से हल करें अर्थात् आप इस बात का पता चलायें कि प्राचीन कृषि प्रणाली में कौन सी ऐसी बात है जो इतनी हद तक उर्वरता को बनाये रखने में सफल हुई है।

अभी अभी मैं आप के योगालयों को देख रहा था। वहाँ मुझे बताया गया कि फसल में हेर फेर और विभिन्न प्रकारों की फसलों के अभिमिश्रण से किस प्रकार उर्वरता को बनाये रखा जाता है। किन्तु गांवों की कृषिप्रणाली की भी साधारण सी बात है कि फसले हेर फेर करके बोई जाती है। साथ ही वे एक समय में एक ही फसल नहीं बोते। वे एक से अधिक फसल एक साथ बोते हैं। यदि कहीं मकई बोई जाती है तो अरहर, तिल, उड़द और कहीं कहीं तो पटसन भी एक साथ बोये जाते हैं। पहले मकई की फसल होती है उस के बाद उड़द और तिल, फिर अरहर और उस के बाद रुई की फसल होती है। मैं रुई की फसल की बात तो भूल ही गया था। जून के दूसरे पखवाड़े में और जुलाई के पहले हफ्ते में रुई बोई जाती है। उड़द सितम्बर में बोई जाती है अरहर मार्च में और रुई फिर आगामी जून मास में। किन्तु ये एक ही जगह में बोई जाती है और इस से यह फल होता है कि भूमि में वह द्रव्य लौट आता है जो कोई एक फसल उस से निकालती है। गेहूँ अक्टूबर में बोया जाता है। गेहूँ और जौ एक ही भूमि में बोये जा सकते हैं। वे एक साथ ही बोये जा सकते हैं। इसी प्रकार गेहूँ के साथ चना बोया जा सकता है क्योंकि दोनों की फसल एक साथ ही होती है। इस बात का पता चलाना जरूरी है कि फसलों के अभिमिश्रण और हेर फेर से भूमि और पैदावार पर क्या असर पड़ता है। यदि विभिन्न प्रकार की फसलों को मिला कर बोया जाता है और एक की पैदावार ५ मन होती है तो उसे कम नहीं समझना चाहिये। यदि मकई ५ मन, उड़द ३ मन, तिल २ मन और अरहर ५ मन की एकड़ हो तो सब को जोड़ कर गिनना चाहिये। इस प्रकार प्रकट होगा कि फसल अच्छी हुई। किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि आप इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और यह गांव वालों से पता चलायें और हर छोटी बात का हिसाब लगा कर उसकी अपनी वैज्ञानिक जानकारी और अनुभव से परीक्षा करें और पैदावार बढ़ाने में सहायक हों। मुझे आशा है कि आप काम का वह ढंग अपनायेंगे जिसे गांव का आदमी भी मंजूर करेगा। यदि आप सर्वथा नये ढंग को अपनायेंगे तो गांव वालों को उसको अपनाने में पर्याप्त समय लगेगा। इस लिये यह आवश्यक है कि आप इस समस्या पर खेती के वर्तमान ढंग को ध्यान में रख कर विचार करें। इस का यह अर्थ नहीं है कि आप को नये ढंगों का बहिष्कार कर देना है। इस के विपरीत मैं तो यह समझता हूँ कि जब अन्न की कमी हो तो अन्न की पैदावार बढ़ाने के किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है। यह आप का, जो वैज्ञानिक हैं, काम है कि ये बतायें कि यह बात कैसे की जा सकती है। मैंने आप के सामने यह सुझाव तो केवल एक ऐसे व्यक्ति

की हसियत से रखे हैं जो यद्यपि विशेषज्ञ तो नहीं हैं किन्तु जिसे खेती का थोड़ा बहुत तजुर्बा है; किन्तु ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं रखा है जो वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर इस बारे में कोई निर्णय दे सकता है। अन्न के लिये हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकते। आप लोगों का यह काम है कि आप अपने ज्ञान से ऐसी शक्ति बनावे जो साधारण जनो द्वारा आसानी से समझी जा सकती है और जिसे वे केवल समझते ही नहीं हैं वरन् काम में भी लाते हैं।

यहां आकर मैंने जो मुखद समय बिताया है उस के लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि आप तेजी से तरक्की करेंगे और संसार को दिखा सकेंगे कि आप भी बड़े काम कर सकते हैं।

### दिल्ली नाट्य संघ

\*१-९-५० को दिल्ली नाट्य संघ का उद्घाटन करते समय डरविन स्टेडियम में राष्ट्रपति जी ने कहा—

कमलादेवी जी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की खुशी है कि आज आपने मुझे यह मौका दिया है कि मैं आप की इस संस्था का उद्घाटन करूँ। हमारे देश में यह कला बहुत पुरानी है और हमारा साहित्य उस जमाने की कृतियों से परिपूर्ण है जो हमारे देश के पुराने साहित्यकों ने की है और आज भी संसार के लोग उनको पढ़कर खुश होते हैं और आश्चर्यान्वित होते हैं। ऐसी हालत में अगर हम फिर से इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करें और उसको प्रोत्साहन देना चाहें तो यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिये जब इस अवसर पर मुझ से यहाँ आकर इस का उद्घाटन करने को कहा गया तो मैंने बड़ी खुशी से इस बात को मंजूर कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप का जो प्रयत्न आज यहाँ शुरू हो रहा है वह पूरी तरह से सफल होवे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश में इसका पूरी तरह से प्रचार हो और आप के द्वारा हमारी यह कला नवजीवन प्राप्त करे।

### यूनाइटेड चेंम्बर आफ ट्रेडर्स एसोसियेशन

यूनाइटेड चेंम्बर आफ ट्रेडर्स एसोसियेशन के मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने तारीख ९-९-५० को कहा—

ब्रात्रा वचित्रर सिंह, यूनाइटेड चेंम्बर के सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

आपने जो मानपत्र दिया और मेरा मान बढ़ाया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर उससे भी ज्यादा आप को धन्यवाद मैं इसलिये देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया है कि ऐसे कुछ सवालियों पर जो आज हिन्दुस्तान के हर एक आदमी के दिल पर कुछ न कुछ असर पैदा कर रहे हैं मैं आपसे कुछ कहूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहरबानी करके जो कुछ मैं अर्ज करूँ उस पर ध्यान देंगे।

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

इसमें शक नहीं कि आज तीन वर्ष से ज्यादा हुए जब हमारे हाथों में अपने मुल्क के कारबार चलाने के अस्तित्धार आये थे। उस वक्त से आज तक हमारे सामने कई किसम के सवाल, बड़े बड़े मसले और बहुत तरह की कठिनाइयाँ आई और जहाँ तक हो सका उनका मुकाबला किया गया। मगर आज भी हमारे सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ मौजूद हैं और इस तरह की चीजें आज भी हमारे सामने हैं जिनकी वजह से हिन्दुस्तान का हर वाशिन्दा किसी न किसी तरह की तकलीफ महसूस कर रहा है और किसी न किसी तरह का दुःख उसे हो रहा है। अपने लिये अपने बाल बच्चों के लिये और अपने इर्द-गिर्द रहने वालों के लिये उसे किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है जो पूरी नहीं हो पाती है। इस तरह के हज़ारों सवाल हमारे सामने आये दिन आते रहते हैं जिनसे आगे के लिये भी अन्देशा रहता है कि न मालूम क्या से क्या हो जाये। हमारी आज़ादी भी इतने कम दिनों की है कि लोगों के दिलों में यह दहशत रहती है कि कहीं कोई उन पर हमला न कर दे और अगर हमला हुआ और उसका मुकाबला करना पड़ा तो वह किस तरह से किया जायेगा? इधर कुछ दिनों से देखा गया है कि देश में कहीं वर्षा अधिक है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है जिसका असर सारे देश पर पड़ा है और अभी आसाम में बड़ा भूकम्प हुआ है जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह से तरह तरह की कठिनाइयाँ खड़ी होते देख लोग घबड़ाते हैं। चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस पर कंट्रोल करने की हज़ार कोशिश कर रही है, नये कानून बना रही हैं, और अपने अफसरों को हिदायत दे रही है कि उस पर काबू हासिल करे। पर अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसे मुश्किल वक्त में चाहे कि खुद अपने अफसरों और अपने मुलाजिमों के जरिये इन मसलों को हल कर ले तो यह उमके लिये मुमकिन नहीं होगा। जब तक सारे मुल्क की तरफ से उसकी मदद न हो, सहानुभूति और सहयोग न मिले तब तक उस के लिये कामयाबी हासिल करना मुश्किल होता है। वही चीज इस मुल्क के लिये भी लागू है। जब तक उसको लोगों की मदद नहीं मिलेगी तब तक गवर्नमेंट यहां भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। इसलिये अगर आप सब जो व्यापार में लगे हुए हैं और जैसा आपने कहा है कि हर तरह के व्यापार में लगे हुए हैं छोटे बड़े सभी आपके चेम्बर के सदस्य हैं इस बात पर ध्यान दें तो मुझे उम्मीद है कि इन मसलों के हल में काफी मदद पहुंच सकती है। मुझे वे दिन याद आते हैं जब हम लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई में मशगूल थे, उसमें लगे हुए थे। उस समय अगर कोई परचा निकल जाता, अगर एक बयान निकल जाता तो, उस परचे पर, उस बयान पर हमारे मुल्क के हज़ारों आदमी जान कुर्बान करने के लिये तैयार हो जाते थे; लाखों आदमी लाठियों का मुकाबला करने को, गोलियों का सामना करने को तैयार हो जाते थे। मुझे याद है वह १९३० का ज़माना जब हमारे देश की स्वतन्त्रता का आन्दोलन खूब जोरों से चल रहा था। हमारे बहुत से नेता जेल में चले गये थे, मगर स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू बाहर ही थे। मैं उनके साथ मुलाकात करने के लिये इलाहाबाद पहुंचा। उस समय का कार्यक्रम था कि मुल्क में बिदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार किया जाये और यह कोशिश थी कि जितना बिदेशी कपड़ा यहां के व्यापारियों के हाथ में था उस सब को गांठ में बांध

कर मुहर लगा कर रख दिया जाये और कोई भी व्यापारी उस कपड़े को बेचने के लिये गांठ तब तक न खोले जब तक उसे कांग्रेस का हुक्म न मिले। यही उस समय का कार्यक्रम था और एक जगह में नहीं तमाम मुल्क में व्यापारियों ने इस बात को कबूल किया था और केवल कबूल ही नहीं किया था उसके मुताबिक काम भी किया था। मुझे याद है कि इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के पास वहां के कुछ व्यापारी इस बात का मशविरा करने के लिये गये थे कि किस तरह तमाम विदेशी कपड़े को गांठ में बांध कर रखवाएं। मुझे याद है कि पंडित जी के कहने पर उन्होंने ने वादा किया था और यहां दिल्ली में आकर उसे पूरा किया था। उस जमाने में दिल्ली कपड़े की तिजारत का इतना बड़ा केन्द्र था कि यहां ही से पश्चिमी पंजाब, राजपूताना तथा आसपास की दूसरी जगहों को कपड़ा भेजा जाता था। खासकर के विदेशी कपड़ों की दिल्ली बड़ी मंडी थी। उस समय दिल्ली के व्यापारियों ने इस बात को मान कर तमाम कपड़े को बांध कर रख दिया। इस तरह कांग्रेस के उस कार्यक्रम को दिल्ली के व्यापारियों ने अपने ऊपर बहुत मुसीबत उठा कर अपनी खुशी से पूरा किया था। क्या बात है, क्या वजह है कि वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वही सरदार वल्लभभाई पटेल हैं पर आज अगर वह किसी बात को कहते हैं तो उसका वही असर आप के और हमारे दिल के ऊपर नहीं पड़ता है जैसा उन दिनों में पड़ा करता था ? क्या वजह है कि उन दिनों में केवल कहने से ही अपने ऊपर हज़ार मुसीबत लेने के लिये लोग तैयार रहा करते थे और अपना भाली नुकसान उठा कर भी उनकी बातों पर चलने के लिये तैयार रहते थे ? क्या वजह है कि आज व्यापारियों से कहा जाता है कि वह जिस कीमत पर माल खरीदते हैं उस पर मुनासिब मुनाफ़ा रखकर बहुत ज्यादा मुनाफ़ा न लेकर माल बेचें तो उसका कोई असर उन पर नहीं होता ? क्या वजह है कि थोड़े मुनाफ़े पर राज़ी न हो कर वे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाने की फिर में रहते हैं और उसकी वजह से मुल्क की कितनी बर्बादी होती है उसका कितना नुकसान होता है इस बात पर उनका ध्यान नहीं जाता ? यह गौर करने की चीज़ है यह आप के लिये गौर करने की चीज़ है, गवर्नमेन्ट के लिए गौर करने की चीज़ है और सारी जनता के लिये गौर करने की चीज़ है।

मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। मेरे पास तरह तरह के लोग आते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि यद्यपि दिल्ली शहर के अन्दर खाने की चीज़ों के लिये राशनिंग है और राशन के मुताबिक ही आज लोगों को खाने की चीज़ें मिलती हैं लेकिन अगर कोई चाहे कि राशन के मुताबिक जितना उनको मिलना चाहिये उससे अधिक मिले तो जितना वह चाहे वह उतनी ही चीज़ें ले सकता है ; हां उसे कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि चीनी की जिस समय दिक्कत थी और मामूली तरह से लोगों को चीनी नहीं मिलती थी अधिक दाम दे कर लोग जितनी चीनी चाहते थे खरीद लेते थे। नेहूँ से चावल मामूली तौर से कम मिलता है। वह भी ऐसे लोगों को जो ज्यादा चावल चाहते हैं दाम अधिक देने पर काफ़ी मिल जाता है। मैं नहीं

जानता कि यह खबर जो मुझे मिली है कहां तक सच है क्योंकि मैंने खुद इसको जांचा नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसी खबर मेरे पास पहुँचाते हैं या तो उन्होंने खुद किया होगा या दूसरे को वैसा करते देखा होगा तभी वे ऐसा कहते हैं। इसलिये उसे सही भी कैसे न माना जाये? तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप सब व्यापारी लोग हैं आप देखें कि ऐसी बातें क्योंकर होती हैं। यह ठीक है कि अगर किसी भी वर्ग में थोड़े से लोग बुरे हों तो सारे वर्ग को खराब नहीं समझना चाहिये और यह भी ठीक है कि हर जमात में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कोई भी ऐसी जमात नहीं जिस में सब के सब लोग अच्छे हों या सब के सब बुरे हों। मगर किसी जमात में थोड़े से लोग भी बुरे होते हैं तो उनकी बजह से सारी जमात की बदनामी होती है। अगर पानी के एक घड़े में एक बूंद भी पेशाब पड़ जाये तो सारे घड़े का पानी खराब हो जाता है और लोग उस पानी को अपने हाथ से छूना भी पसन्द नहीं करते। उसी तरह चाहे किसी बड़े जमात में अधिक लोग अच्छे क्यों न हों पर थोड़े लोग भी ऐसे निकल आये जो हर तरह से अपने मुनाफ़े के लिये दूसरों पर मुसीबत डाने में कोई-गुनाह नहीं समझते तो उस से सारी जमात की बदनामी होती है। गवर्नमेंट आज हज़ार कानून बनावे, सब्जत से सब्जत सजा दे पर वह चोरबाज़ारी को रोकने में सफल नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि पीनल कोड की वजह से लोग चोरी करने से डरते हैं? नहीं, चोरी एक गुनाह है और इसलिये हम लोग चोरी नहीं करते। पीनल कोड की वजह से लोग चोरी नहीं करते ऐसी बात नहीं। हम लोग चोरी को बुरा समझते हैं हम समझते हैं कि चोरी करना पाप है इसलिये चोरी नहीं करते। तो यह समाज का काम है कि इस तरह का वातावरण पैदा करे और चोरबाज़ारी को इतना बुरा बनावे कि किसी की हिम्मत न हो कि चोरबाज़ारी करे, उसके करने में उसे शर्म हो। लोग समझें कि मर जाना बेहतर है और इस काम को करना बेहतर नहीं है तभी चोरबाज़ारी रुक सकती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप आपस में मशविरा करें और सारे देश में ऐसी फिज्जा पैदा करें कि कोई चोरबाज़ारी का नाम न ले और चोरबाज़ारी करने वाले को शर्म हो और उसको यह बात मालूम हो जाये कि अगर वह अकेला चोरबाज़ारी करने वाला है तो सौ उस पर नज़र रखने वाले हैं और उसको पकड़वा कर सज़ा दिलवायेंगे। अगर ऐसा वातावरण पैदा हो जाये तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि वह चोरबाज़ारी करे। मैं मानता हूँ कि इस समय जो चीज़ों की कीमत बढ़ी हुई है उसका एक कारण नहीं उसके अनेक कारण हैं। मगर मैं इस चीज़ को नज़र अन्दाज़ नहीं कर सकता कि कुछ लोगों के लालच की वजह से चीज़ों की कीमत बढ़े और चोरबाज़ार गर्म हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुल्क के अन्दर ऐसी फिज्जा पैदा करें—और आप व्यापारी इसे कर सकते हैं—कि गवर्नमेंट को ज़रूरत ही न पड़े कि वह कानून बनावे और पुलिस रख कर लोगों को पकड़वावे। यह तो समाज का काम होना चाहिये।

हर चीज़ के लिये गवर्नमेंट की शिकायत नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेंट का जो काम होता है वह गवर्नमेंट कर रही है। आखिर यह गवर्नमेंट भी तो आप की

ही गवर्नमेन्ट है। आज की जो हमारी गवर्नमेन्ट है वह पहले की गवर्नमेन्ट जैसी नहीं है। पहले हम लोगों ने गवर्नमेन्ट की शिकायत की। उस समय की शिकायत ठीक शिकायत थी। पर अब जब कि आपकी ही गवर्नमेन्ट है आप के ही नुमाइन्दा लोग इसे चला रहे हैं तो गवर्नमेन्ट की शिकायत करने की हम लोगों में जो आदत पड़ गई है उसे छोड़ना चाहिये। इस मौलिक बात को महसूस करना चाहिये कि गवर्नमेन्ट अपनी गवर्नमेन्ट है जिस से जैसा आप चाहे करा सकते हैं उसे दुस्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं। तो उस चीज को छोड़ कर जो पहले हमारी आदत थी उसको अपनी चीज समझ कर उस की मदद करे जिसमें गवर्नमेन्ट आप की जो शिकायतें हैं उन को दूर कर सके। अगर गवर्नमेन्ट की कोई शिकायत है तो वह शिकायत हमारी ही है। कोई भी मुल्क हो वहाँ की गवर्नमेन्ट वैसी ही होती है जैसे वहाँ के लोग होते हैं। अगर वहाँ सच्ची नुमाइन्दा गवर्नमेन्ट हो तो अगर किसी देश के लोग अच्छे हैं तो वहाँ की गवर्नमेन्ट अच्छी होगी अगर वहाँ के लोग बुरे हैं तो वहाँ के नुमाइन्दे भी बुरे होंगे और गवर्नमेन्ट भी बुरी होगी। अगर आप बुरे हैं तो गवर्नमेन्ट अच्छी कैसे होगी ?

अब हमारा नया संविधान बन गया है और नया चुनाव होने वाला है। आप सबों को अपनी जवाबदेही महसूस करनी चाहिये। आप नहीं कह सकते कि किसी का इलाज किसी दूसरे के सर पर हो। हम में जो रोग होगा जो बुराइयाँ होंगी उनका नतीजा हम को ही बर्दाश्त करना होगा। इसे समझ कर मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली के लोगों को क्योंकि दिल्ली समूचे देश की राजधानी हो गई है ऐसा नमूना पेश करना चाहिये कि जिससे जो मुसीबतें हमारे सामने हैं जो मुश्किलतें हमारे सामने हैं उन को हल करने में मदद हो और सब मिल जुल कर उनका हल निकाल सकें।

आपको मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ।

### दरगाह निजामुद्दीन

हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर तारीख १९-९-५० को ६-३० बजे शाम को राष्ट्रपति जी ने भाषण देते हुए कहा—

मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ने मुझे यह मौका दिया है कि यहाँ हाज़िर होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना खिराजे अदब पेश करूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस चीज को मानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर इतने दिनों से जो ग़र ग़र मजहबों के मानने वाले, ग़ैर ग़ैर जवानों के बोलने वाले बसते आये हैं उन सब को इस मुल्क में रहना है; सब को एक साथ रहना है और सब को एक साथ मरना है और जीना है। जैसा आप ने बयान किया उन्होंने ने इस दरगाह की नींव ६५० साल पहले डाली थी और यद्यपि एक किर्रमा है कि इतना जमाना बीतने पर भी आज सारे मुसलमान, बहुतेरे हिन्दू और दूसरे मजहब के लोग इस जगह पर पहुँचना अपनी बड़ी शुष्काम्ती समझते हैं। आपने फरमाया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के जमाने में

छः बादशाह गुजरे। उनके बाद बहुतेरे बादशाह इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों में गुजरे। उसके पहले भी इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों में कितने बादशाह गुजरे थे। सब की बादशाहत खत्म हो गयी। एक की भी बादशाहत कायम नहीं, जितनी बादशाहतें कायम हुईं सब की सब खत्म हो गईं। पर जिस तरह की बादशाहत इन बुजुर्ग ने कायम की उस की हस्ती अभी तक कायम है और हमेशा के लिये कायम रहेगी। उसका सबब यह है कि ऐसी जगह में हाज़िर होकर लोग और बातों को भूल जाते हैं और हर एक आदमी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगता है और आपस के फ़र्क को, आपस के झगड़े को भूल जाता है। जब इस तरह के तराने उठते हैं जिस तरह के तराने सुनने का आज आप ने मुझे मौज़ा दिया तो आदमी सब बातों को भूलकर, जैसा आपने कहा, एक हो जाते हैं। इस तरह की बादशाहत यहाँ कायम हुई और इस तरह के बुजुर्ग हिन्दुस्तान में हुए और उनका यह फज़ल है कि आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं; आज भी आपस के झगड़े को हम भूल सकते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह का मौका हम लोगों को बराबर मिला करे, ताकि हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के दिल की बात सुनें। हिन्दुस्तान में इस चीज़ की खासकर ज़रूरत है क्योंकि जैसा मैं ने शुरू में अर्ज़ किया यहाँ कई मज़हब के मानने वाले लोग बसते हैं और हर तरह के आदमी बसते हैं। आप को इस का पूरा इतमीनान रहना चाहिये कि हिन्दुस्तान की जो हुकूमत न दिनों में है वह चाहती है कि सभी मज़हब के लोग जो इस मुल्क में बसते हैं सब को बराबर के हक़ हों और सब को यह हक़ हो कि वे आज्ञादी से रहें। इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तक जो चाहे, चाहे फिर वह ग़रीब से ग़रीब क्यों न हो, वहाँ तक वह न पहुँच सके। एक मेरे जैसा नाचीज़ आदमी भी आज उस जगह पर है जो बड़े बड़े बादशाहों को मिला करती थी। यह इस बात का सबूत है कि इस देश के अन्दर अगर कोई भी शरूस चाहे वह किसी भी मज़हब का क्यों न हो, ठीक समझ कर काम करे तो उसके लिये यह ग़ैरमुमकिन न होगा कि वह ऊँची से ऊँची जगह तक पहुँच जाय। आदमी का दर्जा किसी के देने से नहीं होता है और न किसी को कोई दर्जा दे सकता है और अगर कोई दे और अगर कोई ले भी ले तो लेनेवाला उसे रख नहीं सकता। ऊँचा दर्जा सिर्फ़ खिदमत से मिलता है और जो खिदमत करेगा—किसी एक आदमी की नहीं, किसी एक फ़िरके की नहीं—जो सारे इन्सानों की खिदमत करेगा वही ऊँचा दर्जा पायेगा।

आपने मुझे मौज़ा दिया है कि मैं हज़रत अमीर खुसरो के लिये अपने अदब का हज़ार करूँ और उस बात को भी याद करूँ जिसे मैं ने बचपन में पढ़ा था—बालिक वारी सिरजन हार, वाहिद एक बड़ा करतार। मैं जानता नहीं था कि अमीर खुसरो साहब कौन थे पर एक ज़माना था कि हमारे जैसे नादान और छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की चीज़ पढ़ा करते थे। ज़माना बदला करता है। आज बहुत सी बातें मैं भूल गया और बहुतेरे नयी रोशनी वालों ने ऐसी बीजें शायद न पढ़ी होंगी और न वे इस की अहमियत को समझते होंगे। पर तो भी मैं इस बात को मातता हूँ कि जो



बुनियाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर ख़ुसरो ने डाली थी वह पक्की बुनियाद थी और उसी बुनियाद पर हिन्दुस्तान का आज का सारा तमहुन जिस पर हमारी ज़िन्दगी बनी है, खड़ा है, और इसलिये उस बुनियाद को कायम रखना है, वह बुनियाद है प्रेम और मुहब्बत की, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और रवादारी की। जिस दिन वह बुनियाद नहीं रहेगी उसी दिन सारी इमारत ढह जायेगी और फिर वह इमारत खड़ी न की जा सकेगी। इसलिये जो इमारत मौजूद है उसको हमेशा के लिये रखना है, अपने लिये, इस मुल्क के लिये और अपनी औलाद के लिये उसे रखना है।

अन्त में मैं एक दफ़े और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

### शिमले में नागरिक अभिनन्दन

सारीख २७-९-५० को ४-३० बजे शिमला म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

गवर्नर साहब, म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरान, बहनो और भाइयो,

मुझे आज पहले पहल आप के शहर में प्रेसीडेंट की हैसियत से आकर बड़ी खुशी हुई। मैं पहले एक बार और शिमला आया था और वह मौका था जब लार्ड वावेल ने एक कान्फ़्रेंस इस लिये की थी कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक सुधार के सम्बन्ध में यहां के नेताओं से बातचीत करके कुछ तय किया जायें। उस वक्त मैं यहां आया था और चन्द दिनों तक ठहरा था मगर न उस वक्त और न अभी उन चंद घंटों में जब से मैं यहां पर हूँ मुझे ऐसा मौका मिला कि आप के शहर को कुछ देख सकूँ। जैसा आपने कहा है, आपका शहर सैकड़ों वर्षों से यहां के लोगों की खिदमत करता रहा है और दिनों दिन उस की तरक्की होती गयी है। आपने पानी, बिजली, अस्पताल, कालेज और खास करके गरीब भंगियों के लिये जो प्रबन्ध किया है और जिनका जिक्र आपने अभिनन्दन पत्र में किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और मेरी उम्मीद है कि आप इसी तरह से जनता की सेवा हमेशा करेंगे और आप अपने शहर का दर्जा उसी तरह कायम रखेंगे जिस तरह से आपने उसे अभी तक कायम रखा है।

हिन्दुस्तान में चन्द वर्षों के अन्दर इतनी उथल पुथल हो गई है कि यहां की सारी की सारी शकल बदल गई है। जो पहले हिन्दुस्तान था वह एक बारगी बहुत बातों में अब नहीं रहा है। जिस तरीके से हम ने स्वराज्य हासिल किया है उसी की बबूलत हमारे यहां उस तरह की उथल पुथल तो नहीं हुई जिस तरह की ऐसे मुल्कों में हुई जहां के लोगों ने हथियार के बल से अपनी आज़ादी हासिल की थी। यहां एक चलती चलाती गवर्नमेंट हमारे हाथ में आयी और उस को हम ने सम्भाला। यह सच है कि उस के साथ साथ बड़ी मुसीबतें भी आयीं, दिक्कतें भी आयीं। हम ने अब तक उनका मुकाबला किया है और आगे भी जो मुसीबतें हमारे सामन आयेंगी उन का भी, अगर ईश्वर चाहेगा, तो हम अच्छी तरह से मुकाबला कर लेंगे।

पर मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के लोग इस बात को समझ लें कि आज़ादी के बाद उनकी जवाबदेही कितनी बढ़ गयी है। चन्द वर्ष पहले जब किसी बात

की शिकायत होती थी या कोई मुसीबत आती थी और या कोई बात बिगाड़ती थी तो सब की जवाबदेही हम दूसरों के सिर डाल सकते थे डालते भी थे और ठीक डालते थे। पर अब वह बात नहीं रही है। अब तो सब बिगाड़ने और बनाने का सारा अस्तित्व, अगर उसे आप अस्तित्व कहें तो, आपके अपने हाथों में है। अगर अब आप कुछ बनाते हैं तो उसका श्रेय आप को मिलता है, अगर आप कुछ बिगाड़ते हैं तो उसकी शिकायत भी आपको ही लेनी पड़ेगी। इसलिये मुल्क के लोगों को चाहिये कि अपनी जवाबदेही को समझें। संविधान को अगर हम ठीक तरह से चला सकेंगे, जो उसकी मंशा है उसको समझ कर ठीक काम कर सकेंगे, जो उसके पीछे उसूल पड़े हैं उन पर हमेशा ध्यान रखेंगे और उस के मुताबिक काम करेंगे तो हम जल्द ही हिन्दुस्तान को एक ऐसा मुल्क बना सकेंगे जिस पर सिर्फ हम ही फख्र नहीं करेंगे बल्कि दुनिया के लोगों को भी हमारी तारीफ़ करनी पड़ेगी। यह करना हमारे हाथ की बात है। इसमें शक नहीं कि हमें अपने शरीर से मेहनत करनी है, अपने दिमाग से मेहनत करनी है। पर सब से ज्यादा जरूरत इस चीज़ की है कि हम अपने चरित्र को सुधारे। यह मामूली सी बात है बहुत ज़माने तक दूसरों की मातहत करने से आदमी का चरित्र गिर जाता है। इसमें शक नहीं है कि हमारी बहुत सी कमज़ोरियाँ जो पहले जाहिर नहीं थी अब जाहिर होने लगी हैं चाहे आप उन कमज़ोरियों को सयासी मामले में देखें, गवर्नमेंट के काम में देखें, चाहे ऐसी ऐसी बातों में जिसका हर आदमी की रोजाना जिन्दगी से ताल्लुक है। हमारा काम है कि हम ऐसा प्रयत्न करें, ऐसी कोशिश करें कि इन कमज़ोरियों के ऊपर उठ सकें और उन सभी लोगों की जो इस मुल्क में रहते हैं चाहे वे किसी जाति या फ़िरके के हों खिदमत करें। ऐसा करने पर ही हम तरक्की कर सकेंगे।

आपने शिमले का ज़िक्र करते हुए उस ज़माने का भी ज़िक्र किया जब कोई हिन्दुस्तानी बिना विदेशी पोशाक पहने यहाँ निकल नहीं सकता था। शिमले की ही यह बात नहीं थी। बहुत सी ऐसी जगहें थीं जहाँ ऐसी बातें थीं। जहाँ ऐसी बात नहीं भी थी वहाँ भी जिस बात से शिमले के लोग विदेशी कपड़ा पहनने के लिये मजबूर किये जाते थे, वही बात थी। विदेशी कपड़ा पहनना बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, तमहुन और तहज़ीब है उसको भूल जाना और दूसरे की नकल करना यही बात उस वक्त थी। आज हमें उसको बदलना है; सब चीज़ों पर नये सिरे से विचार करना और शौर करना है। इस का मतलब यह नहीं है कि विदेशी चीज़ों को हम नहीं सीखेंगे, विदेशी चीज़ों को हम नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह है कि उस को अपनी चीज़ बनाकर, उसका गुलाम होकर नहीं उनका मालिक बनकर हमें उन चीज़ों को रखना है। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश में हम इस तरह की एक सभ्यता कायम कर लेंगे जो हमारी पुरानी सभ्यता से अगर बढ़कर नहीं तो उससे किसी तरह कम भी नहीं रहेगी। हम साधारणतः पुरानी चीज़ों को उत्तम मान कर उन पर फ़ख्र करते हैं वह ठीक है। लेकिन आज हमें आगे बढ़ना है। पुरानी चीज़ हम लोग अपना सकते हैं। पर नयी चीज़ों को भी हमें भूलना नहीं है और न उन को छोड़ना है।

मुल्क के अन्दर बंटवारे के बाद उसका बुरा असर लाखों आदिमियों पर पड़ा है। वह मुसीबत खत्म नहीं हुई है क्योंकि उन की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। वे अभी भी तकलीफ से ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। न मालूम अभी भी और कितने आदिमियों पर मुसीबत आया करती है। मुसीबतों के दिनों में ही आदमी का इम्तिहान हुआ करता है। जिस बहादुरी और जवांमर्दी से आपने उन मुसीबतों का मुकाबला किया है चाहे आज हम उसे न समझे पर आगे आने वाली पीढ़ी उसकी कद्र करेगी और याद रखेगी कि जवांमर्दी से आपने इन मुसीबतों का सामना किया अपने को सम्भाला और बचाया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अब कोई शिकायत नहीं है। हजार शिकायतें हैं और रहेंगी। पर तमाम शिकायतों के रहते हुए भी अगर सब चीजों पर विचार कर देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि एक एक करके लुढ़कते पुढ़कते, गिरते पड़ते हम अपनी मुसीबतों पर काबू पाते जा रहे हैं और जो अभी बाकी है उन पर काबू पा जायेंगे। इसके लिये हमें अपने पैर को मजबूत रखना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर लोग गान्धी जी के बताये रास्ते पर चलें, उन्हें भूले नहीं तो हम देश की तरक्की करके उसे ऐसा बनाकर रख सकते हैं कि चाहे बाहर से जो भी मुसीबत आवे हम एक होकर उसका मुकाबला कर सकेंगे हर एक मजहब के लोग, हर एक तबके के लोग सब मिलकर उन मुसीबतों का मुकाबला कर सकेंगे। हमें इस समय मुल्क में ऐसी फ़िज़ा पैदा करने की ज़रूरत है।

आपने एक दिलचस्प बात का ज़िक्र किया। आप का कहना है कि शिमले में गवर्नमेंट आफ इंडिया का दफ़्तर रहा करता था और आज पंजाब गवर्नमेंट यहां बैठी हुई है और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट भी बैठी हुई है पर आप को डर है कि पंजाब गवर्नमेंट चली जायेगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया का दफ़्तर उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से पहले रहा करता था और इसलिये शिमले की रौनक में फ़र्क पड़ेगा। यह तो आप को मालूम है कि हम सब एक आवाज़ से यह शिकायत किया करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों इतना खर्च करने शिमला जाती है और ६ महीने तक यहां रहती है। आज जब हम अपने मालिक आप हैं तो उन सारी शिकायतों को भूलकर अगर हम खुद आकर यहाँ बैठें तो यह बात हरगिज़ ठीक न होगी। इसलिये आप को पूरी गवर्नमेंट के यहा आने की बात नहीं सोचनी चाहिये। ऐसा होने की कोई संभावना भी नहीं है। पर गवर्नमेंट के बहुत से दफ़्तर हैं जिनके लिये जगह की कमी हो रही है। अभी आजकल भी गवर्नमेंट के कितने ही दफ़्तर यहाँ हैं। औडिटर जनरल साहब जो यहाँ बैठे हैं उनका दफ़्तर और ऐसे कई और दफ़्तर यहाँ ही हैं। वे सब रहेगे और मुमकिन है कि और दफ़्तर भी आ जायें। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि जो यहाँ से जाना चाहे उन को यहाँ ज़बर्दस्ती रखा जाये। मेरा कहना तो यही है कि आप के यहाँ लोगों की कमी नहीं रहेगी। लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। एक तरह से सच पूछिये तो जो दूसरी पहाड़ी और इसी प्रकार की दूसरी जगहें हैं उनके सामने भी यही एक सवाल आज किसी न किसी शकल में मौजूद है। वहाँ भी प्रान्तीय गवर्नमेंट जाय

करती थीं। उनका भी आना जाना अब कम हो रहा है। इसके अलावा उनके सिलसिले में और लोग भी वहां जाया करते थे। उन का भी आना जाना कम हो रहा है। पर जब इस जगह की ऐसी आवहवा है जहां लोगों को लाभ पहुंचता है, उनकी सेहत की तरक्की होती है तो लोग यहां आयेंगे ही। इसलिये आप को इस जगह को ऐसा बना देना चाहिये कि इस की सुन्दरता को लोग चाहें और लोग आयें और यहां के लोग भी ज्यादा लाभ उठाये। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा अवश्य करेंगे।

आपने बड़ी मेहरबानी और बड़े प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया इसके लिये मैं आप सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूं।

### गर्ल्स गाइड को उपदेश

गर्ल्स गाइड की लड़कियों को सम्बोधित करते हुए प्रेसिडेन्ट्स लौज शिमला में तारीख २९-९-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—

बच्चियो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज तुम सब को एक जगह इकट्ठी देख सका। मैंने अभी सुना गर्ल्स गाइड का काम थोड़े ही दिनों में पंजाब के अन्दर शुरू हुआ है और इस बीच इस में इसकी इतनी तरक्की हुई है यह देख कर मुझे बड़ी खुशी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम और भी आगे बढ़ेगा क्योंकि इस से छोटी छोटी बच्चियों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है उस में सब से बड़ी कमजोरी यही है कि उसमें बच्चों को कुछ काम करना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ किताब ही पढ़ाई जाती है। इस कारण दूसरे कामों के सम्बन्ध में उनकी कोई जानकारी नहीं होती। गर्ल्स गाइड, बाँय स्काउट आदि संस्थाएं जा आन्दोलन चला रहीं हैं उससे उन को कुछ काम करने को मिलता है। अभी जसा मैंने देखा कुछ काम तुम लोगों ने सीखा भी है। लेकिन यह बात तुम लोग याद रखो कि सिर्फ सीख लेने से ही काम नहीं होता है, उसमें जो सेवा की भावना है उस भावना को काम में लाना चाहिये और दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना इन सब बातों की आदत डालनी चाहिये यह तुम्हारे लिये भी अच्छा होगा और मुल्क के लिये भी।

यह आन्दोलन तुम लोग चला रही हो इससे मुझे बड़ी खुशी है। सिर्फ एक बात मुझे खटकी है। तुम सब लोग यहां हिन्दुस्तान में रहती हो, हिन्दी पढ़ी हो और हिन्दी समझती हो। फिर यहां अंग्रेजी क्यों? अगर कोई ऐसी जगह होती जहां अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चल सकता तो अंग्रेजी की ज़रूरत समझी जा सकती थी। यहां जो छोटी छोटी बच्चियां हैं शायद उन में से अधिकांश अंग्रेजी नहीं समझतीं। फिर उनके लिये अंग्रेजी में क्यों कुछ कहा जाये जिसे वे समझें नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारा आन्दोलन जो गर्ल्स गाइड की तरफ से तुम लोग चला रही हो उस में देशी भावना लाने की कोशिश करोगी। ऐसा करने पर ही उससे ज्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

## गांधी जी के चित्र का अनावरण

तारीख २ अक्टूबर को पंजाब विधान-सभा, शिमला में गान्धी जी के चित्र का अनावरण करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

गवर्नर साहब, स्पीकर साहब, एसेम्बली के मेम्बरान, भाइयो और बहनो,

आपने मुझे यह खिदमत सुपुर्द करके मेरी इज्जत बढ़ा दी है। मैं समझता हू कि महात्मा जी की जिन्दगी का ताल्लुक हमारे देश के सभी लोगों की जिन्दगी के साथ इतना गहरा और घनिष्ट हो गया था कि आज हम इस चीज को सच्चाई के साथ कह सकते हैं कि हम में से ऐसा कोई नहीं जिस पर कुछ न कुछ उनका असर न हुआ हो। इस मुल्क में या दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त में बड़ी बड़ी खिदमतें की हैं और जिनकी खिदमतों को लोगों ने उनके गुजर जाने के बाद बहुत दिनों तक याद रखा है। मगर इस तरह की मिसाल हिन्दुस्तान में ही नहीं संसार की तारीख में शायद कम मिलेगी जैसी कि महात्माजी की जिन्दगी की है। हमने केवल यही न देखा कि इतने बड़े मुल्क के करोड़ों पस्त हिमात मुर्दा लोगों के दिल में उन्होंने अपनी जिन्दगी में ही अपने कामों और निश्चयों से नयी जान डाल दी बल्कि इस देश के लोगों को ऐसी दासता की हालत से बचा कर, स्वतन्त्रता तक, आजादी तक पहुंचाया। इतना ही नहीं उन्होंने जो काम किये वे केवल सयासी काम ही नहीं थे और न वे महज ऐसे ही थे जिनका ताल्लुक हमारी आजादी के साथ ही हो बल्कि वे ऐसे थे कि इन्सान की जिन्दगी के हर पहलू पर उनका काफ़ी असर पड़ा और हमेशा पड़ता रहेगा। ऐसी हालत में आज उनकी जिन्दगी के बारे में मेरे लिये आप से कुछ कहना फिजूल है क्योंकि आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जिनको उनके कदमों में बैठने का मौका मिला होगा और जिनको वह सौभाग्य नहीं भी मिला उनको कम से कम उनके कामों को, उनकी कार्यवाहियों को देखने का मौका जरूर मिला होगा उनकी लिखी हुई चीजों को पढ़ने का मौका तो मिला ही होगा। इसलिये उनकी जिन्दगी के बारे में यहाँ कुछ और कहना एक तरह से फिजूल सा है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। इतिहास में यह हमेशा स्मरणीय दिन माना जायेगा। ऐसे दिन पर अगर हम बैठ कर कुछ सोचें, ध्यान करें और उनकी जिन्दगी से कुछ सबक लें तो यह हमारे लिये हर तरह से तरक्की का बायस होगा। आप यहाँ एसेम्बली के मेम्बरान बैठे हैं। एसेम्बली के इस हाल में इस तस्वीर को आपके सामन खोलने का-आपने मुझे मौका दिया है। आपकी अपनी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है, कितनी बढ़ गई है और आपसे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं और उन उम्मीदों को आप किस तरह पूरा कर सकते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर गान्धीजी ने जो हमें सिखाया है, जो हमें बताया उस पर हमें गौर करें तो उससे हमें बहुत कुछ मदद मिल सकती है।

पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसको बड़ी मुसीबतों से अभी हाल में गुजरना पड़ा है और उन मुसीबतों का अभी तक अन्त नहीं हुआ है। जो बंटवारे के बाद मुसीबतें आयीं

उनका इस सूबे के लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और मैं जहाँ तक जानता हूँ जहाँ तक मुझे खबर मिली है जो लोग मुसीबत में थे उन्होंने उनका मुकाबला करने में बड़ी हिम्मत दिखाई और यहाँ की जनता ने भी सहानुभूति दिखाई और आपकी गवर्नमेन्ट ने जहाँ तक हो सका लोगों को सहायता दी। आपके यहाँ तो चारों तरफ सब चीजें बिलखी हुई मालूम पड़ती थीं पर आपने अध्यवसाय और दूरदर्शी से इस दिशा में कुछ तरीका कुछ सिलसिला पैदा किया। और आज यह कहा जा सकता है कि बहुत हद तक आपका इन्तजाम वैसा हो गया है जैसा मामूली तौर पर सूबों का हुआ करता है। जो नुकसानात हुए उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, उन्हें पूरा करना शायद मुमकिन भी नहीं होगा। पर जहाँ तक हो सका है इस बात की कोशिश तो हो ही रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपको गान्धीजी की सीख की याद दिलाता हूँ। उन्होंने हमेशा हमें यही सीख दी कि अगर सचमुच हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ सेवा या खिदमत की ही तस्वीर रहनी चाहिये और हमें उसकी एवज़ में किसी और बात की तमन्ना न करनी चाहिये या दूसरे शब्दों में यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो सच्ची भावना के साथ सच्चे दिल से उस सेवा में लगे। इसके अलावा जिन देशों में प्रजातन्त्रात्मक राजव्यवस्था है वहाँ जो एसेम्बली में चुनकर जाते हैं उनसे जनता के सच्चे सेवक होने की तवक्को की जाती है और लोग उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि जनता की खिदमत के सिवाय उनके मन में और कोई इबाहिश न होगी। इस लिये मेरा यह ख्याल है कि हमारे ऊपर इस वक्त जितनी मुसीबतें हैं और आगे भी आ सकती हैं उन सब से बचने और निकलने का अगर कोई रास्ता है तो वह यही है कि आप में से हर एक अपने सामने उसी सेवा भाव को रखे और उसी भावना से काम करे। हमने जो संविधान इस मुल्क के लोगों के लिए बनाया है उसमें हर एक बालिग को यह मौका दिया गया है कि वह अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे और हम उम्मीद रखते हैं कि विधान सभा में देश के सच्चे नुमाइन्दे चुनकर आयेंगे। अगर हमारे नुमाइन्दे अपना काम सच्चाई से करेंगे तो यह कहने की जरूरत नहीं कि उनसे जनता की भलाई होगी।

हमने अपने लिए जो संविधान बनाया है उसकी एक बात को सब लोगों की ठीक तरह से समझ लेना चाहिये। हमारे संविधान के अनुसार यहाँ भी पार्टी सिस्टम के जरिये उसी तरह गवर्नमेन्ट चलेगी जैसी कि इंग्लैण्ड में चलती है। पर हमें यह बात न भूलनी चाहिये, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि हमारे यहाँ के दलों में जो दलबन्धियाँ हैं वे इंग्लैण्ड की पार्टियों से बिल्कुल भिन्न हैं। सही अर्थों में पार्टी वह है जिसका जनसाधारण की खिदमत करने का अपना निजी प्रोग्राम है। इसलिये इस मकसद को सामने रख कर कोई पार्टी बने तो कोई बुराई की बात न होगी। पर आज कल हमारे यहाँ जिस तरह की पार्टियाँ बनती हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ या निजी हितों के साधन के लिए जो दलबन्धियाँ क्रायम होती हैं उनसे देश को नुकसान होता है। अगर देश की सेवा की भावना से मुल्क की खिदमत और देश की भलाई के मकसद को ठीक सामने रख कर कोई दल बने तो उससे

किसी को नुकसान नहीं होगा और कम से कम उस से उस तरह का नुकसान नहीं होगा जिस तरह का आज कल की दलबन्धियों से हो रहा है ।

मैं यह चाहता हूँ कि आप जब इस कमरे के अन्दर बैठ कर इस सूबे के जो सवाल हैं उन पर विचार करें तब आपकी आंखों के सामने और दिल में यह चित्र रहे । गान्धीजी चाहते थे कि देश में ऐसे सच्चे सेवक, जो केवल सेवा भावना से प्रेरित होकर देश के काम में जुटना चाहते हों, पैदा हों । मैं इस पद पर आने के पहले कहा करता था—आज शायद मेरा वैसा कहना अच्छा मालूम न हो—कि जब गान्धी जी का हुक्म होता है तो मैं गांव में काम करता हूँ; जब उनका हुक्म होता है तो जेलखाने में चला जाता हूँ; जब हुक्म होता है तो मन्त्री भी बन जाता हूँ; जब हुक्म होता है हरिजन भी बनने को प्रस्तुत रहता हूँ । जरा सोचिये तो सही यह सब काम एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न हैं या एक ही काम के विभिन्न रूप हैं । मैं तो यह जानता हूँ कि वे एक ही काम के, जनता की सेवा के ही विभिन्न स्वरूप हैं । कम से कम मेरी दृष्टि में ये सभी काम अपने अपने क्षेत्र में समान महत्व के हैं क्योंकि जनता के सुख के लिए वे सभी जरूरी हैं । इस लिये मैं तो यह मानता हूँ कि जो बालन्टियर देश की खिदमत करता है और गांव में झाड़ू लगाता है उसका काम उतना ही गौरवपूर्ण है उतने ही महत्व का है जितना कि मेरा जो आपके बनाने से प्रेसीडेन्ट बन कर यहाँ व्याख्यान दे रहा हूँ । अगर जनता की मर्जी हो तो कल वह उसे लाकर मेरे स्थान पर बैठा सकती है और मुझे भंगी का वह काम करने को भेज सकती है । यदि ऐसा हो तो मैं वह काम करूंगा । मेरा विचार है कि अगर इस भावना से लोग काम करेंगे और छोटे वड़े का भेदभाव नहीं रखेंगे तो वे देश की सच्ची खिदमत कर सकेंगे ।

गान्धीजी सत्य और अहिंसा के उसूल के क्रायल थे । ठीक है कि सत्य और अहिंसा की ओट में हमारी बहुत सी कमजोरियाँ भी छिप जाया करती हैं । अगर हम में आज कमजोरियाँ हैं तो यह कहा जा सकता है कि इनमें से बहुत सी कमजोरियाँ हम में पहले छिपी हुई थीं और अब ये जाहिर हो रही हैं । पहले शायद इस वजह से ये कमजोरियाँ देखने में नहीं आयीं कि हम दूसरे काम में बझे थे । जब वह काम खत्म हुआ तो हमारी कमजोरियाँ बाहर आने लगीं । अगर इन कमजोरियों को दूर करने का कोई रास्ता है तो वह गान्धी जी का ही रास्ता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं । आज के दिन हम अपने कामों पर, अपनी कार्यवाहियों पर, अपनी खामियों और कमजोरियों पर विचार करें; सोचें कि कहां हमारी कमजोरियाँ हैं, कहां हमारी खामियाँ हैं । साथ ही गान्धीजी ने जो कुछ बताया है उस पर हम अच्छी तरह से गौर करें, उसे अच्छी तरह से पढ़ें । मैं आप सब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गान्धी जी का चित्र आपने अपने सामने रखा है तो उनके बतलाये रास्ते पर चलने के लिये कटिबद्ध हों और उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो पढ़ाया, उनका जो आदर्श था उसे अपनाकर, अपने सब काम करें । जब आप ऐसा करेंगे तभी इस देश की भलाई और सब का कल्याण होगा ।

आपने मेरी इज्जत बढ़ाई उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद ।

### आनन्दपुर गुरुद्वारे में अभिनन्दन

तारीख ६-१०-५० को आनन्दपुर गुरुद्वारा में राष्ट्रपति जी ने भाषण देते हुए कहा—

आनन्दपुर साहब के सेवक सज्जन, बहनों और भाइयो,

मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस स्थान तक पहुँच सका। पहले यहां आने का प्रोग्राम नहीं था। पर जब इतना नज़दीक आ गया तो भाइयों की सलाह हुई कि यहां आ कर गुरु साहब का भी दर्शन किया जाये और मुझे यह पसन्द आया। मेरा प्राणत वही है जहां गुरु साहब का जन्म हुआ था और जो स्थान पटना शहर में अभी तक मौजूद है। यद्यपि उन का जन्म वहां हुआ था तथापि वे देश के लिये बहुत बड़े काम के आरम्भ करने के लिये यहां इतनी दूर आये और उन्होंने उसे यहां आरम्भ किया। यहां का और पटने का इस प्रकार ऐतिहासिक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध की स्मृति भी मेरे मन को उल्लासप्रद है। और यहाँ आने से तो मुझे खूब खुशी हुई है क्योंकि यहीं से तो गुरु साहब ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी और लोगों की हिम्मत और हौसले बढ़ाये थे। आप ने मेरा स्वागत किया, मेरे प्रति आदर दिखलाया इस के लिये मैं आप सब भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ।

आज़ादी के बाद देश के सामने बहुत कठिन समय रहा है और अब भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिये अभी हमें बहुत सी कुरबानियां करनी पड़ेंगी अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करके ही अपने देश को हम सुखी बना सकेंगे। इसलिये वह नहीं समझना चाहिये कि आज़ादी मिल गयी तो सब काम खत्म हो गया। इस के अतिरिक्त मैं तो यह मानता हूँ कि आज़ादी मिलने के बाद और अधिक काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आज़ादी मिलने के पहले देश की कोई जवाबदेही हमारे ऊपर नहीं थी मगर आज़ादी मिलने के बाद देश की सब जवाबदेही हमारे ऊपर है उस की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। इसलिये हम में से हर एक को, चाहे वह किसी भी स्थान का क्यों न हो, वह हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से का रहने वाला क्यों न हो, इस बात को महसूस करना चाहिये और इस के लिये तैयार रहना चाहिये कि अभी जो काम बाकी है उस के पूरा करने के लिये जितनी कुर्बानियों की भी ज़रूरत पड़ेगी वह खुशी से देगा। बस मैं आप से इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूँ। आपने मेरा जो स्वागत किया मेरा जो आदर किया उस के लिये आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।

### भारतीय प्रशासन सेवा के भावी सदस्यों से बातचीत

\*भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों से मेटकाफ हाउस में १० अक्टूबर १९५० को बातचीत के सिलसिले में राष्ट्रपति ने कहा—

अपने अपने स्थान में आप लोग भारी जिम्मेदारियां सम्भालने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप प्रशासनिक जिम्मेदारियां ही नहीं वरन् अन्य प्रकार की

\* अंग्रेज़ों से हिंदी में अनुवाद



जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। आखिरकार केवल प्रशासन से ही तो सब कुछ नहीं किया जा सकता। आप से तो सच्ची राष्ट्र सेवा की अपेक्षा की जाती है। आप को हर प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के अन्तर्गत आप को सेवा-समिति के कार्य कर्त्ताओं के समान उन लोगों के पुनर्वास के कार्य में लगाया जा सकता है जो अपने घरों से निकाल बाहर किये गये हैं। कभी आप को बुरी तरह बरबाद हुए ऐसे क्षेत्र का प्रभार लेना पड़ेगा जिस पर कोई दैवी विपत्ति पड़ी हो। आप को और अन्य प्रकार के काम भी करने पड़ेंगे। आई० सी० एस० के पुराने लोगों को मैं जानता हूँ। उन से हर प्रकार के काम की अपेक्षा की जाती थी। ऐसा कोई काम न था जो उन को न सौंपा जाता था। उन में एक रमेशचन्द्रदत्त नामी सज्जन थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट के पद पर नौकरी शुरू की थी और मुख्य धायुक्त की हैसियत से उन्होंने नौकरी से निवृत्ति ली। मेरा विचार है कि उन्हें बहुत सहुलियतें भी नहीं मिली थीं। सरकारी नौकर रहते हुए भी उन्होंने बहुत सौ किताबें और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले कई उपन्यास लिखे तथा रामायण और महाभारत के कुछ अंशों का अनुवाद भी किया। ये सब उन्होंने उस थोड़े अवकाश में किया जो उन्हें अपने मजिस्ट्रेटी कर्तव्यों के करने के बाद मिला करता था। आई० सी० एस० के एक अन्य सदस्य श्री विन्सेन्ट स्मिथ भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ थे। उन की पुस्तकें सब विश्व विद्यालयों कालेजों और स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मुझे विश्वास है कि आप ने विल्सन का नाम सुना होगा। उन्होंने २० वर्ष नौकरी की। नौकरी से निवृत्ति लेकर भी वह भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में ही नहीं वरन् ग्रामीण बोलियों में भी दिलचस्पी लेते रहे, गांवों में प्रति दिन काम में आने वाले शब्दों का वह एक अंग्रेजी संचय छोड़ गये। उदाहरणार्थ हल शब्द को लीजिये। हल के कई हिस्से होते हैं। उन सब के भारतीय नाम तो मैं नहीं जानता किन्तु उस संचय में उन्होंने उन के अंग्रेजी नाम ही नहीं दिये हैं वरन् उन भागों के हिन्दी नाम भी दिये हैं। इसी प्रकार चर्खे को उन्होंने लिया है और उस के सब हिस्सों के नाम दिये हैं। उन्होंने ग्रामीणों में प्रचलित अनेक शब्दों का संग्रह किया है। उन्होंने यह सब काम उस प्रशासनिक काम के अलावा किया जिस के लिये वे सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। आप भी ऐसा काम करने के लिये समय निकालें। आप को जनता से परिचित होना चाहिये, उन की दिल की बात समझनी चाहिये, और उन से मिल जुल कर उन की मुश्किलें समझनी चाहिये। आप के लिये यह तभी संभव होगा जब कि आप उन लोगों की सेवा कर सकें जिन को सेवा करने की आप से अपेक्षा की जाती है।

अब तो जैसा मैंने कहा है आप से हर प्रकार के काम की अपेक्षा की जाती है। जब हम लोग जेल में थे तो हमारा एक मित्र भी वहां था। जेल में हमें एक तसला दिया जाता था। जो पीने का पानी और स्नान के लिये शुद्ध पानी रखने इन दोनों के लिये काम में आता था। उस मित्र ने इसे सिवोलियन नाम दे रखा था। अब उन्हें इसकी जरूरत पड़नी तो वे कहते कि मेरा सिवोलियन कहां है। मैं

समझता हूँ कि उन का यह नमकरण पर्याप्त सत्य के आधार पर था। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे सिविलियन बनें। अर्थात् सादे किन्तु कुशलता से यथासंभव अनेक काम करने वाले। यह आदर्श है जिसे आप अपने साथ लेकर जायें। ठीक है पहले दिनों में और भी कृत्य हुआ करते थे। अब शासन करने का काम शनैः शनैः तो कम महत्व का होता जायेगा क्योंकि अन्ततोगत्वा अब हमें शासन की तो उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सेवा की आवश्यकता है। और खास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ कि करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं वहाँ तो सेवा की आवश्यकता और भी ज्यादा है। आप लोगों के मन में जनता के प्रति सहानुभूति और दिलचस्पी होनी चाहिये तभी आप उस की सच्चे अर्थों में सेवा कर सकेंगे। सेवा का सही अर्थ यही है कि जनता की सहायता करना और आजकल तो इस का अत्यन्त महत्व है। हाँ शासन क्षमता भी चाहिये। किन्तु जब आप स्वयं अनुशासन शील होंगे तभी आप इसे दूसरों से मनवा सकेंगे। इसलिये दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा करते समय आप स्वयं अनुशासन हीन नहीं रह सकते। मजिस्ट्रेट को नियम मानने वाला होना चाहिये। तब उस को दूसरों से बल प्रयोग से नियम न मँनवाने पड़ेंगे क्योंकि तब वे बिना प्रयास ही माने जाते रहेंगे। इसलिये मैं आप को सलाह दूँगा कि आप अपना ज्ञान बढ़ायें। आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएँ हैं। सिविलियन लोग ही इस देश को महान् बना सकते हैं। कोई भी सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि इस के हाथ पांव सब सिविलियन अपना काम ईमानदारी और कार्यदक्षता से नहीं करते। अतः यह आवश्यक है और जिस की अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि आप में समझ बूझ हो। ज़रा आप सोचें कि भारत की क्या शकल होनी है और क्या आप उस को बनाना चाहते हैं। उस भारत की तस्वीर आप अपने मन में रखें। आप का यह काम है कि आप वैसा भारत बनायें और यदि आप में समझ बूझ हुई और कार्यदक्षता हुई तो आप सचमुच ही भारत को महान् बना देंगे। आप तो स्वभावतः एक प्रतीक के समान हैं। आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। आप को जनता को महान् बनाना पड़ेगा और तभी देश महान् हो सकेगा। अतः आप अपने केवल नौकरी के भविष्य और तरक्की ही की बात न सोचें। नौकरी का भविष्य तो स्वयं ठीक होगा। अपने कामों के फल को आप परमात्मा के हाथ में छोड़ दें।

जब हम लोग विदेशी सत्ता से संघर्ष कर रहे थे तो हम अपने अधिकारों पर अधिक जोर दिया करते थे। हमें ऐसा करना आवश्यक भी था क्योंकि हमें अधिकार प्राप्त करने थे। किन्तु हमारे अधिकार अब हमें प्राप्त हैं और इसलिये हमें कर्तव्यों की बात अब ज्यादा सोचनी चाहिये। अधिकार तो कर्तव्यों से ही पैदा होते हैं। अच्छी तरह पूरे किये गये कर्तव्य अधिकारों को स्वयमेव ही दिला देंगे। अतः यदि आप इस भावना से कार्य करेंगे तो आप अच्छा नाम पायेंगे। मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं आप से इस से अधिक कुछ कह भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस बात को सही तरह समझ लें तो आप ऐसा करने के उचित समर्थ भी हो जायेंगे।

आजकल हर तरह के दोष और शिकायतें यहां हैं। हम एक परिवर्तन काल में हो कर गुजर रहे हैं। अतः न तो हम बहुत सी चीजें अजित ही कर पाये हैं और न हमारा मानसिक गठन ही अभी पूरा है। अतः यह शिकायतें न तो अनपेक्षित हैं और न अस्वाभाविक, किन्तु इन सब को दूर तो करना ही है। उन्हें हम हमेशा के लिये बने नहीं रहना देना चाहते। हमें उन को दूर करने का प्रयास करना चाहिये। आजकल इन शिकायतों, भ्रष्टाचार और चोरबाजारी की काफी चर्चा सुनी जाती है। किन्तु ये भी तो दोनों तरफ के लोगों के दोषसे ही पैदा हुए हैं। कोई भी काम एक तरफ के लोग नहीं कर सकते। चोरबाजारियों को ग्राहक मिलने चाहियें। यदि ग्राहक न मिलें तो वे चोरबाजारी नहीं कर सकते। इसी प्रकार रिश्वत कोई तभी ले सकता है जब कोई रिश्वत देने वाला हो। इसी प्रकार ही अन्य खराबियों के लिये भी दोनों तरफ के लोग होने चाहियें। अतः एक ही तरफ के लोगों को दोष देना और दूसरों को दूष का धुला मान लेना ठीक नहीं है। अतः यही बात सही है कि सब लोग अपने दिल को टटोलें और पता चलायें कि दोष उन का है या दूसरे का। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मैं तो ठीक रास्ते पर हूँ और दूसरे ही गलती कर रहे हैं। यह विचार शैली स्वयं दोष पूर्ण है।

यदि आप स्वयं सचाई पर भी हों तब भी आप को सारा दोष अपने सर पर ले लेना चाहिये और समझ लेना चाहिये कि आप स्वयं गलती कर रहे हैं। इस से आप को सहायता मिलेगी। किन्तु दुर्भाग्यवश हमें यही अधिक दिखाई देता है कि लोग गलती तो स्वयं करते हैं और दोष दूसरो पर यह कह कर डाल देते हैं कि जहां तक उन का सवाल है वे स्वयं बिल्कुल निर्दोष हैं। किन्तु यह तरीका ठीक नहीं है। मेरा यह आशय नहीं है कि आप अपने दोषों को सब के सामने घोषित करें किन्तु आप को अपने दोष समझ लेने चाहियें और उन को दूर करना चाहिये। घोषणा आवश्यक नहीं है, हां उन्हें दूर करना आवश्यक है।

आप लोगों को प्रशासनिक प्रयोजनों के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन से प्रभावित नहीं होना है। आप को इस में किसी का हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करना है। आप के उच्चतर अधिकारियों के अतिरिक्त आप के काम में और किसी को हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। यदि कोई हस्तक्षेप करे तो आप उस का विरोध करें। यदि आप ने विरोध किया तो औरों को भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलेगा और हस्तक्षेप की घटनायें कम हो जायेंगी। हो सकता है कि फिर भी यहां वहां कुछ ऐसी बातें हों। किन्तु यदि इस कारण आप को कुछ कठिनाई सहनी भी पड़े तो भी सैकड़ों दूसरे, कर्मचारियों को दूसरे स्थान में इस नीति से लाभ भी होगा। जिस प्रकार को धमकी दी जाती है उस की आप को परवाह न करनी चाहिये। आपको उस की परवाह न कर निर्भय होकर सरकार के हुकमों का अमल करना चाहिये। हां अगर सरकार गलती करे तो वह दूसरी बात होगी। उससे आप का कोई सरोकार नहीं। और लोग हैं जो इस बारे में सरकार के पास जायेंगे। किन्तु आप को तो हर हालत में कर्तव्य पालन में रक्षा मिलने का पूरा अधिकार है ही। मुझे यहां आकर और आप लोगों से मिल कर बहुत प्रसन्नता हुई।

## श्री विठ्ठल भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण

तारीख १४-१०-५० को श्री विठ्ठलभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते समय अहमदाबाद में राष्ट्रपति ने कहा--

मेयर साहब, बम्बई प्रान्त के प्रधान मन्त्री, बहनो और भाइयो,

मेरे लिये यह बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि आपने मुझे आज श्री विठ्ठलभाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करने का मौका दिया। मैं श्री विठ्ठल भाई का एक प्रकार से भक्त रहा हूँ और आपने अभी आरम्भिक भाषण में उनकी जीवनी की जितनी बातें कही हैं उनसे मेरी स्मृति उन बातों में और भी साफ हो गयी है। श्री विठ्ठल भाई भारतवर्ष के उन लोगों में थे जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान तक दे दी और इस काम को सफल बनाया। जो लोग बच गये हैं उनको इस बात का दुख अवश्य है कि वह उस दिन तक जीवित न रह सके जिस दिन उनके प्रयत्नों का, उनके त्यागों का फल भारत को देखने को मिला और संसार को देखने को मिला। पर इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उनकी आत्मा आज भारत को स्वतन्त्र देख कर खुश होती होगी और जिस आजादी के लिये जिस स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया, जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में हमारे देश के अनगिनत भाई और बहनो ने हर प्रकार का त्याग किया, उस स्वतन्त्रता की रक्षा में, उस स्वतन्त्रता की मर्यादा बढ़ाने में देश के लोग कोई भी कसर नहीं रखेंगे और उसे हमेशा के लिये सुरक्षित रखेंगे।

श्री विठ्ठलभाई की जीवनी हम सब के लिये एक ऐसी जीवनी है कि जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता उनकी प्रतिभा और उनकी दूरदर्शिता सभी लोग मानते हैं। यह भी सब मानते हैं कि वह अपने विश्वास में कितने अचल और अपने काम में कितने निर्भय रहा करते थे। और जहाँ जहाँ और जिस जिस समय देश ने उनसे कुछ कराना चाहा वहाँ वहाँ और तब तब उन्होंने खुशी खुशी वह किया। आपने अभी कहा कि जब १९१८ में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था तो श्री विठ्ठलभाई पटेल उसकी स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। मेरा उनका परिचय पहले घनिष्ट तो नहीं था पर जो देखा देखी कायम हुई वह उसी समय कायम हुई और वह दिन प्रतिदिन गाढ़ी होनी गयी और उस दिन तक कायम रही जिस दिन वह सब को छोड़ कर इस संसार से चले गये। इस बीच में ऐसा समय आया जब उनके और कांग्रेस के बीच मतभेद हुआ और गहरा मतभेद हुआ। अगर मतभेद के कारण उनके प्रेम में, उनके साथ जो हमारा घनिष्ट सम्बन्ध था उसमें, किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया। जिस समय १९२३ में नागपुर

का झंडा सत्याग्रह चल रहा था, जिसका भी जिक्र आपने किया है, उस समय कांग्रेस में काउंसिल में जाने के प्रश्न पर बहुत घोर मतभेद चल रहा था और आपस में इस तरह का बहसमुबाहिसा चल रहा था जिससे मालूम होता था कि दोनों दलों के लोगों का आपस का सम्पर्क छूट जायेगा। यद्यपि श्री विट्ठलभाई काउंसिल जाने वालों में थे और उस पक्ष का जोरों से समर्थन कर रहे थे तथापि उस वक्त वे नागपुर गये और वहां सरदार बल्लभभाई पटेल के साथ ठहरे और सत्याग्रह को सफल बना कर ही लौटे। उनके देश प्रेम का एक और उदाहरण मुझे मिला था। वे उस सिविलडिसओबीडियन्स कमिटी के अध्यक्ष थे जो सारे देश में घूम घूम कर लोगों की राय ले रही थी कि लोग सत्याग्रह के लिये तैयार हैं या नहीं। दूसरे सदस्यों के साथ मेरे सूबे में पटने में भी वे गये पर वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी संख्या तो बहुत थोड़ी थी पर जो काउंसिल के पक्ष में थे। जो काउंसिल के पक्ष में थे और जो लोग उसके विरोधी थे उन्होंने श्री विट्ठलभाई के सामने अपना अपना बयान दिया। उसके बाद एक सज्जन जो दूसरे पक्ष वाले थे आये और विपक्षियों की उन्होंने शिकायत करनी शुरू की। श्री विट्ठलभाई इस शिकायत को बर्दाश्त नहीं कर सके। वह अपने वक्त के एक बड़े वकील भी थे और जिरह करने में पक्के थे। उस सज्जन से इस तरह उन्होंने जिरह की कि वह शरमिन्दा होकर चले गये। मैंने देखा कि यद्यपि वह हम लोगों से असहमत थे और जो शिकायत करने वाले थे उन्हीं के पक्ष में थे पर जब उन्होंने देखा कि वे सज्जन ऐसी बात कर रहे हैं जिसे देश का दुःखसान होगा, जिसे देश का भला नहीं हो सकता है, तो वह उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके।

मुझे एक दूसरी बात भी याद है। १९३० का सत्याग्रह चल रहा था। महात्मा जी गिरफ्तार हो गये थे। उस वक्त वह एसेम्बली के स्पीकर थे। उन्होंने स्पीकरी से इस्तीफा देकर आन्दोलन में शरीक होने का निश्चय किया। उस समय वह पटने में थे। उन्होंने एक बड़ी सार्वजनिक सभा में लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन दिया। मुझे इस बात का दुःख है कि उसके बाद श्री विट्ठलभाई से मेरा संपर्क नहीं हुआ। बीच में कोई ऐसा अवसर मुझे नहीं मिल सका। पटने में उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया और इस तरह से लोगों को प्रोत्साहन दिया कि सूबे में जो काम तैजो से चल रहा था उसमें और भी तैजो आ गयी। उन्होंने कहा था कि मैं हिन्दुरतान की एसेम्बली का पहला स्पीकर हुआ हूँ। इंग्लैंड में जब कोई स्पीकर अपना समय पूरा करके आराम करने जाता है तो उसको पीयरज मिलती है और पेन्शन मिलती है। मुझे इस काम को छोड़ने पर जेल मिलेगी। मेरी पीयरज जेल में ही है और मैं वहां ही आराम करूंगा। उसके थोड़े ही दिनों के अन्दर वह जेल गये जहां जैसा आपने कहा है उनका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि वह फिर सम्भाला नहीं जा सका। जो काम उन्होंने स्पीकर होकर किया उसके सम्बन्ध में बहुत और लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। जो उस समय एसेम्बली के मेम्बर थे वे जानते हैं कि जिस बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने उस समय

दिया शायद ही कोई दूसरा स्वीकार अब तक उसका मुकाबला कर सका हो। उस समय हमारे सभी विरोधी थे; गवर्नमेंट विरोधी थी, वायसराय जिसके हाथों में सारी शक्ति थी वह विरोधी थे और एसेम्बली के अन्दर एक बड़ा दल हमारे विरोध में था। स्वराज पार्टी के लोगों की संख्या इतनी नहीं थी कि वे कोई खास काम कर सकते। ऐसी हालत में और इस बात का ध्यान रख कर कि उनको कोई पक्षपाती न कहे और किसी एक पक्ष के साथ पक्षपात न हो उन्होंने जो काम किया और गाढ़े वक्त में हमें इस खूबी से बचाया कि उसे देख कर विरोधी भी उनकी चतुरता, उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानने लगे। आजकल हमारा नया संविधान बना है। उसमें हमने इस बात को साफ करके रख दिया है कि हमारे जो लेजिस्लेचर होंगे, चाहे वह पार्लियामेंट हो या प्रांतीय एसेम्बली हो, उनका दफ्तर उनका सेक्रेटेरियट पार्लियामेंट के अधीन होगा न कि गवर्नमेंट के। आज यह साधारण बात मालूम होती है। पर इस बात को कायम किया विट्टल भाई ने। इसके लिये उनको उस समय के अधिकारियों से झगड़ना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अलग सेक्रेटेरियट कायम करवाया जिस पर उनका अधिकार था। पर जो काउन्सिल आफ स्टेट उस जमाने में थी उसका सेक्रेटेरियट गवर्नमेंट के मातहत रहा और १९४७ में जिस समय काउन्सिल आफ स्टेट खत्म हुआ उस समय तक उसका अपना स्वतन्त्र सेक्रेटेरियट नहीं था। दो चार बातें उनकी स्वतन्त्रता त्याग और देश प्रेम की परिचायक हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने देश के लिये कितना काम किया। आज इस बात की जरूरत है कि ऐसे महान् पुरुष ने जो हमको विरासत दी है उसे हम कायम रखे। मैं मानता हूँ कि उस समय जितने त्याग और परिश्रम की आवश्यकता थी उसे हम त्याग और परिश्रम की आवश्यकता आज नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि देश के लोग इस इतिहास में उसी तरह से उत्तीर्ण होंगे जिस तरह से वह हुए थे।

मैं कारपोरेशन का और आप सब भाई और बहनों का आभारी हूँ कि आपने मुझ यह आदर दिया।

### सत्याग्रह आश्रम

तारीख १४-१०-५० को साबरमती आश्रम में आश्रमवासियों के बीच राष्ट्रपति जी ने भ.ष.व. देते हुए कहा—

बहनो और भाइयो,

मैं बहुत दिनों के बाद इस स्थान पर आया हूँ और यहाँ आने पर बहुत सी पुरानी स्मृतियाँ याद आ रही हैं जिनकी दृष्टि से अपने को संभालने में अक्षम हूँ। जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ न मालूम कितने दिन वहाँ पर पूर्य बापू बैठे होंगे। वह बरबाबा जो कूला देख रहा है और उस के अंदर जो मृति नजर आती है वह

धर उस जमाने में नहीं था। इस वजह से यहां की शकल कुछ बदल गयी है। पूज्य बापू यहां से चले गये थे किन्तु उनका प्राण इस आश्रम में था क्योंकि यह उनका पहला काम है जो भारत में उन्होंने शुरू किया। यहां पर वह था गये थे और इसे अपने पुत्रवत् पाला था, बनाया था और चलाया था। मुझे याद है कि आज से ३२ वर्ष पहले १९१८ में मैं पहले पहल यहां आया था। उस वक्त यहाँ इतनी इमारतें नहीं थीं। कई वर्ष तक पूज्य बापू यहां थे, एक वर्ष तो जेल में थे उन दिनों जब बापू यहाँ रहा करते थे मैं आया करता था। उस वक्त में और आज में यहां बहुत अन्तर पड़ गया है। इसे सभी लोग देख सकते हैं। उस वक्त जो लोग यहां थे उन में से बहुत ही कप लोग रह गये हैं। बहुतेरे तो इस संसार से चले गये और जो वचे भी हैं वे दूसरी जगहों में इस काम को लेकर चले गये और उस काम को चला रहे हैं। बापू का विचार भी ऐसा ही था और उसी उद्देश्य से यह आश्रम कायम किया गया था कि यहां से लोग तैयार होकर सारे देश में फैलेंगे और सभी जगहों में जो बापू की शिक्षा है लोगों तक पहुंचायेंगे। काफ़ी उम्मीद लेकर उन्होंने इस आश्रम को बनाया था। कोई काम जो वह दूसरों से करवाना चाहते थे अपने जीवन से ही शुरू करते थे। आज भी कुछ भाई उस काम को कर रहे हैं जो उन्होंने अपने सामने रखा था और मैं आशा करता हूँ कि वह काम आगे बढ़ेगा।

हम आज देश में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। जो व्रत पूज्य बापू ने लिया था उसे उन्होंने अपने रहते रहते पूरा किया। १९३० के साल में जब बापू यहां से निरुत्थे थे और डाडी के लिये कुछ भाई बहनों के साथ रवाना हुए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि स्वराज ले कर ही इस आश्रम में आरंग नही तो नहीं आरंग। यही कारण था कि जब १९३० में सत्याग्रह का काम समाप्त हुआ और स्वराज नहीं मिला तो वह यहाँ नहीं आये दूसरी जगह चले गये और जब स्वराज मिल गया और यहां आकर उन के काम सम्भालने का मौका आया तो उस वक्त हम में पागलपन आ गया और हमने उन को खो दिया। ये सब सृष्टियां याद आती हैं।

मैं आप भाई बहनों से क्या कहूँ। आने जो सेवा का काम उठाया है वह बहुत महान् काम है। आज यद्यपि तरह तरह को हवाएं उठ रही हैं तथापि मैं मानता हूँ कि बापू ने जो शिक्षा हमें दी है और संसार को दी है यानी सत्य और अहिंसा की शिक्षा उस पर कितना भी तूफान क्यों न आये वह कुछ न कुछ तो बनी रहेगी ही। उसी में इस देश का कल्याण है और संसार का भी कल्याण है।

जब बापू चले गये तो आपने इस आश्रम को हरिजन आश्रम बनाया। वह काम आज भी हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने यह हरिजन आश्रम बनाया उसे आप पूरा करेंगे। बापू चाहते थे कि हरिजन शब्द भी यहां से उठ जाये और जब वैसा होगा तभी वह समझेंगे कि देश की सेवा उन्होंने की। जब तक हरिजन आश्रम की जरूरत रहती है, जब तक इस काम को करने की

ञ्चरत रहती है उस समय तक इसे समाप्त नहीं समझना है। इसे अभी आप सब के परिश्रम और तपस्या की ज़रूरत है। आप को वापू का आशीर्वाद प्राप्त है। आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जिसका कण कण वापू के त्याग और तपस्या से भरा है। मुझे आशा है कि आप उससे लाभ उठायेंगे और इस काम को जारी रखेंगे।

### अहमदाबाद में नागरिक अभिनन्दन

तारीख १४-१०-५० को अहमदाबाद कारपोरेशन तथा अहमदाबाद ज़िला लोकल बोर्ड द्वारा दिये गये अभिनन्दन के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

अहमदाबाद नगरपालिका के प्रमुख, अहमदाबाद ज़िला लोकल बोर्ड के अध्यक्ष, बहनो और भाइयो,

जैसा आपने कहा है मैं अहमदाबाद के लिये कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इस शहर में आज से बहुत वर्ष पहले भी आया था और जब तक गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे तो कई बार आया जाया करता था। उनके यहां से चले जाने के बाद मेरा आना जाना कम हो गया पर तो भी मैं यहां आया हूँ। मुझे इस बात से आज आश्चर्य और खुशी है कि उस समय जो बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी आज देख रहा हूँ और उस से भी संतोष है कि यहां की शकल बहुत बदल गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब साबरमती आश्रम में मैं गया था वहां मैंने कहा था कि वहां की शकल बहुत कुछ बदल गई है। उस समय आश्रम के आस पास कोई मकान नहीं थे। ब्रिज के नज़दीक दो-चार मकान थे। पर आज तो बहुत सी इमारतें बन गई हैं और यूनीवर्सिटी भी बन गई है जिसे अभी मैं देखकर आया हूँ। इस तरह एक नया शहर वहां बस गया है। मुझे वह समय याद आता है जब सरदार वल्लभभाई इस शहर की नगरपालिका के अध्यक्ष थे। उस वक़्त की और आज की यहाँ की म्युनिसिपैलिटी में बहुत अन्तर पड़ गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के गांवों की भी वह हालत न होगी, वहाँ भी अन्तर पड़ गया होगा। मुझे देखने का तो मौका नहीं मिला है मगर यह बात अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद ज़िले की ही नहीं है। अगर आप विचार करें कि आज से तीन चार वर्ष पहले सारा देश क्या था और आज क्या हो गया है तो मालूम होगा कि कितना बड़ा अन्तर हो गया है। और जिसका अन्दाज़ शायद हम पूरी तरह से नहीं लगा सकते हैं। लोग कभी कभी यह भूल भी जाते हैं कि हमारे यहां कितना बड़ा अन्तर हो गया है। उस वक़्त महात्मा जी थोड़े ही दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से आए थे और थोड़ा बहुत काम उन्होंने शुरू किया था। उसके दो तीन वर्ष बाद असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ जो हमारे लिये स्वराज्य का कारण बना। लेकिन उसकी शुरुआत उसी वक़्त हुई।



महात्मा जी ने भारत को ही नहीं, सारे संसार को एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा हथियार दिया जिसको, अगर संसार कल्याण चाहता है तो, उसे आज भी मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उसे अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मेरा तो अपना विचार यह है कि अगर मानव इस हथियार को छोड़कर उन दूसरे प्रकार के हथियारों पर भरोसा करेगा, जो आज तक इस्तेमाल होते आये हैं, तो उसका भविष्य केवल बर्बादी से भरा होगा, वेदल विनाशमय होगा। इसलिये जब मैं यह देखता हूँ कि उस समय से आज तक भारत की स्थिति में इतना बड़ा अन्तर पड़ गया है तो अहमदाबाद ने जो तस्करी की है वह कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। आज से तीन साल पहले हम ने एक प्रकार से बेजास्ता स्वराज्य पाया और ८, ९ महीने पहले बाजास्ता स्वराज्य हासिल किया है। १९४६ के दिसम्बर के महीने में हमने पहले पहल अपने हाथ में शासन सूत्र लेने का मनसूबा किया। किसी भी देश की तरक्की के लिये तीन चार साल का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता। और खासकर जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ऐसे समय जब देश पर तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की कठिनाइयाँ आ रही थीं। उनका मुकाबला करना, उन पर विजय प्राप्त करना आसान बात नहीं थी। यदि आप इन बातों को ध्यान में रख कर सोचेंगे और उस प्रकार सोचना जरूरी है तो आप को मालूम होगा कि तीन चार वर्ष में देश ने कुछ कम काम नहीं किया है। आजकल हम जहाँ कहीं जाते हैं और जिस से कहीं मलाकात होती है तो बहुत करके शिकायत ही सुनने में आती है। लोग कहते हैं कि देश में अभी तक महंगी है, चीजों के दाम अभी तक बढ़े हुए हैं, कप्ट्रोल अभी तक जारी है, लोगों को खाने का कष्ट है और तरह तरह के कष्ट हैं; साथ ही लोग यह भी कहते हैं चोरबाजारी भी चल रही है, रिश्वत भी चल रही है और इस तरह की और और बातें भी बही जाती हैं। ठीक है हमें इन पर ध्यान देना है। अभी बहुत सी शिकायतें मौजूद हैं और इन शिकायतों को दूर करना गवर्नमेंट का काम है; और आप विश्वास रखें कि उनको दूर करने का प्रयत्न सरकार कर रही है। इसमें कहीं तक उनको सफलता मिलती है, या नहीं मिलती है, यह तो जनता के सहयोग पर निर्भर करेगा। किसी भी देश की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से अलग नहीं हो सकती है, विशेष करके अगर वह ऐसी गवर्नमेंट है जो प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अर्थ है कि जैसी प्रजा होगी वैसी ही गवर्नमेंट भी होगी। अगर प्रजा सच्ची है, अगर प्रजा में ईमानदारी है, प्रजा में कौशल है, अध्यवसाय है तो वहाँ के प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे। अगर प्रजा में उन चीजों की कमी है तो उसके प्रतिनिधि भी उन दोषों से युक्त होंगे जो प्रजा में हैं। इसलिये आज जो 'सारी कठिनाइयाँ हैं', दिक्कतें हैं, और जिनका दोष गवर्नमेंट के सर पर मढ़ा जाता है उनके लिये सभी दोषी हैं; और उनके लिये जो लोग केवल गवर्नमेंट को दोष देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि आखिर गवर्नमेंट भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। आज भी देश के लोग गवर्नमेंट को वैसा ही समझते हैं जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझते थे। लोग आज भी समझते हैं कि गवर्नमेंट पर एक चोट लगा देना ही उनका कर्तव्य है; पर

लोगों को यह समझना चाहिये कि गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं वे तो जनता के ही लोग हैं। गांधी जी ने हमको यही सिखाया है कि दूसरों की तरफ ज्यादा बुरी निगाह से देखना, दूसरों की गलती निकालना अच्छी बात नहीं होती है। मनुष्य को अपनी कमजोरी पर अधिक ध्यान देना चाहिये तभी वह अपने को तथा दूसरों को भी सुधार सकता है। यद्यपि आज मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के सब कामों की एक प्रकार से जिम्मेदारी मेरी है। तो भी मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि लोगों में कमजोरी है और वह बड़े पैमाने पर है और उस कमजोरी को बिना दूर किये देश का काम न चलेगा। जब वे कमजोरियां दूर हो जायेंगी तब हम भी दुरस्त हो जायेंगे। लोग आज चोरबाजारी की शिकायत करते हैं। आखिर चोरबाजारी में एक आदमी का हाथ नहीं होता। उस में कई प्रकार के लोग होते हैं और उन सब का हिस्सा उसमें होता है। जो लोग चोरबाजारी में माल बेचते हैं, जैसे कमाते हैं, दया उसमें उन्हीं का हाथ है और जो खरीदते हैं उनका हाथ नहीं है? अगर हमको राशन में केवल ६ छटांक मिलने वाला है और १० छटांक से कम में हमारा काम नहीं चलता है तो ६ छटांक हम राशन में लेते हैं और बाकी हम चोरबाजारी में खरीदते हैं। क्या जो इस तरह से खरीदते हैं वे दूषी नहीं हैं? इन सब प्रश्नों को हम इस निगाह से देखें कि इनमें हमारा क्या हिस्सा है और दूसरे का क्या हिस्सा है तो हम भी कुछ सुधार सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। गवर्नमेंट को जरूर इस पर विचार करना चाहिये। जो गवर्नमेंट इन चीजों को नहीं देखती वह निष्कामी है। मगर आपको गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिये और गवर्नमेंट की मदद आप सब से अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं जब आप अपने कर्तव्य को पूरा करें।

ये तो ऐसी चीजें हैं जिनके सम्बन्ध में लोग बहुत कुछ अक्सर कहा करते हैं। वे उन दिवक्तों को नहीं देखते हैं जिनका हम को मुकाबला करना पड़ा है। और अब मालूम पड़ा है कि ईश्वर की दया से उन मुसीबतों से हम किसी तरह बचकर निकले हैं। संसार के इतिहास में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब एक नयी पैदा हुई गवर्नमेंट के सर पर ८० लाख आदमियों का बोझ इस तरह से पड़ा हो। हमारी गवर्नमेंट के सर पर यह बोझ उसी दिन पड़ा जिस दिन उसका जन्म हुआ था। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने इतना काम पूरा कर लिया है, जितने उजड़े लोग थे उनके रोजगार का प्रबन्ध हो चुका है, पर तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो कुछ गवर्नमेंट में शक्ति थी, जो कुछ उसके पास धन जन था उससे जो कुछ हो सकता था वह सब लगाकर उन लोगों की उसने सेवा करने का प्रयत्न किया है। यदि देश की दूसरी बातों पर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि देश में और विदेश में इन तीन वर्षों में हम ने क्या क्या सफलता प्राप्त की है। आपको मालूम है कि अभी हम तीन वर्ष के बच्चे हैं मगर इतना छोटा बच्चा

होते हुए भी आज संसार के देशों में हमारी गिनती हो रही है। यद्यपि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं तो भी हमारी प्रतिष्ठा सभी देशों में हो रही है। हम ने गान्धी जी के रास्ते पर चलकर स्वायत्त प्राप्त किया है और संसार के लोग भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम लोग कितने और किस तरह के गान्धी जी के भक्त हैं और उनके बताये रास्ते पर कहीं तक चलते हैं। हमारे देश में और देशों के प्रतिनिधि हैं। आप किसी की जमीन को, किसी की सम्पत्ति को न हड़पें, किसी के साथ जुर्म न करें जिसमें शान्ति कायम रहे और दूसरे देशों में जो हमारी इज्जत है वह कायम रहे। यद्यपि हमारे पास अधिक धन, फौज, लश्कर मौजूद नहीं है तो भी सारे संसार में आज हमारी बड़ी इज्जत हो रही है।

देश में उन तीन वर्षों के अन्दर क्या हुआ अभी एक बात से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है। जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गयी उस समय देश के अन्दर चन्द सूबे ऐसे थे जिन पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी। उनके अलावा ६०० रियासते ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ गई थी जिनमें छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़ी बड़ी रियासतें थी। उनमें उनके राजा लोग अपने तौर से काम कर रहे थे। जाने के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कह दिया कि अब वे स्वतन्त्र हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो उनका सम्बन्ध था वह खत्म हुआ और वे जैसा चाहें करें अगर वे चाहते तो अलग अलग रियासतें हो सकती थी; उनमें से कुछ मिलकर अपना अलग राष्ट्र कायम कर सकते थे और भारत से अलग रहने का प्रयत्न कर सकते थे। शायद कुछ लोगों को ऐसी आशा रही होगी कि वे ऐसा करेंगे। मगर ईश्वर की दया से वहाँ के राजाओं ने निश्चय कर लिया कि भारत को एक कर लेना चाहिये और आज यूनिफन में सब के सब शामिल हो गये हैं। आज यद्यपि भारत का एक टुकड़ा एक हिस्से में और दूसरा टुकड़ा दूसरे हिस्से में भारत से अलग हो गया है पर तो भी आज भारत इतना बड़ा है जितना कि ऐतिहासिक काल में एक छत्र के नीचे कभी नहीं हुआ। आज भारत एक छत्र राज के अन्दर दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर हिमालय तक और पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में द्वारिका तक एक है। यहाँ बड़े बड़े बादशाह हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, मगर ऐतिहासिक काल में एक छत्र के नीचे इतना बड़ा भारत कभी नहीं था। यह चीज कोई छोटी चीज नहीं है। जब कोई हिसाब लगाता है तो उसको जमा और नफ़ी दोनों तरफ़ जो कुछ हो लिखना चाहिये, केवल नफ़ी ही नफ़ी लिखकर बैलेंस नहीं निकालना चाहिये। भारतवर्ष को अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत मसले उसके सामने हैं। गरीबी का मसला अभी हमने हल नहीं किया। अभी जैसा मैं ग शुरु में कहा चीजों का दाम बहुत ही ऊँचा है। अभी बहुत तरह की शिफायतें हैं। अभी न मालूम सरहद पर क्या हो जाये। अभी पड़ोस देश से हज़ार कोशिश करने पर भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है। ऐसी दशा में यह जरूरी है कि प्रत्येक भारतवासी अपनी सारी शक्ति उस स्वतन्त्रता को कायम रखने में

लगावे जिसे हमने हाल में प्राप्त किया है। जो इस काम में सहयोग देना चाहें उनको अपने अपने कर्तव्य को समझ लेना चाहिये। यदि वे अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो देश के सारे काम बन जायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहां के लोग उसी तरह जिस तरह वे महात्माजी के रचनात्मक काम में लग रहे हैं आगे बढ़ेंगे और देश के अन्य भागों को प्रेरणा देंगे।

मैं आप सब भाई और बहनों को और विशेषकर नगरपालिका के सदस्यों को उस सम्मान और आदर के लिये जो उन्होंने आज मेरा किया है किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। मैं समझता हूँ कि वह स्वागत किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं है बल्कि उस स्वराज्य के लिये है उस स्वतन्त्रता के लिये है जिसका प्रतीक मैं हूँ और आपने ही तो मुझे वह प्रतीक भी बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप का यह प्रेम भाव मुझ पर सदा बना रहेगा।

### सेवादल की उद्बोधन

तारीख १५-१०-५० को अहमदाबाद में सेवादल के स्वयंसेवकों से राष्ट्रपति जी ने कहा—  
श्री कानूजी भाई, सेवादल के संचालक, बच्चे और बच्चियों,

मुझे आज यह दृश्य देख कर बड़ा हर्ष हुआ। अभी कानूजी भाई ने जो सेवादल के संगठन का हाल पढ़ा उसे सुन कर मेरी प्रसन्नता और बढ़ गयी है। यहां आज ५००० स्वयंसेवक आकर इकट्ठे हुए और गुजरात के सभी जिलों से पहुंचे यह छोटी बात नहीं है। मुझे यह सुनकर कि इस प्रकार की रैली आप हमेशा किया करते हैं और यह देखकर कि सेवा दल का संगठन सेवा के लिए हो रहा है मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मुझे इसका प्रमाण कि सेवादल की बच्ची और बच्चे सेवा के ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे पूरा पूरा मिल गया है। मैंने देखा कि एक टोली हाथ में झाड़ लेकर निकली दूसरी टोली कुदाल लेकर तीसरी टोली हंसुआ लेकर। इस तरह गाँव के लोगों के काम में जिन जिन हथियारों की, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन सब चीजों को लेकर स्वयंसेवक आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि उनको जो शिक्षा मिल रही है वह शिक्षा अच्छी है क्योंकि इन सब चीजों के इस्तेमाल के लिये और लोगों में किस तरह से उनके द्वारा शिक्षा दी जा सकती है इस बात की भी उनको शिक्षा दी जा रही है। मैंने स्वयं सेवक दल और जगहों में भी देखे हैं मगर वहाँ मैंने खेल तमाशे ही अधिकतर देखे। यहां खेल तमाशा भी अच्छी तरह सिखलाया जाता है कसरत भी सिखलायी जाती है, जिससे स्वयंसेवकों का शरीर अच्छा रहे, और उसके साथ साथ उनको काम भी सिखलाया जा रहा है जिसमें यहां से निकलने पर वे देश की अच्छी सेवा कर सकें।

स्वराज हमें मिल गया है मगर देश के बड़े बड़े प्रश्न अभी पड़े हैं जिनको हमें हल करना है। जब तक उन प्रश्नों का हल नहीं निकलता तब तक स्वराज

से हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सारा देश गरीबों में है। सारे देश के सामने बहुत तरह के प्रश्न उपस्थित हैं। अभी हमने शासन सूत्र हाथ में लिया है। और उस सूत्र को देश की सेवा में किस तरह लगायें और कहां तक लगायें यह अभी हमें तय करना है। इसलिये आज ज़रूरत है ऐसे स्वयंसेवकों की जो देश की सेवा को अपना ध्येय बनाकर काम करें। मुझे यह देखकर और भी प्रसन्नता है कि आपने इस स्थान का नाम उन दो भाइयों के नाम पर रखा है जिन्होंने अहमदाबाद के हिन्दू मुस्लिम दंगों में अपनी जान दे दी थी। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और मैं आशा करता हूँ कि जिस ध्येय की प्राप्ति के लिये उन दोनों भाइयों ने प्राण दिये उस ध्येय को आप हमेशा अपने सामने रखेंगे। इस सेवा दल की प्रत्येक बच्ची और बच्चे इस बात को याद रखें कि इस देश में जितने लोग बसते हैं सभी भाई भाई हैं और सबको एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिये और अगर कोई मनभेद का मौका कभी आ भी जाये तो आपस में मिलकर तय करना चाहिये। यह हममें से प्रत्येक के लिये परम ज़रूरी है कि इन बातों को हम सामने रखें। मुझे आशा है कि आपका यह प्रयत्न सफल होगा और जो भाई मेरे बाद आयेंगे उनको आपकी और भी अधिक सफलता देखने को मिलेगी।

मुझे यह जान कर दुख है कि यहां इस नदी में चार भाई डूब कर मर गये। यह संसार है। इसमें ये सब बातें होती ही रहती हैं। मुझे खुशी है कि इससे आप के काम में कोई बाधा नहीं आयी। अभी हाल में यहां इतनी बारिश हुई जिससे काफी नुकसान हुआ। देश के दूसरे दूसरे हिस्सों में भी कुछ न कुछ आपत्ति हमेशा आती रहती है, कभी भूकम्प तो कभी बाढ़, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि और कभी बीमारी। ऐसी जगहों में आपकी सेवा को ज़रूरत होगी और लोग आपकी सेवा से लाभ उठायेंगे।

ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आप सभी भाई बहनों को शक्ति दे कि जो आदर्श आपके सामने आज रखा जा रहा है उसका आप पालन कर सकें।

### नडियाड स्टेशन पर अभिनन्दन

तारीख १५-१०-५० को नडियाड स्टेशन पर नडियाड म्युनिसिपैलिटी, कांग्रेस कमेटी आदि संस्थाओं द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मैं थोड़ी ही देर के लिये आप से यहां मिलने के लिये आया हूँ। आप इतना कष्ट करके यहां आये हैं। मुझे खुशी है कि आप सब का मुझे एक साथ दर्शन मिल सका। आज से करीब ३२ वर्ष हुए जब पहले पहल मैं गुजरात में आया

था तो पहला शहर जो मैंने देखा था वह नडियाद ही था। जिस वक्त बापू खेडा सत्याग्रह में काम कर रहे थे, यहां के आश्रम में रहते थे और सरदार भी यहां ही थे। उस वक्त आप के शहर में मैं कई दिन तक ठहरा था। उस वक्त से आज देश में बहुत अन्तर पड़ गया है। स्वराज मित्र गया है। अब आप का धर्म है कि स्वराज को चलायें और इस तरह से चलावें जिसमें सारे देश का कल्याण हो। मैं यहीं आपसे कहना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि जो कुछ बापू सिखला गये हैं उसे आप हमेशा याद रखेंगे और उनकी सीख के अनुसार काम करते रहेंगे।

### भीमसेवा मण्डल की रजत जयन्ती

दोहद में के भीमसेवा मंडल की रजत जयन्ती के अवसर पर ता० १६-१०-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री कानजीभाई, वाला साहब खेर, भीमसेवा मंडल के कार्यकर्तागण, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज भीम सेवा मंडल की रजत जयन्ती के अवसर पर मैं यहां हाज़िर हो सका। जब मुझे से यहां आने की बात कही गयी तो मैंने उसे बड़ी खुशी के साथ इसलिये मज़ूर कर लिया कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त सारे देश के अन्दर आदिम जाति के लोग, जो एक बड़ी जाति है, जिस की सस्था दो ढाई करोड़ के आसपास में है, बसते हैं और उनकी सेवा करना हम भारतवासियों में से प्रत्येक का परम कर्तव्य होना चाहिये। अभी आप ने सुना कि किस तरह से इस सेवा मंडल का जन्म आज से २७-२८ वर्ष पहले श्री ठक्कर बापा की प्रेरणा से हुआ। उनकी प्रेरणा ने जो काम उस समय आरम्भ किया वह आज फूलता फलता दीख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम उन्होंने दोहद के इलाके में शुरू किया वह यहां ही तक सीमित न रह कर आज भारतवर्ष के और और सूबों में उनकी प्रेरणा से जारी हो रहा है और चल रहा है। जहां तक मैं जानता हूँ शायद ही कोई ऐसा सूबा होगा जहां आदिवासियों की संख्या न हो और वहां उनकी सेवा का कुछ न कुछ काम लोगों ने अपने हाथों में न लिया हो। जहां जहा इस काम को आरम्भ किया गया है वहां के लोगों ने इस बात को समझ कर आरम्भ किया है कि इस कार्य को करना उनका धर्म है। मैं एक ऐसे सूबे में रहता हूँ जहां आदिवासियों की संख्या जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दुस्तान के और सूबों के मुकाबले में सब से अधिक है। वहां पर आपके सूबे के मुकाबले में काम बहुत कम हुआ है। मगर वहां भी काम ठक्कर बापा की प्रेरणा से, उनकी देखरेख में चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वह दिन ब दिन तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। अब जब कि गवर्नमेंट अपने देश के लोगों के हाथ में आ गयी है और जब हमारे संविधान में भी इसके लिये बहुत कुछ विधान है और एक प्रकार से गवर्नमेंट के लिए लाजमी है कि वह उनकी सेवा का प्रबन्ध करे यह आवश्यक है कि यह काम और भी जोरों से बढ़े और दूसरे सूबों में भी फैले। अभी खेर साहब ने कहा कि संघ और राज्यों की सब विधान सभाओं में आगे दस वर्ष तक आदिमवासियों को अपनी ज़ब

संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि भेजने का हक होगा। उनके ये प्रतिनिधि उनके दुःख सुख की बात इन विधान सभाओं में रख सकेंगे और इस बात का प्रयास कर सकेंगे कि उन्हें जितनी मदद चाहिये उतनी मदद गवर्नमेंट से उन को मिले। उनके लिये गवर्नमेंट की नौकरी में भी स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। उनमें से जो योग्य साबित होंगे उनको क़रीब क़रीब उनकी संख्या के अनुपात से स्थान मिलेंगे। उनमें शिक्षा प्रचार करने का प्रयत्न इस प्रकार से किया जायेगा कि उनके ऐसे बच्चे जो गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं, शिक्षा से वंचित न रहें। उनको छात्रवृत्ति देकर, पुस्तकों की सहायता देकर, उनको स्कूल फ़ीस से माफ़ी देकर तथा और जितने प्रकार से उन की सहायता की जा सकती है, सहायता की जायेगी जिसमें उनके बच्चे शिक्षा पाकर दूसरों के मुकाबले में आ जायें। आपको यह मुन कर प्रसन्नता होगी कि प्रायः सभी जगहों में आज ऐसे कामों में गवर्नमेंट की तरफ़ से काफ़ी पैसे खर्च किये जा रहे हैं। जैसे जैसे काम बढ़ेगा और भी खर्च किया जायेगा। जो कुछ सुरक्षित अधिकार उनको संविधान के ज़रिये मिले हैं वे १० वर्ष के लिये ही हैं। इसका अर्थ यही है कि १० वर्ष के अन्दर ऐसा प्रयत्न, ऐसी कोशिश होनी चाहिये कि जिसमें वे लोग भी और लोगों के मुकाबले में शिक्षा पा लें और सब लोगों के मुकाबले में और बातें भी सीख लें और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी जाये जिसमें सबकी बराबरी में आकर सबका मुकाबला कर सकें। यह दस वर्ष की अवधि उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो उनकी सेवा के काम में लगे हुए हैं क्यों कि उनको इन दस वर्षों के अन्दर ही इतना काम करना है, इतनी तेज़ी, इतने उत्साह और अध्यवसाय के साथ काम करना है कि जिसमें इन दस वर्षों के बाद पिछड़ी हुई जाति को किसी की विशिष्ट सेवा की ज़रूरत न रह जाये। इसलिये जो आदिम जाति के लोग भील, कोल, मुण्डा, उराव, सथाल, गौर और अन्यान्य बहुतेरे नाम से भिन्न भिन्न प्रदेशों में मशहूर हैं उन सभी भाई और बहनो से मेरा निवेदन है कि उनकी जो सेवा की जाये उसे वे स्वीकार करें। जो मदद वे कर सकें वह भी मदद इस सेवा को सफल बनाने के लिए करें। जो दूसरी जाति के लोग हैं वे भी इस सेवा में मदद करे जिसमें उनके, गवर्नमेंट के और आदिम जाति के लोगों के तीनों के प्रयत्न एक साथ त्रिवेणी की धारा बन जायें, ऐसी त्रिवेणी जिसमें स्नान करके सब आदमी एक हो जायें। यह काम महत्व का है और पुण्य का है। सच पूछिये तो यह कार्य दूसरे भारतवासियों के प्रायश्चित्त का भी है। आज तक आदिम जातियों को पिछड़ा रखने का भारी दोष या पाप, जो आप समझें, बहुत करके भारत-वर्ष के दूसरे भाइयों का ही है। इसलिए इसको प्रायश्चित्त समझ कर, इसको पुण्य का काम समझ कर उन सब को इसमें पड़ना चाहिये और मदद देनी चाहिये। काम बहुत बड़ा है। हर बड़े काम में, हर महत्ववाले काम में, काम करने वालों की कमी रहती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भीमसेवा मंडल के बहुतेरे भाइयों ने अपना जीवन समर्पण करके यह काम शुरू किया है उसी तरह से इस काम में हमारे देश के नवयुवक केवल एक जगह नहीं, सारे देश में लग जायें और इसे आगे बढ़ा कर १० वर्ष के अन्दर पूरा करें।

इस रजत जयन्ती का बड़ा महत्व है क्यों कि केवल इस जगह के ही नहीं सारे देश के सेवकों को यहां से प्रेरणा मिली है। मैं ने यहां आना खास तौर से इसलिये स्वीकार किया कि यहां से कुछ प्रेरणा लूंगा और फिर देश के दूसरे भागों के लोगों को कुछ प्रेरणा दे सकूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेवा के काम को सच्ची सेवा का काम समझ कर और पीछे की बातों

को भूल कर सद्भावना के साथ इसमें जुट जायेंगे और जिनसे जो कुछ सहायता हो सकती है वे उतनी सहायता करेंगे जिसमें यह काम पूरा हो सके। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि यहां जितने काम करने वाले हैं और जितने भविष्य में इसमें शामिल होने वाले हैं वह उन सब को सद्बुद्धि और शक्ति दे कि वे उस काम को पूरा कर सकें।

### कोआपरेटिव मिल्क यूनियन

शा० १६-१०-५० को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, आनन्द, में राष्ट्रपति जी ने भाषण देते हुए कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज यहां आ सका और कोआपरेटिव सोसायटी की तरफ से दूध के लिए जो कुछ यहां किया जा रहा है उसे देख सका। जब मैं खाद्य मंत्री था उसी समय से इस काम के बारे में बातचीत चल रही थी। मुझे यह जानकर भी बड़ी प्रसन्नता है कि यह सस्या अब आपके हाथों में आ गयी है और इसके आप के हाथ में आने के बाद आपने इतना काम बढ़ाया है। जो छोटी सी रिपोर्ट पढ़ कर सुनायी गयी है उससे मालूम होता है कि इन तीन वर्षों में इसने कितनी प्रगति की है। पहले जहां पांच सात सौ पौंड रोजाना दूध की प्राप्ति थी आज २५००० पौंड की रोजाना प्राप्ति हो रही है और आपकी योजना है कि इसको एक लाख पौंड तक पहुंचा दें। अनेकों गांवों के घर घर से दूध इकट्ठा करना, उसे ऐसी स्थिति में रखना जिसमें वह बिगड़े नहीं और दो दिनों के बाद भी उसे उसी स्थिति में लोगों तक पहुंचा कर लोगों की सेवा करना यह काफ़ी मुश्किल काम है। यह बड़े मार्कों की बात होगी यदि बम्बई जैसे शहर को, जहां गाय और भैंस नहीं पाली जाती और जहां बाहर से ही दूध लाना पड़ता है, आप दूध दे सकें। पर इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सारे का सारा दूध बम्बई ही न चला जाये बल्कि खेड़ा के लोगों के बच्चों को भी उसका कुछ हिस्सा मिले और आप लोगों के अपने बच्चों की भी जरूरत पूरी हो। इस तरह का निश्चय कर लेना चाहिये कि अगर किसी घर में चार सेर दूध होत है तो कम से कम एक दो सेर उस घर के लोगों को भी मिले और बाक़ी बम्बई शहर को भेजा जाये जिससे यहां के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरे और बम्बई के लोगों की दूध की जरूरत भी पूरी हो।

दूसरी चीज़ जिसे मैं बराबर कहा करता हूं और जहां जहाँ मुझे मौका मिलता है वह कहेता हूं वह यह है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहां की कृषि बलों पर निर्भर करती है। इसलिए जहां जहां संभव हो पशुपालन का काम किया जाना चाहिये जिसमें हमारी गायों और बैलों को नस्ल सुधरे और अच्छे से अच्छे बैल और अधिक से अधिक दूध भी मिले। मैंने यहां पर दरियाफ्त किया कि भैंसों के पाड़ों का क्या किया जाता है? हमारी तरफ़ भैंस के बच्चे को पाड़ा कहते हैं, मालूम नहीं यहां क्या कहा जाता है। गायों के बछड़ों की पैवार होने



पर हम हल में जोतते हैं, गाड़ी में जोतते हैं, लोग उनसे हर प्रकार का काम लेते हैं। भसक पाड़ों से कहीं कहीं काम लिया जाता है और वहाँ कहीं नहीं लिया जाता है। भारत के एक भाग में पाड़े जोते जाते हैं तो दूसरे भाग में भी जोतकर देखना चाहिये कि वे कैसा काम करते हैं और जहाँ उनको हल में जोना जाता है वहाँ उन्हें गाड़ी में भी जोतकर देखना चाहिये। लेकिन सबसे अच्छा काम तो यह है कि हम गायों की नस्ल इस प्रकार से सुधारें कि हम को अधिक से अधिक दूध भी मिले और अच्छे से अच्छे बैल भी मिलें। अन्न के साथ साथ दूध की भी आवश्यकता है। अभी देश में दूध की कमी है। यहाँ जितनी भैंसे हैं उनके अनुपात में दूध बहुत कम होता है। इस देश में जितने पशु हैं और देश में नहीं है लेकिन उन देशों के मुकाबले में यहाँ बहुत कम दूध होता है और इसलिए यहाँ दूध की कमी रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि पशुओं की नस्ल सुधारी जाये। जब तक नस्ल नहीं सुधरेगी, दूध की कमी दूर नहीं होगी। पशु को चारा दाना देने से भी दूध बढ़ जाता है लेकिन यहाँ तो अन्न की भी कमी है। इसलिये जब तक यहाँ पशुओं की नस्ल नहीं सुधारी जायेगी तब तक यहाँ दूध की कमी बनी रहेगी और यह प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके गोशालायें बनें और गो भेवा का काम जोरों से चले जिसमें दूध भी मिले और बैल भी मिले।

केवल गुजरात में ही गाय के बजाय भैंस नहीं पाली जाती। मैंने देखा है कि नागपुर में भी अधिकतर भैंस ही काम चलता है और वहाँ के लोग भी भैंस का ही दूध पसन्द करने लगे हैं क्योंकि भैंस का दूध अधिक मीठा होता है। तबूत में लोग तो गाय का दूध पीना पसन्द भी नहीं करते। पर हमारे तरफ लोग भैंस का दूध पसन्द नहीं करते हैं। हो सकता है कि वहाँ के लोगों की पाचन शक्ति कम हो हो और वे भैंस का दूध पचाने में असमर्थ हों। इसलिये उधर पीने के लिए गाय का दूध इस्तेमाल होता है और वहाँ भी पीने के लिए भैंस का। इसलिए हमारे प्रान्त में गाय और भैंस दोनों को ही लोग पालते हैं। वहाँ दोनों से दो काम लिये जाते हैं। भैंस के दूध से दही बना कर खाते हैं, घी निकालते हैं और गाय का दूध दूध के रूप में ही अधिक खर्च हो जाता है। मैं समझता हूँ कि यह भी उतना अच्छा नहीं है जितना यह अच्छा है कि केवल गाय से ही काम चल जाये। आपने मेरा निवेदन है कि आप को आपराइट्य खोलकर जब गांवों में काम चलायें तो इस ओर भी ध्यान दें कि क्या करने से हमारा ज्यादा लाभ और नफा है।

मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता है कि गांवों के लोगों के घर तक पहुँचकर उनको पशुपालन में गहायता करने का आप प्रयत्न करते हैं। आपने उनके लिये अच्छे मकान बनवा दिये हैं तथा उन्होंने अन्य प्रबन्ध किया है अगर उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे तो आप डाक्टर को ले जाकर बच्चे को दिखलायेंगे और अगर उनके पशु बीमार होंगे तो आप उनकी चिकित्सा करा देंगे। मैं समझता हूँ कि जो मेरे घर हैं उन्हीं के लिए यह किया गया है। लेकिन यह काम ऐसा है कि इसे तब जाना चाहिये। जितने देश में आदमी है उन गाय के लिये आज भी डाक्टरों का नाम नहीं है। आपने पशुओं के लिये भी यह इन्तजाम किया है यह आश्चर्य की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह काम आगे बढ़ेगा।

चारे का प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है। भैंस अधिक चारा खाती है। एक गाय जितना खाती है उससे डेढ़ा, दुगुना एक भैंस खा जाती है। भारत में अन्न की कमी है और विदेशों से करोड़ों

मन अन्न मंगाना पड़ता है और सौ सबा सौ करोड़ तक रुपये बाहर भेजने पड़ते हैं। अगर हमें अपने यहाँ अन्न पैदा करना हो और जितना यहाँ अन्न पैदा होता है उससे अधिक पैदा करना हो तो जितनी जमीन खेती में अभी है उसके अलावा और अधिक जमीन में खेती करनी होगी। अगर हम पशुओं के लिए चारा भी पैदा करें तो दोनों में झगड़ा पैदा होने का डर बना रहेगा। आज इस चीज की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो चारा पैदा होता है उसको हम ऐसे रूप में रखें कि उसके गूख जाने के बाद भी पशु उसको खा सके और उससे अधिक लाभ उठा सके। यह सलाज के जरिये से हो सकता है। मैं ने सुना है कि इसे पशु अधिक पसन्दगी से खाते हैं और उससे शायद दूध में भी बढ़ती होती है। यह इन्तज़ाम बहुत सुन्दर है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ यह हो सके इसे हर मुमकिन तरीके से तैयार करना चाहिये जिसमें पशु आराम से रह सके।

दो तीन वर्ष के अन्दर आपने जितना काम किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि गाय के सम्बन्ध में मैं ने जो कहा है उस पर आप ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

### एंग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट

एंग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, आनन्द का शिलान्यास करते समय ता० १६-१०-५० को ११-३० बजे दिन में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

माननीय श्री मुन्शी साहब, माननीय श्री वाला साहब, बहनो और भाइयों,

आपने यह ठीक समझा है कि मेरी विशेष दिलचस्पी कृषि के काम में और गोपालन में है। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। यद्यपि कार्यवश अपने जीवन का अधिकांश भाग मैंने शहर में ही बिताया पड़ा है और जहाँ भी बिताया पड़ा रहा है पर तो भी मेरा सम्पर्क गांव से कभी नहीं टूटा है। जब कभी दो-चार दिनों की छुट्टी मिलती है तभी मैं गांव चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ जीवन ले कर फिर शहर में आता हूँ। इस लिये जो गांव की चीजें हैं उन के साथ मेरा प्रेम है, रस है, दिलचस्पी है और गांव की चीजों को मैं सब से बढ़ कर चाहता हूँ।

खेती और पशु इन दोनों का एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता है। इस लिये आप ने एंग्रीकल्चरल कालेज और उस के साथ-साथ गोसेवा का जो एक संघ दोनों कामों के साधने के लिये बनाया है वह बहुत ही अच्छा किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस से दोनों की भलाई होगी, दोनों का कल्याण होगा, और दोनों ही उन्नति कर सकेंगे। जैसा मैं ने पहले कहा है, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मगर आज दुःख के साथ हमें इस बात को मानना पड़ता है कि हमारे अधिकांश सूबों में अन्न की कमी के कारण लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और इस के लिये इन्हें दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ता है, साथ ही विदेशों को इतना धन भेजना

पड़ता है जितना धन आज तक हम न किसी चीज के लिये विदेश नहीं भेजा । जिस समय महात्मा जी ने स्वराज्य का आन्दोलन आरम्भ किया था उस वक्त विदेशों से सब से अधिक कपड़े का आयात होता था । हमें तब ६०-७० करोड़ सालाना का कपड़ा मंगाना पड़ता था । तब हम सारे देश में आन्दोलन करते थे कि इतने रुपये विदेशों में कपड़े के लिये व्यर्थ भेजे जाते हैं, इस लिये यहां चर्खें चलाओ और जिस तरह से हो इस धन के बहाव को रोको जिस में लोग सुखी हों । मगर पिछले चार पांच वर्षों से अन्न के लिये हर साल ६०-७० करोड़ नहीं बल्कि सौ सवा सौ करोड़ रुपये विदेश भेजने पड़ते हैं । आप समझ सकते हैं कि इस से देश को कितनी हानि हो रही है, कितना ह्रास हो रहा है । हमारे सामने सब से बड़ा प्रश्न आज यही है कि किस तरह से देश को अन्न से परिपूर्ण कर दें, जिसमें हम लोगों को दूसरों का मुह न देखना पड़े और देश में ही खाने के लिये अन्न मिले । आज जहां जहां राशन है वहां किसी जगह पर १२ औंस, और कहीं कहीं ८ औंस प्रति आदमी को प्रति दिन अनाज मिलता है । इतनी कम खुराक खा कर आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है । मगर देश की जैसी हालत है उस में इस के अलावा और कुछ किया ही नहीं जा सकता है । क्यों आज देश में अन्न की कमी होती है ? क्यों यहां पर्याप्त अन्न नहीं होता ? क्यों विदेशों से इतना अन्न मंगाना पड़ता है ? इस प्रकार की सारी संस्थाओं का काम है कि वे देश में अन्न की वृद्धि के लिये प्रयास करें । मेरा अपना विश्वास है कि इस देश में अन्न की वृद्धि आसानी से हो सकती है । पर शर्त यह है कि देश के लोग उद्देश्य के पूरा करने में जुट जायें । लोग यह निश्चय कर लें कि यहां ही पर्याप्त अन्न पैदा करना है । इस में कोई शक नहीं कि अगर हम चाहें तो आसानी से पैदावार बढ़ा सकते हैं । यह कहा जाता है कि इस देश में अन्न की १० फी सदी कमी है और १० फी सदी अन्न की पैदावार बढ़ने से विदेशों से अन्न मंगाने की हमें जरूरत नहीं रहेगी । इस का अर्थ यह है कि अगर दस मन के बजाय हम ११ मन पैदा कर ले तो बाहर से अन्न मगाने की जरूरत नहीं रह जायेगी । यह बड़ी चीज नहीं है । तो भी हम लोगों में अकर्मण्यता आ गई है, हम अदूरदर्शी हो गये हैं, अपनी प्रतिभा को भूल गये हैं, कि इस बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं और हमें इतना अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है । इतना मंगाने पर भी मुन्शी साहब परेशान रहते हैं कि आज यहा घाटा तो कल वहां घाटा । यह इतना बड़ा देश है कि कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिवृष्टि से तथा प्रकृति के और और प्रकोप से नुकसान होता ही रहता है । फसल में गेरुआ रोग लग जाता है और कई प्रकार की दूसरी बीमारी फसल में लग जाती है जिस की वजह से वह खराब हो जाती है । पर इस बार एक स्थान में नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में तरह तरह की विपत्ति आई है । आसाम में भूकम्प से और बाढ़ से फसल को बहुत ही नुकसान हुआ और अभी भी हो रहा है । हमारे सूबे में जहां की जमीन बहुत अच्छी है, शुरू में वर्षा की कमी में और फिर अधिक बाढ़ आने से फसल को बहुत नुकसान हुआ । वहां हस्तनक्षत्र में जब पानी बरसता है तो धान की फसल अच्छी होती है । अगर हस्तनक्षत्र में वहां पानी नहीं होता तो बची खुची फसल भी नष्ट हो जाती है । उस से आगे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप रहा, पंजाब में बाढ़ का प्रकोप रहा । यहां अहमदाबाद में सुना है कि एक दिन २६ इंच पानी बरसा और उस के कारण बाढ़ आई, सौराष्ट्र में बाढ़ का प्रकोप आया । इस प्रकार सारे देश में एक साथ ही विपत्ति आई और कुछ जगहों में तो अन्न भी बाढ़ में बह

गया। तो यह इतना बड़ा देश है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन इस के बावजूद हम को यह देखना है कि यहां का काम न बिगड़ने पावे। मैं समझता हूँ कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की है और इतना आगे बढ़ गया है कि आज यह संभव है कि इस के जरिये देश के किसी भी हिस्से की हालत बिगड़ने न दी जाये और उस की सहायता से अच्छी से अच्छी फ़सल पैदा की जा सकती है। तो आज हमारे देश में इसी चीज़ की कमी है। अभी हम इस चीज़ का अभ्यास नहीं कर सके हैं कि उस से लाभ उठा कर अधिक पैदा कर सकें। इस के लिये जो इस प्रकार की सस्थायें होती हैं उन से आशा रखी जाती है कि यहां की स्थिति देख कर, यहां की जैसी आबहवा हो, यहां जैसी फ़सल होती हो, या हो सकती हो इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर प्रयोग द्वारा अनुसंधान करें, कि फ़सल कहां तक बढ़ाई जा सकती है। जब ये प्रयोग सफल हो तो उन के फल को लोगों को दिखलाया जाये। लोगों को जब विश्वास हो जाये तो उन को यह भी समझाया जाये कि ऐसा वे अपने खेतों में भी कर सकते हैं।

यह धारणा कि हमारे देश के किसान अनपढ़ हैं और नई चीज़ों को वह सीखना नहीं चाहते हैं और पुरानी रीति से ही चलना पसन्द करते हैं, मेरी समझ में ठीक नहीं है। इसके विपरीत जब उन को मालूम हो जाता है कि किसी विशेष चीज़ से लाभ है तो उस चीज़ को वे अपना लेते हैं। साथ ही यह भी ठीक है कि उन में इतनी चतुरता है कि जो चीज़ केवल अनुसंधान रूप में हो, या जिस चीज़ से लाभ नहीं हो, उसे वे स्वीकार नहीं करते। इसे मैं एक मिसाल दे कर बतलाना चाहता हूँ। हमारे सूबे में गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती यहां बहुत ज़माने से होती आ रही है। कोई भी किसान हो, अगर उस के पास दस एकड़ ज़मीन है तो उस में से कुछ में वह गन्ना लगायेगा, कुछ में धान रोपेगा, कुछ में मकई बोयेगा, जिस में उस का सारा काम चलता रहे। ऊख की खेती वहां पुराने ज़माने से चल रही है। पहले मिलें नहीं थी तो लोग गुड़ बनाते थे और फिर गुड़ से चीनी बन जाती थी। यह करना कोई नई बात नहीं है। वह ऊख भी ऐसी थी कि बैलों से कोन्हू में पेड़ी जाती तो उस से रस निकलता था। जब यह पता चला कि पुरानी ऊख से रस उताना नहीं मिलता जितना निकलने से उस की चीनी बनाने में मुनाफा हो। तब गवर्नमेन्ट की तरफ़ से इस बात की कोशिश होने लगी कि नये नये किस्म की ऊख खोज की जाये जो ऐसी हो कि उस से अधिक से अधिक चीनी की पैदावार हो और वह वज़न में भी ज्यादा पैदा की जा सके और इस प्रकार लोगों को पैसे भी अधिक मिलें। दस वर्षों के अन्दर ही इस दिशा में इतना परिवर्तन हो गया कि अब पुराने किस्म का एक गन्ना भी नहीं मिलता। उन्होंने नये किस्म के गन्ने को ऋबूल कर लिया क्यों कि उस से उन को लाभ हुआ। वे यह भी जान गये कि बैलों के जरिये जो रस निकालने की रीति है वह नये किस्म की ऊख के लिये कारगर नहीं है क्योंकि उस का सूता बहुत मोटा होता है और बैलों को काफी परिश्रम पड़ता है। इस लिये बैलों से पेड़ने के लिये पुरानी ऊख उपजायेंगे। मान लीजिये कि कोई किसान ५ एकड़ ज़मीन में ऊख लगाता है तो घर के इस्तेमाल के लिये १० कट्टे में वह पुरानी ऊख बोयेगा और साढ़े चार एकड़ में मिल के लिये नये किस्म की ऊख बोयेगा जिसे वह बेचेगा। वहां नये किस्म की ऊख हर साल निकाली जाती है। जैसे कि

इस साल २१३ नम्बर की ऊख निकली तो दूसरे साल ३१३ नम्बर की, तो तीसरे साल ९३ नम्बर की, इसी तरह से हर साल नये किस्म की ऊख निकलती जाती है। इस तरह अब पुराने किस्म की एक भी ऊख सारे सूत्रों में नहीं मिलेगी। लॉग वर के इस्तेमाल के लिये थोड़ा बहुत लगाते हैं पर मिल के लिये नहीं। इस तरह नये नये किस्म की ऊख लोग आहिस्ता आहिस्ता लेते जाते हैं। अगर वे देखें कि एक किस्म की ऊख में उन को कट्टे में १० रुपये मिलते हैं और दूसरे किस्म की ऊख से १५ रुपये तो दूसरे किस्म की ऊख को वे कबूल कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वे नये किस्म के गेहूँ को लेते जाते हैं। इसलिए यह विचार ठीक नहीं है कि जो जो नई चीजें देश में आती हैं उन्हें वे अपनाने को तैयार नहीं हैं। वे अपने तरीके से बहुत चतुर हैं। जिस में उन को लाभ दीखता है उसे वे कबूल कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सस्याये उन को यह दिखलावे कि किस में अधिक लाभ है। वे अगर समझ जायेंगे तो बिना किसी प्रोपेगण्डा के ही और बिना परिश्रम के आप के पास जायेंगे और आप की बात को अपना लेंगे।

इस सम्बन्ध में और गाय के सम्बन्ध में भी आपने देश में बहुत कुछ करना है। यदि दूध न मिले तो भोजन पर्याप्त पुष्टिकारक नहीं माना जाता। इस लिये दूध और बैल दोनों के लिये ही गाय की आवश्यकता है। बैलों की आवश्यकता तो खास तौर से इस लिये है कि खेतों का काम बंदस्तूर चलता रहे। जो नये तरीके से खेती होती है उस का क्या फल हांगा अभी मालूम नहीं; अभी तो वह आरम्भिक प्रयोग की अवस्था में है। पुराने ढंग की खेती ५०—१०० माल का तो सवाल क्या, जमाने में होती रही है और खास कर के इस देश में तो होती ही रही है। दूसरे देशों की बात में नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ जो पुराना हल है न मालूम कितने जमाने से लोग उभे काम में ला रहे हैं। हमारी खेती की जमीन में हजारों हजार वर्षों से खेती का काम होता आ रहा है। मगर आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि नये देशों में जहाँ ऐसे नये तरीके से खेती का काम किया जाता है, जो हमारे मुकाबले में एक नयी चीज है और जहाँ करीब १०० वर्षों से ही खेती हो रही है यह देखा गया है कि पैदावार बहुत कम हो गई है और जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। वैज्ञानिक लोगों को इस का कारण ढूँढ़ना चाहिये। उन को यह बात समझ लेनी है कि हमारी पुरानी चीज बिल्कुल ऐसी खराब नहीं है कि हम उसे यूही छोड़ दें। इसे सोच विचार कर ही लोगों ने अपनाया हांगा। आज कल जो नयी चीजें निकली हैं उन में दो तरीके निकले हैं। एक है मिक्सड क्रीप का और दूसरा रोटेशन क्रीप का। यह दोनों भी कोई ऐसी नई बात नहीं जिन्हे हमारे यहाँ के लोग न जानते हों। यहाँ तो इसे सब लोग जानते हैं। अब यह वैज्ञानिकों को देखना है कि इन से कितना लाभ निकाला जा सकता है और उन की कितनी तरक्की की जा सकती है। हा, यदि नई चीजों के रखने से कामयाबी हो सके तो नयी चीजें भी रखनी चाहिये। पुरानी चीजों में भी तरक्की की जा सकती है। मसलन हमारे पुराने तरीके के हल में एक फाड़ लगा होता था और वह एक जोड़े बैल से खींचा जाता था। एग््रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, दिल्ली में मैं ने देखा कि उस में उन्होंने न दो फाड़ लगा दिये हैं। जहाँ उस हल से पहले एक जोड़े बैल एक एकड़ जमीन जोतते थे

वहीं अब उस से वे दो एकड़ जमीन जोतते हैं। अगर इस तरह की तरक्की की जाये तो हमारा काम हो जायेगा। इसी तरह के छोटे मोटे सुधारों से हमे ज्यादा लाभ होने वाला है।

गाय के सम्बन्ध में हमारे लोग जानते हैं। यह बात नहीं है कि यह कोई नयी चीज है। एक प्रकार से वैल और गाय हमारे देश के लोगों के जीवन में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। सच पूछिये तो हमारे लिये उन की जरूरत आज और भी बढ गई है। इन चीजों को ध्यान में रख कर नये और पुराने के सम्मिश्रण से जनता अधिक लाभ उठा सकेगी और तरक्की कर सकेगी और देश उन्नति कर सकेगा। इस प्रकार के विकास को संभव बनाना इन संस्थाओं का काम है। आप के इस गोवर्धन के काम में गवर्नमेन्ट से आप को पूरी सहायता मिलती रही है और मिलती रहेगी। दानी लोग भी आप को मदद दे रहे हैं और वैज्ञानिक लोग भी आप की मदद कर रहे हैं। इसलिये मुझे आशा है कि आप आगे भी तरक्की करते रहेंगे।

सरदार वल्लभभाई, मुन्शी साहब जैसे और दूसरे लोग भी आप के यहां इस काम में लगे हुए हैं वे सब इस काम को खूब समझते हैं। यदा आप सब किसान ही किसान हैं। अगर आप सब मिल जुल कर काम करें तो इस काम को बहुत आगे बढा सकेंगे। मुझे पूरी आशा है कि इस संस्था का सब को पूरी सहायता मिलेगी।

---

### कामर्स कालेज, आनन्द

वल्लभ विद्यानगर आनन्द में कामर्स कालेज का शिलान्याम करते समय ता० १६-१०-५०  
को ६-३० बजे शाम को राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री लाल भाई, बहनो और भाइयो,

आज मुझे इस समारोह में शरीक होने का मुश्रवर आपने दिया इस के लिये मैं आपका आभारी हूँ। मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी कि यहा जो संस्थायें चल रही हैं उन को एक बार आकर देखू। साल डेढ़ साल के प्रयत्न के बाद आज यह मुश्रवर मिला और आज यहां हाजिर हो कर इस के शिलान्याम के काम में थोडा भाग भी ले सका।

यह एक ऐसा स्थान बनता जा रहा है जिस की तरफ सारे देश के लोगों की आंख रहेगी और लोग यहा से बहुत कुछ प्रेरणा पायेंगे। भारतवर्ष गांवों में बसता है। आज तक हमारी शिक्षा जो कालेजो और यूनीवर्सिटियो में होती रही है वह इस प्रकार की रही है कि जो लोग वह शिक्षा पाते हैं वह एक प्रकार से गांवों से अलग से हो जाते हैं। इस लिये इस शिक्षा का फल यह हुआ है कि इस ने अपने देश में ही एक नई जाति पैदा कर दी है और उम जाति के लोग देशी होते हुए भी बहुत बातों में विदेशी है। आज इस बात की जरूरत है कि हमारी शिक्षापद्धति इस ढंग की बने कि जो अन्तर्गत आज गाव और शहर में, यूनीवर्सिटी और पाठशाला में हैं वह अन्तर दूर हो जाये और चाहे वे गांव के हो, चाहे शहर के, यूनीवर्सिटी में पढ़ने हों, या गांव की

छोटी शाला में पढ़ते हों, सब को ऐसी शिक्षा मिले कि सब इस देश के बनें और अपने अपने काम में पटु हों, और साथ ही साथ अपने लिये, अपने घर के लिये तथा दूसरों के लिये उपाजन करने की उनमें योग्यता भी हो। हमारी शिक्षा बहुत कर के ऐसी होती है कि, जैसे कि मैं अपनी ही बात कहूँ, किसी भी काम के लिये हम में से बहुत अकसर निकम्मे होते हैं। मैं एक ऐसे पेशे में था जिस पेशे में बहुत बड़े बड़े दिमागी लोग हुए हैं। मैं उन की शिकायत नहीं करना चाहता। उस पेशे में बात बनाने के सिवाय और कुछ सिखाया नहीं जाता और बात बनाने का काम अगर न रहे तो और कोई काम उन के लिये रह नहीं जाता। इस चीज का अनुभव हम को असहयोग आन्दोलन के दिनों में हुआ। महात्माजी ने जब हम को यह आदेश दिया कि अपने कालेजों को छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कचहरी जाना छोड़ दो और देश के काम में लग जाओ, तो मैं ने देखा कि ऐसे लड़के जिन के घर के लोग गांव में खेती करते थे काश्तकारी के जरिये अपना गुजारा करते थे वैसे लड़कों के सामने कालेज को छोड़ कर आने में कोई कठिनाई नहीं आई। मगर ऐसे लड़के जिन के घर के लोग नौकरी करते थे, वकालत करते थे, या इसी तरह का और काम करते थे उन्हें कालेज छोड़ देने में बड़ी कठिनाई हुई। जो पहले वर्ग के लड़के थे उन के सामने सारी दुनिया पड़ी हुई थी। वे समझते थे कि वे खाने के बगैर नहीं मरेंगे, वे मजदूरी करके भी खाने के लायक पैदा कर लेंगे। मगर जो सफेदपोश वर्ग के लोग कहे जाते हैं, वे समझते थे कि काम छोड़ देंगे तो क्या खायेंगे, उन के बच्चे क्या खायेंगे। क्योंकि उस को छोड़ कर उन के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिये वे घबड़ाते थे। महात्मा जी ने इस पद्धति को इसीलिये खास कर के जारी किया कि हमारा तौर तरीका बदले और यह ध्येय, यह आदर्श हमारे सामने रखवा जिस में स्कूलों और कालेजों में जो तौर तरीका है वह बदले और हम अपने को ऐसा योग्य बनावें कि हम अपना रास्ता आप बूढ़ निकालें। यहां आज जो संस्थायें बन रही हैं, जो विद्यालय यहां पर कायम हो रहे हैं मैं आशाकरता हूँ कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बन रहे हैं। बात तो यह है कि यह स्थान एक प्रकार से गांव है और जैसा मैं ने सुना है गांव के लोगों की इन संस्थाओं में काफी दिलचस्पी है, वे इन में खूब रस लेते हैं।

ऐसा दीखता है कि आप यहां काम भी वैसा ही करना चाहते हैं जिस से गांव के लोगों की जरूरत पूरी हो। गांव के लोगों को जरूरत है आज मकान की, उन को जरूरत है ऐसी चीजों की जिन से उन के खेती के काम में सहूलियत हो, खेती का काम आगे बढ़ सके उन को जरूरत है दूध फल की, उन को जरूरत है कपड़े की और इन चीजों को पैदा करने के लिये जो चीजे चाहिये उन की जरूरत है। मैं ने सुना, भाई लाल जी ने अभी फरमाया, कि इस तरह की चीजों को यहां बनाने का प्रबन्ध हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि यह एक आदर्श विद्यालय हो जायेगा जिस में सिर्फ इस स्थान के लोगों को ही नहीं दूसरे स्थानों के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार के और भी विद्यालय अन्य अन्य स्थानों में कायम हो जायेंगे और देश का कल्याण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि देश में आप इस तरह की विद्या का प्रचार करें जिस में हमारे देश के लोग जहां हों, जिस स्थिति में हों, उन्नति कर सकें। उन की उन्नति के लिये यह जरूरी है कि गांव की उन्नति हो। इस देश

की ३५ करोड़ आबादी है । अगर हम उन को इस तरह की संस्थाओं में इकट्ठा कर के शिक्षा देना चाहेंगे तो एक जगह नहीं, १०—२० जगह भी नहीं, हजारों जगह ऐसी संस्थाएँ खोलनी होंगी । यह हो नहीं सकता । संस्था इतनी बड़ी है और देश इतना बड़ा है कि आप जो चीज़ उन को देना चाहते हैं जहाँ वे रहते हैं वहाँ ही दे सकेंगे तभी वे पायेंगे । अगर आप उन को उन की जगह पर शिक्षा नहीं दे सकेंगे तो बहुत थोड़े ही लोग इस से लाभ उठा सकेंगे और जब तक सभी लोग इस से लाभ न उठायें तब तक हम नहीं कह सकते कि देश उन्नत है । वैसे तो छोटा मोटा वर्ग ऐसा रहेगा जो सभी चीज़ों से सम्पन्न होगा लेकिन हमारा उद्देश्य सफल तभी होगा जब बड़ी संख्या में सब को ज्ञान हो और सभी उन्नत हों । अतः ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है । हमें इन में खास दिलचस्पी होनी चाहिये ।

मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता है कि इस विद्यापीठ को कायम करने में गांव के लोगों से बड़ी सहायता मिली है । धनी लोगों ने भी साहयता दी है । जैसा कि अभी एक धनी ने पैसे दे कर आप के कामर्स कालेज की कमी पूरी की है और जैसे सेठ बिरला ने आप के इंजीनियरिंग कालेज के लिये पैसे दे कर इस की इमारत बनवा दी है । मैं ने सुना है कि गांव के गरीब लोगों से भी आप को काफ़ी पैसे मिले हैं । इस में जो इतनी ज़मीन आयी वह सब गांव के लोगों की ही हुई है । यहाँ जो शिक्षक लोग आये हैं वे सेवक लोग हैं । वे लोग पैसे के ख्याल से नहीं बल्कि इसे अच्छा काम समझ कर के इस में अपना समय दे रहे हैं । ऐसा ही होना चाहिये । जिस स्थान पर जिस जगह पर विठ्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जन्मे वहाँ पर इस तरह के लोग पैदा हों जो इस तरह से समय देने को तैयार हों तो इस में आश्चर्य की बात नहीं है । यह तो स्वाभाविक चीज़ है ।

मैं आशा रखता हूँ कि जिन के नाम पर विद्यालय कायम किया गया है और जिन के नाम पर इस सारे स्थान का नामकरण किया गया है उन के नाम के गौरव को ध्यान में रख कर आप काम करते जायेंगे और इस सारे इलाक़े को और गुजरात को उन्नत बना सकेंगे । मुझे आशा है कि जिस तरीक़े से आप ने काम शुरू किया है उसी तरह काम आगे बढ़ायेंगे और दिन ब दिन इन संस्थाओं की उन्नति होगी और देश का कल्याण होता रहेगा ।

### बारडोली आश्रम

ता० १७-१०-५० को ९ बजे सुबह बारडोली आश्रम के कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा—

बहनी और भाइयो,

आज बारडोली आश्रम में ८ वर्षों के बाद आया तो अतीत के इतिहास की अनेक घटनाय स्मरण आ गईं । मुझे वह दिन याद है जब पू० बापू ने १९२२ में यहाँ से ही स्वराज्य प्राप्ति के लिये अहिंसात्मक लड़ाई करने का निश्चय किया और यह व्यक्त किया कि स्वराज्य प्राप्ति



के लिये वह सचमुच अहिंसक रीति से लड़ेंगे और जो कुछ विपत्ति आयेगी उसे सहेंगे, उसे बर्दाश्त करेंगे और स्वराज्य प्राप्त कर के ही दम लेंगे। मुझे वह दिन भी याद है जब थोड़े ही दिनों बाद चौरीचौरा का दुःखद वाक्या हो गया और पूज्य बापू ने यहां बारडोली में ही बैठ कर सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया जिस के कारण सारे देश में सत्याग्रह बन्द हो गया। लोगों ने बारडोली में १९२२ में जो व्रत लिया था उन्होंने ने १९२८ में उसे पूरा किया और सारे देश को कुर्बानी करने का तरीका दिखलाया। जब यहां स्वराज्य की लड़ाई में कांग्रेस की पहली फ़तह हुई वह दिन भी मुझे याद है। बारडोली ने उस समय देश के सामने ऐसा उदाहरण पेश किया कि सभी जगहों में लोग बारडोली बनाने की तैयारी में लग गये। इस का नतीजा यह हुआ कि जब १९३० में सत्याग्रह का काम सारे देश में पूज्य बापू ने शुरू किया तो इतने जोर से वह काम चला जितने जोर से पहले कभी नहीं चला था। उस का अन्त १९४७ में हुआ जब हमारे हाथों में स्वराज्य आया। स्वतन्त्रता संग्राम का जब और जहां भी जिक्र आता है तब तब और वहां वहां बारडोली आश्रम का भी जिक्र आता है। बारडोली आश्रम का नाम लेने से सारे देश का इतिहास लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। जब मैं अन्तिम बार १९४२ में यहां आया था तो इस बगल के कमरे में मैं ठहरा था और जहां पर आप लोग बैठे हैं वहां सरदार वल्लभ भाई और बापू बैठते और देश की समस्याओं पर विचार करते थे। उस वक़्त मैं यहां एक महीने तक ठहरा था और आप भाई बहनों के साहचर्य से और बापू के साथ रह कर कुछ सीखने का, कुछ जानने का मौक़ा भी मुझे मिला था। यह सभी बातें याद आती हैं। यहां इस आश्रम में जो काम चल रहा है उस के बारे में मैं लोगों से पूछता था कि यहां कैसा काम चलता है। आज वह काम सब देखने को मिला।

मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस खादी विद्यालय को पूज्य बापू ने चर्खा चलाया था और जो १९४२ की लड़ाई के बाद एक प्रकार से बन्द सा हो गया था उस का पुनरारम्भ आप ने मेरे हाथों दीप जलवा कर किया। बुनियादी तालीम का जो काम आप इस आश्रम में चला रहे हैं वह बापू का आखिरी काम था और पूज्य बापू इस का प्रचार सारे देश में करना चाहते थे। आप ने दो चीज़ों का अभी जिक्र किया, चर्खा और बुनियादी तालीम का। चर्खा तो उन की पुरानी चीज़ है और बुनियादी तालीम उनकी आखिरी चीज़ है। इन्हीं दोनों के बीच में पूज्य बापू की सारी प्रवृत्तियां हैं जिन के द्वारा वह सारे देश को एक नया रूप देना चाहते थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इतने उत्साह से रचनात्मक काम चला रहे हैं। आप को इस काम में दूसरे लोगों से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे खुशी है कि यहां जो सरकारी स्कूल और बोर्ड का स्कूल चल रहा है उस में १३९ लड़के बुनियादी शिक्षा पा रहे हैं। यह उम्मीद रखनी चाहिये कि जब उन का अभ्यास हो जायेगा तब वह इस चीज़ को और फैलायेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम वे अपने लिये तो इस बात को अपना सकेंगे।

यद्यपि आज रचनात्मक काम पर लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता है तथापि मुझे विश्वास है कि अन्त में देश का कल्याण इसी से होगा। छोटी छोटी चीज़ों को ले कर बापू बड़ा बड़ा

काम करना चाहते थे। चर्खे के ज़रिये उन्होंने ने स्वराज्य प्राप्त किया। चर्खे के ज़रिये ही वह सब का कल्याण और अपने देश की ही नहीं सारे संसार की सेवा करना चाहते थे। आज कल लोगों का विचार दूसरे ढंग का हो रहा है। बहुत लोगों को तो रचनात्मक काम में विश्वास ही नहीं है। जिन को विश्वास है भी उन को भी कभी कभी शक होता है कि न जाने किस हद तक इस से देश का फ़ायदा हो सकेगा। पर मेरा अपना विश्वास है कि अगर संसार को जीवित रहना है तो वह चर्खे से ही जीवित रह सकता है। आज संसार में एक तरफ़ चरखा है और दूसरी तरफ़ एटम बम है। आज संसार को इन दोनों में से एक को चुन लेना है। अगर वह चरखे को चुनेगा तो जीवित रह सकेगा, अगर एटम बम को चुनेगा तो उस का विनाश होगा। मुझे दुःख है कि जितना लाभ हमें रचनात्मक काम से उठाना चाहिये उतना लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। यह हमारी कमज़ोरी है। अगर आज हम रचनात्मक काम को पूरे ज़ोर से चलाते तो मेरा विश्वास है कि इस देश को बहुत आगे ले जाते। मेरा आप सभी भाई बहनों से यही कहना है कि जिस तरह राजनैतिक स्वराज्य की प्राप्ति में बारडोली ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया और उस काम में सफलता प्राप्त की, उसी तरह से आप रचनात्मक काम को भी, जो एक बहुत बड़ा काम है और सच्चे स्वराज्य का काम है, आगे बढ़ायें। आज बापू नहीं हैं पर सरदार वल्लभभाई हैं। आप इस काम को चलायें और चला कर देश के काम में १९२८ का बारडोली नहीं १९५० का बारडोली पेश करें जिस को देख कर देश जाग्रत हो और रचनात्मक काम में देश की एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ तक के लोगों का ध्यान लग जाये और देश इस में आगे बढ़े। मैं तो यही मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं उस में आप को सफलता मिलेगी।

आप ने मेरा इस प्रेम से स्वागत किया है कि यहां आ कर मुझे एक क्षण के लिये भी यह नहीं लगा कि मैं कहीं घर से बाहर हूँ। इस प्रेम के लिये मैं आप सब भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ।

अपनी शक्ति के अनुसार मैं आप की वह सेवा करने को प्रस्तुत हूँ जो सेवा कि आप मुझसे कराने की इच्छा रखते हों।

### सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा का अनावरण

ता० १७-१०-५० को बीबिन और जिनिंग कोआपरेटिव सोसायटी बारडोली में माननीय सरदार वल्लभभाई की प्रतिमा का अनावरण करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

यहां आप ने मुझे इस प्रतिमा का अनावरण करने का काम दिया उस के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूँ। सरदार वल्लभभाई के सम्बन्ध में कहीं भी कुछ कहना अनावश्यक है और खास कर के बारडोली में उन के सम्बन्ध में कुछ भी कहना तो बिल्कुल ग़ैर ज़रूरी है।

उन्होंने अपने जीवन में जो बड़े बड़े काम किये हैं उन में बारडोली का सब से ऊँचा स्थान तो है ही पर सारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में जो कुछ यहाँ पर और दूसरे स्थानों में उन्होंने किया है वह किसी से छिपा नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वह देश के शासन का जो काम कर रहे हैं और उस समय से आज तक जो कुछ उन्होंने किया है वह भी किसी से छिपा नहीं है। अतः ऐसे एक व्यक्ति के सम्बन्ध में जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से देश का इतना बड़ा काम साधा है, जिन्होंने देश की आजादी हासिल करने में इतनी बड़ी तपस्या और इतना बड़ा त्याग किया है और उस की प्राप्ति के बाद जिन्होंने अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यपटुता, अपनी अध्यवसाय शक्ति, कार्य लगन का परिचय गवर्नमेंट में भी उसी खूबी के साथ दिया है जैसा पहले उस के विरोध में उन्होंने किया था उन के सम्बन्ध में कुछ कहना गौर जरूरी है। हम जो लोग स्वराज्य के काम में बहुत दिनों से लगे थे, एक प्रकार का ही काम करते थे। लोग अक्सर यह कहते हैं और समझते हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ठीक भी समझते हैं कि हम लोगों का काम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने का था, हमारा काम तो आन्दोलन करने का था और हमने शासन का काम, दफ्तर में बैठ कर गवर्नमेंट चलाने का काम न तो कभी किया और न कभी सीखा और न उस का कोई तजुर्बा हम ने हासिल किया ; और इसलिये जो लोग इस काम में पटु हैं उन को ही इसे करने देना चाहिये या उन के हाथों से ही यह काम कराना चाहिये। सरदार वल्लभभाई ने काम करके दिखला दिया है कि जितने वह आन्दोलन और सत्याग्रह चलाने में, लोगों को संगठित करने में और रचनात्मक काम को सब जगह संगठित करके चलाने में शक्तिशाली और अनुभवी साबित हुए थे उतने ही वह शासन के काम को चलाने में अनुभवी और शक्तिशाली सिद्ध हुए। आज से तीन साल पहले भारत को स्वराज मिला। पर भारतवर्ष की जो सूरत पहले थी उससे आज वह बिल्कुल भिन्न हो गयी है। आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आया जब दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के पर्वत तक और पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में समुद्र तक सारे का सारा भारत एक शासन के अधीन हो गया हो। पहले चक्रवर्ती राजा होते थे, मुगल बादशाह भी हुए और अंग्रेजों का राज्य भी रहा लेकिन कोई राज्य सारे भारत में इस प्रकार से नहीं फैला हुआ था जिस तरह से हमारे भारतवर्ष की सरकार का शासन है। कारण यह था कि जो चक्रवर्ती राजा होते थे, जो मुगल बादशाह होते थे, बहुत भाग में उन का निजी शासन था और बहुत भाग में अन्य राजा स्वतंत्र रूप से अपना राज करते थे। बादशाह या चक्रवर्ती राजा की ये राजा इज्जत करते थे, उन का मान करते थे पर अपने राज के शासन में वे लगभग स्वतंत्र होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी एक दो नहीं पांच सौ से अधिक रियासतें थीं जो अपना शासन आप चलाती थी। इन रियासतों में ऐसी छोटी छोटी रियासतों से लेकर, जो चन्द एकड़ों की ही थीं, हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी रियासतें शरीक थीं। इन छोटी-छोटी रियासतों के जो राजा और नवाब थे उनका अपना शासन चलता था, यद्यपि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों को मानते थे और उसको अपना सर्वोपरि प्रभु समझते थे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्से वाले भारत के अफसर वहाँ काम नहीं करते थे और न उनके अफसर आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे। किन्तु अब ये सारे के सारे राज्य भारत में शामिल हो गये हैं और सारे भारत में एक प्रकार का शासन हो गया है। यद्यपि हिन्दुस्तान का एक हिस्सा पूर्व में और एक हिस्सा पश्चिम में बँटवारे के बाद अलग हो गया है पर तो भी जितना भारत बचा है वह

इतना बड़ा है जितना कि पहले एक शासन के अधीन न था। कौन हैं वे जिन के हाथों यह महान् परिवर्तन पिछले एक दो साल के अन्दर पूरा हो गया और वह भी इस तरह पूरा हो गया कि कहीं खून नहीं बहा, कहीं किसी ने बुरा भी नहीं माना और इसमें तो प्रजा सुखी हुई ही पर मैं समझता हूँ कि वहाँ के राजा लोग भी एक प्रकार से सुखी हुए दुखी नहीं। वे हैं सरदार वल्लभभाई पटेल। महात्माजी के काम करने के तरीके और कार्यशैली का यह ऐसा उदाहरण है जिस से स्पष्ट है कि अगर उस शैली पर हम बराबर चलते रहें तो जो भी हमारे सामने कठिनाइयाँ हैं वे सब उसी तरह से हल हो जायेंगी जिस तरह से यह एक बड़ी कठिनाई हल हो गयी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिन्दुस्तान छोड़कर जाने लगी तो उन्होंने भारत की सभी रियासतों को इस बात की छूट दे दी कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों अथवा स्वतंत्र रहें और यह भी कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका जो पुराना सम्बन्ध था वह खत्म हो गया और भविष्य में उन को अधिकार होगा कि वे चाहे जिम देश से अपने स्वतंत्र सम्बन्ध स्थापित कर लें। इस तरह हमारे सामने एक नई समस्या पैदा हो गयी। इसे विचार में रखकर सरदार ने एक अलग मिनिस्ट्री कायम की। उन्होंने उसी समय से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सभी रियासतों को भारत के साथ जोड़ा। बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर सब राज्य भारत में मिल गये और अलग नहीं रहे। आज न कहीं दूसरे प्रकार का शासन है और न दूसरे प्रकार से वहाँ राज-काज चलता है। जब भारत का इतिहास लिखा जायेगा और कुछ दिनों के बाद यहाँ के बच्चे उसे पढ़ेंगे और विदेश के लोग पढ़ेंगे तो उन को आश्चर्य होगा कि दो साल के अन्दर यह कैसे संभव हुआ कि सारा भारत उस समय एक शासन सूत्र में बंध गया जब इस तरह की संभावना थी कि उस के अन्दर न मालूम कितनी और रियासतें कायम हो जायें; और वह सब हो गया बिना खून बहाये, बिना लड़ाई के और सब को खुश कर के।

यह अकेला ही ऐसा काम है कि अगर उन्होंने और कोई काम न भी किये होते तो भी भारत के इतिहास में सरदार अमर बन गये होते। लेकिन उन्होंने इतना ही काम नहीं किया। सारे भारत को स्वतंत्र बनाने में उन्होंने जो काम किया वह किसी से कम नहीं किया। मैं तो यह कह सकता हूँ कि और लोगों से अधिक ही किया। १९२७ में यहाँ सत्याग्रह चलाकर उन्होंने उस रीति का ज्वलंत उदाहरण पेश किया जिस का अनुसरण करने से बाद में भारत आगे बढ़ा और स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। स्वतंत्रता संग्राम में बापू के चलाये रचनात्मक काम के संगठन करने में और स्वराज्य पाने के बाद उन्होंने जो कुछ किया है वह भारत के इतिहास में स्वर्णक्षरों से लिखा जायेगा और जब तक हमारी स्वतंत्रता रहेगी और जब तक हमारे देश के बच्चे इस समय के इतिहास को पढ़ते रहेंगे ये चीजें कायम रहेंगी। ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिये सौभाग्य की बात है। मेरा और सरदार का आपस का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ रहा है कि सदा वह मुझे छोटे भाई की तरह मानते रहे और जहाँ तक मुझ से हो सका मैं न उन्हें बड़े भाई का आदर दिया। इस सम्बन्ध के बारे में कुछ ज्यादा कहना आवश्यक नहीं। यह तो हृदय की बात होती है। इसलिये इस सम्बन्ध में और कुछ न कह कर मैं इतना ही कहूँगा कि आप ने मुझे यह काम सौंप कर जो मेरा आदर बढ़ाया और मुझे यह मौका दिया कि यहाँ मैं उन की स्तुति कर सकूँ इस के लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ।

## सूरत में नागरिक अभिनन्दन

ता० १७ अक्टूबर को सूरत नगरपालिका तथा सूरत जिला लोकल बोर्ड द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा —

सूरत नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, सूरत जिला बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो,

आप ने जिस उत्साह और प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। जैसा आप ने कहा है, सूरत एक प्राचीन नगर है। जिस तरह भारत ने इतिहास में समय समय पर अनेक चढ़ाव उतार देखे हैं उसी तरह इस ने भी उन्नति और हास देखे हैं। भारत अब स्वतंत्र है और अपनी उन्नति करने का सुअवसर उसे फिर प्राप्त हुआ है। इस के साथ साथ भारत के सभी नगरों और गांवों को भी आज उन्नति करने का सुअवसर मिला है। मैं आशा रखता हूँ कि जिस उत्साह, प्रेम और त्याग भावना के साथ देश के लोगों ने स्वराज्य प्राप्ति के लिये काम किया उसी उत्साह, प्रेम और त्याग भावना के साथ अब जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गयी है इस देश के लोग उस सच्चे स्वराज्य की स्थापना के लिये भी कार्य करेंगे जिस का स्वप्न पूज्य बापू देखा करते थे और जिस के सम्बन्ध में उन्होंने अपने जीवन भर शिक्षा दी।

आप जानते हैं कि महात्मा गांधी किस प्रकार का स्वराज चाहते थे। उन के मन चाहे स्वराज में जाति जाति में, मनुष्य मनुष्य में विभेद नहीं होता। उन के स्वराज में कोई शासन नहीं करता। उन के स्वराज में अन्न के बिना कोई भूखा मरता नहीं और कपड़े के बिना कोई नंगा रहता नहीं। किन्तु अभी हमारे देश में अन्न की कमी है, कपड़े की कमी है, गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई है अभी सभी बीमारों के लिये उपचार और औषधि का प्रबन्ध पूरा नहीं हुआ है। देश के सभी बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध अभी हम नहीं कर सके हैं। इस के अलावा और जितने काम महात्माजी ने अपने सामने रखे थे और हम सब को बताये थे उन सब को हम पूरा नहीं कर सके हैं। जिस स्वराज का वह स्वप्न देखते थे उसे स्थापित करने के लिये हमें अनथक परिश्रम करना है। हम को स्वराज मिले कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह भी आप सब जानते हैं कि इतने थोड़े समय में इस देश को कितनी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है।

देश का बंटवारा हमने इस आशा से किया था कि बंटवारे के बाद हम सुख और शान्ति के साथ रह सकेंगे और जिस तरह हम अपने देश को बनाना चाहेंगे वैसा बना सकेंगे। दुःख और शर्म की बात है कि वह हमारी आशा पूरी नहीं हुई। बंटवारे के साथ साथ हमारे लाखों लाख भाई बहन इधर से उधर हो गये और उधर से इधर आये जिस का फल यह हुआ कि आज ७०-८० लाख ऐसे लोग हैं जिन को हमें फिर से बसाना है, जिन के लिये कोई धंधा, कोई रोजगार जुटाना है। इन में कितने ऐसे हैं जिन के घर के कमाने वाले लोग मर गये या मारे गये। उनकी विधवा स्त्रियों का, उन के बच्चों का प्रबन्ध भी हमें करना है। इस के अलावा अभी हाल में एक के बाद दूसरी विपत्ति आयी। यदि हमारे देश में अतिवृष्टि ने बर्बादी की तो किसी

दूसरे हिस्से में भूकम्प या अनावृष्टि ने हमें चौपट किया। जो अनेक लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये हैं उन को फिर से बसाने में गवर्नमेन्ट ने काफ़ी परिश्रम किया है। साथ ही इन आने-वाले भाइयों ने भी बहुत ही हिम्मत और उत्साह दिखा करके अपने को फिर से बसाने में सहायता पहुंचाई है। मगर तो भी यह तो मानना ही होगा कि अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है। पर यह प्रश्न भी तो बहुत बड़ा है। ७० ८० लाख आदिमियों को बसाने की बात है। किसी भी देश की किसी भी गवर्नमेन्ट को किसी समय इतिहास में इतने बड़े प्रश्न का मुकाबला नहीं करना पड़ा है। हमारी नवजात गवर्नमेन्ट पर, तुरन्त पैदा हुई गवर्नमेन्ट के सिर पर इतनी बड़ी विपत्ति आयी। पर उस को भी उस ने किसी न किसी तरह संभाला है। ठीक है अभी वह इस समस्या को पूरी तरह से नहीं सुलझा सकी है। पर इसे वह सुलझाएगी अवश्य। अन्न का कण्ट हम दूर नहीं कर पाये हैं पर उस ओर भी हमारा प्रयास बराबर जारी है और हमें आशा है कि साल दो साल के अन्दर इस देश के अन्दर हम इतना अन्न पैदा कर सकेंगे कि हम को विदेशों का मुह नहीं ताकना पड़ेगा। इस के लिये जो कुछ भी प्रयत्न हो सकता है वह हो रहा है।

मगर याद रखिये अन्य और सभी कामों में केवल गवर्नमेन्ट ही सब कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेन्ट को जनता की सहायता चाहिये, जनता का सहयोग चाहिये; जनता के सहयोग और सहायता से ही हम इस काम में और सभी कामों में सफल हो सकते हैं उस के बिना नहीं। इसलिये मैं तो आप से यह कहता हू कि हमारी दिक्कतों को देखते हुए जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं उन को ध्यान में रखते हुए आप सभी भाई अपने कर्त्तव्य की ओर ध्यान दें और इस तरह से आप उन कठिनाइयों को दूर करने में सहायक बनें। अब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट यहां नहीं रह गयी तब अगर कोई बात बिगड़ती है तो उस की शिकायत हम ब्रिटिश गवर्नमेन्ट पर नहीं डाल सकते हैं। जो कुछ शिकायत होगी वह हमारी होगी। इस का यह अर्थ है कि आप सब की होगी। इसलिये अब जब हमारे हाथों में सब अधिकार आ गये हैं, हम अपने अधिकारों को और अपने कर्त्तव्यों को समझ कर जो कुछ हम से हो सके उसे करने के लिये तैयार हों। पहली बात तो यह है कि देश के लोग यह समझें कि अब जब देश स्वतंत्र हो गया है तब स्वतंत्र देश की रक्षा करना, स्वतंत्र देश को सुखी और समृद्ध बनाना हम सब का काम है। अक्सर जब हम बातें करते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं और गवर्नमेन्ट की शिकायत करने की हमारी जो पुरानी आदत पड़ी हुई है उस आदत के अनुसार हम गवर्नमेन्ट की शिकायत कर के ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। किन्तु यह बात उचित नहीं है।

अब तो पहली सूरत बदल गयी है। अब गवर्नमेन्ट आप की ही है। जो लोग इस वक्त गवर्नमेन्ट के पद पर बैठे हुए हैं वे आप के आदमी हैं, आप के सेवक हैं। उन को वहां बिठाया है आपने, और अगर वे शलती करते हैं, उन से काम ठीक नहीं चलता है तो आप का अधिकार है कि उन को हटाकर उन की जगहों पर दूसरों को बैठायें। हमारा जो संविधान बना है उस संविधान में हम ने किसी एक छोटे दल के हाथ में अधिकार नहीं रक्खा है और न हमने किसी एक वर्ग या क्लास के हाथ में ही अधिकार रक्खा है। अब तो सारा अधिकार सारे देश की जनता के हाथ में है, चाहे फिर कोई गृहस्थ हो, व्यापारी हो, जमींदार हो, गरीब

हो, धनी हो, मजदूर हो, मिल मालिक हो। हर एक आदमी को जिस की अवस्था २१ साल की हो गयी है एक एक वोट है, एक से ज्यादा किसी को नहीं और एक से कम भी किसी को नहीं। अब सब मिलकर जिस को मुनासिब समझेंगे चुनेंगे और जो चुनकर आयोग वे आप के कहने के मुताबिक काम करेंगे। इतना बड़ा अधिकार आप के हाथों में आया है। मगर यह अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। आप को यह सोचना चाहिये कि आप किस आदमी को चुनें। आप को ऐसे आदमी को चुनना चाहिये जो सारे देश की सेवा ठीक से कर सकता हो, जिस में योग्यता हो, चरित्र हो और जिस में इच्छा हो सेवा करने की। ऐसे लोगों को आप चुनें और उन से काम लें। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वे भी आप के ही चुने हुए हैं। कोई दूसरे नहीं हैं। मुझे जो पद मिला है वह किसी दूसरे ने नहीं दिया है। वह पद इस देश की जनता की ओर से ही जनता के प्रतिनिधियों ने ही मुझे दिया है।

चाहे कोई इस पद पर रहे चाहे किसी भी अन्य पद पर, उस का काम है कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और दूसरे किसी स्वार्थ के बिना जनता की सेवा करे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस अधिकार को, इस कर्तव्य को पहचानें। हमारे देश में यह कोई नयी चीज या बात नहीं है। हमारा सारा इतिहास हमारी एक कमजोरी बताता है। वह कमजोरी यह रही है कि आज से नही हजारों वर्षों से हम छोटे दायरे में एक छोटे से दल, किस छोटी सी जाति, छंटे से गांव, छोटे छोटे मजहब के लोगों में, धर्मवालों में ही अपना सारा प्रेम सीमित रखते हैं और उन्ही की स्वार्थ साधना में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। दूर तक आंखें फैला कर देखना सारे देश को अपने सामने रखकर काम करना हम नहीं जानते। महात्मा गांधी जी के प्रताप ने हमारी आंखें खोलीं, सारे देश को जगाया और सारे देश के हृदय में यह प्रेरणा पैदा की कि हम अपने को स्वतंत्र बनायें। इस चीज को हमें कायम रखना है। संकुचित विचारों को अपने हृदय से निकाल देना है। हमें देखना है कि सारे भारत का किस में भला है, सारे भारत का किस में लाभ है और किस में नुकसान है। जिस से नुकसान है उसे छोड़ देना है और जिस से लाभ है उसे स्वीकार करना है, उसे प्रोत्साहन देना है। संकुचित भावना की यह कमजोरी, जो हम में है, उसे हम, यदि दूर कर देंगे तो संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो हमको दबा कर रख सके।

हम किसी को दबाना नहीं चाहते। किसी के साथ हमारा बैर नहीं है और न हमारा किसी से विरोध है। हम सब के साथ प्रेम और सद्भावना रखना चाहते हैं। साथ ही हम किसी से दबना नहीं चाहते। इसलिये अगर हम अपनी शक्ति और अपने कर्तव्य को समझ कर देश का काम करें तो इस का फल यह होगा कि इस देश का भला होगा और संसार का भी भला होगा। महात्मा गांधी तो देश देश का भी फ़र्क नहीं मानते थे। वह तो समस्त मानव जाति को एक मानते थे, सब की भलाई में ही हर एक की भलाई मानते थे। अगर उन्होंने स्वराज के लिये प्रयत्न किया तो इसलिये नहीं कि अंग्रेजों को हटाकर उन जगहों पर हिन्दुस्तानियों को रख दें जो उसी तरह से काम करें जिस तरह से अंग्रेज किया करते थे। उन्होंने स्वराज के लिये इसलिये प्रयत्न किया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक भारत इस योग्य न होगा कि संसार के मानव की सेवा कर सके किन्तु आज हमें यह सुभवसर मिल गया है।

यह प्रतिमा जिस का अनावरण करने का सुखबसर आपने मुंझी दिया है, आप को महात्मा गांधीजी ने जो कुछ सिखाया, पढ़ाया उस की याद दिलाती रहेगी। आप तो गुजरात के रहने वाले हैं। आपने गांधीजी के गुजराती बच्चों को अपने कानों से सुना है, उन के लेखों को गुजराती में पढ़ा है। खास कर के इस जिले को तो यह सौभाग्य प्राप्त रहा है कि यहां गांधीजी ने अपने बड़े कामों का नमूना सरदार के द्वारा पेश किया है। इसलिये आप से उन के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं न तो सिर्फ याद दिलाने के लिये ही थोड़ी सी बात कही।

मैं तीन दिनों से गुजरात का भ्रमण कर रहा हूँ। और जहाँ भी गया हूँ लोगों ने बड़ा प्रेम और उत्साह दिखाया है। मैं आज कल आप के दिये हुए एक ऊंचे पद पर हूँ। मैं कह नहीं सकता कि पहले जो वायसराय हुआ करते थे या बादशाह हुआ करते थे उन के पद से मेरे इस पद की तुलना हो सकती है या नहीं। मैं तो यह मानता हूँ कि इस पद की तुलना उन से नहीं हो सकती है क्योंकि जनता का मत ले कर न तो कोई वायसराय यहां आते थे और न कोई बादशाह हुआ करते थे और जनता चाहे पसन्द करे या न करे वे अपना काम इस बात की पर्वाह किये बिना करते थे। आपने जिस पद पर मुझे बिठाया है वह पद वैसा नहीं है। मेरे साथ जनता का सम्बन्ध दूसरा ही है। मैं तो आप के कहने पर बैठा हूँ और जब तक आप कहेंगे बैठा रहूंगा। जिस वक्त समय पूरा हो जायेगा अथवा किसी दूसरे को आप इस पद पर बैठाना चाहेंगे उसी वक्त मैं यहां से हट जाऊंगा। पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि यह पद पहले के वायसराय या बादशाह के पद से कहीं ऊंचा है क्योंकि इस के पीछे अनगिनत स्त्री और पुरुषों की सद्भावना, प्रेम और विश्वास है। मैं गुजरात में तीन दिनों से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे इस सद्भावना का प्रमाण कई जगहों में मिला है। लोग समझने लग गये हैं कि आज कल के राष्ट्रपति सच्चे राष्ट्रपति हैं क्योंकि वह जनता के चुने राष्ट्रपति हैं और संविधान के अनुसार जो भी अधिकार मुझे मिला है वह जनता का दिया हुआ अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की इज्जत की, मर्यादा की और गौरव की रक्षा करें। इस का अर्थ मेरा गौरव या मेरी इज्जत नहीं है। आप को जो स्वतंत्रता मिली है उस का यह पद प्रतीक है। उस प्रतीक के गौरव को कायम रखना स्वतंत्रता के गौरव को कायम रखना है। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि आपने इतना आदर, इतना सम्मान, इतना उत्साह दिखाया है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आप को बल दे कि आप जिस को योग्य समझें उसे उस जगह पर रक्वें और जिस को अयोग्य समझें उस को हटाने में भी न हिचकें। इसलिये मैं आप से एक निवेदन करके समाप्त करना चाहता हूँ।

जैसा कि मैं ने शुरू में ही कहा कि गांधीजी बहुत आशा रखते थे और बहुत कुछ करना चाहते थे। हमारे दुर्भाग्यवश जब य सब करने कराने का समय आया उसी वक्त वह हमसे छीन लिये गये। संसार में ऐसा होता ही है, संसार में कोई मनुष्य हमेशा के लिये शरीर धारण कर नहीं रह सकता; महात्माजी भी नहीं रह सके। मगर जो काम उन्होंने किया, जो रास्ता उन्होंने बतलाया, जो शिक्षा उन्होंने हम को और संसार को दी वह हमेशा के लिये कायम रहेगी। हमारे ऊपर यह जवाबदेही आ गयी है कि जो काम अधूरा रह गया है उस को हम पूरा करें और इस प्रकार का समाज भारत में स्थापित करें जिस तरह का समाज महात्माजी यहां स्थापित करना 72 P.S. to P.



चाहते थे। जब हम वह कर लेंगे तो फिर वह हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिये एक आदर्श होगा। आप लोगों में से जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं वे जानते हैं कि संसार के देशों के सामने आज कैसी जटिल समस्या है। सब देश अपनी सारी शक्ति और धन केवल इस काम में खर्च कर रहे हैं कि ऐसे हथियार तैयार किये जायें कि जिस से अधिक से अधिक मनुष्यों का नाश किया जा सके। दुःख की बात है कि यद्यपि हम और देशों का मुकाबिला नहीं कर सकते तो भी हम भी इस काम में और देशों से पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिये हम में अभी वह शक्ति नहीं आयी है जो शक्ति गांधीजी अहिंसा के द्वारा पैदा करना चाहते थे। जिस अहिंसा की शक्ति से उन्होंने इतनी शक्तिशाली ब्रिटिश गवर्नमन्ट का मुकाबला किया और बिना हथियार के उस के सारे हथियारों को निकम्मा बना दिया, उस अहिंसा को अब न केवल अपने देश के लिये बल्कि सारे संसार के लिये इस तरह से अपनाना है कि जिस में हम सब के लिये एक नमूना पेश कर सकें और मैं आशा रखता हूँ कि इस काम को भी हम पूरा करेंगे। आप सब का सहयोग होना चाहिये। गांधीजी के सत्य और अहिंसा की ही वजह से आज संसार हमारी इज्जत करता है। थोड़े ही दिनों में संसार के सभी देशों ने भारत का सम्मान करना सीख लिया है और सम्मान करना आरम्भ कर दिया है। हमें गांधीजी की जो शिक्षा मिली है उस शिक्षा को जब तक हम बनाये रखेंगे तब तक यह सम्मान हमें मिलता रहेगा। आज संसार दुःखित है, चिन्तित है। सब देशों के लोग इस भौचक्कर से निकलना चाहते हैं क्यों कि वे देखते हैं कि लड़ाई के कारण अनन्त धन का ही नाश नहीं होता बल्कि उन के बच्चे भी लड़ाई के लिये आहुति बन जाते हैं। वे चाहते हैं कि इस से वे किसी तरह बचें। मगर उन को अभी कोई रास्ता साफ़ नज़्दी दीखता है। वह रास्ता गांधीजी का रास्ता है और गांधीजी के रास्ते को जब संसार मानेगा, उस पर चलने लगेगा तभी वह इस विपत्ति में से निकल सकता है। भारत को इस प्रकार का रास्ता प्रशस्त करना चाहिये और उसे इस प्रकार स्पष्टतया दिखलाना चाहिये जिस में संसार के लोगों को उस पर चलने में आस्था हो। मैं आशा करता हूँ कि गुजरात के आई और बहन जिन का गांधीजी पर स्वभावतः अधिक दावा था और जिन पर गांधीजी का भी स्वभावतः अधिक दावा था, इस काम में इस तरह आगे बढ़ेंगे।

आप सभी भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप ने मेरा इतना सम्मान किया और मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं इस प्रतिमा का अनावरण कर सकूँ।

### गुजरात विद्यापीठ में उदबोधन

ता० १८-१०-५० को गुजरात विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रपतिजि ने कहा—

श्री बाला साहब, कानजी भाई, मगनभाई, भाइयो और बहिनी,

बहुत दिनों के बाद आज विद्यापीठ में मैं आ सका इस की मुझे बड़ी खुशी है। अहमदाबाद आ कर विद्यापीठ में बिना आये और बिना आप लोगों से भेंट किये चला जाना भी एक ऐसा काम होता जिस को सहन करना आसान नहीं होता। इस लिये यह तो एक प्रकार से निश्चित ही था कि किसी न किसी समय यहां आऊंगा जिस में आप सभी बहनों और

भाइयों से भेंट हो सके। आप ने यह सच कहा है कि विद्यापीठ के साथ और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ मेरा सम्बन्ध तभी से है जब से यह काम पूज्य बापू ने शुरू किया था। जो कुछ मुझ से थोड़ा बहुत अपने प्रान्त के अन्दर हो सका मैं ने करने की कोशिश की लेकिन वातावरण अनुकूल नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता काम ढीला पड़ गया। और उसका जो रूप पहले था वह बदल गया। मगर आप ने इसे अभी तक कायम रक्खा और उत्साह के साथ चलाते रहे इस के लिये मैं आप सब को बधाई देता हूँ।

जैसा आप ने कहा और मेरा भी विश्वास है कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिये। लेकिन कोई भी गवर्नमेन्ट हो वह कोई नया ऋद्धम नहीं उठाती है क्यों कि बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है। केवल प्रयोग करने के लिये वह किसी काम पर न तो पैसा खर्च करना चाहती है और न उस में अपने आदमियों को लगाना चाहती है। प्रयोग का काम तो इस प्रकार की गैर सरकारी संस्थायें ही कर सकती हैं। यदि राष्ट्रीय विद्यापीठ ऐसे प्रयोग करती रहे और यदि उन में उस को कुछ सफलता मिले, और किसी न किसी समय वह मिलेगी ही, और वह ऐसी सफलता हो जिस से कि स्पष्ट हो कि उस प्रयोग को राष्ट्रीय पैमाने पर करने से देश का हित होगा तो सरकार उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि आज कल तो सरकार अपनी है और जनता की इच्छा के अनुकूल चलती है। जिस समय असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ था उसी समय महात्मा जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की बात उठाई थी। उन का विचार था कि सब से पहले बुनियादी तालीम का प्रचार होना चाहिये। उनको जब समय मिला तो उसे कार्यरूप दे कर उन्होंने उसे चलाना भी आरम्भ कर दिया और कुछ दिनों के बाद जब १९३७-३८ में कांग्रेस के लोग मन्त्री बने तो उन्होंने ने नई तालीम की योजना देश के सामने रक्खी और नई तालीम की योजना पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि इसी के द्वारा सारे देश की शकल बदली जाये। यह आपने अच्छा किया है कि इस विद्यापीठ में नई तालीम की व्यवस्था के अनुकूल आप काम चला रहे हैं।

मेरा विश्वास है कि बुनियादी तालीम एक ऐसी चीज है कि इस के ज़रिये देश तरक्की करेगा और शिक्षा का प्रचार होगा। इस में सदेह नहीं कि बुनियादी तालीम के ज़रिये शिक्षा का प्रचार बहुत बढ़ जायेगा। इस के साथ ही इस के द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार होगा और ऐसे नागरिक तैयार होंगे जो आज कल के नागरिकों से बहुत बातों में अच्छे निकलेंगे। यहाँ बौद्धिक शिक्षा ही नहीं मिलती है पर उस के साथ साथ विद्यार्थियों को जो पुस्तकीय ज्ञान मिलता है वह किसी काम के ज़रिये से मिलता है, उसे वे कुछ कर के सीखते हैं, केवल पढ़ कर और स्मरण शक्ति के द्वारा नहीं सीखते हैं। जो चीज अनुभव से सीखी जाती है उस का असर मनुष्य के हृदय पर बराबर बना रहता है। यही इस शिक्षा का महत्व है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस के प्रचार से देश की हालत बदल जायेगी। आप सब जानते हैं कि राजनीतिक स्वराज्य से महात्मा जी को संतोष न होता था। वह अंग्रेजों को यहां से इस लिये नहीं हटाना चाहते थे कि अंग्रेजों की जगह पर देश के भाइयों को बिठायें और फिर यह लोग अंग्रेजों की तरह ही काम करें और उन्हीं का सिलसिला जारी रखें। वह तो सारे समाज की रचना बदलना चाहते थे और इस प्रकार की शिक्षा से ही, बच्चों को तैयार कर के ही, समाज की रचना बदली जा सकती है।

जैसा परिवर्तन गांधी जी करना चाहते थे वैसा परिवर्तन आप नई पद्धति से ही शिक्षा दे कर कर सकेंगे। वह केवल इस देश में ही नहीं बरन् ऐसे सभी देशों में जहां यह संभव हो सके, नई रचना करना चाहते थे; समाज के रूप को बदलना चाहते थे। समाज बच्चों से ही बदलता है क्योंकि बच्चों को बचपन से जो कुछ सिखाया जाता है उस का स्मरण उन को सारे जीवन बना रहता है। आज देश का जैसा जीवन है, समाज की जो शकल बन गई है, वह उसी शिक्षा के कारण है जो हमें अब तक दी गई है। चाहे अपनी पुस्तकी शिक्षा का प्रयोग लोग न भी करें पर घर में मिली शिक्षा से लोग वे बातें सीख लेते हैं जिन के सहारे समाज का काम चलता है। इस लिये समाज के गठन को बदलने का यह सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि बच्चों को उस विचार धारा से प्लावित करें जिस की प्रधानता हम चाहते हैं, जिस से कि उन के बड़े होने पर समाज का गठन खुद ब खुद बदल जाये। इस लिये बुनियादी तालीम पर बापू इतना जोर देते थे। हमारे सामने काम का यह बड़ा मैदान है।

आप यह न समझे कि बुनियादी तालीम का जितना विकास हो सकता है और उस का जो सुदृढ़ रूप हो सकता है, वह पूर्णतया बन चुका है। नहीं, अभी हमें इस दिशा में काफी काम करना है। काम करते करते नई रोशनी मिलेगी, नई बातें आयेंगी। जिस तरह बापू की सारी जिन्दगी एक प्रकार प्रयोग की जिन्दगी थी उसी तरह से बुनियादी तालीम की व्यवस्था में भी आप प्रयोग करते जायें। उस में जो नई बातें ज्ञात होंगी उन को देश कबूल करेगा। ऐसे प्रयोगों के लिये इस प्रकार के शिक्षालयों की पहले से और ज्यादा आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रयोग करें और उस में जो फल निकले उसे आप गवर्नमेन्ट से मंजूर करवावें। अगर गवर्नमेन्ट को यह लगेगा कि उस से जनता का फायदा होने वाला है तो वह उसे मंजूर करेगी। स्पष्ट है कि इस दिशा में पहला कदम आप की जैसी संस्था ही उठा सकती है। इस लिये मैं यह नहीं मानता हूँ कि विद्यापीठों की जरूरत नहीं रही।

गुरुकुलो के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि गवर्नमेन्ट के साथ उन का अब तक जो सम्बन्ध था वह आज की बदली हुई परिस्थितियों में बदल जाना चाहिये। गवर्नमेन्ट के साथ उस समय वे अपना सम्बन्ध रखना ही न चाहते थे। अगर वे गवर्नमेन्ट से अपना सम्बन्ध स्थापित करना भी चाहते तो संभवतः वह उसे मंजूर नहीं करती। पर अब स्थिति दूसरी है। अब तो गवर्नमेन्ट से उन का सीधा सम्बन्ध भी हो सकता है और उन्हें अपने काम में गवर्नमेन्ट से प्रोत्साहन भी मिल सकता है। गुरुकुल के सम्बन्ध में मैंने सुना था कि आज तक उन्होंने गवर्नमेन्ट से न कभी कुछ मांगा और न गवर्नमेन्ट ने कभी कुछ दिया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर मिस्टर हैलेट ने एक बार गुरुकुल को देखा था और कुछ देना भी चाहा था मगर गुरुकुल ने उसे स्वीकार नहीं किया था। मगर जब मैं गया और उन की तरफ से पूछ कर मैंने गवर्नमेन्ट से सहायता दिलवाई तो उन्होंने ने उसे स्वीकार कर लिया; क्योंकि हमारी गवर्नमेन्ट पहले की सी गवर्नमेन्ट नहीं है। इस लिये मैं समझता हूँ कि इसी तरह गवर्नमेन्ट से विद्यापीठ का सम्बन्ध भी अब दूसरे ढंग का हो जाना चाहिये। पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि आज भी विद्यापीठ को सर्वथा गवर्नमेन्ट पर निर्भर नहीं करना चाहिये। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम सब चीजों के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ देखते हैं। संभवतः लोग सोचते हैं कि चूँकि अब स्वराज्य हो गया है इस लिये अब तो

यह सरकार का काम है कि सब के लिये सब कुछ करे और लोगों के खुद कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। पर यह बात ठीक नहीं है। अब भी इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने बल पर और गवर्नमेन्ट से अलग रह कर काम करें। अगर गवर्नमेन्ट पर ही हम सब चीजों के लिये भरोसा करते रहेंगे तो हम गवर्नमेन्ट के क्रीत दास हो जायेंगे। गवर्नमेन्ट को हम अपने मातहत नहीं रख सकेंगे। लेकिन अगर हम स्वतन्त्र रहेंगे तो गवर्नमेन्ट पर अपना काबू रख सकेंगे और गवर्नमेन्ट से अपने मन के मुआफ़िक काम करा सकेंगे। हां, अगर गवर्नमेन्ट से सहायता मिले और गवर्नमेन्ट सहायता देना चाहे तो उसे लेने में उज्र नहीं होना चाहिये। पर साथ साथ अपने पैरों पर हमेशा खड़ा रहना चाहिये जिस में आप की स्वतन्त्रता बनी रहे और जैसा आप चाहे काम करें और अपने बल से गवर्नमेन्ट से काम करा सकें। मैं आशा करता हूँ कि यह संस्था जो ऐसे शुद्ध और पवित्र हाथों से स्थापित की गई थी और जिस ने इतने दिनों तक देश की सेवा की है, बनी रहेगी, आप इसे चलाते रहेंगे और यह दिन-दिन उन्नति और देश का कल्याण करती रहेगी।

आप का यह सुन्दर विचार है कि आप विद्यापीठ का इतिहास लिख कर प्रकाशित करना चाहते हैं। विद्यापीठ के तीस वर्ष बीत चुके। अब तो यहाँ नये नये लोग आ गये हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन में से अधिकांश ३० वर्ष से कम के ही होंगे जिन्होंने इस की प्रारम्भिक अवस्था को देखा नहीं, जाना नहीं और इस की पहली कथा सुनी नहीं। इस लिये इन लोगों को तथा आने वाली पीढ़ी को इस इतिहास से पता चलेगा कि विद्यापीठ ने क्या क्या किया। आप ने कहा है कि इस के प्रकाशन का प्रबन्ध मैं करा दूँ। मैं सहर्ष आप की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करूँगा और इस के प्रकाशित कराने में मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह अवश्य करूँगा।

मुझे बहुत खुशी है कि आप सब भाई और बहनों से आज सबेरे-सबेरे मुलाकात हो गई और मैं यहाँ से आप लोगों की नयी स्मृति लेकर जाता हूँ।

### अखिल भारतीय नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य सम्मेलन

\*अखिल भारतीय नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य सम्मेलन में ता०, १९-१०-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा--

श्री रामेश्वरी नेहरू जी, राजकुमारी जी, बहनो और भाइयो,

इस सम्मेलन के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि चाहे कितने ही कम समय के लिए क्यों न हो मैं इस समाज के काम में—जिसके काम से मेरी पूरी सहानुभूति और जिसमें मेरी गहरी दिलचस्पी है—हाथ बटाऊँ। हमारे देश में बहुत पुरानी परम्परा है जिसके अनुसार ब्रह्मचर्य—अखण्ड ब्रह्मचर्य—स्त्री और पुरुषों के लिये विहित

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

है और हिन्दुओं का यह एक सिद्धान्त है कि ब्रह्मचर्य आदमी को कोरे मानव की स्थिति से उठाकर देवताओं के दर्जे में रख सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे उस वार्तालाप की याद आती है जो महात्माजी का एक मित्र से इस प्रश्न पर हुआ था। उन दिनों वे एक लेखमाला लिख रहे थे जो बाद में “ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम” के नाम से पुस्तिका के रूप में छपी। लोगों के मन में उस समय इस प्रश्न पर काफ़ी उथल-पुथल थी। महात्मा जी से उस मित्र ने पूछा : विवाहित दम्पति के लिये आप ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक मानते हैं। किन्तु यदि विवाहित दम्पति भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो जाति कैसे कायम रहेगी ? गांधीजी ने उत्तर दिया कि जाति के बने रहने की चिन्ता तुम मत करो। उस सीमा तक तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा नहीं। यदि उस हद तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो वे आदमी न रहकर परमात्मा हो जायेंगे। यह तो हमारा आदर्श होना चाहिये और यदि उस आदर्श पर लोग चलें तो जिस सीमा तक वे उसे व्यवहार में लायेंगे उस हद तक उनको लाभ होगा। किन्तु इस बात के बावजूद कि अधिक लोग इस पर आचरण करना चाहते हैं और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जिस पाप की ओर आपने संकेत किया है वह देश में काफ़ी फैल गया है। हम इस चीज़ से आख नहीं मोड़ सकते हैं न हम असलियत से इन्कार कर सकते हैं। यह दोष देश में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है और वह भी बहुत दूर तक हालांकि हम महान् सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे हैं। इसलिये इस प्रश्न पर व्यावहारिक दृष्टि से अब विचार करना चाहिये अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की हैसियत में आप लोगों को इस प्रश्न पर अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। उसके लिये आंकड़े इकट्ठा कर लेना है, और इस पाप के फैलने के कारण को पहचान लेना है। और आप लोगों को यह भी पहचानने का प्रयास करना है जिससे उन कारणों के हटाने से यह रोग भी दूर हो जाये। मैं मानता हूँ कि वही सही रास्ता है। और यद्यपि आज कल हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं तो भी हमें इस समस्या के प्रति न तो उदासीन होना चाहिये और न वास्तव में हम ऐसा कर ही सकते हैं।

आपने यह ठीक ही कहा है कि विभाजन के बाद समस्या और भी बिगड़ गयी है क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन में इस विशेष दुर्घटना का बहुत अहितकर परिणाम हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे सामाजिक विचारों में भी, हमारे आदर्श और चारित्रिक दृष्टिकोण में भी, काफ़ी उलट पलट हो रही है। हमारे देश में ऐसे आधारभूत आध्यात्मिक सिद्धान्त थे जो देखने में स्वयं विदित प्रतीत होते थे। किन्तु आजकल लोग उनके बारे में सन्देह कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो उन पर आपत्ति ही नहीं करते हैं वरन् उनको प्रतिक्रियावादी मानते हैं और कभी कभी उनका तिरस्कार भी करते हैं। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि इन पुरानी बातों में और प्रथा में जो अच्छाई है उसको आप पहचानें और इस बात का प्रयास करें कि उनमें जो खराबियाँ आ गयी हैं वे दूर हों। ऐसा करना इस बात से कहीं अच्छा होगा कि हम ऐसा प्रयास करें कि समाज का नये आधार पर निर्माण हो और वह भी ऐसे आधार पर जिसकी दृढ़ता और जिसकी अच्छाई के बारे में हम को पूरा यकीन केवल इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि यह एक ऐसा प्रयोग है जिसका फल हमें केवल भविष्य में ही पता चलेगा। मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूँ कि मैं तो इस पुराने विचार का आदमी हूँ कि इस बात के बजाय कि हम सर्वथा नये रास्ते पर चलें जो चाहे अन्य देशों के लिए—जो उस पर चलते हैं—अच्छा सिद्ध हुआ ही किन्तु

हमारे लिये सर्वथा एक नया और अनजान रास्ता है अपने समाज का निर्माण हमें पुरानी बुनियाद पर ही करना चाहिये ।

हमें इस समस्या पर एक सामाजिक दोष के रूप में विचार करना चाहिये । इस सामाजिक दोष के लिए बहुत से कारण हैं । मेरे विचार में सब से स्पष्ट कारण तो यह है कि ब्रह्मचर्य के आदर्श से जिस पर कम से कम अपने देश के लोग आचरण किया करते थे हम अब हट रहे हैं । आध्यात्मिक संयम के उच्च स्तर के बावजूद आज हमारे यहां यह दोष मौजूद है । यदि हम प्रतिबन्धों को हटा दें तो हमारी क्या गति होगी और हम कितने और कहां तक गिर जायेंगे यह मैं नहीं कह सकता । इसलिये मैं इस बात के लिए चिन्तित हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाये । मुझे अत्यधिक आधुनिकता के सम्बन्ध में कुछ शंका और सन्देह बना रहता है । यह तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आधुनिक विचार के भले ही हों, किन्तु आपकी आधुनिकता उन बातों के आधार पर हो जितनी जांव की जा चुकी हो और जो भूतकाल में उपयोगी पायी गयी हों । इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने आधुनिक सिनेमाओं के असर की बात रखना चाहता हूँ । उन्होंने हमारे समाज के ऊपर और हमारे अनेक युवक और युवतियों के मन पर बड़ा ही दुष्प्रभाव डाला है । और यदि मेरे हाथ में यह बात होती तो इन सब चित्रों का दिखाया जाना मना कर देता जो किसी भी प्रकार की लैंगिक उत्तेजना पैदा करते हों । मैं यह भी चाहता हूँ कि स्वतन्त्र रूप से स्त्री-पुरुषों का ऐसा मेल-मिलाप बन्द हो जो परम्परागत नियमों के विरुद्ध है और जो चाहे विदेशों में शताब्दियों से प्रचलित रहा है और आज भी प्रचलित है किन्तु जिसने हमारे समाज पर बड़ा बुरा असर डाला है । इस प्रकार हमें इस समस्या को जड़ से उखाड़ने में सफलता हो सकती है । यह काम कानून बना कर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कानून के अपने गुण होते हैं; और वह किसी हद तक अच्छा भी होता है किन्तु उससे इस पाप का उन्मूलन नहीं हो सकता । व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक स्तर, स्थिति की उसकी अपनी ठीक पहचान, जगत् के प्रति उसका अपना दृष्टिकोण यही बाते हैं जो वास्तव में महत्व रखती हैं । और मुझे आशा है कि आप ब्रह्मचर्य का ऐसा आदर्श उपस्थित करेंगे और समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे जिसमें भोगविलास के पीछे लोग न दौड़ें और जिसमें उन्हें ऐसा आत्मिक बल प्राप्त हो जो उन यमनियमों से प्राप्त होता है जो हमारे लिये विहित हैं । कभी कभी मुझे संदेह होता है कि काफी लोगों का ध्यान इस हद तक उस पाप की ओर खींचा नहीं गया है जिस हद तक खींचा जाना चाहिये । बहुत वर्ष व्यतीत हुए जब मैं ने यह सोचा था कि मैं ऐसी १२ स्त्रियों के जीवन के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखूँ जिनको फुसलाकर पतित जीवन में डाल दिया गया है । किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के सम्पर्क में आने की हिम्मत नहीं थी जो मुझे इस बारे में सही जानकारी दे सकते हैं । किन्तु मेरा विचार है कि उस प्रकार की पुस्तक की आज आवश्यकता है । और लेखक को इस बात को दिखाने का प्रयास करना चाहिये कि पतित जीवन का उन व्यक्तियों पर, जिन्हें वैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और समाज पर क्या प्रभाव होता है । मेरा विचार है कि ऐसी पुस्तक लोगों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगी । हमारे समाज के लिए ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जो इस पाप को, जिसे हम मिटाना चाहते हैं, ठीक तरीके से लोगों के सामने रखे । मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की पुस्तक लोगों की अन्तरात्मा को जगायेगी और अच्छा वातावरण पैदा करेगी ।

इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस प्रकार का कोई काम करें तो आप समाज के भला करने में बहुत कुछ सहायक सिद्ध होंगे। मैं यह भी मुझाव रखता हूँ कि इस प्रकार की पुस्तक के लेखक को चाहिये कि वह इस पाप के उन कारणों पर प्रकाश डाले जो इस देश में इस प्रकार की खराबी को पैदा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे आचार-विचार खराब हो गये हैं। इस प्रकार की सामाजिक स्वच्छता केवल इसी बात के लिये नहीं बरन् अन्य बातों के लिये भी आवश्यक है। हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे आचार-विचारों को बड़ा धक्का लगा है और हमें उनको अपनी पुरानी स्थिति में लाना है। अब हम उस स्थिति में हैं कि हम अपनी चिन्ता स्वयं कर सकें और इस बात का पूरा प्रयास करें कि हमारे आचार-विचार ऊँचे हों और हमारे समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जिसमें इस प्रकार की खराबी असम्भव हो जाये। ठीक है स्थानीय स्थिति, आर्थिक परिस्थिति, आमोद-प्रमोद के उचित साधन तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं के अभाव भी इस बुराई के फैलने के कारण है। किन्तु मेरे विचार में ये सब मुख्य कारण नहीं हैं। मुख्य कारण तो आध्यात्मिक है और केवल क़ानून बनाने से इस बुराई को नहीं रोका जा सकता। हम क़ानून से ऐसी घटनाओं को होने से कुछ सीमा तक रोक सकते हैं। जिनकी सूचनाये यदाकदा प्रकाशित होती रहती हैं। मैं क़ानून बनाने का विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि क़ानून बने। किन्तु मेरी इस समाज के सदस्यों से अपील है कि वे इस देश की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करें और अपने कार्यक्रम को हमारे देश की ऐतिहासिक परम्परा के अनुकूल बनावें और इसी प्रकार इस समस्या का प्रभावपूर्ण हल हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आप सब को इस बात के लिये फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह सुअसवर दिया कि मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समाज में भाग ले सकूँ।

### विजयादशमी

विजयादशमी के अवसर पर क्वीन्स गार्डन में धार्मिक रामलीला समिति द्वारा दिये गये अभिनंदन पत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

धार्मिक रामलीला के अध्यक्षजी, बहनो और भाइयो,

मुझे आपके इस समारोह में शरीक होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह दशहरे का दिन हमारे लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज सारे हिन्दुस्तान में सभी लोग इस महत्व का अनुभव करते हैं और किसी न किसी रूप में इस दिन को मनाते हैं। हमारा सारा जीवन रामायण और महाभारत की शिक्षा पर ही निर्भर करता है। श्री रामचन्द्र को तो हम पुरुषोत्तम के नाम से भी स्मरण करते हैं। इसका अर्थ यही है कि यद्यपि हम उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं मगर तो भी उनके गुण ऐसे हैं जो अगर कोई उनकी सी तपस्या और साधना करे तो उसे भी प्राप्त हो सकते हैं। भगवान् रामचन्द्र का जीवन प्रत्येक मनुष्य के लिये एक आदर्श जीवन है। अपने शिक्षाकाल से ही उन्होंने जिस तरह से सब गुणों को प्राप्त किया और ज़िम तरह से अपनी सारी खिन्दगी बितायी वह हरेक आदमी के लिये अनुकरणीय

हैं। रामचन्द्रजी वैसे ही बली और धैर्यवान् पुरुष थे जैसे वह तपस्वी थे। बचपन में शिक्षा पाकर पिता की आज्ञा लेकर वह विश्वामित्र मुनि के साथ गये और छोटी अवस्था में ही अपनी बहादुरी और शक्ति का परिचय दिया। उसके बाद श्री जानकीजी के साथ उनका विवाह हुआ। उसी समय से उनका जीवन पूर्णतया पवित्र और सुन्दर रहा। पिता की आज्ञा से गद्दी छोड़कर जंगल में गये और १४ वर्ष बनवास करके, अमुरों का नाश करके फिर गद्दी पर बैठे। जिसे हम आज रामराज्य कहते हैं उस रामराज्य को उन्होंने चलाया।

उस रामराज्य का जैसा सुन्दर वर्णन हमारे पूर्वजों ने किया है वह किसी भी राज्य के लिये शोभनीय है। आज के दिन को अगर हम मनाते हैं तो इसीलिये मनाते हैं कि जैसे सुखमय दिन और धार्मिक दिन उन्होंने बिताये थे और अपने राजकाज को जिस रीति से चलाया था वैसा ही जीवन हमारे देश के लोग बितायें। न मालूम कितने दिन हो चुके जब रामचन्द्र हुये थे मगर आज भी उनकी जीवनी से हमारे देश का बच्चा बच्चा केवल परिचित ही नहीं है बल्कि अपने जीवन के लिये सबक सीखता है। और जहां तक उससे हो सकता है अपना जीवन भगवान् रामचन्द्र के चरणचिन्हों पर चल कर बिताने का प्रयत्न करता है। केवल राम ही नहीं रामायण के और जो चरित्रनायक थे वे भी ऐसे सद्गुणी थे कि वैसे आदर्श चरित्रनायक संसार के किसी भी साहित्य में मिलने मुश्किल है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों, दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसी माता, महारानी जानकी, भक्त हनुमान और अन्य दूसरे बानर लोगों का जीवन भी हमारे लिये, हर एक के लिये, एक आदर्श जीवन है। इसीलिये रामलीला करके हम एक दूसरे को इन चीजों की याद दिलाते हैं, उनकी स्मृति जाग्रत करते हैं और आगे के लिये अपने लिये संबल इकट्ठा करके दिन बिताने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यह सुवअसर दिया कि यहां दर्शन कर सकूँ और आप भाइयों और बहनों से मिल सकूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह प्रयत्न बराबर जारी रहेगा और हम लोग इसके महत्व को समझ लेंगे और उसे बढ़ाते जायेंगे। आप सब को धन्यवाद देता हूँ।

### विजयादशमी का उत्सव

विजयादशमी के अवसर पर गवर्नमेंट हाउस के कर्मचारियों की सद्भावना और सदिच्छाओं का जवाब देते हुये राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस शुभ दिन पर आप सब इकट्ठे हो कर मुझ से मिले और आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सब से मिलूँ। यह एक अच्छा दिन है जिसको आज सारे हिन्दुस्तान भर में लोग मनाते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं और हर तरह से लाभ उठाते हैं। मेरी अपनी भी इच्छा होती है लेकिन अफ़सोस है कि ऐसा पहले विचार नहीं हुआ कि इस दिन पर ऐसा प्रबन्ध किया जाये जिससे कम से कम जो लोग यहां पर काम करते हैं उन सबको इस प्रकार के भाईचारे का मौका मिले जैसा आदिमियों के बीच में होना चाहिये। खास तौर से छोटे बड़े की भावना छोड़ कर सब मिल कर हर्ष मना सकें। हमारे जितने



त्यौहार हे सब में इस बात का ध्यान रखना गया है कि उस दिन छोटे बड़े की बात नहीं होती और सब मिलजुल कर एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और खुशी मनाते हैं। ऐसे पर्व के दिन न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है; सबका बराबरी का दर्जा होता है। ऐसे अवसर पर लोग कोई दूसरा सम्बन्ध नहीं रखते, केवल मनुष्य का सम्बन्ध रखते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और खुशी मनाते हैं। तो इस तरह त्यौहार के दिन पर हम ऐसा प्रबन्ध करें कि अगर हमें शहर के लोगों से, बाहर के आदिमियों से, देश के लोगों से मिलने का मौका न भी मिले तो कम से कम जो लोग यहाँ काम करते हैं उनसे हम मिल सकें जिसमें लोग समझें कि ये चीजें अपनी हैं।

दशहरे के महत्व के सम्बन्ध में कुछ कहना शायद जरूरी नहीं है। यह दिन सारे देश में मनाया जाता है और ज़ोरों से मनाया जाता है। यह वह दिन है जिस दिन रामचन्द्रजी ने रावण को मारा था और इसके पहले के जो ९ दिन हैं वे ऐसे दिन हैं जब रामचन्द्र जी ने विशेष तपस्या कर के शक्ति हासिल की थी और दसवें दिन रावण को मारा था। इसलिये ९ दिनों तक सारे हिन्दु-स्तान में लोग पूजा करते हैं और दसवें दिन विजयादशमी मनाते हैं। रामायण में इस लड़ाई का जिक्र है। यह लड़ाई हुई। मगर इस तरह की लड़ाई तो हमेशा चलती रही है। बुराई और भलाई का, नेकी और बदी का, मुर और अमुर का यह झगड़ा आज का नहीं है, यह हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। और हम इन त्यौहारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि किस तरह से बुराई पर फ़तह पावें, सच्चाई पर चलें। दशहरे का महत्व यही है। आज का यह दिन बहुत अच्छा दिन था और मैं आप सबको अपनी ओर से विजयादशमी की सद्विच्छा देता हूँ जिस तरह से आप सबने मुझे दी है। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया।

अब हमें यह पहले से ही तय कर लेना चाहिये कि अब जो त्यौहार आवें उन्हें हम लोग किस तरह से मनावें जिसमें दूसरे लोगों से नहीं तो कम से कम यहाँ के सभी लोगों से मिल सकें हमारे जितने त्यौहारों के दिन हैं वे बहुत अच्छे दिन हैं चाहे हिन्दुओं के हों, मुसलमानों के हों या ईसाइयों के हों। मैं समझता हूँ कि देश के सभी मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ हैं। कुछ विदेश के लोग भी हैं। हमें तो सब से प्रेमभाव रखना है; सबसे मुहब्बत करनी है; किसी से हमारा द्वेष नहीं है। इसलिये हम लोग जो यहाँ काम करते हैं एक दूसरे के दुःख में, एक दूसरे की खुशी में शरीक हों और हम एक नमूना पेश करें तो मुमकिन है कि देश के और हिस्सों में भी उसका असर पड़े। मैं आपकी सद्भावना, सद्विच्छा के लिये आप सब को धन्यवाद देता हूँ। मुझे खुशी है कि आप सब से मैं इस शुभ दिन पर मिल सका और आप सब मुझ से मिल सके।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। यहाँ और बहुत से भाई काम करते हैं जो यहाँ पहुँच नहीं सके हैं और जिनसे हम लोग मिल नहीं सके। मेरा इशारा उन लोगों से है जो लोग बाय में काम करते हैं या दूसरी जगह पर काम करते हैं। उन लोगों से भी मिलना अच्छा होगा। अब तो समय नहीं है। मगर जब मैं उधर पे लौटकर आता हूँ तो इसका इन्तज़ार किया जाये कि उन सब से मैं मिल सकूँ और दूसरे पर्व में ऐसा सोचा जाये कि वे सब के सब उसमें शामिल हो सकें।

## देहरादून में नागरिक अभिनन्दन

देहरादून म्युनिसिपैलिटी और उसके कर्मचारी संघ द्वारा दिये अभिनन्दनपत्र के जवाब में राष्ट्र-पति जी ने कहा—

देहरादून नगरपालिका के अध्यक्षजी, सदस्यगण तथा कर्मचारी लोग,

मैं आप सब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इस शहर में बड़े प्रेम से स्वागत किया। मैं देहरादून आज पहले पहल नहीं आया हूँ। एक प्रकार से यहाँ कई बार आते जाते यहाँ से कुछ परिचित हो चुका हूँ और जैसा आपने कहा एक बार पहले भी बड़ी कृपा करके आपने मेरा स्वागत किया था। उस दिन से और आज मैं बड़ा अन्तर पड़ गया है। जब मैं पहले पहल सन् १९२३ में देहरादून आया था उस दिन मैं, आज मैं, इस शहर में और सारे देश में इतना फ़र्क है कि उस समय जिन्होंने भारत को देखा होगा और आज के भारत को भी देखते होंगे वे कह सकते हैं कि यह कितना बड़ा अन्तर है। हो सकता है कि जिन्होंने उस समय भारत को नहीं देखा होगा और वे केवल आज भारत को देखते हैं वे शायद इसको न समझें। मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ इस देश के अन्दर नगरपालिका बन गयी हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन गये हैं या आगे बनेंगे उनका पहला काम तो यह है कि जिस शहर की नगरपालिका हो जिस ज़िले का ज़िलाबोर्ड हो उस शहर और ज़िले की जहाँ तक सेवा हो सके, जो जो काम उनके सामने रक्खा गया हो उसे अच्छी तरह से पूरा करके दिखलावे। उनकी सफलता इस बात से मानी जाती है कि उन्होंने कहां तक अपना काम पूरा किया। शहर के अन्दर सड़कों की सफ़ाई, दवाखाने, शिक्षा का इन्तज़ाम, अच्छी और सुन्दर और स्वादिष्ट और साथ साथ शुद्ध खाने की चीज़ों को व दूध को पहुँचाना यह सब उनका काम है। नगरपालिका के अन्दर जो लोग रहते हैं और जो गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं उनको सुधारना, उन पर विशेष ध्यान देना, नगरपालिका का विशेष काम है। इसी तरह सड़कों की मरम्मत करना, ठीक से रखना और जहाँ तक हो सके दवाखाने का प्रबन्ध करना और सब जगहों पर शिक्षा का इन्तज़ाम करना और जहाँ बीमारी हो उसमें लोगों की सहायता करना और खेती की उन्नति और दूसरे प्रकार से ज़िले की जो उन्नति हो सके ऐसे काम करना ज़िलाबोर्डों का काम होता है। इसलिये यदि प्रान्तीय गवर्नमेंट और केन्द्रीय गवर्नमेंट को छोड़ दें तो भी आज इन संस्थाओं के हाथ में इतना काम और इतना अधिकार है कि ये वहाँ के लोगों को सुखी और सम्पन्न बनाने में बहुत कुछ कर सकती हैं। इसके अलावे इन संस्थाओं के जरिये लोगों को एक मौक़ा मिलता है कि किस तरह से काम किया जाये किस तरह से शहर और ज़िले का प्रबन्ध किया जाये, किस तरह से ऐसे काम जो केवल एक आदमी के काम नहीं बल्कि सारे शहर या ज़िले के काम हैं ठीक तरह से अंजाम दिये जायें।

इस तरह से तजुर्बा हासिल करने का मौक़ा मिलता है। अन्य देशों में और खासकर इंग्लैंड में तो ऐम। इतिहास रहा है कि जो लोग अपने शहर में और इलाक़े में कामयाब हुये हैं वे ही पीछे जाकर मंत्री पद पर भी कामयाब हुए हैं। मगर इस देश में आज तक तो दूसरी प्रकार की व्यवस्था थी। जो लोग इन संस्थाओं को चलाते थे उनको ऐसा मौक़ा नहीं मिलता था कि वे

अपनी योग्यता और तजुर्बे को शासन में और कही दिखला सकें । मगर अब ये चीजें बदलनी चाहियें और मैं आशा करता हूँ कि बदलेंगी । इसलिये शहर के लोगों की सेवा करने वाले, अच्छा काम करने वाले ऐसे लोग जिनमें योग्यता हो, जिनमें सच्चाई हो, जिनमें ईमानदारी हो, जिनमें सेवा की भावना हो, ऐसे सेवक तैयार करना भी आपका काम है । मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कामों से आप जो अनुभव प्राप्त करोगे उससे सारे देश को लाभ उठाने का मौका मिलेगा । इसलिये मैं जब कही जाता हूँ और नगरपालिका की ओर से मेरा स्वागत किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से मिलने का यह अच्छा मौका है जो ऐसे कामों में लगे हैं जिनके तजुर्बे से पीछे देश को लाभ पहुंचने वाला है ।

अभी देश की जो अवस्था है उस पर अगर सोच कर देखें और दूसरे प्रकार से देखें तो मालूम होगा कि वह बहुत बदली है और बदल रही है । आज हमारे अपने देश के लोगों के हाथों में देश का सारा इन्तजाम आ गया है; देश के प्रतिनिधियों के हाथों में सारा अधिकार आ गया है । वे देश को बनाना और बिगाड़ना चाहें तो बना और बिगाड़ सकते हैं । अगर कोई बात बिगड़ी तो उसका इलजाम हम किसी पर नहीं डाल सकते और अगर कोई बात बनी तो देशभाइयों से अतिरिक्त कोई और उसके श्रेय के लिये दावा नहीं कर सकेगा । अब तो बनाने और बिगाड़ने के लिये जो शिकायत और श्रेय होगा अपने ही लोगों के सर पर होगा । जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद हमने कुछ काम भी किया है या नहीं किया तो हमें इस बात को बराबर ध्यान में रखना चाहिये ।

लोग कहते हैं और किसी हद तक यह बात सच भी है कि अभी भी देश में गरीबी है, आज भी देश में कई तरह की शिकायतें हैं और आज भी बहुत सी बातें वैसे ही चल रही हैं जिस तरह अंग्रेजों के ज़माने में चलती थी । अगर आप महज़ इन सब चीजों पर ही ध्यान देंगे तो ज़रूर मालूम पड़ेगा कि अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है । पर इन सब बातों पर विचार करते समय यह भी देखना चाहिये कि स्वतन्त्रता मिले अभी तक तीन वर्ष बीते हैं और प्रजातन्त्रात्मक राज्य की स्थापना के बाद ८-९ महीने बीते हैं । इन तीन वर्षों के अन्दर हमारे सामने कितनी मुसीबतें आयीं, कितनी दिक्कतें आयीं जिनका हमको मुक्ताबला करना पड़ा । अगर हम ऐसा करोगे तो हमें मालूम होगा कि इन दिक्कतों पर काबू पाना कोई छोटी बात नहीं थी ।

जिस दिन हमको स्वतन्त्रता मिली उसी दिन देश का बंटवारा भी हुआ । अगर केवल बंटवारा हुआ होता तो भी देश की स्थिति को संभालना कोई आसान काम नहीं होता । मगर बंटवारे के साथ साथ हम पर विपत्ति भी आयी । उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लाख आदमियों को बेघरबार होकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आना पड़ा । यद्यपि आज तक बराबर इस बात की कोशिश की जाती रही है और गवर्नमेंट से जहाँ तक हो सका है वह कोशिश करती रही है कि उन भाई बहनों की सहायता में लगे पर तो भी आज यह नहीं कहा जा सकता है कि हम उनको पूरी तरह से बसा सके हैं । हमारे सामने यह इतना बड़ा सवाल आया कि इतने बड़े सवाल का किसी भी देश या किसी भी गवर्नमेंट को मुकाबिला नहीं करना पड़ा था । कोई ७०-८० लाख आदमियों को बसाना, उनको संभालना कोई छोटी बात नहीं है । हमारे सामने इन ७०-८० लाख लोगों

को बसाने का जो काम आया उसको हम पूरा नहीं कर सके हैं। हमें इसके लिये अफसोस जरूर है पर इसको पूरा करने की हमने कोशिश की है और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें मतभेद की गुंजाइश हो सकती है कि इस तरह से काम न होकर इस तरह से होना चाहिये। मगर देखना यह है कि हमने दिल व जान से कोशिश की है या नहीं। मैं कह सकता हूँ कि कोशिश हुई है। मैं इन मुसीबतजदा भाई बहनों से यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखलायी है और उन्होंने धीरज और दृढ़ता के साथ अपनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है। इस बात को तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि सब लोगों को इन भाई बहनों से सहानुभूति है। सब लोग उनके दुख में दुखी हैं और यह तो स्वाभाविक ही है कि हम सबको उनके दुख में दुख हो। दूसरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है वह यह है कि पिछली लड़ाई के असर से हमारा देश भी मुक्त नहीं है। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद यह होता ही है कि दुनिया के हर देश में बहुत तरह की शिकायतें पैदा हों, बहुत तरह की गड़बड़ी मचे। हमारा देश भी इन नतायज से बरी नहीं रह सकता था। इससे सबसे बुरी बात तो यह हुई है कि हम लोग यह भूल गये हैं कि हमारा आपसी बर्ताव कैसा होना चाहिये। यह इसी देश में नहीं सभी देशों में हुआ है। लेकिन जब हम अपने देश की बात सोचते हैं तो खास दुख होता है। हमारे देश के लोगों को हमेशा से सिखाया गया है कि सब एकसाथ मिलकर रहें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करे और एक दूसरे के साथ सहानुभूति करे। यह हर आदमी का फ़र्ज़ है। लेकिन आज हम इस आदर्श से गिर गये हैं। इसके अलावा हमारा नैतिक स्तर भी गिर गया है। यह बात मैं छोटे दल या जमात के लोगों की तरफ़ इशारा करके नहीं कह रहा हूँ। ऐसा सभी लोगों में हुआ है। आज इस तरह की चोरबाजारी क्यों होती है, रिश्वत की शिकायत क्यों होती है ? आज कोई काम ठीक से क्यों नहीं चल रहा है ? जो लोग इस तरह के काम में या दूसरी तरह के काम में लगे हुए हैं वे अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते ? यह हमारे देश के लिये अच्छी बात नहीं है। क्यों कि जो स्वतन्त्रता हमारे हाथों में आ गयी है उसकी रक्षा करना हमारा काम है। उस स्वतन्त्रता को अपने लिये और संसार के लिये इस तरह से कायम रखना है कि हम एक नया आदर्श दुनिया के सामने रख सकें और उसके अनुसार चलकर लोगों को सुखी रख सकें।

संसार में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हमारे पास बहुत धन हो, बहुत सामान हो तो हम सुखी हो जायेंगे। बात ऐसी नहीं है। बहुत सामान या धन होने से आदमी सुखी नहीं होता बहुत धन होते हुये भी आदमी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो इसमें है कि लोगों को संतोष हो, लोगों में सच्चाई और ईमानदारी हो। एक दूसरे के साथ लोगों का जो बर्ताव हो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिये। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो पुस्तकों में, धार्मिक ग्रन्थों में लिखी हुई हैं ही उनको दुहराने से क्या लाभ ? मगर ऐसा वक्त आता है जब इन बातों का दुहराना जरूरी हो जाता है। यदि याद दिलाने से इस काम में लाभ होता है तो यह जरूरी हो जाता है कि इसे दोहराया जाये। इसलिये मैं जहां भी जाता हूँ और इस तरह की शिकायत सुनता हूँ तो मैं उन लोगों से जो इस तरह की शिकायत करते हैं कहता हूँ कि वे भी सोचें कि उनका इसमें कितना भाग है, उसमें उनकी कितनी जिम्मेदारी है और यह कहता हूँ कि अगर वे ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ काम ठीक हो जा सकता है। मगर दुर्भाग्यवश जब लोग शिकायत करते हैं तो वे अपनी तरफ़ ध्यान न देकर दूसरों की कही बुरी बातों पर ध्यान देते हैं। इसका फल यह

होता है कि जो लोग अपन को सुधार सकते हैं सुधारते नहीं और दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं जिनको वे सुधार नहीं सकते क्यों कि उन पर उनका अधिकार नहीं होता । इसलिये अगर दूसरों को सुधारने की कोशिश में वे लोग नाकामयाब होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिये मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात बिगड़ती है तो यह देखने के बजाय कि किसने इसे बिगाड़ा अगर आप यह देखें कि इस बात के बिगड़ने में आपका क्या हिस्सा है और आपका जो हिस्सा हो उसे अगर आप दुरुस्त करें तो उम्मीद है कि दूसरे भी अपने हिस्से को दुरुस्त करेंगे । इसलिये मैं चाहता हूँ कि जितने देश के सेवक हैं, जितने गवर्नमेंट के नौकर हैं, गवर्नमेंट के मंत्री से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी तक सब को यह सोचना है कि इनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी क्या है ? इनका अपना कर्तव्य क्या है और किस तरह से वे अपना कर्तव्य अदा कर सकते हैं । उन्हें चाहिये कि दूसरों को सुधारने की कोशिश करने के बजाय अपने को सुधारने की कोशिश करें । मैं समझता हूँ कि इस नीति पर चलने से ज्यादा सुधार होगा ।

मैं आप सब भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने दिल की ये बातें कहने का मौका दिया । मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातों पर सोचें और आज जो बड़ी जिम्मेवारी देश के सभी भागों पर आ गयी है उसे निभाने के लिये अपने को तैयार करें । स्वराज्य मिल गया है और उसे संभालने का कठिन सवाल सामने आ गया है । मेरा विश्वास है कि स्वराज्य लेना जितना कठिन नहीं था उतना उसे संभालना कठिन है । मैं यह भी मानता हूँ कि आज जितने त्याग की जरूरत है, जितनी सेवा की जरूरत है, जितनी लगन से काम करने की जरूरत है, उतने त्याग, सेवा तथा लगन की आज से पहले जरूरत नहीं थी । इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप नगर-पालिका के जरिये यह सब काम करें और अपना कर्तव्य पूरा करें ।

### दून स्कूल का संस्थापक दिवस

\*दून स्कूल के संस्थापक दिवस के वाषिकोत्सव के अवसर पर देहरादून में २२ अक्टूबर १९५० को राष्ट्रपति ने कहा—

श्री मार्टिन, बहनो और भाइयो,

इतने सजग नवयुवकों में आज अपने को पाकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । यह स्फूर्तिदायक अवसर मुझे बहुधा प्राप्त नहीं होता जब मैं उन लोगों के सम्पर्क में आ सकूँ जिन पर भविष्य में हमारे देश को ज्योतिर्मय करने का भार होगा । स्वभावतः भविष्य के इन महावीरों से ऐसी कोई भेंट मुझे ऐसी लगती है मानो राजमन्दिर के राजकाज प्रकोष्ठों में बाहर से स्वच्छ निर्मल वायु का झोंका आगया हो । ये मुझे मूर्तिमान पुनर्जीवन के समान लगते हैं—उस अतीत का पुनर्जीवन जब मेरे लिये यह जगत इतना नया, इतना ताजा और इतना आश्चर्यमय था—किन्तु इससे भी कहीं अधिक मेरे लिये वे भवितव्यता के अवतार हैं । उनके देदीप्यमान् मुखों में मुझे अपने देश और संसार का भावी स्वरूप प्रतिबिम्बित दिखाई पड़ता है । उनका यौवन मेरे लिये अमर आश्वासन है कि उस समय भी जब हम, जिनका शास्त्रोक्त आयुकाल अब समाप्त हो रहा है, अपने

विधाता के समक्ष अपने जीवन का हिसाब देने के लिये चले गये हों वह आदर्श जिससे हमारा जीवन सार्थक और सफल बना था, सब काल के लिये सुरक्षित रहेगा ।

चूँकि मेरी ऐसी भावना है इसलिये मेरी यह आकांक्षा है कि उन लोगों को अपने महान् और गरिमामय काम के लिये ऐसी संस्थाओं में शिक्षा मिलनी चाहिये जिन्हें कि मानव समाज में युवकों के स्थान का सही सही ज्ञान हो । इस संस्था के संस्थापक स्व० श्री एस० आर० दास ने अपने समय की परिस्थितियों में यह महसूस किया था कि भारत को अपने नवयुवकों की समुचित शिक्षा के लिये लोकविद्यालयों की आवश्यकता है और इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने इस संस्था की योजना तैयार की थी । उस दिन से संसार में और हमारे देश में ज्ञान और संस्थाओं के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । अतः यह स्वाभाविक ही है कि परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के दबाव से इस बात की बड़ी जोर की मांग हो कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और पद्धतियों में परिवर्तन किया जाये । आपने इस बात का निर्देश किया है कि आजकल लोक विद्यालयों की संस्था के विरुद्ध इंग्लैण्ड में पर्याप्त आलोचना हो रही है । मेरा विचार है कि यदि समाज में लोकविद्यालय को प्रभावी और कल्याणप्रद काम करना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह आलोचकों के दृष्टिकोण को यथावत् समझे और अपने संगठन में जो दोष मिलें उन्हें दूर करे । लोक विद्यालयों के विरुद्ध दूसरे देशों में किसी प्रकार की भी आलोचना क्यों न हो, हमारे देश में तो एक स्वयंविदित आलोचना यह है कि यह पृथक्त्व की भावना को जन्म देता है अर्थात् अपने विद्यार्थियों में यह बड़प्पन की वृत्ति पैदा करता है । हमारे देश के साधारण जन जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं उसके अनुकूल इस को बना कर यह दोष दूर किया जा सकता है । यह केवल सम्भव ही नहीं है वरन् लोकविद्यालयों का प्रकारआधारभूत तत्व भी है जिस पर वे ठहरे हुए हैं । यदि मैंने इसके स्वरूप को ठीक ठीक समझा है तो मैं कह सकता हूँ कि लोकविद्यालय का एक प्रमुख तत्व—वह तत्व जो इसे अन्य सब की शिक्षण संस्थाओं से पृथक् कर देता है—इसका सामूहिक जीवन है । साधारणतया शिक्षा संस्थाओं को ऐसी पठन-पाठन की संस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता जिनमें बालकों को लिखने पढ़ने और हिसाब की शिक्षा दी जाती है किन्तु जिनका उनके पूर्ण व्यक्तित्व से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता । इसके विपरीत लोक विद्यालय के आधार में यह विचार है कि जीवन के कुछ विशिष्ट पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी के कुछ टुकड़ों को एकत्रित कर लेना ही शिक्षा नहीं है वरन् उसका अर्थ तो यही है कि बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ऐसा ढाला जाये कि उसे कुछ प्रकार से आचरण करने की सहज आदत पड़ जाये, कला और विज्ञान की महान् विभूतियों से परिचित होने के कारण उसकी बुद्धि समृद्ध हो जाये, प्रकोष्ठ-व्याख्यान, गृह तथा क्रीड़ा-क्षेत्र में मन और स्नायु, के संघर्ष से उसकी प्रज्ञा प्रखर हो जाये और कठोर व्यायाम द्वारा वह बलवान् शरीर बना सके तथा अपने जैसे ही मानवों के साथ रह कर कार्य करके और खेल कर आपस में एकता की भावना पैदा कर सके । दूसरे शब्दों में लोकविद्यालय इस विचार पर खड़ा हुआ है कि संस्कृति का सब से प्रबल साधन और स्रोत इतनी मात्रा में पुस्तकें नहीं हैं जितनी में कि समुचित रूप से संगठित जीवन होता है । मेरा विचार है कि इसकी यह प्रतिज्ञा कि सामूहिक जीवन ही सर्वोत्तम शिक्षक है अत्यन्त मूल्यवान् विचार है । यह ऐसा विचार है, जो मानव जाति की भावी संस्कृति के क्षेत्र में अधिकाधिक महत्वपूर्ण काम करने वाला है । अतः मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि

आपकी संस्था के सदस्यगण ने साक्षरता, ग्रामसेवा और स्वयंसेवक भावना के प्रसार के लिये कई संस्थाओं की स्थापना की है। किन्तु जहाँ ये सब कदम ठीक दिशा में उठाये गये हैं, वहाँ में यह भी समझता हूँ कि देश में एक आदर्श लोकविद्यालय बनने के लिये इस संस्था को कुछ और बातें करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि यह परिवर्तन इस बात में है कि यह संस्था देश के लोक जीवन से पूरी तरह एकीकृत हो जाये। इस एकीकरण का यह अर्थ है कि यहाँ शिक्षा का माध्यम इस देश की जनता की भाषा—अर्थात् हिन्दी ही हो। मैं मानता हूँ कि आज कल ऐसा करने में कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ हैं। पर जहाँ में इन कठिनाइयों को स्वीकार करता हूँ वहीं मैं इस बात पर पूरा बल देना चाहता हूँ कि इन कठिनाइयों पर शीघ्रातिशीघ्र विजय पाने के लिये इस संस्था को हर सम्भव प्रयास करना चाहिये। कम से कम यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस बात का प्रयास तो करना ही चाहिये कि जीवन के जितने क्षेत्रों में संभवतया वे हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं उस का प्रयोग करे। मेरे इस कथन का यह आशय आप न लें कि मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी को पूर्णतया हटा दिया जाये। अंग्रेजी के विरुद्ध मेरा लेषमात्र विद्वेष नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि इस के ज्ञान से हमें अनेक देशों और जातियों के विचारों से अपने को परिचित करने में सहायता मिलती है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। इस के अतिरिक्त अंग्रेजी तो हमारे लिये और अनेक अन्य देशों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य और आदान-प्रदान की भाषा बनी रहेगी। अतः यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी का ज्ञान पूर्णतया आवश्यक है और हमारे बालक उस को सीखते रहेंगे। किन्तु मेरा यह आशय अवश्य है कि यह विचार कि अंग्रेजी सत्ता और पद प्राप्त करने का विशिष्ट साधन है अब हट जाना चाहिये। इसे सम्मान और सस्कृति का केवल एकमात्र प्रतीक न मानना चाहिये। इस के विपरीत इस संस्था के विद्यार्थियों को इस विश्वास के साथ बढना चाहिये कि वे अपने जीवन के कार्य को पूरा करने में तभी समर्थ होंगे जब वे उस भाषा में पारंगत हों जिसे इस देश के साधारण लोगों की विशाल जन संख्या बोलती और समझती है। उन्हें अपने देश भाइयों की वाणी से प्रेम और इस के प्रति आदर और गौरव की भावना होनी चाहिये। मैं इस बात पर बल इस लिये देता हूँ क्योंकि मेरी यह भावना है कि जिस लोकतन्त्रात्मक समाज के निर्माण का हम इस देश में प्रयास कर रहे हैं उस को विचार में रख कर यह आवश्यक है कि अंग्रेजी शिक्षित और देश के अन्य लोगों के बीच जो मानसिक खाई पैदा हो गई है वह पूरी तरह दूर हो जाय।

अभी हाल तक उन लोगों के मन में जो अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं अनजाने ही यह मान्यता रही है कि उन का शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य ध्येय यह है कि अंग्रेजी रहन सहन से वे अपने को यथासंभव एकीकृत कर लें। इस भावना के कारण वे भारतीय जनता से पृथक हो गये हैं। उन का भेष, उन की भाषा, उन का आचार, उन के सामाजिक आदर्श, उन की रुचि और हौबी और उन के आमोद प्रमोद की रीति सभी तो जनता की इन सब बातों से सर्वथा भिन्न और विदेशीय हैं। वे अपनी जन्म भूमि में ही एक नया वर्ग या जाति बन गये हैं। मेरा विचार है कि यह

बहुत ही हानिकारक बात हुई है और अब समय आ गया है कि इस को खत्म किया जाये। हमारे देश में हमारे सामने अनेक समस्यायें सुलझाने के लिये हैं। हम उन्हें तभी सफलता से सुलझा सकते हैं जब शिक्षित और अशिक्षित दोनों के हृदय में एक सी ही धड़कन होती हो। यदि हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व इस प्रकार निश्चल बना रहा तो हमारा वचना संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं यह महसूस करता हूँ कि इस संस्था में और देश में इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है उस में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है।

जनता की भाषा पर मेरा इतना आग्रह केवल उस के अपने हेतु ही नहीं है अर्थात् वह इस लिये नहीं है कि मैं भाषा की दृष्टि से उसे अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से उत्तम समझता हूँ। मेरा आग्रह तो इस विश्वास से पैदा हुआ है कि अपने देश में लोकतन्त्रात्मक समाज तथा सपन्न कृषि और उद्योग के निर्माण में जनता की शक्ति को लगाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बुद्धिजीवियों और साधारण जनों के आदर्शों और विचारों में कोई गहरी खाई न हो। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि लोकविद्यालय को हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में हिन्दी को तथा अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में वहाँ की जनता की भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में केवल अपनाना ही नहीं चाहिये वरन् उन्हें भारत के इतिहास साहित्य और सामाजिक ढाँचे को भी उस से कहीं अधिक महत्व देना चाहिये जितना कि वे आज कर रहे हैं। कम से कम पाठशालाओं के बालकों के लिये तो इस नीति को अपनाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही वे भारतीय जनता के अखण्ड अंग बन पायेंगे। मैं आप लोगों से बड़े आग्रह के साथ कहता हूँ कि आप इस बात का प्रयास करें कि आप के बालक वाल्मीकि और व्यास, कालीदास और भवभूति, टैगोर और गांधी की रचनाओं के अमृत का पान करें। मैं यह बात फिर दुहरा देना चाहता हूँ कि किसी संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो कर मैं इस परिवर्तन का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा इस लिये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन विभूतियों में से, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया है, प्रत्येक ने निस्पृह किन्तु सजनात्मक सेवा के उस महान् आदर्श का गान गाया है जिस की आज मनुष्य जाति को सब से अधिक आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि ज्ञान की जिज्ञासा के पीछे चलते चलते मनुष्य आज ऐसी मंजिल पर पहुँच गया है जहाँ उस के वचने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उस के सारे कार्य चाहे वैयक्तिक और चाहे सामाजिक इस सेवा के आदर्श से प्रेरित हों। यदि वह अपने ही स्वार्थ और अपने ही मना-साधन की भावना से अपने कर्षियों में प्रेरित रहा तो उस के हाथों में जो शक्ति है उस शक्ति की वाहुल्यता ही आज उस के लिये भारी संकट बन जायेगी। उन युगों में जब उस की दृष्टि सीमित थी इस प्रकार की स्वार्थ साधना से समस्त मानव जाति के विनाश का खतरा नहीं था। किन्तु आज यह संकट सर पर मंडरा रहा है और अत्यन्त निकट है। कोई भी व्यक्ति कोई भी समूह, कोई भी राष्ट्र इस शक्ति का अपने स्वार्थ साधन के लिये इस संकट को बुलाये विना प्रयोग करने की आशा नहीं कर सकता कि उस का अपना और अन्य लोगों का उस प्रयोग के कारण सर्वनाश हो जाये। अतः अब समय आ गया है कि हम आत्म दम्भ और आत्म स्वार्थ के स्थान



में अन्य आदर्शों को अधिक महत्त्व देना आरम्भ कर दें। आज हमें सब लोगों में विनम्रता और त्याग, सेवा और सहानुभूति की भावना की आवश्यकता है। अब समय है कि ये आदर्श हमारे जीवन के स्रोत बन जायें; और यह तभी होगा जब हमारे बालक आप की जैसी संस्थाओं में हमारे देश के साहित्य से आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करेंगे। मैं यह और कह देना चाहता हूँ कि जनता की भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ वयों न हों, साहित्यिक अध्ययन के पाठ्य क्रम में भारतीय साहित्य को सम्मिलित करने में तो अविलम्ब कोई कठिनाई है ही नहीं अतः मैं समझता हूँ कि यह परिवर्तन तो करना ही है और तुरन्त करना है।

मैं यह जानता हूँ कि साहित्य के थोड़े अध्ययन से ही बालकों में इन आदर्शों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने की आदत नहीं पड़ जायेगी। वे साहित्य के सौंदर्य को देखेंगे किन्तु केवल उस से ही उन के मन में यह विश्वास पैदा नहीं हो जायेगा कि वह सौन्दर्य उन के अपने जीवन का सौंदर्य हो सकता है। यह विश्वास तो उन में तभी पैदा होगा जब वे पाठशाला के, छात्रावास के, क्रीड़ा क्षेत्र के और अन्य क्षेत्र के जीवन में इस विश्वास के अनुकूल आचरण करने लगे। अतः मेरी यह भावना है कि इस संस्था के विद्यार्थियों की जीवनचर्या और कार्यरिति में भी तदनुकूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन सब को पाठशाला में और अड़्डीस पड़ोस में किसी न किसी प्रकार के सृजनात्मक कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिये। अतः मुझे इस बात से हार्दिक प्रसन्नता है कि इस संस्था के विद्यार्थियों ने ग्राम सेवा और साक्षरता प्रसार का कार्य हाथ में लिया है। मेरा विचार है कि यह कार्य इस संस्था का अविच्छिन्न अंग होना चाहिये। तभी यह संस्था ऐसी मानव धारा का स्रोत बन जायेगी जो भविष्य में सर्वदा बहती रहे। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं आप को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस महान् और गरिमामय कार्य के पूरा करने में आप की पूर्ण सफलता के लिये मेरी पूरी शुभकामनायें और प्रार्थना है। मैं आप सब लोगों के साथ इस संस्था के संस्थापक श्री एस० आर० दास को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वह हमारे मध्य में नहीं हैं किन्तु मुझे विश्वास है कि जो अपेक्षा वे आप से करते थे वह बालकों की अनेकानेक पीढ़ियों की सेवा करने के लिये आप को प्रेरित करती रहेगी।

### संयुक्त राष्ट्र दिवस

संयुक्त राष्ट्र दिवस के उपलक्ष में राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा—

मानव का यह बड़ा पुराना सपना है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा राष्ट्रों में आपसी क्षान्ति और दोस्ती कायम हो जाये। भूत काल में यह कोरे सपने के अलावा और कुछ न था और न हो सकता था क्योंकि उस समय इस बात की सुविधा न थी कि उन मानसिक और भौतिक दीवारों को हटाया जा सके जो आदमी को आदमी से, कबीले को कबीले से, राष्ट्रों

को राष्ट्र से जुदा रखे हुए थी और जिन की वजह से दुनिया के लोग शंकाकुल और वैमनस्य-पूर्ण टुकड़ियों में बंटे हुए थे। किन्तु वर्तमान सभ्यता ने हमें वे साधन दे दिये हैं जिन के जरिये उन दीवारों को तोड़ा जा सकता है और जो इस बात की सुविधा प्रदान करते हैं कि हर एक आदमी चाहे वह किसी वर्ग या देश का क्यों न हो शान्ति और स्मृद्धि की बुनियाद पर ठहरी हुई सर्वभौम संस्कृति का भागीदार बन जाये। मेरा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन इसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये।

यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के लिये यह कायम किया गया और यह तो सब जानते हैं कि आज कल की दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति से ज्यादा बढ़ कर और कोई ध्येय नहीं हो सकता क्यों कि इस एटम बम के युग में इस बात का पूरा खतरा है कि अगर लड़ाई हुई तो सभ्यता का ही खात्मा हो जायेगा। किन्तु इस का राव से ज्यादा महत्व इस बात में है कि यह सार्वभौमिक समाज के विकास का केन्द्र हो सकता है और उम्र की बुनियाद पर सारी दुनिया के लिये सरकार बन सकती है। किन्तु यह तभी होगा जब कि संयुक्त राष्ट्र न्याय के रास्ते में जरा भी न हटे।

संयुक्त राष्ट्र का समर्थन भारत हमेशा ही करता रहा है और करता रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े युद्ध के जरिये तय किये जा सकते हैं इस बात में हमारे देश का ज़र भी विश्वास नहीं है। हमें तो शान्तिपथ ही प्यारा है। हमारा विश्वास है कि यदि सब राष्ट्र आम सभा में साथ बैठे और आपसी समझौते के लिये कोशिश करें तो लड़ाई के विनाशकार फ़ैसलों से दुनिया बच सकेगी।

मंसार के सभी न्याय प्रिय और शान्ति प्रिय लोगो से मेरी यह अपील है कि वे इस क साथ दें और इस बात के लिये कोशिश करें कि सचमुच ही यह राष्ट्रों में न्याय और जगत में शान्ति का एकमात्र साधन बन जाये।

### शिलांग में नागरिक अभिनन्दन

शिलोंग म्युनिसिपैलिटी के अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने ता० २७-१०-५० को कहा—

शिलोंग म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्यगण, वहनो और भाइयो,

आप ने मेरा जिस प्रेम और उत्साह के साथ स्वागत किया है उस के लिये मैं आप सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आसाम कई बार पहले आ चुका हूँ पर शिलोंग आने का यह पहला अवसर है। मुझे अफसोस है कि इस मौके पर पानी की वजह से आप सब भाई और बहनों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है।

आसाम में पहुँच कर मुझे सब से पहले एक बात याद आती है और उस से हृदय को चीट पहुँचती है। वह है इस सभा से और सभी जगहों से हमारे भाई श्री गोपीनाथ बारदोलोई

की गैर हाज़िरी पर मैं यह सोचता हूँ कि अन्त में हम सब को जाना ही है। यह भी मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग किया। आप की और देश की सेवा में अपना जीवन लगाया और अन्त तक देश सेवा का काम करते हुए परमधाम सिधारे। इस लिये उन के लिये शोक करने का कारण नहीं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह उन की आत्मा को सद्गति दे और उन के परिवार के लोगों को बल दे कि वे इस वियोग को सहन कर सकें।

आप के सूत्रों को ईश्वर ने बहुत ही सुन्दर बनाया है। यद्यपि यहां पर रहने वाले कई कबीलों, फ़िज़ों ने गो। है, -- दुःख। हाइ। है, कुछ। नारे है--पर वे सभी एक से एक सुन्दर है। रन्तु प्रकृति का कोप भी आप के सूत्रों पर विशेष कर के इस वक्त बहुत बुरा पड़ा है और उस की वजह से आप के सुन्दर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग विपत्ति की लपेट में आ गया है और अभी उस विपत्ति का अन्त नहीं हुआ है। आये दिन नदियों में बाढ आती है, और अभी अभी आ रही है। यहां की स्थिति ऐसी बदल गई है कि यह भय है कि आगे भी नदियों का जोर और बढ़े और सभव है उस से आप की खेती को विशेषतया और अन्य क्षेत्रों में भी नुकसान पहुंचे। ये सब परेशान करने वाली बातें हैं। किन्तु साथ ही मुझे यह जान कर संतोष भी हुआ कि इस विपत्तिकाल में यहां के सभी लोगों ने बहुत ही हिम्मत से और पारस्परिक सहानुभूति से काम किया। सरकारी कर्मचारी, फौज के लोग, आरम्भ कान्स्टेबलरी के लोग, आनाम राइफल्स के लोग, कांग्रेस के काम करने वाले, और जो जो अन्य संस्थाएँ यहां सेवा करती हैं उन सब ने मिल कर सब की सेवा की है। इस से यह तो स्पष्ट ही है कि विपत्तिकाल में सब इकट्ठे हो कर किस तरह से काम कर सकते हैं और एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। इस पारस्परिक सहयोग के लिये मैं अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से और पीडित भाई और बहनों की ओर से जो कुछ आप ने किया उस सब के लिये धन्यवाद और वधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब तक इस काम की ज़रूरत रहे लोग इसे उसी तरह से जारी रखेंगे। मुझे बतलाया गया है कि आप की मुसीबतें भूकम्प की वजह से बहुत बढ़ गई हैं। गवर्नमेन्ट जहां तक उस के लिये सभव है जनता की सेवा कर रही है। मुझे इस का भी विश्वास है कि आप की तरफ से जो कुछ मांग भारत सरकार से की जायेगी उस पर वह भी पूरा विचार करेगी और अपनी तरफ से इस सूत्रों की मदद करने में कोई बाधा नहीं रखेगी। इस प्रकार की रूढ़ादता पाना आप का हक है और मुझे इस का पूरा विश्वास है कि सारे देश के लोग आप की मदद करेंगे। यह भी खुशी की बात है कि इस विपत्ति की खबर पा कर सभी सूत्रों के लोगों में सहानुभूति की लहर दौड़ गई है। जहां तक सब जगहों के लोगों से बन सकता है, सभी प्रकार की चीजें यहां के लोगों के लिये भेंट कर रहे हैं। इस में कोई शक नहीं कि इन दुखजनक घटनाओं से पैदा हुई तकलीफ इस प्रकार की जातीय सहानुभूति प्राप्त होने से बहुत कम हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से सहानुभूति और एकता और एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने का तरीका जारी रहे। तब आप आगे बढ़ जायेंगे और जो मुश्किलें आप के सामने हैं उन को हल कर सकेंगे।

अभी हाल ही में हम ने स्वराज्य हासिल किया है । जब से हम को स्वराज मिला है हमारे सामने एक न एक कठिनाई और मुसीबतें आती रही है । उन का मुकाबला करते करते ही हमारे पिछले तीन साल बीते हैं । यह संतोष की बात है कि उन का मुकाबला इस देश के लोगों ने खास कर के उन भाई और बहनों ने जिन पर ये मुसीबतें आई बड़ी हिम्मत के साथ किया है । इस से हमें यह आशा बंधती है कि आगे के काम में भी इसी तरह से सब लोग हिम्मत दिखलायेंगे । अभी हम ने स्वराज्य पाया ही है, हमारे हाथ में अधिकार आया ही है । स्वराज द्वारा हम जनता की जितनी और जहां तक सेवा कर सकते हैं उसे करने का अभी हम को सुअवसर नहीं मिला है । देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि जो स्वतन्त्रता हम ने हासिल की है उस की रक्षा मिल जुल कर करें और साथ साथ जहां तक उस से हम लाभ उठा सकते हैं उठायें ।

हम ने जो संविधान बनाया है उस में इस देश में जितने लोग बसते हैं चाहे उन का कोई भी धर्म हो हिन्दू हों, मुसलमान हों, ख्रिस्तान हों, पारसी हों, सिख हों या अन्य धर्म के मानने वाले या पालने वाले हों, सब को पूरा और बराबर का अधिकार दिया गया है । अब कुछ महीने के बाद ही नया चुनाव आयेगा । देश के हरेक २१ वर्ष आयु वाले व्यक्ति को वोट दे कर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा । मैं चाहता हू कि अधिक से अधिक लोग अपने इस अधिकार को काम में लावे और समझ वृद्ध कर काम में लावे और अच्छे से अच्छे आदमी को जिस पर उन का भरोसा हो, जिस में योग्यता हो, त्याग भावना हो और जिस से आशा रखते हों कि वह देश की भलाई कर सकता है उसे चुन कर भेजे । जो लोग चुने जायेंगे वे ही देश का कारबार चलायेंगे । जब अच्छे लोग चुने जायेंगे तो वे अच्छा काम करेंगे और देश का शासन ठीक तरह से चला सकेंगे । मुझे इस बात की उम्मीद है कि सब मिल कर इस देश की उन्नति करेंगे और जो हमारी कमजोरी है, जो गरीबी है और दूसरी प्रकार की जो तकलीफ है उसे दूर कर सकेंगे और यहां सच्चे अर्थ में स्वराज कायम कर के सब को सुखी बना सकेंगे ।

आप की म्युनिसिपैलिटी का भी इस में काम है । एक जगह मैं ने कहा था कि म्युनिसिपैलिटियों को अच्छे काम करने वालों को तैयार करने का मौका मिलता है । मैं आशा करता हू कि आप का सूबा भी किसी सूबे से किसी बात में पीछे नहीं रहेगा । मैं उम्मीद करता हू कि जो अधिकार हमारे हाथ में आया है उस का हमारे लोग अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे और देश को और अपने को सब मिलजुल कर सुखी बनायेंगे । मैं आशा करता हू कि सब मिल जुल कर इस तरह से रहेंगे जिस में किसी भी हमारे देश के दुश्मन को हमारी तरफ आंख उठाने की या हाथ उठाने की हिम्मत न पड़े । जब हम में कमजोरी आती है, आपस में फूट होती है, तभी बाहर के लोग हमारी तरफ बुरी निगाह डालते हैं । अगर आप सभी देश की स्वतन्त्रता के लिये मरने के लिये तैयार रहें तो फिर किसी की हिम्मत न पड़ेगी कि हमारी तरफ बुरी निगाह डाले । आप का सरहद का सूबा है, इस के तीन तरफ तीन मुल्क हैं, एक तरफ तिब्बत है एक तरफ बर्मा है और एक तरफ पाकिस्तान है । सरहद होने

की वजह से इस सूबे की बड़ी जवाबदेही है। मुझे आशा है कि इस जवाबदेही को आप सभी समझेंगे और अपने को इस योग्य बनायेंगे कि भारत का जो दरवाजा आप के हाथ में है, उस की आप रक्षा कर सकें और उसे हमेशा के लिये सुरक्षित रख सकें।

आप सब भाई बहनों को आप के प्रेम के लिये फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ।

### आसाम प्रान्तीय कांग्रेस द्वारा अभिनन्दन

ता० २८-१०-५० को आमाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

आसाम कांग्रेस के समारोह, बहनों और भाइयो,

मैं इधर कई महीनों से सोच रहा था कि आसाम आऊँ और आप के इस सुन्दर प्रदेश को जिस को आज में पहले भी दो तीन बार देख चुका हूँ एक बार फिर आ कर देखूँ और आप नये भाइयों और बहनों से मिलूँ। इसी बीच में इस भूकम्प से बड़ी विपत्ति आगयी और उन की वजह से बड़ी मुसीबत और तकलीफ यहाँ के भाइयों और बहनों को वर्दास्त करनी पड़ी और पड़ रही है। यहाँ का हाल सुन कर मेरी इच्छा और भी प्रबल हो गई कि यहाँ जाऊँ। मगर वरसात में आने में भी दिक्कत थी और दूसरे अगर आता भी तो जितना मैं देखना चाहता था उतना देख भी नहीं सकता था। इस लिये जान कर नहीं आया। अब यहाँ में आ गया हूँ और दो दिनों से आप के इस सुन्दर प्रदेश में घूम रहा हूँ। अभी तो मैं यहाँ से उन जिलों में जाऊँगा जहाँ पर भूकम्प का प्रकोप रहा और वहाँ की स्थिति, जो इस थोड़े समय के अन्दर अपनी आंखों से देख सकता हूँ, देखूँगा। मुझे भूकम्प का पूरा अनुभव है और इस लिये मैं जानता हूँ कि भूकम्प से कितनी क्षति होती है और लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। जब हमारे प्रान्त में भूकम्प हुआ था तो न मालूम कितने प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आये थे और कितने प्रकार से हमें लोगों की सहायता के लिये तैयारी करनी पड़ी थी। यहाँ की स्थिति वहाँ की स्थिति से कुछ भिन्न है क्योंकि यहाँ भूकम्प के साथ साथ नदियों के प्रकोप से बाढ़ भी बहुत आयी है। मैं सुनता हूँ कि नदियों की सतह में इतना अन्तर पड़ गया है कि अब पानी बहुत दूर तक फैलता है और जहाँ जहाँ पानी भूकम्प की वजह से रुक गया था वहाँ और भी तेजी से पानी निकलता है और बहुत बर्बादी करते हुए आगे जाता है। इस तरह से आप के सामने जो प्रश्न हैं वे और जगहों के मुकाबले से कुछ भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं और यहाँ भिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। आप की मुसीबत तो यह है कि न मालूम कितने भाई और बहनों के घर गिर गये, बह गये।

खेत और खेत में लगी हुई फसलों की कितनी बर्बादी हुई है इस का भी कुछ पता नहीं। इस के अलावा अभी भी जो खबरें मिलती हैं उन से भी ऐसा मालूम होता है कि बर्बादी अभी समाप्त नहीं हुई है; अभी जारी है। गवर्नमेन्ट के पास जो रिपोर्ट आती है उस से यह भय मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट का भी बहुत नुकसान हुआ है; तमाम सड़के बिगड़ गई हैं, पुल टूट गये हैं और गवर्नमेन्ट की बहुत सी इमारतें बह गई हैं, गिर गई हैं जिन को फिर से गवर्नमेन्ट को बनाना है। क्यों कि जब तक सड़के ठीक नहीं हो जाती हैं, पुल ठीक नहीं हो जाते हैं, लोगों के लिये कहीं भी आना जाना और सामान भी ले जाना कठिन हो जाता है। इसलिये यहां तो पहली मुसीबत यह हुई है कि जो जगहें दूसरी जगहों से अलग हो गई हैं वहां के लोगों को किस तरह से भोजन पहुंचाया जाये। मुझे यह सुन कर खुशी हुई कि जो हमारी फौज के लोग यहां हैं, आसाम राइफल्स के लोग, कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग तथा यहां जितनी अलग अलग सस्थायें हैं उन सस्थायों के लोगों ने मिल कर पीड़ित लोगों को थोड़ी बहुत सहायता की जिस से लोगों को कुछ राहत मिली है। मगर अभी भी हवाई जहाज से खाना पहुंचाया जाता है और जहां तक मैंने सुना है ऐसी जगह भी कई हैं जिन के बारे में कोई खबर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी भयंकर स्थिति है तो आप इस से समझ सकते हैं कि इस में कितने काम की आवश्यकता है और इस में कितने लोगों को लगना है। यहां जिस तरह सभी लोग सेवा का प्रयत्न कर रहे हैं उस से भरोसा होता है कि पीड़ित लोगों को मदद पहुंच सकेगी। यहां की गवर्नमेन्ट से जो कुछ हो सकता है वह कर रही है और उसे करना भी चाहिये। क्यों कि अब गवर्नमेन्ट में और जनता में कोई अन्तर नहीं है। गवर्नमेन्ट अब जनता की गवर्नमेन्ट हो गई है और अब अगर जनता पर कोई मुसीबत आती है तो सरकार का यह पहला काम है कि जनता को उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करे। इसी भावना को ले कर यहां की गवर्नमेन्ट काम कर ही है। भारत सरकार की ओर से भी मैं आप को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस से जहां तक हो सकेगा आप की सेवा करने से वह बाज्र नहीं आयेगी और आप जो कुछ भी मांग पेश करेंगे वह उस को पूरा करने का प्रयास करेगी और जहां तक उस की शक्ति के अन्दर है वह आप की अच्छी तरह से मदद कर के इस तरह से बिगड़ी हुई इमारत को फिर से खड़ी करने की कोशिश करेगी।

भारत सरकार आप के सूत्रों को एक प्रकार से बहुत महत्व देती है। उस का कारण यह है कि यह सूत्रा ऐसी जगह में है जहां तीन मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। तिब्बत की सरहद उत्तर-में है, पूर्व में बर्मा की सरहद है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सरहद है। इस तरह से इस सूत्रों के तीन तरफ गैर मुल्कों की सरहद है। खास कर के ऐसे सूत्रों का बड़ा महत्व होता है। इसी वजह से इसे सभी लोग पूरा महत्व देते हैं। इस के अलावा यहां स्थिति ऐसी है कि यहां राज का काम आसान नहीं है, जरा मुश्किल है। यह पहाड़ी इलाका है, बड़ी बड़ी नदियां हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं है, पहाड़ पर जे आदिमजाति भाई बसते हैं और जो लोग पहाड़ के नीचे बसते हैं दोनों इस सूत्र के रहने वाले हैं और दोनों का यहां हक है। सब लोगों की

सेवा करना यहां की गवर्नमेन्ट का काम है, लोगों की मदद करना गवर्नमेन्ट का कर्तव्य है। इस प्रकार से अलग अलग बस्तियां होने की वजह से यहां बहुत तरह के प्रश्न उपस्थित होते हैं जिन को संभालना कोई आसान बात नहीं है।

मुझे इस बात का संतोष है कि स्वराज पान के बाद हिन्दुस्तान की संविधान सभा ने एक सुन्दर संविधान बनाया है। उन में सभी लोगों के लिये चाहे उन का कोई भी धर्म हो, वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, पारसी हों, ईसाई हों, सिख हों या कोई भी धर्म मानते हों, पहाड़ के रहने वाले हों या समतल के रहने वाले हों, आदिम जाति के लोग हों, चाहे कोई दूसरे हों, पूरा पूरा हक दिया गया है। अब चन्द महीनों के बाद ही इस इतने बड़े देश में उस संविधान के अनुसार नया चुनाव होने वाला है और इस देश की प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जिसकी अवस्था २१ वर्ष की हो चुकी है, यह हक है कि अपना वोट देकर जिसको मुनासिब समझे चुने। यह चुनाव का काम इतना बड़ा होगा कि चुनावसम्बन्धी इतना बड़ा काम आज तक संसार के इतिहास में नहीं हुआ। अभी जो मतदाताओं की फिहरिस्त तैयार की जा रही है उस में मैं समझता हूँ कि करीब करीब १८ करोड़ आदिमियों के नाम होंगे। चीन को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा देश इस वक्त संसार में हो जिसकी कुल आबादी भी १८ करोड़ हो। लेकिन चीन में इस तरह का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। इस लिये हमारे देश में जो चुनाव होगा वह इतना बड़ा होगा, फला हुआ होगा और विस्तृत होगा जितना बड़ा चुनाव आज तक संसार में कहीं नहीं हुआ है। इस चुनाव में सब वालियों को मत देने का अधिकार है। लेकिन जहां यह वोट देने का अधिकार है वहीं लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गयी है। अब अपने हाथों में अधिकार आ गया है। अब कोई बात विगड़ती है तो हम उस के लिये किसी दूसरे की शिकायत नहीं कर सकते। अब अंग्रेजी राज नहीं है कि अगर कोई बात विगड़ेगी तो उसके लिये हम उनकी शिकायत करेंगे। अब तो अपने ही लोगों का राज है अर्थात् आप सब का ही राज है। आपके ही चुने लोग इस राज को चलाते हैं। यदि आप उनको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। संविधान में आपको इसका अधिकार मिला है। अब कोई बात विगड़ेगी तो उसका दोष आप किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। अब तो आपको सोचना होगा कि अगर कोई ग़लती होती है तो उसमें आपका कितना हिस्सा है और यह पता चलाना होगा कि कहीं आपके प्रतिनिधि की नीयत तो नहीं बदल गयी। यह सब आपको सोचना होगा। आपको ऐसे ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिये जो देश की सेवा करते हों, जिनका अपना स्वार्थ नहीं हो और जो इस विचार से खड़े नहीं हों कि उन को पद मिलेगा और उससे अपने लिये वे लाभ उठावेंगे। आपको ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिये जिनमें योग्यता हो और जिनकी ईमानदारी में आपको पूरा विश्वास हो और जिनसे आप आशा रखते हों कि वे देश की सेवा करेंगे, जो देश की भलाई के लिये अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे। इन सब बातों पर विचार करके ही आपको वोट देना होगा। जो अच्छे अच्छे लोग चुने जायेंगे वे आपकी इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे और वे जो काम

करेंगे उससे आपको लाभ होगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि आपको तो अधिकार मिला है लेकिन साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है। मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों ने बहुत ही त्याग करके स्वराज की लड़ाई को चलाया और अन्त में स्वराज हासिल किया। पर कहीं कहीं अब लोगों के दिलों में ऐसा विचार उठने लगा है कि अब तो स्वराज मिल गया, अब हमारा क्या काम रहा, अब तो सब कुछ गवर्नमेन्ट को करना है, हमारे लिये सब सुख सुविधा गवर्नमेन्ट को पहुँचानी है। मगर आप को यह सोचना है कि स्वराज में जो अधिकार मिलना चाहिये वह तो मिल गया है पर स्वराज से जितना लाभ पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँचा है और स्वराज से जितनी आशा लोग रखते थे वह आशा हमारी पूरी नहीं हुई है। उन आशाओं को पूरा करना हमारा काम है। उसके लिये हमको तैयार रहना चाहिये। मैं मानता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के साथ लड़ने में लोगों ने जितना परिश्रम और त्याग दिखलाया उससे आजकल अधिक परिश्रम और त्याग की आवश्यकता है और आवश्यकता है आजकल दिल लगाकर परिश्रम करके देश की सेवा करने की। उस समय तो सिर्फ एक चीज को अपने सामने रखकर हम काम करते थे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से अधिकार छीन ले। लेकिन आज तो चारों तरफ हमको देखना है और सोच कर कदम उठाना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि वह काम हम करेंगे तो उसका फल हमारे लिये क्या होगा। आसाम में बैठकर अब आपको सिर्फ आसाम के बारे में ही नहीं सोचना है बल्कि सारे भारतवर्ष के बारे में उसके हर हिस्से के बारे में सोचना है कि देश की क्या आवश्यकता है, देश की किस चीज में भलाई है। हो सकता है कि किसी एक सूबे की भलाई एक चीज में हो और उससे सारे देश को नुकसान होता हो तो उस चीज को छोड़ने के लिये लोगों को तैयार रहना चाहिये। हो सकता है कि किसी चीज से थोड़े लोगों को नुकसान पहुँचता हो पर बहुत अधिक लोगों को उस से लाभ पहुँचता हो उसे देश अपनावे और ऐसे ही काम जिन से अधिक लोगों को लाभ पहुँचता हो देश के लिये किये जायें और अगर ऐसे कामों से थोड़े लोगों को या किसी खास सूबे को नुकसान भी होता हो तो भी देश के नाम पर उन चीजों को बर्दाश्त करने के लिये लोगों को तैयार रहना चाहिये। आपको इन सब चीजों को सोचना है, समझना है। बहुत दिनों तक विदेशी शासन के अन्दर रहने की वजह से हमारे देश के बहुतेरे लोग अभी भी नहीं समझ पाते कि पहले और आज में कितना बड़ा अन्तर पड़ गया है। वह अब भी पुरानी ही रीति से चलते हैं; उसी तरह से काम करते हैं। अब तो सब को सोचना चाहिये कि भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश है और भारत का प्रत्येक बच्चा, स्त्री और पुरुष स्वतंत्र है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपनी स्वतंत्रता की मर्यादा को मानना चाहिये और देश के लिये त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हर एक स्त्री पुरुष से यह आशा की जाती है कि वह उसके लिये तैयार रहेगा। मैं आया तो हूँ भ्रम की स्थिति देखने के लिये साथ ही साथ मैं आपको यह भी



कहना चाहता हूँ कि आपको जो अधिकार मिला है उसे आप समझें और साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि अधिकार से अधिक अपने कर्तव्य को समझना ज़रूरी है। आपका क्या कर्तव्य है उस पर ध्यान देकर जितनी कठिनाइयाँ सामने आती हैं उन सब पर, सारे देश पर दृष्टि रखकर किसी एक सूबे, जाति या फिर्कें पर दृष्टि रखकर नहीं, विचार करना चाहिये और काम करना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि आसाम के सभी भाई और बहन अपना कर्तव्य अच्छी तरह से अदा करेंगे और सारे देश को लाभ पहुंचा देंगे।

जबसे मैं आया आपने बहुत ही प्रेम दिखलाया, आदर किया और मुझे बहुत ही सम्मान दिया उस सबके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

### कलकत्ता बार एसोशियेशन में अभिनन्दन

\*कलकत्ता बार एसोशियेशन तथा कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर में ३१ अक्टूबर १९५० को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, भवान न्यायाधीश, कलकत्ता बार एसोशियेशन के अध्यक्ष और सदस्य,

जब महामहिम श्री काटजू ने इस एसोशियेशन के सदस्यों की ओर से यह इच्छा मुझे व्यक्त की कि मैं यहाँ आऊँ और इस दौरे में उन सदस्यों से मिलूँ तो मुझे निश्चय करने में पाँच मिनट भी न लगे। मैंने यह समझा कि बार एसोशियेशन में एक बार फिर जाकर मैं केवल अपना ही कर्तव्य पूरा न करूँगा वरन् पुराने मित्रों मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीशों से, जिन में से एक मेरे पुराने मित्र हैं, भी मिलूँगा और ऐसे अनेक मित्रों से परिचित हो जाऊँगा जो उस समय यहाँ नहीं थे, जब मैंने यह बार छोड़ा था। इस हाल में घुसने के तुरन्त बाद से ही मैं आखे चौड़ाकर चारों ओर चेहरों को देख रहा हूँ जिससे कि पुराने दोस्तों को देख पाऊँ। मैं कुछ चेहरों को तो पहचान सका किन्तु उन दिनों से अब चेहरे बदल गये हैं। मैं अपना चेहरा तो देख पाता नहीं इसलिये मुझे यह पता नहीं कि मेरा चेहरा भी बदल गया है या नहीं। अगर मैं काफी चेहरों को नहीं पहचान पाया हूँ तो इसमें मेरा दोष नहीं है। यह दोष उन चेहरों का है।

आपने कृपा करके मुझे उन पुराने सुखद दिनों की स्मृति करायी जो पेशे के छोटे वकील के नाते इस अदालत में वकालत करते हुए मैं ने यहाँ बिताये थे। और इसी हाल में जहाँ बड़े बड़े महारथी बैठते थे मैं भी बैठा करता था। और एक कोने में कनिष्ठ वकील के नाते बैठा करता था। आपने मुझे उन्हीं दिनों की ही याद नहीं दिलायी जो इस अदालत में वकालत करते हुए मैं ने यहाँ बिताये थे बल्कि उनसे पहले उन दिनों की याद भी दिलायी है जो मैं ने इस शहर में बिताये थे, जो मैंने एडेन हिन्दू होस्टेल में बिताये थे, जो मैं ने कलकत्ता प्रेसीडेन्सी कालेज में बिताये थे और जो मैंने उन अनेक दोस्तों के साथ बिताये थे जिनकी याद मुझे आज आती है किन्तु जो आज संसार में नहीं हैं और

जिन में मे अनेकों का हाल के दिनों में अवर्णनीय यातनाएँ सहनी पड़ी हैं और हो सकता है कि जिन में से यहां भी कुछ हों जिन्हें मैं इन समय पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि कलकत्ते की प्रेसीडेन्सी कालेज की हिन्दू होस्टेल की, कलकत्ता हाईकोर्ट की, अनेक मित्रों की और विशेषतया बंगाली भाषा भाषियों की मेरे जीवन में भारी देन है; मैं उस ऋण को कभी नहीं चुका सकता जो उनका मेरे सर पर है। यदि मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं देश की थोड़ी सेवा कर सका तो मैं आसे यह कह सकता हूँ और जो लोग मुझे उन दिनों से जानते हैं उनसे यह बात छिपी भी नहीं है और जिनमें से मैं कुछ को यहां देख भी रहा हूँ कि उन सब की प्रेरणा मुझे यही से मिली थी। उन दिनों के नेताओं ने ही मुझे वह सारी प्रेरणा दी थी और यदि मैं इस हाईकोर्ट में पांच वर्ष और पटना हाईकोर्ट में चार पांच वर्ष काम करता रहा तो मैं समझता हूँ कि अपनी ही चालों से और अपनी ही मानसिक दुर्बलता से मैं देश सेवा के उस दिन को दूर करता रहा। उस प्रेरणा से तो मुझे उस क्षेत्र में पहले ही चला जाना चाहिये था जिसमें कि मैं बाद को गया। यदि परमात्मा ने अपनी प्रसन्नता से हमारे देश को स्वतन्त्रता प्रदान की है और यदि परमात्मा के अनुग्रह से मैं इस उच्च आसन पर आसीन हो जास्तव में ही अत्यन्त उच्चासन है तो मैं उन्ही पुराने दिनों की याद करके परमात्मा का और उन मित्रों का धन्यवाद करता हूँ जिनसे मैं ने सब कुछ पाया है।

आपने वकीलों, कानून और न्यायाधीशों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं। मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि उस प्रश्न के बारे में कुछ कहूं जिस पर वह समिति विचार कर रही है जिसके मुख्य-न्यायाधिपति अध्यक्ष है। जो कुछ मैं कह सकता हूँ वह केवल इतना ही है कि संविधान के बनाने में उन लोगों का, जो इस काम में लगे हुए थे, अपने सापने केवल एक ही उद्देश्य था और वह यह था कि किस प्रकार इस देश को ऐसा महान् प्रजातन्त्रात्मक देश बनाया जाये जहां हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और आचरण करने का, हरेक को अपने धन्धा करने का, हरेक को अपने अपने जीवन की रुचि के पालन करने का तथा अपने विचारों के अनुसार तथा अपनी योग्यता के अनुकूल अपने विकास करने का मौका हो। और इस संविधान के बनाने में हमने वे मौलिक अधिकार बना दिये हैं जिनके संबन्ध में प्रश्न वदार्कदा न्यायालयों के सामने आते रहते हैं और जिनसे माननीय न्यायाधीशों को ऐसे मौके मिलते हैं कि वे उस सरकार के काम को, जिसका में अधिपति माना जाता हूँ, रद्द कर दे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आपका यह काम बुरा नहीं लगता। हमारा यह उद्देश्य था और इस बात को बतल कर मैं कोई भेद नहीं खोल रहा हूँ कि संविधानसभा के सदस्य उन दो तीन वर्षों में जिनमें कि संविधान बनाने में वे लगे हुए थे, इसी भावना से प्रेरित थे कि हमें न्यायलयों को यथा संभव स्वतन्त्र बनाना चाहिये और हमें न्यायपालिका को व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में ही नहीं वरन् राज्य और व्यक्ति के बीच में और इससे भी अधिक कार्यपालिका और विधानसभा के बीच में अन्तिम निर्णय देने वाला पंच बनाना चाहिये।

मुझे आशा है कि आरम्भ में चाहे कितनी ही असुविधा का हमें सामना क्यों न करना पड़े और वह इस लिये क्योंकि यह सब संविधान हमारी परिस्थितियों के लिये सर्वथा नवीन है हम कालक्रम में ऐसे संविधान का विकास करने में सफल हो गये होंगे जो है तो लिखित संविधान पर आदृत किन्तु जो युग की परीक्षा में भी पूर्णतया सफल है और आगामी पीढ़ियों के लोग जिसके प्रति गर्व का अनुभव कर सकते हों। हमारे देश के सांविधानिक इतिहास के विकास में आप वार के मेम्बरों का भी अपना भाग है। ठीक है कि बहुत सी बातों में माननीय न्यायाधीशों का निर्णायक मत होता है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि न्यायाधीश और वकील उस गरिमापूर्ण परम्परा को बनाये रखेंगे जो सैकड़ों वर्षों में बन पायी है और इस न्यायालय की तो विशेषतया अपनी ऐसी परम्परा है जिस पर हम सज्ज गर्व कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में भी यह न्यायालय वैसा ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता रहेगा जैसा कि भूतकाल में न्यायपालिका की उच्चतम परम्परा और मधुरतम सम्बन्धों को बनाये रख कर—ऐसी परम्परा और संबन्धों को जिनकी बात हम सोच सकते हैं और जो संसार में कहीं भी अन्यत्र पायी जा सकती है—इसने भूतकाल में अदा किया था।

मैं इसे बहुत पसन्द करता यदि वैयक्तिक रूप से मित्रों से मिलने का मेरे पास और अधिक समय होता किन्तु दुर्भाग्यवश मेरे पास समय नहीं है। कार्यक्रम इतना भरा हुआ बनाया गया है कि किनी मित्र से मिलने के लिये उसमें से मुश्किल से एक मिनट भी नहीं मिल सकती है। अतः इस प्रकार सामूहिक मिलन से ही मुझे संतुष्ट हो जाना पड़ता है और वैयक्तिक मिलन की बात तो मन से निकाल देनी पड़ती है। और इन दिनों में जब हम अनेक सामूहिक चीजों की बात सुनते हैं जैसा कि सामूहिक पैदावार, सामूहिक धर्मपरिवर्तन, सामूहिक प्रवर्जन तो मुझे भी इस प्रकार के सामूहिक मिलने से ही संतोष कर लेना चाहिये। मैं आप लोगों को उस प्रेम के लिये धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे प्रति प्रकट किया है और मैं यह प्रार्थना करूँगा कि मैं आपके प्रेम का उचित पात्र उसी तरह बना रहूँ जिस तरह कि मैं भूतकाल में था।

### कलकत्ता मैदान में सार्वजनिक सभा

कलकत्ता मैदान में तारीख ३१-१०-५० को आम सभा में राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा—

महामहिम गवर्नर साहब, प्रधान मन्त्री जी, बहनो और भाइयो,

मैं जब से कलकत्ता पहुँचा उस समय से इस वक्त तक जितना प्रेम और आदर आप सब भाई बहनों ने दिखलाया उसे देख कर और सुनकर मेरा हृदय बहुत ही घबड़ा सा जाता है। घबड़ाता है इसलिये कि इस आदर के साथ साथ आपके दिल में एक प्रकार की आशा भी होगी और आप सोचते होंगे कि मैं कोई ऐसा

आदमी हूँ कि जो आज सारे देश की स्थिति है उसे अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में ठीक कर दूँ। मैं जब से इधर आया हूँ मुझे उन दिनों की याद आती है जो मैंने अपने बचपन में आप के इस नगर में यहाँ आप भाई और बहनों के बीच में बिताये थे। कोई दो दिन चार दिन नहीं, कोई दो महीने चार महीने नहीं, अपने जीवन के १८ वर्ष से अधिक इती शहर में और भाई और बहनों के बीच मैंने बिताये थे और वे वर्ष ऐसे थे जिस सभ्य यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता था। अगर कोई सीखना चाहता तो बहुत कुछ सीख सकता था। मैंने बहुत थोड़ा ही सीखा मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आनी ओर से कलकत्ते के लोगों ने और बंगाल के लोगों ने उन चीजों को मुझे देने में कोई बात उठा नहीं रखी। अगर मैंने ग्रहण नहीं किया तो वह उनका दोष नहीं, बल्कि मेरी अपनी कमजोरी और दुर्बलता ही उसका कारण है। जो कुछ मैंने यहाँ से जाकर किया, जिस काम में लगा उसकी प्रेरणा पहले पहले आपके ही इस शहर में मुझे मिली और वह ऐसे समय में जो भारत के इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। यहाँ जिस समय बंग विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हुआ और स्वदेशी का काम जारी हुआ उस समय मैं विद्यार्थी अवस्था में आपके इस शहर में था। उस समय बहुत थोड़े ही लोग ऐसे होंगे जो उस समय की लहर में बह नहीं गये हों जो उस उमंग में अपने को खो नहीं गये हों। मैं इतना मानता हूँ कि मैंने अपने को खो नहीं दिया। मुझ में इतनी ताकत उस वक्त नहीं थी कि मैं अपने को खो देता। मगर जो बीज उस समय बोया गया वहीं पीछे जाकर अंकुरित हुआ और फँला और जब महात्मा जी ने अपना काम आरम्भ किया तो मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न किया।

मुझे कलकत्ता छोड़े ३४ वर्ष हो गये। इन ३४ वर्षों में भारत का इतिहास कितना बदल गया है यह आप सब को विदित है। आप जानते हैं कि देश में कितनी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। एक तरफ तो देश ने स्वतन्त्रता पायी है और हमारे अपने हाथों में अधिकार आ गये हैं, और दूसरी तरफ हमारे सर पर मानों विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा है। हम ने स्वतन्त्रता पायी मगर उसके साथ साथ हमारे लाखों लाख भाई और बहनों को अपना सब कुछ छोड़कर, अपना धन सम्पत्ति छोड़कर, मजबूर होकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। उनको फिर से बसाने का इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि हम इसको आज तक हल नहीं कर पाये हैं। इन भाइयों ने बहुत विपत्ति सहकर बड़े धीरज के साथ इतने दिन बिताये हैं। हमारी प्रांतीय और केन्द्रीय दोनों गवर्नमेंटों ने अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया और कर रही है और उन्होंने बहुत कुछ किया है। पर तो भी जितना इतजाम होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। पर मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने और दूसरे भाइयों और बहनों ने और दूसरी सेवा करनेवाली संस्थाओं ने उन लोगों के लिए किसी बात की कमी नहीं की है। उनसे जितना हो सकता है, जितनी शक्ति उनमें है सारी ताकत

लगाकर वे इन पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न इतना बड़ा है कि इसको तुरंत तय नहीं किया जा सकता है और इसलिये इसमें समय लग रहा है। इस प्रश्न को हम अभी हल नहीं कर पाये थे कि दूसरी तरफ से और लोग भी आने लगे और यह प्रश्न और भी टेढ़ा हो गया और उसका विस्तार और भी बढ़ गया। यह संतोष की बात है कि जब से हमारा समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ तब से स्थिति कुछ बदली है, कुछ सुधरी है और जहाँ हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग आ रहे थे वहाँ उनकी तादाद में कमी हुई है। यह संतोष की बात है और आशा की जाती है कि जनता का सहयोग मिलता जायेगा तो स्थिति और अधिक सुधरेगी और यदि हमारे वे भाई बहन, जो यहाँ आ गये हैं, वापस जाना चाहे तो उन के लिये वापस जाना आसान हो जायेगा और जो रह गये हैं उनको फिर मजबूर होकर यहाँ आने की ज़रूरत न पड़ेगी। जो आ गये हैं वह हमारे सिर पर है। उनको किसी न किसी तरह से बसाना हमारा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि इस कर्तव्य को पालन करने में प्रांतीय और केन्द्रीय दोनों हमारी गवर्नमेन्ट किसी बात की कसर नहीं कर रही हैं। इसलिए मैं उन भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस धीरज के साथ आज तक उन्होंने इस विपत्ति का मुकाबला किया है उस धीरज को वे कायम रखे और इस बात का ध्यान रखे कि सारे देश के लोग उनको अपना समझते हैं, उनको अपना मानते हैं, अपने में और उनमें कोई फर्क नहीं मानते हैं और देश के लोगो की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारा यह काम है कि उनके लिये जो कुछ हम कर सकें जल्द करे। पर आदमी को यह विचार करना पड़ता है कि दूसरे की सहायता से उनकी कहां तक सहायता हो सकती है और गनुष्य को अन्त में अपने लिये अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है। आज जो लाखों लाख आदमी आ गये हैं उनकी गवर्नमेन्ट भी कहा तक सहायता कर सकती है जब तक जिन पर विपत्ति आगयी है वे अपनी ओर से धीरज और हिम्मत के साथ इस काम में पूरी तरह से न लग जाये। मैं जानता हूँ कि बंगाल के लोगों में शक्ति है और बंगाल के लोगों पर इस वक़्त जो विपत्ति है और उनकी जो अग्नि परीक्षा हो रही है उससे वे अच्छी तरह से निकलेगे और फिर भी देश जन पर भरोसा कर सकेगा। आप जानते हैं कि इस समय देश पर केवल एक विपत्ति ही नहीं है। न मालूम क्यों प्रकृति का प्रकोप आज हमारे ऊपर काफी आ गया है। इस वर्ष में जब वर्षा काल आरम्भ हुआ तो शुरु में कहीं कहीं इतनी वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप बाढ़ आयी और फसल बर्बाद हो गयी। बीच बीच में भी जहाँ तहाँ बाढ़ आती रही और बर्बादी होती रही। फिर आसाम में इतना बड़ा भयंकर भूकम्प आया कि उससे बहुत ही नुकसान हुआ और वह अभी मुझे जब मैं आसाम गया था तो देखने को मिला। वहाँ जो भूकम्प हुआ उसकी वजह से पहाड़ों ने टूट टूट कर नदियों का बहाव रोक दिया और इस वजह से बाढ़ का बहुत ही प्रकोप हुआ और अभी भी हो रहा है। इस विपत्ति का मुकाबला करने को हम तैयार

हो ही रहे थे कि फिर बहुत जगहों में सूखा पड़ गया। सूखा इतना पड़ा कि बिहार प्रान्त और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की जिनकी जानकारी मुझे है सभी जगहों में धान की फसल जो वहां की प्रधान फसल है बिल्कुल बर्बाद हो गयी। इस तरह से विपत्ति पर विपत्ति आ रही है और उस का फल यह हो रहा है कि देश आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। कहां तो हमारी गवर्नमेंट यह चाहती थी कि विदेशों से जो हमें करोड़ों रुपये का अन्न मंगाना पड़ता है और उससे जो हमारा नुकसान हो रहा है उस को रोकना चाहिये और इसमें गवर्नमेंट को कुछ सफलता भी मिल रही थी और कहां प्रकृति का प्रकोप इधर ऐसा हुआ कि हमारी सारी कोशिश विफल हुई और अब विदेशों से जितना अन्न हम मंगाना चाहते थे उससे कहीं अधिक मंगाना पड़ेगा। सिर्फ विदेशों से अन्न मंगाने की बात रहती तो वह कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर सिर्फ दाम देने से सामान मिल जाता और यहां जल्द से जल्द पहुंच जाता तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर अगर हम को अन्न बाहर से मंगाना पड़ा तो इसमें बहुत समय लगेगा और इस वक्त बहुत जगहों में जिन में बंगाल भी शरीक है अन्न की इतनी कमी हो गई है कि वहां जल्द से जल्द अन्न पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। जो कुछ गवर्नमेंट में शक्ति है वह कर रही है और जहां जहां कमी है अन्न पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात का विश्वास रखें कि यहां अगर अन्न का कष्ट आयेगा तो भारत सरकार से जो कुछ बन सकता है उसे करने में वह कसर नहीं करेगी। जहां जहां अन्न की जरूरत है सभी जगहों में भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है और होता रहेगा। मगर हमारे सामने अन्न जो कष्ट है उससे घबड़ाने की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश के अन्दर अब भी कुछ अनाज है और जरूरत के अनुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयत्न हो रहा है। इस लिये घबड़ाने की बात नहीं है। इस वक्त जरूरत है सभी के साथ काम करने की और अगर गवर्नमेंट और जनता दोनों ने मिल कर इस का मुकाबला किया तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भी हम सफल होंगे।

हम स्वराज मिले तीन वर्ष हो गये। ये तीन वर्ष कितने कठिन गुजरे हैं। इसे शायद बहुत लोग नहीं समझते हैं। जब किसी स्त्री को प्रसव होता है तो प्रसव के समय तो पीड़ा होती ही है उन के बाद भी कुछ दिनों तक होती रहती है। जब देश में स्वराज पैदा हुआ तो प्रसव की पीड़ा होना स्वाभाविक था। वह पीड़ा खतम नहीं हुई बल्कि और अधिक हो रही है और उसके साथ साथ किसने ही प्रश्न हमारे सामने आये हैं। फिर भी हम ने किसी न किसी तरह उन को हल करने का प्रयत्न किया। जो लोग इस चीज को जानते हैं जो इस की खबर रखते हैं वे तो इससे समझते हैं कि हमने कितना काम किया है। देश ने जिस तरह इन आपत्तियों का मुकाबला किया है वह हमारे

लिये एक बड़ी चीज है। इस से यह जाहिर होता है कि हमारे लोगों में उत्साह और बल है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज को आगे भी कायम रखेंगे।

अभी हम को बहुत कुछ करना है। जो स्वराज का स्वप्न हम देखा करते थे वह स्वप्न अभी पूरा नहीं हुआ है। देश के अन्दर गरीबी है, देश के अन्दर बीमारी है, देश में अशिक्षा है। बहुत सी चीजे अभी चल रही हैं जिन को हमें दूर करना है। ऐसे काम एक दिन में नहीं हो सकते, एक हफ्ते में नहीं हो सकते। ७ वर्ष भी ऐसे कामों के लिये बहुत कम है। फिर काम करने का तरीका भी हमारा कुछ दूसरा है। हम लोग काम करना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब यह नहीं कि हम देर लगाना चाहते हैं। आहिस्ता के माने यही है कि जो हमारा कदम उठे वह ठीक जगह पर पड़े। हम कोई ऐसा काम न करें कि फिर हम को उसे बदलना पड़े। काम को इस तरह से चलाना चाहिये जिस में हम बढ़ते ही जायें। आज केवल हमारे ही सामने नहीं बल्कि सारे संसार के सामने हजारों तरह की कठिनाइयाँ हैं। महात्माजी ने जो हमको रास्ता बतलाया है हम को उसे चरम अवस्था तक पहुँचाना है और तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जिन को चाहे मन्त्री मुकरर कर सकते हैं। मगर आप को देखना है कि क्या वे आपके काम को पूरा कर सकेंगे; आपके स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। ऐसे लोगों में त्याग की जरूरत है और सच पूछिये तो इस वक्त त्याग से अधिक परिश्रम की जरूरत है और जरूरत है इस चीज की कि हमारे सब भाई इस देश को, सारे देश को अपना समझें और जहाँ जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई चलाती हो उन सब को भूट कर सारे देश की सेवा, सारे देश की भलाई को सामने रखकर काम करे।

हमारा नया संविधान बन गया है और चन्द महीनों के बाद चुनाव होगा। उस चुनाव में देश के सभी स्त्री और पुरुषों को जिन की अवस्था २१ साल की है वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। यह एक इतना बड़ा काम है इतना बड़ा चुनाव है कि आज तक संसार के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। वह चुनाव अब से चन्द महीनों के बाद होगा। इस चुनाव में जनता की परीक्षा है और सब लोग देखेंगे कि जनता किस तरह के लोगों को चुन कर भेजती है। अगर आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जिन पर आप का भरोसा है, जिन में त्याग हो, शक्ति हो, जिनमें अधिक ईमानदारी ही सच्चाई हो और चरित्र हो तो ऐसे लोग आप की सेवा करेंगे देश की भलाई की बात सोचेंगे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक इस बात का ख्याल रखे कि वह जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे उन में ये बातें हों और वे सोचें कि देश की और संसार की किस चीज में भलाई है किस तरीके से वे आप की सेवा कर सकते हैं। अगर ऐसा सोच कर वे काम करेंगे तो हमारे लोगों की भलाई होगी और संसार की भी भलाई होगी।

आज संसार में लड़ाई की धूम मच रही है। अभी अभी तिब्बत में लड़ाई जारी हो गयी है। और कहीं कहीं लड़ाई हो भी रही है। इन चीजों से हम बचना चाहते हैं, अपने को अलग रखना चाहते हैं। महात्माजी ने शिक्षा दी और कार्य रूप में करके दिखाई कि लड़ाई के बिना ही हम सब कुछ कर सकते हैं। भारत सरकार वही करना चाहती है। इसमें आप भारत सरकार की मदद कर सकते हैं और यदि आप महात्माजी के रास्ते पर चलकर अपना काम करें तो संसार में हमारी बात चल सकती है। मेरा आप से यही निवेदन है कि आप धीरज के साथ हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ देश के सामने जो प्रश्न हैं उन पर विचार करे और सारे देश को अपने सामने रखकर जो कुछ निश्चय करना ही आप करें। इस में ही देश का भला होगा।

आपने जिस आदर और प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया उस के लिये मैं आप सब को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। धन्यवाद नहीं दे सकता। अगर मुझे आप को धन्यवाद देना है तो अपनी सारी जिन्दगी के लिये धन्यवाद देना है। अगर मैंने देश की कुछ सेवा की है और अगर आगे करने की मुझ में कुछ शक्ति है तो उसे बनाने का श्रेय आपको ही है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

### चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स

चिनरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के नामकरण महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने ता० १-११-१९५० को अपने भाषण में कहा—

बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस नये कारखाने में आऊँ और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखूँ। अभी जैसा मेरे भाई श्री संधानम ने बतलाया इन्जिन बनाने का काम इस मूलक में बहुत दिनों से जारी नहीं था। बहुत दिनों तक इस पर विचार होता रहा और यद्यपि जब तब काफी तादाद में इन्जिन तैयार किये गये पर तो भी सिलसिलेवार काम आज अब पूरा होने वाला है और कई वर्ष के परिश्रम के बाद अब यह तय पाया है कि इस देश में अपनी जरूरत के इन्जिन अब बनने लग जायेंगे। जिस मूलक में करीब करीब ४० हजार मील रेलवे हो और जहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती हों यदि उन को दूसरे देशों पर इन्जिन के लिये भरोसा करना पड़े तो इससे बढ़कर उसके लिये और कोई दुख का विषय नहीं हो सकता है। बहुत कम समय में यहाँ इन्जिन तैयार करने का प्रबन्ध करने का यह फैसला हमारी गवर्नमेंट ने किया। एक दो वर्ष के अन्दर जिन भाई बहनों ने मिल कर यहाँ काम किया है जितने इन्जीनियर्स और कन्ट्रैक्टर्स लोगों ने काम किया और खास करके जिन विदेशी लोगों ने काम



किया है और वहाँ की कम्पनी की तरफ से आकर हमारी मदद की है उन सब को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

मैं जब से यहाँ आया हूँ गाड़ी पर चढ़कर यह देखा है कि किस तरह से शहर को बसाया जा रहा है । मैं मानता हूँ कि यहाँ सिर्फ एक कारखाना ही नहीं बन रहा है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ एक सुन्दर और अच्छा शहर भी बन जायेगा और हमारी ओर जगहों के लिये जहाँ जहाँ बड़े कारखाने बनने वाले हैं एक नमूना पेश करेगा । मैं ने देखा है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सिन्दरी का बड़ा कारखाना बना है । वहाँ भी इसी तरीके से शहर बसाने का प्रबन्ध किया गया है । जब गवर्नमेन्ट अपने हाथ में कोई बड़ा कारखाना लेती है तो वह दोनों चीजों पर खास करके ध्यान देती है । मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट के अलावा दूसरे लोग भी जब बड़े बड़े कारखाने बनावे कारखाने के अलावा जो लोग वहाँ काम करने वाले हैं उनके रहन-सहन के लिये बँसा ही शहर बसाने का प्रयत्न करे जैसा गवर्नमेन्ट की ओर से बड़े कारखाने में काम करने वालों के लिये किया जा रहा है । अभी भाई संथानम ने बताया है कि करीब आधा खर्च कारखाने पर पड़ा है और आधा खर्च इस शहर बसाने में पड़ा है । मेरी समझ में इस खर्च को अलग खर्च नहीं मानना चाहिये और इस खर्च को भी कारखाने के खर्च का हिस्सा ही मानना चाहिये क्योंकि अगर गवर्नमेन्ट सिर्फ कल पुर्जा रख दे तो उस से कारखाना चलता नहीं और उन कल पुर्जों को चलाने के लिये काम करने वाले आदमियों की आवश्यकता होती है और जब तक काम करने वाले आदमी की जरूरत पूरी न हो और वह अच्छी तरह से रहकर दिल लगा कर काम न करे तब तक केवल कल पुर्जे से काम नहीं चलता । इसलिये काम करने वालों के मुख सुविधा पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कारखाना बनाना जरूरी है । इसलिये मैं समझता हूँ कि यद्यपि गवर्नमेन्ट को काफी खर्च करना पड़ा है पर वह खर्च जरूरी था । क्योंकि दोनों चीजों पर ध्यान देना जरूरी है अर्थात् कल पुर्जों को ठीक से रखना और कल पुर्जों के चलाने वाले आदमियों को ठीक से रखना और आराम से रखना । मैं ने कुछ मकानों के अन्दर जा कर देखा है और उस से मालूम हुआ कि उसमें आराम से लोग रह सकेंगे । यह जगह आप को बहुत अच्छी मिल् रही है जहाँ न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी और जहाँ की हवा अच्छी है और जल भी अच्छा है । मुझे इस इलाके का पहले का भी अनुभव है । यहाँ खाना पचता है और यहाँ की जलवायु अच्छी है । इस स्थान को चुन कर आप ने अच्छा ही किया । लेकिन कारखाने के चालू होने से आप पर बड़ी जवाबदेही भी आ जायेगी क्योंकि यह कारखाना बड़े महत्व का होगा । अभी बताया गया कि इस कारखाने को पूरी तरह से काम करने में अभी तीन चार वर्ष लग जायेंगे । इस बीच में इसका काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जायेगा और जो चीजें अभी बाहर से मंगायी जाती हैं उन का बाहर से आना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जायेगा और चार वर्ष के बाद मैं समझता हूँ कि इसे किसी चीज को बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी और जो चीजें यहाँ बनेंगी उन्हीं से इस का काम चल जायेगा । चार वर्ष के बाद जब

बह कारखाना पूरी तरह से काम करने लगेगा तो १२० बड़े इन्जिन और उसके साथ साथ ६० बायलर भी यहां तैयार हो सकेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि हमारे देश में कितने नये इन्जिनों की हर साल जरूरत पड़ती है। पर मैं आशा करता हूँ कि जब यह कारखाना काम करना शुरू कर देगा तब एक भी इन्जिन बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताया गया है कि यह कारखाना बड़े इन्जिन तैयार करेगा। और एक दूसरा कारखाना छोटी लाइनों के लिये इन्जिन तैयार करेगा। जब दोनों कारखाने काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे यहां बड़ी और छोटी दोनों लाइनों के लिए इन्जिन तैयार होने लगेंगे और हमें दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। मैं भरोसा करता हूँ कि अभी जो बाहर से इन्जिन मंगाये गये हैं उन्हें आप उस वक्त तक चलाते जायेंगे जब तक यहां के कारखाने काम करना शुरू न कर दे और नये इन्जिन तैयार न होने लग जायें। इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है लड़ाई के जमाने में हमने अनुभव किया और लड़ाई के समय से ज्यादा लड़ाई जीत जाने के बाद अनुभव किया कि हमारी रेलों की हालत कैसी खराब हो गई। यद्यपि आज लड़ाई को खत्म हुए पांच वर्ष हो गये तो भी लड़ाई खत्म होने के बाद तीन वर्ष तक हालत इतनी बुरी रही कि रेल से चलना एक तरह से जोखिम का काम था और जो लोग रेल पर चढ़ते भी थे तो उनको यह शक बना रहता था कि जहां वे जाना चाहते थे वहां वे पहुंच सकेंगे या नहीं और पहुंचेंगे तो कितनी देर के बाद। यह हालत जैसे जैसे बाहर से इन्जिन आये बदली है और दूसरी तरह से भी हालत सुधरी है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसके लिये श्री गोपालस्वामी आर्यंगर और श्री संधानम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने रेलवे का इन्तजाम ऐसा कर लिया है कि अब लोग गाड़ी पर चढ़ते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि ठीक समय पर जहां उनको जाना है वहां पहुंच जायेंगे। लेकिन यह कैसे हुआ ? बाहर से जब यह इन्जिन लाये गये तब यह हुआ। फिर अगर बाहर से इन्जिन मंगाना बन्द होगा तो वही हालत होगी। इसलिये यह कारखाना देश के लिए एक ऐसी चीज तैयार करेगा जो हमारे लिये काफी काम की होगी और उस के लिये हम को विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसलिये इस कारखाने का बहुत ही महत्व है। यहां तैयार किये हुए पहले इन्जिन को चलाने का काम, जैसे कि मैंनेजर ने बतलाया, मेरे जिम्मे देना चाहते हैं। इन्जिन चलाना तो मैं जानता नहीं। मुझे किसी कल पुर्जे से कभी ताल्लुक रहा नहीं। इसलिये मैं ने उन से कहा कि क्या मेरे जैसे आदमी से जिसने कभी किसी कल पुर्जे के सम्बन्ध में कुछ जाना नहीं इन्जिन चलेगा ? उन्होंने कहा कि चाहे मैं कुछ भी हींज पर इन्जिन ठीक से मेरे चलाने से चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि यह काम जो आप आज शुरू कर रहे हैं दिन प्रति दिन बढ़ेगा और देश की उन्नति में सहायक होगा और आप इन्जिन तथा दूसरी चीजों को जिनकी हमें अभी जरूरत है और जिनकी जरूरत और भी बढ़ेगी यहां तैयार कर सकेंगे। आप यह न समझें कि ५० हजार मील रेल की लाइन काफी है। जैसे जैसे देश उन्नति करेगा इस देश के अन्दर और भी लाइनें बढ़ेंगी तो हमारे सामने यह बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है जो देश की उन्नति में मदद करनेवाला

है और उस काम के लिये जो पहला कारखाना शुरू हुआ; है उसके लिये मैं रेलवे मिनिस्ट्री को और आप सब को धन्यवाद देता हूँ और खासकर उन सब भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इस काम को इतनी खूबी के साथ जल्द पूरा किया है। मैं आप सब भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ।

मेरे लिये यह सौभाग्य और गौरव की बात है कि मैं इस कारखाने का नाम देशबन्धु चित्तरंजन दास के साथ जोड़ता हूँ। आप सब जानते हैं कि देशबन्धु दास ने देश के लिये क्या किया। जो कुछ भी उन्होंने देश के लिये किया वह सिर्फ आज ही नहीं हमेशा इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। इस कारखाने का नाम उनके नाम पर रखकर हमने देशबन्धु के प्रति केवल अपना आदर प्रकट किया है। उन्होंने जो काम किये वे उनकी स्मृतियों को कायम रखेंगे और उनकी स्मृतियाँ भारत के इतिहास में कायम रहेगी। मैं अपना सौभाग्य और गौरव मानता हूँ कि आप ने मुझे यह सुअवसर दिया और मैं इसका नाम चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

### वैद्यों द्वारा अभिनन्दन

आयुर्वेदीय वैद्यों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में ता० ७ अक्टूबर को राष्ट्रपति जी ने कहा—

आयुर्वेद के आचार्य महाशय,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब से मिलने का मुझे यह मौका मिला। आयुर्वेद के साथ मेरी दिलचस्पी रही है यह आप जानते हैं और इसलिये मैं समझता हूँ कि यह कृपा आपने मेरे ऊपर दिखलायी है और मानपत्र भी आपने दिया है और एक कलश भी आपने दिया जो सद्भावना का चिह्न है। आयुर्वेद आज भी भारतवर्ष में बहुत लोगों की सेवा कर रहा है। चाहे दूसरी पद्धति को कितना भी प्रोत्साहित किया जाये अभी वे इतने लोगों तक नहीं पहुंच पायी हैं जितने लोगों तक आयुर्वेद पहुंच पाया है। यह स्वाभाविक है। हमारे देश में बहुत काल से आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली चली आ रही है। इसकी वृद्धि आज से नहीं अनन्त काल से होती रही है और इस से लोगों को लाभ मिला है। अभी भी आप के पास बहुत सी तैयार की हुई ऐसी औषधियाँ हैं जो किसी भी देश की तैयार की हुई औषधियों से मुकाबला कर सकती हैं।

मगर कई सौ वर्षों से आयुर्वेद एक प्रकार से एक स्थान में पहुंचकर बंश ही बैठ सा गया है, थकसा गया है और उससे आगे नहीं बढ़ पाया है। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि उन ऋषियों ने जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया कितना परिश्रम किया होगा, कितनी कोशिश की होगी कितना अनुभव प्राप्त करने के बाद उस को लिखा होगा तो मुझे यह और खटकता है कि इधर कई सौ वर्षों से

उल्लंघन कोई तरबकी नहीं हुई है। इसका यही कारण है कि जो आयुर्वेद के हामी हैं और जिन लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया है उन्होंने इसके प्रति न तो उतना परिश्रम दिखलाया है और न कोई खोज की है बल्कि वे एक प्रकार से रूढ़ि में बंध गये और रूढ़ि में बंध जाने के कारण जो ज्ञान पहले से चला आता है उतने ही ज्ञान से संतुष्ट हैं, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है। यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। किसी चीज को लेकर अगर देखा जाये तो कोई नहीं कह सकता है कि उस चीज के सम्बन्ध में सब कुछ जान लिया गया और कुछ जानना बाकी नहीं रहा। खास तौर से आयुर्वेद का विषय ऐसा है कि इसके ज्ञान की सीमा नहीं हो सकती है। अगर आज कोई नयी पद्धति आगे बढ़ जाती है तो इसका विशेष कारण यही है, कि वह अपने ज्ञान की सीमा नहीं मानती और नयी खोजों के द्वारा बढ़ती है। ठीक है आयुर्वेद आज तक जीवित रहा है। यह कहना भी आपका ठीक है कि इस को हर तरह से धक्का ही धक्का मिला है कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और तो भी यह जीवित रहा। क्योंकि इस में कोई ऐसा तत्व है जिसकी वजह से यह जीवित रह सका है। मगर केवल जीवित रहना काफी नहीं है, उस में वृद्धि होनी चाहिये। उसके लिये आप सब को आंख खोल कर दुनिया में क्या हो रहा है उसे देखना चाहिये। जो नये विचार, नये आविष्कार सारे संसार को चकित कर रहे हैं उनसे भी परिचित होना जरूरी है और उन्हें आप आयुर्वेद में कितनी हद तक अपना सकते हैं और उन से कितना लाभ उठा सकते हैं यह भी आपको देखना चाहिये। हमारे देश में केवल नाड़ी देख कर, केवल चेहरा देखकर याने जहां तक अपनी इन्द्रियों से देख सकते हैं समझ सकते हैं वैद्य लोग काम लिया करते हैं। अब बहुतेरे ऐसे यन्त्र बन गये हैं जिन यन्त्रों से आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देख सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से नहीं पहचानी जा सकती हैं वे इन यन्त्रों से पहचानी जा सकती हैं इन यन्त्रों का आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से आप उन से काम ले सकते हैं इसे भी सोचना चाहिये। केवल रोग निदान के लिये ही यन्त्र का काम नहीं है। पहले की चिकित्सा में भी हम ने देखा है कि बारीक से बारीक यन्त्र होते थे जो बाल को भी चीर सकते थे, एक बार नहीं कई बार चीर सकते थे। प्रत्यक्ष है कि वह बहुत सूक्ष्म रहे होंगे। हमारे देश में भी आयुर्वेद के लोग यन्त्रों से अनभिज्ञ नहीं थे। इधर लोग यन्त्रों से अनभिज्ञ हो गये हैं। इन यन्त्रों का उपयोग आयुर्वेद में भी होना चाहिये। इधर माइक्रासकीप नामक चीज देखने में आयी है। पहले इसकी जरूरत नहीं थी। अब जरूरत हो रही है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो नयी पद्धति है, जो नया विज्ञान है उस विज्ञान को अपने में मिलाना चाहिये और अपनी चीज की माप में उसे तोलना चाहिये। आजकल लोग कहा करते हैं कि आयुर्वेद वैज्ञानिक नहीं है, वह विज्ञान के तराजू पर तोला नहीं जा सकता। वह तो रूढ़ि पर चलता है। आजकल लोग सिर्फ पुस्तक का प्रमाण नहीं चाहते उसको रोग रुद्ध देखना चाहते हैं इन यन्त्रों के द्वारा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो इस युग में इन चीजों को भी आपको याद रखना है। ऐसा करने पर ही

आयुर्वेद को वह सम्मान मिल सकेगा जो पहले था। अगर इस तरह आपका ध्यान नहीं गया, रूढ़ि पर ही रह गया तो यद्यपि अभी तक उसके अन्दर जीवन है और वह कुछ दिनों तक कायम रह सकता है मगर इस तरह से वर्षों कायम न रह सकेगा। दूरदर्शिता इसी में है कि आप अपनी विद्या की खूबी को देखें, अभ्यास करें, और जो नयी चीज है उसको भी समझने की कोशिश करें। और दोनों को मिला कर देखें कि कहां किस में त्रुटि है और उस त्रुटि को पूरा करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि दोनों को मिलाकर देखा जाये तो आप को बहुत लाभ होगा। और अगर दूसरों में दूरदर्शिता होगी तो वे भी आपकी चीजों को समझेंगे और लाभ उठायेगे।

आपने बड़ी कृपा कर के इस तरह मेरा स्वागत किया, मान बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### काश्मीर विश्वविद्यालय का समावर्तन

तारीख १०-११-५० को काश्मीर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा—

जनाब चान्सलर साहब, प्रोचान्सलर साहब, बाइस चान्सलर साहब, सीनेट के मेम्बरान, यूनीवर्सिटी के तालिबइल्म, अभी जो डिग्री पाये है वे भाई और बहन तथा दूसरे भाइयो और बहनो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं इस मौके पर यहां हाज़िर हो सका। आपकी यूनीवर्सिटी एक नयी यूनीवर्सिटी है। इसने अभी दो ही साल बित्ताये है और इन दो वर्षों में जितनी तरक्की इसने की है उसका थोड़ा सा बयान अभी आपके सामने रखा गया है। आपकी यूनीवर्सिटी को यह फख्र है कि यह आज़ाद हिन्दुस्तान में पैदा हुई है और मैं यह भी मानता हूँ कि नयी यूनीवर्सिटी होने की वजह से इस को जितनी बातों की सहूलियत है उतनी जो पुरानी यूनीवर्सिटियां है उनको नहीं है। नयी यूनीवर्सिटी होने की वजह से पुरानी यूनीवर्सिटियों के जो पुराने ट्रेडिशन कायम हो गये है उन से यह महफूज़ है। इसको पूरा मौका मिल गया है कि आज़ाद हिन्दुस्तान के, नये आज़ाद काश्मीर के नक्शे को अपने सामने रखकर यह अपना कोर्स इस तरह से बनाये कि जो यहां से तालीम पाकर निकले वह मुल्क की खिदमत की और तमाम इन्सानों की खिदमत को अपने सामने रखे और अपने को उसके लिये तैयार करे। इसलिये मैं यह भी समझता हूँ कि आपका जो कोर्स आफ स्टडी बनेगा और जो आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है वह और जगहों से मुस्तलिफ़ होगा क्योंकि आप पुरानी लकीर पर नहीं चलने वाले हैं और आपको यह मोक़ा है कि आप अपने लिये और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के लिये भी नया रास्ता दिखला सकें और आपको दिखलाना चाहिये।

अभी जिन लोगों को डिग्रियां मिली हैं उनमें से एक को मैं ने देखा और जो आगे यूनीवर्सिटी का फ्रेस्ट है उसको भी मैं ने देखा। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई है। मालूम होता है कि उसमें आपने दो चीजों साथ साथ रखी हैं। एक तो वेदमन्त्र है— तमसो मा ज्योतिर्गमय—हम को अन्धकार से रोशनी में ले चलो और ठीक इसी अर्थ की कुरान शरीफ की एक आयत रखी है। यह एक नयी चीज इस माने में है कि हमारी यूनीवर्सिटियों में इस तरह की चीजे कम देखने में आती हैं और जहां तक मैंने देखा है हमारी यूनीवर्सिटियों में लैटिन या और किसी विदेशी भाषा से लेकर कुछ मोटो रख देते हैं पर यहां पर शायद ही आपने एक नया रास्ता दिखलाया है इस के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। वह सिर्फ इसलिये नहीं कि आप ने ऐसा मोटो रखा है। मैं तो चाहता हूं कि इस मोटो के मुताबिक आपके इस खूबसूरत इलाके के हर एक रहने वाले का जीवन उसी ढर्रे पर, उसी ढाँचे में ढके जिसमें जो आपस के मजहबी तकरकात इधर उधर सुनने में आते हैं वे एक बार भी न देखने में आयें। मेरी उम्मीद है कि जो यहां से पढ़कर निकलेगे वे अपने इस मोटो को सिर्फ अपने सामने ही नहीं रखेंगे बल्कि उसके मुताबिक हमेशा काम करते रहेंगे और उनके उदाहरण से प्रभावित होकर दूसरे वे लोग भी जो यूनीवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते हैं उसके मुताबिक काम करेंगे। मैं ने जो अर्ज किया उसका यही मजलब है कि आप बहुत बातों में पुरानी यूनीवर्सिटियों से आगे बढ़े हैं क्योंकि आप आजाद हिन्दुस्तान में पैदा हुए और आपको आजादी का एहसास करके अपना मकसद बनाना चाहिये। कोई भी मुल्क हो उसका दारमदार उसके बच्चे ही हुआ करते हैं। जो बड़े होते हैं वे तो अपना वक्त बहुत कुछ बिता चुके होते हैं और जो कुछ बाकी रहता है वह आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाता है। लेकिन बच्चों के सामने सारी दुनिया सारा जमाना रहता है और अगर ठीक तरह से तैयार होकर निकलें तो उनसे बहुत उम्मीदें रखी जा सकती हैं। मुझे आप सब भाई और बहनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई इसलिये कि यहां जो भाई अभी डिग्री दर्जे तक नहीं पहुंच पाये हैं और जो दूसरे लोग स्कूलों में हैं वे भी अच्छी तादाद में यहां हाज़िर हैं। उनके सामने भी वही एक मकसद हमको रखना है जो उन लोगों के सामने रखना है जो यूनीवर्सिटी डिग्री पाकर निकले हैं।

उनके सामने सारा मैदान खिदमत का पड़ा हुआ है। जिस को जिस चीज में दिलचस्पी हो उसे वह कर सकता है। इस बड़े मुल्क के अन्दर काम की कमी नहीं है काम करने वालों की कमी है। अगर कोई ऐसा है जिसको अदब से ज्यादा लगाव है या कला में दिलचस्पी है उसके लिये मैदान खुला है। वह अच्छी से अच्छी चीज लिख सकता है और दूसरों के तर्जुबों से या अपनी तरफ से नयी चीज बना सकता है सत्य का निर्माण कर सकता है। उसके लिये यह सुनहरी मौक़ा है। जिनका मिजाज विज्ञान की तरफ झुकता है उनके लिये भी काफी मैदान इस मुल्क में खाली पड़ा है। एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ने का उनको मौक़ा है। यह इलाक़ा निहायत खूबसूरत इलाक़ा है यह तो आप अच्छी

तरह से जानते ही हैं। मैं तो नहीं जानता हूँ। थोड़ा मैंने जो देखा है उससे मैंने कहा है जैसे पहले जो कोई आ गये हैं वे कह गये हैं। यहां की एक एक चीज को विज्ञान के सायन्स के नुक्ते नजर से आप को देखने का मौका है। आपको देखना है कि किस तरह से किस चीज की आप तरक्की कर सकते हैं और दूसरे को बता सकते हैं। जो काश्तकारी का काम यहां होता है उस काश्तकारी को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यूनीवर्सिटी के तालिबइल्मों से इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि जहां आज एक मन पैदा होता है वहां दो मन पैदा करने के मन-सूबे के साथ वे निकलें। अगर वे लोग ऐसा करेंगे तो आज मुल्क के अन्दर जो अन्न की कमी है वह कमी आसानी से दूर हो सकती है। उसी तरह से यहां की ज़मीन में अनेक चीजें पड़ी हैं, अनेक खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में यहां पड़े हैं। उनको निकालना वैज्ञानिक लोगों का काम है और इस के लिये अब काफ़ी मौका है। अब वे इस काम को कर सकते हैं। सब से बड़ी ज़रूरत तो इस चीज की है कि देश को खिदमत हर आदमी करे और हर आदमी को इसकी तरफ़ ध्यान देना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि जो लोग अब तैयार हो रहे हैं उनको यह ध्यान में रखना है कि देश के आज़ाद होने के बाद उन पर एक जवाबदेही आगयी है। जवाबदेही तो है लेकिन मुल्क की तरक्की के लिये हमें कोई मौका नहीं यह हम आज नहीं कह सकते। अब तरक्की करने की या नीचे गिरने की जवाबदेही हम पर ही है। अगर हमारा मुल्क बढ़ता है, किसी तरह से तरक्की करता है तो उसका श्रेय हम को ही मिलेगा और मिलना चाहिये। उसी तरह से अगर मुल्क गिरता है, पीछे जाता है, बिगड़ता है तो उसकी शिकायत उसका इल्जाम हमारे ही सर पर आयेगा; किसी दूसरे के सर पर नहीं जायेगा। इसलिये हम में से हर एक का और खास कर ऐसे नौजवानों का जो तालीम पा रहे हैं यह फ़र्ज़ है कि इस बात को समझें, इसकी अहमियत को महसूस करें और अपने को उस जवाबदेही को पुरा करने के लिये तैयार करें ताकि जब उनका वक्त आये तो वे अपने कामों से अपनी जिन्दगी से लोगों की खिदमत कर सकें और दिखा सकें कि उन्होंने जो तालीम पायी वह अच्छी तालीम है और उसकी वजह से वे देश की इतनी खिदमत कर सके।

आज कल काश्मीर का मसला हम लोगों के सामने है। इस सिलसिले में मैं यहां कुछ पिछली बात कह देना ठीक समझता हूँ। हम को आज़ादी तो मिली मगर उसके साथ साथ हमारे सर बहुत सी मुसीबतें भी आ पड़ीं। हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ लेकिन हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए। मुल्क तो बंटो पर उसके बंटने के साथ जो और अफसोसदेह बातें हुईं वे भी हुईं पर जब मैं यह सोचता हूँ कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ तो खानदान मूश्तर्क के बंटवारे की बात याद आती है। इस बात को ठीक तरह से आपके सामने रखने के लिये मैं एक मिसाल आपके

सामने रखता हूँ। मान लीजिये कि एक खानदान मुश्तर्का में ७ भाई हैं। सातों भाई कुछ दिनों तक मजे में एक साथ रहते हैं। उन में से दो भाई समझते हैं कि अलहदा हो जाने से वे आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे। उनमें से चार भाई समझते हैं कि उनका खयाल गलत है और मना करते हैं, समझाते हैं कि अलहदा होने से हम भी कमजोर हो जायेंगे और तुम भी कमजोर हो जाओगे और इसका नतीजा यह होगा कि हम दोनों कमजोर हो जायेंगे। लेकिन वे दो भाई इस बात को नामंजूर करते हैं। चार भाइयों ने कहा कि तुम अलहदा होना ही चाहते हो तो तुम्हारी खुशी है, अलहदा हो जाओ। दोनों अलहदा हो जाते हैं। अब जो एक भाई बच जाता है वह सोचता है कि मुझे किधर जाना चाहिये और किसके साथ रहने में मेरी भलाई है, दो भाइयों के साथ रहने में या चार भाइयों के साथ रहने में। वह सोच रहे थे कि इतने में दो भाई आये और उनके कमरे में जहाँ वह रहते थे घुसकर जो कुछ फरनीचर उन एक भाई का वहाँ था उस सब को उन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और उस भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम चार भाइयों के साथ तुम को नहीं जाने देंगे, अपने ही साथ ले जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मौका दो कि हम सोचें कि तुम्हारे साथ रहें या चार भाई के साथ रहें। मगर उन दो भाइयों ने मौका नहीं दिया। तब उस एक भाई ने अपने चार भाइयों से कहा कि हमारे साथ में दो भाई जबर्दस्ती करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। उन्होंने कहा ठीक है जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये तुम्हारी खुशी है कि तुम हम चार भाइयों के साथ रहो या दो भाइयों के साथ। और हमारे साथ रहना चाहते हो तो हम तुमको अपने साथ लेने के लिये तैयार हैं; अगर तुम्हारी इवाहिश उन दो भाइयों के साथ जाने की हो तो तुम्हारी खुशी तुम जा सकते हो। मगर इसका फ़ैसला तुम खुद करो, दूसरे न करें। पर उन दो भाइयों ने हाथ छोड़ा नहीं और अपनी तरफ़ खींचने की कोशिश में रहे। इधर चार भाइयों ने उन दो भाइयों से कहा कि वे उस एक भाई का हाथ छोड़ दें और आज्ञादी से उसे सोचने दें कि वह उन के साथ जायेगा या हमारे साथ आयेगा और आगे कहा कि इन्साफ़ यही है उसका हाथ छोड़ दो और फ़ैसला करने दो। लेकिन दो भाई राजी नहीं हुए। मेरी समझ में काश्मीर का झगड़ा इतना ही है। हम कहते हैं कि हाथ छोड़ दो। वे कहते हैं कि हाथ पकड़े रहेंगे और अपनी तरफ़ खींचते हैं और कहते हैं कि फ़ैसला करो। बस काश्मीर का यही झगड़ा चल रहा है। तालिबेइल्मों के अपने फ़र्ज हैं लेकिन यह काम तो बड़े लोगों का काम है। जो बड़े चार भाई हैं वे जबर्दस्ती आपके साथ नहीं होने देंगे। मगर यह काम आप बड़ों पर छोड़ दें। फ़ैसला करने का वक्त आयेगा तो शायद आपको हिस्सा लेना पड़े और उस समय यह सोचकर कि किस में मुल्क की भलाई है आप फ़ैसला करें। इस समय तो आप का काम अपने को तैयार करना है। इस तरह से तैयार करने का जिसमें आप काश्मीर की खिदमत कर सकें भारत की खिदमत कर सकें और सारे इन्सानों की खिदमत अपने ऊपर ले सकें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप तालिबेइल्म इस



जवाबदेही को समझें और उसके लिये अपने को तैयार कर। एक हो कर मुल्क की हिफाजत, मुल्क की खिदमत के लिये तैयार रहें। हिंसी भी मुल्क को अपने लिये सब से बड़ी जरूरत यही होती है कि वह अपनी आजादी को बचाये रखे महफूज रखे।

इसके अलावा एक और सवाल है। वह यह है कि आजादी के जमाने में मकान की, कपड़े की, बीमारी की सब से बड़ी मुसीबत तालीम न पाने की या और तरह की जो मुसीबतें हैं उनको दूर करने की हमें कोशिश करनी है। मुल्क की हिफाजत तो आप को करनी ही है पर इस के साथ साथ इस आजादी से जितना लाभ आप उठा सकते हैं वह भी आपको उठाना चाहिये। आपके भाइयों पर मुसीबतों का आतंक छाया हुआ है। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये अपने को लगा देना चाहिये। ऐसा किये बिना हमको आजादी का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इसे महसूस करें और अपने फ़र्ज को समझें और साथ साथ इस सारे मुल्क की खिदमत आप कैसे कर सकते हैं, लोगों की ग़रीबी कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी मुसीबत को दूर कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों के लिये अपने को तैयार करें। यह बहुत बड़ा काम आप के सामने है।

मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना मैं ने कहा है उसी पर आप ध्यान देंगे तो वह काफी होगा। हम चाहते हैं कि हम लोग सब के साथ मिलकर रहें। हम किसी से भगड़ना नहीं चाहते और हमारी जो मौजूदा मुसीबतें हैं उनके हल में लगे रहना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई हम पर मुसीबत डाना चाहेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे और हम को उसके लिये तैयार रहना चाहिये।

मैं उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने डिग्रियां पायी हैं मुबारकबाद देता हूँ और जो डिग्री दर्जे तक नहीं पहुँचे हैं उन से मैं कहता हूँ कि वे इन भाइयों को देखकर अपने को डिग्री हासिल करने के लिये तैयार करें।

अगर यूनीवर्सिटी के अफसरान मंजूर करें तो मैं अपनी तरफ से सोने का तमगा पेश करता हूँ जो हर साल इस यूनीवर्सिटी के सब से अच्छे तालिबइल्म को दिया जाये।

### श्रीनगर में नागरिक अभिनन्दन

श्रीनगर म्युनिसिपैल बोर्ड द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में ता० १०-११-५० को राष्ट्रपति ने कहा—

श्रीनगर म्युनिसिपैल बोर्ड के चेयरमेन साहब, दूसरे मेम्बरान, भाइयो और बहनों,

जब से मैं इस खूबसूरत मुल्क में पहुँचा हूँ उस वक्त से आज तक जिस आदर और मुहब्बत के साथ आप लोगों ने मेरा मिलजुलकर स्वागत किया है उसके

लिये मैं किन लफ़्ज़ों में शुक्रिया अदा करूँ । मेरा दिल जानता है कि कितनी मुहब्बत, कितना आदर आप सब ने मुझे दिखलाया है । एड्रेस तो आज आपने दिया मगर कल जब मैं इस शहर से गुज़र रहा था और जब किस्ती पर दरिया से गुज़र रहा था तो उस वक़्त जितने चेहरे देखने में आये हर एक चेहरे से वही मुहब्बत नज़र आती थी जिस को आपने अपने ख़ूबसूरत लफ़्ज़ों में अभी अदा किया है ।

हिन्दुस्तान का ताल्लुक काश्मीर के साथ और खासकर श्रीनगर के साथ आज का नहीं है । यह ताल्लुक काश्मीर के साथ जब से हिन्दुस्तान और काश्मीर बना तभी से है । मुझे इस बात का फ़ख़ है कि आप का मेरे साथ एक और खास ताल्लुक है । सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर को पहले पहल बसाया था और अशोक उसी जंगह से आये थे जिस जगह से मैं आया हूँ । यह एक रिश्ता है जिस को मैं और भी कीमती समझता हूँ और इसलिये आज बहुत दिनों के अरमान को पूरा होते देखकर मेरा दिल खुशी में समाता नहीं है । आपने ठीक फ़रमाया है कि आपका हिन्दुस्तान के साथ ताल्लुक बहुत गहरा है और इस गहरे ताल्लुक की वजह से आपने फ़सला किया है कि आप और हिन्दुस्तान अलग नहीं हो सकते । हम भी इस ताल्लुक को जानते हैं और उसकी गहराई को पहचानते हैं और इसलिये हमारा भी यही इरादा है कि हम और आप अलग न हों और इसके लिये जो कुछ हम से हो सकेगा हम करते रहेंगे । यद्यपि ग़र हमारी और आपकी हज़ारों तरह की शिकायतें करते हैं और हमारे बीच में हज़ारों तरह से फूट डालने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे तथापि उन्हें कामयाबी नहीं हो सकती क्योंकि आखिर हमारा और आपका मिलना तो दिल का मिलना है और अगर हम और आप अलग नहीं होना चाहेंगे तो कोई हमको अलग नहीं कर सकता है । और किसी बात के मुक़ाबले में इस दिल के मिलान को मैं अधिक कीमती समझता हूँ ।

आपने हमारे मुल्क की कान्स्टीट्यूट एसेम्बली ने जो कान्स्टीट्यूशन बनाया है उसका भी ज़िक्र किया है । यह बात सही है कि हिन्दुस्तान ने जो कान्स्टीट्यूशन अपने लिये तैयार किया है उसमें उसने किसी एक तबके या किसी एक और दूसरे इन्सान के बीच कोई फ़र्क नहीं रखा है । सब के साथ बराबरी के व्यवहार और बराबरी का प्रबन्ध किया है । यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अपनाकर हम ने किसी के साथ एहसान किया है । यह तो इन्सानियत का तकाज़ा है और अपनी खुदगर्जी का भी तकाज़ा है और ज़्यादा अपनी खुदगर्जी का तकाज़ा है । हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इसमें इतने मज़हब के लोग हैं, इतने प्रकार के धर्म पर चलने वाले लोग बसते हैं कि अगर हर तरीके के लोग आपस में मिल जुल कर नहीं रहेंगे तो हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी का बना रहना नामुमकिन हो जायेगा । कोई भी गवर्नमेंट हो उसको हमेशा यह मानना होगा कि किसी मज़हब के साथ, किसी एक तबके के साथ वह बेजा दस्तनदाजी नहीं कर सकती है । हम ने फ़सला किया है कि हमारा मुल्क ग़र

मजहबी स्टेट है। लोग कभी कभी इसके ग़लत माने लगा लेते हैं। ग़र मजहबी स्टेट के माने यह नहीं कि यहां किसी का कोई मजहब नहीं होगा, किसी का कोई धर्म नहीं रहेगा; इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि इस मुल्क में जितने धर्म हैं उनमें किसी धर्म के साथ कोई दस्तन्दाजी नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जो लोग एक धर्म के माननेवाले हैं वे अगर अपने धर्म की कीमत करते हैं तो उनको यह भी मानना चाहिये कि दूसरे भी अपने धर्म की कीमत रखते हैं अपने धर्म की कद्र करते हैं और इसलिये उनको यह भी मानना चाहिये कि ग़र मजहब वालों के साथ दस्तन्दाजी सिर्फ़ ग़रवाजिब ही नहीं है बल्कि एक तरह से अपने धर्म के साथ भी ज्यादाती है। इस चीज़ को हम ने माना है और हम ने जो नया संविधान बनाया है उसमें साफ़ साफ़ कह दिया है कि हिन्दुस्तान में जितने लोग बसते हैं सब एक तरह से अपना तौर तरीका बरतते जायेंगे और किसी को किसी खास मजहब की वजह से न बड़ा समझा जायेगा और न किसी को छोटा और किसी भी बात में ऐसा तरीका अख्तियार नहीं किया जायेगा जिससे एक धर्म को दूसरे के मुकाबले में भला या बुरा समझा जा सके। इसको हमने अपने कायदे में मान लिया है और हम ऐसा करते भी रहेंगे और ईश्वर चाहेगा तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे हम इसको और ज्यादा बरतते जायेंगे और कभी किसी को इस बात का मौका नहीं देंगे कि अंगुली उठाकर दिखलाये और कहे कि हिन्दुस्तान ने किसी खास मजहब के साथ ज्यादाती की है। यही हमारा इरादा है जिसको अपने दस्तूर में, कान्स्टीट्यूशन में हमने साफ़ तौर से रखा है।

इसके अतिरिक्त उसमें एक और चीज़ भी हमने रखी है। उसमें हमने साफ़ जाहिर किया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जम्हूरी सल्तनत होगी और सभी धर्म के लोगों को उस सल्तनत को चलाने में हिस्सा लेने का पूरा अख्तियार और मौका होगा। इस चीज़ को इस तरीके से हम ने रखा है कि जितने बालिग़ हैं यानी जिनकी उम्र २१ साल से ज्यादा है उनको हक़ होगा कि अपने वे नुमाइन्दे चुनें जिनके जरिये से वे अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं। इसके लिये सारे मुल्क में जमातें होंगी। अलग अलग सूबों में जमात होगी। सब के लिये अलग २ कायदा बना है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग भी कान्स्टीट्यूट इंसिम्बली बुलाकर कान्स्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। जब यह काम पूरा हो जायेगा तो आपके साथ हमारा सम्बन्ध और भी ज्यादा गहरा बन जायेगा। हमने अपना कान्स्टीट्यूशन और तरीका अख्तियार करके सारी दुनियां के सामने रख दिया है कि हम अपने यहां किसी एक फ़िरके, किसी एक आदमी की सल्तनत नहीं रखेंगे और हमारी सल्तनत सारी प्रजा सारी अवाम की सल्तनत होगी और उसमें सब का हिस्सा होगा। उससे जो फायदा मिलनेवाला है उसके हकदार सभी होंगे।

इस सिलसिले में मैं आप से यह भी कहूंगा कि चन्द महीनों के बाद हिन्दुस्तान में पहला चुनाव होगा। यह चुनाव इतना बड़ा होगा कि आज तक दुनियां की तवारीख़ में कहीं भी इतना

बड़ा चुनाव नहीं हुआ। चुनाव की तैयारी हो रही है। १८ करोड़ वोट देने वाले होंगे। १८ करोड़ वोट देना और सब को इकट्ठा करना और करीब करीब ४००० नुमाइन्दों को चुनवाना और उस मुतल्लिक सब काम करवाना कोई छोटा काम नहीं है। चीन के सिवाय किसी मुल्क की आबादी १८ करोड़ भी नहीं है। इतने वोटर तो और कहीं हो ही कह सकते हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। उसी का यह नतीजा है कि यहां इतने वोट देने वाले हैं। हमने जो दस्तूर अख्तियार किया है उस में यह तरीका रखा है कि सब को हम मौका दें कि सब मिल जुल कर ही किसी सवाल को तय करें। मैं आप से यही कहना चाहता हूँ कि आप का यह खयाल कि हिन्दुस्तान आप की बात को ठीक समझता है और आप हिन्दुस्तान को समझ सकते हैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और आप को मैं यह ऐतबार दिलाना चाहता हूँ और आप भरोसा रखें कि जिस चीज की आप को जरूरत होगी उस को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान आप की मदद के लिये तैयार रहेगा।

म्युनिसिपैलिटी का काम तो लोगों की खिदमत का काम है। बहुत सी मुश्किलें आप के सामने ह और मुश्किलें आती ही रहती हैं लेकिन उन के बावजूद भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह बड़ा काम है। आप ऐसी जगह पर हैं जहां सारी दुनिया के लोग इस गरज से आते हैं कि यहां की खूबसूरती देखें और यहां की कारीगरी को देखें। ऐसी जगह की म्युनिसिपैलिटी की जवाबदेही और भी अधिक होती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप इस जवाबदेही को समझ रहे हैं और गवर्नमेन्ट भी इस काम में आप की मदद कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह हमेशा मदद देती रहेगी। यह मुल्क ऐसा सुन्दर है कि इस का मुकाबला करनेवाली हिन्दुस्तान में तो कोई और जगह नहीं है, दूसरी जगहों की बात में नहीं जानता क्यों कि मैं बाहर ज्यादा नहीं गया हूँ। मगर यहां एक चीज और है। सुन्दरता के साथ साथ जो यहां हुनर है, जो कारीगरी मौजूद है वह भी एक ऐसी चीज है जिस के मुकाबले का हुनर दूसरी जगहों में कम देखने में आता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुरानी कारीगरी को सिर्फ जिन्दा ही न रखें, उसे और भी तरक्की दें। आजकल बड़े बड़े कारखाने खुलते हैं, उन में बहुत सी चीजें तैयार होती हैं। अक्सर लोग बड़ी बड़ी चीजों को देखकर मोहित हो जाते हैं। इन सुन्दर चीजों को वे भूलते जाते हैं। दस्तकारी का ऐसा काम है जिस की कीमत आज कल हम लोग कम लगाने लगे हैं। ये चीजें कम तादाद में तैयार होती हैं। मगर मैं यह चाहता हूँ कि आप इस दस्तकारी को इस मुल्क में इस तरह जारी रखें कि यह दुनिया के सामने कायम रह जाये। एक दिन आयेगा जब लोग इस की और भी ज्यादा कदर करेंगे और यह चीज सिर्फ हिन्दुस्तान तक ही नहीं और और मुल्कों में जैसे पहुंचती रही है वैसे ही पहुंचती रहेगी और लोग इस की खूबसूरती से फायदा उठाते रहेंगे और आप को भी फायदा होता रहेगा।

मैं आप सब भाई और बहनों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने मेरा स्वागत किया। आप की मुहब्बत तो आप की आंखों और चेहरे से टपक रही है। उस के लिये बहुत बहुत शुक्रिया।

## कृषिक सांख्यकीय भारतीय संस्था

\*कृषिक सांख्यकीय भारतीय संस्था के चौथे वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते समय राष्ट्र-पतिजी ने ता० १४ नवम्बर को नई दिल्ली में कहा—

सरदार जगतार सिंह, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात का संतोष है कि मैं इस सम्मेलन में भाग ले सका। इस संस्था के आरम्भ से ही इस के कार्य में मैं दिलचस्पी लेता रहा हूँ और उस से भलीभांति परिचित हूँ और संस्था के विकास के साथ साथ मेरी दिलचस्पी भी इस में बढ़ती गई है। मुझे इस बात का हर्ष है कि अपन अस्तित्व के पिछले चार सालों में इस ने काफी प्रगति की है और साधारणतया इस की उपयोगिता और सेवाओं को लोगों ने माना है। मुझे यह जान कर भी हर्ष है कि आप की पत्रिका में आप लोगों की जो कृतियाँ छपी हैं उन का केवल इसी देश में आदर नहीं हुआ है बरन् विदेशों में भी आदर हुआ है। यह वास्तव में बड़े संतोष की बात है कि जिन लोगों को कृषि में दिलचस्पी है वे लोग इस संस्था के कार्य में गहरी दिलचस्पी लेते हैं।

हम लोग सब जानते हैं कि योजना बनाना सही आंकड़ों पर न्यूनाधिक निर्भर करता है और जब हमें भारत जैसे देश, जिस में अनेक प्रकार की भूमि है और अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उस देश पर विचार करना पड़ता है तो हमें ऐसे सांख्यकीय आंकड़ों को जो हमें भविष्य के लिये योजना बनाने के हेतु सही आंकड़ों का काम दंगे एकत्रित करने में बहुत ही होशियारी से काम लेना होता है। पिछले वर्ष कृषिक आंकड़ों के कुछ पहलुओं की ओर मैंने आप का ध्यान दिलाया था। मैंने कहा था कि कृषिक पैदावार और विशेषतया गन्ने की फसल की जिस पर कि गन्ने की कीमत मुकर्रर करना निर्भर करता है, कीमत संबन्धी आंकड़ों का मैं स्वागत करूँगा। और सरकार को कीमतें तो तब तक मुकर्रर करनी होंगी जब तक कि नियन्त्रण लागू रहता है। इसी प्रकार अन्य फसलों के लिये भी कृषिक आंकड़ों की जरूरत है।

नमूने के तौर पर जगह जगह सर्वे करने के तरीके का आप विकास कर रहे हैं और मालूम हुआ है कि आप ऐसी योजना बना सकने में समर्थ हो गये हैं जिससे आप को सही स्थिति का कुछ ज्ञान हो जाता है और जिस की बुनियाद पर आप सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से दो जिनसों की फसल का ही अर्थात् चावल और गेहूँ का ही अन्दाजा लगाते हैं। मगर मेरी ऐसी भावना है कि तब तक कृषिक पैदावार सम्बन्धी हमारी जानकारी पूरी नहीं होगी जब तक कि हम इस तरीके से सब जिनसों की फसल का अन्दाजा नहीं लगाते। आप लोगों ने अपने काम को पैदावारसम्बन्धी आंकड़ों के इकट्ठा करने तक ही बहुत कुछ सीमित रखा है। और आपने खेती में लगे हुए क्षेत्र के बारे में ऐसा काम नहीं किया है। अन्न की हमारी आवश्यकताओं और प्राप्य अन्न की मात्रा का सही अनुमान लगाने के लिये इस जानकारी की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पैदावार सम्बन्धी जानकारी की। क्योंकि जब तक भिन्न प्रकार के फसलों में लगे हुए क्षेत्र का हम को ठीक ज्ञान नहीं होता है तब तक इन सब क्षेत्रों में होने वाली पैदावार के सही आंकड़े भी हम पता नहीं चला सकते। अतः यह संतोष की बात है कि

सरकार ने ऐसी योजना बना ली है जिस के अनुसार आप इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने में समर्थ होंगे ।

खेती में लगे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने में पर्याप्त कठिनाई है । देश में ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहां न्यूनाधिक भूमापन नहीं हुआ है । हमारे यहां भूमि-कर प्रशासन की ऐसी भी व्यवस्था है जिस में गांव का पटवारी ऐसी जानकारी इकट्ठा करता है । उस के बारे में साधरणतया यह अपेक्षा होती है कि वह ठीक होगी, यदि वह अपना काम ईमानदारी और कार्यक्षमता से करे । किन्तु उस की देखभाल ज़रूरी है और मैं समझता हूं कि चाहे यह देखभाल उतनी अच्छी न हो जितनी कि हमें चाहिये तो भी कुछ न कुछ देखभाल करनी ज़रूर है । जो आंकड़े गांव के पटवारी द्वारा एकत्रित किये गये हैं उन की सत्यता की जांच के लिये जहां तहां नमूने के तौर पर परीक्षा का तरीका काम में लाने से काफी सहायता मिल सकती है और मैं चाहता हूं कि यह रीति उस जानकारी को अधिक से अधिक, जितनी कि वह होनी चाहिये, सही बनाने के लिये काम में लायी जाये ।

दूसरे प्रकार के भी प्रदेश हैं जहां यह काम अधिक कठिन है । ये वे क्षेत्र हैं जिन का व्योरेवार भूमापन हो चुका है किन्तु कोई ऐसा इन्तज़ाम नहीं है कि बाकी जानकारी इकट्ठी की जा सके यानी वहां इस काम को करने के लिये गांव के पटवारी नहीं हैं । स्वभावतः यह काम अधिक कठिन है और मुझे यह मालूम नहीं है कि यह जानकारी इकट्ठी करने के लिये इस प्रकार का ग्राम संगठन जैसा कि अन्य प्रदेशों में है वहां कब हो सकेगा ।

किन्तु सब से अधिक कठिनाई उन प्रदेशों में है जहां न भूमापन हुआ है और न जहां इस किसम का कोई इन्तज़ाम है । इन प्रदेशों का क्षेत्र कुछ कम नहीं है । क्योंकि मेरा विचार है कि उन राज्यों में से जो विलीन हो गये हैं बहुत सों में न तो इस प्रकार का इन्तज़ाम है और न इस प्रकार का भूमापन हुआ है । खाद्य सम्बन्धी हमारी सांख्यकीय जानकारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हम क्षेत्र और पैदावार दोनों के ही सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं करते और वह भी सारे देश भर के लिये प्राप्त नहीं करते ।

समस्या का एक दूसरा पहलू भी है जिस की जांच करना ज़रूरी है । कुछ वर्षों से हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि अन्न की उपज बढ़ाई जाये और इस आन्दोलन के चलाने में हम काफी रुपये भी खर्च करते रहे हैं । इस आन्दोलन के कुछ फल भी हुए हैं किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि वे फल ठीक ठीक क्या हैं । इन फलों का निश्चय यह अन्दाज़ा लगा कर किया जाता है कि किसी खास तरीके के प्रयोग से पैदावार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है । उदाहरणार्थ अच्छे बीजों या अच्छे खाद या अधिक सिंचाई या खेती के बेहतर तरीकों के अपनाने से कितनी पैदावार बढ़ने की संभावना है । मैं समझता हूं कि आज कल इस बात का पता चलाने के लिये कि पैदावार कितनी बढ़ी है खेत की संख्या को उतने मनों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है जितनों की वहां पैदा होने की उम्मीद है । मैं नहीं कह सकता कि यह

तरीका कहां तक ठीक है। क्योंकि अच्छे तरीकों के प्रयोग का फल कई बातों पर निर्भर करता है जिस में काम करने वालों की योग्यता या अयोग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम नहीं जानते कि कोई किसान उसे दिये गये अच्छे बीज का कहां तक सही सही इस्तेमाल करता है या कहां तक उस का ठीक मात्रा में प्रयोग करता है या कहां तक उस को वैसे भूमि में प्रयोग करता है जो उस के लिये सब से अच्छी है अथवा कहां तक अच्छे खाद को वह सारे खेत में फैलाता है और उस का ठीक ठीक प्रयोग करता है। इस बात के लिये कि सरकार बड़ी हुई पैदावार का ठीक ठीक अनुमान लगा सके यह जरूरी है कि जो वास्तविक पैदावार हुई है उस का ठीक पता चलाया जाये। मैं यह नहीं समझता कि यह संभव है कि हर किसान से पूछा जाये कि वह पहले क्या पैदा करता था और अब क्या पैदा करता है और इन दोनों में जो फर्क हो उस को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का फल मान लिया जाये। मैं नहीं समझता कि सरकार के लिये ऐसा करना संभव होगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि अपने सांख्यिकी तरीकों से आप इस आन्दोलन के परिणामों का उस से अच्छा अनुमान लगाने में सरकार की सहायता कर सकेंगे जितना कि वह अपने आप लगा सकती है। मैं जानता हूँ कि कुछ मामलों में इस साधारण गुणा की रीति से हम को बहुत बुरी तरह से गलतफहमी हुई है। इस साधारण तरीके पर चल कर हमने देश के कुछ हिस्सों के बारे में यह नतीजा निकाल लिया कि वहां जो अन्न की कमी थी उस को पूरा करने के लिये हमने पर्याप्त अन्न पैदा कर लिया और जब यह निष्कर्ष गलत साबित हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वहां यह साधारण गुणा का तरीका काम में लाया गया था और यह तो हमेशा ठीक नहीं हो सकता। अब आप का यह काम है कि आप सही नतीजों पर पहुंचने के लिये सरकार को आप आवश्यक आंकड़े दें।

एक और बात है जिस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है भूमि का एक फसल में लगाने के बजाय दूसरी किस्म की फसल में लगाया जाना। हमारे देश में अन्न की समस्या तो है ही उस के साथ ही कुछ खास आवश्यकताओं को पूरा करने की समस्या अर्थात् रूई और जूट की आवश्यकता को पूरा करने की समस्या भी हमारे सामने है। जिन जिन प्रदेशों में मैं हाल में गया हूँ मैंने यह सुना है कि अन्न की अधिक कमी का कारण भूमि को धान की फसल में न लगा कर पटसन की फसल में लगाया गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि बात कहां तक ठीक है। मैं यह भी नहीं जानता कि उस भूमि के संबंध में जिस में धान की खेती के बजाय पटसन की खेती की जाने लगी है अथवा जिस में रूई के बजाय खाद्य वस्तुएं उपजायी जाने लगी हैं सही आंकड़े ज्ञात हैं अथवा नहीं। किन्तु यदि ठीक आंकड़े मालूम भी नहीं हों तो भी यह बात जरूरी नहीं है कि जो कमी आज कुछ अन्न में हुई है वह अवश्यमेव भूमि के इसी तरीके से दूसरी किस्म की फसलों में लगा हो जाने के कारण हुई है। लड़ाई के दिनों में भूमि के काफी भाग में रूई का खेती बन्द कर दी गई यह बात खास तौर से बम्बई और मध्य प्रदेश में हुई थी पर मैं यह नहीं जानता कि ऐसा करने से अन्न की पैदावार में उतनी वृद्धि

हुई थी वा नई जितनी कि अपेक्षा की जा सकती थी। इसी प्रकार आज कल जब कि अधिक रूई की अधिक पटसन की खेती की जाने के लिये बहुत कोशिश की जा रही है हमें यह देखना है कि इस बात से हमारे अन्न की पैदावार पर वस्तुतः क्या असर पड़ता है। यह दूसरा सवाल है कि चावल के बजाय पटसन पैदा करना क्या अधिक लाभदायक नहीं है? हमारा सवाल तो इतना ही है कि उस प्रकार भूमि को नई किस्म की फ़सल में लगाने से हमारे अन्न की पैदावार पर क्या असर पड़ता है। इस लिये सांख्यकीय तरीकों को काम में लाकर हमें निष्कर्ष निकालने में होशियारी बरतनी है। क्योंकि उन्हीं से सरकार यह अनुमान लगा सकेगी कि विभिन्न प्रकार से भूमि को एक फ़सल से दूसरी किस्म की फ़सल में लगाने का क्या फल होता है।

दूसरा प्रश्न जिस पर आप के विचार की ज़रूरत है यह है कि जोत के एकत्रीकरण के द्वारा खेती में कितना सुधार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ इस बात की साधारणतया अपेक्षा की जा सकती है कि जिस की खेती का क्षेत्र ज्यादा होगा उस के यहां फ़ी एकड़ ज्यादा पैदावार होगी। मैं इस बारे में यह नहीं जानता कि सच्चाई क्या है किन्तु मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में जो भी आंकड़े प्राप्त हैं उन से यह नतीजा नहीं निकलता अर्थात् यह बात आवश्यक नहीं कि खेत के क्षेत्र को बढ़ाने से ज़रूरी तौर से उस की पैदावार भी बढ़ जाये। बड़े पैमाने पर खेती करने का क्या फल होगा इस बात को आप को सांख्यकीय तरीके से निर्णय करना होगा और इसी तरीके से यह भी निर्णय करना होगा कि जोत के क्षेत्र को बढ़ाने से फ़ी एकड़ पदावार बढ़ती है या नहीं। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार वैज्ञानिकों में इस बात पर भी मतभेद है कि ट्रेक्टरों या ऐसे अन्य यन्त्रों द्वारा गहरी जुताई करने की रीति का क्या फल होता है। कुछ का विचार तो यह है कि इस प्रकार की गहरी जुताई और सुधारी हुई खेती से पैदावार ज्यादा होती है। और कुछ अन्य का विचार है कि इस तरीके से चाहे आरम्भ में पैदावार कुछ दिनों तक ज्यादा रहे किन्तु अन्ततोगत्वा इससे पृथ्वी का कस निकल जायेगा और पहली मंजिल ही आखिरी मंजिल साबित होगी। हमें इस सवाल के इस पहलू पर भी विचार करना है और यह हो सकता है कि हमारा कृषि विभाग सांख्यिकों की सहायता से इस प्रकार की खेती के नवीन तरीकों के देरपा नतीजों के बारे में कुछ फ़सला कर सके और यह पता चला सके कि क्या पैदावार सचमुच बढ़ती है या अन्त में जा कर घट जाती है।

कृषि के ये विभिन्न पहलू ऐसे प्रश्न हैं जिन के बारे में सांख्यिक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अतः जो काम आप की संस्था करती रही है उस काम में स्वागत करता हूँ और मुझे ऐसी आशा है कि सरकार और अन्य संबन्धित लोगों से इसे अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलेगा और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा यह अधिकाधिक अच्छी सेवा कर सकेगी। आप के लिये जो महान् काम पड़ा हुआ है उस के करने में आप सफल हों ऐसी मेरी शुभकामना है।



## प्रेसिडेण्ट स्टेट रिक्रियेशन क्लब

प्रेसिडेण्ट स्टेट रिक्रियेशन क्लब के वार्षिक समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा —

कनल चटर्जी साहब, बहनो, भाइयो और बच्चो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां आ सका और थोड़ा खेल भी देख सका। इस तरह के क्लब की जरूरत बहुत करके ऐसे लोगों के लिये हुआ करती है जिनको दिन रात काम करना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि यहां बहुत लोगों को सुबह, शाम और रात में काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को खास करके कोई न कोई मौका मिलना चाहिये जिससे थोड़ी देर के लिये भी वे अपने को काम से अलग रख कर अपना दिल बहला सकें। जब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिलता तब तक कोई भी अपने को हमेशा स्वस्थ नहीं रख सकता। सेहत के लिये यह जरूरी है कि कुछ न कुछ दिल बहलाव का मौका हर आदमी को मिला करे। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि यहां सिर्फ दिल बहलाव ही नहीं होता बल्कि साथ साथ कुछ खेल भी ऐसा होता है जिससे काफी मेहनत हो जाती है। आदमी के लिये मेहनत करना जरूरी है और खास करके ऐसे लोगों के लिये जिन्हें दफ्तर में काम करना पड़ता है खेल ऐसा होना चाहिये कि जिससे उनकी थोड़ी वार्जिश भी हो जाया करे। मैं ने यहां लोगों को फुटबाल के मैच में शरीक होते देखा। हो सकता है कि वे लोग यही के रहे हों। अब यह जान कर कि हाकी का खेल भी यहां शुरू हुआ है मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं तो यह उम्मीद रखता हूँ कि आप खेल में आगे बढ़ेंगे और दूसरी दूसरी टीमों से मुकाबला करने पर जो कप मिलता है या दूसरी चीजें मिलती हैं उनको आप हासिल कर सकेंगे और उससे आपका दिल और भी बढ़ेगा।

अभी एक भाई ने कुछ तमाशे दिखलाये और बच्चों ने देखे और वे बहुत खुश हुए, उनके साथ साथ मैं भी देख रहा था और खुश हो रहा था। मेरा विचार है कि बच्चों के लिये भी कुछ ऐसा खेल रहे जिसमें उनका दिल लगे और खेल ऐसा हो जिसमें उसके साथ साथ वे कुछ सीख भी सके। यह ऐसी बात है कि जिसमें सब को भाग लेना चाहिये और फायदा उठाना चाहिये। जिस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाया है उसी तरह से आप लोग मिल जुल कर इसे और आगे बढ़ायें और मुझे से जो कुछ आपकी मदद हो सकेगी वह मैं हमेशा करने के लिये तैयार रहूंगा।

मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऊपर के दर्जे के लोगों के लिये ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे काम में लगे हुए लोगों के लिये भी यह इन्तजाम होना चाहिये। काम बड़ा हो या छोटा पर आदमी तो आदमी ही रहता है। इस लिये इस बात की कोई बजह नहीं कि काम के छोटे बड़े होने के आधार पर लोग एक दूसरे से अलग रहें। चाहे किसी का काम बड़ा हो या छोटा उसे अपना काम तो करना ही है क्योंकि ऐसा करना उसका फ़र्ज है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हर एक आदमी को अपना फ़र्ज तो पूरा करना ही चाहिये। पर जब काम खतम हो जाये तो सब भाई एक साथ मिलें जुलें, खेलें, कूदें, आपस में मन बहलाव करें और जो खेलन्तमाशा हो उनमें शरीक हों तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपका यह काम आगे बढ़े। जो लोग अभी तक

किसी वजह से, चाहे पैसे की कमी से, या वक्त की कमी से या उनका इसमें दिल नहीं लगता हो इस वजह से इसमें शरीक नहीं हो सके हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वे भी आगे शरीक होंगे और आपका काम दिन ब दिन तरक्की करता जायेगा ।

इन बच्चों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो कुछ उन्होंने देखा है उससे कुछ सीखेंगे । खेल सिर्फ़ खेल ही नहीं है, उससे कुछ सीखा भी जा सकता है । अभी जो खेल दिखलाया गया उससे यह सीखा जा सकता है कि किस तरह से दूसरे को धोखा दिया जाये । पर यह खेल धोखा देने की शिक्षा के बजाय धोखे से बचने की शिक्षा देता है । मैं चाहता हूँ कि ऐसे खेल से तुम लोग यह नहीं सीखो कि दूसरे को कैसे धोखा दे सकते हो बल्कि यह सीखो कि दूसरे के धोखे से तुम कैसे बच सकते हो । आफिस के लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि वे भी यही सीखें कि धोखे से कैसे बचा जा सकता है । कहीं अगर वे इसी तरीके से धोखा देने लगें तो सब काम ही गड़बड़ हो जायेगा । मैं यह चाहता हूँ कि जो तमाशा हो, जो खेल हो उसमें सभी को शरीक होना चाहिये । आफिस के लोग भी इस बात को समझें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें ।

मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को बढ़ायेंगे और इसके सम्बन्ध में मुझ से आप में से जो मिलना चाहे वे बगैर किसी किसम की हिचकिचाहट के मुझ से मिल सकते हैं और जो कोई मुझ से मिलना चाहे उनके लिये मेरा दरवाजा खुला है । कोई ऐसा न समझें कि मैं ऐसी जगह पर हूँ कि आप में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता है ; मिल नहीं सकता । बड़े और छोटे काम का तो कायदा होता है । जो कायदा है वह तो अपनी जगह पर है ही । जो काम होगा कायदे से काम होगा । पर इसकी वजह से एक दूसरे से मिलने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये । मैं चाहता हूँ कि आप इस काम से नफ़ा उठायें और जब कभी मौक़ा आवे तो मुझ से मिलें, मुझे बुलायें और जहाँ तक मुझ से हो सकेगा मैं आपका साथ दूँगा ।

### गुरु नानक जन्म दिवस

गुरु नानक देव के जन्म दिन पर तारीख २३-११-५० को चैम्सफोर्ड क्लब में राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा—

यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन दिनों हम इस बात को सोचने लगे हैं कि जो कुछ गुरु नानक ने हमें सिखाया उसको हम फिर से एक बार याद करें क्यों कि इस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है और खास करके इस मुल्क में इस बात की ज़रूरत है कि यहां जितने भी लोग बसते हैं चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों न हो सब एक साथ मिल कर रहें ; एक दूसरे के साथ मुहब्बत का बर्ताव करें और एक दूसरे पर भरोसा करें । गुरु नानक की सब से बड़ी शिक्षा यही थी । आज भी उनके शब्द हिन्दुओं और सिखों के घरों में मिल सकते हैं । गरचे कुछ लोग आज सिखों को हिन्दुओं से अलग समझते हैं पर मैं कितने ही हिन्दुओं को जानता हूँ जिनके यहां आज भी गुरु ग्रन्थ साहब के कुछ हिस्सों का पाठ उसी तरह से होता है जैसे कि सिखों के घरों में ग्रन्थ साहब का पाठ दिन प्रतिदिन किया जाता है । हिन्दुओं में मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो गीता का

पाठ नहीं करते, रामायण का पाठ नहीं करते मगर ग्रन्थ साहब का पाठ करते हैं। ये लोग भी वैसे ही हिन्दू हैं जैसे और। ये भी वैसे ही चुस्त हिन्दू हैं जैसे कि वे जो गीता और रामायण का पढ़ किया करते हैं। इस लिये मैं चाहता हूँ कि जो अन्दर की चीज़ है उस को लोग समझें और जैसा मौलाना साहब ने फ़रमाया, एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, एक दूसरे से मुहब्बत करें और ऊपर की चीज़ों को नज़र अन्दाज़ करके जो अन्दर की हकीकत है उस हकीकत तक पहुँचें। अगर हम आज भी उस हकीकत को जानने को तैयार हो जायें तो सारा झगड़ा खतम हो जायेगा और हम लोग मिल जुल कर रह सकेंगे। ऐसे मौक़े का मतलब होता है कि इस सचाई की याद की जाये। इस सत्य की ओर संकेत करना आवश्यक भी है क्योंकि बहुधा लोग इसको भूल जाया करते हैं। इसलिये उनको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर याद दिला कर आप कुछ लोगों के दिल में भी उस रोशनी को जगा दें तो मैं समझूँगा कि आपने जो कुछ किया है वह सब सफल हुआ है।

### आलइंडिया फूड काउन्सिल की प्रदर्शनी

तारीख १-१२-५० को साढ़े चार बजे संध्या को नयी दिल्ली म्यूनिसिपिल टाउन हाल में आल इण्डिया वीमेन्स फूड काउन्सिल की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

खुराक का मामला ऐसा है कि जिसमें हर आदमी को दिलचस्पी होती है और होनी चाहिये क्योंकि कोई भी बग़ैर खुराक के नहीं रह सकता है। गरचे हमारा देश कृषि प्रधान कहा जाता है लेकिन आजकल हमारी ऐसी बदकिस्मती है कि हम अपने खाने लायक अन्न भी अपने देश में पैदा नहीं कर पा रहे हैं और हमें आज दूसरे देशों से सौ सवासी करोड़ रुपये का अन्न मगाना पड रहा है। इस वर्ष हालत और भी अधिक खराब है क्योंकि पहले बाढ़ और अतिवृष्टि ने और उसके बाद सूखा और अनावृष्टि दोनों ने मिल कर हमारे यहां की फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और भावी फसल को भी बहुत ज़यादा नुक़मान किया है। इसलिये यह हम में से हर एक का फर्ज है कि जहां तक हो सके अन्न के संकट में सहायता करे और चाहे अपने देश का अन्न हो चाहे विदेशों से आया हुआ हो आपस में बांट कर अपना काम चला ले। इसलिये जब मुझे से कहा गया कि स्त्रियों की ऐसी संस्था बननी चाहिये जो लोगों में नये प्रकार के खाने का प्रचार करे और जो घर घर में यह बताये कि उस अन्न को जो आजकल बर्बाद हो जाता है कैसे काम में लिया जाय तो मैं ने उसी दिन इस बात को मंज़ूर कर लिया क्योंकि ऐसी संस्था से हमारा बहुत काम चल सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कई महीनों में इस संस्था ने पर्याप्त तरक्की कर ली है।

अभी आज आप यह प्रदर्शनी देखने आये हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रदर्शनी में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि किस तरह कम से कम खर्च में खाने की चीज़ें तैयार की जा सकती हैं और वे भी ऐसी चीज़ों से जी आटा, गेहूँ, चावल आदि चीज़ों से जिन पर गवर्नमेंट का नियं-

त्रण है भिन्न है। यहां के लोगों के लिये उन चीजों से आप स्वादिष्ट और पुष्टकर भोजन तैयार कर सकते हैं। और सब को सन्तुष्ट कर सकते हैं। यह एक बड़ी चीज है। जब आप लोग इसे देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

अभी एक बहन ने यह कहा कि घरों में जो खाने पीने की चीजों का नुकसान होता है या दूसरे तरह से जो अन्न बहुधा खराब हो जाता है उसे हम बचायें। हम लोगों के लिये जरूरी है कि इस प्रकार खाने पीने की चीजों को व्यर्थ खराब न करके उनको बचावे। यह भी कहा गया है कि हम अपनी खाने की आदत को भी बदलें और उन्हीं खाने की चीजों से सन्तुष्ट हों जो आज कल उपलब्ध है। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूँ कि हम अन्न का संकट आसानी से दूर कर सकते हैं। यहां जो अन्न की कमी है वह इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे हम दूर न कर सकें। यदि इन बातों को हम मान लें तो यह कमी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे यहां १० फ्री सदी अनाज की कमी है यानि जहां हमारे पास ११ मन होना चाहिये वहां १० मन है। अगर देश के किसान कोशिश करें तो उनके लिये १० मन के बदले ११ मन पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो आसानी से किया जा सकता है। जो किसान हैं, खेतों में काम करते हैं अगर वे ध्यान दें तो वे १ मन की कमी एक फ़सल में ही दूर कर सकते हैं। एक तो यह तरीका है।

यह कमी दूसरे तरीके से भी दूर की जा सकती है। अभी जो अन्न हमारे देश में पैदा होता है उस का बहुत बड़ा भाग बर्बाद हो जाता है। वह कीड़ों के खाने से, धुन लग जाने से, खेतों में फसल गिर जाने से तथा चूहों के खाने से बर्बाद होता है। इस तरह से इस देश में लाखों मन अनाज बर्बाद हो जाता है। अगर इसको बचा लिया जाये तो भी कमी दूर हो सकती है। अगर घर घर में जो अन्न बर्बाद हो जाता है उस पर हम ध्यान दें और चावल का एक दाना भी, रोटी का एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होने दें और घर घर में इस बात का ख्याल रखे कि उतना ही परोसा जाये जितना लोग खाये और खाने से एक दाना भी अधिक न परोसा जाये तो इस तरह से बहुत कुछ बचा लिया जा सकता है। मेरा तो अपना अनुमान है कि लोग जिस वक्त खाना खाते हैं उस वक्त काफी खाना खराब हो जाता है और खास करके दावतों और भोजनों में ऐसा होता है। ऐसे अवसर पर एक आदमी के सामने चार आदमी का खाना रख दिया जाता है। ऐसा न करके भी हमारे लोग अन्न की कमी को दूर कर सकते हैं। खाने में भी कही कही हमारे देश के लोग चावल खाते हैं, कही रोटी खाते हैं और कही चावल रोटी दोनों मिला कर खाते हैं। जहां के लोग चावल खाते हैं अगर उनको गेहूं दिया जाता है तो उनको कष्ट होता है, जहां के लोग गेहूं खाने काष्ठ है अगर उन को चावल दिया जाता है तो उनको कष्ट होता है। जब देश में पूरा अन्न नहीं होता और बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है तो खाने की इन आदतों में भी कुछ फ़र्क आना जरूरी हो गया है क्यों कि हमें सारे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। आजकल जो अन्न मिलता है उसे हम आपस में बांट कर खाना पड़ेगा।

इसके अलावा हम अन्य चीजें पैदा कर सकते हैं जो हमारे अन्न की कमी को दूर कर सकती हैं। आजकल हम अन्न के ऊपर ही रहते हैं। पर पेट अन्न से ही नहीं भरता है पेट भरने के लिये और ताकत देने वाली अन्य चीजें भी हैं। जैसे फल हैं। यहां जो पीपीता नामक फल होता है, काला

होता है उसे लोग एक साल के अन्दर ही पैदा कर सकते हैं जिससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा कन्द मूल होते हैं जिनको आज से नहीं प्राचीन काल से लोग खाते हैं। फल्यहार के समय कन्द खाना फलाहार ही समझा जाता है। जैसे शकरकन्द, आलू या दक्षिण में ट्राबनकोर में होने वाला कन्द कई ऐसी चीज़ें यहाँ हैं जो पोष्टिक हैं। इन चीज़ों को खाकर हम गुज़र कर सकते हैं और गरीब लोग इन्हें खा कर अपने दिन काट लेते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि मजबूरी से नहीं बल्कि यह समझ कर हमें उन्हें खाना चाहिये कि उनसे केवल हमारी भख ही शान्त न होगी वरन् उनसे हमारे स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। उनके बनाने का तरीका, खाने का तरीका घर घर में फैल जाये तो चावल और गेहूँ की कमी दूर हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि यह संस्था इन सब बातों का प्रचार करे और लोगों को बताये कि किस तरह से वे इन चीज़ों को काम में ला सकते हैं। यहाँ अभी जो आप प्रदर्शनी देखने जायेंगे उसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से आप इन से लाभ उठा सकते हैं। सब को इस चीज़ की ज़रूरत है।

देश गरीब है और अन्न की महंगाई हो रही है। अभी तो महंगाई इतनी है कि स्वप्न में भी किसी ने न सोचा होगा कि ऐसी महंगाई होगी जैसी आज कल है। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो रुपये में १५ सेर चावल खरीद कर खाता था। आज कल उस जगह पर ४०-४५ रुपये मन चावल मिलता है; याने रुपये में एक सेर से भी कम चावल मिलता है। घी रुपये में ढाई तीन सेर उस ज़माने में बिकता था और यहाँ दिल्ली में आज सात साठे सात रुपये सेर से कम नहीं मिलता है। तो चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ गयी है। इस तरह हमें यह देखना है कि किस तरह गरीब लोग दिन काट सकते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका मुशाहरा मुकर्रर रहता है, जिनकी आमदनी मुकर्रर रहती है और जिन्हें उसी से अपना समय काटना पड़ता है, अपना सब खर्च निकालना पड़ता है उनको कम से कम पैसे लगा कर पेट भर खाना मिल सके और खाने की चीज़ें मिल सके इसको हमें सोचना चाहिये।

मुझे यह जान कर खुशी है कि आठ आने में किस तरह एक आदमी खाना खा सकता है उसका नमूना आपके सामने इस प्रदर्शनी में पेश किया जायेगा। इसलिये मैं आप सब को और खास कर के ऐसे काम के लिये बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि श्रीमती लीलावती मुन्शी ने जिस काम को अपने यहाँ आरम्भ किया था वह इतना आगे बढ़ गया है और मैं आशा रखता हूँ कि इससे अन्न की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करता हूँ।

### अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन

\* अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के नव वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते समय कान्स्टीट्यूशन बलब नई दिल्ली में शनिवार २ दिसम्बर १९५० को राष्ट्रपति जी ने कहा —

श्री देवदास गांधी, समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के सदस्यो, वृहत् और भाइयो,

आज आप लोगों के यहाँ मैं आ सका इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आरम्भ में ही आपका बधाई देना हूँ ख़ौर मगल कामना प्रकट करता हूँ। आपकी संस्था पे अपने

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

अल्पकाल के अस्तित्व में जो सफलता प्राप्त की है उसके लिये और जो यह काम करती रही है उसके लिये मैं आपकी संस्था को बधाई देता हूँ। हमें ज्ञात है कि हाल के पिछले दिनों में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ रही हैं और हमारे समाचार पत्रों को भी उनमें से बहुत सहनी पड़ी है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत सी बातों में परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। आज मुझे इस बात का हर्ष है कि अब आप ऐसी स्थिति में हैं कि बदली हुई परिस्थितियों से और परिवर्तित अवस्था से लाभ उठा सकें और उससे भी अच्छी तरह से अधिक कार्य कर सकें जिस तरह से कि आप भूतकाल में कर सकते थे। अब जब कि हमारे यहां अभूतपूर्व पैमाने पर प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था व्यवहार में आ रही है और जब कि हम ऐसे विशाल निर्वाचक वर्ग के सामने जाने वाले हैं जिसकी विशालता से ही कि हम में से अनेकों के भयभीत हो जाने की सम्भावना है देश में वर्तमान नयी व्यवस्था में समाचार पत्रों की स्थिति और प्रभाव को बढ़ा कर वर्णित किया ही नहीं जा सकता। मुझे इस बात का हर्ष है कि आपने यह बात समझ ली है कि समाचार पत्र के नाते उन समाचार पत्रों की स्थिति और प्रभाव जिन्हें आप भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र कहते हैं दिन प्रति दिन उन्नत होगा। इस बात को पहचानने तथा इस के महत्व को समझ लेने के चिन्ह स्वरूप आप ने लगातार अपने दो सम्मेलनों के अध्यक्ष ऐसे महानुभावों को चुना है जिनका सम्पर्क भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों से रहा है। मुझे इसमें शक नहीं है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमारे देश में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान होगा और यह आप का काम है कि आप उन को यह स्थान दिलायें और जो कुछ बड़ी से बड़ी सेवा आप देश की कर सकते हैं वह सेवा उसकी करें। मेरे लिये यह ठीक नहीं है कि मैं आप लोगों को यह बात कहूँ कि पत्रकारों के नाते आपको क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। मैं यह नहीं समझता कि ऐसा करने का मुझे अधिकार है किन्तु एक साधारण व्यक्ति के नाते मेरे ध्यान में कुछ बातें आती हैं और मैं उनमें से कुछ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मेरी दृष्टि में समाचार पत्रों का दो तरह का काम है। उन्हें समाचार पहुँचाने का काम करना होता है और वे विचार और जनमत का दिग्दर्शन भी करते हैं। इन दोनों ही बातों में आपका महत्व खास तौर से ऐसे देश में बहुत ज्यादा है जहाँ प्रजातन्त्र प्रणाली के अनुसार काम होना शुरू ही हुआ है। जहाँ तक समाचारों का सम्बन्ध है मुझे इस बात के कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि हम कोई ऐसी बात नहीं चाहते जिसे कि सर्वसाधारण और जनता न चाहती हो। अर्थात् हमारी भी अपेक्षा यही है कि घटनाओं का जैसा स्वरूप है उनका वैसा ही वास्तविक और सही वर्णन किया जाये। दुर्भाग्यवश यह बात सच है कि कुछ हालतों में किसी के दोष के बिना ही तत्सम्बन्धी घटनाओं की कल्पना कर ली जाती है। सम्भवतः द्वेष अथवा इच्छामत विचार जैसी चीज होती है और यह अक्सर हो सकता है कि पत्रकार, यहाँ तक कि अनुभवी पत्रकार भी, घटनाओं के सम्बन्ध में गलतफ़हमी के शिकार हो सकते हैं। यदि उन्हें गलतफ़हमी हो जाती है तो उसके लिये उन्हें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। जो हम चाहते हैं और जिसकी हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं वह तो केवल इतनी बात है कि आप घटनाओं के वर्णन में सचाई का दामन बराबर पकड़े रहें। इस बारे में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। वस्तुस्थिति के वास्तविक स्वरूप के बारे में मन मानी करने के किसी के अधिकार का सवाल हो ही कैसे सकता है ?

जहां तक विचारों का प्रश्न है स्थिति दूसरी है। किन्हीं घटनाओं के सम्बन्ध में जो भी विचार आप रखना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं उनके रखने या व्यक्त करने के लिये आप स्वतंत्र हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे संविधान ने आपको अपने विचारों को, जैसी भी सर्वोत्तम रीति से आप चाहें और जैसी भी रीति आप को सर्वोत्तम जंचती हो, व्यक्त करने की पूर्ण स्तुतन्त्रता प्रदान कर दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारे देश के ज्यादातर समाचारपत्र अपने कठोर कर्तव्यों का पालन बहुत सफलता से करते रहे हैं। इस बात की तो अपेक्षा की भी नहीं जा सकती कि एक तरफ पत्रकारों में और दूसरी तरफ अन्य लोगों के बीच में अथवा स्वयं सब पत्रकारों में भी किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर पूरा एक मत हो। उस प्रकार की एकता तो केवल एक तानाशाही राज्य में अर्थात् ऐसे राज्य में जहां विचार पूर्णतया राज्य की जकड़ में है और उसकी अभिव्यक्ति पूर्णतया नियन्त्रित होती है, पायी जा सकती है। ऐसे देश में जो स्वतन्त्र होने का दावा करता है, जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करने का दावा करता है किसी को यह अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है कि विचारों में पूर्णतया साम्य और ऐक्य हो। विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं और उनको अभिव्यक्त करने की विभिन्न रीतियां होती हैं। आपसे जनता अधिक से अधिक यही अपेक्षा करने का अधिकार रखती है और यही हमारी इच्छा है कि आप यह करें कि अपने विचारों को चाहे आप कितनी ही दृढ़ता से क्यों न व्यक्त करें किन्तु साथ ही उन को, दूसरे लोगों की भावनाओं का विचार करके तथा ऐसी रीति से जो पाठकों के विवेक बुद्धि को ठीक जंचे और जो उनके मन या भावनाओं को उत्तेजित करने वाली न हो, व्यक्त करें।

मैं जानता हूँ कि समाचार पहुंचाने और विचारों का प्रचार करने के अतिरिक्त समाचार पत्र और भी बहुत सी बातें करते हैं। उनके सामने विशद क्षेत्र पड़ा हुआ है और बहुधा हमारी सामाजिक कार्यवाहियों या अन्य ऐसी ही बातों के सम्बन्ध में भी वे बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। मैं यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि कभी कभी मेरा मन बहुत दुःखी होता है जब मैं वह बात देखता हूँ जिसे आपके एक पुराने सहकारी ने जो यहाँ उपस्थित हैं बड़े भावोत्पादक रीति से हिन्दी भाषा में घासलेटी साहित्य का नाम दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के घास लेटी साहित्य से चौकन्ने रहें और उससे बचें और न तो कोई ऐसी बात लिखें और न कहें जिसका आपके पाठकों के मन और चरित्र पर हानिकर प्रभाव हो।

एक बात में आप के सम्मेलन को बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ सरकार और दूसरी ओर समाचारपत्र लेखकों के बीच में सम्पर्क स्थापित करने का यह निमित्त रही है और इस बात की न तो कोई इच्छा करेगा और कम से कम मैं तो करता ही नहीं हूँ कि यह सम्पर्क आपके विचार स्वातन्त्र्य अथवा अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य पर किसी प्रकार की रोक या बन्धन समझा और ठहराया जाये। तो भी इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस का अपना महत्व है जिस से कि सरकार के दृष्टिकोण को आप समझ पा सकते हैं और जिन विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं उनको सरकार समझ पाती है। आपकी संस्था द्वारा अब तक इस प्रकार की पारस्परिक जानकारी पैदा की जा सकती है तब तक आप की व्यवस्थाएँ महान् उद्देश्य की पूर्ति करती रहेगी।

किन्तु इसके अतिरिक्त हमारे महान् पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी अपनी सस्था द्वारा एक प्रकार का सम्पर्क आप क्रायम कर पाये है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में किसी हद तक सुधार करने का आपने जो प्रयत्न किया था उसमें आपको पर्याप्त सफलता मिली है। कठिनाइयां तो है ही और मैं यह भी जानता हूँ कि रुकावट भी पड़ेगी ही। किन्तु इन कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद यदि आप अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहेंगे और अपने विचारों को निर्भयता से और ईमानदारी से इस बात को ध्यान में रख कर कि आपके विचारों की अभिव्यक्ति का जनता पर और हम दो पड़ोसी देशों में जैसे सम्बन्ध होने चाहिये उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्त करते रहेंगे तो उसमें कोई बुराई न होगी और मुझे इसमें कोई शका नहीं है कि आप अपने कार्यों से सीमान्त पार अपने हमपेशों के कामों को प्रभावित करने में समर्थ होंगे।

अतः मुझे आपकी सस्था से बड़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि अभी कहा गया है हम बड़े संकटकाल से हो कर गुज़र रहे हैं। जब मैं 'हम' शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा अर्थ केवल इस देश से ही नहीं बरन् यह भी है कि संसार बड़े ही संकट काल से गुज़र रहा है। एक नये राष्ट्र के नाते जो अभी सत्तासीन हुआ है हम विदेशों से अपने सम्बन्ध कुछ सीमा तक स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। हम एक नयी नीति के निर्धारण करने का भी प्रयास करते रहे हैं। अर्थात् ऐसी नीति के निर्धारण का प्रयास करते रहे हैं जो दूसरे देशों की नीति से सर्वदा स्वतन्त्र हो। इस देश के समाचारपत्रों का यह काम होना चाहिये कि वे अन्य देशों को हमारे दृष्टिकोण को इस प्रकार बताये कि जिस से उस देश के वारे में उन लोगों के मन में कोई गलतफ़हमी न हो। अखबारों का यह भी फ़र्ज होना चाहिये कि वे इस बात की खबर रखें कि दूसरे देशों के अखबार क्या कह रहे हैं और दूसरे देशों के लोग क्या सोच रहे हैं और हमारे देश के लोगों को उन विचारों से और उन लोगों के कामों से पूर्णतया परिचित रखें। हर काल में ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं किन्तु जिन संकट काल में होकर हम आज गुज़र रहे हैं उन में तो उनका महत्व और भी कहीं अधिक है। अविचार से कहा हुआ एक शब्द ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसे कोई भी पसन्द न करता हो। जल्दी में कही हुई बात अनेक प्रकार की उलझनें पैदा कर सकती है। हमारी नीति की व्याख्या करने में तथा दूसरे देशों की नीति की व्याख्या करके हमें बताने में आपको बड़ी होशियारी बरतनी चाहिये जिससे कि किसी प्रकार की गलतफ़हमी पैदा न हो। मेरे लिये यह कहना ठीक नहीं है कि आप लोग अपने को पूर्णतया सब बातों से परिचित रखें क्यों कि मैं जानता हूँ कि आप ऐसा करते हैं किन्तु मैं आप से ऐसा करने की अपेक्षा करता हूँ कि आप जरा सी उत्तेजना पर हर ऐसी बात को प्रकाशित करने या बयान करने के लिये जिसे आप जानते हैं तैयार न रहें। ऐसा हो सकता है कि ऐसा करना आवश्यक ही न हो। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप जानते हैं किन्तु जिनका प्रकाशन करना आवश्यक नहीं है जिन्हें हर आदमी को बताना भी जरूरी नहीं है। मुझे यकीन है कि इस प्रकार के संयम द्वारा आप अपने में और भी अधिक शक्ति पायेंगे और देश की और भी अधिक अच्छी सेवा करेंगे। आपकी सफलताओं के लिये मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ और जिस काम को आपने प्रारम्भ किया है उसमें मैं आपके लिये बहुत काफ़ी और लम्बे तथा सफल जीवन की कामना करता हूँ।



## राष्ट्रपति जन्म दिवस

तारीख ३, दिसम्बर १९५० को राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस पर गवर्नमेंट हाउस के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मेरे लिये यह एक शुभ दिन है। जब आप सभी भाइयों और बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी उन्नति के लिये, मेरे स्वास्थ्य के लिये, मेरे दीर्घ जीवन के लिये सबों ने प्रार्थना की। इससे बढ़ कर और दूसरी कोई चीज किसी के जीवन में मिल नहीं सकती कि असंख्य लोग उसको आशीर्वाद दें और वह आज मुझे प्राप्त है। इसके लिये मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद देता हूँ।

## उर्दू मुशायरा

तारीख ७-१२-५० को राष्ट्रपति भवन में उर्दू मुशायरा के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे यह मौका मिला कि इतने बजुर्ग हैसियत के लोगो से मैं मिल सका और आपकी शायरी का मज़ा उठा सका। यह हिन्दुस्तान की पुरानी रवायत है कि अदब और इस तरह की जितनी और चीजें हैं उन की मदद करने और उन में लगे हुए लोगों को हर तरह से उत्साह बढ़ाने के लिये पहले के बादशाह और राजे महाराजे मुहब्बिरोँ और शायरों की मजलिस में शामिल हुआ करते थे। जब सल्तनत बदल गयी तब से क़रीब क़रीब दो सौ वर्षों तक जब तक अंग्रेजों की सल्तनत रही हमारी अपनी शायरी और इस किस्म की चीजों को कोई मदद नहीं मिली। जो कुछ मदद मिली वह सल्तनत के अलावा जो दूसरे लोग थे उनसे मिलती रही और उनकी मदद से ही हमारी शायरी अब तक बची रह सकी। लेकिन अब सल्तनत फिर बदल गयी है। गवर्नमेंट का अब यह फ़र्ज है कि वह शायरी अदब और इस तरह की जितनी चीजें हैं उनको मदद दे। मैं चाहता हूँ कि यह काम जारी किया जाये। जब पहले मैं ने यहां इस मुशायरे की बात सोची तो मेरे दिल में कुछ डर था कि इसमें मुझे कहां तक कामयाबी मिलेगी। खास इसी वजह से अपनी तरफ से मैं ने किसी को दावत नहीं दी। आप लोगों ने ही मेहरबानी करके अपनी तरफ से कुछ लोगों को दावत दी और वे लोग यहां आये हैं। मगर आइन्दा जब कोई मौका होगा और मैं समझता हूँ इस तरह का मौका दूढ करके मैं निकालूंगा तब मैं आप लोगों को दावत दूंगा और आप लोग इसी तरह से मेहरबानी करके मेरी दावत को क़बूल फ़रमायें और यहा तशरीफ़ लायें। यह बात इसलिये और भी ज़रूरी हो गयी है क्योंकि जो अब तक नवाब और राजा थे या दूसरे धनी लोग थे वे अब इन चीजों से अलग होते जा रहे हैं। अब इस के अलावा कोई चारा नहीं कि अदब की मदद सल्तनत की तरफ से की जाये। इस ख्याल से अब यह ज़रूरी है कि इस तरह की चीजों की मदद सरकार किया करे। मैं आशा करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अदब और शायरी और भी तरक्की करेगी और मुझे रम्मीद

हूँ कि आप साहबान इस में हमारी मदद करेंगे और जब कभी यहां इस तरह का मुशायरा होगा आप तशरीफ़ लायेंगे ।

मे आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस शुक्रिया को मंजूर करेंगे ।

### दिल्ली विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह

दिल्ली विश्वविद्यालय के अट्ठाइसवें समावर्तन समारोह में अपने दीक्षान्त भाषण में राष्ट्रपति ने कहा —

उपकुलपति जी, अध्यापकजन, स्नातको और स्नातिकाओ,

आप सब का मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ कि आप ने मुझे यह निमन्त्रण दिया है कि इन स्नातकों और स्नातिकाओं से, जो इस विश्वविद्यालय से शिक्षा पा कर के जीवन भार को वहन करने के लिये बाहर जा रहे हैं, कुछ अपनी बात कहूँ । इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज के भारत और संसार दोनों के ही सामने ऐसी विषम समस्याएँ हैं जिन के सुलझाने के लिये न केवल वयोवृद्ध लोगों के अनुभव और गुरुता की ही ज़रूरत है बल्कि आवश्यकता है युवकों के अदम्य उत्साह, ज्वलंत आशाओं और स्फूर्तिदायिनी शक्ति की भी । यदि यह कहा जाये कि संसार के नव-निर्माण की ज़िम्मेदारी इन्हीं के सर पर है तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी । कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट है कि इस नव निर्माण में कमर कस कर जुट जाना इन के अपने निजी हित में ही है क्योंकि इन के भावी जीवन का रूप रंग इसी पर निर्भर करेगा कि आज की समस्याओं को इन्हो ने कितनी तत्परता और किस खूबी से सुलझाया ।

मे समझता हूँ कि इन लोगों के लिये यह सौभाग्य की बात है कि इस ज़िम्मेदारी को संभालने के लिये मानसिक और चारित्रिक तैयारी करने का अवसर इन्हें दिल्ली जैसे नगर के विश्वविद्यालय मे मिला । यह तो सर्वसम्मत बात है कि विद्यार्थियों को जितना ज्ञान शिक्षकों के लेक्चरों और पुस्तकों से प्राप्त होता है उतना ही उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अनजाने और सहज ही मिलता रहता है जिस के बीच रह कर वे अपना जीवनयापन करते हैं । यह वातावरण जितना ही अच्छा होता है उतना ही विद्यार्थियों का जीवन सुसंस्कृत और सभ्य बनता है । इस दृष्टि से देखा जाये तो इन युवक युवतियों को यहां रहने और पढने के कारण अमूल्य सांस्कृतिक लाभ हुआ है क्योंकि दिल्ली के वातावरण में कुछ ऐसी बातें हैं जो संभवतः अन्यत्र नहीं मिली । यह बात निःसंकाच कही जा सकती है कि दिल्ली के गली कूकों में भारत का सारा इतिहास समूत ही कर बसा हुआ है और इस के निकट के खण्डरो

में तो शताब्दियों की प्रतिध्वनि सुनाई देती रहती है। भारत में और भी बहुत से शहर हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखते हैं पर दिल्ली का इतिहास तो अनोखा है।

यहा इतिहास की तीन धाराओं का संगम हुआ है — .ऐसी तीन धाराओं का जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से निकल कर अनेक शताब्दियों और देशों में से बहती हुई भारत के इस ऐतिहासिक नगर में मिल कर एक धारा बन गई है और भारतवासियों के जीवन को उर्वर बना रही हैं और बनाती रहेगी। इन धाराओं में प्रधान और सब से प्राचीन वह धारा है जो वैदिक काल या उस से भी पूर्व से हमारे देश में बहती रही है और जिस का पुनीत जलामृत हमारे देशवासियों की मानसिक ध्यास को सदा से तृप्त करता रहा है। उस ने हमारे जीवन को हरिश्चन्द्र के वचनपालन, दधीचि के आत्मोत्सर्ग, शिवि की दया, कर्ण की दान वृत्ति, राम के राजधर्म, कृष्ण के निस्पृह कर्मयोग, बुद्ध की अहिंसा और अशोक के धर्म चक्र के आदर्शों से समृद्ध बनाया है। हमारे जीवन का ऐसा कोई अंश नहीं है जिस में उस का प्रभाव विद्यमान न गया हो और इस कथन से अत्युक्ति न होगी कि जान में या अनजान में वह आज भी प्रतिक्षण हमारे जीवन और विचारों की दिशा को निश्चित करती है। दूसरी धारा है वह जो आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व अरब से बहती हुई हमारे देश में आई और इसी दिल्ली शहर में उस पहली धारा में मिल गई। कौन नहीं जानता कि इसी नगर में उस, मिली जुली भाषा, वेशभूषा, कला साहित्य और विचार शैली का जन्म हुआ जो यहां के हिन्दू मुसलमानों की है। उस ने हमें कबीर का अनहद नाद सुनाया, और सुनाई जायसी की प्रेम गाथा। उस ने हमें दिया वह शुभ्र-श्वेत प्रस्तर अश्रु जिस में शाहजहां का शोक मूर्तिमान हो कर चिरस्थायी हो गया है। आज वह धारा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। उसी प्रकार कुछ शताब्दि पूर्व तीसरी धारा सुदूर पश्चिम से समुद्र पार करती हुई हमारे देश में आई और आ कर इन दो धाराओं के संगम स्थल नई दिल्ली में उन में मिल गई। उस ने हमारे जीवन की गति को तीव्रतम कर दिया, उस के दायरे को बढ़ा दिया और नये विज्ञान और विधियों से हमारे जीवन को नियमित कर दिया। अतः इन में से प्रत्येक धारा ने हमारी संस्कृति को समृद्ध और उन्नत बनाया है। इन्हीं तीनों धाराओं के इस सगम तीर्थ दिल्ली में रहने और पढ़ने के कारण आप लोगों को अनायास ही इन के रंग में रंगे जाने का पूरा पूरा मौका मिला है और मैं समझता हूं कि आप इन के रंग में रंग गये भी होंगे।

दिल्ली केवल इन ऐतिहासिक धाराओं का ही संगम नहीं बल्कि भारत और दुनिया के विभिन्न प्रदेशों से बह कर आने वाली जातीय धाराओं का भी संगम क्षेत्र है। यहां भारत की चारों दिशाओं के लोग बसे हुए हैं। और भारत का ऐसा कोई प्रदेश या राज्य नहीं जहां के अधिवासी इस दिल्ली में व्यापार या वृत्ति या नौकरी के लिये आ कर बसे हुए न हों। यह कहना गलत न होगा कि यदि कोई हमारे बहुभाषा भाषी और विभिन्न रस्म रिवाज वाले देश का सूक्ष्म रूप देखना

चाहे तो उसे दिल्ली देख लेना ही काफी होगा । यहां उस को पुरातन और नवीन उत्तर और दक्षिण पूर्व और पश्चिम हर प्रकार के भारत के एक साथ ही दर्शन हो जायेंगे । इतना ही नहीं आज तीन वर्ष से तो इस दिल्ली नगरी में अमेरीका और रूस, इंग्लैंड और चीन, फ्रांस और बर्मा आदि सभी देशों के लोगों से सम्पर्क होता है । सचमुच ही दिल्ली एक सार्वभौमिक संस्कृति और समाज वाला नगर है । ऐसे नगर में विद्याध्ययन करने से आप को सहज ही भारत और संसार की विभिन्न जातिवालों से निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला होगा ।

मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वयं विभिन्न प्रदेशों और जातियों के हैं और इस विश्व-विद्यालय में कंधे से कंधा मिला कर पढ़ते खेलते और आनन्द मनाते रहे हैं । अतः आप को तो सन्निध्य रूप में इस बात का अच्छी तरह से अहसास हो गया होगा कि हमारे भविष्य के लिये यह कितना आवश्यक है कि इतिहास की ये तीन धारयाँ दिल्ली के संगम तीर्थ में एक हो कर हमारे देश में बहें और प्रत्येक ग्राम और नगर और प्रत्येक घर और कार्यालय को जीवन और स्फूर्ति प्रदान करें । आप ने इस बात की आवश्यकता भी समझ ली होगी कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और जातियों के लोगों के मनों को इस दिल्ली के द्वारा एक सूत्र में—एसे सूत्र में जो हवा से भी पतला है और इस्पात से भी मजबूत—बंध जाना चाहिये । कम से कम मैं तो यह दृढ़ता से कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक और प्रादेशिक सामञ्जस्य की ये दो महान समस्यायें हमारे सामने हैं जिन्हें हूँ पुरी लगन और समझ बूझ से हल करना है ! मैं समझता हूँ कि इन के हल करने में दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय और इस के विद्यार्थियों और स्नातकों का पर्याप्त महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये । दिल्ली नगर का सांस्कृतिक हृदय होने के नाते इस विश्व विद्यालय का वही सांस्कृतिक और प्रादेशिक चतुराननी रूप है जो दिल्ली का है । इस में भारत के हर कोने से आये विद्यार्थी हैं । इस में इतिहास की इन तीन धाराओं में से अलग अलग एक या एक से अधिक धाराओं में रंगे युवक युवती हैं—इस में पुरातन भी है और नवीन भी । अतः इस की तो यह अपनी समस्या है कि यह विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न ऐतिहासिकों परम्पराओं, और विभिन्न जातियों वाले विद्यार्थियों के जीवन में और मानसिक गठन में सामञ्जस्य स्थापित कर दे और इस प्रकार के आन्तरिक सामञ्जस्य वाले युवक और युवतियों को सहस्त्रों की संख्या में भारत के प्रत्येक प्रदेश में सांस्कृतिक और प्रादेशिक सामञ्जस्य का अग्रदूत और वीर-सिपाही बना कर भेजे । अपनी आन्तरिक शान्ति और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के ही लिये नहीं बरन् अपने शिक्षा धर्म को निभाने के लिये भी इस विश्वविद्यालय और इसी का क्यों भारत के सारे विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि वे इस दिशा में और इन समस्याओं को तुरन्त सुलझाने के लिये कार्यरत हो जायें । शिक्षा का मुख्य ध्येय यही है कि प्रत्येक आदमी के आन्तरिक जगत में सामञ्जस्य हो और उस का वाह्य जगत के अन्य सब प्राणियों से भी सामञ्जस्य हो । यद्यपि बाहरी तौर पर देखने में तो कोई भी आदमी एक ही आदमी लगता है क्यों कि उस के न तो दो मुख दिखाई देते हैं और न आठ हाथ पांव किन्तु यदि साधारण तौर पर एक दिखने वाले आदमी के आन्तरिक गठन को देखा जाये तो पता चलेगा कि उस में एक के बदले में अनेक आदमी एक साथ

ही मौजूद हैं। हमारे पूर्वजों ने दशानन, पंचानन, चतुरानन इत्यादि देवताओं असुरों और आदमियों की कल्पना की थी वह केवल थोड़ी कल्पना ही न थी। उस के पीछे यह मनो-वैज्ञानिक सत्य भी था कि ऊपर से दिखने में चाहे कोई कितना ही एक क्यों न लगता हो किन्तु संभव है कि उस के अन्दर अनेक व्यक्ति एक साथ ही मौजूद हों। एक व्यक्ति में अनेक व्यक्ति होने की बात इसी लिये पैदा होती है कि मनुष्य की विवेकबुद्धि, वासनात्मकबुद्धि और भौतिक इन्द्रियों में ऐसा चिर और सहज सामञ्जस्य नहीं है कि वह कभी टूटे ही नहीं। अभ्यास और ज्ञान द्वारा ही उस में यह सामञ्जस्य कायम किया जा सकता है। ज्ञान कर्म और भक्ति द्वारा इस सामञ्जस्य को स्थापित करने को ही हमारे यहां योग कहा जाता था। एक दफे योग द्वारा सामञ्जस्य स्थापित हो जाने पर ही यह सामञ्जस्य सर्वदा के लिये कायम नहीं हो जाता। प्रतिक्षण इस को बनाये रखने के लिये योगी को साधना और तपस्या करनी पड़ती है। क्षण भर की भी गफलत से वह जीवन की कमाई खो सकता है। क्यों कि उतनी ही देर में यह सामञ्जस्य टूट जा सकता है और वासना उस पर विजय पा सकती है। इसी लिये तो हमारे यहां कहावत है कि—या जागे कोई जोगी या जागे कोई भोगी—सच तो यह है कि योगी तो कभी सोता ही नहीं उस को तो सतत् जाग्रत रहना होना है ताकि उस का यह आन्तरिक सामञ्जस्य जिस के द्वारा ही उस का जीवन सफल होता है और उसे चिरस्थायी आनन्द और सत्य प्राप्त होता है किसी क्षण भी न टूटे। जिस बात को हमारे पूर्वज योग कहते थे उसी को अपने विद्यार्थियों को देने का काम विश्वविद्यालयों का होना चाहिये। आज के शिक्षा शास्त्री इस बात को मानते हैं कि शिक्षा का ध्येय यही है कि विद्यार्थी के आन्तरिक जगत में पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित हो जाये और उम का व्यक्तित्व विभक्त और टुकड़े टुकड़े न रह जाये।

इस प्रकार के विभक्त व्यक्तित्व का खतरा वैसे तो माधारणतया प्रत्येक समाज में और प्रत्येक समूह में बना रहना ही है किन्तु यह उस समाज में तो कहीं ज्यादा हो जाता है जहां एक साथ ही कई संस्कृतियां कई ऐतिहासिक परम्परायें और कई सामाजिक श्रंखलायें एक स्थान पर ही मौजूद होती हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं हमारे देश में इस प्रकार की विभिन्नतायें मौजूद हैं और इस लिये हमारे देश में इस बात का पूरा पूरा खतरा है और बना रहेगा कि हमारे करोड़ों नरनारियों का व्यक्तित्व विभक्त बना रहे। यदि कही यह बात रही तो हमारा समाज और देश आन्तरिक कलह द्वेष और अज्ञात और अज्ञेय मतभेद का शिकार बना रहेगा और हम किसी प्रकार की उन्नति और प्रगति नहीं कर सकेंगे।

अतः हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अविलम्ब ऐसी कार्यवाही करें जिस से हमारे देश का यह खतरा जल्द से जल्द दूर हो। यह बात तो स्पष्ट है कि इस खतरे को पुलिस के डंडे और फौज की बन्दूक से दूर नहीं किया जा सकता और न इस को किसी कानून या अदालत के जरिये मिटाया जा सकता है। अगर वह दूर किया जा सकता है तो केवल सद्शिक्षा के द्वारा और यह काम हमारे विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं।

दुर्भाग्यवश जो विश्वविद्यालय हमारे यहां कायम हैं उन की स्थापना ऐसे युग में हुई थी जब शिक्षा उतने से ही पर्याप्त समझी जाती थी कि वे विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा साहित्य- और भारत में लागू अंग्रेजी कानून का इतना ज्ञान करा दें कि वे या तो सरकारी दफ्तरों और नौकरियों का काम करने के लिये योग्य हो जायें या अंग्रेजी अदालतों में वकालत और पैरवी कर सकें। इसी लिये भारत के लग भग सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रखी गई और अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य विषय रखा गया। कैंसी विडम्बना थी यह कि भारत के रहने वालों को अपना साहित्य पढ़ना तो केवल ऐच्छिक विषय था पर अंग्रेजों का साहित्य पढ़ना था अनिवार्य। पर यह बात लग भग आज तक चली आ रही है। आज भी अधिकतर विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य विषय बने हुए हैं। मेरा न अंग्रेजी से कोई द्वेष है और न अंग्रेजी साहित्य के प्रति कोई उदासीनता। मैंने स्वयं अपने विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी भाषा और साहित्य में ही सर्वोच्च उपाधि हासिल की थी किन्तु अंग्रेजी भाषा और साहित्य में कितनी ही खूबी क्यों न हो इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उस के अनिवार्य अध्ययन का और अपने साहित्य और संस्कृति की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ कि हमारे यहां के विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में रटने की बुरी आदत पड़ गई। हमारे यहां के विद्यार्थियों के खिलाफ यह शिकायत बराबर सुनी जाती है कि वे रटतूपीर होते हैं। पर मैं समझता हूँ कि वे रटतू इस लिये नहीं हैं कि उन की मानसिक और शारीरिक बनावट और देशों के विद्यार्थियों से भिन्न है बल्कि इस लिये कि उस शिक्षा का उन के दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध और सम्पर्क न था जो उन्हें इन विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। इन विद्यालयों की दीवारों के बाहर उन्हें अपना दैनिक जीवन और अपने पूर्वजों की आस्था विश्वास संस्कृति और भाषा छोड़ आनी पड़ती थी। यह ठीक है कि भारत की ही भूमि पर और भारत के ही आकाश के नीचे इन विद्यालयों की दीवारें और इमारतें बनी हुई थी किन्तु उन में भारत न था उन में या तो इंग्लैंड था या यूरोप। वहां पढ़ाई जाने वाली बातों का उन के अपने निजी घरेलू और शहरी जीवन से कोई सम्पर्क न होने के कारण उन्हें सहज में याद रखना सम्भव न था। उन्हें तो उन बातों को जबरदस्ती अपनी स्मृति में टूँसना था और इस कारण सिवाय रटन्त के और वे कुछ न कर सकते थे। इस का परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां के विद्यार्थियों और युवकों में वह सृजनात्मक शक्ति और वह अदम्य आत्मविश्वास न रहा जिस के बल पर भारतीयों ने विज्ञान साहित्य कला और धर्म के क्षेत्रों में शताब्दियों तक अपूर्व कार्य किया था और जिस के बल पर उन्होंने गणेशिया के महाद्वीप में संस्कृति और धर्म की गंगा उस समय बहा दी थी जब न यात्रा के सहज साधन थे और न प्रोपेगन्डा के ऐसे प्रभावी यन्त्र जैसे कि आज कल मनुष्य के हाथ में हैं।

पर इस से भी कहीं हानिकर परिणाम यह हुआ कि हमारे शिक्षित भाइयों का व्यक्तित्व विभक्त व्यक्तित्व होने लगा और उन्हें अपने जीवन में पेट भरने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन न दिखाई पड़ने लगा। इस प्रयोजनहीनता के कारण

हमारे देश की कितनी हानि हुई और इन शिक्षित भाइयों का जीवन कितना नीरस हो गया इस की कल्पना भी नहीं की जा सकती । अपने इस नीरस जीवन को रसमय बनाने के लिये इन्हें सिवाय ब्रिज और ताश या टेनिस के और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया । यह बात देखने में अचरज भरी अवश्य लगती है कि सरकारी नौकरी करते हुए भी अंग्रेज सिविलियन इतिहास, समाज, शासन, इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त लेखन कार्य कर सके पर भारतीय शिक्षित राजकर्मचारियों में से इक्के दुक्के को ही ऐसा करने की प्रेरणा हुई । मे समझता हूँ कि यह बात इसी लिये हुई कि अंग्रेजों के व्यक्तित्व में उतनी विभक्ता न थी जितनी कि अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों में थी और इसी लिये ये भारतीय अपनी इस विभक्ता के कारण पूर्णतया मानसिक अपाहज बन गये थे । जहाँ विश्वविद्यालयों का यह कार्य होना चाहिये था कि वे व्यक्तित्व में साम-  
 डेजस्य कायम करें वहाँ हमारे विश्वविद्यालय उस को अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करते रहे । हाँ वर्षों की इस कार्यवाही के पश्चात् हमारे यहाँ कुछ भारतीय ऐसे हो गये हैं जो भारत की भूमि में भी केवल इंग्लैंड के वातावरण से ही सम्पर्क में आते हैं उन का अपना घरेलू रहन-सहन, दामपत्य जीवन, घर और बाज़ार की बात चीत और खत किताबत की लिखने पढ़ने की भाषा खाने पीने का ढंग वेष भूषा सभी कुछ अंग्रेजी हो गई और इस कारण आरम्भ में जो अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा से व्यक्तित्व में विभक्तता होती थी उस की मात्रा उन कुछ लोगों के जीवन में कम होने लगी पर फिर भी वह न तो बिल्कुल दूर हो सकती थी और न दूर हुई ।

बौद्धिक क्षेत्र में इसके कारण जो हानि हुई उससे कहीं अधिक हानि इससे सामाजिक क्षेत्र में हुई । इन विश्वविद्यालयों के शिक्षित लोगों को उन लोगों के प्रति उदासीनता या उपेक्षा भाव अथवा घृणा तक होने लगी जो अंग्रेजी शिक्षा साहित्य और संस्कृति से सर्वथा अनभिज्ञ थे । इसलिये भारत के नगर नगर में संस्कृति की ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी होने लगी जिसकी एक तरफ इंग्लैंड के मानस पुत्र थे और दूसरी ओर भारतीय । शरीब अमीर की दुनिया तो अलग होती ही थी अब अंग्रेजी पढ़ों और वे अंग्रेजी पढ़ों की दुनिया भी अलग होने लगी । और इस प्रकार जो तात्त्विक उद्योग और प्रयास किये जा सकते थे उनकी सुविधान्न रही । इस दीवार के दोनों ओर रहने वालों में आपस में शका और द्वेष का वातावरण बढ़ने लगा और एक दूसरे का परिहास उड़ाने और एक दूसरे की मुन्बालफत करने की भावना बढ़ने लगी । जहाँ नागरिक जीवन में इस प्रकार की विभक्तता पैदा हुई वहाँ ग्रामीण जीवन तो विनष्ट ही हो गया । ग्रामों में अंग्रेजी रहन सहन वर्तने वालों की सख्या अधिक न हो सकती थी क्यों कि उस तरह के रहन सहन में अधिक खर्च पड़ता है और ग्रामवासियों के पास इतना फालतू धन था ही कहां । साथ ही ग्रामों में वे सुविधायें भी न थी जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग चाहते थे । नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजी द्वारा शिक्षित भारत का संपर्क ग्रामीण भारत से बिल्कुल टूटता गया । भारत के इतिहास में इससे पहले कभी यह न हुआ था कि शिक्षित लोग ग्रामों में न रहें और न जायें । सर्वदा ही पांडित लोग ग्रामों में जाते थे और अनेक तो वही रहते थे और कथा गाथा इत्यादि से ग्रामों का जीवन सुसंस्कृत और सभ्य बना रहता था । अंग्रेजी काल से पहले नगर और ग्राम की संस्कृति में कोई खाई न थी और उस समय

ग्रामवासियों और साधारण स्थिति के नगरवासियों के वेषभूषा खान पान और रहन सहन में कोई बड़ा अन्तर नहीं दिखाई देता था। इसीलिये तो उस जमाने में नगर और ग्राम में रोटी बेटी का संबंध बड़ा गहरा रहता था। शहर की बेटी ग्राम में ब्याही जाती थी और ग्राम की शहर में पर ऐसा होने से किसी को भी संस्कृति भेद न होने के कारण कोई कष्ट या असुविधा न होती थी। पर अंग्रेजी राज्य काल में नगर और ग्राम में संस्कृति की दृष्टि से इतना अन्तर हो गया कि अगर शहर की बेटी गांव में ब्याही जाती तो उसे काफ़ी तकलीफ़ और दुःख भोगना पड़ता। इसलिये नगर और ग्राम के सामाजिक संबंध और भी टूटने लगे और दोनों का संबंध केवल इतना रह गया कि ग्रामवासी शहर में आकर नाज बेच जायें और कपड़ा मोल ले जायें। नगर और ग्राम के बीच इस प्रकार की खाई बढ़ जाने से देश और पंगु होने लगा। साथ ही इस प्रकार की शिक्षा से ग्राम को यह हानि हुई कि उसके ऐसे वासी जिनकी बुद्धि कुशाग्र थी अथवा जो अन्यथा सक्रिय थे ग्राम को छोड़कर नगर में बसने लगे। जो भी ग्राम का चतुर विद्यार्थी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेता था वह तो अपनी अंग्रेजी मनोवृत्ति के कारण भारतीय ग्राम में रहने की बात सोच ही न सकता था। फल यह हुआ कि जैसे सोस्ता पानी को पूरी तरह सोख लेता है उसी तरह ये विश्वविद्यालय बुद्धि कुशाग्रता को ग्रामों से सोख लेने लगे और वहाँ केवल वही लोग बच गये जो बुद्धि में या चानुरी में पिछड़े हुए थे। जहाँ पहले ग्राम की बुद्धि ग्राम के ही आर्थिक और सामाजिक जीवन में लाती थी वहाँ अब वह ग्राम से सर्वथा चली आई और शहरों में रहने लगी। इस प्रकार इस शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे ग्राम अंधेरे और अशिक्षा के घर बन गये। इस तरह जिन का काम जाति को अमृत दान करना था वही उसको विष का प्याला पिलाते रह।

अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का कोई भी आर्थिक और राजनैतिक महत्त्व क्यों न रहा हो अब तो वह न है और न रहना चाहिये। हमारे सामने सब से बड़ी यह समस्या है कि संस्कृति और धन की दीड में और देशों में और हम में जो अन्तर पड़ गया है उसे जल्दी से जल्दी दूर कर दें। यदि हम न इस बारे में कोई ढील डाली या इस को पूरा न कर सके तो हमारी आजादी तो खतरे में पड़ेगी ही हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जायेगा। इस अंतर को दूर करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम में से हर एक पूर्ण एकाग्रता से और हमारी सारी जाति पूर्ण एकता और लगन से इस काम में जुट जायें। पर यह तो तभी हो सकेगा जब कि हमारे वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में जो विभक्तता और खाड़ियाँ पैदा हो गई हैं वे पूरी तरह से दूर हो जायें।

इस का अर्थ यह है कि हमें दो प्रकार के कदम तुरन्त उठाने चाहिये। पहली बात जिसकी हमें अत्यन्त आवश्यकता है वह यह है कि हम इतिहास की इन तीन परम्पराओं के बारे में यह तय कर लें कि उन में हमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। प्रत्यक्ष है कि यूरोप और अरब की दोनों धाराओं को यहाँ की मुख्य धारा में मिलाना है। यह बात में इसलिये नहीं कहता कि मैं यहाँ की प्रथम धारा को अरब या यूरोप की धारा से सांस्कृतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर समझता हूँ। मेरी दृष्टि में बेहतर और बदतर का प्रश्न नहीं है। मेरे सामने तो केवल यही बात है कि प्रथम धारा हमारे देश के लगभग सभी आदमियों के सांस्कृतिक जीवन की बुनियाद में मौजूद है। कम से कम यह तो अकाट्य सत्य है कि वह यहाँ के ९० प्रतिशतवासियों के जीवन का सहारा है। अतः



चाहे फिर यूँ ही या अरब वाली धारायें पहली से अच्छी ही बयों न हों यह प्रयास सर्वथा असफल होगा कि प्रथम धारा को रोक कर या बांध बांध कर अपने रास्ते से हटा कर वाद वाली धाराओं में जबरदस्ती मिला दिया जाये। प्रथम धारा से दूसरी धाराओं के मिलाने का अर्थ केवल इतना ही है कि वे अपने विशिष्ट तत्वों को प्रथम धारा के साथ प्रत्येक भारतीय के जीवन में पहुँचा दें ; प्रत्येक भारतीय को उनका लाभ मिले। गालिब के अशअर और शेक्सपीयर के ड्रामे महज कुछ चन्द लोगों की सम्पत्ति न रह कर अधिक से अधिक भारतवासियों की सम्पत्ति हो जायें। साथ ही आज जो लोग प्रथम धारा की कृतियों से नफरत करते हैं वे कम से कम इस बात के जानने की तो कोशिश करे कि उन कृतियों में कोई खूबी है या नहीं। हमारे देश के रहने वाले हर एक शख्स का फ़र्ज है कि वह इन धाराओं की सांस्कृतिक देन को घृणा की या उपेक्षा की दृष्टि से न देखे वरन् उन सब को चाव से पढ़े। जब मैं शेक्सपीयर के ड्रामों की या गालिब के अशअर की बात कहता हूँ तो उमका यह मतलब नहीं कि उन्हें अंग्रेजी या फ़ारसी से लदी हुई हिन्दवी जवानों में ही पढ़ना हर भारतवासी को जरूरी है। जो उन ज़बानों में उन्हें पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं शौक से पढ़ें पर जो लोग इन ज़बानों को नहीं समझते उनको ये सब अपनी ही भाषा में लभ्य होनी चाहिये। अर्थात् विश्वविद्यालयों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे यूँ ही और अरब और इन के अलावा अन्य ऐतिहासिक परम्पराओं की सांस्कृतिक कृतियों का अनुवाद करायें और उनको विद्यार्थियों को मुहैया करें। जो भी पाठ्य पुस्तकें हों उनमें कुछ सबक ऐसे होने चाहिये जिन से इन ऐतिहासिक परम्पराओं का पता चले और उनकी कृतियों का आनन्द प्राप्त हो। यदि हम इस बारे में अपने ग़व भाइयों को साथ लेकर चलें तो हमें अपने मकसद को पूरा करने में बड़ी ज़रूरी कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारी जनता और हमारे बुद्धिजीवी लोगों के बीच की दीवार तभी टूट सकती है और उन के बीच की खाई तभी पट सकती है जब ये बुद्धिजीवी लोग अन्य भाषीयों से मिले मिले रहें और अलग जाति न बन जाय। इस बारे में यह कह देना मैं जरूरी समझता हूँ कि राष्ट्रपिता गांधी जी की सब से बड़ी देन हमें यही थी कि उन्होंने अपने चर्खा और खादी, तीसरे दर्जे के सफ़र और भारतीय वेपभूषा के द्वारा हमारे शिक्षित वर्ग और जनता के टूटे हुए सम्बन्धों को जोड़ दिया था और इस प्रकार जाति को वह शक्ति, वह उत्साह और वह स्फूर्ति प्रदान कर दी थी जो शताब्दियों में उसमें न थी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह बनी बनाई एकता कही हमारी नासमझी से फिर न टूट जाये। आज ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो यह समझते हैं कि गांधी जी ने जो हमारा भारतीयकरण किया था वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिये तो ठीक था किन्तु वह अब न केवल अनावश्यक है वरन् प्रतिक्रियावादी भी। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों ने यह बात नहीं पहचानी है कि जनता के हृदय से सम्पर्क टूटने के बराबर और कोई हानिकार और प्रतिक्रियावादी क्रम न होगा। हमें प्रगति करनी है, हमें अपने देश में ज्ञान, साहित्य और कला का प्रसार करना है पर इसका यह तरीका नहीं कि हम जनता के हृदय से अपने को काट कर अलग कर लें। मैं समझता हूँ कि भारतीय वेशभूषा में भी विज्ञान का अध्ययन उसी खूबी से किया जा सकता है जैसा कि और किसी वेप में। भारतीय भाषा में साहित्य पढ़ने से उसका आनन्द जाता रहे ऐसी बात तो नज़र नहीं आती फिर वर्ध में हम बयो जनता से अपना सम्पर्क काट दें। इसलिये मैं यह बल पूर्वक कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों को भारतीय ऐतिहासिक परम्परा की उपेक्षा अब न करनी चाहिये और अपने अनिवार्य विषयों में भारतीय साहित्य को ज़रूरी समझना चाहिये। साथ ही उन्हें इस बात का

प्रयास करना चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके वे भारतीय भाषा या भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का प्रबन्ध करें क्योंकि ऐसा करने से ही समाज और व्यक्ति के व्यक्तिव्य में जो विभक्तता मौजूद है दूर की जा सकेगी ।

दूसरा कदम जो मैं जरूरी समझता हूँ यह है कि हम यह मान लें कि अब इस बात का समय आ गया है कि ये विश्वविद्यालय ग्रामों की बुद्धि के सोखता न हो कर उसे ब्याज सहित गांवों को वापस देने की संस्था बन जायें । यह बात तभी हो सकती है जब इन विश्वविद्यालयों का जीवन ऐसा न हो जो ग्राम से सर्वथा भिन्न है । मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि ग्रामीण जीवन की बुराइयों को हम विश्वविद्यालय के जीवन में स्थान दें । पर मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इनके जीवन में तड़क भड़क और फ़ैशनपरस्ती की कोई आवश्यकता नहीं और न ये बातें उसमें होनी चाहियें । बापू के आश्रम में जीवन ग्रामीण जीवन सा ही था । हाँ उसमें ग्रामों के दोष न थे । मेरा विचार है कि हमें बहुत कुछ उसी तरह का जीवन इन विश्वविद्यालयों में रखना चाहिये । यदि हम ऐसा कर सकें तो यहां के विद्यार्थियों को ग्रामों में जाकर उनको प्रगतिशील और सभ्य बनाने में कोई मानसिक या सांस्कृतिक हिचकियाहट न होगी ।

यदि विश्वविद्यालयों में जीवन के प्रति दृष्टिकोण का ऐसा परिवर्तन हो गया तो मैं समझता हूँ कि आज जो नगरों में सांस्कृतिक दीवारे खड़ी हो गई है आज जो ग्राम और नगर का सम्बन्ध बिल्कुल टूट गया है और आज जो ग्राम से बुद्धि और कौशल नगरों में व्यर्थ खिंचा चला आ रहा है और आज जो हमारे शिक्षितों के व्यक्तिव्य में विभक्तता है उन सब को बहुत कुछ समाप्त हो जायेगी ।

विश्वविद्यालयों में इस प्रकार दृष्टिकोण के क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का भार विश्व-विद्यालयों के संचालकों का है । यदि वे यह मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय भारतीय जनता के सेवक हैं और यदि वे यह समझते हैं कि इन्हीं विश्वविद्यालयों के द्वारा जन-जीवन में ज्ञान की ज्योति और आदर्श का प्रेम फैलाया जा सकता है और यदि वे अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि भारतीय जन-जीवन में ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन करने वाले सिपाहियों को उन्हें पैदा करना है तो मैं समझता हूँ कि वे इस बारे में विचारपूर्वक सक्रिय कदम उठायेंगे । साथ ही आप स्नातक और स्नातिकाओं का कर्तव्य है कि आप अपने देशवासियों के प्रति उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिये जो उन्होंने अपनी नाई कमाई से आप को शिक्षा देकर आप पर लानद दी है और साथ ही उनसे स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण अपने सम्बन्ध कायम करने के लिये आप उनकी सेवा के लिये अपने को उत्सर्ग कर दें । लाखों घरों और झोंगड़ियों में आपका प्रकाश पहुंचाना है । आपके पास वह ज्योति है जो दूसरों को ज्योति देने से और बढ़ती है । आपके पास वह धन है जो जितना ही दान में दिया जाये बढ़ता ही जाता है । आप इनको देकर भारत के बच्चे बच्चे में नवजीवन की लहर भर सकते हैं । सुदृढ़ विश्वास और मजबूत कदमों से आगे बढ़िये और इतिहास की और अपने देशभाइयों की आकांक्षा इस कर्तव्य को निभा कर पूरी कीजिये ।

मेरी सद्कामना है कि भगवान की कृपा से जीवन की इस परीक्षा में भी आप पूरे उतरें ।

## सोनपुर श्मशान घाट वम्बई में सरदार वल्लभभाई पटेल का दाहकर्म

सरदार वल्लभ भाई पटेल के दाहकर्म के अवसर पर सोनपुर श्मशान घाट में राष्ट्रपति जी के उद्गार—

भाइयो व बहनो,

अभी जो कुछ राजाजी ने कहा है उसको आपने सुन लिया है। सरदार उस शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं रहे जिस को हम दिन ब दिन देखा करते थे और जिसको देख कर हम साहस हासिल करते थे और जो काम वह करते थे उसमें सहारा दिया करते थे। पर सभी देहवासियों का अन्त होता है। जो जन्म लेता है वह मरता है। जिसको शरीर मिलता है उस का शरीर एक न एक दिन जाता है। आज सरदार भी शरीर से हम लोगों के बीच से चले गये। मगर जो सेवायें देश की उन्होंने की हैं, उन्होंने हमारे सामने और सारे देश के सामने जो उदाहरण रखा है वह हमारे इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा रहेगा और कायम रहेगा। जो कुछ हम उन से सीख सके हैं उसे हमको भुलाना नहीं चाहिये और उस से लाभ उठाना चाहिये। ऐसे मौकों पर हमको दुःख होता है। हम रोते हैं, घबराते हैं, अपने लिये, सरदार के लिये नहीं। वह तो अपना काम करके और उसे पूरा करके गये। जो चिन्ता रह गयी थी उस चिन्ता से भी वह मुक्त हो गये। अब हमारा काम है कि जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ा है उस को हम अपनी कोशिश से पूरा करें। हमारा यह काम है कि जिस चीज को उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करें और इस देश में जो कुछ इस वक्त कमी रह गयी है उस कमी को दूर करें। और जैसा हम को नेता मिला था अपने को उस के योग्य साबित करें। सब लोगों के लिये तो सरदार का जाना दुःख की बात है इसमें कोई शक नहीं। मगर जो उन को बहुत नज़दीक से देखते थे उन्हें तो भाई बिछुड़ने का सा दुःख हो रहा है। हम उनके परिवार के लोगों से यह कहेंगे कि उनका परिवार कुछ छोटा नहीं था। वह तो सारे देश के परिवार के थे। इसलिये सब लोग इनके इस दुःख में शरीक हैं। सब लोग उनके साथ हैं। जो अग्नि आपके सामने इस समय जल रही है इसमें इनका शरीर जला होगा पर उनकी कीर्ति जली नहीं। कीर्ति तो अमर रहेगी। उसे अग्नि जला नहीं सकती। हम सब को चाहिये कि उनके बताये हुए मार्ग पर चलें।

### नागपुर विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण

नागपुर विश्वविद्यालय के तीसवें समावर्तन समारोह में अपने दीक्षान्त भाषण में राष्ट्रपति ने कहा—

कुलपति जी, उपकुलपति जी, अध्यापकगण, स्नातिकाओ और स्नातको,

आप सब स्नातिकाओं और स्नातकों को, जो आज इस विश्वविद्यालय से उपाधियां लेकर जीवन के वृहत् क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, यह स्मरण रखना चाहिये कि आप यह क्रम ऐसे समय और स्थितियों में उठा रहे हैं जब हमारे देश के सामने अत्यन्त विषम समस्यायें और प्रश्न उपस्थित हैं और जिन्हें सुलझाने में हम सब को अत्यन्त सूझ-बूझ और धैर्य से काम लेना है।

शरदार वल्लभभाई पटेल के उद्गार से तो मैं बारी में कहीं अधिक सावधानी और सहयोग

की आवश्यकता हो गई है। अब तक उनका वरदहस्त हमारे सर पर था; हमें विश्वास था कि वे हम सब विपत्तियों और बाधाओं से बचाते हुये आगे बढ़ाते जायेंगे। तीस बत्तीस वर्षों से वे देश और जनता की सेवा में अपने सारे समय और शक्ति को निरन्तर लगाते रहे। स्वतन्त्रता संग्राम के तो वे प्रधान और प्रमुख योद्धा थे। महात्मा गांधी ने तो विमुक्त भारत को अपनी सत्याग्रह गीता सुना कर स्वतन्त्रता के महायुद्ध के लिये तैयार किया था और साथ में ही अपनी चतुर रणनीति से हमें विजय की ओर अग्रसर किया था। सरदार वल्लभभाई इस स्वातन्त्र्य सेना के एक कुशल और सफल रणनायक थे। उनके पीछे हम सब साहस और विश्वास सहित युद्धक्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और वह दिन आया जब हमें पूर्ण सफलता मिली। उन्होंने देश को मुक्त ही न कराया वरन् चन्द्रगुप्त मौर्य की तरह देश को एक शासन सूत्र में बांध भी दिया और इस प्रकार हमारे देश को सहस्रों वर्षों के पश्चात् वैसा बल और सामर्थ्य प्रदान कर दी जैसी कि उस में अपने चरम राजनैतिक उत्कर्ष के युग में भी शायद ही कभी थी। ऐसे अपूर्व योद्धा और राजनायक से बिछुड़ जाने से हम पर जो भार आ पड़ा है वह साधारण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह देश के नवसृजन के काम में लगे थे। वह अभी पूरा नहीं हुआ था कि वह चल बसे। उसे पूरा करना है। उसको सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य विशेषतः देश के युवक-युवतियों का और उनमें भी आप जैसे शिक्षित व्यक्तियों का है। ऐसे ही समय में मनुष्य के साहस और पीरुष का परिचय मिलता है। आपकी शिक्षा-दीक्षा का आपके लिये और देश के लिये तब तक कोई प्रयोजन न होगा जब तक कि आप सरस्वती के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरी तरह न निभायेंगे। सरस्वती तो ब्रह्मा की सृजनशक्ति है जिसमें जगत्पिता प्रति क्षण लिप्त रहते हैं। अतः उन सब व्यक्तियों का जो सरस्वती का वरदान प्राप्त कर चुके हैं यह परम कर्तव्य है कि वे अपने को नवसृष्टि के पुण्य कार्य में लगा दें। विश्वविद्यालयों का भी यही धर्म है कि अपने विद्यार्थियों में इसी सेवा और सृजन भाव को जगा दें और उनको मानव जाति का ऐसा सेवक बना दें जो अपना यह धर्म समझते हों कि मानव जीवन को सब बाधाओं और व्याधियों, सब कमियों और कठिनाइयों, सब विपत्तियों और विफलताओं से बचाने के लिये आवश्यक सांस्कृतिक और आर्थिक संसार की नवसृष्टि उन्हें करनी है या कम से कम ऐसे नये संसार की सृष्टि में अपने जीवन को उन्हें लगा देना है।

थोड़े ही दिन हुये हम स्वतन्त्र हुये हैं। हमने स्वतन्त्रता एक विचित्र ढंग से प्राप्त की है। जहां कहीं भयंकर लोह लूहान द्वारा क्रान्ति होती है वहां की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि क्रान्ति-कारियों को खुला मैदान मिलता है और वे जैसा चाहें कर सकते हैं और बात की बात में सामाजिक और दूसरी बातों में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं; विशेष कर के जब उनको साधन सम्बन्धी कोई मानसिक अथवा नैतिक बाधाएं नहीं होती। हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति में अहिंसा को ही अपना साधन रखा और यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उसके वैसे ही पुजारी हैं जैसे हम पहले पुजारी और साधक थे तथापि हमारे लिये इस प्रकार की क्रान्ति सम्भव नहीं रही जैसी कि उपरोक्त दूसरे अन्य क्रान्तिकारियों को हुआ करती है। हमारे हाथों में एक जीवित और चलता शासन आया है और हम उस के अनेकानेक बन्धनों से अपने को मुक्त नहीं कर पाये हैं। इसलिये हमें पग पग पर यह सोचना पड़ता है कि इस यंत्र को बिना तोड़े मरोड़े कैसे काम चला सकते हैं और अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। यहा न समय है

और न यह भौक़ा कि इस बात पर विचार किया जाये कि उन मौलिक सिद्धान्तों पर हम कहाँ तक अड़े हुए हैं जो महात्मा गांधी जी की हमारे लिये और संसार के लिए देन है। मैं यहाँ केवल एक ही विषय लेकर विद्वानों और विद्याप्रेमियों का ध्यान आकषित करना चाहता हूँ, चूँकि विद्वानों विद्या प्रेमियों और विद्यार्थियों के समारोह में आज हमको उसी क्रान्ति के दृष्टिकोण से शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर विचार करना आवश्यक है, और यह देखना है कि इस चलते हुए कारखाने को हम किस तरह अपने काम के लायक बना सकते हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक जीवन से बंधी संस्था का उद्देश्य और उस उद्देश्य पूर्ति की योग्यता को ध्यान में रख कर उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक है विचार कर के देखना है। हमारा हाल वैसा ही है जो किसी ऐसे कारखाने के मालिक का होता है जिसके हाथ में एक चलता हुआ कारखाना आ जाये जो बहुत खर्च और परिश्रम करके बनाया गया है और जो जिस चीज़ को बनाने के लिये तैयार किया गया था उसे कुछ हद तक सफलतापूर्वक बनाता भी था। हमें यह पता चलाना है कि किस तरह कम से कम तोड़ मरोड़ किए बिना और कम से कम आर्थिक पूंजी लगा कर एक नई वस्तु को तैयार करने के लिये इसे परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सकता है।

शिक्षा का कारखाना एक ऐसा कारखाना है जो ऐसी बुनियादी चीज़ पैदा करता है जिसकी जरूरत सभी दूसरे कारखानों को हुआ करती है और जिसकी उत्पत्ति और सफलता पर दूसरे कारखानों की सफलता असफलता निर्भर रहा करती है। इसलिये हमको इस कारखाने के उद्देश्य, यन्त्र, साधन इत्यादि सभी चीज़ों का अच्छी तरह विचार कर लेना है और इसमें आवश्यक परिवर्तनों को भी कर लेना है। मैं मानता हूँ कि इस कारखाने में जो माल अब तक तैयार करके दिया जाता रहा है वह अब हमारे काम में बहुत सहायक नहीं हो सकेगा और नये प्रकार की वस्तुएं हम को इस कारखाने से अब निकालनी हैं।

आधुनिक शिक्षा की जो परिपाटी, क्रम और माध्यम उस समय के कर्णधारों ने निर्धारित किया था वे उस समय के काम के लिये उपयोगी और समुचित समझे जा सकते थे। आज की स्थिति में वह खपते नहीं और इसलिये उनमें बुनियादी रद्दोबदल आवश्यक हो गया है। यह कहना न तो अंग्रेजों की शिफायत है और न उन पर लांछन है कि उन्होंने शिक्षा पद्धति में दो बातों पर अधिक जोर दिया। वे चाहते थे कि शिक्षा द्वारा ऐसे लोग तैयार किये जायें जो शासन में उनकी सहायता कर सकें और वे यह मानते तथा विश्वास करते थे कि उनका साहित्य और उनकी अपनी संस्थाएं और उनकी अपनी सभी चीज़ें हमारे देश की संस्थाओं, चीज़ों और साहित्यों के मुकाबले में समृद्धिशाली और समुन्नत हैं और उनको प्रसारित और प्रचारित करन उनका कर्तव्य है और उन्हें वे हमारे लिये भी हितकर मानते थे। उनका ऐसा मानना स्वाभाविक था क्योंकि वे अपनी चीज़ों से अधिक परिचित थे। थोड़ी संख्या में होते हुए भी उन्होंने इतने बड़े देश के असंख्य जनसमूह को अपने क़ाबु में कर लिया था और हममें ही इतनी शक्ति न थी और न बुद्धि और न वह कौशल जिनके द्वारा हम उनका मुकाबला कर सकते। इसलिये उन्होंने अपनी भाषा, अपनी विद्या और संस्थाओं को ही प्रसारित और प्रचारित करना उचित और अंग्रवश्यक समझा। हमको आज देखना है कि उनसे हमको कहाँ तक लाभ पहुंचा है और कहां तक हानि और उनसे अब कहां तक काम ले सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि शिक्षा की बुनियाद विशेष करके अंग्रेज सरकार के कर्मचारी तैयार करने के लिये ही डाली गयी थी और हाल तक हमारे शिक्षाक्रम और पाठ्य विषयों में देश की बहु-मुखी उन्नति की ओर ध्यान नहीं गया था। पहली चीज तो यह थी कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा बना दी गयी थी। इसमें ऐसे लोग बहुत करके तैयार होने लगे जो अंग्रेजों के शासन करने में उनकी भाषा द्वारा ही उनकी मदद कर सकें और उनको यहां की जनता की भाषा और उसमें संचित साहित्य जानने की आवश्यकता शासन काल के लिये कम से कम पड़े और उस श्रम से जो एक विदेशी भाषा और साहित्य जानने के लिये आवश्यक है वे बच जायें। आज यह कहने की ज़रूरत नहीं है और इसको सभी शासक, विद्याप्रेमी और शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि बच्चे की मातृभाषा द्वारा शिक्षा ही उसके लिये अधिक हितकर होती है और उसके मस्तिष्क और चरित्र के विकास में सहायक हो सकती है। इस तरह यद्यपि हमने अंग्रेजी साहित्य से बहुत कुछ सीखा और जाना है पर इसमें कोई सदेह नहीं कि साथ ही हम बहुत करके निस्तेज अप्रतिभ और पंगु भी बन गये हैं। १९२१ की एक बात मुझे याद है क्योंकि उसी के बाद मैं खुले दिल से राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात् अपनी मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा का दृढ़विश्वासी और पक्षपाती हो गया जो अब तक हूँ। उन दिनों में अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित और उससे संबद्ध शिक्षालयों के बहिष्कार का आन्दोलन ज़ोरों से चल रहा था। महात्मा गांधी जी के साथ मैं भी उड़ीसा में भ्रमण कर रहा था। एक बड़ी सभा में एक वृद्ध सज्जन ने महात्मा जी से एक प्रश्न कर दिया। उन्होंने पूछा कि आप इस शिक्षा की क्यों शिकायत करते हैं और इन शिक्षालयों का क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं? क्या यह सारा स्वराज सम्बन्धी आन्दोलन इसी का फल नहीं है? क्या लोकमान्य तिलक और आप जैसे प्रतिभाशाली लोग इसी से नहीं उपजे हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इतने दिनों की अंग्रेजी शिक्षा प्रचार के बाद भी लोकमान्य जैसा एक प्रतिभाशाली हुआ है पर यदि विचार करके देखा जाये तो पूर्व काल की प्रतिभा के सामने लोकमान्य तिलक भी शायद फीके पड़ जायें। दूसरे ऋषियों को तो छोड़ दिया जाये जिनका वृत्तान्त हमें मालूम नहीं पड़ा है पर गीतमबुद्ध, शंकर, और हाल में अंग्रेजी काल के कुछ पहले तुलसीदास और कबीरदास की प्रतिभा का कौन मुकाबला कर सकता है और यह कौन कह सकता है कि यदि विदेशी भाषा के माध्यम का बधन और बोझ लोकमान्य के मस्तिष्क पर न पड़ा होता तो वह जो थे उससे भी कहीं अधिक महान् नहीं होते? बात यह है कि जो कुछ प्रतिभा हमारे लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पाकर प्रदर्शित की है वह अंग्रेजी शिक्षा के कारण नहीं बल्कि उसके बावजूद वे कर पाये हैं। मैं इस बात को सत्य मानता हूँ और इसी लिये मेरा अटल विश्वास है कि अपनी भाषा का माध्यम होना हमारी स्फूर्ति और विकास के लिये अनिवार्य और आवश्यक है। पर यह विदेशी भाषा का बोझ सारे देश के मस्तिष्क को दबाये रख सका है इसका एक सबूत यह भी है कि यद्यपि इतने बरसों से यह व्यवस्था प्रचलित है पर आज की आधुनिक विद्या और विज्ञान में हमारे लोगों की हाल तक बहुत कम देन हुई है। जब वे राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ा और जैसे जैसे वह जोर पकड़ता गया राजकीय विषयों के अलावे दूसरी दिशाओं में भी हमारी बुद्धि कुछ बलुने और खलने लगी और हमारे लोग कुछ न कुछ कर दिखला सके हैं।

केवल माध्यम का ही बोझ हमारी इस शिक्षा पद्धति ने हम पर नहीं लादा। यद्यपि यह पद्धति यह कह कर प्रसारित की गयी कि हमारा प्राचीन साहित्य आधुनिक विद्याओं से वंचित

था तो भी आधुनिक विद्याओं, विज्ञानकलाओं और उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का हमारे पाठ्यक्रम में बहुत कम स्थान बहुत दिनों तक रहा। पिछले दो सौ वर्षों में नवविज्ञान ने संसार को बहुत कुछ सिखाया और दिखाया है। उसके चमत्कार आज सभी लोग देख रहे हैं और उसके शुभ और अशुभ परिणामों से लाभ और हानि उठा रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति इस देश में एक सौ से अधिक वर्ष हुए जारी की गई थी और हमारी पुरानी यूनीवर्सिटीयों को स्थगित हुए भी लगभग सौ बरस हो गये हैं। पहले प्रायः पचास बरसों में विज्ञान का शिक्षाक्रम में स्थान नहीं के बराबर था; जहाँ तहाँ मैडिकल कालिज तथा इंजिनियरिंग के लिये दो छोटे मोटे विद्यालय खोल दिये गये थे, क्योंकि उनसे निकले हुये विद्यार्थियों की भी शासन को आवश्यकता थी।

पर उसे अधिक आवश्यकता ऐसे लोगों की थी जो उस के काम में दफतरों में और कचहरियों में मदद कर सके इस लिये शिक्षाक्रम में ऐसे ही विषय बहुत करके रखे गये जो उस तरह के लोगों के लिये आवश्यक समझे गये थे। कृषिप्रधान देश में मैं नहीं जानता कि कृषि सम्बन्धी विद्या और अनुभव देने वाले कोई एक भी विद्यालय प्रायः पचास बरसों तक इस देश में कायम किया गया या नहीं।

आधुनिक उद्योग और यन्त्रीकरण द्वारा उनको चलाना और उन्नत करना इस युग का सब से बड़ा क्रान्तिकारी काम यूरुप में हुआ है। इस का आरम्भ प्रायः डेढ़ सौ बरस से अधिक हो गये इंग्लैंड में हुआ था और हिन्दुस्तान से जो असंख्य धन अंग्रेजों के हाथों में उन दिनों में आया उस के द्वारा वे उद्योगीकरण में और देशों के मुकाबले आगे रहे पर इस तरह के उद्योगीकरण का कोई काम हमारे शिक्षालयों द्वारा इस देश में हाल तक नहीं होता था और आज भी यद्यपि कालिजों और यूनीवर्सिटीयों की मख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और बहुतेरे उद्योगीकरण के पक्षपाती हैं तो भी ऐसे विषयों को जिन से उसे सहायता मिल सके अभी तक पर्याप्त बधा मामूली स्थान भी नहीं मिला है।

अंग्रेजी ज़माने में न मिलना अंग्रेजों के दृष्टिकोण से स्वाभाविक भी था क्योंकि वे अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे और हमारे देश को अपने कारखानों के लिये अधिकतर कच्चे माल जुटाने और तैयार माल खपाने का उपयुक्त क्षेत्र समझते थे। पिछली शताब्दियों में लड़ाई के बाद रूई की कमी इंग्लैंड के कारखानों की हुई तब से इस देश में ऐसी रूई पैदा करने का प्रयत्न आरम्भ किया जो अंग्रेजी कारखानों के लिये अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा पद्धति का केवल मस्तिष्क पर ही बोझ नहीं रहा उसकी दिश। भी ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ की दृष्टि से ही निर्धारित की गयी। इस का फल यह हुआ कि आधुनिक विद्या और आधुनिक उद्योगों में भी अभी तक और देशों के मुकाबले में हम पीछे पड़े हुये हैं। यहाँ इस विषय पर विचार करना असंगत है कि हम कहां तक इस आधुनिक औद्योगिक होड़ में पड़ना देश के लिये लाभदायक समझते हैं। वह एक दूसरा विषय है और इसमें मतभेद की काफ़ी गुंजाइश है। यह विचार यहाँ पर इसलिये असंगत है कि जो लोग इस पद्धति के प्रचारक व प्रसारक थे वे आधुनिक योरोपीय संस्थाओं और समाजगठन के विरोधी नहीं बल्कि पोषक

और सहायक थे तो भी इस देश में उसका प्रसार उन्होंने नहीं किया और शिक्षा यंत्र को ऐसा रखा जिससे उसके प्रसार में कोई सहायता नहीं मिली ।

चाहे हम जिस भी दृष्टिकोण से आधुनिक पद्धति पर विचार करे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है और सभी यूनीवर्सिटियों और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें और पाठ्यक्रम को और माध्यम को बदलें ।

इस यूनीवर्सिटी के सामने अपनी भाषा को माध्यम बनाने की उपयोगिता के सम्बन्ध में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी उपयोगिता को आपने सिद्धान्त रूप से मान लिया है और कार्यरूप में भी उसे दाखिल करने का काम आपने आरम्भ कर दिया है । इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस शुभ प्रयत्न में सचेष्ट रहेंगे और सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे और उन लोगों को भी जो इसकी उपयोगिता और सामर्थ्य में विश्वास नहीं रखते अपने सफल प्रयत्न द्वारा विश्वास पैदा कर सकेंगे । इसको सफल करने के लिये दो प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता है । हमारी भाषाओं के लिये आधुनिक वैज्ञानिक विषय नये हैं और इसलिये उनमें उनके लिये पर्याप्त शब्दावलि नहीं है और जो है भी वह प्रचलित नहीं है । ऐसी शब्दावलि का तैयार करना और प्रचार करना पहली आवश्यकता है । इस दिशा में भी आप की यूनीवर्सिटी और सरकार प्रयत्नशील हैं । और इसके लिये भी मैं आप को बधाई देता हूँ । दूसरा काम यह है कि हमारी शिक्षालयों की पद्धति और पाठ्यक्रम में भी उपयुक्त परिवर्तन किया जाये । यह शायद अभी जैसा चाहिये वैसा नहीं हो रहा है और मैं चाहूँगा कि केवल इसी यूनीवर्सिटी में ही नहीं हमारी सभी यूनीवर्सिटिया इस ओर ध्यान दें ।

विद्या का महत्त्व बहुत है । मनुष्य के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आज के जमाने में आर्थिक उन्नति के लिये भी विद्या आवश्यक है । इस लिये विद्या प्रचार के जो साधन हैं वे ऐसे होने चाहिये जो विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार की उन्नति प्राप्त करने के योग्य बना सकें । हम यदि और बातों को गौण मान ले और अर्थकरी विद्या को ही श्रेष्ठकर समझें तो भी पद्धति में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है । अब तक जो पद्धति प्रचलित है उसने शिक्षित और अशिक्षित दो विभागों में जनता को विभक्त कर रखा है और एक का दूसरे से सम्बन्ध बहुत करके विच्छेद कर दिया है । शिक्षित समाज का रहन सहन, खानपान सब कुछ अधिक खर्चीला हो गया है और उसकी आवश्यकताएं कुछ ऐसी हो गई हैं जो गांवों में पूरी नहीं हो सकतीं । इस लिये शिक्षित समाज बहुत करके शहरों की तरफ चला आ रहा है और गांव उसकी विद्या और अनुभव से वंचित होते जा रहे हैं । इसके अलावा खर्च बढ़ गया है पर इस विद्या से सम्पत्ति के उपाजन की योग्यता नहीं बढ़ती । जो दूसरे पैदा करते हैं उसको ले लेने की शक्ति भले ही बढ़ती हो पर उस से देश का दारिद्र्य दूर नहीं हो सकता और न उसकी सम्पत्ति में कोई वृद्धि हो सकती है । वह तो तभी हो सकता है जब धन पैदा करने की शक्ति में वृद्धि हो । पर वर्तमान अवस्था में तो सिर्फ पैदा हुये धन के बंटवारे से उन कुछ लोगों को अवश्य लाभ हो जाता है जिनको दूसरों का पैदा किया हुआ धन किसी न किसी रूप में और किसी न किसी कारण से मिल जाता है । पर देश



की सामूहिक सम्पत्ति तो जैसी थी वैसी रह जाती है। बल्कि अगर इसका कुछ असर होता है तो बुरा होता है क्योंकि जब पैदा करने वाले यह देखते हैं कि उनकी पैदा की हुई सम्पत्ति दूसरों को ही किसी न किसी कारण से चली जाती है तो उनको अधिक पैदा करने का उत्साह भी नहीं रह जाता है और इस प्रकार अन्त में धन की हानि सारे देश के लिये होती है। इसलिये हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो केवल ऐसी विद्या ही सिखावे जिसके द्वारा शिक्षित लोग सिर्फ दूसरे के कमाये हुये धन के भागीदार ही न हों बल्कि उसके बढ़ाने में कुछ मददगार भी हों। यह एक मानी हुई बात है कि जो आधुनिक शिक्षा पा लेता है वह बहुत करके उस काम के योग्य नहीं रह जाता है जो उसके घर वाले पहिले किया करते थे और जिसके द्वारा वह गुजारा कर लिया करते थे। किसान का लड़का शिक्षा पा कर बेहतर किसान नहीं होता। उसे खेत में जाकर हल को हाथ में पकड़ने में या किसी दूसरी तरह से कोई शारीरिक परिश्रम करने में शर्म लगती है; उसी तरह बर्द्ध का लड़का अपने पैतृक काम को करना नहीं चाहता। शिक्षित होने के अर्थ ही यह हो जाते हैं कि शारीरिक परिश्रम करने की योग्यता नहीं तो अनिच्छा और ऐसे कामों के सिवाय जिन में लिखने पढ़ने अथवा जवान को हिला कर काम निकल सकता है दूसरे किसी काम के प्रति अश्रद्धा। जब महात्मा गांधी जी ने बुनियादी तालीम में शिक्षा किसी धन्धे या उद्योग के द्वारा दिये जाने की बात कही तो उसमें बेहतर शिक्षा देने के अलावा यह भावना भी थी कि हाथों से और शरीर से काम करने में जो एक प्रकार की हीनता मानी जाती है वह दूर हो जाये और शरीर श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े। मैं मानता हूँ कि वह देश के लिये केवल इसी दृष्टि से आवश्यक नहीं है कि यदि उसे ठीक रीति से चलाया जाये तो शिक्षा का खर्च बहुत करके उसी से निकल सकेगा और इस तरह शिक्षा को सस्ता किया जा सकता है बल्कि वह शिक्षितों के जीवन के सुधारने में भी बहुत करके सफल हो सकती है और ऐसा शिक्षित वर्ग उसके द्वारा तैयार हो सकेगा जो दूसरों के पसीने द्वारा उत्पादित धन का केवल बंटवारा ही नहीं करेगा बल्कि इजाफ़ा भी।

आज जिस तेजी के साथ विज्ञान द्वारा उद्योगों की उन्नति हो रही है उस दौड़ में अगर भारत कोई स्थान पाना चाहे तो उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी सारी शिक्षा पद्धति को बदले। देश में केवल बौद्धिक शिक्षा को ही महत्व न देकर कुछ नया ढंग निकालना है जिस में वह भेद जो आज शहरी और ग्राम जीवन में पैदा हो गया है और दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है दूर हो जाये और यह भय भी न रहे कि कभी कोई व्यक्ति अथवा वर्ग ऐसा न हो जाये जो दूसरों के शोषण पर ही निर्भर करे और यह निश्चित हो जाये कि सभी स्वयं धनोत्पादन में हाथ बंटायेंगे। मैं देखता हूँ कि चारों ओर नये स्कूल, नये कालिज और नई यूनीवर्सिटियाँ भी खुलती जा रही हैं और इन में विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। पर यह कहना कठिन है कि यह सभी देश के लिये लाभदायक साबित होगी। क्योंकि इन में बहुत करके वही पुरानी पद्धति और पाठ्यक्रम से काम लिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब कहीं इस तरह की संस्थाओं की स्थापना की इच्छा या मांग हो वहाँ इस पर पूरी तरह विचार कर लिया जाये कि पुरानी लकीर पर चलने से कोई लाभ है या नहीं और अगर नहीं तो इस नयी संस्था द्वारा हम किस तरह कुछ नया रास्ता निकाल सकेगे और लाभ पहुंचा सकेंगे।

यूनीवर्सिटी कमीशन ने ग्राम यूनीवर्सिटियों की बात कही है। महात्मा गांधी जी की बताई हुई नयी तालीम की योजना हमारे सामने है। क्या इनके रहते हुए भी हम पुरानी लकीर के फकीर

बने रहेंगे। तात्पर्य यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों का संबंध पूर्ण भारतीय जीवन से होना चाहिये न कि केवल राजसत्ता से जैसा कि अब तक है।

भारतीय जीवन से संपर्क होने का पहला अर्थ यह है कि विश्व विद्यालयों में वे विषय अवश्य पढ़ाये जाने चाहियें जिन से भारत की आर्थिक उन्नति करने में पूरी पूरी सहायता मिले। यह बात तो सब जानते हैं कि भारत के आर्थिक जीवन का मूल आधार खेती-वाडी है। हमारे देश में कितने ही और उद्योग धंधे क्यों न हो जायें और अनेक होने भी चाहिये और होंगे भी किंतु जहां तक मैं समझता हूं हमेशा ही खेती हमारा मुख्य और प्रधान उद्योग होगी। यदि यह विचार ठीक है तो स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा में कृषि विज्ञान और कृषि संबंधी अन्य विज्ञानों की प्रधानता होनी चाहिये। यदि आज विश्वविद्यालयों के सिलेबस पर दृष्टि डाली जाये तो पता चलेगा कि कृषि विज्ञान और तत्संबंधी अन्य विज्ञानों का उनमें बहुत ही गौण स्थान है। कैसी विडम्बना है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि की शिक्षा का ही लगभग अभाव हो। यदि हमारे देश में आज खाद्यान्न की कमी है और यदि हमारा कृषि उद्योग उतना लाभदायक नहीं जितना कि अन्यत्र है तो उसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां आधुनिक कृषि शिक्षा का लगभग अभाव ही रहा है और जो कुछ प्रवन्ध है भी वह भी ऐसा कि वहां के पढ़े लिखे विद्यार्थियों को राजमेवा के सिवाय और किसी कृषि संबंधी कार्य में दिलचस्पी ही नहीं रहती। यदि कृषि शिक्षा लाभदायक होनी है तो वह यहा की भाषा में यहा की स्थितियों का ध्यान रखकर और कम खर्चीली होनी चाहिये तभी उसका लाभ हमारी कृषि के लिये होगा। कृषि के वाद हमारी आर्थिक उन्नति कपड़े के उद्योग पर निर्भर करती है। अतः हमारे विद्यालयों में कपड़ा संबंधी विज्ञान के पढ़ाने का भी प्रवन्ध होना चाहिये। ज्यादा व्योरे में न जाकर इतना कह देना ही मैं काफ़ी समझता हूं कि विद्यालयों के सिलेबस ऐसे होने चाहियें जिनका भारतीय आर्थिक जीवन से घनिष्ठ संबंध हो।

दूसरी बात जो आवश्यक प्रतीत होती है वह यह है कि विद्यालयों में ऐसे आंकड़े होने चाहियें जिनसे यह पता चल सके कि उस वर्ष में किस आर्थिक क्षेत्र में कितने शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है और उनके आधार पर विद्यार्थियों को सलाह दी जानी चाहिये कि वह कौन से विषयों का अध्ययन करें। मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ सुविधा इस बात से हो सकेगी कि विश्वविद्यालय राज्य में के उद्योग, लोक सेवा और कृषि संबंधी संस्थाओं इत्यादि से अपना निकट संपर्क रखे। यदि विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार का दिग्दर्शन मिलने लगा तो वह समय और शक्ति जो आज कल व्यर्थ में बर्बाद जाती है काम में आने लगेगी। आजकल अक्सर यह होता है कि विद्यार्थी ऐसे विषय पढ़ने में अपना समय लगाता है जो बाद में उसके किसी काम में नहीं आता पर यदि इस प्रकार योजनात्मक शिक्षा दी जाये तो देश का धन और युवकों की शक्ति व्यर्थ नष्ट होने से बच जायेगी।

तीसरी बात जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि शिक्षा संस्थाओं को अपने विद्यार्थियों में यह मनोभाव पैदा करना चाहिये कि शिक्षा का ध्येय सृजनात्मक सेवा है न कि उपभोग या सज्जज अब तक शिक्षित वर्ग यही समझता है कि शिक्षा या तो सरस्वती का संगीतमय अभूषण है और

या लक्ष्मी का सुखद वरदान। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह समझते हैं कि विद्या का प्रयोजन केवल यह है कि वे सभा समाज में करीने के साथ उठ बैठ सकें, ढंग से वस्त्र पहन सकें और शालीनता से बातचीत कर सकें। इस प्रकार शिक्षा को वे ऐसा आभूषण समझते हैं जिसके द्वारा उनके मन का सौन्दर्य निखर जाता है। यद्यपि इस बात में कुछ तथ्य है पर यह पूर्णतया ठीक नहीं है। इस के पीछे केवल यही सचाई है कि विद्या निरे पशुमानव को दिव्य-मानव बनाती है। वह उसे प्रकृति प्रदत्त वासनाओं से ऊपर उठाकर वह शक्ति प्रदान करती है कि वह प्रकृति की देन को अपनी सृष्टि से कही अधिक सुन्दर उपयोगी और विस्तृत बना ले। किंतु जहां उसमें यह सचाई है वही उसके अन्दर यह खतरा भी है कि कही इस विचार के कारण शिक्षितवर्ग अपने को अन्य मानवों से अलग और विशेषाधिकार वाला वर्ग न समझले। विद्या मनुष्य को दूसरा जन्म अवश्य प्रदान करती है किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि मानव द्विजत्व के उच्च शिखर पर बैठकर अन्य मानवों को धुद्र समझने लगे। शिक्षितों को तो यह ध्यान रखना चाहिये कि वे जन्ता की उदारता और सहारे से ही सरस्वती की उपासना करने की सुविधा पा सके हैं और इसीलिये उनकी विद्या उनके पास उन के देश वासियों और पूर्वजों की ऐसी थाती है जिसे उन्हें ब्याज सहित अपने भाइयों को फिर लौटा देना है। अतः विद्या को आभूषण न मानकर उसे तो सेवा का बैज ही मानना चाहिये। इसी प्रकार विद्या को केवल उपभोग की वस्तु न समझना चाहिये। अर्थात् केवल इस आधार पर कि वह शिक्षित है किसी भी व्यक्ति को जातीय आय में से मुख्य अंश की मांग न करनी चाहिये। उसको यह मानना चाहिये कि वह जातीय आय में से किसी अंश के लेने का तभी अधिकारी होगा जब वह अपनी विद्या के प्रयोग से जाति की सांस्कृतिक या आर्थिक समृद्धि और अभिवृद्धि करता है। अतः विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं का धर्म है कि वे अपने विद्यार्थियों में यह मनोभावना पैदा करें कि विद्या जीवन की सृजन शक्ति का ही दूसरा नाम है और जब तक वे अपने जीवन को सृजनात्मक कामों में नहीं लगाते तब तक वे न तो विद्या और न जीवन के प्रति वक्रादार सावित होगे।

आप जैसे शिक्षित युवक युवतियों का भी यह धर्म है कि वे शिक्षा के दायित्व और धर्म को ठीक ठीक पहिचानें। हो सकता है कि इस धर्म के निभाने में आपको पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़े और यह भी हो सकता है कि इसके दायित्व को पूरा करने में आप लक्ष्मी के वरदान से बंचित रहें। किंतु आपको यह स्मरण रखना है कि आपका जीवन तभी समृद्ध होगा जब सारी जाति का जीवन समृद्ध हो। यदि आपने जाति की गरीबी की अवस्था में अपने लिये समृद्धि चाही तो आप अपने शिक्षा धर्म के सच्चे भक्त सिद्ध न होंगे। उस हालत में तो आप उन लोगों के भाई बन्द हो जायेंगे जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरों के हितों का हनन करने के लिये तैयार रहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका भावुक हृदय उस बात को कभी पसन्द न करेगा। अतः कमर कस कर इस बात के लिये तैयार हो जाइये कि जब तक पूरा देश समुन्नत, सुसंस्कृत और समृद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपने सुख दुख का विचार छोड़कर ऐसे सृजनात्मक कामों में लगे रहेंगे जिन से देश की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति हो सकती है।

अनन्त काल से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान की ज्योति को लेकर संसार और समय के मध्य दौड़ रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक वह इसे ऊंचा उठाये ही दौड़ता चला जाता

है और थक कर अनन्त निद्रा में गिरते समय दूतरे सशक्त और अमथके हाथों में इसे थमा देता है। इस दौड़ में आपके हाथ में यह ज्ञान ज्योति इस विश्व विद्यालय ने थमा दी है। आप का धर्म है कि इसे आप निरन्तर जलती रखें और भविष्य के रहस्य भरे अन्धकार को ज्योतिर्मय करते हुए दौड़ते चले जाय जब तक कि आप में प्राण रहे और अन्त में उस को अपनी भावी सन्तान को दे जायें। ये महान उत्तरदायित्व आप पर है और मेरी भगवान् से शुभ कामना है कि वह आप को इस दायित्व को पूरा करने में सफलता दे।

### अनुसूचित जातियों द्वारा अभिनन्दन

अनुसूचित और आदिवासी जातियों की ओर से दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में युगान्तर हाई स्कूल में तारीख २६-१२-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम श्री राज्यपाल साहब, बहनो और भाइयो,

आज इतने भाइयों और बहनों से मिल कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। उसका विशेष कारण यह है कि आप उस वर्ग के लोग हैं जो वर्ग बहुत पिछड़ा समझा जाता है और जिनकी उन्नति करना हम सब का परम कर्तव्य है। आपने यह मानपत्र दिया है उससे आपने अपने प्रेम और उदारता का परिचय दिया है और इसके लिये मैं आप सब का बहुत अनुग्रहीत हूँ।

आपने ठीक कहा है कि जो संविधान हमारे देश में बना है उस में आप लोगों के लिये जो संरक्षण दिया गया है वह केवल दस वर्षों के लिये ही दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सभी लोग इतने उन्नत हो जायें और इतने अच्छे हो जायें कि हम में से किसी के लिये विशेष संरक्षण की जरूरत न रह जाये और हम आशा रखते हैं कि जो दस वर्षों की अवधि दी गयी है उसके अन्दर आप इतने उन्नत हो जायेंगे कि आपको उस संरक्षण की आवश्यकता नहीं मालूम होगी। आपने देखा होगा कि संविधान में यह भी एक नियम है कि एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाये जो इन सब बातों को हमेशा देखता रहे और जांचता रहे कि तमाम सूबों में किस तरह आपके प्रति व्यवहार हो रहा है और आपकी उन्नति के लिये शिक्षा के बारे में क्या क्या प्रयत्न किया जा रहा है अभी हाल में ही थोड़े दिन हुए इस नियम के अनुसार एक ऐसे सज्जन को हमने नियुक्त किया है जिन्होंने पिछले २५ वर्षों तक आप लोगों की सेवा में अपनी जिन्दगी बितायी है और जो आपके कष्टों को, आपकी जरूरतों को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं और मैं आशा करता हूँ कि वह सभी जगहों में दौरा करेगा और देखेंगे कि कहां पर किस तरीके से आपको सहायता देने और उन्नत करने का क्या क्या प्रयत्न किया जा रहा है। संविधान में इस बात का पूरा मौका है और इसके लिये पूरा प्रोत्साहन सभी सरकारों को दिया है कि उनके अन्दर जितने ऐसे लोग हैं जो पिछड़े समझे जाते हैं उन की वे उन्नति करें और मेरा विश्वास है, और जहां तक मुझे खबर है मैं यह यह सकता

है, कि सभी प्रान्त इस बारे में पूरे सचेष्ट हैं और इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि पिछड़े हुए लोगों की उन्नति करके उनको और लोगों के मुकाबले में लाकर बैठा दें जिसमें इस तरह के संरक्षण की कोई आवश्यकता न रह जाये। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है वह इस बात में सचेष्ट है और वह प्रयत्न करती रहेगी कि सभी जगहों पर हर तरह से आपको मदद पहुंचायी जाये और आप उन्नत हों। यह एक बहुत पुराना पाप है इसको हमें सक्रिय रूप से हटाना चाहिये। महात्मा गान्धी जी ने और महात्मा गान्धी के पहले कुछ महापुरुषों ने इस बात का प्रयत्न किया और इस काम की नींव उन्होंने डाली और जब हमारे हाथ में अधिकार नहीं था उस वक़्त भी हमने गैर सरकारी तरह से यह प्रयत्न किया कि किसी तरह से हम इन कष्टों को दूर कर सकें। आपको मालूम होगा कि जहां जहां कांग्रेस के लोगों को मौका मिला उन्होंने इस तरह का कानून भी बनाया जिससे अछूतपन दूर हो और मजिदरों में आप सभी के जाने की व्यवस्था हो जाये। जब अधिकार हमारे हाथ में आया तो हमने संविधान में इस चीज़ को रख दिया कि किसी तरह से अछूतपन को मानना जुर्म समझा जायेगा और जो कोई किसी तरह से अछूतपन बरतेंगे वह मुजरिम समझे जायेंगे और उनको सज़ा होगी। जहां तक संविधान का सवाल है हम ने इसको पूरा कर दिया है पर केवल संविधान में ही इस चीज़ को रख देने से यह काम पूरा नहीं हो जायेगा। यह समाज के हर व्यक्ति का काम है कि वह इस चीज़ को बुरा समझे और इस पाप को दूर करे। मुझे इस बात की आशा है कि यह काम जल्द हो सकेगा। यह बहुत पुरानी रूढ़ि चली आयी है और उसको हटाने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि हम इसे पुरो तरह से दूर नहीं हटा सके हैं। पर आप विश्वास रखें कि इसकी जड़ खोखली हो गयी है और समय पाकर जल्द से जल्द कहीं इसको न तो कोई देखेगा और न सुनेगा। आज से तीस वर्ष पहले जब गान्धी जी ने इस काम को शुरू किया था उस समय के भारत को और आज के भारत को यदि आप मिला कर देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अन्तर मालूम होगा। आप देखेंगे कि उस समय जो आपम में मानभेद था, जो अछूतपन था वह बहुत हद तक दूर हो गया है और अगर इस समय भी कुछ हद तक वह मौजूद है तो उसे दूर करना है और जो अभी तक आपम में भेद रह गया है वह बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। इसलिये जिन भाइयों को इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वे थोड़े दिनों तक और सब्र से देखें कि किस तरह जिस चीज़ को हम ने संविधान में रखा है उसको कार्यरूप में कर के उनकी शिकायतों को हटा देते हैं। दूसरे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस बात को समझें कि नव भारत में ऐसी चीज़ों का स्थान नहीं और जहां कहीं थोड़ी बहुत यह चीज़ रह गयी है उसको शीघ्र से शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करें।

यह तो एक सामाजिक बात हुई। मगर आपकी आर्थिक उन्नति और गरीबी का जो पाप है उसे भी दूर करना है और इसमें जहां तक सहायता गवर्नमेंट दे सकती है उतनी सहायता वह देगी। मगर दूसरे लोगों को और गैर सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देनी चाहिये। इस गरीबी को दूर करने में शिक्षा एक अच्छे से अच्छा

साधन होगी सलिये शिक्षा प्रचार पर खास जोर दिया गया है और आप में से जितनों को हो सकेगा छात्रवृत्ति देकर और दूसरी तरह से प्रोत्साहन देकर शिक्षित बनाने और उन्नत करने की ओर ध्यान दिया जायेगा। इस ओर भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें प्रयत्न कर रही हैं और मैं आशा करता हूँ कि उनका प्रयत्न सफल होगा और दस वर्ष के अन्दर ही आप और लोगों के मुकाबले में हो जायेंगे कुछ लोग ऊँचे और आप पिछड़े समझे जाते हैं वह बात नहीं रह जायेगी। सभी बराबरी के दर्जे में आ जायेंगे और इस समय जिस तरह ऊँचे समझे जाने वाले लोग आपस में बर्ताव करते हैं उसी तरह से सभी एक दूसरे के साथ बर्ताव करने लगेंगे और न कोई ऊँचा समझा जायेगा और न कोई अछूत। ईश्वर की कृपा होगी तो हम अवश्य इसमें सफल होंगे।

आपने बड़े प्रेम और उत्साह से मेरा स्वागत किया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

गवर्नर साहब ने ठीक ही सुझाया कि चान्दी के कास्केट में मानपत्र देने का काम जरूरी नहीं, मान तो हृदय से होता है सोने या चाँदी के कास्केट या लकड़ी के कास्केट की भी जरूरत नहीं थी। आपने अपना हृदय मुझे आज भी दिया है और इसके पहले भी दिया था फिर भी आपने काठ के कास्केट में मानपत्र मुझे देने का निश्चय किया यह सुन्दर हुआ। यह काठ का मानपत्र है पर मैं इसे चाँदी और सोने की चीज से अधिक मूल्यवान समझता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें आपका प्रेम भरा है। इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### नागपुर में नागरिक अभिनन्दन

मध्य प्रदेश की स्पूनिंसिरेलिटियों और जनपद सभाओं द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में तारीख २६-१०-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा--

श्री राज्यपाल महोदय, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और सदस्यगण, जनपद सभाओं के अध्यक्ष और सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मैं आप का हृदय से आभारी हूँ कि आप ने प्रेम और उत्सहपूर्वक मेरा स्वागत किया। आप ने यह ठीक समझा है कि आप इस सूबे में एक बहुत बड़े प्रयोग में लगे हुए हैं और वह प्रयोग नगर पालिकाओं और जनपद सभाओं को सफल बनाने का प्रयोग है। अब बहुत सूबों में यह काम एक प्रकार से आरम्भ किया गया है। मुझे जहाँ तक मालूम है यहाँ पर पहले पहल आपने अध्यक्षों का चुनव चुने हुए सदस्यों द्वारा रखा है और जितने मताधिकार वाले लोग हैं सब को यह हक दिया है कि वह स्वतन्त्र हो कर चुनाव करें और थोड़े ही दिन पहले जनपद सभाओं की स्थापना भी सारे सूबे में की गयी है।

यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण काम हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक यह प्रयोगा-वस्था में ही है। लेकिन होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो होनहार पीधे होते हैं उन के पत्ते आरम्भ से ही अच्छे और देखने में सुन्दर होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा और सुना है इस पीधे के पत्ते चिकने हैं और इससे आशा बंधती है कि समय पा कर यह प्रयोग सफल बन सकेगा और सारे देश के सामने यह एक नमूने के रूप में हो जायेगा।

अन्य देशों में नगरपालिकाओं की यह एक पद्धति है कि जितने वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ या संसद् के सदस्य होते हैं वे पहले इन्हीं संस्थाओं में काम करते हैं और काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े पार्लियामेण्टेरियन होते हैं, जितने सफल शासक होते हैं उनमें बहुतेरे तो म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल काउन्सिल आदि में सफलता प्राप्त करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इन नगर पालिकाओं में उनको इस बात का पूरा अवसर मिलता रहता है कि वहाँ वे काम करें और जनता की सेवा करके इन संस्थाओं द्वारा वे ऐसा अनुभव प्राप्त करें जिसे वे सारे देश के काम में लगा सकें। इस प्रकार ये लोगों को तैयार कर सकेंगे जो राजसत्ता में काम कर सकेंगे और वहाँ पर जो कुछ होता है उसे सफलता पूर्वक कर सकेंगे। इस तरह के जनपदों को भी अब यह अच्छा सुअवसर मिला है कि गाँव के लोगों को भी वे इस काम के लिये तैयार करें और उनके प्रतिनिधियों को ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँचा दें और वहाँ पर उनको जो कुछ अनुभव मिले उसे राज्य के काम में लगाकर सारी जनता को लाभ पहुँचायें। मैं इसलिये आपके इस राज्य को और इन जनपदों और नगर पालिकाओं के आप सब सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप को यह अवसर मिला है और इस सुअवसर के साथ साथ आप पर यह जबाबदेही भी आयी है कि आप उसे सफल बनावें।

इस वर्ष सारा देश बुरी स्थिति में है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर के बहुत बड़े हिस्से में पिछले कई महीनों से वर्षा नहीं हुई और इसका फल यह हुआ है कि धान की फसल बहुत करके मारी गयी और साथ साथ गेहूँ की फसल को भी नुकसान पहुँचने का डर है। इसके पहले बहुत जगहों में बहुत पानी बरसा और बाढ़ आयी और उससे भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ और इस तरह अति वृष्टि और अनावृष्टि के दोनों प्रकोप से आज देश बहुत कष्ट में पड़ा हुआ है। अन्न का कष्ट भारत जैसे कृषिप्रधान देश में हो यह आश्चर्य की बात मालूम होती है। पर यह बात हम आज ही नहीं कुछ दिनों से देख रहे हैं और आज हमको विदेशों से अन्न मंगाकर अपने भाई और बहनों की क्षुधा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ रहा है। बात यह है कि यदि हमारे देश के लोग कृषि के काम को ठीक तरह से सम्भालें तो शीघ्र ही यह कठिनाई दूर हो जाये क्योंकि ईश्वर ने हमारे देश की भूमि को बहुत उर्वरा बनाया है और देश में जल भी है और हमारी जनता परिश्रम से भागने वाली भी नहीं है। पर बात ऐसी हो गयी है कि वे सब साधन

होते हुए भी आज देश को अन्न का कष्ट सहना पड़ रहा है। इसलिये हम सब को इस बात पर दृढ़ हो जाना चाहिये कि अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने साहस से इस देश में कम से कम अपने खाने लायक अनाज उपजा लें और यह काम तभी सफल हो सकेगा जब इस देश के सभी वर्ग के लोग और विशेष कर के वे लोग जो खेती करते हैं इस काम में तेजी से लग जायें। मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने स्वयं इस विषय का अध्ययन किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि अन्न की उाज में यदि सौ में दस की वृद्धि हो जाये अर्थात् जहाँ १० मन पैदा होता है वहाँ १ मन और याने ११ मन पैदा होने लग जाये तो अन्न का कष्ट देश से दूर हो सकता है। मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि हमारे लोगों में कृषि का इतना ज्ञान है कि यदि उनके पास साधन हो जाये तो १० मन के बदले ११ मन पैदा करना उनके लिये कठिनसाध्य नहीं है, वे इसे कर सकते हैं। यह देश और राज्य का काम है, जनसेवकों का यह काम है कि अगर वे इस कमी को दूर नहीं कर सकते हों तो कम से कम वे लोग किसानों तक साधन पहुंचाने का काम तो ठीक करें। देश के बहुतेरे किसान ऐसे हैं जो इन साधनों को अपने बूते से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर १०,५ किसान मिल जायें तो मैं समझता हूँ कि इसे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। मगर इस तरह का संगठन अभी देश में नहीं हुआ है। देश में इस तरह का संगठन करना सभी राजनीतिक संस्थाओं और विशेषकर गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। मैं तो यह आशा रखता हूँ कि जब सारे देश के लोग इसे समझ जायेंगे कि यह उनका कर्त्तव्य है कि देश को इस संकट से मुक्त करें और वे इस काम में लग जायेंगे तो वे इस काम को पूरा कर सकेंगे। अभी भी बहुत तंग खयाली से, सकुचित भावना लेकर हम में से प्रत्येक अपना ही खयाल करके अपना प्रयत्न करता है। मगर यह एक ऐसा काम है कि इसमें सारे देश को सामने रखकर सब के प्रयत्न करने की जरूरत है और चाहे एक गांव हो, चाहे एक जिला हो, चाहे एक सूबा हो उन को यह समझना चाहिये कि उनके लिये इतना ही कम नहीं है कि वे अपने लोगों के लिये अन्न पैदा करे बल्कि उनके लिये यह भी जरूरी है कि अपने लिये जितनी जरूरत है उससे अधिक पैदा करें और जहां अन्न की कमी है वहां पहुंचाने में सहायक बनें। और यदि इस भावना से हम काम करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि देश को हम साल दो साल के अन्दर ही इस कष्ट से मुक्त कर सकेंगे।

अभी सभी जगहों में हम लोगों को इस बात की शिक्षा देना सुनने में आती रहती है कि चोर बाज़ारी बहुत गर्म है और उसकी वजह से जो अन्न तथा और और चीजें बाज़ार में आती हैं वे इतने दाम में बिकती हैं कि सब कोई उसे खरीद नहीं सकते। चोर बाज़ारी को भी खतम करने का काम केवल गवर्नमेंट का ही नहीं है। इसमें सबके सहयोग और मदद की जरूरत है और अगर सब का सहयोग मिलेगा तो चोरबाज़ारी भी खतम हो सकती है। मैंने कई जगहों में कहा है और आप से भी कहना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे कि चोर



बाज़ारी में केवल एक ही आदमी का हिस्सा नहीं है। जो खरीदते हैं उन का भी अंश पाप में होता है और जो बेचते हैं उनका भी अंश पाप में होता है। जो अन्न पैदा करते हैं अगर वे इस आशा में अपनी ज़रूरत से ज्यादा अन्न अपने पास रख लेते हैं कि उससे उन को अधिक पैसे मिल सकेंगे तो चोर बाज़ारी में वहां पर वे मदद करने लगते हैं। सभी किसानों का यह धर्म होना चाहिये कि अपनी ज़रूरत से जो ज्यादा पैदा करें उसे खुले दिल से जो उचित मूल्य है उस मूल्य पर बेचकर ऐसे लोगों को जो पैदा नहीं करते या नहीं कर सकते उन को भोजन पहुंचाने में मदद करें। जो व्यापारी है उन पर भी यह लॉछन लगाया जाता है कि वे किसानों को बम दाम देकर अनाज ले लेते हैं और लेकर अपने पास रखते हैं और गैरवाजिब मुनाफा उससे उठाते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ सत्य हो। अगर कोई भी व्यापारी इस तरह से गैरवाजिब मुनाफा उठाना चाहता है तो वह चोरबाज़ारी का भागी बन जाता है। मगर खरीददार भी जिनको अन्न खरीदकर खाना पड़ता है इस में थोड़ा हिस्सा बंटाते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? मैं एक नागपुर शहर को ही लेता हूं। यहां पर राशनिंग है और यहां पर जितने लोग रहते हैं सबको राशन से ही खाने के लिये अनाज मिलता है। सब को राशन कार्ड के मुताबिक ही मिलना चाहिये और अगर कोई ज्यादा लेता है तो कहा से लेता है? जो जितना राशन से मिलता है उससे ज्यादा लेना चाहते हैं वे चोर बाज़ार से ही तो ले सकते हैं। मान लीजिये कि राशन से एक मनुष्य को ८ छटांक मिलता है और उसको १२ छटांक चाहिये। तो ८ छटांक तो वह राशन से लेता है और बाकी ४ छटांक चोरबाज़ार से लेता है। इतना ही नहीं कि वे चोर बाज़ार से खरीदकर चोरबाज़ारी को प्रोत्साहन देते हैं बल्कि अपनी ज़रूरत से ज्यादा खरीदकर इस भय से रख लेते हैं कि कहीं आगे चलकर कमी होने पर कम दाम पर नहीं मिले। इस तरह अपनी ज़रूरत से ज्यादा खरीदकर चोर बाज़ारी को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से किसान हों, चाहे बेचनेवाले व्यापारी हो चाहे खरीदकर खाने वाले हों इसमें सब का भाग रहता है तभी चोरबाज़ारी चलती है। अगर कोई यह मोचे कि चोरबाज़ारी दबाव डालने से दूर हो सकती है तो यह सोचना गलत है। चोरबाज़ारी में जिनका हाथ है उनमें से अगर कोई एक भी चाहे कि चोरबाज़ारी न हो तभी वह खत्म हो सकती है दबाव से नहीं। इस समय ऐसी कठिन स्थिति हो गयी है कि हमको अपनी सारी बुद्धि, हिम्मत और शक्ति उगाकर उसका मुकाबला करना है। मैं यह भी जानता हूं कि प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार आज चिन्तित ह और इस प्रयत्न में लगी हुई है कि किसी न किसी तरह जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण हमारे सामने समस्या आगयी है उसका हल करें। सरकार इस प्रयत्न में लगी हुई है कि विदेशों से जितना अन्न हो सके लाकर अन्न कष्ट को दूर किया जाये। पर बाहर से अन्न लाना कुछ आसान नहीं है। एक तो अन्न मिलता ही नहीं, अगर अन्न मिले भी तो दाम दाना देना पड़ता है कि हम हमेशा इसे दे नहीं सकते। अगर दाम देने से अन्न मिले भी तो आजकल जहाज़ों की कठिनाई है। आखिर जहाज़ पर ही लाद कर तो हम बाहर से अन्न ला सकते हैं। तो ये सब कठिनाइयां हमारे

सामने हैं। इन कठिनाइयों के होते हुए भी यथासाध्य प्रयत्न किया जा रहा है कि बाहर से देश में अन्न आवे। मैं आप से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है मगर जनता भी हाथ पर हाथ रखकर न बैठी रहे। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों में बहुत साहस है और उनमें इतनी बुद्धि भी है कि वे पहाड़ फोड़ कर भी उसमें से अन्न निकाल लेते हैं, एक जगह नहीं सारे देश में जा कर आप देखें तो ऐसी ऐसी कठिन जगहें हैं जिन को हमारे लोगों ने जोतकर अपने परिश्रम से, अपने अध्यवसाय से उन्हें हरा भरा बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि वही परिश्रम, वही अध्यवसाय और वही बुद्धि बाज इस कष्ट निवारण में हमारे लोग लगावें।

आप जानते हैं कि मैं बिहार सूबे का रहने वाला हूँ। वहाँ भी इस साल अनावृष्टि के कारण बड़ी कठिन समस्या आगयी है। पार्लियामेन्ट के कुछ मॅम्बर मुझ से मिलने आये थे और वहाँ के किसानों की बुरी हालत का वर्णन उन्होंने मुझे सुनाया। मैंने उन से कहा कि आप लोग जाकर सभी जगहों में लोगों से कहे कि वे अपनी बुद्धि लगाकर जो कुछ पैदा कर सकते हैं पैदा करें। बहुत छोटी छोटी अन्न की फसल होती है जो थोड़े ही परिश्रम से पैदा की जा सकती है और गांव के किसान उनको जानते हैं और पैदा कर सकते हैं। मैं जब कृषि विभाग में था तो उस विभाग के लोगों को इस बात की चर्चा करते सुनता था कि छोटी मोटी फसल जो थोड़े ही दिनों में और कम मेहनत से पैदा की जा सकें किसानों में उनका प्रचार करना चाहिये। उन दिनों शकरकन्द की दिल्ली में बहुत चर्चा चलती थी कि यह ऐसी फसल है कि जितनी जमीन में अनाज जितना पैदा होता है उस से कई गुना अधिक उतनी ही जमीन में शकरकन्द पैदा किया जा सकता है और इस लिये लोगों को इसे प्रोत्साहन देना चाहिये। यह बड़ी चीज थी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिये। मगर जिनको गावों का अनुभव है और विशेष कर हमारी तरफ के गावों का वे सब जानते हैं कि इस से पहले भी न मालूम कितने दिनों से हमारे यहाँ के बहुत गरीब इस चीज को पैदा करते आये हैं। शकरकन्द को मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। जाड़े के महीने में बहुतेरे गरीब शकरकन्द खाकर ही अपने दिन बिता लेते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। मैंने बचपन में भी इसे देखा था और मैं समझता हूँ कि हमारे पूर्वजों के बचपन से ही शकरकन्द चला आ रहा है। इसलिये मैं कहता हूँ कि हमारे गांव के लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। आज से पहले भी हमारे यहाँ कभी कभी सूखा, अनावृष्टि हमारे लोगों ने देखी है, और अपनी आंखों से हम भी देखते हैं कि इस तरह की विपत्ति आती है तो लोग कितने परिश्रम से, कितनी हिम्मत से कुछ न कुछ पैदा करते हैं और अपना समय काट लेते हैं। मैंने यह सब आप से इसलिये कहा कि ऐसे समय पुरुषार्थ की परीक्षा होती है। आज शहर के लोगों को, गांव के लोगों को, किसानों को, जो किसान नहीं हैं उन सबों को यह सोचना है कि किस तरह इस विपत्ति से निकलें।

भापने ठीक कहा है कि आप को यहाँ पानी का भी कष्ट है और आप डरते हैं कि आपको पीने के लिये और स्नान करने के लिये काफ़ी पानी मिलेगा या नहीं। आज बड़े बड़े

शहर के सब लोग कल पर ही निर्भर करते हैं। आज सब चीजों के लिये शहरों में किसी न किसी कलपर ही निर्भर किया जा रहा है। यह सब केन्द्रीकरण का फल है। कुछ लोग समझते हैं कि केन्द्रीकरण से अच्छा ही फल मिलता है। मगर उससे बुरा फल भी मिलता है। उस का बुरा फल जो होता है उसे हम नागपुर में देखते हैं। जब घर घर में कुएं होते हैं तो सभी कुओं में पानी नहीं सूख सकता। आज पानी के कल में कोई खराबी आ जाये तो सारे शहर के लोगों को पानी मिलना बन्द हो सकता है। पर कुएं से जो जिस समय पानी चाहे मिल सकता है। हमारे यहां की यह रीति और पद्धति थी कि जो चीजें बड़े परिश्रम से हासिल हो सकती थी उनको हमारे लोग बहुत सहल और सरल बना दिया करते थे। एक छोटे से सूत्र में इतना कह दिया करते थे कि उसपर भाष्य के रूप में पुस्तक लिखने की जरूरत पड़ती थी। अभी हमारे एक भाई बगल में तकली कात रहे थे। यह एक बहुत छोटी सी चीज है। पर इससे लोग अपना शरीर कपड़ा बनाकर ढकते थे। आज कपड़े के लिये लाखों, करोड़ों रुपये लगाकर कारखाना खोलते हैं। उसी तरह से पानी के लिये भी कल कारखाने की जरूरत होती है और उस पर भी स्वतन्त्रता नहीं रहती। गांव के लोग अभी भी कुएं खोदते हैं और सब बातों में अपने को स्वतन्त्र रखते हैं। शहर में यह बात नहीं है।

मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक स्वतन्त्रता हमें मिली है वह राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहे बल्कि आर्थिक स्वतन्त्रता भी हमें मिले और किसी मनुष्य को दूसरे पर निर्भर न करना पड़े। आप कह सकते हैं कि आज की दुनिया में यह बहुत कठिन है। कठिन जरूर है। मगर प्रयत्न ऐसा होना चाहिये कि हम यथासाध्य अपने को स्वतन्त्र बनावें और करोड़ों करोड़ हिन्दुस्तान के किसान अपने को स्वतन्त्र बनावें और हर एक भाई और बहन अपने को स्वतन्त्र बना लेंगे तो सभी स्वतन्त्र हो जायेंगे। मैं चाहता हूं कि जो नगरपालिकाएं काम कर रही हैं, जो गांव और इलाके में जनपद सभाएं काम कर रही हैं सब इस विषय में विचार करती रहें कि सब कामों में वे अपने को कैसे स्वतन्त्र बना सकती हैं। केवल अधिकार ही पाने का नाम स्वतन्त्रता नहीं है। सच्ची स्वतन्त्रता तो वही है जिसमें अधिकार की भी जरूरत नहीं हो बिना अधिकार प्राप्त किये स्वतन्त्रता बनी रहे। सबसे बड़ी स्वतन्त्रता वही है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की स्वतन्त्रता हम स्थापित करें। आज एक मौका आ गया है। अगर हर आदमी अन्न के सम्बन्ध में अपने को स्वतन्त्र बनाने का प्रयत्न करे तो मेरा विश्वास है कि लोग अपनी बुद्धि, अपना कौशल लगाकर, अपना पुरुषार्थ लगाकर देश को अन्न के कष्ट से बचा सकेंगे और केवल इस साल के लिये ही नहीं, हमेशा के लिये अपने को इस कष्ट से मुक्त कर सकेंगे। और सब चीजों में भी हमें इसी तरह स्वतन्त्र रहना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि आप की नगरपालिकाएं और जनपद सभाएं जनता को संतुष्ट रखेंगी। आपने जो मेरा आदर किया और मान पत्र दिया उसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

## अखिल भारतीय इतिहास महासभा

\*अखिल भारतीय इतिहास सभा के नागपुर वाले अधिवेशन का उद्घाटन करने के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—

महान् राष्ट्रीय विपत्ति से तिमिराच्छन्न आकाश के नीचे हम आज एकत्रित हुए हैं। वर्तमान इतिहास के महान निर्माताओं में से एक अर्थात् सरदार बल्लभ भाई पटेल को कराल काल ने हम से छीन लिया है। उनके देहावसान से हमारे राजनैतिक जीवन में ऐसी शून्यता पैदा हो गई है जो भरी न जा सकेगी। किंतु साथ ही हमारे सामने वे त्याग, अदम्य इच्छा शक्ति, कर्तव्य के प्रति अनथक लगन तथा संगठन और प्रशासन करने की अद्वितीय प्रतिभा के प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे लिये छोड़ गये हैं।

इस महासभा की ओर से इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये जो निमन्त्रण मुझे दिया गया है उसे स्वीकार करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। मैं विद्वत्ता का दावा नहीं करता किंतु मुझे इतिहास और विशेषतया अपने देश के इतिहास से— उस इतिहास से जिसने गत शताब्दियों में उत्थान और पतन देवे हैं और जो इतिहास दर्शन की रचना के लिये पर्याप्त सामग्री दे सकता है—सच्ची लगन है। देश के जिस भाग में आपकी यह बैठक हो रही है वह तो केवल इस के लिये इसी हेतु ही उपयुक्त नहीं है कि वह भूगोल शास्त्र की दृष्टि से देश का केन्द्र और हृदय है बल्कि इसलिये भी कि उसका न केवल सुदूर और निकट अतीत में ही बल्कि वर्तमान काल में भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जहाँ आज हम मिल रहे हैं उससे कुछ दूरी पर ही तो वर्धा जिले में वह संसार प्रसिद्ध ग्राम सेवाग्राम है जो हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तिम दौर के बारह तेरह वर्षों तक—उस दौर में जिसकी समाप्ति हमें और देश को स्वतंत्रता प्राप्ति से ही हुई—उसके पहिले की धुरी के समान था। अतः यदि मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करते समय इस बात पर जो सम्भवतः बहुतां को तो बिल्कुल स्वयंविदित प्रतीत होगी बल देने की आज्ञा दी चाहूँ कि भारत को जितनी आवश्यकता अपने सुदूर किंतु गौरवमय अतीत के सच्चे और सर्वांगीण इतिहास की है उतनी ही उस अनोखे और अपूर्व आन्दोलन के इतिहास की भी है जिसने उसे संसार के चित्र में अपना स्थान फिर से दिला दिया है तो मैं किसी अनुचित बात का अपराधी न होऊँगा। यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हमारे लिये न तो देश का अधिकृत इतिहास और न वह सामग्री छोड़ गये हैं जिसके आधार पर उसकी रचना की जा सके। मैं समझता हूँ कि मेरे लिये यह आवश्यक नहीं कि मैं ऐतिहासिक सामग्री की उस अनन्त धारा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँ जो पुरातत्व खोजों और खुदाइयों के फलस्वरूप भारत में और आजकल समझे जानेवाले भारत से बाहर मध्य एशिया से लेकर स्वर्ण द्वीप या उससे भी आगे मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उत्तर भाग में पाये गये शिला लेखों, मुद्राओं, पत्थर की मूर्तियों और मिट्टी की मूर्तियों और बर्तनों-मनकों इत्यादि इत्यादि के रूप में बही आ रही है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष गवाही के अलावा हमारे पास विशाल वांगमय है जो हमारे अतीत पर प्रकाश डाल सकता है। न केवल काव्य और कला की ही पुस्तकों से बल्कि वैद्यक शास्त्र, अंकगणित, व्याकरण, विधि, संगीत और विज्ञान की पुस्तकों से भी, यदि उनका ठीक ठीक अध्ययन किया जाये तो, हमारे जीवन और संस्कृति के

संबंध में पर्याप्त सामग्री मिल सकती है। ऐतिहासिक पुस्तकें भी काफ़ी संख्या में लभ्य हैं और प्रति दिन नयी नयी ऐसी पुस्तकों का पता चल रहा है। जब भी कोई ऐतिहासिक पुस्तक मिलती है तो उसमें ऐसी अनेक पुस्तकों का जिक्र मिलता है जिन से उसके लेखक ने सामग्री और सहायता ली थी किंतु जो आज कल प्राप्य नहीं हैं। निकट भूत काल के बारे में तो आसाम की बुरंजी, बंगाल की कुल पंजिका, मिथिला की वंशावली, राजस्थान के ख्यात और महाराष्ट्र के दफ्तर और इस प्रकार के अन्य बहुत से साहित्य की ओर संकेत किया जा सकता है। मुसलमान बादशाहों और उन के सामन्तों की आत्मकथाओं से तथा उनके युद्धों और विजयों के इतिहास तथा उनके प्रशासन के वर्णन और व्योरे तथा पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक यहां यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी इस प्रकार के ज्ञान के खजाने हैं। योरोपीय भाषाओं में और खास तौर से अंग्रेजी में तो उस काल के इतिहास के लिये जिसमें इस देश का यूरुप से राजनीतिक या व्यापारिक संबंध रहा है ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। संस्कृत, पाली और प्राकृत के समान ही वर्तमान भारतीय भाषायें हमारे देश के इतिहास की धारा के हर ऐसे पहलू पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकती हैं जिनको अभी तक समुचित रूप से समझा या खोजा नहीं जा सका है। आप लोग तो इस सामग्री से कहीं अधिक परिचित हैं और उसका काफ़ी अच्छे ढंग और सफलता से प्रयोग करते रहे हैं।

इतिहासज्ञों को ही नहीं बल्कि साधारण लोगों को भी इस बात की प्रेरणा हुई है कि विगत घटनाओं, राजाओं और सम्राटों के युद्धों और विजयों, उनके बहादुरी के कारनामों और दुःखद कुशासन तथा राजनैतिक उथल-पुथल का ही नहीं बल्कि इन बातों का भी सिलसिलेवार और सही वृत्तांत देश के सामने पेश किया जाये कि हमारा जीवन कैसा था और किस प्रकार उसका स्वरूप बनता था और यह कि कितने महान धार्मिक सांस्कृतिक और साहित्यिक आन्दोलन इस देश में हुए जिनका प्रभाव न केवल भारतीयों पर ही बल्कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर करोड़ों लोगों पर भी हुआ और किस प्रकार कला और विज्ञान उद्योग और व्यापार यहां पल्लवित और प्रस्फुटित हुए। इस ध्येय को पूरा करने के लिये प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास परिषद् ने बीस जिल्दों में भारत के इतिहास के प्रकाशित करने की योजना बनाई थी किन्तु उसे वह कई कारणों से पूरा न कर सकी। आपकी महासभा ने भी ऐसे ही भार को अपने ऊपर लिया है और यह खुशी की बात है कि दोनों योजनाओं को अब मिला दिया गया है और अब यह आशा की जा सकती है कि उपयुक्त समय के अन्दर संपूर्ण इतिहास तैयार हो जायगा जो ऐसे सुयोग्य लेखकों द्वारा लिखा गया होगा जिन्होंने आज कल प्राप्य सामग्री का सदुपयोग किया होगा और जिन्होंने हमारी सफलताओं और विफलताओं का सही वृत्तांत ही हमारे सामने न रखा होगा बल्कि साथ ही यदि इतिहास उदाहरण द्वारा शिक्षा प्रदान करता है तो हमारे भविष्य को आलोकित करने वाले उदाहरण भी उसमें होंगे।

स्वाभवतः यह प्रश्न उठता है कि उत्तम इतिहास का स्वरूप क्या होना चाहिये। इतिहास के विषय में विभिन्न विचार रहे हैं। इतिहास की सब से अधिक साधारण परिभाषा यही है कि यह भूतकाल का वृत्तांत है और उस का मुख्य ध्येय यही है कि समय की समाधि से उन बातों और व्यक्तियों को निकाले जो कभी से किंतु आज नहीं हैं। स्पष्ट है कि इस परिभाषा से इतिहास का स्वरूप बहुत ही

अस्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। यदि इतिहास ऐसा शास्त्र है जो उदाहरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है तो स्पष्ट है कि भूत काल का पूरा वृत्तांत इस प्रकार शिक्षा प्रद नहीं हो सकता और वह महज इस वजह से कि आज का आदमी अपनी समस्याओं और स्थितियों को भूतकाल की समस्याओं और स्थितियों से कहीं अधिक जटिल और विभिन्न स्वरूप वाली पायेगा। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस परिभाषा से इतिहास का महत्व आदमी के लिये कहीं कम हो जाता है। इस सबाई को प्रसिद्ध ग्रीक इतिहास कारपोलीबियस के जमाने में भी पहचान लिया गया था। इस के पूर्व दूसरी शताब्दि में उस ने लिखा था कि “यदि तुम इतिहास के कारण सिद्धांत और प्रयोजन तथा ध्येय से कार्यरिती के मेल की सब बातों को निकाल दोगे तो जो कुछ बचेगा वह तो केवल ऐसा दृश्य होगा जो शिक्षा प्रद तो होगा ही नहीं और चाहे कुछ मुहुर्त के लिये वह भला लगे पर उसका कोई स्थायी महत्व या मूल्य भी न होगा”। कोरा घटना वर्णन तो इतिहास नहीं कहा जा सकता और यदि वह केवल राजाओं और सामन्तों, उनकी बेवकूफियों और व्यसनो उनके युद्धों और विजयों की ही ऐसा कोरी गाथा हो जसमें न ता साधारण मानवा के जीवन की झाकी हो और न धर्म, भाषा, संस्कृति और कला के क्षेत्रों में होने वाले उन आन्दोलनों का ही जिक्र हो जिन्होंने समय समय पर मानव जाति को हिलाडुला दिया है तो उसे इतिहास कहलाने का और भी कम हक होगा। इस बारे में पोलीबियस का मैं एक और उद्धरण दूंगा। प्यूनिक युद्ध के सिलसिले में वह लिखता है कि “मैं इन सब बातों को लेखबद्ध इस आशा से कर रहा हूँ कि उन से मेरे पाठकों को लाभ होगा। मानवजाति के सुधार के लिये दो मार्ग हैं एक तो अपनी मुसीबतों से सीखना और दूसरा रास्ता है दूसरों की मुसीबतों से सीखना। पहले में तो कोई गलती हो नहीं सकती और दूसरा कम हानिप्रद है। अतः किसी को पहले मार्ग को स्वेच्छा से नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि उसके अनाने से तो सुधार में अत्यन्त यातना और खतरा बना रहता है। हमें तो दूसरे का ही सहारा लेना चाहिये क्योंकि उस पर चल कर बिना नुकसान उठाये यह बात हम बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या करना ठीक होगा। यही बात है कि जिससे हमें इम अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सच्चे इतिहास से मिलन वाला ज्ञान प्राप्त करता व्यवहारिक जीवन के लिये सब से अच्छी तैयारी है क्योंकि इतिहास और इतिहास हो में यह शक्ति है कि बिना वास्तविक संकट में डाले वह हमारा बुद्धि को पर्याप्त परिपक्व करदे और हमें तय्य को पहचानने के योग्य बना दे चाहे फिर हमारे जीवन में कौसी ही विषम स्थिति क्यों न हो।” इतिहास के प्रति रोम वालों का दृष्टिकोण ग्रीसवासियों से भिन्न था। इतिहास लेखन कला के सिद्धांतों को सिसरो ने यों व्यक्त किया है। वह लिखता है कि “इतिहास लेखन का प्रथम नियम यह है कि इतिहास को किसी गलत बात के कहने की घृष्टता नहीं करनी चाहिये और दूसरा नियम है कि सच बात कहने की उसे हिम्मत होनी चाहिये। साथ ही उसके बारे में पक्षपात या वैमनस्य का संदेह भी न होना चाहिये। उसकी इमारत तो घटनाचक्र और लेखन शैली पर निर्भर होती है। घटनाचक्र के वर्णन के लिये समयक्रम और देश परिचय की ओर ध्यान देना पड़ता है तथा ऐसी महान बातों में जो स्मरणीय हैं हम सर्व प्रथम उद्देश्यों उनके पश्चात् कार्यों और अन्त में परिणामों पर ध्यान देना पड़ता है। इतिहास से यह भी प्रकट होना चाहिये कि इतिहासज्ञ किस उद्देश्य को ठीक मानता है। कार्यों के संबंध में महज इतना ही काफ़ी नहीं कि यह बता दिया जाय कि क्या किया या कहा गया बल्कि इसकी भी जरूरत है कि वह किस रीति से किया गया और अहां परिणाम का वर्णन भी दिया गया है वहां उन सब कार्यों का भी वर्णन होना चाहिये जिन्हें

वह परिणाम हुआ चाहे फिर उनका संबंध किसी आकस्मिक घटना से हो चाहे अक्लमंदी से और चाहे दुःसाहस से। केवल चरित्रनायकों के कारनामों का ही केवल वर्णन न होना चाहिये बल्कि उन में से ऐसों के जीवन और शील का भी वर्णन होना चाहिये जो यश अथवा गौरव के कारण लोगों की आंखों में गड़ गये हैं। रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार लिबी यह मानता था कि मानव जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग्य का हाथ होता है। रोम के उत्थान का जिक्र करते हुए वह लिखता है कि "मेरी समझ में इतने महान नगर के बसने और देवताओं की सी शक्ति वाले साम्राज्य की स्थापना में नियति का हाथ था।" उसका मत था कि "आधिदैविक शक्ति और विशेषतया विकट अवस्थाओं के सन्हालने में देवताओं का भाग तो चमत्कार अथवा सगुन द्वारा स्पष्टतया प्रकट हो ही जाता है। और जब देवता स्पष्टतया कार्यक्षेत्र में दिखाई नहीं देते तो पर्दे के पीछे से तो अवश्य डोरी खींचते रहते हैं।" जिन विषयों की ओर लिबी से अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया वे थे "समाज का जीवन और शील, वेगविन और गुण जो घरेलू नीति और वैदेशिक युद्ध के जरिये साम्राज्य के विस्तार में प्रभावी सिद्ध हुए" भूतकाल के बारे में वह कहता है कि "उत्तमों आपको ऐतिहासिक सत्य के निर्मल प्रकाश में हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे उनमें से आप ऐंभे छांट सकते हैं जिनका आप अपने लिये और अपने देश के लिये अनुसरण करना चाहते हैं या जिन से बचना चाहते हैं।" अतः स्पष्ट है कि इतिहास के बारे में लोगों का यह दृष्टिकोण रहा है कि वह घटनाओं की कोरी नीरस कहानी न होकर ऐसा शास्त्र है जो हमें मानवी समाजों और संस्थाओं के जन्म और विकास का पूरा पूरा ज्ञान कराता है।

भाग्यवाद के मुकाबले में हमें यह विचार भी मिलता है कि जीवन परिस्थितियों के सांचे में या रक्तजात गुणों के सांचे में ही ढलता है। ये सिद्धांत मानव जीवन अथवा अनुभूति के किसी एक या दूसरे पहलू को ही महत्व देते हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उसी पहलू के कारण हुआ है। इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता है मनुष्य अपनी परिस्थितियों से अर्थात् जिन भौतिक वस्तुओं से उसका संपर्क होता है उनके चलन से और उनकी क्रिया और पारस्परिक प्रति क्रिया से तथा प्राणि मात्र के जीवन में जिन नियमों के कारण उसका अपना शरीर अपने पूर्वजों के ऐसे ही शरीर का यदि पूर्णतः नहीं तो अंशतः फलमात्र होता है उन नियमों से भी प्रभावित होता है। किंतु इस प्रकार का न्यायवाद चाहे फिर नियन्ता भाग्य अथवा परिस्थिति अथवा रक्त में से कोई एक क्यों न माना जाये मानव जगत के बारे में यह विचार पैदा कर देता है कि वह इनमें से एक या कुछ के ही व्यापार का परिणाम है और इस प्रकार इस बात को नहीं मानता कि उस क्षेत्र में मानव आत्मा का भी कोई हाथ है। किंतु यह तो सचाई की ओर से सरासर आख बंद कर लेना है। इतिहास तो सही अर्थ में तभी इतिहास होगा जब वहाँ न सब और दूसरी शक्तियों और बातों का जो मानवों पर या उनके द्वारा सक्रिय रहती है संश्लेषात्मक दृष्टि से विचार करे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि इतिहास तो पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से मिलकर बनता है। इस प्रकार उसने सांस्कृतिक और भौतिक तत्वों को इतिहास का आवश्यक अंग माना है। यह दृष्टिकोण केवल सर्वांगी ही नहीं बल्कि अत्यन्त मौलिक भी है। क्योंकि यह इतिहास की ऐंगी परिभाषा करता है जो पारश्चात्य विद्वानों द्वारा हाल में प्रतिपादित अन्तिम सिद्धांतों और विचारों के

बराबर ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का विशेष महत्व तो यह है कि उसने उन दो विचारधाराओं में मेल कराने की बात सोची जो बाद में इतिहास के ऐसे दो विरोधी दृष्टिकोण और दार्शनिक सिद्धांतों में परिणत हो गई जो लग भग पिछली एक शताब्दि से आपस में झगड़ रहे हैं और अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन में एक तो इतिहास की आदर्शवादी या अध्यात्मवादी धारा है जिस के विभिन्न पहलुओं का सर्वोत्तम प्रतिपादक हैगेल है और उसकी विरोधी दूसरी मार्क्स और एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित भौतिकवादी धारा है। किसी इतिहास और विशेषतया हमारे देश के इतिहास के लिखने में हमें भौतिक तत्वों के मानव जीवन प्रभाव को, जिस पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, कम से कम उतने ही महत्व का मानना चाहिये जितना कि मानव व्यक्तित्व और उस के आध्यात्मिक आदर्शों को माना जाता है। इतिहास के लेखन की प्रगति के लिये तथा इतिहास में क्रियाशील नित्यमों के सही अर्थ जानने के लिये इन दोनों तत्वों का संश्लेषण आवश्यक है।

वर्तमान पीढ़ी के भारतीय इतिहासज्ञों के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है और उनके सामने एक सुनहरी मौका है। उन्होंने स्वयं ऐसी महान् घटनाएँ देखी हैं जैसी कि अन्य युग के इतिहासज्ञों को कभी भी देखने को न मिली थीं। हमारे पास संहारक अस्त्रों द्वारा प्राप्त की गई विजयों और साम्राज्यों का वर्णन मौजूद है। अत्यन्त प्राचीन युगों से ही मानव इन शस्त्रों को बहतर से बहतर बनाने का प्रयत्न करता रहा है और आज हम ऐसी मंजिल पर पहुँच गये हैं जब कि इस बात का पूरा भय है कि पलक मारने भर में कही युद्ध असह्य प्राणियों और शताब्दियों के कौशल और श्रम द्वारा निर्मित अपार वस्तुओं को विनष्ट न कर दे। न तो हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री की कमी है और न ऐसे इतिहासज्ञों की जिन्हो ने युद्धों और विजयों के इतिहास के लिखने में इस प्रकार की सामग्री का सफलता से प्रयोग किया है। यूरोप के कुछ देशों में दोनों पिछले युद्धों के अन्तर काल में में थोड़े दिन रहा था। वहाँ एक बात की ओर मेरा ध्यान विशेषतः आकृष्ट हुआ और उसकी छाप आज भी मेरी स्मृति पर है। जहाँ कही भी मैं उस समय गया वही मुझे योद्धाओं और विजेताओं के, युद्धों के और उन में लड़ने वालों के स्मारक दिखाई दिये। किसी कारणवश क्यों न हो पर हमारे देश में ऐसे स्मारक या तो हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो योरोपीय देशों से हमारे संबंध के युग के अतिरिक्त और काल के बहुत कम हैं। हिंदू और बौद्ध कालीन जो भी महान् इमारतें अवशिष्ट हैं लगभग उन सबका स्वरूप, प्रयोजन, और रचना धार्मिक है। इसी प्रकार मुसलमान काल की जो महान् इमारतें हैं वे भी लगभग सभी धार्मिक या अर्ध धार्मिक हैं। ह्रां उस समय के किले यहाँ वहाँ अवश्य हैं जो संघर्ष और उपद्रव के युग की घटनाओं के प्रतीक हैं। किन्तु यहाँ योद्धाओं और सूरमाओं की वैसी पूजा नहीं है जैसी हम यूरोप में देखते हैं। अतः हमारे इतिहास की दृष्टि स्वाभावतः इस महत्वपूर्ण बात पर जानी चाहिये। इससे किसी प्रकार का आश्चर्य न होना चाहिये कि इस देश में पिछले लग भग तीस वर्षों में स्वतंत्र्य युद्ध के लड़ने का एक नये तरीके का विकास देखा है। यह था अहिंसा का प्रोग्राम और उसका कार्यन्वित किया जाना। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि किसी इतिहासज्ञ ने अपनी कृतियों में इस नये तरीके का जिक्र किया है या नहीं। मेरा खयाल है कि वह इतिहास तो अभी लिखा जाना है। यह बात चाहे अटपटी लगे पर है सत्य कि इस अध्याय के बारे में—जिसे मैं अपने देश के ही नहीं बरन् सारे संसार के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय समझता हूँ—



जो मूल सामग्री है और जिस के आधार पर इसे लिखा जा सकता है उसे न तो वैसे इकट्ठा किया जा रहा है और न उसका वैसा परीक्षण किया जा रहा है जैसा कि किया जाना चाहिये और वह शनैः शनैः किंतु बराबर विन्धु और विलीन हो रही है। जिन लोगों ने इस संघर्ष या आन्दोलन में भाग लिया था उनकी न तो वैसी शिक्षा दीक्षा थी और न उन्हें इतना समय और सुविधा थी कि वे जो कुछ दिन प्रति दिन हो रहा था उसका वृत्तांत लिखते रहते और इसका तो सवाल ही क्या हो सकता था कि वे उन आन्तरिक विचारों और प्रयोजनों का व्यौरा लिखते जिन से उनका अपना चलन और घटनाक्रम प्रभावित हो रहा था। जो कुछ भी सामग्री लभ्य है वह इतने विस्तृत क्षेत्र में और इतने विभिन्न रूपों और भाषाओं में बिखरी हुई है कि उसमें से मतलब की बात शिक्षित दीक्षित व्यक्ति ही पर्याप्त परिश्रम के पश्चात् निकाल पायेंगे। अभी कुछ दिन हुए मैं शिमला गया था। वहां मैंने वह प्रशंसीय काम देखा जो आपके मंत्री डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद की मातहत में उस इतिहास की रचना के संबंध में किया जा रहा है जिसमें इस बात का पूर्ण वर्णन होगा कि पिछले युद्ध में भारत ने क्या भाग लिया। जो सामग्री प्राप्त की गई है उसका अध्ययन और परख कई सुयोग्य विद्वान कर रहे हैं और रुचिकर और उपदेशप्रद रूप में क्रमबद्ध इतिहास लिखने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। सरकार इस काम पर काफी रुपया खर्च कर चुकी है और कर रही है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान युग के युद्धों में कोई बात भाग्य पर नहीं छोड़ी जाती और उसी समय जब कुछ लोग युद्ध में लड़ते होते हैं कुछ अन्य युद्ध के घटनाक्रम का सही सही वृत्तांत न केवल शब्दों में बल्कि चित्रों में भी उतारने में व्यस्त रहते हैं और इस बात का भी खतरा नहीं होता कि वह सामग्री सर्वदा के लिये खो जायेगी। आज ही नहीं बल्कि पर्याप्त पुरातन काल से सरकार और विशेषतया सैनिक अधिकारीगण युद्ध के इतिहास को अधिक महत्व देते रहे हैं और खास तौर से इसलिये कि युद्ध कला और रणनीति के संबंध में उससे सैनिकों को शिक्षा मिले। इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ऐसे इतिहासों से उन लोगों को पर्याप्त लाभ हुआ है। पर क्या सहानुभूति और विवेक पूर्ण ढंग से लिखे गये हमारे अहिंसात्मक आन्दोलन के ऐसे इतिहास का, जिस में कि दिन प्रति दिन हुए घटनाक्रम का पूर्ण वृत्तांत हो, हमारे लिये और भाविष्य में अन्य लोगों के लिये उसके समान ही महत्व न होगा। यह एक प्रयोग था और महात्मा गांधी भी इसे यही समझते थे। किंतु यह सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। कौन कह सकता है कि किसी दिन दुनिया उस सिद्धांत को स्वीकार न कर लेगी और वही रणनीति नहीं अपना लेगी जिसे महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था और स्वयं उसको अमल में लाये थे और जिसके द्वारा हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सफल हुए। जिस व्यक्ति को उस सिद्धांत के फलदायी होने का विश्वास है और जो यह भी मानता है कि वह शक्तिशाली और सार्वभौमिक है उसकी समझ में तो देश के लिये ही नहीं वरन् सारे जगत के लिये भी जो विज्ञान की महान् प्रगति के बावजूद इन विकलता और असफलता के दिनों में कुछ ऐसे ही पथ की खोज में है ऐसे इतिहास का अत्यन्त महत्व होगा। क्या मैं इतिहासियों की इस महासभा से यह आशा करूँ कि वह इस कार्य को जो सुदूर भूत या हाल के दूसरे महा युद्ध के इतिहास से भी यदि अधिक का महत्व नहीं तो बराबर महत्व का तो अवश्य है अपने हाथ में संभाल लेगी? जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया उन्होंने तो अपना काम कर दिया। उन में से बहुत से जो अपनी निजी जानकारी से पर्याप्त महत्वपूर्ण बातें बता सकते थे किंतु जिन्होंने अपनी जानकारी को लिख नहीं छोड़ा था एक एक करके परलोक सिंघार रहे हैं और थोड़े ही समय के पश्चात् उस इतिहासज्ञ को जिसने घटनाओं को केवल देखा भर है

और उससे भी ज्यादा उस इतिहासज्ञ को जो बाद में होगा अधिकाधिक उन्हीं वृत्तान्तों पर निर्भर करना पड़ेगा जो ऐसे विभिन्न रूपों में जैसे समाचार पत्र, पुस्तिकाओं, रिपोर्टों में या इतिहास के अन्य रूपों में प्रकाशित हुए थे। शोक की बात है कि जीवित सामग्री तो शीघ्रता से विलीन होती जा रही है और बहुत जल्द ही पूर्णतया खत्म हो जायेगी। अतः यदि किसी को इस दिशा में कोई भी दिलचस्पी हो तो उसे तुरन्त इस बारे में चौकन्ना और सावधान हो जाना चाहिये और अविलम्ब इस कार्य को हाथ में ले लेना चाहिये ताकि भावी पीढ़ियों को इस शिकायत का मौका न हो कि यद्यपि लोगों ने महान् काम किये थे किंतु इतिहासज्ञों ने उन का वृत्तान्त नहीं लिखा और इस लिये उन से मिलने वाले उपदेश सर्वदा के लिये अलभ्य हो गये। मुझे आशा है कि यहां कोई यह प्रत्युत्तर न देगा कि इस प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करने और उसका वृत्तान्त लिखाने का काम केवल इतिहासज्ञों का ही न हो कर सरकार का भी है क्योंकि वह तो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने उस संघर्ष में भाग लिया था और जिन्होंने ऐसा करके इतिहास की धारा बदल दी थी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि सरकार और कामों में कार्यरत रहने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हो और अपना कर्तव्य पालन करने में असफल हो तो भी उसकी यह असफलता और लोगों को भी इस दिशा में निष्क्रिय रहने के लिये कोई कारण प्रदान नहीं करती। मेरा विश्वास है कि सरकार के तत्त्वावधान में इस दिशा में कुछ कार्य हो भी रहा है और मैं तो यही आशा प्रकट कर सकता हूं कि वह काम उन महान् घटनाओं के अनुरूप ही महान् होगा क्योंकि अहिंसा की विजय तो युद्ध की विजयों से भी कहीं अधिक गौरवपूर्ण होती है।

### खापरखेड़ा विद्युत केन्द्र का उद्घाटन

खापरखेड़ा विद्युत केन्द्र का उद्घाटन करते समय तारीख २७-१२-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बिजली के कारखाने को खोलने का आप ने मुझे मौका दिया। हिन्दुस्तान में आप का सूबा एक ऐसा सूबा है जिस को कि ईश्वर ने बहुत धन दे रखा है। यहां की पृथ्वी के गर्भ में न मालूम कितनी बड़ी धन राशि छिपी हुई है और ऊपर नदियां तथा जंगल जो आप की आंखों के सामने हैं वे भी बड़ी धनराशि है लेकिन अभी इस धन राशि से जितना चाहिये उतना लाभ नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि इन चीजों को पूरी तरह से उपयोग करना अभी हम ने नहीं सीखा है। आज जो यह ऐसा कारखाना खुल रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि अब हम इस धन राशि को अच्छी तरह से उपयोग में लायेंगे और उस से जितना देश को लाभ पहुंच सकता है उतना लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे इस देश में न मालूम कितने दिनों से यह धन राशि पड़ी रही है। अविद्या के कारण अभी तक हम इस से लाभ नहीं उठा सके हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है कि आज की जो नई सभ्यता है और जो सारे संसार में फैली जा रही है उस में हम को कितनी दूर तक जानना चाहिये

और उस से कितना लाभ उठाना चाहिये ।-मगर इस सम्बन्ध में शायद कोई मतभेद नहीं है कि बिजली से हम जितना लाभ उठा सकते हैं हम को उठाना चाहिये । बिजली की जितनी जरूरत इस वक्त भारतवर्ष में है उतनी जरूरत शायद और किसी देश में नहीं है । मुझे इस तरह के आंकड़े पूरी तरह से याद तो नहीं हैं मगर मैं समझता हूँ कि सारे देश में २० लाख किलोवाट बिजली का खर्च है और उतनी ही बिजली अभी तक पैदा हो रही है इस वक्त जो बड़े बड़े कारखाने खुलने वाले हैं और जो बड़ी बड़ी योजनायें तैयार की गई हैं यह कहा जाता है कि उन से काफ़ी बिजली हम को मिल सकेगी । एक एक नदी में बांध बांधने से हमें दो दो लाख किलोवाट बिजली मिलेगी और उन में से एक के सम्बन्ध में मैंने सुना है कि उस में बांध तैयार हो जाने पर—पता नहीं वह तैयार होगा या नहीं होगा और होगा भी तो कब होगा—आशा की जाती है कि २० लाख किलोवाट बिजली निकलेगी । यानी आज सारे हिन्दुस्तान में जितनी बिजली सब मिला जुला कर निकलती है उतनी निकलेगी । देश के सामने बिजली निकालने का बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है । ईश्वर ने हमें ऐसी नदियां दी हैं और ऐसी पहाड़ी जगह दी हैं कि जितनी बिजली का हम उपयोग कर सकते हैं उतनी हम पैदा कर सकते हैं और उस से हम आसानी से दिन काट सकते हैं । जितनी दूर तक हम बिजली को ले जा सकते हैं शायद और किसी देश के लोग नहीं ले जा सकते हैं । स्विटजरलैंड एक छोटा सा पहाड़ी देश है । पर उस के गांव गांव में बिजली है और वहां सब काम बिजली से ही होता है और वहां बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े कारखानों में नहीं बनती बल्कि घर घर में उन के छोटे छोटे पुर्जों बनते हैं । हम लोग जो घड़ियां लगाते हैं—यहां सभी लोगों के हाथों में या जेब में घड़ियां हैं—उन में से ७०, ७५ सैकड़ घड़ियां स्विटजरलैंड में बनती हैं । उन के छोटे छोटे पुर्जों वहां के घरों में ही बनते हैं ; बड़ बड़े कारखानों में नहीं । बिजली हो जाने से हम इस तरह की बहुत सी चीजें इस देश में तैयार कर सकते हैं । हमारे देश में लोगों की बुद्धि और देशों के लोगों की बुद्धि से कम तीव्र नहीं है और उन के हाथ भी कम कुशल नहीं है । इस का प्रमाण यह है कि जहां जहां नये कारखाने खोले गये हैं या कोई नया धंधा खोला गया है हमारे देश के लोगों ने बहुत थोड़े ही दिनों में ही उन में कामयाबी हासिल कर ली है । और उसे सफलतापूर्वक चला कर यह साबित कर के दिखाया है कि वे किसी देश के लोगों से कम नहीं हैं । मैंने सुना है कि जब ताता का लोहे का कारखाना शुरू हुआ तो यह जरूरी और अनिवार्य था कि विदेशी विशेषज्ञ और खास कर अमेरीका से बड़े बड़े इंजीनियर लाये जायें और वे लाये गये । मगर कारखाने में काम करने वाले तो विदेशों से नहीं लाये जा सकते थे और इस लिये यह सोचा गया था कि २०—२५ साल में जब यहां ऐसे काम करने वाले तैयार हो जायेंगे तो कारखाना ठीक से चल सकेगा । मगर आश्चर्य की बात है और हमारे लिये खुशी की बात है कि २०—२५ साल तो क्या १०—१२ साल के अन्दर ही यहां के लोगों ने उस के सब कामों को अंजाम देना सीख लिया और बाहर के लोगों की कोई खास जरूरत नहीं रह गई । आज कारखाने को कायम हुए तीस बत्तीस साल हुए हैं । अब उस में विदेशी लोग बहुत कम हैं । वह इस लिये नहीं है कि हम विदेशियों से काम नहीं लेना चाहते बल्कि इस लिये कि अब उन की खास जरूरत नहीं क्यों कि हमारे अपने ही

लोग सीख कर तैयार हो गये हैं। तो हमारे देश में चतुर और कुशल लोग हैं। उन से काम लेना हमारा काम है। इस लिये जहां बिजली का कारखाना खुले वहां बहुत तरह के काम खोले जा सकते हैं। आप ने अच्छा किया कि पहले बिजली का कारखाना कायम कर लिया। नदियों में बांध के जरिये इस तरह का काम और और जगहों में भी हो सकता है मगर उस में करोड़ों रुपयों का खर्च होता है। और अभी इस तरह के जितने काम देश में चल रहे हैं उन में ६०,—७० करोड़ रुपये लेंगे और तो भी उन को पूरा होने में काफी समय लगेगा। क्योंकि पैसे की कमी भी होने लगी है लेकिन उस तरह के बांध के बिना ही आप ने इतना बड़ा कारखाना कायम कर लिया यह बड़ा अच्छा हुआ। केन्द्रीय सरकार ने आप की सहायता नहीं की। इस का कारण यह है कि आज कल उन का हाथ खाली पड़ गया है। जब कभी मौका होगा तो आप को सहायता जरूर मिलेगी और हर चीज में मिलेगी। पर यह और भी खुशी की बात है कि बिना उन की सहायता के आपने यह काम पूरा कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि यह काम जो पहले पहल शुरू हो रहा है सफल होगा और लोगों को इस से इतना लाभ होगा कि और प्रान्तों के लोग भी इस की उपयोगिता को समझेंगे और बिजली के काम को आगे बढ़ायेंगे, चाहे गवर्नमेन्ट की सहायता से हो चाहे बाहर के लोगों की सहायता से। मैं आशा करता हूँ कि जो काम आज शुरू हो रहा है उस से केवल शहरों को ही नहीं बल्कि जैसा आप ने सोचा है गांवों के लोगों को भी लाभ मिलेगा और छोटे छोटे गांवों को भी बिजली का उपयोग करने का मौका मिलेगा और बिजली से जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उन का लाभ उन को मिलेगा।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप ने मुझे मौका दिया कि मैं इस उद्घाटन के काम में शरीक हो सकूँ और इस बड़े काम में थोड़ा हाथ बंटा सकूँ और वह इतनी आसानी से कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं हुई और इतनी कम मेहनत से इतना, बड़ा काम में कर रहा हूँ इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

### कांग्रेस द्वारा अभिनन्दन

चिटनिस पार्क, नागपुर में तारीख २७-१२-५० को साढ़े छः बजे शाम को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मानपत्र के जवाब में सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

नागपुर के लिये मैं कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ। जैसा आप ने कहा है बहुत दिनों तक मुझे यह सौभाग्य प्राप्त रहा कि आप के आस पास में ही गांधी जी के चरणों में बैठ कर कुछ सेवा कर सका और उसी सिलसिले में जब तब मैं नागपुर में भी आप सब भाइयों और बहनो से मिलने का सुअवसर प्राप्त कर सका। इस लिये आज अगर इतने उत्साह के

साथ इतनी सस्थाओं की ओर से और विशेषकर इस नगर के लोगों की ओर से मेरा इतना आदर, सम्मान और स्वागत किया गया तो मैं समझता हूँ कि यह आदर और स्वागत कुछ मेरे लिये नहीं, मेरे व्यक्तित्व के लिये नहीं बल्कि उस पद के लिये है जिस पर इस देश के लोगों ने मुझे चुन कर बैठा दिया है।

अभी हमारे देश को स्वतन्त्र हुए तीन साल हुए हैं और आपका पहला चुनाव हुआ राष्ट्रपति अभी दस ग्यारह महीने से ही आप की सेवा कर रहा है। इतने थोड़े समय और इस कठिन अवस्था में देश की हालत दिन प्रति दिन कठिन होती गई है इस को आप भली भाँति जानते हैं। जिस दिन अंग्रेजों ने १९४७ के १५ अगस्त को हमारे हाथों में अधिकार सौंपा, और इस देश से अंग्रेजों ने अपना अधिकार हटा लिया और अपने अधिकार के सब चिन्हों को हटा लिया उसी दिन हमारे हाथों में अधिकार आया और उस के साथ साथ भारी विपत्ति भी आयी और वह विपत्ति आयी देश का बंटवारा हो जाने के कारण। इतना बड़ा वैमनस्य आया, इतनी बड़ी खून खराबी हुई कि उस का उदाहरण हमारे देश के इतिहास में पहले कभी भी नहीं मिलेगा। भारत का इतिहास आज से ही नहीं हजारों वर्षों से एक अजीब इतिहास रहा है। हमारे ऊपर हजारों तरह की मुसीबतें गुजरी हैं। बहुतेरे इस प्रकार के क्रूर काम हुए हैं, इतनी खून खराबी हुई है कि जिन को पढ़ कर और सुन कर लोगों को रोमांच हो जाया करता है पर यह सब होते हुए भी भारत के इतिहास में ही नहीं समस्त संसार के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं सुना गया और कभी नहीं देखा गया कि एक साथ लाखों आदमियों को एक तरफ से दूसरी तरफ अपना घरबार छोड़ कर घन सम्पत्ति छोड़ कर अपने प्राणों की रक्षा के लिये सैकड़ों कोस भागना पडा हो। इस का भी उदाहरण आप को कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ तक हम से वन पडा हम ने उन को हर तरह से मदद दे कर शान्त करने और किसी न किसी तरह उन को बसाने का प्रयत्न किया। यह हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि ६०.—७० लाख लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान चले आये हैं और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मिला कर बहुतेरे भाई अभी ऐसे हैं जिन को बसाने का पूरा इन्तजाम अभी नहीं हुआ है। बहुतेरों को बहुत तरह की मुसीबतें वर्दाशन करनी पड़ी हैं और ईश्वर की दया से उन्होंने हिम्मत के साथ इन मुसीबतों का सामना किया है।

साथ ही साथ सिर्फ इस देश के लिये ही नहीं बल्कि और देशों के लिये भी जो समय बीतता है वह ऐसा समय बीतता है कि सभी जगहों पर शान्ति के स्थान पर अशान्ति हो रही है। आप जानते हैं कि जो भयंकर युद्ध १९३९ में आरम्भ हुआ था वह किसी तरह से १९४५ में समाप्त हुआ। पर उस युद्ध के समाप्त होने के बाद ही जो फल हुआ उसे आप सभी जानते हैं। बहुत से देशों में और हमारे देश में भी उस युद्ध के परिणामस्वरूप बहुत भारी मंहगी आगई। उस का फल यह हुआ कि हमारे देश में कई तरह की कुवृत्तियां भी लोगों में आ गई हैं। सभी युद्धों का एक नतीजा यह हुआ करता है कि जो धार्मिक अवस्था रहती है वह कम बोर पड़ जाती है और

जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं वे प्रबल हो जाती हैं ; लोगों की जो धार्मिक भावना है जो सत्य अहिंसा की भावना है वह ढीली पड़ जाती है। यद्यपि महात्मा गांधी जब से वह हिन्दुस्तान आये बराबर इस बात पर जोर देते रहे कि हम को सत्य और अहिंसा पर कायम रहना है और उसी पर कायम रह कर उन्होंने देश के लिये स्वतन्त्रता भी प्राप्त की। पर तो भी आज सारा संसार हिंसा और नफरत के रास्ते पर है। इस तरह के वातावरण से हम भी अपने को पाक नहीं रख सके और उस का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। आज कोई नहीं कह सकता कि कब और कहां युद्ध छिड़ जाये। कोई नहीं कह सकता कि किस तरह से कहां के लोगों को पहले इस में कूदना पड़ेगा और किस तरह से यह चारों तरफ फैलेगा। मगर जो आज मुसीबत है वह यह है कि कही युद्ध हुआ तो किसी एक देश में शान्ति नहीं रह सकेगी। वह फैलेगा और आहिस्ता आहिस्ता संसार के सभी देशों में उस की लपट जायेगी। आज जिस प्रकार की भयंकर स्थिति है उस का अनुमान हम इसी से कर सकते हैं कि उतने विनाशकारी अस्त्र शस्त्र पिछली लड़ाई में नहीं थे जितने कि अभी तैयार हो गये हैं और दिन प्रति दिन तैयार होते जा रहे हैं। मनुष्य की सारी बुद्धि उस की सारी विद्या आज विनाशकारी यन्त्रों को तैयार करने में ही लग रही है। अगर वह बुद्धि, अगर वह विद्या और धन जो इस काम में आज खर्च हो रहा है मनुष्य मात्र को सुखी बनाने में, उस के कष्ट निवारण में लगाया गया होता तो दुनिया की हालत आज कुछ दूसरी होती और आज भी हो सकती है। पर दुर्भाग्यवश पहले का मन मुटाव एक दूसरे पर अविश्वास, एक दूसरे के साथ मुकाबला ऐसी बुरी चीजें हैं कि जिन के कारण आज मनुष्य मात्र अपनी भलाई के रास्ते से अलग जा रहा है। आज सभी यह मानते हैं कि युद्ध बहुत बुरी चीज है, युद्ध से किमी मामले का फँसला नहीं होता; युद्ध से कोई भी काम आज नहीं होगा तो भी यह मानने हुए भी वे इस ओर खिंचे जा रहे हैं। इस तरह हम अपने को बुराईयों के काबू में पाते हैं और अपने को किसी स्थान पर जम कर खड़ा नहीं रख सकते। जिस तरह मनुष्य कही पानी की वाढ़ में पड़ कर, बहुत जोर की धारा में पड़ कर बहता जाता है और अपने को सभाल नहीं सकता है उसी तरह मानव जाति अपनी बेबसी में बहती जा रही है। यह सभी देशों की हालत है। इस भयंकर तूफान के अन्दर हमारा देश इस प्रयत्न में लगा है कि वह किसी न किसी तरह स्थिति को बचा सके। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, इतने साधन नहीं हैं कि हम संसार को शान्त रख सकें। हम इतना ही कर सकते हैं कि जो हम में शक्ति है और जो हमारे साधन हैं उन्हें उन को समझाने बुझाने में लगावें कि जो विनाश होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है उसे वे टालें और टालने का प्रयत्न करें और आप को इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिये कि हमारा देश इस प्रयत्न में लगा हुआ है। कहां तक हम को सफलता मिलेगी यह कहना मुश्किल है। हम यह नहीं जानते कि लोग हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी तो कहां तक सुनेंगे हम नहीं कह सकते। मगर हम विश्वास रखते हैं कि हमारा काम अपना कर्तव्य करना है, फल तो ईश्वर के हाथ में है और इसी विश्वास के भरोसे पर हम अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। हम अभी भी भरोसा रखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि इस तरफ फिरेगी और कोई न कोई रास्ता निकल सकेगा जिस से सभी देशों के लोग चैन से रह सकें। यह केवल हमारी मर्यादा का ही प्रश्न नहीं है यह हमारे लिये जीवन मरण का भी प्रश्न है।

हमारा देश अभी हाल में स्वतन्त्र हुआ है । हम स्वतन्त्र हो कर भी उन समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं जो पहले जमाने से हमारी आंखों के सामने हैं और जिन को हल करना हम आवश्यक समझते हैं । हमारा समय इन सब चीजों के पीछे लगेगा । हमें स्वराज मिला है और आज हमें यह मौका है कि इन समस्याओं को मुलझाने का हम प्रयत्न करें । इस लिये हमारा स्वार्थ यह है कि सारे संसार में शान्ति रहे जिस से हम लाभ उठा सकेंगे । इस लिये हम स्वार्थवश यह चाहते हैं कि देश में और संसार में शान्ति विराजे । इस का प्रयत्न हो रहा है और होता रहेगा ।

मगर हमारे देश के सामने यही एक प्रश्न नहीं है । हमारे देश पर इधर तरह तरह की विपत्तियां आई हैं । ये विपत्तियां शायद और देशों में भी हो मगर हमारे अपने देश में तो हैं ही । आप ने सुना होगा और यहां भी कुछ लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा कि इस साल हमारी फसल बहुत बिगड़ गई है और एक सूबे में नही बल्कि देश के बहुत बड़े हिस्से में । कही तो बहुत बारिश की वजह से बाढ़ आई और अतिवृष्टि से फसल बरबाद हुई । उसके बाद पानी नहीं बरसा और अनावृष्टि से फसल बरबाद हुई और पानी नही बरसने की वजह से इस बात का भी डर है कि जो आगे फसल आने वाली है वह भी ठीक नहीं उतरे । यों तो लड़ाई के बाद देश में अन्न की कमी रही है । पर इस तरह से इतनी इतनी फसल एक साथ बर्बाद हो तो आप समझ सकते हैं कि लोग अन्न की कितनी कमी महसूस करेंगे । मैं आप से यह कहना चाहता हू कि बावजूद इस के कि अन्न की कमी है अगर जनता और गवर्नमेन्ट दोनों मिल कर काम करें तो कोई घबडाने की बात नहीं है । जब इस तरह की मुसीबत आती है तभी मनुष्य के धैर्य, शक्ति, चतुरता और उस के कार्य कौशल का पूरा पूरा इम्तिहान होता है । इस समय हमारे लोगों की कड़ी परीक्षा हो रही है । मैं जानता हू कि अन्न की कमी है । मगर मैं यह भी जानता हू कि अभी जितना लोगों के पास या गवर्नमेन्ट के पास देश में है कमी को बर्दाश्त कर के उस से समय किसी तरह निकाल लिया जायेगा । मेरा यह भी विश्वास है कि लोग धैर्य से काम लेंगे और घबड़ायेगे नहीं आप विश्वास रखें कि जितनी कमी है उस से ज्यादा कमी शोर गुल मचाने से लोग महसूस करने लगते हैं । अगर आप समझ कर काम करें और जो मुसीबत है उस का सामना करने के लिये कटिबद्ध हो जायें तो मेरा विश्वास है कि इस कमी को आप दूर कर सकते हैं । मैं मानता हू कि यह देश के लिये बहुत हानिकारक बात है कि बातों को बढ़ा कर कहा जाये और खास कर के ऐसी बातें जिन से लोगों में घबराहट पैदा हो और लोग घबड़ा कर जो नहीं करना चाहिये वह करने लग जायें । मैं चाहता हू कि अगर अन्न की कमी होती है तो जो लोगों के पास हो उसे सभी लोगों में बांट कर खा कर के कुछ दिन रहें । शोर गुल मचाने से तो अन्न मिलने वाला नहीं है । जिस के घर में अधिक है वह बेच ले तो वह बाजार में जायेगा, और दूसरों को मिलेगा पर वह बेचता नहीं दबा कर रख लेता है हालांकि उस को अन्न को दबा कर रखने की जरूरत नहीं है । पर तो भी वह घबड़ाहट की वजह से दबा रखता है । मैं चाहता हू कि कोई भी भाई और बहिन अन्न के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं कहे, कोई

ऐसा काम न करे जिस से लोगों में अन्न के लिये घबड़ाहट पैदा हो । स्थिति खराब है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन इस को ऐसा नहीं बताना चाहिये कि खराब ही नहीं बहुत खराब है । जो बात है उस को ठीक समझना चाहिये जितनी मुसीबत है और तकलीफ है उस को मंजूर करना चाहिये । उसे घटा कर कहने का प्रयत्न करना भी बेकार है इसे मैं मानता हूँ । मगर स्थिति को बढ़ा कर कहना जिस से लोगों में घबड़ाहट पैदा हो जाये यह बिल्कुल ठीक नहीं है । इस लिये मैं चाहता हूँ कि इस संकट के समय में लोग धैर्य से काम लें और समझ बूझ से काम लें और ऐसा लोग करेंगे तो मेरा विश्वास है कि लोगों में इतनी शक्ति है कि लोग इस का मुकाबला कर सकेंगे । हम जानते हैं कि हमारे गांव के लोगों में और विशेष कर किसानों में इतनी शक्ति है कि वे मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं । एक छोटी सी बात है जिस दिन किसान अपने घर से अच्छे से अच्छा, सुन्दर से सुन्दर अन्न, जो उस के पास होता है बीज के रूप में जमीन में डाल देता है क्या वह जानता है कि एक दिन उस के बदले में उतना भी मिलने वाला है । आशा रहती है पर इस का निश्चय नहीं रहता कि उस को मिलेगा ही । मगर उस में इतना धैर्य है, इतनी दूरदर्शिता है, इतनी समझ है कि उस दिन वह इस चीज को बर्दाश्त करता है और अनाज जमीन में फेंक देता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी नहीं बरसता और फसल नहीं होती, या कभी पानी अधिक बरस जाता है और फसल बह जाती है । मगर फिर भी वह दूसरी फसल के लिये तैयार रहता है । वह परिश्रम करता जाता है और परिश्रम करने के लिये तैयार रहता है । इस लिये मैं कहता हूँ कि लोगों में हिम्मत, दूरदर्शिता, उत्साह और समझ बूझ होनी चाहिये और एक बार हारने से हेशा के लिये डरना नहीं चाहिये और आगे के लिये तैयारी करनी चाहिये । मैं चाहता हूँ कि देश के जितने सेवक हैं, चाहे वे गवर्नमेन्ट सर्विस में हों चाहे बाहर लोगों में जो इस तरह की भावना है, इस तरह का उत्साह है, उसे काम में लावें और उस का प्रयोग इस मुसीबत को टालने में करें । उन के पास बुद्धि है, कल में ने कहा था कि अगर हम उन के पास पहुंचें और उन को ठीक बतायें कि, आज क्या स्थिति है तो वे लोग ऐसे तरीके खोजकर निकालेंगे जिस से बढ़ कर हम दफ्तर में बैठे बड़े बड़े वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठे नहीं पैदा कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभव से जानते ह, अपने अनुभव से नयी फसल पैदा कर सकते हैं । वे यह भी जानते हैं कि जहां पानी की कमी हो वहां वे कौन सी फसल पैदा कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कौन सी फसल पैदा कर सकते हैं । गवर्नमेन्ट के पास जो शक्ति है, जो साधन हैं उन से भी हम काम लेंगे । गवर्नमेन्ट से जो काम हो सकता है वह करे और आप को उस से काम लेना चाहिये । मेरा अपना विश्वास है कि जनता के पास जो शक्ति होती है वह किसी भी गवर्नमेन्ट के पास जो शक्ति होती है उस से अधिक होती है । गवर्नमेन्ट की शक्ति तो जनता की दी हुई होती है । अगर जनता अपनी सारी शक्ति लगावे तो वह गवर्नमेन्ट की शक्ति से कहीं अधिक हो सकती है । हम चाहते हैं कि ऐसी मुसीबत के समय वह अपनी सारी शक्ति से इसे टालने में लगे और मेरा विश्वास है कि अगर लोगों को ठीक समझाया गया तो यह हो सकता है ।



गवर्नमेन्ट इस प्रयत्न में है कि विदेशों से अन्न मंगाये । अन्न आयेगा भी । मगर इस में कठिनाई भी है । विदेशों से कितना अन्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो उसे वहां से लाने के लिये, जहाज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ? कहीं दुर्भाग्य से विस्व युद्ध छिड़ गया तो जहाज मिलना भी कठिन हो जायेगा और अन्न आना मुश्किल हो जायेगा । इस लिये हमारी दूरदर्शिता का तकाजा है कि हम सोचें, विचारें कि अगर अन्न नहीं आया तो किस तरह हम लोगों को खिलायेंगें, और हम विचार करके देखें तो इस का कोई रास्ता निकाला जा सकता है ।

अन्न की कमी जहां तक मैं ने सुना है मामूली तौर से इतनी है कि अगर १ मन १० मन में जोड़ दिया जाये तो वह कमी दूर हो सकती है, अर्थात् दशांश की कमी है और इस का मतलब यह है कि जहां दस मन पैदा होता है वहां हम एक मन और पैदा कर लें यानी ११ मन पैदा कर लें तो यह कमी दूर हो सकती है ; और यह कोई मुश्किल काम नहीं है । १० मन के बदले ११ मन तो जितनी जमीन में अन्न पैदा किया जाता है उस में भी पैदा किया जा सकता है । इस के अलावा बहुत सी ऐसी जमीन है जो गैर आबाद है उस को हम आबाद कर सकते हैं । ऐसी जमीन को आबाद करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये । अगर गैर-आबाद जमीन सब आबाद हो जाये तो देश में इतना अधिक अन्न पैदा होने लगेगा कि फिर कमी नहीं रह जायेगी । इस के लिये थोड़ा काम करना पड़ेगा । जहां पर जिस चीज की कमी है उस चीज को वहां पहुंचाना होगा । जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाना होगा, कुएं खोद कर ट्यूब वेल खोद कर पानी पहुंचाना होगा । जहां खाद की कमी है वहां खाद पहुंचाना होगा । इस लिये देख कर जहां जिस चीज की कमी हो, वहां उसे पहुंचा कर अधिक पैदा किया जाये तो जितनी कमी है वह आसानी से दूर की जा सकती है । इस साल विशेष परिस्थिति है । वह फसल के मारे जाने से जो ज्यादा कमी हो गई है उस की वजह से है । बहुत सी छोटी छोटी फसलें होती हैं, जिन को तैयार कर के यह कमी दूर की जा सकती है । हम को समझना है कि सारा भारत एक देश है और इस में जितने प्रान्त और नगर हैं सब एक हैं और हम को आपस में इतने प्रेम और एक दूसरे के साथ इतनी सहानुभूति से रहना चाहिये कि एक जगह में अन्न हो और दूसरी जगह में अन्न की कमी हो तो एक जगह से ले कर दूसरी जगह की भूख को दूर करना चाहिये । यही हमारी सरकार करती है । जहां अन्न की कमी होती है वहां की कमी दूसरी जगह से ला कर या बाहर से ला कर वह दूर करती है ।

आप का एक ऐसा सूबा रहा है जो हमेशा दूसरे प्रान्तों को अन्न देता रहा है क्योंकि आप के यहां ईश्वर की दया से ज्यादा अन्न पैदा हुआ करता था । इस लिये आप दूसरे सूबों को खिला सकते थे और दे सकते थे । बाहर की सरकारें भी आप से मांगती थीं और आप दिया करते थे । दुर्भाग्य से यहां भी इस साल कमी हो गई है । इस

साल आप की भी वही हालत है जो और सूबों की रहा करती थी। मैं मानता हूँ कि आप की जो आवश्यकता है वह भी उसी तरह पूरी होनी चाहिये जिस प्रकार से और प्रान्तों की आवश्यकता पूरी होती है और मेरा विश्वास है कि आप की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जायेगा और आप के लिये भी जो कुछ हो सकेगा किया जायेगा। जिस में आप यह नहीं महसूस करें कि जब आप के पास रहता था तो आप ने सब की मदद की और जब आप की ज़रूरत हुई तो आप को किसी ने सहायता नहीं दी। आप की ज़रूरतों को देख कर उसे दूर करने का जो कुछ भी उपाय हो सकता है वह किया जायेगा।

मैं ने इतना जो अन्न कष्ट के सम्बन्ध में कहा वह इस लिये कि मेरा विश्वास है कि अन्न जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक चीज़ है जिस के बिना कोई बिन्दा नहीं रह सकता। इस अत्यन्त आवश्यक चीज़ को तैयार करना, लाना और मुहय्या करना सब का कर्तव्य है चूंकि इस की वजह से घबराहट पैदा हो सकती है, मैं ने सोचा कि आप से इसी विषय पर जोर दे कर कहूँ और मेरा विश्वास है कि जो कुछ मैं ने कहा है वह आप तक ही नहीं रहेगा बल्कि सूबे के और लोगों तक भी पहुंचेगा और लोग स्थिति का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हो जायेंगे।

यह मुसीबत कोई नई मुसीबत नहीं है। पहले भी इस तरह की मुसीबत आई है जिस वक़्त हम दूसरे का मुंह देखा करते थे। आज तो हमारे अपने हाथों में अधिकार भी है। आज तो लोग आसानी से इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिये तैयार किये जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई भी भाई चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खरीद कर खाने वाला हो इस मुसीबत से नाजायज़ लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और जो कोई ऐसा करते हैं चाहे वे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खरीद कर खाने वाले हों वे क्रूर समझे जायेंगे। ऐसे कठिन समय में सब को मिल जुल कर इस मुसीबत को दूर करना है और मैं चाहता हूँ कि सब इस का मुकाबला करन अपना कर्तव्य समझें।

अधिक मैं क्या कहूँ। प्रश्न तो बहुत हैं। बहुत महत्व के प्रश्न हैं जिन पर जितना अधिक कहा जाये वह थोड़ा ही होगा। पर उन चीज़ों में जिन को मैं ने अधिक महत्व का समझा है उन के बारे में आप से मैं ने कहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ मैं ने कहा है उस पर आप ध्यान देंगे।

जिस उत्साह और प्रेम के साथ इतनी संस्थाओं ने और आप सब भाई बहनों ने मेरा स्वागत किया उस के लिये मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

## गोला बारूद कारखाना, जबलपुर

खमरिया, जबलपुर गोला बारूद के कारखाने के मजदूरों के बीच राष्ट्रपति जी न तारीख  
२८-१२-५० को अपने भाषण में कहा —

खमरिया कारखाने के भाइयो,

मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आज मैं आप सब भाइयों से मिल सका। कारखाने के कुछ हिस्सों को मैं ने देखा है मगर बहुत थोड़ा। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं पूरा देख सकूँ और यहाँ ज़्यादा देर तक रह कर आप लोगों से मिल सकूँ। मगर तो भी जहाँ तक मैंने देखा है उससे मुझे पूरा सन्तोष हुआ है और यह जानकर और भी खुशी हुई कि आप लोग अपना काम बहुत मन लगा कर और उत्साह के साथ कर रहे हैं और काम भी आपका बहुत अच्छा हो रहा है। इस वक़्त मुल्क के सामने सब से ज़रूरी चीज़ यह है कि उसकी हम रक्षा करें। हमको स्वराज्य तो मिला है मगर उस स्वराज्य को बचा कर रखना अब हमारा काम है और जैसी आज की दुनिया है उसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं वह और भी बहुत ज़रूरी है। इसलिये मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप से यह आशा रखता हूँ कि आप इस काम को केवल मजदूरी का काम और पैसे कमाने का काम न समझ कर इसे आप यह समझें कि यह आप देश रक्षा का काम कर रहे हैं और देश की हिफ़ाज़त करना हम में से हरेक का फ़र्ज़ है। इस मुल्क में जितने लोग हैं सब की रक्षा, सुख और शान्ति के लिये यह आवश्यक है कि देश सुरक्षित रहे क्योंकि जब तक हम देश को सुरक्षित नहीं रखेंगे यह सब हम नहीं कर सकेंगे। इसलिये आपका काम निहायत ज़रूरी और बड़े महत्व का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई इस काम के महत्व को समझेंगे और समझ कर जो कुछ आपसे हो सकता है आप करेंगे।

मैंने सुना है कि आप सभी भाइयों के रहने के लिये काफ़ी मकान नहीं हैं और जैसे होने चाहिये वैसे नहीं हैं। मगर इस बारे में भी प्रबन्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने नज़र देखा है। वह काम भी जारी हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सब तकलीफ़ें दूर हो जायेंगी। मैं चाहता हूँ कि सन्तोष के साथ रह कर आप इसे देश का काम समझ कर इस कारखाने को चलायें।

## कला निकेतन, जबलपुर

जबलपुर में तारीख २८-१२-५० को कलानिकेतन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री शुक्ल जी, श्री मिश्र जी, बहनो और भाइयो,

आपने मुझे इस भवन को खोलने का सुअवसर दिया इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे आजकल कई जगहों पर कुछ न कुछ कहना पड़ा है और अभी

और भी यूनीवर्सिटियां हैं जहां मुझे बुलाया गया है और जहां जा कर अपने विचारों को मुझे कहना पड़ेगा। शिक्षा का विषय ऐसा है और उसमें मेरी अपनी दिलचस्पी इतनी रही है कि मैं समझता हूँ कि इस पर मैं जितना कहूँ या कोई भी कह सके वह ज्यादा नहीं होगा। बात यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली आज तक चलती रही है उसमें अब बहुत कुछ हेर फेर, रद्दीबदल करने की जरूरत है और इसलिये जहां लोग इस विषय पर विचार करते हैं, बुद्धि से काम लेना चाहते हैं वहां पर जरूरत के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें ढूँढ निकालते हैं, सोच निकालते हैं कि जिससे शिक्षा के द्वारा हमारे लोग अधिक लाभ उठा सके। ऐसे ही प्रयत्नों में आपका यह एक बहुत अच्छा और सुन्दर प्रयत्न है। शिक्षा के मामूली तौर से तीन हिस्से होते हैं। एफ तो वह हिस्सा होता है जो बहुत छोटे बच्चों के लिये होता है और दूसरा हिस्सा जो माध्यमिक कहलाता है वह कुछ बड़े बच्चों से लेकर यूनीवर्सिटी के पहले तक के बच्चों के लिये होता है और तीसरा हिस्सा वह होता है जिसका सम्बन्ध यूनीवर्सिटियों से होता है। इन तीनों के अलग अलग प्रयोजन हैं, तीनों के अलग अलग तरीके हैं और तीनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। जो प्राथमिक शिक्षा शुरू में दी जाती है वह ऐसी होनी चाहिये कि जिससे देश के एक भी मनुष्य लड़का लड़की वंचित न रहे। वह सब के लिये अनिवार्य होनी चाहिये। अनिवार्य का मतलब यह नहीं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते उनको भी फ्रीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये बाध्य किया जाये। अनिवार्य का मतलब है कि हरेक बच्चे को वह शिक्षा जरूरी मिलनी चाहिये और उसमें उसे पैसे खर्च करने की मजबूरी न होनी चाहिये क्योंकि इस गरीब देश में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चे के पढ़ाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को बचपन में ही काम में लगा देते हैं जिस से वह पैसे कमा सके। ऐसे लोगों से अगर ज़बर्दस्ती अपने बच्चों को पढ़ाने को कहें और वह भी फ्रीस दे कर तो उनके साथ ज्यादाती होगी। इसलिये मेरा हमेशा विचार रहा है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हरेक बच्चे को मिलनी चाहिये और वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो बच्चे की बुद्धि को खोल दे और आगे चल कर कार्य में योग्य बना दे और जो आगे बढ़ना चाहते हों उनको आगे का दरवाजा खुला मिले और उससे वे लाभ उठा सके। माध्यमिक शिक्षा इससे कुछ ऊपर है। मैं नहीं जानता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा का कितना असर हो सकता है और उससे कितना लाभ पहुंच सकता है। अभी तक जो शिक्षा पद्धति रही है उस में माध्यमिक शिक्षा केवल यूनीवर्सिटी तक पहुंचने का दरवाजा मात्र थी और मैं जिस वक्त पढ़ता था माध्यमिक शिक्षा खतम करने पर कहा जाता था कि एंट्रेंस पास कर गया याने दरवाजे को पार कर गया। अब शायद नाम बदल गया है पर काम नहीं बदला है। अब काम को भी बदलना चाहिये और आपका यह प्रयत्न इसी काम को बदलने के लिये है जिस में सब बच्चे यह नहीं समझें कि स्कूल से पास करने पर यूनीवर्सिटी में जाना ही है नहीं तो वे बेकार हो जायेंगे या उनकी योग्यता में कोई खास कमी रह जायेगी और अगर वे यूनीवर्सिटी में न पढ़ें तो उन्हें चाहे छोटी मोटी नौकरियां मिल जायें पर वे और कुछ न कर सकेंगे। हर आदमी को यूनीवर्सिटी में जाना जरूरी नहीं है। यूनीवर्सिटी में तो उन्हीं को जाना चाहिये जिनमें कोई खास योग्यता हो, जिनकी बुद्धि और मस्तिष्क दोनों अच्छे और सुलझे हुए हों और जो अपनी बुद्धि का अभ्यास ऊँचे दर्जे तक कर सकते हों और अपनी बुद्धि से समाज में जो बात बुद्धि द्वारा उपलब्ध

है उसमें तरक्की कर सकते हैं। जो देश और संसार के सामने नये आविष्कार रख सकते हैं, नये विचार रख सकते हैं ऐसे ही ऊंचे दर्जे के लोगों को यूनीवर्सिटी में जाना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऊंचे दर्जे के लोग किसी खास वर्ग में ही होते हैं और दूसरों में नहीं। कोई भी क्यों न हो चाहे जगल में हो, पिछड़े लोगों में हो, या किसी बड़े महल में हो अगर यूनीवर्सिटी जाकर अपनी बुद्धि को विकसित कर सकता हो और उससे अपने लिये लाभ उठा सकता हो और देश और संसार को लाभ दे सकता हो तो उसको वहां जाना चाहिये। यह माध्यमिक वर्ग की पाठशाला का काम है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने यहां अलग अलग काम के लिये तैयार करे और जिस काम में जो जाना चाहता हो, जिस में जिस काम के लिये योग्यता हो उसको उस काम के लिये तैयार कर दे। अगर कोई यूनीवर्सिटी जाने लायक हो तो उसको यूनीवर्सिटी की ट्रेनिंग देनी चाहिये, अगर कोई ऐसा हो जो खेती का काम बहुत बहादुरी से चला सकता हो तो उसको खेती के काम के लिये तैयार कर दे, अगर उसमें ऐसी बुद्धि हो कि वह कल कारखाने को समझ सकता है तो उसको उसके लिये तैयार कर दे, अगर कोई ललित कलाओं का चमत्कार दिखला सके तो उसको उसका मौका दिया जाये। इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि सब यूनीवर्सिटी में जायें। आज इसका विचार नहीं किया जाता। सब के सब यूनीवर्सिटी जाते हैं। मेरा खयाल है कि उन का समय और रुपया बर्बाद होता है और देश को जितना उनसे लाभ पहुंचना चाहिये उतना नहीं पहुंचता। आज बहुत लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे यूनीवर्सिटी जाते हैं तो किस लिये जाते हैं। यों ही पास कर लेने पर सोचने लगते हैं कि क्या किया जाये, अगर कही काम मिल गया, कही कोई जगह मिल गई तो मिली नहीं तो पढ़ने लगते हैं, अपनी बुद्धि को विकसित करने के खयाल से नहीं बल्कि, मजबूर होकर और वहां से निकलने पर बहुतेरे ऐसे होते हैं कि वे ऐसे काम में लग जाते हैं जहां वे ठीक नहीं बैठते। आज आप देखेंगे कि शिक्षित वर्ग में एक बहुत बड़ी ऐसी जमात है जो असन्तुष्ट रहती है। जो सब कुछ कर के यह महसूस करते हैं कि हमको कोई नतीजा नहीं मिला। उसके घर वाले बहुत आशा लेकर उनको तैयार कराते हैं। उनकी सब आशा विफल होती है और वे धबड़ते हैं कि हमने क्या किया। तो इस तरह से अगर शुरू से ही लोगों को बांट दिया जायेगा तो जो जिस काम के योग्य रहेंगे वह उस काम में लग जायेंगे और इससे यह होगा कि सारे देश का काम भी चलेगा और प्रत्येक आदमी को मौका भी मिलेगा।

जब मुझ से यह कहा गया कि आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि यह एक ऐसा काम है जिसको प्रोत्साहन देना चाहिये और अगर मेरे यहां जाने से ही आप प्रोत्साहित हो जाते हैं तो मैंने सोचा कि इसमें मेरा कोई खर्च भी नहीं और आप का काम भी चल जाता है। इसलिये मैंने बड़ी खुशी से निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया और यहां हाज़िर हुआ। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नयी लाइन खोली है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप ही को नहीं बल्कि सारे देश को लाभ पहुंचेगा। ईश्वर ने आपके सूबे को बहुत धन दिया है पर वह अभी पृथ्वी के गर्भ में है। उससे जो लाभ आप को पहुंचना चाहिये अभी नहीं पहुंचा है और उससे बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं।

एक चीज के लिये माफ़ी मांग कर म बैठ जाऊंगा। मेरे यहां आने में बहुत देर हुई इसलिये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मगर इसमें मेरी शल्लती नहीं है। अगर किसी की

गलती है तो इन्द्र भगवान की गलती है। मगर हम विचार कर देखें तो उनकी भी गलती नहीं। जैसी हालत थी उसमें पानी की बड़ी जरूरत थी वर्षा हुई है तो उससे फ़सल को लाभ पहुंचेगा। अगर वर्षा के कारण आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे।

### महाकौशल महाविद्यालय का शिलान्यास

महाकौशल महाविद्यालय का शिलान्यास करते समय तारीख २८-१२-५० को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

माननीय शुक्ल जी, माननीय मिश्र जी, बहनो और भाइयो,

इस महाविद्यालय के जीवन में यह तीसरा संस्कार जैसा हो रहा है। इस के पहले यह दो स्थानों में रह चुका है और जैसे कोई शिशु जब वह बड़ा होने लगता है तो जैसे जैसे वह बढ़ता है उसके पहले के कपड़े छोटे पड़ते जाते हैं और उनको छोड़ कर उसके लिये बड़े कपड़े बनाने पड़ते हैं उसी तरह इस महाविद्यालय का भवन जैसे जैसे यह बढ़ता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है और उसकी जगह नये नये भवन बनाने पड़ रहे हैं। मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस जगह को यह छोड़कर आता है वह जगह भी जो उस वक्त रहती है उससे कहीं बढ़ जाती है। सागर में यह था तो वहां यूनीवर्सिटी बन गयी और वहां से जिस स्थान पर यह रौबर्टसेन कालेज के नाम से स्थापित किया गया वहां से इसके हटने पर अब वहां इन्जीनियरिंग कालेज हो रहा है। अब इस स्थान पर यह आया है और मैं आशा करता हूँ कि यहां इतना बढ़ेगा, इतना फूलेगा और फलेगा कि अगर इससे भी कोई बड़ी जगह की तलाश करनी पड़े तो किसी को इसमें आश्चर्य न होगा। मगर मनुष्य भी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था को पहुंच जाता है जब कि फिर आगे बढ़ नहीं सकता। मुझे कितने दिन भी रहना पड़े जो मेरा अचकन है उसके बढ़ाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी; उससे ही काम चलता जायेगा और जब तक ज़िन्दा रहूंगा उससे ही काम निकलता जायेगा। उसी तरह से यह भी हो सकता है कि यह महाविद्यालय भी अपनी उस अवस्था तक पहुंच गया हो कि अब ज्यादा बड़े भवन की जरूरत न हो और इसी में ऐसी गुंजाइश रख दी गयी हो कि इसे बदलने की जरूरत न पड़े। यहां मैं समझता हूँ काफ़ी जगह रख ली गयी है और जरूरत पड़ने पर नये मकान, नये भवन बनाये जा सकते हैं। इसलिये अगर इसके पिछले इतिहास को देखा जाये तो यह मालूम होता है कि यह एक बहुत ही सफल विद्यालय रहा है और इससे यह आशा होती है कि आगे भी यह एक बहुत ही सफल विद्यालय रहेगा। मुझे इससे और भी खुशी हुई कि यह अपने जीवन में बढ़ता गया है और इसे नयी नयी अचकन पहनने की आवश्यकता पड़ी है। मैं आप सब भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने सूबे में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिये प्रबन्ध किया है और आधुनिक विद्यालय की जितनी चोज़ें होती हैं, सब पर आपने ध्यान दिया है, और सब के लिये जहां जिस का मौक़ा है प्रबन्ध करते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में यह भी एक काम हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि यह आपका सारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पूरा होगा और एक दिन आयेगा जब आपका सूबा और देश आपको बधाई दे सकेगा। आज सवेरे मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था और

अभी आप से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रसार के लिये भारतवर्ष में बहुत जगह है। अभी अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा भी बहुत कम ही लोगों को मिल सकी है। अभी भी इस देश में १०० में १२-१८ आदमी ही लिखना पढ़ना जानते हैं। यहाँ इतना मैदान पड़ा है कि कोई ठिकाना नहीं। उसको पूरा करना कोई आसान काम नहीं। महात्मा गान्धी ने बनियादी तालीम की अपनी योजना रखी थी। उस योजना की सबसे बड़ी चीज मेरी समझ में यही है कि भारत जैसे गरीब देश में भी लड़कों को पढ़ते पढ़ते काम करने की आदत पड़े और उस काम में शिक्षा का प्रसार भी बढ़ता जाये और गरीब से गरीब लोग भी पढ़ें और कोई निरक्षर न हो। इस देश में सब के पास इतने पैसे कहां कि सब पढ़ सकें। दूसरी तरफ जब महात्मा गान्धी की उस योजना की तरफ दृष्टि जाती है तो विश्वास होता है कि उस योजना के द्वारा हम प्राथमिक शिक्षा सारे देश के लिये अनिवार्य कर सकते हैं। जो ऊपर के दर्जे के लोग हैं उनके लिये जैसा मैंने कहा था जहां जहां जैसा मौका हो उसको आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ावें। यहां की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा ईश्वर ने सब कुछ दिया है और अगर हमारे लोगों की बुद्धि निखरेगी और उनके हाथों में कौशल आ जायेगा तो जो गरीबी है वह दूर हो सकती है और गरीबी केवल पैसे की नहीं बल्कि आज जो मस्तिष्क की गरीबी है वह भी दूर हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इस विद्यालय से इस काम में सहायता मिलेगी।

आपने मुझे यह मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### जबलपुर में नागरिक अभिनन्दन

जबलपुर में तारीख २८-१२-५० को नागरिकों की ओर से सेठ गोविन्ददास द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

सेठ गोविन्ददास जी, बहनो और भाइयो,

आज प्रायः मैं दो वर्षों के बाद आपके यहां हाज़िर हुआ हूँ। इसके पहले जैसा अभी बताया गया है मैं कई बार यहां आ चुका हूँ। इसलिये मैं जबलपुर से अपरिचित नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि जबलपुर के लोग भी मुझे से अपरिचित नहीं हैं। पर आज से पहले जब मैं यहां आया करता था तो एक दूसरी हैसियत से आया करता था। उन दिनों मैं कांग्रेस का एक सेवक था और कांग्रेस के काम से मैं सारे देश में दौरा किया करता था और उसी सिलसिले में आपके यहां भी आया करता था। मुझे आप सब भाई और बहनों ने देश के सभी प्रतिनिधियों ने चुनकर आज एक विशेष स्थान पर बंटा दिया है और इस वक्त अगर मैं कहीं जाता हूँ तो इसी हैसियत में जाता हूँ। मेरी इच्छा कुछ भी क्यों न हो इस हैसियत के कारण मैं काफ़ी लोगों से घिरा रहता हूँ। जैसा कि इस समय भी स्पष्ट है जब आप लोगों की आंखों के सामने भी पर्लिस और फौज मौजूद है। मैं जहां भी जाऊं इन लोगों से मुझे घिरा रहना है। साथ ही मैं किसी विशिष्ट दल का नहीं हूँ। आज तो सब विचार और सब तरह के लोगों से मिलकर

ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो सब के हित में हों और केवल एक विशेष संस्था या दल के लिये ही न हों या केवल कांग्रेस के लिये ही न हों। यद्यपि कांग्रेस के साथ मेरा सम्बन्ध जितना घनिष्ठ रहा है उसे आप सभी जानते हैं और जिसका जिक्र अभी सेठ गोविन्ददास जी ने किया है, फिर भी मैं उस के कारण अब उसी के साथ वास्ता नहीं रख सकता।

इस समय हम स्वराज पा चुके हैं। देश की अवस्था कुछ न कुछ बदल रही है। सारे संसार की अवस्था दिन प्रति दिन बदल रही है। आज हम ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं जब अपने देश का भला या बुरा हमारे अपने हाथों में है। इस देश के लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा आज देश का शासन कर रहे हैं। इसमें किसी बाहरी आदमी का कोई अधिकार नहीं है, कोई हाथ नहीं है। अगर हम इस काम को ठीक अन्जाम देते हैं तो इसका जो कुछ भी श्रेय होगा वह अपने ही देश के लोगों को मिलेगा और अगर कोई बात हम बिगाड़ते हैं तो उसकी जो भी शिकायत होगी वह भी अपने ही देश के लोगों की होगी। इसलिये स्वराज के साथ साथ हमारी जवाबदेही भी बढ़ गयी है।

अभी एक नया संविधान देश के प्रतिनिधियों ने बनाया है। दस ग्यारह महीने हुए वह संविधान जारी हुआ। उसके अनुसार इस पद पर मुझे बैठाया गया। उस संविधान की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अनुसार सारे देश में एक नया चुनाव होगा। वह आज से प्रायः एक वर्ष के बाद अगले साल के नवम्बर-दिसम्बर महीने में होगा यह निश्चय किया गया है। देश भर में ऐसे सब लोगों को चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, जिन की अवस्था २१ साल की हो गयी है इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा और सब लोगों के द्वारा जो लोग चुने जायेंगे वे ही देश का शासन करेंगे। इस तरह अब हरेक बालिग आदमी को समझना चाहिये कि देश के शासन की जवाबदेही उस के सर पर है। कुछ लोग यह समझ सकते हैं कि जहाँ करोड़ करोड़ आदमी अपनी राय दे कर प्रतिनिधि चुनेंगे वहाँ हमारे एक आदमी के मत से क्या होने वाला है। ऐसा नहीं समझना चाहिये। जिस तरह बूद बूद से तालाब भर जाता है, नदियाँ भर जाती हैं, समुद्र भी भर जाता है उसी तरह एक एक अगर अपना कर्तव्य और अपनी जवाबदेही ठीक समझ कर निभावे तो देश का बहुत भला होगा। इस लिये मैं चाहता हूँ कि यह जो बड़ी जवाबदेही हमारे सभी लोगों के हाथों में आ गयी है इस जवाबदेही को समझ कर हम देश का काम करें। इस जवाबदेही का अर्थ क्या है यह समझना चाहिये। प्रत्येक आदमी को अपने सामने देश का हित रखना चाहिये और अपने हित को प्रधानता न दे कर अपने नजदीक के अपने आस पास के लोगों के हित को, जिनके साथ दोस्ती हो, प्रेम हो उनके हित को प्रधानता देनी चाहिये। जहाँ कहीं भी बहुत लोगों को वोट देने की बात आवे और आपके सामने यह प्रश्न आवे कि उनमें किनको वोट देना चाहिये तो आप विचारें और सोचें कि उन में से किस को वोट देना अच्छा होगा और उसके मुताबिक आप अपनी राय दें। प्रजातन्त्र की सब से बड़ी खूबी यही होती है कि वहाँ जो कुछ होता है वह जनता की राय से होता है और जनता की राय से कार्य होता है तो प्रजातन्त्र का काम भी ठीक चलता है। अगर प्रजातन्त्र की राय जनता की राय नहीं तो प्रजातन्त्र का काम भी ठीक नहीं होगा। यह आप को समझना है कि जिन लोगों को आप अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे वही देश के राजकाज का काम, देश के शासन का काम चलायेंगे और अगर उन्हें उनसे ठीक नहीं चलाया तो यह दोष उनका तो होगा



ही मगर इस दोष के भागी आप भी होंगे। इसलिये आशा है कि आप समझ बूझ कर चुनैंगे और समझ बूझ कर अपनी राय कायम करके काम करेंगे।

देश के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें आयेंगी। यों तो चुनाव का ही काम इतना बड़ा है जिसका प्रबन्ध करना कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिये कठिन चीज होगी। हमारे देश में इतने लोगों को वोट देने का मौका कभी पहले नहीं था और जितने लोग वोट देते थे उनके मुकाबले में जो इस नये संविधान के मुताबिक वोट देंगे उनकी संख्या कई गुनी होगी। मैंने सुना है कि जो फ़ैहरिस्त वोटों की तैयार की गयी है वह इतनी लम्बी फ़ैहरिस्त हो गयी है जितनी लम्बी फ़ैहरिस्त कि किसी भी देश में मत देने वालों की आज तक नहीं हुई। इस फ़ैहरिस्त में १७-१८ करोड़ लोगों के नाम दर्ज हुए हैं। चीन और रूस को छोड़ कर और कोई दूसरा देश नहीं है जिसकी आबादी भी १७-१८ करोड़ लोगों की हो, मतदाताओं की कौन कहे। इसलिये इतने बड़े चुनाव का इन्तज़ाम करना गवर्नमेंट के लिये भी बहुत बड़ी चीज होगी, कठिन काम होगा। वह तभी सफलता पूर्वक हो सकता है जब सभी लोगों का सहयोग गवर्नमेंट के साथ हो और सब लोग यह समझ कर मदद करें कि यह काम उनका अपना है, उसको बनाना है, बिगाड़ना नहीं। मगर यह चुनाव का काम तो चन्द दिनों में खत्म हो जायेगा। देश के जो दूसरे मसले हैं, दूसरी समस्यायें हैं वे तो हमारे सामने रहेंगी सच पूछिये तो यह चुनाव तो एक हथियारमात्र है जिसके द्वारा हम ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो इन मसलों को हल करेंगे। इन मसलों की तरफ़, इन प्रश्नों की तरफ़ यहां की जनता का ध्यान अच्छी तरह से लाना चाहिये। हमारे जितने राजनैतिक काम करने वाले हैं, जितने समाचार पत्रों के लिखने वाले हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को समझ सकते हैं उनका यह धर्म है और कर्तव्य हो जाता है कि इन सभी प्रश्नों के हर पहलू को लोगों को पूरी तरह से समझायें, और यह बतलायें कि किस से देश का भला है और किस से बुराई हो सकती है।

इस वक्त सारा संसार एक बहुत नाजुक परिस्थिति से गुज़र रहा है। मालूम नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हो सकता है कि भयंकर युद्ध छिड़ जाये। आजकल के ज़माने का युद्ध भूतकाल के युद्धों के मुकाबले में कहीं अधिक नाशकारी, कहीं अधिक भयंकर होगा क्यों कि आज जो अस्त्र शस्त्र बन गये हैं वे ऐसे विनाशकारी हैं जैसे पहले कभी नहीं बने थे और साथ ही सब देशों का एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा सम्पर्क भी हो गया है कि कोई देश अगर चाहे भी तो अपने को सब देशों से बिल्कुल अलग नहीं रख सकता है। किसी न किसी तरह से वे किसी न किसी की पूंछ में बंध जायगा और इस तरह से अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी बहुतेरे देश लड़ाई के लपेट में आजायेंगे। अगर ऐसी अवस्था आयी तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे। हमारा प्रयत्न है, हमारी गवर्नमेंट का प्रयत्न है, हमारे प्रधान मन्त्री का प्रयत्न है कि हम किसी तरह से लड़ाई न होने दें। और जो कुछ हमारी शक्ति है, जो कुछ हमारे पास साधन है, जहां तक हमारी पहुंच है हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लड़ाई बढ़ने न पावे। मगर कोई कह नहीं सकता है कि हमारे इस प्रयत्न का क्या फल होगा ; ऐसी अवस्था में कहीं लड़ाई छिड़ गयी तो हम यही चाहेंगे कि हम लड़ाई से अलग रहें। मगर अलग रहने के लिये भी देश के अन्दर शक्ति ज़रूरी है, देश के लोगों में धैर्य ज़रूरी है, देश के

लागों में कौशल जरूरी है जिसमें हम अपनी रक्षा कर सकें और लड़ाई आ जाये तो हम-अपन को सम्भालें, घबड़ाहट न आने दें, किसी तरह की विपत्ति आ जाये तो उससे घबड़ा कर हम अपने कर्तव्य से फिसल न जायें। यह तो हमेशा ही हरेक स्वतन्त्र देश के लिये जरूरी है। मगर आज की नाजुक परिस्थिति में हमारे देश के लिये यह और भी जरूरी हो गया है।

अभी जो देश में संकट है उस का भी सुधार जरूरी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके यहां दो तीन महीने के बाद दो तीन दिनों से इन्द्र भगवान् ने कृपा करके थोड़ा पानी बरसा दिया है। जहां तक मुझे सूचना मिली है इससे यह आशा की जा सकती है कि इसका लगी हुई फसल पर अच्छा प्रभाव होगा। अगर यह वर्षा नहीं होती तो जो स्थिति है वह और भी जटिल हो जाती। यह एक प्रकार से ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई। मगर इस बात की खुशी मनाते हुए भी जब हम सारे देश की ओर आंखें डालते हैं तो मालूम होता है कि यह कृपा सभी जगहों में नहीं हुई है और इसका फल यह हुआ है कि आज देश एक अत्यन्त गम्भीर संकट में पड़ गया है। अन्न की कमी सभी जगहों में हो रही है और आपका सूबा जो पहले और सूबों को अन्न दिया करता था और जहां से अन्न लेकर दूसरे सूबों में केन्द्रीय सरकार भेजा करती थी आज यहां भी अन्न का टोटा है और दूसरे सूबों में जहां यों ही मामूली तौर से अन्न की कमी रहा करती थी वहां फसल मारी जाने की वजह से आज कठिन समस्या उपस्थित हो गयी है। इस समस्या को हल करने के लिये प्रान्तीय सरकारें और केन्द्रीय सरकार जहां तक हो सकता है प्रयत्न कर रही हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं। एक प्रयत्न तो यह है कि देश के अन्दर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये, लोगों को बताया जाये कि जहां तक हो सके, जो कुछ हो सके वे खाद्य पदार्थ पैदा करें। अधिक परिश्रम करके, जिस तरह से हो सके, पुरानी ज़मीन में, नयी ज़मीन में अन्न हो, फल हो, कन्द मूल हो जो कुछ हो पैदा करें जिससे मनुष्य का पेट भर सकता हो। एक तो यह प्रयत्न है और इसके लिये गवर्नमेंट की ओर से जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, कुएं खोद कर, नहर लगा कर और जो नदियां हैं उनमें बांध बांध कर जो कुछ जरिया हो सकता है उसका उपयोग किया जा रहा है जिस से अधिक पैदावार हो और उसे लेकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यह तो एक प्रकार का प्रयत्न है। दूसरा प्रयत्न यह है कि जहां कहीं भी लोगों के पास अपनी जरूरत से कुछ ज्यादा अन्न हो उसे उनसे लेकर जहां कमी हो वहां पहुंचाया जाये। इसके अलावा विदेशों से भी जहां तक हो सकता है अन्न लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विदेशों से अन्न लाने में कठिनाई बहुत है। सब से बड़ी चीज तो यह है कि उसके लिये जो दाम देना पड़ता है वह इतना ज्यादा होता है कि उसे देना आसान नहीं है। यह कृषि प्रधान देश दूसरे देशों से अन्न लाये और तब अपना पेट भरे यह हमारे लिये लज्जा और दुःख की बात है। मगर जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा करना पड़ता है और गवर्नमेंट जहां जहां हमें अन्न मिल सकता है वहां से अन्न लाने का प्रयत्न कर रही हैं; एक तो अन्न मिलना भी आसान नहीं; दूसरे अगर मिले भी और हम उसका दाम चुका सकें तो भी उसको यहां लाने के लिये जहाज़ की आवश्यकता होती है और जहाज़ों का मिलना भी उतना आसान नहीं है। तो भी प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि जरूरत के मुताबिक हम विदेशों से अन्न ला सकेंगे। अपने यहां के प्रयत्न से और विदेशों से लाये हुए अन्न से आशा की जाती है कि इस संकट से हम किसी तरह निकल जायेंगे। पर मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह काम सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है।

इस काम में सभी को हाथ बंटाना है और हाथ बंटाने के तरीके भी बहुत हैं। सब से पहली चीज तो यह है कि जहां अन्न की कमी हो वहां लोग घबड़ायें नहीं। घबड़ाहट का नतीजा यह होता है कि जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता रहता है वह भी कहीं छिप जाता है और उससे अन्न की कमी और बढ़ती है। इसलिये घबड़ाने से कोई काम बनता नहीं है, बिगड़ता है। अगर घर में कोई बीमार पड़े और घर के लोग घबड़ा जायें और डाक्टर को बुलावे नहीं तो हाय हाय करके रोने से उसका रोग कभी कम नहीं होगा। उस समय पुरुषार्थ तो इसमें है कि धैर्य बांध कर रहें और जो कुछ करना है वैद्य को बुलाना हो, डाक्टर को बुलाना हो बुला कर उसका उपचार करावें। अगर लोग घबड़ायें नहीं तो रोग भी अच्छा हो जाता है। मगर घबड़ा कर रोगी को छोड़ दें तो रोगी का रोग भी बढ़ जाता है और उसका उपचार नहीं होता है। उसी तरह से जब कहीं अन्न की कमी हो तो लोग घबड़ायें नहीं और जिस तरह मामूली तौर से लोग अपना अपना कारबार करते हैं करते रहें। इस का ध्यान जरूर रखें कि एक वाना भी कहीं बर्बाद न होना पाये। आज बहुत अनाज कीड़े लगने से, घुन लगने से बर्बाद होता है और खाने में भी जरूरत से ज्यादा लेकर लोग नुकसान करते हैं। साथ ही साथ लोगों को इसके लिये भी तैयार रहना चाहिये कि जो भी अन्न हमें मिले उसी से हम अपना काम चला लें। मैं एक ऐसे स्थान से आया हूँ जहां लोग अधिकतर चावल ही खाते हैं। अगर हमें चावल के बदले गेहूं खाना पड़े तो क्या हम चावल के लिये रोयेंगे? जहां हमें जो कुछ मिलेगा खा लेंगे। चावल के बदले हमें गेहूं मिलेगा तो हम गेहूं खा लेंगे, गेहूं नहीं मिले मकई मिले तो उसे खा लेंगे। अगर वह भी न मिले तो बाजरी खायेंगे, जो कुछ मिलेगा खायेंगे। देश ही के लोग आखिर इस प्रकार के अन्न को खाते हैं, करोड़ों की संख्या में खाते हैं। अगर हम नहीं खाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। इसके अलावा अन्न को छोड़ कर दूसरी चीजें होती हैं जो काफ़ी पुष्टिकारक होती हैं और जिनको खा कर मनुष्य रह सकता है। हमारे यहां तो ऋषि मुनि कन्दमूल ही खा कर रहा करते थे। आज भी जंगलों में बहुत लोग कन्दमूल ही खा कर रहते हैं, अन्न नहीं खाते। अगर ऐसा समय आ जाये तो कन्दमूल का तिरस्कार न किया जाये। इनको पैदा किया जाय और जो लोग कुछ भी किसानी जानते हैं वे जानते हैं कि कन्दमूल अन्न से ज्यादा पैदा होता है। एक बीघे ज़मीन में जितना अन्न पैदा हो सकता है उससे कन्दमूल कहीं अधिक पैदा हो सकता है। मैं जहां जहां जाता हूँ लोगों से कहता हूँ कि जहां अन्न का संकट हो लोग कन्दमूल पैदा करें। अब यह भी जरूरी है कि लोग सोचें कि किस तरह से पैदा करें, किस तरह से कम अन्न से चला सकते हैं। अगर यह चिन्ता हमारे देश के सभी लोग करें तो संकट आसानी से दूर हो जायेगा। यह संकट आज हमारे ऊपर पहले पहल नहीं आया है। इसके पहले भी कई बार इस तरह का संकट हमारे ऊपर आ चुका है और हमारे देश के लोगों ने इसका मुक्ताबला किया है और ऐसे समय में किया है, जब गवर्नमेंट का अधिकार हमारे अपने प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं था। आज तो हमारे सौभाग्य से अपने लोग शासन की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं और सब काम चला रहे हैं। आपके दुःख को वे जानते हैं और जो कुछ उनसे हो सकता है वे कोशिश करते हैं कि यह संकट दूर हो जाये। सब चीजों के रहते हुए आपके घबड़ाने की कोई बात नहीं है।

मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यह असर डालें कि सारे देश के लोग अपने को एक समझें। स्वार्थ के वश में पड़ कर चाहे कोई किसान हो, चाहे व्यापारी हो, साहर का रहने वाला हो, खरीद-कर के अन्न खाने वाला हो किसी को इस संकट से अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिये, अपना

लाभ नहीं उठाना चाहिये और जिससे जो बन पड़े दूसरे का खयाल रखना चाहिये। इस समय जो नाजायज़ मुनाफ़ा उठाना चाहते हैं वे देश के साथ घात करते हैं चाहे वे किसान हों, व्यापारी हों और चाहे कोई और हों। यह ज़रूरी है कि जब तक देश में अन्न का टोटा रहे देश में जो कुछ है उसे सब मिलकर बांट कर खायें। मैं ने कल नागपुर में इस विषय पर जोर दे कर कहा था और आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ तक हो अपने कर्तव्य को महसूस करके इस संकट से देश का त्राण करें और मेरा विश्वास है कि अगर लोग चाहेंगे तो कर लेंगे। आप में शक्ति है, आप में धैर्य होना चाहिये और इच्छा होनी चाहिये। अगर आप में धैर्य हो और अगर आप ने इच्छा की तो यह संकट बात की बात में टाला जा सकता है।

अभी इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत वक्त लग जायेगा। मैं ने इसी विषय को इस वक्त सब से आवश्यक समझा है और इसी विषय पर अधिक जोर देना मुनासिब समझा है और इसलिये अन्य विषयों की ओर आपका ध्यान खींच करके जो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है उससे उसे हटाना नहीं चाहता हूँ।

आप सब भाई और बहनों ने जिस प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया, मुझे मानपत्र दिया और चाहे मैं किसी भी हैसियत से आया हूँ जैसा प्रेम दिखलाया है वैसा ही प्रेम आज भी दिखलाया उसके लिये आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद।

---

### मोजरी आश्रम

तुकड़ा जी महाराज के मोजरी आश्रम में तारीख ३०-१२-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—  
महाराज, बहनो और भाइयो,

अभी आपसे महाराज ने कहा है कि मैं एक बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और आपके आश्रम में कुछ समय बिता चुका हूँ। जब मुझे इस दौरे का कार्यक्रम बनाने को कहा गया था तो मैं ने सोचा कि जब मैं अमरावती ज़िले में जाऊँगा, नागपुर और वर्धा जाऊँगा, और यहाँ नहीं आऊँ तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं ने इस स्थान को भी अपने कार्यक्रम में रख लिया और यहाँ आकर जो कुछ मैं ने देखा उससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ क्यों कि मैं ने देखा कि उस वक्त जो कुछ मैं ने देखा था उससे सब चीज़ें कहीं आगे बढ़ गयी हैं और उन सभी चीज़ों की तरक्की और उन्नति हो गयी है। आप यह समझते हैं कि गांव की उन्नति किस तरह हो सकती है और उसी भावना को सामने रख कर जो सेवा मंडल महाराज ने स्थापित किया है वह गांव गांव में काम कर रहा है। इतना ही नहीं कि वह गांव गांव में काम कर रहा है, उसका असर जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ भी दूर दूर तक हो रहा है। जैसा आपने कहा, आपके काम को देखकर हमने आपको बिहार में बुलाया था और वहाँ भी जाकर आपने जागृति पैदा कर दी थी। जब हम सोचते हैं कि आपका काम क्यों इतना आगे बढ़ता है, इसकी क्यों प्रगति हो रही है तो हम को मालूम होता है कि सच्ची सेवावृत्ति से अगर साधु लोग देश के काम में पड़ जायें तो बड़ी तेज़ी से सब काम आगे बढ़ सकेंगे। भारतवर्ष एक धर्मपरायण देश है। हमारे लोगों में धार्मिक आस्था

और भावना है। उस भावना को अपने कारनामों से साधुओं ने खराब कर दिया है क्यों कि जब वे अपने स्वार्थ में लग जाते हैं तो उनकी बदनामी होती है और कुछ लोग उनकी शिकायत भी करते हैं। मगर जो सच्ची सेवा की भावना है उसे लेकर लोगों में प्रचार किया जाये, उनको रास्ता दिखलाया जाये तो मेरा अपना विश्वास है कि लोग जल्द ही सब बातों को समझ सकते हैं और उनके बताये अनुसार काम कर सकते हैं। यही कारण है कि महाराज अपनी भजन मंडली के साथ जब कही जाते हैं तो मैं ने सुना है और देखा है कि दो दो लाख लोग इकट्ठे हो कर उनका भजन सुनते हैं। इस तरह की लोगों में धार्मिक भावना है और विशेष करके महाराष्ट्र की धार्मिक परम्परा तो बहुत दिनों से चली आती है और उस परम्परा ने उसमें नव जीवन कायम कर दिया है। ज़रूरत इस समय इस बात की है कि गांव के लोगों में शिक्षा प्रचार सेवा संचार किया जाये, उनको खेती की उन्नति करना, गो रक्षा और गो पालन का काम बतलाना ज़रूरी है और मैं देखता हूँ कि सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके नमूने के तौर पर आपने रख दिया है। इसके अलावा चर्खे चलवाना, कपड़े की बुनाई का काम भी मैं ने देखा और रहन सहन का नमूना तो आंख के सामने ही है। इस तरह से जीवन के सभी पहलुओं पर आप लोगों को मार्ग दर्शन करा रहे हैं इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से महाराज ने काम आरम्भ किया है और जिस सेवा भावना से काम वह कर रहे हैं अगर हमारे देश के सभी साधु इसी भावना से काम करें तो देश का बड़ा उपकार होगा। पहले साधु लोग उपकार का काम किया करते थे और गृहस्थ लोग गृहस्थी का काम करते थे क्यों कि गृहस्थी के काम से गृहस्थों को समय ही कहां बचता था। पर जब साधु लोग इस काम से हट गये तो गृहस्थों को ही यह काम करना पड़ा। आपने जो यह काम आरम्भ किया है वह बहुत ही सुन्दर और अच्छा काम है और मैं आशा करता हूँ कि दिन प्रति दिन आपकी उन्नति होती जायेगी।

### शिवाजी लोक विद्यापीठ

शिवाजी लोक विद्यापीठ का उद्घाटन करते समय शिवा जी कालेज अमरावती में तारीख  
३०-१२-५० को राष्ट्रपति जी ने कहा—

माननीय शुक्ल जी, डाक्टर पंजाबराव देशमुख, बहनो और भाइयो,

अपने विद्यापीठ के इस समारोह में सम्मिलित होने का जो अवसर आपने मुझे आज दिया है इसके लिये आपका मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ। कुछ दिन पहले जब मुझे से डाक्टर देशमुख ने यहाँ आने के लिये कहा था उसी वक्त मैं ने यह सोच लिया था कि यहाँ आना तो होगा ही सुभीते से समय देख कर निकाल लूँगा और ऐसा ही हुआ यह ईश्वर की कृपा है।

शिक्षा सम्बन्धी विषयों में मेरी विशेष दिलचस्पी रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं ने कई जगहों पर आपके सूबे में और बाहर भी शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट किया है। मैं जानता हूँ कि कुछ विषयों में मेरे विचार आप के कुछ लोगों को शायद नहीं रुचते हैं। मगर मैं यह भी जानता हूँ कि जो मेरी विचार शैली है उससे आप जो यहाँ काम कर रहे हैं उसका बहुत सामंजस्य है और इसलिये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके समारोह में शरीक हो सका

और अपने दो शब्द आपसे कह सका तथा आपको बधाई दे सका। जिस काम को आपने आरम्भ किया है वह ठीक आरम्भ किया है। इसे आप चलाते जायें, बढ़ाते जायें, ईश्वर आपकी मदद करेंगे।

जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में प्रायः १०० वर्षों से जारी रही है उसका एक नतीजा यह हुआ है कि ग्रामीण जनता और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक बहुत विभेद पड़ गया है और अगर भारत को फिर उन्नत होना है तो जो ग्रामीण जनता है उसकी उन्नति होनी आवश्यक है, उसकी उन्नति के बिना भारत उन्नत कहा नहीं जा सकता। इसलिये इस शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ संशोधन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि अन्य देशों में शिक्षा कुछ इस तरह से दी जाती है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षण की जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह उसे मिलती है। ऊँची से ऊँची शिक्षा जिनको अपनी बुद्धि और मस्तिष्क का बल है उन को मिल सकती है। इस तरह की शिक्षा भी होती है जो बुद्धि में वृद्धि करती है। पर इस तरह की शिक्षा के लिये सभी योग्य नहीं समझे जा सकते हैं। अधिकांश लोगों के लिये तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिससे लाभ उठा कर वे अपना और दूसरों का भला कर सकें और इस तरह की शिक्षा आपकी जैसी संस्थाओं द्वारा ही लोगों को मिल सकती है और दी जा सकती है। इसलिये में इसका स्वागत करता हूँ।

अभी डाक्टर देशमुख ने यूनीवर्सिटी कमीशन के विचारों की तरफ़ इशारा किया। उन्होंने ग्राम विद्यापीठ बनाने की योजना पर जोर दिया है। उन्होंने विदेश की योजनाओं की तरफ़ भी इशारा किया है और खास तौर पर डेनमार्क या दूसरे जो इस तरह के स्कैंडिनेवियन देश हैं उनमें प्रचलित शिक्षा पद्धति पर बहुत जोर दिया है। इस शिक्षा द्वारा वहाँ के लोगों ने ऐसा समाज रच लिया है जिसमें कोई अशिक्षित नहीं है, कोई बहुत गरीब नहीं है और अत्यन्त धनिक भी नहीं है। अर्थात् एक प्रकार से सभी लोग सुखी हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं, सुख से रहते हैं, बुद्धि से जो लाभ मनुष्य उठा सकता है वह लाभ उनको मिलता है और उन का शिक्षाक्रम भी कुछ ऐसा ही बना है जिससे गांव के लोग भी उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितने शहर के लोग। इतना ही नहीं, यद्यपि वे देश छोटे छोटे देश हैं, और देशों के मुकाबले में यद्यपि इन देशों की कोई गिनती नहीं, पर यदि संस्कृति को ध्यान में रखें तो वे सब से अधिक उन्नत भी कहे जा सकते हैं। उनके पास अमेरिका जैसा धन नहीं है, इंग्लैंड के जैसा धन नहीं है, उन के पास उतनी बड़ी फौज नहीं है, लड़ाई के सामान भी उन के पास उतनी मात्रा में नहीं है पर अगर संस्कृति के खयाल से उन को हम मापें तो उनसे आगे नहीं तो कम भी नहीं पायेंगे। यह वहाँ की शिक्षा प्रणाली का फल है। हम इस देश में जब से यहां महात्मा जी का अवतार हुआ और उन्होंने अपना काम शुरू किया यह सुनते आ रहे हैं और महात्मा जी भी बराबर दिखलाते रहे कि इस देश को ऐसा बनाओ कि इसमें कोई खाने के बग़ैर मरे नहीं और कोई बिना पढ़े नहीं रह जाये, किसी को बिना घर के मैदान में रहना न पड़े, किसी को औषधि के बिना रोगग्रस्त हो कर मरना न पड़े। इसके साथ साथ वह यह भी मानते थे कि मनुष्य की कुछ ऐसी प्रकृति होती है कि जब उसके हाथों में कुछ आन लगता है तो उसका लालच बढ़ता है। किसी को ९९ मिले तो वह सोचने लगता है कि कम से कम वह १०० तक पहुँचे और जब वह १०० तक पहुँचता है तो फिर दूसरे ९९ तक पहुँचने की इच्छा करता है। इस तरह मनुष्य ९९ के फेर में रहता है और उसकी इच्छा

कभी समाप्त नहीं होती। महात्मा जी इस बात को मानते थे कि हमारे देश में जो कुछ उपलब्ध रहा है, हमारे जो मौलिक सिद्धान्त और सस्कृति रही है उसके अनुसार किसी को भूखा मरने न देना चाहिये और साथ ही साथ हरेक के लालच की सीमा भी होनी चाहिये जिस से ज्यादा जाना उसे आवश्यक नहीं होना चाहिये। हमारे देश के सामने यही बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने रखा है। और देशों के सामने आदर्श यह रहा है और कम से कम आजकल है कि जितना हो उसको बढ़ाते चलो। अपने देश में भी हम यही सुना करते हैं कि लोगों के रहने का स्तर ऊंचा होना चाहिये। आज जो स्तर है हम मानते हैं कि उससे ऊंचा अवश्य होना चाहिये। मगर केवल यही चीज़ नहीं है। सब के पास धन होना चाहिये। मगर केवल धन ही सब कुछ नहीं है। हमें सब चीज़ों को एक साथ रख कर काम करना है। जो शिक्षा प्रणाली आज देश में जारी है उस का यह फल है कि हम इस तरह सोचने लगे हैं। अभी तक तो हम उस सीमा तक नहीं पहुच पाये हैं, वहाँ तक पहुचने में अभी देर है। इसलिये आज कोई वैसी चिन्ता नहीं है कि हमको उसके लिये कुछ रोना पड़े। मगर जब आदर्श की बात होती है तो यह कहना पड़ता है कि यह आदर्श हमको अपने सामने रखना चाहिये। मैं जानता हू कि यदि इस तरह ग्राम विद्यापीठ स्थापित हो जायें, इम तरीके का काम करें तो हमारा स्तर भी ऊंचा होगा और साथ ही साथ हम को शांति भी मिलेगी। इसलिये मैं इस प्रकार के प्रयत्न का स्वागत करता हू।

अभी आपके सामने बहुत विवरण सुनाये गये। इसको सुनकर मुझे और भी प्रसन्नता हुई कि आप थोड़े ही दिनों के अन्दर इतनी उन्नति कर पाये हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हू। गांधी जी ने हमको सिखलाया है कि हम को अपने प्रयत्न से जो कुछ करना हो करना चाहिये और ऐसे समय में सिखलाया था जिस समय हमारे हाथों में अधिकार नहीं था और गवर्नमेंट से हम को लडना, झगड़ना पड़ता था और इसकी वजह से हमारे पास शक्ति भी आती थी। आपने ठीक कहा है कि आपकी संस्था को दो चीज़ों की आवश्यकता है, गवर्नमेंट से मदद चाहिये और गवर्नमेंट की मान्यता चाहिये। मैं मानता हू कि इन दोनों चीज़ों की जरूरत आपकी हो सकती है और यह भी कहना चाहता हू कि आपको गवर्नमेंट से मदद मिलेगी इस बात का आप विश्वास रखें। गवर्नमेंट सब बातों को विचार करके, सब चीज़ों को देख करके जहाँ तक हो सकेगा हमेशा आपकी मदद करेगी। आपको उन्होंने चन्द दिनों के लिये मकान भी दिया है। आप चाहते हैं कि वह हमेशा के लिये दे दिया जाये। पर जब तक वह यह नहीं कहे कि उसे वापस करो तब तक यह सवाल नहीं उठता है। इसी तरह से मैं जानता हू कि मौक़ा देख कर के वह पैसे की मदद भी करेगी। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हू कि जो संस्था गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करती उस संस्था को अपनी ओर से काम करने का अधिक मौक़ा मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, आप कहेंगे, संस्थाओं का सरकार से स्वतन्त्र हो कर रहना जरूरी था। पर मैं मानता हू कि अब यद्यपि अपनी गवर्नमेंट है तो भी गवर्नमेंट से स्वतन्त्र हो कर जितना काम आप कर सकते हैं, जितनी शक्ति आप अपने में पायेंगे उतनी गवर्नमेंट के अन्दर रह कर नहीं। गवर्नमेंट आपकी है। उसे आप जैसा कहेंगे वैसे करना होगा। पर गवर्नमेंट का नियम होता है, उसका विधान होता है और उसी विधान के अनुसार वह काम करती है। अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की मदद के बिना आपका काम नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट से मदद लेने का प्रबन्ध कीजिये। हंसी या परिहास में मैं यह नहीं कर रहा हूँ। यह मेरा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि जितना काम यहां चाहे

और किसी भी स्थान में लोग अपने बाहुबल से कर सकते हैं और उसका जितना फल होता है उतना दूसरे की मदद लेकर काम करने से फल नहीं होता है। यह कोई नयी बात नहीं है। सचमुच यदि कोई अपने उत्साह से काम करना चाहे तो उसमें जो शक्ति होती है वह दूसरे पर भरोसा करके काम करने से नहीं आती। आप यह नहीं समझें कि मैं यह कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपको मदद न दे। मैं तो इन बातों का विवेकपूर्ण विचार कर रहा हूँ और मेरे अपने जो विचार हैं उनको कह रहा हूँ। हमारी लड़ाई जिस समय गवर्नमेंट के साथ हुई उस समय जो मेरे विचार थे अभी भी जब कि गवर्नमेंट के सर पर बैठा दिया गया हूँ मेरे वही विचार हैं।

मैं तो यह आशा करता हूँ कि आपका विद्यापीठ दिन प्रति दिन कोई कारण नहीं कि नहीं बढ़े। जैसा कि अभी डाक्टर ज्वालाप्रसाद जी ने कहा जिस वक्त आपने इसे आरम्भ किया था उस समय से इतने विद्यार्थी आ गये हैं कि स्थान की कमी से अहाते में जो वट वृक्ष हैं उसके आस पास में बैठ कर विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूँ कि अगर ठीक काम चलेगा तो आपके पास गवर्नमेंट की मदद भी पहुँचेगी और गवर्नमेंट की मदद से बढ़ कर जनता जनार्दन की मदद पहुँचती रहेगी। यह विषय ऐसा है कि अगर इस पर कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ और कुछ कहा भी है। जो लोग इस विषय से परिचित हैं वे जानते हैं कि मेरे विचार इस विषय में क्या हैं। इसलिये उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आप को बधाई देता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने काम अच्छा आरम्भ किया है, इसका अच्छा श्रीगणेश हुआ है। यह इसी तरह से तरक्की करता जायेगा और सारे बरार का तो सवाल ही क्या सारे देश में यह अच्छा नमूना फल जायेगा।

### अमरावती में अभिनन्दन

तारीख ३० दिसम्बर १९५० को अमरावती में सार्वजनिक सभा में अनेकानेक संस्थाओं की ओर से दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

माननीय शुक्ल जी, वीर बावनराव जी, बहनो और भाइयो,

अमरावती शहर और सारे बरार में इकट्ठे भाइयों और बहनों की ओर से जो प्रेम और आदर मुझे दिखलाया गया है उसके लिये मैं आप सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यद्यपि मेरे लिये अमरावती आना यह पहली बार नहीं है मैं इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ और आप लोगों से मिल भी चुका हूँ लेकिन आज मेरा आना एक दूसरी हैसियत से हुआ है। इसके पहले जब मैं आया हूँ तो कांग्रेस का तुच्छ सेवक हो कर आया हूँ, जो कुछ कांग्रेस का प्रोग्राम होता, जो उसकी आज्ञा होती उसको मैं सुनाने आता। लेकिन आज चीजों की शकल कुछ दूसरी हो गयी है और जब मैं यह विचार करता हूँ कि उन दिनों और आज में कितना बड़ा अन्तर पड़ गया है तो ऐसा पता चलता है कि उस अन्तर के महत्व को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाये हैं।



आज से तीन वर्ष पहले या तीन वर्ष से कुछ अधिक हुआ हम स्वतन्त्र नहीं थे। हमको यह कहने का सौभाग्य नहीं था कि हम भारत को अपना भारत कह सकें और यहाँ जितने बसने वाले हैं वे जैसा चाहे अपने देश का प्रबन्ध कर सकें। आज वह बात बिल्कुल बदल गयी है और हमें पूरी तरह से स्वतन्त्रता मिल गयी है। सारी दुनिया हमको स्वतन्त्र मानती है। हम भी अपने को स्वतन्त्र मानते हैं और अपने देश का भाग्य निर्णय करने का पूरा अधिकार हमारे हाथों में आ गया है। अब इसको बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथों में है। अगर हम इसको बनाते हैं तो उस का जो श्रेय होगा वह हम लोगों को ही मिलेगा और बिगाड़ तो जो बदनामी होगी वह भी किसी दूसरे की नहीं, हमारी ही होगी। इस लिये मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा अन्तर पड़ गया है।

हम केवल स्वतन्त्र ही नहीं हुये हैं वरन् उस स्वतन्त्रता को हम ने संविधान का रूप दे दिया है। तीन वर्षों के परिश्रम के बाद हमने एक संविधान तैयार किया है और उसे सप्ताह के सामने रख दिया है। उसमें हमने शपथ ली है कि हम स्वतन्त्र हैं और स्वतन्त्रता का अर्थ है कि देश के अन्दर जो कुछ दारिद्र्य है उसे हम दूर करेंगे। हमने हिन्दुस्तान के लोगों को इस बात की स्वतन्त्रता दी है कि उनका जो भी धर्म हो, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, पारसी हों, सिख हों अपने धर्म के अनुसार वे काम कर सकें और उनमें से किसी को भी किसी दूसरे की धार्मिक चीजों में दस्तन्दाजी करने का अधिकार नहीं है। उस संविधान में यह भी है कि यहाँ का हरेक व्यक्ति अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप से व्यक्त कर सकता है। किसी का बिना अधिकार के जब तक यह मालूम न हो जाये कि वह राजसत्ता को उलटना चाहता है गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। जब तक अदालत में वह इस बात के लिये मुजरिम साबित न हो जाये कि उसने जान माल या इस तरह की चीजों को गायब किया है या हथियार के बदलत देश में किसी तरह का शासन नहीं रहने देना चाहता है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। हम चाहते हैं कि सब शिक्षित हों, और सब को अपने जीवन निर्वाह के लिये उपाजन करने की स्वतन्त्रता हो। हम चाहते हैं कि इस देश के अन्दर इन अधिकारों का लोगों में प्रचार किया जाये और लोगों को सिखाया जाये कि ये हमारे अधिकार हैं और इन अधिकारों को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये हमने निश्चय कर लिया है कि देश का कारोबार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, जैसा पहले जमाने में एक राजा, बादशाह या नवाब के हाथ में सारे अधिकार रहते थे। वे अधिकार अब जनता के हाथों में आ गये हैं। अब सब अधिकार जनता को मिल गये हैं और वह जिसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहे करे और ऐसे प्रतिनिधियों की एक पंचायत कायम हो जो देश का कारबार चलाये।

अब थोड़े दिनों के बाद ही इस संविधान के अनुसार चुनाव होगा। इस चुनाव में हरेक भारतवासी को जिसकी अवस्था २१ वर्ष की हो गयी है मत देने का अधिकार है और इस तरह से १७, १८ करोड़ लोग मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। स्त्री, पुरुष सभी इसमें मत देंगे। अमीर, गरीब, जंगल के रहने वाले, बड़े बड़े शहरों के रहने वाले, झोंगड़ों में रहने वाले, महलों में रहने वाले सभी को बराबर अधिकार है। यह इतना बड़ा अधिकार हमारी जनता के हाथों में आया है कि वह जैसा चाहे देश का शासन चला सकती है, उसका कारबार चला सकती है।

यह जो चुनाव होगा वह इतना बड़ा चुनाव होगा कि इसमें हजार दो हजार नहीं, लाख दो लाख नहीं, बल्कि १७, १८ करोड़ स्त्री और पुरुष भाग लेंगे। इतना बड़ा चुनाव पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज चीन के सिवाय दुनिया में ऐसा कोई देश भी नहीं जिसकी आबादी १७-१८ करोड़ की हो। अब हमको देखना है कि जनता को जो बहुत बड़ा अधिकार मिल गया है उसका किस तरह वह सदुपयोग करती है। इसमें हमारी परीक्षा होने वाली है। हम चाहते हैं कि इस जवाबदेही को सारे देश के लोग समझें। अब अंग्रेज नहीं रहे। अगर कोई बात अब बिगड़ती है तो उसके लिये हम अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरावेंगे। अगर जो बात जनता हमसे कराना चाहती है उसको हम पूरी नहीं करें तो जनता को यह अधिकार होगा कि वह हमें अपनी जगह से हटा दे और दूसरे मन्त्रिमण्डल द्वारा काम कराये। यह संविधान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। यह संविधान का फल है कि आज एक तुच्छ सेवक भी ऐसी जगह पर बैठा दिया गया है जहां चक्रवर्ती 'राजा' और बादशाह बैठा करते थे। एक तुच्छ सेवक हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति बना दिया गया है। कैसा हिन्दुस्तान? वह हिन्दुस्तान, जो हिमालय से कन्याकुमारी तक और अरब समुद्र से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यद्यपि इसके दो पंख कट गये हैं तो भी पहले कभी इतना बड़ा हिन्दुस्तान एक छत्रछाया में नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटना संसार के इतिहास में कभी नहीं हुई। अब से जब ५०० वर्ष, १००० वर्ष बाद लोग इस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने निहत्थे लोगों से इतनी बड़ी बादशाहत का मुकाबला कराया जिसके पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। एक बात से और भी आश्चर्य करेंगे। हिन्दुस्तान से अंग्रेज जब गये तो एक तो बंटवारा करके गये, साथ साथ बहुत सी चीजें छोड़ गये। उस समय ५००-६०० रियासतें देश में थीं। उनमें कुछ बड़ी बड़ी भी थी, इतनी बड़ी कि यूरोप के किसी देश की बराबरी कर सकती थीं। अंग्रेज उनको पूरी स्वतन्त्रता दे गये कि अगर वे चाहें तो हम से अलग रह सकती थीं। अगर वे चाहती तो हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न, और समस्या उपस्थित कर सकती थी पर यह सौभाग्य की बात है कि वहां के लोगों ने देश के प्रति अपना कर्तव्य किया और भारत को एक मानकर उसमें शामिल हो गये और सरदार पटेल ने अपनी कार्यदक्षता और चातुरी से इस बड़े काम को बड़ी तेजी के साथ साल डेढ़ साल के अन्दर पूरा कर दिया। आज हिन्दुस्तान, जैसा मैं ने कहा इतना बड़ा है कि जितना बड़ा हिन्दुस्तान एक छत्र के नीचे आज के पहले इतिहास में कभी नहीं रहा। आप कहेंगे कि चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में और हर्षवर्द्धन के जमाने में हिन्दुस्तान एक छत्र के नीचे रहा। उस समय का इतिहास मझे मालूम नहीं। अशोक का इतिहास मैं जानता हूँ। सबों का प्रयत्न समचे हिन्दुस्तान को एक छत्र के नीचे लाने का हुआ। आपके यहां के मरहट्टों ने भी प्रयत्न किया। मगर यद्यपि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े भागों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया पर सारा हिन्दुस्तान एक छत्र के नीचे कभी नहीं रह सका। हां छोटे छोटे राजा जो चक्रवर्ती हुआ करते थे उनके अधिकार को मान लिया करते थे मगर वे अपने अपने स्थान पर एक तरह से स्वतन्त्र रहते थे और उनके आधिपत्य को वे स्वीकार कर लेते थे।

देश अब एक संविधान के सूत्र में बंध गया है। वह संविधान ऐसा बना है कि जिस में सभी लोगों को अधिकार है कि वे अपने मत से संविधान को चलावें और इस देश के शासन को चलावें। यह एक बहुत बड़ा काम है। जिस काम को महात्मा जी ने शुरू किया उसे सरदार पटेल

पूरा कर चले गये। अब हम लोगों को काम करना है। स्वतन्त्रता तो मिल गयी है मगर उससे जितना लाभ उठाया जाना चाहिये अभी हम उठा नहीं पाये हैं। सरदार तो चल बसे पर दूसरे नेता जवाहरलाल जी काम चला रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उन को सहारा दें, सहयोग दें जिसमें देश के सामने जो कठिन समस्याएँ हैं उनको हल करने में उनको बल मिले। हम आशा करते हैं कि भारत के लोग जिस तरह से स्वतन्त्रता पाने में सफल हुये उसी तरह से उसकी रक्षा करने में और समस्याओं के हल करने में सफल होंगे।

अभी थोड़े ही दिन बीते हैं कि हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। यह सभी को मालूम है। देश का बंटवारा हुआ। उसके साथ साथ हमारे ऊपर एक करोड़ लोगों का भार आ गया, अपना घर बार, धन सम्पत्ति छोड़ कर वे लोग आये। उनमें बहुतेरे मारे गये। बहुतेरे अपने प्यारे जनों को खो बैठे। यह सब हुआ। उनको बसाने का काम हमारे सर पर आ पड़ा। हमारी गवर्नमेंट यह काम कर रही है। यद्यपि अभी यह कहना ठीक नहीं है कि इसमें हमने पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। पर यह भी कहना गलत न होगा कि इस दिशा में हम ने बहुत कर लिया है। पर अगर दूसरी ओर हम यह देखें कि अभी थोड़े दिन पहले स्वतन्त्र हुये देश ने जो कल तक एक विदेशी साम्राज्य के अन्दर था दो तीन वर्षों के अन्दर संसार के बड़े बड़े देशों के बीच अपना भासन ग्रहण किया है तो हमें पता चलेगा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो विपत्ति भी आयी है। यह साल दुःख का ही साल है। कही भूकम्प आया तो कहीं अति वृष्टि, कहीं अनावृष्टि। सब के सब प्रकोप एक साथ आ गये हैं। आज इनके वाक्जुद भी हम बच गये हैं तो यह ईश्वर की दया है। अगर मनुष्य अपनी तरफ से ईश्वर पर भरोसा करके प्रयत्नशील हो जाता है तो बड़े बड़े मुसीबत के पहाड़ भी टूट कर गिर जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। हम तो इसी विश्वास में हैं।

हमारे देश में कुछ लोग हैं जो महात्मा जी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते मगर इस कार्यक्रम में बड़ी शक्ति निहित है और वह पूरी होकर ही रहेगी। इसलिये विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर हम काम करते जायें तो हम सब विपत्तियों को पार करके देश को उन्नत बना सकेंगे और दुनिया के सामने एक नमूना रख सकेंगे। हमारे लिये यह जरूरी है कि सभी लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव करें। महात्मा गांधी ने जब अहिंसा की बात उठायी तो बहुत प्रश्न उनके सामने आया करते थे। मगर अहिंसा ऐसी चीज है कि इतना बड़ा देश निरस्त्र होकर भी आज स्वतन्त्र है। इस देश में कितने ही मजहब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले, कितनी ही भाषा बोलने वाले बसते हैं। इसमें कितने प्रान्त हैं जिनके रहन सहन का ढंग अलग अलग है। इसलिये भी हम लोगों के लिये अहिंसा जरूरी है ताकि देश में विभिन्नता रहते हुये भी हम सब एक हो कर रह सकें और सब के साथ प्रेम का भाव बरत सकें। अगर ऐसा हम करें तो हम में इतनी शक्ति है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब से अहिंसा का बर्ताव करें। अहिंसा का अर्थ दूसरे को कष्ट न देना ही नहीं है अहिंसा प्रेम का रूप है। जो दुर्भावना हो उसे दूर करें और एक दूसरे के साथ प्रेम करें तो सब कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं। मुझे याद है कि १९१७ में महात्मा जी ने चम्पारण में जाकर काम शुरू किया। वहाँ बहुत अंग्रेज नीलवार थे जो नील का कारबार करते थे। मगर गरीबों के साथ जयादती करके

काम करते थे और इसलिये काफ़ी मुनाफ़ा उठाते थे। महात्मा जी ने घोषणा की कि हम इस ज़्यादाती को बन्द करना चाहते हैं पर नीलवरो का नुकसान भी नहीं चाहते हैं। यह बात किसी की समझ में नहीं आती थी। लोग सोचते थे कि ज़्यादाती का बन्द होना ही नीलवरों का नुकसान है। बिना नीलवरों को नुकसान पहुँचाये ज़्यादाती कैसे बन्द हो सकती है। मगर हम ने देखा कि प्रजा का उद्धार हुआ और नीलवरों का नुकसान भी नहीं हुआ। प्रजा में इतनी जागृति आ गयी कि उनका काम जुल्म से नहीं चल सकता था। उन्होंने देखा कि अब ज़्यादाती प्रजा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और तब उनको अधिक मुनाफ़ा भी नहीं होगा। इसलिये सोच समझ कर उन्होंने ने खुद चले जाने का फ़ैसला किया और दो तीन वर्षों के अन्दर सब के सब चले गये और मुनाफ़े के साथ गये। जितना उनका सामान था वे अपने साथ लेते गये और ज़मीन बाग बगीचे या जो चीज़ें साथ नहीं ले जा सकते थे वे सब बेचकर अच्छी कीमत लेकर गये। इस तरह वे भी खुशी खुशी गये और प्रजा भी खुश हो गयी। भारत की आजादी के लिये जो हम लोग उनके साथ काम करते थे यह विश्वास रखते थे कि भारत का उद्धार हो जायेगा और अंग्रेज भी खुशी खुशी चले जायेंगे। मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद आज हमारा उनके साथ जैसा अच्छा सम्बन्ध है वैसा कभी नहीं रहा। आज हम भी अपने को स्वतन्त्र पाते हैं और वे भी अपने को सुरक्षित समझते हैं। यहां भी हमने देखा कि यहां से अंग्रेज चले गये पर दुखी नहीं हुये। वे हंसते हंसते चले गये। तो मेरा खयाल है कि यह सब अहिंसा का प्रभाव है। अभी भी हमारे सामने दिक्कतें हैं। हमारे सामने पचासों तरह के प्रश्न हैं। अगर अहिंसक रीति से हम इनको हल करना चाहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हम यहां भी सफल होंगे।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि अधिकार जो लोगों के हाथों में आया है उसे लोग अच्छी तरह से बरतें जिसमें सब को मुख हो, सब का भला हो। मैं आशा करता हूँ कि लोग इस जवाबदेही को समझेंगे और चुनाव के समय जो लोगों की परीक्षा होने वाली है उसको ठीक तरह से पास करेंगे और देश का मुख उज्ज्वल करेंगे। ईश्वर मेरी प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि दे और लोग इस काम को पूरा करें।

आप सब भाई और बहनो ने जो प्रेम दिखलाया, जो आदर दिखलाया, उसके लिये एक बार और धन्यवाद देता हूँ।

### दाखी में अभिनन्दन

दाखी ज़िला वर्धा, में तारीख़ ३०-१२-५० को जनपद सभा द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

आप लोग बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रह है और हम लोगों के आने में देर हुई उसके लिये मैं आप से माफ़ी चाहता हूँ। इस समय मैं नागपुर, जबलपुर और

अमरावती होते हुए आपके गांव में पहुंचा हूं और आज वर्धा में जा कर रहना है। मुझे याद है कि यहां पर मैं एक बार और आकर गया हूं। उस वक़्त मैं महात्मा गान्धी स्मारक के लिये निधि जमा कर रहा था।

मैं इस वक़्त आप से यही कहना चाहता हूं कि अब तो हम लोगों को पूर्ण स्वराज्य मिल गया है और हमारे अपने लोगों के हाथ में पूरा अधिकार आ गया है। आप को यह समझना चाहिये कि इस अधिकार में आपका कितना हिस्सा है। भारत की सारी जनता को, यहां की सभी स्त्रियों और पुरुषों को जिनकी अवस्था २१ वर्ष की हो चुकी है, यह अधिकार मिल गया है कि वे अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनें जो बैठ कर शासन करें; चाहे वह शासन सूबे का हो चाहे वह शासन केन्द्र का दिल्ली में हो। तो यह अधिकार सारी जनता को मिल गया है और इसके लिये पहले पहल चुनाव अभी से कुछ ही दिनों के बाद, दस ग्यारह महीने के बाद होगा और यह पहला अवसर होगा जब लोग इस अधिकार को बरत सकेंगे। इस लिये मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों का विचार हो उसे अपनी जवाबदेही को पूरी तरह से समझ कर काम में लावें। अगर ठीक तरह से लोग काम चलायेंगे तो देश का और सब का भला होगा और अगर आपने गलत लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा तो उस से बुराई भी हो सकती है और अब जब जनता के हाथ में अधिकार है तो गलती के लिये किसी दूसरे की शिकायत नहीं हो सकती, जनता की ही शिकायत होगी। दुनिया देखेगी कि आप अपनी इस जवाबदेही को किस तरह निभाते हैं।

आज कल मैं घूमा रहा हूं। पहले जब मैं घूमा करता था तो स्वराज की बातें किया करता था। वह पूरी हो गयी है। स्वराज मिल गया है। अब स्वराज से लाभ उठाना है, अब यह सोचना है कि किस तरह से लोगों की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस में आप लोगों की सहायता और सहयोग की भी जरूरत है। तभी हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप सब लोगों की मदद मिली तो हम इसे प्राप्त कर लेंगे।

अभी हाल में भारत के बहुत हिस्से में अन्न का कष्ट हो रहा है। आज ईश्वर की दया से आप के इलाके में पानी बरसा है। इस से गेहूं की फसल को लाभ होगा। मगर कई महीने से इधर पानी नहीं बरसा। इस लिये धान की फसल बर्बाद हो गयी है। आप के प्रान्त में भी कुछ हिस्से में धान की फसल खराब हुई है और हमारे प्रान्त बिहार में तो बहुत खराब हुई है। इसलिये अन्न का कष्ट इस समय है। आज हमें इस का मुकाबला करना है और यह सोचना है कि किस तरह से हम इसे दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी ओर से इसे दूर करने का प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी। मगर जनता को भी इस में हाथ बंटाना चाहिये और देश में जो कृष अन्न हो उस को बांट कर खाना चाहिये। अपने को और सादे देश को सुखी बनाना और जीवित रखना सब का काम है। इस लिये मैं आप

से यह कहना चाहता हूँ कि आज जो कष्ट है उस का आपको हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिये। संसार में इस वक़्त बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं और अब हम स्वतन्त्र हो गये हैं तो संसार में जो कुछ हो रहा है उस का भार हम को उठाना पड़ता है। इसलिये अपनी जवाबदेही को समझ कर एक स्वतन्त्र देश की तरह हिम्मत के साथ हमें काम करना चाहिये। एक दूसरे के साथ प्रेम, देश के साथ प्रेम और अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिये और यह बात सब लोगों में होनी चाहिये। आज चाहे आप गवर्नमेंट में हों या गवर्नमेंट के बाहर हों, सरकारी कर्मचारी हों चाहे कुछ भी हों, खेत में काम करते हों या कारखाने में काम करते हों सब को मिल कर इस देश को अपना समझना चाहिये और देशहित का कार्य करना चाहिये। यह बात मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ के सब भाई और बहनों से कहता हूँ और आप से भी कह रहा हूँ।

आप ने मेरा स्वागत किया और बहुत प्रेम से यह मानपत्र दिया इस के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### ज्ञान मन्दिर वर्धा का शिलान्यास

वर्धा में तारीख ३१-१२-५० को गान्धी ज्ञान मन्दिर का शिलान्यास करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

पूज्य जाजू जी, बहनों और भाइयों,

आज आने यह शुभ काम मेरे हाथों से कराया यह मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ।

जैसा कि आपने कहा अब समय आ गया है कि महात्मा जी के विचारों का पूरी तरह से अध्ययन किया जाये और हम उन की केवल चर्चा ही न करे बल्कि उन के अनुसार काम करना भी आरम्भ कर दे। आज जब हम चारों तरफ़ देखते हैं तो देश के अन्दर जो कुछ हो रहा है उस से कभी कभी निराशा मालूम होती है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि जैसा क्राइस्ट ने कहा था कि तुम जो अपने को मेरा भक्त कहते हो सुबह के कौवे के बोलने के पहले हमारे विचारों को तिलांजलि दे दोगे और उन्हें तिरस्कृत कर दोगे वही बात कभी कभी गान्धी जी के सम्बन्ध में भी दिल में आती है और ऐसा मालूम होता है कि हम जो अपने को उन का भक्त कहते हैं उन की मृत्यु के पश्चात् एक एक कर के उन की सब बातों को छोड़ते जा रहे हैं और मालूम नहीं कि हम अपने जीवन में फिर उन को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। क्राइस्ट के जितने भक्त थे उन्होंने ने जो कुछ उस वक़्त किया वह किया मगर पीछे चल कर जिस तरह से क्राइस्ट का पुनर्जन्म हुआ उसी तरह से उन के विचारों का बहुत प्रचार हुआ और तेज़ी के साथ सारे संसार में प्रचार हुआ। इस

लिये यह भी विश्वास होता है कि आज चाहे हम जो कुछ भी करें पर अगर महात्मा गान्धी के विचारों में सच्चाई है, शक्ति है तो उन का प्रचार हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। हम चाहे उन्हें स्वीकार करे या नहीं करें वे सदा जीवित रहेंगे और सारे संसार को जीवन प्रदान करते रहेंगे। जब सन् १९३० में महात्मा जी को नमक सत्याग्रह के लिये रवाना होना था उस वक़्त साबरमती आश्रम में बकिंग कमेटी की बैठक हुई थी और नमक सत्याग्रह के सम्बन्ध में बहुत देर तक वाद विवाद हुआ था और अन्त में निश्चय हुआ था कि नमक सत्याग्रह किया जाये। गान्धी जी उस निश्चय के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद आश्रम से बाहर जाने वाले थे और डांडी के लिये रवाना होने वाले थे। कुछ भाइयों ने यह सोचा कि जब महात्मा जी चले जायेंगे और न मालूम गवर्नमेन्ट उन को कब गिरफ्तार कर ले तब उन की बात कौन कहेगा और किस तरह उसे लोगों तक पहुंचाया जायेगा यह सोच कर उन भाइयों ने उनसे कहा कि आप एक छोटा सा संदेश अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में दे जिस को हम चाहते हैं कि ग्रामोफोन पर रेकार्ड करा ले और आप अगर गिरफ्तार हो जायेंगे तो उसे आप की भाषा में हम लोग गांव गांव घूम कर लोगों तक पहुंचावेंगे। उन भाइयों ने मुझे ही इस प्रस्ताव को उन के सामने रखने के लिये कहा। हम लोग एक छोटा सा डेलीगेशन बना कर उन के पास गये और उन से कहा। महात्मा जी ने उत्तर दिया—अगर जो कुछ मैं कहता हू उस में सच्चाई है तो बिना किसी प्रकार से प्रचार किये वह घर घर तक फैल जायेगा और अगर उस में सच्चाई नहीं है तो उस का रेकार्ड बनाने का कोई असर नहीं होगा। इस लिये मैं प्रचार के खयाल से कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। सच्चाई खुद ब खुद प्रचारित होती है। इस चीज़ को उस वक़्त से मैं ने याद रखा है और मेरा विश्वास है कि जो कुछ वह कहते थे ठीक ही कहते थे। आप जानते हैं कि जब महात्मा जी डांडी यात्रा में निकले तो चन्द दिनों के बाद ही देश में कितनी क्रान्ति आ गई और उस का फल यह हुआ कि हम आज़ाद हुए। आज अन्धकार सा मालूम होता है और तबीयत घबड़ाती है कि क्या सब चीज़ें गान्धी जी के साथ ही चली गयीं, क्या हम इस योग्य नहीं हुए कि उन चीज़ों को कुछ दिन भी क्रायम रख सकते। मगर वे हमारी अपेक्षा नहीं करती। उन में इतना जीवन है, इतनी शक्ति है कि वे हम को जीवन देगी और खुद प्रसारित होगी। चाहे उन्हें आज हम ग्रहण न करें मगर यदि संसार को जीवित रहना है तो एक दिन उसे इन चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। वह दिन कब आयेगा यह मैं नहीं कह सकता। इस लिये उन की चिन्ता नहीं करनी है। जहां तक हो सकता है हमें लोगों को उन की याद दिलाते रहना है।

यह ज्ञान मन्दिर जो आप खोल रहे हैं इस से इतना तो होगा कि इस सम्बन्ध में जितनी पुस्तकें मिल सकती हो, जितने पत्र या लेख मिल सकते हों, उन सब को एकत्रित कर के यह रखेगा और जो उन का अध्ययन करना चाहेंगे उन का अध्ययन कर सकेंगे। मगर जैसा पूज्य जाजू जी ने कहा, गान्धी जी के विचार केवल अध्ययन की ही चीज़ें नहीं वे तो अमल में लाने की चीज़ें हैं ;

वे केवल मेन्टल जमनास्टिक नहीं है वे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतारने की चीजें हैं। गान्धी जी ने जो संस्थाएं स्थापित की उनके केन्द्र यहां के आस पास में कायम किये गये। उन के द्वारा जो कुछ सेवा हो रही है, मैं समझता हूं कि वह इस चिराग को कायम रखेगी जिस में यह आलोक चारों तरफ फैलता रहेगा। अगर एक भी दिया जलता रहेगा तो उस से हजारों दिये जलाये जा सकेंगे और अन्धकार दूर किया जा सकेगा। यह मन्दिर कायम रहेगा तो समय पा कर यह सारे संसार को आलोकित करेगा। यहां पर एक मन्दिर बनाना केवल इस लिये आवश्यक नहीं था कि यहां गान्धी जी रहते थे और उनके पुत्रवत् जमना लाल जी रहते थे बल्कि उन की सभी संस्थाएं यहां मौजूद हैं जिन के द्वारा सारे संसार को उन के बताये विचारों को कार्य रूप में लाकर दिखलाया जा सकता है कि इस तरह से संसार को लड़ाई के रास्ते से हटा कर सुख और शान्ति के रास्ते पर लाया जा सकता है।

मैं आशा करता हूं कि आप की उन्नति होगी। ऐसे काम के लिये पैसे की कमी नहीं होती। जैसा बापू कहते थे, अगर आप काम करते जायेंगे तो जितने पैसे आप चाहेंगे आप के पास आते जायेंगे। इस में कोई संदेह नहीं। अभी आप काम आरम्भ करे। पुस्तकों के साथ साथ काम करने वालों का जो इन विचारों के मुताबिक अपने जीवन को ढाल रहे हैं, संग्रह करना जरूरी है। मुझे आशा है कि दिन प्रति दिन यह मन्दिर उन्नत होता जायेगा। और मैं फिर कभी आऊं तो इसे बहुत उन्नत पाऊंगा।

### सेवाग्राम

तारीख ३१-१२-५० को सेवाग्राम में कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

एक वर्ष के बाद आज मैं यहां आ सका। इससे तो मुझे खुशी है मगर इसका अफसोस है कि इसके पहले नहीं आ सका। यों तो आप जानते हैं कि इधर कई वर्षों से साल में कुछ महीने मैं वर्षा में बिताया करता था। इस साल वह नहीं हो सका और जब तक मैं दिल्ली में हूं शायद महीने दो महीने यहां बिताने का मौका न भी मिले। मगर आप लोग जो काम यहां करते हैं उसकी खबर मुझे मिलती रहती है, यहां के भाई और बहनों से मुलाकात होती है तो सब बातें जान लेता हूं, सुन लेता हूं और इधर विशेष करके जब आशा वहन फरीदाबाद में गयी तो उनसे मिलने का मौका हुआ और सब बातें जान सका। जब तब हमारे भाई राधाकृष्ण जी चले जाते हैं और एक मरतबे धोत्रेजो गये, आर्यनायकम् जी से मुलाकात हो जाती है तो सब बातें सुन लेता हूं, जान लेता हूं। गान्धी स्मारक निधि के काम के सिलसिले में पूज्य जाजू जी भी जाया करते



है उन से भी बहुत बाते मालूम हो जाया करती है और जब तब कोई भाई पत्र लिख दिया करते हैं तो उससे भी कुछ पता चल जाया करता है। मगर यह कहना कि यहाँ जो काम हो रहे हैं उन सब का परिचय मुझे है ठीक नहीं होगा। उनका परिचय लेने का अर्थ है कि प्रति दिन जो प्रगति यहाँ पर हो रही है उस प्रगति को जानना रहूँ, समझता रहूँ कि काम कितना आगे बढ़ा, और उसके आगे बढ़ने की कितनी और आवश्यकता है। यह सब इतनी दूर से नहीं हो सकता है, उसके लिये यहाँ रहने की आवश्यकता है।

जैसा अभी धोत्रेजी ने कहा, जब पूज्य बापू पहले पहल १९२२ में गिरफ्तार हुए थे उसके बाद देश में एक ऐसा वायुमंडल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक तरफ़ और कुछ लोग दूसरी तरफ़ हो गये और विशेषकर जमनालाल जी की प्रेरणा से यह निश्चय किया गया कि एक गांधी-सेवा-संघ स्थापित किया जाये जिस में महात्माजी के विचारों का लोग अध्ययन करें, जो लोग उन को मानते हैं वे लोग उन विचारों के अनुसार अपना जीवन बिताये और इस तरह गांधी सेवा संघ की स्थापना हुई थी जो १९४० तक चलता रहा। अन्त में महात्मा जी ने स्वयं सोचा कि उस सेवा संघ के अलग रहने की ज़रूरत नहीं है और उसे उन्होंने बन्द कर दिया। तब से उनके नाम पर कोई चीज़ अलग नहीं है। मगर जो लोग संघ में रहे, जो उस सिद्धि से सहमत हैं और जिन में जितनी शक्ति है, इस काम को जहाँ पर जिस तरीके से हो चला रहे है। जिस दिन महात्मा जी का स्वर्गवास हुआ उस दिन मे वर्षा में ही था और उसी दिन यहाँ आया था। यहाँ आने के दो तीन घंटे के बाद ही रेडियो से खबर मिली और उसी रात मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ा और उसके चन्द दिनों के बाद फिर उस सम्मेलन के लिये यहाँ आना पड़ा जिस सम्मेलन के लिये पहले आया था। आप लोग जो नये हैं उन को नहीं मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं उन को यह मालूम होगा। उस वक्त महात्माजी का विचार था कि ३-४ फरवरी को यहाँ पर देश में जितने रचनात्मक काम करने वाले थे उनका सम्मेलन करके उससे इस बात पर विचार किया जाये कि आगे से किस तरह रचनात्मक काम चलाये जाये। इस सम्मेलन के लिये महात्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं २ तारीख को यहाँ अवश्य पहुँच जाऊँ। दो दिन पहले मैं यहाँ आया। दुर्भाग्यवश ३० जनवरी को ५ बजे शाम को महात्मा जी की मृत्यु हो गयी अतएव वह सम्मेलन नहीं हो सका। वह कुछ दिनों के बाद हुआ। उस में सरदार वल्लभभाई भी आये, जवाहरलाल जी आये और दूसरे भाई भी आये। उस वक्त यह सोचा गया कि महात्मा जी का जो कार्यक्रम सर्वोदय का था उसे चलाना चाहिये और यह भी विचार हुआ कि उसके लिये एक संस्था कायम की जाये। कुछ लोगों का विचार था कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह एक सम्प्रदाय जैसी चीज़ बन जायेगी जो हानिकारक होगी इसलिये सर्वोदय समाज को वह रूप नहीं दिया गया जिसका कोई खास कान्स्टीट्यूशन हो। यह समझा गया कि जो लोग महात्मा जी के विचारों से सहमत हैं, उनके अनुसार काम करते हैं वे सब इसके सदस्य समझे जायेंगे और उनका एक भाईचारा ही जिसमें यह काम चरता

रहे। इसी सिलसिले में एक साल के बाद अप्रैल में राज में एक सम्मेलन हुआ जिसका जिक्र धोत्रेजी ने किया; उस में मैं भी था। यह सच है कि बिनोवा जी का आग्रह था कि मैं सर्वोदय सेवा संघ का अध्यक्ष हो जाऊँ और काम करूँ पर मुझ से यह नहीं हो सका। इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। यह भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसी के दबाव की वजह से यह पद ले लिया। सच पूछिये तो इस में मेरी अपनी कमजोरी है या मैंने सोचा कि जो काम वहाँ हो रहा है वह भी जरूरी है। इस तरह जो काम यहाँ होते हैं उन में दिलचस्पी तो मैं लेता हूँ पर नज़दीक से नहीं।

यहाँ जो काम हो रहा है उसके बारे में कुछ कहने का मैं अपने को अधिकारी नहीं मानता हूँ क्योंकि जो काम में लगे हैं वे ही इस के अधिकारी हैं कि कुछ राय दे सकें। जो दूर से देखते हैं वे अधूरा ही देखते हैं, उनको तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह काम अत्यन्त आवश्यक है। इस में चाहे कोई आवे चाहे नहीं आवे, जो इस में रहें वे इस काम को चलाते रहें और अगर मेरे जैसे लोग इसके अन्दर आकर काम नहीं कर सकते हैं, तो उनका धर्म होता है कि वे आपके काम में कुछ प्रोत्साहन दें। अगर वे देना चाहें और आपके काम में वे किसी तरह से रोड़ान अटकावे, बाधा न दें और अगर कुछ नहीं करें, कोई काम न करें, अपना समय न दें तो इतना तो करें ही। आप सब जो इस कार्यक्रम का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर चुके हैं इसे और बढ़ायेंगे। महात्मा जी तो चले गये हैं, मगर उनकी कृतियाँ मौजूद हैं और अगर कोई भी मनुष्य शरीर धारण करके आता है तो शरीर से वह सदा नहीं रहता है, उस की कृतियाँ रहती हैं। उसी तरह महात्मा जी शरीर से चले गये हैं मगर जो काम वह कर गये हैं वे काम रहेंगे। उनकी कृतियों को कायम रखने के लिये जो जहाँ हों वे त्याग के साथ, श्रद्धा के साथ काम करें। यही एक चीज़ है जो उनकी कृतियों को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। यों तो उन कृतियों में इतनी शक्ति है, उनके काम ऐसे हैं, उनके सिद्धान्त ऐसे हैं, नियम ऐसे हैं कि वे कृतियाँ बढ़ेंगी इसमें कोई शक नहीं है।

मैं देखता हूँ तो इन चीजों में हमको अन्धकार मालूम होता है। इन बातों को देखने से मालूम होता है कि हम एक एक करके उन को छोड़ते जा रहे हैं। वास्तव में ऐसी बात है इसे हम नाभंजूर नहीं कर सकते। मगर वह चीज़ अपने स्थान पर है। इसमें कभी कमी होती है, कभी ढिलाई पड़ती है। पर इसको कायम रखना है। २५ वर्ष से अधिक हुए एक अमेरिकन सज्जन यहाँ आये थे। उनका नाम सर ग्रेग था। उन्होंने महात्मा जी के काम को देखा। उस वक्त इतनी संस्थाएँ नहीं थी। उस वक्त सिर्फ़ खादी का काम होता था। उस वक्त इस तरह से ग्रामोद्योग का काम आरम्भ नहीं हुआ था। उस वक्त घानी, तेल पूर्ण चावल आदि चीजें हमारे सामने नहीं आयी थी। मगर खादी और चखें को देखकर ही उसने कहा कि किसी न किसी दिन ये चीजें आयेंगी। वह हमारे बिहार में एक गांव में गये। वह किसी अमेरिकन कम्पनी के इन्जीनियर थे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि चक्की से आटा पीसा जा रहा है, सिलोड पर

मसाला पीसा जा रहा है, घर में रसोई बन रही है और रोटी पक रही है, इन सब को देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। ये चीजे घर घर में होती है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन चीजों को भूतवर्ष ५० वर्ष कायम रखे। ५० वर्ष के बाद संसार फिर इन चीजों की ओर लौटेगा। अभी तो ये चीजें नहीं टिकेंगी। जिस तरह से इस वक्त संसार में कल पुत्र बनाये और जिस तरह उस में फल गये है उस से हो सकता है कुछ दिनों के लिये घर में आटा पीसना और रोटी बनाना लोग भूल जायें। मगर यदि चक्की कायम रह गयी तो संसार को यह फिर मिलेगी और मैं चाहता हू कि भारत इसे कायम रखे जिसमें बाद में चक्की का आविष्कार करने की ज़रूरत न पड़े। यही इस वक्त मैं कहता हूँ। मैं भी उसी तरह के विचार वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि जो जो होड़ चल रही है उस में इस तरह की चीजे बुझ जाये, दूसरी बातों के सामने उन की कदर न रहे। मैं यह भी मानता हूँ कि जो भी अपनी खूबी है उसे भी लोग दूसरी दूसरी बातों में भुला सकते हैं। इसलिये मैं मानता हूँ कि इसमें जो एक प्रकार की शक्ति है उस शक्ति से वह बच सकती है, गायब नहीं हो सकती है। आज हम देखते हैं कि एक बड़ा कारखाना होता है तथा उस कारखाने से कितना काम हम लोग करते हैं। यहाँ वर्षा शहर में एक जगह पावर हाउस है जहाँ कोयला जलाया जाता है और उस से बिजली पैदा होती है और शहर को जगमगा देती है और हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मगर हम यह भूल जाते हैं कि इतनी बत्ती जलाने के लिये हमें कितना खर्च करना पड़ता है। हमी को नहीं, संसार को भी। कोयले के बनने में न मालूम लाखों वर्ष लगते हैं और तब कोयला तैयार होता है। कितने लाख वर्ष में बने कोयले को हम फूंक देते हैं। मगर एग यह भूल जाते हैं कि इस कोयले की जगह पर हम दूसरा कोयला पैदा नहीं कर सकते। तो आज की नयी सभ्यता में हम पहले की सचिंत चीजों का धुआधार खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई समय आ जाये जब साइन्स के ज़रिये इन चीजों को भी लोग पैदा करने लग जायें मगर अभी तक हम केवल खर्च ही कर रहे हैं, जो चीजे प्रकृति ने पहले तैयार करके हमें दी हैं उनको हम खर्च कर रहे हैं, उनको हम बढ़ा नहीं रहे हैं।

तो यह चीज है। महात्मा जी की जो शिक्षा है, उस में जो सारी चीजें हैं उन को देखिये। अभी आपने जो दीप जलाया उसको आप बढ़ा सकते हैं, कितनी ही दूर तक बढ़ा कर ले जा सकते हैं। कोयला न जला कर जब हम लकड़ी जलाते थे उसे हम पैदा कर लेते थे। वह बराबर के लिये खत्म नहीं हो सकती। एक वृक्ष काट कर दूसरा लगा देते थे और इसी तरह हमारा काम चलता था। आज हम एक तरह से प्रवाह में बहते जा रहे हैं। मालूम नहीं हम इसे रोक सकेंगे या नहीं। मगर मेरा अपना विश्वास है कि महात्मा जी ने जो रास्ता बतलाया है उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो उसे रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। अपनी कमजोरी से उसे हम रोक नहीं सकें यह दूसरी बात है मगर इसमें इतनी ताकत है कि उसे हम रोक सकते हैं। अगर आप इसे जारी रखेंगे तो एक वक्त

आयेगा जब आप फिर संसार को इन चीजों को दिखलायेंगे और सत्कार के लोग इसे कबूल करेंगे। मैं तो इन प्राचीन विचारों का समर्थक हूँ और प्रगतिशील विचारों के साथ नहीं चलने वाला हूँ इसको मैं मानता हूँ। मगर प्रगति क्या है इसमें भी लोगों का अलग अलग मत हो सकता है। हम जिसको प्रगति कहते हैं हो सकता है कि दूसरे उसको प्रगति नहीं समझते हों, उस को एक रिएक्शनरी चीज समझते हों। उसी तरह से जिसे दूसरे प्रगति समझते हैं उसे हम प्रगति नहीं समझते। यह तो अपना अपना विश्वास है। हम चाहते हैं कि सब चीजों को महात्मा जी के मौलिक सिद्धान्त को सामने रख कर हम भी उसी तरह कसौटी पर जांच कर उसका अर्थ निकालें और काम करें। वह तो आप कर रहे हैं इसके लिये मैं आप को बधाई देता हूँ और इतना ही कह सकता हूँ कि मुझ से जो मदद हो सकेगी प्रोत्साहन हो सकेगा, दूंगा। दूसरे दें या नहीं हैं मगर मेरी ओर से आपको बाधा नहीं आयेगी, प्रोत्साहन ही आयेगा।

मुझे बड़ा हर्ष है कि आप सब बहनों और भाइयों से मिला और कुछ समय तक आपके साथ रह कर अपने साथ कुछ स्मृतियाँ संचित कर के लिये जा रहा हूँ और वह जब तक मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा तब तक के लिये सम्बल रहेंगी। उसके बाद देखा जायेगा जैसा होगा वैसा होगा।

### वर्धा में नागरिक अभिनन्दन

तारीख ३१-१२-५० को वर्धा में सार्वजनिक सभा में जनपद सभाओं तथा नागरिकों की ओर से दिये गये मानपत्र के जबाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

पूज्य जाजू जी, बहनो और भाइयो,

आपने ठीक समझा है कि मेरा सम्बन्ध वर्धा के साथ बहुत घनिष्ठ रहा है और यह भी आपने ठीक ही कहा है कि आज सारा देश सरदार वल्लभभाई के निधन पर शोकाकुल हो रहा है। आज देश और विदेशों की ऐसी भयंकर स्थिति है कि जिसमें उनके जैसे कार्यकुशल, दूरदर्शी और दृढ़प्रतिज्ञ नेता की देश को आवश्यकता थी और ठीक ऐसे ही समय पर क्रूर काल ने उनका हम से हटा लिया है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन संसार के काम जो रह जाते हैं उन को किसी न किसी तरह चलाना ही पड़ता है और इसलिये शोकाकुल होते हुए भी हमें चाहिये कि जो कुछ बन पड़े देश के जिस काम को हम पूरा नहीं कर सके हैं उसे पूरा करने में अपनी शक्ति लगावें।

इस वक्त सचमुच देश और विदेशों की परिस्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही भयंकर है। विदेशों की हालत इस वक्त यह है कि दो शक्तिशाली देशों के बीच में इस तरह की अनबन चल रही है और दिन प्रति दिन समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि कोई कह नहीं सकता है कि उसका क्या अन्त होगा और इस

बात का भय बहुतेरों के दिल में घर कर गया है कि संसार को फिर शायद एक तीसरी लड़ाई देखनी पड़े जैसे पिछले ३५ वर्षों में दो बार लड़ाई देखनी पड़ी है। जब १९१४ में लड़ाई शुरू हुई थी तो देशों ने यह कहा था कि यह लड़ाई इसीलिए की जा रही है जिसमें इस तरह की लड़ाई फिर न होने पावे। जब दूसरी लड़ाई १९३९ में आरम्भ हुई उस वक्त भी इसी तरह की बात दोहरायी गयी थी और तीसरी लड़ाई की तैयारिया भी इसी भरोसे पर की जा रहीं हैं। मालूम नहीं अगर तीसरी लड़ाई हो गयी तो उसका क्या परिणाम होगा। जो चीज अवश्य स्पष्ट है और सभी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं वह यह है कि आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से इन तरह में बंध गये हैं, विज्ञान के आविष्कारों से आने जाने का काम इतना सहज और तेजी के साथ होता है कि कोई देश अगर चाहे भी तो और देशों से अपने को बिल्कुल अलग नहीं रख सकता। और यदि लड़ाई शुरू हुई तो जो देश अपने को समर से अलग रखना चाहेंगे उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश और हमारी गवर्न-मेन्ट जहां तक हो सकता है यह प्रयत्न करती रही है कि लड़ाई नहीं होने पावे। हमारे प्रधान मन्त्री इस प्रयत्न में दिन रात लगे हुए हैं और हमारे राजदूत जो दूसरे देशों में गये हुए हैं वे भी दिन रात इस काम में लगे हुए हैं जिसमें किसी तरह से लड़ाई बचे। पर मालूम नहीं कि हम सब का प्रयत्न कहां तक सफल होगा। अगर वह सफल हुआ तो मैं मानता हूं कि संसार की एक बहुत बड़ी सेवा हमारा देश कर सकेगा। अगर हम असफल भी रहे तो हमको इतना संतोष रहेगा कि इसको बचाने का जहां तक हो सका हमने अपनी ओर से प्रयत्न किया, कोई बात हमने उठा नहीं रखी। आगे ईश्वर पर है, वह जैसा चाहेगा और देशों के साथ और हमारे साथ भी वैसा करेगा।

अभी जो देश की परिस्थिति है वह भी बहुत कुछ नाजुक है और बहुत बातों में बड़ी समस्याएँ हमारे सामने आ गयी हैं। अभी श्री जाजू जी ने दो चीजों की तरफ इशारा किया अर्थात् एक भौतिक चीजों की कमी और दूसरी नैतिक चरित्र की कमी जो आज हम में देखने में आ रही है। यह जरूरी है कि इन दोनों में स्थिरता होनी चाहिये। हम एक एक चीज में लें तो हमको मालूम होगा कि किस तरह से यह आज की दुर्दशा और बुरी स्थिति पैदा हुई। सभी लड़ाइयों का एक नतीजा यह हुआ करता है कि मनुष्य का मनुष्य से विश्वास उठ जाता है, मनुष्य का चरित्र दुर्बल पड़ जाता है और एक दूसरे के साथ लोग जैसा वर्ताव किया करते हैं उन वर्तावों में बहुत बाते आ जाती हैं। अगर आवश्यकता हो और खून खराबी भी करनी पड़े तो लोग करते हैं। युद्ध आरम्भ का अर्थ यही है कि जो विपक्षी है उसकी जान लेना क्योंकि बिना एक दूसरे को मारे बिना एक दूसरे का विनाश किये कोई काम नहीं हो सकता है। विनाश करने पर भी कहा तक काम होगा या नहीं होगा यह तो दूसरा प्रश्न है। मैं तो मानता हूं कि एक मनुष्य दूसरे का नाश करके, दूसरे की बर्बादी करके उसके साथ न तो प्रेम पैदा कर सकता है और न किसी

प्रकार से किसी प्रश्न का हल निकाल सकता है और यह दखा भी गया है । आज तक जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनमें किसी लड़ाई से किसी मसले को हल नहीं किया जा सका; किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और आजकल की लड़ाइयों में तो यह और भी विशेषता है कि कोई भी प्रश्न लड़ाई के द्वारा हल नहीं हो सकता है । सभी देशों के सभी समझदार लोग, सभी विचारशीली लोग इन बातों को मानते हैं, समझते हैं । मगर मानते और समझते हुए भी इस विनाशकारी चीज की ओर दौड़े जाते हैं और फिर भी इसके लिये तैयारियां करते हैं और इतना ही नहीं कि दूसरों का विनाश करना चाहते हैं बल्कि साथ साथ अपना भी विनाश करते हैं । आजकल की लड़ाई में न तो कोई जीतता है और न कोई हारता है । हारते दोनों हैं । एक अधिक हारता है दूसरा उससे कम । जो कुछ लड़ाइयां देखी गयी हैं उनसे स्पष्ट है कि जिस काम के लिये वह लड़ाई हुई वह काम पूरा नहीं हुआ और जो उस वक्त अवस्था थी वह सम्भली नहीं बल्कि जैसी थी उसमें कहीं अधिक खराब ही हुई । मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है मगर सब पूछिये तो आज तो बुद्धि की कमी है । और यह पागलपन कब इस संसार से जा सकता है यह समझना जरा मुश्किल है । तो हमारे लोगों में इन दानो चीजों की कमी हुई उसके और कारणों में से एक विशेष कारण पिछली लड़ाई है ।

आप जानते हैं कि उस लड़ाई के पहले भी देश में अन्न की थोड़ी बहुत कमी हुआ करती थी मगर वह कमी दूर भी हो जाती थी चाहे जैसे हो, अधिक अन्न पैदा करके चाहे विदेश से, जैसे बर्मा से, जो उन दिनों भारत का ही भाग समझा जाता था कुछ चावल लाकर के । उसके बाद भी जब ऐसा लगता था कि देश में अन्न की कमी है तो बर्मा से चावल मंगाना पड़ता था । यह जिस तरह से व्यापार चलता है उसी तरह से चलता था और कमी दूर होती थी । इस तरह काम चलता जाता था किसी को कोई विशेष कष्ट नहीं होता था और न कोई खास दिक्कत किसी को मंगाने में होती थी । मगर लड़ाई के दिनों में अन्न का कष्ट ऐसे रूप में हमारे देश के सामने आया कि बहुत हमारे भाई और बहन बगाल में मरे । उनकी संख्या कई लाख तक पहुंची और जितनों को कष्ट हुआ उनकी सख्या का तो कोई ठिकाना ही नहीं और उसी समय से अन्न को नियन्त्रित करने का काम भी गवर्नमेंट ने जारी किया । तब अन्न का नियन्त्रण शुरू हुआ और जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से इस बात को देखने लगी कि जब तक विदेश से अन्न नहीं मंगाया जाता हमारे लोगों को अन्न का कष्ट रहेगा और जो नियन्त्रण उस वक्त जारी हुआ वह अभी भी जारी है, सिर्फ जारी ही नहीं है बल्कि उसमें वृद्धि भी हुई है और जितना अन्न कभी भी इस देश में आता था उससे अधिक अन्न मंगाया जा रहा है और उससे भी अधिक अन्न मंगाने की मांग हो रही है ।

इस वर्ष तो ऐसी मुश्किल है कि एक साथ अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकम्प आया । इससे अन्न का कष्ट अधिक बढ़ गया है । आप जानते हैं कि शुरू बरसात

में कई जगहों पर बहुत पानी बरसा; इतना बरसा कि जो फसल उस वक्त लगी हुई थी वह बहुत कुछ बह गयी, फिर बाढ़ आयी उससे नुकसान हुआ और अभी वह कष्ट दूर भी नहीं हुआ था कि आसाम में भयकर भूकम्प हुआ। वह कष्ट अभी तक दूर नहीं हुआ कि बिहार में चार महीनों से पानी की इतनी कमी हुई कि वहां जो कुछ भी फसल धान की लगी हुई थी वह और देश के बहुत बड़े हिस्से में फसल बर्बाद हो गयी और जो गेहूं बोया गया था उसको बहुत नुकसान हुआ। इधर पिछले कई दिनों से कुछ वर्षा हुई है और मैं समझता हूं कि जहां जहां यह वर्षा हुई है वहां वहां रब्बी की फसल पर इसका अच्छा ही असर होगा। पर अभी तक मुझे मालूम नहीं कि यह वर्षा सभी जगहों में हुई है या नहीं और खास कर के देश के उन भागों में जहां धान की फसल मारी गयी है वहां हुई है या नहीं और अगर नहीं हुई तो उसका असर गेहूं की फसल पर क्या होगा। इसलिये इस वर्ष में अन्न का कष्ट कुछ और भी बढ़ गया है और गवर्नमेन्ट इस बात की कोशिश कर रही है कि इस कष्ट को जहां तक हो सके दूर करे। इसके लिये उसने दो बातें मान ली हैं। एक तो यह है कि जहां तक हो सके और जितनी हो सके अपने देश के अन्दर भी अन्न की पैदावार बढ़ायी जाये। अन्न की पैदावार में वृद्धि हो इसके लिये अलग अलग प्रान्तों में योजनाएं बनायी गयी हैं और उन योजनाओं के अनुसार काम किया जा रहा है। अपनी पैदावार बढ़ाने की योजना भी दो प्रकार की है। कुछ तो ऐसी है जिनका फल कुछ दिनों के बाद ही देखने में आ सकता है। उनमें बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें बाढ़ की वजह से बहुत ही बर्बादी होती है। इसके लिये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उन नदियों को बांध करके जो जल बर्बादी का कारण होता है उसको बचा कर अधिक अन्न पैदा करने में लगाया जाये। पर ऐसी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और इनमें खर्च भी बहुत है और समय भी बहुत लगता है। इन योजनाओं का लाभ आज जो देश में परिस्थिति है उसको सम्भालने में नहीं मिल सकता है। दूसरी योजना ऐसी है जिनका हम को तात्कालिक फल मिल सकता है। और ऐसी योजनायें भी सभी जगहों पर चलाई जा रही हैं। खेती में पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती है और अगर पानी आ जाये तो कुछ न कुछ काम खेती का चल सकता है। इसलिये इस पर जोर दिया जा रहा है कि नये कुएं खोद कर छोटी मोटी नदियों में बांध बांधकर, नहर निकाल कर या इस तरह का जो कोई भी काम हो सके जिससे भूमि पर पानी हम ला सकें करके और जल्द से जल्द करके अधिक अन्न उपजायें पर इस से भी अधिक तेजी से नतीजा निकालने वाली भी योजना है। आज देश में जब तक दूसरी फसल तैयार होती है तब तक के लिये भी काफी अन्न हमारे पास नहीं है और इसलिये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी खाद्य वस्तुएं जिनको हम अधिक पैदा कर सकें पैदा करें जो अगले महीने दो महीने चार महीने में तैयार हो जायें। इस तरह की बहुत सी चीजें देश में हो सकती हैं और हमारे यहां के किसान लोग काफी चतुर हैं और वे जानते हैं कि

इस तरह की कौनसी चीजें हैं और वे कहां पैदा की जा सकती हैं। इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि इस तरह अन्न, कन्द मूल फल जो कुछ भी जहां भी पैदा कर सकते हैं उनको जल्द से जल्द पैदा किया जाये जिसमें इस कष्ट को हम दूर कर सकें। इसके अलावा यह भी प्रयत्न हो रहा है कि हम विदेशों से अन्न मंगायें और इसके लिये सभी जगहों में हमारे काम करने वाले प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो भी हो अन्न जहां भी मिले वह यहां आयेगा। मगर कितना आयेगा यह कहना अभी जरा कठिन है। मगर ऐसी आशा की जाती है कि हम इतना ला सकेंगे जिसमें हम इस कष्ट को दूर कर सकें। मगर आप को यह भी जान लेना चाहिये कि विदेशों से अन्न लाने में भी बहुत कठिनाइयां हैं। एक तो अन्न मिलना आसान नहीं है और अगर लड़ाई छिड़ गई तो अन्न बाहर से लाना भी कठिन हो जायेगा। अगर अन्न मिले भी तो हमारे पास दाम कहां कि सब को चुकता दे सकें। गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, और सब काम रोकना भी पड़े तो रोकेंगे मगर अन्न के लिए जितने खर्च की जरूरत होगी किसी न किसी रूप में उसे निकालेंगे। मगर एक दूसरी कठिनाई भी है। वह दूसरी कठिनाई यह है कि जो कुछ अन्न विदेशों में मिलेगा उसको लाने का यही तरीका है कि जहाज पर उसे लाद कर लावे। मगर जहाज का मिलना भी आसान नहीं है। और हिसाब लगाकर देखा गया है कि जितने अन्न की हमको जरूरत होगी उतना अन्न लाने के लिए एक या दो जहाज प्रति दिन हमारे देश में अन्न लेकर पहुंचे तो यह काम पूरा हो सकता है। पर इतने जहाज विदेशों से मिल जायें यह आसान बात नहीं है। मगर इसके लिये प्रयत्न हो रहा है। इसलिये मैंने आप से कहा कि यह एक बड़ी विपत्ति है जो हमारे सामने आ गई है। इसको टालने का जो कुछ भी प्रयत्न किया जा सकता है किया जा रहा है। मगर मैं मानता हूं कि इन प्रयत्नों के अलावा जो सब से बड़ा प्रयत्न हो सकता है वह जनता के हाथ में है। अगर जनता यह निश्चय कर ले कि उसे इस मुसीबत को किसी न किसी तरह पार करना है तो वह पार कर सकेगी इसमें कोई शक नहीं। उस के पास बुद्धि है, थोड़ा बहुत साधन भी है और केवल गवर्नमेंट की तरफ न देखकर वह अपने ऊपर भरोसा करे अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयत्न करे तो विपत्ति कुछ हद तक दूर की जा सकती है। और मैं जहां जहां जा रहा हूं मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का जो कर्तव्य है उसे वह कर रही है और यथासाध्य करेगी मगर आप गवर्नमेंट की तरफ आंख न लगायें रहें। आप अपने वाहुबल का अधिक भरोसा करे और इस कठिन समस्या को किसी न किसी तरह हल करें। आप कहेंगे कि पेट जलता है। तो हमारे देश में कितने ही ऐसे दरिद्र हैं जिनका पेट नहीं भरता। यह ठीक है। मगर साथ ही जब मनुष्य कोई इरादा कर लेता है, किसी दृढ़ निश्चय पर पहुंच जाता है तो उस के पास बल भी आता है वह बल ईश्वर देता है और उसी बल पर हम सब को भरोसा करना होगा और जो कुछ प्रयत्न हो सके हमको करना चाहिये। प्रयत्न भी कई प्रकार के हो सकते हैं। आज भी, अन्न की कमी की परिस्थितियों में भी खाद्य पदार्थ बहुत बरबाद जाता है, नुकसान होता है। उसके



कई कारण हैं। कुछ तो हमारी अपनी एसी आदतें हैं जिनसे नुकसान होता है कुछ इस तरीके से नुकसान होता है कि लोग अन्न को ठीक तरह से सुरक्षित रख नहीं सकते और कुछ अन्न की कमी इसलिये भी होती है कि जिस के पास अन्न होता है वह उससे मुनाफा कमाना चाहता है और इसलिये दूसरों के पास जिनको अन्न की जरूरत है वह जाने नहीं देना चाहता। चाहे किसान हों, व्यापारी हों चाहे ऐसे लोग हों जो खरीद कर अन्न खाते हैं कोई भी इस तरह का काम करता हो यह ठीक नहीं है। हम यह चाहेंगे कि अन्न की रक्षा के साथ साथ अधिक अन्न पैदा करने के साथ साथ भारत का प्रत्येक निवासी यह भी समझे कि अगर दूसरे आदमी की दुःखद स्थिति है और उस के पास अन्न है तो उस अन्न को दूसरे के साथ बांट कर खाना उसका धर्म है बहुत जगहों पर यह देखा जाता है कि इस आशा से कि अगर अन्न को दबा कर रखेंगे तो अधिक दाम मिलेगा किसान भी अन्न घर में रखना चाहते हैं। व्यापारी भी इस प्रयत्न में रहते हैं कि अन्न कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचें और जो केवल खरीद कर खाते हैं वह भी जब यह सुनते हैं, देखते हैं कि अन्न की कमी हो रही है तो उनको जितने अन्न की तात्कालिक आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक खरीद कर रख लेना चाहत है जिसमें कठिन समय में उनको दूसरे का मुह नहीं देखना पड़े। इस तरह से जितना अन्न होता है और जितनी देर तक वह मिल सकता है उतनी देर तक अन्न मिलता नहीं और जितनी कमी होती है उस से अधिक कमी महसूस होने लगती है। तो मैं तो यह चाहूंगा कि जितना अन्न इस वक्त भी देश के अन्दर हो वह इस देश के लोगो को मिलना चाहिये जिसमें अगर लोगों को कुछ कम करके ही खाना पड़े तो लोग कम करके खायें। अभी बहुत लोगों को कम खाना पड़ता है और बहुत लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जिनके पास अन्न अपनी जरूरत से ज्यादा हो वे अगर बेच दे तो जिनके पास कमी है उनके पास वह चला जाये। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। जिनको जितने की जरूरत है उससे जरा भी अधिक की इच्छा वे न करे। एक तो यह तरीका है और यह पूज्य बापू का तरीका है। वह हम में से हर एक के दिल में यह भावना लाना चाहते थे कि हमारा कर्तव्य अपने दूसरे भाइयों के प्रति देश के प्रति और संसार के प्रति क्या है इसे हम समझे और हम में से बहुतों ने इस कर्तव्य भावना को स्वीकार करके अपना सब कुछ त्याग किया। अगर हम आज इस मामले में बहुत ढीले पड़ गये हैं और हमारी कर्तव्य निष्ठा आज बहुत कमजोर पड़ गयी है। हम चाहते हैं कि वह चरित्रबल हम अपने में लावे कि सारे देश के दुःख को अपना दुःख समझें और इस विपत्ति को दूर करने में हमको जो कुछ त्याग करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, उस त्याग और कष्ट के लिये तैयार रहें। यह तो गान्धी जी का रास्ता है और अगर हम इस पर चले तो फिर गवर्नमेन्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अन्न की कमी होगी तो हम किसी न किसी तरह उसको दूर करेंगे और गवर्नमेन्ट अगर विदेशों से अन्न मंगायेगी तो उसको बांट कर जां कमी रह जायेगी उसको दूर करेगी। जब हम में कमी आ जाती है तो गवर्नमेन्ट को भी बीच में पड़ना पड़ता है। जब हम अपनी ओर से मितव्ययिता के साथ अपने

पास में जो है उसे बांट कर खान को तैयार नहीं होते हैं तो गवर्नमेन्ट को बीच में पड़ कर जिनके पास ज़रूरत से अधिक अन्न रहता है उसे जबर्दस्ती लेना पड़ता है। जो अन्न बचता है उस पर नियंत्रण करके आदमी मुकर्रर करके उस के वितरण का प्रबन्ध करती है। इसी का नाम कंट्रोल है। तो कंट्रोल और हमारे चरित्र बल का एक दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध है कि अगर चरित्र से हम काम लें तो कंट्रोल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और कंट्रोल से काम लेना पड़े तो उस हालत में भी इस चरित्र की ज़रूरत तो रहती ही है। तो भाज की दुरवस्था ऐसी है कि हम को दोनों से काम लेना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक जिनसे हो सके हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि कंट्रोल उठा देना केवल गवर्नमेंट के लिये सम्भव ही नहीं हो बल्कि अधिक सुविधा जनक भी हो। हम कहते हैं कि इतना बोझ जो कंट्रोल की वजह से हम पर पड़ता है और हम उसे सहते हैं वह ऐसा बोझ तो है नहीं जिसे जान बूझ कर हम लेना चाहते हों। मगर अवस्था ऐसी है, अन्न की ओर दूसरी चीजों की इतनी कमी है और जिनके पास ज़रूरत से ज्यादा है वे हाथ बटाना नहीं चाहते इसलिये हम को ऐसा करना पड़ता है। जो हो, आज की स्थिति ऐसी है कि आज कंट्रोल भी है और हम को ऐसा प्रबन्ध करना है कि जिसमें अन्न का कष्ट हमारा दूर हो। हम तो यह कहते हैं कि गवर्नमेन्ट जो ठीक समझती है, जो अपना कर्तव्य मानती है वह कर रही है। मगर यदि हम अपनी ओर से इस चरित्रबल को अपने में लाकर अपना कर्तव्य करें तो गवर्नमेन्ट का काम भी हल्का हो जाये और हमारा दुःख भी बहुत हद तक दूर हो जाये। आखिर इतनी शिकायत जो हम कंट्रोल के सम्बन्ध में तथा दूसरी चीजों के सम्बन्ध में सुनते हैं वह हमारी चरित्रहानि की ही तो द्योतक है। लड़ाई में मैंने शुरू में ही कहा था कि लोगों का चरित्र बहुत गिर जाता है। आज उसी का फल हुआ है कि हम गिर गये हैं। आज हमको मानना पड़ेगा कि बहुत जगहों में हमारे लोगों में बहुतेरों में चरित्र ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिये और उसी का नतीजा हम सब को भुगतना पड़ा है। इसलिये आज यह आवश्यक है कि इस चरित्र को ऊंचा उठाया जाये और चरित्र ऊंचा उठने से जो मौखिक कमी है वह भी बहुत हद तक दूर होगी और अगर नहीं भी दूर होगी तो हम में इतना बल आयेगा कि हम इस कष्ट को, मुसीबत को सह सकेंगे। इसलिये मैं पूज्य जाजू जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इन दोनों कमियों को हमें दूर करना है।

महात्मा गान्धी ने अपने जीवन से, अपने प्रेम से, अपनी शिक्षा से सारे देश को बहुत ऊंचा उठा दिया था। उन्होंने जिन सिद्धान्तों का प्रचार किया था और जिन सिद्धान्तों के अनुसार अपनी सारी जिन्दगी काट ली थी और जिन सिद्धान्तों पर वह सारे संसार को चलाना चाहते थे वह सब अमर सिद्धान्त अकाट्य हैं। मगर हमारी कमज़ोरी ऐसी है कि हम उन सिद्धान्तों पर बराबर चल नहीं सके और बहुत थोड़े ही दिनों में हम जानते हैं कि हम में से बहुत फिसल गये हैं। इसे दूर करना चाहिये और इसे दूर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। महात्मा जी फिर से पैदा नहीं हो सकते। इस तरह के अवतारी ष तो बिरहे ही हुआ करते हैं और जो कुछ वे बता जाते हैं उसको सब लोगों को मानना है, करना है और उस पर चलना है, तभी कुछ काम हो सकता है।

उन्होंने जो रास्ता बतलाया वह केवल हमारे लिये ही नहीं बल्कि सब के लिये और देश के लिये भी बताया था। उस रास्ते से अभी हम दूर चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से रह गये हैं। उस रास्ते पर कछ दूर तक जो हम गये उसी का सुमधुर फल हुआ कि हम स्वतन्त्र हुये। मगर उस चीज को जितनी दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखना चाहिये हम ने नहीं रखा। उसी का नतीजा है कि आज हम बुरी तरह मसले जा रहे हैं। देश को उस अमर रास्ते पर आना होगा, सत्य और अहिंसा को ग्रहण करना होगा और यह केवल पुस्तक की चीज ही नहीं, केवल विशेष विशेष अवस्थाओं के लिये ही नहीं बल्कि ऐसी है कि जीवन के हर क्षेत्र में हरेक काम में, उसे इस्तेमाल करना जब हम सीख लेंगे तभी हम सफल हो सकेंगे। आज हम एक प्रकार से असमंजस में पड़े हुए हैं। जैसे अहिंसा की बात लीजिये। महात्मा जी ने अहिंसा को यह रूप नहीं दिया था कि जहां उस से काम निकले वहां अहिंसा से काम लें और जहां जरूरी हो हिंसा से भी काम लिया जाये। उन्होंने तो उसे सर्वोदय और हर समय के लिये एक सिद्धान्त माना था। मगर हम आज जैसा कर रहे हैं उस से मान्य होना है कि जहां अहिंसा से काम निकले वहां अहिंसा की बोहाई दें और जहां हिंसा से काम निकले वहां हिंसा करें। उसी तरह महात्मा जी ने समाज गठन का जो चित्र अपने सामने रखा था उस में भी हम आज पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते। मालूम नहीं किस हद तक हमने इसे पहले अपनाया था। शायद पहले भी हम इस को गले में आधी दूर तक ही उतार सके थे इस को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाये थे। जब गान्धी जी हमारे सामने नहीं रहे तो हजम करने का तो सवाल ही क्या जितना हम निगल चुके थे उसे भी निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। इसलिये आज हम को तरह तरह की बाधा सताती है और हम एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित कार्यक्रम बना कर दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरे देश जिनके सामने हिंसा अहिंसा का प्रश्न नहीं है, जिन को इसका विचार नहीं और जो किसी तरह से अपने प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं उन के लिये भी एक रास्ता है। उस रास्ते को हम ठीक नहीं समझें मगर वे ठीक समझते हैं और उस पर चलते हैं। हम तो न उधर पूरी तरह से हैं और न उधर पूरी तरह हैं। पर गान्धी जी इन्हें सोलह आने मानने को तैयार थे और इन पर पूरी तरह से चलते थे और जिस रास्ते पर वह चलना चाहते थे उस पर सोलह आने अमल करते थे। इसी का नतीजा यह हो रहा है कि हम दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ पाये हैं। मगर कुछ ही दिन हुए जब कि हमको स्वराज मिला है। आज इस बात का अन्तिम निर्णय कोई नहीं दे सकता है कि हम गान्धी जी की बात से बिल्कुल अलग हो गये हैं तो बाद में उसको कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे सामने कठिनाइयां भी बहुत रही हैं अगर इन कठिनाइयों को ध्यान में रख कर जो कुछ काम हुआ है उसे देखा जाये तो कुछ कम नहीं हुआ है।

कल ही मैंने अमरावती में भाषण देते हुए कहा था कि गान्धी जी का यह विश्वास था कि उन के अहिंसा के रास्ते पर चल कर ही दूसरों से अपना काम हम खूबी के साथ निकाल सकते हैं और उस में उनको भी कष्ट नहीं होता और हमको भी कष्ट नहीं

होता। चम्पारण में उन्होंने कहा था कि नीलवरो की बुराई हमको पसन्द नहीं है। नीलवरो की बुराई हम नहीं चाहते मगर साथ ही हम चाहते हैं कि उनकी ओर से जो जुल्म होता है वह न हो। हम लोगों में से बहुतेरों की समझ में यह बात नहीं आती थी। जुल्म से ही नीलवर नफ़ा उठाते हैं, अगर उनका जुल्म नहीं होगा तो उनको नफ़ा नहीं होगा तो फिर नुकसान ही तो हुआ। इसलिये जुल्म न होना और नीलवरो का नुकसान न होना दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है मगर हम ने देखा कि थोड़े ही दिनों के अन्दर उनका जुल्म बन्द हो गया और नीलवर वहाँ से उठ कर चले गये मगर खुशी से गये, दुखी और रंज हो कर नहीं गये। जो उनके रुपये पैसे नील के काम में लगे हुए थे वे किसी न किसी तरह से उनको वापस मिल गये और वे उन्हें लेकर चले गये। इसी तरह अहिंसा के रास्ते पर चल कर हम ने अंग्रेज़ी साम्राज्य की चुनौती दी और गान्धी जी ने इसमें भी यही कहा कि हमें अंग्रेज़ों का नुकसान पसन्द नहीं हम उनकी बुराई नहीं चाहते मगर साथ ही हिन्दुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। यहां भी हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता भी मिली और मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ आज कुछ नाखुश नहीं है और एक बात तो स्पष्ट है कि आज अंग्रेज़ों के साथ जैसी हमारी मित्रता की भावना है वैसी पहले कभी नहीं थी। सो यहां भी गान्धी जी हमको अहिंसा का चमत्कार दिखला सके कि किस तरह से जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ अंग्रेज़ी साम्राज्य में समझी जाती थी उससे उनको दूर करके भी वह अंग्रेज़ों को खुश रख सके। अंग्रेज़ भारत को छोड़ कर भी बहुत दुखी नहीं हुये। उसी तरह से अगर हम उस सिद्धान्त पर चले तो और सब भी जो प्रश्न हमारे सामने हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। मगर जैसे हमको उस समय विश्वास नहीं होता था उसी तरह से आज भी उस रास्ते पर चलने में हमको दृढ़ता नहीं आती है। उस समय गान्धी जी थे। वह मौका आज नहीं है। उस समय अगर काम में कोई अड़चन होती थी तो उनसे पूछ कर हमारा काम निकल जाता था। पर आज वह नहीं हैं। मगर उनके सिद्धान्त हैं। अगर हम उनको अपने दिल से, अपनी इच्छा से स्वीकार करें, अपनी श्रद्धा से स्वीकार करें तो हमारा चरित्रबल भी बढ़ेगा और दूसरी कठिनाइयां जो हमारे सामने हैं वे भी दूर हो जायेंगी। मेरा यह विश्वास है। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और अपने ऊपर भरोसा करके काम करें। मनुष्य का ध्येय सुखी होना है और वह तभी हो सकता है जब मनुष्य अच्छे और सच्चे सिद्धान्तों को मानने वाला हो, अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला हो। मैं तो जहां जहाँ जाता हूँ लोगों से यही कहता हूँ कि यदि आज चारों तरफ अन्धकार भी मालूम होता हो तो भी अपने सिद्धान्त से विचलित न हों। १९४२ में जब भारत छोड़ो का नारा लगा था उस समय हमारे चारों तरफ अन्धकार ही अन्धकार था। कौन कह सकता था कि उसका नतीजा यह होगा कि हम स्वराज पा जायेंगे और स्वतन्त्र हो जायेंगे? यह कौन कह सकता था कि अंग्रेज़ लड़ाई जीत जायेंगे और उस के बाद भी अपनी इच्छा से हमारे साथ प्रेम करके हमको स्वतन्त्रता दे कर यहां से चले जायेंगे। मगर यह हुआ उसी तरह यद्यपि आज चारों तरफ अन्धकार है, हमें इस विश्वास को नहीं छोड़ना

चाहिये। मैं मानता हूँ कि फिर एक दिन आयेगा और जल्द आयेगा इतना जल्द जितना हम में से किसी को अनुमान भी नहीं होगा जब गान्धी जी के सिद्धान्तों में हम विश्वास करेंगे, उनके बतलाये रास्ते पर चलेंगे और सारा अन्धकार दूर होगा और हम केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता लेकर ही चुप नहीं रहेंगे बल्कि जिस तरह की स्वतन्त्रता गान्धी जी चाहते थे उसी तरह से देश की स्वतन्त्र कर सकेंगे जिस में न कोई किसी को देने वाला हो, न कोई दूसरे को सताने वाला हो, जिस में सभी लोग सुख से रहेंगे, जिस में कोई किसी की जान व माल नहीं लेगा और सभी लोग प्रेम से रहेंगे। यही ईश्वर से प्रार्थना है और यही आप सब भाई बहनों से निवेदन है।

आप ने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिये मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। यहाँ पर स्वागत शब्द का उपयोग भी ठीक नहीं है। स्वागत तो किसी बाहरी आदमी का किया जाता है। पर जैसा आप ने कहा और मैं भी उसे मानता हूँ मैं तो आप मे से ही एक हूँ। इसलिये मेरे लिये स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा जाजू जी ने कहा है कि आप खुश हैं; तो इस में मैं भी खुश हूँ।

### विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण

तारीख २ जनवरी १९५१ को साढ़े चार बजे चौपाटी बम्बई में श्री विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम गवर्नर साहब, बम्बई के मेयर साहब, बहनो और भाइयो,

जैसा आपने सुना मेरी वजह से इस मूर्ति को आपके सामने आने में कुछ देर हुई क्योंकि मुझे इसके पहले आने को कहा गया था पर मैं आज से पहले इसके लिये कोई वक्त नहीं निकाल सका। एक तरह से तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज हाज़िर हो सका मगर एक अफ़सोस भी है और सख्त अफ़सोस है कि सरदार बल्लभ भाई ने जो मुझे हुक्म दिया था उसे उनके रहने में पूरा नहीं कर सका। मुझ से कई बार उन्होंने कहा था कि इसके लिये मैं समय निकाल लूँ और मैं ने उनसे कहा था कि इसके लिये कोई न कोई समय निकालूँगा पर और कामों की भीड़ की वजह से इसके पहले मैं समय नहीं निकाल सका। मैं एक दिन उनकी बीमारी की हालत में उन से मिलने के लिये गया और वहाँ पर यह बात छिड़ गयी। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई वक्त निकालूँगा। उन्होंने कहा कि दूसरी तारीख को जाकर काम को पूरा कर दो। इसके बाद मेरे लिये दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने उसी वक्त उसे मंजूर कर लिया और एक तरह से इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने मंजूर कर लिया क्योंकि अगर मैं नहीं

मंजूर करता तो यह उनकी आखिरी खाहिश बगैर पूरा किये रह जाती और जिसका अफसोस मुझे बराबर बना रहता। इसलिये इस काम के मौके पर एक तरह से खुशी होती है।

श्री विट्ठल भाई पटेल के सम्बन्ध में मुझ से आप लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे। क्यों-कि मेरा उनका सम्बन्ध तो बम्बई की वजह से नहीं हुआ मेरा उनका सम्बन्ध हुआ कांग्रेस के काम की वजह से और वह सम्बन्ध शुरू हुआ जब खास कर के कांग्रेस का विशेष अधिवेशन १९१२ में हुआ था और वह रिसेप्शन कमेटी के चेअरमैन थे। आपको याद होगा कि वह एक अच्छा पढ़ना करते थे और पैजामा जैसे और लोग पहना करते हैं और तुर्की टोपी जिसे मुसलमान लोग पहनते हैं, हिन्दू नहीं पहनते हैं, वह पहना करते थे। जब मैं पहले पहल डैलीगेट की हैसियत से आया और उनको इस तरह के कपड़े पहने देखा तो मुझे पहले पता नहीं चला कि वह विट्ठल भाई पटेल हैं; मैंने समझा कि बम्बई शहर के कोई मुसलमान नेता होंगे जो बैठे हैं। पीछे चल कर मालूम हुआ कि वह उनका तरीका था और अन्य बातों में भी वह विचित्रता रखते थे। उसके बाद से जैसे जैसे मुलाकात बढ़ती गयी, जैसे जैसे अधिक परिचय होता गया मैं उनकी और खूबियों से अवगत होता गया।

मैं एक दो छोटी मोटी बातें इस लिये कह देना चाहता हूँ कि जिससे मालूम हो जाये कि उनका दिल कितना बड़ा था और किस तरह बावजूद इसके कि दूसरों के साथ घनघोर मतभेद रहे वह लोगों से प्रेम रख सकते थे और अपना पहले जैसा ही बर्ताव रख सकते थे। जब १९२२ में महात्मा जी गिरफ्तार होकर जेल चले गये और उन्हें ६ साल की सजा हो गयी, कांग्रेस के लोगों के बीच एक बात पर मतभेद उठ खड़ा हुआ कि काउन्सिल में कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिये या नहीं। ये दोनों भाई दो दल में पड़ गये। विट्ठल भाई काउन्सिल के पक्ष में और वल्लभ भाई उतने ही काउन्सिल के विरोधी इन दोनों भाइयों में विरोध सिर्फ राजनैतिक प्रश्न पर ही था। वैसे बर्ताव। जैसा पहले था वैसे ही था और दूसरे लोगों के साथ भी इन दोनों भाइयों का वैसे ही अच्छा और मधुर बर्ताव बना रहा। जब सारे देश में बड़े जोरों से बहस चल रही थी तब नागपुर में सत्याग्रह छिड़ गया और इस सत्याग्रह का भार जब जमनालाल जी गिरफ्तार हो कर जेल चले गये तो सरदार वल्लभ भाई पर आ पड़ा। सरदार वल्लभ भाई वहाँ गये। उस वक़्त उनको लोग सरदार नहीं कहा करते थे। उन्होंने वहाँ का काम शुरू किया। जो काउन्सिल के पक्ष वाले लोग थे अक्सर कहा करते थे कि वहाँ पर सत्याग्रह काउन्सिल के विरोधी लोगों ने इसलिये खड़ा कर दिया है कि जो काउन्सिल के पक्ष वाले हैं उनको नीचा दिखलायें कि वे ही सत्याग्रह कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें कुछ लोग अखबारों में भी लिख दिया करते थे। कुछ लोग कह दिया करते थे और दोनों दलों में बहुत खींचा

तानी थी, बुरी भावना पैदा हो गयी थी। मगर विट्ठल भाई ने जब यह देखा कि सत्याग्रह एक अच्छी चीज है और चल रहा है तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने नागपुर जा कर वल्लभ भाई का साथ दिया और दोनों भाइयों ने मिल कर एक साथ उस सत्याग्रह का संचालन करना शुरू कर दिया उसी वक्त मुझे कुछ ज्यादा मौका मिला उन दोनों भाइयों से मिलने का। मैं भी नागपुर जा पहुंचा था और वहां दो महीने तक ठहरा और सत्याग्रह के काम में लगा रहा। उस वक्त मैंने देखा कि मत भेद होने हुए भी उस मतभेद के कारण अगर कोई विरोधी कोई अच्छा काम करे तो उसकी शिकायत करके विट्ठल भाई नाजायज लाभ नहीं उठाना चाहते थे। इसलिये सत्याग्रह को सफल बनाने में उन्होंने पूरी पूरी मदद की।

इसी सिलसिले में एक दूसरी छोटी बात है। एक कमेटी कांग्रेस की तरफ से मुकर्रर थी और वह सारे देश में घूम घूम कर इस बात की जांच कर रही थी कि देश सत्याग्रह के लिये तैयार है या नहीं। उस कमेटी का नाम था सिविल डिसेंबिडियेन्स कमेटी। विट्ठल भाई उसके प्रमुख सदस्य थे। सभी जगहों में वह कमेटी गयी। जहां के लोग काउन्सिल के विरोधी थे उन लोगों से वह जिरह करते थे, उनके फ़ैसले में नुक्स निकालते थे। यह तो उनका अपना मत था और इसके लिये जैसे कोई होशियार कानूनवादी बहस करता है वह भी करते थे। मगर इस चीज को वह नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि किसी भी कांग्रेसी की कोई शिकायत करे। एक प्रमाण इसका मैं आपको देता हूँ। वह हमारे प्रान्त में गये थे। सब से जिरह की जा रही थी। एक भाई आये। उनको जो कुछ कहना था कह चुके। मगर साथ ही साथ उन्होंने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शिकायत की। विट्ठल भाई से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह पहले इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे यों ही पड़े हुये थे। मालूम होता था कि जैसे जिरह का काम दूसरे लोगों पर छोड़ दिया गया हो। पर जैसे एक दो जुमले शिकायत के उन्होंने सुने कि वह उठ बैठे और एक घंटे तक इस सख्ती के साथ उस सज्जन से उन्होंने जिरह की कि वह परेशान हो कर रह गये। उन्होंने इस चीज को दिखला दिया कि निकम्मे लोग ही दूसरों की शिकायत करते हैं। यह एक छोटी चीज है मगर इस में पता चलता है कि उन का दिल कितना बड़ा था और कितना निर्भय हो कर वह काम करते थे।

जब १९२० में बड़ा सत्याग्रह आरम्भ हुआ उस समय के पहले तक वह असेम्बली के प्रेजीडेंट थे। सब से पहले चुने हुए प्रेजीडेंट वही हुए थे और असेम्बली में रह कर जिस खूबी के साथ, जिस चातुरी और बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने काम किया जो उस जमाने की असेम्बली को जानते थे वे सभी मानते थे और कबूल करते थे। एक तरफ विट्ठल भाई अकेले थे जिन को यह देखना था कि वह किसी पक्ष में न बोलें क्योंकि जब एक दफ़े वह प्रेजीडेंट चुने गये तो वह सब के लिये बराबर थे और सचमुच ही यही बर्ताव उन्होंने रखा था। साथ ही उन का दिल इस बात का विरोधी था कि जनता

के अधिकार से तो चन्द मेम्बर चुने जायें और बहुमत गवर्नमेन्ट के अफसरान और नामजद लोगों का हो। उस जमाने में वे ही काम करते थे और उन को बहुत कुछ अनुभव भी था, वे अपनी चीज को अच्छी तरह से जानते थे। एक तरफ वे सब थे और दूसरी तरफ बिट्ठल भाई अकेले थे। पर तो भी उन्होंने ने इतनी चातुरी दिखलाई और इस तरह से काम किया कि सब के सब दंग रह गये। आज तो हमारा संविधान बन गया है और हमने मान लिया है कि असेम्बली का पार्लियामेंट से अलग सेक्रेटरियट होना चाहिये जो सेक्रेटरियट वहां के स्पीकर के मातहत होगा जिस पर गवर्नमेन्ट का अधिकार नहीं होगा। पार्लियामेंट स्वतन्त्र रहे इसलिये यह आयोजन किया गया है। उस समय इस तरह की बात सोची नहीं जा सकती थी। उस समय की असेम्बली भी ऐसी थी, उसे ऐसा बनाया गया था कि जो गवर्नमेन्ट की इच्छा हो, उसे आखिर में जा कर वह किसी न किसी तरह पूरा करे। इस लिये उन दिनों में यह एक बड़ी कठिन बात थी कि उस का अलग सेक्रेटरियट हो। उस का सेक्रेटरियट उस समय गवर्नमेन्ट के मातहत था। बिट्ठल भाई ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता और चातुरी दिखा कर इस काम को कराया। अपने लिये अलग स्वतन्त्र सेक्रेटरियट कायम करा लिया और आज उसी चीज को जिसे उन्होंने कायम किया था हम ने मान लिया है।

जब सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और इस्तीफा दे कर हट गये। इस्तीफा दे कर हट जाने के बाद वह सत्याग्रह में शरीक हुए। वह कुछ दिनों तक जेल से बाहर रह गये थे। वहां जा कर लोगों को बहुत जोरों का प्रोत्साहन दिया। और अच्छी तरह से उस बात का प्रयत्न किया जिस में लोग सत्याग्रह में शरीक हों। अपने भाषण में उन्होंने ने कहा इंग्लैंड में जो स्पीकर होता है वह जब अपना समय पूरा कर के हटता है तो उस को दो चीजें मिलती हैं, पेंशन मिलता है और पीअरेज मिलता है। मैं असेम्बली का पहला स्पीकर रह कर निकला हूँ तो मुझे जेल मिल रहा है। तो वह पीअरेज हमारे लिये जेल ही है। मैं इन दोनों में से अधिक कीमती इसे समझता हूँ। इस चीज पर वह अड़े रहे। जसा आप से कहा गया विदेशों में भारत के लिये प्रचार करना वह आवश्यक समझते थे और इसी काम के लिये वह यूरोप गये थे। दुर्भाग्यवश वह वहां बीमार हो गये और वहां ही उन का देहान्त भी हो गया।

इस बीच में जिस वक्त वह असेम्बली के प्रेजीडेन्ट थे जो कुछ उन को मुशाहरा मिलता था वह सब अपने काम में नहीं लगाते थे। दूसरे जरिये से जो वे पैदा करते थे और पैदा भी वह काफी कर सकते थे उस से अपना काम चलाते थे। इस बीच में जो मुशाहरा मिलता था उसे वह अलग जमा करते थे और इस तरह एक अच्छी रकम बचा कर देश के काम में लगाने के लिये उन्होंने एक वसीयत नामा लिख दिया जो रकम कांग्रेस के हाथों में आयी और जो उन का हयाल था उस काम में उसे लगाया गया और यदि अभी नहीं लगाया गया है तो उसे अब लगाया जायेगा। इस तरह की उन की जिन्दगी थी। अगर वह चाहते तो एक बड़े वकील तो थे ही बहुत



घन जमा करते, तरक्की करते पर अपने लिये कुछ न कर के जो कुछ उन से बन पड़ा उन्होंने न देश के लिए किया। हमें इस बात का दुःख अवश्य है कि वह इस दिन को नहीं देख सके जब उन के परिश्रम के फलस्वरूप देश आजाद हुआ है। मगर इस तरह की लड़ाई में बहुतेरों को बिना फल मरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और बहुतेरे बहन और भाई गुजर गये। वह भी उन में से थे। मगर उन के छोटे भाई ने उसे पूरा कर दिया। दोनों भाइयों का भारत के इतिहास में सर्वदा स्वर्णिम भाग रहेगा और जो मूर्ति आपने यहां स्थापित की है बम्बई शहर के लोगों को उन की सेवाओं की याद दिलाती रहेगी और लोगों के सामने एक ऊंचा आदर्श हमेशा रखती रहेगी। मैं अपनी श्रद्धांजली श्री विठ्ठल भाई को अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप नै जिस आशा से इस मूर्ति को खोला है वह आशा पूरी होगी और आप को हमेशा उन की याद दिलाती रहेगी।

### पंजाब विश्वविद्यालय का सभावर्तन समारोह

पंजाब विश्वविद्यालय में अपन दीक्षान्त भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा—

कुलपतिजी, उपकुलपति जी, अध्यापकगण, स्नातिकाओ और स्नातको,

यह बड़ी खुशी की बात है कि आप स्नातिकायें और स्नातकगण इस विश्वविद्यालय से उपाधियां पा कर के जिन्दगी के बड़े मैदान में दाखिल हो रहे हैं। आप ने अब तक विद्या हासिल करने में जो सफलता पाई है उस के लिये मैं आप को बधाई देता हूँ। इस के साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों से यह आशा है कि आप सब अपनी विद्या का भागन और स्वास कर के पंजाब में नई दुनिया—ऐसी दुनिया जिस में हरेक इन्सान की जिन्दगी सुसंस्कृत और समृद्ध होगी और जिस में किसी की आंख में आंसू और होंठों पर आह न हागो—बसाने में लगायेंगे। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज आप की इस वीर प्रसूता भूमि में लाखों ऐसे नर नारी हैं जिन के जीवन में विपत्ति, बाधा और विफलता भरी पड़ी है। अभी तीन ही वर्ष की तो बात है कि इस प्रदेश की जनता पर मुसीबतों और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा और लाखों को अपने पूर्वजों के घरबार और सम्पत्ति को अपनी संस्कृति, स्वतन्त्रता और जीवन नाश के भय से खन्दा के लिये छोड़ देना पड़ा। बहुतेरे तो प्राण बचाने में भी सफल न हुए और क्रूरता और बर्बरता से मारे गये। आज भी उन के विछोह के आंसू बहुतसों की आंखों से नहीं सूखे हैं और आज भी ये विपत्ति के मारे मुसीबत से अपना आंचल छुटा नहीं पाये हैं।

इस के अलावा भारत और सारी दुनिया पर नई मुसीबतें छा रही हैं या मंडरा रही हैं। हमारी आबादी बढ़ती जाती है। जहां एक ओर क्षुधाग्रस्त उदरों और नग्न शरीरों की आमद होती जा रही है वहीं दूसरी ओर उन के लिये जरूरी भोजन, वस्त्र और घर द्वार बगैरह ज्यादा चीजों की पैदावार हमारे देश में उसी अनुपात से नहीं हो रही है। इस लिये हमारे लोगों को आज कल आर्थिक क्षेत्र में काफी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। आप लोगों की यह समझ लेना चाहिये कि इन बातों से नजात पाने और दिलाने का

काम आप का भी है । यह ख्याल करना कि आप कर ही क्या सकते हैं अपनी जवानी और अपनी तालीम की तोहीन करना है । आज बहुतेरे पढ़े बड़े सब में बे बसी का आलम छाया हुआ है । वे सब यह सोचते हैं कि जिन मुसीबतों में वे गिरफ्तार हैं उन से फौरन नजात दिलाने का काम सरकार का है । अगर सरकार इन मुसीबतों को जादूगर की तरह ज़रा सी घेर में दूर नहीं कर पाती तो अक्सर लोग यह सोचने लगते हैं कि सरकार के कर्णधार और कर्मचारियों की अगर बदनीयती या बददयानती का नहीं तो चन की अकर्मण्यता का यह फल है ।

इस बात को हम सब लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि राज या सरकार कोई ऐसी दैवी या आसुरी मशीन नहीं है जो देश के रहने वालों से बिल्कुल जुदा और अलग हो और अपनी निहित शक्ति से दूसरे लोगों पर हुकूमत करती हो । वह तो देश के शहरियों के मिल जुल कर काम करने का ही दूसरा नाम है और उस की ताकत और प्रेरणा उस की चेतना और उस की दशा सब वे ही होते हैं जो कि शहरियों की होती है । अगर शहरी मुस्त और पस्तहिम्मत होंगे तो सरकार भी वैसी ही होगी और वे चुस्त और चौकड़े होंगे तो सरकार भी वैसी ही होगी । इस लिये यह ख्याल कि जनता के चुप चाप और बे हरकत रहने पर भी सरकार जादूगर की तरह सारे कामों को पूरा कर देगी महज़ एक फिज़ूल और बेमानी ख्याल है । सच तो यह है कि हनुमान जी की तरह जनता अपनी ताकत को भूल जाती है कि देश में जो कुछ भी होता है वह उसी की शक्ति और उसी के सहारे से होता है । इसी सचाई को पहचान कर गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज को यहाँ से हटाने का तरीका राजसत्ता से असहयोग बताया था । मैं समझता हूँ कि जनता को अब तो यह अहसास कर लेना चाहिये कि वह, जब तक स्वयं सक्रिय न होगी जब तक स्वयं कमर कस कर अपनी मुश्किलों और मुसीबतों को जीतने के लिये तैयार न होगी तब तक राज्य भी काफ़ी तेज़ी और काम-याबी से इस बारे में कदम न उठा सकेगा । मेरा ख्याल है कि जनता को अपनी ताकत का एहसास कराने और सक्रिय बनाने में और साथ ही भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति करने में जवान लोग और खास तौर पर विश्वविद्यालयों में तालीम पाने वाले विद्यार्थी काफ़ी काम कर सकते हैं ।

आप जैसे विद्या प्राप्त युवक युवतियों को तो यह समझना चाहिये कि आप की तालीम महज़ आप की अपनी चीज़ नहीं है बल्कि आप के बच्चे और आप के मौजूदा हमवतनों की धाती है । यह बात तो ऐसी नहीं जिसके साबित करने के लिये बारीक दलीलों की ख़रत हो । विद्या ऐसी चीज़ नहीं जिसे किसी आदमी ने अपनी अक्ल या मेहनत या पैसे से बना लिया हो । उस के बनाने में तो लाखों लोगों का दिमाग और मेहनत हजारों वर्षों से लगती रही है । आज जो इल्म का खज़ाना है उस को एक एक मुद्दर इकट्ठा कर के जोड़ा गया है । इस लिये इस खज़ाने से आप को जो कुछ मिला है वह इसी लिये कि आप इस को अपनी ब्याज के साथ इस खज़ाने में फिर जमा कराएँ ताकि आप के बाद आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह आप के दिमाग और तजुर्बे का फ़ायदा

हो जिस तरह कि १५ को पिछली पीढ़ियों के दिमाग और तजुबों से हुआ है। साथ ही इस खजाने की हिफाजत और उस के लेन देन के लिये जो इन्तजाम यानी ये तालीम की संस्थाएँ और विश्व विद्यालय जो आज मौजूद हैं वे भी तो आप के सारे देशवासियों के सहारे चल रहे हैं। उन का ही पैसा उन में लगा है और उन के पैसे से ही इन का रोखाना का काम चलता है। यह ठीक है कि आप लोगों ने भी फीस वगैरह दी है मगर साथ ही इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि महज फ़ीस से ही न तो ये शिक्षासंस्थाएँ और विश्वविद्यालय चलाये जा सकते हैं और न अपना काम कर सकते हैं। इस लिये आप की तालीम आप के देशवासियों का आप पर कर्ज़ है जिसे आप को मय ब्याज के अदा करना है। स्वतन्त्र भारत में इस ऋण को चुकाने का रास्ता आप के लिये और सभी भारतवासियों के लिये उस की सेवा है।

मे समझता हूँ कि यह बात नहीं है कि हमारे पास शक्ति की कमी है। हम लोग तो तायदाद में इतने हैं कि अगर हम सब सामूहिक रूप से अपनी शक्ति को मिलावें तो हमारी शक्ति इतनी ज्यादा हो जायेगी कि जितने काम हमारे सामने हैं उन को ही हम न कर डालेंगे बल्कि उन से कहीं ज्यादा को कर डालेंगे। किन्तु आज कल हम में सामूहिक रूप से काम करने की भावना नहीं है और हम में से लगभग हरेक अपनी ही सोचता है। सामूहिक भावना अथवा सामूहिक श्रम का संगठन जबर्दस्ती भी किया जा सकता है। किन्तु हम इस प्रकार की जबर्दस्ती करना ठीक नहीं समझते। हमारा ख्याल है कि हम अपने देश में सामूहिक श्रम की ऐसी व्यवस्था बनायें जिस में लोग इस विचार और विश्वास से अपनी इच्छा से भाग ले कि ऐसा करने में उन की भलाई और बहबूदी है। जनता में अपने बल का और सामूहिक उद्योग के लाभ का अहसास पैदा करना ही सच्ची क्रान्ति है और उसी क्रान्ति को पैदा कर के हम हर व्यक्ति को और सारी जाति को न केवल समृद्ध बना सकते हैं बल्कि हरेक को अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार नवसंसार के निर्माण का मौका दे सकते हैं। लोग ऐसी क्रान्ति चाहते हैं कि दुनिया में कोई गरीब और बे बस न हो और मेरा ख्याल है कि सब जवान लोगों की समझना चाहिये कि ऐसी क्रान्ति में ही उनका अपना निजी हित भी है।

विचार कर के देखा जाये तो महात्मा जी किस प्रकार का नया समाज संगठित करना चाहते थे और जिस में सत्य और अहिंसा का ही मूल आधार देखना चाहते थे वह इसी प्रकार की भावना से और सामूहिक संगठन से बन सकता है। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो। उस की अपनी नैसर्गिक शक्तियों, कुदती ताकतों के विकास और तरक्की में किसी तरह की बाधा या रुकावट समाज की ओर से न डाली जाये, साथ ही उस में स्वयं यह समझ हो और यह एहसास हो कि उस की शक्ति किसी ऐसे काम में न लगे जिस से दूसरों की बुराई हो बल्कि अपनी शक्ति दूसरों की सेवा में लगाना वह अपना फर्ज समझ और उस की यह कर्तव्य निष्ठा बचपन से ही जाग्रत रहे। वे मानते थे कि आबमी

पर बाहरी नियंत्रण कम से कम हो, पर अपने ऊपर उस का ऐसा कठिन नियंत्रण हो कि वह कही बहक न सके। आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों की सेवा में बहुत कुर्बानी कर सकते हैं और अपने एशोआराम को छोड़ कर तरह तरह की मुसीबतें भी अपने ऊपर ले सकते हैं। देश प्रेम के कारण लड़ाइयों में जो लोग जूझ जाते हैं उनकी वही भावना होती है और दूसरे प्रकार से जो त्याग दिखलाते हैं उनमें भी वही भावना काम करती है, पर जो चीज इक्के दुक्के में देखने में आती है उसे किस तरह समाज में व्यापक बनाया जाये ? किस तरह कम से कम देश के बहुतेरे लोगों में फैलाया जाये ? यही प्रश्न हमारे सामने और सभी देशों के सामने जो अहिंसा के सिद्धान्त को मानेंगे होगा। यह अनुभव से देखा गया है कि त्याग की वृत्ति में खुद फँलने की शक्ति होती है। सामूहिक त्याग उतना कठिन नहीं होता जितना व्यक्तिगत त्याग। लड़ाई में मामूली सिपाही भी औरों को मरते देख मरने की हिम्मत अपने में पा लेता है। उसी तरह जिन्दा रह कर पर सेवा में अपने को लगा देने में जो त्याग होता है उस भावना को सामूहिक रूप से हमारे देश की जनता में जाग्रत करना जरूरी है। इसी भावना को जाग्रत कर के महात्मा गांधी जी ने देश के बच्चों से, स्त्रियों से, सीधे सादे निरीह किसानों से मिल कर त्याग करवाया और देश को स्वतन्त्रता दिलवाई। इसी लिये आज जरूरी है कि जब हम राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हें तब इस सच्ची व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के हासिल करने के लिये जो ऊपर कही गई क्रान्ति द्वारा ही याने जो एक नये प्रकार के समाज सगठन में ही मिल सकती है हम इस मजबूरी कुर्बानी या सामूहिक त्याग की भावना जाग्रत करें। यह समाज ऐसा होगा जिस में सभी स्वतन्त्र होंगे। कोई किसी को सतायेगा नहीं कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। किसी को भूख नहीं सतायेगी। न कोई कपड़े के बिना सर्दी में ठिठुरेगा अथवा धर बिना बरसात में भीगेगा न किसी को किसी की जबर्दस्ती गुलामी करनी होगी, और न कोई दूसरे पर दबाव डाल कर उस से काम ले सकेगा; जहां सब अपनी खुशी के काम करेंगे कोई भी बेकार रह कर मुपतखोरा नहीं होगा और न कोई अपने ऐश और आराम के सामान का अपने धन और शक्ति का ऐसा इस्तेमाल करेगा जिस से दूसरों को ठेस लगे। गवर्नमेंट के लोग सेवा भावना से काम करेंगे और कम से कम व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। लोगों को शिक्षा भी ऐसी मिलेगी जो उन को इस तरह की जिन्दगी के लिये तैयार करेगी। दूसरे देशों के साथ अथवा दूसरे समाज के लोगों के साथ कोई अनमना झगड़ा न होगा। हरेक देश और समाज जिस तरह कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और शक्तियों के अनुसार विकसित होता है अपने रास्ते पर चल कर अपनी तरह से तरक्की कर सकेगा। लड़ाई संसार से उठ जायेगी और शान्ति का साम्राज्य फैल जायेगा। जो बुद्धि, ज्ञान, शक्तियाँ, समय, और धन एक दूसरे के बरबाद करने में आज देश लगा रहे हैं वह इन्सान की तरक्की और उन्नति में वे लगाने लगेंगे। इस में केवल किसी एक आदमी या समाज या देश का ही हित और फ़ायदा देख कर कोई काम न होगा बल्कि सब का हित और फ़ायदा देख कर सब काम करेंगे।

देखने में ऐसा मालूम हो सकता है कि यह तसवीर एक मनगढ़ंत तसवीर है जो न कभी हुई है और न होगी क्योंकि मनुष्य का हृदय ही ऐसा बना है कि वह सिर्फ अपने ही हित

की बात सोच सकता है और सामूहिक हित की ओर उस का ध्यान जाता भी है तो अपने ही हित की दृष्टि से । जो हो इस से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संसार के सामने ऐसी हज़ारों मिसालें गुज़री हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि मनुष्य अपने क्षणिक अथवा व्यक्तिगत लाभ के ऊपर उठ सकता है और दूसरों के लिये, समाज के लिये अपने को कुर्बान कर सकता है और कोई देश ऐसा नहीं जहाँ इस तरह के बहुतेरे लोग न होते हों। गांधी जी का प्रयत्न यह था कि इस भावना को फैलाया जाये और इसे सर्वव्यापी बनाया जाये । इस के लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग इस में ओत प्रोत हो गये हैं वे दूसरों में इसे जाग्रत करें और अपने इर्द गिर्द ऐसी आब व हवा पैदा करें कि उस का असर औरों पर पड़े । इसी विचार से उन्होंने ने स्थान स्थान पर आश्रम खोल रखे थे जहाँ लोग अपनी जिन्दगी को इसी ढांचे में अपनी मर्जी और खुशी से ज़बरदस्ती से नहीं ढालते थे और इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ऐसे लोगों का असर दूसरों पर पड़ता है । हम चाहे उन के आश्रम के रोज़ाना रूटीन और कार्यक्रम को मानें या न माने और अपने विचार से कोई दूसरा ही कार्यक्रम बनालें पर जो कोई भी कार्यक्रम होगा उस में उस प्रकार की सेवा भावना और त्याग भावना, अपने ऊपर अपने नियंत्रण की भावना ज़रूरी होगी । क्या हमारे विद्यालय और यूनीवर्सिटी उस भावना के लिये कोई भी स्थान अपने कार्यक्रम में रखती है । अगर नहीं रखती तो उन के द्वारा शिक्षित लोग यदि बहुत कर के इस भावना से वंचित रहें तो इस में उन का दोष ही क्या है यदि कुछ लोगों में यह भावना आ जाती है तो यह उस शिक्षा प्रणाली का फल नहीं है उन की अपनी ईश्वर की दी हुई शक्ति है जो बावजूद उस प्रणाली के विकसित हो पाई है । हमें यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि किसी छोटे मोटे काम के लिये हम को कितने अभ्यास की ज़रूरत होती है, चाहे वह वृद्धि के विकास के लिये हो, शरीर के सुन्दर गठन के लिये हो, अथवा पैसे कमाने के लिये । पढ़ने में हमारी जिन्दगी के कितने ही साल लगते हैं । जो अच्छा खिलाड़ी होना चाहता है उस को भी उस में बहुत समय लगाना होता है । जो पैसे कमाना चाहता है उस के लिये बहुत तैयारी चाहिये और बहुत मेहनत । पर कोई यह नहीं सोचता कि समाज सेवा की भावना किस तरह पैदा की जाये और उस के लिये भी अभ्यास आवश्यक है । महात्मा गांधी जी की यह एक बड़ी सीख और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ने जो कार्यक्रम बनाया उस में इस भावना को जाग्रत करने के लिये अभ्यास भी शामिल किया । हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यालयों में इस प्रकार के विषय सिखायें और पढ़ाये जायें जिन में इस तरफ रूझान और झुकाव हो । मगर यह सिर्फ पढ़ने और सीखने की बात नहीं है । यह करने की बात है और उस के लिये मौका होना चाहिये जहाँ इस का रोज़ाना की जिन्दगी में अभ्यास और मशक हो सके । महात्मा जी की बुनियादी तालीम की सारी योजना ऐसी बनी है कि इस किस्म के नये समाज के संगठन में उस से मदद मिल सके । यह ज़रूरी है कि सभी सरकारें और शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली संस्थायें और शिक्षितवर्ग उस के महत्व को समझें और उस को अपने शिक्षाक्रम में दाखिल करें ।

मुझे अफ़सोस तो यह है कि जितना इस पर ध्यान देना चाहिये नहीं दिया गया है । महात्मा गांधी जी के साथ बहुतेरे लोगों ने काम किया है और आज सारे देश को उस

शान्दोलन का लाभ मिल रहा है जिस से देश ने स्वराज्य हासिल किया। पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम उन के सिद्धान्तों और कार्यक्रम को पूरी तरह न तो शायद समझ रहे हैं और न अमल में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमल की बात तो छोड़ दीजिये मई पीढ़ी को उन सिद्धान्तों का परिचय भी शायद ही दिलाया जा रहा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के विद्यालयों और पाठ्यक्रमों में उन सिद्धान्तों के पढ़ाने का कहां और क्या प्रबन्ध किया गया है। मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने एक ऐसी पाठ्य पुस्तक नहीं लिखी जो विद्यालयों के पाठ्य क्रम में रख दी जाये पर मैं यह भी जानता हूँ कि उन्होंने जितना लिखा है उस में से चुन चुन कर के ऐसी पाठ्य पुस्तकें बनाई जा सकती हैं जिन में उन के ही शब्दों में उन की सारी शिक्षा बच्चों के बर्ग से ले कर ऊँचे से ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों तक के लिये दज्ज हो। उन के लेख भाषण इतने हुए हैं जो हज़ारों पृष्ठों में छपेंगे और कोई विद्यालयसनी समय लगावे तो काफ़ी मसाला मौजूद है जिसे विषय के अनुसार चुन चुन कर के इकट्ठा कर देने से एक एक विषय के ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं। इस तरह का काम हुआ भी है और कितनी ही ज़िल्दें अलग अलग विषय ले कर छप भी चुकी हैं। इस लिये पाठ्य पुस्तकों का बनाना अब उतना कठिन नहीं है और आसानी से सभी वर्गों के योग्य पुस्तकें उन के ही शब्दों में बनायी जा सकती हैं। अगर इस तरह के विषय पाठ्यक्रम में रख दिये जायें तो दूसरे लोग भी इस तरह की पुस्तकें जल्द तैयार कर देंगे। पर आज तो शायद किसी भी यूनीवर्सिटी में गांधी तत्व के पढ़ने का कोई प्रबन्ध नहीं है। सभी यूनीवर्सिटियों में अनेक विषयों के पढ़ाने के लिये चेयर हैं पर मुझे मालूम नहीं कि किसी यूनीवर्सिटी में गांधी तत्व के लिये एक भी चेयर मुकर्रर किया हो। मैं यह नहीं मानता कि केवल गांधी जी के सिद्धान्तों को दिमाग में भर देना काफी होगा। यह तो खास कर के अमल करने की चीज़ है मगर बौद्धिक ज्ञान भी आवश्यक है और अगर पूरी तरह अमल करना कठिन नहीं मालूम होता है तो कम से कम बौद्धिक ज्ञान दिलाने का प्रबन्ध तो हमारे शिक्षा-क्रम में हो ही सकता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे शिक्षाक्रम में कान्ट और हैगल की फिलासफी मार्क्स का समाजवाद और आधुनिक पश्चिम के लेखकों के ग्रन्थ पाठ्यक्रम में रखे जायें पर गांधी जी का क्रान्तिकारी सिद्धान्त हमारे विद्यालयों और यूनीवर्सिटियों में न पढ़ाया जाये। इस से यह साबित होता है कि हम अभी पुरानी लकीर के फकीर हैं और राजनैतिक स्वतन्त्रता पा कर भी दिमागी स्वतन्त्रता अभी नहीं पा सके और हमारा शिक्षा क्रम उसी ढाँचे पर चल रहा है जिस पर वह आज तक चलता आया है। इस शिक्षाक्रम में क्रान्ति की आवश्यकता है। और बुनियादी तालीम और उसी की बुनियाद पर बनी हुई सारी तालीम होनी चाहिये। यह क्रान्ति, यह तालीमी क्रान्ति, जब तक नहीं होती तब तक गांधी जी जिस तरह की सामाजिक क्रान्ति चाहते थे वह नहीं हो सकेगी क्यों कि वह केवल बौद्धिक ज्ञान का ही विषय नहीं अमल करने की चीज़ है और बुनियादी तालीम के क्रम में बुद्धि विकास के साथ अमल करना और अमल के साथ बुद्धि विकास होना दोनों कदम मिला कर साथ साथ चलते हैं। क्या आप जो यहां से विद्या प्राप्त कर के जा रहे हो इस ओर ध्यान दोगे? मेरी यही कामना है कि आप भारत की सच्ची सन्तान बनो और अपने जीवन को सफल करो।

## अम्बाले में नागरिक अभिनन्दन

तारीख ६-१-५१ को अम्बाला कैन्टोनमेंट म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम गवर्नर साहब, लोकल बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरान, बहनो और भाइयो,

इस बात की आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहां आ सका और आप सभी बहनो और भाइयो से मिल सका। आप ने जो मानपत्र दिया है उस में आप ने ठीक ही कहा है कि आप का यह स्थान एक ऐसा स्थान है जिस का बहुत पुराना और गौरवपूर्ण इतिहास है और आप एक ऐसी जगह में रहते हैं जिस को आज ही नहीं चिर काल से लड़ाइयां करनी पड़ी है; और सारे हिन्दुस्तान की हिफाजत का भार एक तरह से यहां के लोगों पर ही रहा है और आज भी यहां के लोगों पर बहुत कुछ है। सारे हिन्दुस्तान के सामने यह प्रश्न है कि किस तरह से वह आप से यह काम कराये और किस तरह से वह आप को इस काम में मदद दे। हिन्दुस्तान की रक्षा का जो आप का ऐतिहासिक कार्य है उस को आप निभाते चले आते हैं, अभी भी निभा रहे हैं और उम्मीद है कि आइन्दा भी आप निभायेंगे।

आप ने अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। यह ठीक है कि पुराणों में और पुराने ग्रन्थों में यहां नदियों का वर्णन है। पर आज आप को पानी की तकलीफ है। उस के लिये आप प्रबन्ध कर रहे हैं यह जान कर मुझे खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हू कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर जो नदी बांधने की योजना चल रही है उस से इस जिले को भी लाभ पहुंचेगा और पानी का नहीं तो कम से कम बिजली का लाभ तो जरूर पहुंचेगा जिसकी वजह से पानी निकालना आसान हो सकता है। आज कल जिस तरह से दुनिया ने विज्ञान में प्रगति की है उस को देखते हुए मैं कह सकता हू कि ऐसी कोई जगह नहीं है जिस को अगर मनुष्य चाहे तो हरा भरा नहीं कर सकता हो और पानी की तकलीफ भी मनुष्य दूर कर सकता है यदि उस में बुद्धि हो, कौशल हो, और इस के लिये उस के पास साधन हों। मैं उम्मीद करता हू कि अब जब हम स्वतन्त्र हो गये हैं इस तरह की कठिनाई को दूर कर सकेंगे। यह सही है कि बहुत प्रश्न एक साथ ही हमारे सामने आ गये हैं और उन को हल करने में कठिनाई हो जाती है और इस लिये कभी कभी हम घबड़ाते भी हैं और कभी कभी लोग यह भी कहने लग जाते हैं कि हम में कुछ करने की योग्यता नहीं। पर बात ऐसी नहीं है। अभी हमें स्वतन्त्र हुए सिर्फ तीन साल हुए हैं। इन तीन वर्षों के अन्दर भी बड़ी बड़ी मुसीबतें हिन्दुस्तान में आईं जिन का सब से बड़ा हिस्सा आप को ही बर्दाश्त करना पड़ा। इतनी मुसीबतों के बाद भी हम जिन्दा रह गये, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और अपने पैरों पर चल सकते हैं इस के लिये मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हू कि उस ने इतनी योग्यता हम में दी है कि हम उन मुसीबतों का मुकाबला कर सके। आइन्दा के लिये भी हम को हिम्मत रखनी चाहिये, साहस रखना चाहिये जिस से कि जो कुछ मुसीबत बाकी हो उस को दूर

कर सकें। केवल उन मुसीबतों को केवल दूर ही नहीं कर सकें बल्कि जो कर के हम दुनिया को दिखाना चाहते थे, जिस तरह के स्वप्न हम देखते थे उस को भी पूरा कर सकें और हिन्दुस्तान को एक हरा भरा सुख सम्पन्न और समृद्ध देश बना सकें। जिस तरह महात्मा गांधी भारतवर्ष का चित्र अपने सामने रखते थे वही चित्र हमारे सामने है और इस के लिये हम सब को काम करना है। अभी हम बहुत कुछ नहीं कर पाये हैं पर इस से घबड़ाना नहीं चाहिये। अगर हम हिम्मत के साथ परिश्रम के साथ, काम करें तो सब कुछ पूरा हो सकता है। आज सत्रे इमी जगह पर जब यूनीवर्सिटी का कन्वोकेशन हुआ था तो मैंने कहा था कि हम ऐसा समझते हैं कि हम को अब कुछ करना नहीं है, अब अपनी गवर्नमेन्ट हो गयी है और सब कुछ अब हमारे लिये गवर्नमेन्ट को करना है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेन्ट भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन उस की शक्ति तो उन लोगों की शक्ति है जिन की वह गवर्नमेन्ट है। अगर हम लोगों में शक्ति नहीं है तो गवर्नमेन्ट में भी शक्ति नहीं होगी और खास कर के ऐसी गवर्नमेन्ट में जो समझी जाती है कि वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सब की चुन्ती हुई गवर्नमेन्ट है। अगर जनता कमजोर है, जनता बुरी है तो उसकी गवर्नमेन्ट भी वैसी ही होगी। लोगों में जो खूबी होगी वह गवर्नमेन्ट में भी आयेगी। इस लिये सब को मिल जुल कर जो तकलीफ हो उस को दूर करना चाहिये। और सब मिल कर काम करेंगे तो इस में सन्देह नहीं कि हम उसे दूर कर सकेंगे।

आज कल लोगों के दिलों में बहुत तरह के विचार उठते हैं। कुछ लोग जल्द काम करना चाहते हैं, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहते हैं, मगर जल्दी जल्दी चलने के लिये कहने ही में तो काम नहीं हो जाता। कहने में तो ज्यादा चलना जरूरी है। इस लिये जो काम हो उस को हाथ में लेकर हिम्मत के साथ करना चाहिये। काम की कमी हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं है। किमी भी स्वतन्त्र देश में जब बड़े बड़े मामले आते हैं तो काम की कमी नहीं होती बल्कि काम करने वाले आदमियों की कमी होती है। हिन्दुस्तान में अभी ३५-३६ करोड़ आदमी रहते हैं पर तो भी हम आदमियों की कमी महसूस करते हैं, ऐसे आदमियों की जो अपना सारा समय दे कर त्याग की भावना से काम करें। जब तक ऐसे आदमी काफ़ी तादाद में नहीं आयेगे तब तक देश का काम नहीं बढ़ेगा।

हम को ऐसा नहीं समझना चाहिये कि अब स्वराज मिल गया है अब हम को कुछ करना नहीं है; अब तो आराम से बैठे रहना है। यह बात नहीं है। स्वराज की वजह से हम पर बहुत जवाबदेही आ गई है। मैं यह तो मानता हूँ कि जितने त्याग और परिश्रम की जरूरत स्वराज हासिल करने में थी उस से ज्यादा जरूरत देश को बनाने में है। यह देश किमी एक का नहीं है, यह किसी एक जाति या कौम का नहीं है। यह किमी एक विचार वाले दल या पार्टी का नहीं है। यह तो सब लोगों का है और सब को इसे कुछ न कुछ देना है। जो इसे जितना देंगे उन को उम में रचना ही मिलेगी। सिर्फ मांगते ही रहने से और इसे कुछ न देने से कुछ



नहीं मिलेगा। हमारा काम पहले देना है। फल तो हम को ईश्वर देने वाला है। आखिर ईश्वर खुद आकर थोड़े ही काम करता है वह तो आदमी की मारफ़्त ही काम कराता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। मगर अपनी तरफ़ से हम लोगों को काम करते रहना चाहिये।

मं आशा करता हूँ कि जिस तरह आप ने बयान किया है कि आप ने शिक्षा के प्रबन्ध में, बीमारी को रोकने में काफी तरक्की की है उसे जारी रखेंगे। ये सब जरूरी काम हैं और हमारी जितनी लोकल सेल्फ़ गवर्नमेन्ट की संस्थाएँ हैं उन का यह काम है कि इन चीजों में मदद करे और उन में काम करने वाले लोग जिन लोगों के मातहत वे काम करते हैं उन की सेवा कर के तजुर्वा हासिल कर बड़ी जगहों में बड़े काम के लिये तैयार हों। आज इस का मौका है। इंग्लैंड में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने पहले किसी न किसी म्युनिसिपैलिटी या इस तरह की दूसरी संस्थाओं में काम किया है और वहाँ अच्छी तरह से काम कर के वहाँ से तजुर्वा ले कर फिर आगे बड़े बड़े काम किये हैं। आज इस तरह की जितनी कमेटीयाँ हैं, चाहे विलेज कमेटी हो, म्युनिसिपैलिटी हो या लोकल बोर्ड हो, इन में इस बात का मौका है। इस तरह की चीजें जब अंग्रेजों ने कायम की तो इसी मसले को सामने रख कर कायम की थी। उन्होंने सोचा था कि इंग्लैंड में जिस तरह में लोग म्युनिसिपैलिटियों में या इस तरह की अन्य संस्थाओं में काम कर के तजुर्वा हासिल कर के बड़े बड़े काम करते हैं उसी तरह से यहाँ भी लोग इन संस्थाओं में काम करके तजुर्वा हासिल करेंगे। यह मौका आज आप को मिला हुआ है। इस में जो कुछ बाधा थी वह दूर हो गई है। अब सब काम अपने हाथ में आ गया है। अगर इस तरह से लोग काम करेंगे तो रुकावट के बट्टे में उन्हें अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मौके में आप लाभ उठावेंगे।

आप ने मेरा आदर किया मुझे मानपत्र दिया इस के लिये मैं बहुत बहुत बन्धुवाद देता हूँ।

### रामजस कालेज का शिलान्यास

श्री १७ जनवरी १९५१ को रामजस कालेज का शिलान्यास करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

वाइस चान्सेलर साहब, प्रिन्सिपल साहब, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी ख़ुशी है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि मैं रामजस कालेज की नई इमारत की नींव रख सकूँ। जब मुझ से इस के लिये कहा गया मैंने उसी वक़्त यह मोच लिया कि यह एक ऐसा मौका है जिस को मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि जैसा आप के सामने बयान किया गया है इस कालेज के कायम करने वाले लाला केदार नाथ साहब ने

अपनी सारी जिन्दगी की कमाई और पेंशन के पाने की बाढ़ की अपनी सारी जिन्दगी इस कालेज की और इस के साथ की दूसरी संस्थाओं की खिदमत में लगाई। इतना ही नहीं बल्कि जो कुछ उन्हें पेंशन मिली उस का भी पैसा इस काम में लगाया और खुद किसी दोस्त की मेहरबानी से अपना गुजारा किया और उन बच्चों के साथ जिन की आलीम के लिये उन्होंने सब इन्तज़ाम किये अपने दिन बिताये। आप ने यह कहा कि आज इस संस्था की नींव अच्छी पड़ रही है। मैं कहता हूँ कि उस की नींव तो उसी दिन ठीक पड़ी जिस दिन लाला केदारनाथ ने इतने त्याग के साथ और श्रद्धा से, सच्चे दिल से विश्वासपूर्वक इस काम को शुरू किया था। कोई काम जो श्रद्धा से, सच्चे दिल से विश्वासपूर्वक शुरू किया जाता है वह बहुत फूलता फलता है। उस का नमूना आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटी सी संस्था एक छोटे से स्कूल के रूप में कायम हो कर इतने बड़े कालेज और उस के साथ साथ कई लड़कों और लड़कियों के स्कूल और दूसरी कई चीजें अपने साथ ले कर इतनी बड़ी हो गई है और मैं समझता हूँ कि यूनीवर्सिटी में आ कर इस की तरक्की का रास्ता और भी खुल रहा है और मुझे विश्वास है कि यह आगे और तरक्की करेगी। लाला केदारनाथ ने अपने पूज्य पिता के सामने वादा किया था कि एक बच्चे के बदले में इन संस्थाओं द्वारा वह अनगिनत बच्चे पैदा कर देंगे उस को सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होने पूरा करने का प्रयत्न किया और उसी का यह फल है कि आज हम सब इकट्ठे हो कर इस नये भवन की नींव डालने में शरीक हो रहे हैं।

मैं मानता हूँ कि अपने देश में शिक्षापद्धति में कई तरह के मुधारों की जरूरत है और उन में एक चीज जो आज ध्यान में देने लायक है वह यह है कि हमारे लोगों की जिन्दगी ऐसी हो कि वे सब लोगों के साथ मिल जुल कर रहे और ऐसी नहीं हो कि जो कालेज और यूनीवर्सिटी में पढ़ कर निकले, अपने सब भाई बहनों से बिल्कुल अलग और जुदा रहें और उन से उन का कोई सम्बन्ध और ताल्लुक न रहे और जो एक दूसरे को पहचान नहीं सके, एक दूसरे की बात समझ नहीं सके। पर आज कल तो इस के विपरीत होता है; लाला केदारनाथ ने इसे समझ लिया था और इस लिये बच्चों के साथ रह कर इतने दिन उन के साथ बिताये, उन के साथ खेल में शरीक हुए, उन के साथ खाने में शरीक हुए और उन को अपनी जिन्दगी की सादगी दिखलायी और उनके सामने नमूना पेश किया। मैं आशा करता हूँ कि यह बड़ी संस्था जिस की नींव और कालिजों के मुकाबले में यूनीवर्सिटी में डाली गई है वह और कालेजों के मुकाबले में अच्छा काम करेगी। जैसा आप से कहा गया है पढ़ने में भी इस कालेज के लड़कों ने नाम हासिल किया है और खेल कूद में भी नाम हासिल किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस के साथ साथ इस की जो खासियत है कि किस तरह से अच्छे लोग सच्चे लोग सादगी की जिन्दगी बिता सकते हैं और साथ साथ बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा दिमाग रख सकते हैं इस को कायम रखेगी। आज इस की जरूरत हिन्दुस्तान को और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के कालेज में इस तरह के बच्चे निकलेंगे जो देश के और यूनीवर्सिटियों के सामने इस नमन को रख सकें।

मैं आशा करता हूँ कि जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ लाला केदारनाथ ने इस काम को शुरू किया और जिस आशा और विश्वास के साथ आपने इस काम को अपने हाथ में लिया है वह पूरा होगा और आप को कभी ऐसा समय नहीं आयेगा कि इस बात की चिन्ता हो। कि रुपये की कमी से कहीं इस का काम न रुक जाये। बहुत लोग इस मिसाल को देख कर और जो कुछ आप कर रहे हैं उस चीज को समझ बूझ कर आप की सहायता करेगें ऐसी मेरी आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप का काम दिन व दिन बढ़ेगा और फले फलेगा।

### राष्ट्र को संदेश

तारीख २५ जनवरी १९५१ को राष्ट्र के माते आठ बजे अखिल भारतीय रेडियो के दिल्ली केन्द्र में राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति ने भाषण प्रसारित करते हुए कहा—

ठीक एक वरस पूरा हुआ कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बन गया। जो मविधान विधान परिषद ने बनाया था वह काम में आने लगा। इस साल में हम क्या कर पाये हैं और किस विषय में असफल रहे हैं यह जान लेना अच्छा होगा।

इस वर्ष का शुरू का समय साम्प्रदायिक झगड़ों में कलुषित हो गया और पूर्वी बंगाल में बहुत बुरी घटनायें हुईं जिन के कारण बहूतेरे हिन्दू पूर्व में पश्चिम बंगाल चले आये। उस के बाद उसी तरह की घटनायें पश्चिम बंगाल में भी हुईं और बहूतेरे मुसलमान पश्चिम से पूर्वी बंगाल गये। भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच एक समझौता हुआ जिस के फलस्वरूप स्थिति आहिस्ता आहिस्ता बदली है और बहूतेरे लोग जो घर बाग छोड़ कर चले गये थे अपने अपने घरों को वापस गये हैं। आशा की जाती है कि लोगों में ऐसा विश्वास पैदा किया जायेगा जिस में कि इस तरह की घटनायें भविष्य में असम्भव हो जाये। अल्प-संख्यक लोगों को यह आश्वासन होना चाहिये कि वे सुरक्षित और प्रतिष्ठासहित जिन्दगी बिता सकेंगे; और उन को भी विकास और तरक्की के साधन और मौके दिये जायेंगे जिस में वे जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के सन्तुष्ट और वफ़ादार नागरिक हो कर रह सकें।

इस साम्प्रदायिक समझौते के साथ साथ पाकिस्तान से एक व्यापारिक समझौता भी किया गया जिस से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार कुछ हद तक चलने लगा। यह अफमोस की बात है कि सिबके की दर के सम्बन्ध में कोई समझौता न होने के कारण अभी तक व्यापार इस तरह से नहीं चला जिस में दोनों को लाभ पहुँचे और आज प्रत्येक को दूर देशों की तरफ़ उन वस्तुओं के लिये जिन की उन को जरूरत है ताकना पड़ता है और उन वस्तुओं के बेचने के लिये जो उन के पास आवश्यकता से अधिक हैं जाना पड़ता है जब कि यह दोनों काम दोनों ही निकट में निकट स्थान में कर सकते हैं।

कुछ और आवश्यक बातों पर भी पाकिस्तान के साथ झगड़े चल ही रहे हैं। सयुक्त राष्ट्र सच को सुरक्षा समिति ने सर ओवन डक्सन को काश्मीर के मामले में बीच बचाव कर के समझौता करा देने के लिये मुकर्र किया था। उन्होंने १९ महीने इस देश में बिताये पर दुर्भाग्यवश उन के प्रयत्न असफल रहे। हाल में लन्दन में जो बातें हुई उन का भी कोई बेहतर नतीजा नहीं निकला। हम लोग इस के लिये हमेशा तैयार रहे हैं कि इस बात का फैसला काश्मीर के लोग ही करें, कि वे क्या चाहते हैं पर जब तक वह फैसला नहीं कर लेते हम से ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिये और न हम उस के लिये तैयार हैं कि हम काश्मीर सम्बन्धी अपने कानूनी अधिकार को छोड़ दें अथवा अपने नैतिक कर्तव्य से मुख मोड़ लें।

निर्वासित लोगों की सम्पत्ति का प्रश्न हमारे लिये बहुत ही महत्व रखता है पर इस का निपटारा अभी तक हम नहीं करा पाये हैं और उस का नतीजा यह हुआ है कि हमारे लिये यह असम्भव हो गया है कि लाखों निर्वासितों को बसाने का काम हम शीघ्रता से पूरा कर सकें।

पाकिस्तान के साथ झगड़ों को छोड़ कर दूसरी एशियाई गवर्नमेंटों के साथ हमारे सम्बन्ध हार्दिक मैत्री के रहे हैं और इसी तरह युद्ध के देशों के साथ भी। हमारा विश्वास है कि सशस्त्र लड़ाई और युद्ध किसी मसले को हल नहीं कर सकते बल्कि नये मसले पैदा कर देते हैं। आज घातक शस्त्रों के आविष्कार में जितनी प्रगति हुई है उस से मालूम होता है कि युद्ध का अर्थ ही है बहुत बड़े और अभूतपूर्व पैमाने पर बर्बादी का होना और इस से आधुनिक सभ्यता के ही नष्ट हो जाने का डर है। इसी विश्वास के साथ हमारे प्रधान मन्त्री ने अपने महान् व्यक्तित्व की सारी शक्ति और इस देश की शुभकामना लड़ाई के क्षेत्र को न बढ़ने देने में लगा दी है। पिछले सार्वभौम युद्ध के धाव अभी उन देशों में भी भरे नहीं हैं जिन को विजयी समझा जाता है; जो हार गये उन का तो कहना ही क्या है। हम यह आशा और प्रार्थना करते हैं कि मानव समाज ऐसी महान् विपत्ति से बच जाये। जो देश जितना बड़ा और अधिक शक्तिशाली है उस की उतनी ही बड़ी जवाबदेही होती है कि वह इस विपत्ति को टाले।

यद्यपि हम गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापित कर चुके हैं, हम ने कामन्वेल्थ के साथ रहने का भी फैसला किया है और ग्रेट ब्रिटेन तथा कामन्वेल्थ के दूसरे देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे हैं। सब एक दूसरे की स्वतन्त्रता को स्वीकार करते हैं और अपनी हानि लाभ तथा कर्तव्य को समझते हैं और उन सब को मानते और करते हुए इस भाव को बनाये रखते हैं। हम को इस बात का अफसोस है कि दक्खिन अफ्रीका में ऐसे लोगों के लिये जो आदि के भारतीय हैं पर दक्खिन अफ्रीका भेजे गये हैं और बस गये हैं हम अभी तक ऐसा स्थान दिलाने में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं जैसा कि देश के नागरिक को स्वाभिमान और सुसंस्कृत जीवन की ज़रूरतों के लिये आवश्यक है।

देश के सम्बन्ध में हम इस का दावा कर सकते हैं कि जो कुछ हम से हो सकता था वह हमन उन लोगों के बसाने में किया है जो घर बार और धन सम्पत्ति छोड़ कर पाकिस्तान से भारत चले आने के लिये मजबूर हुए थे। नवम्बर १९५० के अन्त में तीन लाख से अधिक लोग छावनियों में सहायता पा रहे हैं। आठ लाख से अधिक परिवारों को जो पाकिस्तान से निर्वासित हो कर आये हैं खेती के लिये ज़मीन दी गई है। इक्कीस लाख से अधिक निर्वासितों के लिये मकान जुटाये गये हैं चाहे वे दूसरे निर्वासितों के मकान हों अथवा गवर्नमेन्ट की छावनियों तथा दूसरे प्रकार के घर हों अथवा नये बने मकानों में हों। एक लाख चालीस हजार से अधिक लोगों को छोटी छोटी रकमें कर्ज़ के रूप में दी गई है जिस का जोड़ ९ करोड़ रुपये से अधिक होता है। प्रायः पाच हजार निर्वासितों, कारखानेदार और व्यापारियों को बड़ी रकमों का कर्ज़ा दिया गया है जिस का जोड़ लगभग पांच करोड़ है। डेढ़ लाख से अधिक आदमियों को काम दिलाने वाले दफ़्तर के मार्फ़त धन्ये दिलवाये गये हैं। १९४७-५० तक अनुमानतः साढ़े ९८ करोड़ रुपये निर्वासितों पर खर्च किये गये हैं। निर्वासित लोगों ने बहुत मुसीबतें धैर्य और इज्जत के साथ बर्दाश्त की हैं और वे इस प्रयत्न में हैं कि फिर अपने पैरों पर खड़े हो कर जीवन निर्वाह का नया रास्ता ढूँढ निकालें। हमारे इतना करने के बाद भी निर्वासितों को बसाने का काम अभी बहुत कर के पूरा नहीं हो पाया है। पर इसकी विशालता पर जब हम ध्यान देते हैं और यह देखते हैं कि इस वर्ष के आरम्भ में यह और भी बढ़ गया है तो पता चलता है कि इसके हल हो जाने की कोई आशा भी नहीं की जा सकती थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस काम में बहुत मुस्तैद हैं। और जो कुछ सम्भव है उसे करने के लिये उत्सुक हैं और अब तक जो अनुभव मिला है उस से लाभ उठा कर अब काम अच्छी तरह से और ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है।

हमारे मन्त्रियों का ध्यान देश की आर्थिक और साम्प्रतिक स्थिति की ओर बराबर लगा हुआ है। यह खेद की बात है कि आर्थिक संकट के कारण हम रचनात्मक कार्यों को जितने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है जिन से बाढ़ के रोकने, खेत पटाने के लिये पानी पहुंचाने की ओर बड़े पैमाने पर विद्युत पैदा करने की, जिस से औद्योगिक उन्नति हो सकेगी, आशा की जाती है। हमें इस बात का अफ़सोस है कि ऐसी दूसरी योजनाएँ हम हाथ में नहीं ले सकते और जो हाथ में हैं उन पर जितना खर्च हम करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। दूसरी दिशाओं में भी अधिक प्रगति हुई होती, यदि पूंजी मिल सकती और रुपया बाज़ार इतना तंग न होता जितना रहा है। उत्पत्ति का काम हमारी ज़रूरतों के मुकाबले में पूरा नहीं हुआ है। यह हालत विशेष कर के खुराक के सम्बन्ध में रही है और वह ऐसे कारणों से जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक पर एक प्राकृतिक विपत्तियाँ आई हैं जिन से फ़सल बहुत बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। हमारे सामने कठिन और चिन्ताजनक समय आ रहा है जिस में हमारे लोगों की जितनी भी दूरदर्शिता, त्याग और कार्यकुशलता है वह उन्हें उस का सामना करने

में लगानी पड़ेगी। हम इस प्रयत्न में हैं कि विदेशों से इतना खाद्य पदार्थ ले आवें जितना आज तक हम कभी नहीं लाये हैं पर खाद्यपदार्थों की आयात और उन का समुचित वितरण इस समस्या को हल नहीं कर सकेगा, यद्यपि दोनों आवश्यकिय है। इस संकट से पार होने में जनता की कार्यकुशलता दृढ़ निश्चय और धैर्य हमें सफल बना सकेगे। वर्ष के आरम्भ में आयात निर्यात का हिसाब ऐसा था कि हम बहुत घाटे में थे और जब हम ने निश्चय कर लिया कि हम निर्यात को बढा कर और आयात को कम कर के स्थिति ठीक कर दगे तो हम ने सफलतापूर्वक इस को कर लिया। ईश्वर चाहेगा तो खाद्य समस्या को भी हम इसी तरह हल कर लेंगे।

हमारा संविधान काम में लाया जा रहा है पर अभी भी हम अन्तर्वृत्ती परिवर्तन काल में से गुजर रहे हैं और संविधान में इस के लिये जो भी नियम दिये हुए हैं उन्हीं के द्वारा कामकाज चल रहा है। जब तक कि संविधान के अनुसार सर्वत्र चुनाव नहीं हो जायेंगे तब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। चुनाव के लिये तैयारियां हो रही हैं पर वे पूरी नहीं हो सकी हैं क्योंकि यह कार्य ही इतना बड़ा है जिस में १७ करोड़ से अधिक मतदाता पंतीस मी से अधिक स्थानों के लिये मत देगे। आशा की जाती है कि यह चुनाव अगले नवम्बर दिसम्बर में हो सकेंगे।

जो पहले देशी रजवाडे थे उन को मिला लेना और प्रान्तों की तरह बना देने का काम सफलतापूर्वक किया गया है और संविधान में उन रजवाडों को वैसा ही प्रतिष्ठित स्थान और कार्य क्षेत्र मिला है जैसी कि देश की किसी दूसरी र्काइयों को। इस काम का तथा देश में शान्ति स्थापित रखने के काम का भारी बोझ सरदार वल्लभभाई पटेल के कन्धों पर था जिन का निधन हमारे इतिहास के इस संकटमय समय में हमें मूर्छित करने वाली चोट के समान लगा है; और एक ऐसा स्थान खाली हो गया है जिस को भरा नहीं जा सकता। उन की दूरदर्शिता, उन की सत्र को राजी करने और सगठन करने की अद्भुत शक्ति, स्थिति को ठीक समझने की योग्यता और दृढ़तापूर्वक सकल्प पूरे करने की शक्ति ने इस देश के इतने बड़े भू भाग को एक संघीय विधान और एक केन्द्रीय शासन की छत्र छाया के नीचे ला दिया है जैसा इस के लम्बे और शुभ अशुभ घटनापूर्ण इतिहास में कभी नहीं हुआ है।

एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो कर हम ने अभी काम आरम्भ ही किया है। हमारे सामने देश के अन्दर ही बड़ी कठिनाइयां हैं और बाह्य क्षितिज में काले बादल मडरा रहे हैं। हमें कमर कस कर उन का मुकाबला करना है। जो पुष्पार्थ करता है उसे ही ईश्वर की मदद भी मिलती है। हमें आगे को ईश्वर की मदद का अधिकारी साबित करें।

### महाराजा उन्नयल की मूर्ति का अनावरण

महाराजा उन्नयल की मूर्ति का अनावरण करते समय तारीख २८ जनवरी सन् १९५१ को राष्ट्रपति ने कहा :—

अभी दो ही दिन बीते हैं कि भारत में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना का पहला वार्षिक महात्सव मनाया गया है और यह पहला ही अवसर है

जब मैं प्रमुख सेवक, जिसे संविधान की भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं, चुने जाने के बाद भारत के ऐसे भू-भाग में आया हूँ जहाँ पहिले ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में रहते हुए भारतीय राजा राज्य करते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह स्थिति केवल उसी भाग में नहीं जहाँ ब्रिटिश शासन चलता था बल्कि उन भागों में भी जहाँ स्वदेशीय राजा राज्य करते थे बहुत बदल गई। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने यह निश्चय कर लिया कि वह भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में अपना सम्पूर्ण अधिकार सौंप कर अपनी सारी सत्ता और उभ की प्रतीक अपनी सारी सेना को हटा लेगा और ऐसा कार्य रूपेण कर भी दिया तब स्वदेशीय राजा और शासक वही काम किये बिना अर्थात् प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथों में शासन का अधिकार दे कर प्रजातन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था किये बिना रह ही कैसे सकते थे। एक तो प्रजा में जाग्रति थी जो यह अधिकार चाहती थी दूसरे राजाओं में भी वह स्वाभिमान और देश प्रेम था जो इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि जो कुछ विदेशी सत्ताधारी यहाँ की प्रजा के प्रति कर सकते हैं वह स्वदेशी सत्ताधिकारी न करे। यही कारण है कि इतनी शीघ्रता से और शान्तिपूर्वक यह मौलिक परिवर्तन यहाँ की शासन पद्धति में हो सका। इस परिवर्तन के लिये यहाँ के सत्ताधिकारियों को प्रस्तुत कर देने का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई को है और उस अहिंसापूर्ण नीति को है जिसे महात्मा गांधीजी ने प्रचारित किया था। इस का यह फल तो हम को साक्षात् देखने को मिला कि इस नीति पर चलने वाले दोनों ही—जिन को लाभ हुआ और वे भी जिन को साधारण दृष्टि से देखने में नुकसान हुआ—संतुष्ट और प्रसन्न रहे। मैं समझता हूँ कि देश के राजा रईस भी सरदार वल्लभभाई के निधन से उतने ही दुखी हैं जितने दूसरे साधारण लोग, यद्यपि वल्लभभाई की चानूरी कार्यदक्षता और आकर्षण शक्ति ने राजाओं से अधिकार हस्तान्तरित करा कर साधारण दृष्टि में उन का अहित किया। जनता के हाथों में अधिकार आया है, उस के प्रतिनिधियों को शासन चलाने का भार उठाना पडा है और पहले चाहे कोई भी राजा रहा हो और कोई प्रजा अब सब को कंधे से कंधा मिला कर एक नये भारत का सृजन करना है जिस से दुःख और दरिद्रता दूर हो जायेगी और एक सुखी शान्तिपूजक पर शक्तिशाली राष्ट्र पैदा होगा जिसका गौरव संसार के और सभी देशों के मुकाबले में किसी के पीछे नहीं रहेगा और भारत का प्राचीन गौरव भी आगे बढ़ जायेगा। हमारे देश का प्राचीन इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और उम लम्बे प्राचीन और आधुनिक इतिहास की बहुत बड़ी घटनाओं और गाथाओं को याद कर के हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक काम, जैसा मैं ने ऊपर कहा है, भारत का महत्वपूर्ण एकीकरण हम पूरा कर चुके हैं और उस का प्रत्यक्ष चित्र हम भारत के नक्शे पर दृष्टि डालने से ही देख सकते हैं कि बंटवारे के कारण दो पंखों के कट जाने के बाद भी आज का भारत किसी भी पूर्वकालीन एकछत्र शासनाधीन भारत से विस्तार, जन संख्या और सभी साधनों में बड़ा है। यह पहला महत्वपूर्ण और आवश्यकीय कार्य था जिस को सब ने मिल कर पूरा किया। अब इस महान् देश को सुखी और समृद्ध बनाने का काम हमारा है, और इस में बिना भेद भाव के सभी भारतवासियों की सेवा और सहायता सापेक्ष है।

इसी गौरवपूर्ण इतिहास के एक निर्माता की स्मृति मूर्ति रूप में कायम रखने के लिये यह आज का समारोह इकट्ठा हुआ है और बन्देलखण्ड के सुप्रसिद्ध वीररत्न महाराजा छत्रसाल

की अश्वारोही मूर्ति का निरावरण-संस्कार मेरे हाथ से कराने का आज जो यह मंगल आयोजन किया गया है, इस के लिये मैं छत्रसाल स्मारक समिति, तथा आप सब लोगों का हृदय से आभार मानता हूँ। न्याय, नीति के धर्म मार्ग पर चल कर अपनी मातृभूमि को स्वतन्त्र और स्मृद्ध करने वाले वीर-पुरुषों को चाहे वे किसी भी देश या किसी भी धर्म के हों श्रद्धान्जलि अर्पण करते हुए मुझे हमेशा हर्ष होता है।

भारत के इस भाग में आने का यह मेरा पहला ही अवसर है। श्रद्धेय ठक्कर बापा ने डेढ़ बरस पहले इस प्रदेश का दौरा किया था, तब अखबारों में प्रकाशित उन के अनुभव मैंने पढ़े थे। उन्होंने बुन्देलखण्ड के इस हिस्से को बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब जनता का प्रदेश बतलाया था। हमारे दुर्भाग्य से वह भी आज असंख्य गरीबों को शोकाकुल छोड़ कर चले गये। बुन्देलखण्ड के सुन्दर सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों और खजुराहो के चंदेलकालीन मंदिरों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। केशव दास, लाल और पद्माकर जैसे रससिद्ध कवि आप के इसी प्रदेश में हुए हैं। महाराज मधुकरशाह, राव चम्पतिराय और महारानी लक्ष्मी बाई इसी भूमि के रत्न थे। राजस्थान की भांति यह विन्ध्य भूमि भी वीर प्रसविनी मानी जाती है। मगर दृष्ट है कि इतिहास लेखकों का ध्यान इस प्रदेश की ओर या तो गया ही नहीं या बहुत ही कम गया है। कर्नल टाड, और स्वर्गीय गौरीशंकर ओझा जैसे प्रकाण्ड इतिहास लेखकों को पा कर राजस्थान इस दृष्टि से भाग्यशाली रहा है। नई नई शोधों के साथ यों तो सारे ही भारतवर्ष के इतिहास के नए सिरे से भारतीय दृष्टि से लिखने की आज आवश्यकता है, और इस दिशा में संतोषजनक रीति से जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। किन्तु बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े हुए प्रदेशों के शोधपूर्ण प्रमाणिक इतिहास ग्रन्थों का निर्माण कार्य तो जितनी जल्दी हो सके शुरू हो जाना चाहिये।

यह कितने आश्चर्य की बान है कि महाराजा छत्रसाल जैसे महापुरुषों के नाम का साधारण उल्लेख तक प्रचलित इतिहास ग्रन्थों में नहीं आया है। उन के नाम को अजर अमर बनाये रखा तो लाल कवि के छत्रप्रकाश और महा कवि भूयण के छत्रसाल दशक ने। छत्रप्रकाश भी लुप्त सा हो गया था। कैप्टिन पागसन कृत उस का अंग्रेजी अनुवाद सन् १८२९ में, कलकत्ते के कोर्ट विलियम कालेज से मेजर प्राइस ने प्रकाशित कराया था। पीछे काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इस ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य को प्रकाशित किया। छत्रसाल पर एक पुस्तक मराठी में भी लिखी गई थी जिस का हिन्दी अनुवाद मैंने कई साल पहले पढ़ा था। एक पुस्तक बंगला में भी किसी ने लिखी थी। सुना है बुन्देलखण्ड केसरी नामक भी एक पुस्तक छपी थी। कुछ एक कहानियाँ और फुटकर लेख भी पत्र पत्रिकाओं में निकले हैं। एक छोटी सी पुस्तक महाराजा छत्रसाल नाम की भी है हाल में मेरे देखने में आई है।

बस छत्रसाल सम्बन्धी इतना ही कुछ साहित्य उपलब्ध है जहाँ तक मैं जानता हूँ। पर इस अल्प साहित्य सामग्री से भी सत्रहवीं शताब्दि के इस महान देशनायक को स्वातन्त्र्य प्रियता, न्याय नीति और ईश्वर भक्ति का हमें खासा परिचय मिल जाता है। देश की स्वतन्त्रता की खातिर महाराजा छत्रसाल ८० वर्ष की अवस्था तक बराबर लड़ते रहे। एक



बहुत बड़े राज्य का उन्होंने संस्थापन और शासन किया। स्वभावतः यह उन के बाहुबल और भारी पराक्रम का फल था। पर जिन सदगुणों से वे महान् और चिरस्मणीय बने वे तो उन के दूसरे ही गुण थे। एक तो उन में अभिमान नहीं था जो सच्चे वीर का गुण है। सिंहगढ़ में जा कर शिवाजी से नम्रतापूर्वक उन्होंने स्वतन्त्रता का गुरुमंत्र लिया और वृद्धावस्था में बाजीराव पेशवा से सैनिक सहायता मांगते हुए उन्हें संकोच नहीं हुआ। यह राजपूत है, वह मराठा है इस तरह की संकीर्ण भावना उन के विशाल हृदय में न थी। दूसरे वे सदा अनीति और अत्याचार के ही विरुद्ध लड़े, किसी खास जाति या संप्रदाय के विरुद्ध नहीं। छत्रसाल की सेना में छत्रप्रकाश के अनुसार राजपूतों के अलावा कायस्थ, भाट, अहीर, ढीमर और बारी भी थे। मेहतर भी सेना में रहते थे। और फौजे मियां नाम का एक मुसलमान सरदार भी उन की फौज में था। शिवा जी की तरह छत्रसाल ने भी मुसलमान स्त्रियों के साथ अपनी बहूबेटियों की तरह धर्म का बर्ताव किया। तीसरे किसी भी युद्ध में न तो उन्होंने ने शत्रु के साथ विश्वासघात किया न निहत्थों पर हाथ उठाया। युद्ध में तथा राजशासन में छत्रसाल ने हमेशा न्याय का ही पक्ष लिया। अपने पिता चंपतिराय से उन्होंने इन वीरोचित गुणों को उत्तराधिकार में पाया था।

छत्रसाल में कृतज्ञता भावना भी पूरी पूरी थी। बचपन में घोड़े पर सवारी कराने वाले सेवक महाबली को राजधिराज हो जाने पर भी वह भूले नहीं थे। अपने नाम के साथ उन्होंने उस का नाम भी चला दिया, अमर कर दिया। छत्रसाल, महाबली करियो सब भली भली, यह कहावत मुनते हैं, आज भी यहां प्रचलित है। संकटकाल के साथी अपने घोड़े को भी उन्होंने भले भाई की प्रेमभरी उपाधि दे रखी थी।

छत्रसाल की गुणग्राहकता तो प्रसिद्ध ही है। महाकवि भूषण छत्रपति साहू के दरबार में पाये महान् आदर सत्कार को क्यों न छोटा समझते जब कि छत्रसाल ने उन की पालकी का डंडा खुद अपने कंधों पर उठा लिया। कवि को अनूठी गुणग्राहकता के आगे झुक कर कहना पड़ा

और रावराजा एक मन में न ल्याऊँ अब,

साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को।

छत्रसाल स्वयं भी एक ऊँचे कवि थे। छत्रसाल ग्रंथावलि हाल में मेरे देखने में आई है। कई पद्य उस में उच्चकोटि के हैं—भक्तिरस के और राजनीति के भी।

देख कर आश्चर्य सा होता है कि घोर संघर्षमय जीवन में उन्हें इतनी सरस कविता रचने के लिये कैसे अवकाश मिला होगा? लेकिन भारत की वीर परम्परा में ऐसा होना असम्भव नहीं। वीरता के साथ साथ यहां हृदय की सरलता और भवित भावना प्रायः देखने में आई है। राजनीतिक दाव पेचों के लिये उन के वीर हृदय में स्थान नहीं होता था। यही कारण है कि वह मरुभूमि न बन कर सदा सरस रहता था। छत्रसाल की कविताओं को देख कर पता चलता है कि वे एक धर्मशील व्यक्ति और ऊँचे ऋणभक्त थे। स्वामी

प्राणनाथ का सत्संग उन्हें मिला था । महात्मा अक्षर अनन्य का सत्संग भी उन्हें प्राप्त हुआ था । यही कारण है कि महान् पुरुषार्थी होते हुए भी छत्रसाल ने कभी अपने बाहुबल पर गर्व नहीं किया था । उन का विश्वास था कि :

नामी नर होत गच्छगामी के हेरे तें

वे अपने आप को प्रभु का सेवक छोड़ कर और कुछ भी नहीं मानते थे । जब उन्हें शाही मंसब दिये जाने की बात आई, तब उन्होंने ने उसे लेने से साफ़ इन्कार कर दिया और कहा :

नर की उदारता में कौन है सुधार, मैं तने मनसबदार सरदार ब्रजराज को ।

परहित की खातिर जो प्राणों को भी तुच्छ समझता है, वह वीरपुरुष एक भगवान का आश्रय छोड़ कर किसी और का आश्रय ले नहीं सकता । हमारे राष्ट्रपिता अद्वितीय सत्याग्रही महात्मा गांधी को भी एक राम का ही संपूर्ण बल भरोसा था :

गरबीलन के गरबनि ढाहे, गरब प्रहारी विरद निवाहै :

छत्रसाल अपने को प्रजा का स्वामी न मान कर सेवक समझते थे । लिखा है कि उन के राज काज में के सलाहकार हर जाति और हर समाज के मुखिया थे, और इस लिये वे इतने अधिक लोकप्रिय हुए ।

छत्रसाल स्मारक समिति तथा महाराज छत्रसाल के वंशजों और इस प्रदेश की जनता ने जो इस भव्य मूर्ति का निर्माण कुशल शिल्पकार द्वारा कराया है उस का निरावरण मैं कर देता हूँ । किन्तु स्मरण रखिये, महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती । वीर पूजा का यह भी एक प्रकार है । पर है साधारण सा ही । इस लिये आम तौर पर हम ने पूज्य गांधी जी की मूर्ति स्थापना को प्रोत्साहन नहीं दिया । श्रद्धा प्रकट करने का असली तरीका तो उन महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना है । अपने जीवन में हमें उन के उन ऊंचे गुणों को लेना है जिन से वे महान् थे । और वे गुण हैं उन का तप और त्याग उन का सत्य और शील, उन की देश सेवा, जन-सेवा और सब से बड़ी उन की ईश्वर श्रद्धा । भगवान् हमें बल दे कि हमारा स्वतन्त्र भारतवर्ष अपने महापुरुषों के जीवन से उन के ऊंचे गुणों को अपनाये जिस से कि हम सब लोग सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल कर अपने सम्प्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र के योग्य नागरिक और सच्चे लोकसेवक बन सकें ।

### खजूराहो में अभिनन्दन

खजूराहो में तारीख २९ जनवरी १९५१ को दिये गये मान पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम महाराजा बहादुर, बहनो और भाइयो,

आज मुझे सवेरे सवेरे यहां आने का सुअवसर मिला । इसके लिये मैं आप सब को और ईश्वर को न्यवाद देता हूँ । खजूराहो का नाम तो मैंने पहले से सुना था । मगर आज

के पहले यहां आने का सुअवसर मुझे नहीं मिला था और आज यहां पहुंच गया हूं तो आशा करता हूं कि पुराने मन्दिरों के भग्नावशेष जो रह गये हैं उनको जल्द से जल्द देख सकूंगा ।

आने जो स्मरण पत्र दिया है उसमें आपने बहुत बातें मुझायी है। पिछले मन्दिरों की सुरक्षा हो। मैं जानता हूँ कि अधिकारियों का ध्यान इस तरफ है। पर अभी इतना काम हाथ में आ गया है कि अधिकारियों का उस तरफ जितना ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं दिया जा सकता है। मगर मेरा यह मत अवश्य है कि इन भग्नावशेषों की सुरक्षा का काम भी पर्याप्त महत्व रखता है। इनका महत्व सिर्फ इस देश के लिये ही नहीं बल्कि जैसा आप ने कहा, दुनिया के अन्य देशों के लिये भी है। इसलिये मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इसकी रक्षा की जायेगी और समुचित रूप से की जायेगी। अभी तो मैंने मन्दिर देखा भी नहीं है। इसलिये ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ और कहने का अभी समय भी नहीं है क्योंकि जल्द से जल्द मन्दिर देखने की मेरी इच्छा है। आपने जो मेरा स्वागत किया उसके लिये मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जायेगा।

### आगरा कालेज में शतौत्तरी जयन्ती

२९-१-५१ को आगरा कालेज की शतौत्तरी रजतजयन्ती के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा -  
त्रिन्सिपल साहब, विद्यार्थीगण, बहनो और भाइयो,

आज मुझे एक बड़ा सुन्दर मौका मिला है कि आप सब भाइयों और बहनों से यहां इकट्ठा मिल सकूँ। जैसा अभी आपने बताया और मैंने पहले भी रिपोर्ट में पढ़ कर देखा था कि आप का यह कालेज सब से पुराना कालेज है और सब से बड़ी बात यह है कि एक सात्त्विक दान से इस का आरम्भ हुआ था। कोई काम जो सात्त्विक भावना से आरम्भ किया जाता है जिस में सात्त्विकता भरी रहती है वह सफल होता है इस में कोई सन्देह नहीं और इस लिये गंगाधर शास्त्री जी का वह सात्त्विक दान आज इतने बड़े विस्तृत और विशाल कालेज के रूप में देखने में आ रहा है जिस से न मालूम कितने हजारों विद्यार्थी शिक्षा पा कर समाज का, देश का और अपना काम आज तक करते आये हैं और न मालूम कितने हजार आइन्दा करते रहेंगे। इस लिये यह आप सब के लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक ऐसी संस्था के साथ संलग्न हैं जिस का ऐसा सुन्दर और विशद इतिहास है। मैं यह आशा करता हूँ कि जिस सात्त्विकता के साथ यह दान दिया गया था और जिस के फलस्वरूप आज यह कालेज इतना उन्नत हुआ है उस सात्त्विकता को आप अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य बनायेंगे क्यों इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

मैं जानता हूँ कि आज की शिक्षा पद्धति में, जो बहुत दिनों से हमारे देश में प्रचलित है, वरिष्ठ गठन के लिये कोई विशेष आयोजन नहीं है और इस का फल यही होता आया है कि हम मस्तिष्क की उन्नति तो कर लेते हैं दिमाग की तरक्की हमारी काफ़ी हो जाती है मगर साथ ही साथ चरित्र की कमी अक्सर देखने में आती है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि

आज के शिक्षित लोगों में चरित्र नहीं है। मैं तो इतना कड़ा चाहता हूँ कि अगर हमारे विद्यालयों में, महा विद्यालयों में और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में उस का भी वंसा ही सुन्दर प्रबन्ध होता जैसा बौद्धिक विकास के लिये है तो हमारी सात्त्विकता कहीं आगे बढ़ी होती और एक आदमी की सात्त्विक भावना का फल इतना अच्छा देख रहे हैं तो उसी से आप समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं सब को यदि सात्त्विकता के अच्छे और ऊँचे आदर्श का बल होता तो आज देश कहां से कहां आगे बढ़ गया होता। महात्मा गांधी जी ने सारे देश को जगाया और जगाया किस चीज के लिये और किस चीज से? उन की सारी शिक्षा सात्त्विकता से भरी हुई थी और चाहे उन्होंने ने उस को सत्य और अहिंसा का नाम क्यों न दिया हो पर इस में कोई सन्देह नहीं कि उस का मौलिक सिद्धान्त सात्त्विकता ही है और हम लोगों को जो स्वार्थ में फंसे थे, लिप्त थे, सब को देश के प्रति इतनी ऊंची भावना से, सच्चे प्रेम से, ओत प्रोत किया और आजादी के लिये अमिट चाहना पैदा की और उसी का फल यह है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने परिश्रम का सुफल देख सके और आज हम इस देश के सभी लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यह देश स्वतन्त्र है। अब जो काम हमारे सामने है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का, जो आप से एक पीढ़ी ऊपर है, समय खतम होने लगा है और हम में से एक के बाद एक उठते जा रहे हैं। आज के विद्यार्थियों को ही उन का स्थान ग्रहण करना है और मैं यह कहता हूँ कि वे बड़े भाग्यशाली होंगे जो अभी बाकी कामों को पूरा कर सकेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी पीढ़ी के लोग बड़े भाग्यशाली थे जिन को इस देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में भाग लेने का मौका मिला, जिन लोगो ने उन से जितना बन पड़ा अपनी थोड़ी बहुत सेवा कर के त्याग करके स्वतन्त्रता प्राप्त की। मगर वह स्वतन्त्रता खोखली है, व्यर्थ है जिस स्वतन्त्रता से देश के लोगों को पूरा पूरा लाभ नहीं हो। स्वतन्त्रता को अर्थ भरी करने का काम बहुत बड़ा है। मैं तो मानता हूँ कि अभी जो काम है वे स्वतन्त्रता प्राप्ति के काम से अधिक महत्व रखते हैं। जिस वक्त हम को विदेशी सरकार से लड़ना था उस वक्त हमारे सामने और कोई उद्देश्य न था; केवल था विदेशी शक्ति और सत्ता का यहां से उन्मूलन। उस लड़ाई में हम सब लोगों को खींच सकते थे जैसा हम ने किया भी। मगर अब हमारे सामने एक प्रश्न नहीं है, नाना प्रकार के प्रश्न हैं, तरह तरह की जटिल समस्याएँ हैं जिन का हल करना कठिन है और उन जटिल समस्याओं के हल करने का काम स्वतन्त्र भारत को मिला है। अब नौजवानों का यह काम है कि उन समस्याओं को हल करके देश को इस योग्य बना दें कि वह संसार के देशों में अपना ऊंचा स्थान ग्रहण करे। इस लिये मैं कहता हूँ कि अभी के जो काम हैं वे ज्यादा कठिन हैं क्योंकि उस समय एक ही चीज से हमें लड़ना था, आज हम को हजारों चीजों से लड़ाई करनी है। हमारा देश आज से नहीं बहुत दिनों से निर्धन है जिस की वजह से हमारा सब काम रुक जाता है। गरीबी सभी जगहों में देखने में आती है। हम को गरीबी से लड़ना है। हमारा देश बहुत ही विस्तृत है। इतने दिनों से ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के काम करने पर भी और स्वराज्य मिलने के बाद तीन वर्ष तक हमारे काम करने पर भी देश में पढ़े लिखे लोग १००-१५

से अधिक नहीं होंगे। इस के अलावा तरह तरह की बीमारियां देश में चारों तरफ घर किये हुए हैं। ये तो एक प्रकार के प्रश्न हैं जिन को हमें हल करना चाहिये। ये काम कितने भी कठिन क्यों न हों उन को हल करना आवश्यक है।

मुझे आप से एक दूसरी बात कहनी है उसे आप अखबारों में पढ़ते होंगे और खुश भी होते होंगे। हमारी ओर से संसार में विश्वशान्ति के लिये प्रयत्न किया गया उस का थोड़ा बहुत असर हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वह सफल होगा। मगर आप से मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस बात का क्या कारण है कि संसार के देश हमारी आज इज्जत करते हैं, हमारा आदर करते हैं। उस का सब से बड़ा कारण यह है कि महात्मा गांधी एक अवतारी पुरुष थे और उन्हीं की तपस्या का फल है कि इस देश के दरिद्र होने पर भी दूसरे देश इस का आदर करते हैं। अगर हम उन के बताये रास्ते पर चलेंगे और महात्मा जी के बताये काम में अपने को लगाये रखेंगे तो हम संसार का आदर पाते रहेंगे। ठीक है महात्मा जी बराबर कहा करते थे कि वह अपने को अवतारी पुरुष नहीं मानते। वह कहते थे कि जैसे सब लोग हैं वैसे ही वह भी हैं; उनमें और दूसरे लोगों में कोई अन्तर नहीं है। उन का यह कहना था कि जो कोई चाहे वह हमारे समान हो सकता है। बात भी सच है। उन की जीवनी आप पढ़ें तो आप को पता चलेगा कि एक मामूली आदमी की जितनी शिकायतें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और उसे जितनी मुसीबतों का सामना करना होता है वे सब चीजें उन के सामने भी आयीं—नैतिक प्रश्न आये, आर्थिक प्रश्न भी आये और राजनैतिक प्रश्न तो हमेशा आते रहे ही। इन सब प्रश्नों को हल करने के लिये वह हर तरह से तैयार रहे और उन को हल किया और तभी वह इतने बड़े और महान् है कि आज संसार उन की पूजा करता है। ऐसा बनने के लिये त्याग और तपस्या चाहिये और चरित्र चाहिये और अगर आप इन चीजों को हासिल करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी अनेकानेक ऐसे लोग हैं जो गांधी जी के सच्च अनुयायी हैं और जो देश की मान मर्यादा कायमी तौर से रख सकते हैं। यह विद्यालयों का काम है कि इस तरह के चरित्रवान और अच्छे लोगों को पैदा करे और उन को प्रोत्साहन दे कर देश की सेवा में भेजें। मैं आशा करता हूँ कि यह विद्यालय जो इतने दिनों से अच्छा काम कर रहा है और जिस ने इस तरह के लोगों को पैदा भी किया है आगे भी इस काम में सफल होगा। मगर इस के लिये सहयोग की जरूरत है। एक तरफ विद्यार्थियों के सहयोग की जरूरत है और दूसरी तरफ आचार्य लोगों के सहयोग की। जब दोनों तरफ से सहयोग होगा तभी इस का कोई अच्छा फल मिल सकेगा और मैं समझता हूँ कि आप ने मुझे इस विद्यालय में इस विचार से नहीं बुलाया कि इस विद्यालय को यूनीवर्सिटी बनाने में मैं आर्थिक सहायता दिला सकूँ बल्कि मेरा विचार है कि आप अपनी योग्यता और अपने नैतिक बल से बिना साधन के भी इसे ऊँचा बना सकते हैं। इस का यह अर्थ नहीं है कि मुझ से जो सेवा हो सकेगी वह मैं नहीं करूँगा, वह तो मैं करूँगा ही। पर मैं चाहूँगा कि आप अपने ऊपर निर्भर होना सीखें और यह एक बड़ी चीज है जिस के बल से आप सारे देश को ऊँचा उठा सकते हैं।

आप जानते हैं कि इस समय देश में तरह तरह की मुसीबतें हैं। स्वराज्य तो हमें मिल चुका है। मगर अभी मुसीबतों का हल पूरी तरह से हम नहीं कर पाये हैं। अस का संकट है। हर तरह की चीजों की कमी है। जो कुछ गवर्नमेन्ट की तरफ से किया जाता है उस की शिकायत होती है। हो सकता है कि उन शिकायतों में कुछ निराधार भी हों और कुछ ठीक भी हों। पर शिकायत होती है। जो शिकायतें हैं उन पर अगर आप ध्यान दे कर देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि सब की जड़ में एक ही चीज है। वह यह है कि इस बात को इस देश के लोगो ने साबित कर दिखाया है कि हम में चरित्र उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। आप गवर्नमेन्ट की शिकायत करे लेकिन आखिर गवर्नमेन्ट है क्या चीज? आप के ही तो प्रतिनिधि गवर्नमेन्ट में हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि ठीक हैं तो गवर्नमेन्ट बुरी नहीं हो सकती। अगर लोग अच्छे हैं तो आप के प्रतिनिधि भी बुरे नहीं हो सकते। अगर उनके प्रतिनिधि बुरे हैं तो लोग अच्छे नहीं हो सकते। अतः अगर हम बुरे हैं तो आप लोग दूसरों पर इल्जाम नहीं डाल सकते क्योंकि इस की जिम्मेवारी हमारे भारतवासी पर है। अगर प्रतिनिधि सचमुच प्रतिनिधित्व करते हैं तो बुरे लोगों के ही बुरे प्रतिनिधि होंगे। अगर आप स्वयं अच्छे हैं और आप के प्रतिनिधि ठीक काम नहीं करें, इधर उधर करे तो उनको सीधे रास्ते पर लाने का काम भी आप का ही है। अतः मैं कहता हूँ कि हमारे देश के लोगो में जो कमजोरी है वह अधिकतर हमारे चरित्र की है। मुझे जब कभी मौका मिलता है और जहां कहीं मैं जाता हूँ तो लोगो से यही कहता हूँ कि भारत को दिमाग की जरूरत है, अच्छे अच्छे मस्तिष्कों की जरूरत है; ऐसे मस्तिष्कों की जरूरत है जो दुनियां के लोगो के दिमाग का मुकाबला कर सके। ऐसे मस्तिष्क हमारे देश में आज ही नहीं वरन् उस समय भी थे जब हमारे देशवासियों ने दूसरे देशों के लोगो का मानसिक क्षेत्र में सफलता से मुकाबला किया था और आज भी हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे देश से विद्यार्थी लोग विदेशों में जाकर वहां की यूनीवर्सिटियों में अब्बल होते हैं और वहां उन्होंने ने मंडल हासिल किये हैं। हमारे देश में दिमाग की कमी नहीं है। हमारे देश के लोगो ने खेल कूद में भी नाम किया है। आज तक हिन्दुस्तान की हाकी टीम विदेशों से कभी हारी नहीं। इस तरह के काम मैं हमारी तरक्की हुई है और होनी चाहिये। मगर जब हमारे पुराने समय का उदाहरण सामने आता है तो उस के मुकाबले में हम अपने को आज कमजोर पाते हैं। जो ग्रीक यात्री इस देश में आये थे उन के विवरण से पता चलता है कि यहां उस समय लोग घर में किवाड़ नहीं लगाते थे क्योंकि उन दिनों चोरी नहीं होती थी। आज भी हम सुनते हैं कि पहाड़ पर यह प्रथा है कि तिजारती बनिये जो यहां से जाते हैं वे अपनी गठरी पर एक पत्थर का टुकड़ा रख कर जहां जाना होता है चले जाते हैं। उसे कोई छूता भी नहीं और जब कभी वह वापस आते हैं तो उसी जगह पर अपनी गठरी पाते हैं। आज भी ऐसी बातें हैं। पर आज हमारे यहां चोर बाजारी तक चलती है। आज हम क्या देखते हैं कि राशन में ६ छटांक मिलता है और अब साढ़े चार छटांक हो गया है। लेकिन किसी तरह से हमें ५-६ छटांक मिलता है तो हम लेने से हिचकते नहीं। यही चरित्र की कमजोरी है। यह कहना कि

हाकिम हुक्काम की कमजोरी से सब होता है ठीक नहीं। मैं तो मानता हूँ कि इस में सब की कमजोरी है। जो पैदा करते हैं, जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं कोई इस कमजोरी से बचे नहीं है। इस में खरीदने वाले का भी हिस्सा होता है। इस लिये मैं मानता हूँ कि आज कल जो मुसीबतें हम पर पड़ रही हैं उन का मुख्य कारण हमारे चरित्र की कमजोरी है। इस वक्त दिमाग की तरक्की और शरीर को तगड़ा बनाने के साथ साथ चरित्र बनाने की सब से अधिक जरूरत है, जिस में किसी देश को यह हिम्मत न हो कि वह अंगुली दिखला सके कि भारत में यह कमजोरी है। आप ने मुझे इस समारोह में बुलाया है और मैं आप से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर ध्यान देंगे।

### बलिदान दिवस

बलिंगडन पैवीलियन में बलिदान दिवस समारोह में तारीख ३०-१-५१ को साढ़े चार बजे राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयों,

आज का दिन एक बहुत ही पुनीत दिन है क्योंकि आज के दिन ही पूज्य बापू ने महाप्रयाण किया था। आप सब को मालूम ही है कि किस तरह वह घटना घटी थी। उसके बाद से हर साल हम लोग उस दिन को मनाया करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गांधीजी का नाम लेते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं। इस में हमारे यहां के बच्चों को इस तरह से शरीक होना चाहिये कि वे कुछ सीन राके, कुछ सबक ले सके। जिस समय महात्मा गांधी जिन्दा थे और देश के विभिन्न भागों में आया जाया करते थे और आप के इस शहर में भी आया जाया करते थे उस समय के बच्चों को यह सौभाग्य था कि उनके दर्शन करते थे, उनके कामों को देखते थे, मुनते थे और उससे भी अधिक, किस तरह से वह जीवन बिताते थे वह भी देख सकते थे और अपनी योग्यता के अनुसार उसे सीख सकते थे, कर सकते थे। मगर अब जैसे जैसे दिन बीतते जायेंगे गांधी जी के उपदेशों को केवल पुस्तकों में, उनके लिखे लेखों में ही पढ़ सकेगे और अभी तो आप को यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि आप उन लोगों से जो गान्धी जी के निकट सम्पर्क रहे थे गान्धी जी के सम्बन्ध में सुन सकते हैं, जान सकते हैं मगर जब समय और भी बीतता जायेगा तो बच्चों को इस बात के जानने के लिये कि गान्धी जी के क्या उपदेश थे किस तरह से उन्होंने देश को जगाया, देश को स्वतन्त्र किया केवल पुस्तकों का ही सहारा रह जायेगा।

अभी देश के सामने कितने प्रश्न हैं। गान्धी जी की तपस्या के फलस्वरूप हमें स्वराज तो मिल गया है पर आजादी का पूरा फल हम हासिल नहीं कर पाये हैं। वह तभी हो सकेगा जब देश के सभी लोग यह मान लें कि उसे हमें हासिल करना ही है और उस के लिये और त्याग और तपस्या करने के लिये तैयार हो जायें। महात्मा जी ने तो हमको रास्ता साफ करके बता ही दिया है और हम उसे गान्धी जी के रास्ते पर ही चलकर जल्द से जल्द हासिल कर सकेंगे। गान्धी

जी का निधन ऐसे समय में हुआ जब उनके मार्ग दर्शन की सब से अधिक आवश्यकता थी। पर वह हमारे लिये और सारे संसार के लिये एक नयी ज्जिन्दगी, एक नयी रोशनी, एक नया रास्ता दिखला गये हैं। और उस पर चलना किसी भी देश के लिये लाभप्रद है। इसलिये मुझे बड़ी खुशी है कि आप ने इस बात का प्रयत्न किया पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज का दिन खेल तमाशों का दिन नहीं है। खेल तमाशों तो बराबर ही हुआ करते हैं। आज के दिन को तो इस काम के लिये रख छोड़ना चाहिये कि हम अपनी शक्तियों पर विचार करें और इन बातों पर विचार करें कि आगे हमको क्या करना है, कैसे अपने को बनाना है और गान्धी जी के बताये मार्ग पर चलने के लिये संकल्प करें। जो बच्चे यहां आये हैं और जो उनके शिक्षकगण यहां मौजूद हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि आज के दिन को इसी काम में लगायें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन को शक्ति दे कि वे गान्धी जी के बताये रास्ते पर चल सकें और अपना और देश का मुख उज्ज्वल कर सकें। गान्धी जी का रास्ता सब से अच्छा, सब से सुन्दर, सब से सरल और सब से जल्द तरक्की वाला है। आप जानते हैं कि कितना काम अभी बाकी है। उन कामों को हम गान्धी जी के बताये रास्ते पर चल कर बड़ी मुगमता से कर सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने लिये और राष्ट्र के लिये उनके बताये रास्ते को कायम रखें और उस रास्ते पर चल कर आप अपने को और देश को बड़ा बनायें।

मैं आप सब भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का यह मौका दिया।

### राजघाट पर बलिदान दिवस

तारीख ३०-१-५१ को राजघाट पर सवा पाँच बजे शाम को राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

आज महात्मा गान्धी जी की पुण्य तिथि है। हम इस लिये इकट्ठे हुए हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करें और महात्मा जी का गुणानुवाद करें और जो कुछ उन्होंने हमको सिखाया बताया उसको याद करें। महात्मा जी ने देश को बहुत कुछ बताया, देश को बड़ी शक्ति दी। पर महात्मा जी ने स्वयं वह शक्ति कहां से पायी जिसको उन्होंने सारे देश में और सारे संसार में इस तरह से बितरित किया? वह मानते थे और बार बार कहते थे और लिखते थे कि उनकी सारी शक्ति ईश्वर की दी हुई है; राम नाम की शक्ति है और उसी राम नाम के बल से उन्होंने जो कुछ किया वह किया और अन्तिम शब्द भी जो उनके मुंह से निकला वह था— हे राम। तुलसी दास ने लिखा है—जन्म जन्म मुनि यत्न कराहीं अन्त राम मुख आवत नाही। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद भी अन्त में जब मनुष्य का शरीर जाता है तो उस वक्त वह ईश्वर को भूल जाता है और ईश्वर उसकी याद में नहीं आता। वह पुण्य और तपस्या का ही फल है कि किसी को अन्तिम समय में ईश्वर का स्मरण आ जाये और उसका नाम वह ले ले। महात्मा गान्धी जी ने अपनी सारी ज्जिन्दगी में जो तपस्या की थी जो काम किया था उसे उन्होंने संसार के लिये दे दिया और साथ ही साथ अन्त में उनके सामने ईश्वर आ गये और ईश्वर का नाम लेते हुए



वह इस शरीर को छोड़ कर जो इसी स्थान पर अग्नि में जल कर भस्म हो गया फिर ईश्वर में जाकर मिल गये। उनके जीवन से जो सब से बड़ा सबक हमें मिलता है वह यही मिलता है। आज इस देश में कुछ ऐसी हवा सी चल पड़ी है कि लोग ईश्वर का नाम लेने में भी थोड़ा डरते हैं, अगर डरते नहीं तो शर्माते हैं और अगर कभी ईश्वर का नाम लिया भी तो कठ से ऊपर ही रहता है, जिस भावना से महात्मा जी भगवान का नाम लिया जाना चाहते थे उस भावना से लोग भगवान का नाम नहीं लेते। यह इस बात से स्पष्ट है कि यदि लोग भगवान का नाम उस भावना से लेते तो वह भगवान को कभी नहीं भूल सकते। अगर हम सोच कर देखें तो जितनी विपत्तियां आज हमारे ऊपर हैं, जो मुसीबत केवल हमारे ही देश में नहीं, बल्कि सारे संसार में है सब की मूल में यही बात है कि हम अपने को नहीं पहचानते, दूसरे को नहीं पहचानते और यह नहीं जानते कि ईश्वर एक है और वही सब में है। अगर लोग इस सत्य को जानते कि ईश्वर सभी स्थानों में और सभी जगहों में एक ही है वही ईश्वर जो एक के हृदय में है दूसरे में भी है तो यह लड़ाई झगड़ा क्यों? किस बात के लिये? जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तभी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। मगर यह भी समझना भूल है। कोई किसी को मारता नहीं। यदि चाहे देखने में ऐसा लगे कि कोई दूसरे के शरीर को नष्ट कर रहा है वास्तव में उसका शरीर अपने सत्कारों और कर्मों के कारण नष्ट होता है। महात्मा जी चाहते थे कि सभी लोग ईश्वर को पहचाने और याद रखें तब उनका सारा जीवन सुसंस्कृत हो जायेगा और सौ लोग शूद्र और पवित्र हो जायेंगे और फिर किसी बात की चिन्ता करने की जरूरत भी नहीं रह जायेगी। यों तो जब कभी हम लोग महात्मा जी के सम्बन्ध में बोलते हैं, सोचते हैं कुछ कहते हैं तो स्वराज की बात कहते हैं। किस तरह से उन्होंने देश को जगाया बढ़ाया यह बात कहते हैं। यह सब उन्होंने ने किया इसमें तो कोई शक नहीं और सिर्फ हमारे लिये ही नहीं सारे संसार के लिये उन्होंने ने यह किया। पर हम जब यह सोचते हैं कि वह इसी जगह पर जन्मे थे और यहां ही के लोगों को उन्होंने शिक्षा दी थी तो लगता है कि हम भी महात्मा जी के रास्ते पर चल सकते हैं और वहां तक अगर पहुंच नहीं सकते जहां तक वह पहुंच गये थे तो कुछ दूर तक जा ही सकते हैं और अपने को और दूसरे को पुनीत बना सकते हैं। आज का दिन ऐसा है कि हमारे सामने जो बात उन्होंने ने रखी थी उस पर विचार करे, मनन करें उसे सोचे देखें और विशेषकर के इस पवित्र स्थान पर आकर और किसी खयाल को अपने दिमाग में नहीं आने दें और किसी चीज को दिल के अन्दर नहीं घुसने दें और इतना अगर साल में एक दिन भी कर ले तो मैं समझता हूं कि हमारा बेड़ा पार हो जायेगा।

महात्मा जी ने सामूहिक प्रार्थना की भी प्रथा निकाली; शायद पुरानी प्रथा होने पर भी लोग उसे भूल गये थे। इस से एक दूसरे को सहारा मिलता है, एक दूसरे को बल मिलता है। अगर हम लोग किसी न किसी तरह से इस चीज को जारी रखें तो हमारा विश्वास है कि इससे भी हमारा और देश का बड़ा कल्याण होगा। यह अच्छी बात है कि प्रति शुक्रवार को यहां पर भाई और बहनें जमा होकर प्रार्थना करते हैं उन्हीं श्लोकों को दुहराते हैं उन्हीं भजनों को गाकर चन्द मिनटों के लिये ईश्वर का नाम लिया करते हैं। मैं समझता हूं कि उससे भी बल मिलता होगा मगर इस चीज को और कुछ नहीं तो अपने घर वालों और बाल बच्चों के साथ और जिनसे ही सके

बाहरी लोगों के साथ भी इस प्रार्थना को जारी करें तो मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा लाभ होगा ।

मैं अपने को इस योग्य नहीं मानता हूँ कि इस स्थान पर बैठ कर उपदेश करूँ । पर जो चीजें महत्त्व की मालूम होती हैं जिनसे आज देश के कुछ लोग मुहं मोड़ते हैं उन चीजों की ओर आप का ध्यान मैंने आकर्षित कर दिया । और मैं आशा करता हूँ कि महात्माजी का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम अपने को इस योग्य प्रमाणित कर सकेंगे कि कोई कहीं पर भी हो उसको अपने को बनाने का सुअवसर मिले । ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हम सब को शक्ति दे ।

### उदयपुर में नागरिक अभिनन्दन

तारीख २ फरवरी १९५१ को उदयपुर म्युनिसिपैल कारपोरेशन द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख, कारपोरेशन के अध्यक्ष महोदय, दूसरे सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

आप अंगर सब अपने अपने स्थान पर चुपचाप खड़े रह जायें तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो दो शब्द कहने हैं वे सबों तक पहुंच सकेंगे ।

मेरे लिये यह पहला अवसर है कि आपके इस सुरम्य प्रदेश में पहुंचा हूँ । बहुत दिनों से इच्छा रहते हुए भी आज के पहले मैं इस ऐतिहासिक स्थान को नहीं देख सका था और न इन ऐतिहासिक कृतियों के दर्शन कर पाया था । इसलिये मेरे लिये भी यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिन है कि मैं इस ऐतिहासिक स्थान पर आ सका और जब से मैं यहां पहुंचा हूँ सब लोगों ने इतना प्रेम दर्शाया है और इतना आदर मान किया है कि उसके लिये मैं सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

सच है कि भारत के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हुआ है, एक ऐसा युग जो हम आशा करते और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के उज्ज्वल इतिहास में जितने अच्छे दिन आये हैं उनसे भी अधिक उज्ज्वल साबित हो और उसके लिये अगर हम विचार कर देखें तो सामान भी तैयार है । आज दुनिया कुछ ऐसी हो गयी है कि जब तक देश ठीक न हो, जब तक एक शासन के अन्दर मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी न हो ऐसे देश के लिये अपने को स्वतन्त्र रखना और अपनी उन्नति करना अधिक से अधिक कठिन हो जाता है, आज तो लोग यह भी सोचने और समझने लग गये हैं कि बड़े बड़े देश भी अकेले अपने ही पैरों पर अगर खड़ा होना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते । इसलिये जिस दिन अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि वे भारत को स्वतन्त्र छोड़ कर यहां से चले जायेंगे और यहां से अपनी सेना भी हटा ले जायेंगे उस दिन हमारे सामने स्थिति यह थी कि देश दो टुकड़ों में बंट गया था, उसके दो टुकड़े एक पूर्व और दूसरा

पश्चिम के कोने में निकल गये थे और अन्दर बहुत सी रियासतें थीं, बहुत से रजवाड़े थे। स्थिति यह थी कि अगर सब अलग अलग स्वतन्त्र होकर रहना चाहते तो यह देश टुकड़े टुकड़े हुये बिना नहीं बचता और इस देश की इतनी शक्ति नहीं होती कि यह अपने को स्वतन्त्र और सुरक्षित रख सके। उस वक्त देशी रजवाड़ों के जितने शासक थे जितने राजा महाराजा थे जिनके हाथों में उस वक्त सारा अधिकार था उन्होंने भी देश की इस परिस्थिति को समझा, संसार की परिस्थिति को समझा और जो पहले ब्रिटिश भारत कहलाता था और जो देशी रियासतें थीं दोनों इकट्ठे हो गये। इस बात के लिये मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके हाथों में अधिकार था उन्होंने खुशी खुशी अपने अधिकारों को ठीक उसी तरह से देश की जनता के हाथों में सौंपना उचित समझा और निश्चय कर लिया कि जिस तरह से अंग्रेजों ने यहां की जनता के हाथों में अधिकार सौंप कर चला जाना तय किया उसी तरह वे भी जनता के हाथ में अधिकार सौंप दें। उसी का यह फल है कि गरचे आज भारत के दो बड़े बड़े अंग कट गये हैं तो भी जितना भारत बच गया है वह सब मिला कर इतना बड़ा है जितना कि आज के पहले कभी भी नहीं हुआ और इसकी जन संख्या इसकी आबादी और इसके रकबे को अगर हम देखें तो हमारे इतिहास में पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब इतने लोग, और इतना बड़ा रकबा एक छत्र शासन के अन्दर हुआ हो। जब हमारे देश के अन्दर चक्रवर्ती राजा भी हुये तो उनके मातहत दूसरे छोटे छोटे रजवाड़े रहे। मुगल बादशाहों के जमाने में और अंग्रेजों की सलतनत में भी भारत बहुत हिस्सों में बटा हुआ था। आज ही यह पहला सुअवसर आया है जब अपनी खुशी से देश के हित को अपने सामने रख कर सबों ने यह निश्चय कर लिया है कि हम सब एक छत्र शासन के अधीन काम करेंगे। ऐसे मौके पर यह एक सवाल था कि इतने बड़े राष्ट्र का जिस में सब रजवाड़े शरीक हुये और जिस में वह हिस्सा भी जो ब्रिटिश के मातहत था शरीक हुआ कोई एक प्रतीक होना चाहिये, कोई निशान होना चाहिये। उसमें अगर हम किसी एक को बनाना चाहते तो उसमें हजारों दिक्कतें पेश थीं। इसलिये यह निश्चय हुआ कि हम एक गणतन्त्र यहां स्थापित करें। गणतन्त्र में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति प्रधान होता है। उस प्रणाली को हमने अपने संविधान में मंजूर कर लिया। इसलिये आप सबों की ओर से चुना जाकर मैं गणतन्त्र के प्रतीक स्वरूप इस स्थान पर बैठा दिया गया हूँ। उसी हैसियत से मैं यहां हाजिर हूँ। आज ही नहीं मैंने पहले भी कहा है कि देश के प्रत्येक स्त्री और पुरुष पर देश का यह अधिकार है कि वह जिससे जो सेवा लेना चाहे वह ले और सब का यह धर्म है और फ़र्ज होना चाहिये कि जो सेवा उससे मांगी जाये वह सेवा वह दे। १९३७ म जब पहले पहल सूबों में कांग्रेस ने मन्त्रिमंडल कायम किये तब मैंने एक जगह कहा था कि आज मन्त्रिमंडल कायम हो रहे हैं और कांग्रेस जिसको चाहती है वह सूबे का प्रधान मन्त्री हो जाता है। पर यदि जनता की ओर से कल कांग्रेस चाहे तो उस प्रधान मन्त्री को किसी गांव में चौकीदार की जगह पर भेज सकती है या किसी शहर में झाड़ू ले कर मेहतर का काम करने के लिये आज्ञा दे सकती है। मेरा विश्वास है कि आज भी यह बात ठीक है कि यदि आज्ञा हो तो ऊंचे से ऊंचे समझे जाने वाले पद पर भी जो आदमी बैठा हो उस आदमी को भी झाड़ू लेकर शहर में झाड़ू लगाने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसी में उसकी शोभा है, इसी में देश की शोभा है और इसी में देश का कल्याण है। हम इसी नीति को मानते हैं और इसी नीति से हम सब अपना काम चलाना चाहते हैं। इसलिये अब समय आ गया है कि भारतवर्ष के सभी लोग अपना अपना कर्तव्य समझें।

अब तक ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से लड़ते लड़ते हम लोग यह कहत आये हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अधिकारों पर ही जोर देते आये हैं, अधिकार मांगते रहे हैं, अधिकार लेना चाहते हैं। अब अधिकार तो अपने हाथों में आ गये हैं। अधिकार लेना देना अब रहा नहीं। अब हमको यह सोचना है कि हमारा कर्तव्य क्या है? क्योंकि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य आता है। एक तरह से पूछिये तो अधिकार से भी अधिक महत्व कर्तव्य का है। आज हम में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिये कि देश के प्रति और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है और जो हज़ारों मुसीबतें हमारे ऊपर आयी हैं, जो कष्ट हम आज भोग रहे हैं उनका निपटारा आसानी से हो सकता है, अगर हम में से प्रत्येक अधिकार की बात छोड़ कर कर्तव्य पर ध्यान दे और कर्तव्य का पालन करना अपना सब से बड़ा धर्म समझे। कर्तव्य की होड़ में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है अधिकार के लिये। दान देने में लड़ाई नहीं होती बल्कि किसी से कुछ छीन लेने में लड़ाई होती है। जो अपने को उत्सर्ग करने के लिये तैयार हों, सेवा में अपने को लगा देने को तैयार हों, उनका न किसी से झगड़ा हो सकता है और न किसी बातकी वे आना-कानी कर सकते हैं। हां जब वे कुछ लेना चाहें, किसी चीज पर अधिकार करना चाहें तभी झगड़ा शुरू होता है। आज हमारी मुसीबतों का सब से बड़ा कारण यही है कि हम अपने कर्तव्य पर जोर न दे कर अब भी अधिकार की ही बात सोचते हैं जब कि सब अधिकार हमारे हाथों में आ गये हैं। इन अधिकारों को किस तरह से काम में लाया जाये, उनको किस तरह बरता जाये और कौन बरते यह सब छोटी मोटी बात है। असली चीज तो यह है कि आज भारतवासियों के हाथ में पूर्ण अधिकार हैं और वे अगर चाहें तो इस देश को हरा भरा, फूला फला बना सकते हैं; और अगर वे चाहें तो उसे मरुभूमि भी बना सकते हैं। अगर वे इसे हरा भरा फूला फला बनायेंगे तो इतिहास में सभी लोग उनकी तारीफ़ करेंगे और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। अगर हमने भूल की और अधिकारों के झगड़े में पड़कर इसे मरुभूमि नहीं तो वैसी ही कुछ चीज बना दिया तो उसका जो कुछ बुरा नतीजा होगा उसके लिये इतिहास हमारे नामों पर कालिख लगायेगा।

भारत के लिये यह समय सन्धिकाल है। बहुत सी पुरानी चीज, पुरानी बातें ख़तम हो रही हैं और उनकी जगह नया दौर शुरू हो रहा है, नया युग शुरू हो रहा है। ऐसे ही सन्धिकाल में बड़े बड़े काम होते हैं। सुबह शाम को हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को भी हृष संध्या कहते हैं। क्यों कि वह दिन और रात की संधि का समय होता है और उस समय इसलिये प्रार्थना की जाती है कि वह सब से शुद्ध, सबसे सुन्दर और हर प्रकार सब से अच्छा समय होता है। उसी तरह पुराना दौर ख़तम हो गया है और नया दौर शुरू हो रहा है। नयी स्वतन्त्रता हाथ में आयी है। पवित्र शुद्ध संध्या का समय है। इसी भावना से हम को इस सेवा के काम में लगना चाहिये और तभी हम अपना कल्याण, देश का कल्याण और संसार का कल्याण कर सकेंगे।

मैंने आज यहां आकर के सुना कि आपके कुछ इलाके में अन्न का कष्ट है हमने यह भी सुना है कि इधर दो तीन वर्षों से ठीक समय पर वर्षा नहीं हुई और इस साल और भी कुछ बाढ़ बगैरा के कारण कुछ फसल ख़राब हुई है और इन सब का नतीजा यह हुआ है कि अन्न का कष्ट बढ़ गया है। आप यह न समझें कि यह अन्न का कष्ट आप के ही यहां है। मैं जिस सूबे का

रहने वाला हूँ उस सूबे में भी अन्न का कष्ट है। वहां पहले बाढ़ आयी और उससे उस वक्त जो फ़सल थी वह बह गयी। उसके बाद सूखा पड़ा और जो कुछ फ़सल खेतों में लगी हुई थी वह सूख कर मर गयी और उस सूखा का नतीजा यह भी हुआ कि गेहूँ की फ़सल भी सब ठीक नहीं है। यह ती एक सूबे की स्थिति हुई; उसी तरह मद्रास में भी पानी नहीं बरसा और वहां भी अन्न का कष्ट है। आप ने सुना ही होगा कि आसाम में भूकम्प की वजह से बहुत नुक़सान हुआ है। वहां के लोगों को काफ़ी कष्ट है। हमारी गवर्नमेन्ट इस वक्त इस फ़िज़्ज़ में है कि किस तरह से अन्न का कष्ट दूर किया जाये। जब अपने देश में काफ़ी अन्न नहीं मिलता तो विदेशों से अन्न मंगाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जा रही है कि वहां से अन्न पहुंचेगा। इसमें कठिनाइयां हैं। एक तो अन्न मिलना ही कठिन है। दूसरे अन्न मिले भी तो इतने बड़े देश के लिये कितना अन्न चाहिये उसका आप अन्दाज़ा कर सकते हैं। अन्न दूसरी जगह से जहाज़ों में लादकर लाना पड़ता है। जहाज़ों के मिलने में भी कठिनाइयां हैं और जो दाम लगेगा वह तो है ही मगर इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रयत्न हो रहा है और अन्न पहुंचने भी लगा है। और आहिस्ता आहिस्ता अधिक पहुंचेगा। इसलिये हम सब यह आशा रखते हैं कि जहां तक हो सकेगा सभी जगहों पर जहां जहां कमी है वहां अन्न हम पहुंचायेगे। मगर यह तो एक बाहर से सहायता मिलने की बात है। जब कोई संकट आता है तो बाहर से मनुष्य को मदद मिले तो ठीक है वह मदद मिलनी भी चाहिये, जो मदद दे सकते हैं उन को देनी भी चाहिये। मगर संकट का निवारण तो जिस पर संकट आता है वही कर सकता है और उसके लिये उसके हृदय के अन्दर धैर्य होना चाहिये, बल होना चाहिये, ईश्वर पर भरोसा होना चाहिये और जो कुछ अपने पुरुषार्थ से हो सकता है उसको करना चाहिये। मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लोगों में और विशेषकर गरीब लोगों में पुरुषार्थ की कमी नहीं है। हज़ारों मुसीबतों का मुक़ाबला ये लोग पुरुषार्थ से करते हैं। इसलिये यह आशा होती है, यह विश्वास होता है कि किसी न किसी तरह जो थोड़ा बहुत अन्न देश के अन्दर है और विदेशों से आता है उसको लेकर के वे यह संकट काट लेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि जितने लोग आज यहां पर मौजूद हैं और जो कहीं दूसरी जगह भी हैं और जिन तक आप हमारी बात पहुंचा सकते हैं उन सब को यह समझना चाहिये कि इस विपत्ति काल में सब को एक साथ मिल करके, एक दिल हो करके, एक मत होकर के एक प्राण हो करके काम करना ज़रूरी है तभी इतनी फ़ैली हुई विपत्ति का मुक़ाबला हम कर पायेंगे और किसी एक सूबे में किसी एक ज़िले में यह विपत्ति आती हो तो दूसरे सूबे से दूसरे ज़िले से मदद लेकर हम उसे दूर कर सकते हैं। मगर इस बार ऐसी ईश्वर की कृपा हुई है कि यह फ़ैली हुई विपत्ति चारों तरफ़ एक साथ ही आयी और सलिये हमारी विपत्ति बढ़ गयी। पर साथ ही जो सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं जो काम करने वाले हैं उनके लिये एक सुअवसर भी आया है कि वे अपनी त्यागवृत्ति को, अपने कर्तव्य करने की शक्ति को, तथा संगठन की शक्ति को दिखला सकें कि किस तरह जनता को संगठित करके किस तरह विश्वास की भावना लेकर के एक दूसरे की सेवा करके, वे लोगों को मुसीबत से बचा सकते हैं। तो मैं जहां जाता हूँ यही कहता हूँ कि गवर्नमेन्ट का जो कर्तव्य है उसे तो वह कर रही है और आगे भी करेगी मगर जनता को अपने ऊपर भी भरोसा करना चाहिये। एक कहावत है कि ईश्वर ज़सी की मदद करता है जो अपने पुरुषार्थ से अपनी मदद करता है। इसलिये ईश्वर की मदद भी अपने पुरुषार्थ पर ही निर्भर है। हम चाहते हैं कि आप इस राज के जितने रहने वाले हैं

सब मिलकर के जो तकलीफ़ और मुसीबत है उसको आपस में बांटे । ऐसा न हो कि एक जगह पर अन्न पड़ा रहे और दूसरी जगह के लोग खाने बग़ैर मरते रहें । जो कुछ हो उसको थोड़ा बहुत करके आपस में बांट करके खाना चाहिये । राशनिंग का अर्थ यही है । जो गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल नियन्त्रण चल रहा है वह इसलिये है कि सामान कम है और ज़रूरत ज्यादा है और जितना ह उसे सब लोग बांट कर खायें और इसलिये राशन कुछ घटाया भी गया है । और कुछ बढ़ाया भी गया है । मगर हम मानते हैं कि इससे लोगों को तकलीफ़ तो ज़रूर बढ़ी होगी मगर साथ ही हिम्मत के साथ लोग इस समय को काट ले जायेंगे और कुछ महीनों के बाद नयी फ़सल आयेंगी तो फिर अच्छे दिन लौट आयेंगे ।

यह तो एक प्रश्न रहा । इस तरह के और भी बहुत प्रश्न हैं । आपके इस राज्य को ईश्वर ने बहुत ही धनी बनाया है । यहां भूमि के गर्भ में बहुत सी सम्पत्ति पड़ी है । यहां से कुछ दूर जाकर पानी की कमी लोग महसूस करते हैं । मगर आज विज्ञान की इतनी प्रगति हुई है कि उसने एक एक कमी को दूर करने के लिये हजारों तरीके निकाले हैं । मैं तो आशा रखता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने ठीक तरह से काम किया तो जितनी आज गरीबी है उसका हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं । जो पृथ्वी के पेट में धन समाया हुआ है उसको निकाल कर जनता में हम वितरण कर सकते हैं । जो धन ईश्वर ने आसमान पर और हवा में बहुत सामान पैदा करके हम को दिया है उसकी भी मात्रा बढ़ा कर हम लोगों को अधिक सन्तुष्ट कर सकेंगे । सब से बड़ा काम आज देश की गवर्नमेंट के सामने यही है कि किस तरह से देश की गरीबी दूर की जाये, और किस तरह से देश में जिन जिन कारणों से मुसीबत और तकलीफ़ है उनको दूर किया जाये और जो गवर्नमेंट और जनता के लोग इन चीजों पर अधिक ध्यान देगे वही लोग अधिक सुखी होंगे और अधिक कल्याण कर सकेंगे । इन चीजों को छोड़ कर अगर फ़िज़ूल बातों में ही उन्होंने अपना संप्रय और बुद्धि लगायी तो उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं होगा । इसलिये हमको यह समझ लेना चाहिये कि कौन सी चीज़ सब से अधिक महत्व रखती है और हमको पहले क्या करना चाहिये और जो दूसरी चीज़ें हैं अगर देखने में अभी हमको प्रिय भी मालूम हों तो भी उनको हटाकर जो अधिक कठिन और अधिक आवश्यक हो-उसे करना चाहिये । मैं आशा करता हूँ कि आप के इस इलाके में इस तरह से काम होगा ।

मैं यह भी जानता हूँ कि अभी यहां जनता द्वारा चुना मंत्रिमंडल नहीं है । मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी कुछ प्रबन्ध होगा और जनता के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल बना कर आपकी सच्ची सेवा कर सकेंगे क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि जो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे वे जनता के हित को ही अपने सामने रखेंगे और इसलिये हमने गणतन्त्र का यहां पर आयोजन किया और हमारे विधान न गणतन्त्र को मान कर जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के हाथों में अधिकार देने का निश्चय किया । वह चीज़ तो होगी ही । मैं आपसे यही कहूंगा कि निर्वाचन के समय आप सब भाई अच्छे से अच्छे, सच्चे से सच्चे, समझदार से समझदार कार्यकुशल और बुद्धिमान् लोगों को चुन कर भेज और ऐसे ही लोगों के हाथों में अधिकार आवे जो आपकी सच्ची सेवा कर सकते हैं । कोई अब यह नहीं कह सकता है कि अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसका दोष किसी दूसरे के सर पर जाता है क्योंकि अब जनता के चुने हुए लोगों के हाथों में ही अधिकार है । अगर

जनता किसी गलत आदमी को चुनती है तो ऐसे लोग अगर गलत काम करते हैं तो उसका दोष जनता का ही होगा, उसका दोष जनता किसी दूसरे पर नहीं रख सकती है। इसलिये यह जो मौका आ रहा है उसमें भारतवर्ष के सभी स्त्री और पुरुषों को जिनकी अवस्था २१ साल की हो चुकी है मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और उनके ही चुने प्रतिनिधियों के हाथों में सारा शासन का भार आयेगा। इसमें दोनों का इम्तिहान है। एक तरफ़ जनता का इम्तिहान है कि कहां तक जनता ठीक आदमी को चुन सकती है और जो चुने जायेंगे उनका भी इम्तिहान है कि कहां तक वे जनता की सेवा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब का फल अच्छा होगा, कल्याणप्रद होगा।

मैं तो यहां एक प्रकार से तीर्थ यात्रा में आया हूँ। क्यों कि आपका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि प्रत्येक भारत प्रेमी के लिये प्रत्येक आजादी के प्रेमी के लिये यह तीर्थ स्थान रहेगा और मैं उसी भावना से यहां आया हूँ। उसके साथ ही आपने इतना प्रेम और आदर दिखलाया है उसके लिये आप सब को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

### अखिल भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

\*अखिल भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के प्रशासी मंडल के समक्ष राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में कहा—

आज प्रातःकाल के उत्सव में भाग लेने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। कृषि से अनेक प्रकार मेरा सम्बन्ध रहा है। चूँकि मैं स्वयं किसी हद तक कृषक रहा हूँ इसलिये कालक्रम में मेरी उसमें दिलचस्पी बढ़ती गयी है। मुझे लगता है कि इस समय अन्य किसी चीज़ से कहीं अधिक हमारे देश को कृषि के बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अतः यह कितने शर्म की बात है कि अपने भोजन के लिये हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। यह बात केवल हमारे देश के कृषिकों को ही चुनौती न होनी चाहिये वरन् कृषिक गवेषणा में लगे हुए वैज्ञानिकों को भी चुनौती होनी चाहिये कि हम अपनी अन्न की आवश्यकताओं के लिये अपने देश में ही आवश्यक अन्न पैदा कर ले। अन्न के बारे में ही हमारे यहां कमी नहीं है फलों और फल सम्बन्धी आवश्यकताओं, तथा दूध तथा दूध से बनने वाली चीज़ों के बारे में भी हमें भारी कमी को पूरा करना है। अतः यह आवश्यक है कि कृषि गवेषणा प्रतिष्ठान ऐसी गवेषणा के काम में लग जाये जिससे वास्तव में और अविलम्ब कृषि को लाभ पहुंचेगा। जहां तक इस बारे में मैं किसी बात को सोच सकता हूँ वहां तक मेरा विचार है कि इस प्रतिष्ठान में और गवेषणा संस्था के अधीन कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं में ऐसी सैद्धान्तिक गवेषणा करने की ज़रूरत नहीं है जैसी कि भौतिकी अथवा अन्य विज्ञानों के गवेषणालयों में की जाती है। यहां तो हमारी आवश्यकता इस प्रकार की गवेषणा की है जिसका फल अविलम्ब जनता को प्राप्त कराया जा सकता है और जो प्रति दिन पैदा होने वाली समस्याओं के हल में काम में लाया जा सकता है। इसी दृष्टि से इस प्रतिष्ठान से सरकार की और जनता की खाद्य समस्या को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है कि सैद्धान्तिक गवेषणा का अपना निजी महत्त्व है।

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

और जो लोग इस प्रतिष्ठान में गवेषणा के कार्य में लगे हुए हैं वे अवश्य ही इस प्रकार की सद्दान्तिक गवेषणा के नवीनतम फलों से लाभ उठायेंगे किन्तु जहां तक कृषि की दैनिक व्यवहारिक समस्याओं का सवाल है हमारा यह अधिकार है कि हम इस संस्था से और इस प्रकार की ही अन्य संस्थाओं से जो इसी प्रकार के कार्य में लगी हुई है अपेक्षा करें कि वे हमारी वैसी सहायता करें जैसी कि हम को उन से मिलने की आवश्यकता है।

आज हमारे सामने कई तरह की समस्याएं हैं। किन्तु इन समस्याओं के हल करने में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में कृषि में लगा हुआ है इस बात से आंख नहीं मोड़ सकता कि हमारा देश ऐसे कृषकों का देश है जिनकी अपनी अपनी जोत बहुत छोटी है और जहां कृषकों की संख्या करोड़ों की तादाद में ही नहीं है वरन् उनकी जोत का क्षेत्र इतना छोटा है कि गवेषणा के वे फल जो बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती के लिये काम में आ सकते हैं यहां के साधारण कृषकों के लिये कुछ अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकते। प्रथमतः तो हमारे साधारण कृषकों के साधन अत्यन्त सीमित हैं और वे गवेषणा के उन नतीजों से कोई फायदा नहीं उठा सकते जिन को काम में लाने के लिये पर्याप्त व्यय की आवश्यकता होती है और दायम यदि वह ऐसी चीजों को जो गवेषणा के नतीजों के तौर पर सुझायी जाती है खरीद भी सकते हों तो वे चीजें उन्हें हमेशा मिलती भी नहीं हैं। अतः इन समस्याओं पर विचार करते समय गवेषणा में लगे हुए सब काम करने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उन लोगों का वास्ता ऐसे असंख्य लोगों से है जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनकी बुद्धि की कुशाग्रता में चाहे इस कारण से कोई अन्तर नहीं पड़ता है और चाहे वे ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तविक कृषि का पर्याप्त महत्वपूर्ण अनुभव है किन्तु वे वे पढ़े और उनके साधन भी सीमित हैं। इन बातों को ध्यान में रख कर किसी प्रकार की भी गवेषणा जिससे अन्न उत्पादन के बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है हमारे लिये बहुत महत्व की होगी। और गवेषणा की दिशा कोई सी भी क्यों न हो अर्थात् चाहे वह कृषिक इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में हो चाहे भूमि के रसायनिक तत्वों के सम्बन्ध में हो, चाहे पौदों की नसल और किस्म की सुधार की हो और चाहे कीटों के रोकने या विनाश के सम्बन्ध में हो आपको गवेषणा के फलों के काम में लाने के सम्बन्ध में इन मूल भूत परिसीमाओं को ध्यान में रखना है। उदाहरणार्थ आप कल पुर्जे की बात लीजिये। आजकल कृषिक कलों के द्वारा खेती के सुधार की बात अक्सर सुनाई पड़ती है। इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे कृषक साधारणतया जिन औजारों का इस्तेमाल करते हैं वे बहुत ही दक्षियानूसी किस्म के हैं। वे अनेक शताब्दियों से चले आ रहे हैं और उनमें कोई सुधार नहीं किया गया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे कृषकों को उनसे बेहतर कोई और चीज नहीं मिली है पर अगर आप उनका सुधार करना चाहते हैं तो आप उनकी सहायता तभी कर सकेंगे जब कि आपका सुझाया हुआ सुधार ऐसा हो जो साधारण कृषकों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कराया जा सकता है, अर्थात् यदि आप हल में सुधार करते हैं तो वह ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे हल बहुत क्रीमती हो जाये। वह ऐसा हल होना चाहिये कि जिसे हमारे देश में साधारणतया मिलने वाले बैल आसानी से खींच सकें; वह ऐसा भी होना चाहिये कि जो उस जमीन के लिये मौजू हो जहां वह काम में लाया जाने वाला है। यह सब ऐसी परिसीमायें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और यदि हमें उत्तम फल-प्राप्त करने हैं तो हमें कृषि सम्बन्धी गवेषणा ऐसी एक ही जगह नहीं



करनी है जहां एक ही प्रकार की भूमि मिलती है वरन् ऐसी अनेकों स्थानों में करनी है जहां विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं और विभिन्न प्रकार के हल काम में लाये जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो ढोर हमारे पास इस देश में हैं उनकी किस्म प्रान्त प्रान्त में वहां की आबोहवा के कारण बहुत भिन्न है और जो हल हिसार में बैलों की एक जोड़ी से आसानी से खींचा जा सकता है वही हल मेरे प्रान्त अर्थात् बिहार के तराई के जिलों के बैलों की जोड़ी द्वारा नहीं खींचा जा सकता। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के हल काम में लाये जाते हैं। यदि बिहार में चम्पारन में काम में लाये जाने वाले हल को आप पंजाब के कृषकों को दे दें तो सम्भवतः बैलों की ताकत बहुत कुछ हद तक व्यर्थ जायेगी। छोटे किसान के तजुरबे की इन मामूली बातों का जिक्र मैं यहां इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि गवेषणा के कार्य में इनका बड़ा महत्व है।

भूमि के रसायनिक तत्वों के बारे में भी यह बात साफ है कि हमारे देश में इतने विभिन्न प्रकार की भूमि है कि आप किसी प्रकार की चीज भी इस में पैदा कर सकते हैं और इस लिये कृषकों से यह बात कहने में कोई लाभ नहीं है कि वे किसी खास किस्म की ही फसल उसमें पैदा करें। वहां तो कोई भी फसल जो ज़मीन के लिये मौजू हो पैदा की जा सकती है। ज़मीन की अच्छाई बुराई इस बात पर भी निर्भर करती है कि आबपाशी के लिये वहां कितना पानी मौजूद है। इस तरह कृषिक इन्जीनियरी अर्थात् भूमि के रसायनिक तत्वों और उसमें पैदा की जा सकने वाली फसल एक दूसरे पर इतनी घनिष्ठता से निर्भर करती है कि उनको एक दूसरे से अलग करना असम्भव है। अतः इस प्रकार के केन्द्रीय प्रतिष्ठान को जैसा कि यह दिल्ली में है प्रथमतः देश के विभिन्न भागों में की जाने वाली गवेषणा के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न दिशाओं का समन्वय करना है। इससे भी अधिक इसे यह करना है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा, जो कि मेरे विचार में कई हैं और सारे देश भर में फैले हुए हैं, की जाने वाली गवेषणा के स्तर को भी यह निश्चित करे।

समस्या का एक पहलू और है जो कि गवेषणा का वास्तव में भाग नहीं है किन्तु जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह यह है कि आप इन गवेषणाओं के नतीजे से कृषकों को किस प्रकार बाकिफ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ने कहा है साधारण कृषक को इस अर्थ में पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता कि उसे किसी स्कूल या कालेज में किसी प्रकार की तालीम मिली है। किन्तु यदि उसे किसी तरह भी यह बात दिखाई जा सके कि कोई नया तरीका, या बेहतर बीज या नया औजार सचमुच ही अच्छे काम की चीज है और उससे सचमुच ही उसे फायदा होगा तो वह उस सुधार को स्वीकार करने में देर न करेगा। मेरा अपना अनुभव है कि कृषक बड़ा समझदार व्यक्ति है। वह पढ़ा लिखा चाहे न हो पर वह काफी होशियार होता है और उसे इतना अनुभव होता है कि इस बारे में स्वयं निर्णय कर सके। वह परिवर्तन के विरुद्ध नहीं है, वह ऐसे प्रयोग के विरुद्ध है जिससे उसे नुकसान होता है। यदि कोई और प्रयोग करे और उसे इस बात का सन्तोष दिला दे कि ऐसे प्रयोग से लाभ अवश्य होता है तो मेरा विचार है कि वह सुझाये हुए परिवर्तन को तुरन्त अपना लेगा। मैं ने देखा है कि नये किस्म के गन्ने को तब उन्होंने तुरन्त अपना लिया है जब उन्हें यह पता चला है कि यह नये किस्म के गन्ने ज्यादा लाभदायक हैं। इसी प्रकार बड़ी आसानी से उन्होंने बेहतर किस्म के गेहूँ को वहां अपना लिया

है जहां उससे ज्यादा पैदावार होती है और ज्यादा रुपया मिलता है। उन्होंने बेहतर क्रिस्म के धान को भी अपना लिया है। गोकि ऐसा उन्होंने कुछ सीमा तक ही किया है। सरकार के सामने समस्या यह है कि किस तरह इन गवेषणाओं के नतीजों को किसानों के सामने इस तरह से पहुंचाये कि उन्हें यह सन्तोष हो जाये कि जो मुझाव मुझाये गये हैं वे सचमुच ही उनकी दृष्टि से भी सुधार सिद्ध होंगे। मेरा विचार है कि यह समस्या गवेषणा का काम करने वालों के मक्काबले मे सरकार को कही ज्यादा है। किन्तु यह दोनों बातें आपस में इतनी सम्बन्धित हैं कि हम एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि इस प्रतिष्ठान में और अन्य प्रतिष्ठानों में गवेषणा का काफ़ी काम हो रहा है किन्तु मुझे यह जानकारी नहीं है कि इसके फल उसी सीमा तक या किसी सीमा तक भी कृषकों को बताये गये हैं और न मुझे यह मालूम है कि उसने अपने रोजाना की खेती-बाड़ी में इन फलों को स्वीकार भी किया है और अपनाया भी है या नहीं। ऐसा करने के लिये हमें दूसरे प्रकार से काम करने की जरूरत है और वह यह है कि हम ऐसी सगठित सस्था के द्वारा काम करे कि जिसका किसानो से बड़ा नज़दीकी सम्बन्ध होता है। अक्सर बहुत प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाली सस्थायें होती हैं। हो सकता है कि विशेष प्रयोजनों के लिये कृषिक संस्थायें हो। यह भी हो सकता है कि ऐसे विशेष काम करने वाले हों जो अपने उदाहरण से किसानों को यह दिखा सके कि कोई खास नये तरीके सचमुच ही फ़ायदेमन्द हैं। मुझे यकीन है कि खास प्रदेशों में खास प्रयोजनों के लिये छोटे फ़ार्म खोल कर सरकार अच्छा काम कर सकती है। ऐसे प्रदेशों में जहां गन्ने की खेती होती है गन्ने के फ़ार्म की जरूरत होती है और उसके शुरू करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। इसी प्रकार गेहूँ के फ़ार्मों की भी बात है। जहा कही भी हम फ़ायदे से किमी खास फ़सल को पैदा कर सकते हैं वहां हमें उन फ़सलों के लिये ऐसे फ़ार्म खोलने चाहिये। मेरा यकीन है और मुझे आशा है कि मैं किसी के प्रति अन्याय नहीं कर रहा हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि दिखाने के लिये जो फ़ार्म हैं वे न तो उतने लाभदायक हैं और न उतनी हमारी मदद करते हैं जितने कि वे हो सकते हैं या हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा इस लिये नहीं है क्यों कि जिस तरीके से इन फ़ार्मों को चलाया जाता है वे साधारण किसान के मन में नहीं बैठते। इसका जो भी कारण हो उसे पता चलाना और उसकी जांच करना आवश्यक है क्यों कि इस तरह के फ़ार्म ऐसे प्रतिमान सिद्ध नहीं हुए हैं कि जिनसे प्रभावित होकर सारे कृषक उसी तरीके से उनके चारों ओर अपना कार्य आरम्भ कर दें।

इस समय हमारे सामने अन्न की समस्या सब से बड़ी समस्या है और यह वैज्ञानिकों, कृषि मन्त्रालय, तथा किसानों का काम है कि वे प्रयास करें कि इस दिशा में विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता जितनी जल्दी दूर हो सके दूर हो। मुझे यकीन है कि इस प्रतिष्ठान का और कृषिजन्य इन दिशाओं में कृषि गवेषणा का भविष्य महान् है। यदि वे अपनी पूरी लगन से गवेषणा का काम करें और इस प्रकार का काम करें जिससे कृषकों को अविलम्ब सहायता मिले तो वे देश के लिये बड़ा काम ही न करेंगे वरन् स्वयं भी अपने हित की अभिवृद्धि करेंगे। मैं उन लोगों को पहले से ही अपनी बधाई देना चाहता हूँ जिन्हें गवेषणा कार्य के लिये प्रमाण पत्र दिये जाने वाले हैं और जिन्हें यहां पर शिक्षा मिली है। मुझे आशा है कि जब वे लोग यहां इस प्रतिष्ठान में शिक्षा पा कर अपने अपने स्थान को जायेंगे तो वे अपने इस कार्य में पूरे उत्साह से लग जायेंगे।

## हिन्दू विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों को उपदेश

तारीख ७ फ़रवरी को हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रपतिजी ने उपदेश देते हुए कहा—

आप लोग यहां एकजीबीशन देखने आये हैं। एकजीबीशन तो खूब अच्छी है। पर असली चीजें जहां बन रही हैं आप लोगों को तो वहां जाना चाहिये। आप लोगों में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो टेकनिकल स्टूडेंट हों, उनका ही तो इन चीजों को बनाने का काम होगा। जिस वक्त शिक्षा समाप्त करके आप विश्वविद्यालय से निकलेंगे उस वक्त तक काम ठीक तरह से होने लग गये होंगे। अभी तो शुरू ही हुए हैं, थोड़ा बहुत ही अभी काम हुआ है। आपने भाखरा वाले डैम का मानचित्र देखा होगा, आपने दामोदर वैली डैम का भी मानचित्र देखा होगा। इन दोनों योजनाओं के पूरा करने में कुछ कुछ काम हुआ है। आपने कोसी के बांध का नक्शा भी देखा होगा। उसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस तरह से कुछ में काम हुआ है, कुछ शुरू हो रहा है और कुछ इन्वैस्टीगेशन स्टेज में ही है। सब काम दस पांच वर्ष में लगभग पूरा हो जायेगा। न जाने इनमें कितने अरब रुपये लगेंगे और कितने लग रहे हैं। आपको इसके लिये तैयार होना है कि आप किस तरह इन्हें बनायेंगे किस तरह से चलायेंगे जिसमें देश का हित, कल्याण और लाभ हो।

इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रश्न जिसे सभी महसूस करते हैं और जिससे छुटकारा पाने का प्रयत्न हो रहा है वह अन्न का कष्ट है। इन योजनाओं से अन्न का कष्ट भी बहुत हद तक दूर हो सकता है। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पानी पटाने का इन्तज़ाम है, नहर निकालने का इन्तज़ाम है। इससे खेती बढ़ेगी एक चीज़ तो यह है। दूसरी उससे बिजली पैदा होती है। उनसे इतनी बिजली पैदा होती है कि हमारे पास वह सब बिजली खर्च करने का सामान नहीं है। बिजली के खर्च के बारे में भी सोचना है कि हम उससे क्या करेंगे। लाज़िम यह है कि उसके साथ साथ दूसरे काम भी बढ़ें। कारखाने का काम भी बढ़े। इनसे खेती की भी उन्नति होगी और उद्योग धन्धों की उन्नति भी होगी। इन योजनाओं से जब हम गांव गांव में बिजली पहुंचा देंगे तो घर घर में घरेलू धन्धे चलने लगेंगे। तो इनका महत्व बहुत बड़ा है और आपने अच्छा किया कि यहां आये और श्री गोविन्द जी की अच्छी सूझ हुई कि आप लोगों को उन्होंने उनको दिखला दिया।

आपने दिल्ली को भी देख लिया। पार्लियामेंट भी आपने देख लिया। यह काम भी चलाना है। यह आप न समझें कि पार्लियामेंट का काम यहाँ बैठ कर सिर्फ़ स्पीच देना ही है। नहीं, पार्लियामेंट में आने से लोगों से सम्पर्क होता है, जनता के दुःख सुख को समझने का मौक़ा मिलता है और उनकी भलाई करने का अवसर मिलता है। जो मेम्बर होते हैं उनका काम यह होता है कि अपने चुनाव क्षेत्र को जाकर देखें और वहां की जनता के दुःख सुख को समझें और उनकी भलाई की बातें करें। इसके साथ साथ जन सम्पर्क निहायत ज़रूरी हो जाता है। जन सम्पर्क का अर्थ ही है जनता की सेवा। बग़ैर सेवा के जन सम्पर्क तो हो नहीं सकता है। जब आप उनकी सेवा करेंगे तब उनसे सम्पर्क बढ़ेगा और तब आप उनका और अधिक सेवा कर सकते हैं। वहां

गवर्नमेंट हाउस भी आपने देखा। यह तो आफ्रिस है। जैसे कारखाने में लोग काम करते हैं और आफ्रिस में काम करते हैं उसी तरह यहां काम होता है। पर असली काम जो हो रहा है वह जो देश भर में फैला हुआ है। यहां तो एक सिलसिला बंधा हुआ है उसके अनुसार काम होता है। मगर इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सब मिल कर काम करें सोचें और देश में जो गरीबी है, देश में जो अविद्या है, जो बीमारी है उनको दूर करें। अभी देश से हज़ारों चीजें हटानी हैं और देश में हज़ारों चीजें लानी हैं। इस वक्त तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां नहीं है कि हम यह कह सकें कि वह बाधा डालती है। यह सवाल अब नहीं है। अब तो हम लोग खुद बैठे हैं अभी ठीक तरह से बैठे भी नहीं हैं। तो अब हमको खुद सब काम को सोचना है, और करना है। आप लोग जानते ही हैं कि अब हम लोगों का समय खत्म हो रहा है। अब सब काम चलाने के लिये आप लोग तैयार हों। हम लोगों का काम था यहां लाकर पहुंचा देना। वह तो हम लोगों ने कर दिया। मगर सिर्फ हमको ढकेल करके आप बैठना चाहेंगे तो वैसा नहीं कर सकेंगे। उसके लिये आप में कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिये जिसमें आप सचमुच में बैठ सकें। इसके लिये आपको तैयारी करनी है। इसके लिये हमको ढकेलने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद ब खुद हटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और अगर आप तैयार रहें तो खुद ब खुद आप हमारे स्थान पर आ जायेंगे। इसके लिये आप योग्यता हासिल करे। अगर बिना योग्यता हासिल किये आप हमें ढकेल करके बैठेंगे भी तो आप बैठे नहीं रह सकेंगे। इसके लिये शरीर भी अच्छा होना चाहिये, दिमाग मुलझा होना चाहिये और चरित्र ठीक होना चाहिये। इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिये, यानी आप अपने शरीर को अच्छा रखें, दिमाग को भी अच्छा रखें और चरित्र को भी अच्छा रखें और जो कुछ करना चाहते हैं, उसे निःस्वार्थ भाव से करें। जो कुछ काम करें, देश के लोगों की भलाई सोच करके करें। तो यह सब करना है। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। मालूम नहीं आप में से कितने इस काम के लिये निकलेंगे और कितने इंजीनियरिंग और दूसरे काम के लिये। आज भारतवर्ष अपने हाथों में आ गया है। उसको अच्छा बनाना, सुन्दर बनाना आपका काम है और इसके लिये आप अपने को तैयार करें।

और इससे अधिक मैं क्या कहूँ, यहां का बागीचा भी लोग कहते हैं अच्छा है उसे आप सब जाकर देखें।

### विद्या विहार, पिलानी

विद्या विहार पिलानी में तारीख ११ फ़रवरी १९५१ को इंजीनियरिंग कालेज के नये भवन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा —

पिलानी के लिये मैं कुछ नया या अपरिचित नहीं हूँ और न पिलानी मेरे लिए अपरिचित है। १९४० में मैं पहले पहल यहां आया था। मगर वह यात्रा थोड़े ही देर के लिए थी। १९४५ से मैं बराबर बरसात में यहां एक बार कभी कभी एक बार से अधिक आता रहा हूँ। और इस तरह मुझे इसका सुअवसर मिला है कि अपनी आंखों देख सकूँ कि यहां की शिक्षा संस्थाएँ किस तरह साल ब साल बढ़ती गई हैं और उन्नति करती गई हैं। इस भवन को क़रीब क़रीब

पूरा होते में आज देख रहा हूँ पर इस को बनते हुए पहले देखा है और जितने नये होस्टल और यहा विद्यालय के लिए नये मकान आप सब देख रहे हैं और जिन में विद्यार्थीगण रह रहे हैं यह सब मेरे देखते देखते बने हैं । इस लिए मुझे उन के साथ एक प्रकार की दिलचस्पी रही है और एक तरह का सम्बन्ध हो गया था, जब मैं बिड़ला ट्रस्ट का एक ट्रस्टी भी बन गया था । वह सम्बन्ध आज कुछ ऐसे कायदे और नियमों के कारण जिन में मैं एक साल से बंध गया हूँ छोड़ देना पडा है, पर तो भी मेरे दिल का संबन्ध वह न तो टूटा है और न टूट सकता है । जब मुझे से इस उत्सव में शरीक होने के लिए कहा गया तो मैंने सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । उस के दो कारण थे । एक तो यह था कि इधर में १३-१४ महीनों से यहा नही आ सका था और इच्छा थी कि देखू कि इन दिनों में क्या हुआ है । और दूसरी बात यह थी कि इस बार एक साल से अधिक बीत गया और मैं नही आ सका था तो मैं इस बात का इन्तज़ार कर रहा था कि कोई मौका मिले तो आ जाऊँ । आप सब जानते हैं कि मैं जब पहले आया करता था तो अपनी खुशी से और अपने लाभ के लिए क्योंकि यहा आने से मैं देखता था कि मेरे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता था । पर पिछले १२-१४ महीनों में ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि स्वास्थ्य ने यहा आने को मजबूर नही किया । और इस लिए इस बार बाज़ान्ते निमंत्रण पर एक विशेष समारोह में शरीक होने के लिए आया हूँ । इस से मेरी खुशी आज और भी दुगुनी चौगुनी हो गया है । यहा शिक्षकों और विद्यार्थियों से मेरी कई बरसों की मुलाक़ात है क्योंकि मैं जब जब यहां आया हूँ तो किसी न किसी अवसर पर आप सब से मिल कर कुछ सुनने और कुछ कहने का मौका मिल ही जाता था । किसी न किसी तरह की कोई सभा समारोह हो ही जाता था । इस लिए यद्यपि आज मैं एक किसी दूसरी कुर्सी पर बैठा हूँ आप यह हर्षगज़ न समझे कि मैं कोई दूसरा हो गया हूँ और इस बात का विश्वास रखें कि जो रिश्ता आप के साथ ह गया है वह ज्यों का त्यों कायम है ।

पिलानी एक मामूली छोटा सा कस्बा होते हुए भी शिक्षा का एक बडा केन्द्र बन गया है और इस केन्द्र के तैयार करने में विपुल धन बिड़ला परिवार ने खर्च किया है । पर ऐसा न समझा जाये कि उन्होने केवल धन ही खर्च किया है ; उन्होने अपना अनुभव और बुद्धि भी विशेष करके श्री धनश्यामदास जी बिड़ला ने इस में लगाई है और तभी आज हम देख सकते हैं कि ऐसे स्थान में जहा पहले उन के ही बचपन में अंग्रेजी आये हुए तार पढ़ने वाला भी नही होता था वहां आज आर्ट्स और साइन्स की ऊची से ऊची शिक्षा दी जा रही है । इंजीनियरिंग का एक बड़ा महाविद्यालय कायम हो गया है । लड़कियों के लिए निवास-स्था के साथ स्कूल कायम हो गया है जो अब महाविद्यालय बनने जा रहा है । बच्चों के लिये मान्टेसरी स्कूल के अलावा कितने प्राथमिक स्कूल और बहुत अच्छा हाईस्कूल तथा सस्कृत पाठशाला चल रही है ।

मैं यहां जब कई साल हुए आया था तो यहा के विद्यालयों के सम्बन्ध में एक छोटी पुस्तिका मिली थी जिसमें एक बात लिखी थी जो मुझे बिलकुल याद है क्योंकि वह मनोरंजक भी है और यहा के विद्यालयों का सारा इतिहास उसी एक बात से मालूम हो जाता है । राजस्थान के लोग और विशेष करके इस शेखाबाटी के लोग सारे हिन्दुस्तान में और शायद बाहर भी व्यापार

के लिये फँले हुए हैं और शायद ही कोई दूसरा स्थान हो जहाँ के लोगों ने व्यापार को और बड़े बड़े उद्योगों को इतना बढ़ाया हो जितना इस छोटे इलाके के लोगों ने बढ़ाया है। इसलिये वे जहाँ रहते हैं वहाँ से ही उनका व्यापार का काम किसी न किसी रूप में चलता रहता है। पहिले जब तार नहीं थे चिट्ठियों से काम होता था। उसके बाद तार से काम लिया जाने लगा। अब तो रेडियो सुन कर और टेलीफोन पर बात करते बहुत काम चलता है। जहाँ व्यापारी हैं वहाँ इन चीजों की सुविधा होनी ही चाहिये और हो ही जाती है। अभी बहुत दिनों की बात नहीं है जब बिडला बन्धु स्वयं शिक्षा पा रहे थे। उसी समय का जिक्र उस पुस्तिका में था। यहाँ अंग्रेजी जानने वाला कोई नहीं था और कोई तार किसी तरह से कहीं से आ जाता था तो उसको पढ़वाना एक मुहिम हो जाता था। किसी सज्जन के पास एक तार आया और जो दो चार लडके अंग्रेजी में कटर मटर करना सीख रहे थे उनको वह तार पढ़ने के लिये दिया गया। यह एक प्रकार की परीक्षा ही थी। लडके तार नहीं पढ़ सके। उस सज्जन को आश्चर्य और रंज हुआ कि मास्टर क्या पढ़ाते हैं कि एक मटर, दो सतर का तार भी लडका नहीं पढ़ सकता है और मास्टर से उन्होंने पूछा कि लडकों की प्रगति इतनी कम क्यों है। मास्टर साहब ने नुरन्त उत्तर दिया कि यह तार कलकत्ते से आया है। अभी लडको ने इतनी प्रगति नहीं की है कि वह इतनी दूर का तार पढ़ सके। हा अगर दिल्ली या जयपुर जैसे नजदीक का तार होता तो वे पढ़ देते। मास्टर साहब की यह कौफियत उस सज्जन को जच गई कि लडकों की प्रगति कोई बुरी नहीं हुई है। आज उसी पिलानी में हम यह शिक्षा समारोह देख रहे हैं। और आज हजारो हजार विद्यार्थी उच्च से उच्च शिक्षा सभी विषयों में पा रहे हैं। यहाँ अब जो चाहे वह सीधे जहाँ से हो टेलीफोन पर बातें भी कर सकता है और अब किसी से तार पढ़वा कर बाजार दर जानने की जरूरत नहीं रह गयी है। विजली लग जाने से घर घर में इतना ही नहीं कि लोग रेडियो लगा सकते हैं बल्कि रेडियो के अन्दर क्या रहस्य छिपा हुआ है जिस के द्वारा वह हजारो हजार मील पर की बात भी साधारण आदमियों को सुना सकता है जिन में योग्यता है वह साइन्स और इंजिनियरिंग कालेजों में जा कर उस रहस्य को भी जान सकते हैं। इतनी तरक्की इस छोटे से गाँव में हुई जहाँ केवल यहाँ के ही लडके नहीं सारे देश भर से लडके आ आ कर शिक्षा पा रहे हैं और विद्वान लोग सभी जगहों से आमंत्रित कर के बुलाये गये हैं जो शिक्षा दे रहे हैं। यह सब कुछ एक आदमी के जीवन काल में ही हो पाया है और एक परिवार के विद्याप्रेम और कौशल का ही यह फल है जिसे देख कर चमत्कृत हुए बिना कोई नहीं रह सकता है। अगर ईश्वर धन दे तो उसका उपयोग और अगर कोई प्रदर्शन भी चाहे तो वह भी इसी प्रकार के पुण्य कृत्यों द्वारा होना चाहिये। इसलिये मैं हृदय से बिडला परिवार और विशेष कर के घनश्यामदास जी बिडला को जो इन सभी संस्थाओं के एक प्रकार से प्राण हैं बधाई देता हूँ और यदि लक्ष्मी का वरदान पाये हुए धनिकों से कहूँ कि वे भी अपने विपुल धन का ऐसा ही उपयोग करे तो मैं मानता हूँ कि यह उचित होगा। इसलिये मैं केवल अपनी ओर से ही नहीं आप सभी की ओर से और यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षकों की ओर से भी उन को बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह उन को इस पुण्य काम में लगाये रखे और दूसरों में भी ऐसे सार्वजनिक और शुभ काम के लिए उन का अनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत करे।

भवन बहुत प्रशस्त और सुन्दर बन गये हैं। शिक्षा के लिये आधुनिक काल में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है जैसे एक बृहद् पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि वह सब इकट्ठी कर दी गयी है। बहुतेरे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिये निवास-स्थान बन गये हैं और दिन प्रति दिन बनते जा रहे हैं। खेल कूद के लिये केवल मैदान ही नहीं दूसरे साधन भी एकत्रित हैं जिन से लाभ उठाकर सभी अपने शरीर को सुगठित और स्वस्थ बना सकते हैं। इस का भी प्रबन्ध और प्रयत्न है कि स्वस्थ खाद्य पदार्थ, आज कल के मिलावट के जमाने में, सब को मिले। इन सस्थाओं के लिए इस तरह सभी सामग्रियां जुटा दी गयी हैं। पर किसी भी बग का विद्यालय क्यों न हो एक बच्चे के लिये प्राथमिक स्कूल से ले कर बड़ी से बड़ी यूनीवर्सिटीयों तक केवल सामग्रियों के इकट्ठे हो जाने से ही कोई विद्यालय नहीं बन जाता। विद्यालय के प्राण तो शिक्षक और विद्यार्थी हैं। और वे जितने अच्छे साधु चरित्र वाले विद्या व्यसनी होंगे उतना ही विद्यालय समृद्ध और सफल होगा। सामग्री जुटाने का काम दूसरों का हुआ करता है पर विद्या प्रेम, साधु चरित्र, कर्तव्य-परायणता और उच्चाभिलाषा तो जो वहा पढाते हैं या पढते हैं वही दे सकते हैं। यदि यह चीज न हुई तो सारा आयोजन प्राण रहित शरीर के जैसा हो जाता है। इसलिये शिक्षकों और विद्यार्थियों का यह धर्म और कर्तव्य है कि जिस उच्चा-काक्षा और अभिलाषा से विपुल धन लगा कर यह सामग्री जुटायी गयी है उस का वह सदुपयोग करके अभिलाषाओं को पूरा करे; इस के लिये दोनों का अर्थात् शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का पूरा सहयोग वाछनीय और आवश्यक है। और में यही आशा करूंगा कि शिक्षक लोग अपनी सारी शक्ति और विद्या बुद्धि और चरित्र को जो विद्यार्थी दूर दूर से और नजदीक से इन विद्यालयों में आये हैं उन के बुद्धि विकास चरित्र गठन में और विद्याभ्यास में सच्चे दिल से लगाने में प्रयत्नशील रहे। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वे अपने समय का और इन साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करे और जो कुछ भी वे यहा से ले सकते हैं वह प्राप्त करे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अपील आज आवश्यक है।

हमारे देश की प्रथा रही है कि किसी मनुष्य का मूल्य उस के केवल रुपये पैसे से ही नहीं आका जाता है और यह बात विशेष कर के उन लोगों के साथ रही है जो स्वयं विद्वान हो कर दूसरों को विद्या दा दिया करते थे। प्राचीन काल में तो विद्यार्थी गुरु और आचार्य के घर का पुत्रवत् एक व्यक्ति हो जाता था जिस का सारा भार गुरु को ही उठाना पड़ता था और फीस के बदले में वह जगल से चुन चुन कर थोड़ी लकड़ी ले आ कर दे देता था अथवा गौओं को चरा लाता था। हाल तक पैसे ले कर विद्यादान देना अनुचित और कलुषित समझा जाता था। पर समय बदल गया है। भारतवर्ष दुनिया से अपने को अलग नहीं रख सका और न रख सकता है इसलिये आज अमेरिका के बाजारों की दर से भारत में केवल रूई कपास, गेहूँ और मक्का की ही दर प्रभावित नहीं होती धरन् आज हम सभी चीजों का मूल्य सिक्कों में आंकने लग गये हैं। इसलिये इस में न तो कोई आश्चर्य की बात है और न हम किसी को दोष दे सकते हैं कि जो लोग शिक्षा देना ही अपना धंधा मान लेते हैं वे भी अपना मूल्य सिक्कों में आंकने लग गये हैं। यह हुए बिना रह नहीं सकता था। क्योंकि जब सारा समाज सिक्कों द्वारा ही दूसरों को पहचानने और प्रतिष्ठा देने लगा तो शिक्षक वर्ग के लिये भी एक तरह समाज को भी वैसा ही करना पड़ा और दूसरी तरफ शिक्षकों ने भी वही मांगें पेश करनी आरम्भ कर दी। विद्यार्थी

जैसा मैंने ऊपर कहा गुरु सेवा करके ही विद्यार्थी काल में और जब शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता था तब विद्या दान दे कर ही गुरु के प्रति अपने ऋण को चुकाता था ; इसमें न तो उसे कुछ हीनता दीखती थी और न उसके हृदय में कोई ऐसी भावना उठती थी कि वह कुछ अपने निजी स्वत्व भी रखता है जिन को अगर वह दूसरों के प्रति काम में ला सकता है, तो अपने शिक्षकों को भी उन अधिकारों के लपेट में लाये बगैर वह नहीं रह सकता । वे दिन भी बीत चुके और आज सभी जगहों में कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार छोड़ कर अपने स्वत्वों और अधिकारों को ही अधिक महत्व दिया जा रहा है इसलिये हमारे विद्यालयों में भी विद्यार्थी बहुत स्थानों में यह नहीं समझते कि वहाँ वे सीखने आये हैं और जिन्होंने उनके लिये सीखने पढ़ने का साधन जुटा दिया है उन के प्रति उन्हें कृतज्ञ द्रोना चाहिये । बल्कि वे यह भी समझते हैं कि उनके भी कुछ अधिकार हैं जो जन्म सिद्ध हैं और जिन का बरतना आवश्यक है चाहे उस से उनकी अपनी शिक्षा में ही हानि क्यों न पहुँचती हो । आये दिन यह सुनने में आता है कि जिस तरह बड़े कारखानों में मजदूरों की हड़ताल हुआ करती है उसी तरह शिक्षालयों में विद्यार्थियों की भी हड़ताल हो जाती है । यह देश एक ऐसी संघ्यास्थिति में है जिस में प्राचीन और अर्वाचीन—पूर्वी और पश्चिमी—देशी और विदेशी—विचार धाराएँ टक्कर खा रही हैं । और इम में आश्चर्य नहीं कि इस टक्कर के फलस्वरूप बहुत फेन जिस में अन्दर कोई ठोस वस्तु नहीं है देखने में आ रहा है । मैं आशा करूँगा कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी फेन के नीचे जो स्वच्छ जल बह रहा है उसका पान करेंगे, चाहे वह पूरब का हो अथवा पश्चिम का । सब से अच्छा तो यह होगा कि दोनों धाराओं को मिला कर केवल एक नयी धारा ही नहीं बनावें बल्कि उस धारा को नहरों और नालियों के द्वारा सभी जगहों में पहुँचाने का भी प्रयत्न करें और जिस तरह शेखा-वाटी की बालुका मयी मट्टी भी जल पा कर हरी भरी हो जाती है उसी तरह देश वासियों के हृदयस्थल को हरा भरा बनाने में मददगार हों ।

मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह पंडित मुखदेव पांडे जैसे एक विद्वान और विद्याव्यसनी शिक्षा शास्त्री अपने साथ अनेकानेक शिक्षकों को ले कर इन विद्यालयों को मुचारू रूप से चलाने में सतत प्रयत्न शील है उसी तरह विद्यार्थी गण भी शरीर को स्वस्थ और सुगठित बनायेंगे, मस्तिष्क को तीव्र और विद्या का खजाना बनायेंगे और ऐसा चरित्र उपाजर्न करेंगे जिस से अपना और दूसरों का कल्याण कर सकें । बिड़ला परिवार को बधाई देने के अतिरिक्त मुझे इन विद्यालयों के सबन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना मैं कहूँगा उस से अधिक इन विद्यालयों के प्रति उन की अपनी सद्भावना और इन की उन्नति के लिए तत्परता और उत्सुकता उन में वर्तमान है । दिन प्रति दिन क्रियात्मक रूप से उस का परिचय भी हम सब को मिलता जा रहा है ।

मुझे इस समारोह में आमंत्रित कर के आप ने यह मुअवसर दिया और जब से मैं आता रहा हूँ और इस बार भी जब से यहाँ पहुँचा हूँ आप ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया और जैसा प्रेम दिखलाया है सब के लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । और आशा करता हूँ कि ये संस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगी और यह स्थान एक आदर्श विद्यापीठ बन जायेगा ।



## बिरला इन्जीनियरिंग कालेज ब्लाक का उद्घाटन

पहले से तैयार किया हुआ भाषण पढ़ चुकने के बाद राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित बातें भी कहीं—

अभी भाई घनश्यामदास जी ने जैसा बताया अपने भाषण को उन्होंने ने मेरे पास लिख कर भी भेज दिया था। मुझे अफसोस है कि मैं उसे ठीक से पहले पढ़ नहीं सका। उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो बुनियादी तालीम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि यहां पर स्कूलों में उसका प्रयोग किया गया था पर उसमें अपने को असफल समझ कर उसे छोड़ देना पड़ा। मैं जानता हूं कि बुनियादी तालीम के सम्बन्ध में आज मतभेद है और मैं यह भी जानता हूं कि अभी कही भी जैसा कि मैं चाहता हूं उसका प्रयोग ठीक तरह से नहीं किया गया है। उसका कुछ प्रयोग बिहार में किया गया है और जहां तक मैं जानता हूं उसमें उनको कुछ सफलता मिली है। यह जो मेरा विचार है वह कोई मेरा अपना विचार नहीं है; यह तो ऐसे लोगों का विचार है जिन्होंने इसका प्रयोग करके देखा है। यह प्रयोग १९३८ साल में महात्मा जी ने चलाया था। यों तो सभी प्रान्तों में इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया गया पर जैसा वायुमंडल बिहार में था और वहां जिम तरह से काम किया गया वैसा और प्रान्तों में नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वहां पहले थोड़े दायरे में प्रयोग करके देखा गया और इसके लिये वहां एक सुयोग्य व्यक्ति मिल गये और उन्होंने पहले कुछ लोगों को तालीम देकर तैयार किया और फिर उनको इस काम में लगाया। तीन चार वर्षों तक यह काम चलता रहा। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट टूट गयी और यह काम रुक गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर कायम हुई तो उन्होंने इस काम को जारी किया क्यों कि तीन चार वर्षों के प्रयोग में उन्होंने देख लिया था कि इस तालीम में क्या खूबियां हैं। इंग्लिये पिछले तीन चार वर्षों से यह काम बढ़ा चलता रहा है। इन सान वर्षों के काम को देखा गया तो मान्य हुआ कि कुछ न कुछ उनको सफलता मिली है। उनका खयाल है कि बुनियादी तालीमी स्कूल से जिनने विद्यार्थी निकाले हैं दूसरे स्कूलों में जो विद्यार्थी निकलते हैं उनसे अधिक चतुर, ज्ञानवान् और समझदार निकलते हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि खर्च के सम्बन्ध में भी जैसा सोचा गया था अगर सोलह आना नहीं तो बारह आना खर्च भी निकल आया है। वे लोग मानते हैं कि बीच के तीन वर्षों में भी अगर उसी उत्साह से काम होता रहता तो और भी उमकी उत्पत्ति होती। अब वहां इस चीज को और भी बढ़ाया जा रहा है। वहां की गवर्नमेंट भी इसमें दिलचस्पी ले रही है और इसको बढ़ावा दे रही है। अब देखना है कि इसमें उनको कहां तक सफलता मिलती है। मुझे अफसोस है कि जब जब मैं यहां आया तो मेरा सम्पर्क यहां के कालेजों से ही रहा और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों से मेरा कोई सम्पर्क नहीं रहा। अगर उस वक्त मैं इस बात को देखता जिस वक्त यह शिक्षा दी जाती थी तो मैं ज़रूर बताना कि क्या करने से सफलता मिल सकती है और इसके सम्बन्ध की दूसरी चीजें भी बताना। आज की शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट किया करता हूं; अपना असन्तोष प्रकट किया करता हूं। आपका यह कहना कि असन्तोष प्रकट करना तब तक बेजा है जब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं ठीक है। मगर जब किसी प्रकार का भी असन्तोष होता है तो उसको जाहिर करना पड़ता है और तब उसको दूर करने का रास्ता निकाला जाता है। जैसा अभी मैं ने कहा कि अभी हम लोग संधिकालीन स्थिति में हैं। अभी हम सभी बातों को देख रहे हैं, जो

रहे हैं। अभी जो शिक्षा-क्रम जारी है उससे मुझे सन्तोष नहीं है। इसके सम्बन्ध में अभी मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ वह दूसरी बात है। मैं तो आशा करता हूँ कि जितने लोग शिक्षा में दिलचस्पी रखते हैं चाहे वे शिक्षा विभाग के लोग हों चाहे दूसरे लोग हो जो शिक्षा में मदद करने हैं जैसा आप लोग, सब को सोचना है कि शिक्षा पद्धति में क्या त्रुटि है और कहा तक उसको बदलना जरूरी है। जैसा आपने कहा केवल ज्ञान की किताब लेकर ढूँढने की चीज शिक्षा नहीं होती उसका कुछ फल भी होना चाहिये। आजकल की शिक्षा पद्धति का सब से बड़ा दोष है कि उससे हमारी योग्यता नहीं बनती है। मैं ने अभी हाल ही में अपने किसी भाषण में कहा था कि १०० वर्ष पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस शिक्षा पद्धति को जारी किया और चलाया वही अभी भी जारी है, यद्यपि समय बदल गया है। यह तो पिछले चन्द्र वर्षों में ही कुछ कुछ स्थान इस तरह की शिक्षा पाये लोगों को मिलने लगा है पर अभी भी बहुत काफी स्थान नहीं मिल सका है। मेरा तो अमन्तोष आज की शिक्षा पद्धति से है। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि जो शिक्षा ले उनको तो लाभ पहुँचे ही दूसरों को भी उससे लाभ हो। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सब को विचार करना है, रास्ता ढूँढना है। तीन चार वर्षों से जब मैं हमारे हाथों में अधिकार आया हम ऐसे कामों में बसे रहे कि सब चीजों की ओर हम ध्यान नहीं दे पाये हैं। हम अभी झड़टों से निकल नहीं पाये हैं। यदि इन कारणों से हम अधिक कर नहीं पाये तो इससे घबड़ाना नहीं चाहिये। सब बात तो यह है कि जैसा आपने कहा कोई काम जो अच्छी भावना से किया जाता है उगमें सफलता भी होती है, उगमें बुराई नहीं होती। जैसा आप चाहते हैं पहले के मिलसिले को फिर में बदलना होगा और जैसा आप कहते हैं कि आज तक आपको पैसे की दिक्कत नहीं हुई है जैसे ही किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि यह विद्यालय हर वर्ष उत्तम होता रहेगा और उत्तम का अर्थ ही होता है कि अगर कोई चीज बेकार हो गयी तो उगको छोड़ कर उसके स्थान में नयी चीज अपना लेना। इन शब्दों के साथ मैं इस नये भवन का उद्घाटन कर देना चाहता हूँ।

### अय्यपुर में नागरिक अभिनन्दन

तारीख १२-२-५१ को जयपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये मानपत्र के जत्राव में गण्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम महाराजा साहब, जयपुर म्युनिसिपल काउन्सिल के अध्यक्ष महाशय, और दूसरे सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ उम मान प्रतिष्ठा के त्रिपे और उम प्रेम के लिये जो मानपत्र देकर और दूसरे प्रकार से आपने दर्शाया है। आपने ठीक ही कहा है कि जयपुर में मैं पहले भी आ चुका हूँ और आपकी बहुत सी प्रसिद्ध जगहों को देख चुका हूँ। इस बार एक नयी हैमियन से आया हूँ इतना ही मुझ में फर्क है नहीं तो मैं वही पुराना हूँ जो पहले मैं था।

आपने मानपत्र में ठीक ही कहा है कि इस वक्त केवल भारत ही नहीं बल्कि मारी दुनिया ही एक बहुत नाजुक समय से हो कर गुजर रही है और सभी देशों के लोग आज बड़ी चिन्ता में अपने दिन काट रहे हैं। औरों को जो चिन्ता है वह तो है ही पर भारतवर्ष को आज कुछ विशेष चिन्ताये

है जिनके लिये हम दिन रात इस फिक्क में पड़े हैं कि किस तरह मे उनके कारणों को हम दूर करें। इसके और भी कारण हो सकते हैं लेकिन इस देश की परिस्थिति स्वराज्य प्राप्तिके बाद जो नया काम आरम्भ हुआ है उससे सम्बन्ध रखती है। मगर इम साल में खास करके ऐसे भी कारण पैदा हुए हैं जिनका सम्बन्ध ईश्वर से है। कई वर्षों से इम देश में हम अन्न की कमी महसूस करते आये हैं और इसके लिये हम अन्न विदेशों से मगाते भी रहे हैं। मगर इम साल में कुछ दैवी प्रकोप ऐसा रहा है कि कहीं तो अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, कहीं भूकम्प के कारण कहीं अनावृष्टि के कारण और अब कहीं कहीं टिड्डियों के कारण जो फसल खेतों में लगी थी वह खराब हो गयी है और हो रही है। इन सब का मिलजुल कर फल यह हुआ है कि इस वक़्त हमारे देश में अन्न की कमी हो गयी है और वह कमी राजस्थान के अन्दर लोग बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं मुझे इसकी सूचना मिली है। हाल में भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि विदेशों से आज तक जितना अन्न कमी नहीं मंगाया गया था उतना अन्न मगाया जाये और हम आशा करते हैं कि अगले महीने दो महीने के अन्दर विदेशों से अन्न काफी मात्रा में आने लग जायेगा। यह भी आशा की जाती है कि जहा जहां रब्बी की फसल है वह भी तैयार हो जायेगी और इस तरह से हालत सुधरेगी। उन हिस्सों में जहां खरीफ़ की फसल,—धान और मक्की— दोनों खराब हो गयी और रब्बी भी खराब हो गयी वहां की हालत तो अगले आश्विन मास के पहले तक नहीं सुधरेगी क्यों कि उस के पहले तक वहां कोई भी फसल तैयार नहीं की जा सकती है। इसलिये बहुत सोच समझ कर भारत सरकार को काम करना पड़ रहा है और इसमें जो प्रान्तीय सरकारें हैं वे भी उसका साथ दे रही हैं और हम तो यह आशा करते हैं कि सभी प्रान्तों के लोग हिम्मत के साथ इस विपत्ति का मुकाबला करके किसी न किसी तरह दिन काट ले जायेंगे। जो कुछ है उसी को सब को बांटकर खाना है और इस लिये जो कुछ थोड़ा बहुत है उसको बांटने का इन्तजाम इस वक़्त सभी जगहों में राशनिंग द्वारा किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि राशनिंग में जितना अन्न मिलता है वह एक आदमी को पेट भरने के लिये काफी नहीं है और इसमें केवल यही नहीं कि उसे खुगक का कष्ट होता है बल्कि इमका भी डर है कि उसके स्वास्थ्य पर भी इमका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जैसी स्थिति आ गई है उसमें जहां तक हो सकता है उसे हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि लोगों के सहयोग और मदद में इम प्रयत्न में हम इतना तो अवश्य सफल होंगे कि कहीं कोई भूख से मरने न पावे। लेकिन कुछ कष्ट तो लोगों को होगा ही। और मैं आपसे यह कहूंगा कि आप यह नहीं समझें कि राजस्थान को कोई भूले हुए है या राजस्थान की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं है। इसका ध्यान आपकी ओर उतना ही लगा हुआ है जितना कि और किसी भी प्रान्त की ओर और आपकी वह उतनी ही सहायता करने को मुस्तैद है जितनी महायता वह दूसरे किसी भी भाग की कर सकती है या करने को तैयार है। फारसी की एक मिसाल है कि अगर मरना भी हो तो हम एक साथ होकर मरें। अगर कष्ट भी हो और उसे देश के सभी लोग मिल कर सहते हैं तो वह हलका हो जाता है। हमको आज उसी हिम्मत को जानना है, उसी साहस को उठाना है जिसके द्वारा भारी से भारी विपत्ति का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप इतना सुनकर यह नहीं समझें कि हालत इतनी बुरी है कि और कोई चारा ही नहीं है। हालत बुरी है मगर सम्भाल के बाहर नहीं है और इसलिये सब के सहयोग के साथ प्रयत्न किया जाये और कष्ट उठा कर भी हम स्थिति को सुधार सकें तो हम भारी कष्ट से लोगों को बचा

सकेंगे। इसीलिये राशनिंग कायम किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि जब हालत सुधर जायेगी तो जो राशनिंग कायम किया गया है वह दूर कर दिया जायेगा।

इस समय देश की हालत और कई विषयों में भी चिन्तनीय है। अभी तीन ही साल हुए हैं कि हम को स्वराज मिला और स्वराज के जन्म के साथ साथ हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। हमने यह सोच कर देश का बंटवारा मंजूर कर लिया था कि उससे शान्ति होगी और जितना देश का हिस्सा हमारे हाथ में रह जायेगा उसको हम अच्छी तरह से देख सकेंगे और सुधार सकेंगे और शांतिपूर्वक उसकी उन्नति में अपना समय लगा सकेंगे। बंटवारे के साथ साथ जिम शांति की हमने आशा की थी वह शान्ति हमें नहीं मिली बल्कि शान्ति के बदले में एक ऐसी अशान्ति आयी जिसका मुकाबला हमको करना पड़ा और ऐसी अशान्ति का मुकाबला शायद ही किसी दूसरे देश को करना पड़ा हो। भारत सरकार के सर पर ७० लाख उजड़े हुए लोग आ गये जिनको न रहने का स्थान, न खाने के लिये अन्न और न पहनने के लिये कपड़े थे। सभी अपने अपने स्थानों पर मुखी थे मगर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जान लेकर उन को भागना पड़ा और जब वे किसी तरह से हमारी सरहद के अन्दर आ गये तो उन्होंने सोचा कि कम से कम जान तो बची। उनके बसाने का प्रयत्न उसी समय से होने लगा। कुछ दिनों तक तो यही काम हमको करते रहना पड़ा कि हम किसी तरह से कहीं न कहीं उनको रहने का आश्रय दें, खाने के लिये अन्न पहुंचा दें, पहनने के लिये कपड़े पहुंचा दें। फिर पीछे उनको बसाने का भी प्रयत्न किया जाने लगा। इस बीच उनको बसाने के काम में हमें कुछ सफलता मिली और आपको यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिये कि जो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब में आये थे उनमें से अधिकांश खेती करने वाले थे; उनके साथ जमीन बन्दोबस्त करके कहीं न कहीं उनको आश्रय दिया गया है। बहुतेरों को व्यापार करने के लिये रुपये की मदद दी गयी, बहुतेरे लोगों को नौकरियां दिला कर उनको सहारा दिया गया। उनके बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध सभी जगहों में किया गया क्यों कि भविष्य तो बच्चों का ही है। पूर्वी बंगाल से भाग कर दो मरतवे लोग आये हैं एक बार तो १९४७-४८ में के बी व और फिर दूसरे मरतवे १९५० के आरम्भ में। वहां पर अभी काम उतनी दूर तक नहीं पहुंचा है जितनी दूर तक कि पंजाब में पहुंचा है। क्यों कि वहां आने वाले अभी इस साल में भी आये हैं और जो आये हैं वे अपना चित्त अभी स्थिर नहीं कर पाये हैं कि वे कहां बसेंगे, किस तरह से रहेंगे। उनमें से बहुतेरे वापस जा रहे हैं। मगर तो भी जो कुछ काम हुआ है वह संतोषप्रद है और मैं यह कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ है अगर कोई उसे निष्पन्न हो कर देखे तो उससे उसको संतोष होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि जितना होना चाहिये वह सब कुछ हो गया है। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है और भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें इसे अच्छी तरह से महसूस करती हैं और मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारियां उन पर आ गयी हैं उनको अच्छी तरह से अदा करती हैं।

विदेशों के साथ जो हमारा सम्बन्ध रहा है वह अच्छा ही रहा है। १९४७ में जब अंग्रेजी सल्तनत ने हमारे हाथों में अधिकार सौंप दिया तो हमको विदेशों के साथ अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ना पड़ा। उस वक्त तक दुनिया के नक्शों में भारत का कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं था। भारत के राजदूत किसी भी देश में नहीं होते थे। उसी वक्त से पहले पहल स्वतन्त्र भारत की ओर से

राजदूत और देशों में नियुक्त होने लग और अब प्रायः सभी बड़े और अन्य देशों में हमारे राजदूत हैं और उनके राजदूत हमारे देश में हैं। इसके अलावा जो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आयी उसमें हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर ऐसा काम किया और भारत सरकार का रास्ता ऐसा रहा है कि जिनमें भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। यह काम कुछ आसान नहीं था। हमको इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय कामों का पहले से अनुभव नहीं था और दूसरे राष्ट्रों के साथ कोई विशेष परिचय भी नहीं था। मगर तो भी हमारे लोगो ने इस काम को खूबी के साथ अजाम दिया और उसकी वजह से भारत का सर ऊंचा हुआ है।

देश के अन्दर जो सब से बड़ा काम इन तीन वर्षों के अन्दर हुआ है वह यही हुआ है कि इस देश के लोग आज एक संविधान के अधीन एक कोने से दूसरे कोने तक रह सकते हैं। और केवल वही हिस्सा नहीं जो पहले ब्रिटिश राज के सीधे शासन के अन्दर था बल्कि भारतवर्ष का वह हिस्सा भी जो हमारे देश के नरेशों के अधीन था एक छत्र के अन्दर आकर सब मिल जुल कर एक होकर काम करना चाहता है। आप को यह जानकर गर्व होना चाहिये कि यद्यपि भारत के दो कोने दो पक्ष की तरह कट गये हैं मगर तो भी जो उसका बचा हुआ भाग है वह इतना बड़ा भारत है जितना कि आज के पहले कभी भी इतिहास के अन्दर एक संविधान के नीचे, एक राज्य के अन्दर, एक छत्रछाया के अन्दर नहीं हुआ। इस काम के शुरू करने में हमारे देश के नरेशों का कम हाथ नहीं रहा, उन्होंने काफ़ी त्याग की भावना दिखलायी है। यह होना भी था। एक तरफ तो जनता की जागृति थी और दूसरी तरफ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह मान लिया कि भारत की जनता के हाथों में अधिकार सौंपना अब मुनासिब है, तब हमारे देश के अपने राजा कैम इस बात को नहीं मानते कि अब जमाना आ गया है कि जनता के हाथों में अधिकार सौंप देना ही श्रेयस्कर काम है। यह उनकी अपनी बुद्धि, दूरदर्शिता और देशप्रेम का परिचायक है कि उन्होंने बहुत आसानी से इस काम को पूरा होने दिया और पूरा कर दिया और आज भारत के लिये यह गौरव की बात है कि हमारा देश एक संविधान से शान्ति हो रहा है। यह काम बड़ा है। मगर साथ ही साथ हमारी जवाबदेही भी बहुत बढ़ गयी है। मेरा अपना विचार है कि स्वराज लेना आसान था, स्वराज चलाना उससे कठिन है और जिस वक़्त हम ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे उस समय हमारे सामने एक ध्येय था जिसमें सभी लोग शरीक हो सकते थे और सबों ने मिल जुल कर वहाँ तक पहुँचने में साथ दिया। जब हम उस जगह तक पहुँच गये तो हमारे आगे अपने विचार भी सामने आने लगे, जो मतभेद दवा था वह भी प्रकट हो गया और आज हम एक ऐसी सधिकाशील स्थिति में हैं कि हमारे सामने तरह तरह के प्रश्न आते हैं और तरह तरह के विचार वाले तरह तरह के विचार रखते हैं। इन सब कठिनाइयों के होते हुये अगर आप देखते हैं कि शासन का काम उनका अच्छा नहीं और सुव्यवस्थित नहीं किया गया है जितना होना चाहिये था तो आप समझें कि इसमें किसी का दोष नहीं है। बहुतो स्थिति का स्वाभाविक फल है। मगर इनकी कठिनाइयों के बावजूद जो आज इस देश को हम स्वतन्त्र रख सके हैं और कुछ अच्छा काम भी कर सके हैं उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये। अभी हमारे लोग शायद बधाई के पात्र नहीं हैं मगर ईश्वर धन्यवाद का पात्र तो है ही क्यों कि हमारी दुर्दशा में हमें कड़ी बरी दो सकती थी जो है। मैं तो आशा रखता हूँ कि जिस हिम्मत और उत्साह

के साथ भारत के लोगों ने स्वराज प्राप्त किया उसी उत्साह और हिम्मत के साथ आज देश को समुन्नत बनाने में सब को साथ देना चाहिये और मेरी यह धारणा है कि जितने त्याग और कष्ट उठाने की जरूरत स्वराज पाने के समय थी उससे अधिक जरूरत इस वक्त त्याग करने और कष्ट उठाने की है। जब हम इसके लिये तैयार होंगे तभी हम देश को उन्नत कर सकेंगे और देश को हरा भरा बना सकेंगे, गरीबी यहाँ से दूर कर सकेंगे निरक्षरता दूर कर सकेंगे, बीमारियाँ यहाँ से दूर कर सकेंगे और वैसा ही बना सकेंगे जैसे का चित्र महात्मा जी अपने सामने रखते थे और जिस तरह के भारत का स्वप्न हम सब देखा करते थे। हर एक भारतवासी का चाहे, गरीब से गरीब क्यों न हो, मजदूरी का काम क्यों न करता हो, चाहे समाज में बड़े बड़े स्थान पर क्यों न हो धनी और हर तरह से प्रतिष्ठित पुरुष क्यों न हो, कर्तव्य होना चाहिये कि इस देश को और समुन्नत करने में उस से जो कुछ बन पड़े वह करे। हम में से हर आदमी को अपने धर्म का पालन करना चाहिये और जब सब अपने कर्तव्य का पालन करने लग जायेंगे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि समय आयेगा और जल्द समय आयेगा कि जब सब की सच्चाई और सब की सद्भावना ऐसा वायुमंडल पैदा कर देगी जो देश की समुन्नति के लिये अत्यन्त उपयुक्त होगा और जिसमें देश पर्याप्त उन्नति कर सकेगा।

आप जानते हैं कि मेरी एक अजीब हैसियत है। हमारे संविधान के मातहत सब काम मेरे नाम से होते हैं। बहुत कागज़ों पर मुझे दस्तखत भी करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे नाम पर होते हैं पर जिनकी खबर भी मुझे नहीं होती क्यों कि संविधान का ऐसा ही नियम है। मगर यह सब होते हुये भी आप यह नहीं समझें कि मैं बिल्कुल एक निकम्मा आदमी हूँ और ब्रेकार जगह पर बैठा हूँ। जो कुछ भी सेवा मुझ से हो सकती है वह मैं करता हूँ। इन सभाओं में जिन बातों को मैं महत्व देता हूँ उनके बारे में लोगों से कहता हूँ और यह सुझाता हूँ कि किस तरह से लोग इस देश को ऊँचा उठाने में मदद दे सकते हैं। इसी भाव को लेकर मैं इन दिनों फिर रहा हूँ और देश में काफी घूमा हूँ और बहनो और भाइयों को सुनाता हूँ और जिन भाइयों और बहनो से मिलने का, कुछ कहने का मौका नहीं मिलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भाई और बहन मुनते हैं उन तक किसी न किसी तरह पहुँचा दोगे। तो आप से मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश को समझें और इस बात को महसूस करें कि अब इस देश में जो कुछ बनता है उसका श्रेय आपको ही मिलना है, और जो कुछ विगड़ता है उसकी शिकायत आपकी ही होती है और अभी कुछ दिनों के बाद जब चुनाव होगा, तब आपको अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने होंगे कि वे इस सारे भार को अपने ऊपर उठा करके देश की भलाई के लिये आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सकें। वह चुनाव इतना बड़ा होगा कि जितना बड़ा चुनाव भारत और दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। १७-१८ करोड़ आदमी उसमें वोट देंगे और ३५०० के लगभग मेम्बर प्रान्तों की धारा सभाओं के लिये और केन्द्रीय संसद् के लिये चुने जायेंगे। इन आदमियों को वोट देने का इन्तजाम करना एक इतना बड़ा काम है कि जितने बड़े काम का सामना आज तक किसी भी दूसरे देश को नहीं करना पड़ा है। हमको अपने इस प्रजातन्त्र का थोड़ा ही अनुभव अभी है और हमको इतने बड़े काम का सामना करना पड़ रहा है। हमारे प्रजातन्त्र की परीक्षा इसी के साथ हो रही है। अगर हम अच्छे आदमी चुनकर भेजेंगे जो अच्छा काम करेंगे तो उससे बढ़ कर हमारे लिये कोई खुशी की बात नहीं

होगी। अगर गलत आदमियों को चुन कर भेजा तो फिर हम दूसरों पर दोष नहीं डाल सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी स्त्री और पुरुष अपने अधिकार को समझे और अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। अधिकार तो यह है कि उनके हाथ में शासन पूरी तरह से आ गया है और कर्तव्य यह है कि उसको इस तरह से चलाया जाये कि देश की भलाई हो और अगर प्रत्येक का स्वार्थ नहीं तो प्रत्येक की भलाई हो। अगर इस भावना को लेकर आप देश का काम करेंगे तो मुझे इस बात का विश्वास है कि ऐसे लोग निकलेंगे जो आज की त्रुटियों को दूर कर सकेंगे। और अब शायद यह भी उम्मीद की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता स्थिति भी बदलेगी, सुधरेगी और हम हर तरह से उन्नति के पथ पर चल सकेंगे। इसलिये मैं सबको जाकर यह कहता हूँ। मैं किसी खास पार्टी या दल की तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे आदमी को चुने ऐसे आदमी को जो सच्चाई के साथ, बहादुरी के साथ, देश प्रेम के साथ देश की सेवा करें और अगर ऐसा होगा तो उसका लाभ हम में से प्रत्येक उठा सकेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से प्रत्येक को हानि भी उठानी पड़ेगी।

म्युनिसिपैलिटी का आपने जिक्र किया कि उसको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह तो आपने ठीक ही कहा है। आपकी म्युनिसिपैलिटी की जो स्थिति है वही देश की सभी म्युनिसिपैलिटी की है और प्रान्तीय सरकारों की और केन्द्रीय सरकार की भी है। सब का खर्च बढ़ रहा है और आमदनी अभी बढ़ाई नहीं जा सकती है। अगर चतुराई तो इसमें है कि जो कुछ आमदनी हो उसी में काम खूबी से चलाया जाये। राजस्थान तो विशेषकर एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ बहादुर क्षत्रिय और दूसरे व्यापारी बसते हैं। जहाँ जरूरत होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ क्षत्रिय काम करेंगे। मगर इस वक्त जरूरत व्यापार बुद्धि की है जो बुद्धि आज सारे ससार में, और नहीं तो कम से कम सारे भारतवर्ष में व्यापार चला रही है वह बुद्धि क्या यहाँ की व्यवस्था नहीं चलायेगी। चलाना चाहिये और यहाँ कम से कम यह आदर्श सामने आना चाहिये कि कम खर्च में अच्छा काम कर दिखलावे। यहाँ पर आपकी म्युनिसिपैलिटी खूब अच्छी होनी चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो यह आश्चर्य की बात नहीं कि वह बहुत खूबी से काम करे।

मैं और आपसे क्या कहूँ। आपने जो आदर और प्रेम दिखलाया उसके लिये एक बार फिर ब्रह्मवाद देना चाहता हूँ।

### गांधी मेला, गलता

तारीख १२-२-५१ को गलता, जयपुर में गांधी मेले में राष्ट्रपति जी ने उपदेश देते हुए कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं यहाँ बहुत कम समय के लिये ही आ सका हूँ। आज का दिन ऐसा था कि आप सब लोगों से भेंट करके आप सभी भाइयो और बहनो के साथ

चलाने में मैं अपने को धन्य मानता और साथ साथ काम भी चलता। मगर मेरा कार्यक्रम पहले ही बन चुका था। उसी में से १०-५ मिनट निकाल कर मैं यहाँ आया हूँ। इसलिये आप मुझ से यह उम्मीद नहीं रखें कि मैं कोई यहाँ बड़ा भाषण दे सकूँगा। अगर भाषण सुनने की इच्छा हो तो आप लोग जयपुर चल कर भाषण सुनें। आज महात्मा जी का पुण्य दिवस है। आप इसे केवल रस्म की तरह नहीं मनावें बल्कि महात्मा जी ने जो कुछ सिखाया और बताया उसका प्रचार करके इस दिन को मनावें तब तो इस उत्सव का कुछ न कुछ अर्थ हो सकता है और अगर सिर्फ रस्म की तरह कुछ बहन और भाई आये और चले गये तो इससे कुछ लाभ नहीं। महात्मा जी को स्वर्गवासी हुये तीन साल बीत गये। इस बीच देश में बहुत उथल पुथल हो गया है। यह हर्ष की बात है कि महात्मा गांधी जी ने जो कुछ सिखाया उसका आप प्रचार कर रहे हैं जिसमें हरेक मनुष्य अपने जीवन में उसी के अनुसार काम करने का प्रयत्न करे। यह सतोष की बात है कि आज के इस मुनीत दिन पर इतने लोग इस प्रदर्शनी में शरीक हुए हैं।

मेरा जो अभी का कार्यक्रम है उसमें १५ मिनट के लगभग देर हो चुकी है इसलिये मैं आप सब भाई और बहनों से छुट्टी चाहता हूँ।

### मेयो कालेज में पारितोषिक वितरण

तारीख १३ फरवरी को मेयो कालेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—

राजन, आचार्य महोदय, बहनों और भाइयों,

इस समारोह में भाग लेने में मुझे विशेष हर्ष हुआ है। युवक युवतियाँ ही इतिहास के दाय के उत्तराधिकारी हैं और उन्हीं पर देश के भविष्य और भाग्य का उत्तरदायित्व पड़ने वाला है। उन्हीं के आदर्श, उन्हीं के उत्साह, उन्हीं की लगन और उन्हीं की निष्ठा से देश में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। अतः उन से मिलने में मुझे सर्वदा हर्ष होता है और विशेषतया ऐसे अवसर से तो और भी अधिक प्रसन्नता होती है जिसमें मुक्ति में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्रकट करने वाले युवक युवतियों के सम्मान में उपहार इत्यादि देकर भाग ले सकूँ। वे सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिन विद्यार्थियों को आज किसी प्रकार का उपहार नहीं मिला है उन्हें यह समझना चाहिये कि जीवन में जो सब से महत्वपूर्ण बात होती है वह सफलता उतनी नहीं होती जितनी कि ऐसी साधना जो कठिनाइयों और मुसीबतों के सामने कम न होकर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। अतः उन्हें यदि आज वैसी सफलता नहीं भी मिली है जितनी कि उनके अधिक भाग्यशाली भाइयों को मिली है तो भी उन्हें अपना साधना और प्रयास में किसी प्रकार की कमी न करनी चाहिये। और सर्वदा ही अदम्य उत्साह और अक्षय निष्ठा से जीवन में चरम सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि इस विद्यालय का उनसे यही तकाजा है। इसके इतने दीर्घकालीन जीवन में कितने ही राष्ट्रपुत्रों ने यहाँ शिक्षा पाई और यहाँ से जाकर देश और राजस्थान की सेवा की।



इस विद्यालय ने उन्हें वर्तमान विचारधारा और आदर्शों से अनुप्राणित किया। कुछ सीमा तक इस में प्रदत्त शिक्षा का यह परिणाम था कि जब १९४७ में राजस्थान के और अन्य रियासतों के नरेशों के सामने राष्ट्रीय एकता और निजी प्रभुत्व में से एक को चुनने का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उन्होंने स्वेच्छा से और हर्ष पूर्वक राष्ट्रीय एकता को पसन्द किया और अपने प्रभुत्व को संघ सरकार में विलीन कर दिया। इस प्रकार की राजनैतिक क्रान्ति के उदाहरण संसार के इतिहास में कम ही मिलते हैं और मेरा विचार है कि इस अनोखी क्रान्ति में स्वेच्छा से भाग लेने की शक्ति उन नरेशों में से अनेकों को उन्हीं आदर्शों से प्राप्त हुई जिनका बंजारोपण यह विद्यारण्य इनकी दशाब्दियों में बगवर करता रहा है।

आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं और राजपुत्रों की शिक्षा के जिम ध्येय से इस विद्यालय की स्थापना की गई थी वह अब इसके सामने नहीं रहा है। हम अब ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सब नागरिकों के समान अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे और जिस में वे सब एक साथ ही राजा और प्रजा दोनों होंगे। मुझे इस बात से सन्तोष है कि इस बदली हुई परिस्थिति को इस विद्यालय के संचालकों ने यथा समय समझ लिया है और इस विद्यालय को अन्न जनता के प्रत्येक वर्ग और भाग के लिये खोल दिया है जिससे कि यह साधारणतया भारत के और विशेषतया राजस्थान के नागरिकों की वैसी ही सफल सेवा कर सके जैसी कि अपने लम्बे जीवन में इसने राजपुत्रों की की थी।

हमारे देश में ऐसे अनेक युवक-युवतियों की आवश्यकता है जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो और जो मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक दृष्टियों से इतने सक्षम और पुष्ट हों कि सहज में ही अपने देश भाइयों के पथ-प्रदर्शन और उत्साह का कार्य कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के चारित्रिक गठन और मानसिक विकास में आप के जैसे विद्यालयों का महत्वपूर्ण भाग है और रहेगा।

सार्वजनिक विद्यालय या पब्लिक स्कूल यह काम सफलतापूर्वक इसीलिये ही कर सकते हैं क्योंकि वे अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी शिक्षा देकर ही सन्तुष्ट नहीं होते वरन् उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ऐसे आदर्शों के साँचे में ढालते हैं जो सामूहिक जीवन के लिये प्रत्येक दृष्टि से अधिकतम उपयुक्त हैं, और यह कार्य ऐसे सामाजिक और शैक्षिक वातावरण में करते हैं जिसमें यह अत्यन्त सरलता और स्वाभाविकता से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में अपना सम्पूर्ण जीवन इन विद्यालयों और इनके छात्रावासों में सामूहिक रहन सहन के तरीके से बिताते हैं, और इस प्रकार उन पर केवल वे ही प्रभाव सतत कार्य करते हैं जिनके द्वारा ये विद्यालय इन विद्यार्थियों के जीवन को ढालना चाहते हैं। अतः अन्य विरोधी प्रभावों से सर्वथा मुक्त और अछूता होने के कारण अपने ही आदर्शों के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को बनाने में इन्हें कोई बड़ी बाधा नहीं होती। साथ ही विद्यार्थियों को सामूहिक जीवन को सफलता से चलाने के लिये जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे सब इन विद्यालयों में व्यावहारिक रूप में सामूहिक जीवन बिताने के कारण सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं।

किन्तु साथ ही मैं एक बात की ओर इन विद्यालयों के संचालकों और आचार्यों का ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूँ। उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि जिस नेतृत्व की क्षमता वे अपने विद्यार्थियों में पैदा करना चाहते हैं वह नेतृत्व मानव जाति के उपकार और सेवा की साधना से अनुप्राणित नेतृत्व हो न कि वह नेतृत्व जो अपने से कम भाग्यशाली और योग्य लोगों की शक्ति और समय को अपने निजी स्वार्थों को पूरा कराने में लगाने का होता है। प्राचीन काल में हमारे देश में जो गुरुकुल थे उनका ध्येय भी अपने विद्यार्थियों को नेतृत्व की क्षमता देना था किन्तु वे इसी प्रकार के नेतृत्व के प्रदान करने का प्रयास करते थे कि उनका विद्यार्थी भगवान् कृष्ण के समान अपनी अहम्मन्यता को भूल कर कर्तव्य पालन के लिये अवसर पड़ने पर सारथी भी बन जाये। समाज रथ के संचालन का भार शिक्षित दीक्षित व्यक्तियों का और विशेषतया उनमें से ऐसे व्यक्तियों का ही होता है जिनकी नसों में योवन का रक्त बहता है और जिन के मन में भविष्य को सुन्दर और सुखद बनाने का अदम्य उत्साह होता है। अतः इन गुरुकुलों का धर्म है कि इन समाज के भावी सारथियों के मन में यह भावना और श्रद्धा कूट कूट कर भर दें कि उनके अपने जीवन का चरम विकास इसी बात में है, कि वे प्रत्येक मानव के जीवन को सुन्दर और सफल और सुखद बनाने में अपने को उत्सर्ग कर दें।

साथ ही मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह आदर्श कुछ सीमा तक कोरे नागरिकता के आदर्श से भिन्न है। नागरिकता के आदर्श के पीछे यह भावना बनी रहती है कि अच्छाई बुगई का ध्यान किये बिना अपनी जाति या अपने ही राष्ट्र का हित साधन करना चाहिये चाहे फिर ऐसा करने से अन्य जातियों का कितना ही अपहित या हानि क्यों न हो। हमारी ऐतिहासिक परम्परा और हमारे पूर्वजों की शिक्षा ऐसी नहीं है। हमने तो अपने स्वतंत्रता सघर्ष में भी इस बात को ध्यान भर के लिये नहीं सोचा था कि हम अपने विदेशी शासकों के जातीय हितों को अपने स्वार्थ लाभ के लिये हानि पहुंचाये। हमारे महान् नेता महात्मा गांधी ने सर्वदा ही हमारे सामने यह आदर्श रखा कि हम कभी भी अपने ध्येय लाभ के लिये ऐसे रास्ते को न अपनाये जो आध्यात्मिकता या मानवता की दृष्टि से बुरा है। अतः जहां देश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रत्येक विद्यालय और खास तौर से आपके ऐसे विद्यालय का कर्तव्य है वही उन सब का यह कर्तव्य भी है कि वह विद्यार्थियों को उस मानवता के आदर्श से ओतप्रोत करे जो प्रत्येक मानव में भगवान् की झांकी देखना सिखाता है, और हर प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक मानव को हृदय से लगाने की इसलिये प्रेरणा देना है कि गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में “ना जाने का भेष में नारायण मिल जाय”।

यह विद्यालय ऐसे प्रदेश में स्थित है जिस के कण कण में हमारे देश का अतीत इतिहास झरा हुआ है और जिस को यह श्रेय प्राप्त है कि हर प्रकार के राजनैतिक झझावातों को सहकर भी उसने देश का मस्तक ऊंचा रखा है। अतः इस विद्यालय का तो खास तौर पर यह कर्तव्य है कि यह उस गौरव की रक्षा के खातिर, उस ऐतिहासिक परम्परा को बनाये रखने के खातिर, और सामूहिक सेवा के उस ऐतिहासिक आदर्श को पल्लवित और प्रस्फुटित करने के खातिर अपने भ्रान्तिक शैक्षिक क्षेत्र में वैसा वातावरण बनाये जो उनके लिये आवश्यक है।

इस वातावरण के बनाने में जितना शिक्षा माध्यम का भाग है उतना ही भारतीय साहित्यक दाय का भी है। भारतीय भाषाओं और भारत की प्राचीन भाषाओं अर्थात् संस्कृत और पाली में जो साहित्य है वह अत्यन्त समृद्ध है और मानवता के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन, यदि अधिक नहीं तो, कम से कम उतना तो आवश्यक है ही जितना कि अन्धकार की भाषाओं के साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। इसका महत्व इसलिये ही नहीं है कि साहित्य की दृष्टि से वह अत्यन्त उच्चकोटि का है बल्कि इससे भी कहीं अधिक इसलिये आवश्यक है कि हमारी अपढ़ कही जाने वाली जनता के दैनिक जीवन में वह साहित्य सर्वदा प्रतिध्वनित होता रहता है। भारत की ऐसी कोई दिशा नहीं, ऐसा कोई ग्राम नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जिस में साधारण जनो को कर्ण की दानशीलता और हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा का ज्ञान न हो। हमारे देश में कितनी ही विभिन्नताये क्यों न हो उसमें यह एकता तो सर्वदा वर्तमान रही है और आज भी है। इसी एकता के सहारे हम हर प्रकार की राजनैतिक और आर्थिक कठिनाइयों और विपदाओं को सह कर भी आज एक बने हुए हैं। क्या हमारे विद्यालयों का यह धर्म नहीं कि हमारे देश के असंख्य शिक्षित अशिक्षित जनो के हृदय की इस बुनियादी एकता की बात अपने युवक युवतियों को उनके शिक्षा काल में बताये? हो सकता है कि अन्धकार की भाषाओं में हमारे साहित्य की कृतियों से साहित्यिक दृष्टि से कहीं अधिक अच्छी कृतियाँ हों किन्तु इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उन भाषाओं का साहित्य हम अपनी साधारण जनता के हृदय में नहीं बैठ सकता और उनके अन्तर्गत में सक्रिय प्रेरणाओं का यथोचित ज्ञान हमें वह नहीं करा सकता। मेरा विचार है कि सच्चा प्रगतिवाद यही है कि हम अपनी जनता के हृदय की धड़कन को पहचाने उनके दिल और दिमाग में काम करने वाली ताकतों को जाने और उनको समझकर अपनी जनता के मन और मस्तिष्क को उस दिशा की ओर ले चले जिस की ओर चलने से उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक समस्यायें शीघ्रातिशीघ्र हल हो सकती हैं। इस पहचान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे विद्यालयों में भावी नेताओं को इस देश के साहित्य का—उस साहित्य का जिसमें इस देश का ऐतिहासिक हृदय व्यक्त होता और धड़कता रहा है—समुचित ज्ञान कर दे। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस ओर ध्यान दें और अपने विद्यालय में इस बात का समुचित प्रबन्ध करें।

मैंने पर्याप्त समय ले लिया है। अपना प्रवचन समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी रिपोर्ट से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद आप का विद्यालय हर दिशा में प्रगति करता रहा है और इसके विद्यार्थी विभिन्न दिशाओं में ओर खास तौर से साक्षरता के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते रहे हैं। यद्यपि मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे सकता कि आर्थिक दृष्टि से वर्तमान अवस्था में सरकार आपकी अधिक सहायता करेगी फिर भी मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि आप के प्रयास की सरकार कद्र करती है और मुझे आशा है कि आप अपने प्रयास में बराबर लगे रहेंगे और इस विद्यालय को और भी अधिक उपयोगी और समुन्नत बनायेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको वह शक्ति वह उत्साह और सद्बुद्धि दे जिससे आप को पूर्ण सफलता मिले और भारत के युवक युवतियों की अनेक वर्षों तक आप सेवा करते रहे।

## दरगाह शरीफ, अजमेर

दरगाह शरीफ अजमेर के खादिमों के द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में  
 तारीख १३-२-५१ को ५-४५ बजे शाम को राष्ट्रपति जी ने कहा--

जनाब आजी,

यह पहला मौका नहीं है कि मैं यहाँ जियारत करने आया हूँ। इसके पहले भी मैं यहाँ जियारत कर चुका हूँ। मगर आज एक दूसरी हैसियत से यहाँ आया हूँ।

इस वक्त हिन्दुस्तान की जो कैफियत है उससे आप हर तरह से बाकिफ़ है। हमने अभी हाल में ही अपने लिये एक क़ानून तैयार किया है और उसी क़ानून के मातहत इम वक्त की सरकार चल रही है। उसमें हमने साफ़ साफ़ लिख दिया है और उसी के मुताबिक़ हमारी कारवाइ भी हो रही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने मजहब के लोग है, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, पारसी हों, ईसाई हों, सिक्ख हों, सबों के साथ एक नज़र से बर्ताव किया जायेगा और उसी तरीक़े से हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी एक दूसरे का खयाल रखे जिसमें इस काम में कामयाबी हासिल हो।

यहाँ जो कोई आता है वह अपने साथ कुछ न कुछ बरकत ले जाता है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ सका। मैं भी यहाँ से कुछ बरकत लेकर जाऊंगा।

इन वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान की खिदमत करने वाले जितने लोग हैं सब अपने दिल को साफ़ और पाक बना कर रखे तभी हमारे देश के अन्दर जितने धर्म के मानने वाले लोग हैं, वे सभी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव कर सकेंगे। इस वक्त यह भी ज़रूरत है कि हमारे मजहबों के जितने लीडर लोग हैं इस काम में मदद दें और अगर सभी मदद देंगे तो इममें कामयाबी हासिल होगी।

मैं आप सब का दिउ से यूक़िया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं यहाँ हाज़िर हो सकूँ।

### अजमेर में नागरिक अभिनन्दन

ता. १३-२-५१ को ६-१५ बजे शाम में अजमेर म्युनिसिपैल बोर्ड और अजमेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा —

अजमेर म्युनिसिपैल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभापति जी, और दूसरे सदस्यगण, बाहनों और भाइयो,

आप ने मेरा प्रेम के साथ स्वागत किया और मानपत्र दिये इस के लिये मैं ब्राफ़ सब को धन्यवाद देता हूँ।

आप ने अपने बोर्डों की कठिनाइयों का थोड़ा बहुत जिक्र मानपत्र में किया है। मैं इतना ही इस समय कह सकता हूँ कि जो कठिनाइयाँ आप के सामने हैं वे ही देश के प्रायः सभी बोर्डों के सामने हैं, यहां तक कि प्रान्तीय सरकारों को और केन्द्रीय सरकार के सामने भी वही कठिनाई है अर्थात् खर्च का बढ़ना और आमदनी का ज्यों का त्यों रहना जिस की वजह से पैसे की कमी होती है। पर आप यह विश्वास रखें कि आप के प्रति किसी तरह का ऐसा भाव नहीं है कि आप की मांग की उपेक्षा की जाये। जितनी सहायता आप चाहते हैं वह नहीं मिलती है तो उस का कारण उपेक्षा नहीं असमर्थता है और मैं आशा रखता हूँ कि आप की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जायेगा और जहाँ तक हो सकेगा भारत सरकार आपकी मदद करती रहेगी।

आप के यहाँ अभी तक नये संविधान के अधीन जैसी आप आशा करने थे नये किस्म का कारबार अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। अगर विचार करते तो पता चलेगा कि और कारणों के अलावा इस के न होने का आर्थिक कारण भी है। क्योंकि यह प्रान्त छोटा प्रान्त है और इनके छोटे प्रान्त को एक अलग शासन का सारा सामान देना और शासन का काम उसके ऊपर लादना और अधिक खर्च किये बगैर नहीं हो सकता है। इस में खास कर भारत सरकार को आर्थिक दृष्टिकोण भी अपने सामने रखना पड़ता है। पर इतना तो मैं मानता हूँ कि जैसे सारे देश को आज प्रजातन्त्र का लाभ मिल रहा है वैसे ही आप को भी मिलना चाहिये और इस माने में तो आप को लाभ पहिले ही से मिल भी रहा है। आप के गदम्य मसद् में बैठते हैं और बैठे हुए हैं। इस लिये अगर आप को यहाँ अलग शासन कायम करने की सम्पत्ति मसद् नहीं देती तो आप इस की चिन्ता छोड़ दें, और इस प्रयत्न में रहें कि आप को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी में जो अधिकार मिले हैं उन का अच्छे में अच्छा प्रयोग किया जाये। अब आप को यह भी अवसर है कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को चुन कर केन्द्रीय मसद् में भेजें ताकि वे आप की उचित सेवा करें।

आप की यह मांग है कि आप के यहाँ के विद्यार्थियों को दूसरी जगहों में स्थान मिलना चाहिये और जो आप यहाँ के शिक्षित वर्ग हैं उन को भी सरकारी नौकरियों में स्थान मिलना चाहिये। यह मांग बजा है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो संविधान हमारा बना है उस में हमें इस भेदभाव को एकबारगी उठा देने का विचार किया है। एक प्रान्त और दूसरे प्रान्तों के बीच जो बहुत तरह तरह का भेदभाव हुआ करता था उसे हम एकबारगी उठा नहीं सके हैं तोभी उसे कम अवश्य कर रहे हैं। सभी शिक्षित लोगों को आज कल सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। आप यह नहीं समझें कि यह दिक्कत आप के ही सूबे में है बल्कि सारे भारतवर्ष में है। आज जितने ग्रेजुएट हमारी यूनिवर्सिटियों में से निकलते हैं या जितने मैट्रिक्युलेट स्कूलों में से पास कर के निकलते हैं उन में से सब को सरकारी मुलाज़मत नहीं दी जा सकती, उन को कोई न कोई दूसरा प्रबन्ध अपने लिये सोचना ही पड़ता है। यह तो हमारे शिक्षा क्रम का दोष है कि उन को हम केवल सरकारी मुलाज़मत के लिये ही तैयार करते हैं और यह सोचते हैं कि उस में ही उन का गुज़ारा होना चाहिये। अब तो भारत का जो शिक्षित वर्ग है उस के सामने हज़ारों तरह के काम हैं जिन में

सरकारी मुलाजिमत भी एक है । देश का काम इतना बड़ा, इतने प्रकार का और इतना फैला हुआ है कि उस में सभी लोगों के लिये स्थान है । मगर इस वक्त हमारी ऐसी शिक्षापद्धति है और हम ने अपने को ऐसा बना लिया है कि जिस की वजह से यह स्थिति हो रही है । एक तरफ तो अच्छे लोगो की जरूरत रहती है और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार से अच्छे लोग बेकार पड़े हुए हैं । तो आज कल यह जो एक प्रकार वैषम्य पैदा हो गया है उस को दूर करने का काम गवर्नमेन्ट का और जनता दोनों का है । दोनों का सहयोग होगा तो यह दिक्कत भी दूर होगी । इस ओर भी गवर्नमेन्ट प्रयत्न कर रही है । मगर अभी जो हमारी स्वतन्त्र गवर्नमेन्ट बनी है वह है ही कितने दिनों की ? हमको स्वतन्त्र हुए तीन वर्ष बीते हैं और हम ने जो प्रजातन्त्रात्मक राज कायम किया उसका अभी एक ही माल बीता है और इस असें मे हजारों तरह की दिक्कतें और मुसीबतें हमारे सर पर आयी जिन का मुकाबला हम को करना पड़ा । पर हम न मुकाबला किया है । इस मे कोई मायूसी और घबड़ाने की बात नहीं है कि आज जितना रचनात्मक काम कर के हम को दिखलाना चाहिये था उतना हम नहीं दिखला पाये है । इस का कारण तो यही है कि हमारे सामने और दूसरी मुसीबतें रहीं हैं जिन के सुलझाने में हम अपना सारा समय और सारे साधन लगाने पड़े हैं । अब जैसे जैसे सारी स्थिति मुध्दगी जायेगी हमारा रचनात्मक काम बढ़ता जायेगा । और देश की उन जरूरतों को हम पूरी कर सकेंगे जिन को पूरी करने के लिये हम ने स्वराज का आन्दोलन उठाया था और उसे प्राप्त किया था । मुझे आशा है कि आप का अजमेर, छोटा इलाका होते हुए भी डम बागे में किमी से पीछे नहीं रहेगा ।

इस समय सब से बड़ा सवाल जो सब को सता रहा है वह तो अन्न का कष्ट है और आज में जब रास्ते में आ रहा था तो मुझ से कुछ लोग मित्र और मन मुना कि आप के पड़ौस राजस्थान में और आप के यहाँ भी अन्न का कष्ट है । यह कष्ट भी आज भारतवर्ष के थोड़े हिस्से को छोड़ कर सारी जगहों में फैला हुआ है । इस के कारण कुछ हद तक मनुष्य और कुछ हद तक प्रकृति है । कहीं अनावृष्टि के कारण, कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं बाढ़ की वजह से और भूकम्प की वजह से और अब कहीं टिड्डियों की वजह से जो फसल खेतों में लगी हुई थी वह खराब हो गई और जितना अन्न हम पैदा कर सकते थे नहीं कर सके । इस कमी को भी दूर करने का प्रयत्न गवर्नमेन्ट कर रही है और में आशा करता हू कि महीने दो महीने के अन्दर हम न देश में बाहर से अन्न ला सकेंगे । और उस को आपस में बांट कर जो कष्ट है उस को कुछ हद तक दूर कर सकेंगे । पर पूरी तरह से तो कष्ट तभी दूर होगा जब ईश्वर की दया हाँगी और इस देश में फसल पैदा होगी । में आप को विश्वास दिलाना चाहता हू कि हम शायद नहीं है । जो कुछ मनुष्य कर सकता है हम कर रहे हैं । इस समय जो राशनग की कटौती हो गई है वह इसी मुश्किल की वजह से हो गई है । जो कुछ हमारे पास है उस को सभी बाँट कर खाये तो थोड़ा थोड़ा सभी को मिल सकता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो मुमकिन है कि कुछ लोगो को तो भर पेट मिल जाये पर बहुत लोगो को बिल्कुल नहीं मिलेगा । देश में जो कष्ट आया है तो सभी का यह फ़र्ज हो गया है कि इस कष्ट को राशनग के

ज़रिये आपस में बांट लें और सभी लोग इसे बर्दाश्त करके काम चलाते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अन्न काफी तादाद में देश में आ जायेगा और आप का कष्ट दूर होगा।

इस प्रकार के और भी कितने मसले देश और विदेशों के सामने हैं जिन पर हमारी गवर्नमेन्ट के लोग अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं और उन को परिश्रम के साथ हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस में सभी भाइयों और बहिनों का सह-योग मिलेगा और हम उस में सफल हो सकेंगे।

आप को प्रजातन्त्र मिला है। प्रजातन्त्र का काम है कि अच्छे से अच्छे सुयोग्य लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिये चुने। इस का मौका इसी साल आयेगा। नया चुनाव नवम्बर, दिसम्बर में होगा। और सारे देश में जितने बालिग स्त्री और पुरुष होंगे उन सब को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग विचार कर के अच्छे से अच्छे लोगों को चुनेगे जिस में वे देश की सेवा कर सकें और देश को समुन्नत बना सकें।

मैं आप सब भाइयों और बहिनों को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

### पुष्प प्रदर्शनी

\*पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

लेडी पेरी, भाइयो और बहिनो,

इस पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन मे भाग लेने के लिये आज अपरान्ह में यहां आने में मुझे बडी प्रसन्नता हुई। आप को सम्भवतः यह बात मालूम नही है कि इस के बाद दूसरी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिये भी मुझे जाना है। किन्तु यहां जो दिखाई देता है वह तो प्रकृति की देन है और जो वहां में देखने जा रहा हूँ वह मानव कला की देन होगी क्यो कि मैं एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। मेरी अपनी भावना यह है कि भगवान ने हमे बहुत सी वस्तुएं दी हैं जिन से हम आनन्द उठा सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं और भगवान ने जो कुछ हमें दिया है यदि उस की कोरी नवल या प्रतिमा ही मनुष्य की कला न हो तो उस में भी अपना निजी सौदर्य होता है। यहां हमारे सामने सर्वोत्तम वस्तुएं और अनुपम सुन्दर वस्तुएं हैं जो परमात्मा ने हमें दी हैं। आइये ! चलिए हम उन्हें देखें और उन का आनन्द उठायें।

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

## अखिल भारतीय कला तथा शिल्प प्रदर्शनी

\*अखिल भारतीय कला तथा शिल्प प्रदर्शनी का १७ फरवरी ५१ को उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—  
महामहिम, बहिनो और भाइयो,

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कला के सम्बन्ध में जानकारी रखने का मैं दावा नहीं करता। किन्तु इस बात के बावजूद जब कभी मुझे कोई सुन्दर चित्र दिखाई देता है तो मेरे मन में आनन्द की लहर दौड़ जाती है। जब मैं किसी नाटक में किसी जोशीले पद को पढ़ता हूँ तो मेरे मन में कम्पन हो जाता है। जब मैं मूर्ति कला के किसी सुन्दर प्रतीक को देखता हूँ तो मेरा मन आनन्द विभोर हो जाता है। तथा कला के शिल्प से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति के लिये जैसा कि मैं हूँ कला की कृति के मूल्यांकन के लिये केवल एक ही कसौटी हो सकती है और वह वही हो सकती है जिस का अभी अभी मैं ने जिक्र किया यानी हृदय का आनन्दन से भर जाना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तविक दृष्टि से तो इसी कसौटी को अधिकतर लोग काम में लाते हैं वयो कि मुझे विश्वास है कि अधिकतर लोग मेरी ही तरह कला शिल्प की जानकारी का दावा नहीं करते।

भारत में कला की परम्परा अनेक शताब्दियों से चली आ रही है तथा अन्य देशों के समान ही यहाँ भी उस की मूलभूत प्रेरणा धार्मिक थी। और मुझे यकीन है कि आज भी हमारे कलाकारों में से अनेक किसी न किसी धर्म अथवा अध्यात्मवाद में अनुप्राणित होते हैं। मैं अभी अभी पुण्य प्रदर्शनी में आ रहा हूँ जहाँ मैं ने बहुत ही सुन्दर दृश्य देखा है तथा मैं इस बात को सोचता हूँ कि क्या कलाकार हमें उन वस्तुओं से अधिक सुन्दर वस्तु दे सकते हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या कलाकार केवल प्रकृति की नकल ही कर सकता है या उन वस्तुओं को जो हमें प्रकृति ने दी हैं उन से परे भी हमें कुछ दे सकता है। यदि वह केवल नकल ही नहीं करता और ऐसी कोई वस्तु हमें देता है जिस की नकल नहीं की जा सकती तो मैं समझता हूँ कि उसे मन्वी कला कहा जा सकता है। अतः जो कुछ कोई वस्तुतः देखता है या जिस की अनुभूति करता है केवल उतने ही को कला नहीं कहा जा सकता। वरन् कला तो वह है जो मनुष्य को ऐसी बात के लिये वेदना पैदा करती है जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता और जो इन्द्रियों के लिये अगोचर है।

कुछ बातों में यह पूर्णतया सम्भव है कि एक देश की संस्कृति की प्रतीक स्वरूप कला को दूसरे देश के लोग ठीक ठीक न समझ सकते हों किन्तु इस प्रकार के विभेदों के बावजूद कला की ऐसी भाषा है जो बोली जाने वाली भाषाओं से, जिन की अपील दिल के बजाय दिमाग को ज्यादा होती है, विभिन्न है। इन दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ भाषा की अपील दिमाग को होती है वहाँ कला की भाषा की अपील

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद



इल को होनी है। अतः अपनी प्रकृति के कारण ही यह ऐसी भाषा है जो अगत् भर में समझी जा सकती है। मेरी यह भी भावना है कि कला मानव आत्मा के उच्चतम विकास को उग से कहीं अधिक सम्भव करती है जो कि धर्म के सम्बन्ध में दिये गये शुष्क व्याख्यानों में सम्भव हो सकता है। अतः मैं अपने देश के कलाकारों में यह आकांक्षा रखता हूँ कि हमें वे हमारी आत्मा पुनः प्राप्त करायेगे और हमें उम बात को फिर पान के लिये समर्थ बनायेगे जिसे कि हम ने खो दिया है।

हमारे देश की परम्परा यह रही है कि राज्य का शासक कला की सहायता और प्रोत्साहन करे। और मेरा यकीन है कि अन्य देशों में भी ऐसा होता था। कुछ दिनों में वंशा प्रोत्साहन और सहायता न मिलने के कारण हमारी कला को हानि हुई है। अब समय आ गया है जब कि कला को वह सहायता और प्रोत्साहन राज्य की ओर से मिलना चाहिये जिस की कि उसे आवश्यकता है और जिस का कि उसे अधिकार है। राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि क्या आप महामहिम लोग वास्तव में ऐसी चीजों को देखना पसन्द करेंगे जो अभागीय होने के स्थान में सचमुच भारतीय हैं और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप महानुभाव भारत में सचमुच भारतीय वस्तुओं को देखना ही अधिक पसन्द करेंगे। यह मैं नहीं जानता कि आप महानुभाव वास्तव में क्या अधिक देखना पसन्द करेंगे किन्तु मेरी भावना ऐसी ही है। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि क्या यह वाञ्छनीय न होगा कि राष्ट्रपति भवन की सारी सजावट भारतीय ढंग की हो ? और जो विदेशी प्रकार की सजावट है उस को हटा कर क्या भारतीय प्रकार की सजावट न कर दी जाये। मेरे कहन का तात्पर्य यह नहीं है कि विदेशों से जो वस्तुएँ हमारे यहाँ आयी हैं वे घटिया हैं। इस का अर्थ तो केवल यही है कि गुलदस्ते में एक प्रकार के फूल रख दिये जायें जिस में उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ जाये। आप महानुभावों ने अपने देश की बहुत सी चीजों को देखा है और यदि आप राष्ट्रपति भवन में भारत की कुछ झाकी पा सके तो सम्भवतः आप उस को ज्यादा पसन्द करेंगे। अब मेरी इच्छा है कि राष्ट्रपति भवन को छोड़ने में पहले यहाँ की सजावट को बदल कर भारतीय ढंग की कर दूँ। तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ ऐसी बात की जो यहाँ अब तक नहीं की जानी रही है। यह काम कलाकारों का है कि मुझे ऐसा करने में सहायता प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं आप की प्रदर्शनी का उद्घाटन करता हूँ।

### लखनऊ में नागरिक अभिनन्दन

लखनऊ जिन्हा बोर्ड तथा नगर निवासीयों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने तारीख १८-२-५१ को कहा—

महानहिम राज्यपाल महोदय, स्वागत समिति के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, बहिनो और भाइयो,

मुझे आप के शहर में राष्ट्रपति की हैसियत से आने का पहला मौका मिला है। इस के पहले तो मैं कई बार आ चुका हूँ और इस शहर के साथ मेरा सम्बन्ध पुराना

हैं। मगर एक नई हैसियत ले कर यहा आने और आप सब भाइयों और बहिनों से मिलने का यह पहला सुवअसवर मिला है। उस के लिये और जिस प्रेम के साथ आपने मेरा स्वागत किया है उम के लिये मैं आप सब को और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ।

यह सच है कि इस वक्त हमारा देश एक नाजुक स्थिति में हो कर गुजर रहा है। अभी तीन साल हुए जब हम को अपने देश का कारवार चलाने का अधिकार अपने हाथों में मिला था और अभी एक ही साल हुआ है जब पूरी तरह से एक गणतन्त्र राज्य कायम कर के हम अपना काम करने लगे हैं। यह समय भी कुछ ऐसा नहीं रहा कि आसानी से हम अपनी इच्छा मुताबिक जैसा चाहते वैसा काम करते। हजार मुसीबतों में हो कर गुजरते हुए हमें यहा पहुचने का मौका मिला है और अभी भी यह कहना मुश्किल है कि मुसीबतों का दौर खत्म हो गया।

आज सारे देश के अन्दर खाद्य पदार्थों की समस्या इतनी मुश्किल हो गई है कि उम के कारण सब लोगों को बड़ी चिन्ता हो रही है। ऐसी हालत में अगर हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें और यह सोचें कि अब तक हम ने क्या किया है और आइन्दा हम को क्या करना है तो यह मुनासिब बात होगी।

सब से बड़ी चीज जो इस वक्त हमारे सामने है वह यही है कि हम एक बहुत बड़ा प्रयोग, बहुत बड़ा एक्सपैरीमेन्ट डेमोन्स्ट्री में करने जा रहे हैं। अभी आप ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अभि-नन्दन पत्र में बताया है कि आप यहा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम किस तरह से चला रहे हैं और उस में आप ने थोड़ी सी गिफायत के तौर पर यह कहा है कि अभी वही पुगना दर्ज चल रहा है। बात यह है कि हमारे हाथों में जो अख्तियार आया वह एक निगले तरह से आया। और देशों में जब कोई क्रांति होती है, कोई बड़ा इन्कलाब होता है तो वह खून खराबी के बाद हुआ करता है। जो वह सब करते हैं उन के मामले में सबाल यह रहता है कि किस तरह सब पुगनी चीजों को खत्म कर के उन की जगह पर अपनी स्वादिश के मुताबिक नई चीजों को कायम कर लें। हमने शुरू से ही महात्मा जी के नेतृत्व में अपने लिये यह तय कर लिया कि अहिंसा के रास्ते पर ही हम चलेंगे और उसी रास्ते पर चल कर हम ने अपने देश की स्वतन्त्रता हासिल की। यह हम ने कोई खास टोड फोड खून खराबी किये बिना कायम किया है। सब चीजों को जहा तक हो सका कायम रख कर और अपने को आजाद कर के किस तरह से एक नई दुनिया बसावे इसी फिक्र में हम शुरू से रहे हैं जिस में बर्बादी कम में कम हो मगर साथ ही यह भी हो कि जो कुछ बुरा है उसे हम दूर कर सकें और अपने लिये सुख शान्ति का रास्ता साफ कर सकें। यह हमारा आज तक तौर तरीका रहा है। इसी वजह से बहुत कठिनाइया भी सामने आयी और हम उन को हल कर पाये हैं। हम ने यह देखा कि जिस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से लडाई लड रहे थे उस वक्त कई ऐसे मौके आये जब ऐसा मालूम होता था कि हम गिर जायेंगे। कुछ लोग घबड़ाया करते थे कि अगर हम सचमुच गिर जायेंगे तो फिर हमारे लिये उठना मुश्किल हो जायेगा। मगर गांधी जी का रास्ता

ऐसा था कि उस पर चल कर कभी कोई हार नहीं सकता और न कभी हम हारे। जब हम हारे भी तो फिर जल्द से जल्द और अधिक तेजी से बढ़ने के लिये हम उठ खड़े हुए और अन्त में हमारी पूरी फतह हुई। हम उसी रास्ते को अभी तक कायम रखे हुए हैं। हम शायद चाहे तो एकबारगी किमी चीज को तोड़ फोड़ कर खत्म कर के उस की जगह पर नई चीज जन्म कायम कर सकते हैं। हमारा जो रास्ता है उस पर चल कर वैसा नहीं हो सकता है। हमारा काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। मगर जितनी हम तरक्की करते हैं, जितनी दूर हम जाते हैं वहां से लौटना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाते हैं। तोड़ फोड़ के रास्ते पर चलने से बहुतों को तकलीफ होती है। इसलिये हम जिस रास्ते पर आज तक चलते आये उसी पर चलना चाहते हैं। अगर किसी चीज में तरक्की देखने में नज़्दी आती है तो उस से कोई घबड़ाने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हमारी कोशिश इस तरह की हो रही है कि पुरानी चीजें दूर हों और उन की जगहों पर नई चीजें कायम हों, और यह किसी को मालूम भी न हो और सारी चीजें एकबारगी बदल भी जायें। यह ठीक है कि इस कोशिश में बहुत त्याग की जरूरत है और हमारे लिये बहुत हिम्मत और परिश्रम की जरूरत है; इस के लिये सच्चे देश सेवकों की जरूरत है जो स्वार्थ छोड़ कर, जो और किसी चीज को सामने नहीं रख कर सिर्फ देश की खिदमत को अपने सामने रखें। मेरा अपना खयाल है कि और मैं अक्सर कहा करता हू कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे तो हमारा काम आसान था। इस वक्त जब किसी से लड़ना नहीं, सब चीजों को बनाना है, सिर्फ रचनात्मक तामीरी काम ही हमारे सामने है, यह काम पहले से ज्यादा मुश्किल है। पहले एक ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने थी, उसी से हमें मुकाबला करना था और हम सब चीजों को, सब मतभेदों को दबा कर एक हो कर एक रास्ते पर चल सकते थे। मगर अब सब आपस के मतभेद प्रकट हो कर बाहर आ गये हैं और हम अपने अपने रास्ते पर चलने के लिये आजाद हैं। इसलिये अगर आज तरह तरह के खयालात हमारे सामने आते हैं तो इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो होने वाला ही था। तब इसकी वजह से हमारी दिक्कतें बहुत कुछ बढ़ सकती हैं। मगर इस में न तो घबड़ाने की बात है न डरने की बात है। सब को देश को अपने सामने रख कर काम करना है। इसीलिये मैं कहता हू कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने समय जितने त्याग और परिश्रम की जरूरत थी उस से ज्यादा इन चीजों की आज जरूरत है। इन चीजों को जब हम मुहय्या कर सकेंगे अपने में पा सकेंगे तभी हम को कामयाबी होगी। हम को यह भल जाना चाहिये कि त्याग का युग खत्म हो गया है और भोग का समय आ गया है। शास्त्रों में तो भोग को कोई स्थान नहीं। उन्होंने माना है कि सब से बड़ी त्याग सेवा है। इतना हम मानते हैं कि अगर देश की समस्याओं को हल करना है तो उस में भोग की गुंजायश नहीं है। उसके लिये तो त्याग करना है और त्याग के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो यह एक बड़ा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेसी में जो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं उस में भी अपने ही लोगों के सामने नहीं सारी दुनिया के सामने हमारा इस्ति-

हान होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हम ने सुना कि आप ने यह कायदा कर लिया है कि जो चैयरमैन होंगे, प्रेसीडेंट होंगे, वे समस्त मतदाताओं द्वारा चुने जायेंगे। यह चीज पहले जमाने से जरूर आगे बढ़ी है। मैं यह भी मानता हूँ कि इस वक़्त डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ताल्लुकात प्रान्तीय गवर्नमेन्ट के साथ पहले ही ऐसे हैं। मगर इस वक़्त की प्रान्तीय गवर्नमेन्ट और उस वक़्त की प्रान्तीय गवर्नमेन्ट में फर्क है। पहले जो प्रान्तीय गवर्नमेन्ट हुआ करती थी वह लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी; आज की गवर्नमेन्ट जनता की प्रतिनिधि है। इस वजह से अगर उसके अधिकार भी बढ़ जाते हैं तो यह समझना चाहिये कि वे जनता की तरफ से बढ़ाये गये हैं, सरकार जनता से कोई अलग चीज नहीं है।

इसी साल के अन्त में नया चुनाव होगा। देश के लिये जो नया संविधान बना है उसके मुताबिक जो चुनाव होगा उसमें १७-१८ करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार है और करीब करीब ३५-३६ सौ जगहों पर लोग खड़े किये जायेंगे और चुने जायेंगे। आज तक किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए यह चुनाव इतने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है कि इसमें हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिन की अवस्था २१ वर्ष की हो चुकी है अपनी राय दे कर प्रतिनिधि चुनेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि इस अधिकार को लोग समझ वृद्ध कर काम में लावें और अच्छे में अच्छे लोगों को चुनकर भेजें क्योंकि जिन को वे भेजेंगे उन्हीं के हाथों में साग अस्खियार देश के राज काज का होगा। इसमें भी हमने पहले पहले जो पुराना कायदा चला आता था उसको हटा दिया है। अब एक साथ सब मिल कर सत्र को चुनेंगे। इसमें सब का हिस्सा है। इसमें यह भी हमको सांचना होगा कि पीछे किसी को यह कहने का मौका न हो कि फिर्कावार चुनाव न होने से उन के लिये कोई गुजायश नहीं रही, उन के अधिकार छिन गये हैं और जो लोग ज्यादा तायदाद में हैं उन्होंने उन के साथ वेडन्साफ़ी की। मैं तो यह आशा रखता हूँ कि इसमें बेहतररीन लोग चुने जायेंगे, जो इस तरह का काम करेंगे कि जिनमें किसी को कोई शिकायत नहीं रह जाये। इन मानों में भी हमारा इम्तिहान हो रहा है।

मैं जानता हूँ कि आज देश के कई हिस्सों में खाने की तकलीफ हो रही है; कष्ट हो रहा है। पहले जो राशन मिलता था अन्न की कमी की वजह से गवर्नमेन्ट ने उसे घटा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही अधिक अन्न हमारे हाथों में आजायेगा जो राशन में कमी की गई है वह पूरी करदी जायेगी और लोगों को जितना मिलता था उतना मिलने लग जायेगा। मगर आज ही नहीं न मालूम कब से हमको इस मुसीबत का मुकाबला करना पड़ा है और आगे भी करना है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिदेशों से ही अन्न मंगा कर और लोगों में बांट कर हम लोगों को जिन्दा नहीं रख सकते हैं। हमारे लिये जिन्दा रहने का तरीका एक है और वह है कि देश के अन्दर जो अन्न है उसी को खोजें। हम किसी को मरने

नहीं देंगे । अगर हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं है तो हम दूसरे के साथ बाट कर न पेट भर आधा ही पेट सही खायेंगे मगर अपने पड़ोसी को मरने नहीं देंगे । अगर यह तरीका आ गया और हम देश के अन्दर अधिक से अधिक पैदा करने लग गये और जो पैदा करते हैं उस को नुकसान होने से बचाने की कोशिश कर सकें और उस का अच्छा इस्तेमाल कर सकें तो हम डमकट को भी काट ले जायेंगे । इस तरह की मुसीबत पहले भी आयी है और मेरा विश्वास है कि जितना गवर्नमेन्ट काम नहीं कर सकती है उतना जनता कर सकती है । गवर्नमेन्ट का जो काम है वह करेगी । और मैं जानता हूँ कि वह इस कोशिश में है और करेगी । मगर जनता को भी हिम्मत के साथ एक दूसरे से हमदर्दी और प्रेम के साथ काम करना है जिन में कोई खाने बगैर मरने न पावे । मैं आशा करता हूँ कि आप के शहर के लोग और मारे सूबे के लोग कामयाबी के साथ काम कर लेंगे ।

आप का सूबा देश भर में सब में बड़ा सूबा है । हर तरह में ईश्वर ने उस को अच्छा बनाया है । यह भारतवर्ष का हृदय समझा जाता है । आप के यहाँ जो कुछ होता है उस का अमर और जगहों में भी पड़ता है । मैं मानता हूँ कि इस सूबे की जवाब-देही ज्यादा है । बड़ा होने की जो जवाबदेही होती है आप को उसे भी महसूस करना चाहिये और आपका तौर तरीका ऐसा होना चाहिये जिस में सभी जगहों के लोगों को आप से सहायता मिले और सब मिले और देश अच्छी तरह से अपने को कामयाब बना सके ।

मैं आप सब भाई और बहनों को एक बार फिर आप ने जो भेग स्वागत किया है उस के लिये धन्यवाद करता हूँ ।

### लग्नतः—विश्वविद्यालय में फिजिक्स ब्लॉक का उद्घाटन

लग्नतः विश्वविद्यालय में फिजिक्स ब्लॉक खोलते समय तारीख १९ फरवरी १९५१ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महाप्रहम राज्यपाल महोदय, वाइस चान्सेलर, बहनों और भाइयों,

मुझे इस बात की आज बड़ी खुशी है कि आज मैं फिजिक्स ब्लॉक का उद्घाटन कर रहा हूँ । मैं जिस जमाने में कालेज में पढता था उसी जमाने में शायद हमारे गवर्नर साहब भी पढते थे और उन दिनों में साइन्स को जो स्थान मिला था वह बहुत छोटा था ; मगर उस जमाने में भी इन्टरमीडियेट में जो एफ० ए० कहलाता था साइन्स पढाया जाता था पर बहुत थोड़ा । सब लोगों को फिजिक्स, कैमिस्ट्री आदि का ज्ञान नहीं दिया जाता था और न उस जमाने में बी० एस० सी० की कोई डिग्री थी । जो आर्ट्स ले कर पास करते थे वे बी० ए० कहलाते थे और साइन्स ले कर बी० ए० पाम करने वाले बी० कोर्स में बी० ए० पास कहलाते थे । मगर आप ऐसा न समझें कि उस वक्त साइन्स के प्रोफेसर नहीं

हुआ करते थे। मुझे सर जगदीशचन्द्र बोस और डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय जैसे आचार्यों के नीचे बैठ कर कुछ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त से आज का हिन्दुस्तान बहुत बदल गया है। मैं मानता हूँ कि गरचे यूनीवर्सिटियों को स्थापित हुए १०० वर्ष हो गये सब यूनीवर्सिटियों को नहीं लेकिन जा पहले यूनीवर्सिटी कायम हुई वह प्रायः १०० वर्ष पहले हुई मगर प्रायः ७०, ७५ वर्षों तक साइन्स की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और अगर हमारे देश ने बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार किये तो वे हमारी यूनीवर्सिटियाँ का बजह से नहीं, बावजूद यूनीवर्सिटियों के वे निकले और उन्होंने जो कुछ किया वह मैं जानता हूँ कि कितनी दिक्कत से उन्होंने किया। मुझे याद है कि जब मैं प्रेसीडेन्सी कालेज में पढ़ता था तो वहाँ इस बात का झगडा रहा करता था कि सर जे० सी० बोस और डाक्टर पी० सी० राय का रिसर्च करने का मौका दिया जाये या नहीं। बात यह थी कि उन दिनों रिसर्च का बटवारा ऐसा था कि जो लोग आल इंडिया सर्विस के समझे जाते थे और जो प्राविशियल सर्विस के समझे जाते थे उन दोनों के बीच एक रिसर्च यानी रिसर्च भी होनी थी जिस में बोस और राय समझे जाते थे। उस जमाने में कोई अग्रेज अगर इंग्लैंड में पास कर के आ जाता तो वह डाक्टर बोस में भी मीनियर हो जाता और उस को वह आर्युव्यार रहता कि वह पढ़ाने के काम का बटवारा करे। इसी में झगडा रहता था। जो नये नवयुवक प्रोफेसर आते थे उन के नीचे डाक्टर बोस और डाक्टर राय दोनों ही हो जाते थे और वह उन पर बहुत पढ़ाने का काम लाद दिया करते थे। वह मुझे ९ बजे से ९ बजे रात तक लैबोरेटरी में काम करते और बीच बीच में लैक्चर भी दिया करते थे। बाकी समय में रिसर्च किया करते थे। तो एक दिन वह था और एक दिन आज है जब आप की यूनीवर्सिटी में ७९ छात्र रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। इतना पडा अन्तर यूनीवर्सिटी की पढाई में पड़ गया है और यह अन्तर अगर समझा जाये तो जैसे और काम में अन्तर पडा है उमी तरह से पड गया है। ऐसा होना भी चाहिये। यह युग साइन्स का युग है। इस युग में कोई भी देश साइन्स से बढेगा प्रगति करेगा और जहा साइन्स नहीं उस को पीछे रहना पड़ेगा। इस में कोई शक नहीं है। इसलिए भारत-वर्ष आज बहुत बातों में पीछे पड गया है। क्योंकि उस को मौका नहीं था कि साइन्स में जितना हिस्सा वह लेना चाहता था वह उतना ले। अब उस को इस का मौका मिलने लग गया है।

आप ने जो यूनीवर्सिटी में काम किया है उस का थोडा बहुत जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि देश भर में साइन्स का काम होने लग गया है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़े ही दिनों में इस को पूरा मौका मिलेगा। और आज के एंगे इक्के दुक्के नहीं बल्कि बड़ी ताय्यदाद में साइन्स वाले काम में लग जायेंगे और हमारे देश का दूसरे देशों जैसा ही स्थान साइन्स के क्षेत्र में होगा। साइन्स में जो पिछले दो सौ वर्षों में तरकीबी हुई है उस के चिन्ह आज सभी जगहों में देखे जा रहे हैं। जो पिछले हुए देश है वहाँ भी उस का कुछ तो असर पड ही गया है और हमारी दिन प्रति दिन की जिन्दगी में भी उस का असर पडा है और वह असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।

अभी गवर्नर साहब ने सिनेमा का जिक्र किया है । मैं समझता हूँ कि अब कुछ दिनों के अन्दर में यह चीज आ रही है कि दूर से जो एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं उन का मुह भी टेलीविजन पर देव सके । वह भी इस देश में आजायेगी । अभी दूसरे देशों में है । मालूम नहीं अभी इस देश में कहीं यहाँ आयी है या नहीं । अगर नहीं आयी तो जल्द ही इस देश में भी आजायेगी । तो इस तरह से एक आदमी बहुत दूर बैठ कर भी दूसरे आदमी की मिर्क बातें ही नहीं सुन सकेगा बल्कि उमें देख भी सकेगा । जहाँ रोगनी नहीं पहुँचती वहाँ भी हम दिन बना सकते हैं और मुमकिन है कि दिन को रात भी बना सकते हैं । तो यह सब बड़ी तरक्की हो रही है । हम लोगो ने बचपन में मुनाथा और यह गमायण में लिखा हुआ है कि रावण ने पवन को कैद कर के रखा और वह उस का घर प्रति दिन बुहार जाता था और रावण ने मेघ को भी कैद कर के रखा था और वह जब जहाँ चाहता था पानी बरस जाता था । हम लोग समझते थे कि यह सब कल्पित चीजें हैं । मगर आज तो हम देख रहे हैं कि पवन मेव और कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसे मनुष्य ने अपने बम में कुछ हद तक न कर लिया हो । और जो बाकी रह गयी है उन पर भी कुछ दिनों में वह काबू कर ही लेगा । अब प्रश्न यह है कि हम उन का रावण के जैसा इस्तेमाल करे या राम के जैसा इस्तेमाल करे, हम उन का इस्तेमाल लोगो की और समार की भलाई के लिये करे या उन की बुराई के लिये । आज यूनीवर्सिटियों के सामने और सब देशों के सामने यही बड़ा प्रश्न है । ताकत हमारी बढ़ती जा रही है, समार की ताकत बढ़ती जा रही है । उस ताकत को हम विनाश में लगायेंगे या रचनात्मक काम में लगायेंगे यही प्रश्न हम सब के सामने है । मैं तो यह आशा रखता हूँ कि हमारी यूनीवर्सिटियों में कम से कम इस तरह की शिक्षा देने की व्यवस्था तो होनी चाहिये कि हम उस को किस तरह से प्रयोग में लायेंगे । उस को समेटने के लिये तैयार करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये । अगर यह नहीं होगा तो मालूम नहीं कि देश का क्या होगा और समार का क्या होगा । साइन्स अपनी जगह पर बहुत बड़ा काम कर रहा है । अगर कोई कहे भी कि हम अपने को उस में अलग रख सकते हैं तो यह ठीक नहीं होगा । क्यों कि ऐसा करना सम्भव नहीं है । मगर खयाल है कि अगर भारतवर्ष आज इस शक्ति का इम तरह से उपयोग करे और इम तरह से अच्छे काम में लगाये तो यह दुनिया को कुछ दे सकेगा और साइन्स के लिये उस की यह एक बड़ी देन होगी जिसे के लिये सारा समार उस का कृतज्ञ होगा । तो आज हमारी यूनीवर्सिटियों के सामने यही चीज आती है । केवल जितनी मौलिक चीज है उन पर काबू पाना भी काफी नहीं है बल्कि उन पर काबू कर के उन को किस तरह से काम में लायेंगे यह सीखना भी आवश्यक है और इसलिये भी तैयारी की जरूरत है उननी ही तपस्या की जरूरत है, उतने ही योग की जरूरत है । जितने कि उस शक्ति को हासिल करने के लिये है । मैं मानता हूँ कि आज कल के सच्चे योगी वे ही हैं जो लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं जो लोग अपने हाथों को ऊपर कर के हाथों को हाँड्डया सुखा देते हैं वे सच्चे योगी नहीं हैं, जो लोग एसिड ले कर पी जाते हैं और लोहे खा जाते हैं और उन का कुछ नुकसान नहीं होता वे भी सच्चे योगी नहीं हैं । सच्चे योगी वे हैं जो लैबोरेटरी में बैठ कर दिन रात एक कर के संसार में छिपी हुई शक्ति

खोज कर के निकालते हैं और उस से काम लेना सीखते हैं। मगर हम शक्ति उपाजन के साथ साथ इस को प्रयोग करना भी सीखे तो अच्छा होगा। साइन्स की सब से बड़ी देन उस का निर्भीक तरीका है। वह किसी चीज का सच्चा रास्ता बतलाता है। छान वीन के वाद यदि कोई चीज जिसे वह सच्चा मानता रहा है वह गलत साबित हो जाये तो वह किसी चीज पर मोह न कर के छोड़ देता है। ऐसा बारम्बार हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे उन जमाने में हम लोगो ने सुना था कि एटम चीरा नहीं जा सकता उस से छोटी कोई चीज नहीं है उस का टुकड़ा नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं कि उस के अटूट टुकड़े से न मालूम कितनी चीजे हम तैयार कर सकते हैं। साइन्स ने इस सत्य को दबा कर नहीं रखा, उस सिद्धान्त को छोड़ देने में साइन्सिस्टो को मोह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो साइन्स में लगे हैं वे अनासक्त हो कर काम करें। मगर मैं जानता हूँ कि साइन्स वाले भी कही कही मोह में पड़ जाते हैं और प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं और जिस चीज का उन को पता नहीं मिलता वे समझते हैं कि उस तरह की कोई चीज है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि साइन्स का जो सब से सुन्दर सिद्धान्त है वह यही है कि सब चीजों को देखने हुए वह नेति नेति कहता है और जब तक वह भावना उस में रहेगी वह बढ़ता जायगा। उस को समझना चाहिये कि वह सच्चाई के अन्तिम रूप तक कभी नहीं पहुँचा है। हो सकता है कि जिसे वह आज ठीक समझता है वह कठ गलत साबित हो और जो आज गलत मालूम होता है वह कुछ दिनों के बाद सही मालूम हो। मैं तो यही चाहूँगा कि साइन्स के लोग इस तरह का गर्व नहीं करें कि जो उस ने कर दिया वह आखिरी बात है बल्कि नम्र कि वह आखिरी नहीं है उस से भी आगे मैदान तय करना है और उन की जो विद्या है उसे ठीक तरह में काम में लावे। किसी खोज को अपनी वना कर और छिपा नहीं रखे जिसे में कि खोज करने में दिक्कत न हो। इस तरह की बातें आज कल रोजाना देखने में सुनने में आती हैं। लोग कह देते हैं कि यह चीज आज के साइन्स के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि उनका ऐसा कथन सच हो। मगर उस की सच्चाई को देखना चाहिये और देखने के बाद अगर ऐसा होता हो तो उसे माना जा सकता है। मगर बिना पूरी तरह से जात्र किये अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं कहूँगा कि यह उचित नहीं है। और यह ठीक साइन्स भी नहीं है। अगर इस तरह की सब चीजों पर ध्यान दिया जायेगा और खोज में कोई आखिरी बात नहीं समझी जायेगी और ऐसा समझा जायेगा कि आगे भी मैदान तय करना है और इस तरह से सब काम में लगे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि दिन प्रति दिन साइन्स के जरिये समार की तरक्की होगी और आज जो वीभत्स ताँडव नृत्य देखने में आ रहा है वह भी खत्म हो जायगा।

आप भम्हामुन की कथा जानते हैं। उस ने बड़ी तपस्या की और शिव जी ने कहा कि बरदान मांगी। उस ने कहा कि जिस के सर पर मैं हाथ रख दूँ वह



भस्म हो जाये यही वरदान दे । उन्हो ने कहा कि अच्छा ऐसा ही हो । जब उस ने सोचा कि पार्वती के समान पुन्दरी स्त्री दुनिया मे कोई है नही, इस लिये शिव जी के सर पर ही हाथ रख दूँ जिस से शिव जी भस्म हो जायें और पार्वती मुझे मिल जाये । उसने शिव जी के ही सिर पर हाथ रखना चाहा तो उन को अब भागना पड़ा । क्योंकि वह अपना वरदान तो वापस ले नहीं सकते थे । अब शिव जी सारी दुनिया मे भागते रहें और वह उन का पीछा नहीं छोडता था । पार्वती जी शिव जी का मरुट देव कर भस्मासुर के पास आयी और उस से उन्हो ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो । उस ने कहा कि मैं आप को ही चाहता हूँ । उन्हो ने कहा इतना ही । तो फिर इतना परेशान क्यों होते हो । मुझे तुम खुश कर लो मैं तुम्हारी स्त्री हो जाऊंगी । उस ने कहा कि आप खुश कैसे होगी । उन्हो ने कहा कि तुम अपने सर पर हाथ रख कर नाचो और मैं उस से खुश हो जाऊंगी । उस बेवकूफ ने समझा नहीं और मामला खत्म हो गया । तो साइन्स चलते चलते ऐसे स्थान पर आज पहुँच गया है कि भस्मासुर का नाच कर रहा है । यदि वह समझा नहीं तो उस की भी भस्मासुर की ही गति होगी । मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के सायन्टिस्ट लोग साइन्स हासिल करने मे अपने को आगे वढाये मगर साथ ही साथ यह भी सीख ले कि वे भस्मासुर की तरह किमी के सर पर विनाशकारी हाथ तो नहीं रख रहे ।

मैं इतना कह कर आप सब वहनों और भाइयो को धन्यवाद देता हूँ कि आप ने मुझे यह मौका दिया और नये भवन का उद्घाटन करता हूँ ।

### सरोजनी नगर का शिलान्यास

सरोजनी नगर का शिलान्यास करते समय तारीख १९-२-५१ को ४ वजे राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल महोदय, कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, वहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज इस नगर के शिलान्यास का काम आप ने मुझे सौंपा । कारण दो है । पहली बात तो यह है कि यहा आप ऐसे लोगों के रहने का प्रबन्ध कर रहे है जो पहले हमारी लडाइयों मे काम कर चुके है और दूसरी बात यह है कि आपने इस का सम्बन्ध सरोजनी देवी के नाम मे जोड दिया है जो कुछ दिनों तक आप के सूबे का राजपाल हो कर सिर्फ आप ही की सेवा नहीं कर चुकी है बल्कि जिन्हो ने सारे देश की भी सेवा की थी । उन की थोडी सी याद आ जाया करे यह काम आप ने किया है । इस वजह से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप यह काम करने जा रहे है ।

कोआपरेटिव के तरीके से हम जितना काम कर सकते हैं उतना और किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। इस के जरिये थोड़ी पूजी वाले लोग भी बड़े बड़े काम अपने हाथों में ले कर अजाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है थोड़ी पूजी वाले लोगों को आप की सस्था थोड़े बहुत रुपये दे कर मकान बनाने में मदद करेगी और वे लोग आहिस्ता आहिस्ता छोटी किस्तों में दे कर उस रुपये को अदा कर सकेंगे। यह बात बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर उन को अपने ऊपर छोड़ दिया जाये तो शायद उन में से बहुतेरे अपने ही पैरों पर खड़े हो मकान नहीं बनवा सकेंगे और अगर बनवा भी सके तो उन को वह सहायित्व नहीं होगी जो आप उन को दे सकेंगे। इसलिये आप ने इस तरह का काम शुरू किया यह बहुत अच्छा काम हुआ। मे आशा करता हूँ आप इस तरह का नमूना और लोगों के लिये भी पेश कर सकेंगे।

यह शहर में दूर है इस लिये यह जरूरी था कि उन के जो लड़के बच्चे हो उन की शिक्षा का प्रबन्ध हो और उन को धन्या भी मिलता जाये। क्योंकि सिर्फ रहने का प्रबन्ध कर देने से ही काम नहीं चलता है। उन को काम भी मिलना चाहिये। उन का भी प्रबन्ध आप ने कुछ सोचा है। आप को शायद मालूम ही होगा कि दिल्ली के पास जो निर्वासित लोग पश्चिम में आ गये हैं उन लोगों के लिये ऐसी कार्यालयी बनाई जा रही है। उस में भारत सरकार ने काफी मदद पहुँचाई है। उस की तारीफ इस में है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उन लोगों ने अपने अपने मकान खुद बनवा लिये हैं बल्कि जो निर्वासित लोग आये उन्होंने काम कर के अपनी महनत में अपने मकान बना लिये हैं। ऐसे लोग जो ब्रेकार मैप्स में पड़े थे और गवर्नमेन्ट को उन को खिलाना पड़ता था और न जाने कितने लाख रुपये उन को खिलाने में गवर्नमेन्ट को खर्च करने पड़े खुद काम में जुट गये और तमाम सड़कों को बनाया और सड़कों को ही नहीं बनाया बल्कि ईंट, किराड, लकड़ी की जिन जिन चीजों की जरूरत हुई सब को खद बना लिया और मकान भी उन्होंने बनाये। उन में सब कारीगर नहीं थे मगर काम करने करते उन्होंने ने हम काम को भी सीख लिया और आहिस्ता आहिस्ता कारीगर हो गये। अभी तक ३००० मकान बहा तैयार हो गये हैं। मैं शायद जुलाई में वहाँ पर गया था। उस वक्त तक १८०० सौ मकान वे तैयार कर चुके थे और उन का खयाल था कि मार्च तक ४००० मकान तैयार कर लेंगे। उन्होंने और मकान तैयार किये हैं जहर पर मालूम नहीं कितने मकान तैयार किये हैं। उन को एक बड़ा लाभ यह भी पहुँचा कि मन्ने में उन को एक बिजली का कल मिल गया है और वह अब खडा हो जायेगा। उस से इतनी बिजली पैदा होगी कि उसी के भरोंसे उन के आस पास में बहुत से कारखाने खुलने लग गये हैं। उस में से कुछ बिजली दिल्ली को भी मिलेगी क्योंकि दिल्ली का फामला सिर्फ १६-१८ मील ही है। तो यह सारा काम वहाँ कोआपरेटिव के जरिये ही पाया है और पैसे से नहीं, परिश्रम से कर के लोगों ने इतना काम किया है। जो लोग कैम्प में थे उन को सरकार की तरफ में मुफ्त खाना मिलता था। जब सरकार ने तय किया उन को मुफ्त खाना नहीं दिया जायेगा तो उन को मजबूर हो कर काम करना पडा और उन्होंने काम शुरू किया। तब मवाल यह उठा कि क्या वे अपनी कमाई से उतना पैदा कर सकेंगे जिन से वे अपनी गुजर कर सके गवर्नमेन्ट ने

यह फमला किया कि जितना घटेगा वह पूरा करेगी। उन्होंने ने काम से काफी पैदा किया और गवर्नमेन्ट को अपनी तरफ से बहुत कम देना पडा। और सारे मकान अपनी मेहनत से उन्होंने ने तैयार कर लिये और इस तरह एक बहुत ही सुन्दर शहर जहा ४०,००० लोगो को रहने का प्रबन्ध होगा कई महीनो के अन्दर तैयार हो गया है। हमारे देश में कोआपरेटिव के लिये बहुत बडा मैदान है। यह तो आप शहर बसाने का प्रबन्ध कर रहे है। मैं मानता हू कि कोआपरेटिव की खेती में भी काफी गुजायश है और उस क्षेत्र में भी लोग इस प्रथा को काम में लाये तो देश को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसलिये मुझे खास कर के ऐसे कामो से दिलचस्पी है और मैं ने खुशी से आप का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। मैं आशा करता हू कि जिन उम्मीदो में आप ने अपना काम शुरू किया है वह पूरी होगी और जो लोग यहा आयेगे वे मुख में रह सकेंगे और यह एक आदर्श शहर बन जायेगा।

### प्रयाग में अभिनन्दन

ता० २०-२-५१ को प्रयाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

इलाहाबाद जिला बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यगण, वहनो और भाइयो,

आप लोगों ने जिस प्रेम में मेरा स्वागत किया और मान पत्र दिया उसके लिये मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देता हू। इलाहाबाद मेरे लिये कोई नई जगह नहीं है। आपने यह ठीक कहा है कि यह एक ऐसा स्थान है जिनमें भारतवर्ष के इतिहास में आज ही नहीं परावर ही बडा हिस्सा लिया है। पहले की बात अगर छंडा भी दी जाये तो स्वराज्य सबधी हमारी लड़ाई में आपके शहर और जिले ने जो भाग लिया है वह हमेशा भारतवर्ष के इतिहास में सोने के अक्षरो से लिखा रहेगा। एक ही तरह के नहीं, हर प्रकार से चाहे वह विद्या के सबध में हो, चाहे राजनैतिक आन्दोलन में हो, तथा और भी कितने प्रकार के काम देश की उन्नति के लिये हुए है उन सब में आप का बड़ा भाग रहा है और बना रहेगा। आज भी जो एक प्रकार से भारत का शासन चल रहा है उसको इलाहाबाद ही चला रहा है क्योंकि कोई जवाहरलाल जी को इलाहाबाद से न तो अलग समझ सकता है और न अलग कर सकता है और न भारत के शासन कोही जवाहरलाल जी से अलग कर सकता है। इसलिये केवल लड़ाई के जमाने में ही नहीं बल्कि अब जब कि स्वराज्य पाकर हम अपने हाथों सब अधिकार पा चुके हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मौके पर भी देश का अख्यार आपके ही हाथों में है यह खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हू कि जिस तरह लड़ाई के जमाने में आप हमेशा आगे रहे उगी तरह अब रचनात्मक काम में भी आप हमेशा आगे रहेंगे और देश का सर हर तरह से ऊंचा करके रखेंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि सभी म्युनिसिपैलिटियों के सामने, सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सामने, सभी प्रांतीय सरकारों के सामने यहां तक कि भारत सरकार के सामने भी रूपयो का सवाल है। सब को रूपयो की कमी हो रही है। इसकी वजह यह है कि सब के सामने बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, क्योंकि हम आज हजार तरह के ऐसे काम करना चाहते हैं कि जिसमें देश के लोगों की तरक्की हो। सब के सामने जितने कार्यक्रम हैं उनको चलाने के लिये काफी आमदनी नहीं है। इस समय हर तरह से मुल्क के सामने दिक्कतें हैं। मगर इससे न तो घबराना चाहिये और न निरुसाह होना चाहिये। जैसे जैसे काम होता जायेगा मेरा अपना खयाल है कि रूपये की कमी नहीं रहेगी। अगर हम अपना काम खूबी से चलायेगे और लोगों में विश्वास पैदा करते जायेगे तो पैसे भी मिलते जायेगे और काम का तरीका भी निकलता जायेगा। जो जनता की सेवा करते हैं उनको पैसे की कमी नहीं रहती। महात्माजी अक्सर कहा करते थे कि कोई काम पैसों के बगैर नहीं रुकता, अगर काम करने वाले ठीक हो। उस वक्त तो हमारे हाथों में कोई अधिकार भी नहीं था। लेकिन सभी स्थानों में काम के लिये हमें पैसे मिले। यही बात गवर्नमेंट के लिये लागू है। गवर्नमेंट को लोग तभी पैसे देगे जब गवर्नमेंट लोगों की खिदमत करके रूपये पाने के काबिल अपने को बनावे और आजकल जो गौमैन है और खास करके जहा प्रजातंत्र राज्य है उसका तो नियम यही होता है कि टैक्स वसूल करके मिल जूल कर लोग जनता की खिदमत करे। मैं समझता हूँ कि यद्यपि आपको दिक्कतें हैं पर तो भी आपने जितना काम किया है वह कम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो रिपोर्ट मुनाई गई है और म्युनिसिपैलिटी बोर्ड की जो रिपोर्ट मुनाई गई दोनों में मालूम हुआ कि कठिनाइयों के रहते हुए भी आप आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद रखूंगा कि दोनों आगे बढ़ेंगे और तरक्की करने जायेंगे। यह भी सच है कि हम लोगों का मुल्क एक नाजुक रान्ते में गुजर रहा है। सिर्फ हमारे ही मुल्क की नहीं, सारी दुनिया की वही हालत है। हजारों तरह की मुश्किलें आ रही हैं। हम अपने को सारी दुनिया में अलग नहीं रख सकते हैं। दूसरी जगहों का असर हम पर भी पड़ता रहता है। अगर दुनिया के किसी मुल्क में गल्ले की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे यहा भी बढ़ जाती है। हमारा भी असर दूसरों पर पड़ता है। उसी तरह जो राजनीतिक बातें हैं उसमें भी एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर असर पड़ता है। अगर एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरम्यान में लड़ाई छिड़ जाये तो किसी न किसी तरह हम को भी उसमें पड़ना ही पड़ता है और अगर हम अपने को लड़ाई से अलग रख भी सकें तो भी उसका असर हम पर पड़े बिना नहीं रहता। आज साइन्स ने जो तरक्की की है उसकी वजह से दुनिया एक रस्मी में बंध गई है और उस से अलग होना दिन दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो हमको अपनी हालत पर हमेशा ध्यान रखना है मगर हमको बाहर की हालत पर भी हमेशा ध्यान रखना पड़ता है और अब तक रखना पड़ा है। अगर हम अपना काम ठीक से चलायेंगे तो बाहर के लोगों से भी हम अपने तालुककात ठीक रख सकेंगे और हर तरह से हम खुद भी तरक्की कर सकेंगे। महात्माजी ने जब भारत को आजाद करने का काम शुरू किया तो वह सिर्फ अपने ही लिये स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। यह जरूर है कि स्वतंत्रता के बगैर हम कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे। मगर साथ साथ उनका यह भी खयाल था कि स्वतंत्र होकर हम संसार की सेवा कर सकेंगे। इसलिये हम अपने तरीके से संसार की सेवा करें इसकी भी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है।

मगर इस वक्त हमारे सामने खाने पीने की कठिनाई हो रही है। आपने देखा होगा कि जो थोड़ा राशन मिलता था उसमें भी कमी करनी पड़ी और सभी जगहों पर जहां जहा में जाता हूं लोग घबराते हैं, शिकायत करते हैं। उनका घबराना बजा है, शिकायत करना बजा है। मगर जो हालत थी उसमें और कोई चारा नहीं था। हमारी ओर से कोशिश हो रही है और बाहर से अन्न आ जायेगा तो जो राशन में कमी की गई है उसको हम पूरा कर सकेंगे। मगर इसमें कुछ देर लगेगी। हजार कोशिश गवर्नमेंट करे मगर इस तरह की मुसीबत जब मुल्क पर आ जाती है तो उसका सामना लोगों को ही करना पड़ता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों की हिफाजत करती है। मगर यह जरूरी है कि लोग हिम्मत से, साहस से और इस भावना से कि सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करके दिन काट ले चलेगे, काम करे। भारतवर्ष के सामने इस तरह की मुसीबत पहली बार नहीं आई है। इसके पहले भी हजारों मुसीबतें और दिक्कतें देश के सामने आई हैं। पता नहीं किस शक्ति से हमने अपने को बनाये रखा। मुझे भरोसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कोशिश हो रही है उससे और उसमें भी अधिक अपनी मेहनत से अधिक अन्न पैदा कर लेंगे और हमारे फिर अच्छे दिन आ जायेंगे।

मैं आप सब भाइयों और बहिनों को धन्यवाद देता हू कि आपने इस तरह से मेरा स्वागत किया और मेरे प्रति प्रेम दर्शाया।

### सरस्वती मन्दिर का शिलान्यास

सरस्वती मन्दिर प्रयाग के शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रपतिजी ने कहा —

बहिनों और भाइयों,

मैं आप सब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हू कि आपने अपने ही प्रयास से साहित्यिकी की सहायता और उन्हे साहित्य सृजन की हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कराने के लिये इस महत्वपूर्ण सस्था को बनाया है और इस सरस्वती मन्दिर के निर्माण का प्रबन्ध किया है जिसके शिलान्यास करने में मुझे आज अत्यन्त हर्ष और प्रसन्नता है। जिस सामूहिक कल्याण और आत्म-विश्वास पर आपकी यह सस्था कायम है उनकी मराहना में किन शब्दों में करूँ यह मैं नहीं जानता।

इस बात से तो आज कोई इकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में साहित्य सेवियों का जीवन अत्यन्त कष्टकाकीर्ण रहा है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है “परतन्त्र तथा विदेशी भाषा से आक्रान्त देश में साहित्य सृजन सघर्ष साध्य ही होता है”। अतः जब तक हमारे देश में विदेशियों का राज्य था हमारे साहित्यकारों को अनेक प्रकार की कठिनाइया झेलनी पड़ीं। स्वतंत्र होने के पश्चात् इस बारे में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है किन्तु आज भी वैसी स्थिति नहीं है जैसी अच्छे साहित्य सृजन के लिये होनी चाहिये। यद्यपि हमने यह निश्चय कर लिया है कि हमारा सार्वजनिक सभी राजकाज हमारे देश की भाषा में ही कुछ वर्षों के बाद चलेगा किन्तु आज भी हमारे यहां के शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षितों और शिक्षार्थियों के मन में अंग्रेजी भाषा का वह मोह नहीं छुटा है जो अंग्रेजी राज्य काल में उस के प्रति पैदा हो गया था। जान में या अनजान में

हमारे यहां के बहुसंख्यक शिक्षकों के मन में यह भाव घर किये हुए है कि हमारी अपनी भाषाओं में वैसी उच्च कोटि का साहित्य न तो है और न हो सकता है जैसा कि अंग्रेजी में है और इस भावना के कारण आज भी उनका लगाव अपनी भाषाओं के साहित्य से कुछ अधिक नहीं है। हमारे साहित्यकारों को जो आर्थिक कठिनाइयां सहनी पड़ी हैं और सहनी पड़ रही हैं उनका एक कारण यही मनोवृत्ति है क्योंकि इस के कारण हमारे यहां उनकी कृतियों का शिक्षित वर्ग में वैसा प्रचार नहीं होता जैसा कि अन्य देशों में वहां के साहित्यकारों की कृतियों का होता है।

इस कथन में मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हमारे देशवासियों को अन्य भाषाओं के साहित्य में, विशेष करके अंग्रेजी के साहित्य से, प्रेम न करना चाहिये। इसके विपरीत मैं तो यह मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है क्योंकि वह आज अन्तर्राष्ट्रीय भाषा हो रही है और उसका साहित्य भी बहुत बड़ा और व्यापक है। इसके अलावा कोई साहित्यिक अनीत काल या वर्तमान जगत के साहित्य में अनुभूत रहकर सफल साहित्य साधना नहीं कर सकता और न वैसी हास्य में कोई व्यक्ति ही अपने को समुचित रूप में शिक्षित बना सकता है। किन्तु साथ ही मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं के साहित्य का स्वाद हम तभी पहचान या जान सकेंगे जब हम न अपनी भाषाओं के साहित्य के स्वाद को जान लिया हों। उपरोक्त में यह बात कई बार कह चुका हूँ और आज भी दुहराना चाहता हूँ कि अपने अस्मिन्त्व को बनाये रखने के लिये और बातों के साथ साथ हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपनी भाषाओं के साहित्य से प्रेम करना सीखें और उन के अध्ययन में यदा अधिक नहीं तो कम से कम अपनी दिव्यवस्ती अवश्य रखें। जिनकी कि हमारे बहुत से लोग आजकल विदेशी साहित्य के अध्ययन में रूचने हैं। यदि हमारे देश भाई ऐसा करने लगे तो न केवल हमारे देश का ही बड़ा भारी कल्याण होगा वरन् हमारे साहित्यकार भाई बहनों की निजी आर्थिक समस्या भी कुछ सीमा तक हल हो जायेगी। कुछ सीमा तक ही हल होने की बात में उपरोक्त कहना है कि वर्तमान आर्थिक दान के कारण साहित्यकारों को यह आर्थिक प्रतिशम प्राप्त नहीं होता जिसका कि वह समाज के असंख्य व्यक्तियों के अन्य आनन्द और नव-सृष्टि, शान्ति माने और कल्याणकारी आदर्श प्रदान करने के चरित्र में अधिकारी होता है। हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था में व्यवसाय समाजसेवा के हेतु में न किया जाकर अपने निजी लाभ के लिये किया जाता है जिसका परिणाम बहुधा यह होता है कि निजी लाभ की वेदी पर सामूहिक कल्याण की बलि दे दी जाती है। उपरोक्त यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विचारों की अमूल्य रत्न पिटारी को प्रकाशक लोग गरीब साहित्यिक से कोड़ों के दाम खरीद लेते हैं और स्वयं उससे बहुत लाभ उठाते हैं। मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि आपने इस विषय और अन्याय को दूर करने का वह कदम उठाया है जो न केवल आप जैसे साहित्य के उपासकों के लिये उपयुक्त है वरन् समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये अनुकरणीय भी है। समाज में अन्याय और विषमता को दूर करने का मार्ग यही है कि लोग सहकारिता और सर्वोदय के सिद्धान्त को अपनायें। आपने यही सिद्धान्त अपनाया है और इसलिये आप और भी बधाई के पात्र हैं।

क्रान्तियों के अन्य मार्ग और देशों में सुझाये गये हैं, किन्तु हमारे देश में सुदूर पुरातन काल में सामूहिक और वैयक्तिक जीवन में सुख और शान्ति स्थापित करने का मार्ग यही ठीक ठहराया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का चरम उत्कर्ष इसी बात में माने कि उस के अपने जीवन से

सब मानवों का जीवन सुरभिमय और सुखमय हो जाये। मेरी समझ में इसीलिये ही हमारे देश में अहिंसा के आदर्श को उतनी महत्ता दी गयी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी आदर्श की आवाज उठाकर सुप्त भारतवासियों की नसों में फिर नव जीवन, नव स्फूर्ति और नव सृजनात्मक शक्ति का संचार कर दिया। आपने अपने हितों की रक्षा के लिये और समाज की रचनात्मक सेवा के लिये इसी मार्ग को अपनाया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप अपनी कृतियों में सृजन और सहकारिता के इस सिद्धांत के प्रति वफादार रहे तो आप सचमुच ही अपनी कृतियों को भारत के नव निर्माण और यहां की जनता के दुःख दारिद्र्य को दूर करने का प्रबल अस्त्र बना देंगे। भगवान ने आपको ऐसी शक्ति प्रदान की है कि आप उसके द्वारा अपने अन्य भाई बहिनों की समस्याओं को ऐसे सुस्पष्ट और सजीव शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि वे उनको ठीक ठीक पहचान लें और साथ ही आप उनको वह प्रेरणा और वह दिग्दर्शन प्रदान कर सकते हैं जिससे कि ज्योति और उत्साह पाकर वे अपनी समस्याओं को मुलझाने के लिये कटिबद्ध होकर लग जायें। हमारे देश में करोड़ों तर-तारियों का जीवन आज विफलतापूर्ण और विपत्तिमय है और हमारी स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ न होगा जब तक कि वे अपने जीवन को सफल और मार्थक न कर सकें। इस महान् कार्य के संपादन के लिये आज हमारे देश को प्रत्येक व्यक्ति के अश्रुदान की आवश्यकता है। जो राजनीतिज्ञ है वे राजनीतिक दृष्टि से उस दशा को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु न तो राजनीतिज्ञों और न यत्रकारों के हाथ में यह बात है कि वे जनता के हृदय में ऐसी स्फूर्ति, ऐसा उत्साह, और ऐसी लगन पैदा कर दें कि जनता इन समस्याओं को शीघ्रानिशीघ्र मुलझाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे। जनता के हृदय में यह भावना पैदा करने का काम साहित्यको का है। आज हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि साहित्य प्रेयसी का गान न होकर प्रमविनी माता की सृजनात्मक शक्ति हो, वह उपभोग की वस्तु न होकर रचना का साधन हो। हमारे साहित्यकारों में से अनेकों ने स्वतंत्रता आन्दोलनों के दिनों में बड़ा महान् कार्य किया था और उन में से अनेकों ने उन दिनों ऐसी कृतियाँ की जिन से जन जीवन में स्वतंत्रता के लिये मोहक उन्माद पैदा हो गया और लाखों ही व्यक्ति स्वतंत्रता युद्ध में अपने जीवन को बलिदान करने को प्रस्तुत हो गये। आज हम दूसरे प्रकार के साहित्य की आवश्यकता हैं। ऐसे साहित्य की जो जनता के सामने इस बात को रखे कि कृषि, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्रों में वर्तमान विज्ञान का सहारा लेकर प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक उद्योग में जुट जायें।

मैं समझता हूँ कि आज हमारे समाज में रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों के प्रति जो उदासीनता है उस का कारण बहुत कुछ हद तक यही है कि आज साहित्य में इस बात की गूँजी हुई प्रतिध्वनि नहीं है कि यदि हमारे देश को, मानव जाति को सुखी होना है तो उस के लिये यह आवश्यक है कि घर घर में, ग्राम ग्राम में, नगर नगर में सब लोग आकुल होकर हर प्रकार के रचनात्मक काम में उसी तत्परता के साथ लग जायें जिस तत्परता के साथ वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे।

मैं समझता हूँ कि हमारी वर्तमान समस्याओं के मुकाबले में स्वतंत्रता प्राप्ति एक कम कठिन कार्य था। उस समय हमें केवल कुछ विदेशियों की सत्ता अपने देश से मिटानी थी पर आज हमें लगभग ३५ करोड़ व्यक्तियों को सुशिक्षित करना है, अच्छे-अच्छे घर बार देने हैं, पर्याप्त भोजन

की व्यवस्था करनी है और उन के जीवन को आनन्द और संगीत से भरना है। इस कार्य के लिये हमें अपनी आर्थिक-उत्पादन-शक्ति को हजारों गुणा बढ़ालेना है, और यह काम तभी हो सकता है जब हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति अपने को सरकार पर आश्रित न समझ कर अपनी शक्ति, उत्पादक, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा दे। इस महान् यज्ञ में साहित्यकार ही प्रधान आहुति डाल सकते हैं और आशा है डालेंगे।

मैं इसी प्रकार के साहित्य को प्रगतिशील साहित्य मानता हूँ। आजकल कुछ लोग प्रगतिशील साहित्य का दर्जा ऐसे साहित्य को देते हैं जिसमें वर्तमान समाज के अन्तर में होने वाले श्रेणी संघर्षों का वर्णन होता है और जो तथाकथित शोषित वर्गों को उन वर्गों से संघर्ष के लिये प्रेरित करता है। मेरा विचार है कि भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक शोषण के अन्त करने की एक नई रीति का आविष्कार किया। आज भारत में सामाजिक और राजनैतिक सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो इस बात में विश्वास करते हैं कि समाज शोषणहीन, वर्गहीन होना चाहिये और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी भेद भाव के बिना ऐसी सब सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिये जिनसे वह अपने जीवन का पूरा पूरा विकास कर सके। जब हमने संसार की एक महान् शक्ति का अहिमात्मक क्रियाशीलता द्वारा केवल मुकाबला ही नहीं किया बल्कि स्वराज्य प्राप्त भी कर लिया तो अब इस रचनात्मक समय में आप में श्रेणी संघर्ष को हिन्यात्मक रूप दिये बिना नव समाज का सृजन जिसका ध्येय सर्वोदय है करना आसान होना चाहिये। इसमें साहित्य यथेष्ट सहायता दे सकता है और इसलिये मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जिस साहित्य की आवश्यकता है वह केवल ऐसी ही साहित्य है जिसमें सृष्टि और रचना की पुकार भरी हो।

मुझे आशा है कि आपका समस्त साहित्यिको को इस दिशा में चलने के लिये प्रेरित करेगा। मुझे यह भी भरोसा है कि आज जिस मंदिर का शिलान्यास मैंने किया है उस में बैठ कर कार्य करने वाले साहित्यिको को बराबर ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिसमें वे भारत और संसार में अन्तर्-र्णाय, अन्तर्-प्रांतीय, अन्तर्-साम्प्रदायिक और अन्तर्-राष्ट्रीय शांति और सहयोग और प्रत्येक मानव के जीवन में सुख समृद्धि की स्थापना करने वाले साहित्य की रचना करें।

उस आदर के लिये जो आपने मुझे इस मन्दिर के शिलान्यास करने के लिये निमंत्रित करके दिया है मैं आप सब भाई बहिनो को धन्यवाद देता हूँ और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगो को न केवल इस मन्दिर के वाह्य स्वरूप को मन्दिर बनाने में सफलता हो वरन् इसमें भी सफलता प्राप्त हो कि यह मन्दिर भारतीय जन-जीवन के लिये एक चिर प्रकाश स्तम्भ बन जाये।

### प्रयाग महिला विद्यापीठ

प्रयाग महिला विद्यापीठ में अपने दीक्षान्त भाषण में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम डा० काटजू, उपकुलपति जी, महादेवी जी, अध्यापिकाओ, बालिकाओ, भाइयो और बहिनो,

मैं समझता हूँ कि जो बालिकाएँ इस विद्यापीठ में शिक्षा पा रही हैं और जो यहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बाहर जा रही हैं वे सब बहुत खुशनासीब हैं। उन को ऐसी संस्था में अपने जीवन



के सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल को व्यतीत करने का अवसर और सुयोग मिला है जो हमारे देश में अत्यन्त उच्च आदर्शों के अधीन स्थापित की गई थी। यह तो सब जानते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा सन्स्थायें हैं वे दो प्रकार की हैं—एक तो वे जिन्हें अंग्रेजी शासन ने या तो स्वयं स्थापित किया था और या अपने प्रभाववादी लोगों से स्थापित करवाया था और दूसरी वे—जिन्हें देश भक्तों ने देश प्रेम को जाग्रत रखने या करने के लिये स्थापित किया था। अंग्रेजी शासन के पास उस समय इस देश की प्रभुता थी, पैमे थे, पद थे। अतः उन के प्रभाव में कार्य करने वाली शिक्षा सन्स्थाओं को न तो पैसे की और न विद्यार्थियों की कमी रहती थी। वहाँ शिक्षा पाने वालों को यह आशा और विश्वास बना रहता था कि वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् देश की राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था में उन्हें अच्छा खामा स्थान या पद मिलेगा। अतः वहाँ विद्यार्थियों के झुड के झुड जाते थे। सरकार से तो अनुदान मिलते ही थे। इम के विपरीत देश भक्तों द्वारा स्थापित संस्थाओं के पास ज्ञान और देश प्रेम के अतिरिक्त और कुछ न था। अतः उन्हें सर्वदा ही वित्त और विद्यार्थियों की कमी जाननी थी। किंतु इन कमियों के होते हुए भी ऐसी जो संस्थायें अपना गौरवपूर्ण अस्तित्व बनाये रख सकीं यही उनके महत्व का परिचायक हैं। उन में ही इस विद्यापीठ का स्थान है। मैं समझता हूँ कि उसकी आज की सफलता का एक कारण तो उस की संचालिका और अधिष्ठात्री स्वयं श्रीमती महादेवी वर्मा हैं। भारत में सभवतः ऐसी इन्हीं गिनी ही शिक्षा संस्थायें होंगी जिनका संचालन ऐसे विद्वान् और प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में हो जैसी श्रीमती महादेवी वर्मा हैं। उन की कविता, उन के गद्य लेख और उन के दार्शनिक विचार हिंदी साहित्य की निधि हैं। उन की जैसी गुरुआनी पाना कुछ कम भाग्य की बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि उन से शिक्षा पाने वाली बालिकायें सर्वदा अपनी इस गरिमा को, अपने इस भाग्य को स्मरण रखेंगी।

साथ ही उनका भाग्य इसलिये भी सराहनीय है कि इस विद्यापीठ में पुगलन और नवीन का अत्यन्त सुन्दर मगम है। सहस्राब्दियों से गंगा जमुना मरुस्वती का यह मगम स्थल हमारे देशवासियों के लिये तीर्थराज रहा है। अतः यदि इसके हृदय में इस विद्यापीठ जैसा सांस्कृतिक संगम हो तो आश्चर्य की बात न होनी चाहिये। इस विद्यापीठ ने पुगलन को सर्वथा तिलांजलि नहीं दे दी और न नवीन की ओर में मुख मोड़ लिया है। इम ने तो दोनों को ही अपनाया है और उन का समन्वय कर दिया है। ऐसे समन्वय से ही इस देश के नारी जगत में ऐसी नई रचनात्मक शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो जन जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में पूरी तरह सहायक हो सके। बहुधा प्रगति के आकुल पुजारी यह भूल जाते हैं कि जीवन की सामूहिक कार्य शक्ति बहुत सीमा तक भूतकाल की देन है और अपने उतावलेपन में भूतकालिक देन को सर्वथा फेंक देने या नष्ट-भ्रष्ट कर देने में ही क्रांति की सफलता समझने लगते हैं। किंतु यह उनका भ्रम मात्र होता है क्योंकि इम प्रकार के विनाश में वे अपना समय और शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं जब कि भूतकाल की आवश्यक निधि के सहारे वे क्रांति को कहीं कम शक्ति और समय व्यय कर के कहीं अधिक सफल बना सकते हैं। भारतवासियों की मुक्त शक्ति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के भूतकालिक दाय के सहारे ही इतना मजग और सक्रिय कर दिया था जितना कि संभवतः हमारे इतिहास में किसी युग में कभी नहीं हुआ था। हां भूल गले की फासी भी बन सकता है, किंतु वह तभी होता है जब गतिमान जीवन की ओर से मानव आँखें हटा लेता है और

नवीन की सर्वथा उपेक्षा या अवहेलना करता है। जीवन तो गतिमान है और उस की धारः कालक्रम में विभिन्न विचार और भावना भूमि में होकर बहती ही रहती है। अतः नव संस्कृति से सर्वथा अछूता और अरञ्जित रहने की प्रवृत्ति बड़ी घातक होती है। इसलिये मानव का धर्म है कि वह भूत-काल के ताने में नवीन रंग का बाना बुनता चला जाये।

सारी मानव जाति के लिये यह आवश्यक धर्म है किन्तु नारी जाति के लिये तो यह कही अधिक आवश्यक है। जगत की सृजनात्मक क्रियाओं में उसका ही प्रमुख भाग होता है। मानव समाज के लिये सब से महत्वपूर्ण सृजन तो मनुष्य का सृजन है। वह तो मनातन से नागी का ही काम रहा है और आज भी है। वहीं तो भूतकालिक दाय को भावी पीढ़ियों को अपने दुग्ध के साथ देती है; वहीं तो घर में, समाज में, उसकी रक्षा करती रही है, करती है और संभवन करती रहेगी। जब राज न थे, पुरोहित न थे, पण्डे न थे उस समय भी नारी ही सामाजिक शृंखलाओं की रक्षक और पालक थी। यदि उसके सुकोमल शरीर से भूत, वर्तमान और भविष्य आपस में बंधकर एक न हो गये होते तो न तो सभ्यता होती और न इतिहास। अतः हमारी महिलाओं के लिये तो यह और भी आवश्यक है कि वे सामाजिक क्षेत्र में अपने इस महान् भाग को यथोचित समझे और निवाहें। हमारा देश आज संक्रांति युग में गुजर रहा है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार चलाना है कि हमारे देश का प्रत्येक नर नारी अपने ब्यवित्तव की पुकार को केवल सुन ही न सके वरन् उस को पूरा भी कर सके। आज हमारे देश में करोड़ों ऐसे नर नारी हैं जो अरमानों और तमन्नाओं को पूरा करने का तो सवाल ही क्या इस योग्य भी नहीं हैं कि अपने अरमानों को जान भी सके। हमें यह अवस्था बदल देनी है। और शीघ्रातिशीघ्र बदल देनी है उसके बदलने में संभवतः हमारी नारियों का कही अधिक भाग होगा क्योंकि मानव जीवन से जितना उनका आत्मिक और भौतिक संबंध होता है उतना नर का नहीं। बालक को गोद में खिलाने वाली ही भविष्य की सफल निर्माता होती है और उसी के आंचल में वह शक्ति छिपी हुई है जो जगत में स्वर्ग स्थापित करने वाली क्रांति कर सकती है। हम कैसे ही राज्य बयो न बनाले, कैसी ही आर्थिक व्यवस्था कायम क्यों न कर लें जब तक हमारी अगली पीढ़ी का मानसिक गठन शिशु जीवन में ही ठीक नहीं बनता हम जगत में मच्चे मुख और शांति का साम्राज्य स्थापित करने में गफल न होंगे। अतः मैं समझता हूँ कि वर्तमान भारत में दफ्तर में या फ़ैक्टरी में काम करने से कही अधिक महत्व का काम घर में है और वह काम हमारी नारियाँ ही कर सकती हैं। इस कथन का यह प्रयोजन नहीं है कि नारी घर की चहार दीवारी की कैदी हो और जीवन के अन्य पहलुओं से उसका कोई सम्पर्क न हो। इस के विपरीत मैं तो यह मानता हूँ कि सामाजिक विकास और स्वास्थ्य के लिये नारी की स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी नरों की स्वतंत्रता की। पर स्वतंत्रता का अर्थ तो यही है कि स्वतंत्र व्यक्ति अपने समय और शक्ति का ऐसा उत्तमोत्तम प्रयोग कर सके जिसमें यदि मन्त्र प्राणियों का नहीं तो मन्त्र मानवों का, जिनमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, हित साधन हो। अपने समय और शक्ति को अपने ही हित साधन के लिये, चाहे फिर उससे जन कल्याण होता हो या न होता हो, लगाने की सुविधा का ही अर्थ स्वतंत्रता कहना स्वतंत्रता के अर्थ को ठीक नहीं समझना है। वह स्वतंत्रता न होकर अराजकता होगी। अतः नारी की परम स्वतंत्रता इसी बात में है और होनी चाहिये कि वह भावी पीढ़ी के मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक गठन का पूरा पूरा अधिकार अपने हाथ में ले। प्रकृति

ने उसी को शरीर की धात्री बनाया है और उसी को मन की धात्री। आज के समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं जो उसे इस पावन कर्तव्य के पालन करने में असमर्थ बना देती हैं अथवा बाधा डालती हैं उनको समूल निकाल देना चाहिये। सामाजिक जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने आवश्यक हैं जो नारी के लिये विकास का अबाध रास्ता खोल दें और जितनी भौतिक तथा दूसरे साधनों की इसके लिये जरूरत है वह प्रस्तुत कर दिये जायें। इस विषय में नर और नारी के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव हमारी उन्नति के लिये घातक होगा। साथ ही नारियों को भी अपने पावन स्थान को पहिचानना चाहिये और उसे छोड़कर शोषक वर्ग में नाम लिखाने की प्रवृत्ति उनके लिये न तो आवश्यक है न शोभाप्रद और न उचित। प्रगतिशीलता का तकाजा और धर्म है कि मानव जाति के मानसिक गठन की क्रांति के यज्ञ में वे अपनी आहुति भावी पीढ़ी का मानसिक और सांस्कृतिक गुरु बन कर दें और माता के उच्च दर्जे को पहचानें।

मैं समझता हूँ कि यह विद्यापीठ इसी कर्तव्य साधन के लिये, मानव जीवन में सच्ची क्रांति को लाने के लिये, कुछ न कुछ कार्य करती रही है। किन्तु इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि विद्यापीठ अपने पाठ्य विषयों का ऐसा चयन करे कि उन में मानव संस्कृति के विकास और नारी के उसमें भाग का पूरा पूरा हाल उसमें पढ़ने वाली बालिकाओं को ज्ञात हो जाये और साथ में इन बालिकाओं को ऐसे क्रियात्मक अभ्यास कराये जिनमें वे भारतीय जनजीवन को इस प्रकार शांति पूर्ण और सृजनात्मक ढंग से बदल दें कि पारिवारिक और नागरिक जीवन शांति, स्नेह और सहयोग का आनन्द मन्दिर बन जाये।

मैं उन सब बालिकाओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने यहां शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सफलतापूर्वक उसकी परीक्षाएँ पास कर ली हैं। मेरी शुभ कामना है कि वे अपने जीवन में सफल हों।

### राष्ट्रीय वैमानिक दौड़

ता० २०-२-५१ को नेशनल वैमानिक दौड़, कानपुर में पुरस्कार देने समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

हवाई जहाज के उड़ान में भाग ले कर जिन लोगों ने बाजी जीती है उन को पुरस्कार देने का काम मुझे आपने मौपा इस से मुझे हर्ष है। हवाई जहाज की वजह से आज दुनिया छोटी हो गई है। जहा पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लगते थे वहां अब घंटों में छाप जा सकते हैं। ऐसी हालत में हमारे देश के अन्दर भी और देशों के मुकाबले में हवाई जहाज का पूरा प्रचार होना आवश्यक है। अब हमारे अपने हाथों में शासन का कारबार आया है। इस की वजह से यह काम और भी तेजी से बढ़ना चाहिये। और आज उस का मौका है। इस काम में देश के युवक और युवतियों को बड़ी तादाद में हिस्सा लेना चाहिये। हिन्दुस्तान में हवाई जहाज का प्रचार अभी हाल ही में हुआ है लेकिन तो भी लोगो ने इस काम में काफ़ी

दिलचस्पी ली है यह प्रशंसनीय है । मुझे इम बात से खुशी है कि इस हवाई दौड़ में देश भर के लोगो ने और कुछ दूसरे देशों के उडाकों ने भी भाग लिया है । जो कुछ आपने दिखलाया है वह गौरव की बात है और उस से आशा होती है कि हम भविष्य में इस दिशा में तरक्की करेगे । भारत की आबहवा ऐसी है कि हवाई उडान मे बहुत कम खतरा रहता है । पर तो भी दुर्घटना तो होती ही है । अभी इमी हवाई दौड में एक दुर्घटना हो गई जिस में एक कुशल चालक श्री माथुर की जान चली गई, यह बहुत दुःख की बात है । वह हवाई जहाज उडाने की शिक्षा दिया करते थे और मैं ने मुना कि कितने ही आदमियों को उन्होंने यह विद्या सिखाई थी और शायद ही किसी और व्यक्ति ने इतने आदमियों को यह शिक्षा दी हो जितनों को उन्होंने दी थी । लेकिन इस दुर्घटना की वजह से आपको हतोत्साह नही होना चाहिये । आपका जो काम यहा हो रहा है उसी के दर्मियान श्री खुशीदलाल जी जो आप के विभाग से सम्बन्ध रखते थे स्वर्गवासी हो गये । उन की मृत्यु से भी देश को बहुत नुकसान पहुचा है । वह एक बहुत ही उत्साही और कर्मठ कार्यकर्ता थे । मगर सरकार का काम चलता ही रहता है और हम लोगो को इन दोनो के बताये रास्तों पर चलना चाहिये जिस मे हम अपने देश को महान् बना सके ।

अभी इस देश मे हवाई जहाज के कल पुर्जों की कमी है । लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारे कल कारखाने बढने जायेंगे वह कमी दूर हो जायेगी और हम इस दिशा मे भी आगे बढेंगे ।

मैं आप सब भाइयों और बहिनों का जो इम मे दिलचस्पी रखते हैं और खास कर के जो आसपास के गावों से आये हैं धन्यवाद देता हूँ । यह इस देश के लिये एक नई चीज है और मे आशा करता हूँ कि जिस तरह से आपने इस में दिलचस्पी ली है आगे भी लेते रहेंगे ।

### कानपुर में नागरिक अभिनन्दन

ता० २०-२-५१ को ५-३० बजे शाम को कानपुर के नागरिकों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

डाक्टर मुरारीलाल साहब, बहनो और भाइयो,

आप ने इस शहर के लोगों की ओर से और कई संस्थाओं की ओर से जो मानपत्र दिया और जिस प्रेम से आपने मेरा स्वागत किया उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ ।

आपने ठीक कहा है कि कानपुर उत्तर भारत में प्रमुख औद्योगिक स्थान हो गया है और दिन प्रति दिन उस की तरक्की होती जा रही है। आपने ठीक ही कहा है कि थोड़े ही दिनों के अन्दर उस की आबादी कई गुनी बढ़ गई है और जितना कारवार यहाँ बढ़ता जा रहा है उस से यह आशा होती है कि इस की आबादी और भी बढ़ेगी और हर तरह से यह एक समृद्ध और सुखी शहर हो जायेगा। शहर की आबादी बढ़ना हमारे लिये एक प्रकार से दुविधा की चीज है। एक तरफ हम नहीं जानते कि आबादी बढ़ने से देश के जो लोग गावों में बसते हैं उन की हालत अधिक सुधरती है या विगड़ती है और हम यह भी नहीं जानते कि जो लोग शहरों में आकर बस जाते हैं वे जिन जगहों में आते हैं उन जगहों को किस हालत में छोड़ कर आते हैं। मेरा तो अपना अनुभव रहा है कि गाव जो खाली कर दिये जाते हैं वे किसी न किसी तरह अवनत होने लगते हैं और जो लोग उन को छोड़ कर शहरों में बस जाते हैं वे गावों को भूल जाते हैं और उस का फल एक यह भी देखने में आता है कि इस की वजह से गावों की हालत सुधरने के बदले विगड़ती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाये तो शहरों को बढ़ा होना और बढ़ना फायदेमन्द नजर नहीं आता है। मगर दूसरी तरफ जब हम सोचते हैं कि यहाँ आकर कें उद्योग धन्धे के जरिये और विद्या प्रचार के जरिये तथा और कई तरीकों से वे देश की उन्नति में सहायक होते हैं तो यह भी मालूम होता है कि वे सारे देश के सामने एक नमूना पेश करते हैं जिस को देख कर देश के लोग उन्नति करें। जो हो, भला हो या बुरा हो, मगर जो चीजे होने वाली होती हैं वे होती हैं और आज शहर बढ़ रहे हैं तब हमारा कर्तव्य यह हो जाता है कि इस शहर को इतना सुन्दर बनावें कि औरों के लिये हम नमूना पेश कर सकें। जो लोग गावों से आते हैं उन का यह धर्म हो जाता है कि वे इस बात को याद रखें कि उन गावों के प्रति उन का क्या कर्तव्य है। भारतवर्ष आज स्वराज पा चुका है। हम बराबर कहते आये हैं और आज भी कहते हैं कि अगर देखा जाये तो भारतवर्ष गावों में ही बसता है। कारण यह है कि हमारे बड़े बड़े शहरों के बावजूद अभी भी देश की जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा गावों में ही है और आज भी प्रति सैकड़ा ७०—७५ आदमी ऐसे हैं जो केवल खेती या खेती सम्बन्धी दूसरे धन्धे से अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसी हालत में यह कहना कि भारतवर्ष गावों में बसता है कोई अत्युक्ति नहीं बल्कि सही है। मैं चाहता हूँ कि जितने शहर हैं सभी तरक्की करें, उन्नति करें और वहाँ के लोग अच्छे हों। मैं यह भी चाहता हूँ कि गावों के लोग भी तरक्की करें, उन्नति करें और उन की हालत भी जहाँ तक हो सके सुधरे और तभी भारत ठीक तरह से आगे बढ़ सकेगा नहीं तो उस का एक अंग बहुत पुष्ट हो जायेगा बलिष्ठ और सुन्दर हो जायेगा और दूसरा अंग कमजोर ही बना रहेगा। ऐसी हालत में तो सारा भारत बलिष्ठ और पुष्ट नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी मनुष्य के सभी अंग जब पुष्ट हों, उन्नत हों, उस का दिमाग अच्छा हो, हृदय भी अच्छा हो, आंखों की रोशनी भी अच्छी हो, शरीर में बल हो तभी वह स्वस्थ और सुन्दर कहा जा सकता है। उसी तरह से जितने लोग देश में बसते हैं चाहे वे शहर में हों, चाहे जिस काम में हों, उद्योग धन्धे में लगे हों, नौकरी करते हों, कारखानों में काम करते हों, फौज में हों

या चाहे गांवों में रह कर किसी तरह गुज़र करते हों, जब सभी एक साथ उन्नत होंगे तभी हम देश को उन्नत मान सकेंगे। इस लिये आज जरूरत है कि हम ऐसा प्रयत्न करें कि सारा देश उन्नत हो। स्वराज हमने प्राप्त कर लिया है। अब अपने भाग्य का निर्णय करना हमारे अपने ही हाथों में है। हम चाहे तो उस को बना सकते हैं चाहें तो उस को बिगाड़ सकते हैं। अब दूसरा कोई ऐसा नहीं रह गया है जिस पर हम बात बिगाड़ने का इल्जाम दे सकते हैं और अगर अब कोई बात बिगाड़ती है तो दोष हमारे ऊपर ही आयेगा और अगर कोई बात अच्छी हुई तो उस की तारीफ भी हमारे अपने ही लोगों को मिलेगी।

तीन साल हुए जब हमने स्वराज प्राप्त कर लिया और पूरी तरह से स्वतन्त्र हुए अभी एक ही साल हुआ है। इस दर्मियान में तरह तरह के दुःख हमारे ऊपर आये और जो स्वप्न हम देखा करते थे कि हिन्दुस्तान को हम ऐसा बनायेंगे वे स्वप्न पूरे नहीं हुए। जो चित्र भारत का हम अपने सामने रखा करते थे वह चित्र अभी ठीक तरह से बना नहीं है। और उस चित्र को अभी हमें बनाना है। इस लिये अपनी जवाबदेही को समझना और किंग तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं उस को सोचना और उस के मुताबिक काम करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। अक्सर लोग समझते हैं और वैसा समझने की उन को स्वतन्त्रता है कि स्वराज का मामला खत्म हो गया है, उन को अब कुछ करना नहीं है। अब जो कुछ करना है वह सरकार को करना है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता से अलग नहीं हो सकती है। जो आज़ाद जनता होती है वह जैसा करना चाहती है वैसा कर सकती है, सरकार को वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि सरकार जनता से अलग हो नहीं सकती है। अगर वह अलग हो तो उस का प्रतिनिधित्व जाता रहता है। अगर जनता में कमजोरी है तो वही चीज गवर्नमेंट में भी आयेगी। अगर लोग अच्छे हैं और उन के विचार शुद्ध हैं तो उनकी प्रतिनिधि गवर्नमेंट में भी वही गुण देखने को मिलेंगे।

आप जानते हैं कि जो नया संविधान देश के लिये बना है वह काम में लाया जाने लगा है। अभी तक जो संस्थाएँ हैं सभी कायम हैं। लेजिस्लेटिव असेम्बली अपना काम कर रही है। मगर नये संविधान के अनुसार पहला चुनाव इसी साल के नवम्बर, दिसम्बर महीने में होगा। उस वक़्त आप अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे और वे ही सरकार का काम चलायेंगे। इस तरह वह प्रजातन्त्र की परीक्षा का समय होगा। इस परीक्षा में आप किस तरह उतरते हैं यह आप के हाथों में और ईश्वर के हाथ में है। इस में आप को सोच विचार कर ऐसे लोगों को चुनना चाहिये जो देश प्रेम से ओतप्रोत हों, जिन में त्याग की भावना हो और जिन में अधिकार की या और किसी तरह की अभिलाषा नहीं हो और जिन में जनता की सेवा की भावना हो। अगर आप ऐसे लोगों को चुनेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। अगर आपने भूल की तो उस का दोष भी आप के ही सर पर रहेगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह चुनाव क्या है हमारी परीक्षा है। इस में एक दूसरे प्रकार की भी परीक्षा है।

वह यह है कि कहां तक हम संगठन कर सकते हैं, सब चीजों को सम्भालने की ताकत हमारी कितनी है इस बात का भी पता चल जायेगा। क्या कि इतना बड़ा चुनाव इस देश में क्या सारे सप्ताह में पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस में १७-१८ करोड़ लोगो को वोट देना है और ३५०० या ३६०० लोग चुने जायेंगे। इस में देश में जितने स्त्री और पुरुष हैं जिनकी अवस्था २१ वर्ष की हो चुकी है सबको मत देने का अधिकार होगा। तो इतने बड़े चुनाव का संगठन करना आसान बात नहीं होती। एक रोज मैं हिसाब लगा रहा था कि जो वोटर लिस्ट तैयार होगी वह कितनी बड़ी होगी। हिसाब लगा कर मैंने देखा कि अगर एक एक पन्ने पर २५-२६ नाम रहे तो वह लिस्ट २१० गज मोटी पुस्तक बन जायेगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चुनाव वह होगा। यह तो नाम लिखने की बात हुई। चुनाव कितनी जगहों पर होगा और कैसे क्या प्रबन्ध करना होगा यह भी सोचना है।

दूसरी परीक्षा यह है कि जो अधिकार हमें मिला है उस का किस तरह से प्रयोग करें? हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। अभी जो हम सोच सकते हैं वह कर रहे हैं और हजार मुसीबतों में भी कर रहे हैं। जब हमें स्वराज मिला उस के बाद विपत्ति ही विपत्ति हम पर आई। हम उन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर एक के बाद दूसरी विपत्ति आती रहती है। इस साल अन्न की बड़ी कठिनाई हो रही है। कहीं पानी बहुत बरसा और बाढ़ की वजह से खेती बाड़ी वह गई। फिर सूखा पड़ा, भूकम्प हुआ और अब टिड्डियां भी खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रही हैं। तो पहले ही से अन्न की कमी थी, इन कारणों से और भी बढ़ गई। गवर्नमेन्ट इस कोशिश में है कि विदेशों से अन्न जहां तक हो सके लाया जाये और लोगों तक पहुंचाया जाये। इस का प्रबन्ध हो रहा है और आशा की जाती है कि हम कुछ अन्न ला सकेंगे और उस को बांटेंगे। मगर विदेशों से अन्न आयेगा और बांटा जायेगा इस में भी कुछ समय लगेगा। इसी कमी की वजह से जो राशन मिलता था उस को घटाना पड़ा। मगर मैं उम्मीद रखता हू कि विदेशों से अन्न आ जायेगा तो राशन पूरा कर दिया जायेगा। मगर सरकार की ओर से चाहे जितना भी प्रबन्ध क्यों न किया जाये यह काम तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उस को जनता की पूरी मदद न मिले। इस समय इस बात को समझना और इस विपत्ति का मुकाबला करना सब का कर्तव्य है। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह इस बात को समझे कि जो कुछ हमारे पास है उस को देश में बांट करके खायें जिस में कोई आदमी मरने न पावे और जब तक जनता माहूस से इस काम में नहीं पड़ेगी तब तक यह काम होना ना मुमकिन है। इस देश ने ऐसी मुसीबतें देखी हैं जिन का मुकाबला सप्ताह के दूसरे किसी भी देश के इतिहास में कम मिलेगा। मगर उन मुसीबतों को लोगो ने काटा। अब हम स्वराज पा चुके हैं और अपने हाथों में अधिकार ले कर देश का काम कर रहे हैं। अब जो मुसीबतें इस समय आई हैं उन को भी हम उसी दृढ़ता के साथ उसी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ काट लेंगे जैसे और मुसीबतें काटी। इस के लिये लोगों में हिम्मत की जरूरत है, साहस

की आवश्यकता है और अपने ऊपर भरोसे की आवश्यकता है । मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें सब को मिलेंगी और लोग इस मुसीबत को काट लेंगे ।

अभी और भी बहुत काम हमारे सामने है । अभी संसार एक नाजूक वक़्त से गुजर रहा है । मालूम नहीं किस वक़्त क्या हो जाये । कोई कह नहीं सकता कि लड़ाई कब छिड़ जाये । कोई यह भी नहीं कह सकता कि लड़ाई अवश्य होगी ही । हमें अपना काम इस तरह से चलाना है कि हम अपनी रक्षा भी कर सकें और अपने लोगों की जिन्दगी भी रख सकें । हमारा प्रयत्न यह है कि देश और विदेशों में शान्ति बनी रहे । हम इस प्रयत्न में लगे रहेंगे । अभी तक जो कुछ प्रयत्न हम ने किया है उस का फल अच्छा ही हुआ है, दुःख नहीं । मगर लोगों को अपने को तैयार रखना चाहिये । हम आशा रखते हैं कि महात्मा जी ने जो रास्ता बतलाया उस पर हम चलते रहे तो मुमकिन है कि हम अपने लिये और दूसरों के लिये भी रास्ता साफ कर सकें । मगर आज तरह तरह के विचार हमारे सामने आते हैं ; और मुश्किलें भी सामने हैं । उन के सामने हम विचलित हो जाते हैं हमारे पैर धर धर चलने लगते हैं और मीथे रास्ते से जिम पर चल कर महात्मा जी ने देश के लिये स्वराज हासिल किया हम डिग जाते हैं । मैं तो यह मानता हूँ कि भारतवर्ष का सब से बड़ा काम संसार के लिये यही होगा कि गांधी जी ने जो रास्ता सिखाया और जिस पर वह चले उसको संसार के लिये हम कायम रख सकें । हम ने उस रास्ते पर चल कर बड़ी भारी शक्ति का मुकाबला किया और निःशस्त्र होकर आत्मबल से किया । आगे जो कठिनाइयाँ हैं उन का भी मुकाबला हम अगर करना चाहते हैं तो उस आत्मबल को बचा कर हमें रखना चाहिये । उस से हम मुसीबतों का मुकाबला भी कर सकेंगे और दूसरों को हिम्मत बंधा भी सकेंगे । अगर हम दूसरों का नेतृत्व करना चाहे और नेतृत्व करना हमारे लिये फर्ज भी हो सकता है तो हम उस रास्ते को दूसरों को दे सकते हैं । दूसरों का जो रास्ता है जिस पर चल कर वे आगे बढ़े हैं मुमकिन है कि हमारे लिये भी आसान हो । मगर हमारा जो रास्ता है उसको छोड़ कर दूसरे रास्ते पर चलना ठीक नहीं है । जो हमारा रास्ता है उस पर कठिनाइयों के बावजूद अगर हम थोड़ी दूर भी चले तो इसमें कोई शक नहीं कि उतनी हद तक हम सफल होंगे । जब गांधी जी ने स्वराज का आन्दोलन अहिंसात्मक रूप से शुरू किया तो देश में बहुतों को शक था कि हम इस में कामयाब होंगे या नहीं होंगे । महात्मा-जी ने सफलता प्राप्त कर के दिखाई और यह सफलता सब लोगों के सहयोग से प्राप्त की । तो क्या इस वक़्त उस रास्ते को हमें छोड़ना चाहिये ? इसलिये मैं यह कहूँगा कि सारे देश के लोग और विशेषकर के जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वे यदि अटल रहें तो इस में कोई शक नहीं कि वे सफल होंगे । मैं इस से अधिक क्या कहूँ । मैं आशा करता हूँ कि यद्यपि हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है हम सब उस को पार कर सकेंगे, अगर हम गांधी जी के रास्ते पर अटल बने रहे ।

आप ने जिस प्रेम और उदारता के साथ मेरा स्वागत किया जिसे कि मैं जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ उस के लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ ।



### प्रेसिडेण्ट्स स्टेड्स स्पोर्ट्स क्लब

प्रेसिडेण्ट्स स्टेड स्पोर्ट्स क्लब के सालाना जलसे में तारीख २३-२-५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों ने इतने खेल दिखाये । हर साल इस तरह के खेल हुआ करते हैं और इस स्टेड में जितने लोग रहते हैं वे इस में हिस्सा लिया करते हैं और इन खेलों में हिस्सा ले कर इस बात को दिखलाते हैं कि वे अपने काम के अलावा इस तरह की दूसरी चीजों में भी दिलचस्पी रख सकते हैं । इसलिये मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आप अपने कामों को ठीक तरह से अंजाम देते हैं अपने को खुश भी रख सकते हैं और दूसरों को भी अपने खेलों से खुश कर सकते हैं । इन खेलों में कुछ तो ऐसे हैं जिन से शरीर में ताकत बढ़ती है, चुसती आती है, मगर कुछ ऐसे हैं जो मजाक हैं । दोनों ही सेहत के लिये निहायत जरूरी हैं । इस लिये मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवान लोग और आज तो कुछ बड़े लोगों ने भी इस में हिस्सा लिया खुशी खुशी आते हैं, बैठते हैं खेलते हैं, और दूसरों को हसाया करते हैं । यह अच्छी बात है । मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप जारी रखें और सिर्फ आपस में ही नहीं, दूसरों के मुकाबले में जो मैच हुआ करते हैं, उन में भी जीतें, और अगर इस प्रकार से आप अपनी दिलचस्पी रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरों के मुकाबले में भी जीत सकते हैं । मैं अक्सर सुनता हूँ और पढ़ता हूँ कि कभी कभी आप दूसरों के मुकाबले में मैच में हार जाया करते हैं । आपस में ही जीतना काफी नहीं है, दूसरों से भी जीतना चाहिये और अगर आप कोशिश करेंगे तो दूसरों से भी जीतेंगे । यहाँ जो आज जीत कर इनाम पा रहे हैं उन को मैं मुबारकवाद देता हूँ और जो हार गये हैं उन से भी कहना चाहता हूँ कि हारना जीतना तो होता रहता है । असल चीज तो काम करना है । हार जीत की परवाह नहीं करनी चाहिये और इस को भी और कामों की तरह अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिये । इस से ज्यादा मैं क्या कहूँ । मुझे खुशी है कि मैं इस में हिस्सा ले सका और खेल तमाशे देख सका ।

-----

### मसनजोर बांध

तारीख २५-२-५१ को १० बजे दिन में मसनजोर बांध की नींव डालते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री जी, माननीय अन्य मन्त्रीगण, बहनो और भाइयो,

मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे आज इस शुभ काम में कुछ भाग लेने का सुअवसर आप ने दिया । इस समय भारतवर्ष के सामने सब से कठिन

समस्या खाद्य पदार्थों की है और इस वक़्त भारतवर्ष का शायद ही कोई हिस्सा है जहाँ अन्न की कमी लोगों को सता नहीं रही हो और विशेष कर के जिस प्रान्त में मैं यह नीव डाल रहा हूँ यानी बिहार प्रान्त की हालत और जगहों के मुकाबले में ज्यादा खराब है। देश के दक्षिण भाग में भी बड़ी कठिन समस्या लोगों के सामने है। इधर बंगाल की हालत भी अगर बिहार की हालत से खराब नहीं तो थोड़ी ही अच्छी होगी। ऐसी अवस्था में लोग घबड़ाते हैं और इस बात की इच्छा प्रकट करते हैं कि किसी न किसी तरह से अन्न देश में आये और विदेशों से जहाँ तक भी हो सके अन्न लाकर लोगों के पास पहुँचाया जाये। आप को मालूम ही है कि यह अन्न की समस्या कुछ आज ही नहीं पैदा हुई है। यह तो बहुत पहले ही से है और यह जो पहली लड़ाई होती है उस जमाने के पहले भी हम को बहुत अन्न बर्मा से चावल के रूप में मंगाना पड़ता था। जहाँ तक मुझे मालूम है १५ लाख टन चावल प्रति वर्ष बर्मा से लाया जाता था। मगर उन दिनों बर्मा भारत का एक भाग था। इस लिये यह आयात विदेशी व्यापार नहीं समझा जाता था। वह तो देश के अन्दर का ही व्यापार था। पर जब मैं हमें बर्मा अलग हो गया और विशेष कर के लड़ाई के दिनों में जब वहाँ से चावल आना रुक गया और वहाँ चावल की पैदावार भी कम हो गई तब से हमारा अन्न का कष्ट बढ़ गया है और जब से हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद पंजाब का वह हिस्सा जहाँ से हम को गेहूँ और दूसरा अनाज मिला करता था हम से अलग हो गया तो हालत और भी नाजुक हो गई। इधर कई वर्षों से हम अन्न विदेशों से मंगाने रहे हैं और १०० करोड़, १२५ करोड़, १५० करोड़ रुपये का अन्न बाहर से मंगाया जाता रहा है और इस वक़्त स्थिति ऐसी है कि उतना अन्न मंगाने से भी काम नहीं चलेगा। इस लिये इस बार भारत सरकार ४० लाख टन अनाज बाहर से मंगा रही है। इतना अन्न आज के पहले विदेशों से कभी हिन्दुस्तान में नहीं आया था। मगर इतने पर भी हमारी कमी पूरी नहीं होगी। इस लिये इस वक़्त अमेरिका में जो बातें चल रही हैं उस ओर भी सब लोगों का ध्यान जाता है और अगर वह सफल हुई तो हमारे देश की इस साल की कठिनाई दूर हो जायेगी। हम सभी देख सकते हैं कि विदेशों से १०० करोड़, २०० करोड़ रुपये सालाना खर्च करके अन्न मंगाना हमारे लिये सम्भव नहीं है। अगर साल दो साल इस तरह से हम निभा भी लें लेकिन फिर भी हम को अपने देश पर ही भरोसा करना होगा। विदेशों से अन्न मंगाने और लाने में और भी कठिनाइयाँ हैं। एक तो हमारे पास दाम देने के लिये सामान नहीं है। दूसरे देशों से अन्न पाना भी कुछ आसान नहीं है। एक तो दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है और उससे भी अधिक कठिनाई अन्न लाद कर के लाने में है क्योंकि जहाँ मिलना भी आसान नहीं है और ईश्वर न करे, अगर कहीं लड़ाई छिड़ गई तो विदेशों से अन्न लाना कठिन हो जायेगा। इसलिये हमारे देश के सामने सिवाय इस के और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम अपने लिये देश में अन्न उपजायें जिस से हमारी अन्न की जरूरत पूरी हो जाये। इस के लिये कोशिश हो रही है और गवर्नमेन्ट के सामने दो प्रकार की योजनाएँ हैं। एक तो ऐसी योजना है जिस का नतीजा तुरन्त एक साल के अन्दर मिल सकता है और उस के लिये सभी जगहों पर प्रयत्न लोगों के पास खाद पहुँचा कर, अच्छा अच्छा बीज पहुँचा कर हो रहा है

जिस में अन्न की पैदावार ज्यादा हो सके। मगर ये तात्कालिक योजनायें ऐसी नहीं हैं जिन से इतना अन्न पैदा हो कि हमारी सब जरूरतें पूरी हो जाये। कुछ ऐसी योजनायें भी हैं जिन के द्वारा हम बहुत ज्यादा अन्न पैदा कर सकेंगे। बड़ी बड़ी नदियों में बांध बांध कर के और उन से नहर निकाल कर के जमीन पटा कर अन्न पैदा करेंगे और ये ऐसी योजनायें हैं जिन से आशा की जाती है कि हमारा अन्न का कष्ट दूर हो जायेगा। ऐसी योजनाओं में समय लगता है। खर्च भी बहुत पड़ता है और इस वक्त भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने बहुत जगहों पर इस तरह का काम अपने हाथों में लिया है। इस वक्त पैसे की कमी होने की वजह से भारत सरकार जितना काम करना चाहती है नहीं कर पाती है। तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने काम हाथ में लिये गये हैं उन को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकेंगे और अन्न की पैदावार बढ़ा सकेंगे। ऐसी ही योजनाओं में मयूराक्षी के बांध की योजना भी है। मुझे मालूम नहीं था कि यह काम इतना अच्छा होगा और इसमें इतनी प्रगति हो सकेगी और इस में आप लोग इतना आगे बढ़ जायेंगे। मैंने सुना है कि अगले बरसात के पहले तक नहर का काम पूरा हो जायेगा और करीब एक लाख एकड़ जमीन पानी से पट सकेगी। जब यह बड़ा बांध पूरा हो जायेगा तो लोग कहते हैं कि ६ लाख एकड़ जमीन इस से पट सकेगी और इस से करीब करीब ९० लाख मन अन्न अधिक पैदा हो सकेगा। अगर ६ लाख एकड़ जमीन पटने लगेगी तो १५ लाख आदमियों के खाने के लिये अन्न मिल जायेगा, और वह ९ औंस के हिसाब से नहीं २४ औंस के हिसाब से। अगर ९ औंस के हिसाब से देखा जाय तो ४० लाख आदमियों के खाने लायक अन्न मिल सकेगा। तो यह काम कुछ कम नहीं है। आशा है कि इस काम को जिस की नींव मैं डाल रहा हूँ आप अधिक तेजी से पूरा कर सकेंगे और जिस तेजी के साथ आपने नहर बनाने का काम पूरा किया है उसी तेजी के साथ इस काम को पूरा करने में सफल होंगे। यही ईश्वर से प्रार्थना है और आप लोगों से आशा है।

अन्न की पैदावार के लिये यह बहुत बड़ा काम हो रहा है। दूसरी दूसरी जगहों पर भी इस तरह का काम हो रहा है। मुझे दो तीन जगहों को देखने का मौका मिला है। पंजाब में भाखरा बांध का काम हो रहा है। वह बहुत बड़ा काम है। उस से ३० लाख एकड़ जमीन पटेगी और आप के यहां तो चार हजार किलोवाट बिजली तैयार होगी, वहां साढ़े चार लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। वहाँ उसी मुताबिक खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। आप के यहां १५ करोड़ के खर्च का एस्टिमेट है। वहां १५० करोड़ के खर्च का एस्टिमेट है। आप के बगल में ही दूसरा जो काम दामोदर में हो रहा है वह भी बहुत बड़ा काम है। वहां भी इस से बहुत ज्यादा पानी भी मिलेगा और यहां के मुकाबिले में बहुत ज्यादा बिजली भी पैदा होगी। यहां से कुछ दूर जाइये तो दक्षिण में हीराकुड का काम हो रहा है और तुंगभद्रा में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है। मैं अक्सर सुनता हूँ कि गवर्नमेन्ट की लोग बहुत शिकायत करते हैं। कल जब मैं कलकत्ते में था तो कुछ लोग मुझ से मिलने आये। उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या कारण है कि लोगों में इतना असन्तोष फैल रहा है। मैं न

कहा कि कारण तो मुझ से आप लोग अधिक जानते हैं मुझ से क्यों पूछ रहे हैं। मैं ने कहा कि शायद लोगों ने यह आशा रखी थी कि जिस दिन देग स्वतन्त्र होगा उसी दिन उनकी सब मुसीबतें दूर हो जायेगी। मगर इतना समय बीत गया और लोगों की मुसीबतें अभी तक दूर नहीं हुई, इस लिये लोगों में असन्तोष हो रहा है। मगर यह काम इतना बड़ा है कि एक दिन में तो वह हो नहीं सकता। इसलिये अगर अभी तक हम सब कुछ नहीं कर पाये हैं तो इस में कोई घबड़ाने की बात नहीं है और न निराश होने की बात है। जो काम अभी हाथ में लिये गये हैं वे पूरे हो जाये और उन से जो उम्मीद की गई है अगर वह पूरी हुई तो फिर किसी को कोई शिकायत करने की गुजायश नहीं रह जायेगी। जो गवर्नमेन्ट का काम है वह कर रही है और बावजूद हजार मुसीबतों के, कठिनाइयों के जो हमारे सामने हैं कर रही है। आप जानते हैं कि एक दो नहीं, १०० लाख आदमी एक सूबे से दूसरे सूबे में आये और वे अपनी खुशी से नहीं आये, अपने पुराने घर वार छोड़ कर और गरीब हो कर आ गये। उन को सम्भालने का काम गवर्नमेन्ट ही करना पड़ा। थोड़ा ही सही, लेकिन जो उन को सम्भालने का काम हुआ है वह कुछ कम काम नहीं हुआ है। ऐसी विपत्ति के समय भी हम ऐसे काम को भी हाथ में ले सके हैं, ऐसे बड़े बड़े बाध की योजनाओं को हम चला रहे हैं। इन पर सोच कर देखे तो मालूम होगा कि तीन वर्षों के अन्दर जब से हमारे हाथों में अधिकार आया हम ने कुछ कम काम नहीं किया है। उस का नतीजा आज देखने में भले नहीं आवे मगर उस का फल तो एक दिन मिलेगा ही। तो हम ने यह सब जो काम किया है वह अच्छा काम किया है। मैं आप सब भाइयों और बहिनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप ने इतनी प्रगति कर ली है और यह खुशी की बात है कि जितने समय में आप ने सोचा था उस से कम समय में ही आप ने इस काम को पूरा कर लिया। मैं चाहूँगा कि और जो जो योजनाएँ चल रही हैं उन में भी आप उसी उत्साह और हिम्मत से काम करे और उन को भी समय से पहले ही पूरा कर ले।

आप की योजना के सम्बन्ध में मैं दो बातें और कह देना चाहता हूँ। जो लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बाँध बंध जाने से पानी हो जायेगा उन को बसाने की बात आप ने सोची है यह ठीक है। बहुत लोगों को बसाने के लिये अगर कुछ लोगों को उजड़ना पड़ता है तो यह स्वाभाविक है। मगर उनकी भी बसाना चाहिये और उसी तरहसे बसाया जायेगा बल्कि उनकी आज जो हालत है उससे वे बेहतर हालत में रहेंगे, बुरी हालत में नहीं रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि थोड़े ही दिन पहिले कुछ ऐसी खबर मिली है कि कुछ लोग डरते हैं कि जो हिस्सा पानी के अन्दर चला जायेगा उसके

अन्दर जो कोयला और दूसरे खनिज पदार्थ जैसे ताम्बा वगैरह हैं वे बर्बाद हो जायेंगे। लेकिन यह तो पहले ही सोच लिया गया होगा। योजना जब बनी होगी तो सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया गया होगा। कोई योजना बनती है तो उस पर हर तरह से विचार कर लिया जाता है। मगर जब हाल में यह बात फिर उठाई गई है तो फिर एक दो विशेषज्ञों ने इस चीज को अच्छी तरह से जांचा है और विचार कर लिया है और जो उन की रिपोर्ट आई है उस से इस बात का पूरा इतमीनान हो गया है कि जिन लोगों के दिल में डर था उस के लिये कोई जगह नहीं वह बे बुनियाद है। कोयले के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का कहना है कि वह असल में कोयला है नहीं। अगर हो भी तो उस सीमा का आठवा हिस्सा है। वह कोयला कभी किसी काम में लगाया नहीं जा सकता है। तो कोयले की तो यह बात है। ताम्बे के बारे में भी जांच की गई है। ताम्बा भी जो निकला है वह इतना कम है कि उसे दूसरे पदार्थों से जिन के साथ वह पाया जाता है निकाला नहीं जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तांबे का अंश हजार में सात हिस्सा है। तो वे कहते हैं कि कम से कम १०० में सात हो तो काम चल सकता है मगर १००० में सात होने से कोई माइन वर्क नहीं की जा सकती है। तो यह सब देख कर के लोगों की यह राय हुई कि कोई नुकसान नहीं है। मगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो यह काम करने लायक है। मगर यहां तो नुकसान है नहीं, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है; लोगों को लाभ ही होगा हानि नहीं। इधर भी जो पानी के बरेज से दूर जमीन है उस को भी पटाने का प्रबन्ध सोचा जा रहा है। २० हजार एकड़ जमीन इधर भी पटेगी। यह भी अच्छी बात है। जब पानी जमा होगा तो इधर भी मिलेगा। इस के लिये पहिले से ही योजना बना कर रखे जिस में जब पानी मिलेगा तो योजना साथ साथ शुरू हो जाये।

मैं और इस से अधिक न कह कर आप सब भाइयों और बहिनों को बधाई देता हूँ कि आप ने इस काम को अच्छी तरह से अजाम दिया। मैं जब से यहा आया हूँ, जब से गाड़ी से उतरा हूँ सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से भी मेरा स्वागत किया गया। मानपत्र में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मुसीबतों का भी जिक्र है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहूँगा कि इस तरह की मुसीबत आप के ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं है, सभी जगहों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की यही हालत है। मैं मानता हूँ कि यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कुछ खास कठिनाइया है। मैं यहा के देहातो में गया हूँ, यहा के पहाड़ों में भी गया हूँ। तो इस वक्त हमारे सामने जो गरीब लोगों को उठाने का प्रश्न है, उसमें आदिमजाति की उन्नति का प्रश्न सब से बड़ा प्रश्न है। हमारा जो सविधान बना है उस के अनुसार हमारी गवर्नमेंट शुरू से काम कर रही है। उसमें उन लोगों के लिये खास सुविधा दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रान्तीय

सरकारें है और जो केन्द्रीय सरकार है वे सब इस बात पर ध्यान देंगी और जो दूसरी गैर सरकारी संस्थायें है वे भी अपनी सेवा इसमें देती रहेंगी तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि १० वर्ष की जो मियाद दी गई है—उस में १ वर्ष तो अब बीत चुका है अब ९ वर्ष बाकी है—उस के अन्दर यह काम पूरा हो सकेगा । इसमें हिम्मत की जरूरत है, इस में पैसे की उतनी जरूरत नहीं जितनी अच्छे काम करने वालों की जरूरत है, और अच्छे काम करने वाले मिलेंगे तो कम पैसे खर्च कर के भी उनकी उन्नति की जा सकती है । जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दिक्कतें हैं उन पर भी यहाँ की सरकार ध्यान देगी । यहाँ जो काम करने वाले हैं वे आदिमजाति के काम में लग जायें । आदिमजाति की सेवा के लिये जो संस्थायें बन गई हैं उन से भी मैं कहूँगा कि वे इस में उत्साह के साथ पड़ जायें । तो यह सब हमारा काम है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो जवाबदेही है उस को सामने रख कर आगे उसे बढ़ना है और काम को पूरा करना है । अगर किसी वजह से काम नहीं हुआ है तो उसको याद करने से कोई फायदा नहीं । अब काम किस तरह से चलेगा इसको देखना है और हिम्मत से सब को मिल जुल कर काम करना है । मैं आशा करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसे प्रमुख कार्य समझ कर इस काम में आगे बढ़ेगा और यहाँ की प्रान्तीय सरकार और दूसरे लोग भी इस काम में यदि उत्साहपूर्वक लग जायेंगे तो ९ वर्ष के अन्दर इस काम को पूरा करना असम्भव नहीं है । ९ वर्ष का समय काफी होता है ।

मैं इन शब्दों के साथ आप सभी भाइयों और बहनों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ ।

### बालिका विद्यालय, लखीसराय

बालिका विद्यालय, लखीसराय में तारीख २६-२-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री अनुग्रह बाबू, नन्द कुमार बाबू, बहनों और भाइयों,

मुझे यहाँ आकर आज बड़ी प्रसन्नता हुई और इसके कई कारण हैं । एक तो इसलिये कि बहुत दिनों के बाद इस इलाके के गावों के भाइयों और बहनों से मिलने का मुझपर मिला । दूसरी बात यह है कि एक ऐसी संस्था के काम के लिये मैं यहाँ आ सका कि जिसमें मेरी दिलचस्पी बहुत पहले से रही है और जिसकी उन्नति में हमेशा चाहता रहा हूँ और मुझ से जो सेवा हो सकती है यहाँ करना चाहता हूँ । और सब से बड़ी बात तो यह है कि इस सूत्र में आकर मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जिसको एक प्रकार से केन्द्र स्थान मानना चाहिये क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमारे सूत्र के प्रधान मंत्री श्री कृष्णबाबू का घर है । इन सब कारणों में इस इलाके के अन्दर आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ।

यह विद्यालय जैसा अभी आपसे कहा गया बालिकाओं को पढ़ाने के लिये कायम किया गया है और आप से यह भी कहा गया है कि मेरी इच्छा बहुत दिनों से रही है कि इस तरह का कोई विद्या-

पीठ में अपने सूबे में देखूँ जहाँ स्त्रियों की शिक्षा के साथ ऐसा रहन सहन भी सिखाया जाये जो हमारे घरों के लिये अच्छी से अच्छी गृहिणी बनाने में मदद करे। यह भी हमें स्मरण रखना है कि हमारा सूबा एक गरीब सूबा है। यहाँ बहुत खर्च करके हम विद्यालय कायम नहीं कर सकते जहाँ से पढ़कर बालिकायें निकलें और बहुत खर्चीली आदत बनाले जिसको वे निवाह न सके। इसलिये ऐसी सस्था की जहाँ गरीबों की लड़कियाँ कम खर्च में पढ़ें और वे बातें सीखें, जो उनके जीवन निर्वाह के लिये सहायक हों, और साथ ही जहाँ सेवा भावना सीखकर अपना और देश का कल्याण कर सके, बड़ी जरूरत है। हमारा सूबा एक ऐसा सूबा है जो शिक्षा के मामले में और सूबों के मुकाबले में पीछे है और अभी थोड़े ही दिनों से यहाँ इस तरह की शिक्षा का प्रचार आरम्भ हुआ है। यह कोई बहुत प्राचीन बात नहीं है। यह तो हाल के जमाने की ही बात है कि इसी सूबे के अन्दर श्री मंडन मिश्र की स्त्री ने तीन दिनों तक शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ में पंचायत की थी। इस तरह की हमारी स्त्रियाँ हुआ करती थी। मगर इधर कुछ दिनों से परदे के कारण और कुछ अन्य कारणों से स्त्री शिक्षा का लोप हो गया। इस देश के बहुत लोगो ने इन महमूस किया और जब महात्मा गांधी जी का दौरा इस सूबे में हुआ तो उन्होंने देखा कि जब तक स्त्रियों को इस प्रकार मुधारा न जाये जिसमें वे अपने पैरो पर खड़ी होकर अपना काम कर सकें तब तक हमारे सूबे की उन्नति पूरी नहीं होगी। उमी बवन से यह विचार हमारे दिल में रटा है कि ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिये। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सस्था कायम हुई है। यों तो और भी दूसरी सस्थायें हैं जहाँ स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है वे सब अपने तरीके से काम करती हैं। मगर जब श्री बृजनन्दन शर्मा बहुत दिनों तक मद्रास में सेवा करके, देश के दूसरे हिस्सों का पूरा अनुभव प्राप्त करके यहाँ आये और इस तरह का विद्यालय खोठने का निश्चय किया तो मैंने समझा कि जो मेरी इच्छा थी वह पूरी हो सकेगी। इसलिये मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अफसोस यही रहा कि मैं इसके पहले नहीं आ सका। क्योंकि यहाँ आने के लिये मुझ से बहुत पहिले कहा गया था लेकिन और कामों के झंझट में पडकर मैं आ नहीं सका और जब से दिल्ली जा बैठा हूँ यहाँ आना कठिन हो गया है। मैं यहाँ आ सका इससे मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि यहाँ आना आसान नहीं था।

मैं चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ सचमुच में एक ऐसी संस्था हो जो समाज को उन्नत बनाने में सहायक हो सके। अभी माननीय अनुग्रह बाबू ने बतलाया कि यहाँ बच्चियों से क्या क्या काम कराये जाते हैं। उस से आप ऐसा न समझे कि यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ ऐसे काम ही कराये जाते हैं। यहाँ पढाया भी जाता है। उन्होंने जो बतलाया वह तो इस विद्यालय की विशेषता है। अभी आपने देखा कि लड़कियाँ ने गाना गाया, उन्होंने अभी गीता का पाठ करके सुनाया और आप देख रहे हैं कि केवल शारीरिक परिश्रम ही नहीं, बुद्धि विकास के काम की भी शिक्षा उनको दी जाती है। अभी इस विद्यालय में मैट्रिक दर्जे तक की ही शिक्षा दी जाती है। एक दिन आयेगा जब ऊँची शिक्षा भी बच्चियों को दी जाने लगेगी।

अभी आपको आचार्य करवे का संदेश पढ़कर सुनाया गया। वह एक ऐसे पुरुष है कि ९३ वर्ष की उम्र में भी ५ माइल रोज़ टहलते हैं और ५०-६० साल पहिले स्त्री शिक्षा का काम उन्होंने शुरू किया और आज तक चला रहे हैं। उन्होंने अपनी स्त्री को पढ़ाने के लिये जो काम शुरू किया

उसको बढ़ाते बढ़ाते यूनीवर्सिटी कायम करके उन्होंने दिखला दी और यह दिखला दिया कि एक आदमी अगर सच्ची लगन से, सच्चे उत्साह से काम करे तो क्या क्या कर सकता है। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, अगर सच्ची लगन से काम किया जाये तो वे भी दूर हो जायेंगी और उसके चिन्ह दिखलाई दे रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ जमीन ही नहीं मिली है एक भवन भी तैयार हो गया है। नये भवन के लिये पैसे भी आ रहे हैं और आशा की जाती है कि जितने मकानों की आवश्यकता है वे जल्द से जल्द तैयार हो जायेंगे तो आप यह नहीं समझें कि यहां सिर्फ ईंट का ही काम हो रहा है। ईंट का काम हो रहा है लेकिन मनुष्य बनाने का काम भी आरम्भ हो गया है और इसका फल आपने देख लिया। मैं इसके लिये आप सब भाइयों और बहनो को बधाई देना चाहता हूँ। जो कुछ मैं यहां देख सका हूँ उससे आशा बंधती है कि जो बाकी रह गया है वह पूरा हो सकेगा।

यहां मैं बहुत दिनों पर आया हूँ और आप भाइयों और बहनो से मिलने का मौका मिला है। इसलिये आपसे दो चार बातें और भी कहूँ तो गैर मुनासिब नहीं होगा। अभी स्वराज्य मिले तीन साल बीते हैं। इन तीन सालों के अन्दर देश में कितनी विपत्ति आई, हमें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी यह तो आपको मालूम ही है। जिस दिन हमको स्वतंत्रता मिली और माया देश खुशी मनाने जा रहा था और खुशी मना रहा था उसी समय एक भयंकर तूफान भी आया और ऐसा तूफान आया जिसका फल आज तक हम भोग रहे हैं। उस तूफान का नतीजा एक दो नहीं, लाख पचास हजार नहीं, एक करोड़ आदमियों के घर पर पड़ा और उनको बसाने का काम कोई छोटा काम नहीं था जो अपना सब घर बार छोड़कर यहां तक कि अपने भाइयों और बहिनो को जिन्दा या मूर्दा छोड़कर जाने बचा कर यहां आये थे। आप लोग, जो जहां पर यह सब कुछ हुआ वहां से दूर रहते हैं उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के घर पर यह आफत आयी उनको ही इसका अनुभव है। इन तीन वर्षों के अन्दर में हमारे गवर्नमेन्ट के लोग और गैर सरकारी गस्थाओं के लोग उनको बसाने की कोशिश करने रहे हैं और जितनी उनको कामयाबी हुई है उसकी खबर कुछ न कुछ आपको होगी ही। मगर अभी वह काम पूरा नहीं हो पाया है।

एक तरफ तो यह बड़ी मुसीबत और दुगरी तरफ अन्न का कष्ट हमारे देश में लडाई के जमाने से ही चला आ रहा है। यह अन्न का कष्ट लडाई के जमाने में आरम्भ हुआ और आपको मालूम ही होगा कि १९४३ में आपके पड़ोस बंगाल में लाखों लाख आदमी मर गये। अन्न का कष्ट इधर और बढ़ गया है। इसके कारण बहुत है। पहले भी हमको चावल विदेशों से मगाना पड़ता था। मगर वह विदेश सचमुच विदेश नहीं था क्या कि जो चावल घटता था वह बर्मा से आया करता था और उस समय बर्मा भारत का ही अंग था और इसलिए उसे विदेश से मगाना नहीं कह सकते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि कहाँ से आया, कब आया और कैसे आया। जैसे देश के एक सूबे से दूसरे सूबे में अन्न आता जाता रहता है और किसी को कोई कठिनाई नहीं होती उसी तरह से बर्मा से चावल आता था। मगर बर्मा के अलग हो जाने से यह दिक्कत आयी और लडाई के जमाने में बर्मा में चावल होना भी रुक गया। इसी वजह से जितना चावल हम को मिलता था नहीं मिल रहा है और देश में अन्न की कमी हो रही है। हम इस कोशिश में हैं कि अपनी जरूरत के मुताबिक देश में अन्न पैदा कर लें पर अभी तक हम उस हद तक नहीं पहुँच रहे हैं कि अपनी



आवश्यकता के मुताबिक पैदा करे। हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं पर यह ठीक अन्दाजा नहीं है कि हम कितना ज्यादा पैदा कर रहे हैं। कोशिश इस बात की हो रही है कि जो हमारे पास है और जो हम विदेशों से ला रहे हैं उसको भी लोग बांट कर खायें जिसमें कोई खाने के बगैर न मरे। इसी का नाम कंट्रोल है। इसमें बहुत लोगों की शिकायत होती है कि यह ठीक तरह से नहीं चलता है। हमारा अपना पैदा किया हुआ अन्न भी हमसे दूसरों के लिये ले लिया जाता है। आप सब समझते हैं कि सारे देश में जितने अन्न की जरूरत है उतना अन्न नहीं है। विदेशों से जो अन्न आता है उसे मिलाकर भी कम ही रहता है और जो कुछ है उसको लोगों में बांटना है और जिसके पास कमी है उस को तो कमी है ही जिसके पास ज्यादा है उससे भी लेकर जिनके पास नहीं है उसको देना पड़ता है। इसी वजह से कंट्रोल आवश्यक हो गया है और ठीक तरह से उसका प्रबन्ध चले तो इसमें कोई शक नहीं कि उससे लाभ होगा। इंग्लैंड में लडाई के जमाने में कंट्रोल चला। हमारे यहाँ जितना पैदा होता है वह हमारी जो जरूरत है उससे थोड़ा ही कम रहता है। हमारे यहाँ १०० में १०-१२ की कमी रहती है। इंग्लैंड में तो तीन हिस्सा बाहर से ही आता है सिर्फ एक हिस्सा देश में पैदा होता है। तो भी उन्होंने जो अपने यहाँ कंट्रोल चलाया तो उससे लोगों का स्वास्थ्य सुधर गया। स्वस्थ सुधर गया इसलिए कि जो गरीब है, उनको कमी रहती है और धनी है वे बहुत लेते हैं। नतीजा यह होता है कि गरीब भूख से कमजोर हो जाते हैं और अमीर ज्यादा खाकर अपना स्वास्थ्य खराब करने हैं। जब कंट्रोल हुआ तो डाक्टरों से जांच करवा कर गरीब और अमीर सब को उनकी जरूरत के मुताबिक दिया जाने लगा और उसका फल यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य सुधर गया, वावजूद इस बात के कि खाने की वहाँ कमी रही। हमारे देश में भी वैसा फल हो सकता है। मगर हम जानते हैं कि इस देश में वैसा फल नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि इस साल अन्न कट और भी बढ़ गया है और खाम करके हमारे इस सूबे में तो बहुत ही मुमीवत है। पहले शुरू में बहुत वर्षा हुई, बाढ़ भी आयी और इसका नतीजा यह हुआ कि जहाँ मकई होती है वहाँ मकई की फसल खराब हो गई। तो भी उम्मीद यह थी कि धान होगा और मूने मुना था कि धान की अच्छी फसल लगी थी। मगर हस्त नक्षत्र में पानी नहीं हुआ और बहुत दिनों तक पानी न बरसने की वजह से धान की फसल भी खराब हो गई और उसका नतीजा यह भी हुआ कि रब्बी की फसल भी खराब हो गई। रब्बी की फसल थोड़ी बहुत है मगर १६ आना तो है नहीं। तो हमारे घर पर एक के बाद एक विपत्ति आती गयी। दूसरे सूबों में भी स्थिति वैसी ही है। कहीं भूकम्प भी आया। खाम करके पंजाब में जहाँ गेहूँ की फसल अच्छी होने की आशा थी अब टिड्डिया भी पहुँच गयी है। इस तरह एक पर एक विपत्ति हमारे सामने आयी। गवर्नमेंट कोशिश में है कि विदेशों से अधिक से अधिक अन्न लावे और जितना अन्न अभी तक विदेशों से कमी नहीं आया उतना अन्न लाने का सरकार ने निश्चय कर लिया है और लाने का प्रबन्ध भी किया है। इसके अलावा आप लोगों ने अम्बारों में देखा होगा कि अमेरिका खुद अपनी तरफ से अन्न भेजना चाहता है और वह अन्न आ जायेगा तो हालत सुधर जायेगी। लेकिन आप जानते हैं कि विदेशों में अन्न लाना आसान नहीं है। अन्न जहाँ जो से लाना होता है और एक जहाँ महीने डेढ़ महीने में पहुँचता है। नतीजा यह होता है कि साल भर में एक जहाँ चार मरतबे से ज्यादा बहा से यहाँ नहीं आ सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि अन्न लाने में कितने जहाँ लगते हैं। जहाँ की कमी समार में हो रही है और खास कर के जब लड़ाई की चर्चा चारों तरफ चल रही है यह दिक्कत और भी बढ़ गयी है और कहीं

लड़ाई हो गयी तो यह दिक्कत और भी बढ़ जायेगी। इसलिये हमारे लिये एक ही रास्ता है कि हम दूसरों का मुह नहीं देखें और अपनी जरूरत के मुताबिक अपने यहाँ पैदा कर लें। अगर अपने को इस तरह की विपत्ति से बचाना है तो हम को यह सोच लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से दो क्रिस्म की बातें की जा रही हैं। एक तो ऐसी बातें जिन से जल्द से जल्द अन्न पैदा किया जा सके। जिनका फल जल्द देखने में आये ऐसे काम किये जा रहे हैं। कुएँ खुदवाकर, नये खाद पट्टा का यह काम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ काम होता है उसका फल भी अधिक होता है। अभी मैं दिल्ली में था तो कृषि विभाग की तरफ से यह घोषणा कर दी गयी थी कि जो सब से ज्यादा अन्न पैदा करेगा उस को इनाम दिया जायेगा। ऐसा होने से आपस में होड़ होगी और इस होड़ का नतीजा यह होगा कि जो सब से ज्यादा धान, गेहूँ और आलू पैदा करेगा उनको इनाम दिया जायेगा। अभी मैं लखनऊ गया था तो देखा कि जिसने सब से अधिक ऊख पैदा किया उसको इनाम दिया गया है। आप यहा किसान लोग हैं इसलिये मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना कितना पैदा किया था। जिसने एक एकड़ में ७० मन धान पैदा किया था उसको इनाम दिया गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ वह बीघे में ५५ मन पड़ेगा। गेहूँ जिसने ५८ मन पैदा किया था उसको इनाम मिला जो यहा बीघे में ४० मन होगा और आलू एक एकड़ में ८० मन पैदा किया था। मैंने इसका जिक्र कुछ बिहार के लोगों से किया तो उन्होंने कहा कि इतना तो बिहार में भी कहीं कहीं लोग पैदा कर लेते हैं। मगर हमने इतना एक ही बीघे में पैदा कर लिया तो उससे काम चलने का नहीं। अगर ५६ मन के बदले यहा लोग बीघे में ३०-३५ मन भी पैदा कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि किसान लोग इस बात की कोशिश करें जिसमें वे अधिक पैदा कर सकें। मैं तो यह चाहता हूँ कि जिसको अधिक पैदा करने के लिये इनाम मिलना है उनसे यह पूछ कर कि उन्होंने कितने हल चलाये, कितने मग्नवा पानी पटाया, कितना खाद दिया यह सब पूरा लिख कर लोगों में प्रचार किया जाय जिस में दूसरे लोग भी अपने यहा कोशिश करें और जहा तक उनकी शक्ति हो वे अधिक पैदा कर सकें। मेरा विश्वास है कि यह काम हमारे सूबे में भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि यहा की जमीन कुछ खराब नहीं है और लोगो के मुकाबले में भगवान ने कुछ हमको कम नहीं दिया है। मगर यदि अपने अज्ञान में, हम पैदा नहीं कर सकें, अपने आलस्य में हम पैदा नहीं कर सकें तो इसमें हमारा दोष है, कुछ ईश्वर का दोष नहीं है। जहा हम मामूली तौर पर माल में दो फसल पैदा करते हैं अगर कोशिश करें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और चूँकि मन्त्री यहा बैठे हैं, एक नहीं दो दो मन्त्री बैठे हुए हैं इसलिये मैं उनसे दखान्न करना चाहता हूँ कि वे इस सूबे में भी इनाम दें और पहला इनाम पाच पाच हजार रुपये का रखें, फिर दूसरा उसमें कुछ कम का और फिर उससे कम का और इस तरह से कई इनाम रखें तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग अधिक पैदा करने के लिये आपस में होड़ करेंगे।

दूसरी चीज जो खेती के लिये सब में जरूरी है वह यह है कि उत्साह के साथ साथ ग्रहस्त को साधन भी होना चाहिये। उसमें सब से बड़ा साधन पानी का प्रबन्ध सबसे जरूरी है और जल्द होना चाहिये। इसके लिये बड़े बड़े काम देश में हो रहे हैं। कल मैं मयूराक्षी नदी के बाध की नीव डालने गया था। वह नदी यहा से बहुत दूर पर नहीं है। वह मथाल परगने की सीमा पर बीरभूमि जिले में है। उससे ६ लाख एकड़ जमीन में पानी पट सकेगा और बंगाल के बीरभूमि

मुर्शिदाबाद आदि जिलों को भी फायदा होगा तथा संधाल परगना को भी कुछ फायदा होगा। उनकी आशा है कि इसके पूरा हो जाने पर ९० लाख मन अधिक अन्न वे पैदा कर सकेंगे। इसी तरह से और प्रान्तों में भी काम हो रहा है। पंजाब में भाखरा का बांध बंध रहा है। उसमें अभी बहुत देर लगेगी क्योंकि उस में बहुत खर्च है। मयूराक्षी नदी में तो १५ करोड़ रुपये का खर्च है पर वहां १५० करोड़ रुपये का खर्च है। और उसमें शायद कई साल लग जायेंगे और वहां का काम पूरा हो जाने पर शायद वहां ४०-४५ लाख एकड़ जमीन पट सकेगी और जमीन ऐसे इलाके में पट सकेगी जो अभी मरुभूमि है, जहां बालू ही बालू है और वहां अन्न पैदा होने लगेगा। इसी तरह उड़ीसा में भी काम हो रहा है।

हमारे सूबे में दो इस तरह की योजनाएँ हैं। अभी यहाँ काम शुरू नहीं हुआ। एक योजना तो वह है जो सारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि मारे ससार में सब में बड़ी योजना है। वह है कोशी की योजना। वहाँ अभी काम नहीं हो रहा है। और यह भी मालूम नहीं कि वह योजना कब शुरू होगी क्योंकि उसमें खर्च बहुत है। अभी उसमें जाच पड़ताल हो रही है। दूसरी योजना जो उससे छोटे पैमाने पर है गडक नदी की योजना है। उसमें भी बांध बनाया जाये तो वह काम जल्द हो सकता है और उसमें दो तीन जिले जैसे मारण, मुजफ्फरपुर और चम्पारण को काफी पानी मिलेगा और वहाँ पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इसके अलावा और छोटी मोटी नदियाँ हैं जिनमें बांध बांध कर नहर निकाली जा सकती हैं। यहाँ जो किसान लोग हैं उन से मैं कहना चाहता हूँ कि वे यह नहीं समझें कि यह गवर्नमेंट का काम है और उनका काम नहीं है। मैं कहना हूँ कि यह उनका काम भी है और अगर वे इस काम में उत्साह से पड़ जायें तो यह जल्द हो सकता है। गवर्नमेंट का काम है कि वह उनसे काम ले। नहर खोदने का काम एक महत्त्व सामूहिक काम है। जितनी दूर मैं नहर खोदना हूँ अगर लोग अपने अपने गाँव के सामने नहर खोदने को तैयार हो जायें तो बात की बात में नहर तैयार हो जायेगी। हमारी एक पुरानी कहावत है कि सभी लोग मिल कर काम करें तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। और अगर मिल कर लोग काम न करें तो एक सूई को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। पहले जमाने में जब मोटर गाड़ियाँ नहीं थीं तो बैल से ही ढों कर के लोग कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उस जमाने में भारी भारी पत्थरों के टुकड़े भी मन्दिरों के लिये लोग आपसी सहयोग में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करते थे। पत्थर का टुकड़ा काटने वाले काट कर छोड़ देते थे। इसमें सब लोग बेगारी ही करते थे। जबर्दस्ती की बेगारी नहीं खुशी की बेगारी करते थे। जहाँ जहाँ पत्थर के टुकड़े रहते उस के पास के गाँव वाले उन टुकड़ों को दूसरे गाँव की सीमा तक पहुँचा देते और इस तरह वे सैकड़ों कोस तक चले जाते। हम आज उरा तीर नरीको को भूल गये हैं और छोटी चीज के लिये भी गवर्नमेंट का मुँह देखते हैं। हम चाहते हैं कि वह सहयोग का तरीका लोग अपनायें और सब मिल जुल कर अन्न के कण्ट को दूर करें, अधिक अन्न पैदा करने में एक दूसरे की मदद करें। इसके लिये स्वाहिये चाहिये, इच्छा चाहिये। चूँकि मैं यहाँ गाँव में हूँ इसलिए गाँव के लोगों से कह रहा हूँ।

और बहुत सी बातें हैं जिनको मैं आपसे कह सकता हूँ और शायद जिन्हें आप सुनना भी चाहते। मगर इसके लिये समय नहीं है और गला भी कमजोर है। जब तक यह चलना है आपसे कुछ कहता हूँ। पता नहीं कब यह जवाब दे दूँ और फिर आपसे कभी कुछ कह भी न सकूँ।

आप यह न समझे कि हमारे देश की हालत बहुत खराब है। खराब है बहुत लेकिन जब कोई नया काम होता है, कोई नई योजना सामने आती है, जब कोई क्रान्ति होती है तो उसके बाद मुसीबत सामने आती रहती है। हमने जो स्वराज्य प्राप्त किया वह गांधी जी की कृपा से बड़ी आसानी से किया। पता भी नहीं लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां चली गयी, कब चली गयी और हमारे हाथों में किस तरह से सब अधिकार आया। ऐसे लोग भी थे जिनको बहुत दिनों तक पता भी नहीं लगा कि कब हमारे यहां अंग्रेज नहीं रहे और सब चीजें आहिस्ते आहिस्ते हमारे हाथों में आ गयी हैं, सब अधिकार हमारे हाथों में आगये। और हमने इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। मगर शक्ति तो प्राप्त कर ली उसको सम्भालना हमारा काम है और सारे देश के लोगों का काम है।

आप जानते हैं कि जो नया संविधान बना है उसमें सारे देश के जिनने वालिग लोग हैं जिनकी उम्र २१ साल की है चाहे वे स्त्री हो चाहे पुरुष सबको वोट देने का हक है। और इसके मनाबिक पहला चुनाव नवम्बर दिसम्बर के महीने में होगा। इसकी तैयारियां हो रही हैं। यह इतना बड़ा चुनाव होगा जितने बड़े पैमाने पर संसार के इतिहास में कोई चुनाव नहीं हुआ, आश्चर्य ही तो मालूम नहीं मगर अभी तक तो नहीं हुआ है। उसमें एक लाख दो लाख नहीं एक करोड़ दो करोड़ नहीं, १७-१८ करोड़ आदमी वोट देंगे। उसमें वोट लेना, वोट गिनना सब चीजें हैं। अभी तक तो सब से बड़ा काम था कि लोगों के नाम लिखे जायें। वह काम करीब करीब पूरा हुआ। तब उनके छापने का काम है। आप इसी में महसूस कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा काम है कि वह किताब जिसमें नाम छपेंगे २०० गज चौड़ी होगी। यहाँ से लेकर उस वगीचे तक वह किताब चौड़ी होगी जिसमें वोटों के नाम छपे रहेंगे। उसमें ३५-३६ सौ आदमियों को चुनना होगा। एक जगह नहीं न मालूम कितने स्थान बनाने होंगे जहाँ लोग वोट देंगे। उसका इन्तजाम करने में वक्त लगता है वह सब इन्तजाम हो रहा है। गवर्नमेंट वह सब कर रही है। उसमें करोड़ों कर्गें रुपये लग रहे हैं। मगर वोट तो लोगों को ही देना है। अब किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि जो कुछ यहाँ होता है उसके लिये कोई दूसरा जिम्मेदार है। अब तो जो भला या बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर है। अगर हम भला करते हैं तो अच्छा है और बुरा करें तो उसका भी दोष हमारे ऊपर है। अब हम यह भी नहीं कह सकते कि कुछ लोगों ने बात बिगाड़ी क्योंकि सब को वोट देने का अधिकार है। जिसको लोग चाहेंगे उनको मन्त्री बनाने का अधिकार है। इसीलिये मैं सभी जगहों पर जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ कि अपने अधिकार को लोग सोच विचार कर काम में लायें और अच्छे से अच्छे आदमी को, अच्छे आदमी को जिन से आपकी भलाई हो सकती है उनको ही वोट दें। इसमें सब की परीक्षा है। जो चुने जायेंगे उनकी परीक्षा तो चुने जाने के बाद होगी। मगर आपकी परीक्षा पहले ही होगी। इस परीक्षा के लिये आप तैयार रहें जिसमें जिन को आप चुन कर अपना काम कराना चाहें वे उस काम को ठीक से पूरा कर सकें।

विदेशों से हमारा सम्बन्ध अच्छा रहा। मगर इस वक्त संसार की हालत डावांड़ोल है। यद्यपि हम इस कोशिश में रहे हैं कि दुनिया में शांति विराजती रहे और सभी लोग मिल जल कर काम करें पर अभी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जायेगा। इसलिये अपनी स्वतन्त्रता के लिये सारे देश को और सारी दुनिया को इस प्रयत्न में लगे रहना है। आजकल कोई देश एत

दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। आजकल सारी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। एक ज़माना था जब अग्रेज ६ महीने में जहाज पर भारत आया करते थे। ६ महीने से घट कर १ महीना हुआ, फिर १५ रोज हुआ, फिर ३ रोज हुआ और अब उससे भी कम होने जा रहा है। इसलिये अब कोई देश किसी देश से अलग नहीं रह सकता है। सभी देश एक दूसरे के साथ बंध गये हैं और इस तरह से बंध गये हैं कि एक जगह कुछ होता है तो उसका भला या बुरा असर दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। हम लोगों को पिछली लड़ाई का फल अभी तक भोगना पड़ रहा है। उसी का फल है कि यहाँ अन्न का कष्ट चल रहा है, उसी का फल है कि देश अपने को अभी तक सम्भाल नहीं सका है। आपको सब चीजों पर ध्यान रखना है जिसमें अपनी रक्षा कर सकें। इसके लिये जरूरत है इस बात की कि देश में मेल रहे। अगर मेल नहीं रहा तो हम अपनी रक्षा क्या कर सकते हैं।

इस देश में कई तरह की भाषा के बोलने वाले लोग बसते हैं। कितने धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, ईसाई है। अगर देश में मेल नहीं रहा तो आप समझे कि एक दिन भी हम चैन की जिन्दगी नहीं बिता सकेंगे। इसीलिये महात्मा जी ने शुरू में ही इस चीज पर जोर दिया और उसी रास्ते पर चलते रहे और अन्त में उसी प्रयत्न में अपनी जिन्दगी भी उन्होंने दे दी। तो आज जरूरत इसी चीज की है कि मारा देश एक सा काम कर सके।

आप याद रखे कि इस वक्त हिन्दुस्तान जितना बड़ा है उतना बड़ा कभी नहीं था। यद्यपि आज पूर्व में उसका एक हिस्सा कट गया है और पश्चिम में भी उसका एक हिस्सा कट गया है पर तो भी जितना बच गया है उतना बड़ा हिन्दुस्तान एक छत्रछाया में कभी भी आज के पहले नहीं रहा। १००-२०० वर्ष के बाद जब हमारा इतिहास लोग लिखेंगे तो वे कहेंगे कि यह कैसे हो गया। पहले भी चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। लेकिन जितने राज्य उस चक्रवर्ती राजा के अन्दर हुआ करते थे वे एक प्रकार से स्वतन्त्र हुआ करते थे। सिर्फ नाम के लिये वे उनका आधिपत्य मान लेते थे या उन के राज्य से अगर चक्रवर्ती राजा का रथ गया तो उसको बिना रोक टोक जाने देते थे। मुसलमानों के जमाने में भी बादशाह हुये। उनमें से भी कोई सारे देश को अपने काबू में नहीं कर सका। जितने भाग पर उन्होंने अपना काबू किया उसमें भी अलग अलग सूबे रहे जो एक दूसरे से लड़ते रहे। अग्रेजों के जमाने में भी यद्यपि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी छत्रछाया में रहा मगर तो भी हिन्दुस्तान का एक तिहाई हिस्सा देशी रजवाड़ों के अन्दर रहा। यद्यपि देशी राजे बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं थे और अग्रेजों की राय के मुताबिक उनको काम करना पड़ता था मगर अपने अपने राज्य में वे स्वतन्त्र थे। उनका अपना अलग कानून था, उनके शासन का तरीका अलग था। यह पहला ही मौका है कि सारा देश एक छत्र के नीचे है। यह काम हमारे देश के अन्दर बहुत बड़ा हुआ जिसको इतिहास के लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी जवाबदेही को हम संभाल सकते हैं या नहीं। जैसा मैंने कहा अब देश की जवाबदेही किसी एक आदमी पर नहीं है। वह देश के प्रत्येक पुरुष और स्त्री पर है और यह तभी हो सकता है जब देश के अन्दर पूरी शक्ति रहे और सब उत्साह के साथ इस देश को अपना समझ कर इसे उन्नत करने और बढ़ाने में लगे। मैंने कई मरतबा कहा है और

आज भी दोहराना चाहता हूँ कि मेरा अपना खयाल है कि हम जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट स लड़ रहे थे उस वक्त जितने त्याग और परिश्रम की जरूरत थी उससे ज्यादा परिश्रम और त्याग की आज जरूरत है। क्योंकि उस वक्त हमारे सामने एक ही, जिसको हम दुश्मन समझते थे, खड़ा था और उससे अधिकार वापिस लेने में किसी को भी बाधा नहीं दीखती थी और सब एक साथ मिल जुल कर काम करते थे। वह दुश्मन हट गया और अपने ही हाथों अब सब अधिकार आ गये हैं। तो अब अलग अलग विचार और खयाल आते हैं। यह स्वाभाविक है। स्वतन्त्रता का अर्थ ही है कि लोगों के अपने अपने खयाल हो। लेकिन इतना तो हमें जरूर समझना है कि यह देश हमारा है और ऐसा समझ कर काम करना है जिसमें दूसरे किसी को हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। मैं चाहता हूँ कि इस देश की रक्षा को जितने स्त्री और पुरुष हैं अपना कर्तव्य समझे।

हमको यह भी देखना है कि केवल आजादी लेना ही काफी नहीं है। हम स्वप्न देखा करते थे कि स्वतन्त्रता मिलने पर देश से गरीबी दूर हो जायेगी, हर किस्म का रोग दूर हो जायेगा, अशिक्षा दूर हो जायेगी, यहां के खेतों में अधिक अन्न पैदा होगा, कारखाने में अधिक चीजें पैदा होंगी और सभी लोगो को सभी चीजें मिल सकेंगी। वह स्वप्न अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसमें हर तरह के त्याग की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोग यह भूल जायें कि अब त्याग का समय खत्म हो गया और भोग का समय आ गया है। भारतवर्ष में भोग का समय कभी आता ही नहीं। भोग का काम तो देवता का है। जो मनुष्य योनि में है उनका काम तो कर्म करना है। यह एक ऐसी योनि है जिस में लोग अपना कर्म करके, त्याग करके आगे बढ़ सकते हैं। हमको अपना कर्तव्य करना है क्योंकि आज भी हम अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाये हैं।

आपसे कुछ कहने का मुझे यह मौका मिल गया इसकी मुझे खुशी है। और आप सभी भाइयों ने शान्तिपूर्वक मेरी बातें सुनी और मेरा स्वागत किया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं कही भी गया हूँ, चाहे सूबे में या अपने सूबे से बाहर तो लोगो ने बहुत ही प्रेम दिखलाया है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो थोड़ी लोगो की सेवा की है उसके बदले में लोग और कुछ नहीं तो थोड़ी मेहरबानी दिखला देते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस प्रेम को आप मूर्त्त रूप दें, मनुष्य के प्रति प्रेम न दिखला कर देश के प्रति दिखलावे। मैं आशा रखता हूँ कि लोग देश के प्रति प्रेम दिखलायेंगे और देश की उन्नति के काम में लग जायेंगे।

### हिन्दी विद्यापीठ, देवघर

हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के समावर्तन समारोह में तारीख २६-२-५१ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

हिन्दी विद्यापीठ के अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, स्नातकगण, आचार्य महोदय, नन्ददुलारे वाजपेयी जी, बहनो और भाइयो,

आपने सुना है कि ५ वर्षों के बाद वे आज यह समारोह कर पाये हैं। मेरा सम्बन्ध इस विद्यापीठ के साथ प्रायः इसके जन्म काल से ही रहा है, और मैं समझता हूँ कि इन पांच वर्षों का यह अन्तर इस विद्यापीठ के लिये और मेरे लिये भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। अभी स्नातकों

को पदक दिये गये हैं, प्रमाणपत्र दिये गये हैं और आपने सुना कि विद्यापीठ की परीक्षाओं में कितने विद्यार्थी दूर दूर प्रान्तों से आकर सम्मिलित हो रहे हैं और आपके प्रमाणपत्रों को हमारी विहार की गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। यह सब खुशी की बात है। जिन को आज पदक या प्रमाणपत्र मिले हैं और जो नहीं आ सके हैं सब को मैं वधाई देना चाहता हूँ।

मेरा विचार हिन्दी के सम्बन्ध में लोगों को बहुत कुछ मालूम है क्योंकि अक्सर जब कभी इसके लिये अवसर मिलता आया है मैं अपने विचारों को प्रकट करता रहा हूँ। मैं कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैंने साहित्य का अध्ययन किया है। इमालयों में साहित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना अपने लिये अनधिकार चेटा मानता हूँ। मेरी योग्यता के सम्बन्ध में चाहे लोग अपनी ओर कुछ भी कहे और नन्ददुलारे जी ने भी, जिनकी गिरनी हमारे देश के विद्वानों में है, कुछ कहा है पर मैं अपने को वैसा नहीं मानता हूँ। किन्तु साथ ही मैं इतना कहना उचित समझता हूँ कि आज साहित्य में जो लिखा जाता है, और उसका दहाव जिम तरफ चल रहा है उसकी समीक्षा करने रहना, समालोचना करने रहना, हमारे हिन्दी के विद्वानों का काम है।

मैं हिन्दी को एक दूसरे रूप में हमें देखा देना चाहता हूँ और जो कुछ हम में हिन्दी की पैदा होनी है वह उसी प्रकार में होनी है। मैं बहुत दिनों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखता रहा हूँ और देखना चाहता हूँ। इसके लिये दो वस्तु आवश्यक है। एक तो भाषा ऐसी होनी चाहिये कि जो समृद्ध हो और जिसमें चाहे हम जिस विषय को व्यक्त करना चाहे उसके द्वारा आसानी से कर सकें। दूसरी चीज यह है कि इस भाषा का साहित्य भी ऐसा सुन्दर हो, इतना प्रचुर हो कि सभी लोग अपनी उच्छ्वासे इसकी तरफ मुड़ जायें और इसका अध्ययन अपने लिये आवश्यक समझें।

दूसरा काम साहित्य के जटाने का है, साहित्य के निर्माण का है। जैसे मैंने कहा मुझे साहित्य पढ़ने का समय नहीं मिलता है लेकिन जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, पिछले ५० वर्षों में जब से मेरा थोड़ा बहुत हिन्दी से सम्बन्ध रहा है, उसका आज बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, हिन्दी के साहित्य संसार में बहुत बड़ी प्रगति हुई है और जो लोग इन ५० वर्षों में हिन्दी के इतिहास को देखेंगे उन्को इस बात का सर्वोत्तम होगा कि इन ५० वर्षों में हिन्दी कहा से उठा निकल गयी है और उसका भंडार आज बहुत विषयों से बहुत बातों में प्रचुर हो गया है। मगर तो भी यह तो कहा नहीं जा सकता है कि साहित्य का भंडार कभी भी पूरा हो जायेगा। साहित्य का एक ऐसा भंडार है जो कभी पूरा नहीं होता, वह किसी भी देश में, किसी भी भाषा में पूरा नहीं हुआ और किसी भी जाति के लोगों ने उसे पूरा नहीं किया। वह तो मानव जाति के साथ साथ प्रगति करता जाता है और जैसे मानव जाति आगे बढ़ती जाती है साहित्य भी उसके साथ आगे बढ़ता जाता है। वह तो तभी पूरा होगा जब मानव जाति की प्रगति ऐसे स्थान पर पहुँच जाये जहाँ से वह आगे बढ़ने वाली न हो। यह कभी होने वाला नहीं क्योंकि मानव जाति प्रगति करने वाली है। हम उसका रूप बदल सकते हैं, उसका ढग बदल सकते हैं और कभी कभी उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। मगर वह साहित्य तो बढ़ता ही जाता है। हिमालय से जैसे गंगा निकलती है और बहते बहते समुद्र में जा मिलती है और तभी शान्त होती है साहित्य की भी वही स्थिति

है। जब वह मानव समाज के समुद्र से एक हो जायेगा तभी उसका चरम उत्कर्ष होगा। जैसा मैं ने कहा, यह काम साहित्यिको का है कि साहित्य के काम का लोगो को दिग्दर्शन कराते रहें और उनको मार्ग दिखाते रहें।

हिन्दी भाषा किस तरह से राष्ट्रभाषा बन जाये यह एक दूसरा विषय है जिसके साथ मेरी खास दिलचस्पी रही है और हिन्दी का प्रचार किस तरह से सारे देश में हो इसमें मैं थोडा बहुत काम भी करता आया हू। इसलिये मैं आपसे दो शब्द इस सम्बन्ध में कह देना चाहता हू। यह हिन्दी बोलने वालो के लिये गौरव की बात है कि उनकी भाषा आज राष्ट्रभाषा के रूप में मान ली गयी है और इसे मान कर के देश ने उन पर एक भारी जवाबदेही भी लाद दी है। आप जानते हैं कि इस देश में दो मुख्य प्रकार की भाषायें हैं। एक तो वे हैं जो मस्कृत में प्रभावित तो हुई हैं मगर उनका जन्म स्थान कहा दूसरी जगह पर है, उनका स्रोत कही दूसरी जगह से चला। वे दक्षिण की भाषायें हैं और यह कहना असम्भव है कि वे मस्कृत के प्रभाव में बिल्कुल अछूती रह गयी हैं। दूसरी भाषायें वे हैं जिनका जन्म मस्कृत में हुआ है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं के बोलने वालो ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया है। हम को अब यह दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा किस तरह इस योग्य बने कि सारे देश के साहित्यिक काम उस भाषा के जरूरे हों। इफका यह अर्थ नहीं है कि जो हिन्दी के अलावा भाषाएँ हैं वे किसी प्रकार में विकसित हैं। इनका अर्थ यही है कि साहित्यिक काम के लिये हिन्दी मान ली गयी है और जो एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ कारगर होना है वह हिन्दी के जरूरे ही होगा और जो हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट है वह जो कुछ काम करेगी इस भाषा के द्वारा करेगी। हमारे मातृभाषा ने इस भाषा को मान लिया है और उसमें यह भी है कि भाषा ऐसी साक्षी को सभी लोग समझ सकें। उसमें साक्षता भी ऐसी होनी चाहिये कि लोग उसने आज तक अपना को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें। तो अब हिन्दी वालो पर एक बड़ी जवाबदेही आ गयी है। मैं ऐसा मानता हू कि हिन्दी अब राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो गयी है ता उसको ऐसी बगला चाहिये जिसमें वह किसी भी भाषा के शब्दों को अपने में मिलाने में समर्थ हो। इस लिये मैं जब कभी कभी दूसरी भाषाओं से आये हुए शब्दों को निकालने की प्रवृत्ति देखता हू तो वह मुझे खटकती है। मैं तो चाहता हू कि हिन्दी का परमेश्वर जितना बड़ाया जा सके बड़ाया जाये और उससे बड़ाने में हम इस प्रकार का सहूलत विचार नहीं रखें कि वे मस्कृत के लया नहीं, प्राचीन हिन्दी के लया नहीं बल्कि हमको तो यही साक्षता चाहिये कि शब्द मुझसे हैं, अच्छा है, या नहीं और यह हमारे भाव को व्यक्त कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो उसको ले लेने में कोई हिचकवाहट नहीं होनी चाहिये।

मैं देखना हू कि जो हिन्दी भाषी नहीं हैं वे कही कही पत्रपत्रों में, डरते हैं कि उन पर हिन्दी लाद दी जायेगी। मैं चाहता हू कि इन भय को उनके दिम में निकाल दिया जाये। इसका रास्ता यही है कि सब मिल कर अपना हिन्दी भाषा को उनकी भाषा भी बनावे जिसमें वे खुशी से इसे अपनावें। यह अपनापन तभी हो सकता है जब हम प्रेम में उनसे मिले, उनमें हम कुछ लें और वे हमसे ले और इसका रूप ऐसा हो जो न हमारे लिये अपरिचित हो और न उनके लिये अपरिचित हो। इसके लिये प्रांतीय भाषाओं के बहुतेरे प्रयोग हिन्दी में आवेगें। अगर हम हिन्दी



को समृद्ध करना चाहते हैं तो प्रान्तीय भाषाओं की समृद्धि में किसी तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिये और उनकी समृद्धि में हिन्दी के लिये भी लाभ उठाना चाहिये। इसलिये हम उनसे जो कुछ ले सकते हैं हिन्दी में लेना चाहिये, सीखना चाहिये और उनकी उन्नति से अपनी भाषा की उन्नति करनी चाहिये। मैं तो यहाँ तक जाने के लिये तैयार हूँ कि अगर उन प्रयोगों के कारण हमारे व्याकरण में कुछ सुधार भी करना पड़े तो हमें उनके लिये भी तैयार रहना चाहिये क्योंकि हमको एक ऐसी भाषा का सृजन करना है जो मारे देश में आमानी में समझी जा सके और हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने के बाद हिन्दी में इस प्रकार का विकास अनिवार्य हो गया है और ऐसा होना ठीक है। इसलिये मैं हिन्दी के विद्वानों में जो यहाँ मौजूद हैं कहना चाहता हूँ कि अब वे यह नहीं समझें कि हिन्दी उनकी चीज है और वे जिस तरह चाहेंगे उसको रखेंगे, मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और दूसरों को उसमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं देंगे। इस भावना को छोड़ देना चाहिये और जो हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं उनमें महायत्ना लेकर हिन्दी को समृद्ध बनाना चाहिये और उनके लिये यह उचित होगा कि प्रान्तीय भाषाओं की गढ़ाबलि से, उनके प्रयोगों से और अच्छे वाक्यों से हिन्दी भाषा को भूषित करे जिस में कि यह कहा जा सके कि हिन्दी हमारी ही भाषा नहीं, सारे भारतवर्ष की भाषा है। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी के विद्वान हमेशा इस बात पर ध्यान देंगे।

इसके अलावा दूसरा भी काम है। वह है प्रचार का काम। प्रचार का अर्थ केवल भाषण देना नहीं है। उसका अर्थ यह है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनको इस योग्य बना दें कि जिस तरह से हम हिन्दी में अपना कारवाय करने हैं उसी तरह से वे भी अगर हिन्दी में काम करना चाहे तो कर सकें, काम को उसी सफलता के साथ अजाम दे सकें। इसलिये जो हिन्दीभाषी हैं उनकी बड़ी जवाबदेही है। जहाँ जहाँ हिन्दी सीखने वाले हैं वहाँ वहाँ हमारे जादूमयों को जाना चाहिये और उनको सिखाना चाहिये। यह काम इस तरह से होना चाहिये कि जिसमें वे यह नहीं समझें कि हम उन पर बोझ डाल रहे हैं बल्कि सेवा रूप में उनको इस काम के लिये तैयार होना चाहिये। मुझे याद है कि आज से करीब ३२ वर्ष पहले जब महात्मा जी ने मद्रास में पहले पहल हिन्दी का काम शुरू किया तो उत्तर भारत में हिन्दी जानने वालों को उन्होंने वहाँ भेजा और सत्यदेव जी को प्रचार के लिये वहाँ पहला स्थान मिला। उन्होंने महात्मा जी के पुत्र श्री देवदास गांधी के साथ वहाँ प्रचार काम शुरू किया। हमारे लिये यह गौरव की बात है कि इस काम में बिहार का भी हिस्सा कुछ कम नहीं रहा। यहाँ से भी लोग गये और वहाँ काम किया और आज भी कर रहे हैं। दूसरे हिन्दी भाषी प्रान्तों के लोगों ने भी जाकर वहाँ काम किया और वहाँ काम इतना फैला और इस हद तक पहुँच गया कि अब शायद उनको उत्तर भारत के लोगों की ज़रूरत भी नहीं रही। आपको यह सुनकर शायद मनोरंजन होगा कि मैं ने वहाँ कई बार उपाधि वितरण का काम किया है। वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और कई बार मैं ने पति पत्नी को एक साथ उपाधि दी और एक बार तो एक ही साथ तीन पुत्र को उपाधि देने का मौका मिला; जिसमें दादी भी, नतिनी भी, पतौही भी और दादा भी, बाप भी और बेटे भी थे। तो आप इससे जान सकते हैं कि वहाँ लोगों को इस सम्बन्ध में कितना उत्साह है और आज हम कह सकते हैं कि दक्षिण में हिन्दी के प्रचार का जितना काम हो रहा है उतना काम और किसी जगह पर नहीं हो रहा है और वहाँ जितने पैसे वे खर्च कर रहे हैं

और जितने स्वयंसेवक इस काम में लगे हुए हैं उतन और किसी भी जगह में नहीं हैं। इस वक्षत वे लाखों रुपये इस काम में अपनी ओर से खर्च कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषी लोगों का यह धर्म है कि जहाँ के लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं उनको यह सुविधा दे और उनको अपनी सेवा दे जिसमें वे इतनी योग्यता प्राप्त कर सकें कि राष्ट्र का काम हिन्दी में वे कर सकें। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिये। मैं ने इसके पहले भी कहा है कि हिन्दी प्रचार के काम में त्याग की जरूरत है, सेवा भावना की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से जो लोग निकलेगें इस काम को अपने जीवन का बड़ा काम समझ कर इसमें लग जायेंगे और इसको पूरा करेंगे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दूसरी संस्थाओं के लोग इस काम में पड़ जायें और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें जिसमें फिर किसी को यह शिकायत करने की गुंजाइश न रहे जाये कि कोई सिखाने वाला नहीं रहा इसलिये उसने हिन्दी नहीं सीखी और इसलिये सार्व-देशिक काम के लिये अंग्रेजी का सहारा उसको लेना पड़ा। यह बड़ा काम है और मैं आशा रखता हूँ कि इस प्रान्त के लोग भी और विशेष करके ऐसे लोग जो इस मन्था से सम्बद्ध हैं इस पर ध्यान देंगे और जहाँ आवश्यकता हो इस काम को करेंगे।

इसके अलावा और विषयों पर अगर मैं जाता हूँ तो भाषण बहुत लम्बा हो जाता है। विषय तो बहुत हैं अब लोगों से मिलने का मौका भी कम पाता हूँ, लोगों से कुछ कहने का समय अब कम मिलता है। इस लिये मैं दो एक बातें और कह देना उचित समझता हूँ। आप ऐसा नहीं समझें कि भारत स्वतन्त्र हो गया तो उसकी सारी समस्यायें सुलझ गयीं। समस्यायें ज्यों की त्यों पटी हैं। जब हम स्वतन्त्र हुए तो उसके साथ विपत्ति तो हमारे ऊपर आयी, मुसीबत भी आयी और हमने उनका मुकाबला किया, उनको मथालने में ही हमारी अब तक शक्ति गयी है और अभी हम पार भी नहीं पाये हैं। मगर उसमें ध्वगना नहीं है। कोर्ट भी बड़ी क्रांति होनी है तो उसमें कितने ही वर्ष लग जाते हैं। स्थिति मथालने में और ऐसी स्थिति ला देने में जिसमें सब काम सामूली तौर से चलने लगें। अमेरिका जब स्वतन्त्र हुआ तो न मालूम कितने वर्ष उसे अपने को मथालने में लगें। अभी हाल में जो क्रान्ति हुई है उनमें भी लोगों को अपने को मथालने में बहुत समय लगा है। हमारे देश की क्रान्ति दूसरे ढंग की क्रान्ति रही है और दूसरे देशों की क्रान्ति से भिन्न रही है। और देशों में क्रान्तिया लड़ भिड कर की गयीं और उनके सामने हिंसा अहिंसा का कोई प्रश्न नहीं था। इसलिये अपने समाज के गठन में भी जो कुछ वे करना चाहते थे उनके सामने कोई इस तरह की नैतिक कठिनाई नहीं आयी। नैतिक कठिनाई को अगर नैतिक दृष्टि से न देखा जायें और काम की ही दृष्टि से ही देखा जायें तो हम को मानना ही पड़ेगा कि हमने जो महात्मा जी के नेतृत्व में रास्ता अख्तियार किया उस रास्ते पर चलकर हम आसानी से स्वराज प्राप्त कर सके। एक बहुत बड़ी शक्ति का हमने मुकाबला किया और कोई कह नहीं सकता कि किस तरह से वह शक्ति कहा चली गयी और उसकी जगह किस तरह से और कब हम प्रतिष्ठित हो गये। इसका महत्व शायद आज नहीं मालूम होता हो, मगर आज से कुछ दिनों के बाद जब इतिहास लेखक इस समय के इतिहास को देखेंगे और लिखेंगे, इस समय जो कुछ हुआ है उस पर विचार करेंगे तो उनको अचम्भा होगा कि ऐसे लोग जिनके हाथों में हथियार नहीं थे इतनी बड़ी शक्ति का जो सैकड़ों वर्षों से खड़ी थी कैसे मुकाबला कर सके और सिर्फ यही नहीं कि अपने को उठा सके बल्कि उस शक्ति को हटा करके अपने को प्रतिष्ठित कर सके। यह सब कैसे हुआ ? महात्मा

जी ने जो रास्ता बतलाया और उम रास्ते पर जो हम थोड़ा बहुत चले उमी का यह फल हुआ । आज कुछ लोग मोच सकने हैं कि उम से अन्य रास्ते पर चल कर वे अधिक तेजी दिखला सकते हैं और जो कुछ हासिल करना है कर सकते हैं । मगर मेरा विश्वास है कि वैना करके वे भूल करेंगे और जल्दी के बदले देर करेंगे । पुरानी कहावत है कि १ वर्ष का रास्ता अच्छा मगर ६ महीने का रास्ता ठीक नहीं । महात्मा जी का रास्ता देखने में एक वर्ष का रास्ता मालूम पड सकता है और दूसरा रास्ता ६ महीने का मालूम पड सकता है । मगर अनुभव बतलाता है कि वह एक वर्ष का रास्ता आसान रास्ता था । ६ महीने के रास्ते पर चलने में न मालूम कितने महीने लग जा सकते हैं । हमको जो कुछ करना है, जिस रास्ते का हमने अवलम्बन किया है उम पर चलकर यदि उसे अभी तक हम नहीं कर पाये हैं तो कोई घबडाने की बात नहीं है । तीन वर्ष का समय क्रिमी भी राष्ट्र के लिये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है । जैमा में ने पहले कहा है, जिन देशों में क्रान्तियाँ हुई हैं वहा एक प्रकार से पहले की चीजों को अलग फेंक कर उनको तोड़ना दिया है और उनके स्थान पर नयी चीजें कायम की हैं । उनको भी कुछ समय लगा है । हम अपनी पुरानी मन्थाओं को कायम रखना है । उमी में उथल पुथल करके हम अपना काम चला रहे हैं । हमारे सामने कोई खाली मैदान नहीं है कि हम अपनी इच्छानुसार जो कुछ चाहें बना लें । हमको पुरानी चीजों को रब कर डाल तरह से बताना है कि जिनमें मालूम न हा कि हम तोड़ना ड कर रहे हैं । हमको यह दिखाना है कि हम किस तरह से अपना काम ले सकते हैं और अपने को योग्य बना सकन ड । मेरा ख्याल है कि डमी पर चलकर हम जन्म से नर, जशू होने पहुंचता है वहा पहुंच नान ड और दूसरे रास्ते पर चलकर कठनाइया का मुजाबादा करना होगा और इनमें भी यह है कि हम अपने ध्येय तक पहुंच भी सकेंगे ना नहीं ।

यहा ही साहित्य और भाषा का प्रश्न आता है । मैं ने कहा कि साहित्य में नहीं जानता हू और मुझे उगका अध्ययन करने का समय भी नहीं मिला है । पर तो भी मैं समझता हू कि साहित्य ऐमा होना चाहिये जो विश्वास की तरफ न ले जाकर बनाने की ओर ले जाये । बिगाड़ना आसान होता है, तोड़ना कठिन नहीं है, बनाने में पडी शक्ति लगती है, बुद्धि लगती है और बहुत समय लगता है । साहित्य का रब सृजन की तरफ रखना चाहिये । मैं चाहता हू कि साहित्यक लोग इस तरफ बढ़ें और हमारा दिग्दर्शन करें । तभी हम बढ़ सकते हैं । मैं आशा करता हू कि हमारे देश के लोग जो आज स्वतन्त्र हुए हैं वे अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगे ; इसे समझेंगे और अपनी जवाबदेही को भी समझेंगे ।

डम देश को हमने स्वतन्त्र तो कर दिया लेकिन देश को स्वतन्त्र कर लेना ही काफी नहीं है । हमने जो स्वप्न देखे थे आज तक जो स्वतन्त्र भारत का चित्र हमने अपने सामने रक्खा था जिसमें बीमारी न हो, दुख दारिद्र्य न हो, अशिक्षा न हो उसको हम पूरा नहीं कर सके हैं । इसके लिये तपस्या की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, मेरी आशा यह भी है कि जिस तरहसे ब्रिटिश गवर्न-मेंट के साथ संघर्ष के जमाने में हम सब कुछ के लिये तैयार थे और गांधी जी के बताये अनुसार चल कर अपने को बढ़ाते गये, पीछे गिरे नहीं, उसी तरह से अब जो रचनात्मक काम करना है, नये समाज के संगठन का काम करना है उसमें भी त्याग करने के लिये तैयार हो जायें और वह काम हम पूरा करेंगे । मैं तो यह भी मानता हू कि यह काम उससे अधिक कठिन है । जैसा

मैं ने कहा, विध्वंस का काम आसान होता है मगर सृजन का काम कठिन होता है। विध्वंस का काम हम खत्म कर चुके हैं और अब हमें मृजन का काम करना है, हिन्दुस्तान को हमें बनाना है। अगर हम में से प्रत्येक मनुष्य यह सोचे कि हम को बनाना है और अपनी तरफ नहीं बल्कि सारे संसार के कल्याण की तरफ ध्यान रखे तो अपने देश का और सारे संसार का हम कल्याण कर सकेंगे। अगर हमने स्वार्थी लोगों को पैदा किया, अदूरदर्शी लोगों को पैदा किया तो देश और संसार दोनों का अहित होगा। इसमें सब से बड़ा काम विद्यालयों का है कि वे अच्छे से अच्छे नागरिक तैयार करें। और जैसी संस्था आपकी है जो शुरू से ही एक नये तरीके से काम करती आयी है वैसी संस्थाओं का इसमें और भी महत्व है।

महात्मा जी कहा करते थे कि कोई गवर्नमेंट क्यों न हो वह स्वयं मुधार का काम नहीं कर सकती है। यह तो गैर सरकारी मस्थाओं का ही काम होता है कि उमे रास्ते पर चलने के लिये मजदूर करे। अगर आप शिक्षा मस्बन्धी मुधार चाहते हैं और मैं मानता हूँ कि आज शिक्षा में मुधार की जरूरत है और एक जगह नहीं कई जगहों पर मुझे इधर मौका मिला है और मैं ने अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा है कि शिक्षा में बहुत मुधार की जरूरत है तो इसके लिये आपको लोकमत तैयार करना चाहिये। यह काम गवर्नमेंट करेगी। मगर यह गैर सरकारी मस्थाओं का काम है जो सरकार पर निर्भर नहीं है कि वे अपनी सेवा में, अपनी गफ़लता में, अपने प्रयोगों में उसको रास्ता बनलावे और उसको मजदूर करे कि जो चीज बेहतर है उसको वह अपनावे। मैं आशा करता हूँ कि जहा जहा इस तरह की मस्थाएँ काम कर रही हैं वे इस दिशा में अग्रसर होगी और ऐसा करने में उनको कठिनाइयाँ झेलनी पडी तो झेलती रहें और अपने काम में लगी रहें और नये प्रयोगों को ला कर गवर्नमेंट को दिखलाती रहें। अब प्रजातन्त्र कायम हो जाने के बाद गवर्नमेंट ऐसी होगी जो जनता की इच्छा के अनुसार काम करेगी। तो ऐसी अवस्था में यह हमारा काम है कि लोगों को इस तरह आकर्षित करे और गवर्नमेंट को प्रभावित कर सके।

मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जगह पर कुछ लड़कों को कहने मुना कि देवघर में कालेज होना चाहिये मगर मैं कहूँगा कि कालेज होना काफी नहीं है। कालेज में आज क्या हाता है उसको भी देखना चाहिये। अगर आज शिक्षा मुधार की जरूरत है तो इसलिये कि नयी रीति में अब काम करना है और मुधार के रास्ते पर चलना है। मैं तो हताशा नहीं करना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो देवघर में कालेज स्थापित हो जायेगा। मगर मैं कहूँगा कि उनसे ही मैं सतोप नहीं मानना चाहिये। आज लोगों में नवजीवन, नयी शक्ति पैदा करनी है। मैं इस बात को मानता हूँ कि यूनीवर्सिटियाँ जिम ध्येय का लेकर कायम की गयी अभी उमी पर चल रही हैं। अपने लिये उन्होंने कोई नया रास्ता नहीं निकाला है। हम को अब नये रास्ते पर चलना है। मैं चाहता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट भी विचार करे और जनता भी विचार करे और कोई नया रास्ता ढूँढ करके निकाला जाये। जो पश्चिम की चीजें हैं उनको आख मूदकर हमें नहीं अपनाना है और न अपनी पुरानी चीजों को पुरानी लकीर कह कर फेंकना है। सभी जगह अच्छी चीजों को लेना है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर ध्यान दें और इस बात से घबरा न जाये कि अगर किसी को कह दिया गया कि प्रगतिशील नहीं है तो वह हमेशा के लिये निन्दा का पात्र बन जायेगा। मैं तो सच्ची प्रगति उसको मानता हूँ जिस में मानव जाति का कल्याण हो और आज कल्याण किम में है इसमें भी मतभेद हो सकता है। मतभेद तो मनुष्य मात्र के हृदय में है और जब तक लोगों में

सोचने की शक्ति है मतभेद रहेगा ही। मगर हमको अपनी बुद्धि लगानी है अपना मस्तिष्क लगाना है औरदे खना है कि संसार का कल्याण किस में है। आज हम देखते हैं कि शांति की बातें सभी करते हैं। मगर शांति अर्थात् के द्वारा कायम करना चाहते हैं। इस तरह वे कीचड़ को कीचड़ से धोना चाहते हैं। यह सभव नहीं है। इसलिये जरूरी है कि साफ पानी से कीचड़ को धोये। बुराई का मुकाबला साफ दिल से करे। इसके लिये बड़े परिश्रम की जरूरत है और परिश्रम से अधिक तपस्या की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि नव भारत अपनी शक्ति से दूसरो को भी प्रभावित कर सकता है और उसका यह कर्तव्य है कि संसार के सामने वह प्रवृत्ति पैदा करे कि जिसमे संसार देख सके कि वह सचमुच ठीक रास्ते पर है। महात्मा गांधी ने जो हमें नया रास्ता बतलाया उसी पर चलकर कुछ हद तक हम आगे बढ़े। अब हमको उसी पर आगे चलना है और वही संसार के लिये नया रास्ता है। मेरा विश्वास है कि संसार उसको मानेगा और उस पर चलेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष पर बड़ी जवाबदेही आ गयी है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमको बल दे कि हम उस जवाबदेही को निभा सके। इसके लिये हमको तैयार होना है। इसके लिये जो त्याग जरूरी है उसके लिये तैयार होना है। और भारत अपने कल्याण के साथ साथ मारे संसार का कल्याण करेय ही हमारी आशा है और यही ईश्वर से प्रार्थना है।

आप सब भाइयो ने जिम धैर्य के साथ मेरी बातें सुनी और मेरा जिम प्रेम के साथ आप ने स्वागत किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### देवघर में नागरिक अभिनन्दन

ता० २६-२-५१ को ६-३० बजे शाम को देवघर म्युनिमिपलिटि, कांग्रेस कमिटी तथा सथाल पहाडिया मेवा मडल द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

देवघर म्युनिपलिटि के अध्यक्ष महोदय तथा दूसरे सदस्य गण, कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष तथा हमारे सदस्य गण, सथाल पहाडिया मेवा मडल के अध्यक्ष, बहनों और भाइयो,

मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी सभा में आपके इस यत्न के अन्दर भागण करके आया हूँ और फिर यहा भी देखता हूँ कि जनता की उत्तनी ही बड़ी भीड़ यहा भी लगी हुई है और लोग शायद इस आशा में होंगे कि मैं कुछ कहूंगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे प्रति प्रेम दर्शाया है उसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ।

इस वर्ष भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार के काम हैं। म्युनिमिपलिटि का काम और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम जो लोग कर रहे हैं या गवर्नमेंट चलाने का काम जो लोग कर रहे हैं या कांग्रेस कमिटी का या दूसरी सेवा संस्थाओं का जैसे सथाल पहाडिया सेवा मडल का काम जो लोग कर रहे हैं उन सबका काम जनता की सेवा करना है। मैं चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी जगह से अपना काम ठीक तरह से करे। आज भारतवर्ष को सेवा की जरूरत है और आज जो सेवा करेंगे वे ही सब से

बड़ा काम कर सकेंगे, वे ही भारत का कल्याण कर सकेंगे। चाहे कोई मंत्री पद से काम करे चाहे कोई सरकारी संस्था में हो, चाहे गैर सरकारी संस्थाओं में स्वतंत्र रूप से काम करता हो, सब के सामने एक ही भावना होनी चाहिये, वह सेवा की भावना होनी चाहिये। उसी को सामने रखकर काम करना चाहिये।

यह प्रांत हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रांत है जिसमें आदिम जातियों की संख्या सब से ज्यादा है और इसलिये आदिम जाति और पहाड़ियों की सेवा का काम बड़ा महत्व रखता है। वे जिस अवस्था में हैं उसको बदल करके उन को औरों के मुकाबले में लाना सब का कर्त्तव्य है और वह इसलिये नहीं कि हम उन पर कोई मेहरबानी करना चाहते हैं बल्कि इसलिये कि हम उनकी सेवा करना काम अपना कर्त्तव्य मानते हैं। यही समझ कर काम करना चाहिये। इसी लिये आज सारे भारतवर्ष में आदिमजाति सेवा मंडल की स्थापना हो चुकी है और बिहार प्रांत में भी उसकी शाखा काम कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ जहाँ उनकी आबादी होगी वहाँ अधिक से अधिक वे काम कर सकेंगे और उन लोगों को यह विश्वास दिला सकेंगे कि हम सचमुच में उनकी सेवा करना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि सच्ची सेवा का फल अच्छा होता है। किसी दूसरी तरह से प्रभावित नहीं होकर अगर सेवा भावना से काम किया जाये तो उसका फल कल्याणकारी होगा।

म्युनिमिपैलिटीयों के सामने पैसे की दिक्कत हमेशा रहा करती है। और यहाँ की म्युनिमिपैलिटी के मामले भी दिक्कत है। मैंने मुना है कि यहाँ जो तीर्थयात्रा में आते हैं उन पर टैक्स लगाने का विचार किया जा रहा है और वह ऐसी अवस्था तक पहुँच गया है कि अब उम पर कार्य हो सकेगा। आपको आज मौका है। केवल यहाँ के आसपास के लोग ही नहीं बल्कि इस तीर्थ स्नान में दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। वह दिन बहुत करीब है, आज से शायद ८ दिनों के बाद ही यहाँ का बड़ा उत्सव होगा। उसकी तैयारी मैं देख रहा हूँ और देखकर मुझे प्रमत्तता हो रही है। मैं यहाँ वर्षों के बाद आया हूँ। मैंने देखा कि यहाँ की म्युनिमिपैलिटी में तख्तकी हुई है और अब आप महात्माजी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, यह आपके लिये ऐसी चीज है जिग पर आप गर्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग यहाँ बाहर से तीर्थयात्रा के लिये आते हैं या स्वास्थ्य के लिये आते हैं उनकी सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझकर जितना हो सके म्युनिमिपैलिटी उनकी सेवा करती रहेगी।

कांग्रेस के लोगों से मैं विशेष क्या कहूँ। वे पुराने काम करने वाले हैं। वे जानते हैं कि उनमें क्या आशा की जाती है। वे ऐसा ही करेंगे। उनके सामने बहुत तरह की मुसीबतें आयीं। उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और उन्होंने काम किया और वे अपने ध्येय पर डटे रहे। उनमें से अब कोई ऐसा नहीं समझे कि वह काम खत्म हो गया है। काम अभी भी है। लोगों के दिल में संदेह, शक भी हो जाता है। शक तो मदा ही रह सकता है। आप किसी से बहस कर के विश्वास नहीं कर सकते कि आप सच्चे सेवक हैं। सच्चे सेवक वे ही होते हैं जो मच्छी सेवा करते हैं। उनको बिना प्रयत्न के सच्चे सेवक लोग मान लेते हैं। मेरा विश्वास है कि मच्छी सेवा को जनता स्वीकार करेगी बल्कि समय पाने पर पुरस्कृत भी करेगी। लेकिन पुरस्कार मिले या तिरस्कार मिले, उसका ख्याल छोड़कर सच्ची सेवा भावना से काम करना चाहिये। अभी देश के सामने जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको हल करने में सबके त्याग की ज़रूरत है, निःस्वार्थ त्याग और निःस्वार्थ सेवा की

ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रांत के लोग जिन्होंने अभी तक बहुत करके दिखाया है अपनी पुरानी शक्ति को कायम करें और इस तरह से काम करे जिसमें किसी को शिकायत करने का मौका नहीं रहे कि वे अपने पथ से विचलित हो गये और जनता को सेवा छोड़कर अपनी सेवा में ही लग गये हैं और जब हम सचमुच ऐसा मौका नहीं देंगे तो इस में कोई शक नहीं कि देश का कल्याण होगा और सब लोगों का कल्याण होगा।

मैं आप सब बहनों और भाइयों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ --

लेडी अरविन्द कालेज नई दिल्ली का समावर्तन

\*पहली मार्च १९५१ को लेडी अरविन्द कालेज के समावर्तन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा --

राजकुमारी जी, बहनों और भाइयों,

सर्व प्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जिन्हें पारितोषिक प्राप्त करने में सफलता मिली है और जिन्हें डिप्लोमा और प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके बाद मेरा यह कर्तव्य है कि उन को मैं अपना धन्यवाद दे जिन्होंने इस उन्मत्त का प्रवन्ध किया है और जो इस मस्या के, जिसका वापिकोन्मत्त आज मनाया जा रहा है, स्थापित करने और चलायने के लिये जिम्मेदार है। इस देश में स्त्रियों में शिक्षा के प्रचार की हमें आवश्यकता है। सच तो यह है कि शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता तो आदमियों के लिये भी काफी है किन्तु स्त्रियों की दशा तो आदमियों से भी गई गुजरी है और इगलिये उन में शिक्षा के प्रचार के हर प्रयास को सब लोगों की सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अब यह बात बड़े हर्ष की है कि उन लोगों का प्रयास, जिन्होंने कुछ वर्ष हुए इस मस्या को शुरू किया था, अब फूल फल रहा है और ११ विद्यार्थियों में शुरू होने वाली मस्या में आज लगभग ३५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। किन्तु इस मस्या की सर्वाधिक प्रमुख बात में यह समझता हूँ कि इस में इस बात को मान लिया गया है कि नारियों के लिये शिक्षा का अलग विषय ब्रम होना चाहिये। कभी कभी हम लोंग स्त्री और पुरुष के बीच के अन्तर के बारे में गलती कर बैठते हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि उनमें कोई अन्तर नहीं है गो कि यह बात प्रकृति के प्रति अपनी आवे वन्द कर लेने के समान है। किन्तु जब यह बात सब लोग समझते हैं कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें ही हमारी स्त्रियों को प्रशिक्षा दी जा सकती है और कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिन में स्त्रियां पुरुषों से मुकाबला कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं तब हमारी संस्थाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वे उन बातों के लिये खास प्रवन्ध करे जिनमें कि हमारी नारियों को दिलचस्पी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह मस्या अपना कार्य सफलता पूर्वक ही न करती रही है वरन् इसे जनता और सरकार दोनों की ओर से ही अपने कार्य में प्रोत्साहन मिलता रहा है। मैंने अभी अभी वह रिपोर्ट बड़ी दिलचस्पी से सुनी जिसमें आपके कालेज के काम पर पूरी तरह से रोशनी डाली गई है और मुझे यकीन है कि यहा और लोगों ने भी उसको उसी दिलचस्पी से मुना होगा। अवसर हम मुनते हैं कि रुपये की कमी की वजह से शिक्षा संस्थाओं के काम में रुकावट पड़ती है। किन्तु कठिनाइयों के बावजूद कुछ ही

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

संस्थायें इस प्रकार अपना काम करती रहती हैं जिस प्रकार यह संस्था करती रही है। मेरा अपना यह विचार है कि जो संस्था अपना काम अच्छी तरह से करती है उसे किसी न किसी तरह से रुपये मिल ही जाते हैं और मुझे आशा है कि इस संस्था की आशाये पूरी हो ही जायेंगी। आप को तो केवल यही करना है कि आप इसको उस सहायता की अधिकारिणी बनायें जिसकी कि इसे आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं उस को ध्यान में रखकर आप सहायता के पूरे अधिकारी हैं और मुझे यह आशा है कि उचित समय पर सरकार और दानशील लोग इसकी आवश्यक सहायता करने के लिये अग्रसर होंगे और उन कठिनाइयों को दूर कर देंगे जिन्हें आप आजकल महसूस कर रहे हैं। मैं यह जानता हू कि इस प्रकार की अन्य बहुत सी संस्थायें शिक्षा प्रदान करने के लिये इस देश में नहीं हैं। यदि देहली में कोई केन्द्रीय संस्था काम करती है तो यह स्वाभाविक ही है कि देश के अन्य भागों से भी खिचकर उसमें विद्यार्थी आयें और इसलिये यह संस्था केवल दिल्ली की ही स्थानीय संस्था नहीं समझी जा सकती। यद्यपि इस संस्था का सबध दिल्ली विश्व विद्यालय से है तथापि अपनी विशेषताओं के कारण इसका अपना पृथक महत्व भी है। उन्ही लोगों से ही नहीं जिनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं बल्कि अन्यो से भी सहायता पाने की यह अधिकारिणी है। इसलिये दानशील व्यक्तियों तथा सरकार से इस संस्था की सहायता करने की मैं सिफारिश करता हू जिसे यह उन अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके जो इससे लोगों की है। जिन लड़कियों को सफल होने के पश्चात् अभी डिप्लोमे मिले हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही साथ उनको कुछ उपदेश भी देता हूँ। वे कुछ विशिष्ट गौरव के साथ बाहर जा रही हैं, वे कुछ जिम्मेदारियों के साथ बाहर जा रही हैं। उन्हें अपने मन में यह बात सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये कि उन्हें अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने जीवन में उन आशाओं के अनुकूल चलना है जो उनके बारे में उन लोगों ने यनाई थी जो इस संस्था को चला रहे हैं और जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। उन्हें समाज को यह दिखा देना है कि वे अच्छे नागरिक हैं। और वे उनसे बेहतर नागरिक हैं जिन्हें इस संस्था में शिक्षा पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उनसे यह कहूंगा कि वे सर्वदा महसूस करती रहे कि उनकी जिम्मेदारियां भारी हैं। यदि वे इस आशा की पूर्ति करने में सफल होगी तो स्वभावतः इस विद्यालय में और भी अधिक विद्यार्थिनी आयेंगी और इस विद्यालय की साधारण जनता में और भी प्रशंसा होगी। अतः उनको केवल यहाँ की शिक्षा को ही मुफल सिद्ध नहीं करना है वरन् उन्हें उस काम को और उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को भी जो इस संस्था में की गई है अच्छा सिद्ध करना है। इन शब्दों के साथ मैं उनको फिर बधाई देता हूँ और आप सब को धन्यवाद देता हूँ।

### हिसार में नागरिक अभिनन्दन

हिसार म्युनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में  
ता० ३-३-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपैल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, भाइयों  
और बहनो,

आपने मानपत्र देकर जो मेरा आदर बढ़ाया है उसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देना  
चाहता हूँ। यह समय इस देश के लिये ही नहीं सारे मसार के लिये बहुत कठिन बीत रहा है



और इस वकत जितनी समस्याएँ खाम करके हमारे देश के सामने आ गयी हैं उनको एक एक करके अगर हम सुलझाना चाहें तो उसमें बहुत समय, परिश्रम, और त्याग की जरूरत होगी और जब सभी समस्याएँ एक साथ आ जाती हैं तो उनका सुलझाना और भी कठिन हो जाता है। अभी तीन वर्ष ही हुए हैं जब हमारे हाथ में अधिकार आये और जब से हम स्वतंत्र हुए तब से एक न एक विपत्ति आती ही गई है और यह वर्ष जो बीत रहा है उसमें तो इतनी मुमीवतें एक साथ आ गयी कि जिनका कोई ठिकाना नहीं।

पहले से ही अन्न का कष्ट भारत में था। ईश्वर की दया ने आपका सूबा एक ऐसा सूबा है जो डम कष्ट से एक तरह से बचा हुआ है और आपसे और सुबों को कुछ न कुछ महायता मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। डम तरह की आशा की जाती है। मगर भारे देश की स्थिति इस वकत बहुत ही कठिन है। कारण यह है कि शुरू में तो कहीं कहीं बहुत जमी हुई, वाद आई जिसकी वजह से फसल बर्बाद। उसके बाद सूखा पड़ गया जिसकी वजह से जो फसल खेतों में लगी हुई थी वह सूख कर मर गई। कहीं भूकम्प आया और आपके सूबे के कई हिस्सों में जहा से बड़ी आशा की गई थी अब टिड्डी दल आ गया है। हम सब विपत्तियों का एक एक करके मुकाबला कर रहे हैं। मगर तो भी ऐसी अवस्था हो गयी है कि सारे देश में अन्न की बहुत कमी हो गई है और उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर हो कर के कम अन्न बाटना पड़ रहा है। जहा पहले १० औंस प्रति आदमी को दिया जाता था वह अब घटाकर ९ औंस किया गया है। एक तो १२ औंस भी कम ही था मगर अब उसको घटाकर ९ औंस कर दिया गया है और एकाध जगहों में ६ औंस भी किया गया है। अब आप इस से समझ सकते हैं कि जब तक स्थिति ज्यादा खराब नहीं रहती गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना पड़ता। पर आशा की जाती है कि किसी न किसी तरह से इसमें हम निकलेगे और जो गणतंत्र में कमी हो गयी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। इसमें गन लोगों की महायता जरूरी है। गवर्नमेंट में जो कुछ हो सकता है कर रही है। और डम साल विदेशों से जिनना अन्न मगाने का इन्तजाम किया गया है उनना अन्न कभी विदेशों से इस देश में नहीं मंगाया गया। बात यह है कि गवर्नमेंट चाहे अपनी तरफ से जिनना भी प्रयत्न करे, अच्छे से अच्छा इन्तजाम करे पर जब विपत्ति का मुकाबला जनता करेगी तभी हम उसमें निकल सकेंगे। मैं जहा जहा जा रहा हू तो लोगों से यही कहता हू कि गवर्नमेंट अपनी ओर से सब कुछ कर रही है। हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में जो कुछ हो सकता है वे कर रही हैं। मगर तो भी विपत्ति का मुकाबला लोग अपनी हिम्मत और उत्साह से ही कर सकते हैं। मैं जानता हू कि जब कोई विपत्ति का समय आता है तब कितनी तेजी के साथ हमारे लोगों की बुद्धि चलती है और वे अपने को बचाने के लिये कितने तरह-तरे प्रयत्न किया करते हैं। हम चाहते हैं कि वही बुद्धि और परिश्रम लोगों के दिल में उठे जिसमें हम इस मुमीवत का मुकाबला कर सकें।

अपने अपने मानपत्र में भूकम्प का भी जिक्र किया है। वह भारी विपत्ति थी मगर उसमें सारे देश के लोगो ने मदद की थी क्योंकि वह विपत्ति एक जगह पर आयी। मगर उसमें एक चीज देखने को मिली थी जिसका जिक्र मैं कर देता हू। अभी इस बात की कोशिश हो रही है कि अधिक अन्न पैदा किया जाये। मैं भी सभी जगहों में जा रहा हूँ और लोगों से कह रहा हूँ कि क्या प्रयत्न

किये जा सकते हैं जिनके द्वारा लोग अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। उस वक्त जब भूकम्प हुआ तो बिहार के बहुत हिस्सों में पानी की कमी हो गई। आपणें यहाँ भी पानी की कमी है। बिहार में मामूली तौर से पानी की कमी नहीं है। मगर तालाब, कुएँ सब के सब भूकम्प होने के जो बालू निकला उस से भर गये और पानी का कण्ट होंने लगा। मैकडों मील तक तमाम खेत बालू ही बालू हो गये। ऐसा मालूम पड़ता था कि यहाँ रेगिस्तान हो जायेगा। हम लोग हमारे बारे में सोचने लगे कि रेगिस्तान हो जायेगा तो क्या किया जायेगा। कुछ लोगों ने सोचा कि बालू को नीचा कर दिया जाये और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दिया जाये तो अन्न पैदा होने लगेगा। बालू को हटाने का प्रयत्न किया गया। उस प्रयत्न से इतना कण्ट पड़ा कि हम लोगों ने सोचा कि मैकडों मील तक बालू हटाना संभव नहीं है। इसके अलावा बालू को जमा करने के लिए भी जगह नाहिंये और यदि जमा भी किया गया और फिर हवा के चलने से बालू खेतों में फैल गया तो साग परिश्रम और खर्च बेकार जायेगा। तो यह सवाल तो था ही। पर सब में बड़ी मुसीबत पानी की थी। इसी बीच में महात्माजी आये। उन्होंने सब जगहों को जाकर देखा। हमने सब सवाल उनके सामने रखे। यह सब हम लोग रिलीफ कमेटी की तरफ से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सब काम तुम लोग नहीं कर सकोगे। लोगों के जो मकान गिर गये हैं उनको भी तुम बना नहीं सकते। मकान के बगैर आदमी रह सकता है अन्न के बगैर भी कुछ दिनों तक रह सकता है मगर पानी के बिना कोई जिन्दा नहीं रह सकता। पानी का प्रबन्ध तुम कर सकते हो, उगें करो। हमने सोचा कि कुंए खोदे जायें। उस समय गवर्नमेंट हमारे हाथों में नहीं थी। गवर्नमेंट के माधन हमारे पास नहीं थे। जो कुछ हमारे पास था वह यही था कि लोगों का उत्साह था। हमने गाव गाव कुएँ खोदे। जैसे रिलीफ कमेटी की तरफ से आये और मिहनत गाव वालों को करनी थी। हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं था। मगर गाव के लोग कुंए खोदने का काम जानते हैं। डार्ड महीने के अन्दर लोगों ने ८००० कुएँ गावों में तैयार कर लिये और २०—२२ हजार कुएँ और तालाब लोगों ने साफ़ कर लिये। हमने देखा कि उत्साह से काम लोगों ने किया और डार्ड महीने के अन्दर पानी का कण्ट खतम हो गया। वे कुएँ आज भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काम हुआ उनके पास इंजीनियर भी थे, जैसे भी काफी थे। उनके सलाहकारों ने मधवरा दिया कि सभी जगहों में पम्प लगवा दे। न मालूम कितने हजार रुपये खर्च करके पम्प लगवाये गये। मगर उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों बाद पम्प बिगड गये और उनकी गरम्मान नहीं हो सकी और पानी का कण्ट फिर शुरू हो गया। मगर हमने जो कुएँ बनवाये थे उस वक्त तक बनकर तैयार हो गये और पानी देने लगे। तो हमने उस का जिक्र इसलिये किया है कि इस वक्त जो अन्न का कण्ट है उसका मुकाबला लोग अपनी हिम्मत से करे तो ज्यादा धूँसी से कर सकते हैं और ज्यादा तेज़ी के साथ अपने को मुसीबत से बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के सभी लोगों के दिलों में वही उत्साह पैदा हो जाये और उसी तरह से काम करे जिसमें मुसीबत का आत्माणी से मुकाबला कर सके और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग उत्साह में काम करेंगे तो मुसीबत पर काबू पा जायेंगे।

आपने जो मानपत्र दिया है उसमें कई बातों का जिक्र है। उसमें आपने काश्मीर का भी जिक्र किया है। काश्मीर का मामला आप जानते हैं फिर से एक तरह से पेश हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो राय दी है उसे भी आपने देखा है। चाहे काश्मीर का मामला हो, चाहे कोई भी

मामला हो, गवर्नमेंट को हर तरह से जनता की मदद मिले। क्योंकि तभी उसमें शक्ति आयेगी और दुनिया के सामने तभी वह हिम्मत के साथ किसी चीज को रख सकेगी और तभी उस की कद्र भी होगी।

आज हिन्दुस्तान आजाद हो गया है। लेकिन हिन्दुस्तान की गरीबी वैसी ही है। जो जो हमारी कमियां हं वे पूरी नहीं हुई हैं। हमारे हाथ में अधिकार आ गये हैं मगर जो कुछ हम करना चाहते हैं वह कर नहीं पाये हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर सरकार के हाथों में ताकत दे और उसको हम इस योग्य बनावें ताकि हमारी ख्वाहिशों को वह पूरा कर सके। यह काम हमारा है। मैं उम्मीद करता हू कि जिस तरह आप अपने को हिन्दुस्तान का हिस्सा बना सकते थे—हिस्सा के माने किला होता है—आपने जिस तरह से अपने को उसका किला बनाकर रक्खा है आइन्दा भी आप उसी तरह से उसकी रक्षा करते रहेंगे और उसी हिम्मत और बहादुरी के साथ करेंगे जिस बहादुरी के साथ अब तक आपने किया है। इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि देश के लोग आपका साथ देंगे। आज मुल्क स्वतंत्र है और हजार कठिनाइयों के रहते हुए भी उसको सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है। हम आशा रखते हैं कि आप इस बात का खयाल करेंगे कि सारा हिन्दुस्तान हमारा है और हिन्दुस्तान के लिये हम में से प्रत्येक को वह सब कुछ करना है जो लोग आपस में कर सकते हैं। आज देश को सेवा की जरूरत है। जिस वक्त हम ब्रिटिश से लड़ रहे थे उस वक्त जितने त्याग और सेवा की जरूरत थी उससे अधिक आज जरूरत है और मुझे आशा है कि लोग वह सेवा करेंगे। तभी हम भारत को जैसा चाहते हैं वैसा मुन्दर, समृद्ध और खुशहाल बना सकेंगे। हम सबको ईश्वर बल दे कि देश की हम सेवा कर सकें।

आप सब भाइयों और बहिनो का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हू।

### आल इण्डिया कैटिल शो

ता० ३ मार्च, १९५१ को ५-३० बजे शाम में आल इण्डिया कैटिल शो, हिसार में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम गवर्नर साहब, प्रधानमन्त्री जी, सर दातारसिंह, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां आ सका और जो नुमायश यहां जानवरो की की गई है उन में जिन लोगों को इनाम मिला है उन्हें इनाम वाट सका।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में सब से बड़ी समस्या खेती की है और खेती के काम के लिये निहायत जरूरी है कि हमारे यहां अच्छे बेल और अच्छे साड पैदा हों। खाने के लिये अन्न उतना ही जरूरी है जितना किसी शकल में गाय और भैंस का दूध, घी, मक्खन इत्यादि जो कुछ भी हम उस से बना सकते हों। इसलिये इस समय जिस तरह इस बात की कोशिश की जा रही है कि अधिक अन्न पैदा करे उसी तरह यह भी जरूरी है कि अन्न के साथ साथ हम दूध भी पैदा करें। हिन्दुस्तान में कहा जाता है कि और मुल्कों के मुकाबले में सब से ज्यादा जानवर

हैं और उन की तादाद बढ़ती ही जा रही है मगर साथ ही हमारी बदकिस्मती यह है कि तादाद में अधिक होने पर भी हमारे लोगों को खाने के लिये दूध कम मिलता है। अगर थोड़ी ही दूध की मात्रा लोगों के लिये बढ़ाई जाये तो हमारे सामने बड़ी समस्या यह आ जाती है कि हम और ज्यादा जानवरों को यहाँ रख सकते हैं या नहीं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि आज हम को मौका है कि जो जानवर हमारे पास हैं उन की नसल हम इस तरह से सुधारे जिस में आज जो गाय थोड़ा दूध देती है जो भैंस आज थोड़ा दूध देती है वह हम को अधिक दूध दे सके। और खेती की तगवकी के लिये बैलों की भी जरूरत है ही। आजकल के जमाने में और मुत्कों में खेती का काम कल पुर्जों के जरिये से होता है। हमारे मुत्क में खेतों की तादाद इतनी ज्यादा है और खेत आपस में बटवारे की वजह से इतने छोटे हो गये हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी से उन खेतों में काम नहीं हो सकता है और उस के अलावे और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस की वजह से जितनी दूर तक हम देख सकते हैं हमें यह ही दिवाई देना है कि हम को बैलों पर ही भरोसा करना होगा। इसलिये हम को इस तरह की गायों की जरूरत है कि जो ज्यादा दूध दे सकें और साथ ही अच्छे बैल भी दे सकें। कुछ ऐसी नसलें हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं मगर उन के बछड़े इतने काम के नहीं होते। कुछ दूसरी नसलें होती हैं जिन के बछड़े अच्छे होते हैं मगर दूध उन का नहीं के बराबर होता है। हम को जरूरत इस चीज की है कि हम को दूध भी मिले और अच्छे बछड़े भी मिले और आजकल इस चीज की जरूरत है कि हम इस तरह की नसल को बढ़ावे जिस में हमारे दोनों काम चले और इस बात की कोशिश भी हो रही है। अभी आप के सामने जिन लोगों को इनाम दिये गये हैं, आप ने देखा कि वे कितनी तरह के जानवर पाल सके हैं और तैयार कर सके हैं और हर तरह के जानवर भी आप की आंखों के सामने गुजरे हैं और उन में आप ने देखा कि बहुत दूध देने वाली गायें भी थी, भैंसे भी थी ऐसी गायें भी थी जो शायद दूध अधिक नहीं देती लेकिन उनके बछड़े अच्छे होते हैं ऐसी गायें भी आप के सामने से गुजरी जिन के बछड़े भी अच्छे होते हैं और जो दूध भी अच्छा देती है। हम में से हर आदमी जब तक इस चीज को पूरा नहीं करेगा तब तक जैसा हम चाहते हैं दूध की कमी को हम दूर नहीं कर सकेंगे। बहुत जमाना बीता नहीं है जब इस देश के अन्दर दूध की कमी नहीं हुआ करती थी। मगर आज ऐसा जमाना आ गया है कि आज हमारे लोग दूध और अन्न दोनों की कमी महसूस करते हैं और हमारे सामने सब से बड़ा सवाल यही है कि अगर हमें अपने को जिन्दा रखना है तो किस तरह से अन्न और दूध की पैदावार बढ़ायें। इसलिये इस तरह की नुमाइश की जरूरत होती है। मैं इस चीज को भी जरूरी समझता हू कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कैटल फार्म खुले हैं और जहाँ जहाँ हमारे लोगों ने खानगी नीर पर गायें पाल रक्खी हैं वे इस बात पर ध्यान दें। इस मुत्क के अन्दर एक दो नहीं हज़ारों गौशालायें लोगों ने दान दे कर कायम की हैं और उन गौशालाओं की करोड़ों रुपये की आमदनी है और वे खर्च कर रही हैं। मगर यह कहना पड़ेगा कि उन गौशालाओं के कायम करने में लोगों ने दयाभावना से अधिक काम लिया है, बुद्धि से काम नहीं लिया है

और यह जरूरी है कि दया के साथ बुद्धि से भी काम लिया जाये और जब हम बुद्धि से काम लेंगे तभी हमारी दया भी अधिक कारगर हो सकेगी और लोगों को भी अधिक लाभ पहुंच सकेगा ।

जब मैं फूड मिनिस्ट्री में था तो सर दातारसिंह की तरफ से इस बात की कोशिश की गई कि देश भर की गौशालाओं को हम इस तरह से मिला दे कि अगर उन का प्रबन्ध करना हो तो एक जगह से जो रास्ता बतलाया जाय वह उन सब को पता चले । उन को मदद भी दी जाये और मैं समझता हू कि वह काम कुछ हद तक चला और अभी भी चल रहा है । उस में मैं ने देखा कि जो लोग इतना खर्च कर के इतने प्रेम और उत्साह के साथ गौ सेवा कर रहे हैं उन को ठीक बतलाया जाये कि किस तरह से वे गायों की अधिक सेवा कर सकते हैं तो उन को समझने में देर नहीं लगेगी । उन को बतलाना जरूरी है और उन को बतलाना यही है कि वे केवल बूढ़ी, लूली, लगडी और खराब गायों को जमा कर के उन को खिलते हैं और सिर्फ खिलते ही हैं, उन से कोई लाभ नहीं उठाते । अगर वे नये विचार से, नये तरीके से, काम करे तो खराब नस्ल पैदा ही न हो और हम को दूध भी मिलेगा और अच्छे बछड़े भी मिलेंगे । गौशालाओं के सामने यह आदर्श होना चाहिये, वे अच्छी से अच्छी गायें भी रखें और वे रखना चाहे तो रख सकती हैं और उन से अच्छा दूध और अच्छे बछड़े पैदा करें और जो कमजोर, अपाहिज, लूली, लगडी गायें हैं उन को भी इस तरह से रखें कि वे खराब नस्ल के साड से न लगे, उन को साड से लगने ही नहीं दे और वे अपने दिन गुजर कर के चली जायें । हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ लोगों का पैना भी खयाल होता है और यह विचार आजकल के नये विचार वालों का होता है कि यहा इतने जानवर रहेंगे तब तक न तो उन की नस्ल का सुधार हो सकता है और न उन से उतना लाभ उठाया जा सकता है जितना उठाना चाहिये और जब से अन्न का कष्ट लोगों का बढ़ गया है तब से यह विचार सामने आने लगा है । आखिर जमीन वे तादाद नहीं है, जमीन सीमित है । उन में लोगों को अन्न पैदा करना है और जानवरों को खिलाना है । अब सवाल हमारे सामने यही है कि जानवरों को खिलायें या आदमी को खिलायें । आदमी अपने पक्ष में फैसला करता है कि आदमी को खिलाना है । मैं यह मानता हू कि इतनी निराशा का कोई कारण नहीं है । ठीक तरह से प्रबन्ध करें तो हम जानवरों को भी खिला सकते हैं और आदमी को भी खिला सकते हैं । इसलिये मेरा अपना विचार रहा है जिस को मैं ने उस वक़्त भी जब मैं फूड मिनिस्टर था व्यक्त किया था और आज भी करना चाहता हू, और वह यही है कि हमारी गायों और भैंसों का जो दूध होता है, उन के जो बछड़े पैदा होते हैं उन से और उन के मरने के बाद उन के चमड़े, चर्बी, हड्डी, मज्जा से जो कुछ हम फ़ायदा निकाल सके निकालें और उस से इतना पैदा करना चाहिये कि जिस में एक गाय दूसरी कम से कम बूढ़ी गाय का पालन करने के लिये पूरी आमदनी हम को दे दे । घर में एक आदमी रहता है तो वह खेती कर के, नौकरी कर के या किसी तरह से भी हो उतने पैसे पैदा करता है कि उस के लिये भी काफी हो जाता है और अपने मा बाप के लिये भी उस को पैदा करना पड़ता है जो छोटे बच्चे होते हैं उन के लिये भी उस को पैदा करना पड़ता है,

उन को भी उसे खिलाना पड़ता है । मैं मानता हूँ कि जिस तरह से एक खानदान में एक आदमी पैदा कर के सब को खिलाता है उसी तरह से एक अच्छी गाय को भी अपने ही लिये नहीं, अपनी बूढ़ी माँ और बाप के लिये भी और अपने बच्चों के लिये भी पैदा करना चाहिये जिस में वह उन को भी पाल सके । इस में सब से अच्छा नमूना हमारी गौशालाएं पेश कर सकती हैं । उन के पास ऐसी बूढ़ी, अपाहिज गाएँ भी रहती ही हैं, उन के पास अच्छी गायें भी हो सकती हैं और उन के पास पैसे भी होते हैं इसलिये अगर वे इस बात का प्रयोग कर दिखलावे कि किस तरह से उन की अच्छी गायें अपने लिये भी और अपाहिज गायों के लिये भी काफ़ी पैदा कर सकती हैं तो उस से देश को लाभ होगा और मैं चाहता हूँ कि गौशालाएं इस तरह से अपनी उन्नति करे और देश के सामने यह नमूना पेश करे । जो किसान लोग हैं, जिन को अपने लिये अन्न भी पैदा करना पड़ता है और अपने लिये दूध भी पैदा करना पड़ता है उन से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इस तरह के प्रयोग करके हम को नतीजा दिखलावे । प्रयोग का काम तो गौशालाएं ही कर सकती हैं या गवर्नमेन्ट अथवा दूसरे लोगों द्वारा कायम किये हुए फार्म कर सकते हैं और उन को यह दिखलाना चाहिये । वे इस तरह की नस्ल पैदा करे जिस से हमारे दोनों काम पूरे हो सके और इस तरह से पूरे हों कि जो बूढ़ी गायें हैं उन को मारने की भी जरूरत न पड़े और उन को जिन्दा भी हम रहने दें और उन को कायम रख सकें । हिन्दुस्तान में गायों के लिये इस तरह की धार्मिक भावना है कि उन को मारना लोग पमन्द नहीं करते और इस चीज को वे वर्दाश्त नहीं कर सकते । इस लिये यह जो बहादुरी की सलाह कभी कभी दी जाती है कि जितने खराब जानवर हैं उन को कत्ल कर दिया जाये मैं समझता हूँ इस में बहादुरी ज्यादा है बुद्धि नहीं है और यदि हम इस काम को करना चाहेंगे तो मुधार तो नहीं होगा और हम अपने खिलाफ एक बड़ी जमात को पैदा कर लेंगे जो हमारा विरोध करेगी । मैं मानता हूँ कि जितनी खराब नस्ल की गायें हैं उन को अलग कर के रख दिया जाये और जो खराब नस्ल के साड हैं उन को बधिया कर दिया जाये तो यह काम १०-१५ साल के अन्दर पूरा हो सकेगा और खराब नस्ल बिना किसी जानवर को मारे खत्म हो सकती है । हम चाहते हैं कि इस तरह का काम शुरू किया जाये । जो खराब नस्ल के जानवर हैं आखिर वे कितने दिनों तक जिन्दा रहेंगे । मामूली तौर से गाय बैल की जिन्दगी १५-१६ साल की होती है । अगर पूरी योजना बना कर यह काम किया जाये तो यह काम ऐसा नहीं है कि असम्भव हो । मैं चाहता हूँ कि यह काम किया जाये । मगर सब से जरूरी चीज तो यह है कि जो अच्छी नस्ल मौजूद है उस को भी बचाया जाये और आप के जिले की यह अच्छी नस्ल मशहूर है । आप की हरियाणा गाय दोनों कामों को पूरा करती है, अच्छे बैल भी देती हैं और दूध भी देती है । इस नस्ल को कायम रखना जरूरी है । चूँकि यह नस्ल अच्छी है इस नस्ल पर हर तरह के लोगों की आंख जाती है और सिर्फ इस सूत्र में नहीं हर सूत्र में यहाँ की गाय जाती हैं । गायें जायें और वहाँ उन को कायम रख सकें तो कोई हर्ज नहीं । मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गायें बाहर जाती हैं वे अपनी नस्ल कायम नहीं रख सकती हैं । कुछ तो दूसरी जगह की आब हवा का असर पड़ता है जिस से उन की नस्ल कायम नहीं रह सकती । कुछ खुराक

का भी असर पड़ता है । लेकिन इस के अलावा जो देश का सब से बड़ा नुकसानदेह काम होता है वह यह है । आप के यहां से कलकत्ता, बम्बई में जो लोग दूध का व्यवसाय करते हैं गायें ले जाते हैं । गाय पर उन के जितने पैसे लगते हैं उस से बहुत मुनाफ़ा एक ही बियान में दूध से हो जाता है और जब गाय विमुख जाती है और वियान पर जो दूध देगी इस बीच जो उस के खिलाने पर खर्च होगा उस को वे वर्दाश्त नहीं करना चाहते और उस का नतीजा यह होता है कि अच्छी से अच्छी गायें जो यहां से जाती हैं एक बियान के दूध देने के बाद ही कल्लखाने में भेज दी जाती हैं क्योंकि इस किस्म के व्यापार में लगे लोगों को इस तरह की गाय को जिन्दा रखने के वनिस्वत बेच देने में ही अधिक लाभ होता है । इस तरह हरियाने की नस्ल खत्म हो रही है । मैं समझता हूँ कि इस से सारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि गायें जो ४-५ बछड़े दे सकती थीं वे खत्म हो जाती हैं, जो दूध उन से मिलता उस से देश को वंचित होना पड़ता है और वह नस्ल एक तरह से कम होती जा रही है । इस पर हमारे जितने गाँ सेवक हैं उन का ध्यान जाता है और वे उस बात पर जोर लगाते हैं कि कम से कम इस चीज़ को रोका जाये । मैं चाहता हूँ कि अधिकारी लोग भी इस बात पर ध्यान दें और सोचें कि उन की रक्षा किस तरह से की जाये । अफसोस की बात यह है कि जब गौरक्षा की बात उठती है तो लोग धार्मिक भावना के साथ सोचने लग जाते हैं । मगर धार्मिक भावना छोड़नी चाहिये । आज केवल विवेक बुद्धि से हम को काम करना चाहिये । आज अगर आर्थिक खयाल से अन्न और खाने के खयाल में भी देखा जाये तो मैं समझता हूँ कि हमारी गायें जो अच्छी नस्ल की हैं और जो अच्छे बछड़े दे सकती हैं उन के कल्ल से देश के लोगों को नुकसान ही नुकसान है । इस लिये इस काम में जिन से जो मदद हो सके उन को करनी चाहिये जिस में जो अच्छी नस्ल है वह कायम रह सके । इस से खेती के काम में भी तरक्की होगी और लोगों के स्वास्थ्य में भी तरक्की होगी । इस लिये मैं चाहता हूँ कि लोग उनको बचायें और जिन गायों की तरक्की कर सकते हैं उनकी तरक्की करें ।

यहां अच्छे अच्छे जानवर देखने में आये इस में मुझे बड़ी खुशी हुई । यह सुन कर मुझे खुशी हुई कि जब जब नुमायश होती है तो हर साल यह पाया जाता है कि जानवरों की नस्ल सुधर रही है । जो गत साल जानवर आये उस से बेहतर इस साल आये और इस साल के जानवरों से आगे साल बेहतर आयेगे । यह खुशी की बात है । मैं चाहता हूँ कि उन की दिन प्रति दिन तरक्की हो । मैं चाहता हूँ जो इस काम में मदद करते हैं उन को प्रोत्साहन दिया जाये । इस नुमायश से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इस से मुझे बड़ी खुशी है । मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाराजा प्रतापसिंह जी ने अपनी गौशाला की नुमायश कर दी क्योंकि बहुत इनाम तो वे अकेले ले गये । इस में एक आदमी ही नहीं बहुतेरों को उन से मुकाबला करना चाहिये । और महाराजा प्रतापसिंह जी की जगह बहुतेरे ऐसे आदमी होने चाहिये जो इस नमूने को पेश करें कि लोग खानगी तौर से किस तरह से गायों को बैलों को और घोड़ों को भी सुधार सकते हैं । यह नमूना हमारे सामने है जिस में खानगी तौर से काम हुआ है । गवर्नमेन्ट के जो फ़ार्म हैं उन का काम तो

है ही और वे काम भी कर रहे हैं। और लोगों को भी करना चाहिये। मैं आशा रखता हूँ कि आपकी नुमायश से सब को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बड़ा अच्छा आप ने किया है कि अलग अलग सूबों में आप इस तरह की नुमायश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पैसे की वजह से इस काम में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो अच्छा काम होता है उस में पैसे की दिक्कत नहीं होती है और आप का काम अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पैसे की वजह से आप को काम कम नहीं करना होगा। लोगों को उत्साह है ही, उस को और बढ़ाना है। कोई मुद्दत रख दी जाये, ५, ७ या १० साल की कोई भी मुद्दत हो और उस के बाद मुल्क के लोगों को आदमी पीछे आधा सेर भी दूध हम रोजाना दे सकें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा। मालूम नहीं इस में आप कहा तक सफल होंगे। आज कल दिक्कत यह होती है कि योजना बड़ी बन जाती है, जिम पर बड़ा खर्च करना पड़ता है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि योजना पूरी नहीं होती। न नौ मन तेल होता है और न राधा नाचती है। हम तो यह चाहते हैं कि छोटी छोटी योजना हो, छोटे पैमानों पर काम किया जाये, जिसमें मामूली लोग भी योगदान दे सकें। और यदि इस तरीके से काम किया जायेगा, एक आदमी का जो बोझ होता है उसे १० आदमियों में बांट दिया जायेगा तो काम सहल हो जायेगा। १०० आदमी की लाठी एक आदमी का बोझ हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से अपनी अपनी लाठी ले कर काम करता है और उस की लाठी किसी का बोझ नहीं होती उसी तरह से जो कोई बड़ा काम हो उस को भी लोग एक एक कर के कर सकते हैं।

अभी ऐंग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने उन तीन आदमियों को जिन्होंने सब से अधिक अन्न पैदा किया है इनाम दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस ने सब से अधिक गेहूँ एक एकड़ में पैदा किया, जिस ने सब से अधिक धान पैदा किया, और जिस ने सब से अधिक आलू पैदा किया उन को इनाम बांटा गया। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के इनाम गोपालन के लिये दिये जायें जिस में लोगों को प्रोत्साहन मिले। जो बड़ी योजना हमारे काम में नहीं आ सकती है उस को छोटे छोटे पैमाने पर कर के दिखलाना चाहिये। हमारे देश की वृद्धि ऐसी ही रही है कि बड़ी से बड़ी चीज को लोग छोटे तरीके से कर लिया करते थे और आज भी उसी तरीके से एक तरफ तो भाखरा जैसा बड़ा बाध बंधवाना है और दूसरी तरफ छोटे छोटे कुएं का भी काम करना है। तभी देश की भलाई हो सकती है।

मैं उन सब भाइयों को जिन को अभी इनाम मिला है बधाई देना चाहता हूँ और ऐंग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को खास कर के इस वजह से बधाई देता हूँ कि उसी ने यह सब किया है। मैं आशा करता हूँ कि यह काम दिन प्रति दिन बढ़ेगा।



## अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन

अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—  
बहनों और भाइयो,

कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उस को उस देश में इतनी विभिन्नताएँ देखने में आयेंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष कर के ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल विभिन्न हैं। प्राकृतिक विभिन्नताएँ भी इतनी और इतने प्रकारों की और इतनी गहरी नजर आयेंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अन्दर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बरफों से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़ कर फिर विन्ध्या अरावली, सातपुरा, सह्याद्रि, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आयेंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इस प्रकार की विभिन्नताएँ देखने को मिलेगी। हिमालय की सर्दियों के साथ साथ जो माल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों में और आग से छुटकारा नहीं देती समतल प्रान्तों की गरमियों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, जिस में कभी सर्दी होती है, और न गरमी, देखने को मिलेगा। अगर आनाम की पहाड़ियों में वर्ष में तीन सौ इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ माल में दो चार इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐमा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। कोई ऐमा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कोई ऐमा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो और न कोई ऐमा वृक्ष अथवा जानवर जो यहाँ के फँले हुए जगलों में न मिले। यदि इस सिद्धान्त को देखना हो कि आब हवा का अमर इन्सान के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, और शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उस का जीता जागता सूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएँ भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती भी नहीं क्यों कि यहाँ एक कहावत मशहूर है कि :

कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी

भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाये जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती नहीं उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के सम्प्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देख कर अगर अपरिचित आदमी घबड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है तो इस में आश्चर्य की बात नहीं क्यों कि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आयेंगी। पर विचार कर के देखा जाये तो इन विभिन्नताओं

की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुन्दर समूह बना देती है जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार के और विभिन्न रंग की सुन्दर मणियों अथवा फूलों को पिरो कर एक सुन्दर हार तैयार कर देता है जिस की प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है और केवल अपनी ही सुन्दरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुन्दरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और उसी तरह अपनी सुन्दरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारे बरसों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों का और प्रवाहों का संगमस्थल बन कर एक प्रकाण्ड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है जिसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इन की धारायें भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं पर सबों में एक ही शुद्ध सुन्दर स्वस्थ शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक हो जाता है।

आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में यहां इकट्ठे हुए हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इन को वह अमरत्व देना रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बरदाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गये हैं कि :

बाकी मगर है अब तक नामों निशां हमारा,  
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,  
सदियों रहा है दुरमन दौरे जमा हमारा,

यह एक नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत है जो अनन्त काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप हो कर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हम ने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिम ने अमरत्व की याद दिला कर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नये प्राण फूके और मुझिये हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिये नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना कर चुके हैं जिस का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता, जिस में वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सांख्यिक और सामाजिक एकता। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का अभाम होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष सभी दूर हो सकता है जब सब के विकास के लिये आहसा करें। हमारी सारी

संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धान्तों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उन में मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ जो बहुत कर के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओत प्रोत है। इस लिये हम ने भिन्न भिन्न विचार धाराओं को स्वच्छन्दतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया भिन्न भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों को स्वतन्त्रतापूर्वक पनपने और पसरने दिया; भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया; भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया; भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उन में मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर धर और सम्पत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया उन के हृदयों को जीता। और इसी वजह से वह प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंश में कायम है जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गये हैं और भूलते जा रहे हैं।

हमारे सामने आज जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि हमारी यह ऐतिहासिक नैतिक चेतना जो हमारे जन जीवन की आज तक प्रधान संचालक रही है वह आज की परिस्थितियों में हमारे लिये लाभदायक है या नहीं। इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे देश में इस बारे में दो विचार धारायें हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वर्तमान उद्योग प्रधान युग में उस नैतिक चेतना का कोई विशेष मूल्य नहीं जो मनुष्य को अहिंसा और सेवा और त्याग का पाठ पढ़ाती हो। कहा जाता है कि वर्तमान प्रतियोगात्मक आर्थिक व्यवस्था में तो स्वार्थ साधना की तीव्र भावना, दूसरों को एक तरफ टेल कर अपने को आगे बढ़ाने की अदम्य लालसा, इत्यादि इत्यादि गुणों की अत्यन्त आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों पूर्व इसी प्रकार के आचरण को हमारे शासक लोग अधिक पसन्द करते थे। औद्योगिक युग की इस उदृण्ड अहं भावना के मुकाबले में अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना के विनम्रता और विनय के आदर्श को हमें तौलना है और यह तय करना है कि हम अपनी उस ऐतिहासिक नैतिक चेतना को भारत के नवनिर्माण की प्रधान प्रेरक शक्ति बनायेगे अथवा वर्तमान काल के पाश्चात्य सभ्यता के उदृण्ड अहमत्व को।

यहां यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि इस उदृण्ड अहमत्व को महत्व देने का ही अनिवार्य परिणाम यह है कि पाश्चात्य देशों में एक ओर तो श्रेणी संघर्ष के सिद्धान्त का जन्म हुआ है और दूसरे ओर द्वयद्वीन आर्थिक और राजनैतिक शोषण और साम्राज्यवादिता का।

इस आदर्श के फलस्वरूप ही मनुष्य की कीमत मशीन के पुर्जों से अधिक नहीं रह गई है और मानव जीवन में भी मत्स्य न्याय का बोलबाला हो रहा है। हमें यह तय करना है कि सांस्कृतिक और सभ्यता की प्रगति का अनिवार्य मार्ग यह मत्स्य न्याय ही है अथवा वैसी प्रगति उस नैतिक चेतना के आधार पर भी हो सकती है जो भारत के मनीषियों ने यहां के नर नारियों के सामने रखी थी। पाश्चात्य देशों में पिछली शताब्दियों में विज्ञान ने जो प्रगति की है और उद्योग धन्धों में जो अभूतपूर्व विकास किया है हम जाने को और इस देश को यदि उस से अलग भी रखना चाहे तो नहीं रख सकते और अलग रखना भी न तो जरूरी है और न वांछनीय। हमें देखना यह है कि उस क उद्गड़ परिणामों से अपने को सुरक्षित रख कर हम उन का उपयोग अपनी रीति से किम तरह कर सकते हैं अर्थात् उन को अपनी संस्कृति के अनुकूल किस तरह बना सकते हैं।

इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारे लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्यवाद और मिटे, विभिन्न सम्प्रदायों का उत्थान हुआ और पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रान्त और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेकों बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिये पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही, और हमारी जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो ससार के इतिहास के किसी युग में अत्यन्त उच्च आमन के अधिकारी होते। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रान्तिकारी, रवीन्द्र ठाकुर जैसे मनीषी कवि को और अरविन्द और रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किये जिनका सिक्का ससार मानना है। जिन हालातों में पड़ कर ससार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं उनमें हमने केवल जीवित ही रहे वरन् अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाये रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों में भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्यापक है। जो जातियां मिट गईं उनका सामूहिक चेतना जाति या प्रदेश या भाषा विशेष के पिजड़े का पछी थी। हो सकता है कि वह पिजड़ा सोने का बड़ा सुन्दर पिजड़ा रहा हो किन्तु था तो पिजड़ा और उसने अनजाने ही उस जाति की चेतना को इतना दुर्बल बना दिया कि पिजड़े के बदलने या टूटने पर वह पछी सर्वथा अमहाय और निर्जीव हो गया। किन्तु हमारी सामूहिक चेतना, हमारी संस्कृति ने तो देश, जाति और भाषा को अपना बधन कभी माना नहीं। जैसा मैं कह चुका हूँ ये सब तो उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न मार्ग और साधन अवश्य रहे हैं किन्तु उसकी सीमा कदापि नहीं। इस के विपरीत हमारी सामूहिक चेतना तो उन्हीं सूत्रों से बनी है जिनसे मानवता बननी है। यह ठीक है कि हम उसको अपने जीवन के प्रत्येक पहलू और स्वरूप में अपना नहीं पाये हैं। और हमारे पतन का भी कारण बहुत कुछ यही था कि हम इसे अपने दिन रात की जीवनज्योति न बना सके।

दूसरी बात जो इस बारे में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के मूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और सम्प्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जानियाँ आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उन में और सज तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन मय में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से वापू ने जन साधारण को बुद्धि जीवियों के नेतृत्व में क्रान्ति करने के लिये तत्पर करने के लिये इसी नैतिक चेतना का महारा लिया था। अहिंसा सेवा त्याग की बातों से जन साधारण का हृदय इसी लिये आन्दोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा था। जन साधारण के हृदय में उन की धड़कती चेतना को क्रान्ति की शक्ति बनाने में ही वापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उन की सफलता थी। जब साम्प्रदायिक उत्तेजना से जन साधारण के कुछ अश का हृदय पागल हो गया था उस समय भी वापू इसी नैतिक चेतना के सहारे उस पर बिहार और दिल्ली में काबू पा सके थे। वर्तमान गतिमान युग में उस नैतिक चेतना में क्या कोई परिवर्तन करना चाहिये जो वह आज के लिये पूर्ण तथा उपयुक्त हो जाये। यह बात आप लोगों के लिये सोचने की है किन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ उस का आधार वर्तमान गतिमान सभ्यता के अनुकूल ही है। आज की औद्योगिक सभ्यता देश या जाति या भाषा पर ठहरी हुई किन्हीं दीवारों को सहन नहीं कर सकती क्योंकि वे उस की प्रगति में बाधक हैं। वह तो केवल मानवता के ही आधार पर ठहरना चाहती है। पाश्चात्य देशों में जो आज संघर्ष का वातावरण है वह मेरी समझ में इसी कारण से है कि अपनी पुरानी विचार परम्परा के अनुसार वह लोग इस प्रकार की दीवारों को बनाये रखना चाहते हैं जब कि उन की औद्योगिक सभ्यता उन के अन्दर शान्त रह कर प्रगति नहीं कर सकती। दीवारें टूटनी हैं और उनके टूटने के बाद ही इस औद्योगिक सभ्यता की धार अबाध किन्तु शान्त रूप से बह सकेगी। हमारी संस्कृति ने तो उन दीवारों को कभी महत्व दिया ही न था। अतः मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन मय अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी जिन के टांग आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिये। अर्थात् उस के पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न हो कर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिये। और हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित हो कर करने चाहियें। वैयक्तिक स्वार्थी और स्वत्वो पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिये और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिये। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उस का बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में त्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। एक छोटे उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिस का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह गुण पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगा कर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सब का सामूहिक उपार्जन मान लीजिये कि एक रकम होती है जिस से अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि

उस को अपने सुख के लिये अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिये और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में । और सामूहिक सम्पत्ति दोनों स्थितियों में बराबर ही होगी और उस का बराबर वटवारा कर दिया जाये तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा । पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर यह पड जायेगा कि पहिली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं क्योंकि कोई केवल अपने लिये कुछ नहीं कर रहा है और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिये ही कर रहा है । हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहिली स्थिति में हम अपने को लायें और यदि संसार का संघर्ष मिटना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा । जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो वर्तमान रहेगा ही । जब संघर्ष रहेगा तो जो अद्भुत और अनुल शक्ति विज्ञान आज मनुष्य के हाथों में दे रहा है उस का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा । इस लिये हमें उस भावना को जाग्रत रखना है और उसे जाग्रत रखने के लिये कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाये रखे । नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिये हितकर नहीं होती । वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है । वही उसे उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उस के उपयोग को भी नियन्त्रित ।

वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुन्दर और आनन्दप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाये । मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं । क्या इस बारे में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक सस्यायें उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात् देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करे । मुझे विद्वाम है कि कम से कम जहा तक उत्तर की भाषाओं का सम्बन्ध है यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जायेगा ।

दूसरी बात है ऐसी गस्था की स्थापना की जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का मिलमिला अनुवाद द्वारा आरम्भ करे । यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मासकृतिक सगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी । साथ ही वह सगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा । साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है । उस के दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तु निर्माण, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं । भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है । आप की यह संस्था उसे और भी बल और स्फूर्ति देगी ।

इन सब विषयों पर आप को इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात् खुदवा दी थी। उस ने गर्व के साथ खुदवा दिया था कि :

गर फिरदौस बर रूप जमीनस्त,  
हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त

यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमण्डल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। इस हाल में वह प्रतिज्ञा आज भी प्रतिध्वनित हो रही है। आप यहां समवेत हुए हैं और उस प्रतिज्ञा के प्रति आप बहरे नहीं बन सकते। आप को अपना सारा कार्य उसी गूजती हुई प्रतध्वनि में बैठ कर करना है। मुझे भरोसा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का वह आदर्श आप की सारी कार्यवाही को आलोकित करता रहेगा।

### दस्तकारी प्रदर्शनी

लाजपतनगर में पुनर्वास मंत्रालय के नारी विभाग द्वारा की गई दस्तकारी प्रदर्शनी में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

माननीय मंत्रीजी, श्री मोहिनीजी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके इस जलमे में एक साल के बाद शरीक हो सका। जब पिछले साल में इसी तरह के जलमे में शरीक हुआ था उस वक्त जो कुछ मैंने यहां देखा था आज उन्ही चीजों को एक बड़े पैमाने पर और ज्यादा बेहतर तरीके से देखकर मेरी खुशी और भी बढ़ गयी है।

यह काम उन स्त्रियों में हो रहा है जो परेशान होकर दूर दूर से यहां आ पहुंची हैं और उनमें से बहुतेरी ऐसी हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए यह काम बहुत बड़ा है। इसके जरिये से आप यह बात सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जिनको लाभ पहुंच रहा है बल्कि दूसरों को भी दिखला सकते हैं कि जहां अच्छी काम करने वाली स्त्रिया मिल जायें और वे दिल लगाकर ऐसे काम को अपने हाथ में ले तो वह काम कितनी खुबसूरती के साथ और कितनी कामयाबी के साथ पूरा हो जाता है। मैंने देखा कि तरह तरह की चीजें यहां तैयार की जाती हैं। अब उन चीजों से कुछ पैसे भी कमा लिये जाते हैं जिससे यहां के खर्च में कुछ सहायता मिलती है। आपकी रिपोर्ट से मुझे यह भी पता चला कि यहां रहने वाली स्त्रियों के बच्चों की शिक्षा का भी इन्तजाम किया गया है और सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जहां इसकी शाखाएं हैं ऐसा इन्तजाम किया गया है और जैसे जैसे इमारतें तैयार होती जायेंगी यहां यह काम बढ़ता जायेगा। यह बड़ी खुशी की बात

है। मैंने इस जगह को देखा तो मुझे बड़ी प्रमत्तता हुई क्योंकि मैंने देखा कि यहां बिल्कुल खली जमीन है और चारों तरफ नदी नयी इमारतें बन रही हैं और यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि आप और भी इसका इजाज़ा करने जा रहे हैं जिससे और अधिक औरतों को रहने के लिये मकान मिल जायें।

मैं एक चीज आप लोगों से कह देना चाहता हूँ जो शायद आपके ध्यान में भी हो। यहां चारों तरफ मैदान ही मैदान है। वर्तमान के दिन आ रहे हैं, उन वक्त आप नये नये दरवाज़े लगाये जो साल दो साल में तैयार हो जायेंगे और यहां के रहने वालों को छाया मिलने लगेगी। मैंने अखबारों में देखा है, मालूम नहीं कहा तक यह बात सच है, कि यहां और चीजें तो बन गयी हैं पर यहां पानी का बन्दोबस्त नहीं है और पानी के बिना यहां के लोगों को तकलीफ होती है। आपका ध्यान इस ओर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तकलीफ को दूर करने का कोई न कोई रास्ता आप ने सोच लिया होगा क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं और गर्मी के दिनों में पानी की तकलीफ आदमी के लिये सब से बड़ी तकलीफ होती है।

मैंने मकानों के अन्दर जाकर तो नहीं देखा है। पर बाहर में देखने में तो मकान साफ सुन्दरे मालूम पड़ते हैं। आपने तरह तरह की चीजें मिलावने का बन्दोबस्त भी किया है जिससे जो यहां में सीव कर निकले तो अपने लिये कोई रोजगार भी पैदा कर सके, कम से कम अपने खाने पीने के लायक पैदा कर ही सके। इस वक्त तो ज्यादा जरूरत उभरी बात की है। हमारे साथ में इस वक्त इतने आदमी हो गये हैं स्त्री और पुरुष दोनों, कि उनको रोजगार नहीं दिया जाये तो उनके आदमियों को खिलाना, उनके बच्चों को पढ़ाना, खिलाना जिसमें वे अच्छे नागरिक बन सकें एक बहुत बड़ा काम होगा और उनको चलाना मुश्किल होगा। दूसरा तरीका यही है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते अपने पैरों पर खड़ा कर दें जिसमें वे अपनी मेहनत में, अपने परिश्रम में जो उनकी जरूरतियां हैं उनको पूरा कर लें। आपने इस काम को शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ और आपको दुआ देना हूँ कि आप इन काम को और भी उत्साह के साथ जारी रखें। पहले जब मिर्जेज मयाई यहां पर थी तो जहां तक मुझे याद है दो बार मैंने यहां का काम देखा था और मुझे उनमें बड़ी खुशी हुई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि गरचे वह यहां से चली गयी पर अब श्रीमती मनमोहिनी महाराज उस काम को उभी खूबी के साथ चला रही हैं और दूसरी बहनों भी उनकी मदद कर रही हैं। इन सब चीजों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है और इसके लिये मैं आप सबको धन्यार्थ देना चाहता हूँ।

जो वहनें यहां की समस्याओं में लाभ उठा रही हैं उनमें मुझे यह कदना है कि वे यह समझें कि उनकी खुशकिस्मती है कि इनकी मुमीयतों के बाद उनको दूसरों के जरिये से यह सेवा मिल रही है और इस बात की कोशिश हो रही है कि वे स्वतंत्र हो जायें। जब वे इस योग्य हो जायें कि दूसरों की सेवा कर सकें तो मैं आशा करता हूँ कि वे दूसरी पिछड़ी बहनों की देखरेख उसी तरह से करेंगी जिस तरह उनकी सेवा आज हो रही है और उन पिछड़ी बहनों की सेवा में वे अपना समय लगायेगी जिससे वे उनकी तकलीफ को दूर कर सकें।

मैं और क्या कहूँ, आप सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूँ।



### त्रिवेन्द्रम में नागरिक अभिनन्दन

\*त्रिवेन्द्रम के नागरिक निगम द्वारा २५, मार्च १९५१ को दिये गये अभिनन्दन पत्र का उत्तर देने हुए राष्ट्रपति ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख, निगम पति, निगम के सदस्यो, वहनो और भाइयो,

यह अभिनन्दन पत्र देकर आपने जो मेरा सम्मान किया है उसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे सम्बन्ध में अत्यन्त प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो कम से कम मेरे विचार में मेरी उपस्थिति में न कही जाती तो अच्छा होता। किन्तु आज मैं ऐसे पद पर आसीन हूँ जिस में लोगों के दिल में केवल इसी कारण गर्व की भावना पैदा होती है कि एक भारतीय के लिये इनके उच्च पद पर आसीन होना सम्भव हो सका। हम लोगों ने अनेक वर्षों तक सधर किया है और यह महात्मा गान्धी की तपस्या का फल है तथा गमस्त देश के उनके अनुयायी अनेक नए नागरियो की ही तपस्या का फल है कि हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हो सके। हमने हाल में ही तो इसे प्राप्त किया है किन्तु स्वयं स्वतन्त्रता का कुछ विशेष महत्त्व तब तक न होगा जब तक कि इस देश के साधारण जनो के दैनिक जीवन में वे गुण भी न आ जायेंगे जिनकी अपेक्षा स्वतन्त्रता देवी करनी है। स्वतन्त्रता के थोड़े दिनों में हमने अपेक्षाकृत बहुत सफलताये प्राप्त कर ली हैं। प्रथमतः देश के सुदूर भागों का एकीकरण करने में हम सफल हो गये हैं और यद्यपि हमारे पूर्वजात भारत में उसके उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग कट कर अलग हो गये हैं तथापि अवशिष्ट भारत उससे कहीं बड़ा है जो आज में पहले भारत था। तथा राज्यों के मिल जाने के पश्चात् वह भूभागाल के भारत से कहीं बड़ा है जो किसी भी महाद्वीप के शासन के अर्थात् था। यह बड़ी सफलता है कि आज हमारे यहाँ ऐसा संविधान है जिसका विस्तार सारे भारतवर्ष में है और जिस में भारत के सब विशिष्ट और सुदूर भाग सम्मिलित हैं। यह हमारी महान् सफलता है कि वे सब विभिन्न राज्य जो कुछ बानो में विभिन्न प्रकार में प्रशासित थे अब सब एक संविधान के सूत्र में बंध गये हैं। यह बहुत कुछ जनता के प्रयासों का परिणाम है किन्तु ज़ाती ही हद तक यह राजाओ की भद्रबुद्धि और देशभक्ति का भी परिणाम है कि हम यह सब सफलता प्राप्त कर सके हैं। आज जो कुछ हमारे पास है वह सब महान् विरासत है। अब हमें यह मिद्ध कर के दिखाना है कि हम इसके सत्पात्र हैं। मैं जानता हूँ कि हम ऐसे समय में होकर गुजर रहे हैं जिसे प्रयोग का युग कहा जा सकता है। आज सारे देश में ज्ञान-सातक राज्य चल रहा है। इस वर्ष के अन्त में वास्तविक मनाधिकार के अन्वय पर मातृभाषा निर्वाचन होने वाले हैं और केवल इसी बात में कि हम इनके बड़े पैमाने पर चुनाव करने वाले हैं यह स्पष्ट है कि हम भविष्य के सम्बन्ध में कुछ शकाकुल नहीं हैं और हमें आशा है कि ठीक तरह के लोग आगे आयेगे जो समस्त देश का काम सम्भाल सकेंगे। हरेक नगर को इस वारे में अपना पार्ट अदा करना है; हरेक नगरी को इस वारे में अपना पार्ट अदा करना है और सब तो यह है कि हरेक ग्राम को इस वारे में अपना पार्ट अदा करना है। आपका नगर बड़ा सुन्दर है पर मनुष्य ने तो इसे और भी सुन्दर बना दिया है। अब जो यह महाप्रयोग चल रहा है, इसमें आपको भी बड़ा पार्ट अदा करना है और मुझे आशा है कि आप बड़ा सम्मान्य पार्ट

अदा करेगे जिससे कि जिस जनता की सुविधा का भार आप पर है उस का जीवन बेहतर हो, अधिक सम्पन्न हो और अधिक सुखमय हो। नगर में आप को उसकी जनता की देखभाल करनी पड़ती है और इसी प्रयोजन के लिये वहाँ निगम कायम किया जाता है। किन्तु इसके साथ ही निगम के सदस्यों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे ऐसा अनुभव प्राप्त करें जिसे सारे देश के शासन में बड़े पैमाने पर वे काम में ला सकें और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपने इस निगम में जो अनुभव हासिल किया है वह आप में से हरेक के लिये, जो राज्य और देश के वृहत्तर क्षेत्र में किसी पद पर आसीन होता है, हर दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे यकीन है कि अपनी जनता के हित में आप जो कुछ भी यहाँ करेंगे उसके लिये आप को यहाँ की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। निगम इसी बात के लिये ही आपको समर्थ नहीं थानता कि आप पर, जिसे जनता की देख रेख का भार है उसकी आप कुछ सेवा कर सकें वरन् जैसा कि मैं कह चुका हूँ यह ऐसी प्रयोगस्थली है जहाँ काम करके आप सारे देश के शासन में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिये समर्थ बन सकते हैं और मुझे यह पूरा यकीन है कि आपका वर्तमान अनुभव आपको उन महान् काम में भाग लेने के लिये सहायक सिद्ध होगा। आपने मेरा जो आदर किया है उसके लिये मैं आप को हृदय में धन्यवाद देना हूँ। यह पहला ही अवसर नहीं है जब मैं यहाँ आया हूँ; यह दूसरी बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि मेरा दोनों स्फे यहाँ आना बहुत थोड़ा देर के लिये ही हुआ है किन्तु मैंने उस प्रदेश को अपना देव लिया है कि अपने मान्य यहाँ की बड़ी मधुर रम्यता ले जाऊँ तथा मेरे दिल में यह स्वप्नदृश्य है कि मैं यहाँ फिर आऊँ क्यों कि जो कुछ मैंने यहाँ देखा है उसमें मेरे हृदय में यह प्यास पैदा हो गयी है कि मैं उस देश को और भी अधिक दूँ। मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ आने के और आप लोगों में और मिलने के मुझे और भी आगे अवसर मिलेंगे।

-----

यूजीवीसिटी स्टेडियम त्रिवेन्द्रम में सार्वजनिक सभा।

\*रविवार २५ मार्च, १९५१ को सार्वजनिक सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख, वहाँ और भाइयों,

आप के सुन्दर नगर में आये हुए मुझे केवल २४ घंटे हुए हैं। और जिन लोग मैंने यहाँ पैर रखा तभी में मुझे आपका इतना प्रेम और अनुग्रह मिला है कि उनके चोत्र के नीचे मैं दबा जा रहा हूँ।

मैं देश के विभिन्न राज्यों में जाने का प्रयास करता रहा हूँ। दक्षिण में यह पहला ही राज्य है जिसमें भारत के गणतन्त्र के राष्ट्रपति के नाते आना मुझे सम्भव हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लिये यह सम्भव हो सका कि मैं यहाँ आऊँ और देश के इस बड़े सुन्दर प्रदेश को कुछ देखूँ और आप के बारे में उससे कुछ अधिक जानूँ जो मैं पहले जानता था।

आप इस बात से भली भाँति परिचित हैं कि पिछले तीन ही वर्षों में हमारे देश में महान् परिवर्तन हुए हैं। गत वर्षों में जो लोग स्वराज्य के लिये आन्दोलन करते रहे थे उन्हें

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

इस बेहतर किसी बात की आशा न थी जिसे प्राप्त करने में हम मफल हुए हैं और अब हमारा यह काम है कि उस महान् स्वतन्त्रता को हम बनाये रखे जिसे हमने प्राप्त किया है और अपनी जनता को हम समृद्ध और सुखी बनाये। जब तक हमारी स्वतन्त्रता इस विशाल देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पैठ न जायेगी और जब तक प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस न करेगा कि स्वतन्त्रता मिलने से पहले वह जैसी अवस्था में था उमसे वह हर बात में अब बेहतर है तब तक हमारी स्वतन्त्रता का कोई अर्थ न होगा। यह बात हम सब के कन्धे पर बड़ी गहरी जिम्मेदारी रख देती है और इस देश के आप साधारण नर नागरियों में से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप इस बात को पहचानें और सरकार नाम से पुकारी जाने वाली मस्या पर ही इस काम को न छोड़ दें। वयस्क मताधिकार के कारण हमारे यहां वैसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सरकार में भागीदार है और अब यह कोई नहीं कह सकता कि सर्व साधारण जनता से सरकार कोई अलग चीज है। ऊंचे और नीचे सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि देश की उन्नति के लिये, और साधारण जनो की बेहतरी और सुख के लिये अपना अपना अशदान करे। पिछले तीन वर्षों में हम बड़ी मुश्किल हालातों में से होकर गुजर रहे हैं। आप लोग, जो दक्षिण के हैं और जो उन स्थानों से जहां पर इन कठिनाइयों के पहाड़ टूटे थे, बहुत दूर रहते हैं सम्भवतः इन कठिनाइयों की व्यापकता और विस्तार की बात ठीक न समझ सके और न यह समझ सकें कि अपने अस्तित्व के शुरू के दिनों में ही हमारी सरकार को कितनी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और देश को कितना अधिक नुकसान हुआ। पश्चिम और पूर्व में दोनों ही तरफ लाखों नर नारी अपने घरों में बिल्कुल उखाड़ दिये गये और अपना घर द्वार तथा और सब कुछ छोड़ कर ऐसी जगह की खोज में चल पड़े जहां वे इज्जत और हिफाजत से ज़िन्दगी बिता सके। यह बात थोड़े ही लोगों के साथ नहीं हुई। केवल पश्चिम से जिसे आजकल पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है पचास लाख या सम्भवतः उसमें भी ज्यादा सख्या म नर नारी भारत चले आये और कुछ समय पश्चात् बहुत बड़ी सख्या में अर्थात् कम से कम ३५ लाख नर नारी पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल चले आये। इन लाखों नर नागरियों को फिर से बसाना और फिर से काम में लगाना कोई आसान बात नहीं थी। यद्यपि सरकार जो कुछ भी कर सकती थी कर रही है तो भी यह अभी नहीं कहा जा सकता कि हम उन्हें फिर से बसाने में मफल हो गये हैं। पश्चिम में प्रगति काफी हुई है और जहां तक गांव के लोगों का सवाल है यह बात कही जा सकती है कि वे सब के सब भूमि पर बसा दिये गये हैं। किन्तु उन सब के पास रहने के लिये घर नहीं है। शहरों के रहने वाले को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जो किसान लोग पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब में आये और जब उन्हें भूमि मिल गयी तब उन्होंने ने अपनी ज़िन्दगी को अपने तरीके पर फिर शुरू कर लिया और अपना काम बहुत कुछ वैसे ही चलाने लगे जैसे वे पहले चलाने थे। पर शहर के रहने वाले जो पहले किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करते थे उन्हें अपनी नयी परिस्थितियों से मेल बैठाने में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी पंजाब में जो वह व्यापार करता था वह केवल हिन्दु और सिखों से ही नहीं करता था जो यहां उसके साथ चले आये बल्कि मुसलमानों के साथ भी करता था। इनमें से बहुत से पुरुषार्थ वाले लोग देश में बहुत दूर दूर तक फैल गये हैं और चाहे मुश्किल से ही सही उन्होंने ने अपनी ज़िन्दगी फिर शुरू कर दी है और सरकार भी उनको सब सम्भाव्य सहायता दे रही है। हजारों ही घर

सरकार के खर्चे पर बन चुके हैं और वे लोग इन में अब रहने लगे हैं। ऐसी कुछ नगरियाँ भी बन रही हैं जिन में लोग स्वयं अपनी मेहनत से अपने लिये घर बना रहे हैं और दूसरे तरह के काम कर रहे हैं। बंगाल में भी जहाँ बड़ी तादाद में लोग पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल चले आये हैं बहुत कुछ इसी बात की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार को जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है उन में से सब से बड़ी इन लोगों को फिर से बसाने की और इन लोगों को काम में लगाने की समस्या रही है। सम्भवतः मैं यह कह सकता हूँ कि अब समस्या का अन्त दिखाई पड़ने लगा है, गो कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने समस्या को सचमुच में ही पूर्णतया हल कर लिया है। जब मैं यह कहता हूँ कि समस्या का अन्त अब दिखाई पड़ रहा है तो मेरा केवल यही आशय है कि इसके हल करने के सही रास्ते पर हम चल रहे हैं और हमें यह आशा है कि समय पाकर हम इसको पूरी तरह हल करने में कामयाब हो जायेंगे।

किन्तु हमारी सरकार को केवल यही समस्या नहीं मुलजानी पड़ी है। हमें अन्न के बारे में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यदि अधिक नहीं तो उतनी ही मात्रा में जितनी कि देश के अन्य भागों के लोगों को भुगतनी पड़ रही है उन प्रदेश के रहने वालों को सहनी पड़ रही है। वस्तुतः होने के पहले भी और यहाँ तक कि भारत के स्वतन्त्र होने के पहले भी हम तथा मात्रा में अन्न विदेशों में मगाने थे। अधिकतर यह वर्मा से आता था जहाँ चावल अधिक मात्रा में पैदा होता है, किन्तु यह साधारण व्यापार के जरिये हमारे यहाँ आता था और किसी का ध्यान इस की आरंभिक मात्रा में उपाय न जाना था क्योंकि वर्मा भारत का ही भाग था। किन्तु लडाई के बाद से मुश्किल पैदा हुई है। वर्मा अब उतना पैदा नहीं कर सकता जितना कि पहले किया करता था और इस प्रकार चावल मिलने का एक बड़ा जरिया हमारे हाथ से जाता रहा है। यह ठीक है कि अब फिर वर्मा में चावल की पैदावार बराबर बढ़ रहा है किन्तु अब भी यह लडाई से पहले की सतह तक नहीं पहुँची है और इसका परिणाम यह है कि हमें समार के दूसरे भागों में अधिकाधिक मात्रा में दूसरे प्रकार के अन्न का आयात करना पड़ता है। हम उत्तरवायियों को इस बात का खेद है किन्तु इसके अलावा कुछ और किया जा सकता भी नहीं। दक्षिण में आप लोग चावल खाने के अभ्यस्त हैं और आप लोगों को आजकल अंशतः गेहूँ और दूसरा अनाज दिया जा रहा है जिसके खाने के आप साधारणतया अभ्यस्त नहीं हैं किन्तु दुर्भाग्यवश और कोई चारा नहीं है। इस वर्ष खास तौर से प्रकृति का कोप हम पर रहा है और हमें एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत सहनी पड़ी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि देश के बहुत से भागों में बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई है। पिछली वर्षाकाल के आरम्भिक दिनों में ही अतिवृष्टि के कारण भारी बाढ़ आयी और देश के बहुत से भागों में खड़ी हुई फसल बिल्कुल बह गयी। हमें यह आशा थी कि समयोपरान्त अगली फसल बहुत अच्छी होगी और खास तौर से चावल की फसल के सम्बन्ध में तो यह विचार था कि यह बहुत ही अच्छी होगी किन्तु बाद में पानी बिल्कुल न पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस फसल के बारे में हम यह आशा लगाय बैठे थे कि वह बहुत अच्छी होगी वह सूखे के कारण न्यूनाधिक विनष्ट हो गयी। तत्पश्चात् आसाम में इतना बड़ा भूकम्प आया जितना पहले कभी न आया था और बहुत बड़ा क्षेत्र सर्वथा विनष्ट हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि पीड़ित व्यक्तियों

को फिर से बसाने और उस राज्य में लाखों नर नारियों की महायता करने की समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई। प्रकृति इतने से ही मन्तुष्ट न हुई। हाल में ही हमारे यहां िड्डी दल आ टूटा। और देश के कुछ भागों में उमने गेहू की फसल को नुकसान पहुंचाया। अतः अन्न की दृष्टि से यह चातू वर्ष हमारे लिये बहुत ही कठिन वर्ष सिद्ध हुआ है। जैसा मैं ने कहा है इम कठिन परिस्थिति का मुकाबला करने का सरकार प्रयाम करती रही है और पहले मे भी कही अधिक मात्रा में विदेशों से अन्न का आयात किया जा रहा है। मुझे आशा है कि मगयोपगन्न तथा आयात अन्न की महायता से हम इस स्थिति पर काबू पाने में सफल हो जायेंगे। किन्तु जिस बात को मैं आपके मन में बैठना चाहता हूँ वह यह है कि जब किसी देश पर भारी विपत्ति पड़ती है तो वास्तव में वृत्तों कि जनता को केवल संकार ही नहीं बचना सकती। सरकार का यह धर्म अवश्य होता है कि जो कुछ वह कर सकती है वह करे और आप यकीन मानिये कि सरकार वह कर रही है। किन्तु यह जनता का ही काम है कि वह स्थिति का मुकाबला माहस, दूरदर्शिता, त्याग भावना से और दृढ़ता से करे। जहां कही भी मैं जाता हूं मैं जनता से कहता हूं कि जहां सरकार अपने धर्म के प्रति उदासीन नहीं हो सकती और वास्तव में वह जनता की सहायता करने की पूरी कोशिश कर रही है वहीं यह बात भी ठीक है कि यह भार जनता के ऊपर ही है कि वह कमर कम कर नयी स्थिति का मुकाबला करने के लिये खड़ी हो जाये। मुझे स्मरण है कि तीन या चार वर्ष पहले जब मैं अन्न मन्त्री था तो हमारे सामने इसी प्रकार की कठिन स्थिति आयी थी और विशेषतया इन भागों से मेरे पास ऐसी खबरे पहुंची थी जिनसे मुझे चिन्ता पैदा हो गयी थी। मैं ने यह बात महात्मा गांधी से कही और उन्होंने कहा जो कुछ तुम कर सकने हो तुम्हें करना चाहिये। किन्तु अन्ततोगत्वा यह तो जनता के ही हाथ की बात होगी कि वह इस कठिन समय को पार कर ले और तुम इस बात का भरोसा रखो कि चाहे उस पर कैसी ही कठिन विपत्ति क्यों न पड़े वह मछली और तैपीओका की सहायता से जो यहां काफी मात्रा में होता है अपनी मुश्किल हल कर लेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि महात्मा जी ने जिस बात की अपेक्षा की थी वह ठीक साबित हुई। भूख से कोई आदमी यहां नहीं मरा और न वैसी खराब हालत ही किमी की हुई। अतः इस वर्ष भी इतनी खराब स्थिति में मुझे महात्मा जी की वह बात याद करके कुछ सहायता मिलता है और मैं उनकी इस बात को केवल तिरवांकूर के लिये ही लागू नहीं समझता वरन् सारे देश के लिये लागू समझता हूँ। मुझे यकीन है कि जनता में इतना पुरुषार्थ होगा कि यदि हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़े तो वह संकट काल को पार कर लेगी, यदि वह एक दफा इस बात का निश्चय कर ले। और यही बात तो हम सब को करनी है। अन्न की समस्या के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि और बातों के लिये भी यही उचित सिद्ध होती है कि जहां कही भी कठिन परिस्थिति पैदा होती है वहां जनता का ही काम होता है कि वह निश्चय कर ले कि माहस और धैर्य से वह उस स्थिति का मुकाबला करेगी।

जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अपने गांधिवादीक विकास के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अवस्था में हों कर गुजर रहे हैं। मैं इसको प्रयोगात्मक इन दृष्टि से नहीं कहता कि हमारे यहां अस्थायी प्रकार का संविधान है बल्कि इसलिये कहता हूं क्यों कि हम अभूतपूर्व और बड़े विशाल

पैमाने पर प्रजातन्त्रात्मक शासन का प्रयोग कर रहे हैं। मैं निर्वाचनों के जो हम नवम्बर के अन्त और दिसम्बर के आरम्भ में करने वाले हैं, वर्षों का अन्दाजा लगा रहा था। मुझे मालूम हुआ कि निर्वाचक नामावलि में लगभग सत्तरह या अठारह करोड़ लोगों के नाम होने तथा फुलस्केप कागज की एक तरफ यदि इन नामों को छापा जाये और इन पत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाने तो ऐसी जिल्द बन जायेगी जो लगभग २०० गज मोटी होगी। यह चुनाव कितना बड़ा होगा इसका अन्दाजा इसी बात से लग सकता है। ऐसे चार महान् स्थान हैं जिनके लिये चुनाव किया जायेगा और लगभग दो लाख निर्वाचन केन्द्र होंगे। इन विशाल देश के नर नारियों को अपनी वोट देनी होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन वोटों के दर्ज करने के लिये निर्वाचक पदाधिकारियों, क्लर्कों, और पुठिस के आदमियों की कितनी भारी तादाद में जरूरत होगी। यदि प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र के लिये केवल चार आदमियों को रखा जाये तो भी यह संख्या लगभग आठ, नौ लाख हो जायेगी। इस सब से जाहिर है कि हमारे राज्य के साधनों पर इससे बड़ा भार पड़ेगा और इसके बाद अर्थात् जब वोट पड़ चुकी होगी तब हम को यह पता चलेगा कि नये प्रजातन्त्र ने अपना शासन चलाने के लिये कैसे लोगों को चुना। आज यह कहना कठिन है कि इन निर्वाचनों का परिणाम क्या होने वाला है और मैं तो केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे मत देने का अधिकार है वह अपना मत इस विचार से देगा कि देश की भलाई हो, जनता की भलाई हो और उसके सामने केवल एक ही ध्येय हो और वह भारत की समृद्धि, और कोई भी केवल इसी बात से प्रेरित होकर मत नहीं दे कि उसे अपना मामूली हित सिद्ध करना है अथवा जिस दल का वह सदस्य है उस के किसी मामूली हित की रक्षा करनी है। मुझे आशा है कि कोई भी व्यक्ति समस्त देश के हित से प्रेरित होने के अनिश्चित अन्य किसी प्रेरणा के कारण अपना मत नहीं देगा। यदि हमारी जनता ने अपने कर्तव्य को पूरा किया तो कोई ऐसी बात नहीं है जो उसे गौरव के ऐसे उच्च शिखर तक पहुँचने में रोक सके जैसे तक कि वह अपने लम्बे इतिहास में कभी नहीं पहुँच सका था। यद्यपि यह केवल प्रयोग है तथापि मुझे विश्वास है कि हम इस प्रयोग में सफल होंगे। ठीक है कि जहाँ कहीं भी महान् परिवर्तन होता है, जहाँ भी लाखों आदमियों की बात होती है वहाँ बड़े पेचीदा प्रश्न पैदा होते हैं और हमें भी अपने इस प्रयोग में बहुत काफी मुश्किलों को पार करना होगा। हो सकता है कि ऐसे अनेक कठिन प्रश्न पैदा हो जायें जो फिलहाल असाध्य लगें किन्तु यदि हमें अपने में विश्वास रहा, यदि हम परमात्मा में, जिनमें हमें इस मंजिल तक पहुँचाया है, विश्वास रहा और यदि हम सच्चाई से न डिये तो मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता कि इस प्रयोग से अच्छाई के अलावा और कुछ निकले। इस प्रकार का विश्वास मुझे अपने देशवासियों में है। यह बात मैं अपने उस अनुभव से कहता हूँ और अपने करोड़ों देशवासियों के सम्पर्क के उस बल पर कहता हूँ जो मेरे जीवन के पिछले तीस वर्षों में मेरा उनसे होना का सौभाग्य रहा है। मुझे हमेशा यह अनुभव हुआ कि जब भी मैंने मद्बुद्धि और देशप्रेम के नाते उनसे अपील की है तो उन्होंने बड़ी उदारता से उमे माना है। मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रख देता हूँ। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की यह बड़ी गहरी इच्छा थी कि देश में साम्प्रदायिक मेल हो। बंगाल के बाद देश में बहुत गड़बड़ी हुई और बंगाल के पहले भी जब उत्तर में हिन्दू मुसलमानों के बीच भारी झगड़े हुए तब ऐसे कई अवसर आये जब उन्हें बहुत गहरी चिन्ता हुई और उन्हें भारी क्रोध उठाने पड़े। सन् १९४९ के अक्टूबर

के अन्त में या नवम्बर के शुरू में बिहार में, जहाँ का कि मैं हूँ हिन्दू मुसलमानों में बड़े झगड़े हुए। हिन्दुओं ने बहुत सी जगहों में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार किया। उनके अनेक गांव लूट लिये गये, अनेक मार डाले गये और अनेक घर जला दिये गये। यह सब इसलिये हुआ क्योंकि थोड़े ही दिन पहले मुसलमानों ने बंगाल में और खास तौर से कलकत्ता और ढाका में हिन्दुओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था और इसलिये बिहार में हिन्दुओं के मन में बदले की भावना पैदा हो गयी थी और उन्होंने यह झगड़ा शुरू किया था। बिहार में जब बदले के लिये यह झगड़ा शुरू हुआ उस समय महात्मा गांधी इस प्रयोजन से बंगाल जा रहे थे कि जिन हिन्दुओं को यातनाये सहनी पड़ी थी उनके और जिन मुसलमानों ने उन पर यह मितम डाले थे उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता कराया जाये। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कदम उठाया? उन्होंने यह घोषणा कर दी कि यदि फौज ही ये झगड़े नहीं रुक जाने तो वह आमरण अनशन आरम्भ कर देगे और इस दिशा में पहला कदम उन्होंने ने यह उठाया कि उन्होंने ने यह घोषणा कर दी कि उसी दिन से वह अपने भोजन की मात्रा में कमी कर रहे हैं। मैं उस समय दिल्ली में था और सरकार का एक मन्त्री बन चुका था। मैं फौज दौड़ा हुआ अपने प्रान्त को इस प्रयोजन से गया कि यह देख कि क्या तरह से जनता को मही रगने पर लाया जा सकता है। हमारे प्रधान मन्त्री भी उस समय वहाँ थे। सरकार झगड़ों को रोकने के लिये अपना पूरा जोर लगा रही थी। पुलिस भी काम कर रही थी और फौज भी बला ली गई थी। किन्तु जैसे ही अखबारों में महात्मा जी की यह घोषणा लगी और साथ साथ से उनकी खबर पृथ्वी धरे ही आपको मुन कर आश्चर्य होगा, जो कि यह बात है कि मुसलमानों, हिन्दुओं के अन्दर अन्दर सारा झगड़ा रुक गया और पता चले कि सारे जनसमूहों में जो बला जनता पर काम हो गया। मैंने यह चमत्कार देखा। जो उस समय लोगों के बीच में भ्रम फैल रहा था और पूरे उन बड़े जलमों में जिन में मैं भाग्यवान था वह सब दिवाली देना था कि जिन प्रयोजन लोगों के दिल पर कितना गहरा अथर हुआ है और किस उदात्तता से वे इनके मान रहे हैं। प्रथमारे की तीव्र वाद ऐसा ही एक और मौक़ा आया। उस समय महात्मा गांधी कलकत्ते में थे। सरकार की सरकार की वागडोर काब्रगे वालों ने हाथ में श्री और दूसरी जगह की पत्रगाओं के कारण लोगों के दिल में बड़ा गुस्सा था और यह सोच कर कि अब तो हिन्दू गन्तामीन थे कुछ लोगों ने वहाँ बदला लेने की बात मोची। वहाँ भी महात्मा जी ने यही किया और कलकत्ता भी फौज ही शांत हो गया। उस समय बंगाल के राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी थे और उन्होने यह कहा कि वहाँ महात्मा जी ने चमत्कार कर के दिखाया है।

मैं इन उदाहरणों को आपको यह दिखलाने के लिये दे रहा हूँ कि जब भी कोई अपील ठीक तरह से की गयी है और ऐसे ध्येय के लिये की गयी है जो न्याय्य हैं तो जनता के सब विभागों ने उस को बड़ी उदारता से पूरा किया है। शान्ति के अतिरिक्त और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी कि इस समय देश में हमें ज्यादा आवश्यकता हो। इसकी आवश्यकता इस लिये है कि अपने भाग्य निर्माण की जो शक्ति हमारे हाथ में आयी है उसको अपनी जनता की भलाई के लिये हम उत्तमोत्तम रीति से प्रयुक्त कर सकें। जैसा मैं ने कहा है हमें शक्ति मिल गयी है। किन्तु हम इतनी कठिन समस्याओं में फस रहे हैं कि हम उस शक्ति को जो हमें मिली है उस रीति से और उस प्रयोजन के लिये प्रयोग नहीं कर पाये हैं जिनके लिये कि आप उस का प्रयोग पसन्द

करेंगे। इस प्रयोजन के साधन के लिये शान्ति में अधिक और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। यह तो ठीक ही है कि विदेशों से शान्ति सम्बन्ध बनाये रखने की हमें आवश्यकता है। किन्तु देश के अन्दर भी शान्ति बनाये रखने की हमें आवश्यकता है। जब मैं यह कहता हूँ कि हमें शान्ति चाहिये तो मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे देश में किसी किस्म का झगड़ा या फिसाद आज कल हो रहा है। इस किस्म की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। किन्तु मैं तो वास्तव में ऐसी शान्ति चाहता हूँ जो सब के मन में इस विश्वास से पैदा होती है कि उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से साथ मिल कर झलिये रहना है जिसमें कि देश की उन्नति हो और वह समृद्ध हो। इसी प्रकार की शान्ति की बात इस समय मेरे मन में है। महात्मा गांधी अहिंसा पर बड़ा जोर दिया करते थे। इस का कारण यह था कि हमारे देश में अनेक सम्प्रदाय हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जीवन की रूढ़ियाँ और तरीके हैं और यदि विभिन्न नये व्यापारों को करने वाले, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, विभिन्न रूढ़ियों पर चलने वाले लोग पूरी शान्ति के साथ मिलजुल कर नहीं रहते तो यहाँ समृद्धि नहीं हो सकती है। यही कारण है कि वह इस बात का आग्रह करने थे कि केवल दिवाले के लिये ही नहीं शान्ति हो वरन् लोगों के दिव्य में भी शान्ति हो और जब भी कभी अवसर आता था तो वे बराबर इस बात पर जोर देते थे कि लोगों में हृदय परिवर्तन हो। हमें ऐसे दिल की दरकार है जो उदार प्रेरणाओं से प्रेरित हो और जो हमें इतना वक्त प्रदान करता हो कि हम सब पर भरोसा कर सकें। दूसरों पर गुवा करना एक तरह की कमजोरी है। दूसरों पर भरोसा करना एक प्रकार का बल है। जब कभी कोई व्यक्ति या कोई समुदाय किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे समुदाय पर गुवा करने लगता है चाहे उसके कारण कुछ भी क्यों न हो तो वह ऐसा करने अपनी कमजोरी ही जाहिर करता है। छोटे से छोटे समुदाय के लिये हमारे मंत्रिभवन ने समता, जोर दिखाने का आश्वासन दिया है। उस में उस समुदाय के लिये यह सम्भव है कि वह बहुसंख्यक लोगों के मामले अपना घर उठा कर चले। यह बहुसंख्यक लोगों का भी धर्म है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही बनी क्यों न हो, कि वे यह सम्भव करे कि छोटे से छोटे समुदाय और मामूली से मामूली व्यक्ति के मन में कभी यह विचार पैदा न हो कि वह झलिये गुदगित नहीं है क्योंकि यह बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं है। ऐसा आश्वासन हमें देना है और यह आश्वासन तभी दिया जा सकता है जब कि हर व्यक्ति केवल अपनी ही या अपने ही समुदाय की बात नहीं सोचता वरन् सारे देश और सब लोगों की बात सोचता है। अन्य सब बातों से कहीं अधिक हमें ऐसी ही शान्ति की आवश्यकता है। यदि हमारे दिलों में इस प्रकार की शान्ति हो तो हमारा प्रजातन्त्र अवश्य सफल होगा। मैं यह आशा और प्रार्थना करता हूँ कि चाहे हम बहुसंख्यक हो अथवा अल्पसंख्यक, चाहे हम एक धर्म के मानने वाले हो या दूसरे धर्म के मानने वाले, हम में इस बात का साहस होगा कि हम देश में हर एक के प्रति सद्भावना, और स्राम्भाव रखें।

आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं वरन् सारे मसार में इस समय घबराहट है और करोड़ों आदमियों को अपनी हिफाजत का भरोसा नहीं है। हमारी सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि संसार में शान्ति बनी रहे और लड़ाई का क्षेत्र और न फैले। हम इसमें सफल हो अथवा असफल हमारा धर्म है कि हम पूरी कोशिश करें और ऐसा ही हम करते रहे हैं। किन्तु हम इस सम्बन्ध में तब तक सब कुछ न कर सकेंगे जब तक कि हमें अपने बारे में ही यकीन न हो। यदि हमारे



बीच में ही शान्ति नहीं हो तो हमारे लिये यह शोभनीय नहीं है कि हम दुनिया से शान्ति बनाये रखने को कहें। आज यही कारण है कि अपने लिये ही नहीं बरन् सारी मानव जाति के लिये हमें अपने देश में ऐसी शान्त व्यवस्था वायम करनी है जिसमें प्रत्येक सुखी हो, सुरक्षित हो और जिस में न तो किसी के मन में भय हो और न शका। यह है वह महान् प्रयोग जिसमें हमारा प्रजानन्त्र आजकल लगा हुआ है और हम में से सब को यह आशा करनी चाहिये और सब को अपना अपना अंशदान करना चाहिये जिसमें कि यह प्रयोग सफल हो।

आप लोगो ने अत्यन्त धयपूर्वक मेरी बात सुनी इसके लिये तथा आपने मेरे आने के बाढ़ से ही मेरा जो स्वागत किया है और मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है उसके लिये भी मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ।

### इरनाकुलम में सार्वजनिक सभा

\*इरनाकुलम में हरवर्त मैदान में २९ मार्च १९५१ को सार्वजनिक सभा में बोले हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख, बहिनो और भाइयो ,

एक समस्या, स्वाम तौर से उत्तर के रहने वाले भारतीयों के लिये जब वह दक्षिण भारत में आता है, यह है कि वह किस भाषा में बोले। दुर्भाग्यवश मैं आपकी भाषा नहीं जानता हूँ और मुझे मजबूरी अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, जो कि ऐसा करना मुझे पसन्द नहीं है। संविधान सभा ने हिंदी को अब राज भाषा मान लिया है और संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है और हमें यह आशा है कि अगले पन्द्रह वर्षों में इस देश का ऐसा हरेक आदमी जिसका अखिल भारतीय व्ययमाय है इतनी हिंदी अवश्य जान गया होगा कि वह अपना काम उस भाषा में बोल सके और उस भाषा का विकास भी इतना हो गया होगा कि वह आधुनिक जीवन की सब प्रकार की जटिलताओं को व्यक्त करने के लिये अच्छा माध्यम हो। यह समस्या हमारे यहाँ कई वर्षों से रही है। और लगभग ३५ वर्ष हुए राष्ट्र भाषा के महत्व को पहचान कर महात्मा गांधी ने दक्षिण में हिंदी के प्रचार की ओर अपना ध्यान लगाया था। उत्तर की लक्ष्य सभी भाषायें न्यूनधिक एक ही श्रोत से निकली हैं और आपमें से मिली जूझी भाषाएँ हैं। अतः हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति के लिये यह अधिक कठिन नहीं होता कि वह व्यक्ति बंगाली को समझ सके और बंगाली भाषा भाषी के लिये हिंदी समझना भी अधिक कठिन नहीं होता। हिन्दु उत्तर की भाषाओं और दक्षिण की भाषाओं में वास्तव में विभिन्नता है; यद्यपि यहाँ भी संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यहाँ के बहुत से शब्द अन्य भाषा भाषियों की समझमें आ जाते हैं क्योंकि वे संस्कृत से निकले हैं। अगले दिन मैं कुछ कविता पाठ सुन रहा था जो कि एक सभा में किया जा रहा था। मैं कम से कम आधे शब्द समझ सकता था और मुझे ऐसा लगा कि

\* अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद

विभक्तियों और ऐसी ही अन्य बातों के अनिश्चित और सब कुछ मस्कृत से लिया गया है। यह महान् काम है जो संस्कृत ने किया है। जब सविधान सभा ने हिंदी को अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रभाषा के स्वरूप में स्वीकार किया तो उसने यह भी जना दिया कि साधारण तथा उन नये विचारों के व्यक्त करने के लिये जिनके लिये चालू हिंदी में ठहरे शब्द नहीं मिलते हमें संस्कृत पर निर्भर करना पड़ेगा। भारत में दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम के बीच में वही एक समान तत्व है और हमें यह आशा है कि उसकी सहायता ने भेरे जैसे व्यक्ति के लिये केवल यही संभव नहीं होगा कि मैं ऐसी हिंदी भाषा में अपने बात करूँ जो आपकी समझ में आती हो वरन् आपके लिये भी यह संभव होगा कि आप उस भाषा में मुझे मेरे प्रकार बात कर सकें कि वह मेरी समझ में आती हो। उत्तर की भाषा को दक्षिण पर लादने का कोई प्रश्न है ही नहीं। सच बात तो यह है कि सारे देश की जनता की यह इच्छा है कि हमारी एक आम भाषा हो और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी आत्मा को तब तक व्यक्त नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी भाषा में उसे व्यक्त न करे। मुझे ऐसा खयाल है कि जब आप लोग स्वतंत्रता आन्दोलन को चला रहे थे तब किसी ने यह कहा था कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव होगा। मेरा यह विश्वास है कि हम लोगों के लिये भी यह आवश्यक है कि हम इस सच्चाई को पहचानें, अर्थात् यह जान लें कि विदेशी भाषा के द्वारा हमारे लिये स्वतंत्र रहना असंभव होगा। अतः जब कभी मुझे अंग्रेजी भाषा में किसी सभा में बोलना पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए अहचिकर है। पिछले तीस वर्षों में या उन से भी ज्यादा मेरे अनेकों सभाओं में अपनी ही भाषा में बोलना रहा हूँ। एक प्रकार से तो मैं अंग्रेजी में व्याख्यान देने की कला ही भूल गया हूँ, यदि मैं यह मान भी लूँ कि ऐसी कला कभी मैं जानता था। फिर भी मुझे काम तो चलाना ही है। जब कभी मैं देश के इस भाग में आता हूँ तो मैं अंग्रेजी भाषा में बोलता हूँ। मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि वे सब लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं और जो जो बात मैं कह रहा हूँ उसे नहीं समझते हैं मुझे मेरी अममर्शता के लिये क्षमा करेंगे और उन अवधारो के जरिये जिनके प्रतिगर्भ इस सभा में बहुत अच्छी तादाद में मौजूद वताये जाते हैं भेरे व्याख्यान के अनुवाद को यथा समय पढ़ लेंगे। यह तो मैंने परिभाषा के तौर पर आपसे कहा किन्तु मेरे इस कथन में परमावश्यकता का भी कुछ अर्थ है। मैं इस बात के लिये इच्छुक हूँ कि हम अपने सब कामों को चलाने के लिये एक आम भारतीय भाषा के प्रयोग को काफी महत्व दें। इस सच में जो कुछ भी आवश्यक है उसे सरकार करेगी ही। किन्तु अन्यत्र से कहीं अधिक यहाँ यह आवश्यक है कि इस प्रयोजन को जनता अपने ही स्वतंत्र प्रयास से पूरा करने की कोशिश करे। पिछले तीन या अधिक वर्षों में मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा के काम में सलग्न रहा हूँ और जब कभी मुझे इनाम और प्रमाणपत्र वादने के लिये होना चाही सभाओं में उपस्थित होने का मौका मिला है तो मुझे उससे अत्यन्त हर्ष हुआ है। इसके अनिश्चित जिस बात में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और साथ ही हर्ष हुआ है वह यह है कि मैंने एक ही समय में तीन पीढ़ियों के लोगों को अर्थात् पिता, पुत्र और पौत्र को एक ही साथ हिंदी पढ़ते और उसमें योग्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त करते देखा है और उन्हें इनाम दिया है और इन में से जितने ही कम उम्र के थे उतनी ही उन्होंने अधिक योग्यता प्राप्त की थी। सच ही यह बात बड़े सन्तोष और यथाई की है कि आप दक्षिणवासियों ने इस काम को इतनी मजदीगी में शक किया है और इससे मुझे यह आशा होती है कि यह समस्या उस पन्द्रह वर्ष की अवधि में हल हो जायेगा

जो कि संविधान ने इसके लिये दी है और हम अपनी भाषा के माध्यम द्वारा ही अपने सब अखिल भारतीय कार्य करने के योग्य हो जायेंगे।

हमारे सामने कई समस्याएँ हैं किंतु कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो आधारभूत हैं और जो अन्य सब समस्याओं की तरह हैं। ऐसी एक समस्या इस देश में साम्प्रदायिक मेल की समस्या है। हमारे यहाँ बहुत से मत और बहुत से समुदाय हैं और दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा होता है कि एक या दूसरे कारण से साम्प्रदायिक शांति गड़बड़ा जाती है। यदि इस प्रकार की अशांति कभी कभी हो जाये तो उसमें कोई विशिष्टता नहीं होगी क्योंकि एक परिवार में भी भाई भी कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से झगड़ते हैं, पिता पुत्र भी एक दूसरे से झगड़ते हैं। किंतु इन झगड़ों के बाद मुल्ह भी हो जाती है और पति अपनी पत्नी का पति ही रहता है, बेटा अपने बाप का बेटा ही रहना है और भाई अपने भाई का भाई ही रहता है। इसी प्रकार इस देश में जहाँ अनेक धर्मों के लोग मौजूद हैं कभी कभी उन में एक दूसरे से झगड़ा होने का कोई कारण पैदा हो तो उसमें हमको यह न करना चाहिये कि हम उस झगड़े को सदा के लिये खीझ का कारण बना लें और हमें उसको अस्थायी मानने के अतिरिक्त और किसी प्रकार का रूप देना भी नहीं चाहिये। भाग्यवत् आपके प्रदेश का संहिष्णुता सम्बन्धी अपूर्व उन्निष्ठता रहता है। मुझे बताया गया है कि इस स्थान में हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और यहूदी धर्म के लोग रहते हैं और आज ही सही घनादृश्यो से वे आपस में शान्तिपूर्ण ढंग में रहते नए आ रहे हैं। मेरे जैतपुर शक्ति आने वाला यात्री भी सड़क पर जाते समय यहाँ मन्दिर, गिरजाघर, और चर्चियों के पत्ता घर पास ही पास स्थित देखा है और यह बात सभी सम्भव हो सकती है जब कि यहाँ सब धर्मों के प्रति संहिष्णुता और आदर का भाव सब लोगों के मन में हो। मेरा विश्वास है और सब धर्मों के मन्त्र माननेवालों का विश्वास है कि मन्त्र धर्म का मन्त्र तो ऐसी शक्ति में अस्था में है जो प्रकृति के परे और ऊपर है। चूँकि वह प्रकृति में परे वाली शक्ति सब से ऊपर है और सब उसके लिये बालक के समान है इसलिये हमें आपस में एक दूसरे से भाई और बहिण के समान होना चाहिये। यदि सब धर्मों की सचमुच में यही शिखा है तो परमात्मा ही उपानना मन्त्री हमारी रीति में कितने ही विभेद होने के बावजूद ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दूसरी बातों में भाइयों के समान क्यों न रहे। सच तो यह है कि भारत में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुत्रों ने ऋषियों ने, इस सत्य को पहचान लिया था और उन्होंने सर्वदा के लिये और सब के लिये यह घोषित कर दिया था कि सत्य एक है किंतु मनीषी उसको बहुत प्रकार से पानों का प्रयास करते हैं। हमें केवल बौद्धिक विश्वास के रूप में ही नहीं बरन् अपने जीवन में प्रतिक्षण पाले जाने वाले आचरण के नियम के रूप में तथा हमारे संप्रदायों का दिग्दर्शन करने वाली श्रद्धा और आस्था के रूप में भी इस सत्य को पहचान और मान लेना है। हम इस बात को केवल इसलिये ही नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग हैं बरन् इसलिये भी चाहते हैं क्योंकि उनमें से किसी के लिये भी सच्चाई के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचना तब तक सम्भव न होगा जब तक कि वे इस सत्य को पहचान न लें। यदि हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष है कि हम किसी प्रकार की प्रगति न कर सकेंगे। हमारी उन्नति की, हम सब की उन्नति की केवल एक ही रीति है और वह है हम सब का सम्मिलित और सयुक्त प्रयास। जो शक्ति एक दूसरे को दवाने में व्यर्थ जाती है उसे मिल जुल कर साथ रहने के लिये बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। यह वह बात है जिसकी हमें इस देश के लिये आवश्यकता है। अतः यह एक ऐसी

मूलभूत समस्या है जिसे अज्ञात युगों से यह देग हूठ करना रहा है। किन्तु आज, जब कि हमने अपने को विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्र कर लिया है और अपने भाग्य को हमें अपने ही साधनों से बनाना है, इस सत्य के दोहराने की फिर आवश्यकता है।

दूसरा मूलभूत प्रश्न जिसका प्रभाव स्वभावतः हम पर पड़ता है वह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे देश में करोड़ों आदमी हैं जिन में से कुछ बहुत ही खस्ता हालत में हैं और जिन्हें खाना, काड़ा या रहने को मकान ज़रूरत के माफिक नहीं मिलते हैं। हमारे देश में जिन लोगों की ऐसी हालत है ऐसे करोड़ों ही नर नारी होंगे। इसके विपरीत हमारे यहाँ बहुत थोड़े आदमी हैं जो संपन्न हैं और सुखी हैं। हमारे सामने जो आवश्यकता है वह ऊपर वालों को दधाने की नहीं है वरन् वह तो जो लोग तले पड़े हुए हैं उनको उठाने की है। मैं उन सिद्धान्त में महमत नहीं हूँ जो धन संपन्नों को नीचे गिराना चाहता है, न कि औरों को ऊपर उठाना। वास्तव में हमारी आवश्यकता यह है कि हम सब के जीवन स्तर को ऊपर उठायें। कभी कभी जब कोई गरीब आदमी अपने पड़ोसी को सुखी और संपन्न देखता है तो उसके मन में द्वेष पैदा होता है। यह स्वाभाविक वृत्ति है और इसे हमें नजरअन्दाज़ करना है। किन्तु हमें उन दोनों को यह बताने के लिये तैयार रहना है कि वे दोनों अगर ऊपर उठे और जो धन संपन्न है उनको नीचे गिराने की कोशिश न की जाय और जो गरीब है उनको उठाने की कोशिश की जाये तो वे दोनों सुखी होंगे। आखिर दूसरे देशों के मुकाबले में हमारी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत थोड़ी ही तो है और जब तक हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ाते तब तक हम अपने साधारण जनो के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की आशा नहीं कर सकते। हम चाहे कुछ लोगों का जीवन स्तर ऊपर भले ही उठा दें किन्तु यदि हम सारे राष्ट्रीय धन को बराबर बांट दें तो वह हमारी गरीबी का बटवारा होगा न कि हमारी संपन्नता का। यदि हमारे पास इतना धन होता कि वह सब को बाँटा जा सकता और सब को अमीर बना सकता तो मैं इस प्रयास का कि राष्ट्रीय संपत्ति का प्रत्येक व्यक्ति को धन संपन्न करने के लिये बंटवारा किया जाये, तारीफ़ कर सकता था। किन्तु धन तो हमारे पास है ही नहीं। पुनर्वितरण करने का प्रश्न तो तब पैदा हो सकता है जब हमारे पास बंटवारा करने के लिये काफ़ी धन हो। इस बात को हमें भूलना न चाहिये। अतः मैं इस बात के लिये स्वाहिशमद हूँ कि इस देश का हरेक वासी यह बात समझ ले कि उस का सब से पहला कर्तव्य बंटवारा किये जाने वाले धन का बँटवारा है। और वह तभी ऐसा कर सकेगा जब कि वह इस सम्पन्न कोष को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न करे। महज बंटवारे से यह निधि बढ़ नहीं सकती है; इस लिये जिन धन की आवश्यकता है वह यह है कि हरेक चीज़ का अधिकाधिक उत्पादन हो।

हम जानते हैं कि अन्न की कमी की वजह से हमें आज कष्ट उठाना पड़ रहा है। नियन्त्रण और राशन की दुकानों के ज़रिये हम उसके बंटवारे का प्रयत्न कर रहे हैं जो कुछ हमारे पास है और फल यह है कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरों के मुकाबले में चोर बाज़ार से कुछ ज्यादा खरीद सकते हैं। जब सब के बाँटने के लिये कोई वस्तु पूरी नहीं होती तो उस हालत में यह बात तो होती ही है। जब तक कि हमारे पास अधिक अन्न नहीं होता हम सब को सुखी नहीं बना सकते। जब तक कोई वस्तु इतनी पर्याप्त नहीं होती कि सब को समुचित मात्रा में बाँटी जा सके तब तक हम केवल कमी को ही सब लोगों में बाँट सकते हैं। इसलिये मैं ने देश की जनता

से सर्वदा यह अपील की है कि वह अन्न का उत्पादन बढ़ाये। अन्न का उत्पादन बिला किसी अधिक प्रयास के बढ़ाया जा सकता है, यदि हम इसकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान दें। आज दूसरी सभा में मैं प्रातः काल यह कह रहा था कि इस बात का तखमीना लगाया गया है कि हमारे यहां अन्न की कितनी कमी है और पता चला है कि वह लगभग १० प्रतिशत है। मैं यह नहीं समझता कि जहां आज किसान लोग दस मन पैदा कर रहे हैं वहां ११ मन पैदा नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने लगे तो हमें विदेशों से अन्न मगाने की कोई जरूरत न रहेगी और हमें जितना आज मिल रहा है उतना ही अन्न विदेशों से खरीदे बिना मिळना रहेगा।

इसी प्रकार हमें यह भी पता है कि कपड़ा इस देश में इतना कम क्यों हो गया है। वहां भी कुछ इसी प्रकार की समस्या है। जब कि मत्र के लिये काफी कपड़ा नहीं है तो नियन्त्रण का केवल यही नतीजा हो सकता है कि थोड़ी ही मात्रा में हरेक को कपड़ा मिले। यह सम्भव है कि प्रशासन में ऐसे दोष हों जिनके कारण किसी हद तक भ्रष्टाचार या चोरबाजारी होती है। पर आप इसी बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसी हालतों में हरेक को कुछ मिले और किसी को भी बहुत न मिले। अतः देश को आज जिन बातों की जरूरत है वह यह है कि उन मत्र चीजों की अधिक पैदावार के लिये प्रयास करें जिनकी हमें जरूरत है। हमें स्वराज्य मिल गया है और पिछले तीन या अधिक वर्षों में हम अपनी इच्छानुसार और अपने विचारों के अनुसार राजकाज चलाते रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा लगता है कि हम मत्र ने स्वतन्त्रता के महत्व, प्रभाव और अर्थ को पूरी पूरी तरह नहीं समझा है। हमारी स्वतन्त्रता का एक फल यह होना चाहिये कि प्रत्येक के मन में ऐसा उल्लास पैदा हो जो हम मत्र के जीवन को हर प्रकार से बेहतर बनाने के प्रयास में व्यक्त हो। कुछ भी कारण क्यों न हो आज ऐसी बात मत्र तरफ नहीं दिखाई देती। बहुत प्रदेशों में और बहुत लोगों में इस प्रकार की भावना फैली हुई मालूम पड़ती है कि मतों यह सब काम सरकार का ही है और जनता और अन्य मत्र लोगों को तो केवल हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहना है और सरकार से यह अपेक्षा करनी है कि उनके लिये वह सब कुछ करे। मैं नहीं समझता कि इस तरह का रख सही है। क्योंकि अन्ततोगत्वा सरकार तो जनता के प्रतिनिधि होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और स्वयं तौर से यह बात प्रजातन्त्रात्मक सरकार के बारे में बिल्कुल ठीक है। यदि यह सचमुच में जनता की प्रतिनिधि है तो उसे जनता की इच्छाइयों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करना है बल्कि उसकी बुझाइयों की भी वह प्रतिनिधि होगी ही। यदि जनता में कमजोरियों की प्रधानता हो तो यह हो ही नहीं सकता कि उनकी झलक सरकार में भी न आये। यदि आज यह बात है कि हमारे प्रतिनिधि सर्वदा योग्य सिद्ध नहीं होते तो हमें इस बात को बहुत शानिपूर्वक मोचना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उनको कमजोरिया क्या वे ही कमजोरिया नहीं हैं जो हम में से प्रत्येक में हैं। समस्या को सुझाने का बड़ुन ही आसान तरीका लोगों को यह लगना है कि दूसरों पर दोष डाल दिया जाये और अपने को दोष से सर्वथा मुक्त मान लिया जाये। इस से तो सब समस्याये तुरन्त हल हो गई प्रतीत होती है क्यों कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि दोष दूसरे का है हमारा नहीं है तो हमारे ऊपर फिर कोई भार रहता ही नहीं। किन्तु वास्तव में यह कोई हथ नहीं है। हमको अपने दिम को टटोलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो बात गलत हुई है उसके गलत होने में हमारी जिम्मेदारी कहां तक है और उस गलती में हमारा कितना हिस्सा है। यदि हम सचमुच में ईमानदार हों और अपना

दिल टटोल कर देखें तो हम को पता चलेगा कि इस प्रकार की गलती में हमारे में से हरेक का भाग कुछ नगण्य नहीं है और जब हम एक दफे इस बात को पहचान लेंगे और जब हम यह समझ लेंगे कि हमें हालत को दुस्त करना है तो हम अपने आ ही इस काम को शुरू कर देंगे। उत्तर भारत में एक कहावत है कि मन्दिर में दिया जलाने के लिये जाने से पहले अपने घर में ही दिया जलाओ। अतः हमें अपने मन को पहले ज्योतिर्मय करना है और तब मन्दिर या गिरजा या यहूदी उपासनाघर को जाकर प्रकाशित करने की बात सोचनी है। यदि हम ने ऐसा किया तो हम स्वतः ही मन्दिर के चारों तरफ प्रकाश कर चुके होंगे और मन्दिर को फिर किसी दीप की जरूरत न रहेगी। क्योंकि इस के चारों तरफ तो प्रकाश होगा ही और वह मन्दिर को भी प्रकाशित करने के लिये पर्याप्त होगा। किन्तु यदि हम मन्दिर में ही दिव्य जगन् की बात सोचने रहे और अपने अन्तरगत की बात न सोचें तो वह ज्योति बड़ी धुंधली होगी और चारों तरफ अन्धेरा बना रहेगा। मैं कभी कभी यह सोचा करता हूँ कि क्या हम आज इसी अवस्था में नहीं हैं? अभी तक हमने अपनी स्वतन्त्रता के महत्व को भी पूरी तरह नहीं पहचाना है और हम अभी तक उसी मानसिक अवस्था में हैं जब हम हर बात के लिये सरकार को दोषी ठहराया करते थे और अपने अन्दर दोष न टटोलते थे। सम्भवतः हमारे राजनैतिक विनाश में वह एक बहुरी मंजिल थी। किन्तु अब जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है हमें वह आसन छोड़ देनी चाहिये और यह समझना चाहिये कि हमारी यह जिम्मेदारी है, हम में से प्रत्येक की यह जिम्मेदारी है कि हम इस बात की कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी जो बात हम देश में हो सकती है वही यहाँ हो। अन्ततोगत्वा व्यक्ति ही तो समाज का मूल आधार है। व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त समाज और है ही क्या और जब तक इमारत की हर ईंट टोक ठीक नहीं रखी गयी हो और जब तक वह ईंट मजबूत न हो तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि सारी इमारत मजबूत होगी अतः हमें व्यक्ति को सुधारना है। वही कारण है कि हम को विभिन्न प्रकार के आदर्शों में कुछ न कुछ मूलभूत अन्तर मिलना ही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि सारे समाज को दोषों से मुक्त करने के लिये व्यक्तियों को दोषों से मुक्त करना चाहिये। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति और समूह हैं जो यह सोचते हैं कि समूह ही व्यक्ति को सही रख सकता है। मेरा अपना विचार है कि समूह व्यक्ति से बहुत कुछ विभक्त नहीं हो सकता तथा किसी समूह का व्यक्ति को सही रास्ते पर रखने का प्रयास अवश्य अमफल होता है। यह सही बात है कि समूह व्यक्ति से ऊँचे दर्जे पर नहीं हो सकता। आविष्कार समूह में नियम बनाने वाला कौन होगा और कौन समूह में से व्यक्ति को यह बतायेगा कि क्या बात गलत है? सधर्ष, अन्तः सवर्ष तो स्वाभाविक है। इस संघर्ष को दूर करने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि व्यक्ति को सुधारा जाये जिससे कि समूहों में पारस्परिक सधर्ष न हो। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों में, जो व्यक्ति के सुधार को बड़ा महत्व देते हैं और उन सब सिद्धान्तों में जो समाज पर अधिक बल देते हैं यह एक मूलभूत अन्तर है। मुझे आशा है कि देश के इस सजग विभाग में जहाँ शिक्षा का इनका प्रसार हो गया है आप इन दोनों विचार प्रणालियों के अन्तर को पहचान लेंगे और आप समझ लेंगे कि अन्ततोगत्वा समाज व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी तरह से नहीं बन सकता और इसमें व्यक्तियों के चरित्र, शील और आदर्शों से विभिन्न अपना कोई अन्य चरित्र, शील या आदर्श नहीं हो सकता। इसलिये ऊपर से यह व्यक्ति पर कोई बात नहीं लाद सकता; इसे तो व्यक्तियों के अनुकूल ही आदर्शों का निर्माण करना होता है और अन्ततोगत्वा हमें व्यक्ति पर ही ध्यान देना होता है

और उसी को सुधारना होता है। अब जब हमें स्वराज्य मिल गया है हमें अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये और व्यक्ति के जरिये ऐसे राज्य के बनाने की कोशिश करनी चाहिये जो हर दृष्टि से आदर्श राज्य हो।

महात्मा जी अहिंसा पर बहुत जोर दिया करते थे। वास्तव में समाज केवल अहिंसा पर ही आधारित हो सकता है और उसी पर उसकी नींव हो सकती है। इस आशा में कि हिंसा के द्वारा हम हिंसा बन्द कर देगे हिंसा करना लाभदायक नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर में एक कहावत है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोयी जा सकती। कीचड़ को धोने के लिये तो शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। तभी आप इमको धोने में सफल हो सकते हैं नहीं तो कीचड़ चिपकी रहेगी। इसी प्रकार हिंसा से हिंसा नहीं दबाई जा सकती। हिंसा में वास्तव में छुटकारा पाने के लिये आपको हिंसा से बेहतर चीज की जरूरत होती है। कीचड़ को धोने के लिये आपको कीचड़ से अधिक उत्तम वस्तु की जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ अहिंसा की जरूरत पड़ती है और यही बात महात्मा गांधी कहते थे। उन्होंने इस बात को महज ही पहचान लिया था कि भारतवर्ष जैसे देश के लिये जहाँ अनेक प्रकार के मतमतान्तर हैं, जहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं वहाँ हमारे झगड़ों और समस्याओं का तब तक कोई अन्त न होगा जब तक कि हमारे दैनिक जीवन का आधारभूत तत्व अहिंसा नहीं बन जाती और तब तक हम उस मजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ हम कह सकें कि हम गुन्ही लोग हैं। यह बात हमारे लिये ही नहीं ठीक है बल्कि समग्र भ्रष्ट के लिये भी ठीक है। समग्र के लिये यह इसलिए ठीक है क्योंकि भारत भी तो समग्र के विरुद्ध शरीर का मूक स्वरूप है; जो कुछ समग्र में है वही छोटे पैमाने पर हमारे देश में है। और यदि हम अहिंसा द्वारा ऐसी किसी चीज को पाने में सफल हुए हैं जिसका कुछ वर्ष पूर्व किसी ने स्वप्न भी नहीं देखा था तो उसी अहिंसा द्वारा हम इस देश की भावी उन्नति करने में समर्थ होंगे। अब जहाँ भी भेरे लिये यह बात सम्भव हुई है लोगों के दैनिक जीवन के लिये, उनके आपस में एक दूसरे से व्यवहार के लिये और अन्य देशों से अपने देश के व्यवहार के लिये मैंने अहिंसा पर बल दिया है। ठीक है वही कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब अपने विवेक के विरुद्ध भी हमें काम करने की मजबूरी होती है। यह बात समझ में आ सकती है कि लोग इस प्रकार मजबूरी में किये गये काम के बारे में कोई खयाल न करें किन्तु यदि हम जान बझ कर सही रास्ते से विचलित होते हैं तो हमारा ऐसा करना एक रोग के समान हो जाता है। हमें जिस बात की आवश्यकता है वह मजबूरी में आने जीवन की अहिंसा द्वारा निर्मित करने का सही दिल से किया हुआ प्रयास है। यदि उसके बावजूद हमें इस रास्ते से इधर उधर हटना पड़े तो उसका अधिक महत्व नहीं होगा क्योंकि अन्त में तो हम सही रास्ते पर आने में समर्थ हो ही जायेंगे। किन्तु यदि सीधे रास्ते से एक बार हम पूरी तरह अलग चले जाते हैं तो फिर भविष्य के लिये कोई आशा नहीं रहती। यह वह बात है जिसे मैं चाहता हूँ कि जिनके हाथों में सत्ता है वे सब लोग पहचान लें। ऐसा होने पर हमारी सब समस्याएँ दूर हो जायेंगी। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात् दिन आता है उसी प्रकार यह सब कठिनाइयाँ जिन का सामना हमें आज करना पड़ रहा है उसी समय दूर हो जायेंगी जब हम यह बात पहचान लेंगे। खाने के मामले में भी किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता तब न रहेगी जब कि बिना किसी दबाव के और खुशी से हमारे पास जो कुछ है उसे हम दूसरों के साथ बाँटने के लिये तैयार होंगे। अहिंसा का यह

प्रभाव होता है। जब हम सब सचाई को पूरी तरह से पहचान लेंगे तब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जिसका हम हल न कर सकते हों। अतः इस देश में यह आवश्यकता है कि जो कुछ महात्मा गांधी ने कहा उसके प्रति हम समुचित ध्यान दें और केवल उनके नाम को लेकर ही सन्तुष्ट न हो जायें वरन् उस रास्ते पर भी अमल करें जो उन्होंने हमें दिखाया था। इस बात की हमें आवश्यकता है। मैं सब भाइयों से यह आग्रह करके कहता हूँ कि गांधी जी के सिद्धान्तों का अध्ययन करने से बेहतर और उनके कदमों पर चलने से बेहतर हम और कोई काम नहीं कर सकते। देश का कोई आदमी भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह यह बात पूरी तरह से कर सकता है। यदि ऐसा कोई करने के योग्य न हो तो मैं उसे दोष न दूंगा किन्तु जिस बात की आवश्यकता है वह इस तथ्य को पहचानना है और इस पथ पर चलने का हार्दिक प्रयास है। जहाँ वह किया गया वहीं सब बातें आसान हो जायेंगी। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको ज्यादा थका नहीं दिया है और जिस धैर्य से आपने मेरी बात सुनी है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### इरनाकुलम में नागरिक अभिनन्दन

\* इरनाकुलम में २९ मार्च, १९५१, को दरबार हाल में दिये गये नागरिक अभिनन्दन का उत्तर देते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

मित्रो,

यह अभिनन्दन पत्र दे कर आप ने जो मेरा आदर किया है उस के लिये मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पिछले चार पांच दिनों में जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे प्रशंसा के बोझ से लुप्त दिया गया है। इरनाकुलम या इस राज्य में मैं प्रथम बार नहीं आया हूँ किन्तु भारत के राष्ट्रपति का तो वास्तव में यहाँ प्रथम बार आना हुआ है। मैं जानता हूँ कि हमारे विशाल देश में प्रति दिन पैदा होने वाली अनेक और जटिल समस्याओं में निरंतर लगे रहने से राष्ट्रपति की कितनी खराब हालत हो गई है। स्वतन्त्र भारत द्वारा निर्मित प्रथम संविधान आज कल लागू है। यह संविधान अभी १४ महीने ही व्यतीत हुए प्रवृत्त हुआ था। इस थोड़े समय में संविधान के विभिन्न उपबन्धों को अमल में लाने की हम पूरी कोशिश करते रहे हैं। इस में अनेक अपूर्व बातें हैं। संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों का जो अनुभव हुआ है उस सब पर ही यह आधृत है और मैं आप से कह सकता हूँ कि समस्त संसार के सब देशों के वर्तमान संविधानों से हम ने उन की बातें स्वतन्त्रतापूर्वक इस में अपना ली हैं। हम ने उन बातों को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि हमें इस में कहां तक सफलता हुई है। यह बात तो समय ही बतायेगा। किन्तु उन्हें हम ने अपनी जनता के लिये उपयोगी बनाने की कोशिश की है और यह कोई मामूली काम नहीं हुआ है। अपने विभिन्न उपबन्धों के कारण ही य, उतनी बड़ी कृति नहीं है जितनी कि यह इस लिये बड़ी है कि सारे देश की जनता की भरी पूरी इच्छा इस में मूर्तिमान हो गई है। हमारे यहाँ अनेक समुदाय हैं, जातियां हैं, पन्थ

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद



और अनेक विभिन्न रूढ़ियाँ हैं और भाषायें हैं। अतः हमारे यहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय दूसरे समुदाय से और एक समूह दूसरे समूह से अनेक प्रकार बंटा हुआ है। किन्तु इस सब की विभिन्नता की तह में भारत में अपूर्व एकता भी है। इस समय मैं देश के लग-भग दक्षिणी छोर में हूँ। मैं लग-भग उत्तर के सब से अन्तिम छोर वाले प्रदेश का हूँ किन्तु मैं आप को यह बात यकीन दिला कर कहता हूँ कि भाषा और रूढ़ियों की विभिन्नताओं के बावजूद तथा कुछ सीमा तक खाने की विभिन्नता के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आप लोगों से अलग हूँ और मुझे विश्वास है कि आप में से जिन लोगों को भारत के उत्तरी प्रदेशों की यात्रा करने का अवसर मिला है उन में से अनेकों को उसी प्रकार की हृदय की और संस्कृति की एकता का अनुभव हुआ होगा जैसे अनुभव का कि मैं, जो उस विशाल देश के चतुर्दिग में घूम आया हूँ, दावा करता हूँ। इन सब विभिन्न तत्वों को संविधान द्वारा हमें एक शासन के अधीन लाना पड़ा है। और जैसा कि मैं ने अभी कहा हमारी महान् सफलता यह थी कि देश के सब भागों के प्रतिनिधि एक साथ बैठें और उन्होंने ने इस संविधान को बनाया। ऐसे अवसर भी आये जब पारस्परिक मत विभेदों को दूर करना न्यूनतम असम्भव मालूम पड़ता था। किन्तु अन्ततोगत्वा बात ठीक बन गई और सब ऐसी बातों पर जिन के सम्बन्ध में आपस में मत विभेद था एक राय से निर्णय किया जा सका। हमारी यह महान सफलता थी और अब हमारे ऊपर यह भार है कि हम संविधान पर उसी भावना से अमल करें जिस भावना से कि यह ओतप्रोत है। एक ऐसे सुन्दर संविधान का लिख देना जो पढ़ने में निर्दोष लगे आसान बात है किन्तु यदि उसी संविधान पर ईमानदारी से और लगन से अमल न किया जाये तो वह वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध हो सकता है। हम ने पहला भाग पूरा कर लिया है। हमारे पास बहुत सुन्दर संविधान है। अब हमारे ऊपर यह भार है कि हम इस पर इस तरह से अमल करें कि वह उद्देश्य जो इस के निर्माताओं के मन में था, वह उद्देश्य जो इस संविधान की प्रथम कण्डिका में और बड़ी सुन्दर भाषा में भारत के उद्देश्य के रूप में उल्लिखित है, पूरा हो जाये।

आप जानते हैं कि इस संविधान के अधीन केवल वे ही प्रदेश नहीं सम्मिलित कर दिये गये हैं जो पहले अंग्रेजी प्रान्त थे वरन् इस संविधान के अधीन वे देशी प्रदेश भी कर दिये गये हैं जो पहले देशी रियासत कहे जाते थे। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों में हमारी सफलताओं में से एक यह बड़ी सफलता रही है कि हम एक संविधान के अधीन, एक सर्वोपरि शासन के अधीन केवल प्रान्तों को ही नहीं वरन् देशी रियासतों को मिलाने में सफल हो गये हैं। जैसा मैं ने अभी अगले दिन कहा था यह सफलता जनता की सफलता है किन्तु साथ ही यह सफलता हमें राजाओं की देशभक्ति, दूरदर्शिता, और राजधर्म-प्रियता के कारण भी मिली है। तथा सब ने ही मिल कर राजनैतिक क्षेत्र में इस एकता की स्थापना की है। मैं यह आशा करता हूँ कि संविधान पर अमल करने के लिये भी वे इसी प्रकार आपस में मिल कर कार्य करेंगे जिससे कि जो उद्देश्य हमारे सामने है उसे पूरा करने के लिये हम समर्थ हो सके। वह उद्देश्य भी तो कोई छोटा मोटा नहीं है। वह है हमारे देश का सुख और सम्पन्नता।

दिन प्रति दिन हमारे सामने अनेक समस्यायें आती हैं और उन में से कुछ तो बहुत कठिन समस्यायें होती हैं किन्तु भगवान की अनुकम्पा से हम उन सब को हल करने में

सफल होंगे और अब तक हम अनेक कठिनाइयों को दूर करने में सफल हुए भी हैं। मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि जनता के सामने जो आज अनेक कठिनाइया हैं उन का मैं यहाँ वर्णन करूँ। राजनैतिक कठिनाइयाँ रही हैं और न्याय और व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयाँ रही हैं। हम इन कठिनाइयों को दूर करने में काफी सीमा तक सफल हुए हैं। आज हमारे सामने अत्यन्त कठिन अन्न की समस्या है; मैं इस को बढ़ा कर नहीं कहना चाहता। किन्तु इस की गम्भीरता को घटाने का प्रयास भी कुछ माने नहीं रखता। हम इस समस्या का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु जैसा मैं बहुधा कहता हूँ सरकार चाहे कुछ भी करे सच बात तो यह है कि यह जनता का ही काम है कि वह इस स्थिति का सामना करे और इस समस्या को सुलझाये। यह ठीक है कि सरकार को अपना कर्तव्य निभाना है और आप यकीन रखें कि जो कुछ भी स्थिति को सुधारने के लिये किया जा सकता है वह कर रही है। हम बाहर से जितना अन्न आयात कर सकते हैं उतना आयात करने का प्रयास कर रहे हैं और अब के वर्ष में तो पहले से भी कहीं ज्यादा मात्रा में हम अन्न का आयात कर रहे हैं। किन्तु यह सब करने के बाद भी समस्या को सुलझाने का काम वास्तव में जनता का ही है। यह देश बड़ा विशाल देश है और प्रकृति ने हमें अत्यन्त उत्तम और उर्वरा भूमि दी है और साथ ही ऐसी आब हवा दी है जिस में हम ऐसी सब चीजें पैदा कर सकते हैं जैसी कि संसार के किसी अन्य देश में पैदा की जा सकती है। ऐसा कोई फल या अनाज नहीं है जिसे हम यहाँ पैदा न कर सकते हों। ऐसी आब हवा होने पर भी, इतनी वर्षा होने पर भी, इतनी उर्वरा भूमि होने पर भी यदि हम अपनी आवश्यकतानुसार अन्न पैदा करने में समर्थ नहीं हैं तो यह बात विचारणीय है कि हमारी इस असमर्थता का क्या कारण है और क्यों यह बात है कि हमें अपनी जनता के पेटपालन के लिये विदेशों से अन्न मगाना पड़ता है। जरूर कही न कही कोई कमी है और हर जिम्मेदार नागरिक का यह धर्म है कि उस की खोज करे और उस का इलाज करे। मेरी अपनी भावना यह है—और यह जिन गांव वालों से मिलने का मुझे मौका मिलता है उन से मिलने पर मुझे जो तजुर्बा हुआ है उस पर आधृत है—कि यदि उन गांव वालों को सही रास्ता दिखाया जाये तो वे सफलताओं के बहुत ऊँचे शिखर तक पहुँच सकते हैं। यदि हमें आज अनाज की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है तो कही न कही ऐसी कोई बड़ी खामी है जिस की वजह से यह कमी हो रही है और यह सरकार का काम है, जनता का काम है, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का काम है कि वे मिल कर सोचें और उस का कारण पता चलायें। मेरा विश्वास है कि हम ज़्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। आखिरकार हमारे देश में अन्न की जो कमी है वह कुछ ज़्यादा तो नहीं है। इस बात का अनुमान लगाया गया है कि यह कमी लगभग १० प्रतिशत है। मान लीजिये कि यह १५ प्रतिशत है तो भी यह ऐसा कोई कठिन काम नहीं है कि इस कमी को दूर न किया जा सके। खेती में थोड़ी और अधिक होशियारी से काम कर के, कुछ अधिक खाद का प्रयोग करके, कुछ अधिक खेती की देखभाल कर के मेरे विचार में यह बिल्कुल सम्भव है कि जहाँ हम अब १० मन पैदा करते हैं वहाँ उस के अलावा १ मन और पैदा करने लगे। इस बात से भी आंख नहीं मोड़नी चाहिये कि आजकल सरकार बड़ी बड़ी ऐसी योजनाओं पर विचार कर रही है जिन पर अमल करने से काफ़ी नई भूमि में खेती होने लगेगी और काफ़ी ऐसी भूमि

में सिंचाई का प्रबन्ध होगा जहां आज कल सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है। वास्तव में खेती की समस्या तो सिंचाई की ही समस्या है। मैं ने ऐसे प्रदेश देखे हैं और खास तौर से राजपूताना जैसी जगहों में। जो कि आजकल मरुभूमि गिनी जाती हैं वहां ऐसे प्रदेश देखे हैं कि यदि आप वहां काफी गहरा कुंआ पानी देने के लिये खोद लें तो आप वहां फसल पैदा कर सकते हैं। अतः यह तो सिंचाई की ही समस्या है और मुझे विश्वास है कि जो नदी योजनायें आज निर्मित हो रही हैं अथवा जिन के बारे में अभी जांच ही कि मंजिल है वे जब पूरी हो गयी होंगी तब अन्न के बारे में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद कोई कठिनाई नहीं रहेगी। किन्तु जब तक यह नहीं होता तब तक भी तो हमें अपनी जनता का पेट भरना है और इस प्रयोजन के लिये बड़ी योजनाओं के काम में आने तक तो हमें हाथ पर हाथ रखे बैठा नहीं रहना चाहिये वरन् अपने वर्तमान कल पुरजों से और कुछ अधिक परिश्रम और होशियारी से हमें इस कमी को दूर कर लेना चाहिये। मैं जानता हूँ कि इन प्रदेशों में जहां आप को अन्न की कठिनाई हो रही है आप तपियोका की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिस से कि कम से कम चावल पर लोगों की निर्भरता कुछ कम हो जाये। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रयोग आजकल किये जा रहे हैं वे सफल होंगे और लोग तपियोका को बहुत हद तक चावल के स्थान में काम में लाने लगे। यदि यह प्रयोग यहां सफल हो गया तो देश के अन्य विभागों की खाद्यावस्था के सुधारने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। अतः मैं भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी नहीं हूँ और हमारे सामने आज जो भी मुश्किलें हैं उनके बावजूद मुझे यह आशा है कि अन्ततोगत्वा परिस्थिति अच्छी हो जायेगी।

बहनो और भाइयो, जितना समय मुझे लेना चाहिये था उससे अधिक समय मैं पहले ही ले चुका हूँ। संविधान को जनता को ही अमल में लाना है। संविधान के अधीन जब हम निर्वाचन करेंगे तब हम एक प्रकार से एक बड़ा प्रयोग शुरू करेंगे। चुनावों के बाद ही तो सारा संविधान अमल में आयेगा। यद्यपि मैं राष्ट्रपति हूँ और राष्ट्रपति के सब अधिकार और उत्तरदायित्व मेरे अधिकार और उत्तरदायित्व हैं तो भी मैं तो अस्थायी रूप से केवल जगह भरने के लिये हूँ क्योंकि मैं उस प्रकार निर्वाचित नहीं हुआ हूँ जिस प्रकार की पूर्णरूपेण राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यह तो अगले नवम्बर और दिसम्बर में ही होगा। किन्तु ये चुनाव जब हों तब आप यह बात ध्यान में रखें कि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। चुनावों का प्रबन्ध करना भी इतना बड़ा काम है जिसे किसी सरकार को अब तक नहीं करना पड़ा है। २१ वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले १७ या १८ करोड़ नरनारियों के मत लिये जाने हैं और निर्वाचन केन्द्रों तथा उनमें आने वाले निर्वाचकों की संख्या इतनी बड़ी है कि संसार के आज तक के इतिहास में जितने निर्वाचन हुए हैं उनमें उतनी नहीं थी। हमें यह आशा करनी चाहिये कि हम अपना पार्ट ठीक अदा करेंगे और अपना मत ईमानदारी से और सही तौर पर सारे देश की भलाई के लिये और सारी जनता की भलाई के लिये देंगे और ऐसा करने में किसी विशेष व्यक्ति की ही भलाई, किसी विशेष समुदाय, समूह या दल की ही भलाई से प्रभावित न होंगे। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने प्रतिनिधियों को ठीक तरह से चुन सकें और मैं आशा करता हूँ कि उन प्रतिनिधियों में ऐसी बुद्धि और शक्ति होगी कि वे देश के सब काम ठीक ठीक तरह से चलायेंगे। यदि हम इस बात में सफल हो गये तो हमारा संविधान भी

सफल सिद्ध होगा और यदि हम इसमें असफल हुए तो हमारा संविधान भी असफल सिद्ध होगा। किन्तु इसमें मुझे शंका नहीं है कि हम असफल नहीं होंगे। परमात्मा हमारी सहायता करेगा। जो आदर आपने मेरा किया है उसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ।

### फेडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स के भवन का शिलान्यास

ता० २-४-५१ को ६-३० बजे दिन में फेडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स के भवन का शिलान्यास करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री तुलसीदास किलाचन्द, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस समारोह में शरीक हो सकूँ। खुशी इस लिये है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसी जमात के आदमी हैं जिस जमात से देश को पिछले दिनों में बहुत मदद मिली है और आइन्दा और भी मदद मिलने की आशा रखी जाती है। कोई भी आदमी जो पिछले तीस वर्षों के हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के साथ किसी तरह से सम्बद्ध रहा है उसको मालूम है कि हर मौके पर जब जब हमारी तरफ से आप लोगों से सहायता मांगी गयी तो आपने हर तरह से सहायता की। मुझे वह दिन याद है जिस वक्त हम लोग अंग्रेजी कपड़े के बहिष्कार की बात सोच रहे थे और जिस वक्त रुई के बाजार को बन्द करने की बात चल रही थी और चूक चन्द दिनों के लिये मैं उस समय जेल से बाहर था मुझे याद है कि किस उत्साह और खुशी से आप लोग उस बहिष्कार के काम में शरीक हुए और हर तरह से उस वक्त आन्दोलन को सफल बनाने में आपने मदद की। इसी तरह से और और मौकों पर जब ज़रूरत हुई कि आप अपनी मदद दें, तब अपनी राय से, सलाह मशविरे से और दूसरी तरह से मदद देकर आपने उस काम में हाथ बंटाया। इसलिये पिछला इतिहास तो अच्छा है ही, आइन्दा का जो हमारा भविष्य है उसके बारे में भी यह आशा रखी जाती है कि जब देश की पुकार होगी और किसी बात की ज़रूरत होगी तो आप किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे।

आप जानते हैं कि आजकल एक नाजुक वक्त बीत रहा है, सिर्फ हमारे देश के लिये ही नहीं, सभी देशों के लिये यह नाजुक वक्त है। और इस वक्त खास करके हमारे देश में अन्न की कमी, कपड़े की कमी और दूसरी चीजों की महंगाई की वजह से लोगों में घबराहट है। इनको दूर करना एक ऐसा काम है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ही शक्ति से इसे नहीं कर सकती है। हर भारत-वासी से आशा रखी जाती है कि वह जिस तरह से हो मुसीबत को दूर करने में मदद पहुंचाये। मुझे आशा है कि आप भी अपनी अपनी बुद्धि लगाकर, अब तक जो आपको अनुभव हुआ है उसे लगाकर अपनी तरफ से मदद करेंगे। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट की नीति कुछ ऐसी है कि किसी किसी बात में आपकी नीति से नहीं मिलती है। यह भी हो सकता है कि आपकी राय में और गवर्नमेंट की राय में फर्क हो। यह सब होते हुये भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश को ज़िन्दा रहना है, इस देश के लोगो को रहना है और सरकार को भी रहना है। इस चीज को सामने रख कर और जो मतभेद हो उसे भी सामने रख कर हर तरह से मदद देना सबका धर्म है। तभी मुसीबत दूर हो सकेगी।

आपके इस शुभ काम में हाथ बटाने में मुझे इसलिये और भी प्रसन्नता है कि आपका फ़ेड-रेशन, जिसका इतने दिन काम करने पर भी अभी तक अपना मकान या खास जगह नहीं थी, अब अपने लिये अपनी इमारत बनाने का प्रबन्ध कर रहा है। दिल्ली आज सारे भारतवर्ष का केन्द्र हो रही है और यहाँ इस तरह का इन्तज़ाम होना आवश्यक था। इसलिये आपने यहाँ अपना भवन बनाने की बात ठीक ही सोची है। मुझे आशा है कि इस भवन के बन जाने पर आपके काम में स्थिरता आ जायेगी और आपका काम और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हर तरह की सहायता देश को आपसे मिलती रहेगी। धन्यवाद।

### मद्रास का वाल मन्दिर

\*बाल मन्दिर मद्रास में शुक्रवार ६ अप्रैल, १९५१ को राष्ट्रपति जी ने बोलते हुए कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, श्री कामराज नादर, बहनों और भाइयों,

इस संस्था में मैं आ सका इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह संस्था कम उम्र की है किन्तु इसका भविष्य उज्ज्वल है और मुझे इसमें कोई शका नहीं है कि कालोपरान्त यह एक महान् और उपयोगी संस्था बन जायेगी।

परित्यक्त बालकों की समस्या पर हमारे देश में कुछ विशिष्ट ध्यान नहीं दिया गया है और मुझे यह बात यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि क्या हमारे देश के अन्य या बहुत से स्थानों में इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ हैं या नहीं। फल यह होता है कि बहुत से परित्यक्त बालक या तो क्षुधा से मर जाते हैं और या बड़ी अवांछनीय रीति से जीवित रहते हैं। वाल मन्दिर के सस्थापकों ने ऐसी संस्था स्थापित करके बड़ा शुभ काम किया है और जिस रीति से आप कार्य कर रहे हैं उससे प्रकट है कि आपको जनता का समर्थन प्राप्त है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने आपको यह भूमि दी है और जनता आपको भवननिधि में मुक्त हृदय से दान दे रही है और यह निधि वरावर बढ़ रही है। मुझे आशा है कि जब तक मेरे लिये दूसरी बार मद्रास आना सम्भव होगा तब तक संस्था के पास अपने ही भवन में आज से कहीं ज्यादा स्थान होगा और जनता से भी इसे और अधिक मात्रा में समर्थन प्राप्त हो रहा होगा जिस समर्थन की कि यह बहुत अच्छी तरह से अधिकारिणी है।

### मद्रास में नागरिक अभिनन्दन

\*मद्रास में ६ अप्रैल, १९५१ को दिये गये नागरिक अभिनन्दन पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति ने कहा— महामहिम राज्यपाल साहब, नगराध्यक्ष महोदय, उपनगराध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य, निगम के सदस्यो, बहनों और भाइयों,

यह अभिनन्दन पत्र दे कर आपने जो मेरा आदर किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज त्रासः से ही जब मैं यहाँ आया तो मुझे आप सब का स्नेह और सद्कामनाएँ

\* अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद

मिलती रही है। जिन सड़कों पर हो कर मुझे गुजरना पड़ा है वे दोनों ओर ऐसे लोगों से खचाखच भरी हुई थीं जो भारत के राष्ट्रपति के प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। मुझ में इतना मिथ्या-भिमान नहीं है कि मैं यह मान लूँ कि यह सब मेरे व्यक्तित्व के लिये किया गया है। इस देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति से और इस देश के लोगों को ऐसा दर्जा मिल जाने से जिस में वे अपने में से एक को इस विशाल देश के राज्य के प्रधान के रूप में चुन सकते हैं आपको जो हर्ष हुआ है उसी की यह वास्तव में अभिव्यक्ति है।

मैंने आप के अभिनन्दन पत्र को बड़े ध्यान से सुना। इस में आपने उन कठिनाइयों का वर्णन किया है जो इस नगर के निगम को भुगतनी पड़ रही है। मेरा विचार है कि इस प्रकार की समस्याएं सारे देश में ही हैं। हमारे नगर इस तरह बढ़ रहे हैं कि वे पहचान में नहीं आते। बड़े शहर तो तिगने बढ़ गये हैं। और कुछ कुछ तो चौगने बढ़ गये हैं। छोटी नगरियां भी पिछले पन्द्रह या बीस वर्षों में अपने पुराने कलेवर की दुगनी या तिगनी हो गई हैं। इन सब नगरियों और नगरों में खास जन संख्या के अनुकूल ही अपनी अपनी सुविधायें थीं। अब जब कि उन की जन संख्या पहले से दुगनी या चौगुनी हो गई है तो स्वभावतः वहां नई समस्यायें पैदा हो गई हैं। किन्तु यह समस्यायें ऐसे समय में पैदा हो रही हैं जब हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अतः आप लोगों को धैर्य से काम लेना है और अपनी शक्ति को और अपने साधनों को अक्षुण्ण बनाये रखना है और उन्हें जनता के यथासम्भाव्य सर्वोत्तम लाभ के लिये प्रयोग करना है। अतः यह जान कर मुझे खुशी है कि आपने बस्तियों को साफ करने का काम अपने हाथ में लिया है और उस दिशा में आप ने काफ़ी प्रगति भी की है। मुझे आशा है कि यह काम जारी रहेगा और कुछ समय पश्चात् ३१५ यह कहने की स्थिति में होंगे कि मद्रास ऐसे अमुन्दर स्थानों से सर्वथा मुक्त जिन्हें कि बस्ती के नाम से पुकारा जाता है।

मुझे यकीन है कि आमदनी के साधनों के पुनर्बंटन करने की आपकी मांग पर सम्बन्धित अधिकारी पूरी तरह से विचार करेंगे। भारत सरकार ने स्वयं जो समिति नियुक्त की है उस की रिपोर्ट पर स्वभावतः ही वह पूरा विचार करेगी। आमदनी के जरूरियों के पुनर्बंटन करते समय उन्हें राज्यों की मांगों पर भी विचार करना है। भारत सरकार के सामने जो समस्यायें हैं उन में से वास्तव में एक समस्या राज्यों और अपने बीच में आमदनी के जरूरियों के बंटवारे की समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं आज कल हम उन नियमों के अनुसार काम चला रहे हैं जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले बने थे और जब तक कि अच्छा समय नहीं आता या जब तक कि दूसरा प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक पुराना प्रबन्ध ही चालू रहेगा। मेरा अनुमान है कि यही बात नागरिक संस्थाओं के लिये भी लागू है। किन्तु मुझे आशा है कि इस बारे में कुछ किया जायगा जिस से कि विभिन्न संस्थायें और विभाग जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें पर्याप्त आमदनी हो जाये।

इस प्रश्न के अतिरिक्त जिस का सामना आज कल निगम को करना पड़ता है हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारी स्वतन्त्रता को लग भग अभी तीन ही वर्ष हुए हैं। और हर नवजात पौधे के समान हमें इस की भी होशियारी और मेहनत से रक्षा और लालन पालन करना है। कुछ बातों में हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा है। यह ठीक है कि ऊपरी विभिन्न-

ताओं के बावजूद हमारे देश में एक प्रकार की एकता अर्थात् हमारी सांस्कृतिक एकता बराबर रही है। हर प्रकार के आघातों को सह कर भी यह सांस्कृतिक एकता बची रही है। किन्तु देश के अधिकतर भाग में जैसी राजनैतिक एकता आज है वैसी यहां पहले कभी न थी। यद्यपि बंटवारे के पश्चात् उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में हमारे दो पंख कट गये हैं तो भी एक छत्र के अधीन जितना भारत किसी समय भी हमारे इतिहास में था उतने से कहीं अधिक भारत आज है। हिन्दुओं, बुद्धों, मूसलमानों और अंग्रेजों के युगमें हमारे भारत देश में बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं। किन्तु जितना क्षेत्र और जितनी जन संख्या आज भारत के गणतन्त्र में है उतना क्षेत्र और उतनी जन संख्या उन साम्राज्यों के अधीन नहीं थी। जिस संविधान को हम ने इतने ध्यान और इतने परिश्रम से बनाया है वह भारत के उसी भाग में लागू नहीं है जो कि पहले भारत सरकार अधिनियम सन् ३५ के अधीन था वरन् उस के नीचे भारत का वह भी भाग है जो पहले देशी राजाओं के शासन में था। यह काम राजाओं की देशभक्ति, नेताओं की राजधर्म-निपुणता और दूरदर्शिता के कारण और जनता के कारण भी जिसने इस प्रकार की एकता के लिये प्रयास किया हुआ है। अतः जहां तक प्रशासनीय और राजनैतिक मामलों का सम्बन्ध है हमारे यहां ऐसी एकता हो गई है जैसी कि पहले कभी नहीं थी।

किन्तु जैसा मैं ने कहा है कुछ मामलों में हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा है । भूतकाल में साम्राज्य थे किन्तु साथ ही ऐसी प्रवृत्ति भी थी—और खास तौर से दूर स्थित प्रदेशों की यह प्रवृत्ति थी—कि केन्द्र से पृथक हो जायें और यद्यपि ऐसे साम्राज्य थे और ऐसे चक्रवर्ती थे जिन का हुकम सारे देश में चलता था तो भी ऐसी कोई सरकार कभी नहीं थी जिस का समस्त देश पर अधिकार हो। आज हमारे यहां एक शासन है और एक प्रकार का विधान है जिस के अधीन सारा देश है। अतः हम को उन घटनाओं के पुनर्घटित होने से अपना बचाव करना है जो भूतकाल में हुई थीं। केन्द्र से पृथक होने की इस पृथकत्व की प्रवृत्ति को हमें किसी न किसी तरह से रोकना है। यद्यपि विभिन्न राज्य आज बहुत कुछ स्वतन्त्र रूपेण शासित हो रहे हैं तथापि हम को समस्त देश को एक संविधान के अधीन रखना है। अतः मेरी यह आशा है कि हर प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति को जो आज दिखाई देती है या जो आज चाहे नहीं दिखाई देती और आगे चल कर दिखाई देगी उसे हमें रोकना है। इस प्रयोजन के लिये हमें देश की सर्वसाधारण जनता के हृदय में एकता के महत्व को बैठा देना है। कुछ मामलों में आज संसार बहुत छोटा हो गया है। विज्ञान की प्रगति के कारण आज दूरी का अस्तित्व मिट गया है। अब दिन प्रति दिन छोटे राज्यों के लिये बना रहना अत्यधिक कठिन होता जा रहा है। हम सब को यह आशा है कि वह समय आयेंगा जब राज्यों के पारस्परिक संघर्ष खत्म हो जायेंगे और दुनिया एक हो जायेगी।

हमें इस देश में अपना व्यक्तित्व बनाये रखना है। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम समस्त देश को एक रखें। तभी हम वह शक्ति प्रदर्शित कर सकेंगे जो स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये आवश्यक है; तभी हम इस को ऐसी स्थिति में रख सकेंगे जिस में यह अपनी रक्षा कर सकता है, जनता की भी रक्षा कर सकता है और वक्त पड़ने पर दूसरे देशों की भी मदद कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि इस महान राजनैतिक एकता के महत्व को हम पहिचानें और जहां तक सम्भव हो इस को बनाये रखें। मैं इस बात के लिये भी निम्नलिखित कि समस्त देश में लोग

केवल इस एकता और जो स्वतन्त्रता हम ने प्राप्त की है उस के महत्व को ही न पहिचानें बरन् इस स्वतन्त्रता के बनाये रखने, रक्षा करने और बचाने के अपने कर्तव्य को भी पहिचान लें। हरेक भारतीय का आज यह परम् धर्म है।

अपनी स्वतन्त्रता के पिछले तीन वर्षों में निःसन्देह हमारे सामने अनेक महान् समस्यायें आई हैं। जो सरकारें चाहें केन्द्र में या राज्यों में अर्थात् समस्त देश में कार्य कर रही हैं उन के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उन अनेक मुश्किलों को वह पार कर सकी हैं जिन में पड़ कर कि वे आसानी से टूट भी जा सकती थीं। हमारे सामने अनेक प्रकार के अर्थात् राजनैतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक और इन सब से किसी प्रकार न कम होने वाली वैत्तिक और आर्थिक अनेक कठिनाइयाँ आई हैं। आज भी अन्न के बारे में हमारे सामने ऐसी स्थिति है जो साधारण नहीं कहीं जा सकती और जो कुछ बातों में अत्यन्त मुश्किल है। किन्तु हमें अपने में विश्वास रखना चाहिये और यह आशा रखनी चाहिये कि जिस प्रकार हम ने भूतकाल में मुश्किलों पर विजय पायी थी उसी प्रकार अब भी हम इन पर विजय पा सकेंगे।

मुझे मालूम है कि अन्न की समस्या को हल करने के लिये सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। विदेशों से हम बहुत बड़ी मात्रा में अन्न मंगा रहे हैं। इस देश में भी हम अन्न की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु सरकार जो कुछ करे सरकार स्वयं समस्या को हल नहीं कर सकती। साधारण जनता को यह समस्या अपनी समस्या समझ कर ही हाथ में लेनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना चाहिये कि यह उस की अपनी समस्या है और यह मान कर इस के हल करने में अपना अंशदान करना चाहिये। इसी भावना से कार्य करने पर हम इस महान् संकट से पार पा सकते हैं। मेरी आशा है कि जो मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक साधन तथा जो बौद्धिक साधन जनता के पास है उन से वह जो समस्या आज हमारे सामने है उस पर विजय पाने में समर्थ होगी। मुझे मालूम है कि आप के राज्य में एक के बाद एक कई खराब फसलें हुई हैं और स्वभावतः आप की कठिनाइयाँ बहुत भारी हैं। मैं देश के अन्य ऐसे भाग का हूँ जो स्वयं भी इन ऐसी ही कठिनाइयों के चंगुल में फंसा हुआ है यदि मैं बात बढ़ा कर नहीं कह रहा तो सम्भवतः मैं यह कह सकता हूँ कि देश के किसी अन्य भाग से उस की हालत ज्यादा खराब है। किन्तु फिर भी हमें आशा है कि जो मदद सरकार देगी उस से तथा जो मदद जनता अपने आप ही अपने लिये कर सकेगी उस से हम इस संकट को पार कर जायेंगे। आशा और दृढ़ता से हमें इन मुश्किलों का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये। तभी हम सफल हो सकेंगे।

आज हमारे सामने कुछ और भी समस्यायें हैं। आज कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। संसार आज एक कगार के छोर पर है और एक भी गलत कदम बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। हम को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। यह सम्भव है कि हम इस स्थिति से बच कर साफ निकल जायें और यह भी उतना ही सम्भव है हम इस गड्ढे में गिर जायें। जहाँ तक सम्भव हो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिये कि युद्ध का श्रेष्ठ और न फँसे। यह ठीक है कि जो साधन और शक्ति अन्य राष्ट्रों के पास है वह हमारे



पास नहीं है; साथ ही जो प्रभाव दूसरे राष्ट्र सम्भवतः रखते हैं वह प्रभाव भी नये राष्ट्र और इतनी कम उम्र होने के कारण हम नहीं रखते । किन्तु जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है हम ने इस प्रयोजन से संसार के सामने रख दिया है कि इस प्रकार की विपत्ति को घटित होने से रोका जाये । अतः चाहे इस प्रश्न पर हम अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दृष्टि से विचार करें और चाहे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की दृष्टि से विचार करें हमारे इस देश में हमें किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना है ।

हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है । हमें अभी ऐसा बजट रखना पड़ा है जिस के कारण हमें नये कर लगाने पड़े हैं । राज्यों में भी बजट में कमी रही है । इस स्थिति का हमें मुकाबला करना पड़ रहा है किन्तु इन सब कठिनाइयों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि हम ने वे सामाजिक उद्देश्य नहीं छोड़ दिये हैं जिन्हें कि हम ने अपने सामने रखा था । सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करते रहे हैं । मुझे आशा है कि हम ऐसा आगे भी करते रहेंगे और जनता को जो भी त्याग करने पड़ेंगे उन के लिये वह तैयार रहेगी जिस से कि समय पा कर जब हमारी वर्तमान कठिनाइयां दूर हो गई होंगी तब हम संसार से यह कह सकेंगे कि हमें मुसीबत के बाद मुसीबत में ही कर गुजरना पड़ा पर परमात्मा की कृपा से हम सब से बच कर साफ निकल गये । हमें यह बात न भूलनी चाहिये कि नये राष्ट्र का जब जन्म होता है तो उसे आरम्भ में अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है । हम पर भी ऐसी ही कठिनाइयां पड़ रही हैं । जब हम इन कठिनाइयों के पार पहुँच गये होंगे तब मुझे आशा है कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली, स्वस्थ और सम्पन्न राष्ट्र बन गया होगा । आपने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है और मेरा जो आदर किया है उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ ।

### मद्रास में व्यापार मंडल द्वारा अभिनन्दन

\*मद्रास में चेम्बर आफ कामर्स द्वारा ७ अप्रैल, १९५१ को दिये गये संयुक्त अभिनन्दन पत्र के उत्तर म राष्ट्रपतिजी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, चेम्बर आफ कामर्स के सदस्यों, बहनो और भाइयों,

यह अभिनन्दन पत्र दे कर आपने जो मेरा स्वागत किया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ । आप ऐसी जाति के प्रतिनिधि हैं जिसे देश के औद्योगिक विकास में बड़ा काम करना है । अगले दिन जब दिल्ली में चेम्बर आफ कामर्स के संघ के सामने भारत के प्रधान मन्त्री ने भ्रष्टण किया तो उस में उन्होंने कुछ ऐसी आधारभूत बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिन्हें सर्वदा ही ध्यान में रखना आवश्यक है । हम सब यह जानते हैं कि आज के भारत में उत्पादन अर्थात् अन्न के उत्पादन, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन और हर प्रकार की उस वस्तु के उत्पादन की, जिस की कि हमारे अस्तित्व

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

बनाये रखने के लिये आवश्यकता है, आवश्यकता से बड़ी और कोई आवश्यकता नहीं है। वितरण का प्रश्न तभी पैदा हो सकता है जब उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो। अतः उन सब लोगों को जो उद्योगों में लगे हुए हैं इस बात को समझ लेना चाहिये कि जब पर्याप्त उत्पादन होगा तभी उन को भी उस में से उचित हिस्सा मिल सकेगा।

यह सन्तोष की बात है कि जनता के सब भागों में यह जानकारी बढ़ रही है कि आज संसार की वर्तमान स्थितियों में केवल पैसा बनाने और फ़ायदा उठाने की भावना से ही काम नहीं चल सकता तथा जो लोग चाहे औद्योगिकों के रूप में चाहे पूंजीपतियों के रूप में चाहे श्रमिकों के रूप में उत्पादन में लगे हुए हैं उन्हें केवल अपने सीमित हितों का ही ध्यान नहीं करना है वरन् देश के हितों का भी ध्यान रखना है। मुझे इस में शंका नहीं है कि आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह बहुत ही होशियार अनुभवी और दूरदर्शी वर्ग है; और वह इस कारण यह जानता है कि अब समय आ गया है जब इस देश के सब लोगों को अपने वर्गीय हितों के अतिरिक्त इस देश को महान् बनाने के लिये भी काम में जुट जाना है। देश की आज यह अवस्था है। हम अभी ऐसे युद्ध से पार हुए हैं जिस का भारत पर और अन्य देशों पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव हुआ है। तत्पश्चात् देश का विभाजन हुआ जिस के कारण शोचनीय घटनायें घटीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमारे सामने समस्याओं की, ऐसी समस्याओं की जिन को हल करना मामूली बात नहीं थी, कोई कमी नहीं है। हम उन को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किन्तु देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि सब वर्ग, सब समूह, सब समुदाय अपने-अपने दायित्वों को पहचानें। जब कि इस प्रकार की भावना लोगों के मन में हो गई होगी तभी आप यह आशा कर सकते हैं कि इन समस्याओं के हल करने के लिये अपना अपना हरेक उत्तरदायित्व पूरा करेगा। जैसा कि मैं ने कहा है आप ऐसे वर्ग के हैं जो अत्यन्त ही चतुर और अनुभवी हैं और इस लिये सब लोगों से कहीं ज्यादा आप के मन में यह भावना होनी चाहिये तथा मुझे इस में शंका नहीं है कि आपके मन में ऐसी भावना है भी। अतः यह आप के लिये आवश्यक है कि आप ऐसी नीति बरतें जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है। जब मैं यह कहता हूँ तब मैं इस बात से अपरिचित नहीं हूँ कि चीजों और स्थितियों के सम्बन्ध में आप का अपना दृष्टिकोण है जो गवर्नमेन्ट के दृष्टिकोण से सर्वदा मेल नहीं खाता। व्योरे की बातों के सम्बन्ध में चाहे एकमत हो अथवा न हो इस मूलभूत सच्चाई के बारे में दो राय नहीं हो सकती कि भारत की सब को सेवा करनी है, भारत को बचाना है, भारत की जनता की सेवा करनी है, और भारत की जनता को बचाना है। यदि वे बरबाद हो गये तो हम सब बरबाद हो जायेंगे, चाहे फिर हम किसी एक वर्ग के हों, किसी एक समुदाय के हों, अथवा किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के हों।

अत्यन्त खेद के साथ जिस बात को मैं ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है वह यह है कि हम लोगों के चरित्र में कुछ दिशाओं में गिरावट आ गई है और सम्भवतः यह गिरावट लड़ाई के कारण आयी है। यह भी हो सकता है कि हम में अपनी कमजोरियाँ हैं और हमारी उन कमजोरियों के कारण यह गिरावट आयी है किन्तु जो लोग प्रशासन में या व्यापार में या अन्य तरह के किसी

सार्वजनिक कार्य में लगे हुए हैं उन सब को ही यह अनुभव हुआ है कि हमारे चारित्रिक स्तर में कुछ खराबी और गिरावट आ गई है। हमारी वर्तमान कठिनाइयों में से बहुत काफ़ी सम्भवतः इसी गिरावट के कारण है। मैं यह नहीं कहता कि चरित्र की दृष्टि से हम दूसरे लोगों से गिरे हुए हैं किन्तु हमें तो इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहां दैनिक जीवन में, व्यापारिक सम्बन्धों में, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रकार के सम्बन्धों में बड़े ऊंचे दर्जे की, बड़े ऊंचे स्तर की, आध्यात्मिकता हो।

मैं ने इस गिरावट को देखा है और मैं जनता के ध्यान को इस ओर आकृष्ट करता हूँ। उदाहरणार्थ यदि हम अपने औद्योगिक झगड़ों का विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलेगा कि हरेक ही एक तरह की झपटाझपटी में लगा हुआ है। मैं केवल औद्योगिकों और पूंजी-पतियों की ही ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ वरन् मैं यह कहता हूँ कि सब ही आज कल इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जितना भी धन बनाया जा सके बना लिया जाये। यदि कोई व्यक्ति उद्योगपति है तो वह आज की स्थिति से वैसा सारा लाभ उठाना चाहता है जो वह सम्भवतः इस से उठा सकता है। यदि आप चोरबाज़ारी के सवाल की जांच करें तो आप को पता चलेगा कि किसी खास समूह या वर्ग को ही उसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं ने कई बार यह कहा है कि इस के लिये केवल व्यापारियों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता वरन् इस के लिये उत्पादन करने वाले भी उतने ही दोषी हैं। हमारे यहां लाखों ही लोग उत्पादन करने वाले हैं। और यदि वे अपनी पैदावार को चोर बाज़ार में न भेजें तो चोरबाज़ारी हो ही नहीं सकती। यदि उपभोक्ता चोरबाज़ार से खरीदें नहीं तो भी चोरबाज़ारी नहीं हो सकती। इसलिये व्यापारी ही नहीं वरन् पैदा करने वाला भी और उपभोक्ता भी चोरबाज़ार के लिये किसी न किसी हद तक ज़िम्मेदार है। मेरा कहना यह है कि यह सब हमारे चारित्रिक स्तर में गिरावट के कारण हैं; हमारी परिस्थिति के और अपने कर्तव्यों के यथोचित रूप से न समझने के कारण है। अतः मैं आप लोगों से यह प्रस्ताव करता हूँ कि इन समस्याओं के बारे में आप अपनी ओर से चारित्रिक स्तर को ऊपर उठाने की पूरी पूरी कोशिश करें जिस से कि दूसरे लोग भी आप के उदाहरण के अनुसार चले। मैं ने और लोगों से भी ऐसा ही करने को कहा है और आप से भी ऐसा ही करने को कहने के अतिरिक्त मैं और कोई बेहतर बात नहीं कर सकता।

जहां तक कि उन बातों का सवाल है जिन का आप न अपने अभिनन्दन पत्र में जिक्र किया है मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उन सब बातों पर सरकार पूरा पूरा ध्यान देगी।

साधारण निर्वाचनों सम्बन्धी विधेयक के संशोधन के सवाल का जहां तक सम्बन्ध है मैं वर्तमान परिस्थिति से ठीक ठीक तरह से परिचित नहीं हूँ। किन्तु जैसा कि आपने कहा है आप न सरकार के सामने यह बात रखी है और मुझे यकीन है कि सरकार उस पर पूरा पूरा ध्यान दगी। यह ऐसी बात है जो सर्वथा सरकार के हाथ में न हू वरन् इस मसद् का भी हाथ है और मुझे यकीन है कि संसद् इस के सब पहलुओं को ध्यान में रख कर इस पर विचार करेगी।

आपने अपने अभिनन्दन पत्र में यह ठीक ही कहा है कि आप के महामहिम राज्यपाल महोदय और इस राज्य की सरकार यहां की दिन प्रति दिन की घटनाओं की मुझे पूर्ण जानकारी देती रही है । यदि हम कुछ और अधिक नहीं कर सके हैं तो इस का कारण यह नहीं है कि यहां से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अथवा यहां की सरकार ने भारत सरकार पर यथाशक्ति दबाव नहीं डाला है । यह ऐसी स्थिति है जिस में हमारे लिये और कुछ करना सम्भव है ही नहीं । हमें इस बात के बताये जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें और अधिक अन्न विदेशों से मंगाना चाहिये । सच बात तो यह है कि भारत सरकार ने इस वर्ष उससे कहीं अधिक अन्न विदेशों से आयात करने की योजना की है जितना कि हम ने पहले कभी भी आयात किया था । हम इस वक्त इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जहां से जो कुछ भी अन्न मिले उसे हम मंगा लें । मैं नहीं जानता कि इस समय बर्मा में सही स्थिति क्या है । मेरा विश्वास है कि यदि बर्मा में चावल प्राप्य है तो हमारी सरकार उस को वहां से मंगाने में कमी नहीं करेगी ।

मैंने कुछ समय हुआ यह कहा था कि और अनाजों की अपेक्षा चावल बहुत मंहगा हो गया है । यही कारण है कि जिस से सरकार और अनाजों को मंगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आखिरकार करोड़ों लोगों का पेट तो भरना ही है । अगर आप चावल ही खरीदने की ज़िद्द में रहे तो सम्भवतः अन्य अनाजों के मंगाने में जितना आपको देना पड़ता है उस से कहीं अधिक आप को पैसा चावल मंगाने के लिये देना पड़ेगा । इसीलिये हम दूसरे अनाजों को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं । आप लोग चावल खाने के अभ्यस्त हैं । और मैं भी चावल खाने वाले प्रदेश का ही हूँ । जहां तक चावल का प्रश्न है हम दोनों एक ही नाव में हैं । किन्तु दुर्भाग्यवश सब बातें तो हमारे मन की हो नहीं सकतीं । बहुत वर्षों तक हमें इस प्रकार की अमुविधा बर्दाश्त करनी पड़ेगी जैसी कि अब बर्दाश्त करनी पड़ रही है जब दूसरे अनाज हमें दिये जा रहे हैं जिन के खाने का हमें और आप को अभ्यास नहीं है । मैं यही आशा कर सकता हूँ कि हम देश के अन्दर ही अधिकाधिक चावल पैदा कर सकेंगे जिस से कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े ।

भारत सरकार की अपनी अलग योजना है और हर राज्य अधिकाधिक उत्पादन की इस योजना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है । हमारी यह आशा है कि जब ये बड़ी नदी योजनायें पूरी हो गई होंगी तो अन्न के सम्बन्ध में हम पूर्णतया आत्मनिर्भर हो गये होंगे । किन्तु इस में समय लगेगा । तब तक के लिये मेरी यह धारणा है कि हमारे यहां अन्न की कमी इतनी नहीं है कि हम उसे साधारण रीतियों से पूरा ही न कर सकें । आखिरकार दस प्रतिशत से तो अधिक यह कमी है नहीं और इस का अर्थ यह है कि यदि दस मन की जगह हम ग्यारह मन पैदा करने लगे तो यह कमी दूर हो जायेगी । यह अतिरिक्त एक मन पैदा करना कोई बड़ी मुश्किल बात तो होनी नहीं चाहिये । कुछ थोड़े अधिक खाद से, कुछ थोड़ी अच्छी जुताई से, और कुछ थोड़ी अधिक सिंचाई के लिये पानी से सम्भवतः यह बात की जा सकती है । सरकार की फिलहाल योजना यही है कि इस रीति से इस कमी को पूरा किया जाये जिस से कि जब तक इन बड़ी योजनाओं को पूरा करने का काम चल रहा है तब तक हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिये हाथ पर हाथ रखे बैठा न रहना पड़े । हमारी यह योजना है और हम इस को पूरा करने का प्रयास

कर रहे हैं। किन्तु इस वर्ष हमें कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है और इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के ही कारण बहुत कुछ मौजूदा अन्न की कमी है। अब जब कि हम आधा साल व्यतीत कर चुके हैं हमें यह आशा करनी चाहिये कि अगले छः महीने भी, किसी न किसी तरह निकल जायेंगे और उस के बाद अच्छे दिन फिर लौट आयेंगे। इन छः महीनों में परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार हर प्रकार का प्रबन्ध कर रही है किन्तु सरकार जो कुछ करे यह तो जनता का ही काम होगा कि वह सकट काल से पार होने के लिये कमर कस ले। यह उन का काम है कि अपने स्थान में और अपने साधनों के अन्दर ऐसे ज़रिये निकाले जिन से कि वे जिस तरह से भी हो सकें परिस्थिति का मुकाबला कर सकें। सरकार से जो कुछ होगा वह तो उसे करेगी ही। मैं आप को यह यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जब मन्त्रिमण्डल हर घंटे परिस्थिति पर पुनः विचार नहीं करता। उन्होंने तो इस समस्या को संभालने के लिये एक विशेष समिति भी नियुक्त कर रखी है।

आपने अपने अभिनन्दन पत्र में और कुछ बातों का भी जिक्र किया है जिन के बारे में इस समय कुछ कहना में आवश्यक नहीं समझता किन्तु मैं यह आश्वासन दिला सकता हूँ कि औद्योगिक विकास का प्रश्न सरकार की योजनाओं में सब से आगे रखा जा रहा है। यदि सरकार को आवश्यक पूँजी, यन्त्र और कर्मचारी मिल जायें तो वह बड़ी से बड़ी योजना को हाथ में लेने में न हिचकिचायेगी। सच तो यह है कि पिछले दो वर्षों में हम ने करों में इस प्रकार की तबदीली कर दी है जिस से कि और अधिक पूँजी हाथ में आ सके। किन्तु जिस हद तक सरकार की इस बारे में अपेक्षा थी सरकार की उतनी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। कारण कुछ भी क्यों न हो आप यह नहीं कह सकते कि करों की दिशा इस तरह नहीं बदल दी गई है जिस से कि अधिकाधिक पूँजी उद्योग धन्धों में लगे। इस वर्ष हमें कुछ अतिरिक्त कर लगाने पड़े हैं किन्तु यह अतिरिक्त कर तो सर्वथा दूसरे प्रकार के हैं। जिन लोगों के पास पूँजी है उन के लिये मैदान साफ़ है कि वे अपनी पूँजी को लेकर आगे बढ़ें और देश के औद्योगीकरण में सहायता करें। इस विषय में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों कि यह सरकारी नीति सम्बन्धी ऐसे विषय हैं जिन के बारे में मेरे से कहीं अधिक अधिकृत रूप में मन्त्रीगण कुछ कह सकते हैं। किन्तु मैं समझता हूँ कि मैंने भी उन्हीं के विचारों को यहाँ व्यवहृत कर दिया है और मुझे यकीन है कि यह मंडल इस बात को मान लेगा कि इस समय सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जो उस नीति के खिलाफ हो जिसे आप चाहते हैं कि सरकार अपनाये। उस ने एक बार से अधिक अपनी नीति स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी है और यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंकायें बच रही हैं तो सरकार से इस बारे में बात चीत कर के उन्हें दूर किया जा सकता है। हम अपने औद्योगीकरण और अधिकाधिक उत्पादन के लिये हर प्रकार की सहायता चाहते हैं और मुझे यकीन है कि मेरी यह अपील कि देश की भलाई के लिये आप अपना अपना अंशदान करें व्यर्थ न जायेगी क्योंकि आखिरकार इस देश के कल्याण में तो ही आप का कल्याण है और आप के कल्याण को देश के कल्याण से किसी प्रकार भी तो अलग नहीं किया जा सकता। इस अभिनन्दन पत्र के लिये आप को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ।

## मद्रास में श्री जवाहर लाल नेहरू के चित्र का अनावरण

\*राजाजी हाल मद्रास में भारत के प्रधान मन्त्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र का शनिवार, ७ अप्रैल १९५१ को अनावरण करने के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, श्री कुमारस्वामी राजा, बहनो और भाइयो,

पंडित नेहरू के सम्बन्ध में कुछ कहना मेरे लिये कठिन है। मेरा उन के साथ जो घनिष्ठ और निजी सम्बन्ध है उस के कारण यह कठिनाई उतनी पैदा नहीं होती जितनी कि यह इस विषय की व्यापकता के कारण पैदा होती है। जवाहर लाल नेहरू के बारे में कुछ कहना भारत-वर्ष के पिछले तीस या उस से भी अधिक वर्षों के इतिहास को बताना है। और यह इतिहास भी ऐसा है जिस के बारे में मुझे यह शका नहीं है कि वह कालान्तर में सहस्त्रों पृष्ठों में लिखा जायेगा। अतः चन्द मिनटों में इस विषय पर संक्षेप रूप से कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। तब भी इस बारे में कुछ विचार किया जाता है तो यही लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महान् पिता के महान पुत्र हैं।

अपने युग में पंडित मोती लाल नेहरू कई दृष्टियों से अत्यन्त महान् व्यक्ति थे। वकील के नाते वे महान् थे और देशभक्त के नाते वे महान् थे। जब देश की पुकार उन के कानों में पड़ी तो उन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया और महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किये गये महान् आन्दोलन में वह सम्मिलित हो गये। जब तक वे थे वे कांग्रेस के एक महान् नेता थे किन्तु उन की महानता यह भी थी कि उन्होंने अपने से भी महान् पुत्र देश को दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू जानते थे कि वे देश को ऐसा पुत्र दे रहे थे जो उन से भी बड़ा सिद्ध होगा। जब लाहौर कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद को संभालने वाले थे तब पंडित मोतीलाल नेहरू को, जो उस से पहले वर्ष में कांग्रेस अधिवेशन के सभापति रह चुके थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस की बागडोर पकड़ानी थी। ऐसा करते समय उन्होंने फारसी का एक पद पढ़ा जिस का आशय यह है कि जो काम बाप न कर सका उसे बेटा पूरा करता है। इन शब्दों के साथ उन्होंने कांग्रेस की बागडोर अपने पुत्र के हाथ में थमा दी। उन की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई क्योंकि कई वर्षों के उपरान्त पंडित जवाहरलाल नेहरू उस महान प्रयास में सफल हुए जो देश की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये लगभग अर्द्ध शताब्दी से चल रहा था।

संघर्ष के इस युग में जवाहरलाल ने बड़ा प्रमुख भाग लिया है। वह प्रमुख भाग ही नहीं किन्तु ऐसा भाग भी रहा है जो हर संकट के युग में और हर ऐसे समय जब कांग्रेस द्वारा बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिये जाने थे निर्णायक था। जब अन्त में हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुए तो उन्हीं को भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री के रूप में राज्यनायक बनाया गया। तब से आप जानते हैं कि जो अनेक कठिनाइयां स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम पर पड़ी हैं उन सब का मुक्काबला वे बड़ी बेहादुरी से करते रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा विभाग

नहीं है जिससे वे परिचित नहीं हैं। केन्द्र में कोई मन्त्रालय ऐसा बड़ा निर्णय नहीं करता जिस में उन का हाथ न होता हो। मैं यह भी कह सकता हूँ कि देश भर में मन्त्रिमंडलों द्वारा लिये जाने वाला कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय नहीं है जिस पर उन का प्रभाव न हो। हो सकता है कि यह प्रभाव दिखाई न देता हो; किन्तु हर हालत में उस प्रभाव से वे लोग तो परिचित हैं ही जिन्होंने उन निर्णयों को किया है। इन पिछले वर्षों में वे इतना भारी और महान् भार वहन करते रहे हैं कि कभी कभी तो इस बात का आश्चर्य होने लगता है कि उन के लिये ऐसा करना क्यों कर सम्भव है। किन्तु परमात्मा ने उन्हें बड़ा अच्छा स्वास्थ्य, और शारीरिक चुस्ती तथा २५ या ३० वर्ष के युवक की शक्ति प्रदान की है। आप उन्हें साधारण जनों से उसी सहज ढंग से मिलते जुलते देखते हैं जिस प्रकार कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संसार की महान्तम विभूतियों में वे मिलते जुलते हैं। उन के व्याख्यानों और लेखों से यह भली भाँति प्रकट होता है कि उन के कितने उच्च विचार हैं, कितनी उच्च भावनायें हैं, कितने स्वर्णिम स्वप्न हैं।

जैसा मैं ने कहा है उन की सब सेवाओं का वर्णन करना बहुत कठिन है। जिन अनेक बातों से उन का सम्पर्क रहा है उन से आप भली भाँति परिचित हैं और मुझे यकीन है कि यदि मैं यह कहूँ कि जब इस युग का इतिहास लिखने का समय आयेगा तब उन का नाम यदि वह किसी के भी नाम के बाद दूसरा नाम होगा तो वह केवल महात्मा गांधी के नाम के बाद ही दूसरा होगा तो मैं किसी अतिशयोक्ति का दोषी नहीं होऊँगा। यह ऐसी बात है जिस के लिये किसी भी व्यक्ति को गर्व हो सकता है। यह बात अकारण नहीं थी कि महात्मा गांधी ने उन को अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था। वह नेहरू की महानता को पहिचानते थे। वह यह जानते थे कि यदि वह काम जो वह स्वयं अधूरा छोड़े जा रहे थे पूरा होना है तो उस का उत्तरदायित्व उन की मृत्यु के बाद जवाहर लाल जी पर होना चाहिये। इस समय उन्होंने ने यह यश पैदा कर लिया है कि वह संसार के महान्तम राजधर्म-निपुणों में एक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने ने इस नये और नौ जवान देश का दर्जा इतना ऊँचा कर दिया है जैसा कि अन्य देशों को अनेक वर्षों के प्रयास के बाद मिलता है और यह यश उन्होंने किसी प्रकार की अवसरवादिता पर चल कर नहीं अर्जित किया है और न ऐसी बातों की हिमायत कर के अर्जित किया है जो सब के खूश करने के लिये हों वरन् ऐसे पथ पर और ऐसे कार्यक्रम पर अविचल रह कर, जिसे कि उन्होंने ने अपने मन में इस देश के लिये ठीक समझ कर निर्धारित किया है, उन्होंने यह यश कमाया है। वह कार्यक्रम सब दृष्टियों से ऐसा कार्यक्रम है जो इस देश के लिये सर्वोत्तम है और चूँकि उन्होंने ने इस देश की गरिमा, गौरव और आदर को बनाये रखा है इस लिये वे इस देश के सब लोगों से और अन्य देशों और विदेशियों द्वारा भी आदृत हैं। हम यही आशा करते हैं कि उन का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा बना रहेगा जितना कि वह आज है जिस से कि भविष्य में वह उस से भी अधिक सेवा कर सके जितनी कि वह भूत काल में कर सके है। आखिरकार हम तो स्वतन्त्रता की देहरी पर ही हैं। हमने अभी ही तो वह शक्ति प्राप्त की है जो हमें समृद्ध और सुखी होने के लिये समर्थ कर सकती है। हम अभी तक देश को उतना सम्पन्न और सुखी बनाने में सफल नहीं हुए हैं जितना कि हम उसे बनाना चाहते हैं। यही ऐसा समय है

जब हमें अत्यन्त उच्च प्रकार की रचनात्मक योग्यता और अत्यन्त ऊँचे दर्जे के नेतृत्व की आवश्यकता है। हमें जवाहरलाल मे वैसी रचनात्मक योग्यता और ऊँचे दर्जे की नेतृत्वशक्ति दिखाई पड़ती है। उन में वह स्वार्थत्याग की स्पष्ट भावना है जो सब प्रकार की बाधाओं पर केवल इसी लिये विजय नहीं पा लेती क्योंकि हरेक उन से सहमन है वरन् इसलिये भी क्योंकि हरेक को यह विश्वास रहता है कि जब वह कोई बात कहते हैं तो वह बात उस के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती जिसे कि वह सर्वोत्तम समझते हैं। उन के यह सब गुण हमारी निधि है। हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो उन के विचारों के सामने अपने मत को छोड़ने के लिये तैयार रहते हैं। क्योंकि उनका मन स्फटिक के समान निर्मल है, उन का अनुभव विस्तृत है, और क्योंकि वे लोग समझते हैं कि उनका ज्ञान और अनुभव ऐसा है कि सम्भावना यही है कि नेहरू जी ठीक हो और उन का अपना मत गलत हो। यह बात हमेशा ही तब होती है जब कि कोई व्यक्ति जननायक हो जाता है। चूँकि नेता शब्द के सर्वोत्तम अर्थों में वे नेता हैं इस लिये हमारे देश में लाखों नरनारी हैं जो न केवल उन के पीछे ही चलने के लिये प्रस्तुत हैं वरन् ऐसे और भी त्याग करने के लिये तत्पर हैं जो देश के हित के लिये उन से करने को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें आन्दोलन के युग में पथ दिखाया और आज वह हमें पुनर्निर्माण के युग में पथ दिखा रहे हैं। हम सब को चाहिये कि हम यह आशा करे और भगवान से यह प्रार्थना करे कि वे उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घ-आयु प्रदान करे जिस से कि वे इस महान् कार्य को भी उतनी ही सफलता से पूरा करे जितनी सफलता से कि उन्होंने उस पिछले काम को अर्थात् भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कार्य को जो उन्होंने अपने हाथ में लिया था पूरा किया।

-----

### तिरुक्कुरल गवेषणा का उद्घाटन

\*मद्रास विश्वविद्यालय के भवन में तिरुक्कुरल गवेषणा का उद्घाटन करते समय शनिवार, ७ अप्रैल सन् १९५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, श्री अविनाशलिंगम चेटियर, बहनो और भाइयो,

आज इस सन्ध्या के समारोह में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति ठीक ही गर्वभावना रखते हैं। अनेक शताब्दियों से आपकी भाषा चली आ रही है और देश के इस भाग में तथा जहाँ भी आप के लोग गये हैं वहाँ बाहर भी आपने इस को बनाये रखा है। अतः यह उचित ही है कि आप समस्त देश की सामान्य संस्कृति में अपना अंश दान करने की बात आज सोच रहे हैं। यह कोई नयी बात नहीं है क्योंकि यदि तत्त्वतः दृष्टि से देखा जाये तो भारत की संस्कृति ऐसी सम्मिश्रित संस्कृति है जिस के निर्माण में देश के विभिन्न भागों का हाथ रहा है। जो विभिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं उनके साथ साथ हमने युग युगान्तर में एक सांस्कृतिक एकता और समानता पैदा कर ली है। यह ऐसी महान् बात है जिसे कि हमें सर्वदा ही गर्व सहित बनाये रखना है।

\*अग्नेजो से हिन्दी में अनुवाद



इस देश में ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ कि देश के अन्दर या उसके बाहर दूसरे लोगों पर किसी प्रकार की बात बलात् लादी जाये। इतिहास में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो। देश के अन्दर भी हर वर्ग को और हर भाग को पूर्ण स्वतन्त्रता से अपना पूरा विकास करने का अवसर प्रदान किया गया। फल यह हुआ है कि हमारे देश में अनेक समृद्ध भाषाएँ हैं जिनका अपना समृद्ध साहित्य है और जिनमें ऐसा रत्नभण्डार भरा पड़ा है जिसका मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारे समस्त देश में अनेक रूढ़ियाँ प्रचलित हैं और उन सब को ही मान्य ठहराया गया है।

आज जब हम भावी भारत का निर्माण करने जा रहे हैं यह उचित ही है कि आप भी उस पुनर्निर्माण के कार्य में अपना पूरा हाथ ड़ंटाने के लिये तत्पर और कटिबद्ध हों। यह आवश्यक है कि इस देश की विभिन्न भाषाएँ जो यहां बोली जाती हैं और जिनका अपना साहित्य पूर्ण है वह यथासम्भव पूर्णतया विकसित हों और उन में आधुनिकतम साहित्य की अभिवृद्धि हो। जब में आधुनिकतम साहित्य की बात कहना हूँ तो मेरा आशय विदेशी साहित्य से नहीं है; मेरा आशय यही है कि वह इतना सच्चा और महान् हो कि एक ही पीढी तक चलने के बजाय वह उसी प्रकार युग युगान्तर तक चलता रहे जिस प्रकार कि यह कुरल बना रहा है। वास्तव में यह आवश्यक है कि सब भाषाओं की अभिवृद्धि हो क्योंकि बिना ऐसा हुए भारत वैसा नहीं बन सकता जैसा कि हम उसे देखना चाहते हैं। किन्तु साथ ही हमें ऐसे माध्यम की भी आवश्यकता है जो भारत के उत्तर वालों को दक्षिण वालों से और भारत के पूरब के लोगों को पश्चिम वालों से उसी प्रकार पत्र-व्यवहार करने के लिये समर्थ करे और एक दूसरे की बात को उसी प्रकार समझने में सहायता दे जिस प्रकार इस प्रयोजन की पूर्ति भूतकाल में संस्कृत करती थी। आजकल हमें इस प्रयोजन के लिये, किन्तु इसी सीमित प्रयोजन के लिये, कुछ और माध्यम की आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रत्येक राज्य और अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा रखनेवाला प्रत्येक प्रदेश पूर्णतया विकसित हो। इसके साथ यह आवश्यकता और भी है कि हम सब यह महसूस करें कि इन विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं, चाहे फिर हम उत्तर के रहनेवाले हों या दक्षिण के, पूरब के रहनेवाले हों या पश्चिम के।

मुझे इस बात में कोई शका नहीं है कि तामिल भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि करने और उसको समृद्ध बनाने के आपके जो प्रयास हैं उसमें आप लोगों को न केवल तामिल लोगों की ही सहायता मिलेगी वरन् सारे देश के सद्बिचारवान लोगों की भी सहायता मिलेगी, क्योंकि मभी तो इससे लाभ उठाना चाहते हैं। जिस प्रकार कि आप हम लोगों को राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासक दे रहे हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे साहित्यिक दें जो केवल उन्हीं लोगों को अनुप्राणित न करें जो तामिल भाषा बोलते और समझते हैं किन्तु उन लोगों को भी करें जो तामिल भाषा को समझते नहीं हैं किन्तु उन लोगों की कृतियों से लाभ अवश्य उठाना चाहते हैं। यह काम अच्छे ग्रन्थों के अनुवाद द्वारा किया जा सकता है। यह ठीक है यह काम बहुत बड़ा है। मुझे इस बात का हर्ष है कि न केवल सरकार ही वरन् गैर सरकारी संस्थाएँ भी इस प्रकार के सम्मिश्रण को पैदा कर रही हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि अन्त में हो जाये।

किसी प्रसिद्ध साहित्यक ग्रन्थ के संबन्ध में जब कोई आधुनिक युग में गवेषणा करता है तो ऐसे प्रश्नों को कि लेखक कहां पैदा हुआ और उसकी शब्दव्यंजना और वाक्य रचना व्याकरण के निश्चित नियमों के अनुकूल है या नहीं काफ़ी प्रमुखता दी जाती है। फल यह होता है कि लेखक की कृति की अपेक्षा लेखक की जानकारी हासिल करने के लिये अधिक समय लगाना पड़ता है। किन्तु आखिरकार आज लेखक का तो इतना महत्व नहीं है जितना कि उसकी कृति का होना चाहिये। हम उत्तरवासी इस बात से तो किसी तरह के घाटे में नहीं हैं कि हमें ठीक तरह से यह मालूम नहीं है कि तुलसीदास का जन्मस्थान कौनसा है। आप गवेषणा करनेवाले लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि इस महान् कृति अर्थात् कुरल की सच्ची शिक्षाओं के प्रचार में आप सच्ची सहायता करें और लेखक के शब्दों या उसके व्यक्तित्व के विश्लेषण पर उतना बल न दें। मुझे इस बात में शंका नहीं है कि इसके विभिन्न पाठों और विभिन्न संस्करणों और इसकी विभिन्न टीकाओं को तथा इस महान् लेखक के शब्दों के जितने भाष्य किये गये हैं उन सब को विद्वान लोग एकत्रित करेंगे। हमें अपने अतीत की अनेक महाविभूतियों की जन्मतिथि और कार्यभूमि के बारे में कुछ ज्ञात नहीं किन्तु फिर भी उनका जीवन इस देश की जनता के लिये लाखों के जीवन में रम गया है। इस बात के बावजूद कि कुरल के लेखक के जीवन की घटनाओं के सम्बन्ध में हम नहीं जानते शताब्दियों से यह कुरल देश के लाखों करोड़ों आदमियों के जीवन में बिधा हुआ है। कुरल प्रकाशन की सफलता के लिये मेरी सद्कामना है और मुझे आशा है कि उसे सभी की सहायता मिलेगी और सभी से प्रोत्साहन मिलेगा।

### सेवा सदन, अड्यार

\*सेवा समाजम् के सेवा सदन या डेस्टिट्यूट होम, अड्यार, मद्रास में ता० ७ अप्रैल सन् १९५१ को भाषण देते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, महामहिम राजन, बहनो और भाइयो,

इस संस्था के संस्थापकों और कार्यकर्ताओं को मैं उस सफलता के लिये बधाई देना चाहता हूँ जो उन्हें उस काम के विभिन्न क्षेत्रों में मिली है जो कि उन्होंने अपने हाथ में लिया था। हम भारतवासियों को सामाजिक सेवा की भारी पैमाने पर और उसके व्यापकतम अर्थ में आवश्यकता है। हमारे यहां समस्याओं की कमी नहीं है, काम की भी कमी नहीं है पर ज़रूरत इस बात की है कि सामाजिक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं का एक वर्ग हो जो सेवा भावना से इस काम में लग जाये। यह बात बड़े संतोष की है कि इस प्रदेश में आप की यह संस्था है जो लगभग २५ से कुछ अधिक वर्षों से इस प्रकार काम यहां करती रही है। इस उत्सव में भाग लेने के लिये जब मुझ से पहली बार कहा गया तो मैं ने इस आदर को सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे इस महान् कामों की ऐसी संभाव्यतायें नज़र आयीं जो कि भविष्य में वास्तविकता में परिणित हो जायेंगी। अब जब कि हमें स्वतन्त्रता मिल गई है यह साधारण प्रवृत्ति पायी जाती है कि सब कामों की जिम्मेदारी सरकार पर रख दी जाये। यहां तक कि कभी कभी तो यह प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि जो काम वास्तव

में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी किये जा सकते हैं उनको भी सरकार के कंधे पर डाल दिया जाये। मेरा अपना विचार है कि गैर सरकारी संस्थाओं का और खास तौर से उन का, जो सामाजिक सेवा के लिये ही चलाई जाती हैं, हर देश में और हमारे देश में, जहां कि इतना काम अभी करने को बाकी है, कहीं अधिक अपना विशिष्ट स्थान है।

हम चाहे शिक्षा समस्या के बारे में विचार करें चाहे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में या पिछड़ी हुई और दलित जातियों के लोगों के अथवा तथाकथित अछूतो के सुधार की समस्या पर विचार करें अथवा जिन्हे आदिमजातियां कहा जाता है उन लोगों की समस्याओं पर विचार करें, अथवा जो क्षुधाग्रस्त बालक हैं उनकी समस्या पर विचार करे हमें इन सब में वह काम दिखाई पड़ता है जो हमें अभी करना है और जिसको अंशतः सफलतापूर्वक करने के लिये हमें इन उद्देश्यों से लगन रखनेवाले अनेक सच्चे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। राजनीति के तो अनेक पारितोषिक हैं और कुछ नहीं तो कम से कम अखबारों में तो मोटे मोटे शीर्षक या तारीफ निकल ही जाती है। इस प्रकार का इनाम सामाजिक कार्य में नहीं मिलता है। किन्तु इसमें जो इनाम मिलता है वह तो बिल्कुल दूसरे प्रकार का है। इस में जो पारितोषिक मिलता है वह वही संतोष है जो कार्यकर्ता को अपने काम में होता है। और मेरे विचार से तो यह अच्छे से अच्छा ऐसा पारितोषिक है जो किसी भी ऐसे शस्त्र को दिया जा सकता है जिसकी यह भावना है कि उसने कोई अच्छा काम किया है और उसे अच्छी तरह किया है। इन संस्थाओं में इसी भावना के अनुसार सेवा की जानी चाहिये। आज मुझे इस बात का हर्ष है कि आसकी संस्था में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो इसी भावना से कार्य कर रहे हैं।

मैं ने यह बात कहीं पढ़ी कि आपके यहां अवैतनिक कर्मचारी नहीं हैं और अधिकतर काम अवैतनिक कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जाता है। यह तो जैसा होना चाहिये वैसी ही बात है। ठीक है कि कुछ प्रकार के लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ता है। किन्तु अवैतनिक कार्यकर्ताओं को जो उस कार्य को अपना ही कार्य समझते हैं ऐसी सेवा भावना से काम करना ही है। हम लोग कभी सोचा करते हैं कि अवैतनिक कार्य तो ऐसा कार्य है जो किया भी जा सकता है और जो नहीं भी किया जा सकता है। मेरा विचार है कि यह बिल्कुल शलत खयाल है। जिस काम के लिये पैसा दिया जाता है वह तो ऐसा काम है जिसे आदमी को करना पड़ता है और जिसे अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो दूसरों के कहने पर आप उससे अपना किसी न किसी तरह से छुटकारा भी कर लेते हैं। किन्तु अवैतनिक कार्य ऐसा कार्य है जिसे आप स्वयं अपने हाथ में लेते हैं और कोई बाहरी ताकत आपको उस काम को हाथ में लेने के लिये मजबूर नहीं करती और आपके हाथ में ले लेने के बाद उसे करने के लिये भी मजबूर नहीं करती। अतः अवैतनिक कार्य की जिम्मेदारी वैतनिक कार्य की जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा होती है और इसी लिये मेरा मत है कि वैतनिक कर्मचारियों से अवैतनिक कार्यकर्ता जनता के कहीं बड़े सेवक होते हैं, चाहे फिर ये वैतनिक कार्यकर्ता किसी मन्त्रालय के हों या किसी सेवाओं के हों और चाहे वे हमारे देश के समाज में उच्च स्थान पर हों अथवा मामूली स्थान पर हों। इस प्रकार के काम को मैं इसीलिये ही बहुत महत्व नहीं देता हूं कि यह एक ऐसा काम है जिसका किया जाना हमारे लिये ज्यादा आवश्यक है वरन् इसलिये भी महत्व देता हूं क्योंकि इसके कारण देश के उत्थान के लिये नितान्त आवश्यक भावना हम लोगों में पैदा होती है

जैसाकि मैं ने कहा है हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं जिन्हें हमें सुलझाना है और जिनके लिये हमें अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। मुझे न केवल यही आशा है कि आपकी संस्था बढ़ेगी और समृद्ध होगी किन्तु यह भी आशा है कि आप अधिकाधिक संख्या में योग्य और लगनवाले कार्यकर्ता पैदा कर सकेंगे। और खास तौर पर ऐसे कार्यकर्ता पैदा कर सकेंगे जो उस महान् काम को जो अभी बाकी है त्याग और सेवा की भावना से अपने हाथों में ले लेंगे।

आपने लोगों के सामने उदाहरण रख दिया है और मुझे आशा है कि इस प्रदेश में ही नहीं वरन् देश के अन्य भागों में भी इसका बड़े पैमाने पर अनुकरण किया जायेगा। आपने अब तक जो कामयाबी हासिल कर ली है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

छोटे बच्चों को मैं यही कहता हूं कि इसे वे अपनी खुशकिस्मती समझें कि किसी न किसी तरीके से वे इस संस्था में पहुंच गये हैं। मुझे आशा है जैसे जैसे वे आयु में बढ़ेंगे उनके मन में सेवा भावना भी बढ़ेगी और वे दूसरे लोगों के सामने भविष्य में ऐसे उदाहरण रख सकेंगे जो अनुकरणीय होंगे। समाज पर इन बालकों के क्या दावे हैं इनको अब ठीक ठीक समझा जा रहा है और उनको पूरा किया जा रहा है। बालकों को भी इस संस्था के और देश के जो दावे उन पर हैं उनको समझना चाहिये और अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

### श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री के चित्र का अनावरण

\*मद्रास में कुप्युस्वामी शास्त्री गवेषणा प्रतिष्ठान में श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री के चित्र के अनावरण के अवसर पर ८ अप्रैल १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा —

महामहिम राज्यपाल साहब, बहनो और भाइयो,

मेरे लिये बड़े आदर और सौभाग्य की बात है कि मुझ से श्री श्रीनिवास शास्त्री के चित्र का अनावरण करने के लिये कहा गया है। भारत में हम उन लोगों की सेवाएं कभी कभी भूल जा सकते हैं जिन्होंने हमारे सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले अनेक वर्ष तक सेवा कार्य किया था। यह वास्तव में बड़े हर्ष की बात है कि श्री श्रीनिवास शास्त्री जैसी विभूतियों की, जो गोखले के चरण चिन्हों पर चलते थे, सेवाओं की स्मृति फिर ताज़ी की जाये। महात्मा गान्धी के कांग्रेस में आने से पहले उस संस्था के अस्तित्व के लगभग ३० या ३५ वर्षों का इतिहास इन महारथियों की कहानी मात्र है जिन्होंने उस महान् संस्था को बलवती बनाया था। श्री श्रीनिवास शास्त्री उनमें से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों में ही देश की सेवा और त्याग का पथ अपना लिया था। शिक्षक के अपने व्यवसाय को छोड़ कर वे राजनीति के बृहत्तर क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और जिस लगन से वे शिक्षक का कार्य करते थे उसी लगन से वे वहां भी सब बातों के अध्ययन करने में और उनकी ऐसे दूसरों को समझाने के लिये सहूल करने में लग गये जो सार्वजनिक महत्त्व के अनेक प्रश्नों से उनके समान भली भांति परिचित न थे।

उनके भाषण सुनने का जिस किसी को भी अवसर और सौभाग्य प्राप्त होता था वह इस बात को तुरन्त पहचान लेता था वे केवल एक महान् वक्ता ही नहीं थे वरन् वे तथ्य भी उनकी उंगलियों पर रहते थे जिनके बारे में वे अपने भाषण में कुछ कहते थे। इन्हीं महान् गुणों के कारण उनको इस देश की जनता ने ही नहीं वरन् इस देश की उस समय की सरकार ने भी भारत के नेताओं में से एक नेता मान लिया था। उन्हीं मंत्रियों को अनेक प्रकार से प्रशंसा हुई। अनेक बार वह धारा सभा के लिये जो उन दिनों लेजिस्लेटिव कौन्सिल कहलाती थी चुने गये और वहाँ अनेक वर्षों तक उन्होंने जनता की सेवा की और उसकी भलाई के लिये काम किया। भारत के प्रतिनिधि स्वरूप वह दक्षिण अफ्रीका भेजे गये। वहाँ उन्होंने ऐसे लोगों में भी जो हमारे देश के प्रति कुछ विशेष मैत्री भाव नहीं रखते थे अपने लिये और इस देश के लिये अच्छा नाम पैदा कर लिया। उस समय उन्होंने अपने लिये और इस देश के लिये जो इज्जत हासिल की उनकी मृत्यु के पश्चात् आज भी वहाँ बनी हुई है। उन्हें जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा है गोकि में यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं उन्हें इतना अच्छी तरह से जानता था जितनी अच्छी तरह से कि आप भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें जानते थे। पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं उन्हें जानता था उतने से ही मुझे उनकी महानता, उनकी दयालुता और उनके स्नेह का आभास मिल गया था। मुझे स्मरण है कि जब यहाँ के विश्वविद्यालय में वह थे तब मुझे चिदबरम आने का अवसर हुआ था। उन दिनों मैं इस प्रदेश का कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से दौरा कर रहा था। यहाँ आने से पहले मुझे उन्होंने लिखा था कि मैं उनके मेहमान की तरह उनके पास ठहरूँ और मैं उनके पास दो दिन ठहरा भी था। इन दो दिनों के अन्दर मैं यह देख सका कि वह ऐसे व्यक्ति को कितना स्नेह प्रदान कर सकते थे जिसे उनके घनिष्ठ संपर्क में आने का सौभाग्य मिला था। मैं जो कुछ पहले से जानता था, खास तौर से महात्मा गान्धी के, उनसे संपर्क के कारण मैं जो कुछ जानता था—और यह कहने की बात नहीं कि वह केवल महात्मा गान्धी ही से न मिलते थे वरन् महात्माजी के साथ जो और लोग होते थे उनसे भी मिलते थे—इसलिये उनके इस प्रकार के संपर्क से मैं जो जानता था उससे मैं उन्हें अपने देश के महान् नेताओं में से एक मानने लगा था। जो भावनाएँ उनके प्रति मेरे मन में उस समय पैदा हुईं वे इस संसार में उनके जीवन के अन्तिम दिनों तक बराबर दृढ़ होती गईं।

यह तो उचित ही है कि जिस संस्था से उनका इतना घनिष्ठ संबंध था उसमें उनका चित्र हो। वे बड़े राजनीतिज्ञ थे। किन्तु जैसा आपने कहा है वे न केवल राजनीतिज्ञ ही थे वरन् संस्कृति के भी महान् दूत थे। इस संस्था में आपके यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस संस्कृति की सेवा करने में लगे हुए हैं और जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पुराने को नवीन से मिलायें और नवीन से पुराने को स्फूर्ति प्रदान करें। आज अपने देश में अपनी संस्कृति के पुनर्जीवित करने के समान और कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम पश्चिम की सभ्यता में बहे चले जा रहे हैं। वहाँ अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जो अपनी चमक दमक से हमें अपनी ओर खींच लेती हैं या कम से कम इस बात की संभावना तो रहती ही है कि वे हमें अपनी ओर खींच लें। बहुधा हम यह समझने की शलती कर बैठते हैं कि जो कुछ चमकता है वह सब सोना है। किन्तु यह बात सर्वदा होती नहीं है। अपने यहाँ की ऐसी बातों से जिनका भारी महत्व है और जो हमारी संस्कृति में सन्निहित हैं और यहाँ तक कि वे हमारे देश की साधारण जनता के दैनिक जीवन में भी पायीं

जाती हैं हमें केवल इफलिये घृणा नहीं करनी चाहिये कि वे पुरानी हैं। आजकल कुछ यह रविश है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी कह देते हैं तो यह समझ लिया जाता है कि आप ने उसे सर्वदा के लिये बुरा सिद्ध कर दिया। मेरा विचार है कि प्रगति वास्तव में क्या है हमें इसकी परिभाषा करनी चाहिये और व्यक्तिगत दृष्टि में मैं यह कह सकता हूँ कि जिस बात को आजकल प्रगति कहा जाता है उसे कम से कम मैं सर्वदा प्रगति नहीं समझता। मैं कभी कभी यह सोचा करता हूँ कि प्रगति की बात करने समय क्या हम संवभुव गलती से तो उसको प्रगति नहीं मान बैठे हैं जो वास्तव में प्रगति नहीं है। इस प्रकार की गश्ती में वचने का सब से अच्छा तरीका यह है कि हमारी जड़ें हमारी संस्कृति में हों, हमारी जड़ें हमारे अतीत में जमी हुई हों। अपने साहित्य के अध्ययन तथा जिस संस्कृत भाषा में वह साहित्य है उसके अध्ययन से बढ़कर और कोई बात हमें इस प्रकार की जड़ प्रदान करने में हमारी सहायता नहीं कर सकती।

यह सस्था जनता की सेवा करने का प्रयास करती रही है ; और हमारे पुरानी संस्कृति के पुनर्जीवित करने का और जिस संस्कृत में हमारी वह संस्कृति है उसके अध्ययन को हमारी जनता द्वारा प्रारंभ कराने का भी प्रयास करती रही है। और साथ ही इनकी यह भी कोशिश रही है कि उन असंख्य पुस्तकों में, जिनमें से कुछ का नाम भी आज हमें ज्ञात नहीं है, उन में जो विद्यासरिता बह रही है उस विद्यासरिता के जलामृत को छक कर पीने के योग्य हमारी जनता हो जाये। मुझे मालूम है कि देश में यत्र तत्र सर्वत्र लाखों ऐसी पांडुलिपिया मौजूद हैं जिन्हें कि अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है और जिनका आधुनिक ढंग से आधुनिक युग में किसी ने अध्ययन तो किया ही नहीं है। आपकी जैसी सस्था केवल संस्कृत के अध्ययन के प्रति जनता में लगन ही पैदा नहीं करती वरन् वह ऐसी अनेक भूखी हुई पुस्तकों को जिनका सर्वदा के लिये खो जाना बहुत सम्भव है, पुनः प्रकाश में ले आती है। यदि यह सस्था ऐसे विद्वानों को एकत्रित करने में सफल हो जाती है जो अपने को इन विषयों के अध्ययन में लगायें और जो ऐसी पांडुलिपियों के पुनः पता चलाने में और रक्षा में, जो अन्यथा खो जा सकती है, सफल होंगे तो इसने बड़ा भारी काम कर दिया होगा। मुझे इस बात में शका नहीं कि आप इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। अतः मेरे लिये यह बात सौभाग्य की है कि आप ने मुझ से इस उत्सव में भाग लेने को कहा जो उत्सव कि एक साथ ही इस संस्था से जो इतना अच्छा कार्य करती रही है और जो श्री श्रीनिवास शास्त्री के महान् नाम से भी संबन्धित है। आप सब को अनेक धन्यवाद।

### अंजुमने-मुफ़ीदे-अहले इस्लाम द्वारा स्वागत

\*अंजुमने-मुफ़ीदे-अहले इस्लाम और मुस्लिम एजुकेशनल एसोसियेशन द्वारा रायपेट मद्रास में किये गये स्वागत समारोह में रविवार ८ अप्रैल १९५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

आपने इतने अनुग्रह से जो अभिनन्दन पत्र मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पद संभालने के पश्चात् यह प्रथम बार ही है कि जब मैं सरकारी तौर पर यहां आया

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुबांद

हूँ। और मद्रास के सब समुदायों के लोगों की यह बड़ी कृपा है कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिये अपना आदर इस प्रकार व्यक्त किया है। मुझे यह भ्रम नहीं कि यह सारा प्रेम प्रदर्शन केवल मेरे लिये ही है किंतु मेरा विश्वास है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिये कि यह सब राष्ट्रपति के पद के लिये है। वही तो जाति धर्म के विभेद के बिना दल या समूह के विभेद के बिना समस्त देश का प्रतिनिधि समझा जा सकता है और उसी से तो सबकी समान सेवा की उम्मीद की जाती है। जब से मैं इस शहर में आया हूँ तब से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे सभी की सद्कामना और स्नेह मिला है। और मुझे इस में शंका नहीं है कि जहाँ तक देश का प्रश्न है वहाँ तक यह सब स्वागत स्नेह राज्य के शिरोमणि की स्थिति को दृढ़ करने के लिये है।

अभी कुछ दिन ही हुए जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। अपने देश में रहने वाले हरेक व्यक्ति के लिये इस स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये हमें बड़े लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा है और उसको प्राप्त करने के पश्चात् भी हमारे सामने अनेकों कठिनाइयाँ मौजूद हैं। परमात्मा की कृपा से हमने इन कठिनाइयों का मुकाबला बड़ी सफलता से किया है किंतु जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं उनका मुकाबला करना ही तो काफ़ी नहीं है। जनता को सुखी और धन संपन्न बनाने के लिये तथा इस देश में से प्रत्येक को स्वतंत्रता का स्वाद चखाने के लिये हमें अभी बहुत कुछ रचनात्मक कार्य करना बाकी है। मेरा विचार है कि स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करना इतना कठिन नहीं था जितना कि जनता के कल्याण के लिये काम करना कठिन है।

जब हम विदेशी सत्ता से संघर्ष करने में लगे हुए थे तब हमें उन सब वर्गों और समूहों का जो स्वतंत्रता के पक्ष में थे सहायता मिल सकती थी और हम सबको अपने साथ लेकर चल सकते थे। वह काम एक प्रकार का था और उसका अपना अलग पुरस्कार था। उसके कारण कुछ यातनाएँ हमें सहनी पड़ीं कुछ त्याग हमें करना पड़ा, इन यातनाओं और उस त्याग को लोगों ने अपनी इच्छा से कबूल किया। जहाँ एक तरफ वे यातनाएँ और वह त्याग था वहीं उनके साथ साथ दूसरी ओर कुछ यश और नाम भी था जो इस प्रकार के त्याग के साथ जुड़ा ही रहता था। जैसा कि कवि ने कहा है यश की इच्छा महान विभूतियों की अन्तिम दुर्बलता होती है। संभव है कि हम में से कुछ उस सेवा त्याग के जीवन की ओर यश की आकांक्षा से प्रेरित हुए जोकि आखिरकार दुर्बलता तो है ही।

इस रचनात्मक कार्य में हमें दूसरे प्रकार का काम करना है। निस्संदेह स्वतंत्रता के साथ-साथ ऐसे अनेक पद या स्थान भी मिले हैं जिन पर हम कब्जा कर सकते हैं किंतु जिन तक पहुँचने की भूतकाल में हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। अब ऐसे अनेक रास्ते हैं जिनके जरिये हम अपनी जिन्दगी को ज्यादा आरामदेह और ज्यादा संपन्न बना सकते हैं, किंतु जो आदमी देश की सेवा में अपने को लगाना चाहता है आज उसे नाम की दृष्टि से, अखबारों में शीर्षकों और विज्ञापन की दृष्टि से खास तौर से उस हालत में कुछ नहीं मिलता जब कि वह रचनात्मक कार्य में अपने को लगाये रहता है। किंतु इसी प्रकार के रचनात्मक कार्य की तो आज देश को आवश्यकता है। हम यह चाहते हैं कि राज काज को बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सरकार धारा, सभाओं और संसद में रहकर चलायें किंतु उनके अतिरिक्त हमें ऐसे शांति से काम करने वाले अनेक कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता

है जो शांति से और कुछ पीछे रहकर दिन रात साधारण जनों की सेवा का उद्देश्य अपने सामने रखकर काम करते रहें। जब तक कि देश इस प्रकार के अनेक कार्य कर्ता पैदा नहीं करता तब तक स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकेगा।

बहुत वर्ष बीते मुझे ऐसे एक अंग्रेज़ सज्जन के साथ यात्रा करने का सौभाग्य से मौका मिला जो शिक्षा शास्त्री के रूप में इस देश में बड़े पद पर थे। उन्होंने मुझे बताया था कि यदि इस देश में कभी क्रांति होगी तो यूरोप में होने वाली क्रांतियों से वह बहुत भिन्न प्रकार की क्रांति होगी। उन्होंने बतलाया कि इंग्लैंड में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता और जो स्वयं धनी हैं और उच्च वर्गों के हैं किन्तु जो दरिद्र आदमियों की सेवा में लगे हुए हैं। उस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि ये ही लोग हैं जो अपनी सेवा द्वारा उच्च वर्गों और निम्न वर्गों अमीरों और गरीबों में संबंध बनाये हुए हैं और वहाँ उस प्रकार की क्रांति नहीं होने दे रहे हैं जैसी कि यूरोप के कुछ देशों में हुई थी। उसने इस बात का खेद प्रकट किया कि भारत वर्ष में इस प्रकार का रिश्ता दिखाई नहीं पड़ता और यहाँ ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो स्वयं तो सौभाग्यवश उच्च वर्ग के हैं किन्तु जो समाज के निम्न वर्गों की सेवा करने में लगे हुए हों। वह बात मेरे विचार में आज भी ठीक है और यदि किसी समय इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी तो वह आवश्यकता आज सब से अधिक है। अतः मेरा विचार है कि देश के प्रत्येक भाग में से प्रत्येक समुदाय के लोगों को कुछ ऐसे कार्यकर्ता पैदा करने चाहिये जो चुपचाप शांति से और पीछे रहकर अन्य किसी बात की चिन्ता किये बिना स्वतः काम करते रहें।

जिन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व आप करते हैं वे इस प्रकार का कार्य करती रही हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। छात्रवृत्ति प्रदान करके आप विद्यार्थियों की सहायता करते रहे हैं। आप उनकी अन्य प्रकार से भी सहयता करने का प्रयास करते रहे हैं और अब आपका एकाध विद्यालय खोलने का विचार है जिसमें सब लोग प्रवेश पा सकेंगे। यह बड़ी अच्छी बातें हैं और ५० या उससे भी अधिक वर्षों में आप जो कुछ करते रहे हैं और अब आप जो कुछ करना चाहते हैं इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही मुझे यह भी आशा है कि जिन लोगों की आपने सहायता की है उनमें से भी आपकी संस्थायें देश की सेवा करने के लिये कार्य कर्ता पैदा करेंगी। हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिये जो धर्म या मत का विचार न करके काम करने के लिये तत्पर हों। हमें आदमियों के सेवक चाहिये न कि हिंदुओं, मुसलमानों या ईसाइयों या पारसियों के ही सेवक। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें धर्म या जाति का विचार किये बिना उस प्रकार की सेवा करनी होती है। जिन संस्थाओं का आप प्रतिनिधित्व करते हैं यदि वे ऐसे कार्यकर्ता पैदा करने लगे तो वे देश की बड़ी भारी सेवा करेंगी।

जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये संस्थायें अधिकतर मुसलमानों की संस्थायें हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में सांप्रदायिक समस्या के नाम से पुकारी जाने वाली समस्या पिछले दिनों रही है। हमने एक प्रकार से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता कि उसको हल करने में हम कहां तक सफल हुए हैं। किन्तु चाहे हम सफल हुए हैं या नहीं हमें से हरेक को चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों न हो यह बात समझ लेनी है कि उसे इस देश में रहना है; वह यहाँ पैदा हुआ है और इसी देश की वायु में सांस



लेता है और जब वह मर जायेगा तो उसकी मिट्टी भी इसी देश में कहीं रहेगी। जब हरेक इस बात को पहचान लेता है तब उसे पता चलता है कि देश से उसके कितने घनिष्ठ संबंध है। हमें आशा है कि धर्म के भेद के बिना हरेक उस जिम्मेदारी और कर्त्तव्य को पहचान लेगा जो उसकी देश के प्रति है। और जहां इस प्रकार की समझ लोगों में आई वहां ऐसी कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी जिसे हम इस तरह से हल न करलें जो सब के लिये संतोषप्रद है।

अभी हाल में हमें कुछ अनुभव हुआ जो कुछ सुखद नहीं है। उस अनुभव को हमें अब भुला देना है और यदि याद रखना है तो इसी विचार से याद रखना है कि वह हमें भविष्य के लिये चेतावनी और आगाही दे। मुझे आशा है कि जो नया संविधान हमने बनाया है और जिसके बनाने में सब समुदायो और धर्मों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया था और जिस के संबंध में मैं हर्ष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उसे सारे देश ने एकमत होकर स्वीकार कर लिया है उसके अधीन रहकर हम फूलेंगे और फलेंगे और भारत को वैसा गरिमामय और महान् देश बना देंगे जैसा बनाने का वह पात्र है। हमारा अतीत ऐसा रहा है जिसका कि हम भली भाँति गर्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यद्यपि हमारा अतीत महान् था तथापि हमारा भविष्य उससे भी महान् होगा। उस भविष्य को संभव करने के लिये हम में से हरेक को अपना बलिदान करना है और हरेक को वह सब कुछ देना है जो वह दे सकता है। देश सब से उत्तमोत्तम देन के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। और हम में से प्रत्येक को देश की सेवा में अपना सब कुछ देने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। यदि आप यह कर सकते हों तो यह भी आश्वामन रखें कि इस दुनियाँ में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका पुरस्कार या फल नहीं मिलता हो। हमारे परिश्रम का फल होगा और हम अपने को और अपने से कहीं अधिक अपनी संतान और संतान की संतान को सुखी और संपन्न देखेंगे। परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिये कि वह हमें बल दे जिससे हम उस स्वतंत्रता के उचित पात्र अपने को सिद्ध कर सकें जो हमने प्राप्त कर ली है।

### अखिल विश्व कैंसर दिवस

\*राज्यपाल भवन मद्रास में रविवार ८ अप्रैल, १९५१ को अखिल विश्व कैंसर दिवस के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजन, बहनो और भाइयो,

आज के उत्सव में भाग लेने में मुझे अत्यन्त हर्ष है। भारतवर्ष में बहुत से रोग हैं जो समस्त देश में फैले हुए हैं और जिनका एक एक करके मुकाबला करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गो कि मे यह नहीं कह सकता कि हम ने उस दशा में कुछ खास प्रगति कर ली है किन्तु राज्यक्षमा, कुष्ठ और अन्य रोगों के रोकने की हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। मलेरिया तो दूसरे प्रकार का रोग है और दूसरी रीति से ही उसे रोकने की कोशिश की गई है। कैंसर भी अन्य प्रकार का रोग है। किन्तु इनके रोकने के और चिकित्सा के हमारे साधन बहुत सीमित हैं। आप को मालूम है कि भारत सरकार वैज्ञानिक गवेषणा में पर्याप्त दिलचस्पी लेती रही है और पिछले तीन वर्षों में

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

हम ने सारे देश में विज्ञान और उद्योग के विभिन्न विषयों पर काम करने के लिये प्रयोगालय स्थापित किये हैं। इन प्रयोगालयों में बड़े ऊँचे स्तर की गवेषणा हो रही है। मुझे इस में संदेह नहीं है कि इस देश में जो रोग है उनकी ओर भविष्य में अधिकाधिक और गहरा ध्यान दिया जायेगा। दिल्ली में मलेरिया गवेषणा प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है। किंतु अभी कैंसर के संबंध में कार्य आरम्भ नहीं हुआ है पर मुझे विश्वास है कि यह भी शीघ्रही हाथ में लिया जायेगा और अन्य विषयों में जिस प्रकार हम अपना अंशदान देते रहे हैं उसी प्रकार इसमें भी देंगे।

औषधि मंत्राली पर्याप्त कठिन समस्याओं के बारे में भारत की बड़ी महान् देण्ड है। उदाहरणार्थ मलेरिया, विमूचिका, तथा ग्रीष्म प्रधान देशों में होने वाले अन्य ऐसे रोगों की जैसा काला बृषार है चिकित्सा के सवध में भारत की देन बहुत अच्छी है और आप यकीन रखे कि यदि हमारे लोग कैंसर की चिकित्सा का प्रश्न अपने हाथ में लेगे तो इसमें भी वे काफी सफलता प्राप्त करेंगे। यह सन्तोष की बात है कि यह दिवस सारे विश्व में इस उद्देश्य से मनाया जा रहा है कि इस घातक रोग की ओर लोगों का ध्यान जाये तथा इससे जो जीवन हानि होती है वह रोकी जाये। घातक होने के अतिरिक्त कैंसर अत्यन्त ही कष्टदायक रोग है और इस का इलाज आरम्भिक अवस्था में ही होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिये यह जरूरी है कि इसके इलाज के लिये अच्छे अस्पताल हों। मुझे यह मालूम नहीं है कि हमारे साधारण अस्पताल आरम्भिक अवस्था में इस रोग के निदान के लिये कुछ कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यदि आरम्भिक अवस्था में इसका निदान नहीं होता तो जब इसने रोगी के शरीर में घर कर लिया होता है उस अवस्था में इसकी चिकित्सा अत्यन्त कष्ट साध्य हो जाती है। अतः यह और भी आवश्यक है कि इस संबंध में गवेषणा का कार्य किया जाए।

मुझे यह आशा है कि जो यह दिन सारे सप्ताह भर में मनाया जा रहा है इसका इस देश पर भी प्रभाव होगा। अखिल भारतीय नारी समाज की ओर से इस समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके आपने बड़ा अच्छा काम किया है और इस प्रकार देश की आप जो अनेक सेवायें करती रही हैं उनमें आपने एक सेवा और जोड़ दी है। मैं आपकी सस्था के प्रति अपनी शुभ कामना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रयास सुफल होगा।

मुझ खुशी है कि डाक्टर खनोलकर यहाँ हैं और इस रोग के सिलसिले में बड़े उच्च स्थान पर हैं। हम सब भारत के लोगों को उनके लिये गर्व हैं। मुझे आशा है कि उनका वहाँ संबंध होने से हमारा देश भी इस विषय में अच्छा काम कर सकेगा।

### मैसूर नगर समिति द्वारा अभिनन्दन

\*मैसूर में मैसूर नगर म्यूनिसिपल कौंसिल द्वारा सोमवार ९, अप्रैल १९५१ को दिये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख साहब, नगर म्यूनिसिपल कौंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों, बहनों और भाइयों,

आप का यह विचार ठीक है कि न तो मैसूर राज्य के लिये और न मैसूर नगर के लिये मैं कोई अपरिचित व्यक्ति हूँ। मैं इस राज्य और नगर में कई बार आ चुका हूँ। किंतु यह ठीक है कि

भारत गणतन्त्र के राष्ट्रियति के नाते यहां आने का यह मेरा पहला अवसर है। जिस क्षण मैं यहां पहुंच उसी क्षण चारों ओर से स्नेह और अनुग्रह पाने का मुझे सौभाग्य रहा है और मैं म्यूनिखिमंड कौन्सिल और मंसूर के नागरिकों को उस अनुग्रह के लिये धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इतनी बहुल मात्रा में मेरे लिये दिखाया है।

लम्बे संघर्ष के पश्चात् हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। उस प्रकार के संघर्ष के दिन अब समाप्त हो गये हैं। किंतु हमारे मामले लगे से पर्याप्त कठोर काम करने का युग आरम्भ हो गया है और यह युग है नव निर्माण का। विदेशी राज्य में बहुत काल तक रहने के बाद हमें अब स्वतंत्रता मिली है और अपने ही विचारों के अनुकूल अपने जीवन निर्माण की शक्ति मिली है और अब हमारा यह काम है कि जो अवसर हमें मिले है उनको इस विशाल देश की जनता के सर्वोत्तम लाभ के लिये काम में लायें। हमारा इतिहास दीर्घकालीन इतिहास है और हमारी संस्कृति ऐसी है जिसके लिये हम सत्य में ही गर्व कर सकते हैं। किंतु विज्ञान ने आज दूरी को समाप्त कर दिया है और यदि भारत संसार की विभिन्न प्रकार की धाराओं से अछूता और अप्रभावित रहना चाहे भी तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। अतः मैं यह कह सकता हू कि हम एक ऐसे परिवर्तन काल में होकर चल रहे हैं जिसमें न केवल हमारे पुराने विचारों में से अनेकों का किंतु हमारी पुरानी सस्थाओं का भी न्यूनाधिक नव निर्माण आवश्यक हो गया है। अतः हमको इस बारे में बहुत होशियारी बरतनी चाहिये कि हम भूतकाल की या वर्तमान की किसी अच्छाई को गलती से खो न दें। हमारे पास यह अवसर है कि हम पुरातन और नवीन का समन्वय कर दे और अपने जीवन और अपनी सस्थाओं का ऐसा विकास और निर्माण करे कि वे संसार की वर्तमान परिस्थितियों के विचार से अत्यन्त उपयोगी बन जाये। आज यहां आने के पश्चात् मुझे कुछ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मिला है जिसमें उन्होंने दो बातों का उल्लेख किया है। एक बात तो है सार्वजनिक होटलों की और भोजनालयों की नगर में बढ़ती और दूसरी है सिनेमा घरों की तादाद में बढ़ती और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि मैं इस स्थान में अपने आगमन को इन दोनों को रोक कर या बन्द करके स्मरणीय बना दू। मुझे भय है कि मैं ऐसा करना भी चाहू तो मेरे लिये ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि आज कल जिस प्रकार की सरकार हमारे यहां है वह कोई तानाशाही सरकार नहीं है और उस सरकार के प्रमुख की यह शक्ति नहीं है कि वह अपनी मनमानी कर सके। उसे तो जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना है और जनता के प्रतिनिधियों को जनता की इच्छा के अनुकूल चलना है। अतः जब तक जनता के बहुमत की यह मांग नहीं होती और जब तक यह मांग इतनी बलवती नहीं हो जाती कि मंत्रिगण इसका विरोध ही न कर सके तब तक सह्य में निरन्तर बढ़ते हुए इन होटलों और सिनेमाओं को बन्द नहीं किया जा सकता। इस के अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है जिसे हम को ध्यान में रखना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा है हमारे अनेक पुराने विचार और अनेक पुरानी संस्थाओं का अब रूप परिवर्तन हो रहा है। चारों तरफ से आने वाले विचार हमें प्रभावित कर रहे हैं और इसके साथ साथ संसार के एक भाग में जो परिस्थितियां हैं उनका हम पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। हमें एक प्रकार से अपने लाभ की यह बात मालूम है कि जब हमारे देश में अन्न की पर्याप्त कमी है तब हम संसार के सुदूर भागों से आयात किये गये अन्न की सहायता से काम चला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि पचास साल पहले क्या इस प्रकार की बात संभव थी या सोची भी जा सकती थी। आज हम यह जानते हैं कि संसार के

दूसरे देशों से हमने अन्न देने के लिये जो अपील की है वह दूर दूर के देशों तक पहुंची है और लोगों ने उसको माना है और हम उन देशों से उतना अन्न मंगाये की कोशिश कर रहे हैं जितना कि हम मंगा सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों का यह अच्छा स्वरूप है। और भी अन्य बातें हैं जिनमें हमें मालूम होता है कि सप्ताह में अलग रहकर हमारे लिये अपना अलग जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है और यदि होटल और सिनेमाओं की संख्या बढ़ रही है तो आप यह बात मान लें कि वह भी इसी कारण से कि बाहर से आने वाले नये विचारों और नयी संस्थाओं की छाप हम लोगों पर पड़ रही है और उससे हम सर्वथा बच भी नहीं सकते हैं और न उनसे अलग रह सकते हैं।

प्रत्येक परिवार के लिये गृह मिलने की कठिनाई के कारण, आवास की कठिनाई के कारण, नौकरो के न मिलने की कठिनाई के कारण, ईंधन मुश्किल से मिलने के कारण और घर चलाने की कठिनाई के कारण और साथ ही इस बात की कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि भोजन बनाने के लिये पर्याप्त अनाज न मिलने के कारण साधारण लोग सस्ते भोजनालयों में जाते हैं जहां उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ उठाने बिना मन चाहा भोजन मिल जाता है और इस प्रकार जो कठिनाइयां घर में चौका चलाने में घर वालों को होती हैं उन्हें बरदाश्त नहीं करनी पड़ती। इस बात से स्पष्ट है कि होटलों की संख्या क्यों बढ़ रही है। इसी प्रकार सिनेमा घरों की संख्या बढ़ने का कारण इसी प्रकार के आमोद-प्रमोद की इच्छा है। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि वे बहुधा सर्वोत्तम प्रकार के आमोद-प्रमोद की सुविधा नहीं करते हैं। बहुधा तो इसके विपरीत ही होता है और वे ऐसी बातें दिखाते हैं जिन्हें कि आप देखना पसन्द न करेंगे। किंतु तो भी वे मौजूद हैं और हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते कि ऐसी संस्था का कुछ नियंत्रण करें, कुछ नियमन करें जिससे कि वह लाभदायक हो जाये और उसके हाथों में हानि पहुंचाने की शक्ति न रहे। मुझे बताया गया है कि यहाँ भी होटलों की संख्या का नियमन किया जा रहा है और भारत सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार के चित्र इन सिनेमाओं में दिखाये जाने हैं उनका भी नियमन किया जाये। अपने लाभ के लिये जिस सीमा तक नियमन करने में हम सफल होंगे उसी हद तक वे हमारे लिये लाभदायक होंगे। किंतु यदि हम इनके नियमन में असफल हुए तो ये हमारी हानि का कारण हो सकते हैं। किंतु जैसा कि मैंने कहा है नये विचारों और नयी संस्थाओं के स्पर्श से हम सर्वथा बच नहीं सकते और इसलिये हमारा यह काम है कि अब जब हमारे हाथ में सत्ता है इन सुविधाओं का ऐसा प्रयोग करें कि वे हमारे लिये लाभदायक सिद्ध हों और उनमें जो हानि करने की शक्ति है वह उनसे छिन जाये।

हमें अपने देश में बहुत काम करना है। शिक्षा प्रसार की समस्या है, हमारी जनता के स्वास्थ्य मुद्धार की समस्या है और हमारे साधारण जनता की दरिद्रता की समस्या है। जीवन के इन सब विभागों में और कार्य के इन सब क्षेत्रों में काम करने के लिये हमें ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो जनता की सेवा के लिये इस प्रकार के मुद्धार के काम में अपने को लगा दें। विदेशी सत्ता से जो संघर्ष हमने किया उससे कई बातों में कहीं अधिक कठिन यह काम है और गणतन्त्र के राष्ट्रपति की हैसियत से जहाँ भी मैं गया हूँ वही जो महान् जिम्मेदारी हमारी जनता के सर पर अब आगयी है उस की मैंने उन्हें याद दिलायी है। जहाँ तक हम उस उत्तरदायित्व के निभाने में सफल होंगे वही तक हमारे पास अपने शासन करने की शक्ति होगी। लगभग

पिछले तीन वर्षों में जब से हम स्वतंत्र हुए हैं मैं यह मानता हूँ कि हम इस दिशा में कुछ अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। किंतु इसके कई कारण हैं और जो कठिनाइयाँ हमें सहनी पड़ी हैं वे भी तो बहुत भारी हैं। हम यद्यपि सब कठिनाइयों पर विजय पा नहीं सके हैं तो भी हम उनमें से बहुतों को पार करने में समर्थ हो गये हैं। इस कार्य में हमे जनता के सब वर्गों की सहानुभूति, सहयोग, सक्रिय सहायता और सलग्नता की आवश्यकता है। हमें स्वतंत्रता के साथ साथ इस बात का पता चला है कि कुछ कठिनाइयाँ तो ऐसी हैं जो स्वयं परिस्थिति में ही निहित हैं। किंतु कुछ दूसरी कठिनाइयाँ ऐसी भी हैं जिनको हम ने खुद पैदा कर लिया है। [पहले प्रकार की कठिनाइयों के लिये कोई हमें दोष नहीं लगा सकता। हमें उन पर विजय पाने की पूरी कोशिश अवश्य करनी है किंतु जो दूसरी प्रकार की कठिनाइयाँ हमने अपने आप पैदा कर ली हैं उन के लिये हम ही उत्तरदायी हैं और अपने प्रति, देश के प्रति और जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि इन कठिनाइयों को दूर करें और नई कठिनाइयों को पैदा न करें। जहाँ भी कहीं कोई क्रांति होती है वही विचारों का, हितों का, और कार्यक्रमों का पारस्परिक संघर्ष होता है; और वह यहाँ भी अधिकाधिक दिखाई पड़ रहा है। किंतु यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम निराश हों या भविष्य के बारे में घबड़ा जायें। यदि हम साधारण जनता के लिये वास्तविक स्वतंत्रता अर्थात् कमी से स्वतंत्रता, भ्रम से स्वतंत्रता, प्राप्त करने पर तुले हुए हैं तो हम वह स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं वे तो केवल लोगों की उस आतुरता की द्योतक हैं जो उस स्वतंत्रता को दूसरी रीति से अन्य लोगों की अपेक्षा शीघ्रता से प्राप्त करने की उन को है। जब हमारे सामने विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के वाद रखे जाते हैं तब उन पर विचार करते समय यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिये। इनकी अपने गुणों के अनुकूल ही परीक्षा की जानी चाहिये और उनके सबध में मत बनाना चाहिये। और यदि कोई ऐसी बात है जिसे हम अच्छी समझते हैं तो चाहे कहीं से भी वह सुझाव क्यों न आ रहा हो उसे स्वीकार करने में और उसे अपनाते में हमें किसी प्रकार की लज्जा न होनी चाहिये। और मैं जानता हूँ कि यदि हमारी विभिन्न सरकारें इन सुझावों के बारे में इस निर्णय पर पहुँच गयीं कि वे ऐसे हैं जिन्हें अमल में लाना ठीक होगा तो उन्हें अपनाते में उन्हें हिचकिचाहट न होगी।

हम वास्तव में प्रयोग के युग से होकर गुजर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में जब कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर ऐसे पैमाने पर चुनाव करेंगे जिनका उदाहरण मानव जाति के इतिहास में नहीं मिलता है तब हमारे देश में प्रजातंत्र का सब से बड़ा प्रयोग होगा। मत डालने वाले लगभग १७-१८ करोड़ मत दाताओं की संख्या के कारण, चुनावों में चार हज़ार स्थानों की पूर्ति होने के कारण, और इन स्थानों की पूर्ति के लिये लगभग १ लाख ७५ हज़ार निर्वाचन केन्द्र होने के कारण सरकार को इन चुनावों के करने के लिये कितना भारी काम करना पड़ेगा इसका अनुमान आप कल्पना से लगा सकते हैं। किंतु इनके कारण सरकार की ही परीक्षा न होगी किंतु जनता की भी परीक्षा होगी। उन्हें यह दिखाना है कि मताधिकार मिल जाने के पश्चात् वे सब बातों का फैसला मत द्वारा ही करेंगे और किसी और बात का सहारा न लेंगे। क्योंकि मत का तो बड़ा महत्व है और यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि यह मताधिकार सब को मिल गया है। इससे न्याय रीति से, अपने मत भेदों का निर्णय करने के लिये हमें रास्ता मित्र गया है और इससे हमें यह अवसर भी

मिल गया है कि हम संसार को दिखादे कि हमारी जनता सारे देश के हितों को यथावत समझती है तथा हमारे यहां का हरेक आदमी सारे देश के हितों की बात सोचने की सामर्थ्य रखता है और सर्व साधारण जनता के हित में अपना मत दान कर सकता है। यदि हम इसको ध्यान में रखेंगे और समस्त देश के हितों को ध्यान में रखकर सूझ बूझ में अपना मत देंगे तो हमने वास्तव में बहुत अच्छा काम कर लिया होगा और यह प्रयोग भी पूर्णतया सफल हो जायेगा। किंतु इस के विपरीत हम यदि अपने मताधिकार को बुद्धिमत्ता से प्रयोग न कर सके अथवा यदि देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो गयीं जो हमारे लिये उस मताधिकार का प्रयोग भी करना अथवा बुद्धिमत्ता से उसका प्रयोग करना कठिन बना देती हैं तो जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उसे बनाये रखना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो महान् उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा है उसको हम सब पहचाने और उसके निभाने के लिये अपने को हम सब तैयार करें।

जैसा कि अगले दिन मंने मद्रास में कहा था इस देश का ऐसा इतिहास रहा है जो किन्हीं बातों में सुखद नहीं है। ऐसे यहा अवसर हुए हैं जब हमारे यहां बड़े बड़े साम्राज्य थे। हिन्दुओं के युग में, बौद्धों के युग में, मुसलमानों के युग में, और अंग्रेजों के युग में हमारे यहा बड़े बड़े साम्राज्य थे जो इस देश के बड़े विशद भागो पर राज्य करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले यहा सर्वदा ऐसी प्रवृत्ति थी और विशेषतया दूरस्थ और बाहर भागो में तो थी ही कि वे केन्द्र से अपने संबंध काट कर अलग हो जाये। यहा ऐसी प्रवृत्तियां थी जो न केवल छोरों पर ही वरन् साम्राज्यों के केन्द्र में भी न्यूनाधिक मात्रा में हानिकर सिद्ध होती थी और जिनसे उन साम्राज्यों का पतन हो जाता था। आज जिस बात की हमें आवश्यकता है वह यह है कि हम देश की एकता को पहचानें। इस विशाल देश की एकता को पहचाने। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि आज भारत का उससे कही अधिक क्षेत्र है और कही अधिक जनता है जो उसके इतिहास के किसी भी पहले युग में थी जिसमें कि वह एक छत्र के अधीन था और यह तब है जब कि उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में उसके दो पख कट गये हैं। पहले चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे, किंतु उन सब के साम्राज्य के अन्तर्गत कई ऐसे राज्य होते थे और कई ऐसे शासक थे जो अपने प्रदेशों में बड़े शक्तिशाली थे और जिनका केन्द्रीय सत्ता से केवल नाम को ही नाता था। किंतु आज हमारे सामने ऐसा भारत है जिसके लिये हमने ऐसा सविधान बनाया है जो उसके हर प्रदेश में लागू है। यह कोई मामूली सफलता नहीं है। हमें यह न भूलना चाहिये कि यह सब इसलिये संभव हो सका क्योंकि भारत की जनता ने और मैं यह भी कृहगा कि भारत के राजाओं ने मिलकर डम महान् काम को पूरा किया। यह सब की देश भक्ति और सब की आज धर्म निपुणता का ही फल है कि ऐसा महान् सविधान बना जिसका कि हम सब को सही गर्व है और यदि सविधान पर अमल होना है तो साधारण जनता को वैसी ही राजधर्म निपुणता, वैसी ही देशभक्ति और कर्तव्य के प्रति वैसी ही लगन से काम लेना है। तथा हमें यह सर्व प्रथम स्मरण रखना है कि यह देश एक है और यह कि चाहे कोई प्रदेश इस देश के धुर दक्षिण के छोर पर है अथवा हिमालय में है जहां कि हमारे देश की सीमायें विदेशो को छूती हैं और चाहे वह भारत के ठीक केन्द्र में है वह सब एक देश का है और एक देश में है। और हम जो कुछ भी करे उसे करते समय हमें यह चित्र अपने आंखों के सामने रखना चाहिये। हमारे देश की जनता को हमारे इस देश की एकता का ज्ञान है और आज भी चाहे वह उत्तर का हो, अथवा दक्षिण का, पूर्व का हो या पश्चिम का हरेक हिद्द प्रातःकाल में यह श्लोक

पढ़ता है जिसमें कि उत्तर दक्षिण की सब नदियों का वर्णन है और अपनी संध्या ऐसे जल के प्रयोग से आरम्भ करता है जिसके बारे में यह धारणा है कि वह देश की सब नदियों से लाया गया है। यह देश का सर्वांगीण चित्र है और यह चित्र सर्वदा हमारे सामने रहा है। हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में भाषा के क्षेत्र में और रूढ़ियों के क्षेत्र में सब लोगों का पूरी स्वतंत्रता दी है। लगभग सभी बातों में हमने पूर्ण स्वतंत्रता दी और यही कारण है कि हमारे यहाँ विभिन्न सुन्दर भाषाएँ हैं जिनके माहिस्य बड़े समृद्ध हैं और विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ हैं। किन्तु इन विभिन्नताओं के बावजूद सारे देश के अन्तर्गत में एकता की प्रच्छन्न धारा बह रही है। यह भूतकाल में केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में ही थी। आज तो इसे हमने राजनैतिक और प्रशासनीय क्षेत्र में भी कायम कर लिया है। अब हमारा यह काम है कि हम इस एकता को बनाये रखें और समस्त देश की स्वतंत्रता के लिये इसकी रक्षा करें। अतः देश से अलग होने की प्रवृत्ति को बुरा समझना चाहिये और हम देश में किसी प्रकार के भी तोड-फोड आन्दोलन के चलने की इजाजत नहीं दे सकते चाहे फिर वे देश के अन्दर में पैदा हो अथवा उसकी प्रेरणा देश के बाहर से आई हो। समस्त देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की जो बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्रता ने हम पर रख दी है उसको जनता को समझना चाहिये और यदि हम न ऐसा किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि और बातें भी सब ठीक होंगी।

आपके सुन्दर नगर को मैं अपनी पूरी शुभकामना देता हूँ। यह सुन्दर नगर है, आपने इसको सुन्दर बनाये रखा है और इसे और भी सुन्दर बनाये रखने के प्रयास में आप हैं। नगर की सीमाओं के अन्दर आप जिन विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं उन की रिपोर्ट मैंने देखी। अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिये और अनेक अन्य बातों के लिये जिन में कि भूत काल में यह राज्य अंग्रेजी प्रांतों से कही आगे रहा है मैंसूर ने ठीक ही अच्छा नाम पाया है। मैं यही आशा कर सकता हूँ कि इस परम्परा को आप बनाये रखेंगे और सर्व साधारण के कल्याण के काम को आप निरन्तर आगे बढ़ाते रहेंगे।

जो अनुग्रह और सद्कामनाएँ आपने मेरे लिये प्रकट की हैं उनके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### मैसूर विश्वविद्यालय का विशेष समावर्तन।

\*मैसूर काफोर्ड हाल में मंगलवार १० अप्रैल, १९५१ को विशेष समावर्तन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

डाक्टर आफ़ लाञ्च की डिग्री देकर आपने जो मेरा आदर किया है उसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। एक समय था जब मैं वकील था किन्तु यह बात बहुत पुरानी हो गई है। और जो कुछ थोड़ा बहुत कानून मैं जानता था उसके भूलने के लिये मुझे पर्याप्त समय मिल चुका है। किन्तु मैं यह जानता हूँ कि आपने जो आदर मुझे प्रदान किया है वह इसलिये नहीं है कि मैं वकील हूँ वरन् उसका कारण कुछ और है और इसीलिये इसको रबीवार करने

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनूवाद

मैं मुझे थोड़ी ही हिचकिचाहट हुई है। एक समय था और उस समय मैं युवक था जब मेरे मन में डाक्टर आफ लाज बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा थी। इस उद्देश्य से मैंने कलकत्ता विश्व-विद्यालय का इम्तहान पास किया था जहाँ का कि मैं विद्यार्थी था और ठीक उस समय जब महात्मा गान्धी ने असहयोग आरम्भ किया और मैं उस में सम्मिलित हुआ मैंने डाक्टर की पदवी के लिये “थीसिस” लिख रहा था। डाक्टर तो मुझे न मिली किन्तु तब से कई विश्वविद्यालयों ने मुझे डाक्टरेट की पदवी दे दी है। मैं नहीं कर सकता कि मैं इस सम्मान का कहां तक पात्र हूँ।

आज ने बड़ी कृपा करके महात्मा गान्धी से मेरे संपर्क की बात अपने भाषण में कही है। यह मेरा बड़ा अहोभाग्य था। और इस प्रकार का संबन्ध किसी भी व्यक्ति के लिये दुर्लभ अहोभाग्य होता। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं अपनी आयु के काफी पहले अंग में महात्माजी के घनिष्ठ संपर्क में आया और उस समय भारत में उनके कार्य का भी श्रीगणेश हो रहा था। महात्माजी के मुझ पर प्रभाव के कारण मुझे अहिंसा और सत्य में प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई। महात्मा जी ने जो कई आदेशों का चरण उतारने बहुत पश्चात्पूर्व चम्पारन में मया हुआ था। जब महात्मा गान्धी उस जगह पहुँचे तब वहाँ के किसान अनेक प्रकार की तकलीफों के शिकार थे। किन्तु उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि वे निलहों के प्रति किसी प्रकार का भी द्रव्य या वैमनस्य रखें। हम लोगों के लिये जो इस काम में नये ही शामिल हुए थे और जो अहिंसा की रीति और सिद्धांत को ठीक ठीक नहीं समझते थे यह बड़ी अचरज की बात थी। किन्तु महीनों तक निरन्तर हमने दिन रात महात्माजी के साथ काम किया। और छ महीने या उससे कुछ अधिक समय के बाद सरकार ने समस्त प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया। उस आयोग के परिश्रम के फलस्वरूप एक कानून पास किया गया जिसमें किसानों की शिकायतों में से काफी दूर हो गई और दो तीन वर्ष में मांगे निलहों अपनी जमीन छोड़कर चले गये और नील की खेती बन्द हो गई। किन्तु मैं समझता हूँ कि ऐसा होने पर भी निलहों यहाँ से कुछ दुखी होकर नहीं गये। उन्होंने तो अपनी जमीन को बहुत अच्छे दामों पर बेचा और उस विक्री से काफी फायदा उठाया और ऐसा करके अपनी नील की खेती छोड़कर यहाँ से गये। किसानों की भी मददकायता वे अपने साथ ले गये क्योंकि उन्होंने वास्तव में उनकी मारी जमीन खरीद ली और जो कुछ खरीदा उनके लिये उनको अच्छे दाम दिये। जिस बात को हम बड़ा जरूरी समझते थे वह वास्तव में इस तरह से पूरी हो गई, और इस प्रकार महात्मा गान्धी के आन्दोलन के तीन चार वर्ष के बाद नील की खेती विशुद्ध बन्द हो गई और जो शिकायतें सौ वर्ष से ज्यादा से चली आ रही थी वे समाप्त हो गईं। मुझे उस समय पता चला कि उसमें पहले जो बात मैं झमेला से मोचता आ रहा था वह सब गलत थी और महात्मा गान्धी ने यह ठीक ही कहा था कि वे किसानों की शिकायतों के दूर करने के साथ साथ ही यह नहीं चाहते कि दूसरे पक्ष वालों के मन में किसी प्रकार का मैल या कड़वाहट पैदा हो। आन्दोलन के तुरन्त पश्चात् उन दिनों मैंने चम्पारन के आन्दोलन के संबन्ध में एक छोटी पुस्तिका लिखी थी। उस पुस्तक में मैंने कुछ वाक्यों में इस बात को वर्णन किया था। मैंने लिखा था कि जहाँ महात्माजी किसानों के ऊपर होनेवाले सब अत्याचार को दूर करना चाहते थे वही वह यह नहीं चाहते थे कि विपक्षियों के मन में किसी प्रकार का मैल या कड़वाहट हो। और ऐसा करने में वह सफल भी



हुए। इसी प्रकार हम भी अंग्रेजों की मर्जी से ही अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे। और चाहे अंग्रेजों का वह साम्राज्य जो उन्होंने यहाँ कायम कर रखा है खत्म हो जायेगा तो भी उनके हमारे बीच में दूसरे प्रकार का ऐसा संबन्ध स्थापित हो जायेगा कि जो उनके हितों के विरुद्ध न होगा। और यह भविष्यवाणी अब मृत्यु सिद्ध हो गई है। आज मेरे विचार से भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में अंग्रेजों के बारे में मेल हो। और मुझे यकीन है कि अंग्रेजों के मन में भी भारतवर्ष के लिये पूरी शुभकामना और सद्भावना है। जिससे प्रकट है कि जीत दोनों की हुई है। भारतवर्ष ने विजय प्राप्त की है क्योंकि साम्राज्य के विरोध में भी अपने आन्दोलन में महात्मा गान्धी ने अहिंसा के उस मिथ्या का पालन किया जिसका प्रचार वह अपने सारे जीवन में करते रहे थे। मैं जानता हूँ कि आजकल जब हमारे चारों ओर और विशिष्टतया दुनिया के दूर के प्रदेशों में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा की तैयारियाँ की जा रही हैं सत्य और अहिंसा की बात कहना कुछ मुश्किल है। महात्मा गान्धी की इस आदर्श में जैसी निष्ठा थी और उनका हमके लिये जैसा आग्रह था वैसी अहिंसा में श्रद्धा आज किसी व्यक्ति की नहीं है जो इस आदर्श को उसी बल और श्रद्धा से संसार के सामने रख सके। और जब तक यह उस श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं रखा जाता है तब तक उसका वह प्रभाव नहीं होगा जो महात्मा गान्धी के शब्दों का हुआ करता था। मेरा विचार है कि भारतवर्ष के लिये भी और सारे संसार के लिये भी यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों में से जिन को महात्मा गान्धी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था, उनका यह कर्तव्य और यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे अहिंसा के झण्डे को ऊँचा उठाये रखें और परमात्मा से मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह हमें इस काम को सफलता से करने के लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान करे।

जैसा कि मैं ने कहा है विश्वविद्यालय ने जो सम्मान मुझे प्रदान किया है उसके लिये मैं उसका कृतज्ञ हूँ। पिछले वर्ष में मुझे कई ऐसे अवसर मिले हैं जब मैंने विश्वविद्यालयों में समावर्तन के अवसर पर भाषण दिया है तथा अन्य विद्या संस्थानों के सामने भाषण दिया है। इन सभी अवसरों पर मैं ने इस बात की ओर ध्यान अकृष्ट किया है कि उच्च शिक्षा के संबन्ध में हमारे अपने दृष्टिकोण के बदलने और उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों के और खाम तौर से इस देश के विश्वविद्यालयों के दो प्रकार के उद्देश्य होने हैं। उन्हें इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि उच्च शिक्षा का प्रसार हो। विश्वविद्यालयों के विषय क्रम का यह एकां पहलू है। उनके काम का दूसरा पहलू यह है कि ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो। मेरा विचार है कि इन दोनों ही बातों के बारे में हमारे विश्वविद्यालयों को अपने पुराने विषयक्रम और पाठ्य व्यवस्था को बदलना होगा। आज डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् अनेक स्नातक यह नहीं जानते वे अपनी डिग्रियों का या अपने जीवन का क्या करें। जिस शिक्षा की हमें जरूरत है वह ऐसी होनी चाहिये जो हमें जीवन संघर्ष का साहस और दूरदर्शिता में मुकाबला करने के योग्य बना सके। अतः विश्वविद्यालयों की शिक्षा के एक पहलू का प्रबन्ध इस प्रकार का होना चाहिये जिस से कि संसार में अपने भविष्य को सभालने में उनके विद्यार्थी समर्थ हो सकें अर्थात् वे ऐसे ज्ञान और अनुभव से संपन्न हों कि उनको उस संघर्ष में सफलता से भाग लेने में सहायक सिद्ध हो। दूसरा उसका पहलू यह है कि वे ऐसे लोगों को पैदा करें जिनमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की योग्यता, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और लगन हो।

सब विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्वान और विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। इस काम को हमें बढ़ाना है। इसके बारे में भी मैं यहाँ कहूँगा कि इसको इस प्रकार से बढ़ाया जाये जिससे कि यह हमारे प्रयोजनों के लिये अधिकाधिक लाभदायक हो। यह ठीक है कि संसार भर में विद्वानों का ऐसा वर्ग है जो सब विभागों में ऐसे ज्ञान की निधि बढा रहा है जो सब को प्राप्त होना चाहिये। यदि प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक दृष्टि से हमारी परिस्थितियों के लिये विद्वान लोग उपयोग करने में सफल हो जाये जिसे कि हमारी जनता को बढ़ने और समृद्ध होने में मदद मिल सके तो सचमुच ही उन्होंने बड़ी भारी सेवा कर दी होगी। मैं अपने विश्वविद्यालयों को मुझना चाहता हूँ कि उन्हें इस प्रकार के गवेषणाकार्य की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये। मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू के महत्व को तो किसी प्रकार कम जरूरी नहीं समझता। उसका अपना महत्व है और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। निकट भूतकाल में शिक्षा को बहुत काफी प्रोत्साहन मिला है। और हर जगह हमारे विद्यालय ही नहीं वरन् विश्वविद्यालय भी बढ रहे हैं। मेरा विचार है कि पिछले दस वर्षों में हमने विश्वविद्यालयों की संख्या में कई और विश्वविद्यालय जोड दिये हैं। प्रत्येक विद्यार्थी जो हाई स्कूल तक पहुँच जाता है वह उसके बाद कालेज में दाखिल होने की बात सोचता है और कालेज में दाखिल होने के बाद स्वभाव ही वह डिग्री हासिल करना चाहता है किन्तु मुश्किल तो तब पडती है जब उसे डिग्री मिल जाती है। जैसा कि मैं ने कहा है अपनी डिग्रियाँ लेने के बाद स्नातकों को यह पता नहीं होता कि वे क्या करें और न उनके माता पिता ही जिन्होंने उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा दिलायी कुछ जानते हैं। मेरा विचार है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, का आमूल पुनर्व्यवस्थापन होना चाहिये जिससे कि वे ही लोग विश्वविद्यालय में दाखिल हो जो वहाँ जाने के लायक हैं और विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या अन्य प्रकार की शिक्षा की ओर भेज दी जाये। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शिक्षा और संस्कृति से लोग वंचित रहे। सामाजिक व्यवस्था में अपने उचित स्थान को प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यक्ति को जितनी शिक्षा और संस्कृति की आवश्यकता है उतनी तो हरेक को मिलनी ही चाहिये। किन्तु उसके लिये उसे विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने की आवश्यकता न होनी चाहिये। यदि मारी व्यवस्था का सुधार हो और उसकी नई दिशाएँ स्थिर हो जायें तो मेरी यह भावना है कि हमारे विश्वविद्यालय काफी अच्छी सेवा करने लगेंगे। मैं इससे पूर्व इस विश्वविद्यालय में कभी नहीं रहा हूँ अतः मैंने अपनी राय देने की जो धृष्टता की है उसके लिये मुझे आशा है कि समावर्तन के मद्दय मुझे क्षमा करेंगे।

भाइयो ! आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और कुलपतिजी ने मेरे संबन्ध में जो स्नेह शब्द कहे हैं उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान, बंगलोर

\*शक्ति-इन्जिनियरी-विभाग तथा युगकमता इन्जिनियरी प्रयोगालय का उद्घाटन और जल विद्या

प्रयोग लय के शिलान्यास के अवसर पर त. गीब १०-४-५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

आपके नये भवनों का उद्घाटन करने तथा जो नया भवन आप बनाने जा रहे हैं उनके शिलान्यास करने के इस समारोह में भाग लेना मैं अपने लिये बड़े सम्मान की बात समझता

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

हूँ। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं यह कहूँ कि इन प्रयोगालयों में आप जो कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं उनके बारे में मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। किन्तु साधारण मनुष्य के नाते मैं इन प्रयोगों के और इन क्रियाओं के परिणामों में गहरी दिलचस्पी रखता हूँ। जैसा कि आप ने कहा है यह पहला अवसर नहीं है जब मैं यहाँ आया हूँ किन्तु कई वर्ष पश्चात् आने पर मैं इस स्थान को पूर्णतया बदला हुआ देखना हूँ। यहाँ इनने दिनों में बहुत सी नयी इमारतें बन गयी हैं और कुछ पिछली बड़ी कर दी गयी हैं जिस से कि मैं यदि यहाँ अकेला रह जाऊँ तो मुझे रास्ता पता चलाने में भी मुश्किल होगी। इससे प्रकट है कि इस संस्था ने कितनी तरक्की की है और यह कितनी बढ़ गयी है। आपने नये विभाग के वाद नये विभाग खोले हैं और मुझे विश्वास है कि आप बहुत से और खोलने जा रहे हैं। सरकार वैज्ञानिक गवेषणा में बड़ी दिलचस्पी लेनी रही है। यद्यपि पिछले वर्षों में विभिन्न विषयों में काम करने के लिये हमने सारे देश भर में लगभग बारह प्रयोगालय स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है तथापि इस संस्था को ही यह सम्मान प्राप्त है कि यह लगभग चालीस या उससे भी अधिक वर्ष पहले स्थापित हो गयी थी। यह और बधाई की बात है कि इस संस्था की संस्थापक सरकार न होकर एक उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, देशभक्ति और व्यापार कुशलता द्वारा देश को न केवल इस्पात का बड़ा कारखाना ही प्रदान किया वरन् अन्य कई कारखाने भी खोले जो टाटाओं के अधीन काम करके फूल फल रहे हैं। यह संस्था बड़ा आश्चर्यजनक कार्य करती रही है। इसका शिलान्यास करके जो महान सेवा जमशेद जी नौशेरे-वांजी टाटा ने की थी उसे देश को याद रखना चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा है साधारण जन के नाते मैं आपके काम के परिणामों से ही दिलचस्पी रखता हूँ, और जिनने थोड़े समय से मैं यहाँ हूँ उसमें जो बातें मुझे बतायी गयी हैं उनमें मुझे ऐसा लगा है कि जिस काम को आप यहाँ कर रहे हैं उससे देश को और सम्भवतः सारे मानव समाज को बहुत लाभ होगा। आप ऐसी गवेषणा के कार्य में लगे हुए हैं जिनसे अपने देश में ही पैदा की हुई औषधियों द्वारा हम कुछ रोगों की चिकित्सा करने में समर्थ हो जायेंगे और वह भी इतनी कम कीमत में कर सकेंगे जो कि बाहर से आयात की जाने वाली औषधियों की कीमत से कहीं कम होगी। आप ऐसा यन्त्र बनाने में लगे हुए हैं जो गावों में भी आसानी से मिलने वाले ईन्धन का प्रयोग करके काम कर सकता है। हमारे यहाँ सारे कृषि सम्बन्धी काम में जो कठिनाइयाँ हैं उनमें से एक पानी की कमी है और यदि हम मिचाई के लिये पर्याप्त पानी का प्रवन्ध कर सकें तो मुझे यकीन है कि देश की अन्न की समस्या बहुत आसानी से मुलज जायेगी। मेरी अपनी धारणा है कि देश के अन्दर ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिन्हें जोता जा सकता है और जिनमें यदि पानी मिल सके तो हर प्रकार की चीज पैदा की जा सकती है। राजपूताने में जहाँ आप को मिवाय रेत और सूखी भूमि के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ना वहाँ जो कुछ मैं ने देखा है उसके अनुभव पर मैं यह बात कहता हूँ। वहाँ भी जब पानी का प्रवन्ध हो गया है तो रेतीली भूमि भी उसी प्रकार हरियाली हो गयी है जैसी कि देश के किसी अन्य भाग की भूमि हरियाली है। हमें उन जिलों का भी तजुर्वा है जो अब पश्चिमी पंजाब में हैं और जिनकी अवस्था एक समय न्यूनाधिक उसी प्रकार की थी जैसी कि अब राजपूताना की है। अब वह जिले पंजाब के लिये अन्न भण्डार बन रहे हैं और वे हमें देश के दूसरे भागों के लिये भी काफी अन्न दिया करते थे। अतः यदि ३५९ कोई

ऐसा यन्त्र बनाने में कामयाब हो जायें जो गावों में मिलने वाले ईंधन से चल सके तो म कहुंगा कि कृषि की मदद के लिये आपने बड़ा भारी काम कर दिया है।

किन्तु आप केवल इसी बात में ही तो नहीं लगे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्यों के सम्बन्ध में भी आप प्रयोग कर रहे हैं और यदि मिल सके तो—मैं यद्यपि गाय का ही दूध पसन्द करूंगा किन्तु तो भी आज के कमी के युग में आप गाय के दूध के स्थान में कोई अन्य प्रकार की वस्तु दे सके तो वह भी आपकी महान् सेवा होगी। और मुझे इस बात को सुन कर खुशी है कि आप ऐसी चीज पैदा करने में बहुत कुछ हृद तक कामयाब हो रहे हैं जो यद्यपि गाय के दूध के समान तो बिल्कुल अच्छी नहीं है तो भी वह लगभग गाय के दूध जैसी ही है। और पानी मिले गाय के दूध से अगर हम इसकी तुलना करें और वैसा ही पानी मिला दूध तो आजकल मिलता है तो हमें पता चलेगा कि यह उससे कहीं बेहतर है। साधारण जन की दृष्टि में हमें इसी प्रकार के परिणामों में दिलचस्पी रखना है।

यन्त्रों, हवाईजहाजों और इसी प्रकार की अन्य चीजों के सम्बन्ध में भी आप प्रयोग और गवेषणा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है इन बातों के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं समझता हूँ किन्तु जिन दिनों मैं अन्यत्र से आने वाले यन्त्रों के मुकाबले में आपके यन्त्रों को बेहतर काम करता देखा उन् दिनों मैं आपके काम की तारीफ करूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे उस दिन के लिये ज्यादा इन्तजार न करना पड़ेगा जब आप मुझे इन बारे में सन्तोष प्रदान कर सकेंगे।

मुझे यहाँ का विजिटर अपेक्षा जाता है और वह भी ऐसी वैज्ञानिक समस्या का हालाँकि वैज्ञानिक के नाते मेरी कोई योग्यता नहीं है। किन्तु मुझ से ऐसी अनेक बातें करने की अपेक्षा की जाती है जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और जिनको मैं समझता भी नहीं हूँ। सरकार के हर प्रधान को और खास तौर से प्रजातन्त्रात्मक सरकार में जहाँ उसे जिम्मेदार आदमियों की राय पर काम करना पड़ता है वहाँ तो सरकार के प्रधान को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। अतः आपके काम के सम्बन्ध में मैं भी यही आशा रखता हूँ कि आपसे मुझे जो राय मिली है वह ठीक क्रिस्म की है और जो कुछ मैंने यहाँ किया है वह ठीक ही किया है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने कोई गलत बात की होती तो आपने उसकी जरूर शिकायत की होती और उस बात की देवभाल करने के लिये मुझे अवश्य योग्य बना दिया होता। मैं आपको यह दावत देता हूँ कि अगर विजिटर के नाते मैं कोई ऐसी बात करूँ जिसे आप गलत समझते हैं तो आप अपनी शिकायत लेकर मेरे पास जरूर आ जायें।

वैज्ञानिक जानकारी के लाभ के सम्बन्ध में मैं साधारण जन के नाते यही कहता हूँ कि मैं तो उसके परिणामों और फलों से ही दिलचस्पी रखता हूँ। सारे सप्ताह में इस क्षेत्र में इतनी भारी प्रगति की जा रही है कि भारत जैसे देश के लिये यह बहुत कठिन हो जाता है कि जो तरक्की की जा रही है उसके अनुकूल ही वह भी आगे बढ़े। अभी अगले दिन की बात है कि दिल्ली में हमें एक अनोखी बात दिखाई दी। वास्तव में वह कोई ऐसा जहाज था जो दिल्ली के ऊपर उड़ रहा था किन्तु जिसके बारे में सब लोगों की उत्सुकता पैदा हुई और इनमें मैं भी सम्मिलित था। और मैंने यह सोचा कि इस बारे में सब से ठीक बात यह होगी कि मैं उस व्यक्ति से पता चलाऊँ

जिसके सम्बन्ध में यह खयाल किया जाता है कि वह इन मामलों में सब से ज़ादा योग्य है। इस-लिये मैंने हवाई ब्रेडे के सेनापति से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि यह एक हवाई जहाज था जो हिन्दुस्तान पर उड़ रहा था किन्तु जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कहा से आया और कहाँ गया; जो कुछ कहा जा सकता था वह केवल इतना ही था कि वह हवाई जहाज है और जब मैंने यह पूछा कि किसी दुश्मन के हवाई जहाज को इस प्रकार यहां आने से रोका जा सकता है या नहीं तो उन्होंने उत्तर दिया कि सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह सम्भव है किन्तु इस प्रयोजन के लिये आवश्यक रडार यन्त्र इतना कीमती होगा कि भारत के लिये उसे खरीदना सम्भव नहीं होगा। इसमें प्रकट है कि वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से भारत को किन कठिनाइयों का सामना करना है। सम्भवतः अन्य देशों को भी ऐसी ही कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है किन्तु हमारी अपेक्षा वे लोग तो इस काम में बहुत पहले से लग रहे हैं। मुझे वह दिन याद है जब हमारे विद्यालयों में मुश्किल से ही कहीं विज्ञान पढ़ाया जाता था। कह तो मैं भी सकता हूँ कि मैं ने कुछ विज्ञान पढ़ा है किन्तु आजकल कोई भी वैज्ञानिक यही कहेगा कि वह विज्ञान तो कुछ विज्ञान था ही नहीं और यह बात अभी विष्कूल पचास वर्ष तक पहले थी। तब से इस देश में वैज्ञानिक अध्ययन की बड़ी तीव्रता से प्रगति हुई है। अब हमारे सब विज्ञान पढ़ाने वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ ही नहीं हैं वरन् भव्यता के काम में लगे हुए हमारे यहां अनेक आचार्य भी हैं और उनमें से कुछ की कृतियों को तो समग्र भर में बड़े महत्व का मान लिया गया है। हमने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। किन्तु हमें न केवल कुछ ह्यतिनामा वैज्ञानिकों की ही आवश्यकता है वरन् हमें तो इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारी जनता के बहुत से लोगों में विज्ञान फैले। इस प्रकार की सस्था इस बारे में काफी काम कर सकती है क्योंकि जिन शिल्पिक ज्ञान रखने वाले अनेक व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है उनकी यह दे सकती है। हमें नदी योजना सम्बन्धी जल विद्युत् कारखानों के जरिये देश में विजली के यन्त्रों के विकास की बड़ी आशा है। मैं यह नहीं जानता कि जिन कारखानों को बनाना हमने शुरू कर दिया है या जिनके बनाने का हमारा खयाल है या जिनके बारे में जान हो रही है उनको वास्तव में बना कर पूरा कर देना भी सम्भव होगा या नहीं। किन्तु हमें कोई शक नहीं है कि जब इनमें से कुछ बन कर पूरे हो गये होंगे और उनमें काम चालू हो गया होगा तब हमारे विजली के शक्ति साधनों में बहुत अभिवृद्धि हो गयी होगी और हमारे शक्ति साधनों के बढ़ जाने के कारण जिन विभिन्न वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उनकी पैदावार भी काफी बढ़ गयी होगी। अतः जिन यन्त्रों की हमें आवश्यकता है उनके अतिरिक्त हमें इन कारखानों को जिन्हें कि हम स्थापित करेंगे उनके चलाने के लिये हमें बड़ी तादाद में शिल्पिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की जरूरत होगी और इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स के समान ही संस्थाएँ इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को हमें दे सकती हैं। उन लोगों के लिये पर्याप्त काम होगा और मुझ यकीन है कि इन संस्थाओं में से सफलता प्राप्त करने के पश्चात् निकलने वाला कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा।

हमारे विश्वविद्यालय आजकल ऐसे स्नातक निकाल रहे हैं जो यह नहीं जानते कि डिग्री लेने के बाद वे अपनी डिग्रियों का या अपने जीवन का क्या करें किन्तु इस प्रकार की शिल्पिक संस्थाओं की यह अच्छाई है कि जो विद्यार्थी इनसे निकलेंगे उनके पास ऐसी योग्यता होगी कि जिसे वे सुरन्त ही लाभ उठा सकते हैं और जिसके लिये देश में पहले से ही काफी मांग है। अतः साधारण

व्यक्ति के नाते ही मैं इन सब प्रयोगालयों और मस्थाओं में काफी दिलचस्पी रखता हूँ और इनसे अपना सम्बन्ध होना, चाहे फिर वह सम्बन्ध नाम के लिये ही क्यों न हो, मैं अपना भारी सौभाग्य समझता हूँ। अब मैं बड़ी प्रसन्नता से यह शिलान्यास करता हूँ और नये भवन का उद्घाटन करता हूँ।

### बंगलौर में नागरिक अभिनन्दन

\*रेसकोर्स बंगलौर में नागरिक अभिनन्दन के उत्तर में १० अप्रैल १९५१ को सार्वजनिक सभा में बोळने हुए राष्ट्रपतिजी ने कहा—

नगराध्यक्ष महोदय, बंगलौर निगम के सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

आप ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है और मेरा जो स्वागत किया है उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। जैसा आप ने कहा इस नगर में आने का यह मेरा प्रथम अवसर नहीं है। किन्तु राष्ट्रपति के नाते यहाँ आने का यह मेरा पहला ही अवसर है। नागरिकों की सुविधा के लिये तथा भावी कार्यक्रम के लिये जो काम आप का निगम करता रहा है उस का आप ने अपने अभिनन्दन पत्र में उल्लेख किया है। निगम के इस अच्छे काम से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सड़को सम्बन्धी बड़े कार्यक्रमों का आप ने उल्लेख किया है और इस के लिये आप ने कहा है कि आप को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है। मुझे इस में शका नहीं है कि संबंधित अधिकारी वर्ग आप की प्रार्थनाओं पर समुचित विचार करेंगे और मुझे यह भी आशा है कि जो निधि इकट्ठी की गई है उसे वास्तव में उसी उद्देश्य के लिये काम में लाया जायेगा जिस के लिये कि वह इकट्ठी की गई है।

आप का यह बड़ा भारी सौभाग्य रहा है कि आप को ऐसे प्रशासक और शासक मिले हैं जिन्होंने न केवल इस नगर को मुन्दर बनाने के लिये ही काफी काम किया है वरन् यहाँ की जनता की रहने की हालतों में भी अच्छा मुधार किया है। आप के राज्य में ही नहीं वरन् सारे देश में आज कल हम अन्न की कमी के कारण संकट काल में पड़े हुए हैं। हम उम संकट का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत सरकार तथा राज्य सरकार विदेशों से नाज मंगा कर और नाज का बैसा बंटवाग करके जिस में हरेक को कुछ न कुछ नाज अवश्य मिले और कोई भी भूखा न मरे इस समस्या का मुकाबला करने के लिये पूरी कोशिश कर रही है। मुझे आशा है कि हम इस संकट के पार हो जायेंगे। हमारी साधारण जनता के लिये भी यह आवश्यक है कि अपनी कमर कस ले और हिम्मत श्रद्धा और दृढ़ता से समस्या का मुकाबला करे। मुझे इसमें शका नहीं है कि इस भावना से काम करने पर हम इस संकट के पार इसी प्रकार चले जायेंगे जिस प्रकार कि हम भूतकाल में जा सके थे।

अभी पिछले तीन चार सालों से ही हमारे हाथ में शक्ति आई है कि हम अपने भाग्य का निर्माण करे और अपना कार्यक्रम निश्चित कर सके। हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों

का मुकाबला करना पड़ा है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जनता की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये न तो केन्द्रीय और न राज्य सरकारों के लिये यह संभव हुआ है कि वे वैसा काम कर सकें जैसा वे करना चाहती हैं। किन्तु मुझे इस में शंका नहीं है कि हम भविष्य में बड़े कदम उठाने के लिये अब विन्कुल तैयार हैं। हमारा सर्व प्रथम कर्तव्य यह है कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाये और लोगों को अधिकाधिक समृद्ध बनाये। यह ठीक है कि बहुत सी बातों में स्वतन्त्रता से हमें वह सब नहीं मिला है जिस की हम आशा करते थे। किन्तु अभी समय भी बहुत थोड़ा हुआ है और हमें एक सकट के बाद दूसरे सकट का मुकाबला करना पड़ा है और वे कठिनाइयाँ अभी दूर नहीं हुई हैं। किन्तु इन अवश्यभावी घटनाओं के कारण हमें निराश नहीं हो जाना चाहिये। अभी यहाँ आने से पहले मैं विज्ञान प्रतिष्ठान में गया था। यदि विज्ञान ने हम को कोई सहायता मिलनी संभव है तो मुझे यकीन है कि वह हमारी महायत्ना आवश्यक करेगा। हमारे देश में पिछले तीन चार वर्षों में ऐसे अनेक प्रयोगालय हमने स्थापित किये हैं जिनमें न केवल सैद्धान्तिक गवेषणा ही की जा रही है वरन् इस प्रकार की क्रांतिकारी गवेषणा भी की जा रही है जो हमारी समस्याओं को हल करने में काम आ सकेंगी। ऐसा कर के हम नें बड़ा भारी कदम उठाया है। हम कुछ ऐसी योजनाओं की बात सोच रहे हैं और वास्तव में कुछ पर तो पहले ही काम शुरू हो गया है जिन से कि हमारे कृषिक साधन और उत्पादन के बढ़ने की ही न केवल सम्भावना है वरन् जिन से हमारे शक्ति साधन भी काफी बढ़ जायेंगे और हर प्रकार के उद्योग शुरू करने के लिये ये शक्ति साधन हमें समर्थ कर देंगे। हम विभिन्न प्रकार के भूमिमुधार करने की भी बात सोच रहे हैं जिसमें कि कृषक को न केवल यही मात्सुम हो जायेगा कि जो कुछ वह पैदा करता है वह उस के भण्डार के लिये तो है ही पर साथ ही हमारे देश की भण्डार के लिये भी है। यद्यपि इस बारे में हमें अभी सफलता नहीं मिली है तो भी मेरा यकीन है कि भावी सफलता की नींव हमने डाल ली है और स्मरण रहे कि नींव तो किसी को दिखाई देती है नहीं और केवल ऊपर की इमारत नजर आती है और लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है।

हमारे सामने इतनी भारी समस्याएँ हैं कि जिनके नीचे हम सहज ही में दब जा सकते थे। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अभी कितना भारी काम करने को बाकी है। हमें खेती के बारे में अभी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि अनेक युगों से हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और यद्यपि हमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और यद्यपि अनेक देशों के कृषकों से हमारा कृषक कृषि के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्यादा जानता है तथापि हम अपनी कृषिक समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं हुए हैं। निस्सन्देह यह आवश्यक है कि पैदावार के नये तरीके शुरू किये जायें और मशीनों से काम लिया जाये किन्तु जिस कृषक के पास थोड़ी ही जोत है और जिस में कि वह आवुनिकृतम यंत्रों का जो कि प्राप्य है प्रयोग नहीं कर सकता उस के सवाल पर भी तो हमें विचार करना है।

हमारे यहाँ कुटीर उद्योग है। मैं जानता हूँ कि इस युग में जिस में कि मशीनें बड़ी तेजी से प्रगति कर रही हैं और जिस में कि मशीन आज से पहले ही पर्याप्त प्रगति कर चुकी हैं कभी कभी यह शंका होने लगती है कि क्या वास्तव में छोटे कुटीर उद्योगों के लिये

अब कोई स्थान बाकी रह गया है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका यह विश्वास है कि यदि देश को प्रगति करनी है तो न केवल उन कुटीर उद्योगों के लिये ही स्थान है वरन् यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार के छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग अवश्य हों। हमारे सामने यह समस्या है कि हम अपने इस विशाल देश में रहने वाले करोड़ों आदिमियों को रोजी दिलाये। हम मशीनों से काम ले सकते हैं। हम ऐसी बड़ी फैक्टरी भी चला सकते हैं जिन में बहुत तादाद में मजदूर काम करते हैं। किन्तु प्रत्येक फैक्टरी की जो पैदावार होती है उस का उस फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों की सख्या से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता। सूत कातने वाली फैक्टरी में एक मजदूर दो सौ सूत कातने वालों के बराबर काम कर लेता है। कपड़ा बुनने वाली फैक्टरी में एक मजदूर बीस ऐसे मजदूरों के बराबर काम कर देता है जोकि कच्चे पर काम करते हैं। अब यह सब बड़ी फैक्टरीया बेकारी की समस्या को बढ़ाती है। एक दृष्टि में वे हमें गस्ती चीजें अवश्य देती हैं किन्तु सर्व माधारण के हित में यह बात नहीं है। जर्मनि मैंने कहा है मत्र कुछ मोचने विचारने के बाद कुटीर उद्योगों में और छोटे छोटे उद्योगों में लाली लोगों के काम में लगने की गुंजायश होती है और जब तक उन लोगों को काम नहीं मिलता बेकारी की समस्या हल नहीं की जा सकेगी। और जब तक बेकारी की समस्या हल नहीं होती तब तक ग्राम व्यवस्था का भी सुधार न हो सकेगा। अब यह आवश्यक है कि बड़े उद्योगों तथा कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के बीच में से हम कोई रास्ता निकालें।

इस समय की सब से बड़ी आवश्यकता अधिकाधिक पैदावार है। कुटीर उद्योगों द्वारा पैदावार, खेतों में पैदावार और पौष्टिकियों में पैदावार अर्थात् हर प्रकार की पैदावार की हमें आवश्यकता है। और जितनी ही अधिक पैदावार होगी उतना ही बचने के लिये लाभांश अधिक होगा। आज कल चीजों की मंहगाई के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। और सब में बड़ी बात तो यह है कि लड़ाई के बाद के परिणामों के कारण वस्तुओं का मूल्य बराबर बढ़ता चला जा रहा है। संसार के एक भाग में मंहगाई का फल संसार के दूसरे भागों में हुए बिना रह ही नहीं सकता। तब भी भारत सरकार कीमतों की उचित दर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मंहगाई का यह जाल किसी न किसी प्रकार तोड़ना तो है ही। कोरिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप मूल्य फिर चढ़ गये और तब से बराबर चढ़ रहे हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि कोरिया की यह लड़ाई अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे न बढ़े और दूसरी सरकारों को किसी दूसरे महायुद्ध में फिर न पड़ जाना पड़े। हमारी सरकार इस बारे में पूरी कोशिश करती रही है कि यह लड़ाई जितने क्षेत्र में है उतने में ही रहे और आगे न बढ़े। किन्तु जैसा आप जानते हैं हमारा राष्ट्र तो अभी नया ही है क्योंकि हमने हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त की है स्वभावतः हमारा सारे संसार में वैसा प्रभाव नहीं है जैसा कि कुछ बड़े राष्ट्रों का है। किन्तु हमारे लिये यह गर्व की बात है कि अपने सीमित साधनों और अपने सीमित अनुभव से ही हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी बात से असर डाल सके हैं।

समस्त भारत को एक संविधान के अधीन करने में हम सफल हो गये हैं। यह ऐसी सफलता है जिस के लिये हम अभिमान कर सकते हैं। आज भारत उस से कहीं बड़ा है



और कही विशद है जितना कि भूतकाल में किसी समय में भी भारत था । सम्पूर्ण भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ प्रभाव रख सकता है । हमें तो वर्तमान युग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना है । हमारे सब निःस्वार्थ विभेदों और कमजोरियों के होने पर भी उन में से हरेक को चाहे वह किसी मूलवंश का हो, चाहे वह किसी प्रदेश का हो, चाहे वह किसी राज्य का हो उस को अपना यह प्राथमिक कर्तव्य मानना चाहिये कि उसे इस संविधान के प्रति, तथा समस्त देश के प्रति निष्ठा, और बकादारी रखनी है और किसी भी जाति या देश का कोई विदेशी क्यों न हो उस के विरुद्ध रक्षा के लिये तत्पर रहना है । जिस देश भक्ति और त्याग की भावना से हम अपने स्वतन्त्रता आन्दोलन में अनुप्राणित रहे थे वही देश भक्ति और त्याग की भावना देश हित के लिये हम में अब भी बनी रहनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो स्वतन्त्रता हमने प्राप्त की है वह खतरे में पड़ जायेगी । कभी कभी हमारे मन में यह विचार आ सकता है कि अब जब हम ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है और कुछ करने को शेष नहीं रहा है । इस खतरे में मैं आप को आगाह करना चाहता हूँ । स्वतन्त्रता प्राप्त करना पर्याप्त कठिन काम था किन्तु इस की रक्षा और इस को बनाये रखना भी किसी भी तरह से उममें कम कठिन काम नहीं है और इस प्रयोजन के लिये हमें अपने सब अर्थात्, मानसिक सामर्थ्य और आध्यात्मिक साधनों की आवश्यकता है । आज जिस प्रधान बात की हमें आवश्यकता है वह व्यक्ति का सच्चरित्र है । मुझे कभी कभी यह बात सोच कर दुःख होता है कि इस सम्बन्ध में कुछ विशेष गिरावट आई है । महात्मा गांधी हमें इस दिशा में बहुत उच्च स्तर तक ले गये थे । किन्तु उन के भौतिक शरीर के आँखों से ओझल होने के बाद हम चरित्र के उस उच्च स्तर पर रहने में नहीं समर्थ हुए हैं । और शनैः शनैः इस बारे में गिरावट हो रही है । किन्तु हमें इस बात का विस्मरण न करना चाहिये कि यह आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने हमें अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये समर्थ बनाया और जब तक हम अपने को उस स्तर पर रखने में कामयाब नहीं होते तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रकार की गिरावट हमें किस गड़बड़े में ले जा कर गिरा देगी और हमारा कितना पतन हो जायेगा । अतः हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह यह पता चलाये कि इस बात का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं । किसी काम के करने न करने के बारे में दूसरो को दोषी ठहराना बहुत आसान बात है किन्तु अपने ही दोषों को पहचानना उतनी आसान बात नहीं है । किन्तु यदि आप इस पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करें और इस की सूक्ष्म व्याख्या करें तो आप को पता चलेगा कि दूसरों के दोषों को जानने की अपेक्षा अपने दोषों को जान लेना कहीं सरल है क्योंकि आखिरकार आप अपने मन की बात तो जानते ही हैं और आप यह भी जानते हैं कि आप ने किस प्रकार का काम किया है । दूसरो के जो काम किया है वह किस प्रेरणा के अधीन किया है इस के जानने का तो कोई रास्ता है नहीं और जब तक दूसरों के मन में क्या बात चल रही है इस के जानने का हमें साधन नहीं मिलता तब तक उन के मन में क्या प्रेरणा थी इस बात को जानना अत्यन्त कठिन है । अतः अहिंसा के सिद्धान्त का यह एक पहलू है कि दूसरों के दोषों को खोजने के बजाय आदमी अपने ही दोषों की ओर देखे । बहुत दृष्टियों से ऐसा करने का फल बहुत अच्छा होगा । यदि हम में से सब अपने अपने दोषों पर ध्यान देने लगें तो धारा देश में कोई दोष रह जायेगा ही नहीं और हमारे पूर्वजों ने अनेक युगों से आध्यात्मिक

शक्ति को इतनी महत्ता प्रदान करके उचित बात ही की थी। महात्मा गांधी ने जो उच्च आदर्श हमारे सामने रखे थे उन के कारण आज सही रास्ते से थोड़ा भी इधर उधर होना हमें बहुत खटकता है। मैं साधारण जनों को इस गिरावट से आगाह करता रहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि इस राज्य के लोग और इस नगर के लोग इस बारे में दूसरों के लिये उदाहरण रखें। आज कल हम चोरबाज़ारी की बहुत बातें सुनते हैं। हम में से हरेक को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि देश में चीजों की वर्तमान कमी से हम लाभ न उठायेंगे चाहे फिर हम पैदा करने वाले हों, व्यापारी हों अथवा उपभोक्ता। यदि हमने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हम चोरबाज़ार से माल नहीं खरीदेंगे तो चोरबाज़ार अपने आप खत्म हो जायेगा। यह तो एक ऐसी शुरुआत है जो आसानी से की जा सकती है। मन्त्र को यह जान लेना चाहिये कि हम में से हरेक ने अपने अपने तरीके से चोरबाज़ार को कायम करने में कुछ न कुछ मदद की है।

मैं यह चाहता हूँ कि चाहे किसी की कोई स्थिति हो या कोई काम हो वह अपने काम को उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से और ईमानदारी से करे। आजकल बहुत जगहों में कुछ आलस्य की प्रवृत्ति पायी जाती है। फल यह है कि जो आदमी मुस्त है उससे देश जिस सेवा की अपेक्षा कर सकता है वह सेवा उससे नहीं मिल पाती है। हरेक को अपना काम ईमानदारी से और देश के हित में करना चाहिये। चाहे कोई खेत में काम करने वाला मजदूर हो, या फैक्टरी में काम करता हो, चाहे कोई स्वामी हो, अथवा दफ़्तर में काम करने वाला क्लर्क हो और चाहे वह कोई मन्त्री हो सब को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे सरकार अपने किसी काम से हल कर सकती है। यह तो इस देश के साधारण नर-नारियों द्वारा ही हल की जा सकती है। मैं यह आशा करता हूँ कि वे लोग इसकी गम्भीरता को पहचानेंगे और इन सब समस्याओं को न केवल अपने फायदे के लिये ही वरन् देश के फायदे के लिये भी हल कर डालेंगे। कर तो वे ऐसा सकते ही हैं; इस काम को करने के लिये व्यक्तियों के मन में केवल दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। और मुझे यकीन है कि यदि ऐसा हुआ तो जहा आज हमारे सामने कठिनाइयाँ हैं वही हमारे सामने आगे सफलता ही सफलता लानगी। यदि हम अपनी पूरी शक्ति से कार्य करने का निश्चय कर लेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। आप लोगो ने जिस धैर्य से मेरी बात सुनी उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### बंगलौर औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन

\*बंगलौर में औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बुधवार ११ अप्रैल, १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा है इन प्रदर्शनियों के द्वारा जनता के सामने बहुत सी वे चीजें रखी जा सकती हैं जो हमारे कुटीरों में और कारखानों में पैदा की जा रही हैं। तथा ऐसी संस्था बड़े काम की होंगी जो उन चीजों का नमूना जो कि पैदा की जा रही है बराबर जनता के सामने रखने का प्रयत्न करती हो किन्तु

जैसा कि प्रतीत होता है अन्य बातों के लिये भी आपकी यह संस्था बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इसी बात से कि अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये काफी बड़ी राशि अर्थात् जैसा कि मुझे बताया गया है चार लाख की राशि आप पहले ही दे चुके हैं और इस बात से कि आगे के चन्दे के लिये भी आपने मुझे पच्चीस हजार रुपये की चेक पेशगी के तौर पर दी है और आप एक लाख देना चाहते हैं यह साफ प्रकट है कि आपका काम बड़ी सफलता से चल रहा है। इससे यह भी प्रकट है कि आपके काम की सर्व साधारण जनता ने तारीफ की है। यदि ऐसा न होता तो चाहे उद्देश्य कितना ही प्रशंसनीय और अच्छा क्यों न होता आप यह धन इकट्ठा करने में सफल न होते।

चूंकि मैं आसाम हो आया हूँ और संभवतः आप में से अनेक वहाँ भूचाल के बाद नहीं गये होंगे मैं यह कह सकता हूँ कि वहाँ जो भयानक विपत्ति आई उससे उस प्रांत में कितना नुकसान हो गया है और स्थिति कितनी उलट पुलट गयी है। कुछ समय हुआ जब उस प्रांत में और विशेषतया जो इलाका भूचाल से बरबाद हुआ है, उसमें मैं गया था। आप तो जानते हैं कि वहाँ तक हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। हम लोग भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक जहाँ आसाम समाप्त होता है और जहाँ बर्मा और चीन भारत को छूने हैं हवाई जहाज से जा रहे थे और रास्ते में हम उन प्रदेशों के ऊपर हो कर जा रहे थे जो भूचाल से सब से अधिक विनष्ट हुए थे पर्वतमाला के दक्ष में दो प्रकार के रंग देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। एक तो सर्वथा हरा था उमी तरह हरा था जिस प्रकार कि सारे आसाम में वर्ष भर हरियाली रहती है और दूसरा सफेद था। मैंने सोचा कि शायद छाह पड़ने से रंग में यह फर्क पड़ता है। किन्तु वान ऐसी नहीं थी। मुझे यह बताया गया कि जो हिस्सा सफेद दिखाई पड़ रहा है वह पहाड़ का वह हिस्सा है जहाँ कि भूचाल से हरियाली और पेंडपते बिल्कुल विनष्ट हो गये हैं। पहाड़ इतने बड़े पैमाने पर गिर पड़े थे कि ऐसा लगता था मानों मीलों तक पहाड़ टूट गये हों और जो कुछ भी उन पहाड़ियों पर था वह सब भी टूट टाट कर गिर गया था। यह सब दृश्य कैसा लगता होगा इसकी आप इस बात से कल्पना करले कि इन पहाड़ियों पर खड़े हुए लाखों ही वृक्ष, बिल्कुल भूमिसात हो गये थे। उन पेड़ों का क्या हुआ यह मैं न देख सका। वहाँ पहाड़ियों के दक्ष में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। कहीं न कहीं वह नदियाँ ब्रह्म-पुत्र से मिल जाती हैं और आसाम के कुछ भागों को पार करता हुआ पूर्वी बंगाल में होता हुआ ब्रह्मपुत्र इनके जल को समुद्र तक ले जाता है। पर्वतों की इस भयानक टूट फूट का परिणाम यह हुआ कि इन नदियों की धारायें रुक गयीं जिससे नीचे की तरफ की नदियाँ सूख गयीं और ऊपर की तरफ जल की अपार मात्रा इकट्ठी हो गई। भूचाल ने जो बांध बना दिया था वह इस अपार जल राशि की टक्कर को न सह सका और दस पन्द्रह या बीस मील की दूरी पर अलग अलग यह बांध जिसे भूचाल ने बनाया था टूट गया और पानी की अपार राशि इन नदियों में उमड़ पड़ी जिसका फल यह हुआ कि नदियों के दोनों तरफ का प्रदेश और दूरस्थ भूभाग बिल्कुल जल प्लावित हो गया और वहाँ इस कारण कोई भी चीज खड़ी न रह सकी। अतः वहाँ न केवल भूचाल से वरन् उसके पश्चात् जो बाढ़ आई उससे भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। मैं यह नहीं जानता कि क्या वहाँ अब भी वह बाढ़ खतम हो गई है जिसने ग्राम्य प्रदेश में यह विध्वंस फैला रखा था। हवाई जहाज से सारी नदी दिखाई पड़ती थी जिसमें धारा के साथ बड़े बड़े पेड़ बहे जा रहे थे और वे सब सफेद दिखाई दे रहे थे मानों कि बड़ी होशियारी से इनकी सारी छाल छील दी गई हो

और उनकी अन्दर की सतह बाहर दिखाई देने लगी हो। पर इन पेड़ों को किसी ने छूआ तक नहीं था। यह सब इसलिये हुआ था क्योंकि यह पेड़ पहाड़ों पर से पत्थर पर रगड़ खाते हुए नीचे लुढ़क रहे थे। जिससे कि उनकी सारी छाल अलग हो गई थी और अन्दर की सतह दिखाई दे रही थी। जहाँ कहीं भी नदियों के बीच में कुछ जमीन दिखाई पड़ती थी वह भी इन पेड़ों से ढकी हुई थी क्योंकि वे वहाँ इकट्ठे हो गये थे। कोई नहीं जानता कि कितने लाख पेड़ और कितने करोड़ों की कीमत के पेड़ वहाँ से इस प्रकार वह गये। अतः आप यह समझ सकते हैं कि उस भूचाल और बाढ़ के कारण भूमि और आदिमियों का कितना नुकसान हुआ।

अतः मैं यह कहता हूँ कि इन लोगों की सहायता के लिये आप बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और मुझे यह भी यकीन है कि जो धन यहाँ से भेजा जा रहा है उसका वहाँ की जनता के लिये उत्तमोत्तम प्रयोग हो रहा है। देवियों और सज्जनों, आप लोगों से मित्रों का और इन प्रदर्शनों का उद्घाटन करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आसाम पीठियों की सहायता के लिये धन इकट्ठा करने में आपने जो उत्साह प्रकट किया है उसके लिये आपको और भी अधिक धन्यवाद देता हूँ।

### द. नारसी दास चांदीवाला नेत्र चिकित्सालय

श्री बनारसी दास चांदीवाला नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के अवसर पर ता० १५-४-५१ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

राजकुमारी जी, वहनों और भाइयों,

मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने हमारे भाई की दरखवास्त मान ली और यहाँ पर अस्पताल खोलने की मर्क इजाजत ही नहीं दी वरन् उमें अपने हाथों में ले लेने का भी निश्चय कर लिया।

यह एक पुरानी जमीन है और इसका कुछ इतिहास भी है जिसे थोड़ा राजकुमारी जी ने बताया। आज से नहीं बहुत दिनों से इस परिवार का यह खयाल रहा है कि वे जनता की इस प्रकार की सेवा कर सकें। उनकी यह इच्छा जो उनके पिताजी ने जाहिर की थी, आज पूरी हो रही है। इस अस्पताल का काम छोटे पैमाने पर होने पर भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि यह काम बहुत बढ़ेगा और फूलेगा और फलेगा। यहाँ हमारी आंखों के सामने देखते देखते ही एक बड़ी वस्ती बनने लगी है। मैं समझता हूँ कि एक माल खत्म होते होते एक बड़ी आबादी यहाँ आकर बस जायेगी। इस समय जो आबादी है वह तो है ही। उन लोगों को अस्पताल की जरूरत होगी। डाक्टरों की और दवा की मदद मिल सके उन्हें इसकी भी जरूरत रहेगी। ऐसी जगह में एक अस्पताल पहले से खोला जाये और ऐसे मौके पर खोला जाये जहाँ कि लोग आने की बात सोच ही रहे हों एक अच्छी बात है। जब मुझ से यहाँ आने को कहा गया तो मैं ने खुशी से यह स्वीकार कर लिया कि मैं यहाँ आऊँ। मैं जानता हूँ कि कई स्थानों में आंखों के अस्पताल खोले जा रहे हैं। यहाँ आंखों की बीमारियों के लिये ही नहीं और बीमारियों के लिये भी अस्पताल समय पर बन जायेंगे और हर तरह की बीमारियों का इलाज लोगों का हो सकेगा।

जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा आंखों की बीमारियां कुछ लापरवाही से खराब हो जाती हैं और लोग आखों से महारूम हो जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि आंखों की तादाद बढ़ जाती है। बहुतेरे तो ऐसे होते हैं कि यदि उनका इलाज किया जाये और उनकी देखभाल हो तो वह बच सकते हैं और उनकी आंखें भी बच सकती हैं। लोगों की मदद के लिये इस तरह के अस्पतालों की जरूरत यहाँ ही नहीं बहुत जगहों में है और विशेषकर उन हिस्सों में है जहाँ धूप बहुत बड़ी होती है जहाँ सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। ऐसी जगहों में दिल्ली भी है। इस जगह अस्पताल की जरूरत है। मुझे खुशी है कि यह काम यहाँ शुरू होगा। काम छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन जितना है उतना ही अच्छा है। अब जो नई बीमारियाँ पैदा होती हैं उन सब के इलाज के लिये पूरा सामान नहीं है। कोशिश बराबर हो रही है, पर हर तरह की तंगी है, पैसे की तंगी है फिर भी काम बढ़ता ही जा रहा है। आप सब भाइयों से कहूँगा कि आप सब मित्र कर वृजकृष्ण जी को बधाई दें। उन्होंने जो पुण्य का काम किया है, ईश्वर उन्हें इसका बदला अच्छा ही देगा। हरिजन कोलोनी में उन्होंने प्रार्थना भवन बनवा दिया था और गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। वह नो हमेशा कायम रहेगा ही। उस समय उनकी श्रद्धा और भक्ति देखने में आयी थी। वृजकृष्ण जी उनके साथ भी रहे हैं। यूँ तो बहुत से लोग उनके साथ रहे हैं पर उन लोगों ने उतना हासिल नहीं किया जितना वृजकृष्ण जी ने किया। यह बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एक और अच्छी चीज देकर देहली के लोगों को एहमानमन्द बनाया। हम प्रार्थना करें कि उनकी मद्बुद्धि बढ़ती रहे और वह देश की सेवा में आगे बढ़ते रहें।

### हिन्द कुष्ठ निवारण संघ का वार्षिक अधिवेशन

\*हिन्द कुष्ठनिवारण संघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में २० अप्रैल १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

हिन्द कुष्ठ निवारण संघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद का भार मैं महर्षि बहन करता हूँ और इस अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये राज्यों के जो प्रतिनिधि बड़े दूर दूर से आये हैं उनका और संघ के सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर यह उचित है कि हम ब्रिटिश एम्पायर लिपरीमी रिलीफ एसोसियेशन के भारतीय परिषद् की सराहना करें जिसने कि हिन्द कुष्ठ निवारण संघ को लगभग २५ वर्ष पहले अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये जन्म दिया। मुझे इस बात का हर्ष है कि सरदार बलवन्तसिंह पुरी जो पुगनी संस्था के अवैतनिक मंत्री थे संघ के भी अवैतनिक मंत्री हो गये हैं और इस प्रकार नयी संस्था को उनके विशाल अनुभव का लाभ मिलेगा।

राजकुमारी जी ने मेरे लिये जो प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि दया और सेवा के आपके काम में भाग लेने में मुझे बड़ा हर्ष है। आपकी रिपोर्ट से यह प्रकट है कि गवेषणा, शिक्षा, प्रकाशन और काम के संगठित करने में आपने विभिन्न राज्यों में गत वर्ष में अच्छी प्रगति की है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि कुष्ठ की चिकित्सा अब अधिक मफल और कम खर्चीली हो रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कुष्ठ समस्या के सामाजिक और मानवीय स्वरूपों की ओर लोगों का आवश्यक ध्यान खिंच रहा है। मैं राजकुमारी जी के इस विचार से सहमत हूँ कि गांधी स्मारक निधि

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

के प्रयोग के लिये सर्वोत्तम उद्देश्य यह होगा कि चैकित्सिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं में कुष्ठ पीड़ितों की सेवा को जाये। यह बात बड़े सन्तोष की है कि गाँधीस्मारक निधि ने यह बात लिया है कि कुष्ठ सम्बन्धी काम उसके बड़े कामों में से एक है। मैं इस अवसर पर आपकी अध्यक्षता राजकुमारी जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जाने वाली गद्यपणा और अध्ययन के प्रयोजनों के लिये कुष्ठ को भी मलेरिया और गज्यधमा के समान ही जरूरी समझा जाये। मुझे यकीन है कि इस बारे में और कुष्ठ गद्यपणा और शिक्षा संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में उनकी जो कोशिश है वह शीघ्र ही सफल होगी।

आपका काम तो गानी जी के मनोनुकूल है। पीड़ितों की सेवा से बड़ा काम क्या हो सकता है? तथा आजकल जो पीडा उनको सहनी पड़ रही है उससे भविष्य में उनको बचाने के काम से भी क्या और जरूरी और क्या अच्छा काम हो सकता है। क्या इस अवसर पर मैं चिकित्सा में लगे हुए नर नारियों से यह अपील और सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह अपील करूँ कि वे इस आवश्यक सेवा के करने के लिये जो अब तक उपेक्षणीय रही है अधिक से अधिक संख्या में आगे बढ़ें। मैं आप को वष भर के अच्छे कार्य के लिये बधाई देना हूँ और मेरी यह कामना है कि आप अपने शुभ कार्य में अधिकाधिक सफलता लाभ करें।

-----

### इण्डियन रैड क्रॉस सोसायटी और सेण्ट जॉन एम्बुलैन्स एसोसियेशन का वार्षिक अधिवेशन

\*इण्डियन रैडक्रॉस सोसायटी और सेण्ट जॉन एम्बुलैन्स एसोसियेशन के वार्षिक साधारण अधिवेशन में २० अप्रैल १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

इण्डियन रैडक्रॉस और सेण्ट जॉन एम्बुलैन्स में दिलचस्पी रखने वाले आप लोगों की इस सम्मिलित बैठक में एक बार फिर अध्यक्ष पद ग्रहण करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इन दोनों संस्थाओं की प्रगति में जनता के पर्याप्त लोग जिम मदकामना से दिलचस्पी रखते हैं वह इसी से प्रकट है कि इन वार्षिक अधिवेशनों में उनकी उपस्थिति काफी होती है। युद्ध काल में मानवीचिन सेवा के विकास का महत्वपूर्ण रूप जैसा कि राजकुमारी जी ने कहा है नये जेनेवा-कन्वेंशन से आरम्भ होता है। यह हमारी उत्कट आशा है कि शान्ति निरन्तर बनी रहेगी। किन्तु यदि दुर्भाग्यवश मानव जाति की इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद क्रूर युद्ध फिर आरम्भ होता है तो रोगियों और घायलों तथा युद्धबन्धियों के साथ मुकोमल व्यवहार कराने के लिये तथा आम जनता की रक्षा के लिये यह कन्वेंशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यह कन्वेंशन जिन आदर्शों पर आधारित है उनके पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग होगा इस बात का आश्वासन तो यही है कि हमारी सरकार ने इस को मान लिया है।

आम तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इन संस्थाओं का यह उद्देश्य है कि पीड़ित मानव समाज के प्रति मानव हृदय में सहानुभूति की जो सहज भावना होती है उसको चाहे तो जो लोग सचमुच कष्ट पा रहे हैं उनकी सहायता करके और चाहे दूसरे लोगों की सहायता करने के लिये

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

अथवा कष्ट से बचाने के लिये संगठित ऋदम उठा कर व्यावहारिक रूप दे दिया जाये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस रिपोर्ट से प्रकट है कि भूतकाल की तरह ही पिछले वर्ष में भी यही उद्देश्य इनके सब कामों को प्रेरणा प्रदान करता रहा है।

सेण्ट जॉन एम्बुलैन्स एसोसियेशन तथा त्रिगेड दोनों ही अपनी उम विशेष प्रगति के लिये प्रशंसा के पात्र हैं जो सन् १९५० में उनकी प्राथमिक शिक्षा और संरक्षित विषयों की प्रशिक्षा पाने वालों की संख्या में मन प्रसन्न करने वाली अभिवृद्धि से तथा नये एम्बुलैन्स विभागों का अभूतपूर्व संख्या में निर्माण करने से हुई है। किन्तु नर्सिंग विभागों की संख्या अभी बहुत कम है और मै राज-कुमारी जी की इस अपील का हार्दिक समर्थन करना है कि हमारी नर्सियों को प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू उपचर्या की शिक्षा लेनी चाहिये जिससे कि वे रोगियों और घायलों की सेवा करने के कार्य में अपना स्वाभाविक और अपना उचित भाग ले सकें।

वायुआक्रमण से रक्षा करने की प्रशिक्षा को फिर से आरम्भ करने का जो निर्णय किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। तैयार रहो यह मोटो यहां भी उतना ही ठीक है जितना कि अभ्यर्थ, और यद्यपि हम सब की यह आशा है कि इस मध्यस्थ में जो कुछ बातें सीधी गयी होंगी उनको व्यवहार में लाने की भारत में आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो भी ऐसी बातों के लिये प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के तैयार रहने के महत्त्व और आवश्यकता को तो किसी प्रकार भी कम नहीं समझा जा सकता।

सेण्ट जॉन त्रिगेड के सदस्यों की कर्तव्य के प्रति निरपेक्ष लगन के लिये इस अवसर पर मैं उनकी सराहना करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष में उन्होंने सहज्रों घायलों की प्राथमिक सुश्रूपा और इमी प्रकार की सहायता की है।

इस वर्ष में भारत के ऊपर भूचाल और बाढ़ के रूप में जो प्रकृतिजन्य विपत्तिया आयीं उनके कारण अभूतपूर्व पैमाने पर सहायता कार्य की आवश्यकता पड़ी। आज इस बात का सन्तोष है कि इस प्रकार की विपत्तियों का मुकामला करने की अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के इस अवसर को इण्डियन रेडक्रास ने अपने हाथ से नहीं खोया। इसकी मजदूम संस्थाओं ने जो भारी सहायता उदारता पूर्वक इस जूरूरत के वकन में की उसने रेडक्रास जनता की एकता का एक और सबूत मिल गया।

विभाजन के दिनों से ही रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति हमारी सहायता बराबर करती रही है और पूर्वी बंगाल से विस्थापित वालों के लाभ के लिये जो दो चिकित्सालय इपने चलाये हैं उनके लिये हम समिति के एक बार फिर आभारी हैं। हाल ही में इसके प्रधान डाक्टर पाल रेगर जो यद्वा होकर बड़े महत्वपूर्ण मानवीय कार्य के लिये चीन जा रहे थे उनमें यद्वा मिल कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

जो भूतपूर्व सैनिक हर प्रकार से काम के लिये नियोग्य हो गये हैं उनकी बंगलौर रेडक्रास होम में वैद्यिक चिकित्सा तथा उत्तम उपचर्या करके तथा जम्मू और काश्मीर की सेनाओं के सैनिक अस्पतालों और वैद्यकीय टुकड़ियों के लिये विशिष्ट सुविधायें प्रदान करके संस्था ने जो प्रशंसनीय कार्य किया है वह बड़ा सन्तोषजनक है। मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि अपने सीमित कोष के बावजूद संस्था इस वर्ष में भी अस्पतालों में अपनी कल्याणकर सेवा को

चलाने में समर्थ बनी रही है। अपने मैडिकल आफ्टर केयर फण्ड से जो सहायता इसने भूतपूर्व सैनिकों को दी है वह भी समान रूपेण महत्व की है।

रैडक्रास के किसी काम में मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि इसके प्रसूति और शिशु कल्याण विभाग के काम ने पैदा की है। स्वास्थ्य सेवा में काम करने वालों को प्रशिक्षा देकर तथा इन सेवाओं के चलाने और विकास के लिये विशिष्ट सलाह देकर यह नारियों और बालकों की अमूल्य सेवा करती रही है। वास्तव में राष्ट्र का स्वास्थ्य शिशुओं के निरोग रहने पर निर्भर करता है और यह तारीफ़ की बात है कि इस आवश्यक सेवा के सम्बन्ध में इण्डियन रैडक्रास ने बुनियादी काम किया है।

जूनियर रैडक्रास के सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसे देख कर मैं प्रसन्न हूँ। इस देश में रैडक्रास आन्दोलन के लिये वह शुभ शकुन है क्योंकि आज के नवयुवकों का यह सौभाग्य और कर्तव्य होगा कि वह आने वाले दिनों में रैडक्रास के झण्डे को ऊंचा उठाये रखें।

रैडक्रास संस्थाओं की लीग के प्रशासी मंडल की उपाध्यक्षा के रूप में राजकुमारी जी के निर्वाचन हो जाने की बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। यह उनकी लम्बी सामाजिक सेवा का न केवल उचित पुरस्कार ही है वरन् जिस भारतीय रैडक्रास मोमायटी की वह अध्यक्षा है उसके लिये भी महान् सम्मान है।

मुझे यकीन है कि आप यह पसन्द करेंगे कि मैं सेक्रेटरी जनरल सरदार बलवन्तसिंह पुरी की उम लगन और उत्साह के लिये तारीफ़ करूँ जो उन्होंने ने इस काम में दिखाया है जो उनके सुपुर्दे था। समाप्त करने से पहले मैं आपको उस श्रेष्ठ काम के लिये बधाई देना चाहता हूँ जो आपने पिछले वर्ष में किया है और दुखियों की सेवा के कार्य में आप के भावी प्रयासों की सफलता के लिये मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ। रैडक्रास उन गिनीचूनी संस्थाओं में से है जिनके कारण मानव समाज को उस दुनिया में कुछ ढाढस होता है जिसमें पारस्परिक सहिष्णुता और मेल की भावना प्रतिदिन कम होती जा रही है। विश्व बन्धुत्व चाहे ऐमा भावी आदर्श है जिस तक सहज में ही आजकल नहीं पहुँचा जा सकता किन्तु इसमें कोई शंका नहीं है कि संसार के समस्त राष्ट्रों में लाखों की संख्या में लोगों द्वारा भाग लिये जाने वाला यह मानवीय आन्दोलन शान्ति की स्थापना और मनुष्यों में सद्भावना के लिये बड़ा उल्लेखनीय काम कर रहा है। कोई भी संस्था उतनी ही बलवती हो सकती है जितनी कि उसे सहायता और समर्थन मिलता है। इंडियन रैडक्रास सोसायटी का काम भी वास्तव में इतना अच्छा है कि इस देश के लोगों के सब वर्गों का इसे उदार सहयोग मिलना चाहिये।

### बिहार अकाल पीड़ितों के लिये अन्न दान

देवास म्युनिसिपैलिटी द्वारा बिहार अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये दिये अन्न दान को स्वीकार करते समय तारीख ८-५-५१ को ११ बजे राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजप्रमुख जी, देवास म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मुझे आज आप सब के दर्शन यहां हुये इससे बड़ी खुशी हुई। आप जानते हैं कि मैं बहुत कम समय निकाल करके यहां चन्द मिनटों के लिये आप सब से मिलने के लिये आ गया हूँ और आपने 12 P. S. to P.



जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा स्वागत किया और जिस उत्साह से आपने बिहार पीड़ितों को सहायता देने का वचन दिया उसके लिये मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारतवर्ष में इस तरह का समय जब जहाँ आता है तो देखा जाता है कि उस जगह के लोगों के साथ लोग कितनी कितनी हमदर्दी दिखलाते हैं। जब बिहार में भूकम्प हुआ उस समय मुझे इसका अनुभव हुआ था और आज भी देख रहा हूँ कि यद्यपि मैं ने मांगा नहीं है पर तो भी लोग अपनी खुशी से, अपने मन से इस तरह का उत्साह दिखला रहे हैं। यह देश के लिये एक शुभ चिन्ह है और इसके लिये मैं आप सब बहनो और भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्यों कि समय नहीं है। जो कुछ मुझे कहना है वह मैं आज शाम को उज्जैन में कहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ आयेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

### विक्रम कीर्ति मन्दिर

विक्रम कीर्ति मन्दिर के शिलान्याम के अवसर पर उज्जैन में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रीमन्त राजप्रमुख, बहनो और भाइयो,

मेरा यह परम् गौरव है कि भारतीय जनता के हृदय सिंहासन पर आरूढ़ और भारतीय राजसत्ता के आदर्शप्रतीक विक्रमादित्य के कीर्ति मन्दिर का शिलान्याम मैं आज कर रहा हूँ। भाग्य में जिन विभूतियों की कीर्ति गाथा देश की कुटिया कुटिया और साधारण से साधारण जन में फैली उन में राम, कृष्ण और विक्रमादित्य की ही गणना की जा सकती है। भगवान राम और कृष्ण तो हमारे आराध्य देवता हैं और सारे देश में उन की पूजा उमी रूप में होती है। केवल विक्रमादित्य ही ऐसे हुए जिनको हाड मांस का मानव जानकर भी देश भर में और गणशताब्दियों में आदर सहित स्मरण किया गया। उनके वारे में जो कहानिया प्रचलित हुयी वे अत्यन्त चमत्कारिक और कौतूहल पैदा करने वाली थी और पढे वेपढे सबको ही वे अत्यन्त प्रिय हो गयीं। वैताल पचीसी, तोता मैना, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि की कहानियाँ तो इतनी प्रचलित हुयी कि विदेशों में भी वे विभिन्न रूप में फैल गयी। यहाँ तक कि यह कहना असत्य न होगा कि देश विदेश की भाषाओं के कहानी साहित्य का पर्याप्त भाग विक्रमादित्य सम्बन्धी कहानियों में मिल कर ही अधिकतर बना है। भारत में तो इन कहानियों को भी उमी चाव में जन साधारण की झोंपडियों और ग्राम की चौपालों पर सुना जाता है जिससे कि वहाँ राम या कृष्ण गाथा सुनी जाती है। जन साधारण में ही क्यों विद्वानों में भी विक्रमादित्य दान, शौर्य, न्याय, जन पालन, दीन दुखियों के त्राता और देश और धर्म के रक्षक के नाम से प्रसिद्ध है। उन के मन में अहंकार लेगमात्र को न था और दूसरों के दुःख निवारण में उनकी इतनी लगन थी कि उनके लिये यह कहा गया है कि :

“तस्य चेतस्यय परोयमदीय इति विकल्पो नास्ति”

अर्थात् उनके हृदय में मैं और तू का भेद न था। वे इतने बड़े दानी थे कि लाख से कम देते ही न थे और उनके यहाँ से कोई भी निराश होकर लौट सकता ही न था। उनके लिये कवि ने कहा है कि :

“निरीक्षिते सहस्रं तु नियुतं तु प्रजल्पिते, हसने लक्षमाप्नोति सतुष्टः कोटिदो नृपः”

अर्थात् उनके दृष्टिपात भर से भिक्षुक को सहस्र प्राप्त हो जाने थे, एक वचन से दस सहस्र मुद्रा मिल जाती थी। एक मुस्कान से लक्ष मुद्रा प्राप्त हो जाती थी, और उनके सन्तुष्ट हो जाने पर तो करोड़ मुद्रा प्राप्त होती थी। दीनों की रक्षा के हेतु अपने प्राण विसर्जन करने तक वो वे सर्वदा तत्पर रहते थे और इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेक कहा गया प्रचलित है। वे ऐसे वीर थे जो यह सहन नहीं कर सकते थे कि उन के रहने हुये कोई भी किसी प्रकार से सताया जाये। उनके अपूर्व शौर्य और दुर्बल और दीनों की रक्षा की प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर ही कवि ने कहा है कि :

“माहमे उद्यमे धैर्यं च तत्समो नास्ति”

अर्थात् उन के समान किसी का साहस, उद्यम और धैर्य नहीं है।

खेद की बात है कि गाथाओं और साहित्य के इस यशस्वी चरित्रनायक के सम्बन्ध में अभी तक इतिहासज्ञ अपना कोई स्थिर मत नहीं बना पाये हैं। इसमें सम्भव विद्वानों का कोई दोग नहीं क्योंकि हमारे इस प्राचीन और विगाल देश के इतिहास के लिये जिभका सांस्कृतिक प्रभाव आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध और राजनैतिक सत्ता अनजानी शताब्दियों से भूमण्डल के बहुत बड़े भाग तक फैली हुयी थी, जो सामग्री होनी चाहिये वह अभी एकत्रित नहीं हो सकी है। अब तक हमारा देश विदेशियों के सत्ताधीन था, और यद्यपि उन्होंने हमारे इतिहास निर्माण के लिये स्तुत्य प्रयत्न किया किन्तु फिर भी काम के बहुत बड़े होने के कारण वह कभी पूरा नहीं हो सका। देश विदेश में विखरी हुयी सामग्री के पता चलाने और सकलन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश की अनेक ऐतिहासिक इमारतें और पुस्तकें मिटा या जला डाली और उनके इन विध्वंसक कार्यों का यह परिणाम हुआ कि इतिहास के लिये बहुमूल्य सामग्री सर्वदा के लिये नष्ट हो गयी। यह कहना अनियमित न होगी कि ताज्जुब इस बात का नहीं कि हमारे देश के इतिहास के निर्माण के लिये बहुत थोड़ी सामग्री मिलती है बल्कि इस बात का है कि वह भी किस तरह बच गई। इसलिये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विक्रमादित्य का व्यक्तित्व और युग अभी तक इतिहास की उलझी हुयी पहेली बना हुआ है।

इस पहेली के और हमारे इतिहास की अन्य पहेलियों के मुलजाने की अब विशिष्ट आवश्यकता है। अपने भाग्य और भविष्य को सभारने के हेतु हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम अपनी सामूहिक चेतना के गठन की ठीक ठीक जान ले। जब तक हमारी वागडोर विदेशियों के हाथ में थी तब तक तो हमारी जाति बहुत कुछ उन की इच्छा की दामी थी और हमारे जीवन की दिशा और गति उन विदेशियों की इच्छा और निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करती थी। उस समय हमारी अपनी गलती से वह हानि नहीं हो सकती थी जैसी कि आज हो सकती है जब अपने भाग्य निर्माण के लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं। इसलिये हमें अत्यन्त गावधानी बर्तनी है कि अपनी नादानी से कही हम कोई ऐसी गलती न कर बैठें जो हमारे लिये अत्यन्त हानिकर और अहितकर हो। गलती से वचने के लिये अन्य बातों के साथ यह बात भी आवश्यक है कि हम अपने दिल और दिमाग को यथासम्भव ठीक ठीक जान ले। इन को बिना समझे हम जो भी क्रदम आगे की ओर उठायेंगे—और क्रदम तो हमें उठाना ही है—वह अंधेरे में अंधे की छलांग के समान होगा। इस प्रकार की छलांग लगाने का समय आज नहीं है। इसका कारण

तो प्रत्यक्ष ही है। किन्हीं कारणों से क्यों न हो हम आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से पिछली कई शताब्दियों बहुत कुछ व्यर्थ गंवा चुके हैं और इन शताब्दियों की कमी को हमें अब शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना है। ऐसा करना हमारे अस्तित्व और स्वातंत्र्य दोनों को बनाये रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अतः हमारे लिये यह अनिवार्य हो गया है कि जातीय अथवा राष्ट्रीय चेतना को ठीक ठीक पहचान ले और यह समझ लें कि हमारे राष्ट्रीय दिल और दिमाग की बनत क्या है और उन के अन्तर में कौन सी छिपी हुई प्रेरणाएं और शक्तियां कार्य कर रही हैं। इन को पहचान लेने पर हम सम्भवतः यह प्रयास कर सकेंगे कि वर्तमान जगत की परिस्थितियों से उन का तालमेल कर के हम अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति कर सकें।

इस पहचान के लिये यह आवश्यक है कि हमारे इतिहास का सुस्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाये। उस चित्र की रेखाओं को ठीक ठीक सफाई और स्पष्टता से खींचने के लिये आवश्यक है कि इस बात का सलग्नता और स्थिर मन से प्रयास किया जाये कि हमारे देश की जितनी ऐतिहासिक सामग्री हमारे देश में या अन्यत्र छिपी पड़ी है उस सब का पता चला कर उसे एकत्रित कर लिया जाये। हमारी सरकार इस बारे में कुछ कदम उठा चुकी है और इस बात की कोशिश कर रही है कि यह सामग्री जल्द से जल्द इकट्ठी हो जाये, किन्तु यह भी आवश्यक है कि देश के विद्वज्जन और अन्य लोग भी इस बारे में सर्वदा मजग रहें और इस सामग्री के बचाने और एकत्रित करने का प्रयत्न करते रहें। मुझे सतोप है कि आप इस बारे में जागरूक हैं और इस कीर्ति मन्दिर की स्थापना के अन्य प्रयोजनों के साथ आप का यह भी प्रयोजन है कि यहाँ वह सब ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करके सुरक्षित रखी जाये जो खुदाई द्वारा या अन्यथा मिले। इस स्तुत्य प्रयत्न को उस पैमाने पर जिस पर करने का आपका आरम्भिक विचार था आर्थिक कठिनाइयों के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं यह जान कर मुझे खेद हुआ है। सचमुच में हमारा यह बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आवश्यक कार्यों के लिये भी हमें आज आवश्यक धन प्राप्त नहीं हो पाता। कैंसी विडम्बना है कि उस प्रदेश में जो अतुल दानी विक्रमादित्य का क्रीडास्थल और कार्य-क्षेत्र था आज दान की धारा इतनी क्षीण हो गयी है कि उससे उस वानवीर का यह स्मृतिचिन्ह भी पूरी तरह मीचा नहीं जा सकता है। मुझे तो यह विश्वास नहीं होता कि हमारे देश के धन-म्पन्न लोग इस बारे में उदासीन बने रहेंगे और आप की सहायता के लिये अग्रसर न होंगे।

मुझे विश्वास है कि अर्थाभाव तो एक न एक दिन दूर ही जायेगा किन्तु जिस बात की आपको विशेष सावधानी रखनी है वह यह है कि इतिहास निर्माण की दिशा ठीक ठीक बनी रहे। जैसा मैं अभी कह चुका हूँ हमारे इतिहास का मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि वह हमें हमारे सामूहिक या राष्ट्रीय मन या चेतना को ठीक ठीक समझाये। मेरा विचार है कि इस प्रकार के इतिहास निर्माण में विक्रम गाथा के यथोचित निर्वचन की पूरी पूरी आवश्यकता होगी। क्योंकि हमारे देशवासियों के राजधर्म और राष्ट्रधर्म सम्बन्धी विचारों और विश्वासों के निर्माण में उस का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

यद्यपि मेरी इतिहास में काफ़ी दिलचस्पी है किन्तु मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि मैं उसकी समस्याओं के समझने या सुलझाने में काफ़ी समय खर्च कर सकूँ। फिर भी विक्रम के सम्बन्ध

में मैन जो कुछ पढ़ा है उससे मुझे यह लगता है कि वर्तमान सामग्री के आधार पर यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि विक्रमादित्य की गाथा केवल कल्पना पर आश्रित है और उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। सम्भवतः इस बात से तो सब इतिहासियों की सहमति है कि ईसा पूर्व की प्रथम शती में अवंति पर शकों का आक्रमण हुआ और उन्होंने उज्जयिनी पर कब्जा कर लिया और कुछ वर्षों के उपरान्त उनको उज्जयिनी से हार कर भाग जाना पड़ा। उनको हराने वाला कौन था इस बारे में कोई निश्चित मत नहीं हो सका है। यद्यपि जैन साहित्य में यह कथन है कि उनको विक्रमादित्य ने हरा कर उज्जयिनी को मुक्त किया और यद्यपि कथा सरित् सागर और बृहत्कथा मजरी में भी इसका जिक्र है कि विक्रमादित्य ने उज्जयिनी पर प्रभुता की और शकों को हराया, किन्तु इन कथनों के सम्बन्ध में इतिहासज्ञो को यह शका है कि विक्रमादित्य की गाथाओं के प्रचलित हो जाने के बाद इन पुस्तकों में ये प्रक्षिप्त कर दिये गये। इस शंका के मुख्य आधार दो बातें हैं। प्रथम तो यह है कि आजकल विक्रम सवत् नाम मे ज्ञात सवत् को ईसा की नवीं शताब्दी के आरम्भ तक विक्रम सवत् नहीं कहा जाता था वरन् उसका शुरु मे कृत और बाद में मालव संवत् के नाम मे उल्लेख किया जाता था। कहा जाता है कि यदि विक्रम जैसे प्रतापी राजा के द्वारा वह चलाया गया होता तो आरम्भ से ही वह विक्रम सम्वत् कहलाता। शका का दूसरा आधार यह है कि ऐसे प्रतापी राजा का कोई शिलालेख या अन्य अभिलेख भी नहीं मिलता और पुराणो मे भी उमका उल्लेख नहीं है और इसलिये यह कहा जाता है कि यह अत्यन्त अशोचनीय और अग्राह्य बात है कि ऐसे प्रतापी वीर का जिसने विजातियों से धर्म और देश दोनों की रक्षा की हो पुराणों तक मे उल्लेख न मिले। किन्तु इन दोनों बातों के आधार पर यह कहना कि विक्रम के सम्बन्ध मे शताब्दियों मे प्रचलित अनुश्रुति और जनश्रुति और साहित्य मे उसके सम्बन्धी सकेत सब मनगढन्त है कम से कम मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। यह ठीक है कि बहुत सी दिशाओं मे आज का अन्वेषक जिन प्राचीन वान्तों को जान सकता है उन्हें प्राचीन काल के विचारक न जान सकते थे। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जहा तक विक्रम के ऐतिहासिक होने का प्रश्न है वहा तक उम समय के विचारकों के लिये, जव हमारे देश मे ऐतिहासिक सामग्री देश की आवहवा या विदेशी आक्रमणकारियों की बर्गना से नष्ट नहीं हुई थी, यह पूरी तरह मे सम्भव था कि वे यह कह सके कि वह सारी गाथा सच नहीं है। विक्रम को तो भगवान् समझा नहीं गया था और इस लिये यह बात भी न थी कि उन के बारे मे कोई शका की ही न जा सके। अतः यह बात सोचने की है कि उस काल के विचारको और विद्वानो ने इस सम्बन्ध में कोई सन्देह उठाया ही नहीं, और वह भी उस अवस्था में जब विक्रम सम्बन्धी गाथाएँ देश मे सर्वत्र ज्ञात थीं। जो भी हो इस बारे मे अभी खोज की आवश्यकता है।

इस बारे मे एक बात की ओर मे विद्वानों का ध्यान आर्कापित करना चाहता हू। हमारे पास इस समय जो ऐतिहासिक सामग्री वर्तमान है उस मे प्रत्यक्ष है कि मध्यपूर्व से भारत के व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र उज्जयिनी थी। अतः मे यह समझता हू कि वहा मध्यपूर्व अर्थात् अरब उपद्वीप, मिश्र, आबीसीनिया और फ़ारस के लोग आते रहे होंगे और, यह सम्भव है कि इन देशों के प्राचीन साहित्य की खोज से उज्जयिनी और उस के शासको के सम्बन्ध में सामग्री मिले। इस साहित्य की हमारे यहां के विद्वानों ने किस सीमा तक खोज की है यह मे निश्चयपूर्वक नहीं जानता किन्तु ज्ञानेन्द्रदेव सूफी के अन्वेषणों के आधार पर श्रीयुत ईश्वरदत्त शास्त्री ने अ

लेख में इस्तम्बोल के प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय मक़तब-ए-मुल्तानियाँ में वर्तमान सुल्तान सलीम द्वारा किमी प्राचीन प्रति के आधार पर लिखवाय एक ग्रन्थ सेअरुल उक़ोल का ज़िक्र किया है। उन का कहना है कि इस में हजरत मुहम्मद के युग से पहले के अरब कवियों से लेकर हाफ़्लरशीद के जमाने के कवियों की कविताओं का संग्रह है और इस का संग्रहकर्ता हाफ़्लरशीद का दरबारी कवि अबू आमीर अब्दुल असमई कहा जाता है। उस ग्रन्थ से उन्होंने एक कविता उद्धृत की है और बताया है कि वह कविता हजरत मुहम्मद से १६५ वर्ष पूर्व हुए एक अरबी कवि की है और जिस का आशय यह है कि “वे लोग धन्य हैं जो राजा विक्रम के राज्यकाल में उत्पन्न हुये जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजापालक था।” यद्यपि यह उद्धरण ईसा पश्चात् पाचवी शती का है किन्तु इस से, यदि यह ठीक है तो, यह पता तो अवश्य चलता है कि विक्रम की गाथा उस समय उम दूरे देश में प्रचलित थी और मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बारे में मध्य पूर्व एशिया के साहित्य में विगिष्टतया और मध्य एशिया और स्वर्ण द्वीपों के साहित्यों, गाथाओं इत्यादि में साधारणतया और खोज की जाये तो सम्भवतः इस बारे में ठीक ठीक निर्णय के लिये सामग्री मिल जाये। गुणाढ्य की बृहत्कथा के लिये भी और खोज करने की आवश्यकता है।

इस बारे में और कुछ मैं नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह जरूर समझता हूँ कि हम सब का और विशेषतया वर्तमान युग के राजनायकों और प्रशासकों का यह धर्म है कि वे भारतीय राज-धर्म के इस जगमगाते सूर्य से अपने पथ आलोकित कर ले और उसके चरणचिन्हों पर चल कर जनता की उसी लगन, उसी त्याग और उसी समझदारी से सेवा करे जैसी सेवा करके विक्रमादित्य भारत के जन जीवन का अभिन्न अंग बन गये। आज भारत के सामने जो समस्याएँ हैं उन के मूलज्ञान के लिये विक्रमादित्य के जैसा ही उद्यम, उदारता और उमंग जननायकों और जनता जनार्दन के मन में चाहिये।

आशा है कि यह कीर्ति मन्दिर विक्रमादित्य के आदर्श का अक्षय श्रोन बन कर इस पुण्य भूमि को पुनः सिंचित करेगा और प्रत्येक भारतीय के हृदय को उस आदर्श से भर कर विक्रम को पुनः भारतीय इतिहास का देदीप्यमान सूर्य और अटल ध्रुवतारा बना देगा और वह अवस्था पैदा करने में सहायक होगा जिसमें विक्रम के लिये कवि का यह कथन फिर सत्य हो गया होगा—

न हो भले, मिट्टी पत्थर पर,  
उसके पदचिन्हों की रेख,  
हृदय हृदय के उर्ध्व लोक में,  
अक्षय है उसका अभिलेख।

• • • • •

समाश्वस्त कुटी कुटी का,  
भवन भवन का पवनाकाश,<sup>1</sup>  
वह आदित्य उदित फिर होगा,  
प्रकटित करके पूर्व प्रकाश।

## महाराजा माधवराव की मूर्ति का अनावरण



महाराजा माधवराव शिन्दे की मूर्ति के अनावरण संस्कार के अवसर पर ता० ९ मई १९५१ की उज्जैन में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रीमन्त राजप्रमुख, बहनो और भाइयो,

मुझ इस बात का हर्ष है कि शिंदे कुल के रत्न स्वर्गीय महाराजा माधवराव सिधिया के इस स्मृति चिन्ह का अनावरण संस्कार मैं आज कर रहा हूँ। शिंदे कुल का तो भारतीय इतिहास में अपना निजी स्थान है। मराठा तन्त्र को भारत भर में और विशेषतया उत्तर भारत में फैलाने तथा मराठा राज्य की ढाल बने रहने का सौभाग्य और गौरव उसे प्राप्त था। मराठा तन्त्र को पानीपत में लगे साघातिक आघात के परिणामों से बचाने और उसको पुनः शक्तिशाली और गौरवशील बनाने का श्रेय भी होल्कर कुल के साथ साथ शिंदे कुल का था। अतः उस कुल में जन्म लेने के नाते ही उनका इतिहास में अपना स्थान हो जाता। किन्तु उनकी अपनी योग्यता, क्षमता और प्रजापालन ने तो मध्य भारत के इतिहास में उनके स्थान को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उनकी कीर्ति तो मध्य भारत के इतिहास में है और आगे भी रहेगी। आज इस स्मारक की स्थापना द्वारा आप उनके नाम को उतना यशान्वित नहीं कर रहे जितना कि उनके नाम से अपने को आदृत कर रहे हैं। आपका कर्तव्य था कि आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और यह ठीक ही है कि आपकी कृतज्ञता का बाह्य रूप यह सुन्दर स्मारक है।

किन्तु इतना कर देने में ही आप के कर्तव्य का इंतजाम नहीं हो जाना। वह तो तभी पूरा होगा जब आप उन आदर्शों को अपनायेगे जिन से स्वर्गीय महाराजा का जीवन प्रेरित रहा था। उनके जीवन पर दृष्टिपात से पता चलता है कि उनके जीवन का आदर्श था जनसेवा। अपने जीवन में उन्हें भोग विलास के सब साधन प्राप्त थे। उनके पास अक्षय कोश था, एकछत्र राज्य था, रूप था और यौवन था। नीतिकार के कथन के अनुसार इनमें से एक ही किसी भी व्यक्ति को पागल बनाने के लिये पर्याप्त है, और चारों के ही साथ होने पर तो कोई ही आर्थिक तिरक पतन में बच पाते हैं। किन्तु स्वर्गीय महाराज ने भरे यौवन में राज्यमत्ता और अर्जुन धनराशि के हाथ में आने पर भी विलास की वात न सोची बरन् अपने को राज्य को हर प्रकार की उन्नति के पुण्य कार्य में लगा दिया। ३१ वर्ष उन्होंने स्वयं शासन किया। सर्वदा ही वे प्रजापालन के कार्य में रत रहे। उन्होंने राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक यानि कि हर क्षेत्र में ही उन्नति की। अपनी कर्तव्यरायणता के कारण वे प्रजा के स्नेहमान बनने और साथ ही महाप्रभुसत्ता के भी। मे गमजना है कि उनके जीवन की इस अनवरत कर्तव्य साधना का आधार और प्रेरक शक्ति उनका यही विश्वास था कि जीवन का चरम ध्येय भोग नहीं जनसेवा है।

इसी अदर्श से प्रेरित होने के कारण महाराजा होठों के पश्चात् उन्हां आता सर्वप्रथम काम यह समझा कि अपने राज्य के विभिन्न शान्ति विमगात पुनर्गठन करें और राज्य में ऐसी प्रशासन व्यवस्था कायम कर दें जो अपनी कार्यक्षमता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हो। इस ध्येय की प्राप्ति के लिये उन्होंने परमप्रथम निय और बहुत त्द तक सफलता भी पायी। साथ ही वह इतने दूरदर्शी भी थे कि उन्होंने इस बात का प्रबन्ध किया कि जन हित के लिये जो सुधार और नई व्यवस्था वह कर रहे थे उसके चलाने में आगे किसी समय आर्थिक

कमी के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, और इमलिये उन्होंने राज्य के अतिरिक्त धन को प्रगतिशील उद्योग-धन्धों में लगाया जिन से कि राज्य को बराबर आमदनी होती रहे। उन्होंने यह भी व्यवस्था की कि बची हुई आय का लगभग २० या २५ प्रतिशत भाग हर साल जमा रखा जाये और उसी से बाद में आवश्यकता, शिक्षा और दुर्भिक्ष निवारण के लिये आवश्यक निधि प्राप्त हो सके। इसी वचन के कारण ही उनके लिये यह भी सम्भव हो सका कि बिना अतिरिक्त कर लगाये वह राज में रेल लगाये और नई नई फ़ैक्टरी और कारखाने खुलवाये। जन हित और जन सेवा के प्रेम से ही प्रेरित होकर उन्होंने कुछ सीमा तक राज्य की जनता के हाथ में अधिकार दिये और विधान सभा तथा स्थानीय सस्थाओं की स्थापना की, और कानून विभाग को कार्यपालिका विभाग से अलग कर दिया।

आज यद्यपि राजनैतिक स्थिति बदल गई है तो भी हम सब के लिये उनकी जन सेवा के उच्च आदर्श का महत्व यदि अधिक नहीं तो उतना तो है ही जितना कि स्वर्गीय महाराजा के युग में था। जनसाधारण के लिये तो यह बात लागू है ही किन्तु मेरा विचार है कि उसमें भी अधिक यह उन नरेशों और नरेशपुत्रों के लिये लागू है जो कल तक हमारे यहाँ के देशी राज्यों के प्रभु और शासक थे। इस अवसर पर मैं यह उचित समझता हूँ कि भारतीय नरेशों और उनके उत्तराधिकारियों और सम्बन्धियों को उस सहयोग के लिये वधाई दूँ जो उन्होंने स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ भारत के राजनैतिक एकीकरण के ध्येय की प्राप्ति के लिये किया। राजनैतिक क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक दुर्बलता यही थी कि सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से एक हाँत हुए भी वह अनेक राज्यों में बँटा हुआ था और ये राज्य मकट पड़ने पर भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये आपस में एक न हो पाते थे। यदि कही शताब्दियों तक खोई हुई अपनी स्वतन्त्रता के पुनः पाने के पश्चात् भी भारत में यह राजनीतिक दुर्बलता बनी रहती तो उस स्वतन्त्रता के पुनः खो जाने का भय सदा बना रहता। सरदार वल्लभ भाई जिनका जीवन स्वतन्त्रता प्राप्ति के संघर्ष में बीता था इस बात को भली भाँति जानते थे कि यदि भारत के उदर में छोटे छोटे संकड़ों पूर्णप्रभुता सम्पन्न राज्य बने रहे तो प्रति क्षण ही इस बात की सम्भावना बनी रहेगी कि कही स्वतन्त्रता देवी जिन्हें प्रसन्न करने के लिये उन्होंने और उनके अनेक भाई वहनों ने अपने जीवन को होम कर दिया था हमारे पारस्परिक द्वेषों, संघर्षों और विद्विन्नता से रुष्ट होकर हम से पुनः विदा न हो जाये। इसी लिये उन्होंने अपना यह ध्येय बनाया कि भारत में केवल एक प्रभुता सम्पन्न राजनैतिक तंत्र हो और उस में सब देशी राज्य विलीन हो जाये।

इसी प्रकार के ध्येयसाधन के लिये अन्य युगों और देशों में राजनायकों को युद्ध करने पड़े थे। इस ध्येय की प्राप्ति के लिये शस्त्र प्रयोग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बिस्मार्क ने यह कहा था कि उसके युग की समस्याओं का हल केवल **एक** और इस्तपात के द्वारा ही हो सकता है। स्वयं उसे जर्मनी को एक करने के लिये दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने पड़े थे। भौगोलिक और कुछ हद तक राजनैतिक दृष्टि से भारत के एकीकरण की समस्या तो जर्मनी से कही अधिक विस्तृत थी। किन्तु वह जिस शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गई वह अनुपम और अपूर्व था। उसका श्रेष्ठ हमारे नरेशों और उनके संबंधियों और सलाहकारों को भी है।

मेरा विचार है कि भारत निर्माण के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति डाल कर उन्होंने अपनी उदारता और कर्तव्य साधना का उदाहरण दिया है। और इस के लिये वे हम सब के बधाई के पात्र हैं। किंतु साथ ही मैं उन से यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत निर्माण का महायज्ञ अभी समाप्त नहीं हो गया है। वह तो तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे इस ऐतहासिक देश में वे सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा न हो गई होंगी जिनमें भारत में रहने वाले या जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्रों को पूरा करने और अपने जीवन को सफल और सार्थक करने की पूरी पूरी सुविधा होगी। आज हम में से किसी के लिये भी—और विशेषतया उन लोगों के लिये तो हर्गिज नहीं जिन्हें शासनतंत्र के चलाने और जन सेवा करने की परम्परागत अथवा वैयक्तिक योग्यता, अनुभव और स्वभाव है—यह क्षण भर के लिये भी उचित नहीं कि वह इस यज्ञ में अब तक की दी हुई आहुतियों को ही पर्याप्त समझकर अपना हाथ खींच लें। अभी इम्रान का समय नहीं आया कि हम में से कोई भी अपना समय या शक्ति इसी बात के सोच विचार में लगाये कि इस यज्ञ में उस ने जो आहुतियाँ अब तक डाली हैं उन का क्या मूल्य है, और उस में सहयोग करने के लिये उस को अपने आराम को, अपनी आशायश को, अपनी निजी सुविधा को कितनी हद तक छोड़ना पड़ा है। इस प्रकार के सोच विचार में लग जाने से हमारे निर्माण यज्ञ में बहुत कुछ शिथिलता पड़ जायेगी और यह भी संभव है कि यज्ञ करने वालों में आपस में भी कुछ मतभेद, द्वेष या विरोध पैदा हो जाये। जिन परिस्थितियों में हम आज हैं उन में क्षण भर के लिये यह बात गवारा नहीं की जा सकती है कि इस यज्ञ में किसी प्रकार की भी बाधा पड़े। आप सब को यह ज्ञात है कि अर्थ और सस्कृति दोनों की ही दृष्टि से हम कई शताब्दियों परवश होने के कारण व्यर्थ खो चुके हैं और अपना अस्तित्व और अपनी आजादी बनाये रखने के लिये हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम आगे इस प्रकार के विद्वेषात्मक कलह में एक क्षण भी न गंवायें। अतः यदि आज कोई भी, चाहे फिर वह साधारण नागरिक हो अथवा संभ्रम नागरिक, यदि इस यज्ञ में किसी प्रकार की भी गड़बड़ या बाधा डालेगा या डालने का प्रयास या प्रबन्ध करेगा तो उसको हम सहन नहीं कर सकेंगे। यह ऐसी बात है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को गाठ बांध लेना है। हम में से हरेक को यह समझ लेना है कि हम सब को आगे बढ़ना है। विधाता ने मानव के भाग्य में यह अमिट रेखा खींच दी है कि उसके कदम लौट नहीं सकते। वे तो आगे ही पड़ेंगे चाहे फिर उसे व्यतीत समय और बिलुड़ा हुआ प्रदेश कितना ही प्रिय और मुहावना क्यों न लगता हो। मैं समझता हूँ कि भाग्य के इस अटूट विधान को हमारे यहां के सब लोग चाहे फिर वे कोई भी क्यों न हों आज अच्छी तरह से पहिचान लेंगे। जो स्थितियाँ बदल गई हैं, जो व्यवस्था समाप्त हो गई है वह अब लौट कर नहीं आ सकती। यदि कोई भी उनको फिर से लौटाने का प्रयास करेगा तो वह अपने लिये केवल विपत्ति और विफलता का ही आहवान करेगा। वह प्रयास उसी तरह विफल होगा जैसा कि पहाड़ से सर टकराना व्यर्थ सिद्ध होता है। अतः मैं यह अपील करता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास की बात सोचने में हमारे देश का कोई भी व्यक्ति और कोई भी वर्ग अपना समय व्यर्थ नष्ट न करे। इस के विपरीत सब का यह धर्म है कि अपनी शक्ति के अनुसार वह इस यज्ञ में आहुति देते रहे। मैं समझता हूँ कि इस यज्ञ की सफलता में वे लोग कहीं अधिक प्रभावी आहुति डाल सकते हैं जिन्हे शासन और राजनीति का परम्परागत अथवा वैयक्तिक अनुभव है। इस दृष्टि से बिलीन देशी राज्यों के राजनायक इस यज्ञ में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।



हमें इस समय सुयोग्य प्रशासकों की पर्याप्त आवश्यकता है। भारतीय जन जीवन में आज राज्य का भाग दिनोदिन बढ़ता जाता है। अतः हमें इस बात की दरकार रहती है कि राज्य के विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमें योग्य और अनुभवी व्यक्ति मिले। विलीन देशी राज्यों के नरेशों और उनके राजपुत्रों में से अनेकों को इस प्रकार का अनुभव होगा। हमारा यह विचार रहा है कि हम उनके अनुभव और योग्यता का पूरा लाभ उठायें और उनको केन्द्रीय अथवा राज्यिक प्रशासन में अपनी प्रतिभा प्रकट करने की पूरी पूरी सुविधा दें। किन्तु हमारे राज काज क्षेत्र कितना ही व्यापक क्यों न हो वह इतना अपार नहीं है कि उसमें विलीन राज्यों के सब नरेशों को अपनी प्रतिभा प्रकट करने की सुविधा मिल जाये। पर राज-नतिक क्षेत्र न तो जीवन का सर्वोत्तम क्षेत्र ही है और न अन्तिम क्षेत्र। सच तो यह है कि राजनैतिक क्षेत्र के झंझावाती वातावरण में जीवन के सर्वोत्कृष्ट गुणों को व्यक्त करने की वैसी स्थायी और व्यापक सुविधा नहीं होती जैसी कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में होती है। अतः उन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा लगाने का स्वर्णम अवसर विलीन रियासतों के नरेशों और उनके सन्तानों के सामने है। इन क्षेत्रों में उन की प्रतिभा के प्रयोग की कोई सीमा नहीं है। जैसा सर्वज्ञान है भारत आज सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और आज इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि इन दोनों दिशाओं में जो जोड़ परिश्रम करके हम आधुनिक औद्योगिक स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र आ जाये। मेरा विचार है कि बहुत हद तक हमारे विलीन राज्यों के नरेश इन क्षेत्रों में भी अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं। उनके पास पूजा है और उनको विरासत में मिला है प्रशासनीय अनुभव और क्षमता। यदि वे अपनी शक्ति को इस ओर लगाये तो वे यश और प्रभाव तो लाभ करेगे ही साथ ही देश और जाति की भी भारी सेवा कर सकेगे।

नव संस्कृति के निर्माण में भी वे भारी कार्य कर सकते हैं। उनके पास अवकाश है, धन है और अत्यन्त सुविधाएँ हैं। संस्कृति का प्रतिपालन और प्रोत्साहन उनकी कुल परम्परा का प्रधान अंग रहा है। अतः उनके लिये यह सुगम है कि देश में नव संस्कृति की वे प्रेरक शक्ति बन जायें।

इन दोनों दिशाओं में ही भाग्य और भविष्य उनका आह्वान कर रहा है और मैं समझता हूँ कि वे भाग्य के इस इशारे की ओर उदासीन न रहेंगे। कम से कम इस देश की राजकीय परम्परा का तो यही तकाजा है कि वे जन सेवा के किसी भी क्षेत्र में अपने को लगावें। हमारे देश में राजा को प्रजा का वेतन भोगी सेवक समझा जाता था और उससे यह अपेक्षा रखी जाती थी कि वह अपनी सारी शक्ति प्रजारंजन में लगायेगा। हमारे देश के राजाओं में से अनेकों ने इसी आदर्श के अनुसार आचरण किया और खास तौर से जिस विभूति की स्मृति में आज का उत्सव है उन्होंने तो इसको पूरी तरह से निभाया। किन्तु निकट भूतकाल की परिस्थितियों में प्रजारंजन का जो तरीका था वह आज का बदली हुई परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है। आज तो राजा को वंशा ही प्रजारंजन करना है जैसा विदेहराज जनक करते थे। अकाल के समय वे हाथ में हल लेकर खेत जोत सकते थे क्योंकि वे राजा और प्रजा में कोई विशेष अन्तर न समझते थे। लोकतन्त्र के वर्तमान युग में सर्वोत्तम बात यही होगी कि प्राचीन राजवंशों के वर्तमान वंशज भी महाराज जनक के चरण चिन्हों पर चलना अपना कर्तव्य समझें। अपने ढंग से स्वर्गीय महाराज माधव राव

महाराजा जनक के इसी आदर्श पर चले और मैं समझता हूँ कि उनकी स्मृति के प्रति हम सभ्यता भी सच्चा आदर प्रकट करेंगे जब हम भी उसी आदर्श को अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाले।

इन शब्दों के साथ मैं यह अनावरण सस्कार संपादन करता हूँ।

### उज्जैन में नागरिक अभिनन्दन

उज्जैन म्युनिसिपैलिटी द्वारा विहार अकाल पीड़ितों के लिये दिये अन्न दान को स्वीकार करते समय तारीख ९-५-५१ को ९-३० बजे दिन में राष्ट्रपति जी ने कहा—

उज्जैन म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष महोदय, दूसरे सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ आपने मेरा आदर और स्वागत किया है उसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिये यह जरूरी नहीं कि इस प्राचीन नगरी के इतिहास के संबंध में मैं कुछ नई बात आपको बताऊँ। इसका इतिहास तो भारतवर्ष के इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखा हुआ है। जैसे जैसे हमारी सांस्कृतिक उन्नति होगी और हम अपनी प्राचीन चीजों को फिर से समझेगे वैसे वैसे आपके स्थान का महत्व और भी बढ़ेगा। मुझे आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब फिर से यह एक ऐसा विद्यापीठ बन जायेगा जो हमारी संस्कृति का केन्द्र बनकर हमेशा के लिये भारतवर्ष का मुख उगी प्रकार उज्ज्वल करे, जैसे कि प्राचीन काल में इस नगरी ने किया था। मैं अपेक्षा रखता हूँ और आशा करता हूँ कि श्रीमन्नों से लेकर यहाँ माधारण लोग तक इस काम में पूरी सहायता करेंगे। यही बात नहीं कि इधर लोगों ने मदद मिलेगी बल्कि मैं तो यह भी आशा करता हूँ कि यहाँ की सरकार भी आपका इस काम में सहायता देगी। इसके लिये आप को प्रयत्नशील होना है। इस काम बनना बड़ा है कि बहुत से कह देने से यह पूरा नहीं होगा। इस में तो परिश्रम की जरूरत है। मुझे आशा है कि जिग लगन और प्रेम के साथ आप यह काम चुरू कर रहे हैं उसी लगन और उत्साह के साथ आप इस काम में लगे रहेंगे। यदि आप ने ऐसा किया तो आपको सुन्दर फल मिलेगा।

मैं उन सब बहनो और भाइयों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिनके हृदय में भूख पीड़ित लोगों के लिये इस तरह की भावना और उत्साह है और जो इस तरह से सहायता देने के लिये आगे बढ़े हैं। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो देवास के भाइयों और बहिनो ने भी उसी प्रेम और उत्साह के साथ विहार के पीड़ितों के लिये अन्न दान दिया था जिस प्रेम और उत्साह के साथ उज्जैन के लोगों ने दान दिया है। जब हम स्वतंत्र हो गये हैं और सारा देश एक हो गया है तो इस तरह की भावना स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस तरह मनुष्य के शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा होती है तो उससे सारे शरीर को कष्ट होता है उसी तरह देश के किसी भाग में कोई मुसीबत आती है तो उसका असर सारे राष्ट्र पर पड़ता है। मैं उसी भावना से इस दान को स्वीकार करता हूँ जिस भावना से प्रेरित होकर आपने उसे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप उसी भावना से काम करते रहेंगे जिस भावना से काम कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते रहे तो आप वही शक्ति हासिल करेंगे जो शक्ति प्राचीन काल में आपकी थी और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में आप बढ़ते जायेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

## कस्तूरबा। सेवा सदन

तारीख ९ मई १९५१ को साढ़े चार बजे शाम में उज्जैन के नजदीक फ़तीयाबाद में कस्तूरबा महिला सेवा सदन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा -

श्रीमन्त राजप्रमुख जी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं यहां आकर यहां जो काम हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिये भी देख सकूँ। एक समय था जब इस बात का मुझे थोड़ा शक हो गया था कि मैं यहां आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा पर आप लोगों के आग्रह को मानकर मुझे यहां आना ही पड़ा और मैं ने आना भी खुशी खुशी मंजूर किया। आज भारतवर्ष में इस बात की बहुत जरूरत है कि जगह जगह पर इस तरह की संस्थायें कायम हों जो हमारे लोगों के अन्दर नयी जागृति पैदा करे तथा शिक्षा प्रचार करे और जो स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे हाथों में जो नये अधिकार आगये हैं उनको समझने और बरतने की शक्ति उन में पैदा करें। अब इस बात की जरूरत है कि सच्चे नागरिक, स्त्री और पुरुष, सारे देश में तैयार किये जायें। हमारे देश के बहुत दिनों तक पराबलम्बी रहने की वजह से हम इन बातों को भूल भी गये हैं और जरूरत है कि हम सब चीजों को नये सिरे से सीखें और लोगों को जागृत करे। जो संस्थायें इस तरह की शिक्षा देती हैं वे बहुत ही बहुमूल्य वस्तु हैं। उनकी रक्षा करना और इस तरह का काम करना जिसमें सभी लोग सुखी और उन्नत हो मन्त्रसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। इस ओर पुरुषों को काम करना है और—पुरुषों से कम नहीं—स्त्रियों को काम करना है क्योंकि स्त्रियां माता होती हैं और बालक बचपन में जो माता के दूध के साथ पान करता है वह उसकी सारी जिन्दगी में एक सम्बल बना रहता है। इसलिये हमारे देश की स्त्रियों को सुयोग्य होना चाहिये जिसमें वे ऐसी सतान पैदा करे जो देश की भलाई करे, जो देश की सब प्रकार से तरक्की करे और जिन में बुद्धि हो, शक्ति हो, उद्यम हो और संयम भी हो। इमम इस तरह की संस्थाओं का ही काम है कि सहायता दे। इसलिये जिसके द्वारा हो, चाहे सारे देश की मदद से हो चाहे स्थानीय लोगों की मदद से हो, व्यापारियों की मदद से हो चाहे राजाओं और श्रीमन्तों की मदद से हो इस तरह की संस्थायें कायम होनी चाहियें और उनको सबकी सहायता और मदद मिलनी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि यह संस्था जिसे कायम हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं और जिसने इतना काम कर लिया है और जो श्रीमन्त महारानी साहिबा के हाथों स्थापित हुईं जिन्होंने इसे सहायता देना अपना कर्तव्य माना और भी उन्नति करेगी। गांधी जी बराबर कहा करते थे और मेरा भी विश्वास है कि कोई भी संस्था पैसे की कमी की वजह से नहीं मरती। पैसे की कमी की वजह से कोई संस्था तभी मर सकती है जब उसमें काम करने वाले लोग योग्य सन्त न हों और जब उनके चलाने वाले लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। जब तक जनता उसकी आवश्यकता को महसूस करती है, जब तक उसका काम ठीक से चलता रहता है तब तक जनता हर तरह से उसकी सहायता करती रहती है। इसीलिये गांधी जी इस बात का विरोध किया करते थे कि किसी भी संस्था के लिये एक साथ धन जमा करके रख दिया जाये क्योंकि कोई भी संस्था जो जनता के सामने अपनी उपयोगिता सिद्ध करके चन्दे पर जिन्दा रहती है उसमें जीवन रहता है। इसलिये आपने जो अभी कहा कि लोगों से मांग करके ही आप

सब काम चला रहे है यह बात संस्था की न्यूजी जिन्दगी की निशानी है और इससे मैं खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रयत्न और भी सफल होगा और स्त्री शिक्षा का काम, ऐसी स्त्रियाँ जो निःसहाय है उनकी शिक्षा का काम और भी आगे बढ़ेगा और सफल हो सकेगा।

### इन्दौर में नागरिक अभिनन्दन

तारीख ९ मई १९५१ को इन्दौर म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में तथा आ० भा० औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा--

श्रीमन्त राजप्रमुख, इन्दौर नगरपालिका के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यगण, प्रदर्शनी के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यगण, बहनों और भाइयों,

मैं आपका हृदय से धन्यवाद उस प्रेम और श्रद्धा के लिये करता हूँ जिम्के साथ आपने मेरा स्वागत किया है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का स्वागत जो मुझे मभी जगहों में पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह कुछ मेरे लिये नहीं है बल्कि उस पद के लिये है जिस पर आप सब ने मिलकर मुझे आज बैठा दिया है और ऐसा ही होना भी चाहिये।

भारत आज बहुत दिनों के बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक राजनैतिक छत्र के अन्दर पहले पहल आया है और जितनी छोटी बड़ी रियासतें और ब्रिटिश राज्य के सूबे अलग अलग काम कर रहे थे उन सब को मिला कर एक संविधान के अन्दर हम ला मके है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। जैसा मैंने और कई मौकों पर कहा है इस स्थिति को लाने में देश के सभी लोगों का हाथ रहा है। जनता ने इसके लिये प्रयत्न किया और जहाँ तक उन से बन पड़ा उसके लिये त्याग किया। हमारे देशी नरेशों ने जनता का साथ दिया और आज सब के प्रयत्न का फल है कि सारा भारत एक शासनसूत्र में बंधकर एक संविधान के अन्दर काम कर रहा है। उसके प्रतीकस्वरूप मुझे इस स्थान पर जिस पर मैं बैठा हूँ बैठाकर सब ने मेरी इज्जत बढ़ायी है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। सारे देश का जो प्रतीकमात्र है उसके लिये इज्जत हर दिल में है और होनी चाहिये।

इस प्रकार से जब यह देश एक हो गया है तो उसके सामने तरह तरह के सवाल भी आ गये है और इस तरह के जटिल प्रश्न भी उपस्थित हो गये है जिनको सुलझाना आसान नहीं है। जब से हमने स्वतन्त्रता पायी तब से आज तक हम एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाये हैं और ऐसी आशा भी नज़र नहीं आती है। इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ एक प्रकार की क्रान्ति हुयी और सब लोग जो जहाँ पर थे आनन्द से बैठे रहे, न किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ और न किसी को चिन्ता करने की आवश्यकता हुयी। मगर यह तो महात्माजी की तपस्या का फल था कि इतनी बड़ी क्रान्ति के लाने में कोई खून नहीं बहा। मगर उसके बाद एक दूसरे कारण से देश के अन्दर एक बड़ी उथल पुथल, एक बड़ी क्रान्ति देखने में आयी। यह उसी का फल है कि हम अभी तक अपने कामों को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाये हैं और अभी भी हम इतने रुपये

लगा रहे हैं। मैं जब से मध्य भारत में घूम रहा हूँ तभी से यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि निर्वासित भाई जो अपना स्थान छोड़कर भारत में आये बड़ी संख्या में आपके इलाके में भी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया जिसमें केवल हजार दो हजार निर्वासितों को बसाने की ही बात नहीं मगर जिसमें प्रायः ८० लाख लोगों को भारत में बसाने का प्रयत्न करना था। वह प्रयत्न अभी तक जारी है, वह पूरा नहीं हुआ है। इस बीच में जो लडाईं हुयी थी उसका भी अमर हमारे देश में पड़ा जिसके कारण और कई तरह की मुसीबत हमारे यहाँ बढ़ गयी। सभी देशों में कुछ न कुछ मुसीबतें आयीं मगर दूसरे देशों में जो हुआ वह न तो हम जानते हैं और न हमें जानने की जरूरत है। जो हमारे अपने सिर वीत रहा है वही हमारे लिये काफी है। अन्न का कण्ट, कपड़े का कण्ट और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का कण्ट सभी जगहों के लोग महसूस कर रहे हैं। यह ईश्वर की दया है कि आपका यह प्रान्त ऐसा अच्छा है कि जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं सब का यहाँ बाहुल्य है, किसी चीज की आप को कमी नहीं है। मालवा का प्रदेश आज ही नहीं प्राचीनकाल से एक सम्पन्न प्रदेश माना जाता रहा है। तुलसीदाम जी को भी जब उर्वरा प्रदेश का उदाहरण देना पड़ा और मरू के प्रतिकूल एक स्थान का नाम खोजना पड़ा तो मरू के साथ मालवा का उदाहरण उन्होंने दिया। यह अभी तक जारी है। इसलिये जो अन्न का दान आपने दिया यह आपके योग्य ही है। मैं जानता हूँ कि गत वर्ष भारत सरकार के लिये इस इलाके में शायद ७०-८० हजार टन अनाज गया था। इस वर्ष की फसल, जहाँ तक मैंने सुना है, अच्छी है। यदि ऐसा हो तो और जगहों की तकलीफ को ध्यान में रखकर उससे दूनी रकम तो कम से कम इस साल आप देंगे और आप चाहेंगे तो उसमें कोई कटिनाई भी नहीं होगी। जब आपने अपनी खुशी से जब से मैं आया हूँ अन्न का दान देना शुरू किया तब से भारत के भूखों की तरफ से मेरी भूख बहुत बढ़ गयी है और मैं आशा रखता हूँ कि आपके प्रान्त से पूरी मदद भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की मदद का अर्थ है देश की और उन दीनों की मदद जिन को मदद की जरूरत है। केवल इस में बिहार की ही बात नहीं है। मैं तो बिहार का जन्मा हुआ हूँ और बिहार के साथ मेरा अटूट सम्बन्ध है। मगर मैं केवल बिहार का ही काम इसे नहीं मान रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे देश में जहाँ जहाँ अन्न की कमी हो उस कमी को दूर करने में आप सहायक हो।

अन्न के अलावा मैं समझता हूँ कि आपके प्रदेश में और चीजें भी काफी मात्रा में होती हैं। आपके यहाँ कपड़े के कई कारखाने हैं और ईश्वर की दया से आपके आस पास में कपास की, रूई की खेती भी काफी है। इन कारखानों और कपास की खेती का यह फल होता है कि आपके प्रदेश में कपड़ा भी काफी तैयार होता है। तो इसके साथ साथ और भी चीजें जिन का जिक्र अभी आपने अभिनन्दन पत्र में किया उनकी वृद्धि भी आपके यहाँ हुई यह बड़े संतोष की बात है। मैं आशा रखता हूँ कि दिन प्रति दिन अन्न की तरफकी होगी और हर तरह की चीजों की वृद्धि आपके यहाँ होगी।

मैं आज यह महसूस करता हूँ कि भारत में जो कण्ट हैं उस कण्ट को दूर करने का तरीका पक्की है कि जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको अधिक मात्रा में हम पैदा करें। हम कभी कभी यह

भूल जाने हैं कि जब हमारे देश में चीजें होंगी तभी हम उनका बंटवारा भी कर सकते हैं। चीजें पैदा करने के पहले ही यदि किस का कितना हिस्सा हो हम इसका बंटवारा करने लग जायें और झगड़ने लग जायें तो चीजें पैदा ही नहीं होंगी। अक्सर करके हम देखते हैं कि हम से यह भूल होती है कि सामान पैदा करने के पहले ही हम बंटवारा शुरू कर देते हैं। उसका फल यह होता है कि किसी को कुछ मिलता ही नहीं क्योंकि सामान ही नहीं है तो किसी का हिस्सा कैसे हो सकता है। इसलिये जो कारखाने के मालिक हैं, जो खेतों में कच्चा माल पैदा करते हैं, जो मजदूर दोनों जगहों में परिश्रम करके माल पैदा करते हैं उनमें एक साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि वे समझें कि उनका सब से बड़ा कर्तव्य यह है कि भारत में जितनी चीजों की कमी है उस को दूर करने में जिसका जो हिस्सा है उसे पूरा करके इस कमी को वे दूर करे और भेग विश्वास है कि यदि सभी इस काम में लग जायें तो आज जितनी कमी हम महसूस करते हैं उस कमी को महसूस करने का कोई कारण नहीं रह जायेगा।

अन्न के सम्बन्ध में यह अक्सर कहा जाता है कि देश में उसकी कमी है और आजकल हम को विदेशों से बहुत अन्न मंगाना पड़ता है और न मालूम कब तक मंगाना पड़े। जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मालूम होता है कि इस कमी को दूर कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा अधिक परिश्रम, थोड़ा अधिक उत्साह, थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम करने में यह कमी दूर हो सकती है। हिसाब लगाकर लोगो ने देखा है कि भारत में दशाश की कमी है अर्थात् १०० में १० की कमी है। अगर दस सौ में और जोड़ दिया जाये तो हमारी कमी दूर हो जाये। हम जहाँ १० मन पैदा करते हैं वहाँ ११ मन पैदा करने लग जायें तो वह कमी दूर हो जाती है। जो किसान अपने काम को जानता है वह कह सकता है कि थोड़ा जल देने से, थोड़ा खाद देने से, कुछ अधिक जोतने बोन से अच्छा बीज देने से १० मन के बदले ११ मन पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिये हमारे देश के किसान यह समझ लें कि उनको १० मन की जगह ११ मन पैदा करना है तो वह इस चीज को पूरा कर सकते हैं और इसमें उनके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आयेगी जिसका हल वह स्वयं नहीं कर सकते हों। हमारी गवर्नमेन्ट भी चाहे वह केन्द्रीय गवर्नमेन्ट हो चाहे राज्य की गवर्नमेन्ट हो इस प्रयत्न में है कि वह इस कमी को दूर करे और जितने प्रकार की सहायता वह दे सकती है सभी जगहों में सहायता देने के लिये वह तैयार भी है। जब इस तरह की सहायता भी मिल सकती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस मामूली कमी को दूर करने में कोई दिक्कत रहेगी। इसमें सिर्फ लगन की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को लोग महसूस करेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ इस कमी को दूर करेंगे।

दूसरी चीजों की उतनी ज्यादा कमी नहीं है। हमारे देश के अन्दर कपड़े के बहुत कारखाने हो गये हैं। कपड़े की कमी तो नहीं होनी चाहिये; रूई की थोड़ी बहुत कमी है वह भी अब दूर होती जा रही है। यह तो सभी देशों का तरीका है कि सब चीजें वे देश के अन्दर ही पैदा नहीं कर सकते, उन को कुछ न कुछ दूसरे देशों से लेना ही पड़ता है। इंग्लैंड के कपड़े का मारा कारबार विदेशों की रूई से ही चलता है। वहाँ रूई पैदा नहीं होती। तो यह दिक्कत रहते हुए भी इंग्लैंड विदेशों से रूई मंगा कर फिर कपड़े के रूप में दूसरे देशों में भेजता है और मुनाफा

भी कमाता है। फिर हमारे देश के कारखाने क्यों ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो कपड़ा विदेश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से विदेश माल ले जाने का जो खर्च होता है वह भी बच जायेगा। पर महात्मा गांधी ने तो हम को यह भी सिखलाया है कि बड़े कारखानों का ही भरोसा न करो। बड़े कारखाने की ज़रूरत हो सकती है लेकिन ऐसी चीज़ों के लिये जो बड़े कारखानों में ही बनाई जा सकती है जैसे कि रेल की पटरि। उस को लोहे के हथौडों से नहीं बनाया जा सकता है। अगर रेल की पटरि का इस्तेमाल हमें करना है तो उस के लिये कारखाने बनाने ही पड़ेगे। पर कपड़ा ऐसी चीज़ नहीं है जिस के लिये कारखाने के बिना काम नहीं चले। उसे प्रत्येक आदमी यदि चाहे तो अपनी ज़रूरत के लायक तैयार कर सकता है। ऐसी चीज़ों के लिये दूसरों के मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है और अगर हमने गांधी जी के उपदेश को माना होता तो जो कपड़े का कट्ट हम अनुभव कर रहे हैं उसे हमें अनुभव नहीं करना होता। कपड़े की ज़रूरत हम आसानी से पूरा कर सकते थे। तो मैं यहीं कहना चाहता हूँ कि आप ने जो प्रदर्शनी का आयोजन किया है वह बहुत ही सुन्दर है। इस से आप को काफी मदद मिल सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप देखेंगे और देख कर इस से लाभ उठायेंगे क्योंकि यह प्रदर्शनी बहुत उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रदर्शनी से सिर्फ इन्दौर शहर के लोगो को ही नहीं वरन् इस प्रान्त के सभी लोगो को तथा दूसरे प्रान्तों के लोगो को भी काफी लाभ पहुंचेगा।

मैंने शुरू मे आप से कहा था कि जब से हमारे अपने हाथो मे स्वराज्य आया है हमारी जवाब-देही बहुत बढ़ गई है। हमारा इतिहास यह बताता है कि इस देश में हमेशा सांस्कृतिक एकता रही है मगर राजनैतिक एकता न होने के कारण हम आक्रमणों का शिकार बने है और बार बार हमें आजादी भी खोनी पडी है यही सोच कर एकछत्र शासन स्थापित करने का विचार निश्चित हुआ था और उस के मुताबिक काम हुआ है। मगर यह काम तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक भारत के सभी रहने वाले चाहे वे किसी भी कौम या जाति के हों चाहे कोई भी पेशे वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों यह महसूस न करें कि यह सारा का साग भारत एक है, साग भारत हमारा है हमारे भारत पर हमारा अधिकार है और सारे भारत का हमारे ऊपर अधिकार है। हम में से प्रत्येक को यही महसूस करने की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि एकसूत्रता आई है मगर अभी यह कहना कठिन है कि हमारे हृदय में एकसूत्रता आई है। हम नहीं कह सकते कि हम में से सब महसूस करते है कि सारा भारत हमारा है। अभी भी सूबे सूबे का झगडा हमारे सामने खड़ा है, आज भी भाषा भाषा का झगडा हमारे सामने खड़ा है, आज भी धर्म के झगडे चलते ही रहते है। इन सब झगडों को मिटाना चाहिये। मैं अभी इन्दौर में बैठा हुआ हूँ, कोई कलकत्ता में या बम्बई में या ट्रावन्कोर में बैठा हुआ है, कोई हिमालय मे या समुद्र के किनारे बैठा हुआ है सभी को महसूस करना चाहिये कि सारा का सारा भारत अपना है। इस भावना को मजबूत करना है तभी इस शासन की एक-सूत्रता रहेगी। आप जानते ही है कि अभी कई जगहों में वहां के लोग इस बात की मांग कर रहे है कि उस हिस्से को किसी दूसरे हिस्से से मिला कर एक ऐसा प्रान्त बनाया जाये जहां एक भाषा हो। यह भी मांग हो रही है कि दो हिस्सों को जोड़ा जाये। इन में लोगों में सब बातों में मेल नहीं रह सकता है। हम ने बहुत बहुत हिस्सों को एक साथ मिला कर एक साथ जोड़ा है और अब इस तरह का जोड़ लगाया जाता है तो यह एक तरह से स्वाभाविक है, अनिवार्य है कि

जब तक यह जोड़ मिल कर पूरी तरह से एक न हो जाये तब तक कुछ गडबड़ी रहे । जब तक घाव भर कर चमड़ा एक सा नहीं हो जाता है तब तक उस से कष्ट आदमी को होता ही रहता है । मगर बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि उसी में काम करें और मान लें कि हम सब एक हैं । मैं देशी राज्यों के लोगों से और विशेष कर के नरेशों से कहता हूँ कि वे आज तक अपने राज्य के हृद के अन्दर ही राज्य करते थे और उतने ही को अपना राज्य समझते थे पर अब तो सारे भारत पर उन का राज्य हो गया है और अगर वे 'अ' चाहे तो सारे भारत में उन का प्रभुत्व, उन की कद्र, उन की प्रतिष्ठा हो सकती है और होगी । इसी तरह भारत के किसी भाग के आदमी को अब यह कहने का मौका हो गया है कि उस का प्रभुत्व ग्वालियर पर है और अब केवल महाराजा बहादुर का ही प्रभुत्व उस पर नहीं है । हम बिहार के रहने वाले कह सकते हैं कि हमारा भी प्रभुत्व इस पर है । जो यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है उस को समझना चाहिये और उस का जो तकाजा है उस को पूरा करना चाहिये और उस को पूरा करने का भी एक ही तरीका है, दूसरा हो ही नहीं सकता । वह यह है कि हम एकीकरण के अर्थ को समझ लें और मान लें । दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है । यह एकीकरण केवल राज्यों का नहीं यह तो सारे भारत का एकीकरण हुआ है । कोई ऐमा न समझे कि हमारे ऊपर इस चीज को लाश गया है । अगर किसी को स्वीकार न भी हो तो उसे भी इसे स्वीकार करना चाहिये । मैं तो जानता हूँ कि सविधान सभा एक दिन दो दिन नहीं, तीन वर्षों तक बैठी और तब उस ने सविधान तैयार किया । उस सभा के जितने सदस्य थे जिन में आप के इस सूबे के सदस्य भी थे उन के चेहरे को जब मैं देखता था तो उन के चेहरे इस बात में प्रमत्त मालूम पड़ते थे कि सारा भारत एक बन रहा है । आप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक है इसे सब लोग माने और उसी के अनुसार काम करे ।

आज मैं ने सवेरे उज्जैन में भी यही कहा है । आप जानते ही हैं कि मैं वहा ही से आ रहा हूँ । उज्जैन एक बड़ी प्राचीन नगरी है जिसका नाम हमारे इतिहास में क्या सारे संसार में न मालूम कितने दिनों से कितने रूप में कितने प्रकार से सुना जाता है और वह एक ऐसा स्थान है जिस स्थान का गौरव सारे भारत का गौरव है, जिस स्थान का गौरव हम सब को मानना है । भारत में और कई स्थान हुए हैं जिन के भी नाम हुए और वे मशहूर भी हैं । किसी तरह से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि एक सांस्कृतिक केन्द्र वहां बन सकता है और मैंने उस का जिक्र भी किया । आप में से कोई ऐसा न समझे कि जो आप की बहस चल रही है उस में मैं कोई फैसला देने आया हूँ । ऐसी कोई बात नहीं है । मैं तो केवल प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रख कर मालवा की महत्ता को ध्यान में रख कर, जो उस ने इतिहास में हिस्सा लिया है उस को ध्यान में रख कर कालीदास और दूसरे नवरत्न हो गये हैं उन को ध्यान में रख कर इस सूबे के उस स्थान को इस योग्य मानता हूँ कि वह तीर्थ स्थान बने । मैं तो कहना चाहता हूँ कि मेरी उन संस्थाओं के प्रति कोई बहुत श्रद्धा नहीं है । इन वस्तुओं का जन्म तो विना एक कारण



से हुआ था। वह कारण तो विनष्ट हो गया। आज जगह जगह पर नये नये कालेज खुल रहे हैं नई नई यूनीवर्सिटियां बन रही हैं। जहां जूरूरत पड़ती है मैं कहता हूं कि पुरानी चीजों को कायम करने में मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी यूनीवर्सिटियां ऐसी बनें जहां पर हमारी प्राचीन संस्कृति का अंश रहे और साथ साथ आधुनिक चीजें हों और दोनों का समन्वय करने के और जो हमारी आज की आवश्यकता है उस को पूरा करने के लिये वहां से योग्य विद्यार्थी और गुरु तैयार किये जायें।

हमारी यूनीवर्सिटियों का यही काम है। इस चीज को हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाये हैं। इसलिये हमें दिशा भ्रम भी पैदा होता है। पर त. श्रीम चाहता हूं कि जो केन्द्र बने है वे केवल सरकारी अधिकार से ही काम करने वाले नहीं हों बल्कि उन में दूसरे दूसरे तौर तरीके से दूसरी शैली से काम करने वाले भी हों। अगर यूनीवर्सिटी बनाना चाहे तो उस में सारे भारत में जो यूनीवर्सिटियों में पद्धति है, रीति है उस को नयी पोशाक में जो सारी दुनिया की परिस्थिति के अनुकूल हो अपना लिया जाये। यही मैं चाहता हूं।

मैं आप सब भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा इतना स्वागत किया और उस से भी ज्यादा मैं इस लिये आप को धन्यवाद देता हूं कि भूखों के लिये आप ने अन्न दिया। धन्यवाद।

इन शब्दों के साथ मैं अब प्रदर्शनी का उद्घाटन करता हूं।

### कस्तूरबा ग्राम

कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर में ता० १०-५-५१ को ८ बजे दिन में राष्ट्रपति जी ने कहा--

श्रीमन्त राजप्रमुख जी, सुशीला बहन, श्यामलाल जी, बहनो और भाइयो,

मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि मैं आज यहां आ सका। पहले कुछ शक था कि यहां आऊंगा या नहीं पर पीछे मैं ने देखा कि इस प्रदेश में आकर बगैर यहां आये चले जाना गलत काम होगा और इसलिये अपने निश्चित समय में से थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों से मिलने आ गया हूं। अच्छा तो यह होता कि जब यहां काम शुरू हो जाता तब मैं यहां आकर एकाध रोज रह कर आप लोगों से मिलता। लेकिन वैसा करने का अवसर मिले या न मिले इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस लिये मैं ने निश्चय किया कि अभी जो आप भाई दफ्तर में काम करते है उन से आ कर मिल लेना बेहतर होगा।

कस्तूरबा ट्रस्ट का काम सारे देश में चल रहा है और अब उस की प्रगति और बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि शुरू में तो कार्यकर्त्ताओं को तैयार करना था और विशेष कर के

स्त्रियों में काम करने वाली स्त्रियां ही हो सकती हैं और उनको तैयार करना जरूरी था। इस काम में समय लगता है और इस में समय लगा है और अब जैसे जैसे काम करने वाली स्त्रियां तैयार होती जाती हैं काम फलता जाता है और फलता जायेगा।

इस काम के बारे में जो महात्मा जी का चित्र था वह बहुत बृहत् था और वह इतना लम्बा चौड़ा कार्यक्रम था कि उस में प्रत्येक बच्चे और हरेक स्त्री के लिये केन्द्र कायम होना था। लेकिन अभी जैसा आपने कहा बहुत से केन्द्र खुल गये हैं और काम वहां हो रहा है। पर उन केन्द्रों की संख्या काफी नहीं है। ऐसा केन्द्र तो अगर प्रत्येक गांव में नहीं तो कम से कम १०-१५ गांवों के पीछे एक अवश्य होना चाहिये जिस में देश के बच्चों और स्त्रियों को जैसी सहायता हम पहुंचाना चाहते हैं उसके पहुंचाने के योग्य हम हो जायें। काम तो बहुत बड़ा है। पर जो कोई काम होता है उस का आरम्भ छोटा ही होता है और आहिस्ते आहिस्ते वह बढ़ता है। महात्मा गांधी ने जिस श्रद्धा और प्रेम के साथ इस काम को शुरू किया था वह आप को मालूम है। यह सच है कि यह काम बढ़ता जा रहा है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी जल्द हमारे दो दो सरदार चले गये। सरदार वल्लभभाई और ठक्कर बापा जो इस संस्था के कर्णधार थे निकल गये। अब जो रह गये हैं उन के सर पर बोझ आ पड़ा है। लेकिन संसार का काम ऐसे ही चलाना पड़ता है। इस लिये जो लोग रह गये हैं उन को इस काम को ठीक उसी तरह से, उसी विश्वास के साथ और उसी सिद्धान्त से चलाना है जिस को महात्मा गांधी ने हमारे लिये निर्धारित कर दिया है।

मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहां के राज्याधिकारी तथा जनता दोनों की तरफ से आप को सहायता मिल रही है। इस स्थान को चुनने का कारण यही था कि यहां की जनता और राज्याधिकारी दोनों की पूरी सहायता मिलेगी। इसलिये इस स्थान को चुन कर सरदार वल्लभभाई ने इस ग्राम को स्थापित करने का निश्चय किया और वह आशा पूरी हो रही है यह सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं आशा करता हूं कि उनकी सहायता और भी अधिक आपको मिलती जायेगी। आप ने अभी काम शुरू ही किया है और अभी तो पूरी तरह से यह भी नहीं कहा जा सकता कि काम शुरू हो गया है। पर इतने कम समय में भी आप ने बिहार के भूखों को याद किया और २१ मन गेहूं दान दिया यह आप लोगों के लिये बड़ी बात है और बिहारियों के लिये कृतज्ञता का पूरा कारण है। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह देश के हर हिस्से को सहायता पहुंचाते रहेंगे और स्त्रियों को इस तरह बना देंगे जिस में वे देश के लिये सुयोग्य बन जायें और जैसी कस्तूरबा एक आदर्श महिला थीं उसी तरह आदर्श महिला बन जायें।

कस्तूरबा मेरी समझ में भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक एक आदर्श महिला थीं और उन्होंने जो काम बापू के साथ रह कर किया उन्हीं आदर्शों के अनुसार हमारी स्त्रियों को काम करना है और करना चाहिये। हम तो उन्हीं आदर्शों को अपने सामने रख कर अपनी स्त्रियों को बनाना चाहते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है

कि इस तरह से शिक्षा दे कि स्त्रियां सुयोग्य बनें। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर की दया से आप अपने काम में पूरी तरह से सफल हो सकेंगे क्योंकि आप में उत्साह है और लगन है।

### बाल निकेतन

बाल निकेतन इन्दौर में राष्ट्रपति जी ने तारीख १०-५-५१ को कहा—

श्रीमन्त राजप्रमुख जी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज इस संस्था को फिर से एक बार देख सका। यह स्वाभाविक ही है कि जिस पौधे को मनुष्य लगाता है और सींचता है उसे देखने देख कर उस को खुशी होती है और चूँकि इस भवन का शिलान्याम मेरे ही हाथों काशी भाई ने करवाया था मुझे इस बात से खुशी होती है कि यह संस्था इतनी दूर तक पहुँच चुकी है और मैं आशा रखता हूँ कि इस को और भी उन्नति होगी। मुझे इस बात की ओर भी खुशी है कि मैंने उस समय कहा था कि मानटेमरी सिस्टम अच्छा हो सकता है अगर उसमें खर्च अधिक नहीं हो। भारतवर्ष के लिये कोई भी शिक्षा पद्धति जिसमें बहुत खर्च लगता है चलना जरा मुश्किल है क्योंकि यह देश गरीब है। इसमें जिन सामानों का प्रयोग होता है अगर वे यहाँ कम खर्च में तैयार किये जायें तो रास्ता साफ हो सकता है। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि यहाँ जिन वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें यहाँ ही तैयार किया गया है। यह एक शुभ चिन्ह है। उस प्रकार की संस्था की अधिक उपयोगिता हो जाती है जिसके द्वारा यह काम हिन्दुस्तान में सहज और कम खर्च में हो जाता है। इस लिये जब दोवाग मुझ से आने का आग्रह किया गया तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ आकर मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि जैसी मैंने आशा की थी उसके अनुकूल ही काम हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो काम अभी बाकी है वह भी पूरा होगा। आप लोगों को जनता और श्रीमन्तो दोनों की सहायता मिलती रही है यह भी एक शुभ चिन्ह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह सहायता मिलती रहेगी जिसमें आप के काम में किसी प्रकार की रुकावट न हो।

मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं यहाँ आ सका।

### सोमनाथ मंदिर

सोमनाथ मंदिर में महादेव प्रतिष्ठा के अवसर पर तारीख ११-५-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा --

बहनो और भाइयो,

हमारे शास्त्रों में श्री सोमनाथ जी को बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है, और इस लिये पुरातन काल में भारत की समृद्धि, श्रद्धा और सस्कृति का प्रतीक भगवान सोमनाथ का यह मन्दिर था, जिस के चरण विशाल सांगर धोना था, जिस का उन्नत ललाट स्वर्ग को छूता था, और जिस के विराट कक्ष में श्रद्धालु जन भारत के विभिन्न प्रदेशों और प्रान्तों से एकत्रित हो कर भगवान शंकर के चरणों में अपरिभिन श्रद्धा और भक्ति और अक्षय धन धान्य की भेंट चढ़ाया करते थे; इस तरह यह भारत में श्रद्धा और धन का केन्द्र तथा भंडार बना हुआ था। दूर दूर तक तथा देश देश में इस के अनुलनीय वैभव की ख्याति फैली हुई थी किन्तु दुर्भाग्यवश इस पर एक युग के पश्चात् बार बार विपत्ति पड़ी। यह टूटा। किन्तु जातीय श्रद्धा का बाह्य प्रतीक चाहे विध्वंस किया जा सके पर उस का स्त्रोत तो कभी टूट नहीं सकता। यही कारण है कि सब विपत्तिया पड़ने पर भी भारत के लोगों के हृदय में भगवान सोमनाथ के इस मन्दिर के प्रति श्रद्धा बनी रही है और उन का यह स्वप्न बराबर रहा कि वे इस मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा पुन कर दें और समय समय पर वे ऐसा करते भी रहे और आज इस ऐतिहासिक मन्दिर के जीर्णोद्धार के पश्चात् इस के प्रागण में भारत के कोने कोने से आये हुए अनेक नर नारियों का कलरव फिर सुनाई दे रहा है। हमें यह पुनीत अवसर देखने का सौभाग्य इस लिये प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु के नाभिकमल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वास करते हैं उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी सृजनात्मक शक्ति और श्रद्धा सर्वदा वास करती है और वह सब शस्त्रास्त्रों से, मंत्र सेनाओं से और सब सम्राटों से अधिक शक्तिशाली होती है। सोमनाथ का यह मन्दिर आज फिर अपना मस्तक ऊंचा कर के संसार के सामने यह घोषित कर रहा है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिस के लिये जनता के हृदय में अक्षय श्रद्धा और स्नेह है, उसे संसार में कोई भी मिटा नहीं सकता। आज इस मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा पुनः हो रही है और जब तक इस का आधार जनता के हृदय में बना रहेगा तब तक यह मन्दिर अमर रहेगा।

इस पुनीत, पावन और ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के लिए यह उचित है कि हम धर्म के इस महान् तत्व को समझ लें कि भगवान की, सत्य की झांकी पाने के लिए कोई एक ही मार्ग मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यदि श्रद्धा पूर्वक और लगन से मनुष्य जन जीवन की सेवा करने के लिये तत्पर होता है, और यदि वह अपने जीवन को संसार में स्नेह और सौन्दर्य का साम्राज्य स्थापित करने के लिये उत्सर्ग करता है तो फिर चाहे वह किसी ढंग से भगवान की पूजा क्यों न करे उस को भगवान और सत्य की झांकी अवश्य मिल जाती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस तथ्य को पहचाना था और मनुष्य जाति के सामने इस को रखा था। वैदिक काल में ही इस बात की

साग्रह घोषणा कर दी गई थी कि वह एक है, किन्तु मनीषी लोग उस का वर्णन बहुत प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी यह कहा गया था कि जिस प्रकार सब नदियां समुद्र ही में मिल जाती हैं उसी प्रकार विभिन्न धर्म भी भगवान के पास ही मनुष्य को पहुंचा देते हैं। दुर्भाग्यवश धर्म और जीवन के इस तथ्य को विभिन्न युगों और विभिन्न जातियों में ठीक ठीक नहीं अपनाया गया और इसी कारण धर्म के नाम पर संसार के विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों में अत्यन्त विनाशकारी और वीभत्स संघर्ष और युद्ध हुए। धार्मिक असहिष्णुता से सिवाय विद्वेष और अनाचार बढ़ने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता है—यही इतिहास की शिक्षा है और इस को हम सब को गांठ बांध रखना चाहिये। हमारे देश में इस बात की आज विशेष आवश्यकता है कि हम में से प्रत्येक यह समझ ले कि हमारे देश में जितने सम्प्रदाय और समुदाय हैं उन सब के प्रति हमें समता और आदर का व्यवहार करना है। क्यों कि ऐसा करने में ही हमारी सारी जाति और देश का तथा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निहित है। इसी विश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे भारतीय संघ ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनायी है, और इस बात का आश्वासन दिया है कि इस देश में बसने वाले प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों को राज्य की ओर से एक समान सुविधायें प्राप्त होंगी। इसी नीति के अनुसार मेरी श्रद्धा और भक्ति सभी धर्मों के प्रति रहती है। यद्यपि मैं विश्वास और अपनी दिन चर्या में सनातनी हिन्दू हूँ और साधारणतः उसी धर्म की रीति से भगवान की उपासना और अर्चना करता हूँ तथापि मैं यह भी मानता हूँ कि अन्य धर्मावलम्बी अपनी रीति से भगवान की पूजा कर उस को पा सकते हैं और इसी लिये सभी धर्मों के पवित्र स्थानों के प्रति मैं केवल आदर का ही भाव नहीं रखता हूँ वरन् अवसर पा कर उस आदर को व्यक्त करने में भी कभी नहीं हिचकता। मौका मिलने पर मैं दरगाह और मस्जिद, गिर्जाघर और गुरुद्वारे में भी उसी श्रद्धा के साथ जाता हूँ जिस से कि मैं अपने मन्दिरों में जाता हूँ। आज का यह उत्सव भी इसी नीति की सत्यता को पुष्ट करता है आज यह स्पष्ट है कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति असफल सिद्ध हुई है और होती रहेगी। साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि इतिहास की टूटी हुई लड़ी को जोड़ने का अर्थ यह नहीं है और न हो सकता है कि हम इस बात का प्रयास करें कि वे सब मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्थायें यहां फिर स्थापित हो जायें जो इतिहास के गत युग में यहां वर्तमान थीं। मानव के लिये यह तो सम्भव है कि वह पृथ्वीतल पर पिछले स्थान पर लौट सके किन्तु यह सम्भव नहीं कि वह विगत घड़ी के पास लौट जाये। कालक्षेत्र में तो उस को निरतन्त्र आगे ही बढ़ना होता है। हा वह पीछे दृष्टि डाल कर आगे के लिये प्रकाश और ज्योति पा सकता है। अतः आज के उत्सव का यह अर्थ न तो है और न हो सकता है कि हम विलुप्त राजनैतिक और सामाजिक युग की पुनः स्थापना करना चाहते हैं, और न इस का यह अर्थ है कि हम उस मानसिक और शारीरिक घाव को फिर खोलना चाहते हैं जो शताब्दियों के व्यतीत होने के कारण बहुत कुछ भर या ढक चुका है। हमारा ध्येय पुरातन इतिहास के अन्याय को दूर करना नहीं है वरन् केवल यही है कि हम आज अपनी उस आस्था, उस विश्वास और उस श्रद्धा के प्रति अपनी लगन फिर से प्रकट करें जिस आस्था, या विश्वास पर अनन्त काल से हमारा धर्म स्थापित रहा है और हम फिर यह दुहाई कर दें कि धार्मिक जीवन का सर्वोपरि सत्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को वह पूर्ण स्वतन्त्रता

और वे सुविधायें प्राप्त हों जिन में कि वह अपनी अनुभूति और अपनी नैसर्गिक बुद्धि के अनुसार अपने जीवन का चरम उत्कर्ष प्राप्त कर सके और वह सत्य है पूर्ण शार्मिक सहिष्णुता ।

इस पुनीत अवसर पर हम सब के लिये यह उचित है कि हम आज इस बात का ज्ञात करें कि जिस प्रकार हम ने आज अपनी ऐतिहासिक श्रद्धा के इस प्रतीक में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा की है उसी प्रकार हम अपने देश के जन साधारण के उस समृद्धि मन्दिर में भी प्राण-प्रतिष्ठा पूरी लगन से करेंगे जिस समृद्धि मन्दिर का एक चिन्ह सोमनाथ का पुरातन मन्दिर था । उस ऐतिहासिक काल में हमारा देश सभ्य जगत का औद्योगिक केन्द्र था । यहां के बने हुए माल से लदे हुए कारवां दूर दूर देशों को जाते थे । और संसार का चांदी सोना इस देश में अत्यधिक मात्रा में खिंचा चला आता था । हमारा निर्यात उस युग में बहुत था और आयात बहुत कम । इस लिये भारत उस युग में स्वर्ण और चांदी का भंडार बना हुआ था । आज जिस प्रकार समृद्ध देशों के बैंकों के तहखानों में संसार का स्वर्ण जमा मात्रा में पड़ा रहता है उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व हमारे देश में संसार के स्वर्ण का अधिक भाग हमारे देवस्थानों में होता था । मैं समझता हूं कि भगवान सोमनाथ के मन्दिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन न केवल इस प्रस्तर की बुनियाद पर यह भव्य भवन खड़ा हो गया होगा, वरन् भारत की उस समृद्धि का भी भवन तैयार हो गया होगा जिस का प्रतीक वह पुरातन सोमनाथ का मन्दिर था । साथ ही सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक भी मेरी समझ में पूरा नहीं होगा जब तक के इस देश की संस्कृति का स्तर इतना ऊंचा न हो जाये कि यदि कोई वर्तमान अलबरूनी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे तो हमारी संस्कृति के बारे में आज की दुनिया के मुकाबले में वही भाव प्रकट करे जो लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व उस समय के भारत के सम्बन्ध में अलबरूनी ने प्रकट किये थे ।

नव निर्माण का यह यज्ञ स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरम्भ किया था । भारत की विच्छिन्न एकता को पुनः एक सूत्र और अखण्ड करने में उन का निर्णायक हाथ था । और उन के हृदय में यह आकांक्षा उत्पन्न हुई थी कि नव निर्माण के प्रतीक स्वरूप भारत की पुरातन श्रद्धा का यह प्रतीक फिर से निर्मित किया जाये । वह स्वप्न भगवान की कृपा से आज एक सीमा तक पूरा हो गया है किन्तु वह पूर्ण रूपेण उसी समय पूरा हो सकेगा जब भारत के जन जीवन का वैसा ही सुन्दर मन्दिर बन गया होगा जैसा यह भगवान का मन्दिर है । जय भारत ।

### संस्कृत परिषद्

ता० ११-५-५१ को प्रभाम पट्टन में संस्कृत परिषद् में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रीमान् राजप्रमुख, विद्वज्जन, अन्य सज्जनो, वहनो और भाइयो,

आप ने यह ठीक कहा है कि हमें आज यह शुभ और महत्व का अवसर मिला है और हमें यह विचार करने के लिये एकत्रित हुए हैं कि लोगों में संस्कृत भाषा का ज्ञान किस तरह बढ़ाया जाये और किस प्रकार से उसके अध्ययन का तीव्र तरीका चलाया जाये जिस में इ ।

प्राचीन गौरवमय भाषा से हम जो कुछ पा सकते हैं उसे फिर अपने देश के लोगों के लिये और संसार के लोगों के लिये पा सके। मेरा अपना विश्वास है कि हमारा संस्कृति का मूल हमारा संस्कृति साहित्य है और आज यदि हम अपने लिये कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो उन के लिये संस्कृति को ही नींव बना सकते हैं। कोई भी मनुष्य हवा में महल नहीं बना सकता है। महल बनाने के लिये उसे नींव खोदनी पड़नी है। यदि हम अपने देश में संस्कृति अन्य देशों की भाषा और साहित्य से लेता भी चाहे तो भी हमारा नींव तो हमारे देश की भाषा ही हो सकती है और हमें चाहिये। हमारे देश में आज प्राण प्राण में अलग अलग भाषाएँ हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उनका उद्भव भी और उन्नति भी हुई है। मगर हम विचार करें तो पता चलता है कि अन्तोंशकता उनका जड़ में संस्कृति ही है। ये सब संस्कृति ही सत्ताएँ हैं और जब तक ये भाषाएँ रहेंगी इनकी जन्नी संस्कृति से ही हमें यकीन मिलनी पड़ेगी। उन के लिये यह शक्ति आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से जड़ से ही वृक्ष का पालन पोषण होता है और जब जड़ नहीं रहती तो वृक्ष भी सूख जाता है उसी प्रकार संस्कृति से ही हमारी भाषाओं और संस्कृति को बल मिल सकता है। यदि हम चाहे भी कि हम अपने देश की सभ्यता का, अपने देश की संस्कृति को देश में के रहना महान को कुछ बदले तो भी उसका जड़ में, उसकी नींव में हमारी संस्कृति रहेगी ही। हम उस के ऊपर कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ें, यदि कुछ घटाना चाहें तो घटाएँ, बढ़ाना चाहें तो बढ़ावें पर उस के अधःभूत स्थान को हम नहीं बदल सकते।

विद्वानों में मेरा एक निवेदन है। आज यह कोई नहीं कह सकता कि सारी दुनिया में जो कुछ चलता है उसमें हम अपने को बिल्कुल अलग रखें क्योंकि इस प्रकार से अपने को अछूता रखना समभव नहीं है। सारी दुनिया का चीजों से हटने अपने को अच्छी तरह से परिचित रखना है और वही जो हवा बहती है, जो चीजें सामने आती हैं उनको समझ कर, देख कर, उनको अच्छी तरह से पढ़ कर कि उनमें क्या ग्राह्य है और क्या अप्राह्य है और यह पता चला कर कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज है, जिनमें हम लाभ उठा सकते हैं, और कौन सी चीज है, जिनको हमें नहीं लेना है, हमें उनसे लाभ उठाना है। उनको हमारे देश के अन्दर दो प्रकार के लोग देखने में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हमारा पुत्रों में विद्या में प्रेम है और जिनका केवल उसी विद्या में परिचय है और आज की दुनिया में वे अज्ञेय हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जो विदेशी चीजों को जानते हैं और हमारी संस्कृति भाषा और साहित्य में और हमारी संस्कृति में जो कुछ है उससे उनका परिचय नहीं के बराबर है। ये दोनों बातें हमारे देश के लिये एक तरह से नाकाफी हैं। इन दोनों में मिश्रण होना चाहिये जिनमें जहाँ से अच्छा साहित्य, अच्छी संस्कृति हमें मिलती हो उसे भी हम ले सकें। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति का अध्ययन तो अच्छी तरह से किया है पर आज के सत्कार के साथ उनका परिचय नहीं है। इस चीज को हमें दूर करना है। इसके लिये अगर संस्कृति के अध्ययन में कुछ अदल बदल करने की जरूरत हो, अगर उसमें नये तरीके का प्रचार करना हो, उसका नये तरीके से अध्ययन करना हो तो उनसे भी हमें नहीं हिचकना चाहिये। उसी तरह से जो पश्चिम की विद्या सीखते हैं वे यह नहीं समझे कि जो कुछ पूरब देता है, उसमें कुछ है ही नहीं। उनका काम है कि पूरब की चीजों को पश्चिम से सीखें, थोड़ा समय लगा कर यहाँ की चीजों को जाने और तब वे इन चीजों को समझ सकेंगे। यह एक बड़ी भूल होती

हैं कि बिना अध्ययन किये लोग किसी चीज को यह कह दिया करते हैं कि उस में कुछ नहीं है। यह संस्कृत के विद्वानों के लिये उतना ही घातक है जितना पश्चिम की विद्या के जानने वालों के लिये। हम तो चाहते हैं कि हमारे विद्वान सभी विद्यओं को पढ़ें और उन में जितना लाभ है, उसे उठावें। ऐसा करने में जो हमारी आगों की संस्कृति होगी वह और भी अच्छी होगी, हमारा कल्याण होगा और उन सारे सभार के सामने दृष्टान्त रखेगे। यहाँ विद्यापीठ का आयोजन हो रहा है। इस में दोनों चीजों की पूरी गुणवत्ता रखनी चाहिये जिस में हम देश का और सभार का भला कर सकें। मेरी आशा है और मैं उसी विश्वास के साथ आप के इस काम का समर्थन करूँगा कि इस में देश का कल्याण है, हमारा कल्याण है और सारे सभार का कल्याण है। भगवान् सोमनाथ आप के इस प्रयत्न को सफल करे यही मेरी प्रार्थना है।

### श्री कृष्णसमारक

तारीख ११-५-५१ को वेरावल, सीराष्ट्र में भगवान् श्री कृष्ण स्मारक के शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रीमन् राजप्रभुव, वहनों और भाइयो,

यह मेरे लिये बड़े सोभाग्य की बात है कि आज इस शुभ अवसर पर आपके इस समागोह में मैं शरीक हो सका। कृष्ण भगवान् तो सारे हिन्दुस्तान के जीवन में इस तरह से घुल गये हैं कि आज को नहीं वह सकता कि हमारी कौन सी ऐसी बात है जो कृष्ण भगवान् को सीख से प्रभावित नहीं है। वह हमारे जीवन का एक अणु बन गये हैं। आज जो इस पवित्र स्थान में सभारोह हुआ और इस स्मारक के लिये जो आयोजन किया गया उसकी कृष्ण भगवान् को जरूरत नहीं है पर हम इस स्थान में आकर कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ में कुछ अधिक भक्ति-भाव लेकर और अपने को धन्य और कृतार्थ कर के जा सकते हैं। इसी भावना में यह काम किया गया है और आप लोग शरीक हुए हैं। जैसा अभी जाभ राहव ने कहा, कृष्ण भगवान् की कृपा सब पर है, सब के हृदय में वही सेवा भावना जागृत है जिस सेवा भावना का उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में दिखा था और हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे सभार के लिये यह देश एक ऐसा उदाहरण बन जाये जिस पर हम लक्ष्य रख सकें। कृष्ण भगवान् से हमारी प्रार्थना है कि हमारी इस आकांक्षा को वह पूरा करे।

### वेरावल में नागरिक अभिनन्दन

ता० १२ मई १९५१ को वेरावल म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राजप्रभुखजी, वेरावल म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, वहनों और भाइयो,

जब से मैं सीराष्ट्र में आया सभी जगहों पर जिस प्रेम और आदर के साथ मेरा स्वागत जन्ता ने किया है उस का मेरे दिल पर बहुत असर हुआ है। आप की म्युनिसिपैलिटी की ओर



से जो मेरा यह आदर हो रहा है उस के लिये मैं आप सब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मरतबे खास इस मलतब से नहीं आया हूँ कि मैं सौराष्ट्र में आ कर दौरा करूँ और आप भाइयों से मिलूँ। मैं तो एक प्रकार से तीर्थ यात्रा के लिये आया हूँ और मेरी यह तीर्थ यात्रा इस ही स्थान से सम्बद्ध है। आप इस वक्ता राष्ट्रपति की हैसियत से मेरा स्वागत कर रहे हैं पर रह रह कर मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं राष्ट्रपति की हैसियत से आया हूँ या दूसरी हैसियत से। और लोग भी कभी कभी यह प्रश्न कर देते हैं। राष्ट्रपति का काम तो चन्द दिनों के लिये मेरे सर पर आ गया है और चन्द दिनों के बाद मैं उस से मुक्त भी हो जाऊँगा पर मैं तो एक साधारण मनुष्य, एक साधारण हिन्दू की तरह जन्मा था और एक साधारण आदमी की तरह मरने के दिन तक रहूँगा। इस लिये जिस हैसियत को मैं सब से बड़ी समझता हूँ वह साधारण मनुष्य के नाते मेरी हैसियत है। बाबा सोमनाथ का दर्शन करने के लिये, श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग के स्थान तथा द्वारिकापुरी का दर्शन करने के लिये मैं यहाँ आया हूँ, और साथ साथ महात्मा गांधी के जन्म स्थान और महात्मा गांधी के सूबे का दर्शन करने के लिये भी आया हूँ। ऐसी अवस्था में तो मुझे आप सब का आशीर्वाद चाहिये, पर आशीर्वाद के बदले आप सब मेरा इस प्रकार स्वागत कर रहे हैं। इसे भी मैं आशीर्वाद के रूप में ही मान लेता हूँ और आप को इस के लिये बहुत धन्यवाद देता हूँ।

इस समय भारत वर्ष के सामने बड़े बड़े जटिल प्रश्न हैं। जब से हम मुक्त हुए, देश में स्वतंत्रता आयी है तभी से तरह तरह की विपत्ति आयी है। उन का मुकाबला देश ने और हमारी सरकार ने अच्छी तरह से किया है। पर अब भी किसी भारतवासी को यह नहीं समाना चाहिये कि अब निश्चिन्त हो कर आराम के साथ वह घर में सो रहे। स्वतंत्रता हम को मिली है ज़रूर पर उस से जितना लाभ हमारे देश के सब लोगों को मिलना चाहिये वह अभी तक नहीं पहुँच सका है। देशवासियों को लाभ पहुँचाने के लिये हमें बहुत परिश्रम और त्याग की आवश्यकता पड़ेगी। पर मुझे आशा है कि यद्यपि आज महात्मा जी नहीं हैं तो भी जिस तरह परिश्रम और त्याग महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने दिखलाया वैसे ही त्याग सारे देश के लोग अब भी दिखलायेंगे।

कल जो यहाँ बाबा सोमनाथ की पुनर्स्थापना हुई है उस से भी इस स्थान पर बड़ी जवाबदेही आ गई है। यह एक ऐसा स्थान रहा है जिस पर न मालूम कितनी विपत्तियाँ आईं। पर उन विपत्तियों को सह कर भी लोगों ने अपनी श्रद्धा और धर्म को बनाये रक्खा अब हमें ऐसी परिस्थिति लानी चाहिये जिस में फिर से उस तरह की विपत्ति का हमें मुकाबला न करना पड़े। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस प्रान्त के लोगों का यह विशेष कर्तव्य हो जाता है कि हमेशा अपने को इस प्रकार में तत्पर और तैयार रखें कि ऐसी कोई बात न हो कि जिस के कारण वे मुमीबते फिर आयें। इस यज्ञ का पूरा लाभ हम को तभी मिल सकेगा। इस लिये जब कुछ मुसलमान भाई कल मुझ से मिले थे तो मैं ने उन से यह कहा था कि आज भारतवर्ष में हम ने नया संविधान बनाया है और उस में सब को हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, सब को अपने धर्म पालन का पूरा अधिकार दिया है। इस लिये यह प्रत्येक का धर्म है कि वह देश की रक्षा करे। अगर

किसी हिन्दू पर कभी किसी तरह की मुसीबत आती है तो मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब का धर्म होता है कि, वे उस की रक्षा करे। हम तो यह चाहते हैं कि प्रत्येक हिन्दू की रक्षा का भार मुसलमान पर हो और प्रत्येक मुसलमान की रक्षा का भार हिन्दू पर हो। जब इस देश के सभी रहने वाले चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, पारसी हों, या सिख हों, एक राय हो कर काम करेंगे तो फिर किसी की हिम्मत न होगी कि हमारे खिलाफ कोई कदम उठाये। हम चाहते हैं कि जो इस देश में रहते हैं वे देश की रक्षा करना अपना धर्म मानें चाहे फिर किसी भी धर्म के या किसी भी देश के आदमी आकर इस देश पर हमला करें। मैं आशा करता हूँ कि जो यहां के रहने वाले हैं वे इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे क्यों कि यहां का इतिहास दूसरे ढंग का रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर किसी को भी हिम्मत न होगी कि वह इस प्रकार की मुसीबत ढाये। मैं आशा करता हूँ कि अभी जो उन्नति के दूसरे मौके हैं उन में भी आप भाग लेंगे।

मुझे यह जान कर खुशी हुई कि सौराष्ट्र में काम अच्छी तरह से चल रहा है। यद्यपि इस सिलसिले में बहुत तरह की कठिनाइयां आया करती हैं पर आप के मंत्रिमंडल ने आप के राजप्रमुख के नेतृत्व में अच्छा प्रबन्ध किया है और मैं समझता हूँ कि आइन्दा के लिये भी आप का रास्ता साफ करते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह सूबा बहुत समृद्ध हो जायेगा और आप का शहर भी उस के साथ समृद्ध होगा। आप को पुनः मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ।

### जूनागढ़ में नागरिक अभिनन्दन

ता० १३-५-५२ को जूनागढ़ म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा —

महामहिम राजप्रमुख, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप के इस शहर में थोड़ी देर के लिये भी मैं आ सका। जैसा आप ने अपने मानपत्र में कहा है, जूनागढ़ एक पुराना ऐतिहासिक, तारीखी शहर है और इस ने अपनी जिन्दगी के हजारों वर्ष सुख में बिताये हैं। आज हिन्दुस्तान एक नये दौर से गुजर रहा है और पिछले तीन चार वर्षों में यह देश बहुतेरी कठिनाइयों से गुजरा है। अब इस के कोने कोने तक अपने लोगों का राज्य कायम हो गया है। वह राज्य किसी एक आदमी का नहीं है और न किसी एक जाति और क़ौम के लोगों का राज्य है बल्कि यह राज्य ऐसा है कि इस में भारतवर्ष के प्रत्येक २१ वर्ष या उस से अधिक उम्र वाले पुरुष और स्त्री का भाग है और आज हम सच्चे दिल से कह सकते हैं कि इस देश में रहने वाले ३६ करोड़ सब के सब इस देश के मालिक हैं। आज यहां न कोई राजा है और न प्रजा है। यहां तो सब के सब राजा है या प्रजा है। जो कायदा, संविधान, अपने देश के लिये हम ने बनाया है वह भी सुन्दर और अच्छा

संविधान हम ने बनाया है। उस में सब धर्मावलम्बी लोगों को, सभी जाति वाले लोगों को चाहे उन का कोई भी काम और पेशा क्यों न हो, पूरी स्वतंत्रता और आजादी दी गई है। और हम ने इस बात का भी वायदा उस में किया है कि किसी धर्म के साथ किसी तरह की दम्तन्दाजी या हस्तक्षेप नहीं होगा और उस में हम ने इस बात का भी वायदा किया है कि किसी धर्म या उस के शिक्षात्मक जर्म या किन्हीं क्रिये बिना किसी व्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जायेगी। हम ने यह भी वायदा किया है कि जहाँ तक हो सकेगा इस देश में हम गरीबी दूर करेंगे। इन सब ऊँचे आदर्शों को सामने रख कर आज हमारे स्वराज्य का काम शुरू हुआ है। अभी तो दो ही तीन साल बीते हैं और किसी भी मुल्क की जिन्दगी में दो तीन वर्ष कोई बड़ी चीज नहीं होने है। जब हम इस चीज को याद रखेंगे कि इन दो तीन वर्षों के अन्दर कितनी मुसीबतों का मुकाबला हम को करना पड़ा है तब तो यह बात और भी जाहिर हो जायेगी कि जो कुछ हम इन तीन वर्षों में कर पाये हैं वह कम नहीं है बल्कि वह काफी बड़ी चीज है।

दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई दूसरी भिमाल नहीं मिलती है जब इतना बड़ा देश इस तरह से अपनी कम कुर्बानी दे कर, इतना कम त्याग कर के अपने को आजाद कर सका हो। यह महात्मा गांधी की तपस्या का फल था और उन्होंने जो रास्ता हम को बताया और उस पर जो हम थोड़ा बहुत चले उम्मी का यह नतीजा था कि हम अपनी जल्द स्वतन्त्र हो सके। स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन स्वतंत्रता के साथ गरीबी दूर करना, यहाँ के लोगों से शिक्षा दूर करना इन सब चीजों को हम पूरी तरह अभी नहीं कर पाये हैं। मगर इतना हम विश्वास रखते हैं कि इन कामों के लिये भी जो शक्ति है, वह जो नीय हम ने डाली है, वह सुन्दर और मजबूत है और इस में कोई शक नहीं है कि थोड़े ही दिनों में इन सब चीजों का सुन्दर फल देखने को मिलेगा।

स्वतन्त्रता के साथ ही हम में प्रत्येक की जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से दूसरे स्वतन्त्र देश के लोग अपने देश की आजादी को सब से कीमती चीज समझ कर उस की रक्षा और रक्षा के लिये सब कुछ कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं उसी तरह हमारे देश के लोगों को भी उस आजादी को, जो हम ने हासिल की है, कायम रखने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये। तभी हम उस को बचा सकेंगे। हमारे मुल्क का इतिहास एक तरह से ऐसा रहा है जिस में हम वारे में हमेशा लोगों के दिलों में डर बना रहता है। आप पिछले दो ढाई हजार वर्षों के हिन्दुस्तान के इतिहास को देखें। कोई कभी बाहर से आ कर हिन्दुस्तानियों को नहीं हरा सका। मुसलमानों के आने से पहले ही इस मुल्क में चढ़ाई कर के आये। मुसलमान भी विदेशों से आये। आज कल के जो मुसलमान हैं उन में से बहुत कर के इसी देश के रहने वाले हैं। मगर शुरू में वे विदेशों से आये। उन के बाद अंग्रेज आये। मगर एक भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिस में हिन्दुस्तानियों का मुकाबला विदेशियों से हुआ हो और हिन्दुस्तानी हारे हो। जब कभी हिन्दुस्तानी हारे हैं तो हिन्दुस्तानियों से हारे हैं। यानी अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हो जाने के कारण हारे हैं। विदेशी हमारे देशवासियों से मिल कर ही हमें हरा सके। यह तारीखी सच्चाई है। इस का कारण यह था कि यह सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बँटा था। देखने में तो यह एक ही था और इस की संस्कृति भी एक ही थी। मगर राज्य अलग अलग बँटे हुए थे। इस का नतीजा यह होता था कि सब एक हो कर एक साथ मिल कर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते थे।

इस लिये स्वराज्य मिलते ही हमारा पहला काम यह था कि हम सारे देश को एक बना लें जिस में अपनी इस ऐतिहासिक कमजोरी से हम अपने को बचा सकें। दूरदशिता और त्यागपूर्वक हमारे देश में के सब राजा महाराजाओं ने अपने अधिकार छोड़ दिये जिस से कि सारा भारतवर्ष एक सूत्र में सहज ही बंध जाये और एक ही शासन के अधीन हो जाये। उसी का नतीजा है कि हम आज पहले पहल उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र और समुद्र के किनारे से ले कर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और आमाम तक सारे भारतवर्ष को एक संविधान के अन्दर, एक कायदे के मातहत देख रहे हैं और छोटी बड़ी देशी गि़यासतें और पहले अंग्रेजों के अधीन भारत, इन दोनों को मिला कर देश का प्रबन्ध चल रहा है। ऐसा कोई न समझे और मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई समझना भी नहीं है कि उग का राज्य चला गया। अभी यहाँ श्रीमन् जाम साहब बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन का राज्य पहले केवल जामनगर पर था पर अब तो उन का राज्य सारे भारत पर है। मेरे जैसे एक गरीब आदमी का, जिम के पास कुछ भी नहीं था, आज सारे भारत पर राज्य हो गया है। भारत की यह एकता बड़ी भारी घटना है। शायद इस समय हम इस को कीमत न लगा सकें। मगर इतिहास बतायेगा कि सारे देश का एक शासन के अन्दर आना और सब के सब का अधिकार पाना आधुनिक युग की कितनी महान् घटना है। इस के मान ही हम सब लोग पर बराबरेदो भी आ गई है। अब हम नहीं कह सकते कि देश की रक्षा करना राजाओं का काम है। अब हम यह भी नहीं कह सकते कि देश की रक्षा करना शक्ति का काम है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि देश की रक्षा अंग्रेजों फौज करेगी। अब तो प्रत्येक आदमी का जो इस देश में बसता है, जो यहाँ का पानी पीता है, यहाँ की धरती से पैदा हुआ अन्न खा कर जीता है या रोजगार करके पैसा कमाता है या मजदूरी करके दिन बिताता है फर्ज है और यह उम का हक भी है कि देश की हिफाजत में वह पूरा हिस्सा ले। हिफाजत हमें दो प्रकार की करनी है। एक तो तब जब विदेशों से कोई हम पर हमला करे। आज तो दुनिया में इस तरह के हमले सीधे नहीं होते हैं। मगर जो होते हैं वे बहुत भयंकर होते हैं। जिस तरह के भयंकर हथियार आज कल हैं उन्हें देखते हुए ऐसा मोचना कि हम लडाई में शरीक हैं इस लिये हमें खतरा है, और अगर हम लडाई में शरीक नहीं हैं इस लिये हम खतरे से बचे हैं गलत है। आज लडाई में कोई अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता है। हम को भी इस तरह के खतरे से मुकाबला करना होगा। हम सब के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहता है। अपनी तरफ से हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिम की वजह से दूसरे हमारे मुल्क पर हमला करें। मगर आज निष्पक्ष रह कर भी लडाई से बचना मुश्किल है। इस लिये हमें अपने को मुकाबला करने के लिये तैयार करना है। मगर इस से भी भयंकर चीज आपस का झगडा है जिम में वचना है। मैं तो मानता हूँ कि बाहर के हमले से ज्यादा खतरनाक आपस की फूट है। इसलिये आज जो इस देश में बसते हैं उन को यह समझना चाहिये कि हममें से प्रत्येक की आजादी के लिये, प्रत्येक की हिफाजत के लिये यह आवश्यक है कि हिन्दू यह समझे कि प्रत्येक मुसलमान की आबरू और इज्जत उन की अपनी आबरू है और प्रत्येक मुसलमान को समझना चाहिये कि हरेक हिन्दू की इज्जत और आबरू की रक्षा करना उस का फर्ज है। जब इस तरह की भावना हमारे देश में पूरी तरह से फैल जायेगी तो हमारे लिये अपनी हिफाजत बहुत ही आसान हो जायेगी। इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिये और

हम तो यह उम्मीद करते हैं कि अपने पिछले इतिहास को सामने रख कर और भविष्य के सुन्दर सुन्दर स्वप्नों को सामने रख कर हम इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे । किसी भी मुल्क के लिये सब से बड़ी कमजोरी आपस की फूट होती है और भारतवर्ष इस फूट का पूरा नतीजा भोग चुका है और पूरा अनुभव पा चुका है । इस लिये आज जो कुछ बर्दाश्त हम ने किया है, सहा है, देखा है, उसी के अनुभव पर हमें अपना तौर तरीका निश्चित करना है । जाहिर है कि ऐसे मुल्क के लिये जिस में अनेकानेक भाषाओं के बोलने वाले, तरह तरह की ज़िन्दगी बिताने वाले, लोग रहते हैं, मुहब्बत यानी एक दूसरे के साथ अच्छे और सुन्दर बर्ताव के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है । अगर हिन्दुस्तान को छोटे पैमाने पर दुनिया कहा जाये तो सही होगा क्यों कि दुनिया के सामने जितने मसले होते हैं वे सभी हिन्दुस्तान के सामने हैं । मुस्तलिफ़ ज़बान, अलग अलग भाषा, मुस्तलिफ़ तौर तरीका इन्हीं चीज़ों की वजह से तो दुनिया के एक देश से दूसरे देश में फ़र्क़ होता है । हमारे देश में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं । हम एक हो कर यहां रहते हैं यह दुनिया के लिये एक बड़ी चीज़ है । आइन्दा भी हिन्दुस्तान इसी तरह से रह सके तो सारी दुनिया के सामने यह नमूना पेश करेगा कि किस तरह से वह सुख और शान्ति से रह सकती है और किस तरह लड़ाई झगड़े की मुसीबत से अपने को बचा सकती है । अगर हिन्दुस्तान इस तरह से रहेगा तो अपने लोगों को सुखी बनाने के अलावा दुनिया के सामने एक मिसाल भी पेश करेगा और दुनिया के लोग उस की क़द्र करेंगे और समझेंगे कि यह एक ऐसी चीज़ है जिस की ज़रूरत कि सारी दुनिया को है । महात्मा जी ने यही चीज़ हमें सिखलायी है । खास कर के सौराष्ट्र के लोगों पर और भी ज़बाबदेही है क्यों कि वह यहां ही पैदा हुए, और जो कुछ उन्हो ने लिखा वह इस सूबे की ही भाषा गुजराती में ही लिखा । मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस काम में कामयाब होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आप को इस योग्य बना दे ।

आप ने जो मेरा मान किया और मानपत्र दिया उस सब के लिये आप को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

### कीर्ति मन्दिर, पोरबन्दर

ता० १३-५-५१ को कीर्ति मन्दिर, पोरबन्दर में राष्ट्रपति जी ने कहा —

श्रीमन्त महाराणा साहब, बहनो और भाइयो,

मुझे आज यह पहला अवसर मिला है और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस स्थान का मैं दर्शन कर सका । यों तो आज से ३० वर्ष पहले से ऐसी इच्छा बराबर रहा करती थी और खास कर के जब कभी बापू के साथ सत्याग्रह आश्रम साबरमती में रहने का सुअवसर मिला यह इच्छा हुआ करती थी कि एक बार यहां आऊँ और इस स्थान का दर्शन कर लूँ पर किसी न किसी कारण से यह बात टलती गयी । आज से दो वर्ष पहले भी एक मरतबा इच्छा हुई थी कि बापू के जन्म दिवस पर आऊँ और इस स्थान का दर्शन करूँ पर

उस अवसर पर यह बात न हो सकी। आज मैं यहाँ आ सका इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। बापू का जन्म स्थान गोरवमय स्थानों में से है और हमेशा ऐसा समझा जायेगा इस में कोई शक नहीं। आज यद्यपि हम बापू के बताये रास्ते पर पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं क्योंकि हम में शक्ति नहीं है, हम अपनी कमजोरी के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इस में कोई सन्देह नहीं है कि बापू की जो शिक्षा है वह अमर है और उस का स्थान केवल भारत ही में नहीं सारे संसार भर में है। इस में कोई संदेह की बात नहीं है कि एक दिन आयेगा और वह दिन जल्द आयेगा जब बापू की शिक्षा को सारा संसार स्वीकार करेगा और अगर इसे स्वीकार न करेगा तो उस को बड़ी मुसीबत का मुकाबला करना पड़ेगा। आज भी सभी जगहों पर जो कुछ हो रहा है लोग उस से उबे हुए हैं, घबराये हुए हैं, डरे हुए हैं और सभी विचारशील लोग चाहे वे किसी भी देश के क्यों न हों, इस चिन्ता में हैं कि कोई ऐसा पथ उन को मिले जिस पर चल कर वे सुख और शान्ति से रह सकें और जो भयंकर लड़ाई का वातावरण दुनिया में फैला हुआ है उस से अपने को, अपने देश को और संसार को सुरक्षित रख सकें। उसे सुरक्षित रखने के लिये बापू के रास्ते के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यद्यपि हमारे देश ने और संसार ने अभी इस चीज को नहीं अपनाया है पर तो भी इस में कोई शक नहीं है कि एक न एक दिन मजबूर हो कर उस को उसी रास्ते पर आना होगा और उसे मंजूर करना होगा। इधर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग घबराते हैं कि बापू ने जो कुछ कहा था वह नहीं हो रहा है, वे दुखी होते हैं मगर मेरा अपना विश्वास है कि ये त्रुटियाँ किसी न किसी दिन दूर हो जायेंगी और बापू की जो शिक्षा है वह संसार के सामने आ जायेगी। जिन को उन की शिक्षा में विश्वास है जो उस में श्रद्धा रखते हैं वे रचनात्मक काम करें क्योंकि रचनात्मक काम ही उन को सब से प्यारा काम था। बापू तो सृजनात्मक थे विध्वंसकर्ता नहीं; और उन्होंने सृजन का ही काम किया विध्वंस का नहीं। उन्होंने जो थोड़ा विध्वंस का काम किया भी तो इस लिये कि जनता की उस में भलाई हो, जनता का कल्याण हो, देश की भलाई हो; नहीं तो उन्होंने सृजन करने का ही काम किया। उन का रचनात्मक काम इसी सृजन शक्ति का रूपमात्र है। जो लोग इस रचनात्मक काम में लगे हुए हैं और श्रद्धापूर्वक करते जाते हैं उस में भी उन को ऐसे ही मार्ग का अवलम्बन करना है जिस का स्वप्न बापू देखा करते थे। आप ने इस काम का भार अपने ऊपर लिया है। आप का यही प्रयत्न है कि बापू का जन्मस्थान, क्रीडास्थान, जहाँ उन्होंने अपना बचपन का काल बिताया और जिस स्थान की भाषा में उन्होंने अपनी वाणी में संसार को शिक्षा दी वहाँ यह काम कर के उन की शिक्षा को मूर्तिरूप दें। मैं तो यह समझता हूँ कि आप ने जो यह भार लिया है उसे आप ही वहन कर सकते हैं, दूसरा कोई वहन नहीं कर सकता। क्यों कि पूज्य बापू के साथ आप का जितना गहरा सम्बन्ध रहा उन के अन्तःकरण में जितनी दूर तक आप पहुँच सके दूसरे नहीं पहुँचे। इस लिये बापू के इस काम को इस ढंग से, इस खूबी से, इस चतुराई से और त्याग की भावना से आँसू करना है जिस में वह सर्वव्यापी हो जाये और यदि भारत ने इस भावना को स्वीकार कर लिया तो इस में कोई शक नहीं कि दूसरे देशों में भी इस का फल बहुत तेजी के साथ होगा। सभी कामों के फल के लिये देर तक आदमी को इन्तज़ार करना पड़ता है। छोटे से छोटे काम का भी फल देखने के लिये कुछ ठहरना पड़ता है। किसी भी किसान को जो खेत में बीज बोता है चार छः महीने ठहरना पड़ता है। बीच में उसे फसल की देख भाल करनी

पड़ती है और अन्त में उस को फल मिलता है। इसी तरह बापू ने जो बीजारोपण कर दिया है उस को सुरक्षित रखना और जल दे कर सींचना यह हमारा आप का काम है। आप ने यह काम अपने ऊपर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आप को बल देगा और बापू के आशीर्वाद से आप सफल होंगे।

## राजकोट में सार्वजनिक सभा

ता० १३-५-५१ को आजाद भैदान, राजकोट में सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति जी ने कहा —

श्री धेवर भोई, श्री गंगाल शास्त्री, बहनों और भाइयों,

यह पहला अवसर है जब मैं मोगाष्ट्र में आ सका हूँ। यद्यपि मैं आपके पान्थी गुजरात में और विशेष करके अहमदाबाद में पूज्य बापू के साथ अवसर रहा करता था मगर इन यात्रा के पहले मुझे ऐसा सुअवसर नहीं मिला था कि मैं यहाँ आ सकूँ। इस समय में विशेष करके एक तीर्थयात्री की तरह से यहाँ आया हूँ। यात्रा में मध्य में पहला काम था कि आवा मोमनाथ के मन्दिर की पुनर्स्थापना में शरीक होकर वहाँ जो यज्ञ हुआ उसके थोड़ा सा भाग लूँ। उसके बाद में मैं और जगहों में भ्रम नहीं हूँ। मैंने सोच लिया था कि जयराज में पोखन्दर का, जो गांधी जी का जन्म स्थान है, और राजकोट का, जहाँ उनके बचपन के दिन बीते थे, दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मेरी यात्रा सफल नहीं होगी। आज मैं इन दोनों स्थानों का दर्शन कर सका यह मेरे लिये बड़े मोभाग्य की बात है।

अभी आप का श्री धेवर भाई ने देश की परिस्थिति और विशेष करके मोगाष्ट्र की परिस्थिति के सबब में बातें बताईं। हमको स्वराज्य मिले तीन साल बीते हैं और ये तीन साल हमारे लिये बड़ी मुसीबत के, बड़े काट के रहे हैं। तो भी महात्माजी के आशीर्वाद से और बहनों और भाइयों की कार्य कुशलता से हम इस विपत्ति को किसी तरह निबाह पाये हैं। मुसीबत के दिन कभी न कभी कट ही जाते हैं और अच्छे दिन आते हैं। हम इस आशा में हैं कि जो मुसीबत के दिन अब तक बीते हैं और जो अभी बीत रहे हैं उनके अन्त हो जाने पर हम अच्छे दिन देख सकेंगे।

और शिकायतों के अलावा भोजन का कष्ट देश के लिये सबसे बड़ा महत्व रखता है। देश के कई हिस्सों में अन्न की आज इतनी कमी हो गई है कि इस बात का डर है कि कहीं दुष्काल न हो जाये और हमारे भाइयों को कहीं उससे भी अधिक काट न सहना पड़े जो वे आज सह रहे हैं। इससे बचने के लिये दो ही उपाय हो सकते हैं, अन्न पैदा करने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह कि जहाँ कहीं से अन्न मिले, देश या विदेश कहीं से क्यों न हो, उसको हम लावें और जहाँ अन्न की कमी हो वहाँ लोगों तक पहुँचाये और दूसरा यह कि अपने देश में अधिक अन्न पैदा करें जिसमें हमें विदेशों से अन्न मगाने की जरूरत ही न रहे। अपनी गवर्नमेंट इन दोनों नीतियों के अनुसार काम कर रही है। विदेशों से इस वर्ष में जितना अन्न लाने का प्रबन्ध किया गया है उतना आज तक इस देश में कभी विदेश से अन्न नहीं आया। यों तो बहुत दिनों से देश में अन्न की कमी

रही है अर्थात् हम उतना अन्न पैदा नहीं कर रहे हैं जितने कि हमको जरूरत रहती है। मगर उन दिनों में विशेष करके बर्मा से हमको चावल भी मिल जाया करते थे और तब बर्मा और भारत एक साथ थे इसलिये इस बात को हम कभी महसूस नहीं करते थे। मामूली व्यापार के जरिये जितने चावल की जरूरत होती थी हमारे पास पहुंच जाया करता था। मगर भयंकर युद्ध के दिनों में बर्मा में चावल की पैदाइश कम हो गयी और बर्मा हम से अलग हो गया और वहां से चावल आना कम हो गया। अभी हमको जितना चावल मिलता था उतना नहीं मिल रहा है। अन्न की कमी का एक कारण तो यह है। आप जानते हैं कि जब देश का बटवारा हुआ तो हमारा एक टुकड़ा कट कर पाकिस्तान में चला गया। वह हिस्सा था जहां से हमको बहुत गेहूँ मिल जाया करता था। तो इस बंटवारे का यह नतीजा हुआ कि वह गेहूँ वाला हिस्सा हमारे देश से अलग हो गया और वहां से अब हमको गेहूँ लाना हो तो उसे विदेश समझ कर ही लाना होता है। इस साल में ईश्वर की भी कुछ हमारे ऊपर ऐसी बुरी निगाह रही कि पहले तो अतिवृष्टि हुई, और बाद आयी उसकी वजह से फसल बर्बाद हुई। उसके बाद फिर अनावृष्टि हुई, सूखा पड़ गया और उसकी वजह से भी प्रायः फसल बिगड़ गयी। विशेष करके उस प्रात में जहां से मैं आया हूँ अर्थात् बिहार में तो गेहूँ की फसल भी अच्छी नहीं हुई और आगे मकई की फसल भी अच्छी नहीं होगी जितनी की कि हम आशा कर सकते थे। जब तक अच्छी तरह से ठीक समय पर और हमारी जरूरतों के अनुकूल इस वर्ष भी वृष्टि नहीं होती तब तक वहां के अन्न की स्थिति, वहां की पैदावार सुधरने वाली नहीं है। इसीलिये बिहार में दुष्काल का भय है। मद्रास में भी इधर कई वर्षों से ठीक समय पर वर्षा नहीं होने से उसके एक हिस्से में अन्न की पैदावार कम हो गई है और यह भय है कि वहां भी दुष्काल हो सकता है। इससे बचने के लिये जैसा कि मैं ने कहा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितने अन्न की आवश्यकता हो उतना हम विदेशों से मगाले। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें हमको सफलता मिल रही है। यद्यपि विदेशों से अन्न मगाने में हमको इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं जितने पैसे खर्च करने की शक्ति इस देश में नहीं है तो भी और योजनाओं को रोक करके अन्न की कमी को दूर करना हमारी सरकार अपना प्रथम कर्तव्य समझती है, इसमें जितने पैसे लगे लगाना अपना कर्तव्य समझती है। लेकिन यह सब तो अभी की कठिनाई को दूर करने के लिये हो रहा है। स्थायी तौर पर तो अन्न की कमी तभी दूर हो सकती है जब हम अपने देश में अधिक अन्न पैदा कर सकें। इस वजह से अगर विचार करके देखें तो अन्न की यहां ज्यादा कमी नहीं है। अगर जहां हम १० मन पैदा करते हैं वहां ग्यारह, साढ़े ग्यारह मन पैदा करें तो यह कमी दूर हो सकती है। सभी लोग जिनको खेती का अनुभव है वे कह सकते हैं कि १० मन के बदले में ११ मन पैदा करना कोई असंभव बात नहीं है। थोड़ा अधिक परिश्रम कर लिया जाये तो यह काम हम खाद की मदद से आसानी से पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट का प्रयत्न यही है कि इन तरीकों से इस कमी को दूर किया जाये। मगर इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी प्रयत्न है कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें बरसात के दिनों में बहुत जल आ जाता है और बाढ़ की शकल में खेतों को बर्बाद करते हुए जाकर समुद्र में गिरता है उस जल को बांधकर अपने काबू में रखें जिससे कि जहां जिस वक्त जरूरत हो इस जल को दे सकें और हमारे यहां कृषि की जो कमी है उसको हम दूर कर सकें। इस तरह गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी योजनाएं अपने हाथों में ली हैं जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपये का खर्च है और खर्च के अलावा उनको पूरा करने में समय भी लगता है। जब ये योजनाएं काम में आने लग जायेंगी



और ये बड़े बड़े बांध बनकर तैयार हो जायेंगे, बड़ी बड़ी नहरें जल वितरण करने लग जायेंगी तब जो अन्न की कमी है वह दूर हो जायेगी। पर जैसा मैं ने कहा, उसमें समय लगता है। पर आप यह विश्वास रखें कि अन्न के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

मगर इसके अलावा और भी खराबियां हैं जिनको किसी न किसी तरह हमें दूर करना है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उन सभी जगहों में लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि सब चीजों का दाम बढ़ गया है, और अब भी बढ़ता जाता है और यह कहते हैं कि महंगी इतनी बढ़ गयी है कि वे नहीं जानते कि कैसे उसे बर्दास्त करें। बात सही है। महंगी बहुत है। कम भी नहीं हो रही है। आजकल चीजों के दाम बहुत बातों पर निर्भर करते हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे देश की हालत ही चीजों की कीमत निर्धारित करती है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वे जानते हैं कि यहाँ के खेतों में जो रुई पैदा होती है उसकी कीमत अमेरिका की रुई की कीमत से, यूरोप की रुई की कीमत से, और अब पाकिस्तान की रुई की कीमत से प्रभावित होती है। इसी तरह गेहूँ की कीमत भी ससार के गेहूँ की कीमत से प्रभावित होकर तय होती है। इस देश में चावल भी काफ़ी नहीं होता है, और विदेशों से आता है। इसकी कीमत पर बर्मा, श्याम, चीन आदि देशों के चावल की कीमत का असर पड़ता है। अगर चीजों की कीमत हम काबू में नहीं ला सकते हैं तो हो सकता है कि ऐसा न कर सकने में हमारी त्रुटि भी हो मगर आप यह नहीं कह सकते कि केवल हमारी त्रुटि के कारण ही कीमत कम नहीं हो रही है। सच तो यह है कि आजकल अगर कोई घटना ससार के किसी एक हिस्से में होती है तो उसका असर संसार भर में पड़ता है। इस असर का यह फल होता है कि यहाँ भी चीजों की कीमत कम व बेश घटती या बढ़ती है। इसके लिये जो कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है वह करने का प्रयत्न कर रही है। इसमें मैंने ऐसा लगता है कि अपने देश के सभी लोग मिलकर उसकी मदद करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हद तक उसको काबू में हम कर सकते हैं। ऐसा होना भी चाहिये। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है कर रही है पर अभी असतोष बहुत है। असतोष स्वाभाविक है। मगर उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस चीज को ठीक तरह से समझें कि इन सब चीजों में हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, यदि सभी चीजों पर सरकार का अधिकार होता तो इस बारे में हमारी शिकायत ज़रूर की जा सकती थी। मगर वह स्थिति है नहीं। जिस स्थिति में हम हैं और जो हमारा कर्तव्य है उसे करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कीमतों के प्रश्न के आलावा और भी बड़े बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि हमको जो स्वराज्य मिला है उसकी हिफाज़त, उसकी सुरक्षा हम कैसे करें और इस भार को हम कैसे वहन करें? उसके लिये प्रत्येक भारतवासी का, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान, सिख या पारसी या ईसाई या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कर्तव्य है कि इस देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिये उसको जो कुछ त्याग करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े उसके लिये वह तैयार रहे। सभी देशों के लोग इसके लिये तैयार रहते हैं और सभी देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपने देश के इतिहास को न भूले हम इतने दिनों तक गुलामी में रहे फिर भी अगर हम नहीं चेतें और इस सबक को नहीं सीखें

तो हमको दूसरा कोई बचा नहीं सकता है। इस संबंध में इस देश के रहने वालों को महात्माजी की बात याद रखनी चाहिये। उन्होंने कहा था कि जब सब कोई आपस में मिल जुल कर एक दूसरे के साथ मुहब्बत का वर्ताव करते रहेंगे तभी वे सुख से रह सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे ही देश में जहां कितने ही धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, अलग अलग रहने सहने के लोग बसते हों वहां प्रेम का वर्ताव ही ठीक हो सकता है, दूसरा नहीं। हम किसी भी प्रकार से हिंसा से काम लेगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। इसलिये हमको यह सबक याद करके रखना है। मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में श्रीकृष्ण भगवान और पांडव योद्धा थे। उन्होंने कौरवों को हराया। लेकिन वे ही यादव जब आपस में झगड़ गये तो उनमें से नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। कल जाम साहब हम से कह रहे थे कि एक कोई बच्चा किसी तरह से बच गया था जिससे उनका अपना परिवार निकला है। आप समझ सकते हैं कि जो यादव इतने शक्तिशाली और समृद्धशाली थे, जब उनमें आपस में फूट पड़ी तो ऐसी बुरी अवस्था में पड़ गये कि स्वयं कृष्ण भगवान को भी किसी व्याध ने मार दिया। अर्जुन जब स्त्रियों को लेकर चले तो गांडीव उनके हाथ में था, वही गांडीव जिससे उन्होंने महाभारत युद्ध को फतह किया था। तो भी किरातों ने मारपीट कर उनसे स्त्रियों को छीन लिया और उनका गांडीव कोई काम नहीं कर सका। यह सब इसलिये हुआ कि आपस के झगड़े से शक्ति का ह्रास हो गया था। लेकिन यद्यपि कौरव पांडव आपस में लड़े थे, अपने अधिकार के लिये लड़े थे लेकिन जब दूसरों से लड़ाई की बात आती तो वे यह नहीं समझते थे कि १०० कौरव एक तरफ हैं और ५ पांडव दूसरी तरफ। वे समझते थे कि हम १०५ हैं। जब तक यह १०५ की भावना रही कोई दुश्मन उनको आख नहीं दिखला सका। जब यह भावना दूर हो गयी तो अर्जुन डाकुओं के हाथ लुट गये। यह अवस्था उस समय की थी। इसी तरह बुद्धि नष्ट हुई तो विदेशी आये और उन्होंने अपनी सत्ता जमायी।

आज बहुत दिनों के बाद हमें यह सुअवसर मिला है जब कि सारे भारत को एक छत्र राज्य के अन्दर और एक सविधान के अन्दर लाकर हम सारा काम कर रहे हैं। अभी घेबर भाई ने आपको बतलाया कि सौराष्ट्र में २०५ रियासतें थी जिनको मिलाकर सौराष्ट्र राज्य बनाया गया है। सारे हिंदुस्तान में ५००-६०० छोटी बड़ी रियासतें थी। जब अंग्रेज यहां से गये तो उनके अवीन जितने प्रांत थे उनका अधिकार हमें सौंप गये लेकिन जो रियासते थी उनको ज्यों की त्यों छोड़कर चले गये और इन रियासतों को यह स्वतंत्रता देते गये कि वे यदि चाहें तो हिंदुस्तान के साथ मिलें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिले या चाहें तो स्वतंत्र रहें। अब हमारे सामने यह प्रश्न था कि इन रियासतों को देश के बाकी भाग के साथ मिलाकर और एक सूत्र में बांधकर कैसे एक देश बनाया जाये। लेकिन सरदार बल्लभभाई की बुद्धिमत्ता ने, देशी रियासतों की प्रजा के जोश ने और देशी रियासतों के नरेशों के देश के प्रति प्रेम ने मिलकर भारत को एक सूत्र में बांध दिया। आज से पहिले इतिहास में एक शासन सूत्र के अन्दर इतना बड़ा भारत कभी नहीं था जितना बड़ा आज है। यद्यपि पूर्व और पश्चिम में हमारे दो पंख कट गये हैं और केवल बीच का ही भारत हमारे हाथों में रह गया है तो भी इतना बड़ा भारत एक छत्र छाया में कभी नहीं आया। इतनी जनता, इतने नरेश और इतने काम करने वाले एक साथ मिल कर इस देश की सेवा में जुटे हैं यह हमारे लिये एक बड़ी चीज हुई। आज दुनिया के अन्य देश भारत को इज्जत

की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि दुनियां की उठने वाली शक्तियों में भारत भी एक उठने वाली शक्ति है। अगर ईश्वर चाहेगा तो भारत की शक्ति बढ़ेगी और भारत एक देश हो जायेगा। हम शक्तिशाली इसलिये नहीं बनना चाहते कि दूसरों को सताना चाहते हैं दूसरों को दबाकर हम अपना लाभ उठाना चाहते हैं बल्कि दूसरों को बिना सताये हुए, बिना दूसरों पर अधिकार जमाये हम अपने को और दूसरों को सुखी कर सकेंगे और सारे ससार के अन्दर शांति स्थापित करने में मददगार हो सकेंगे। यह एक बहुत सुन्दर और भव्य भविष्य का चित्र है। हम मानते हैं कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। उसको पूरा करने का तरीका गांधी जी का तरीका है। जो उन्होंने रास्ता बतलाया था उस पर हम चले तो हम यह सब पूरा कर सकेंगे। अफ़सोस की बात है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो रास्ता गांधी जी ने बतलाया था उस पर हम नहीं चल सके, बहुत लोग उससे अलग होते जा रहे हैं। कुछ हद तक यह बात ठीक भी है। बात तो यह है कि गांधी जी ने हमको एक सर्वोदय का रास्ता बतलाया था जिसका अर्थ है सबका सुधार, जिसका अर्थ है कि एक बात में ही नहीं सभी बातों में हमारी उन्नति हो। आज जो लोग अपने को गांधी जी के चेले बतलाते हैं और जो गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं उनसे यह भूल हो जाती है कि वे गांधी जी की किसी एक चीज़ को लेकर समझते हैं कि उनकी सारी शिक्षा उसी में है और जितनी दूसरी चीज़ें हैं वे सब निकम्मी हैं। बात ऐसी नहीं है। उसका नतीजा यह हुआ है कि जिस चित्र को गांधी जी ने अपने सामने रखा था उस चित्र को हम नहीं देख सकते हैं। अभी गांधी जी को गये तीन ही वर्ष बीते हैं। इन तीन वर्षों के बाद भी हम पूरा चित्र नहीं देख पाते हैं। किसी गांव के कुछ अंधों ने एक हाथी देखा। उनमें से किसी एक ने उसकी सूंड छुई, किसी ने उसके पैर छुये, किसी ने कान और किसी ने उसकी पीठ छुई। जिसने सूंड छुई उसने समझा वही हाथी है, जिसने पैर छुआ उसने समझा वही हाथी है, जिसने पीठ छुई उसने समझा कि पीठ ही हाथी है। उनमें से किसी ने न सारे हाथी को छुआ और न समझा। तो हम उन्हीं अंधों की तरह गांधी जी की एक चीज़ को लेकर उसी पर जोर देते हैं कि गांधी जी का जो चित्र है वह सारा उसी में देखा जा रहा है, उसी में उनकी सारी शिक्षा है। अगर कोई चर्खे को लेकर चलता है तो उसी पर सारा जोर देता है और उनकी बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है। अगर किसी को गांधी जी की नयी तालीम से प्रेम है तो उसी में सारा वक्त लगा देना चाहता है और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान के मेल की बात लेकर चलता है तो वह समझता है कि आपस का मेल ही सब से बढ़कर गांधी जी की शिक्षा है और दूसरी चीज़ों में कुछ नहीं है। मगर गांधी जी की सीख में तो सब कुछ है। जब सब चीज़ें एक साथ चलेंगी तभी वह चित्र पूरा हो सकेगा। नहीं तो एक ऐसा चित्र बनेगा जिसका कहीं पैर ही मोटा हो जायेगा तो नाक ही बड़ी हो जायेगी और चित्र ठीक नहीं निकलेगा। तो जो उनका सर्वोदय का लक्ष्य था उस लक्ष्य को अपने सामने रखकर हम काम करे तभी हम सफल हो सकते हैं। सौराष्ट्र में और विशाखर के राजकोट के लोगों में जहां के लोग गुजराती बोलते और पढ़ते हैं, गांधी जी के सबध में कुछ कहना ढिंढाई है क्योंकि उनके ग्रथ गुजराती में, उनके अपने शब्दों में ही मिल सकते हैं और उन्हें आपने पढ़ा भी होगा। मैंने इशारे मात्र से बतलाया है कि यदि हमारे पास अपने देश को मुसीबत से बचाने के लिये कोई चीज़ है और अगर संसार के सामने हम कोई चीज़ रख सकते हैं तो वह गांधी जी की शिक्षा है। यदि उसी पर चलकर हम सर्वोदय का काम करें तो हम सफल हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप जो यहां काम करने वाले हैं वे गांधी जी की बातों को समझते हैं। इसलिये मुझे आशा है

कि गांधीजी की शिक्षा को सारे देश में स्थापित करके आप देश का तथा संसार का कल्याण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो सिद्धांत की बात है या ऐसी चीज है जो हमेशा के लिये है उस पर ध्यान दे कर, सर्वोदय पर ध्यान देकर उत्साह के साथ आप काम करेंगे और देश का कल्याण करेंगे।

मैं जब से सौराष्ट्र में आया आपने बहुत आदर दिखलाया और स्वागत किया है। मैं जानता था कि आप जानते हैं कि मैं गांधी जी का दूर का रहने वाला एक तुच्छ सेवक हूँ और इस नाते आपकी कृपा मुझे मिलती रहेगी। आपने मेरा स्वागत किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

### राष्ट्रीय शाला, राजकोट

तारीख १४-५-५१ को राष्ट्रीयशाला राजकोट में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री नारायणदास भाई, बहनो और भाइयो,

यह आपका शहर तो बापू के बचपन का शहर रह चुका है। इसकी पवित्रता और महता तो बहुत पहले से ही कायम है। उसके बाद १९३९ में जब बापू ने अनशन किया था तो इसी मकान के अन्दर जिस कोठरी को मैं ने अभी देखा है उसी में किया था। इस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है और अब तो आपने सौराष्ट्र भर के लिये रचनात्मक प्रवृत्तियों का अपना केन्द्र यहां ही बना लिया है। इस तरह से यह एक ऐसा केन्द्र बन गया है जहां से रचनात्मक प्रवृत्तियां निकलती हैं और चारो तरफ फैलती हैं और मेरी आशा है कि केवल सौराष्ट्र के लिये ही नहीं बल्कि और जगहो के लोगों को भी आप रचनात्मक काम के लिये उत्साह प्रदान करेंगे। कल मैं ने यहां एक बड़ी सभा में कहा था कि रचनात्मक काम बापू का ऐसा एक काम है जिसके चलने पर और जिसके ठीक तरह से आगे बढ़ने पर केवल इस देश का ही नहीं सारे संसार का कल्याण बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह का समाज पूज्य बापू चाहते थे और जिस तरह की स्थिति वह देश के अन्दर लाना चाहते थे उसको लाने के लिये सब से अच्छा सब से सुन्दर और सब से सीधा तरीका रचनात्मक काम का चलाना है। इसलिये जहां भी मुझ मौका मिलता है मैं इस बात पर जोर देता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि जब वे रचनात्मक काम के किसी एक अंग को लेकर ही नहीं बल्कि सब को मिलाकर आगे बढ़ेंगे तभी वे पूरी तरह से सफल हो सकेंगे। केवल एक चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो उसका फल यह होगा कि उस प्रवृत्ति के जो दूसरे अंग हैं उनको लोग भूल जायेंगे। बापू कहा करते थे कि रचनात्मक काम का केन्द्र बिन्दु उसी तरह चर्खा है जिस प्रकार से सभी ग्रहों के बीच में सूर्य होता है। उनका यह विश्वास अन्त तक बना रहा। हज़ारों हज़ार टीका टिप्पणियां लोगों ने कीं और बड़े बड़े लोगों ने इसी भी उड़ायी पर बापू डिगे नहीं। वह चर्खे को केवल सूत कातने का यंत्र मात्र नहीं मानते थे बल्कि सारे रचनात्मक कामों का दुर्ग मानते थे। मैं समझता हूँ कि लोग उसे अपनाता अपना अर्त्तव्य समझेंगे और इन सब चीजों में श्रद्धा बढ़ायेंगे, प्रेम बढ़ायेंगे और उनको चला सकेंगे। इसलिये आपने जो चर्खे का दान दिया यह आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चर्खा को

अवश्य चलाता हूँ पर मेरे लिये यह कहना कि नियमित रूप से जैसे बापू चलाने थे मैं भी चलाता हूँ ठीक नहीं है। मुझ से वैसा नहीं होता है। बीमार पड़ जाता हूँ तो छूट जाता है, सफ़र में समय नहीं मिलता है। यह संभव है कि सफ़र में समय निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ पर अपनी कमचोरी से, आलस्य से छूट जाता है। पर प्रयत्न तो करता हूँ कि चर्खा चलाऊँ। इतना तो जरूर चलाता हूँ कि कुछ कपड़ा बन जाता है और उसे मैं पहन लेता हूँ। पर जब से गवर्नमेंट हाउस में पहुँचा हूँ या दिल्ली में पहुँचा हूँ तब से कपड़े का खर्च अधिक हो गया है। मुझे याद है कि दिल्ली आने के पहले मैं साल में तीन या चार धोतियाँ, तीन या चार कुर्ते, तीन या चार गंजी के लायक सूत कात लिया करता था और उतना ही पहनता था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती थी। हाँ जाड़े के दिनों में गर्म कपड़ा पहनता था। ऊनी कपड़ा खरीदना पड़ता था क्योंकि यरवदा चक्र पर ऊन की कताई नहीं हो सकती है। यह मामूली काम था। अब धोतियाँ भी अधिक पहनता हूँ। इसका कारण यही है कि पहले अपने हाथ से धोतियों को साफ़ कर लिया करता था। कपड़े के साथ मोह रखता था इसलिये कपड़े बचाकर धोता था। इसलिये कपड़े फटते भी कम थे। अब धोबी से धुलवाता हूँ। धोबी को तो मोह नहीं लगता है। इसलिये अब कपड़े भी अधिक पहनने पड़ते हैं। इस तरह से कपड़े की जरूरत बढ़ जाती है और सूत कातने का समय कम हो गया है। इस तरह ज्यादा नफ़ी की ही तरफ़ जाता है जमा की तरफ़ कम आता है। आपने प्रेम और श्रद्धा के साथ जो चर्खा दिया है उसके साथ साथ एक बोझ भी डाल दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको निभाऊँ। आप इतना विश्वास रखें कि मेरा विश्वास चर्खे के अन्दर है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इससे घबड़ाते हैं, इसको छोड़ना भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि हमारे तौर तरीके में, काम करने की पद्धति में परिवर्तन करने की जरूरत हो। बापू ने इसे सदा किया था। किसी चीज़ को लेकर उन्होंने ऐसा कभी नहीं माना कि उसमें हेर फेर की गुज़ाईश नहीं है। चर्खे के रूप के संबंध में तो उन्होंने बहुत मार्मिक अदल बदल किया और हो सकता है कि बापू रहते तो इस में और भी सोचकर हेर फेर करते। अब तो वह नहीं है। अब आप लोगों का काम है, जिन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसमें समय दिया है, कि सोचें कि इसमें कहाँ पर हेर फेर करने की जरूरत है और अगर जरूरत है तो उसे करने में आपको नहीं हिचकना चाहिये। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसने इस पर कम ध्यान दिया है, जिसने इसके अर्थ को समझा नहीं और खास करके इसके अर्थ शास्त्र पर विचार नहीं किया है उसको यह कहने का हक़ नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है। उसके कहने का कोई असर भी हमारे दिल पर नहीं पड़ता। हाँ ऐसे लोग जिन्होंने इसमें समय लगाया है, इसे कार्य रूप से करके देखा है वे यदि कुछ कहें तो उसका असर दिल पर पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग इस काम में लगे हुए हैं इसको देखें और अगर हेर फेर करने की जरूरत हो तो उसे करने में हिचकें नहीं। आपका जो दूसरा कार्यक्रम चलता है उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सर्वोदय को सामने रखकर सब चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है। आपके सौराष्ट्र में सब से बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट आप लोगों से मिलकर योगदान दे रही है। मैंने सुना है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने रचनात्मक काम का सब भार आप ही पर डाला है। यह बड़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट के हाथों में अधिकार रहता है और साधन भी रहता है। उससे अगर आपको लाभ पहुँचे और आपकी बहू मदद करती है तो यह बहुत सुन्दर है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस रूप से और इतने हृद तक

किसी दूसरे सूबे में रचनात्मक संस्थाओं को गवर्नमेंट ने काम सौंपा हो। गवर्नमेंट से मदद मिल रही है और खास करके वह पैसे की मदद देती है। मगर जहां जहां गवर्नमेंट ने इस काम को हाथ में लिया है वहां सब से बड़ी दिक्कत यह होती है कि गवर्नमेंट के पास इस काम को समझने वाले आदमी नहीं हैं। उनका तौर तरीका दूसरा रहा है। जो इंजीनियर लोग हैं उनका भी ध्यान इस बात पर नहीं गया है। जो सिविल एम्प्लायमेंट के लोग हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो खास करके उस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसका नतीजा यह होता है कि बिना जाने हुए वे कह देते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये यह बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को जो इस चीज को जानते हैं गवर्नमेंट ने इस काम को सौंपा है। आपको दिखलाना चाहिये कि गवर्नमेंट की मदद पाकर कितना काम बढ़ा सकते हैं और जो सुविधा मिली है उससे कितना लाभ पहुंचा सकते हैं क्योंकि आपके पास श्रद्धा है, गुण है और अभ्यास है। और मैं क्या कहूँ। मैं यही आशा रखता हूँ कि रचनात्मक काम आप लोगों के जरिये और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

### जामनगर में नागरिक अभिनन्दन

तारीख १४-५-५१ को जामनगर म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के जबाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

श्रीमन्त राजप्रमुख, जामनगर नगरपालिका के अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्यगण बहनो और भाइयो,

आपने बहुत आदर के साथ मेरा स्वागत किया है और मानपत्र दिया है इसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं यहां पिछले चार पांच दिनों से सौराष्ट्र में फिर रहा हूँ। मैं आया था बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिये, श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग स्थान के दर्शन के लिये, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिये और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के जन्म स्थान, लड़कपन के क्रीड़ा स्थान के दर्शन के लिये ; और यहां आकर दूसरे दूसरे स्थानों में जाकर आप सब भाइयों और बहनो से मिलने का यह सुअवसर मिला यह मेरा सौभाग्य है। आपके इस जामनगर शहर में तीर्थ यात्रा के बाद आज ही पहुंचा हूँ और कल ही मैं दिल्ली चला जा रहा हूँ। मैं जो यहां आ सका हूँ इसमें राजप्रमुख महोदय की बड़ी कृपा है और प्रेरणा है इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ; लेकिन आप लोगों का प्रेम भी ऐसा है जिसकी वजह से यहां आना चाहूँ तो हमेशा आता जाता रहूँगा। काम की बहुतायत के कारण अगर नहीं आ सकूँ तो यह दूसरी बात है पर इच्छा हमेशा आने की रहेगी। इस समय जैसा मैंने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिये ही आया हूँ, राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं आया हूँ। सौराष्ट्र तो सारे के सारे भारत के लिये तीर्थस्थान है। तीर्थस्थान यह प्राचीन काल में भी था और आज भी है क्योंकि जैसे प्राचीन काल में यहां बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुये वैसे ही वर्तमान युग का अवतारी पुरुष भी सौराष्ट्र ने पैदा कर दिया। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्थान में आ सका हूँ।

आप जानते हैं कि इधर जब से हमको स्वराज्य मिला है तब से सारे देश के अन्दर नया संविधान भी जारी हो गया है और उस नये संविधान का अर्थ यही है कि इस देश के सभी लोग चाहे वे किसी धर्म के या किसी भी जाति के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, स्त्री हों या पुरुष हों, जिन लोगों को चुन दें वे ही देश का शासन चलायेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक भारतवासी पर जिसकी अवस्था २१ वर्ष या उससे अधिक है एक बड़ी जवाबदेही आ गई है। इस देश को बनाने और बिगाड़ने का सारा भार उनके सर पर आ गया है क्योंकि जब वे अच्छे अच्छे लोगों को चुनेंगे जो सच्चे हृदय से, निःस्वार्थ भाव से देश की और आपकी सेवा करेंगे तब तो देश का कल्याण होगा और यदि आपने भूल करके स्वार्थी लोगों को चुन दिया तो आपका भी अकल्याण होगा और देश का भी अकल्याण होगा। इसलिये नये संविधान का बड़ा महत्व है और देश के लोगों की परीक्षा अभी थोड़े ही दिनों के बाद होने जा रही है। आपको मालूम होगा कि अगले पांच छः महीने के अन्दर सारे देश में चुनाव होगा और इस चुनाव में जो जो चुने जायेंगे उन्हीं के हाथों में राज्य को चलाने का सारा काम सौंपा जायेगा, चाहे वे सारे देश की तरफ से चुने जाकर दिल्ली में बैठकर सारे देश का काम चलायें या अलग अलग राज्यों में बैठकर वहाँ का काम चलावें। इसी साल आपके यहाँ भी चुनाव होगा। यह चुनाव बहुत बड़े रूप में होने वाला है क्योंकि २१ वर्ष की प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला है और २१ वर्ष या उससे ऊपर के लोगों की जो नामावली तैयार की गई है उस नामावली में १७, १८ करोड़ तक नाम लिखे गये हैं। संसार में चीन को छोड़कर दूसरा कोई देश नहीं जिसकी १७-१८ करोड़ की कुल आबादी भी हो, जन संख्या भी हो। कारण हमारे देश में ३६ करोड़ की जन संख्या है और उन में आधे ऐसे लोग हैं जिनको इस चुनाव में भाग लेने का हक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह चुनाव कितने बृहद् रूप में होगा। इतना बड़ा चुनाव आज तक संसार के इतिहास में किसी भी देश में या किसी भी समय में नहीं हुआ। इस चुनाव का प्रबन्ध करना एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिये कई महीने पहले से तैयारी हो रही है और अगले पांच छः महीने तक तैयारी होती रहेगी तब इसका पूरा प्रबन्ध हो सकेगा। इसमें एक बात को यदि आपको बतलाऊं तो आप समझेंगे कि यह कितना बड़ा काम है। जो नाम लिखे गये हैं वे एक पुस्तक के रूप में छापे जायेंगे। बहुत जगहों पर छप भी गये हैं और छापे जा रहे हैं। इस पुस्तक का आकार यदि आपको मालूम हो तो उससे आप समझ लेंगे कि यह कितना बड़ा काम है और कितने नाम उसमें छपने हैं। मैं ने जब हिसाब लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि फुल्स्केप कागज पर यदि एक पन्ने पर २५ नाम छापे जायें तो इस तरह की पुस्तक कोई २०० गज चौड़ी पुस्तक होगी; तब तब नाम छापे जायेंगे। इस तरह की पुस्तक ही तैयार नहीं करनी है, लोगों के मत देने का सारा प्रबन्ध भी करना है, जगह जगह पर लोगों की मदद करनी होगी। आपने म्युनिसिपैलिटी में वोट दिया होगा तो देखा होगा कि जिनको वोट दिया जाता है उनके नाम के बक्स में कागज डालना पड़ता है। इस तरह से मैं ने सुना है कि १८-२० लाख बक्स बनाये जायेंगे और उतने बक्सों में कागज डाले जायेंगे और करीब उतने ही लोगों को मनोनीत करना होगा जो एक एक आदमी को कागज देकर बक्स में डालने को कहेंगे। न मालूम कितने करोड़ का खर्च इस बड़े काम में है। हमारे देश के लोगों ने वोट देना तो सीखा है पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं। जैसा मैं ने कहा आज तक किसी भी देश में तन्त्र बड़ा चुनाव नहीं हुआ, हमारे देश में तो हुआ ही नहीं। आज तक म्युनिसिपैलिटी या धारा सभा में जो चुनाव होता आया है इसके मुकाबले में उन म क म ही लोगों ने वोट दिया

है। उसका प्रबन्ध आसानी से हो जाता है। अब काम बहुत बढ़ गया है। जैसा मैंने कहा चुनाव तो एक साधन है। चुनाव से ही दूसरे काम लिये जाते हैं और वह काम यही है कि लोग अपनी इच्छानुसार अच्छे आदमियों को चुन लें जो ठीक से उनकी सेवा कर सकते हों। इसी में देश का कल्याण है और इसी कल्याण के लिये यह चुनाव किया जाता है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग जनता की मर्जी से चुने जायें और वे अपना कर्तव्य पूरा करें। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पर जो जवाबदेही आई है उसको अच्छी तरह से समझकर पूरा करने के लिये तैयार हों।

भारत पर आपस में झगड़े और फूट के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई हैं। आज ईश्वर की दया से हम सारे भारत को एक जन तंत्र में लाकर एक संविधान के अन्दर एक छत्र राज्य में मिला सके हैं। इसलिये हमारी जवाबदेही और भी बढ़ गयी है और अब यह सब से अधिक आवश्यक है कि किसी भी मत देने वाले को चाहे वह कोई भी क्यों न हो अपने स्वार्थ या किसी अपने छोटे दल के स्वार्थ या किसी प्रांत के स्वार्थ की तरफ ध्यान न देकर देश के हित को ही ध्यान में रखना चाहिये। सब से ज़रूरी बात यही है कि हम बड़ी चीजों के लिये छोटी चीजों का त्याग करने के लिये तैयार रहें और जैसे जैसे हमारी यह भावना दूर दूर तक फैलती जायेगी, इसका क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जायेगा वैसे ही हम देश का कल्याण अधिक से अधिक कर सकेंगे। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि स्वराज्य मिलने का एक चिन्ह यही है कि हमको नया संविधान मिला है जिसको हमने तैयार किया है, हमारे लोगों ने तैयार किया है और उस संविधान के फल स्वरूप हमारे देश के सभी लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार मिला है। मगर स्वराज्य हमको इसलिये मिला है कि जिसमें हम सारे देश का कल्याण कर सकें और मैं यही कहता हूँ कि सब लोग अपनी जवाबदेही को समझे और देश का कल्याण करने के लिये हमेशा तैयार रहें, स्वार्थ को भूलकर देश को सामने रखकर, जनता को सामने रखकर सब काम करें।

अभी हमारे देश के सामने कठिन प्रश्न है। अन्न का कष्ट इस वक्त देश के कई भागों में है और इस बात का डर है कि वहा द्रुक्काल न पड़ जाये। मगर गवर्नमेंट की ओर से सारा प्रयत्न हो रहा है कि जहाँ से मिल सके अन्न लाया जाये और लाकर लोगों तक पहुँचाया जाये जिसमें अन्न के बिना कोई न मरे। मगर यह तो तात्कालिक बात है। देश से अन्न कष्ट को दूर करना तो हम सब का काम है। इसमें तभी सफल हो सकेंगे जब देश का प्रत्येक किसान जो खेती का काम करता है यह निश्चय करले कि जहाँ वह १ मन पैदा करता है वहाँ वह १। मन पैदा करेगा और इसके लिये जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो, पानी की, अच्छे बीज की, खाद की, अधिक परिश्रम की सब को उन्हें जुटाना चाहिये। गवर्नमेंट इन सब चीजों को देने का प्रबन्ध कर रही है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके सौराष्ट्र में जहाँ चावल कम पैदा हुआ करता था वहाँ इधर थोड़े ही दिनों के प्रयत्न में आपने इतना चावल पैदा कर लिया कि अब आपकी ज़रूरत के लायक चावल पैदा होने लग गया है और मैं आशा करता हूँ कि दूसरे अन्न की जो कमी होगी वह भी थोड़े ही दिनों के अन्दर दूर हो जायेगी। इस तरह से यदि सभी इलाक़ों के लोग अपने लिये जितना अन्न चाहिये पैदा करने लग जायें तो अन्न का कष्ट हमारे देश से दूर हो जायगा। मगर आप जानते हैं कि सभी जगहों पर एक समान सुविधायें नहीं होती हैं। इसलिये सभी जगहों पर पैदावार इतनी आसानी से नहीं बढ़ायी जा सकती है। ईश्वर की दया से मैंने जो भूमि यहाँ



देखी है वह अच्छी मालूम हुई और मैंने यह भी सुना है कि यहां के किसान बड़े परिश्रमी हैं और जल पटाकर या दूसरे प्रकार से काफ़ी पैदा करने का प्रयत्न भी करते हैं। उनमें साहस है, बुद्धि है, इस बात का मुझे अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि उस बुद्धि और साहस का प्रयोग करके वे जितना भी अन्न पैदा कर सकते हों पैदा करें। यह उनके अपने लिये ही नहीं सारे देश के लिये एक बड़ी बात होगी क्योंकि आपकी अपनी ज़रूरत पूरी हो जायेगी और दूसरे लोगों को यहां अन्न नहीं भोजना पड़ेगा। इसलिये आप सब के सब इस प्रयत्न में लगें।

मैं यह भी जानता हूँ कि कपड़े की भी बहुत जगहों में कमी हो रही है और उसके लिये भी प्रबन्ध हो रहा है। रुई की कमी की वजह से और दूसरे कारणों से कपड़े की कमी हो रही है। आशा की जाती है कि थोड़े ही दिनों में यह कमी बहुत हद तक दूर हो जायेगी और कपड़ा मिलने लग जायेगा। मगर आप जो इस प्रांत के रहने वाले हैं जानते हैं कि गांधी जी ने हमको अपनी ज़रूरत भर का कपड़ा तैयार कर लेने की बात समझाई है। आज सवेरे मैं राजकोट राष्ट्रीयशाला में गया था जहां चर्खों के प्रचार की शिक्षा दी जाती है। वहां पर ऐसे लोग हैं जो गांधी जी के साथ रहकर इस चीज को अच्छी तरह से समझ और सीखकर उनके समय से ही इस काम में लगे हुए हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आज मिल का कपड़ा आपके पास पूरा हो या नहीं हो पर किसी को कपड़े की कमी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कपड़े की कमी आप चाहें तो आसानी से थोड़ा समय लगाकर अपने परिश्रम से दूर कर सकते हैं। गांधी जी ने बताया था कि अगर एक आदमी आधा घंटा रोज़ाना नियमपूर्वक चर्खा चलाये तो उसके अपने लिये जितने कपड़े की ज़रूरत होगी उतना सूत वह कात सकता है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं जितना कपड़ा पहनता हूँ अपने हाथ कते सूत का कपड़ा पहनता हूँ और इसमें मुझे कोई विशेष परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती और जब काम करता रहता हूँ तो थोड़ा समय निकाल कर सूत कात लिया करता हूँ और उसी से काम चलता है और जब मैं जेल गया था तब तो इतना सूत होता था कि घोती, थान के अलावा दरी भी बनाता था। आप इसे मन गढ़ंत बात नहीं समझिये। अगर कोई अभी भी इसका प्रयोग करना चाहे तो महीने दो महीने के प्रयोग के बाद देख सकेगा कि हर रोज़ कातने से कितना सूत हो जाता है। तो इसलिये जब कभी मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझ से इस बात की शिकायत करते हैं कि कपड़ा नहीं मिलता है तो मुझे आश्चर्य और दुःख होता है। आश्चर्य इसलिये होता है कि गांधी जी ने २० वर्षों तक चिल्ला चिल्लाकर हमको सिखलाया पर तो भी हम इसे नहीं सीख सके और दुःख इसलिये होता है कि इतना आसान काम हम नहीं कर सकते तो दूसरे काम हम कैसे करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे, यहां जो बड़े बड़े कपड़े के कारखाने चल रहे हैं उन पर भरोसा न करके अपने ऊपर ही भरोसा करना लोग सीखें। आप अपने खेत में अन्न पैदा कर लेते हैं और रोटी घर में बना कर खा लेते हैं; उसी खेत की रुई से बने कपड़े लोग पहनते हैं। ये ही दोनों चीजें हैं जो सब से ज़रूरी हैं। अगर हम खाना और कपड़ा प्रत्येक घर में पैदा कर लें तो फिर हमारा देश सुखी क्यों नहीं होगा? कोई शौक़ की चीजें हों तो उनके बिना कोई मरता नहीं है। मगर इन दो चीजों के बिना लोग मर सकते हैं।

तो इन दोनों चीजों का रास्ता गांधी जी ने हमको सिखलाया था और लोग चाहें तो इन दोनों चीजों की कमी देश के अन्दर नहीं होने दें। आज तो आप समझें कि हम लोग इतने निकम्मे

हो गये हैं कि घर की रोटी भी बन्द होती जा रही है और बिस्कुट तथा इस तरह की दूधरी चीजों की आदत बढ़ती जा रही है। दूसरे देशों से आयी हुई खाने की चीजें अधिक प्रचलित होती जाती हैं और अपने घर में जो सुन्दर भोजन हो सकता था वह हम नहीं पा रहे हैं। आज यह कहना मुश्किल है कि जो दूध लोगों को मिलता है वह दूध है। घी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैं ने सुना था कि बम्बई में जो घी जाया करता था वह काठियावाड़ से ही जाया करता था। मालूम नहीं आज क्या हालत है। मगर इतना जानता हूँ कि बम्बई में जो घी मिलता है वह सचमुच में घी नहीं रहता है। उसमें क्या क्या मिलावट रहती है। इस तरह की मुसीबत हमारे देश में आ गई है कि कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती है। मैं ने सुना है कि बाजार के आटे में भी कुछ फेंटा जाता है। घी में तो फेंटा जाता ही है, तेल में न मालूम कितनी चीजें मिलाई जाती हैं जिसका फल यह होता है कि लोगों में तरह तरह की बीमारी होती है। यहां तक कि चावल में जिसका दाना अलग अलग होता है कंकड़ मिला दिया जाता है। आजकल इस तरह का फेटाफेंट बहुत होता है जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है और इसलिये देश के सभी लोग कमजोर होते जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन सब का उपाय यही है कि जहां तक हो सके दूर से आयी हुई चीजों पर भरोसा छोड़कर अपने घर में ही बनायी हुई चीजों पर भरोसा करें; या आस पास की बनी चीजों पर भरोसा करें क्योंकि आस पास की चीजों में अगर फेटाफेंट होगा तो उसे हम रोक सकते हैं। गांधी जी ने जो हमें स्वावलम्बी होने की बात सिखायी थी, हम स्वावलम्बी इसी तरह हो सकते हैं। हमारे देश के अन्दर आदमियों की कमी नहीं है। ३६ करोड़ की आबादी पाकिस्तान से अलग हो जाने पर भी इस मरतबे जन-गणना में निकली है। तो देश में ७२ करोड़ हाथ हुए, उन में से ६० करोड़ हाथ जरूर ऐसे होंगे जो काम कर सकते हैं। इतने हाथ काम करने लग जायें तो कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है जिसको हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। देश में बड़े बड़े कारखाने बनते हैं। हम समझते हैं कि कि उन से बहुत पैसे कुछ लोगों को मिलते हैं। कुछ मजदूर काम कर सकते हैं उनको भी मजदूरी मिलती है। मगर यह सिद्ध है कि किसी कारखाने में जितना एक आदमी काम करता है हाथ से काम करने पर उसी काम को ७०-८० आदमी पूरा कर सकते हैं। अब कपड़े के कारखाने की बात ले लीजिये। एक कारखाने में एक आदमी जितना सूत कातता है, जितने तकुओं की देख भाल करता है, उतना सूत २०० चर्खों पर कत सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कारखाने का एक मजदूर १९९ चर्खा चलाने वालों को बेकार करता है। धुनाई के काम में मिल का एक मजदूर १८० हाथ से धुनेवाले मजदूरों को बेकार करता है। इसलिये जहां बड़े बड़े कारखाने हैं वहां बेकारी बढ़ती है। इस बेकारी को दूर करने का उपाय यही है कि लोगों को नये नये कामों में लगाया जायें। अभी देश में कोई नया काम मही हो रहा है। नतीजा यह होता है कि बेकारी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि बेकारी भी न बढ़े और हमारा काम भी चले। हमको कारखाने नहीं चाहिये ऐसा मैं नहीं कहता। मगर हमको यह देखना जरूरी है कि कितनी हद तक किस रास्ते से हमें जाना चाहिये। रेल का कारखाना हमें चाहिये क्योंकि हाथों से हम रेल नहीं बना सकते हैं। मगर अपने पहनने के लिये हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं, खाने के लिये चावल कूट सकते हैं। इतना अगर हम मान लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो। हम चाहते हैं कि गांधी जी ने जो कुछ सिखाया उस पर लोग ध्यान दें और गांव के लोग और शहर के लोग अगर चाहें तो अपने लिये सब आवश्यक वस्तुएं तैयार कर सकते हैं और उनको ऐसा करना चाहिये। बड़े बड़े

प्रश्न देश के सामने हैं। हमको देखना है कि हमसे कोई गलती न होने पावे। हमारे यहां जो कमी है उसे हम खुद पूरा कर लें तो हमारी इतनी शक्ति बढ़ेगी कि हम कोई भी काम कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस सोमनाथ के प्रांत को जैसा होना चाहिये उसे वैसा आप बनायेंगे।

### एकलव्य आश्रम

बम्बई के नजदीक काशीमिरा ग्राम में एकलव्य आश्रम में तारीख २६ मई १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्री बाला साहब खेर, श्री पटेल, सेवा मंडल के कार्यकर्तागण, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस केन्द्र को देख सका। जैसा कि अभी बाला-साहब ने कहा, आदिवासियों के काम में मुझे कुछ रस है, बहुत दिनों से रहा है और यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि उन के बीच में रहकर मैं बहुत काम कर सका हूँ पर तो भी जो कुछ बाहर से इस काम में करना सम्भव था मैंने करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है और इस वजह से जब कभी ऐसा सुअवसर मिलता है कि इस काम को स्वयं जाकर देख सकू तो मैं इस बात को खुशी से मंजूर करता हूँ और वहां जाता हूँ। आदिवासियों की संख्या सारे भारतवर्ष में बहुत बढ़ी है और इस में भी कोई सन्देह की बात नहीं कि उनकी अवस्था बहुत बुरी है। इसका दोष हम लोगों पर ही है कि हमने उनको ऐसी अवस्था में आज तक रखा है या रहने दिया है। यही समझकर पूज्य महात्मा गान्धी जी ने आदिवासियों के बीच या इसी प्रकार के दूसरे लोगों याने हरिजनों के बीच काम करने को कहा भी है। उन्होंने लिखा भी है कि जिन लोगों ने, जिस समाज ने इन लोगों के साथ इतनी बेइन्साफ़ी की है और उनको ऐसी अवस्था में रक्खा है उस समाज का यह कर्तव्य और धर्म हो जाता है कि जो कुछ अन्याय या बुरा व्यवहार उन लोगों की ओर से इन लोगों के साथ हुआ उसका वे प्रायश्चित्त करे और उसका रूप यही हो सकता है कि उनकी सेवा करके उनकी अवस्था को सुधारने में जो कुछ उन से बन पड़े वे करें। इस भावना से जब सेवा की जाती है तभी उसका फल हो सकता है और सच्ची सेवा भी वही होती है। हम अक्सर यह भी देखते हैं कि जब कोई सेवा का काम हम शुरू करते हैं तो उस में कुछ थोड़ी सी व्यापारी बुद्धि भी लगाते हैं। उनका यह विचार रहता है कि जब कोई कुछ काम करना चाहता है, कोई पैसे लगाता है, समय लगाता है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिये और मिलता ही है। इसलिये जो सेवा का काम करते हैं वे भी लाभ की आशा रखते हैं अर्थात् अगर वे आदिवासियों की सेवा करते हैं तो उनका खयाल रहता है कि वे उनकी राजनीति में मदद करेंगे अर्थात् वोट देंगे। हमारा अपना खयाल हमेशा यही रहा है कि जब सेवा में इस तरह की भावना आ जाये तो वह सेवा सेवा नहीं रह जाती। वह तो एक प्रकार से सौदा हो जाता है और सौदे की गति यह रही है और आगे भी रहेगी कि जो सौदा करके कुछ पैदा करना चाहते हैं उनको इस बात का भय रहता है कि कहीं कल दूसरा सौदागर न आजाये और उससे पूरा लाभ न ले ले। तो इस तरह के काम में सौदे की भावना आने देने का फल यही होगा कि दूसरे सौदागर कहीं आगये और उन्होंने दिखला दिया की वे बेहतर काम कर सकते हैं तो वह सौदा आपके हाथ से निकल कर उनके हाथ में चला जायेगा। इसलिये जो सच्चे सेवक हैं उनको सौदे की भावना

छोड़कर सच्ची सेवा की भावना को सामने रखकर काम करना चाहिये और यही सच्ची सेवा भी होगी और उसी का अच्छा फल भी होगा। और दूसरे के सामने उदाहरण भी होगा। हो सकता है कि सौदे की भावना से काम करने से कुछ दिनों के लिये अच्छा फल देखने को आवे लेकिन हरेक व्यापारी को दिवाले का भी भय रहता है और रहना चाहिये। इसलिये मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने जो काम यहां शुरू किया है उसमें आपको अच्छे से अच्छे काम करने वाले मिले हैं और बाला साहब के नेतृत्व में ठक्कर बापा से अनुप्राणित होकर वे इस काम को चला रहे हैं और उसी का फल है कि आपके यहां इतना काम हो रहा है और अब आपका रास्ता साफ़ हो गया है।

मैंने कहा कि आदिवासियों की संख्या भारतवर्ष में बहुत बड़ी है। आपके जिले में ही जैसा कि बाला साहब ने कहा उनकी संख्या ३ लाख है। इतने लोगों को सुधारना है, उनको बुरी अवस्था से उन्नत करके ऐसी अवस्था में पहुंचा देना है जिसमें वे भी औरों की तरह सुख से रह सकें। यह एक बहुत बड़ा काम है और यह काम भी ऐसा है कि जो सच्ची सेवा भावना से इस काम को करेगे उनको इस काम में ही संतुष्टि होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आपका काम और जोरों से बढ़ेगा और वह समय जल्द ही आजायेगा जब कि आदिवासियों का कोई ऐसा गांव नहीं रह जायेगा, उनका कोई इलाका ऐसा नहीं रह जायेगा जहां तक आपके सेवक नहीं पहुंचे होंगे और उनकी सच्ची सेवा नहीं करते होंगे। जब हम उनको सुधारने की बात करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के विचार आते हैं। उनको सुधारने का अर्थ क्या है? क्या जैसे हम कोट पतलून पहनते हैं उनको भी पहना दें या जिस तरह से हम सच और झूठ में अन्तर नहीं रखते उनको भी वह सिखला दें? मैं जानता हूं कि कई जगहों में जब इन लोगों का उन लोगो से सम्पर्क हुआ जो समझते हैं कि उनकी संस्कृति अच्छी है तो उनका सुधार नहीं हुआ। इनके चरित्र बनने के बदले में उन जगहों में वे भ्रष्ट हो गये हैं क्योंकि जो वहां गये वे चरित्र नहीं ले गये। हमारे सूबे में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, जैसा कि बाला साहब ने कहा, वहां उनकी संख्या ६० लाख के करीब है और छोटानागपुर तो आदिवासियों से भरा हुआ है। रांची जिले में उनकी संख्या और लोगों की संख्या से अधिक है। रांची में एक डाक्टर है जिनकी उम्र ८० वर्ष की होगी। उसी इलाके में वह काम करते हैं। वह हमसे कहते थे कि ३०-३५ वर्षों का उनका तजुरबा है कि उन में कोई वेनेरियल डिजीज नहीं होता। मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका जीवन बहुत पवित्र होता है और सब चीजों में वे अपने नियम रखते हैं और उनका पालन करते हैं और उनका समाज भी उनसे उन नियमों का पालन कराता है। ठीक उलटा एक दूसरा इलाका है जिसका नाम मैं नहीं कहूंगा। वहां के आदिवासियों में सैकड़ों पीछे ७० लोगों को वेनेरियल डिजीज है। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि उस स्थान के आदिवासियों ने रांचीवाले आदिवासियों की तरह सभ्यता से अपने को दूर नहीं रखा हो। मैं चाहता हूं कि जो हम उनको सुधारने की बात सोचें तो हमारे दिल में यह गर्व नहीं आना चाहिये कि हम उनसे अच्छे हैं, हम उनसे सब बातों में बेहतर हैं बल्कि हमें नम्रतापूर्वक उनकी स्थिति को समझना चाहिये। बहुत बातों में हम पायेंगे कि वे हम से बेहतर हैं और यह भी हम पायेंगे कि बहुत बातों में, विशेष करके पैसे के सम्बन्ध में

उनकी हालत बुरी है। तो जहां उनकी कमी है उसको हमें दूर करना चाहिये मगर ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो उनकी अच्छाई है वह भी दूर हो जायें। उनकी अच्छाई को तो प्रोत्साहन देकर बढ़ाना चाहिये। मैं वकालत किया करता था इसलिये थोड़ा बहुत कचहरी से सम्बन्ध पड़ता था और कुछ उसका अनुभव भी था। आदिवासियों में लड़ाई होती है और एक आदमी दूसरे को मार देता है। मगर जितने मुकदमे उनके होते हैं उनमें अधिकांश ऐसे ही होते हैं जिनमें जो मारता है वह आकर कचहरी के सामने कह देता है कि उसने क्रतल किया है। सचाई को झूठ कह कर अपने को बचाने की कोशिश नहीं करता है। यह तो हमारी सभ्यता का लक्षण या गुण कहिये कि हम सच को झूठ बना सकते हैं। इस बात से वे बचे हुए हैं। यह एक बड़ा गुण है और इस गुण को हम सभ्यता के नाम पर उनसे छीन लें तो यह एक बड़ा पाप होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि हमारे काम करने वाले उनके बीच में इस तरह से काम करें कि जहां उनकी कमी है, दोष है उसे तो दूर करने का प्रयत्न करें और इस तरह से सहानुभूति के साथ सेवा भावना के साथ काम किया जाये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत थोड़े दिनों के अन्दर ही वे कमियां दूर हो जायेंगी। जैसा कि बाला साहब ने कहा, जो जमीन पड़ी रहती है उसमें खेती की जाये तो उसमें फसल बड़ी अच्छी लगती है। उसी तरह से इन लोगों को मीका मिलता है तो उनकी जो नैसर्गिक तीव्र बुद्धि है वह खिल जाती है। अतः जहां तक हो सके हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये जिसमें उनका चरित्र, उनकी बुद्धि विकसित हो। जहां उनकी त्रुटि मालूम हो उसको भरना चाहिये। उनके अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिये और अगर हम सीख सकते हैं तो हमें सीखना भी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इसी भावना से आप यहां काम कर रहे हैं।

आपने उनकी माली हालत सुधारने का जो प्रयत्न किया है वह सफल हुआ दीखता है। जहां थोड़े लोग उनसे बहुत परिश्रम कराकर, उनका शोषण करके बहुत पैसे बनाते थे अब वे पैसे उनको ही मिलते हैं जिससे वे अब सुखी हैं। अभी मैंने देखा कि एक वह घर है जो उनका पुराना घर था और दूसरा वह घर है जो मंडल की ओर से बनाया गया है। उसके देखने से मालूम होता है कि सेवा के काम का क्या फल हो सकता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जो फूस के घर है उनमें से एक भी देखने को नहीं रह जाये और उनके स्थान पर तमाम ऐसे ही घर आदिवासियों के लिये बन जायें। जो कोआपरेशन का काम शुरू हुआ है वह इस तरह से चलना चाहिये कि दूसरे की मदद की आवश्यकता ही उनको नहीं रह जाये। शिक्षा का कार्य ऐसा होना चाहिये जिसमें वे सच्ची शिक्षा ग्रहण करके उससे लाभ उठा सकें।

आपने मुझे यहां लाकर अनुगृहीत किया, कोई उन पर मेहरबानी नहीं की क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह की बातों को देखू। सचमुच बम्बई शहर के लिये यह दृष्टि की बात होती जहां इतना कारबार है, इतना वाणिज्य है, इतना वैभव है, यदि उसके २०-२५ मील के अन्दर इतने गरीब लोग रहें। मैं आशा करता हूँ कि उस शहर का ध्यान इधर जायेगा और यह काम सफल होगा। जो यह काम करते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ।

## भारतीय नौसेना को झंडादान

\* भारतीय नौसेना को बम्बई में झंडादान के अवसर पर ता० २७ मई १९५१ को राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा—

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ तथा मैं यह भी बता दूँ कि भारतीय नौसेना के लिये अत्यन्त गर्व के साथ मैं आपको यह राष्ट्रपति का झंडा आज इस स्थान में प्रदान करता हूँ जो हमारे देश के सामुद्रिक और नौसैनिक इतिहास से गुंथकर बुना हुआ है। बम्बई हमारा मुख्य नौसैनिक शिविर है और जैसा कि नौकाधिपति पेरी साहब ने अभी कहा है यह उचित ही है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में नए युग का प्रवर्तन करनेवाला यह उत्सव यही हो।

इस अवसर पर मैं आपको उन महान उत्तरदायित्वों का स्मरण दिलाता हूँ जो इतिहास ने आपके सर पर रख दिये हैं। आप ऐसे देश के हैं जो दो सहस्र वर्ष से भी अधिक सागर का स्वामी था। उस गरिमामय युग में हमारे देशवासियों ने सामुद्रिक क्षेत्र में जो सफलताएं प्राप्त की उनका पूरा इतिहास अभी लिखा जाना है। किन्तु अब तक जो कुछ प्रकाशित हो चुका है उससे यह स्पष्ट है कि हमारी सामुद्रिक शक्ति का प्रारम्भ यदि पहले नहीं तो वैदिक युग जैसे सुदूर अतीत में हुआ था। ऋग्वेद में ऐसे मन्त्र हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस सुदूर अतीत में भी हमारे देशवासी ऐसी नौकाओं का प्रयोग कर रहे थे जिनमें खेने के लिये सी सी बलिया होती थी और जो विशाल सागर के वक्ष पर तैरती थी। ईसा से पूर्व सातवीं शती में सैकड़ों की सख्या में हमारे जहाज हमारे प्राचीन सामुद्रिक केन्द्रों से जो यहा से कुछ अधिक दूर नहीं हैं—मेरा आशय भारुकच्छ और सूरपारक से हैं— एक ओर बाबुल को और दूसरी ओर सिधल और स्वर्णभूमि को जाया करते थे। महावंश और राजवल्लीय में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट है कि एक ही नौका में सात सात सौ व्यापारी यात्रा किया करते थे। समस्त ससार में हमारा सामुद्रिक बेड़ा हाल के दिनों तक प्रमुख रहा और उसकी गरिमा का इतिहास अनेक स्थलों पर लिखा मिलता है। मध्यकालीन इटली के यात्री प्रसिद्ध मार्कोपोलो ने ऐसे भारतीय जहाज देखे थे जिनके कक्ष में आधुनिक युग का जीवननौकाओं के समान ही दस दस ऐसी नौकाएं लटकी रहती थी जिन्हें पानी में उतारने के लिये अथवा पानी में से जहाज के वाजू में खींचने के लिये उनमें रस्से और औजार भी होते थे; और जिन में मुख्य डेक के अतिरिक्त यात्रियों के लिये ६० कमरे होते थे और जिनमें चार मस्तूल होते थे और १४ ऐसे विभिन्न कोष्ठ होते थे जिनमें पानी न जा सकता था और जो एक दूसरे से ठोस पार्टीशन द्वारा अलग किये होते थे। उन दिनों भारतीय जहाज सब से बड़े और सब से ज्यादा मजबूत माने जाते थे और अपने काम के लिये और दीर्घ जीवन के लिये प्रसिद्ध थे। स्वभावतः ही हमारे इतिहास के प्रारम्भिक युगों में हमारे देश के पास बहुत शक्तिशाली नौसेना ही गई थी। ईसा पूर्व तीसरी शती में मौर्य साम्राज्य में हमें विशिष्ट नौसेना विभाग का जिक्र मिलता है जो साम्राज्य की नौसेना की देखभाल करने के लिये विशेषतया उत्तरदायी था। इस बात को ध्यान में रखकर कि उस युग में भारत ही सर्वप्रमुख सामुद्रिक राष्ट्र था यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्यों की साम्राज्यिक नौसेना बहुत बड़ी रही होगी और शक्तिशाली नौसेना रही होगी जिससे कि वह

भारतीय व्यापारिणी की सागर में सर्वत्र पर्याप्त रक्षा करने में समर्थ रही होगी। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् भी उसके गौरव में कोई कमी न हुई। हमें इस बात का पता मिलता है कि शातवाहन और चोलों की भी नौसेना सबल और महान् थी जिसके बल पर वे स्वर्ण द्वीप में उपनिवेश स्थापित करने में और महान् सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। हमारी नौसेना की गरिमा मध्य युग तक भी बनी रही और डिग्बी के शब्दों में भारत उन दिनों पूर्वी समुद्र का प्रभू माना जाता था। १८११ में बल्टजार सोल्वेन्स नामी फ्रासीसी लेखक ने अपनी पुस्तक ला हिन्दूज में लिखा है कि प्राचीन युगों में जहाज निर्माण की कला में भारतीय बड़े सफल थे; और उसके युग के हिन्दू इस बारे में यूरप के लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकते थे। यहाँ मैं यह भी कह दूँ कि उन दिनों पाश्चात्य जगत के सर्व प्रमुख नौसैनिक राज्य ने इस बारे में लेशमात्र हिचकिचाहट न बरती कि वह अपने जहाजों को अच्छे बनाने के लिये बहुत सी बातें यहाँ से सीख ले। अतः यद्यपि भारतीय नौसेना अपने वर्तमान रूप में अभी कुछ ही दिन पहले अस्तित्व में आयी है तो भी इसके पीछे ऐसी सामुद्रिक परम्परा है जो हमारे राजनीतिक अस्तित्व के आरम्भिक दिनों से चली आयी है। और आप में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि आप न केवल उस परम्परा से परिचित हों वरन् उसके प्रति आपके हृदय में गर्व भी हो। आपके इतिहास की यह अपेक्षा है कि आप उस परम्परा को अपनी पूरी शक्ति के अनुसार इस बात का प्रयास करके निभायें कि आपकी यह सेना एक बार फिर ससार की सर्वोत्तम और सर्व प्रथम नौ सेनाओं में से एक बन जाये।

केवल प्राचीन अतीत का ही दावा नहीं वरन् निकट भूत की भी आपसे यही अपेक्षा है। कुछ दिन पहले तक आप लोगों का उस देश की नौ सेना से घनिष्ठ संबन्ध था जो पिछली कुछ शताब्दियों में सागर का स्वामी रहा है। उस नौसेना के अधिनायकों के अधीन शिक्षा प्राप्त करने का आप का सौभाग्य रहा है। नाथ ही उसके निकट संपर्क में रहकर आपको वास्तविक युद्ध में भाग लेने का भी अवसर मिला है। आप उसके महानायकों की यश गाथा और अमर कृतियों से अनुप्राणित हुए हैं। यह ठीक है कि आप पूर्णतया स्वतन्त्र हैं और हमारे स्वतन्त्र देश की वर्तमान परिस्थितियों तथा हमारे जातीय हितों और आदर्शों और हमारे जातीय इतिहास और जातीय चेतना के अनुकूल आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। किन्तु मुझे विश्वास है कि उस महान् और गौरवशील नौसेना की सुरभि आप के हृदय में सर्वदा बसी रहेगी और आपको इस के लिये अनुप्राणित करती रहेगी कि आप भारतीय नौसेना को महान् और गौरवशाली बनायें।

आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति वैसी लगन की अपेक्षा आपसे सर्वदा ही की जाती है। किन्तु आज जब कि मानव जाति भयानक करार के पतले छोर पर खड़ी है इस बात की और भी आवश्यकता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति मौत से भी बाजी लगाकर अपनी लगन रखने के आदर्श से प्रति क्षण अनुप्राणित बने रहें। आज जब मानव जाति के सर पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं तो यह आवश्यकता है कि इस प्राचीन देश की शांति और स्वतन्त्रता के लिये चिरजागृत और सजग प्रहरी के रूप में दृढ़प्रतिज्ञ होकर आप खड़े रहें। इस देश के हम लोग आज और अनगिनत शताब्दियों से निरन्तर शान्ति के पुजारी रहे हैं। अपनी इस महान्तम गरिमा

के दिनों में भी हमने अन्य देशों या जातियों को अपना दास बनाने या उनका शोषण करने की बात कभी नहीं सोची। अपने देश की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही हम आज चाहते हैं कि सब जातियों को अपने आन्तरिक जीवन का विकास और अपनी राष्ट्रीय सस्कृति की अपनी जातीय चेतना के अनुकूल अभिवृद्धि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। हम हृदय से चाहते हैं कि सर्वत्र शान्ति का राज्य हो जिससे कि मनुष्य अपने को सुजनात्मक प्रयोजनों की पूर्ति में लगा सके।

सब राज्यों में शान्ति और सब देशों में पारस्परिक न्याय की परम्परा को ही आपको अपनाना और बनाये रखना है। आपकी यही आकांक्षा होनी चाहिये कि आप शान्ति और न्याय के सूरमाओं के गौरव को प्राप्त करें। सब शत्रुओं और सब आक्रमणों के विरुद्ध हमारे देश की अटूट लौह ढाल बनने पर ही तथा राष्ट्रों के समाज में क्रान्तिक्रम करने के लिये प्रयत्न करते रहने पर ही यह गौरव आपको प्राप्त होगा। यह मुझे विश्वास है कि अपना अनुपम प्रतिज्ञा और परम्परा के कारण आप इतिहास के इस भार और विधाता की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिये पूरी तरह से योग्य हैं।

सामरिक दलों के लिये इस प्रकार के झड़े का वहन करना कोई नयी बात नहीं है। सच तो यह है कि बहुत पुराने जमाने से किसी भी सैनिक टुकड़ी के लिये झड़ा उसकी सबसे अधिक प्रिय वस्तु रही है। और यह उसकी अपनी निजी आन की बात रही है कि वह न तो किसी शत्रु द्वारा छीना जाये और न शत्रु के हाथ में पडने दिया जाये। इसकी रक्षा के लिये की गई बहादुरी की गाथाएं अमर्य हैं। मैं जानता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी हमारी नौ सेना का प्रत्येक नाविक अपना यह पवित्र कर्तव्य समझना है कि जिस झड़े के तले वह सेवा करता है उसके गौरव में कोई धब्बा न लगे।

भारतीय श्वेत ध्वजा जिसे नौ सेना के जहाजों पर फहराया जाता है साधारणतया किनारों पर नहीं फहरायी जाती। किन्तु मेरे विचार में यह उचित ही है कि जब हमारे नाविक किनारे पर हों तो वे वैसे ही गौरव के साथ किसी झड़े को लेकर चल सकें जैसे के अर्थान कि वे समुद्र पर यशपूर्ण रीति से सेवा करते हैं। अतः इस प्रयोजन से मैं आपको आज राष्ट्रपति का झड़ा भेंट देता हूँ। सन् ३५ से भारतीय नौ सेना राज्य के शिरोमणि के झड़ों को बड़े यश के साथ लेकर चलती रही है। इस झड़े को आपके पास छोड़ते समय मुझे विश्वास है कि आप इसकी सर्वदा रक्षा करेंगे और इसकी चारों तरफ बहादुरी की और भी परम्पराओं की सृष्टि कर देंगे।

### तारापूरवाला मत्स्यालय का उद्घाटन

\*रविवार २७ मई १९५१ को बम्बई में तारापूर वाला मत्स्यालय का उद्घाटन करने के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

इस विशाल नगरी की पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाले इस मत्स्यालय का उद्घाटन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे विश्वास है कि मत्स्य व्यवसाय तथा जलचरों और

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनवाद



जलचर जीवन सम्बन्धी समस्याओं इन दोनों के अध्ययन में ही यह संस्था बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसके साथ साथ ही इस नगर में यह ऐसी नयी सुविधा होगी जिसे कि इसके नागरिक और इसमें आने वाले यात्री दोनों ही बहुत पसन्द करेंगे।

बम्बई नगर का मत्स्य व्यवसाय से सम्बन्ध यदि अधिक नहीं तो इतना तो पुराना है ही जितना कि स्वयं यह नगर पुराना है। पुराने अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि आरम्भ में यह केवल मछरों का गाव था। इसमें शका नहीं है कि अपने जीवन की पिछली शताब्दि में अपने विशाल उदर में इसने बहुत से व्यवसायो और उद्योगों को भर लिया है। किन्तु अपने इस प्रारम्भिक उद्योग से इसका सम्बन्ध आज भी सर्वथा टूट नहीं गया है। आज भी इस महान् नगर की बाहरी बस्तियों से निकलते हुए तथा वर्ष के हर भाग में रोज मछली पकड़ने के लिये समुद्र को जाते मछरे दिखाई देते हैं। मुझे आशा है कि उनके व्यवसाय के लिये प्रारम्भिक बाते उन्हें बता कर यह संस्था उनके लिये उपयोगी सिद्ध होगी। मैं समझता हूँ कि उन्हें मछलियों की आदतों की अथवा जलचरों के प्रकट या लुप्त होने पर धाराओं अथवा ऋतुओं के प्रभाव के बारे में, पर्याप्त जानकारी नहीं होती। मुझे इस बात का यकीन है कि मछरों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कराने में यह संस्था कोई बात उठा नहीं रखेगी जिससे कि वे अपने प्राचीन व्यवसाय को अधिक सफलता और होशियारी से चलाने में समर्थ हो जायें। इस बारे में मैं यह और कहूँगा कि यदि यह संस्था अपनी गवेषणाओं के परिणामों को उन लोगों को, जिन्हें इन परिणामों में दिलचस्पी है, उनकी ही भाषा में बताये—और मुझे भरोसा है कि यह ऐसा करेगी—तो इसकी सेवा कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

भारतवर्ष का लगभग चार सहस्र मील लम्बा समुद्र का किनारा है। आज भारत में बड़ी बड़ी नदियाँ और जलाशय हैं, छोटे छोटे ताल तालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इन मछलियों के बढ़ने के लिये यह सब अत्यन्त मन्दर स्थान है और अन्न की कमी के आजकल के दिनों में भारत भी मछलियों की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वे तो बहुत ही पुष्टिकारक भोजन हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो मछली या मास में परहेज करने हैं किन्तु साथ ही यह भी ठीक है कि इस देश में भी जनता की बड़ी तादाद को मछली खाने में कोई आपत्ति नहीं है। और यदि इन में से अधिकांश को अपने नित्य के भोजन में मछली नहीं मिलती तो उसका कारण यह नहीं है कि उन्हें मछली खाने में कोई आपत्ति या उससे परहेज है वरन् उसका कारण तो यही है कि या तो मछली मिलती ही नहीं और अगर मिलती है तो इतनी महगी कि वे उसे खरीद नहीं सकते। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिये कि हमारी जनता के इतने लोगों को वह खाना ना मिले जिसे वे पसन्द करते हैं। अतः मछली व्यवसाय के विकास की हमारे देश में काफ़ी गुंजाइश है। हमारे पास जो विशाल साधन हैं उनको ध्यान में रख कर यदि मछली क्षेत्रों का वैज्ञानिक और औद्योगिक ढंग पर विकास किया जाये तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में बसने वाले लोगों में से अधिकांश को अत्यन्त आवश्यक पुष्टिकारक भोजन प्राप्त न हो। अतः मछली क्षेत्रों के विकास को मैं इतने ही महत्व का समझता हूँ जितना कि मैं भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खेती के विकास को अथवा गो पालन के विकास को आवश्यक समझता हूँ।

जैसा कि मैंने कहा है यह संस्था समुद्र के जल में तथा जलाशयों के जल में मछलियों के विकास की तरकीब के बारे में गवेषणा करेगी और इस प्रकार बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस संस्था को, जिसके आरम्भ करने का प्रश्न जैसा कि आपने कहा है बहुत दिनों से विचाराधीन था, आरम्भ करना अब सम्भव हो गया है। जैसा कि अभी बताया गया है इस योजना को पूरा करना बहुत कुछ इसलिये सम्भव हो सका है क्योंकि स्वर्गीय श्री तारापूरवाला और उनकी पत्नी ने दो लाख का उदार दान दिया था। श्री तारापूरवाला को बहुत बातों में दिलचस्पी थी और जिस उद्देश्य को वे हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिये आवश्यक समझते थे उसके लिये इतना उदार दान देकर उन्होंने वैयक्तिक दान का ऐसा उदाहरण दिखाया है जिसे हमारे देश के धन सम्पन्न लोगों को अपेक्षा चाहिये। अपनी जमात के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिये आधुनिक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दान की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितनी कि पहाड़िया या मैदान पुराने हैं। और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये स्वेच्छा से दान देने की हमारे लोगों में बड़ी पुरानी परम्परा है। अभी हाल तक यह दान प्रवृत्ति ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिये थी जैसी कि धर्मशालाएं और शिक्षा संस्थाएं चिकित्सा गृह और अनाथालय होती हैं। सार्वजनिक दान की इस परम्परा को हमें अधुण रक्षना है और और भी प्रभावी बनाना है। आवश्यकता तो केवल इतनी है कि इस की दिशा और उद्देश्यों को हम आधुनिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बना दे जैसा कि इस संस्था के बारे में किया गया है।

मुझे इस में कोई शका नहीं है कि जैसे जैसे इस मत्स्यालय का अनुभव और जागरूकता बढ़ेगी और जैसे जैसे इसके काम का विस्तार और अच्छाई की उन्नति होगी वैसे वैसे ही उमे भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जमात की सहायता प्राप्त होगी। मुझे बताया गया है कि इस विषय के बारे में जो अभी विष्कुल गया है और जिसके बारे में हमारे देश में कोई खोज नहीं हुई है विस्तृत गवेषणा करने के लिये जो सुविधायें आवश्यक हैं उन सब का यथा प्रबन्ध नहीं हुआ है और संस्था को और अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे आशा और भरोसा है कि यह अपने काम में जमात और सरकार दोनों की ही सहायता और समर्थन पाने का अच्छा पात्र बन गयी होगी। संस्था की सफलता के लिये मेरी शुभकामना है और मैं इन शब्दों के साथ इसका उद्घाटन करता हूँ।

अपने लिखित भाषण के पश्चात् उपर्युक्त अवसर पर बोलने हुए राष्ट्रपति जी ने यह और कहा—

मुझे इस बात की बड़ी खुशाहली है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस नयी संस्था का उद्घाटन कर सका। जब बाला साहब खेर बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट थी। जहां तक मैंने इस का कारण समझा वह यह था कि वे स्वयं कभी मांस मछली खाते नहीं और यहां पर जो उन्होंने कहा वह केवल मछली खाने की ही बात कही।

लोगों को इस में मज्जाक मालूम होता है। यहां मेरे साथ भी वही बात है। मैं भी उसी समूह में हूँ जिसमें बाला साहब हैं अर्थात् जो मांस मछली नहीं खाते। मुझे खुशी इस बात की है कि इस संस्था के जरिये एक बड़ा काम हो सकता है। हिन्दुस्तान में मांस मछली खानेवालों की संख्या कम नहीं है यद्यपि बाला साहब और उनके जैसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं जो मांस मछली खाते हैं और यदि नहीं खाते हैं तो इसलिये नहीं कि उनको खाने में ऐतराज है बल्कि इसलिये कि उन्हें मिलती नहीं है या उनके पास पैसे नहीं हैं कि वे खरीद सकें। हमारे यहां जितने लोग हैं उनको खाना पहुंचाना जरूरी है और कोई बजह नहीं है कि जो खाना चाहें उनको मछली नहीं मिले। इसलिये उनको देना जरूरी है। इसलिये हमारी नजर में यह जरूरी था कि एक ऐसी चीज बने। हिन्दुस्तान में इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने पोखरे हैं और यहा चार हजार मील समुद्र का किनारा है जहां बेशुमार मछली मिल सकती है और उससे देश के लोगों के खाने में मदद मिल सकती है। इसमें दोनों चीज हैं। एक तो यह संस्था इस शहर के लिये एक ऐसी चीज होगी जिसको लोग रोज रोज देखा करेंगे, जो यहां के लोग हैं वे देखेंगे, जो बाहर से आयेंगे वे देखेंगे और उनको मनोरंजन होगा और साथ ही साथ यह एक अच्छा काम भी होगा जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी खाने की कमी में मदद मिलेगी। जैसा अभी वाला साहब ने कहा, तारापूरवाला के दान के फलस्वरूप ही यह काम हुआ है। आज हिन्दुस्तान में इस प्रकार के दान की बहुत जरूरत है। पहले हमारे यहा लोग दान करने थे और यह पुराना रीति चली आयी है कि लोग दान तरह तरह से करते हैं। जिस तरह का दान होता आया है आजकल की दुनिया में उनकी आवश्यकता तो कम हो गयी है और आजकल की दुनिया के मुनासिबक जो दान होता चाहिये वह हम अभी भी चाहते हैं और लोग दिया भी करेंगे। तो श्री तारापूरवाला ने इस तरह का दान देकर एक अच्छा नमूना पेश किया है और उनको मैं बधाई देना चाहता हू। वह तो अब नहीं रहे किन्तु उनके परिवारवालों को बधाई देना चाहता हू और आशा करता हू कि अभी जो काम बाकी है उसके लिये आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और खास करके जब गवर्नमेंट भी तैयार है तो यह काम रुकेगा नहीं बढ़ता जायेगा।

### भूमि सेना

तारीख ६ जून १९५१ को दिल्ली जिला फमल प्रतियोगिता और भूमिसेना का साहिबाबाद में उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

माननीय मुन्शीजी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं इस उत्सव में शरीक हो सकू। हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है जहां प्रायः १०० में ७० आदमी खेती से ही अपना गुज़ारा किया करते हैं और दूसरे लोग भी बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर रहते हैं। तो भी हमारे लिये यह दुख और शर्म की बात है कि इस देश में अन्न की कमी हो और हमको

करोड़ों करोड़ मन अन्न विदेशों से मंगाना पड़े और उसके लिये असंख्य रुपये देने पड़ें। इसलिये वह काम जिसका यह ध्येय है कि हम अपने देश के अन्न की कमी को दूर करें और अपने लिये पूरा अन्न पैदा करें ऐसा काम है जिस में हर शाब्द को सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं रखनी चाहिये बल्कि उसको पूरी मदद भी करनी चाहिये और इसलिये मैंने बड़ी खुशी से इस बात को मंजूर कर लिया कि आपके इस उत्सव में शरीक होऊँ।

मैं कई बार कह चुका हूँ कि आजकल काठेजों और स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वह इस तरह की है कि जो लोग पढ़कर निकलते हैं वे गांव के लोगों से एक तरह से अलग हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं कि वे विद्या सीखते हैं और गांव वाले शिक्षित नहीं हैं। यह ठीक है कि वे विद्या सीखते हैं और ऐसा होना चाहिये। मगर उनका रहन सहन तौर तरीका, काम करने का तरीका सब अलग हो जाता है। मेरा अपना खास तजुर्बा यही है कि अगर उन लोगों को किसी एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाये जहां शहर के आराम की चीजें मौजूद नहीं हों, शहर में जो सहूलियतें होती हैं वहां न हों तो उनकी जिंदगी कठिन हो जायेगी। १९२०-२१ में जब असहयोग का आन्दोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने यह कहा कि स्कूलों और कालेजों से निकल आओ तो वे लोग जो किसानों के लड़के थे और स्कूलों और कालेजों में पढते थे उनको स्कूलों और कालेजों को छोड़कर इस काम में लगने में दिक्कत नहीं हुई लेकिन वे लड़के जिनके बाप दादे शहर में वकालत करते थे और कलम चलाकर ही अपनी जिन्दगी काटते थे उनके सामने यह सवाल आया कि वे निकलकर क्या करेंगे? ऐसे लड़के कम निकले। मैं यह कहता हूँ कि इस काम में जो यूनीवर्सिटी के लड़के भी लग रहे हैं यह शुभ लक्षण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सिर्फ यही नहीं कि उनका ताल्लुक गांव के लोगों के साथ गहरा हो जायेगा बल्कि उन को खुद भी अपने हाथ पैर को भी चलाने का मौका मिलेगा। आज इस बात की जरूरत है कि पढे लिखे लोग भी सिर्फ अपने दिमाग का ही नहीं, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल भी सीखें। मैं समझता हूँ कि इस में हर तरफ भला ही भला है। किसानों का भला है कि उन्हें पढे लिखे लोगों की मदद मिलेगी, उनकी विद्या का लाभ मिलेगा और उनका अपना भला इसमें है कि वे किसी काम के लायक हो जायेंगे। मैं मानता हूँ कि पढे लिखे लोग भी जो अपने हाथ पैर चला सकते हैं उन पढे लिखे लोगों से बेहतर हैं जो सिर्फ अपने दिमाग को ही चला सकते हैं। जो आपको कार्यक्रम है वह बहुत सुन्दर है।

यह सोचना कि हिन्दुस्तान में १० प्रतिशत अन्न की कमी है हंसी की बात मालूम होती है। इस वक्त जहां तक मैंने सुना है देश में १०० मे १० मन की अन्न की कमी है याने जहां १०० मन पैदा होता है उसके बदले में ११० मन या १० मन के बदले में ११ मन पैदा होने लग जाये तो अन्न की कमी दूर हो सकती है। आप किसान लोग बैठे हुए हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोग थोड़ी अधिक मेहनत करके १० मन के बदले में ११ मन पैदा नहीं कर सकते हैं? मेरा अपना खयाल है कि कुछ खाद देने से, कुछ अच्छा बीज देने से, कुछ पानी देने से और थोड़ा अधिक परिश्रम करने से १० मन के बदले ११ मन आप जरूर पैदा कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लोग चाहेंगे और आपको सुविधा मिलेगी तो यह कमी आसानी से दूर की जा सकती है।

आपने जो गांव में प्रतियोगिता का तरीका निकाला है उससे भी मैं मानता हूँ कि लोगों को लाभ पहुँचेगा। जैसा मुशी साहब ने कहा, हर गांव में अगर २० आदमी २० एकड़ ज़मीन में प्रतियोगिता के लिये धान, गेहूँ और मकई करें और जो इनाम मिलता है उसको हासिल करने के लिये अधिक परिश्रम करके खेती करे तो एक एकड़ में ५ मन ज़रूर अधिक पैदा कर सकेंगे। इस तरह एक गांव में २० आदमी १० एकड़ जमीन में १०० मन ज्यादा पैदा कर सकेंगे और इसी तरह सारे देश को लिया जाये और हिसाब लगाया जाये तो जितनी अन्न की कमी है वह दूर हो जाती है। तो मैं यह आशा रखता हूँ कि इस चीज़ को जिसके लिये प्रोत्साहन भी बहुत है देश भर में बढ़ाया जाये और तब आप को फल मिलेगा।

जो भूमि सेना बनाने की बात आपने सोची है वह भी बहुत सुन्दर है क्योंकि इन लोगों से आशा रखी जायेगी कि किसानों की भलाई के लिये उन तक अपनी विद्या और बुद्धि पहुँचायें और अपने हाथों से मेहनत करके किसानों को साथ लेकर जमीन की तरक्की किस तरह की जा सकती है इस चीज़ को उन्हें बतलाये। ज़मीन की तरक्की में सिर्फ खेती की तरक्की की ही बात नहीं है। उसमें मवेशियों की तरक्की की भी बात है क्योंकि बैल की तरक्की के बिना खेती की तरक्की नहीं हो सकती और आदमी को दूध की भी ज़रूरत होती है। इसलिये दूध और अच्छे बैल के लिये ज़मीन की तरक्की बहुत ज़रूरी है और अन्न और मवेशी की तरक्की से हम खाने की निहायत ज़रूरी चीज़ों को मुहैया कर लेंगे। खेती से ही तिलहन, गन्ना, कपास सभी चीज़ें मुअस्सर होती हैं और खेती में उन्नति होने से हम जितनी तादाद में इन चीज़ों को चाहेंगे ये मिल सकती हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी जो यह सेना बन रही है वह ज़मीन किस तरह अच्छी से अच्छी बनायी जा सकती है, उससे किस तरह ज्यादा से ज्यादा अपने लिये और देश के लिये नफ़ा निकाला जा सकता है इन सब चीज़ों को गांव वालों को पहुँचायेगी और लोगों की मदद के लिये काम करेगी। नयी ज़मीनको जोतना, जो ज़मीन पहले से जोत में है उसकी तरक्की करना और जो ज़मीन ऐसी है जिसमें खेती नहीं हो सकती है उसको दूसरे किसी काम में लाना, जिस ज़मीन में खेती होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पैदा हो सकती हैं इन बातों को किसानों तक पहुँचाना इस सेना का काम है। इसमें जो पढ़े लिखे भाई, जो यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं उन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वे ऐसा न समझें कि जो गांव के किसान हैं उनसे उनकी अपनी अक़ल बढ़ी चढ़ी है क्योंकि सारे किसान लोग खेती का काम जानते हैं। आज का नहीं हजारों वर्षों का तज़ुर्बा हमारे किसानों को है। वे लोग इनसे भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। जो आज दुनिया में और दूसरे देशों में अनुसंधान का काम हो रहा है उस का तज़ुर्बा पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर मिला है, पर किताबों को पढ़ कर उन्होंने तज़ुर्बा हासिल किया है और जो तज़ुर्बा काम करके हासिल किया जाता है वह उससे बड़ा होता है जो किताबों को पढ़ कर हासिल किया जाता है। इसलिये मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वे किसानों से मिलजुलकर काम करेंगे और जो चीज़ें उनको किसानों से मिल सकती हैं उनको वे सीख लेंगे और अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी तरक्की की जा सकती हो तो उसे वे उनके पास पहुँचा देंगे। इस तरह से यदि काम होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह काम तेज़ी से चलेगा। मैं आप सब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस काम को शुरू किया है। यह दिल्ली के नज़दीक का इलाका है और आपको जो सुविधाएँ

प्राप्त है वे दूर जगहों पर नहीं है। यहां पर, आपके मुन्शी साहब भी आ गये, सरदार दातार-सिंह भी आ गये, संसद् के कुछ सदस्य भी आ गये और आपने मुझे भी बुला लिया। तो इन सब लोगों की मदद आपको मिल सकती है। और जगहों में यह संभव नहीं है। इसलिये आप ऐसा नमूना बना जायें जिसमें सारा देश आपका अनुकरण करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम को आप तनदेही के साथ, उत्साह के साथ करेंगे और सारे देश के लिये नमूना बन सकेंगे। मैं एक बार और आप सब को बधाई दे कर समाप्त करता हूँ।

### वन महोत्सव

दूसरे वनमहोत्सव के अवसर पर तारीख १-७-५१-जुलाई को दिल्ली यूनीवर्सिटी में राष्ट्रपति जी ने कहा—

माननीय मुन्शी जी, डा० सेन, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस वनमहोत्सव में शरीक होने का मौका दिया है। यह दूसरी बार है जब मैं इस वनमहोत्सव में शरीक हो रहा हूँ। जैसा मुन्शीजी ने कहा, पिछले साल राजघाट में यह काम शुरू हुआ था और इस साल आपकी यूनीवर्सिटी में किया जा रहा है। मेरे खयाल में इस मूलक में आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, जहां तक का इतिहास लोगो को मालूम है, गाछों के लगाने का सिलसिला चला आ रहा है और हमेशा से इसे लोग बड़ा जरूरी और पुण्य का काम मानते आए हैं। हमारी तरफ गांव में अगर कोई किसी से खेरियत पूछता है कि तुम्हारा हालचाल कैसा है तो हमेशा ही वह यह भी जरूर पूछता है कि खेती बाड़ी कैसी है। खेती बाड़ी के माने हैं खेतों में अन्न की फसल का होना और बाग बगीचे लगाना। जो भी किसान होता है या जमींदार होता है और जिसको थोड़ी भी जमीन रहती है वह उसमें से कुछ में तो अन्न पैदा करता है और उसके थोड़े हिस्से में बाग बगीचे लगाता है। उस बाग बगीचे से उसको फल भी मिल जाते हैं और जलावन की लकड़ी भी मिल जाती है। जैसा मुन्शीजी ने कहा अगर सब किसान अपने खेत में बाग बगीचे लगावे तो उससे वर्षा लाने में भी मदद मिलेगी और जमीन भी न कटेगी। क्योंकि जहां पर ऐसा नहीं होता है वहां अक्सर देखा जाता है कि नदियों के बहाव की वजह से और बरसात में अधिक वर्षा होने से जमीन कटती है और वह जमीन बर्बाद हो जाती है। आप दिल्ली से अगर ग्वालियर की ओर जायें तो आप देखेंगे कि बहुत जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो पहाड़ की तरह मालूम होती है। वहां एक टीला है जो उठाव और गिराव की तरह है जिसका बहुत हिस्सा जमीन ही देखने में आता है। वह जो जमीन है वह कोई खराब जमीन नहीं है। वहां जो मिट्टी कटती है उसका कारण ही यह है कि मिट्टी वहां की अच्छी है। ऐसी अच्छी जमीन पानी के बहाव से कट जाती है। लाखों बीघे जमीन, मैं समझता हूँ कि उससे भी अधिक कितने लाख बीघे जमीन, नदियों से कटकर खाली पड़ी है। हम उसमें कितना अन्न पैदा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि जहां आबादी कम थी जमीन पर उतना दबाव नहीं था और इसलिये सब जमीन आबाद नहीं की गयी सबमें खेती नहीं

हुई, बाग बगीचे लगाये नहीं गये और उस ज़मीन की देखभाल नहीं हुई और इसलिये वह ज़मीन कट गयी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जायेगी, उसकी ज़रूरत बढ़ती जायेगी। इसलिये इस वनमहोत्सव का काम शुरू किया गया कि पहले तो इस तरह की ज़मीन को आबाद कर लिया जाये और फिर यह भी सोचा जाये इसे कटने से कैसे बचा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला कर यह वनमहोत्सव का काम शुरू हुआ। यह खुशी की बात है कि गत साल जितने पेड़ लगाये गये थे उनमें से बहुत बच गये हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अभी डाक्टर सेन ने कहा कि यहां ज्यादा पेड़ तो नहीं लगाये गये लेकिन जितने लगाये गये वे सब के सब बचे हैं और बढ़ रहे हैं। पेड़ लगाने से यह कम ज़रूरी नहीं है कि उनकी देखभाल की जाये, उनको पानी दिया जाये, उनको सर्दी और गर्मी से बचाया जाये जिसमें उनको ताकत हो जाये और आगे से वे अपने को बचा सकें। कुछ दिनों के बाद उनको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन शुरू में जिस तरह से बच्चे का पालन ज़रूरी होता है उसी तरह से पेड़ का पालन भी ज़रूरी होता है। यूनीवर्सिटी में जो यह काम हो रहा है जैसा डाक्टर सेन ने कहा, अगर एक एक आदमी यहां एक एक पेड़ लगाये और उसकी देखरेख अपने ऊपर ले ले तो बहुत पेड़ लग जायेगे। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। यह काम जो यहां शुरू होता है वह यहां के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये है।

बहुत बहुत धन्यवाद।

### राष्ट्रपति भवन में वनमहोत्सव

वन महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में वृक्षारोपण के समय ता० १-७-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

यह वनमहोत्सव का काम पार साल भी हुआ था और इस साल भी हमने किया। गाछों का लगाना और उनका पालना हमारे देश की पुरानी प्रथा है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दो-ही चीजे हैं जो किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकती हैं। एक का नाम है कल्पवृक्ष और दूसरे का नाम है कामधेनु। यानी एक पेड़ है और दूसरी गाय। इन्हीं दोनों से लोगों को सब कुछ मिल सकता है। यह विश्वास आज का नहीं है हमेशा से रहा है। इसी विश्वास के अनुसार वृक्ष लगाना बड़े पुण्य का काम माना गया है। आवश्यकता होती है तो हम जंगल को ही काटते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है जंगल को काटना ज़रूरी होता है क्योंकि लोग ज़मीन चाहते हैं और ज़मीन तो अन्न पैदा करने के लिये चाहिये ही। लेकिन जब तक वृक्ष नहीं होते पानी नहीं बरसता है। मैंने दिल्ली के बारे में सुना है कि जब मैंने दिल्ली में वृक्ष लगे हैं तब से ज्यादा पानी बरसना शुरू हो गया है। यानी २५-३० वर्ष के अन्दर ही ऐसा हुआ है। यही बात और जगहों में भी है। इसीलिये पहाड़ों और जगलों में जहां वृक्ष अधिक होते हैं पानी बरसता है। हमारे देश में जन्तु-कायिकारी ज़रूरी है वृक्ष भी ज़रूरी है। इसलिये ज़मीन की हिफाजत के लिये और फल पैदा करने के लिये अधिक से अधिक वृक्ष लगाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें समझदारी की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिये कि जो वृक्ष लगाये जायें उनसे फायदा भी हो और जहां नुकसान हो

वहाँ न लगाने चाहिये। जहाँ काफ़्तकारी अधिक ज़रूरी है वहाँ वृक्ष नहीं लगाने चाहिये। कहीं फल के वृक्ष की कमी है कहीं छायादार वृक्ष की कमी है। वहाँ वैसे ही वृक्ष लगाने चाहिये। इस तरह से हमें समझबूझ कर काम करना है। यहाँ जो गवर्नमेंट हाउस में वृक्ष लगाया गया वह तो दिखलाने के लिये हुआ। जो गावों के रहने वाले हैं उनको इस काम को अपनाना चाहिये और समझबूझ कर वृक्ष लगाने चाहिये। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि परसाल जिस सफलता से काम हुआ उससे भी अधिक सफलता इस काम में हो क्योंकि परसाल दो तिहाई वृक्ष मर गये। उनको मरना नहीं चाहिये। मुझे उम्मीद है कि इस साल दो तिहाई वृक्ष ज़िन्दा रहेंगे और जो ज़िन्दा रहे उनसे हमें फल भी मिलेगा। फल खाने के लिये वृक्ष लगाने वालों में से कितने ही नहीं रहेगे लेकिन जो रहेगे उनको फल मिलेगा। ऐसे ही दुनिया का काम चलता है। मैं आशा करता हूँ कि देश और जनता के हित के खयाल से यह वृक्षारोपण का काम फल जायगा और सभी लोग उससे लाभ उठायेंगे।

### राष्ट्रपति भवन में ईद

ता० ६-७-५१ को राष्ट्रपति भवन में ईद के अवसर पर मुसलमान कर्मचारियों तथा उनके बच्चों से राष्ट्रपति जी ने कहा—

भाइयो, बच्चो और बच्चियो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस मुबारक दिन पर आप सब भाइयों और बच्चों से एक साथ मिल सका। यह खयाल जब आया तो मैं ने सोचा कि मेरे लिये यह मुमकिन शायद नहीं हो कि मैं घर घर में जाकर हर घर में ईद मुबारक कहूँ लेकिन यह मुमकिन था कि आप सबको यहाँ ही इकट्ठे करके जिस तरह से आप लोग दूमरी जगह में आज मिले थे उसी तरह से मिल कर सब को मुबारकवाद दे दूँ। एक महीने तक रोजा करने के बाद यह खुशी का दिन आता है और इसमें हिन्दुस्तान के सभी लोग चाहे वे मुसलमान हों या नहीं हों मिल कर खुशियाँ मनाते हैं और आज जब हिन्दुस्तान की सल्तनत का तरीका बदल गया है और यहाँ एक जम्हूरियत कायम हो चुकी है और प्रजातन्त्र के सब लोग मिल कर काम कर रहे हैं तो जो खुशी और गम का मौका हो उसमें सभी को शरीक होना चाहिये। हिन्दू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, पारसी हो या और कोई हों, एक दूसरे के दुःख और सुख में, खुशी और गम में एक दूसरे को शरीक होना चाहिये और गवर्नमेंट के लिये भी उसमें हिस्सा लेना मुनासिब और वाजिब है। यही सोचकर मैं ने यह इन्तजाम कराया और आपको तकलीफ देकर यहाँ बुलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साल आज से शुरू हो रहा है वह हिन्दुस्तान के सभी वाशिन्दों के लिये खुशी खुशी गुज़रेगा। बहुत मुसीबतों में हो कर हम गुज़रते आये हैं और अभी बहुत मुसीबतों का सामना करना बाक़ी है। मगर जब सब एक साथ मिल कर किसी मुसीबत का सामना करने को तैयार हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत हल्की हो जाती है और दूर हो जाती है। हिन्दुस्तान में जो हमने अपने लिये कायदा तैयार किया है उसमें साफ़ साफ़ लिख दिया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले जितने लोग हैं चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो, चाहे वे कोई भी जवान बोलते हों,



वे सभी हिन्दुस्तान के हैं और हिन्दुस्तान उनका है और हर एक आदमी की खिदमत पर, उनकी जान व माल पर हिन्दुस्तान का हक है। इसलिये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जिनका खास ताल्लुक गवर्नमेन्ट हाउस से है इस जवाबदेही को खासतौर से महसूस करते ही होंगे, दूसरे लोग जो यहाँ या दूसरी जगहों पर हैं वे भी इस जवाबदेही को महसूस करेंगे जिसमें मुल्क का काम आसानी से, आराम और सहूलियत से चलता रहे। एक बार और मैं आप लोगों को मुबारक-वाद देकर समाप्त करता हूँ।

### ईद

ता० २२-७-५१ को इम्पीरियल होटल में ईद की दावत में राष्ट्रपति जी ने कहा—

हजरत,

मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज यह मौका दिया कि आप सब से मिल सकूँ और आपको मुबारकवाद दे सकूँ। इस मुल्क में जब मुस्लिफ मजहब के मानने वाले मुस्लिफ जवान के बोलने वाले लोग वमन हैं तो यह लाजिमी है और हमारे लिये यह जरूरी है कि ऐंमे हर मौके पर हम सब मिल सकें और मिल कर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें। इसलिये जब कभी ऐसा मौका होता है और खास करके त्यौहार के मौके पर हिन्दू, मुसलमान और दूसरे मजहब के मानने वालों का इकट्ठा होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा तरीका है कि सब तरह के लोग ऐंमे मौके पर इकट्ठे हों और एक दूसरे से मिले और मिल कर के आपम के ताल्लुकात अच्छे करें। आप जानते हैं कि यह देश बहुत दिनों के बाद आजाद हुआ है। आजादी हासिल करने में सबका हिस्सा रहा है। आजादी हासिल करने में जो दिक्कतें थी वे काफी थीं। मगर आजादी का कायम रखने में जो दिक्कतें हैं वे आजादी हासिल करने की दिक्कतों के मुकाबले में कम नहीं हैं, अगर ज्यादा नहीं हैं तो बराबर हैं। इस लिये हममें से हरेक के लिये यह लाजिमी होता है, हममें से हरेक का यह फर्ज होता है, कि उस आजादी को कायम रखें और हममें से हरेक अपने फर्ज को समझे तभी हम मुल्क की आजादी कायम रख सकेंगे।

आजादी सब पूछिये तो उस ही कह सकते हैं जिसमें हरेक शरूस आजाद हो। जिसमें एक आदमी या एक जाति दूसरे लोगों पर रोब जमाना चाहे वह आजादी नहीं है। आजादी के माने हैं कि हम में से हरेक आदमी आजाद हो चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी जगह का रहने वाला हो, चाहे किसी जवान का बोलने वाला हो और वह आजाद ही नहीं रहे बल्कि यह महसूस करे कि वह आजाद है। तभी वह सच्ची आजादी हो सकती है। आज जो मुल्क अपने को आजाद रखते हैं उनमें जितने लोग बसते हैं उनसे मुल्क की आजादी को कायम रखने के लिये जो भी मांग की जाये उसको पूरा करने के लिये वे तैयार रहते हैं। तभी वे आजादी को कायम रख सकते हैं।

मैं जानता हूँ कि इस देश में जहाँ इतने लोग बसते हैं कभी कभी आपस के तफ़रकात हो जाते हैं। दो भाई भी आपस में लड़ते हैं। इस तरह की छोटीमोटी बातें हुआ करती हैं और हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी लेकिन सारे मुल्क को अपना मुल्क समझना और आजादी के लिये

कुर्बानी करना एक दूसरी चीज है। जो रोजाना की जिन्दगी के तफरकात है उनका उससे कोई खास ताल्लुक नहीं है। इसलिये मे तो यह चाहता हूँ कि इस मुल्क के हरेक रहने वाले को मुल्क की आजादी प्यारी हो। इसलिये इस तरह का मौका निहायत जरूरी होता है क्योंकि आपस के मेलजोल से ही आपसी मोहब्बत बढ़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी मौका आयेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मौका नहीं आयेगा, तो हमारे मुल्क के हरेक शख्स के मोहब्बत की जाच होगी और इम्तिहान में सभी अब्बल दर्जे में पास होंगे और हममें से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिस के मोताल्लिक कहा जाये कि वह मुल्क के अलावा किसी दूसरी चीज से मुहब्बत करता है। मैं चाहता हूँ कि हममें से हरेक इस चीज को महसूस करे। यहाँ आप लोग थोड़े हैं, कोई जमात मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके आप नुमाइन्दे हैं वे सभी इस चीज को महसूस करेंगे और जब कभी ऐसा मौका आये तो हम देख लेंगे और दुनिया देख लेंगी कि कितनी कुर्बानी हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का मौका हमेशा आया करेगा जिस पर हम सब मिल सकें।

बहुत बहुत शुक्रिया।

### प्रेसीडेन्ट्स स्टेट टूर्नामेंट

ता० २४ अगस्त १९५१ को सध्या समय प्रेसीडेन्ट्स स्टेट टूर्नामेंट के इनाम बाटते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे फिर एक बार अच्छा खेल देखने का मौका मिला। मुझे याद है कि गतवार बहुत ही अच्छा खेल देखने का मिला था पर उस मरतबे तीन दिनों तक खेल देखने का मिला था लेकिन इस मरतबे पहले ही दिन खेल खत्म हो गया। इसका मुझे अफसोस नहीं है, हा इस बार उतना खेल नहीं देख सका। और मौका आयेगा तो देख लूँगा। इस बार भी आपने अच्छा खेल दिखलाया है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इस काम में लगे रहें और आपका देखकर दूसरे नौजवान भी इस काम में लगे और तयार हों और यहाँ ही नहीं दूसरे मुक्तों में भी इस खेल में नाम पैदा करें। अभी तक यह हमारा फ्रक है कि दूसरे दूसरे मुक्तों में और और खेलों में हमारे लोगों ने नाम हासिल किया है। हाकी में तो हमारे खिलाड़ी अभी तक हारे ही नहीं हैं और मैं चाहता हूँ कि फुटबाल में भी हमारे खिलाड़ी इसी तरह से नाम पैदा करें और अगर हमारे नौजवान इसमें लगे रहेंगे तो यह कोई कठिन बात नहीं है।

आज के खेल में जो जीते हैं उनको मैं मुबारकवाद देता हूँ मगर जो दूसरे लोग हैं उनको भी कम मुबारकवाद नहीं है क्योंकि आखिर तक पहुँचना आसान बात नहीं है। बहुत खेल जीतकर आखिर तक पहुँचना पड़ता है। यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पारसाल इनाम जीत लिया था उन्होंने इस साल दूसरों को लेने दिया है और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस बार लिया है वे आगे साल दूसरों को लेने देंगे जिसमें दूसरों को भी मौका मिले और दूसरे भी अच्छे अच्छे खेल दिखला सकें।

मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।

## उस्मानिया विश्वविद्यालय का समावर्तन

उस्मानिया विश्वविद्यालय के विशेष समावर्तन समारोह में राष्ट्रपति जी ने कहा—

आपने जो मुझे इज्जत बरूशी है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही इस की कद्र करूँगा क्योंकि यह इस विश्वविद्यालय ने मुझे बरूशी है। यह हमारे देश का सब से पहला विश्वविद्यालय है जिस ने हमारे देश की भाषाओं में से एक को शिक्षा का माध्यम ही नहीं बनाया बल्कि जिस ने विज्ञान और कला सम्बन्धी सभी विषयों पर किताबें लिखवाने और छपवाने के बारे में भी बड़ा तामीरी काम किया है। अपने तरीके पर और शिक्षा माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा की अपनी सीमाओं के अन्दर जो काम यहां हुआ वह मुझे काफी हिम्मत बधाने वाला लगा। इस सवाल में मैं ने उसी वक्त से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी जब से कि मैं ने सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेना शुरू किया था। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बारे में अब जनता में काफ़ी जागृति हो गई है और आज कल आमतौर पर शिक्षा शास्त्री और पढ़े लिखे लोग यह मानते हैं कि अगर हमारे तालीम के काम में किसी तरह की ग़ैर ज़रूरी और बचाए जा सकने वाले समय या ताक़त की बर्बादी नहीं होनी है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा देशी भाषाओं में दी जाये। फिर भी हम ने अपने सामने जो उद्देश्य रख छोड़े हैं उन के प्राप्त करने के लिये भाषानीति के सम्बन्ध में हमारे लोगों के कुछ तबकों के विचारों में काफ़ी धुंधलापन है।

आपकी अनुमति से मैं यहां उमी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इस देश में हर एक यह जानता है—कम से कम मैं यह चाहता हूँ कि हर एक शख्स यह जाने—कि जिस संविधान को भारत की प्रभुता सम्पन्न जनता ने अपनी संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया है उसके अधीन हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस देश में लोकतन्त्रात्मक समाज की स्थापना करें अर्थात् ऐसा समाज क़ायम करें जिस में हर एक इन्सान और हर एक जमात को अपनी शक़्सियत में छुपी हुई सारी खूबियों को उभाडने और हासिल करने के पूरे पूरे अधिकार और अवसर हो और जिस में उन में से हर एक को सघ और राज्य की सरकारों की नीति के बनाने में औरों के बराबर ही मौक़ा हो। शिक्षा माध्यम या माध्यमों की बात सोचते समय हम सब को अपने इस लाज़िमी कर्तव्य को अपने ध्यान में बराबर रखना चाहिये। यह कहने की मुझे आवश्यकता नहीं कि शिक्षा खुद बड़ी ताक़त है और कम से कम इस से महरूम शख्स को न तो अपने पूर्ण विकास का ही और न अपने देश और इलाके की सरकार की नीति और कामों पर ही प्रभाव या अच्छा असर डालने का ही कोई मौक़ा मिल सकता है। इसलिये यह बात साफ़ तौर पर जाहिर है कि शिक्षा के तरीके और ज़रूरतें दोनों ही चाहियें जो एक आदमी को दूसरे आदमी या एक जमात को दूसरी जमात के मुकाबले में किसी तरह का बेजा फ़ायदा पहुंचाते हों।

इस तरह जाहिर है कि प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की अर्थात् हर प्रकार की शिक्षा हर एक अच्छे-खासे बड़े भाषावादी जमात के लोगों को उनकी अपनी भाषा ही द्वारा दी जानी चाहिये। तभी दूसरे जमातों के मुकाबले में उस जमात को शिक्षा के लाभों को प्राप्त करने में ज़्यादा समय, रुपया और ताक़त खर्च न करनी पड़ेगी। और दूसरी किसी तरह की नीति का परिणाम यही होगा कि उस जमात के मुकाबले में, जिसकी भाषा में इसके बच्चों को शिक्षा

लेनी पड़ती है, यह जमात किसी क्रम बुरी हालत में पड़ जायेगी। इसका मतलब यही है कि हर भाषावार इलाके में नीची से लेकर ऊंची से ऊंची शिक्षा उसी इलाके की भाषा में दी जानी चाहिये।

पर साथ ही मैं यह बात भी जोरदार शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ऐसा करना तभी सम्भव होगा जब कि भाषावार जमात अच्छी खासी बड़ी हो और एक ही खास अलग इलाके में बसी हुई हो। दूसरे इलाकों में के मुस्तलिफ हिस्सों में, बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में बिखरे हुये लोगों की सब से नीचे दर्जे की शिक्षा के अलावा और तरह की शिक्षा के बारे में यह माग जायज नहीं हो सकती कि उन इलाकों की सरकारें उनके बच्चों की मातृभाषा में उन की हर तरह की शिक्षा का प्रबन्ध करें। इस तरह की माग के आर्थिक और अन्य प्रकार के नतीजों का अन्दाजा सहज लगाया जा सकता है। भारत के भली प्रकार से जाने हुए भाषावार इलाकों में से हर एक में दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग छोटी बड़ी संख्या में मिलते ही हैं। अगर इस माग के मुआफिक उन इलाकों में के इन हर भिन्न भाषा भाषी लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिये उस इलाके के हर स्कूल, हर कालेज और हर विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रबन्ध करना पड़े तो जाहिर है कि बेहिसाब खर्च होगा। साथ ही राजनीतिक दृष्टि से यह मुनासिब होगा कि किसी इलाके में इस तरह के दूसरी जवान वाली जमात के बिखरे हुए इनेगिने लोग उस इलाके के लोगों से अलग बने रहने और ऐसे विभेदों को, जिन से उन के चारों ओर के लोगों की बहुत बड़ी संख्या को उन से द्वेष और गलतफहमी हो सकती है, बनाये रखने के बजाय उन लोगों में घुल मिल जाये। आर्थिक और राजनीतिक अमलियत के इस पहलू को लोग ठंडे दिल से समझ ले तो इस देश की भाषा की उलझन बड़ी हद तक दूर हो जायेगी।

हर इलाके की भाषा का ऐसा विकास होना है और उसके साहित्य के भंडार को इस तरह बढ़ाना आवश्यक है कि वह आधुनिक और प्राचीन यानी हर प्रकार के ज्ञान का अच्छा वाहन और भरा पूरा खजाना बन जाये और हर इलाके की सरकार या सरकारों का यह कर्तव्य है कि जहां तक कि सरकार के किये करायें कुछ हो सकता हो वहां तक वे इस तरह के विकास में सहायता करे और प्रोत्साहन दे। यह किसी भी भाषा की मौजूदा शकल और शब्दावलि की बुनियाद पर ही आगे तामीर करने से और दूसरी देशी भाषाओं से सहज और स्वाभाविक रीति में ही जो खूबिया अपनानी जा सकती हों उन से इस भाषा को सजाकर ही यह काम सब से अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस तरह की भाषाशुद्धि की कोई कोशिश कि शब्दों, मुहावरों या किन्हीं व्याकरण के नियमों का बहिष्कार केवल इसी कारण से कर दिया जाये कि वे बाहर से उधार आ गये थे और शुरू में उस स्रोत में नहीं निकले जिससे कि वह भाषा स्वयं निकली है महज नाकामयाब ही न होगी बल्कि भाषा को भी गरीब बना देगी। इसके अलावा हमें तो अब अपनी ताकत को हर तरह से सहेज कर इसलिये रखना है कि हम उसे अपने देश से गरीबी और अशिक्षा के मिटाने के जरूरी कामों में लगा सकें और इसलिये हम उस को ऐसे किसी काम में, जो अगर गड़बड़ करने वाला नहीं तो बिल्कुल गैरजरूरी तो है ही, खर्च नहीं कर सकते। ऐसी भाषा शुद्धि के पक्ष में मुझे तो कोई भी वजह दिखाई नहीं देती क्योंकि आखिर जवान तो महज जरिया है और अगर किसी लफ्ज को जनता बखूबी समझती है तो कोई वजह नहीं कि उस को इसी आधार पर निकाल बाहर किया जाये कि वह विदेशी है। इसके अलावा

भाषा की बढ़ोतरी तो ऐसी दिशा में होनी चाहिये जिसमें कि वह अपने इलाके के अधिकांश लोगों को मान्य हो और उनकी समझ में आती हो। उसकी कथावस्तु, उसकी शैली, उसका शब्दकोष, साधारण जनता के जीवन और बोली के ज्यादा से ज्यादा नज़दीक होने चाहियें। मेरा यकीन है कि समाज की और सस्थाओं के समान ही भाषा को जनता की गोद का सहारा लेने से काफी फ़ायदा होगा।

इलाको की भाषाओं के विकास और बढ़ोतरी की बड़ी आवश्यकता के अतिरिक्त एक और सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। हमारा देश बहुभाषा-भाषी देश है। हमें एक ऐसी आम भाषा की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम मुस्लिफ इलाकों में और राष्ट्रीय मामलों में कारबार चला सके। पूरे सोच विचार के बाद सविधान सभाने यह निश्चय किया कि वह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा है और सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये उसके अकों का रूप अन्तर्राष्ट्रीय अकों का ही रूप होगा। यह सर्वसम्मत समझौता था और सब लोगों के हितों की समुचित सुविधा का ध्यान रख कर के किया गया था। मेरो समझ में किसी शरूस या जमात के लिये यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि इस निर्णय से उस के या उस की जमात के हितों को किसी तरह का नुकसान होगा। इस सम्बन्ध में मैं समझता हू कि मेरे लिये यही कहना काफी होगा कि हर भाषावादी इलाके को शिक्षाव्यवस्था में सघभाषा हिन्दी के पढाने का प्रबन्ध रहना चाहिये। इस बात को खाम तौर से कहना इसलिये जरूरी है कि अहिन्दी भाषा-भाषी लोग इस बारे में किसी तरह से दूसरे लोगों के मुकाबले में अपने को किसी कद्र खराब स्थिति में न पाये। अहिन्दी भाषा-भाषियों की शिक्षा व्यवस्था में कंमे और किम दर्जों में हिन्दी शिक्षा को दाखिल किया जाये इस बात को किना देर किये तय कर लेना चाहिये और जो भी योजना तय पावे उस को अमल में लाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये जिस में कि सविधान ने जो मियाद मुकर्रर को है उस के खत्म होते होते हम सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये अग्रेजी के किना भी काम चला सके। इस राज्य में तीन भाषायें हैं जो लगभग अलग अलग इलाकों के लोग बोलते हैं और यह राज्य इस बात की बड़ी कोशिश करता रहा है कि उर्दू का पूरा विकास किया जाये। मैं उर्दू को उस भाषा की, जिसे सविधान ने सघभाषा मान लिया है, एक शैली या तर्ज और रूप ही समझता हू हालांकि इसकी अपनी लिपि और अपना अलग शब्द भंडार है। इसलिये इस राज्य को इस बारे में वैसे ही कुछ सवाल मुलजाने हैं जैसे कि बहुभाषी सारे देश को मुलजाने हैं। अपने भिन्न इलाकों की तीन भाषाओं से भिन्न एक भाषा को राज्य की जरूरतों के लिये काम में लाने में तर्क्की करने का इस राज्य को सीभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ इस तरह जो तर्जें हुए उनकी हिफाजत करनी चाहिये और उनसे जो भी फायदे और सबक मिल सकते हैं लेने चाहिये। मैं यह महसूस करता हू कि हमारे लिये ये बड़े काम के साबित होंगे क्योंकि हम इस बुनियाद पर आगे काम बढ़ा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय का यह फ़र्ज और यह खुशकिस्मती है कि वह इस बुनियाद पर ऐसी इमारत बनाये जो इसकी इज्जत बढ़ाये और जिससे हमारे देश का पूरा फ़ायदा हो।

मैं आप लोगों का एक बार फिर इस सम्मानीय डिग्री अता फ़रमाने के लिये शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी यह चाहना है कि यह विश्वविद्यालय दिन रात तर्क्की करे और कामयाबी हासिल करे।

## हैदराबाद में राजभोज

\*हैदराबाद में ३० अगस्त १९५१ को राष्ट्रपतिजी के सम्मान में दिये गये राजभोज के अवसर पर, श्रीमन्त निजाम के स्वागत भाषण के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहे:—

श्रीमन्त ने और इस राज्य की सरकार और जनता ने जो मेरा हार्दिक स्वागत किया है उसके लिये मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हर्ष और प्रेम का यह स्वाभाविक प्रदर्शन यह प्रकट करता है कि इस राज्य की जनता और शेष भारत की जनता का हृदय एक ही है। मेरी दृष्टि में तो इस राज्य की जनता और भारत के अन्य प्रदेशों के नर नारियों में, चाहे फिर वे कितने ही निकट या दूर क्यों न हों, जो एकता है वह कल की ही बात नहीं है, वह तो उनमें सहस्रों वर्षों से है। पिछली शताब्दियों में इस विशाल देश के विभिन्न क्षेत्रों से नैतिक और सांस्कृतिक धाराएं फूटी और उनका जीवनदायी जल समस्त भारत में फैल गया। जिस प्रकार एक ही जीवनदायिनी जलधारा अनेक प्रकार की फसल और पौधों, फूलों और पुष्पों को रस और जल प्रदान करती है उसी प्रकार प्रथाओं और पहनावों, भाषा और संस्कृति के बहुरंगी दृश्यों को यह एक ही सामान्यधारा चेतना और दीर्घजीवन प्रदान करती है। इन्में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और जातियों को ऐसी एकता में बाध दिया है जो यद्यपि हवा में भी अधिक पतली है तथापि इस्पात से भी अधिक मजबूत है। निःसंदेह मन और आत्मा की यह एकता कला और इमारतों, साहित्य और दर्शन, सामाजिक दृष्टिकोण और नैतिक विश्वास, इन सब में विभिन्न रूपों में व्यक्त हुई है। जैसा कि श्रीमन्त ने अभी कहा है उस सामान्य आत्मा की कलात्मक अभिव्यजना के कुछ समूर्त रूप इस राज्य में भी पाये जाते हैं। मैं अपना यह मौभाग्य समझता हूँ कि उनको देखू क्यों कि वे तो ऐसी सुन्दर खिडकिया हैं जिनमें से हमें उस महान् कीर्ति की झाकी मिलती है, जिसे सामूहिक उद्देश्य और सृजनात्मक प्रयासों की इस धारा में अनुप्राणित और आन्दोलित होकर हमारे देशवासी अर्जित कर सके हैं। एक प्रकार से उनके द्वारा इतिहास यह घोषणा करता है कि भारत की आत्मा यहाँ भी उमी प्रकार वाम करती है और विराज रही है, जिस प्रकार कि वह हिमाच्छादित हिमाचल पर्वत पर अथवा भागर मज्जित कन्याकुमारी में है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस सामूहिक और सृजनात्मक प्रयास में अनुप्राणित होकर श्रीमन्त और हैदराबाद की सरकार और जनता भी उस काम को पूरा करने में निरन्तर लगे रहेंगे जिसको कि इतिहास और स्वतन्त्रता ने हम सब के कंधों पर रख दिया है।

मुझे यह जान कर वास्तविक मनोप हुआ है कि इस दिशा में यह राज्य अग्रसर हो रहा है और यहाँ आवश्यक सुधार भी किये गये हैं और यहाँ शान्ति और व्यवस्था के बनाये रखने में भी पर्याप्त सफलता मिली है। इस कार्य के लिये मा० मुख्य मंत्री श्री एच० के० वेलांडो और उनके माननीय सहकारी तथा श्रीमन्त निजाम साहब जिन्होंने उनसे सहयोग किया है, प्रशंसा के पात्र हैं। किन्तु तो भी हम में से कोई एक क्षण के लिये भी काम में ढील नहीं डाल सकता। आज यदि सरदार पटेल, जिनके महान् राजनय के प्रति श्रीमन्त ने अभी अभी अपनी उदार और स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, हमारे साथ होते तो उस अपूर्व धीर वीर नाविक के दक्ष हाथों में राज्य की नौका की पतवार छोड़ कर हम कुछ अधिक निश्चिन्त रह सकते थे। भारतीय एकता के उस

महान् निर्माता के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि हम उनके काम को पूरा करके ही दे सकते हैं। आप को तो ज्ञात ही है कि इस राज्य की जनता के कल्याण की उनको कैसी चिन्ता थी।

हमारे सामने भारत की सांघिक एकता को दुढ़ करने का ही काम नहीं है, वरन् इस देश के प्रत्येक राज्य में हमें लोकतन्त्र की भी स्थापना करनी है। जैसा कि श्रीमन्त ने अभी अभी कहा है आज से कुछ मास पर्यन्त साधारण निर्वाचन होंगे। प्रभुता सम्पन्न जनता ने जो संविधान अंगीकृत किया है उसको कार्यान्वित करने के लिये वह उनके द्वारा अपनी इच्छा को साक्षात् रूपेण प्रगट करेगी। मुझे देश की जनता में और उसकी सहिष्णुता और न्याय परायणता में पूरी पूरी श्रद्धा और विश्वास है। अतः मुझे यकीन है कि साधारण निर्वाचन हमारे देश में व्यवस्था और प्रगति के युग का आरम्भ कर देगा। जहा तक सघ सरकार का सम्बन्ध है वह सघ के अंगभूत राज्यों में से प्रत्येक के प्रति अपने सांविधानिक कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करती रहेगी और श्रीमन्त को मैं यह आश्वासन दिलाता हू कि भारत के संविधान के अधीन रह कर वह सब कुछ करेगी जिससे कि हैदराबाद की जनता और उसकी सरकार जीवन के सब क्षेत्रों में अग्रसर हो।

समाप्त करने से पहले मैं श्रीमन्त के उन उदार विचारों के लिये धन्यवाद देना हू जो उन्होंने मेरे प्रति प्रकट किये हैं। मेरा यह सीमास्य रहा है कि मुझे अपने देशवासियों का प्रेम और आदर भरपूर मात्रा में मिला है। उनके प्रेम और आदर का भास ही तो मुझे उन उत्तरदायित्वों को वहन करने की शक्ति प्रदान करता है जिन को कि उन्होंने मुझे सौंप दिया है। मैं श्रीमन्त को यह विश्वास दिलाता हू कि यहा आने की मीठी स्मृति मुझे सर्वदा रहेगी।

देवियों और सज्जनों, इन शब्दों के साथ मैं आगम कहूंगा कि आप श्रीमन्त राजप्रमुख के स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिये रसपान करे।

### विद्यार्थियों को उद्बोध

ता० ३०-८-५१ को उस्मानिया युनिवर्सिटी के आर्ट्स कांजेज के सामने दीक्षान्त समारोह के बाद इकट्ठे हुए विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रपति जी ने कहा—

भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों में मिलने के लिये थोड़ा मौका मिला। आप जानते हैं कि इस यूनीवर्सिटी ने हिन्दुस्तान में सब से पहले देशी जवान, देशी भाषा में तालीम देने के लिये कदम उठाया है। इसके लिये इसने मिर्क पढाई का ही इन्तजाम नहीं किया है बल्कि ज़रूरी किताबों का तर्जुमा करा कर उनके छपवाने का भी इन्तजाम किया है जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब इस बात को सब मानते हैं कि हिन्दुस्तान में तालीम अपनी मादरी जवान में होनी चाहिये और इसे भी सब लोग मानते हैं कि नीचे से ऊंचे दर्जे तक तालीम अपनी भाषा में ही होनी चाहिये और सभी सूबों में अपनी अपनी यूनीवर्सिटियों में लोग अपनी भाषा में जो कुछ सीखना हो सीखें। आपको यह भी मालूम है कि हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है उसमें तय कर दिया है कि १५ वर्षों के बाद हमारे सब काम देशी भाषा में होने चाहियें। अभी कई सूबों ने वहा की जो भाषा है उसमें काम शुरू किया है। लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार में जहा सब जगह के लोग काम करते हैं और सब हिन्दी में काम नहीं कर सकते हैं वहां अंग्रेजी में ही काम होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हू कि १५ वर्षों के अन्दर हिन्दी का इतना प्रचार हो

जायेगा और इतने लोग हिन्दी समझने और बोलने लग जायेंगे कि हमारे सब काम हिन्दी में होने लग जायेंगे। जो काम सारे हिन्दुस्तान को करना है उसमें आपकी यूनीवर्सिटी मदद कर रही है। यों तो जवानों से कहने के लिये बहुत सी बातें हैं लेकिन उसके लिये यह मौका नहीं है। इस मौके का तो यूनीवर्सिटी से ताल्लुक है इसलिये मैंने उसी के मुताल्लिक आपसे दो शब्द कहना उचित समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूनीवर्सिटी ने जो काम शुरू किया है उसमें आप मदद करेंगे।

### हैदराबाद में नागरिक अभिनन्दन

हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरपालिका की ओर से दिये गये मान-पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने ता० ३०-८-५१ को कहा—

हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरपालिका के सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

जब से मैं आपके शहर में पहुँचा हूँ आपने जो मुहब्बत और प्रेम दिखलाया है और जिस तरह से आपने मेरा आदर और स्वागत किया है उसके लिये मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस वक्त यहाँ के कारपोरेशन ने जिन लफ्जों में मेरा स्वागत किया है उनके बारे में इसके सिवाय मैं क्या कह सकता हूँ कि यह सब उनके प्रेम और मेहरबानी का सबूत है।

यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हाल ही में आपके यहाँ यह कारपोरेशन कायम हुआ है और थोड़े ही दिनों में उसके यहाँ पर जितने सदस्य हैं उनको सब लोगों ने बालिग मताधिकार से चुनकर अपने इस कारपोरेशन का कारबार सुपुर्द किया है। हिन्दुस्तान इस वक्त प्रजातन्त्र का एक बड़ा प्रयोग कर रहा है और करने जा रहा है। अभी डेढ़ साल हुये आपने एक नया सविधान इस देश के लिये तैयार किया और उस सविधान के मुताबिक आप सारे देश का काम चलाने लग गये हैं। उस संविधान में जो सबसे बड़ी चीज मेरी समझ में कही गयी है वह यह है कि इस देश के सभी लोगों को चाहे वे देश के किसी भी हिस्से के रहने वाले हों, स्त्री हों या पुरुष हों, सब को बराबर अधिकार और अख्तियार है और उसी फ़ैसले के मुताबिक यह तय हुआ है कि नया चुनाव सारे मुल्क में हो जो थोड़े ही दिनों के बाद होगा। आज से चन्द महीनों के अन्दर केवल हैदराबाद में ही नहीं, इस राज्य के अन्दर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर के गाँव गाँव में और शहर शहर में लोगों से यह उम्मीद की जायेगी और लोगों को बुलावा दिया जायेगा कि सभी स्त्री पुरुष, जिनकी उम्र २१ वर्ष की हो, आकर अपने नुमाइन्दे चुने। यह इतना बड़ा तजुरबा है, इतना बड़ा प्रयोग है, जितना बड़ा ससार भर के आजतक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको शायद मालूम होगा कि इस चुनाव में १७ से १८ करोड़ तक आदमी भाग लेंगे और चार हज़ार से भी ज्यादा जगहों के लिये उम्मीदवार खड़े होंगे और जिनको सब लोगों का मिला कर अपनी राय देकर चुनना होगा। उन्हीं लोगों के हाथों में हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के जितने अलग अलग राज्य हैं उनका कारबार चलाने का भार पूरी तरह से सौंपा गया है और हम यह उम्मीद करते हैं कि इस अधिकार को लोग ऐसी खूबी के साथ बरतेंगे जिस में अच्छे से अच्छे सच्चे और ईमानदार लोग जो लोगों के सेवक हों चुन कर आवें और जो सचाई के साथ देश की सेवा के लिये, मुल्क की बेहतरी के लिये काम करें। आपने उसका थोड़ा तजुरबा



तो हाल ही में किया है जब आपने इस कारपोरेशन के सदस्यों को वोट देकर चुना। इसी चीज को बहुत बड़े पैमाने पर सारे मुल्क का काम चलाने के लिये एक बार बरतना होगा और सारे मुल्क के लोगों को बरतना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क में आज भी लोगों के दिलों में ऐसी जागृति है और लोगों में देश की खिदमत के लिये ऐसी लगन है कि वे अच्छे से अच्छे आदमियों को चुनेंगे जो उनकी सच्ची सेवा कर सकेंगे।

यह हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें बहुत धर्म के मानने वाले बहुत जवान के बोलने वाले और बहुत रस्म व रिवाज के बरतने वाले लोग बसते हैं और ऐसे लोगों के लिये जैसा महात्मा गांधी कहा करते थे एक ही रास्ता ही सफलता है और वह रास्ता यह है कि सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर रहे, एक दूसरे पर विश्वास और ऐतबार रखे, एक दूसरे की मदद के लिये हमेशा तैयार रहे और यह तभी हो सकता है जब हम सच्चे दिल से अहिंसा को मानें। कहीं भी किसी शकल में भी एक दूसरे पर जबरदस्ती करने का खयाल नहीं रखें। यह चीज हिन्दुस्तान में आज भी नहीं है बहुत जमाने से हमारे लोगों ने इस चीज को कायम रखा है। दुनिया के इतिहास में कोई भी मिमाल नहीं मिलती जहाँ धर्म के मामले में जमा इस देश का वर्तव रहा है वैसा रहा हो; उमी सहिष्णुता और रवादारि के साथ लोग एक दूसरे के साथ वर्तव करते रहे हों। इस चीज को आज और भी हमारे सविधान में बतल दिया है और उसी के मुताबिक हमको काम करना है।

हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ दिल्ली में जो हमारे पुराने रीतिरिवाज है वैसे ही मिश्रित रीतिरिवाज है जिनको यहाँ के नवाबों ने ही नहीं हमारे बुजुर्गों ने, फकीर और औलियाओं ने कवियों ने और लिखने पढ़ने वालों ने सबों ने मिल कर बनाया है। अगर इस चीज को हम कायम रखें तो देश का भला होगा और हम तरक्की कर सकेंगे। जैसा कि मैं ने कहा, हैदराबाद उसी तमद्दून की निशानी है जिसे आज कायम रखना जरूरी है। हम उम्मीद करता है कि कारपोरेशन के लोग ही नहीं, तमाम लोग इस बात में लगे रहेंगे जिसमें यह चीज कायम रहे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हमारी बदकिस्मती से इगमे थोड़ा खलल पड़ गया। कोई जख्म हो जाता है, चाहे वह जख्म किसी के शरीर पर हो या दिल में हो तो उसके अच्छा होने में थोड़ा समय लगता है। मैं जानता हूँ कि जो थोड़ा बहुत जख्म लग गया है उसके आगम होने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ का काम चल रहा है और चलेगा उसकी वजह से लोग इस चीज को एक सपने की तरह से भूल जायेंगे और जिस तरह आपस में मिलजुलकर रहा करते थे और देश की तरक्की का खयाल किया करते थे उस तरह से रहने और देश का भला करने का इरादा रखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आपका शहर इस बात को दिखलाता है; इसकी चौड़ी और साफ सड़कें, इसकी इमारतें, इन सब चीजों से मालूम होता है कि किस तरह यहाँ के लोग बराबर मिलते जुलते रहते हैं। यों तो यह सारे हिन्दुस्तान की कैफियत है लेकिन आज हमारी बदकिस्मती से जो फर्क हो जाता है उसको दूर करना हमारा और आपका फर्क है। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे सविधान ने इस बात का इरादा कर लिया है कि चाहे जो भी मुसीबत हम पर आये उसका मुकाबला हम सब मिल जुल कर करेंगे और हमारे मुल्क के सभी बहन और भाई यह इरादा जाहिर कर

रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई मुद्रांकन आया, चाहे वह बाहर से आये चाहे किसी और किस्म की हो, उसका मुकाबला सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी बल्कि देश के सभी वाणिज्य, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से के रहने वाले हों, सब मिलजुलकर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस हैदराबाद के रहने वाले इस जिम्मेवारी को महसूस करते होंगे और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर कर्मा ऐसा वक्त इम्तिहान का आया तो आप सब उसी तरह से अब्बल दर्जे में पास होंगे जिस तरह से और सूबों के लोग पास होंगे ।

मुल्क के सामने यों सवाल बहुत हैं और बहुत तरह की मुर्मायतें रहीं हैं और जब मैं हम आजाद हुए मुर्मायतों का ठिकाना ही नहीं रखा । एक पर एक में आवत आती रहीं हैं । ईश्वर की दया में उनमें से बहुतों का हल किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जा मुर्मायतें आने वाली हैं उनको भी हम हल कर सकेंगे ।

सब से बड़ा सवाल देश में जो गरीबी फैल रही है उसको हटाने का है; देश में जो तालीम की कमी है उसको दूर करने का है, जो हमारे कारखाने चलते थे और जिनमें से बहुत धन्य हो गये हैं उन्हें आज की दुनिया को देखते हुए नहीं शकल में चलाने का है । एक जमाना था जब कि दुनिया के और मुल्कों के लोग हिन्दुस्तान के लोगों की कला कौशिल्य, यहाँ के कारखानों को देखकर इज्जत किया करते थे । यहाँ इतना धन था जिसकी वजह से यहाँ दूर दूर के देशों के लोग आया करते और उसमें हिस्सा बटाया करते थे । लेकिन बदकिस्मती में हम गरीबी में पड़ गये । सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि इस मुल्क में जहाँ खेती का ही लोग ज्यादा काम करते हैं वहाँ अन्न के लिये लोगों का दूसरों का मुँह देखना पड़ता है । हमें इस बात की कांशिस करना है कि यह कमी दूर हो । आप इस बात का इत्मीनान रखें कि सरकार में जहाँ तक हो सकता है वह कांशिस कर रही है और सब जगहों में पानी का इन्तजाम तेजी में कर रही है जिसमें खेती के लिये पानी मिले तथा दूसरे तरीकों से भी खेती बढाने का काम किया जा रहा है । ये सब काम जब पूरे हो जायेंगे तो जो कर्मा हम महसूस कर रहे हैं वह नहीं रहेगी । आज वर्षा की वजह से आप लोगों को कष्ट तो हुआ पर मुझे खुशी है कि आपके इस इलाके में अच्छी वर्षा हुई है । गरचे यह हालत सारे हिन्दुस्तान की नहीं है लेकिन जहाँ वर्षा हुई है और अच्छी फसल होगी तो उसका फायदा सारे मुल्क को मिलेगा । इसके अलावा तिजारात का जो काम है उसमें बहुत तरक्की करने की जरूरत है क्योंकि जब तक इसमें तरक्की नहीं होगी तब तक हम अपने को आराम नहीं पहुँचा सकेंगे । इसके लिये गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है कर रही है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी जो इस काम को कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास इस काम के लिये अनुभव और तजुर्बा हैं वे भी इस काम में मदद करेंगे और हम जल्द से जल्द जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको पैदा कर सकेंगे । यह काम हमारे सामने है । आज लोगों में बहुत बीमारियाँ हैं । उनको भी दूर करना जरूरी है । यह तभी होगा जब सब तरह से सुखी होंगे और आराम से रहने लगेंगे ।

मैं कारपोरेशन को तथा आप सभी बहनों और भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इतना आदर और स्वागत किया ।

## औरंगाबाद में विद्यालय का शिलान्यास

औरंगाबाद में एजुकेशन सोसायटीज के कालेज का शिलान्यास रखते समय तारीख १-९-१९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

डाक्टर अम्बेदकर, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं आप का बहुत आभार मानता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस शिलान्यास के लिये मैं यहाँ आऊँ और इसका बुनियादी पत्थर रखूँ। जैसा आप ने कहा है, सब से ज्यादा जरूरी चीज हमारे मुल्क के लिये और खास करके उन लोगों के लिये जो पिछड़े हुए हैं शिक्षा है और जैसे शिक्षा फैलेगी, जैसे उसका प्रचार होगा, मेरे दिल में कोई शक नहीं कि हर तरह की उन्नति और तरक्की उसके साथ साथ होगी। इसलिये जब कभी ऐसा मौका आता है, मुझे किसी शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदा को स्थापित करने का काम दिया जाता है, तो मैं उसे बड़ी खुशी से मंजूर करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर और कुछ नहीं तो थोड़ा साथ देना भी मेरे लिये बड़ी खुशकिस्मती की बात है।

हमारे मुल्क में जो शिक्षा का तरीका चल रहा है वह पिछले प्रायः १०० वर्ष या उससे भी कुछ ज्यादा समय से चल रहा है। उसमें बहुत त्रुटियाँ हैं, बहुत तरह की कमी है और जिस काम के लिये और जिस खयाल में यह सिलसिला जारी किया गया था वह भी अब बहुत कुछ बदल गया है। इसलिये यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति के पुनर्निर्माण के लिये कुछ न कुछ तबदीली करें और मैं देखता हूँ कि जितने लोग इस चीज में कुछ भी रस लेते हैं वे इस बात को सोच रहे हैं, उनका ध्यान इस ओर गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता यह शिक्षा पद्धति ऐसी हो जायेगी जो हमारी जरूरतों के मुताबिक होगी और ऐसी होगी कि जो हमारे दिलों के अन्दर उमगें उठ रही हैं, जो हँसले उठ रहे हैं उनको हम पूरा कर सकें। मगर जब तक वह समय नहीं आता तब तक हम बैठे नहीं रह सकते। इसलिये जितनी शिक्षा मस्यौदा बढ़ती जाये, नयी कायम होती जाये उतनी ही हमारे लिये वह मुबारकवाद की बात होगी और इसलिये मैं आपकी इस सोसायटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस काम को इतनी खूबी के साथ, इतनी सफलता के साथ थोड़े ही दिनों के अन्दर शुरू करके यह दिखला दिया है कि ठीक तरह से काम किया जाये तो बड़ा कालेज भी आसानी से कायम किया जा सकता है। आपने सिद्धार्थ कालेज का जिक्र किया। आपने उसका नाम चुनकर रखा है। मालूम नहीं क्या नाम आप इस कालेज का रखेंगे। लेकिन वह नाम ऐसा है जिससे बहुत सी चीज आदमी के दिमाग में आती है, बहुत सी बातें एकवारगी याद आ जाती हैं।

अपनी शिक्षा पद्धति में मैं जो सब से बड़ी त्रुटि महसूस करता हूँ वह यह है कि जितनी शिक्षा संस्थाएँ हैं उनमें विद्या देने का प्रबन्ध तो है लेकिन जैसा आपने कहा, विनय और शील ने उन संस्थाओं में स्थान नहीं पाया है। इसलिये यह और भी बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपने कालेज का ध्येय रखा है कि यहाँ विद्या के साथ साथ विद्यार्थियों को विनय और शील भी

सिखाया जायेगा। आज देश को इन दोनों की जरूरत है। मैं आये दिन अखबारों में पढ़ा करता हूँ कि यहां विद्यार्थियों की हड़ताल हुई, वहां पर स्ट्राइक हुआ, यहां तक भी सुना कि एक प्रिन्सिपल भी मार डाले गये। जब मैं इन चीजों को देखता हूँ तो मुझे खयाल होता है कि हमारी शिक्षा के तरीके में कोई ऐसी कमजोरी है जिससे ये चीजे सामने आती हैं। वह कमजोरी इसी विनय और शील का अभाव है। इसलिये मुझे यह देखकर बड़ी खुशी है कि आपने इस चीज को अपने सामने रखा है और जो विद्यार्थी यहां पढ़ेंगे, जिनको यहां शिक्षा मिलेगी, वे विनीत भी होंगे और शीलवान भी होंगे। यह कितनी बड़ी चीज है? मैं आशा करता हूँ कि यहां विद्यार्थियों के लिये आप जो भी प्रबन्ध करेंगे उससे वे पूरा लाभ उठायेगे और जिस तरह से सिद्धार्थ कालेज ने खेलों में, यनीर्वसिटी के इनाम पाने में और दूसरे तरीके से नाम पाया है उसी तरह से यहां की लड़कियां और लड़के विनय और शील में भी नाम पा सकेंगे और अपने को देश की सेवा के योग्य साबित कर सकेंगे।

इस तरह की सस्था कायम करनी पडती है तो कायम करनेवालों के सामने दिक्कतें आती हैं और इसमें शक नहीं कि आपकी सोसायटी के सामने भी दिक्कतें हैं। पर जब काम करना होता है तो दिक्कतों का सामना करना ही पडता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन दिक्कतों को पार कर सकेंगे और आपका काम खूब तेजी से आगे बढेगा और यह भरोसा और भी अधिक इसलिये होता है कि जैसा आपने कहा है, यहां के मन्त्री लोग और दूसरे अधिकारी लोग आपकी मदद करते रहे हैं और आइन्दा के लिये भी यह उम्मीद की जाती है कि वे आपकी मदद जैसे जसे मौका आता जायेगा करते जायेंगे।

आपने अपने भाषण में एक बात की अपील की है। आपके सामने जो आर्थिक कठिनाई है उसके लिये आपने सब से मदद मागी है। मेरा अपना विश्वास है कि कोई अच्छा काम जब चल निकलता है, वह रुपये की कमी से नहीं सकता। अगर अच्छे और सच्चे काम करने वाले हुए तो कहीं न कहीं से द्रव्य आ ही जाता है और काम चल निकलता है। इसलिये आप की सोसायटी के लोगो ने जिस हिम्मत और पटुता से काम किया है उससे मुझे उम्मीद होती है कि आपको यह दिक्कत बहुत देर तक नहीं सहनी पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हिज एक्जाल्टेड हाइनेस निजाम साहब ने आपके कालेज के लिये ५० हजार की रकम इस वक्त दी है और हैदराबाद गवर्नमेंट ने ३५ हजार रुपये सालाना इस कालेज के खर्च के लिये मजूर किये हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस से आपका काम आगे बढेगा और जैसा मैंने कहा, अगर आपका काम ठीक चलता जायेगा तो आपकी दिक्कत खुद व खुद दूर हो जायेगी और पैस के लिये आपका काम नहीं रुकेगा।

बहुत ही उत्साह के साथ आपने यह काम शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि वह उन्माह कायम रहे। उत्साह कभिटी के मेम्बरो मे तो है ही और जैसा कि आपने कहा जो शिक्षक लोग घर छोडकर यहां आये हुए हैं उनका उत्साह भी सराहनीय है और बच्चों में तो उत्साह है ही। जब सब में उत्साह ही उत्साह है तो मानना चाहिये कि आपको सफलता मिल गयी है। मकान के लिये नक्शा तैयार हो गया है और काम चलाने के लिये कुछ हद तक रुपये भी आ गये हैं तो कोई वजह नहीं कि काम में ढिलाई हो और मैं आपको कह सकता हूँ कि थोड़े ही दिनों

अन्दर यह कालेज भी सिद्धार्थ कालेज की तरह नाम सम्मिल करेगा, उमी तरह लोगों की सेवा करेगा। पिछड़े हुए लोगों की सेवा जरूरी है। और सब बातों को सुनकर मुझे खुशी हुयी लेकिन एक बात को सुनकर चिन्ता रही। आपने ठीक कहा है कि जो पिछड़े हुए लोग है और विशेष कर आपकी जाति के जो लोग है उनमें शिक्षा का अभाव बहुत है और उनमें शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। मुझे यह जानकर खुशी नही हुयी कि ३२४ लडकों में सिर्फ २६ ही लडके उस वर्ग के है। मैं चाहता हू कि ३२४ में ३२४ लडके उसी वर्ग के होने और उनके ऊपर दूसरे वर्ग के लडके आवे और कालेज की सख्या बढे। इस तरह से काम होगा तो मुझे उम्मीद है कि दिन ब दिन उनकी तादाद बढेगी। उनके लिये सुविधा भी होनी चाहिये जो दूसरों से अलग हो। यह ठीक है कि कालेज का दरवाजा सब के लिये खुला है, सब के पढने के लिये इजाजत है और सुविधा भी है लेकिन मैं कहूंगा कि पिछड़े हुए लोगों के लिये कुछ खास सुविधा होनी चाहिये जिनमें वे और के मुकादले में जल्द से जल्द आजाये। मैं उम्मीद करता हू कि आपका कालेज इस तरह भी ध्यान देगा और हर तरह से आप इस प्रयत्न में सफल होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वह दया करके आपके इस प्रयत्न को सफल बनाये।

### औरंगाबाद में सार्वजनिक सभा

औरंगाबाद में तारीख १ सितम्बर १९५१ को एक सार्वजनिक सभा में ७ बजे शाम को राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो

आपके शहर में आज आ सका इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जैसा आपने अभी बताया यहां का इतिहास प्राचीन और गौरवमय इतिहास है और यहां पर केवल बड़े बड़े बादशाह ही नहीं आये है बल्कि कितने साधुओं ने, फकीरों और औलियो ने भी इस जगह को पवित्र किया है और इस वजह से आज से नही हजारों वर्षों से एक प्रकार से यह तीर्थ स्थान बन गया है। न मालूम इस स्थान में क्या खूबी है। आज जब मैं रास्ते से जा रहा था तो सोचता था कि क्या वजह है कि चारों तरफ से घिरी हुई पहाडों के बीच में इस जगह को राजाओं और बादशाहों ने किला बनाने के लिये पसन्द किया? क्या वजह है कि साथ ही साथ बौद्धों ने, हिन्दुओं ने और जैनों ने यहां अपने मन्दिर बनवाये जिनके भग्नावशेष आज भी चारों तरफ देखने में आ रहे है? क्या वजह है कि मुसलमान दरवेश भी यहां आ बैठे और यहां ही पर अपनी मिट्टी छोड गये? लेकिन इस स्थान की मिट्टी में कुछ यहां की जलवायु में ऐसा कुछ है जो सब प्रकार के लोगों को यहां खीचता रहता है और इस वजह से इसका महत्व बराबर रहा है और जैसा आपने कहा कवियों ने भाषा के निर्माण करने वालों ने यहां पर आकर काम किया है और उनकी चीजें यहां मौजूद है। यहां से थोडी ही दूर पर इसी इलाके के अन्दर गुरुद्वारे भी एक तीर्थ स्थान की तरह मौजूद है। यह तो इसका इतिहास है और आज की नई जिन्दगी में भी इसका ऐसा ही उंचा इतिहास होना चाहिये यही हम सब की अभिलाषा है।

आप जानते हैं कि भारत में थोड़े ही दिन हुए हमने स्वतन्त्रता पायी। उस स्वतन्त्रता को किरणें देश के कोने कोने में पहुंच रही हैं। आपका यह कोना भी उस किरण से किसी तरह बच नहीं सकता है और यहां भी उसकी ज्योति पहुंची है। उस रोशनी के साथ साथ जो इस देश के रहने वाले लोग हैं उन पर बड़ी भारी जवाबदेही भी आ गयी है। इस नवजात स्वतन्त्रता को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकेंगे, किस तरह से हम इस आजादी को कायम रख सकेंगे यही दिन रात अपनी आंखों के सामने हमें रखना है और यह हमेशा याद रखने की चीज है कि स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये सब से जरूरी चीज यही है कि देश के लिये हरेक देशवासी के हृदय में, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रेम होना चाहिये। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है, यह बदकिस्मती रही है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में अक्सर बंट जाते हैं और छोटे छोटे स्वार्थों में लगे रहते हैं जो सारे देश के महत्व का काम होता है उसको विसार देते हैं। हमारा यह आज का नहीं पिछले कई सौ वर्षों का दुःखद इतिहास रहा है कि हम बराबर एक साथ होकर इस सारे देश की रक्षा नहीं कर सके और यहां का धन दौलत देखकर जब जाहर के लोगों के मुंह में पानी भर आया तो वे आये और हमने उनको मौका दिया। आज ईश्वर की दया से यह सारा देश बंटवारे के बाद भी एक छत्र के अन्दर आ गया है। यह अब भी बहुत बड़ा देश है। भारत के इतिहास में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े गहनशाहों का हम जिक्र पढ़ते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पहले कोई ऐसा दिन नहीं था जब कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक छत्र राज्य रहा हो। अंग्रेजी सल्तनत के जमाने में भी, गरचे अंग्रेजी राज्य जबर्दस्त और प्रभावशाली राज्य था, बहुत सी मातहत रियासतें थी जो एक प्रकार से स्वतन्त्र थी। आज पहले पहल सारा हिन्दुस्तान एक संविधान के सूत्र में बंधकर एक छत्र राज्य के अन्दर आया है। इतने बड़े देश का एक स्थान से इन्तजाम होना कभी सम्भव नहीं। इसलिये इसके कई टुकड़े किये गये हैं और मुमकिन है और भी टुकड़े किये जायें। लेकिन ये टुकड़े एक छत्र प्रजातन्त्रात्मक राज्य के ही भाग होंगे उससे स्वतन्त्र एक अलग भाग नहीं होंगे। इसलिये, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने दिनों में एक इतना बड़ा राज्य देख सकें। आज हमारी जवाबदेही है कि हम इसको ठीक तरह से चलावें और इस योग्य बनावें कि संसार के देशों में जो हमारा ऊंचा स्थान होना चाहिये वह हो जायें। हम किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखते, किसी की चीज पर किसी के धन पर हम लालच भरी आंखें नहीं रखते। हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अपने साहस से अपने बाहुबल से अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने देश के अन्दर करना चाहते हैं। ईश्वर की दया से जो जमीन हमको मिली है जो धरती हमको मिली है वह भी हर तरह से धन धान्य से भरी हुई है। कोई अन्न नहीं, कोई फल नहीं जिसे हम इस देश के अन्दर उपजा नहीं सकते हों। कोई ऐसी धातु नहीं, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जिसे आप इसके भ्रगर्भ में नहीं पायें और आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में मिलती हो लेकिन यहां नहीं मिलती हो। इसलिये ईश्वर ने हर तरह से इसको भरा पूरा बनाया है। अगर आज हम कमी का अनुभव करते हैं तो इसकी जवाबदेही यहां की जमीन पर नहीं, यहांके आदमियों पर है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग अपनी इस बड़ी जवाबदेही को समझें और इस देश को फिर उन्नत करें।

इसके लिये जो हमने संविधान बनाया है उसमें सब लोगों को पूरा अधिकार है और पूरा मौका है। किसी किसम का भेद भाव हमने उसमें नहीं रखा है। किसी भी धर्म का मानने-वाला हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार है और समान मौका भी है। इसलिये जो हमने संविधान में अपने सामने उद्देश्य रखा है वह एक ऐसा ऊंचा उद्देश्य है कि अगर हम उसको पूरा कर सकेंगे तो संसार के सामने एक आदर्श पेश कर सकेंगे। और अभी तीन ही चार वर्ष तो हुए हैं। हमारी दिक्कतें बहुत रही हैं। मुसीबतों का पहाड़ हमारे सर पर एक के बाद दूसरा टूटता रहा है। लेकिन इन मुसीबतों के रहते हुए भी हम अपने को खड़े पा रहे हैं इसके लिये ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमको बल दे कि हम और भी आगे बढ़ सकें। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं किया गया है। जितने लोग २१ वर्ष के हैं उनको मत देने का अधिकार है और आज से थोड़े ही दिनों के बाद वे अपनी अपनी राय देकर अपने प्रतिनिधि और नुमाइन्दे चुनेंगे जो इस देश का कारबार चलायेंगे। इस संविधान में हरेक आदमी को उन्नति करने का पूरा मौका है और अब यह कोई नहीं कह सकता कि वह किसी प्रकार से दबाया जा रहा है। किसी की भी उन्नति में अब कोई कानूनी बाधा या कोई वैधानिक बाधा नहीं रही है और इसलिये सब को इस मौके से नफ़ा उठाकर अपने को उन्नत करना है और अपनी उन्नति करने का अर्थ है सारे देश की उन्नति करना। इसलिये हम चाहते हैं कि आप इस महान् कार्य में लग जायें और इसके महत्व को आप समझें।

यह एक इलाका है जो पहले एक रियासत के मातहत था। आज वे रियासतें रियासतों की शकल में नहीं रह गयी हैं। वे सब की सब भारत में ईस तरह से घुल मिल गयी हैं जिस तरह से भारत के दूसरे हिस्से घुल मिल कर एक राज्य थे। मुझ से कोई कोई कभी कभी कहा करते हैं कि रियासतों के हट जाने से रियासतों के जो राजा व नवाब मालिक थे उनका अधिकार उनसे निकल गया, अब जनता के हाथों में अधिकार आ गया। जनता के हाथों में अधिकार आना कोई बुरी बात नहीं है। और कोई कोई यह कहते हैं कि कहीं कहीं रियासतों की हालत अच्छी थी पर अब वह बात नहीं है। कुछ का कहना है कि हिन्दुस्तान में मिल जाने से हिन्दुस्तान के एक छोटे टुकड़े के रूप में ही ये रियासतें रह गयी हैं। इसकी भी शिकायत शायद कुछ लोगों के दिल में है। मैं मानता हूँ कि ये दोनों शिकायतें बेबुनियाद हैं, उनके लिये कोई आधार नहीं है। मैं तो इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। किसी भी रियासत का राजा या नवाब अपनी रियासत का ही राजा या नवाब था। उनका अधिकार उनकी अपनी रियासत के बाहर हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से पर पहले नहीं था और वहाँ की प्रजा का भारत के दूसरे हिस्से पर न कोई अधिकार था और न कोई हक़ था और न कोई दावा था। आज तो उन रियासतों के जो राजा नवाब थे उनका हक़ दूसरे भारतवासियों के साथ साथ सारे हिन्दुस्तान पर हो गया है। ठीक है कि जिस तरह वे अकेले मनमानी करते थे जो चाहते थे कर सकते थे वह बात आज नहीं है। लेकिन आज सारे भारत को वे अपना कह सकते हैं। यह ठीक है कि जितना हक़ आज हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी का सारे हिन्दुस्तान पर है उतना ही हक़ इन राजाओं का अपनी सरहद के बाहर के हिन्दुस्तान के हरेक कोने पर पहुँच गया है और अगर इस दृष्टि से सोंचें तो आज उनका राज्य छोटा न होकर बढ़ गया है और हरेक हिन्दुस्तानी

सोचे तो उसका राज्य किसी एक हिस्से पर नहीं सारे हिन्दुस्तान पर है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप में से हरेक इस बात को समझ ले कि सारा हिन्दुस्तान उसका है। हिन्दुस्तान के अन्दर अब न कोई राजा है और न कोई प्रजा। सब के सब राजा है या सब के सब प्रजा है। सब बराबर है। और अगर मेरे जैसा तुच्छ आदमी इस ऊँचे स्थान पर पहुँच सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि आप में से हरेक आदमी को मौका है और हरेक को शक्ति है कि अगर आप चाहें तो इतने बड़े भारत के एक छत्र राज्य के राष्ट्रपति बनें। यह कोई छोटी बात नहीं है। हिन्दुस्तान के हरेक बच्चे के लिये दरवाज़ा खुला हुआ है; स्थान उसके सामने है। जो सेवा करके खिदमत करके चाहेंगे वे वहाँ पहुँच सकते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के हरेक नवयुवक के हृदय में यह लालसा, वह अभिलाषा हो और यह अवसर हो कि वह एक न एक दिन उस स्थान पर पहुँचे; और नाजायज़ तरीके से नहीं, झगड़ा करके नहीं गलत काम करके नहीं बल्कि देश की सेवा करके उस स्थान पर पहुँचने की अभिलाषा होनी चाहिये। और अगर इस लालसा को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान उन्नत होगा और साथ साथ आप भी उन्नत होंगे। तो यह बड़ी जवाबदेही हमारे सर पर है, बड़ा मैदान हमारे सामने आया है। आप इसके लिये तैयार हैं क्या? आपको अपने को तैयार करना है, हरेक को तैयार करना है।

आज हम बहुत तरह की शिकायतें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि स्वराज हुए चार साल बीत चुके और अभी तक हमारी तकलीफ़ें ज्यों की त्यों बनी हैं; चोर बाज़ारी है, महंगाई है, ग़ल्ले की कमी है, खाने को अन्न नहीं मिलता और कपड़े की कमी है।

यह सब चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। मगर हम में से हरेक इन पर विचार करके देखे कि इस चीज़ के दुस्त नहीं होने का कारण क्या है और उससे भी ज़्यादा हमें यह सोचना है कि इस कारण में हमारा अपना हिस्सा कितना है। हमने इस चीज़ को दूर करने के लिये क्या किया है। यह बहुत आसान है कि हम कह दें कि तुमने यह नहीं किया तुमको यह करना चाहिये था; फलाने ने यह नहीं किया उसको यह करना चाहिये था। लेकिन दूसरे को क्या करना चाहिये था, उसको करने की कितनी शक्ति थी, कितना मौका था, कितनी सुविधा थी यह सब हम को मालूम नहीं है। मगर हमारी अपनी क्या शक्ति है, हम कहा तक कर सकते थे और हमारे लिये कितना मौका था यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। दूसरों के बारे में हम शायद ठीक नहीं समझ सकते हैं कि उसने जानबूझ कर नहीं किया या ग़लती से नहीं किया या बेईमानी से नहीं किया या स्वार्थवश नहीं किया। लेकिन अपने बारे में हरेक आदमी जान सकता है। उसको उसके लिये किसी दूसरी जगह से खोजना नहीं है; उसका दिल ही बता सकता है कि क्या करने का मौका था जिससे लाभ उठाने के लिये उसने काम में अपना बिल नहीं लगाया अपने हृदय से ही पूछकर उसका उत्तर वह पा सकता है। तो दूसरों की कमी ढूँढने में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? ऐसा करने पर ही हम कह सकते हैं कि जिस नतीजे पर हम पहुँच सकेंगे वह ठीक होगा। हम बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी तरह की जाच पड़ताल के, अपने दिल से पूछ सकते हैं और सही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। उसमें ग़लती नहीं हो सकती है। मैं तो यह चाहता हूँ कि अपना काम हरेक आदमी करे और यह सोचे कि देश के प्रति उसका



क्या कर्तव्य है और किस बात में उसकी ओर से त्रुटि हो रही है और किस काम में उसकी ओर से कमी हो रही है और उसको वह खुद पूरा करे। दूसरे ने क्या गलती की इसके बारे में न मोच कर वह अपनी गलती मोचे। अगर हममें से थोड़े लोग भी इस सिद्धान्त पर चलने लगें और अपनी गलती को सोचे और अपनी त्रुटियों को हटाने की कोशिश करें तो मुझे यह उम्मीद है कि वह दूर हो सकती है। चोर बाजारी की शिकायत हम सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि चोरबाजारी है भी। औरों के बारे में कहना तो मुश्किल है पर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं भी उससे बचा नहीं हूँ। आप जानते हैं कि किसान अपने खेतों में गल्ला पैदा करते हैं। उनकी ज़रूरत में अधिक जो गल्ला उनके पास है उसे वे दूसरों के लिये नहीं निकालते तो क्या वे चोरबाजारी में मदद नहीं करते? व्यापारी गैरमुनासिब नफ़ा उठाने के लिये गल्ला बेचना है तो क्या वह चोरबाजारी नहीं करता? अगर हम में से अधिकांश लोग जो किसान नहीं हैं और दुकानदारों में खरीद कर खाते हैं मैं उनमें पूछता हूँ कि वे किस तरह में कह सकते हैं कि वे चोरबाजारी में बचे हुए हैं जब कि वे ६ छटाक के बदले ८ छटाक या १२ छटाक खरीदते हैं। ६ छटाक जो गवर्नमेंट से मुकर्रर किया हुआ है उससे पूरा नहीं होता तो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिये बाकी चोरबाजार में खरीदते हैं। तो चोरबाजारी में वे कैसे बचे? अगर इन दोनों में से कोई भी अपना धन्धा छोड़ दे तो चोरबाजारी नहीं चल सकती। अगर किसान लोग ठीक दाम पर गल्ला बेच दिया करे तो भी चोरबाजारी बन्द हो जायेगी। अगर बीच में बेचनेवाला बर्निया नाजायज नफ़ा उठाने का लालच छोड़ दे तो भी चोरबाजारी बन्द हो जाती है। जो लोग खरीद कर खाते हैं अगर वे इगदा कर ले कि जितना उनको मिलना है उतना ही खरीदेंगे तो चोर बाजारी में खरीदनेवाला ही कोई नहीं रहेगा। तो इस प्रकार में आप सोचें और दूसरे पर इल्जाम नहीं लगायें। आपका क्या हिस्सा है उसको करने पर आप तैयार हो जायें तो हमारी बहुत शिकायतें आसानी से दूर हो सकती हैं। यह तो मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर कहा है। इस तरह की चीज आप सभी बातों में देख सकते हैं।

हमारे यहाँ आपस में झगड़े हो जाया करते हैं। हिन्दू मुसलमान का झगडा हो जाया करता है। और भी झगड़े हो जाया करते हैं। हम अपना दोष नहीं देखकर कोशिश करते हैं कि दूसरों पर इल्जाम लगायें। अगर हम सोचें कि इसमें हमारा अपना कितना क्रमूर है क्योंकि ताली दो हाथों में बजती है तो कभी यह गडबडी नहीं होगी। अब तो हमारे देश के लिये दूसरे बड़े बड़े मसले सामने आ गये हैं। इसलिये जिन छोटी छोटी बातों पर हम लडा करते थे उनको तो बिलकुल अब छोड़ ही देना चाहिये। अब हमारे सामने मैदान खाली पडा है, उसका उपयोग करने का अब मौका है। इसे आप समझ ले कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम तेजी से आगे बढ़ जायेंगे।

अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें हम सब का इम्तिहान होनेवाला है। जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनका इम्तिहान चुनाव के बाद होगा। लेकिन जो मत देनेवाले हैं उनका इम्तिहान उसके देने के वक्त ही होगा! इस लिये आप ठीक आदमी को वोट दें। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि भारत का भविष्य कैसा होगा यह आपके वोट देने पर ही निर्भर करता है। अगर आप

ठीक आदमी को चुनेंगे तो आप विश्वास रखे कि आपका काम ठीक चलेगा। अगर आपने किसी दूसरे खयाल से स्वार्थवश या किमी छोटे तबके के स्वार्थवश ठीक से वोट नहीं दिया तो आप समझ ले कि उसका असर आप पर ही नहीं सारे देश पर पड़ने वाला है। आप यह नहीं समझें कि आपका तो एक वोट है उससे क्या हानेवाला है। आप यह समझें कि हरेक आदमी के वोट की बड़ी कीमत है। यही आप की परीक्षा है। इसमें हरेक आदमी को उतीर्ण होना चाहिये और प्रयत्न करना चाहिये कि वह अच्छे से अच्छे आदमी को चुनकर भेजे जो देश का काम चला सके। हमारे सामने जैसा मैंने कहा बड़े बड़े प्रश्न हैं। गरीबी को हम कैसे दूर करें, शिक्षा के अभाव को हम कैसे दूर करें, बीमारियां जो फैली हुई हैं उनको हम कैसे दूर करें ये सब सवाल हमारे सामने हैं। जनता के जीवन का स्तर हम कैसे ऊंचा करें जिसमें उनका जीवन सुखमय हो जाये, जिसमें उनके चेहरे पर अधिक हमी हम देख सकें जिसमें हम क्रन्दन की जगह अट्टहास देख सकें यह सब सवाल हमारे सामने हैं। जब हम अपनी जवाबदेही समझकर अच्छे से अच्छे आदमी चुनेंगे और उनका अधिकार देंगे तभी हम आजात व तन्त्र्य पूरा कर सकेंगे और यह केवल कर्तव्य ही नहीं इनके हमारा स्वार्थ भी है क्योंकि हम में से हरेक का स्वार्थ इसी में है कि देश का काम अच्छी तरह से चले। तो इनके स्वार्थ और कर्तव्य का मेल है और मैं आशा करता हूँ कि यह जो बड़ा अधिकार आपके हाथ से आया है उसका आप बुद्धि के साथ उपयोग करेंगे। इस डलाके के लोगों को शायद पहले इस तरह का अधिकार बहुत छोटे रूप में भी नहीं था। भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ के लोग इस तरह के अधिकार कुछ न कुछ उपयोग में आज तक लाते रहे हैं। मगर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ के लोगों को पहले पहल यह काम करना होगा मगर यह भी एक समझने की बात है कि जो सफेद कपड़ा होता है उस पर अगर कोई रंग चढ़ाना चाहे तो आसानी से चढ़ा सकता है; मगर जो पहले से रंगा रहता है उस पर पहले उसे साफ करके तब रंग चढ़ाया जाता है। तो आप पहले का तजुर्बा नहीं रगते हैं तो एक तरह से इस त्रुटि से आप को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जो बुराईया हैं उनसे आप बच रहेगें और इस तरह से आप काम करेंगे तो आप के देश का और आपका भला होगा। आप सब ने ध्यानपूर्वक जो कुछ मैंने कहा उसे मुना और इतना प्रेम दर्शाया उसके लिये धन्यवाद देता हूँ।

### महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण

औरंगाबाद में तारीख २ सितम्बर १९५१ को महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करते

राष्ट्रपति जी ने कहा—

बन्धुओ और बहनो,

आपने यहां पर महात्मा गान्धी की मूर्ति स्थापित करके अपनी श्रद्धा का परिचय दिया है। पर मैं तो यह चाहूंगा कि केवल मूर्ति स्थापित करके ही आप अपने कर्तव्य की इति श्री नहीं समझें। यह मूर्ति तो एक देखने की चीज है, लेकिन महात्मा गान्धी ने अपनी वाणी से, अपने लेखों और अपने कर्तव्यों से हम भारतवासियों को जितनी शिक्षा दी है वह केवल हमारे लिये ही नहीं, ससार के लिये अमूल्य वस्तु है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कार्यरूप में उसे

पालन करें और उनके बताये रास्ते पर चलकर अपना और देश का कल्याण करें। गान्धी जी की पूजा उसी रूप में होनी चाहिये और सच्ची पूजा भी वही है। इसलिये मैं आप सब से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनके ग्रन्थों को पढ़ें उनके लेखों का आप अच्छी तरह से मन्त्र करे मगर उसे केवल पढने तक ही सीमित नही रखे। एक एक छोटी छोटी बातों को भी लेकर आप अपने जीवन में उनकी शिक्षा को उतारे और गान्धी जी की सब से बड़ी चीख तो यही थी कि उन्होंने एक बात भी ऐसी दूसरो के लिये नही कही जिस पर वह स्वयं अपने जीवन से काम नही करते रहे और जिसको वह अमल मे नही लाये। इसलिये हम सब का बड़ा धर्म और बड़ा कर्तव्य यही है कि हम उनकी इस सीख को हमेशा याद रखें और जो कुछ उन्होंने बताया है और करके दिखलाया है उसको हम स्वयं अपने जीवन में करे। तभी इस प्रकार के स्मारक का भी कुछ अर्थ होगा और हमारी श्रद्धा पूरी हो सकेगी।

### जानपदीय अभिनन्दन

पारख ३ सितंबर १९५१ को नागपुर से वर्धा आने पर रास्ते में ही कुछ संस्थाओं द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति ने कहा—

बहनों और भाइयो,

आपने जिस प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिये आपको धन्यवाद है। वर्धा मेरे लिये कोई नयी जगह नही है और न मैं ही यहा के लिये नया हूँ। इसलिये जब जब मैं यहाँ आऊ और आपको हर बार मेरे स्वागत का प्रबन्ध करना पड़े तो यह आपके लिये भारी बोझ होगा। हर मौके पर स्वागत नही किया जाता। हा कोई विशेष अवसर हो तो स्वागत किया जा सकता है। लेकिन जब मैं रास्ते में जाता रहूँ और रास्ते में मेरा स्वागत किया जाये तो उसकी क्रीमत् कम होती है और वह बोझ बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहा आऊ और मैं अक्सर आया करता हूँ तो दोस्तो से बातचीत करके चला जाऊँ और मेरे स्वागत का कोई विशेष कार्यक्रम नही हो। अगर इस तरह से होता रहा तो मेरे लिये दिक्कत बढ़ जायेगी।

देश की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। दो चार शब्दों में तो वे कही नही जा सकती। अभी देश में जो नया चुनाव आनेवाला है वह सारे देश के लिये एक बड़ी चीज होगी और उसी पर हमारे आइन्दा का सब कुछ निर्भर करेगा। आशा है कि आप समझ वृक्ष कर मत देंगे। इनमें अगर जनता की तरफ से भल हुई तो देश का नुकसान होगा। जो काम हम करे अपने देश को सामने रखकर करे। हम में से कितने लोग जाति का, दोस्तों का खयाल करके काम करते हैं और देश का काम उनके ध्यान में नही आता है। उससे देश का नुकसान होता है। इस चुनाव में आप वैसा नही करेंगे। स्वागत के लिये सब को धन्यवाद है।

## सेवा ग्राम

स्तारीख ४ सितंबर १९५१ को सेवाग्राम में रचनात्मक कार्यकर्ताओं और आश्रमवासियों के बीच अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रद्धेय जाजू जी, बहनो और भाइयो,

जब इस तरफ आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप सब से मिलकर कुछ यहाँ का वातावरण अपने साथ ले जाऊँ। कुछ देने के लिये यहाँ मैं नहीं आता हूँ, कुछ लेने के लिये आता हूँ और उसी आशा से इस मरतबे भी यहाँ आया हूँ। यह बड़ा अच्छा अवसर आ गया है कि सब भाई इकट्ठे यहाँ मिल गये; मुझे खबर नहीं थी कि इतने भाइयों से इकट्ठे मिलना होगा। मुझे आशा थी कि जितने लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं लोगों से भेट होगी लेकिन आने पर मालूम हुआ कि सभी जगहों से लोग आये हुए हैं और चर्चा सघ की मीटिंग भी है; और सब लोगों से मुलाकात हो गयी यह मेरे लिये बड़ी खुशकिस्मती की बात है।

अभी यहाँ जिन सस्थाओं के विवरण बतलाये गये उनको ध्यानपूर्वक मैं ने सुना। मैं जानता हूँ कि कितनी कठिनाइयों के बीच आप लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, इस काम को चला रहे हैं। बात असली यह है कि गान्धी जी ने इस देश में अपने बहुत वर्ष बिताये और सारे देश में उन्होंने कई बार दौरा किया, करोड़ों पुरुषों और स्त्रियों से उनकी मुलाकात हुई कितने आदमी यहाँ के आश्रमों में आकर थोड़े समय के लिये रह भी गये और यों तो उनके भाषणों को सुनकर, उनके लेखों को पढ़कर न मालूम कितने लोगों ने लाभ उठाया। मगर साथ यह बात भी हमको माननी होगी कि जो राजकीय काम उन्होंने उठाया उसमें से देश को स्वराज्य दिलाने के काम में लोगों ने अधिक दिलचस्पी ली, उसमें लोगों ने अधिक रस लिया। जिस तरह की समाज रचना वह चाहते थे, स्वराज्य के बाद भारत को जिन प्रकार का बनाने की उनकी अभिलाषा थी उसके सम्बन्ध में लोगों ने कुछ कम दिलचस्पी ली। अगर हम यह कहे कि बहुतेरों ने इसको नहीं समझा तो यह भी अत्युक्ति नहीं होगी। हमारा अपना खयाल है कि थोड़े ही ऐसे लोग हैं—जो आप लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी बात मैं नहीं कहता, मगर बाहर के लोगों में थोड़े ही लोग हैं—जो महात्माजी के समाज के चित्र को धुंधले तरीके से भी अपनी आँखों के सामने रख सके हों। अगर किन्हीं लोगों के सामने वह चित्र आता भी है तो उनमें थोड़े ही लोग होते हैं जो उससे खुश होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसको पसन्द भी नहीं करते। उनका विचार है कि आज की दुनिया एक तरफ चल रही है, और गान्धी जी उसको दूसरी तरफ चलाना चाहते थे। जो कुछ इस वक्त की चीजें हैं उनमें जो कुछ अच्छाई है उनको वे छोड़ना नहीं चाहते थे मगर उनके दिमाग में समाज का विचार कुछ दूसरा ही था जो आज के समाज से भिन्न था। यदि ऐसी अवस्था में लोग उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाये, और जिन्होंने थोड़ा बहुत समझा उन्होंने उसे आग्रहपूर्वक स्वीकार नहीं किया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिये जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं और समझते हैं कि वह ठीक है उनका काम मुश्किल तो है ही लेकिन अधिक महत्व भी रखता है और आप के लिये इन कठिनाइयों की वजह से इस काम का महत्व और भी अधिक हो जाता है। अतः मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि चाहे दूसरे लोग कछ भी कहें, कछ भी सोचें, वे आपके

काम को पलट करे या नहीं करे आपको प्रोत्साहन दें या नहीं दें लेकिन आपको काम करते जाना है और आपको अपना काम करके उसका नतीजा दिखलाकर दूसरों को अपनी तरफ खींचना है। उनको वादविवाद के जोर पर, बहस करके अपनी तरफ आप नहीं खींच सके हैं। वे आप की तरफ खिंचे पर तभी जब वह तराजू के एक पलड़े पर आज की तंडक भडक की चीजें रखेंगे और दूसरी तरफ खादी को रखेंगे और देखेंगे कि चमकीले कपड़े से खादी अच्छी है। उसको देखकर अनुभव से उसकी खूबी मालूम हो जायेगी तभी उसका पसन्द करेंगे। तो यह काम आप के मन पर है। महात्माजी का इतना प्रभाव था और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि जो बहस कहते थे उसे अगर लं,त नहीं समझते थे दिग्ग से नहीं मानते थे तो भी कुछ देर के लिये उसे कर लेते थे। अब वह बात नहीं है। अब तो जो आता करेगा उसने अपना विश्वास होगा; उनकी समझ में अयेगा तभी वे काम करेंगे। अब किसी के कहने से कोई कुछ करने वाला नहीं है, उपस्थिते में तो यह चाहता हू कि आपका काम जोरों से चले।

अभी श्रद्धेय जाजू जी ने कहा कि जो लोग इस काम में लगें हुए हैं उनका मनोप होना चाहिये लेकिन मैंने जैसे लोगों को उसमें अमनोप ही रहना चाहिये। मैं आपको कहना हू कि मुझे अमनोप बहुत है। मुझे अमनोप इसलिए नहीं है कि काम कम होता है या कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं और इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और ध्यान जाता है तो इस तरीके से जाता है जैसा नहीं जाना चाहिये। हमारा अमनोप इसलिए नहीं। हम समझते हैं कि किसी कमजोरी की वजह से काम नहीं होता है तो अमनोप की बात नहीं। लेकिन जब हम समझते हैं कि यह काम ठीक है पर तो भी हम उसे नहीं कर पाते हैं तो अमनोप और अधिक हो जाता है।

आज जो लोग यहां उपस्थित हैं उनमें मुझे कहना है कि गान्धीजी का जो कार्यक्रम था उस के कई पहलू थे उसमें कई बातें थी। जब हम आपस में बैठते हैं तो एक किस्सा कहा करते हैं। किसी गांव में एक हाथी गया जहां कई अन्धे थे जिन्होंने हाथी नहीं देखा था। उनमें से किसी ने हाथी की पूछ पकड़ी तो समझा कि हाथी वैसा ही होता है, किसी ने पाव पकड़ा तो समझा कि हाथी खभे के समान होता है; किसी ने पीठ को छुआ तो उसको हाथी दूसरे ही किस्म का मालूम हुआ। हाथी कैसा होता है वह किसी को मालूम नहीं हो सका। तो गान्धी जी के कार्यक्रम के जितने पहलू थे उन सब का उद्देश्य एक ही समाज का सगठन करना था उसको हम नहीं देखते। उनके कार्यक्रम के एक अंश को लेकर हमारा विश्वास हो जाता है कि वही असली चीज है और उसी पर हम जोर देने लग जाते हैं। दूसरे लोग दूसरी चीज को ठीक समझते हैं और उस पर जोर देने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आशिक चीज को लेकर जोर देते हैं और दूसरी चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसका नतीजा यह होगा कि जैसा गान्धी जी चाहते थे वैसा नहीं हो सकता। मैं समझता हू कि एक आदमी हरेक चीज को नहीं कर सकता और उसे किसी एक चीज में खासियत हासिल करनी होगी लेकिन साथ साथ उसका और चीजों से क्या सम्बन्ध है उसे सामने रखना है। स्पेशलाइजेशन का अर्थ

यही है। एक चीज को लेकर हम उस पर जोर देने लगते हैं और दूसरी चीजों को भूल जाते हैं। यह स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गान्धी जी चाहते थे कि देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, हिन्दू सब में मेल होना चाहिये। यह सिद्धान्त की बात थी इसको सब को मानना चाहिये। इसी तरह गान्धी जी ने कहा था कि जैम सूर्य सब ग्रहों में केन्द्र माना जाता है उसी तरह चर्खा सब ग्रामोद्योगों का केन्द्र माना जाये। अब हम चर्खे ही को ठीक मानें और दूसरी चीजों को भूल जायें तो हम कह सकते हैं कि यह गान्धी जी के कार्यक्रम का मानना नहीं हुआ। उसी तरह से एक दूसरे का आपस में मेल होना जरूरी चीज है लेकिन हम उस पर जोर दे और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे तो मैं कहूँगा कि वह गान्धी जी के कार्यक्रम का मानना नहीं हुआ। उसी तरह से तात्वीमी सघ का काम है। तात्वीमी सघ के काम का जैसा आशा देवी ने कहा भ्रमच चित्र वापू के सामने था जिसको सारे समाज का चित्र खाने दिमाग में रखकर उन्होंने तैयार किया था। उस तरह की बात तो ठीक है। अगर वह काम भी पूरा हो तो उसका माने यह है कि सब काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कौसी गांव में बैठकर हमें उसी को बढाना है तो इतना ही काम हमारा नहीं है। तो जो रचनात्मक काम में लगे हुए हैं उसके एक एक अंश को लेकर भाग रहे हैं और दूसरी चीजों पर जोर नहीं देते हैं। इसी वजह से हमारी सरकार की नीति गान्धी जी की नीति से १८ आने नहीं मिलती है। आपका यह कहना कि मैं गवर्नमेंट का हेड हूँ और गवर्नमेंट की धिकायत करना है ठीक होगा। लेकिन बात ऐसी है कि जो कार्यक्रम गान्धी जी रचना चाहते थे उस पर गवर्नमेंट नहीं चल रही है; न केन्द्रीय सरकार चल रही है और न किसी प्रान्त की सरकार चल रही है। हम उनकी एक चीज भी नहीं कर पाये हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमने उधर उधर कर लिया है लेकिन उनके ध्येय को सामने रखकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गान्धी जी का समाज का जो चित्र था वह हमारी गवर्नमेंट के सामने नहीं है। इस वक्त ससार में जो चित्र है उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उसी पर चल रहे हैं। उसमें आमूल परिवर्तन हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो समाज की रचना और देगों में है उस तक हम कैसे पहुँचें। उसमें हम कुछ भारत की खासियत भी रखना चाहते हैं यह ठीक है लेकिन जैसा गान्धी जी चाहते थे वह चित्र हमारे सामने नहीं है। जो चीज ही हमारे सामने नहीं है तो उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं? आपका यह खयाल कि गवर्नमेंट आपकी सेवा नहीं ले रही है स्वाभाविक है। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करे। हाँ आपको जितनी मदद गवर्नमेंट से मिले आप ले लीजिये; जो आप दबाव डाल कर कराना चाहे करा ले। कोई भी गवर्नमेंट दबाव डालने से ही रास्ते पर आती है। लेकिन आप स्वतन्त्र रहकर ही काम करे तभी यह काम ठीक चलेगा। गान्धी जी ने कहा था कि इन सस्थाओं के लिये वह ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेगे क्योंकि वह मानते थे कि उन की मदद लेने से उनके रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। तो वही चीज आज भी है। अगर आपने सरकार पर भरोसा किया तो उनकी नीति पर आपको चलना होगा लेकिन आपको उसकी नीति पर नहीं चलना है, आपको तो उसकी नीति को बदलवाना है। जो कुछ भी आप काम करें उनका फल दिखलाकर उसको मजबूर कीजिये कि वह आपके रास्ते पर आवे। मैं इतना कह गया मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इतना कह सकता था या नहीं। मैंने इसलिये इतना कहा कि मुझे संतोष नहीं है, मुझे असंतोष है कि मैं अन्दर की बात आपसे अधिक जानता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं कुछ कर पा नहीं रहा हूँ।

तो आप कह सकते हैं कि इस असंतोष का कुछ अर्थ नहीं है। इसे आप मेरी कमजोरी समझें या ऐसा समझें कि परिस्थिति ही ऐसी है। तो मैं यहां इसलिये आता हूँ कि मुझे जो असंतोष होता है वह बना रहे। आपके यहां आकर कुछ समझ बूझ कर उसको जाग्रत रखने के लिये मैं आपके पास आता हूँ। और दूसरी बात में क्या कहूँ। मैं समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और आप अपने रास्ते पर चलते जायेंगे तभी दूसरे आपको समझेंगे और आपके रास्ते पर आयेंगे। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे निराशा नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब तक ऐसा चलता है चल रहा है लेकिन एक वक्त आयेगा जब सब को इसे मानना पड़ेगा; आज चाहें हम जिधर भी जायें। हां अगर हम शुरू से ही इस पर ध्यान देते तो आसानी जरूर होती। मगर जो स्थिति है उससे आपको भी निराश नही होना चाहिये।

### सेवाग्राम में सांस्कृतिक खेल

सेवाग्राम में वहां की संस्थाओं के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक मनोरंजन (कल्चरल एन्टरटेनमेन्ट) के त्राद तारीख ४ सितंबर १९५१ को राष्ट्रपति जी ने अपने उपदेश में कहा —

आप सबों ने जो अपना खेल दिखलाया उसका हमारे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा और आप में से जो भाग लेने वाले थे उन में से प्रत्येक ने अपना भाग समझकर अच्छी तरह से दर्शाया। आपकी भावभंगी से ही सब बातें साफ साफ मालूम हो जाती थी क्योंकि जो कुछ गाकर सुनाया गया वह तो सब लोगो ने शायद समझा नहीं क्योंकि जो सुनाया गया वह कितनी ही भाषाओं में सुनाया गया पर तो भी कला की दृष्टि से जो नाच आपने दिखलाया उसे सबों ने समझा और अच्छी तरह से समझा। जैसा आरम्भ में आशा देवी ने कहा था, हम तो चाहते हैं कि यह भारत की कौला गाव गांव में फैले और इसको सच्चे अर्थ में लोग समझें तो यह बहुत बड़े कल्याण की चीज होगी। जब आप लोग यहां से जायेंगे तो आप को अध्यापन का काम करना होगा। यहां सीखने से, पढ़ने से या बताने से जो कुछ भावना अपने साथ ले जायें उसे आप सब लोगो में पहुंचायें, फैलायें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और यही मेरी कामना है।

### अंगरक्षकों को उद्बोधन

बाडी गार्डस के जलसे में अपने भाषण में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बाडी गार्डस के अफसरान और जवानो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके यहां थोड़ा वक्त गुज़ार सका और आप सब से अच्छी तरह से मिल सका। गरचे हम दोनों करीब करीब एक ही मकान में रहते हैं, एक अहाते में तो रहते ही हैं और वक्त पर मुलाकात भी हो जाया करती है मगर इस तरह की मुलाकात नहीं होती है जिस तरह की आज हुई। और मौकों पर तो आप अपनी ड्यूटी में रुगे रहते हैं और मैं

भी जो काम मेरे जिम्मे रहता है उसमें लगा रहता हूँ। इसलिये हम दोनों अपने अपने कार्य में लगे हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं मगर इस तरह से एक साथ मिलना, बैठना, मुनना, मुनाना इसका मौका कम मिलता है। इसलिये मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया और गरचे मौसम कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको इन्तज़ाम बदलना पड़ा, बाहर से अन्दर आना पड़ा मगर मैं समझता हूँ कि वह भी अच्छा ही हुआ क्योंकि पानी की ज़रूरत है ही, उसके अलावा हम यहाँ एक दूसरे के साथ अधिक नज़दीक होकर मिल सके और बैठ सके।

यह जो राष्ट्रपति भवन अब कहलाने लगा है उसमें कोई न कोई आया करेगा और रहा करेगा। पर पहले मे और आज में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। पहले तो लोग बहुत दूर से कई हज़ार मील से विदेश से आया करते थे और पाच वर्ष बिना कर चले जाया करते थे। उनका हमारे देश के साथ उस किस्म का सम्बन्ध नहीं था जैसा एक देशवासी का सम्बन्ध दूसरे से हुआ करता है। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि अब अपने ही भाइयों में से कोई न कोई आया करेंगे और पहले उनके आप लोगों के साथ जो ताल्लुकात हुआ करते थे अब उन से दूसरे किस्म के ताल्लुकात हुआ करेगा। पहले उनके आप से ताल्लुकात हुआ करते थे हुक्मरान व हुक्म वजानेवालों के। अब उसकी सूरत यह हो गयी है कि हिन्दुस्तान में न कोई हुक्मरान के दर्जे में रह गया है और न कोई हुक्म वजानेवाला रहा। अब तो गरीब से गरीब आदमी भी हुक्मरान के दर्जे में आ गया है और जो बड़े समझे जाते थे हुक्म वजानेवालों के दर्जे में आ गये हैं। अब दोनों मिलकर एक किस्म के हो गये हैं। मुझे जब गांव के लोगो से मिलने का मौका हुआ करता है तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि उनको यह समझना चाहिये कि स्वराज्य के माने यह है कि देश में के हरेक आदमी का सारे हिन्दुस्तान पर हक है और उनको यह समझने का हक हो गया है कि हिन्दुस्तान हमारा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग अपने लिये ही फ़ायदा उठावे बल्कि उसका अर्थ यह है कि अगर हमको सारे हिन्दुस्तान का हक मिल गया है तो सारे हिन्दुस्तान की हिफ़ाज़त करना, उसको ऊपर उठाना हम में से हरेक का फर्ज हो गया है। हिन्दुस्तान में कोई आदमी किसी तरह के काम में लगा हो हरेक का उममें बराबर हिस्सा है। कोई कागज का काम करता है, कोई फौज में काम करता है, कोई खेती का काम करते हैं, काम करने वाले सभी हैं। सब की इज़ज़त होनी चाहिये और सब को अपनी इज़ज़त समझनी चाहिये और दूसरों को भी उनकी इज़ज़त करनी चाहिये। हां यह ठीक है कि काम का फ़ायदा बना हुआ है और वह रहना चाहिये। जिसका जो काम रहे उसको उसे करना चाहिये क्यों कि हमें तो काम करना है, काम बिगाड़ना तो नहीं है। तो हम में से हरेक को अपना काम अदा करना है। जो छोटे से छोटे काम में लगे हुए हैं उनका भी इज़ज़त का काम है और उनको यह समझना चाहिये कि अगर वे उसे ठीक तरह से अंजाम देंगे तो उनका और देश का लाभ होगा। जो ऐसे काम में लगे हुये हैं जो बड़ा काम कहलाता है वह तो बड़ा है ही। मैं यह समझता हूँ कि आप जो फौज के आदमी हैं डिसिप्लिन के आदमी हैं आप समझते हैं कि हुक्म किस तरह से देना चाहिये और उसको मानना चाहिये। यह भी आप समझते हैं कि हुक्म ठीक तरह से वही दे सकता है जो ठीक तरह से हुक्म भजाता है। इसलिये सब को किस तरह से हुक्म मानना है यह सीखना है। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें हिन्दुस्तान की खिदमत में लगायी जायें। मुझे इस बात



का संतोष है कि इस बारे में लोग कुछ सजग हैं, मैं जहां जाता हूं वहां यह देखता हूं। मुझे डेढ़ साल से काफ़ी घूमने का मौका मिला है; मैं पहले भी घूमा करता था लेकिन पहले दूसरे क्रिस्म से घूमा करता था; पहले उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ़ घूमा करता था अब एक तरह से गवर्नमेंट का सिरताज होकर घूमा करता हूं। एक तरह से इतना फ़र्क हो गया है मगर मेरे लिये कोई फ़र्क नहीं है क्यों कि जब मैं देखता हूं कि किस तरह से लोग मुझे से मिलते हैं, मेरा स्वागत करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं मालूम होता। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग समझें कि जहां हमारे हाथों में अधिकार आ गया है वहीं उसके साथ यह बड़ी जवाबदेही भी आ गयी है कि हिन्दुस्तान हमेशा के लिये आजाद रहे और हमारी जो मुसीबतें हैं जो, गरीबी है, जो तालीम की कमी है, जो बीमारी है वह सब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाये और सब अपनी अपनी जगह पर काम करते जायें। जो जहां पर है वे ठीक तरह से अपने काम को अंजाम दें तो सारे हिन्दुस्तान का काम ठीक तरह से चल सकता है। अगर हम एक दूसरे के काम में दखल देने लग जायें, जो लड़ाई का काम करते हैं वे क्रागज लिखने लग जायें और जो कागज लिखने का काम करते हैं वे लड़ाई करने लग जाये, तो ठीक काम नहीं चलेगा। जो डाक्टरी का काम करते हैं वे खेती का काम करने लगे और जो खेती का काम करते हैं वे डाक्टरी करने लगे तो भी काम गड़बड़ा जायेगा। काम एक तरह से बंटता हुआ है और सब के लिये मौका है कि वे अपनी योग्यता के मुताबिक अपना काम करे। एक बड़ा काम यह हुआ है कि सब के लिये दरवाज़ा खुल गया है और सब लोग अपना अपना काम करते जायेंगे तो देश का कल्याण होगा और जो कुछ हम चाहते हैं वह हो सकेगा। आप हम से नजदीक रहते हैं इसलिये हम आशा रखते हैं कि आप औरों के मुकाबले में आगे रहेंगे। हम से भी आप आशा करते होंगे कि औरों के मुकाबले में मैं भी आगे रहूं। मालूम नहीं कि औरों से मैं आगे हूं या नहीं। यह मैं नहीं जान सकता। लेकिन आपसे मैं ज़रूर आशा रखता हूं। आप मुझे नहीं देखते हैं पर मैं तो आपको देखता हूं इसलिये आपको जानने और देखने का मौका मुझे रहता है। मुझे आशा है कि आप ठीक तरह से काम करेगे और उससे सब का भला होगा।

### लाला लाजपतराय की मूर्ति पर पुष्पहार

तारीख २१-९-१९५१ को स्व० लाला लाजपत राय की मूर्ति को हार पहनाने हुए राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

यह दूसरा मौका है जब मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं लाला जी की मूर्ति के चरणों में यह हार अर्पण करूं। लाला जी का जीवन सदा देश की और विशेषकर पंजाब की सेवा में ही लगा और उन्होंने जितनी सेवा और जितना काम हम सब के लिये और देश की आजादी के लिये किया वह हमारे इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। इसलिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे मौके पर आप सब बहनो और भाइयो के सामने मैं अपनी ओर से यह श्रद्धाजलि दे सका और मैं आशा करता हूं कि आप उनके चरण चिन्हों पर चलकर देश की सेवा के काम में हमेशा मदद करते रहेंगे।

## लेबर शो, शिमला

तारीख २१-९-१९५१ को लेडीज पार्क शिमला में लेबर शो के पश्चात् राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में कहा —

श्रीमती कुसुम त्रिवेदी, बहनो और भाइयों,

मुझे आप ने जो कुछ दिखाया और सुनाया वह सब देख और सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी काम हो जब तक उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर काम न करे तब तक वह काम पूरा नहीं हो सकता है। हमारे समाज और देश में यह अक्सर होता आया है कि एक किस्म का काम पुरुष करते हैं और दूसरे किस्म का काम स्त्रियां करती आयीं हैं। अब दुनिया की हालत बदल गयी है उसमें ऐसा मौका आता है जब दोनों को एक ही काम करने की जरूरत होती है। इसलिये मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहां की बहनें हर तरह के काम में हाथ बटा रही हैं और हर तरह लोगों की सेवा में जुट रही हैं। आपने सच कहा कि कुसुम त्रिवेदी के उत्साह बढ़ाने में बहुत बहनो इस काम में आयी हैं और मैं समझता हू कि यदि वे बहनें उसी उत्साह से काम में लगी रहती तो जो काम वे कर रही हैं वह आगे बढ़ेगा और दूसरे नये किस्म के काम भी वे सेवा भावना से कर सकेंगी।

आपने जिक्र किया एक छोटी सी रकम का जिसे मैं ने गत वर्ष आपके काम के लिये भेजा था। इस साल भी मैं उस रकम को भेज दूंगा। मैं समझता हू कि जिस उत्साह से आप काम कर रही हैं उसी उत्साह से काम में लगी रहती तो रुपये की कमी से कम नहीं रहेगा; हमेशा किसी न किसी तरह से आपके पास रुपये आते रहेंगे। भारत में काम करने वालों की कमी है, जिनको सेवा लेनी है उनकी कमी नहीं है; काम की भी कमी नहीं है। और कोई भी काम रुपये के बिना नहीं रहेगा। अगर काम करने वाले सच्चे मिले तो हर तरह की सहायता देश के लोग देते जायेंगे और आपका उत्साह बढ़ता जायेगा। आपने जो कुछ किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और आइन्दा के लिये उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह मैं आप काम को बढ़ायेगा।

## वाल्मीकि मन्दिर, शिमला

तारीख २७-९-१९५१ को शिमला के लद्दाखी मुहल्ले में श्री वाल्मीकि मन्दिर में राष्ट्रपति-जी ने एकत्रित जनसमूह के समक्ष अपने भाषण में कहा —

बहनो और भाइयों,

एक साल हुआ जब मैं शिमला आया था। उस वक़्त आप लोगों की ओर से यह स्वाहिश जाहिर की गयी थी कि मैं यहां चन्द मिनटों के लिये भी एक बार आ जाऊं। मैं ने वादा किया था कि समय निकाल कर आऊंगा। परसाल यह वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार वह वायदा मैं पूरा कर सका। आप जैसा जानते हैं, मेरी दिलचस्पी खास करके उन भाइयों की तरफकी और उन्नति में बहुत दिनों से रही है जिनके नुमाइन्दे आप लोग यहां हैं और मैं चाहता हूँ कि भारत का समाज ऐसा बन जाये जिसमें न कोई अछूत

रहे और न कोई बड़ा समझा जाये और न छोटा; सब बराबर के भाई और बहन की तरह रहे और समझे जाये। महात्मा गान्धी जी का यही विचार था और इसी विचार से उन्होंने अपनी सारी ज़िन्दगी के कामों में हरिजननों के उत्थान के काम को बहुत बड़ा महत्व दिया था। इस वक़्त हमारे देश के सविधान में भी अछूतपन को केवल पाप ही नहीं, एक जुर्म भी करार दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि जो रूढ़ि बहुत दिनों से चली आयी है और जो पिछले चन्द वर्षों में जब से स्वामी दयानन्द, महात्मा गान्धी, स्वामी श्रद्धानन्द और दूसरे लोगों ने इस ओर ध्यान दिया और इसे दूर करने का प्रयत्न किया तब से बहुत कुछ दूर भी हो चुका है जल्द से जल्द दूर हो जायेगी और इस में सभी का धर्म है कि मदद दे। जो लोग नीचे वर्ग के समझे जाते हैं या अपने को मानते हैं उनका धर्म तो है ही, और लोगों का भी धर्म है कि आपस में जो छोटे बड़े का विचार रखते हैं ऊँचे नीचे का विचार करते हैं उसको दूर करे और अपने जीवन को ऐसा सुन्दर बनावे जिससे सब लोग एक साथ मिलकर भाई और बहन की तरह रहे और आपस में सब से मोहव्वत रहे। मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ प्रयत्न इस काम के लिये देश में हो रहा है वह सफल होगा और मुझ से जो कुछ मदद हो सकती है, सेवा हो सकती है, उसके लिये मैं हमेशा हाज़िर हूँ।

आपने बड़ी मेहरबानी करके वाल्मीकि रामायण भेंट की। यह मेरी समझ में मेरे लिये बड़ी क़ीमती चीज़ होगी क्योंकि इसका सम्बन्ध एक तरफ़ आप लोगों से है और दूसरी तरफ़ उस महर्षि से है जो आदिकवि समझे जाते हैं और इस सगम का सुन्दर नतीजा यह होना चाहिये कि फिर हम में कोई भेदभाव न रह जाये और सब लोग एक हो जायें।

### गर्ल गाइड्स रैली

तारीख २८-९-१९५१ को गर्ल्स गाइड रैली के वाद राष्ट्रपति निवास शिमला के मैदान में राष्ट्रपतिजी ने अपने उपदेश में कहा—

गर्ल्स गाइड की सचालिकाओं, गर्ल्स गाइड की बच्चियों, बहनों और भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस वार भी एक मरतबे मैं इन बच्चियों को देख सका और जो कुछ उन्होंने दिखलाया उसको देखा और देखकर बहुत खुश हुआ। गर्ल्स गाइड के जरिये इन बच्चियों को सिर्फ़ मन-बहलाव का काम ही नहीं मिल जाता है बल्कि खेल कूद के साथ ही वे अच्छी से अच्छी चीज़ें भी सीख लेती हैं। एक दूसरे के साथ मेल मुहब्बत करना, मिल जुलकर काम करना और बहुत ऐसी बातें भी वे सीख लेती हैं जिनसे ज़िन्दगी में उनको लाभ हो सकता है। मुझे जो कुछ उन्होंने यहां दिखलाया उसे देखकर मैं खुश हुआ। पर-साल भी मैं ने देखा था। इस साल कुछ और नया देखा। देखने से मुझे इस बात की आशा होती है कि जब ये ज़िन्दगी में दाखिल होगी तो उनसे देश को और भी लाभ पहुँचेगा। मैं ने परसाल भी कहा था और इस साल भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उत्साह से काम करते जायें। मुझे यह सुनकर और भी खुशी हुई कि आपका पज़ाब और सब सबों के मुक़ाबले

में इस मामले में बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। यह हमेशा बढा रहे यह मेरी खाहिश है और सब को इसमें जहां तक हो सके मदद करना चाहिये। बच्चियों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जिन्को इनाम मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ। मगर जिन्को नहीं मिला उनके लिये भी अफसोस करने की कोई बात नहीं है। वे तो यहां खेल दिखलाने आयी हैं और उन्होंने खेल दिखलाया। वह क्या कम इनाम है? वह बहुत बड़ी चीज है। असलो चीज तो काम करना है। हा, उसमें इनाम मिल जाये तो अच्छा ही है; नहीं तो उसके लिये किमी को अफसोस नहीं करना चाहिये और अपने को अगले वर्ष के लिये तैयार करना चाहिये कि जिन्को नहीं मिला है उनको भी मिल जाये। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन प्रति दिन बढता जायेगा और हमेशा तरक्की करता जायेगा।

### सनावर पब्लिक स्कूल

तारीख १-१०-५१ को ६ बजे शाम सनावर स्कूल के सालाना जलसे में राष्ट्रपतिजी ने कहा—  
प्रिंसिपल साहब, डाक्टर ताराचन्द, पेप्सू के चीफ मिनिस्टर साहब, बहानो और भाइयो,

इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे आपके स्कूल को देखने का मौका मिला। मैं ने पहले कुछ सुना था कि इस तरह के स्कूल को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है और कई जगहों पर ऐसे स्कूलों का फौज की तरफ से जो पहले इन्तजाम होता था उन्हें अब गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से चलाने का इन्तजाम हो रहा है। यह बहुत ही अच्छा और सुन्दर फैसला हुआ है। इस तरह के स्कूलों की जरूरत इस मुल्क में इस वकन है और मैं समझता हूँ कि हमेशा रहेगी। हमें इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम अच्छे शहरी तैयार करें—ऐसे शहरी जो मुल्क की खिदमत कर सकें, साथ ही अपनी तरक्की कर सकें और इस मुल्क में और दूसरे मुल्को में हिन्दुस्तान का नाम ऊचा उठा सकें।

आजकल हम नये जमाने में से गुजर रहे हैं, एक नये किस्म का इन्तजाम अपने मुल्क के अन्दर दाखिल कर रहे हैं और एक तरह से एक नया तजुर्वा हमको मिल रहा है। इस तजुर्वे को कामयाब करने के लिये हमें अच्छे से अच्छे नौजवानों की जरूरत है। नौजवानों से मेरा मन्दा लडके और लडकियों दोनों से है। जरूरत इस चीज की है कि ऐंम लोग हमारे स्कूलों में, कालेजों से और यूनीवर्सिटियों से तैयार होकर निकले जो इस नये भाग को सम्भाल सकें और मुल्क के इन्तजाम में पूरा पूरा हिस्सा ले सकें और पूरी तरह से उसको अजाम दे सकें। इसी वजह से ऐसे स्कूलों की जरूरत है जहां सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं सिखलाया जाता बल्कि उनके साथ साथ उनका चरित्र भी ऐसा बनाया जाता है कि वह इस काम के काबिल हो सकें। मैं ने कई जगहों पर कहा है—डाक्टर ताराचन्द के सामने कहने में कुछ हिचकिचाहट होती है—कि आजकल तालीम का जो सिलसिला हमारे मुल्क में है उसमें चरित्र गठन पर, कैरेक्टर बिल्डिंग पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिये; जब मैं चरित्र गठन की बात कहता हूँ तो आप यह नहीं समझें कि उसमें मैं महज बुरे शैले की तमीज को ही शामिल करता हूँ बल्कि हिम्मत को भी और जहाँ जरूरत हो, वहां कर्वाँ ? के जरूरे को भी शामिल करता हूँ।

मेरे विचार में यह सब चरित्र के अन्दर आता है। अगर आप इन चीजों को हमारे स्कूलों में दाखिल कर सके और साथ ही साथ आज जो किताबों की तालीम दी जाती है उसे भी अच्छी तरह से सिखा सके तो मैं समझता कि हमारी शिक्षा और तालीम पूरी हुयी। पर जब तक उनकी कमी बनी रहती है उस वक्त तक हमारी शिक्षा अधूरी ही रहेगी। इसलिये जिन स्कूलों में इन चीजों पर जोर दिया जाता है उनकी हमें जरूरत है। आपने अभी कहा है कि आप सिर्फ पढ़ाने पर ही जोर नहीं देते बल्कि बच्चे और बच्चियों के स्वास्थ्य का भी खयाल रखते हैं, उनको खेल, कसरत और वजिश का पूरा मौका देते हैं, उनके खाने पीने पर भी इसलिये ध्यान देते हैं जिसमें उनकी तबीयत और सेहत ठीक रहे; आप इसका भी खयाल रखते हैं कि किसी किस्म की बीमारी यहा पैदा न हो। ईश्वर की कृपा से यह जगह ऐसी है जहा बीमारी होनी ही नहीं चाहिये और मामूली तौर से होती भी नहीं है। यहा का जल और वायु दोनों अच्छे है। दूसरी जगहों से बीमार होकर लोग यहा आते हैं और अच्छे होकर जाते हैं। जो लोग वचपन से ही यहा रहे और जिन की सेहत का पूरा खयाल रखा जाता है उनका स्वास्थ्य तो किसी तरह से खराब होना ही नहीं चाहिये। यह स्वाभाविक है कि दो तीन महीने के लिये जब आप यहा से घर जाते हैं तो यहा जो आदत पडी रहती है वह कुछ बिगड जाये। लेकिन जो कुछ आप नौ महीने में यहा सीखते है उसमें इतनी ताकत होनी चाहिये कि यदि तीन महीने में आदत कुछ बिगड़े भी तो भी आप बीमार होकर न आवे बल्कि पूरी तरह से कन्दुस्त ही आवें। मेरा अनुमान है कि सभवतः ऐसा ही होता भी है। इसलिये सब बातें मुन लेने के बाद मैं समझता हू कि आपको सच्चे दिल से मुबारकबाद दू। यहां के बच्चे पढाई में भी आगे निकल रहे हैं, खेल कूद में भी आगे निकल रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। यहा के बच्चे और बच्चियों की तायदाद भी बढ़ती जा रही है और मुझे आशा है कि उनकी तायदाद और भी बढ़ेगी। पर मेरी राय है कि तायदाद बढ़ने पर भी आप उतने ही विद्यार्थी ले जितनों को ले सकते हैं, उनसे ज्यादा न ले। मैं न देखा है कि बहुत से स्कूलों में और अस्पतालों में भी जितनी जगह है उनसे अधिक लोग ले लिये जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वहां जितने लोग रहते हैं उनकी पूरी देखभाल नहीं होती। इसलिये यह ध्यान आप जरूर रखें कि जिन्हे आसानी से, आराम से अपने क्रायदे के मुताबिक आप रख सकते हैं उतने ही को अपने यहा दाखिल करे। अगर ज्यादा लोग दाखिले की माग करे तो अपने विद्यालय की पहले इजाफत करें और ज्यादा खर्च का प्रबन्ध कर ले तब दाखिला करे। ऐसा करने पर ही आप अपने स्टैण्ड को बनाये रख सकेंगे। मुझे आशा है कि आपका यह काम दिन ब दिन तरक्की करता जायेगा।

यद्यपि अमीरों के लिये ही यह स्कूल है, गरीबों के लिये यहा जगह नहीं है तो भी जिनके लिये यह स्कूल है उन्हें चाहिये कि वे इससे पूरा लाभ उठावें। जो बच्चे यहा पढ रहे हैं उनके दिल में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिये कि वे उस मुल्क के हैं जिस मुल्क में गरीबी है, जिस मुल्क में सब ऐसे खुश किस्मत नहीं है जितने वे हैं। और उन लोगों में यह जड़बा होना चाहिये कि उनसे जो आज नीचे है उनको भी वे अपने मुकाबले में ला सके। जब आप उनके दिल में यह भावना डाल देंगे और ऐसा हौसला और ख्वाहिश लेकर वे यहां से जायेंगे तभी उनकी शिक्षा पूरी कही जायेगी और तभी वे देश का और अपना कल्याण कर सकेंगे। अगर वे इस भावना को लेकर जायेंगे कि हम ऐसे स्कूल से आये हैं जिसके मुकाबले का दूसरा स्कूल नहीं, जिसे मैं ऐसे लोग रहने

हैं जैसे दूसरे स्कूलों में नहीं रहते और जिसमें तालीम पाये हुये लोग और लोगों से बेहतर होते हैं तो मैं समझता हू कि यह उनके लिये भी बुरा होगा और देश को भी उनसे पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हू कि जो यहा से जाये नम्रता भी अपने साथ ले जायें। उनको यहा जो भी लाभ हुआ हो उसे अपने ही तक सीमित न रखे बल्कि दूसरे लोगों तक पहुंचाये और गरीबों को अपने दर्जे तक लाने का प्रयत्न करे।

मैं आप सब भाइयों और बहनो का शुक्रगुजार हूँ और खास करके स्कूल के अभिभावक, और सचालकों का मैं शुक्रिया अदा करता हू कि आपने मुझे मौका दिया और मैं इस स्कूल को देख सका।

### गांधी जी के चित्र का अनावरण

१-१०-५१ को सनावर स्कूल मे गांधी जी के चित्र का अनावरण करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—  
बच्चे और बच्चियो,

मैं अभी महात्मा गांधी की इस तस्वीर को आप सब के सामने खोल देना चाहता हू। यह तस्वीर यहा रहेगी। आप सब को रोज इसके दर्शन का मौका मिलता रहेगा और मुझे आशा है कि आप इसका दर्शन रोज व रोज करते रहेंगे। मगर सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है। आप एक दूसरे का चेहरा देखे। महात्मा गांधी का कोई दूसरा चेहरा नहीं था। आपमे से कुछ ऐसे हैं जो महात्मा गांधी जी से ज्यादा खूबसूरत हैं। मगर महात्मा गांधी महात्मा इसलिये नहीं हुए कि वह सुन्दर थे बल्कि वह इसलिये महात्मा हुए कि उन्होंने बड़े बड़े काम किये। वह बड़े काम कैसे कर सके? इसलिये कि बचपन से ही उन्होंने अपना चरित्र बनाया। सचाई को बचपन में ही उन्होंने अपना आदर्श मान लिया और किसी भी मौके पर वह फिसले नहीं। जो वादा उन्होंने अपनी मा से किया था, जो इरादा उन्होंने अपने दिल मे किया था उसे धार्मिक व्रत के समान उन्होंने ने निभाया। उमे सर्वदा याद रखा और उस के पालन में लगे रहे जिस से कि वह सब गलतियों से बच गये। मैं यह चाहता हू कि आप भी वैसे ही बने और आप वैसे बन सकते हैं, अगर महात्मा गांधी के गुणों को आप अपनाने का प्रयत्न करे। महात्मा जी की छोटी बडी जीवनी हर तरह की छप गयी है। उनकी जीवनी आप पढें। और पढे ही नहीं बल्कि उनके नक्शेकदम पर चलने का प्रयत्न करे। महात्मा जी जो कहते थे वही करते थे। दूसरे लफ्जों में वह जो करते थे वही कहते थे, उससे ज्यादा नहीं कहते थे। यदि आप यह सीख ले कि जो कुछ आप कहे वही आप करेगे तो आप गलतियों से बच जायेंगे और तरक्की करेंगे। मैं उम्मीद करता हू कि आप इस तस्वीर से हमेशा लाभ उठाते रहेंगे।

### सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण

सेन्टेटेरियट हाल पटियाला में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करते समय तारीख २-१०-५१ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

श्रीमन्त राजप्रमुख साहब, बहनो और भाइयो,

मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस शुभ काम के लिये यहां बुलाया और सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करने का आज मुझे मौका दिया। वो

आजादी हमें मिली है जैसे जैसे उसका महत्व हम समझते जायेंगे और जो कुछ सरदार ने किया जैसे जैसे उसका महत्व भी हम समझेंगे वैसे ही हमारे दिलों के अन्दर उनकी कद्र बढ़ेगी। उनके साथ ३० या ३२ वर्षों तक काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यह कह सकता हूँ कि इन ३०-३२ वर्षों के अन्दर ऐसा एक दिन भी न बीता जब उन्होंने ने उसी मुहब्बत से बातें न की हो जो मुहब्बत वह हमेशा हमारे प्रति रखते थे। आपस में मतभेद हुआ करते थे और वे होने चाहिये। पर हम एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखते थे, एक दूसरे के साथ पूरा प्रेम रखते थे और इसीलिये हम एक साथ मिल कर इतने लम्बे असें तक काम कर सके। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर भारत आये और जब उन्होंने हिन्दुस्तान में एक नया दौर आरंभ किया उसी दिन से सरदार वल्लभभाई ने उनके काम में हाथ बटाया अपनी सारी जिन्दगी में यानी १९१६-१७ से उस वक़्त तक जब उनकी मृत्यु हुई महात्मा गांधी ने जितने बड़े बड़े काम किये, जो कुछ आन्दोलन चलाये, जो भी क़दम उन्होंने ने उठाये उन सब में सरदार वल्लभभाई का इतना बड़ा हिस्सा रहा कि अगर कोई कहे कि गांधी जी के तो विचार और कार्यक्रम होते थे और उनको असली काम की शक्ल सरदार देते थे तो यह कहना बिल्कुल सही होगा। यही बात सत्याग्रह के बारे में भी कही जा सकती है। महात्मा गांधी ने जो कई बार सत्याग्रह छोड़ा और आजादी हासिल करने में जो उनके सब से बड़े काम हुए उन सब में सरदार का हाथ था। महात्मा गांधी का उन पर इतना विश्वास था कि हर किसी काम में वे सरदार से सलाह करना अपने लिये जरूरी समझते थे। इतना ही नहीं मैं यह भी कह सकता हूँ कि कभी कभी सरदार का उनसे मत नहीं मिलता था लेकिन अन्त में जब किसी बात का फैसला हो जाता था तो जो कुछ भी फैसला होता था उसका सरदार पालन किया करते थे। महात्मा गांधी के मरने से सरदार को कितना बड़ा धक्का लगा उसका अन्दाजा आप नहीं कर सकते। जितना भी उन से हो सकता था वे गांधी जी के बतलाये रास्ते पर चल कर जो काम वाकी रह गया था उसके पूरा करने में अपने जीवन के अन्तिम दिन तक लगे रहे; जो उनकी ख्वाहिश थी उसको अच्छी तरह से पूरी करने की कोशिश की।

मैं आपको याद दिलाऊँ १९४७ के उन मुसीबत के दिनों की जब अपने वाल बच्चों को जिनको वे बचा सकते थे उन को साथ ले आने के अलावा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर लाखों लोग एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ भाग रहे थे। उन विपत्ति के दिनों में भी उन्होंने बड़े धैर्य से काम लिया और अपनी पूरी शक्ति से उनकी रक्षा का ठीक ठीक प्रबन्ध किया।

जो सब से बड़ा काम उन्होंने ने किया उसको महाराजा साहब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने ने उसे स्वयं अच्छी तरह देखा था। जितने बड़े बड़े महाराजा अपना राजकाज चलाया करते थे उनके हाथों से उसे उन्होंने ने छुड़ाया। जब स्वराज्य मिला तब हिन्दुस्तान में हमारे सामने सब से बड़ा सवाल यही था कि हिन्दुस्तान के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर हिन्दुस्तान के दो पख कट जाने के बाद क्या वे छोटी बड़ी रियासतें जो एक दो नहीं ५०० से ज्यादा थीं बनी रहेगी? लेकिन सरदार वल्लभभाई ने ऐसा काम किया कि ये सब जोर ज़बरदस्ती के कारण नहीं बल्कि अपनी रज़ामन्दी से भारत में मिल गयी। इस तरह वह हम सबों के लिये एकछत्र राज्य छोड़ गये। उन्होंने यह इतना बड़ा काम किया कि इसका उदाहरण हमारे देश के इतिहास में नहीं है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के दूसरे देशों के इतिहास में भी नहीं है। जिन लोगों की इतनी रियासतें गयी उनकी मर्जी से, खशी से, रज़ामन्दी से

एक राज कायम कर देना, और वह राज भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि प्रजातन्त्रात्मक राज्य जिसमें हरेक आदमी का अपना अधिकार हो कोई आसान काम नहीं था। आज हिन्दुस्तान में एक राज्य है। आज हिन्दुस्तान में न कोई राजा है और न कोई प्रजा। आज हिन्दुस्तान में सब के सब राजा हैं और सब के सब प्रजा।

पर साथ ही सरदार हमारे सर पर भारी जवाबदेही छोड़ गये हैं। हमें आज उसको महसूस करना चाहिये और जो काम वह छोड़ गये हैं हमारा फर्ज है कि उसको हम पूरा करें। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और कभी कभी उतावलेपन और घबराहट में समझते हैं कि अभी कुछ काम नहीं हुआ है। पर कोई काम एक दिन में तो होता नहीं। सब में समय लगता है। सब के लिये आदमियों की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जो मुल्क की खिदमत में जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसे अच्छी तरह से अदा करें और उसे अन्जाम दे सकें। हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो वह हमारी अदूरदर्शिता है। इसलिए सरदार हम सब के लिये यह सबक छोड़ गये हैं कि हम सब को लाजिमी है कि देश को सामने रख कर हम मिल जुल कर काम करें। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हम को ईश्वर ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। मैं पूछता हू कि ईश्वर ने हमको क्या नहीं दिया है? ईश्वर ने हम को सब कुछ दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि हमारे दिलों के अन्दर एक दूसरे के साथ विश्वास हो और एक दूसरे से मुहब्बत हो और जो काम सरदार छोड़ गये हैं उसको हम पूरा कर सकें। इस देश में अलग अलग सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। यह काम हमारे मुल्क के अन्दर सब से जरूरी है कि सब एक सूत्र में बंध जायें। मुहब्बत के सूत्र का बन्धन मजबूत होता है। लोहे की जजीर कमजोर हो सकती है लेकिन उस सूत्र का बन्धन मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हू कि अलग अलग सम्प्रदाय के लोग अलग अलग भाषा के बोलने वाले सब मिल कर रहेंगे और भारत के महान् बनाने का जो काम सरदार ने शुरू किया उसको पूरा करेंगे।

### सार्वजनिक सभा, पटियाला

पटियाला में सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में ता० २ अक्टूबर को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

श्रीमान् राजप्रमुख साहब, बहनो और भाइयो,

आपने जिस प्रेम से मेरा स्वागत किया है और इतने मानपत्र देकर मेरा मान बढ़ाया है उसके लिये आप सब को हृदय से धन्यवाद देता हू।

आप से यह ठीक कहा गया है कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। हमारा और आपका यह बड़ा फर्ज है कि जो कुछ सीख उनसे हम को मिली है, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, हम उस पर विचार करें और यह इरादा कर लें और अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि ईश्वर ने जितनी भी शक्ति दी है उसे पूरी तरह लगा कर हम उनकी शिक्षा के अनुकूल ही चलेंगे और जो काम महात्मा गांधी जी ने इस देश के और सारे ससार के लिये शुरू किया था और जो पूरा नहीं हो सका उसको हम पूरा करेंगे। आपको इस बात पर विचार करना चाहिये कि महात्मा गांधी महात्मा कैसे हुये। जन्म से तो वे महात्मा पैदा नहीं हुए। उन्होंने अपन तप से, अपनी कृपानी से, अपनी सचाई से और अपनी सेवा से महात्मा पद प्राप्त किया था और केवल इस देश के लोग



ही नहीं सारे संसार के लोगों ने उनको महात्मा माना था और आज भी मान रहे हैं। उनकी बड़ी खूबी यह थी कि वह दूसरों की कमजोरी को भी अपने तपोबल से खींच लेते थे और उनमें भी वह ऐसी अपूर्व शक्ति और जान भर देते थे कि जो पहले कुछ ज्यादा न कर सकते थे वे भी बड़े बड़े काम कर लेते थे। इस देश में जो मुर्दानी छापी हुयी थी, विदेशी सल्तनत के मातहत जो हम यह समझने लग गये थे कि हमारे लिये उससे कोई छुटकारा नहीं, उस मुर्दानी और खयाल को उन्होंने दूर ही नहीं कर दिया बल्कि हमारे सामने उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा एक ऐसा हथियार रखा जिसके जरिये हम इस देश को आजाद कर सके और स्वतन्त्र देशों में भारत को आदरणीय स्थान दिला सके।

१९२०-२१ की बात है। उन दिनों महात्मा गांधी जी ने अपना काम शुरू किया था। वह सारे देश के अन्दर अपनी आवाज पहुँचा रहे थे। देश में स्वराज्य कायम करने के लिये लोगों के दिलों में नया उत्साह, नये हौसले, नये बलबले पैदा हो रहे थे। उस वक़्त ऐसे अनेक विचारवान लोग थे जो यह सोचते और कहते थे कि इतनी बड़ी सल्तनत का—ऐसी सल्तनत का, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तिशाली सल्तनतों में भी सब से ऊँचा दर्जा रखती है—मुकाबला गांधी जी कैसे कर सकेंगे। वे सोचते थे कि हमारे पास न तो फौज है, न हमारे पास हथियार और न हमारे पास उन साधनों में से कोई भी साधन है जिनके जरिये से आजकल संसार का एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हुकूमत करता है। इसलिये उन्हें यह शंका थी कि इस देश के निहत्थे, हथियारों के बिना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबला कैसे कर सकेंगे और उन्हें इस देश से कैसे निकाल सकेंगे। उस वक़्त एक अंग्रेज़ ने कहा था कि गांधी जी ने दुनिया के सामने जो अहिंसा का नया हथियार रखा है वह एक बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है और उन्होंने हिन्दुस्तानियों को यह कह कर कि तुम किसी के साथ कोई सख्ती न करो, किसी पर हाथ न उठाओ, अपनी तरफ़ से किसी किस्म का हथियार काम में न लाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब हथियारों को निरुन्मा बना दिया है और उन्होंने अपने आदमियों के हाथों से हथियार छीन कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों से भी हथियार छीन लिये हैं। उसका यह कथन ठीक निकला। हम लोग, जिनके पास कोई हथियार न थे, उस सल्तनत का मुकाबला कर सके जिसके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे और सिर्फ़ मुकाबला ही न कर सके, अन्त में हम ने फ़तह भी पायी। जब हम दुनिया में अहिंसा की करामात इस खूबी के साथ देख चुके हैं तो हमारे दिल में अहिंसा की शक्ति के बारे में कोई शक न रहना चाहिये। एक प्रकार से संसार आज एक खौलता हुआ कड़ाह बना हुआ है। आजकल सभी देश एक दूसरे के साथ हमदर्दी के बदले बँर रखते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वास के बदले अविश्वास रखते हैं। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। सब इस होड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपने हथियारों की शक्ति को इतना बढ़ा ले जिसमें दूसरा कोई हमारा मुकाबला न कर सके। संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों में यह होड़ चल रही है। यही कारण है कि दुनिया में अब इतनी मूसीबत उन लोगों को भुगतनी पड़ रही है जो बेचारे न तो खुद इस झगड़े में पड़ना चाहते हैं और न जिनके लिये इस झगड़े में पड़ना ज़रूरी ही है। इसके अलावा जो किसी कारण से उसमें पड़ जाते हैं वे अपने को उससे निकाल नहीं सकते। अतः आज दुनिया को गांधी जी के रास्ते की ज़रूरत है। अगर आज गांधी जी होते तो शायद हम संसार के सामने यह नमूना भी पेश कर सकते कि जिस तरह से हथियारों के बिना हमने स्व-

राज्य हासिल किया था उसी तरह से सारे संसार में शांति की स्थापना करने में भी हम काफ़ी काम कर सकते हैं। मगर शायद ईश्वर को अभी कुछ और इम्तिहान लेना मज़र है और उसने उनके देश के भाई के हाथों से ही उन्हें इस संसार से उठा लिया। आज हमें और आपको इस का खेद है, अफ़सोस है। दुनिया भी इस चीज़ को देखती है, महसूस करती है कि गांधी जी अगर होते तो शायद ऐसा कोई रास्ता निकाल देते जिस पर चल कर इन्सान इस खोलते हुए कड़ाह से नजात पा सके। इसलिये यह हमारा और आपका धर्म है कि महात्मा जी की याद करे और जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर चलने का प्रयत्न करे।

भारत को महात्मा गांधी ने बताया कि अहिंसा सब से ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, कितनी ही प्रकार की जवानों के बोलने वाले लोग हैं। अगर कोई हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार सफ़र करे तो वह देखेगा कि इस देश में कितनी भाषा के बोलने वाले लोग हैं और यहां कितनी किस्म की रस्म रिवाज फैली हुई हैं और यहां कितने धर्म के मानने वाले लोग हैं। ऐसे मुल्क के अन्दर अगर अहिंसा न हो तो मुल्क कैसे चलेगा ? एक भाषा बोलने वाले दूसरी भाषा के बोलने वाले से झगडते रहे तो देश के अन्दर शान्ति कैसे हो सकती है ? आप यह तो जानते ही हैं कि ऊपरी तफ़रक़ात के होते हुये भी भारत एक है और आज से नही सदा से एक है। हां, एकछत्र राज्य अब तक न था। आज वह भी कायम हो गया है। जो एकता भारत के अन्दर उसी तरह गुथी हुई थी जिस तरह हार के अलग बिखरे हुए मणियों में गुथी होती है और जो सारे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखे हुई थी वह अब एक छत्र राज्य के रूप में स्पष्ट प्रकार से मूर्त हो गई है और हर तरह से आज हम एक हो गये हैं। उस एकता को कायम रखना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना और उसे हमेशा के लिये अटूट बनाना हमारा और आपका काम है। इसलिये जहां जहां में जाता हू वहां के लोगों से यही कहता हूं कि वे अपने अपने काम को पूरा करने में लग जायें। अपने हकों को हर एक बरते पर उसके साथ ही वह अपने काम को, अपनी जवाबदेही को, अपने कर्तव्य को भी पूरा करता रहे और आपस के भाईचारे, एक दूसरे के साथ रवादारी और सहिष्णुता को बरते। अगर हम में से किसी से गलती भी हो तो उसे दरगुज़र करे। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में सामान काफ़ी हैं। हमारे लोग मामूली तौर से कुछ ज़्यादा ऐसे मिजाज के नही है जो हमेशा लड़ते झगडते रहें। हम शान्ति पसन्द करने वाले लोग हैं और वह आज से नही, हजारों वर्षों से है। भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले इस देश के अन्दर रहते आये हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहे हैं। मिल जुल कर हमने एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा तमुद्न तैयार किया है कि आज कोई नही कह सकता कि वह किसी एक जाति का है, किसी एक धर्मवालो की या किसी एक भाषा बोलने वालो की देन है। वह तो सभी की तैयार की हुई चीज़ है। हम सब के लिये वह बड़ी दौलत है। उसे कायम रखना सारे संसार के सामने पेश करना हमारा और आपका धर्म है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप स्वराज्य की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से समझें।

आपने सुना ही होगा कि चन्द दिनों के बाद ही, थोड़े दिनों के अन्दर ही इस मुल्क के अन्दर चुनाव होने वाला है। हमारे देश का भविष्य उस चुनाव के नतीजे पर आइन्दा निर्भर होगा।

अब तक अगर कोई तकलीफ़ हमें होती थी, हमारे ऊपर कोई मुसीबत होती थी तो हम उसकी ज़िम्मेदारी अक्सर दूसरों पर डाल सकते थे और डालते थे। दूसरों पर यह ज़िम्मेदारी डालना कभी कभी सही होता था, कहीं कहीं ग़लत भी होता था मगर हम को डालने का मौक़ा था और हम कह सकते थे कि उन मुसीबतों के लिये हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, वे दूसरों की वजह से हमारे सर पर पड़ी हैं। मगर अब आप में से जितने लोग २१ वर्ष के हैं, चाहे वे स्त्री हों चाहे पुरुष, सब को हक़ मिल गया है कि सब मिल कर अपने नुमाइन्दे चुनें और आपके चुने हुए लोगों के हाथों में आपके भाग्य का बनाना और बिगाड़ना रहेगा। अब आप न तो राजाओं पर इल-जाम डाल सकते हैं न ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और न किसी दूसरे आदमी को तलाश करके उस पर इलजाम डाल सकते हैं। अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी हमारे देश के लोगों पर होगी और अगर कोई बात सुधरती है तो उसका सारा श्रेय आपको मिलेगा और मिलना चाहिये भी। तो यह बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब पर आ गयी है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस ज़िम्मेदारी को जितना ही महसूस करेंगे और महसूस करके ठीक तरह से अंजाम देंगे उतना ही आपके लिये सुख और शान्ति का रास्ता खुलेगा। अगर इस ज़िम्मेदारी को आपने नहीं समझा और स्वार्थवश छोटे मोटे गिरोहों में बंटकर किसी फ़िक्र के वश में आकर इस ज़िम्मेदारी को ठीक ईमानदारी और निश्चय के साथ नहीं बरता तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा और उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपके सर होगी। मेरा खयाल है कि इस नये विधान के मुताबिक हमने जो यह नयी बात शुरू की है अर्थात् २१ वर्ष की उम्र वाले सब बालिय स्त्रियों और पुरुषों के हाथ में जो देश की बागडोर दे दी है वह बात एक तरह से अंधेरे में छलांग मारने के समान है; गिरेंगे या उभरेंगे और अगर गिरे तो सम्भल कर खड़े भी हो सकेंगे या नहीं यह सब तो ईश्वर ही के हाथ है। बहुत कुछ यह बात आपके हाथ में भी है। मुझे आशा है कि आप साफ़ पार उतरेंगे और खड़े उतरेंगे और आइन्दा के लिये हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। यह तभी हो सकेगा जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझ कर बरतें।

गांधी जी के जन्म दिन पर मैं आप सब को याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वराज्य हासिल करना उतना मुश्किल न था जितना स्वराज्य से लाभ उठाना और उसको कायम रखना मुश्किल है। उस वक़्त हमारे पास दूसरे प्रकार की शक्ति भी थी। जिस वक़्त हम अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे उस समय हमें एक प्रकार की ताक़त की ज़रूरत थी; सबों ने उसे मुहैया करने में हाथ बटाय़ा था। आप यह न समझें कि अब कुर्बानी का समय नहीं रहा, आप यह न समझें कि अब त्याग का समय नहीं रहा और भोग का समय आ गया है। जो सच्चे लोग होते हैं उनके लिये त्याग ही भोग होता है, उनके लिये त्याग और भोग में कोई अन्तर नहीं होता। हम और आप में से जो त्याग और भोग में फ़र्क करते हैं उनको समझना चाहिये कि अभी भोग का समय नहीं आया है। वह समय तब आयेगा जब भारत से गरीबी दूर हो जायेगी, बीमारी दूर हो जायेगी और जब जैसा कि हमारे पुराने ग्रन्थों में लिखा हुआ है इस देश में दूध और दही की नहरें बहने लगेंगी, इस देश में क्षीर समुद्र बहने लगेगा, जब यहां एक भी आदमी निरक्षर नहीं रह जायेगा और कोई बीमारी नहीं रह जायेगी। गांधी जी का रामराज्य तभी आयेगा। गांधी जी रामराज्य का जिक्र किया करते थे। कुछ लोग ग़ज़तफ़ूहमी से उसका दूसरा अर्थ लगा लेते थे। लेकिन गांधी जी के रामराज्य का अर्थ वही है जो रामायण में दिया हुआ है। उसका अर्थ यह है कि जहां सब लोग धर्म

पर चलते हों, जहां कोई बच्चा मरता नहीं हो, जहां कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, जहां सब श्रोग सुखी हों, जहां साधु सन्तों की क्रूर होती हो, जहां त्यागी और तपस्वी सब से बड़े माने जाते हों वहीं राम राज्य है और वह रामराज्य हमें अभी स्थापित करना है। स्वराज्य मिल गया है लेकिन अभी रामराज्य कायम करना है। अतः मैं यह चाहता हूँ कि सब मिल कर उस रामराज्य को कायम करने में हाथ बंटायें। आप यह न समझें कि अब कोई काम बाकी नहीं रहा। अभी बहुत काम बाकी है जिनको पूरा करना हमारा और आपका फ़र्ज है। आप में से किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। प्रायः ३०-३५ वर्ष पहले जो भारत का चित्र था उससे भारत के आज के चित्र को मिला कर यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस बीच में कितनी बड़ी करामात हो गयी है। आज बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं जिनका उन दिनों में हम अनुमान भी नहीं कर सकते थे। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस आदमी ने भी गांधी जी की जीवनी पढ़ी उसमें यह विश्वास भी होना चाहिये कि उसको भी ईश्वर ने शक्ति दी है और वह चाहे तो गांधी जी हो सकता है। गांधी जी महात्मा हुए तो कोई वह जन्म से महात्मा नहीं थे। उन्होंने अपने तप से, अपने कर्म से महात्मा पद प्राप्त किया था। इसलिये मैं तो यह चाहता हूँ कि आज भारत के अन्दर कोई आदमी यह न सोचे समझे कि वह कमज़ोर है और ईश्वर ने उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है जिससे वह तरक्की कर सके। हरेक को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिये। अपने ऊपर भरोसा करके अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने त्याग, तप और परिश्रम से वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुँच सकता है। मैं कहता हूँ कि आज से ३०-३५ साल पहले मैं स्वप्न में भी यह न सोच सकता था कि मेरे जैसा एक तुच्छ आदमी आज के भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। मैं कहता हूँ कि आप में से हरेक के पास यह शक्ति है कि वह देश का राष्ट्रपति बन सके। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिये जो त्याग आवश्यक है और जिम सेवा की देश उससे अपेक्षा करता है उसे करने के लिये वह तैयार हो जाये। सच पूछिये तो जब राष्ट्रपति होने का आपके दिल में खयाल भी नहीं होगा तभी आप राष्ट्रपति हो सकेंगे। मैं तो यह भी कहूँगा कि राष्ट्रपति होना ज़रूरी भी नहीं है। बिना राष्ट्रपति हुए भी आप सेवा का काम कर सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति होने की इच्छा नहीं रखेंगे तो जल्द राष्ट्रपति बन सकेंगे।

इसको आप मज़ाक न समझें। यह जनता के हाथ में है कि जिसको चाहे वह राष्ट्रपति बना दे और या उसे पद से हटाकर शहर में झाड़ू देने के लिये भेज दे। हम को दोनों के लिये तैयार होना चाहिये। आप यह न समझें कि आप राष्ट्रपति होकर ही सेवा कर सकते हैं। यदि आदमी छोटे से छोटे आदमी का काम करता है और उस काम को बड़ा मानकर अंजाम देता है तो वह छोटा काम भी बड़ा हो जाता है और उस आदमी को वह बड़े दर्जे तक पहुँचा देता है। उसी तरह राष्ट्रपति के पद को मैं चाहूँ तो भ्रष्ट कर सकता हूँ और उसके विपरीत जो छोटे काम में लगे हुए हैं उसको वे लोग चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। गांधी जी ने देश को क्या न बना दिया पर जब गांधी जी स्कूल में पढ़ने गये तो कौन कह सकता था कि वे संसार भर में सब से बड़े महात्मा होंगे। उन्होंने इस पद को प्राप्त किया। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि नोट देने की जो बात आयी है उसको आप छोटा नहीं समझेंगे। बड़े से बड़े काम में आदमी का इम्तिहान नहीं होता है। इम्तिहान छोटे से छोटे मौके पर ही होता है। किसी ने कहा है कि बड़े से बड़े आदमी का असली महत्व वह जानता है जो दिन रात उसके साथ रहता है। वह इसलिये

नहीं कि वह उसके बड़े कामों को देखता है बल्कि इसलिये कि वह उसके छोटे से छोटे कामों को देखता है। वह देखता है कि बड़ा आदमी किस तरह से रहता है, किस तरह खाता है, किस तरह बैठता है। कोई आदमी अपने साथ के खिदमतगार की नजर से नहीं बचा रह सकता क्यों कि वह उसके कामों को जानता है। अतः मैं तो यह समझता हूँ कि छोटे से छोटे काम को भी ईश्वर को सामने करके करते जाना चाहिये। हम नहीं देखते पर ईश्वर सब कुछ देखता रहता है। अगर आप सब काम को ईश्वर को सामने देखकर करते हैं तो आपसे गलतियाँ नहीं हो सकती हैं। अगर गलतियाँ भी हो जायें तो उनको ईश्वर माफ़ कर देता है। तो ज़रूरत आज देश को इस चीज की है कि हम अपने कर्तव्य को समझे और उसके अनुसार काम करें। अगर हमने इस तरह से काम किया कि हिन्दू और सिख झगड़े हिन्दू और मुसलमान झगड़े तथा और कितने ही तरह के झगड़े खड़े हो तो हमारा काम नहीं चल सकेगा। राजनीतिक क्षेत्र में दलों के बीच मतभेद होता है और मतभेद होना ज़रूरी हो भी सकता है। मगर सच्चे आदमियों में मतभेद होने पर बुरी भावना पैदा नहीं होती है। बुरी भावना तभी पैदा होती है जब आदमी सच्चे नहीं है, जब आदमी में स्वार्थ आ जाता है। अब जैसा हमारा मविधान बना है उसके अनुसार कितने ही तरह के लोग लेजिस्लेचर में आयेंगे। अगर हम एक दूसरे को झूठा और बर्देमान समझेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। न किसी को अपने को बुरा मानना है और न दूसरे से अपने को बेहतर मानना है बल्कि यह मानना है कि हरेक आदमी अपनी गलतियों को ज्यादा समझता है। हम में क्या ऐब है इसको हम आप से अधिक जानते हैं। उम्मी तरह से आप में क्या ऐब है इसको मैं नहीं जान सकता और आप ही जान सकते हैं। तो जिस चीज को आसानी से जान सकते हैं उसी को हमें जानना चाहिये। ऐबजोही से बढकर अपराध दूसरा नहीं है। राजनीति का काम तभी चल सकता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करें। अगर हम सब अपनी अपनी जगह ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो देश का कल्याण होगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के खयाल पैदा हों। और आगे की काउन्सिलों में जो पार्टियाँ हों वे एक दूसरे की इज्जत और कद्र करें; एक दूसरे का विश्वास करें। यह जज्बा हमारे दिल में होना चाहिये।

आप ऐसे सूत्रों में रहते हैं जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ सरहद्दी सूबा है। जो सरहद्दी सूबा होता है उस पर देश की रक्षा का भार होता है। अगर आप एक दूसरे से लड़ने रहेंगे, एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे, एक दूसरे से नफ़रत करेंगे तो आप देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वह आप तभी कर सकते हैं जब एक दिल हो कर आप काम करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप जितने लोग हैं एक राय हों और एक दूसरे की कमजोरी को जानते हुए उसको बर्दाश्त करने के लिये तैयार हो जायें। मैं यह जानता हूँ कि हाल में ही लाखों भाइयों को मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ी है और अभी भी वे उमें बर्दाश्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट का यह काम है कि जहाँ तक हो सके वह उनकी सेवा करें। मैं उनकी मदद करने की बात नहीं कहता हूँ, मैं उनकी सेवा करने को कहता हूँ। यहाँ आकर जब वे आपसे घुल मिल गये हैं तो जो उनकी मुसीबत है वह आपकी भी होनी चाहिये और जिस तरह से एक खानदान में लोग खुशी और मुसीबत आपस में बाँट लेते हैं उसी तरह से सब को मिल जुल कर एक दूसरे की मुसीबत बाँट लेनी चाहिये। यह हमारा और आप सब का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सच्चाई के साथ पड़ेंगे और इसको पूरा करेंगे।

मैं और ज्यादा क्या कहूँ। आपने जो आदर दिखलाया और मान बढ़ाया उसके लिये मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

## यादवेन्द्र स्कूल, पटियाला

तारीख ३-१०-५१ को यादवेन्द्र स्कूल पटियाला में राष्ट्रपति जी ने कहा —

श्रीमन्त राजप्रमुख साहब, हैड मास्टर साहब तथा बच्चो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज सबेरे सबेरे मैं यहा आ सका और आप सब से एक साथ मिल सका। जैसा अभी हैड मास्टर साहब ने बतलाया यह आप का स्कूल आप की तरह से एक बच्चा है और मुझे आशा है कि जैसे जैसे आप सब बड़े होंगे वैसे वैसे यह स्कूल भी बढ़ता जायेगा और जब आप सब इस स्कूल से निकलेगे और जिन्दगी में अपने अपने काम में लग जायेंगे तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस स्कूल को याद रखेंगे। जिस तरह से महाराजा साहब ने अपने पढ़ने के स्कूल को याद रखा और जब वह हाथ से निकला तो उस की जगह पर इस दूसरी सस्था को कायम कर के उसे कायम रखा उसी तरह आप इस स्कूल की मदद करेंगे जिम में वह दिन प्रति दिन तरक्की करे और आगे बढ़े।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक ऐसे स्कूल में दाखिल हुए जहा आप को पूरा मौका मिलता है। जब मैं आप की उम्र का था तो मैं कह सकता हू कि—और जो दूसरे लोग हमारी उम्र के होंगे वे भी कह सकते हैं कि—इस समय जो मुविधा बच्चो को मिलती है वह उस समय नहीं थी। उस वक्त हम आजाद भी नहीं थे। उस वक्त हमारे सामने आगे चीजे भी नहीं थी; उस समय हम बच्चो को मुल्क के बड़े बड़े लोगो से मिलने का, उन का दर्शन करने का मौका भी नहीं था। हम स्कूल में किताबें ले कर जाते थे और साल के आखिर में इम्तिहान पास कर के ऊपर के दर्जे में चले जाते थे और खुश रहते थे। थोडा बहुत खेलने का सामान रहता था लेकिन वह भी हर स्कूल में नहीं था। खेल का सामान बहुत कम स्कूलो में था। उस समय स्कूलो में हैड मास्टर और दूसरे शिक्षक वैसे नहीं थे जैसे आप को मिले है। इस लिये मैं ने कहा कि आप आज खुशकिस्मत हैं और यह सब लाभ आप को मिला है और मौका मिला है। अतः इस से जहां तक हो सके नफ़ा उठाना चाहिये। यह वक्त फिर हाथ न आयेगा, जिन्दगी में जो वक्त चला जाता है वह फिर हाथ में नहीं आता है। दिन कटते जाते हैं और आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और समय निकलता जाता है। इस लिये कभी किसी चीज को आगे के लिये उठा नहीं रखना चाहिये। मैं जब आप के ऐसा विद्यार्थी था तो जो सबक रोज मिलता था उस को मैं रोज पढ़ लिया करता था। मैं यह भी जानता हू कि कुछ साथी थे जो यह सोच कर नहीं पढ़ते थे कि जब इम्तिहान आयेगा तो उस वक्त सब पढ़ जायेंगे। मैं ने यह देखा कि जो रोज ब रोज सबक याद कर लेते थे वे आगे चल कर औरों के मुकाबले में अच्छे रहते थे। उसी तरह से मैं चाहता हू कि किसी चीज को आप रोक कर इम इन्तजार में नहीं रखें कि समय आयेगा तो कर लेंगे। आप को रोज ब रोज सबक याद कर लेना चाहिये। जिस तरह रोज का खाना खाते हैं, उसी तरह पढ़ने का काम भी होना चाहिये, उसी तरह और काम जो स्कूल में सिखाया जाता है उसे रोज ब रोज कर लेना चाहिये। आप देखेंगे कि इस तरीके से आप को कितनी सहूलियत रहती है। इम्तिहान पास करना आसान होता है। हमारे मुल्क में लोग इम्तिहान पर बहुत जोर देते हैं और सारा वक्त उसी में लगाते हैं। आप को यहां उस के साथ साथ और चीजें बताई जाती हैं। आप यह खयाल रखें कि वही आदमी ठीक तालीम पाया हुआ कहा जाता है जिस का शरीर भी मजबूत हो और जिस का दिमाग भी

अच्छी तरह से तेज हो गया हो । यह दोनों चीजें साथ नहीं रहेगी और एक चीज आगे बढ़ जाये, चाहे वह शरीर हो या दिमाग हो, तो आप समझें कि वह ठीक नहीं । दोनों को साथ साथ चलना जरूरी है । इस लिये ताकत को भी बढ़ाना है और शरीर की मजबूती के साथ ही दिमाग को भी ऐसा बनाना है कि वह उन्नत हो । यह भी बहुत जरूरी है कि आप कोई बात छिप कर नहीं करे । जो कुछ करना हो साफ़ साफ़ करे । जो आदमी कोई चीज छिपाता नहीं वह खराब काम नहीं कर सकता क्यों कि सब के सामने लोग खराब काम नहीं कर सकते । तो अगर इस छोटी बात को आदमी ठीक से बरते कि कोई काम छिपा कर नहीं करना है तो वह गलतियों से बच जाता है । इस लिये मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस चीज को सीखें और हिम्मत के साथ सच्चाई के साथ अपना काम करे और हैड मास्टर, गे. श्री स्कूल के जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो आप को सिखाते हैं उन से हमेशा अदब के साथ पैश आना चाहिये । आज कल के जमाने में यह और भी जरूरी हो गया है जब हम देखते हैं कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिन दिन तरक्की करेगे और स्कूल में जो कमी है उस को तो जो चलाने वाले हैं वे पूरा करेगे उस की चिन्ता आप को नहीं है । मैं आप सब को बधाई देता हूँ ।

### राजपुरा में अभिनन्दन

तारीख ३-१०-५१ को राजपुरा डवलपमेंट-बोर्ड द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा--

श्रीमन्त राजप्रमुख साहब, श्री अजीत प्रसाद जी, श्री उपमन्त्री जी, वहाँ और भाइयों,

आप की डम कौलोनी के साथ पहले मेरा कुछ खास ताल्लुक था । बहुत दिनों से मेरी यह स्वाहिश थी कि एक वाग़ चाहे थोड़ी देर के लिये ही सही मैं यहां आऊँ और आप सब भाइयों और बहनो से मिल । मगर वह स्वाहिश आज तक पूरी न हो सकी थी । आज वह पूरी हुई है और वह भी थोड़ी देर के लिये । यहां जो कुछ मैं ने देखा उस को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्यों कि जिम वक्त डम कौलोनी से मेरे ताल्लुकत थे उस वक्त तो हम लोग केवल नक्शे बना रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरह से क्या काम किया जाये, कैसे काम बढ़ाया जाये और किम तरह से मकान बनाये जाये । अगर कुछ काम शुरू भी हुआ था तो वह बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था । मगर आज देखता हूँ कि इतने बहुत काफी मकान बन गये हैं, कारखाने में काफी लोग काम सीख रहे हैं, तालीमी संघ की ओर से कितने ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है । एक अस्पताल की नींव भी मेरे हाथों से आज डलवाई गई है । यह सब देख कर मुझे प्रसन्नता है । मैं जानता हूँ कि यहां आप बहुत तकलीफ़ और मुसीबत बर्दाश्त कर के आये हैं । खास कर आप लोगों की तो एक और भी मुसीबत रही है । आप को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह हटना पड़ा है, मगर अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो यहां रह गये हैं खुशी से अपने दिन बिता सकेगे और आप के लिये यहां कुछ न कुछ रोज़गार या धंधा भी हो ही जायेगा । जो लोग यहां शुरू में आये थे और जिन को यहां बसाने की बात सोची गई थी उन की तायदाद तो आज यहां जितने लोग बसे हुए हैं उन से कही ज्यादा थी । उन सब को यहां बसाने में कुछ मुश्किल महसूस की गई और इस लिये उन में से कुछ लोगों को दूसरी जगहों

को ले जाया गया । मैं समझता हूँ कि अब एक चौथाई लोग यहां रह गये हैं । अपनी हिम्मत की वजह से आप यहां रह गये हैं । मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां सुख और आनन्द से रह सकेंगे ।

जो लोग निर्वासित हो कर और अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर दूर से यहां आये हैं उन की मुसीबत में हम लोग जो इधर के रहने वाले हैं उन से हमदर्दी रखते हैं । पर उन की सहायता का काम बहुत बड़ा था; लाखों बहनों और भाइयों को बसाने का सवाल था । उस के हल करने में देर भी लगती है जैसे भी खर्च होते हैं । माथ ही जो कुछ आप छोड़ आये थे उस के मुकाबले में यहां आप कुछ कम ही पा सकते हैं । मुझे खुशी है कि इस सवाल के हल करने में कुछ कामयाबी हो गई है । आप के लिये यहां मकान बन गये हैं और यद्यपि मकान छोटे हैं तो भी वे साफ सुथरे हैं । चारों तरफ गडकों भी बन गई हैं, बाल बच्चों के पालने के लिये या दूसरे कामों के लिये जरूरी चीजें भी यहां मुहय्या होने लगी हैं । मुझे यह भी उम्मीद है कि आप अपने पैरो पर खड़े हो कर और हर तरह से हिम्मत बाध कर जो कुछ अपने लिये कर सकते हैं करेंगे । गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वह पेप्सू की गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया हो कुछ मदद तो आज मिल ही रही है और आगे भी मिलेगी । मैं तो सिर्फ आप से यह कहने आया हूँ कि आप जित्त वक्त आये थे, उम समय जो हालत थी और आज जो हालत है दोनों में ऐसा फर्क है जिसे आप भी महसूस कर सकते हैं । भविष्य में कितनी तरक्की कर सकेंगे इस का फैसला आप पर भी निर्भर करेगा क्यों कि कोई भी गवर्नमेंट या दूसरी कोई मस्या ऐसी नहीं है जो आप को उम हालत में पहुंचा सके जिस में आप पहले थे । वह तो आप का अपना ही काम है । जो आदमी हिम्मत करता है उस की ईश्वर भी मदद करता है । इस लिये मेरा आप से कहना है कि आप अपनी ओर से हिम्मत करें और ईश्वर आप की मदद करेगा । आप की जो जरूरतें हैं उन की देख रेख के लिये मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, पेप्सू गवर्नमेंट के मिनिस्टर और भारत सरकार के मिनिस्टर जो दोनों यहां इस समय मौजूद हैं, स्वयं राज प्रमुख साहब भी मौजूद हैं । वह आप की जरूरतों पर गौर करेंगे, देखेंगे और उन को दूर करने की कांशिश करेंगे । मुझे यह देख कर खुशी हुई कि बहुत नौजवान नये नये किसम के काम कर रहे हैं, ऐसे काम जो वे पहले नहीं करते थे, और जिन्हें घर के लोग भी नहीं करते थे । इतनी ही बात नहीं है । उनमें से बहुत से लोग तो काम सीख कर अपने लिये पैसा भी पैदा कर रहे हैं यह सब हिम्मत की बात है । मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिये काम ढूँढ निकालेंगे । जो मदद मिलती है वह मिलती रहेगी और आप किसी न किसी तरह से बच जायेंगे और आगम से रहने लगेंगे । आप समझें कि अब आप का यहां घर हो गया, अब आप यहां के रहने वाले हैं । यहां के लोगों से घुल मिल कर आप अपनी तरक्की करें और सुख से रहें ।

### सनातन धर्म कालेज, अम्बाला

सनातन धर्म कालेज अम्बाला के शिलान्यास के अवसर पर तारीख ३-१०-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा —

महामहिम, राज्यपाल महोदय, श्री कुसुम त्रिवेदी, गोस्वामी जी, लाला योधराज, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने जो बहुत दिनों से वायदा कर रखा था उस को  
72 P. S. to P.



आज मैं पूरा कर सका । बहुत दिन हुए मुझ से गोस्वामी जी ने यह वचन लिया था कि, मैं यहाँ आ कर इस कालेज का शिलान्याम कर दूँगा । यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि मैं अपने उम्र बायदे को पूरा कर सका ।

जैसा आप ने अभी सुना इस कालेज की तवारीख बड़ी शानदार रही है । १९१५-१६ में यह कायम हुआ था; उस वक्त से इसने बड़ी उन्नति की । देश के बंटवारे के समय तो इस की अपनी इमारतें थीं और लाइब्रेरी की सम्पत्ति इस काम में लगी थी । उन सब को छोड़ छाड़ कर आप को इधर आना पड़ा । उसी वक्त से इस बात की इच्छा सब भाइयों और बहनों के दिलों में होने लगी कि इस को पुनर्जीवित किया जाये और इस को पुनर्जीवित किया गया है । किसी भी ऐसी सस्था के लिये जब तक योग्य स्थान न बना दिया जाये और अन्य आवश्यक वस्तुएँ मुद्दथ्या न करदी जाये तब तक वह सस्था ठीक से नहीं चलती । अतः इस इमारत की जरूरत पड़ी और इस लिये इस बात की भी जरूरत पड़ी कि मेरे जैसे आदमी को आप यहाँ बुलावें और इस सस्था की नींव डलवावे । यह काम अच्छे मौकों से हुआ । मैं आशा करता हूँ कि जिस उत्साह के साथ लाहौर में आप इस कालेज को चलाने थे और जिस के फलस्वरूप इस की वहा इतनी उन्नति हुई थी उसी उत्साह से और हो सके तो उस से भी अधिक उत्साह से इस कालेज को यहाँ चलायेंगे और दिन प्रति दिन इस की उन्नति होती रहेगी और जो लड़कियाँ और लड़के यहाँ से शिक्षा पाकर निकलेंगे वे देश के सच्चे प्रेमी, सच्चे मेवक और चरित्रवान और विद्वान होंगे ।

हमारी शिक्षा में अब तक कई प्रकार की त्रुटियाँ रही हैं । जब जब मुझे मौका मिलता है अर्थात् यूनीवर्सिटियों के कन्वोकेशन के अवसर पर या किसी ऐसी संस्था के शिलान्याम के अवसर पर या ऐसे हरेक मौकों पर मैं आज कल प्रचलित शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किया करता हूँ । मेरे विचार हैं कि हमारी शिक्षा के अधूरी रहने का एक कारण यह भी है कि उस में चरित्र पर हम कम ध्यान देते हैं । कोई तब तक मनुष्य नहीं समझा जा सकता जब तक उस का शरीर बलवान न हो, जब तक उस का मस्तिष्क तीव्र न हो, जब तक उसे हर प्रकार की विद्या न मिली हो, और जब तक उस का चरित्र पवित्र न हो । जब तीनों का मगम होता है तभी वह मनुष्य कहा जाता है । मेरा मत तो यह है कि हमारी सब शिक्षा संस्थाओं को शिक्षार्थियों को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । अगर हमारा मस्तिष्क उन्नत हो और साथ ही चरित्र भी दृढ रहें तो मैं मानता हूँ कि वह देश के लिये हमारे लिये और सब के लिये अधिक कल्याणकारी होगा । इस का अर्थ आप यह न समझें कि मैं विद्या उपाजन को महत्व नहीं देता हूँ । जानोपाजन तो आवश्यक है ही । सब तो यह है कि विद्या का अन्त न आज तक हुआ है और न कभी होगा । दिन प्रति दिन नई नई बातें हमारे सामने आती हैं । मनुष्य की उन्नति का कोई अन्त नहीं और जैसे जैसे वह उन्नति करता है वैसे वैसे उस के विचारों में भी परिवर्तन हुआ करता है नये विचार आते हैं, नई बातें मालूम होती हैं । और मानव जीवन के तमसावृत क्षेत्र में नया प्रकाश फैल जाता है और साफ दृष्टिगोचर होने लगता है । पर इस बारे में हम अपने ऋषियों का खयाल रखें जिन की विद्या की कि कोई हद न थी । हमारे देश में जितनी दूरी तक लोगों ने विद्या को पहुँचाया, अपनी अनुभूति को पहुँचाया शायद ही किसी दूसरी जाति ने पहुँचाया हो । हमारे ऋषिगण यह सफलता इसलिये प्राप्त कर

सके क्योंकि वे लोग जिस काम में लग जाते थे उस में एकचित्त, एकमन, हो कर लगे रहते थे ; कोई विघ्न बाधा उन को न सताती थी । मनुष्य के काम में सब से बड़ी बाधा उम के अपने हृदय से पैदा होती है । किन्तु उन का तो अपने हृदय पर पूरा नियंत्रण था । इस लिये उन को ऐसी कोई बाधा न मताती थी । वह पवित्र हृदय में ईश्वर पर भरोसा कर के चिन्तन करने थे । अतः विद्या के साथ साथ ही चरित्र बल की भी बड़ी भारी महत्ता है । एक ओर कारण है जिस से वे इतनी सफलता प्राप्त कर सके ; वह यह था कि हमारे यहाँ विचार स्वतंत्रता में सब की आस्था थी । हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, हमारे विद्यालयों में और हमारी संस्थाओं में उम का विशेष स्थान है । वह विचार स्वतंत्रता आज भी हमें प्राप्त है ।

मेरी अपनी यह मान्यता है कि कोई भी देश और कोई भी समाज व्यक्ति को दबा कर उन्नत नहीं हो सकता है । समाज तो व्यक्तियों का समूह मात्र है ऐसा समूह जिस में व्यक्ति की उन्नति होती है । अतः व्यक्ति की जितनी अधिक उन्नति होती है उतनी ही समाज की उन्नति होती है । हम व्यक्ति को दबाये और यह मोचे कि समाज के ठीक होने से व्यक्ति भी ठीक हो जायेगा तो यह बात ठीक साबित न होगी । मैं यह नहीं मानता कि कोई भी इस तरीके से अपने समाज को सुधार सकता है । अगर किसी भी इमारत की नींव कमजोर हो तो न वह इमारत ही बन सकेगी और अगर बन भी सके तो ज्यादा देर तक टहर न सकेगी । खूबसूरत तो वह ही नहीं सकेगी । जब उम में है एक चीज अपने स्थान पर हो और ठीक वक्त में ठीक तरीके में लगाई गई हो, तभी सारी इमारत सुन्दर हो सकती है । समाज की भी वही हालत है । इस लिये हमें व्यक्ति के विकास और विचार स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखना है ।

इस प्रकार का चरित्र निर्माण अब तो और भी जरूरी है । हम ने अपने देश के अन्दर प्रजातन्त्र कायम किया है । यह आशा कि चाहे हम, जो गवर्नमेंट को चुन कर बनाते हैं, स्वयं अच्छे न भी हो तो भी गवर्नमेंट अच्छी हो और अच्छी चले आकाश कुमुद के समान मारहीन सिद्ध होगी । बालिंग अवस्था के जितने पुरुष और स्त्री आप ऐसे हैं उन सब में मेरा कहना है कि अगर आप सच्चा प्रजातन्त्र अपने देश में चलाना चाहते हैं तो आप को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा । अगर आप सच्चे प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं तो आप के हृदय में भी शुद्ध विचार होने चाहिये । आप जितने ऊँचे विचार के होंगे उतने ही ऊँचे और अच्छे विचार के आप के प्रतिनिधि भी हों सकेगे । यह आप न मान बैठें कि जो लोग गवर्नमेंट बनायेंगे वे आप को सुधार सकेगे । इस के विपरीत आप यह समझे कि आप का यह अपना काम है कि मुझसे हुए लोगों को आप भेजे और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं मुझसे हुए हों । सच्चे प्रजातन्त्र का रूप यही है कि देश का प्रत्येक स्त्रीपुरुष सेवा उपार्जन वाला हो, और उस का एक दूसरे पर विश्वास हो, देश के प्रति प्रेम हो और वह हर तरह से एक दूसरे की सहायता के लिये तैयार हो । ठीक तरह में संगठित विद्यालय ही इस प्रकार का चरित्र और आदर्श लोगों में पैदा कर सकते हैं । एक बात मैं और कहना चाहता हूँ । वह यह है । महात्मा गांधी ने इस देश की परिस्थिति को खूब अच्छी तरह से देख लिया था और अध्ययन कर लिया था । ऐसा करने के बाद ही उन्होंने अपना काम शुरू किया था । उन्होंने पहिचान लिया था कि ऐसे मुक्त में जहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ भिन्न विचार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं अहिंसा के सिवाय दूसरा

कोई रास्ता नहीं हो सकता है। अगर अहिंसा के रास्ते पर हम नहीं चले और आपस में एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजों के लिये झगड़ते रहे तो हम बर्बादी की सतह तक पहुँच जायेंगे। अगर हम लोग इस देश को शान्त रखना चाहते हैं उसे शान्त तरीके से उन्नत करना चाहते हैं, तो सब को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। गांधी जी ने हमें जो धर्म का मार बताया था उस पर अमल करना होगा अर्थात् सच्चार्ड पर रहना, सेवोपार्जन में लगना, अधिक लालच नहीं रखना, अपना काम करना, चाहे कोई भी धर्म हो उस का मर्म जानना आदि बातें हमें करनी होंगी। अतः मैं यह चाहता हूँ कि आप का कालेज सादा हो, उसके विद्यार्थी भी सादे हों, और शिक्षक उन को ऐसा बना दें कि वे अपना श्रम देश का कल्याण कर सकें और देश के ऊपर मानवमात्र का कल्याण करने के लिये योग्य हो जायें।

हमारे इतिहास में एक बड़ी कमजोरी यह रही है कि हम ने कभी कभी छोटी चीजों को बड़ी चीजों के मुकाबले में अधिक महत्व दिया है, बड़े स्वार्थ के मामले छोटे स्वार्थ को महत्व दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि हम में इतनी ताकत और बुद्धि होनी चाहिये कि जो भी बात हमारे सामने आवे, जो भी प्रश्न हमारे सामने आवे, उस पर हम ठंडे दिमाग में विचार करें, निस्वार्थ भाव से विचार करें और उस में जो कुछ ठीक जहाँ उस के अनुसार अपनी राय भी दें, उस के अनुसार काम भी करें, तभी प्रजातन्त्र ठीक चल सकता है। मैं आशा करता हूँ कि यह विद्यालय जिस की नींव मैं ने डाली है इस देश को पूरा करता रहेगा और हमारे लिये और सब के लिये यहाँ में ऐंम लोग निकलेंगे, ऐंमी लड़कियाँ और लड़के निकलेंगे जो इस का नाम ऊँचा करेंगे, देश का नाम ऊँचा करेंगे और मारे संसार के लिये कल्याणकारी सिद्ध होंगे।

मेरी आशा है कि यह दिन दिन फूलेगा और फूलेगा।

### राष्ट्रपति भवन में दशहरा

दशहरे के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों के अभिनन्दन के उत्तर में तारीख

११-१०-५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

बहनों और भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दशहरे के इस शुभ दिन पर आप सब से मिलने का मुझे मौका मिला। हमारे देश की यह पुरानी रीति चली आती है कि दशहरे के दिन छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं और बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। सारे देश में और घर घर में कल लोगों ने दशहरा बड़े उत्साह से मनाया होगा अर्थात् कुछ जगहों पर पूजा कर के, कुछ जगहों पर जलूम निकाल कर के और कुछ जगहों पर राम लीला कर के। हम प्रति वर्ष इस महोत्सव को मनाते हैं और मनाते रहेगे। इस लिये इस मौके पर आप सब से मुलाकात हो जायें और पुरानी रीति के मुताबिक हम एक दूसरे का अभिवादन कर सकें और एक दूसरे को आशीर्वाद और नमस्कार पहुँचा सकें तो यह सब के लिये सौभाग्य की बात होती है। इस लिये आप सब से इस त्यौहार पर दूसरी बार मिलने से अत्यन्त प्रसन्नता हुई है।

जिन बहनो और भाइयो ने बाघ और गाने से हम सब को खुश किया उन बहनो और भाइयों को मैं सब की ओर से धन्यवाद देता हूँ और आप सब से यह कहता हूँ कि आज दशहरे के दिन से शुरू होने वाला यह साल आप सब के लिये मुझ का साल हो, खुशी का साल हो और सब अपनी अपनी जगह खुशी से हर तरह से आराम से दिन बितावें ।

अब देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी बाते आने वाली हैं । कोई दैवी प्रकोप हमारे ऊपर है जिस की वजह से सभी जगहों पर जितनी वर्षा होनी चाहिये नहीं हुई है । पर इन सब मुसीबतों के बावजूद हमें जीवित रहना है और जिन्दगी काटनी है । हम में से हर एक को अपनी अपनी खुशी से रहना है और जो कुछ ईश्वर हमें देता है उस को ले कर हमें संतोष करना है और उस को धन्यवाद करना है । मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जितने कर्मचारी हैं वे इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि चाहे उन का बड़ा काम हो और चाहे छोटा वे अपने अपने काम को ठीक तरह से अजाम दे । अगर बड़े काम को ठीक तरह न किया जाये तो बड़ा काम भी छोटा काम हो जाता है और छोटे काम को ठीक तरह से किया जाये तो वह छोटा काम भी बड़ा हो जाता है । छुटाई बड़ाई सब करने पर निर्भर करती है । कोई काम अपने आप ही छोटा और बड़ा नहीं होता है । मैं जब कभी आप से मिलता हूँ तो आप से कहता हूँ कि 'आप जहाँ पर हैं खुशी से रहें, आराम से रहें और आप को किसी बात की तकलीफ हो तो उस के लिये जो अधिकारी लोग हैं, उन को खबर देने रहें, वे उस को दूर करेंगे । साल में ये दो तीन मौके ऐसे हैं जब मुझे सब से मिलने का मौका मिलता है । यो तो बहुत थोड़े ही लोग आप में से हैं जिन में मुझे रोज़ या हफ्ते में एक बार मिलने का मौका मिलता है । इसलिए यह मेरे लिये खुशी की बात है कि दशहरे के मौके पर, दिवाली के मौके पर, ईद के मौके पर, होली के मौके पर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं । मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जब जब मौका आयेगा हम मिल सकेंगे और एक खानदान में निम तरह से लोग रहते हैं, और अपने अपने काम करते रहते हैं उसी तरह से हम रहेंगे और अपने अपने काम करते रहेंगे ।

मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ ।

### लियाकत अली खाँ के लिये शोकसभा

श्री लियाकत अली खाँ की मृत्यु पर रामलीला मैदान में की गयी शोक सभा में तारीख १७-१०-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

मदर माहब, बहनो और भाइयो,

हम लोग जिस काम के लिये आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वह निहायत दर्द और दुःख का काम है । कल शायद इससे कुछ देर बाद पहले पहल हमको खबर मिली कि श्री लियाकत अली खाँ को गोली लग गयी है और वह अस्पताल में पहुँचाये गये हैं । खबर पाते ही मैं ने तार लिखवाया जिसमें मैं ने अपना यह मत ज़ाहिर किया था कि वह बच जायें और उमे भेजने ही जा रहा था कि तब दूसरी खबर आ गयी कि मामला खतम हो गया । उस के बाद फिर दूसरा तार भेजना पड़ा । यह ऐसा मौका है कि जब हरेक इन्सान चाहे वह कहीं भी हो अपने दिलों के अन्दर दब महसूस करता है । हम हिन्दुस्तान के लोग तो इस तरह की मुसीबत खुद बर्दाश्त कर चुके हैं

इसलिये हमारे दिलो के अन्दर जो आज दर्द और दुःख है उस का अन्दाजा सहज म ही लगाया जा सकता है। हम चाहते है कि हमारे पड़ोसी भाई खुश रहें, हर तरह से अपने मुल्क की वे बेहव्दी पूरी करे और उस की खिदमत अंजाम दें जिस में वे फूलें फले। इस तरह के वाक्या से चूकि इस काम में खलल पडता है इसलिये इस का और भी अफसोस और भी दुःख हम लोगो को होता है। हम लोग यह जानते है कि दोनों तरफ की जो जनता है, जो आम लोग है उन के दिलो के अन्दर यह बात बैठ गयी है कि अपने अपने मुल्क की खिदमत करना, तरक्की देना उनका मव से बड़ा फर्ज है। जब कोई लोग पागल होकर इस तरह का काम कर बैठते है तो लोगो का इगदा और भी पक्का हो जाता है और वे अपने काम से, अपने पग से नही डिगते। अतः हम यह उम्मीद रखते है कि इस का नतीजा पाकिस्तान पर यही होगा कि वहा के लोगो का दिल और मजबूत होगा कि वे अपना फर्ज ठीक से अदा करे, मुल्क के लोग ठीक से मुल्क की खिदमत करे। मैं यहां पर सिर्फ इतना ही कह सकता हू कि हमारी हमदर्दी उनके साथ पूरे दिल से इस मुसीबत के मांके पर है और हम चाहते है कि वह इस बात का विश्वास करे कि इस मुसीबत के मांके पर हम उनके साथ हर तरह से है। हम उम्मीद रखते है कि हमारी यह बड़ी सभा जहां हजारो हजार लोग इकट्ठे हुए है, जिस में सिर्फ दिल्ली के ही लोग नही है बल्कि सारे हिन्दुस्तान भर से आये हुए लोग मौजूद है, सारे हिन्दुस्तान की तरफ से इस मुल्क की पूरी हमदर्दी जाहिर कर रही है।

### संयुक्त राष्ट्र दिवस

संयुक्त राष्ट्र दिवस पर अखिल भारतीय आकाशवाणी कें दिल्ली स्टेशन से भाषण प्रसारित करने हुए राष्ट्रपति ने कहा —

आधुनिक विज्ञान और उद्योग ने मनुष्यों के हाथों में ऐसी अपरिमित शक्ति दे दी है जिसका उपयोग मानव जीवन में से कमी और गरीबी, अज्ञान और बीमारी का नाशनिशान मिटाने के लिये किया जा सकता है और या मानव द्वारा युगयुगान्तर में निर्मित वस्तुओं के पूर्ण विनाश के लिये ही नहीं—मनुष्य मानव के बीज नाश के लिये भी किया जा सकता है। व्यक्तियों, वर्गों, और राष्ट्रों—मनुष्य के सामने ही यह भाग्य निर्णायक प्रश्न है और कोई भी ऐसी समस्या जो उनको इस सम्बन्ध में किसी ठीक निर्णय करने के योग्य बनाती है हम सब से प्रत्येक के लिये बरदायिनी सिद्ध होगी।

मेरा विश्वास है कि मनुष्य राष्ट्र ऐसी सस्था है। पारस्परिक शकाओं और स्पर्धाओं से विक्षिप्त ससार में कम से कम यह एक ऐसी सस्था है जिसमें सब राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हो सकते हैं, अपनी अपनी जातियों के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने अपने राष्ट्रीय हितों का दूसरे राष्ट्रों के हितों से सम्बन्ध कर सकते हैं। उन सब को घनिष्ठ वैयक्तिक सम्पर्क का और इस प्रकार एक दूसरे के दृष्टिकोण को उससे कही अच्छी तरह समझने का, जितना कि वे एक दूसरे से बहुत दूर रह कर खतो-किताबतें द्वारा समझ सकते हैं, यह बहुत सुन्दर अवसर प्रदान करती है। इसके सस्थापकों की जो यह उच्च आशा थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय न्याय और शान्ति का एक मात्र साधन होगी उसे पूरा करने में सम्भवतः यह समर्थ नहीं हुई है और मेरे विचार में तो नहीं ही हुई है। किन्तु तब भी यह कुछ कम उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि हमने राष्ट्रों को एक दूसरे के खिलाफ मार धाड़ करने के बजाय बातें करने में लगाये रखा है। यह कोई कम बात नहीं और हम सब को इस बात के लिये इस संस्था के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अपनी मातहत संस्थाओं के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सांस्कृतिक, सामा-  
जिक और दूसरे अराजनैतिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्पर्क की अभिवृद्धि करने का  
भी यह साधन रही है। यह काम भी कुछ कम महत्व का नहीं है। यद्यपि यह काम यकायक आंख  
के सामने नहीं आता तो भी यह काफी लाभदायक है क्योंकि मानव जाति के कल्याण के लिये  
आवश्यक बातों के अध्ययन में दिलचस्पी पैदा करने के अतिरिक्त यह ऐसे मानसिक वातावरण  
को बनाती है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष और स्पर्धा शान्तिपूर्ण ढंग में दूर की जा सकती है।

हम भारतीयों ने सदा ही इस संस्था का पूरा पूरा भ्रमर्शन किया है। हमें तो शान्ति केवल  
हमारी ऐतिहासिक दाय के नाने ही प्यारी नहीं है वरन् इसलिये भी प्यारी है कि वह हमारे  
राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। सच तो यह है कि हमारी जाति के लिये शान्ति लगभग पावन धर्म  
के समान है। भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी अर्थात् हमारे महर्षियों का भी हमको यही सदेश  
है।

हमारी ऐसी ऐतिहासिक परम्परा और हमारा ऐसा हार्दिक प्रयोजन होने के कारण हम  
ने सयुक्त राष्ट्र को सब जातियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों और सब राष्ट्रों के प्रति न्याय के  
सिद्धान्तों के अनुकूल रह कर सहायता दी है जो कि हम अपनी शक्ति से दे सकने थे और आगे  
भी हम ऐसा ही करते रहेंगे।

### दीपावलि

ता० ३१-१०-५१ को दिवाली के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों के अभिनन्दन के  
उत्तर में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनों और भाइयों,

थोड़े ही दिनों के बाद यह दूसरा मौका आ गया जब हम सब इकट्ठे हुए हैं। दिवाली  
का त्यौहार सारे हिन्दुस्तान में लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं और चाहे अमीर हों चाहे गरीब सभी  
इसे मनाते हैं और दिया जला कर अपने अपने घर में अधिकार निकालते हैं। यह एक ऐसा मौका  
है जब हम सबों को इकट्ठे होकर मिलने का अवसर मिलता है और इसके लिये मुझे बड़ी खुशी  
है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मौके हमेशा मिले और जो हमारा सम्बन्ध है वह और भी  
गहरा होता चला जाये और हम सब एक दूसरे से मिल जुल कर अपने काम को अंजाम दिया  
करें। जैसा मैं ने और कई मौकों पर कहा है, हम सब लोग एक तरह से काम करने वाले लोग  
हैं और जो जिस काम में लगे हैं उनको उसे अंजाम देना चाहिये और समझना चाहिये कि सब में  
बड़ा काम उनका काम है। कोई बड़ा काम आदमी को बड़ा नहीं बनाता है। अगर छोटा काम  
भी अच्छी तरह से अंजाम दिया जाये तो वह काम बड़ा होता है। और अगर काम बुरी तरह  
से किया जाये तो बड़े से बड़ा काम भी बिगड़ जाता है। इसलिये मैं तो मानता हूँ कि आदमी  
काम से बड़ा बनता है, बड़े काम से आदमी बड़ा नहीं बनता है। इसलिये जो जिस काम में  
है चाहे वह बड़े पद पर हो या छोटे पद पर हो उसको अपनी इज्जत समझनी चाहिये और यह  
मानना चाहिये कि जो जिसका काम है वह बड़ा काम है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे  
मौकों पर आप मेरी याद किया करते हैं और मुझे बुलाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह  
मौका हमेशा आता रहेगा।

## चीनी सांस्कृतिक मंडल

चीनी सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल के नेता और एक सदस्य को पदवी प्रदान के अवसर पर

राष्ट्रपतिजी ने कहा—

सांस्कृतिक मिशन के रूप में आये महान् देश के प्रतिनिधियों के नाने ही नहीं वरन् देहली के इस प्राचीन नगर में, जिसमें अब भी सहस्रो वर्षों के लम्बे इतिहास के चिन्ह मौजूद हैं, स्थापित नये विश्वविद्यालय के सदस्यों के रूप में भी मैं आप का स्वागत करता हूँ। मुझे आपकी इस यात्रा से सहज ही दो हज़ार वर्ष पूर्व के उस समय की याद आ जाती है जब भारत से एक नहीं बहुतेरे जिज्ञामु और भिक्षु दूरी की परवाह न करके सत्य के प्रचार के लिये दुर्गम पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते हुए दूरस्थ देशों को विनाशकारी तलवार के वजाय ज्ञान और संस्कृति की ज्योति को लेकर गये थे। भारत के उत्तर में समार भर की सब से ऊँची पर्वत माला है जो इसे उस पार स्थित चीन देश से अलग करती है और इसके दूरे तीनों ओर अगाध सागर हैं। किन्तु न तो बर्फीले ऊँचे पहाड़ और न तूफानी समुद्र ही उन लोगों को जाने से रोक सके जो भगवान् बुद्ध के संदेश को ले जाने के लिये दूरस्थ देशों की यात्रा के लिये कटिबद्ध थे। कालान्तर में इस तरह तीन रास्ते ज़मीन पर होकर चीन जाने के लिये बन गये। एक तो भारत के पश्चिमोत्तर कोने से अफगानिस्तान होता हुआ मध्य एशिया को पार करता हुआ आज के गिन्जियांग से गुजर कर चीन पहुँचता था। दूसरा सीधे हिमालय को पार करके तिब्बत होता हुआ जाता था और तीसरा भारत के पूर्वोत्तर कोने से उत्तरी बर्मा होता हुआ जाता था। इनके अलावा मलाया प्राय द्वीप को चीकता हुआ एक समुद्री रास्ता जाता था। भारत के विभिन्न भागों में सैकड़ों लोग चीन गये, चीन ने उनका स्वागत किया, उनकी सहायता की और अपने में मिला लिया और वहाँ उन्होंने संस्कृत और बौद्ध वागमय को चीनी भाषा में अनूदित करने में अनेकानेक वर्ष लगाये। यह काम इकतरफा ही नहीं था। चीन के भी बहुतेरे यात्री या तो पश्चिमी या पूर्वी रास्ते से भारत आये और यहाँ उन्होंने अपने जीवन के बहुत वर्ष ब्रिताये और अपनी यात्रा का, उन जगहों का, जहाँ जहाँ वे गये, और उन दृश्यों का, जो उन्होंने देखे, वर्णन छोड़ गये। अन्यथा अन्धकार में छिपे हुये युग के प्रामाणिक इतिहास के लिये ये वर्णन अत्यन्त ही सुन्दर आधार हैं। दोनों देशों का यह सम्बन्ध एक सहस्र वर्ष या उस से भी अधिक समय तक बना रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दीर्घकाल में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब इनमें से किसी एक देश ने दूसरे को भिक्षुओं और धर्म प्रचारकों की वजाय फौज भेजने की बात सोची भी हो। जैसा कि अत्यन्त सुन्दर शब्दों में कहा गया है दोनों देशों की ही आकांक्षा धम्म विजय की थी न कि राजनैतिक अथवा साम्राज्यिक विजय की। यह आदान प्रदान लगभग आठ या नौ सौ वर्ष हुए बन्द हो गया और निकट भूतकाल में भी जब कि यात्रा खतरे और अनपेक्षित दुर्घटनाओं से मुक्त एक साधारण बात हो गई है हम लोगों में कुछ खास सम्पर्क नहीं रहा है।

अतः दोनों देशों के लिये यह बधाई की बात है कि आज यह सम्बन्ध फिर कायम हो रहा है और यह भावी सौभाग्य की बात है कि यह क्रम चीन से भारत को आये यात्रियों द्वारा प्रारम्भ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। पर एक चीज तो ऐसी है जो आप लोग हमें बहलाना से दे सकते हैं। संस्कृत की सैकड़ों ही वर्षों हज़ारों पुस्तकें

जो भारत से लुप्त हो गई है अब भी चीनी या तिब्बती अनुवादों में वहाँ प्राप्य हैं और मुझे लेखमात्र भी संदेह नहीं है कि उनके अध्ययन में आज-कल अन्धकार में छिपी हुई बहुत सी बातों पर प्रकाश पड़ेगा। इस दिशा में अभी काफी काम करना बाकी है। हाल में जो गुफाओ, चित्रों और किताबों का पता चला है उनसे ऐतिहासिक खोज में दिलचस्पी रखने वालों के सामने कार्य का विस्तृत क्षेत्र खुल गया है और मुझे लेखमात्र भी शंका नहीं है कि कालान्तर में ऐसे विद्वान पैदा होंगे जो अपना समय इस रोचक विषय में लगायेंगे।

किन्तु केवल यह ही बात नहीं है कि भूतकाल के रहस्यों का पता चलाने के लिये अथवा उनमें तममावृत्त कोष्ठों को ज्योतिर्मय करने के लिये ही मैं यह चाहता हूँ कि इस प्रकार का अध्ययन हाथ में लिया जाये। वर्तमान समार में जब कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों से समझे जाने वाले सम्बन्ध केवल हिंसात्मक शक्ति पर ही आधृत हैं और जब कि जो बन्धन एक देश को दूसरे देश से बाधते हैं इस्पात के बन्धन ही समझे जाते हैं, यह अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जो रेशमी बन्धन महस्त्राविद या उससे भी अधिक दिनों तक भारत को चीन और अन्य देशों से बाधे हुए थे और जो सर्वमाधारण के जीवन पर अपनी अमित छाप छोड़ गये हैं और जिन्हे काल मिटा न सका और जो किन्हीं साम्राज्यिक बन्धनों से कहीं अधिक समय तक बने रहे उनके गुणों को, स्थायित्व को, और अपेक्षाकृत अधिक काल तक बने रहने की शक्ति को हमें पुनर्जीवित कराना है और उनकी महत्ता का डंका पीट देना है। अतः मैं आपके जैसे मिशन को काफी महत्वपूर्ण समझता हूँ और पूरे भरोसे से उस वक्त का इन्तजार कर रहा हूँ जब भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान वैसा ही फलदायी होगा जैसा कि वह भूतकाल में था और उस शान्ति-साम्राज्य की स्थापना के लिये रास्ता तैयार कर देगा जिसकी समार को सब से अधिक आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि जो सम्मानित डिग्री विश्व-विद्यालय आपको दे रहा है उसे आप उस आशा के प्रतिमान स्वरूप ग्रहण करेंगे जिसमें कि अरबों मानवों का भविष्य बधा हुआ है।

### भूमि दान यज्ञ

ता० १३-११-५१ को राजघाट पर प्रार्थना सभा के बाद आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान की घोषणा करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

पूज्य विनोबाजी, बहनो और भाइयो,

आज से कई दिन पहले मुझे जब यह सूचना मिली कि आप यहाँ आ रहे हैं और मुझे श्री रामेश्वरी नेहरू और आशा देवी जी ने आपका यह संदेश पहुँचाया कि सभी जगहों पर लोग भूमिदान करते हैं और इसलिये आप यह आशा रखते हैं कि जिसके पास कुछ थोड़ी भी जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा वह बाँटे तो मैं ने सोच लिया कि चूँकि मैं भी अभी यह कह नहीं सकता कि मेरे पास जमीन है नहीं, इसलिये मैं भी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हाज़िर कर दूँगा। येँ सब बातें मैं ने पूज्य विनोबाजी के पास लिख भेजी थी। और मैं क्या कहूँ। हमारे जवारी हैं बाबा राघवदास जी। वह हमारे गाँव के नज़दीक के हैं और हमारे यहाँ जाने आते हैं। मैं उनको ही कहना हूँ कि वह जमीन देख ले और जो जमीन पसन्द करें उसे ले लें।



## पुरी में अभिनन्दन

सारीख १९-११-५१ को पुरी के निवासियों की ओर से दिये गये अभिनन्दन पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामान्य गवर्नर साहब, पुरी के निवासीगण, बहनो और भाइयों,

आपके इस यत्र में आने का मेरे लिये आज यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले यात्री के रूप में या काशेम कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ कई बार आया हूँ, जगन्नाथ जी का दर्शन भी किया है और यहाँ के बहनेरे भाइयों और बहनो से मिलने का भी सौभाग्य मुझे पहले प्राप्त हुआ है। यह ठीक है कि इस बार मैं नयी हैमियत से आया हूँ और जो कुछ मैं इस बार देख रहा हूँ वह एक दूसरी दृष्टि से ही देख रहा हूँ या यह भी कहा जा सकता है कि इस बार मुझे आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वह पहले की से भिन्न है।

आपका यह मान केवल जगन्नाथ की पुरी ही नहीं है बल्कि यह सारा जिला और सारा प्रांत भारत के उन प्रांतों में से है जिनमें हमारे पुराने इतिहास और प्राचीन गौरव के आज भी अगल्य चिन्ह पाये जाते हैं। जब मैं उन दिनों की बात सोचता हूँ जब ये भव्य मन्दिर पहले पहल निर्मित किये गये होंगे और जब आज की दशा पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन दिनों में और आज में कितना बड़ा अन्तर पड़ गया है। जिन लोगों ने इन मन्दिरों की रचना की या उग समय के जिन अधिकारियों ने इनकी रचना कराई उनकी कितनी पैनी दृष्टि रही होगी, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने सामने रखे विग्रहों के आधार पर ही उन्होंने इनकी भव्य इमारतों और मूर्तियों की रचना कर डाली। सचमुच ही वे पैनी दृष्टि के और कुशाग्रबुद्धि के पुरुष होंगे। जिन हजारों कारीगरों ने इनका निर्माण किया और जिनकी कलाओं का हमें आज थोड़ा बहुत पता इन अवशिष्ट चीजों के देखने से मिलता है उनकी कला के बारे में मैं क्या कहूँ? उनकी बनाई छोटी छोटी चीजों को देख कर भी पता चलता है कि आज जहाँ कुछ हो सकता है उसका उन चीजों में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता जहाँ उन दिनों में बनायी गयी थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन चीजों को हमारे लोंग कैसे तैयार कर पाये होंगे और कौन सी चीजों से उन्होंने इनको बनाया कि वे आज हजारों वर्षों के बाद भी हवा, गर्मी, वर्षा का आघात सहते हुए क्यों की क्यों बनी हैं।

आज सवेरे मैं यहाँ की रघुनन्दन लाइब्रेरी में गया था। वहाँ मैंने ताड़ पत्रों पर हस्त लिखित पुरानी पुस्तकें देखीं। कहीं कहीं मैंने देखा कि उनमें कीड़े भी लग गये हैं। मैंने सुना कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि गवर्नमेंट और आराक्योलॉजिकल डिपार्टमेंट उनको उस मसाले और साधन द्वारा सुरक्षित रखें जिसे कि वह ऐसी चीजों की सुरक्षा के लिये आजकल प्रयोग करता है। मैंने यह भी देखा है कि जहाँ जहाँ आजकल नयी इमारतें बनी हैं और आज भी करोड़ों रुपये की इमारतें भारत सरकार की तरफ से बनायी जा रही हैं उनमें तरह तरह के मसाले लगाये जाते हैं। मालूम नहीं आज का आक्योलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मसाला है वह इन चीजों को कितने दिनों तक कायम रख सकता है। आज से हजार पन्द्रह सौ वर्षों के बाद के

लोग ही उसकी सफलता को जान कर सकते। पर जो चीजे आज बचा हुई हैं उनको तो हम देख सकते हैं और उनके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। इन नयी इमारतों को देख कर हम जरूर यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई मसाला जरूर था जो आज तक जगन्नाथ के मन्दिर को कायम रखे हुये है, ऐसा मसाला जरूर था जो भुवनेश्वर के मन्दिरों को जहा आज देवी देवताओं की पूजा नहीं होती कायम रखे हुये है। क्या आज के इंजीनियर उम मसाले का पता चला सकते हैं ? रुपये लगा कर आज जो मकान बानि है यदि उनको उम मसाले से बनाया जाये जो इन मन्दिरों में प्रयोग किया गया था तो क्या वे हिन्दुस्तान का गिर ऊचा नहीं करेंगे ? क्या आपने की भव्य इमारतों ने, दक्षिण भारत और भारत के अन्य स्थानों के भव्य मन्दिरों ने भारत का गिर ऊचा नहीं किया है ? मेरा मुझाव है कि खाम करके इस तरह ध्यान दिया जाये जिससे कि मकान की मरम्मत अगर हर साल न भी हो पाये तो भी उनके गिरने का भय न रहे। ये समझता हू कि अगर लोग इन कलाओं में दिलचस्पी रखेंगे तो उनका ध्यान अवश्य उन चीजों की ओर जायेगा जिनसे ये इमारतें बनी हैं। उनमें केवल पत्थर ही नहीं है। उनमें पत्थर को जोड़ने के लिये भी कोई खास मसाला था। उनमें कहीं कहीं पत्थर के बदले ईंट का भी इस्तेमाल किया गया है पर ऐसी इमारतों में भी किसी खास मसाले का इस्तेमाल किया गया है। उम मसाले को खोज निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आजकल सीमेन्ट को खोज निकालना जरूरी है। तो मैं यह चाहता हू कि विज्ञान विद्यार्थी लोग और रिमर्च इंस्टीट्यूट इन चीजों पर भी ध्यान दें और इनको विस्तृत हीन समझ कर नजरअन्दाज न कर दें। इसी नीति को अपना कर हम पुरानी और नयी कलाओं का मिश्रण समार के सामने उमी प्रकार रख सकेंगे जिस प्रकार कि अन्य क्षेत्रों में पुरानी और नयी सभ्यता का मिश्रण समार के सामने रखने में हम समर्थ हैं। इसलिए जब मैं आपके जहर में आज आया और मुझे इन स्थानों को फिर एक बार देखने का मौका मिला तो एक यात्री के भावितभाव में ही उनके दर्शन न करके इस दृष्टि में भी मैंने उन्हें देखा। मुझे आशा है कि यहा के अधिकारी और सत्ताधारी इस महत्व को ध्यान में रख कर इन चीजों में विशेष दिलचस्पी लेंगे।

मैंने देखा है और जितना मैं जानता हू उममें मैं उस निष्कर्ष पर पहुँचा हू कि उडीसा बहुत गरीब प्रान्त है। मुझे भारत के सब प्रान्तों में जाने का और उनको देखने का मौका मिला है। इसलिये मैं यह कह सकता हू कि सब जगह में यहा की जनता गरीब है। ईश्वर ने आपको उर्वरा जमीन दी है। अतः खाने के लिये तो आप चावल पैदा कर सकते हैं ही साथ ही दूसरी जगहों को भी भेज सकते हैं। पर और चीजे जिन्हें मैं और प्रान्तों में पाता हू यहा नहीं देखता। मनुष्य के जीवन के लिये चावल ही काफी नहीं है। यहा के मुख्य मन्त्री में आज मंत्रों में कह रहा था कि जब यहा की गायों को मैं देखता हू तो मुझे अफसोस होता है। वे इतनी छोटी हैं कि उनको दूध तो कम होता ही है उनके बछड़े भी छोटे होते हैं। जब तक हिन्दुस्तान में खेती का काम चलता रहेगा और मैं समझता हू कि कोई ऐसा समय नहीं आ सकता जब हिन्दुस्तान में खेती के बिना काम चले तब तक हमारी गायों और बछड़े ऐंसे होने चाहिये कि जिनसे हमारी दूध की आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही साथ ही खेती का काम भी अच्छी तरह से चल सके। जहा एक तरफ हमको किसानों की मदद करनी है, दूसरी तरफ गायों की रक्षा का काम भी बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हू कि आप इस बात में दिलचस्पी लेंगे। जब खेती और उससे सबद्ध काम की तरक्की होगी और घरेलू धंधों की तरक्की होगी तभी आपकी पुरानी समृद्धि वापस आ सकती है। आज

मैंने आपके घरेलू धंधों के नमूने देखे। मैंने उन चीजों को देखा है जो अभी भी गावों में बनती हैं। वहां लोग रंग विरगो मुन्दर और अच्छे से अच्छा कपड़ा बुन कर तैयार करते हैं। वहां लोग सग पत्थर, हाथी दात और चांदी की चीजों तथा गाव में जो घास पात होता है उनसे अच्छी से अच्छी चीजें बना सकते हैं। यह कारीगरी हमारे लिये कम महत्व की नहीं है। हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये जिसमें कलाओं की अभिवृद्धि के साथ साथ हमारी आर्थिक अभिवृद्धि भी हो सके और हमारी कलायें भी जीवित रह सकें।

बहुत दिनों के बाद अपने हाथ में अधिकार आये हैं। तब से अभी तक हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां रही हैं। किन्तु कठिनाइयों की ओर ही दृष्टि न रख कर यदि आप लोग उन कामों पर दृष्टि डालेंगे जो अब तक विभिन्न क्षेत्रों में हम कर पाये हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने काफी कामयाबी भी हासिल की है और जब हमारी आवश्यकताओं और उद्योगों की बहुमुखी योजनाएँ पूरी हो गयी होंगी तब हमारी जनता की मुख सुविधा के काफी साधन उपलब्ध हो गये होंगे और देश का और माधारण जन का काफी हित मध गया होगा।

इस सम्बन्ध में उन दिनों की बात कहूँ जब मैं गांधी जी के साथ यहाँ आया था। २५-२६ वर्ष या ३० साल हो गये होंगे; उन दिनों इम इलाके में अकाल फैला हुआ था। उन दिनों यहाँ एक फुलिस सुपरिन्टेंडेण्ट थे। उन्होंने बहुत से अकाल पीड़ित जमा कर रखे थे। उनकी निकली हुई हड्डियाँ गान्धी जी ने देखी, उनके धसे टुपे गालों को उन्होंने देखा और वे बड़े दुखी हो गये किन्तु मुझे आशा है कि आप इस प्रान्त को उतना मुन्दर और समृद्ध बनावेंगे कि फिर से उस हालत के दिखाई देने की लेशमात्र सम्भावना न रहे। तभी जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी होगी। जगन्नाथ का अर्थ ही है सारे ससार का मालिक। अगर उनकी छाया के नीचे दुख हो तो वह जगन्नाथ कैसे? यह आपका और हमारा धर्म है कि इस प्रान्त को सुखी बना दें। तभी यहाँ लोग मन्दिर के जगन्नाथ के साथ साथ असली जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्थान को सुखी और समृद्ध बनायेंगे।

आपने जिम प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### कोनार्क सूर्य मन्दिर

तारीख १७-११-५१ को साढ़े ११ बजे दिन में कोनार्क सूर्य मन्दिर के पास एकत्रित लोगों से राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनों और भाइयों,

हम लोग यहाँ आज कोनार्क के मन्दिर को देखने के लिये आये थे। आप लोगों में भी मैं मिल सका इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह तो बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ जो दृश्य देखने

को मिलता है, वैसे तो समस्त भारतवर्ष में भी देखने को नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ कि यह मन्दिर किसने बनाया ? आपके ही पूर्वजों ने तो इसे बनाया होगा। आपके जिन पूर्वजों ने इन मन्दिर को बनवाया उनमें कितनी शक्ति रही होगी, शरीर की कितनी शक्ति और मस्तिष्क की कितनी शक्ति रही होगी कि इसका कल्पित चित्र रखकर वे इतने विशाल और भव्य मन्दिर का निर्माण कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले हम घूम घूम कर देख रहे थे। इसकी एक एक मूर्ति और एक एक पच्चीकारी अत्यन्त सुन्दर है। कहीं भी कोई भूल नहीं है। इतनी सुन्दर मूर्तियाँ बनायीं गयीं हैं कि उन्हें देख कर आज भी मनुष्य चकित हो जाता है। इतनी कारीगरी, इतनी बुद्धि उनमें थी कि वे इतने विशाल मन्दिर का निर्माण कर सकें। मैंने यह भी देखा कि इतने बड़े पत्थर यहाँ लाये गये हैं। आसपास में कोई पहाड़ तो है नहीं; मालूम नहीं ये पत्थर कैसे लाये गये। यह भी किसी से सुना कि यहाँ से पत्थर का कठकता ले जाने का प्रयत्न किया गया था पर वह नहीं ले जाया जा सका। लोहे को भी देखा इतने बड़े बड़े लोहे की शहतीरे हैं और कम से कम १०० वर्ष पहले से यहाँ पड़ी हुई हैं लेकिन उनमें आजतक कोई ऐब नहीं आया है। यहाँ की इन सब चीजों को हमारे और आपके पूर्वजों ने ही बनाया था। मैं सोचता हूँ कि हमें आज क्या हो गया है कि हम लोग इतने दुर्बल हो गये ? आज क्या वजह है कि उड़ीसा के लोग गरीब हो गये हैं। जिस समय मन्दिर बना होगा उस समय यहाँ के लोग अत्यन्त धनी और समृद्ध रहे होंगे। आज क्या कारण है कि लोग दुर्धी और दीन हो गये ? आपके शरीर में भी वह बल नहीं है आपके मस्तिष्क में भी वह बल नहीं है। आखिर क्यों ? जो कमजोरी आ गयी है उसको तो अब दूर करना ही चाहिये। ऐसा अब स्वतन्त्र है। उसका शासन अब आप सब लोगों के हाथों में है। अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि किसी दूसरे के कारण हमारी हालत खराब है। अब तो जो कुछ बिगड़ गया है उसको बनाना है और ऐसा बनाना है कि फिर हम इस योग्य बनें कि यहाँ एक ऐसी चीज बना दें कि जिसको हजार वर्ष बाद लोग देखें और कहें कि कौनका में एक हजार वर्ष पहले और फिर बाद में ऐसी चीजें बनाईं अपने योग्य हैं। यह आप लोग कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि आप में शक्ति नहीं है। मनुष्य में शक्ति रहती है किन्तु वह छिपी रहती है। उसको निकाल कर काम में लाना एक बड़ी बात होती है। आप यह अनुमान लगा ही सकते हैं कि इस मन्दिर के निर्माण में कितने लोगों ने काम किया होगा। उनका यह काम एक प्रकार की तपस्या थी। हमें भी वैसी ही तपस्या करनी है। अगर देश के लोग और शक्ति उत्पन्न करें, फिर अपने लिये ही नहीं—अपने लिये तो लोगों ने कमाया होगा और खाया होगा लेकिन उनको आज कौन जानता है—मगर सब देश के लिये तो हमारा कल्याण शीघ्र हो सकता है। पहले जिन्होंने इस चीज का बनाया, मनुष्यमात्र के लिये बनाया, वह आज भी मनुष्यमात्र के लिये है। इसी प्रकार आज भी जो शक्ति आप ले वह अपने लिये ही नहीं, मनुष्यमात्र के लिये ले और उसी हेतु उसका प्रयोग करें ऐसी मेरी कामना है।

आते समय मैंने देखा कि धान की फसल अच्छी है। जब धान तैयार होगा तो मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों को अन्न की कमी न होगी। यह बात ठीक है। पर एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सभ्यतः आप नहीं जानते कि आजकल दूसरे देशों में लोग एक एकड़ में हमारे यहाँ से चार पाँच गुना धान पैदा कर लेते हैं। उस दिशा में पिछड़े जमाने से हमारी अबनति हुई है। हमें पूर्णपथ लगा कर इस कमी को दूर करना है। खेती के अतिरिक्त आपके यहाँ

बड़ा कलापूर्ण गृह उद्योग है। कल पुरी में मुझे यहां की बनी हुई चीजें दिखलायी गयी। मुन्दर से मुन्दर हाथ के बने हुए कपडे, मुन्दर से मुन्दर सीपी की बनी हुई चीजें चान्दी और पत्थर की बनी चीजें दिखलायी गई। बहुधा जो लोग मिल का कपडा पहनते हैं, कहते मुने जाते हैं कि वह बड़ा मुन्दर है; किन्तु इस कपडे के सामने मिः का कपडा विन्कुल हेच है। पर हम लोग आलसी हो गये हैं, अपने हाथों से कपडा न बनकर इसी आशा पर बैठे रहते हैं कि बम्बई से कपडा आवे और कोनार्क के लोगों को मिले, अद्रमट/वाद से कपडा आवे और आपको मिले। किन्तु यह बात आप लोगों को शोभा नहीं प्रदान करती। जब यहां के लोगों में कला है तो वह बढिया मे बढिया कपडे पहन सकते हैं। यहां का बना रेयमी कपडा भी मैं ने देखा और ऊनी और सूती भी देखा। जब यहां के लोग अभी भी अच्छे से अच्छा कपडा बना सकते हैं तब उन्हें कपडे की कमी क्यों हो और क्यों यहां के लोग महताव साहय के पाम जायें कि उडीमा के लिये कपडा दीजिये। एक बात और है। यहां की गायें बहुत छोटी हैं और बैल भी बहुत छोटे हैं। यह देश तो ऐसा था कि यहां क्षीर समुद्र बहता था। और आज तो बच्चों को पीने के लिये भी दूध नहीं है। क्यों नहीं हम गाय को ऐसी बना दे कि वे काफी दूध देने लग जायें और बछड़े भी अच्छे दे ? यह सब बातों में ने आपसे कही क्यों कि आवश्यक है और उनके हल करने में हरेक आदमी को काम करने का मौका है। जब हरेक आदमी काम करेगा तभी देश उन्नत होगा और सब की उन्नति होगी। स्वराज्य हो जाने के बाद अब हमारा यह काम है कि सब चीजों की हम तरक्की करें जिममे सब लोग सुखी हो। आप सब बहनों और भाइयों के दर्शन हो गये यह खुशी की बात है।

### महात्मा गान्धी के चित्र का अनावरण

\*उडीसा उच्चन्यायालय कटक मे महात्मा गांधी के चित्र का १८ नवम्बर १९५१ को अनावरण करने के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने भाषण देने हुए कहा—

आज महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण करने का आपने मुझे निमन्त्रण देकर जो आदर प्रदान किया है उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। जैसा आपने बताया है हम लोगों में मे कुछ का यह अहोभास्य था कि हम गांधी जी के साथ उनके महान् कार्य में रहे और अपने जीवन के अधिकांश भाग में जो तपस्या उन्होंने की उसका फल हम आज कुछ हद तक उठा रहे हैं।

न्याय के इस मन्दिर में हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि न्यायाधीशों के समक्ष हम सब बराबर हैं और हम सब में बराबर का ही व्यवहार किया जाता है। आपने यह ठीक ही कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था पर आधृत है। यदि मैं कह सकता हूँ तो मैं कहूंगा कि इसमें हमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जो कालान्तर में निश्चय ही हो जायेगा। हमारे देश में इस समय हरेक बात न्यूनाधिक पुनर्निर्माण की स्थिति में है। ऐसी पुरानी बातें हैं जिनका लोप हो रहा है और जिनका लोप होना आवश्यक भी है। ऐसी अनेक नयी बातें हैं जो हमारे देश में होगी किन्तु जिनकी रूपरेखा हमें अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। न्याय व्यवस्था में भी हमें परिवर्तन करने हैं किन्तु कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनके बारे में कोई भी धाण भर के लिये भी यदि ध्यान दे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें तुरन्त परिवर्तन की आवश्यकता है।

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

एक ओर तो हम सब को यह महसूस हो रहा है कि मुकदमेबाजी का दायरा उन राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण जो आजकल हो रहे हैं बहुत कम हो जायेगा। महज यह दायरा कम ही नहीं होगा बल्कि मुकदमे भी अधिकतर दूसरे किस्म के होने लगेंगे। इस राज्य में और पड़ोसी बिहार और बंगाल के राज्यों में स्थायी बन्दोबस्त और जमींदारी व्यवस्था के कारण अब तक बहुत मुकदमे होते थे। और जमींदारियों सम्बन्धी ऐंसे बड़े बड़े और मशहूर मुकदमे हुए जो प्रिन्सीपल कौंसिल तक गये। इस व्यवस्था के कारण जमींदारों और किसानों के बीच में भी बहुत मुकदमे होते थे। पर इस दिशा में जो बड़ा परिवर्तन अब किया जा रहा है उस के फलस्वरूप भविष्य में इस प्रकार के लम्बे और बड़े मुकदमे न होंगे। सम्भवतः जमींदारों में भी बहुत मुकदमे-बाजी होगी। सम्भवतः जमींदारों और किसानों में भी अब उतने मुकदमे न होंगे जितने कि भूतकाल पहले होते थे। किन्तु इसके साथ ही साथ औद्योगिक और व्यापारिक विकास के फलस्वरूप मुकदमेबाजी के नये कारण पैदा हो जायेंगे। क्या कि इन में मजदूरों से झगड़े की काफी गुंजाइश है और इसलिये व्यापार सम्बन्धी मुकदमे और औद्योगिक संस्थाओं सम्बन्धी मुकदमे काफी तादाद में पैदा होंगे। मेरा विचार है कि न्यायालयों को अपना ध्यान अधिकाधिक मात्रा में इन मुकदमों की ओर लगाना पड़ेगा। इन से कहीं ज्यादा महत्व की यह बात है कि हमारा संविधान ऐसा है जिसमें न्यायाधीशों को न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में पैदा होने वाले, एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में पैदा होने वाले, नागरिक और राज्य के बीच में पैदा होने वाले, विवादों को ही तय करना होगा जैसा कि वे अब तक करते रहे हैं वरन् राज्य और राज्य के बीच में राज्यों और केन्द्रों के बीच में और सरकार और विधान सभाओं के बीच में भी पैदा होने वाले विवादों को तय करना होगा। इस प्रकार अब न्यायालयों के सामने बड़ा व्यापक क्षेत्र खुल गया है। उच्च न्यायालयों के सामने लगभग प्रति दिन जो बड़ी तादाद में मुकदमे आते हैं उनमें से बहुत काफी उनके सामने इसलिये आते हैं कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों का निर्वचन किया जाये। मुझे आशा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और दूसरे न्यायालय इस उत्तरदायित्व के सभालने को पूर्णतया योग्य सिद्ध होंगे और व्यक्ति तथा व्यक्ति, व्यक्ति और राज्य, राज्य और केन्द्र और सरकार और विधान सभाओं के बीच में पैदा होने वाले मुकदमों में यथावत न्याय करेंगे। न्यायालयों के हाथ में जो अधिकार दिया गया है वह बहुत बड़ा है और यदि मैं ऐसा कहूँ तो गलत न होगा कि इस अधिकार के साथ ही साथ उन पर इन मुकदमों को ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से और जानकारी से और साथ ही साथ कुछ उत्तरदायित्व की भावना में तय करने की भी महान् जिम्मेदारी आ पड़ी है। जहाँ उन को एव तरफ व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है वहीं वे इस बात से भी आशय नहीं मोट सकते कि राज्य की सुरक्षा और हितों और समाज और सामाजिक व्यवस्था की प्रभुता भी बनी रहनी चाहिये। विधान सभाओं, प्रशासकों, तथा जो लोग प्रशासन को चला रहे हैं उनके लिये सब से अच्छी बात यही है कि बीच का रास्ता अपनायें। किन्तु न्यायालयों के लिये न तो कोई दायों न कोई बायाँ और न कोई बीच का कोई रास्ता है। वे तो केवल एक ही रास्ते पर चल सकते हैं और वह है न्याय, पूर्ण निष्पक्षता और ईमानदारी का रास्ता और इस रास्ते को अपनाते हैं उनको सर्वदा इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता का संरक्षण करते समय वे राज्य की सुरक्षा को खतरे में न डाल दें तथा राज्य की सुरक्षा के खातिर वे कहीं नागरिक की स्वतन्त्रता को खटाई में न डाल दें। यह बात न्यायाधीशों के विचार करने के

लिये है जिनके पास इन में से अधिक मुकदमे न्याय के लिये आते हैं। मुझे आशा है कि संविधान के निर्वचन सम्बन्धी मुकदमे कुछ समय के पश्चात् किसी हद तक संख्या में कम होने लगेंगे। जबकि संविधान के जटिल अनुच्छेदों का न्यायिक निर्वचन हो गया होगा तब सम्भवतः उनके बारे में मुकदमेवाजी कहीं कम होंगी। किन्तु मेरा विचार है कि उसमें समय लगेगा। किन्तु तब तक हमें न्यायालयों की अच्छी परम्परा बना लेनी है। हमें केवल न्यायाधीशों के लिये ही नहीं वरन् वकीलों के लिये भी अच्छी परम्परा बनानी है। वकीलों की जिम्मेदारी बराबर बढ़ती ही जायेगी। और जो काम वकील लोग करने हैं न केवल उनके लिये ही इसका महत्व होगा वरन् इसके लिये भी इसका महत्व होगा क्यों कि वकीलों में से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। आप को केवल अपना उल्लिखित कर्तव्य ही नहीं करना है किन्तु आप को यह भी देखना है कि वकील लोग भी इतने ऊँचे उठ जायें कि वे उम कर्तव्य भार को किसी भय या पक्षपात के बिना और ईमानदारी के साथ और परिश्रम के साथ वहन कर सकें जिनके वहन करने की कि उनसे अपेक्षा की जाती है। यह सब केवल न्यायाधीशों में ही अपेक्षित नहीं है वरन् इसकी अपेक्षा वकीलों से भी की जाती है। यदि दोनों पारम्परिक महयोग करके आगे बढ़ने हें तो वास्तव में हमारे यहाँ मुद्दह और उत्तम न्यायिक व्यवस्था हो जायेगी। आप को न तो यह बात भूलनी चाहिये और न आप भूल ही सकते हैं कि मुकदमे का तथ्य क्या है और आपको बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करने का प्रयत्न करना चाहिये। जब महात्मा गांधी की बात में सोचना है और इस विषय पर उनके विचारों का स्मरण करना है तो मुझे यह लगता है कि जिस बात के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी वह वकीलों में एक प्रकार की कमजोरी और वृग्ई थी। आजकल जब कभी लोग वकीलों और उनके वास्तविक काम के बारे में सोचते हैं तो बहुधा उनका यही विचार होता है कि वकीलों का काम तो यही है कि वह एक तरफ के मुकदमे को न्यायाधीशों के सामने रख दे। किन्तु उनके मन में यह ध्याल नहीं होता है कि न्यायाधीशों से किसी हालत में भी वकीलों का कर्तव्य कम गौरवपूर्ण नहीं होता है। वकीलों को अपने अपने तरफ के मुकदमे को न्यायाधीशों के सामने रखना जरूर चाहिये किन्तु उनको यह न सोचना चाहिये कि उनका काम तो सिर्फ मुकदमे जीतना ही है।

जैसा आपने कहा है इस देश में जाद्वे के कानून पर फिर से विचार करना बड़ा जरूरी है। जब मैं कानून के बारे में कुछ कहता हूँ तो मुझे काफी हिचकिचाहट होती है क्यों कि कानूनी मानों में तो मैं ऐसा वकील हूँ जिस पर तमादी आग्रिज हो गयी है क्यों कि अनेक वर्षों से कानून से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। अतः कानून की मेरी जानकारी अप-टू-डेट तो है ही नहीं बल्कि एक तरह से वह तो बिल्कुल ही नहीं है। किन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि इस देश में साक्षी के बहुत से नियमों के बारे में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने साक्षी के नियमों में से अनेक को इंग्लैंड से अपना लिया है। इंग्लैंड का साक्षी कानून बहुत ही कृत्रिम है। और हमारे देश में विधान सभाओं ने बहुत दफा यह कोशिश की है कि इस कृत्रिमता को बहुत कुछ दूर करदे किन्तु जहाँ तक मुझे मालूम है वे इन बारे में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। किन्तु कुछ नियम तो सचमूच में ऐसे हैं जिनकी इस देश में कोई उपयोगिता नहीं है और इस लिये न केवल अदालतों को वरन् विधान सभाओं को भी यह करना है कि वे कानूनों में ऐसा संशोधन कर दें जिससे कि वे यहाँ के वास्तविक जीवन के अनुरूप हो जायें। मेरा विचार है कि यह किया जा सकता है। हमें ऐसा

करने के लिये वर्गीजों को, न्यायाधीशों को, और विद्वेषितों की ओर इनके भी कहीं अधिक साधारण जनो की सहायता लेनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि मुकदमों के बारे में जो सचाई होती है उसे सहायता में लोग नहीं बताते। कभी कभी तो यह होता है कि मुकदमों में जो सचाई है उसको झूठे सबूतों से मिटा दिया जाता है। मुझे ऐसे वाक्यों भी याद हैं जहाँ पचायत के सामने गवाहों देते हुए गवाह ने यह कहा है कि उसे वहाँ सब बोलना ही है क्योंकि वह पचायत के सामने गवाही दे रहा है न कि अदालत के सामने। यह ऐसी बात है कि जो धिक्कारणीय है। और कुछ निपटों की और जादों की इस कृत्रिमता के कारण अच्छे मुकदमों को भी झूठे गवाहों से नाशित करना पड़ता है। हमें यह बात समझ देनी चाहिये कि झूठी गवाहों के वजाय अच्छे मुकदमों से सच्ची गवाहों से ही साबित किया जा सके। अदालतों को यह काम करना चाहिये और न्याय व्यवस्था को भी यह सफलता हासिल करनी चाहिये। मुझे पटना न्यायालय का एक मुकदमा याद है जिसमें बहस करते हुये मैंने कहा न्यायाधिपति महोदय मुकदमे में इन्साफ की मांग यह है कि इत्यादि इत्यादि.... इसके जवाब में न्यायाधीश ने मुझ से कहा कि भाई, न्यायाधीश लोग यहाँ इन्साफ करने के लिये नहीं है बल्कि जो सहायते मिलना है वह तो उसकी बिना पर फेंकना करते हैं। यह एक बड़ी चीजाने वाली बात थी किन्तु मैं यह समझता हूँ कि यह बात अचरम होती है। जो महात्मा गांधी पसन्द करते और जो हमें करना चाहिये वह यह है कि इस तरह का जादू बनाना जिसमें यह दोष हम हटा दे। इसका आशय यही है कि हम को आदमी के चित्र का निर्माण करना है, चाहे वह वकील हो या न्यायाधीश हो, चाहे मुकदमेवाज हो या गवाह हो। जब हमने यह कर लिया होगा तब हमने ऐसी समाज की स्थापना कर ली होगी जैसी ही महात्मा गांधी चाहते थे। आप लोगों ने अपने से मिलने का मूषे जो मौका दिया है और उन उपायों में भाग लेने जिसे मैं अपने लिये वांछित भागो सम्मान समझता हूँ भाग लेने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना हूँ।

### कटक में अतिनन्दन

ता० १८-११-५१ को १ अजे दिन में कटक में मार्क्सवादी समाज में गण्डर्षि जी ने कहा --

महामहिम गवर्नर साहब, माननीय मन्त्री जी, बहनो और भाइयो,

इधर तीन दिनों में मैं आपके राज्य में फिर रहा हूँ। जैसा आपने कहा है इसके पहले भी मुझे यह अवसर मिला है कि मैं उड़ीसा में और विशेषकर कटक, पुरी आदि जैसे प्रमुख स्थानों में आज और कुछ लोगों से परिचय प्राप्त करूँ। मगर इस बार मैं कुछ और हैसियत से और कुछ और ही तरीके से सफर कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ मेरे सामने वे बहुत सी बातें आयी हैं जो पहले भी आयी करती थीं। उड़ीसा गरीब है। यहाँ के लोगों की हालत पहले पहल मैंने १९२१ में गांधी जी के साथ आकर देखी थी। जब मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि आपके अन्दर कितनी कला भरी हुई है आपमें कितना सुन्दर काम करने की योग्यता भरी हुई है और आप कितने परिश्रमी हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ की लाखों लाख स्त्री पुरुष, अपने सूबे से बाहर जाकर भी



दूसरों का ऐसा काम, जिसे दूसरे नहीं कर सकते, करते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती कि यहाँ गरीबी क्यों है। आपको इस सूबे के अन्दर भगवान ने बहुत उर्वरा जमीन दी है। भूगर्भ के अन्दर भी अनन्त धन राशि दी है। तब फिर कोई कारण नहीं कि यहाँ पर गरीबी क्यों रहे? मैं समझता हूँ कि यह समय का फेर है और कुछ हमारी अकर्मण्यता है। यह भी हो सकता है कि इस बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है और इसका यह फल है कि आज इस सूबे के अन्दर इतनी गरीबी और दैन्य दीखता है। पर मेरा विश्वास है कि अब जब साग अधिकार हमारे अपने हाथों में आ गया है आप इस तरह से इस राज्य का प्रबन्ध और शासन करेंगे कि जिसमें जनता का दैन्य दूर हो जाये और यहाँ के सब के सब लोग सुखी हो जाये। आज भी आप केवल अपने लिये ही ही वृत्तिक भारत के दूसरे हिस्सों के लिये भी अन्न पैदा करते हैं और खिलाने भी हैं। मैं चाहूँगा कि केवल अन्न ही नहीं अपनी जरूरत की दूसरी चीजें भी आप पैदा करें और दूसरों पर आपको बन्ध निर्भर करना पड़े जिससे आप अपना जीवनयापन सुखपूर्वक कर सकें। मुझे आशा है कि यह सब काम आप ज़रूर कर सकेंगे क्योंकि पिछले चार पाँच वर्षों के अन्दर जहाँ मेरे हमारे हाथों में अधिकार आया उड़ीसा ने बहुत काम करके दिखाया है।

अभी कुछ दिनों पहले तक आपका यह राज्य छोटे छोटे बहुत राज्यों में अलग अलग बिखरा हुआ था। उन सब को मिला कर उत्कल प्रान्त कायम हुआ है। इसको कायम करने में आपका बड़ा हाथ रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि भारत का जो इतना बड़ा एकीकरण हुआ जिसमें सभी गियासतों भारत में मिल कर एक हो गयी और हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब समुद्र तक भारत में एक छत्र राज्य कायम हो गया और वर्तमान है और जो भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में दो अंग कट जाने पर भी इतना बड़ा है जितना बड़ा भारत एक छत्रराज्य के नीचे न सिन्धुओं के दिनों में न मुगलमनों के जमाने में और न ही ब्रिटीश राज्य के अन्दर कभी था उसमें भी आपका बड़ा हाथ रहा है। मैं इसको नहीं भूल सकता कि जब शुरू में यह बात मोची गयी कि चारों तरफ फैली हुयी ६०० से ज्यादा छोटी और बड़ी भारतीय गियासतों को भारत के एक संविधान के अन्दर सम्मिलित किया जाये तो सर्व प्रथम उन गियासतों को मिला लेने का काम उड़ीसा से ही प्रारम्भ हुआ और भारत का इतिहास साक्षी है कि यह काम यहाँ की प्रजा ने, और मैं यह भी कहूँगा कि यहाँ के राजाओं ने भी मित्र जुट कर इस तरह से पूरा किया कि वह चारों तरफ के लोगों के लिये एक भिन्नाल बन गया। दूसरे शब्दों में उड़ीसा ने ऐसा उदारहण पेश किया जिसे सारे देश के राजाओं ने माना और जिसके अनुसार उन्होंने भी काम किया। जब से हम स्वाधीन हुए हैं तब से जितने काम हमने किये हैं उनमें सब से बड़ा काम भारत के एकीकरण का हुआ है और उसमें आपका तम्बर सब से आगे है। यह छोटी बात नहीं है। यह मैं खुशामद की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने कहा है वह सही बात है। मुझे आशा है कि और जो बड़े-बड़े काम हैं उनको पूरा करने के लिये आप इसी प्रकार कटिबद्ध हो जायेंगे और अपने में हिम्मत और साहस पैदा करेंगे जिसमें उनको भी उत्साह और साहस से आप कर सकें। एकीकरण के इस काम का विशेष महत्व इसमें है कि इसके संपादन में कहीं खून-खराबी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के साथ सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि जिनके हाथों में धन है वे अपने को उसका धातीदार समझें। इस प्रादर्श को हमारे देश के इन राजाओं ने उस समय पूरा कर के दिखा दिया जब उन्होंने अपने

हार्थों में अपने राज्य का भार भारत सरकार को सौंप दिया और भारत के पृथीकरण में सहायता दी। चाहे और लोग कुछ भी क्यों न सोचें ही मेरा अपना विचार है कि इस देश के लोगों के अन्दर समानता लाने के लिये भारे प्रयत्न तभी सफल होंगे जब हम उसी भावना से काम करेंगे। अगर हम ने उस भावना से काम नहीं किया और जोर जबरदस्ती से काम किया तो आप के सारे प्रयत्नों के बावजूद देश में खून रगधी देखने में आयेगी ही और उम्मेद हम बच नहीं सकेगे।

महात्मा गांधी के रास्ते को आज विनोदा भावे दिखवा रहे हैं। वह पैदल चल कर सारे हिन्दुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौर में जिनके पास भूमि है उन से वह भूमि मांगते हैं। उन्होंने दिल्ली में उस दिन कहा कि मैं भिक्षा नहीं मांगता हूँ, मैं तो लोगों को दीक्षा देने आया हूँ। भिक्षा तो वह मांगता है जो खुद लेकर अपने ही काम में लाना चाहता है। मैं तो लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जिनके पास भूमि है उनका क्या कर्तव्य है। जब महात्मा गांधी ने कहा था कि धनवालों को अपने आपसे अपने धन का धारदार सम्भालना चाहिये तब उसका जो यही आशय था। मैं आशा करता हूँ कि दिन आयेगा जब यही सिद्धान्त इस देश में मान्य होगा—चाहे वह आज मे ३० वर्षों के बाद ही हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि इन अर्थियों से स्वराज्य लेगे और हर प्रकार के हथियारों से लैस ब्रिटिश सरकार का हम अहिंसा में मुकाबला करेंगे। हम में से अधिकांश लोगों को जो उनके पीछे पीछे चलते थे उसमें विश्वास नहीं होता था। हम समझते थे कि इस जर्म्य में जागृति हो सकती है, उसे ही जाने दे और पीछे देखा जायेगा कि हम और कौन सा कदम उठाये। हम लोग अहिंसा के महत्व को उतना नहीं समझते थे जितना महात्मा गांधी बताना चाहते थे। किन्तु अन्त में हमने देखा कि यद्यपि सब उन रास्ते पर पूरी तरह से नहीं चल सके तो भी जो महत्तम हमने सामने रखा था वह पूरा हो गया और हम ने स्वराज्य प्राप्त कर लिया। हमने उस रास्ते को जहा तक नहीं समाप्त था उतनी ही कमजोरी रह गयी। वह हमको सिखा कर के, हमारे सामने चित्र खूब करके गये हैं। मुझे विश्वास है कि भ्रष्टा के साथ गांधी जी के रास्ते पर चल कर आप काम करेंगे और देश को जहा तक गांधी जी ले जाना चाहते थे वहा तक ले जायेगे। राज्य चलेगा न्यायिक और नैतिक बल से। पशुबल में नहीं। मैं चाहता हूँ कि उद्योगों में इन बल की कमी नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी समझता हूँ कि इसकी कमी नहीं है। आज यहा इतने मन्दिर बने हुए हैं, इतने खडहर ह। ये सब इस धात का सबूत हैं कि यहा के लोगों की धार्मिक भावना कहां तक पहुंची थी। आज भी उसी भावना को हम जागृत करना चाहते हैं। यहा के लोग दुखी हैं गरीब हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे उठेंगे और आगे निकलेगे।

यह कहने की जरूरत नहीं कि चाहे यहा की सरकार हो चाहे केन्द्रीय सरकार हो उसकी पूरी सहानुभूति आप लोगों में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार हमें जहा इस बात का खयाल रखनी है। आप पर इधर एक भारी बोझ यह भी आ गया है कि आपकी आशा की के अन्दर पिछड़े हुए लोगों की एक भारी तादाद है, चाहे आप उनको हरिजन कहे या आदिवासी। इसलिये आपकी जवाबदेही और आपका खर्च भी अधिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप को सहायता मिलेगी और जहां तक मिलती आयी है उसमें भी अधिक मिलनी रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि उसका आप अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकेंगे और अपने इस राज्य को समृद्ध बना सकेंगे। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ।

## वाजीराज लखावास

वाजीराज लखावास, अंगुल के छात्रों और छात्राओं के नामने ता० २८-११-५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

मालती देवी जी, बन्तो और भाइयों,

इस आश्रम में आश्रम मुझे प्रेरणा हो रही है। इस का कारण यह है कि जब कभी मैं इस तरह का आश्रम देखता हूँ तो मेरे सामने बहुत बाने आ जाते हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस किस्म के आश्रम ही आपके चला कर हमारे भारतवर्ष के परिष्कृत हो जायेंगा हम बनाना चाहते हैं वेगा प्राने में गहायक होंगे। यहा पर जो काम आप कर रहे है उस की छोटी सी रिपोर्ट मुझे देखने को मिली है। उस में मुझे मालूम हुआ कि बुनियादी तालीम का जो काम महात्मा गांधी ने शुरू किया था उस को आप यहा पर ठीक चला रहे है और जिस रूप से वह उस को चलाना चाहते थे उसी रूप में आप उस को चला रहे है। इस बुनियादी तालीम के बारे में गवर्नमेन्ट की ओर से बहुत सी बाने मान ली गई है पर मैं मानता हूँ कि गवर्न बाने पूरी तरह से गवर्नमेन्ट ने नहीं मानी है और अगर मानी भी है तो उन पर पूरा अमल नहीं हो रहा है। जहा जहां आश्रम है वहा लोग इस काम को खूबी से चला कर गवर्नमेन्ट को यह दिखा सकते है कि इस के जरिये से कितना बडा काम हो सकता है और उस के मुकामले में सरकारी मस्थाओं में कितना कम काम होता है। गवर्नमेन्ट के सामने अपना अच्छा काम आप दिखा कर उसे मजबूर करे और कहे कि हम ने छोटे पैमाने पर कर के दिखाया है और बडे पैमाने पर उस को चलाने का काम गवर्नमेन्ट का है। तो आप जिस तरीके से इस काम को चला रहे है वह ठीक है। बुनियादी तालीम के बारे में विज्ञानाधिष्यों ने सभी बाने मान ली है। एक चीज को वे नहीं मानते है। वे इस चीज को नहीं मानते है कि स्कूल का सारा खर्च स्कूल में ही निकल सकता है। बुनियादी तालीम के बारे में जब पहले पहल गांधी जी ने एक कार्यक्रम की थी उस समय भी यही उज्र उठाया गया था और वह आज भी उठाया जाता है। लेकिन जहा इस काम को कर के देखा गया है वहा यह बात मानित हो चुकी है कि शिक्षा का खर्च स्कूल से ही निकल सकता है। आप की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि आप यह साबित करना चाहते है कि आश्रम का खर्च आश्रम के जरिये से ही निकल आये। जब तक आश्रम के जरिये से शिक्षा देने का तरीका हम नहीं निकालेगे— ऐसे आश्रम द्वारा जो अपना खर्च आप निकाल ले- तब तक हमारे देश की अत्यन्त गरीबी के कारण देश में हरेक स्त्री, पुरुष और बच्चा शिक्षित न किया जा सकेगा। हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम सभी जगहों पर स्कूल कायम कर सकें और सभी बच्चे और बच्चियों को तालीम दे सके। इस लिये यदि इस किस्म के स्कूल हो तो काम चल सकता है। गांधीजी ने यही सोच कर इस काम को जारी किया था। आप उस काम को कर रहे है और मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि आप इसे सफलतापूर्वक कर रहे है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप काम चला रहे है चलाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि नवकृष्ण बाबू इस काम में दिलचस्पी लेते रहेंगे और जिस हैसियत से आज

वह यहाँ बैठे हं उन हँमियन में भी दिलचस्पी लेते रहेंगे । मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब भी जो यहाँ बैठे हुए हूँ इन काम में दिलचस्पी लेंगे । आप बच्चे और बच्चियों से मिल कर और इन आश्रम को देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई ।

### कृदिक प्रतियोगिता

तारीख ११ तबस्वर को विहार के ऊपर उद्यान में की प्रतियोगिता में एक प्रिन्सों को इनाम देने समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल जी, बहनों और भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप ने उन सूत्रों के अन्दर भी ऊँच उद्यान वाओ में मुकाबला शुरू किया है और खुशी की बात यह है कि जो ननीजा आप को मित्र है वह बहुत ही अच्छा है । जैसा अभी श्री दीन नागवर्ण सिंह ने बताया, किंगी एक भाई ने एक एकड़ में १०० टन ऊँच पैदा की है । जहाँ तक मैं ऊँच के सम्बन्ध में जानता और सोचता हूँ तो मालूम होता है कि ऊँच और चीनी का व्यवसाय इन वन भारत में एक बहुत ही कठिन समय में गुजर रहा है और अगर इस का ठीक इन्तजाम न किया गया तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यह व्यवसाय हमारे हाथ से निकल जाये । उस का एक कारण जो सब देख सकते हैं और जान सकते हैं वह यह है कि हमारे यहाँ एकड़ पीछे जो ऊँच लोटा पैदा करते हैं वह और देशों के मुकाबले में बहुत ही कम है । मेरा अपना खयाल है कि आप इनाम देने वाले १०० टन प्रति एकड़ भले ही पैदा कर ले पर मामूली किसान जो अपने खेतों में ऊँच पैदा करते हैं उन को २५० या ३०० मन प्रति बीघे में ज्यादा नहीं पड़ती है । अगर हम इतनी ही ऊँच पैदा करने दें तो हम और मुँहों का मुनाबला नहीं कर सकते जहाँ मामूली तरह में एक एकड़ में लोग १००० मन पैदा करते हैं । इस लिये यह जरूरी है कि हम और हमारा ध्यान जाये । और जो दूसरे सवाल होंगे वे उनका अमर नहीं रखेंगे हा थोड़ा बहुत उनका अमर हो सकता है । मान लीजिये कि जहाँ १०० मन ऊँच में १० मन चीनी होती है उस को आप सवा दस मन, साठे दस मन या ग्यारह मन भी बढ़ा कर कर सकते हैं । मगर इस में उनका फल नहीं पड़ेगा । लेकिन अगर ऊँच की पैदावार २५०-३०० मन प्रति एकड़ के बदले आप ने ६०० मन भी कर ली तो उस में बहुत फल पड़ जायेगा । इस लिये चीनी के व्यवसाय के लिये सब में जरूरी चीज यह है कि किसानों को पूरे साधन दिये जायें और बताया जाये कि किम तरह वे पैदावार बढ़ा सकते हैं । इन प्रतियोगिताओं से यह बात साबित हो गई है कि ऊँच की पैदा-

वार बढ़ाई जा सकती है। इस में कोई शक नहीं है कि यह चीज केवल ऊख के लिये ही नहीं है तमाम खेती के वारे में लागू होती है। कोई भी अन्न ले लीजिये। हमारे यहाँ पैदावार और मुल्को के मुकाबले में बहुत कम है और आज हम लाखों लाख बीघे जोतने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। लेकिन जिस जमीन में ऊख पैदा हो रही है उस की पैदावार गवाई या डेढ़ी हम बढ़ा ले तो हमारी सारी दिवसत दूर हो सकती है। हम लिये यह बहुत ही जरूरी है कि जो हम विषय में जाच पड़ताल करने हो वे किसानों को बतलाये कि कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। हम सम्बन्ध में में यह कह देना चाहता हू कि कोई बात हमारे सामने आती है तो हम लम्बी चौड़ी योजना बनाने लगते हैं जिस में लाखों की बात होती है और आज कल तो करोड़ों की बात होती है। बहुत खर्च भी होता है और जितना नतीजा हम चाहते हैं उनका नतीजा नहीं होता। हमारा ध्यान उन चीजों की ओर जाना चाहिये। अगर छोटी छोटी बातों पर भी हम ध्यान दें तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग शिक्षा लिया करते हैं, कालेजों में पढा करते हैं वे हमारे यहाँ के किसानों को लकीर का फकीर बतलाते हैं। बात ऐसी नहीं है। ऊख के ही मामले में देखिये। जब से खोज होने लगी तब से साल में एक दो नई वैरायटी की ऊख निकल ही आती है। जब किसानों की समझ में यह बात आयी कि नई किस्म की ऊख में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो उन्होंने उस को अपनाया और वैसा करने में उन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पुगने जमाने में जब किसान ऊख बोते थे तो कोल्हू से पेर कर गुड बना कर बँचते और फायदा निकालते थे। लेकिन जब मिल और फँकट्टी खुली और उन को मालूम हुआ कि ऊख फँकट्टी में देने में ज्यादा फायदा है तो वे फँकट्टी में देने लगे और मिल वाले उन से ऊख खरीद कर मिल में लाया करते थे। जब किसानों को यह मालूम हुआ कि ऊख फँकट्टी में पट्टना देने में ज्यादा फायदा है तो वह खुद ऊख फँकट्टी तक ले जाने लगे और अब शायद ही कोई कोल्हू में ऊख पेरता हो। अतः इन को विश्वास होना चाहिये कि इस काम से फायदा है और वे उस मनुष्यिक काम करना शुरू कर देंगे। तो हमारे यहाँ जो लोग खोज में लगे हुए हैं उन को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिये कि कौन सी चीज किस तरह में कम खर्च में हो और उग में छोटे छोटे किसान किस तरह में पैदावार बढ़ा सकें। जो नई नई फँकट्टी बने वह अपने स्थान पर बने। उन से लाभ होगा। लेकिन उन के साथ साथ जो चीजें दरवाजे पर मिलती हैं उन चीजों का इस्तेमाल करना सीख लेना निहायत जरूरी है। बहुत सी चीजें हैं जिन से बीमारी बँती है, अगर उन चीजों से खाद बनाया जा सके तो किसानों को सिखलाना चाहिये और सिखलाने का तरीका भी आगान बनाना चाहिये। किसी चीज से धूणा हाती है तो उस को छुड़ाना चाहिये और ऐसा आसान

तरीका बताना चाहिये कि खुशी से वह काम कर लिया जाये। दूसरी चीज यह है कि उन को यह सिखलाना चाहिये कि कहां गन्ना लगाया जाता है और ऐसा इन्तजाम करना चाहिये जिस में गलत लगाये जाने का उन को मौका ही नहीं मिले। इस से भी उन को बचाना चाहिये। उन को विश्वास हो जायेगा तो वे आप निकाल कर के उम के लिये खेत रखेंगे। आज अन्न और ऊख दोनों के बीच लड़ाई है। उन से पूछा जाये कि वे अन्न पैदा कर सकने हैं या ऊख। हम गेहूं और चावल के बिना तो नहीं रह सकते हैं, चीनी के बिना रह सकते हैं। इस लिये अगर ऐसा मुकाबला पैदा हो गया तो हम को ऊख को छोड़ना पड़ेगा और चावल की ओर जाना होगा। इस के मुकाबले से बचने के लिये यह जरूरी है कि हम चावल की पैदावार बढ़ाये और जितना खेत चावल और गेहूं की खेती से निकाल कर ऊख की खेती में ले गये हैं उस में भी अधिक अन्न पैदा करें। मेरा त्रिरवान है कि यह हो सकता है। एक बात और। पानी एक ऐसा माधन है जो खेती के काम में बहुत काम दे सकता है। इस लिये पानी का बन्दोबस्त जरूरी है। इस के बन्दोबस्त के लिये बड़ी बड़ी योजनाये हैं जिन में १०० करोड़, १५० करोड़ रुपये का खर्च है। वे न मालूम कब तक पूरी होगी या नहीं भी होंगी। जब तक वे पूरी न हों तब तक हमें गांधी में छोटे छोटे कुओं से पानी तथा तालाबों से पानी निकालने का प्रबन्ध सोचना है। छोटी छोटी नदियों में बाध बांधने की बात भी सोचनी चाहिये। यह सब तो आमानी से हो सकता है। रास्ता दिखलाने की सिर्फ जरूरत है, ऐसा रास्ता दिखाने की जिस में कोई आदमी यह नहीं सोचे कि यह हमारी शक्ति से बाहर की बात है। अगर वे अकेले नहीं कर सकते हों तो उन को ऐसा रास्ता बतलाना चाहिये जिस में गांधी के लोग मिल कर उसे कर लें।

मुझे इस बात की खुशी है कि आप ने ऊख के बारे में ऐसा काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अन्न के बारे में भी आप ऐसा ही करेंगे। जहां की ज़मीन ऐसी उर्वरा हो, जिस में एक फसल दो फसल की क्रम कहे, तीन तीन फसल पैदा हो सकती है और लोग पैदा करते हैं, वहां अन्न की कमी हो, यह बात समझ में नहीं आती। मगर आज ऐसी ही बात है। कहा जाता है कि हमारे यहां अन्न की कमी इसलिए है कि हमारी आबादी ज्यादा है। मगर जितनी ज़मीन हमारे पास है उम में अगर ठीक से काम किया जाये तो जिनने अन्न की जरूरत हम को होनी है उतना अन्न हम पैदा कर सकते हैं और हमें दूसरों के मुह ताकने की जरूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं इतना ही कह कर जो भाई अभी इनाम पायेंगे उन को पहले से ही बधाई दे देता हूँ।

छोड़ दिया है। अब कुछ दिनों में चर्खों को लोग भूल भी जायेंगे और बापद लोग भूल गये हैं और भूलते जा रहे हैं। मगर ऐसे ही समय में जिन को चर्खों के प्रचार और उन की उपयोगिता में विश्वास है उन के लिये उस का प्रचार करना आवश्यक है। क्योंकि जिस समय गांधीजी जिन्दा थे लोग उनके पीछे दौड़ते थे और गांधी जी के कहने की वजह से जिन को विश्वास नहीं भी था वे भी इस चीज को मानते थे और उस के प्रचार में लग जाना अपने लिये एक बड़ा काम समझते थे। उस समय उनके पीछे पीछे चलना तो आसान था, मुश्किल नहीं। मगर जब वह हवा नहीं रही, वह वायु मंडल नहीं रहा और लोगों की ओर से और कुछ नहीं तो तम मे काम उठना फिर नहीं हो उस में विश्वास रखना और उस को चलाता मंचमुच सराहनीय काम है। मेरा विश्वास है कि चाहे आज हम भले ही उस को हेय दृष्टि से देखें और देखने भी लग गये मगर एक दिन आयेगा जब फिर से उस का महत्व हम समझेंगे। क्योंकि चर्खा कोई चीज नहीं है। वह तो एक चिन्ह है। उस के पीछे बड़ी भावना है और बड़ी बड़ी चीजें हैं। महात्मा गांधी जिस तरह से समाज की रचना चाहते थे उस समाज के संगठन के लिये वह चर्खों को प्रतीक मानते थे। वे सब चीजों का नये तरीके से निर्माण करना चाहते थे। अतः अब इस चीज पर हम ध्यान देते हैं तो उस का महत्व और अधिक मात्तूम होना है। इस लिये मैं चाहूंगा कि आप इस चर्खों को चलावें, और जैसा गांधीजी चाहते थे, विश्वास के साथ चलावें, और लोगों में उसी विश्वास के साथ उस का प्रचार करें। केवल यही न समझें कि यह एक चीज है चलाते चलो, लोग कहते हैं तो चला लिया करो। अगर ऐसा विश्वास कर के आप काम करेंगे तो जो दिन लौटा है, बहुत दिनों के बाद जो समय लौटा है उस के आप उपयुक्त सिद्ध होंगे।

यह केवल चर्खों के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं है वरन् अन्य क्षेत्रों में इस की गन्वाई सर्वोपरि है। हमारे सामने बड़ी बड़ी चीजें आती हैं और बड़ी बड़ी चीजों को लेकर हम बड़े पैमाने पर सोचने लग जाते हैं। किन्तु हमारे देश की कुछ ऐसी शिक्षा रही है, कुछ ऐसी सभ्यता रही है कि छोटी-छोटी चीजों से बड़े बड़े काम यहां लोग निकालते आये हैं और छोटी चीजों को ही अधिक महत्व देते आये हैं। मेरा तो अपना विश्वास है कि बड़ी चीजों से बड़ा काम निकालना उतना बड़ा काम नहीं है जितना छोटी चीजों से बड़ा काम निकालना है। आज आप जा कर देखें कपड़े के बड़े बड़े कारखाने खुल गये हैं; एक जगह में नहीं, एक दो नहीं, हजारों की तादाद में तबूए चल रहे हैं और कारखाने चल रहे हैं और उस में रंग बिरंग के कल लगे हुए हैं। तो आप इस को बड़ा काम मानियेगा या तकली की ईजाद को बड़ा मानियेगा, वह तकली जिस को आप बात की बात में और १ पैसे में बना सकते हैं? उस तकली से जितना महीन सूत निकलता है उतना महीन सूत किसी मशीन से नहीं निकलता। आप सोचिये तो दोनों में कौन बड़ा काम है। उसी तरह से जब मैं विद्या की ओर ध्यान देता हूं तो देखता हूं कि आज कल की शिक्षा का यह फल है कि जिस को थोड़ा भी कहना हो वह बहुत कह देता है, जिस को थोड़ा भी लिखना हो वह बहुत लिख देता है, जिस के पास कुछ कहने को नहीं है वह भी बहुत बोल देता है। मैं भी बहुत बोला करता हूँ, और, और लोग भी बोला करते हैं। किन्तु हमारे यहां दो चार सूत्रों में हमारे

## महिला चर्खाक्लास, पटना

महिला चर्खाक्लास, कदमकूआं, पटना में तारीख १९-११-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल जी, वहनो और भाइयो,

चर्खाक्लास से मेरा सम्बन्ध, जैसा आप ने कहा गया, शुरू से ही कुछ न कुछ रहा है। इधर जब मेरे दिल्ली चला गया तब से सम्पर्क बहुत कम हो गया है, तो भी मेरी दिलचस्पी उम में बराबर ही रही है और इस लिये मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस चीज को, जैसा आप की रिपोर्ट में कहा गया है, आने वाली चर्खों में शुरू किया था वह आज बड़े कर दक्षिणी अच्छी संस्था हो गई है कि उम का अपना मकान हो गया है, उस की अपनी जमीन है और जो यहाँ की स्त्रियों की सेवा कर सकती है। बात यह है कि कोई भी काम हो, अगर उस को करने वाले लगन के साथ करते हैं तो फिर उस के लिये किसी न किसी तरह से, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, और कहीं न कहीं से रुपये आ ही जाते हैं। देश के काम से तो अक्सर काम करने वालों की कमी होती है, काम की कमी नहीं। महात्मा गांधी बराबर ही कहा करते थे कि अगर काम करने वाले हों तो धन के अभाव के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और अगर कोई काम रुका तो मनझना चाहिये कि उस काम में कोई कमी है या काम करने वालों में कोई कमी है नहीं तो काम रुकता ही नहीं। इस लिये आहिस्ता आहिस्ता जो इस की तरक्की हो रही है उस को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं चाहता हूँ कि इस की ओर तरक्की हो। आपने जो अपने मन में यह ठान रखी है कि आप हमेशा काम करते जायेंगे और किसी चिन्ता में न पड़ेंगे मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा शुभ चिन्ह है। मेरी ऐसी आशा है कि आप का काम आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं।

विहार में विशेष करके स्त्रियों में शिक्षा तो बिल्कुल थी ही नहीं। अब उस का थोड़ा प्रचार हो रहा है। पर तो भी और जगहों के मुकाबले में अब भी सब बातों में हम पीछे हैं। अभी भी इस तरह की संस्था और स्त्रियों की शिक्षा के लिये स्कूल और कालेज तब। दूसरे काम करने की जो संस्था है नहीं के बराबर है। इस लिये यह संस्था जितने आगे बढ़ रही है उस को देख कर और भी प्रसन्नता होती है। मैं चाहूँगा कि इस में काम करने वाले उत्साह से काम करते जायें। जो अन्य लोग इस के काम को पसन्द करते हैं उन का भी धर्म है कि उन में से जिन से जितनी मदद हो सके ने उसी प्रकार इसे देते रहें जिस तरह से अभी तक उन्होंने ने दे रहे हैं।

एक काम जिस को ले कर इसे शुरू किया गया था वह चर्खों का काम है। आज चर्खों के सम्बन्ध में कुछ कहना जरूरी नहीं है क्योंकि यह सभी लोग जानते हैं कि गांधीजी ने कितना महत्व इस को दिया था। अब हम ने चर्खों को कुछ दिनों चला कर



पूर्वज इतना कह गये हैं कि जिस पर ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। तो यह हमारे यहां की यह खूबी रही है। आप इस तरीके से चीजों को देखें तो आप को पता चलेगा कि आज जो आप बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं वे छोटी चीजों के ही दूसरे स्वरूप हैं। बड़े बड़े कारखाने इस छोटी तकली के ही दूसरे स्वरूप मात्र हैं। इस से भी मूत काता जाता है और बड़े कारखानों में भी मूत काता जाता है जिम से कपड़े बनते हैं। छोटी छोटी चीजों को कम से कम मैं बड़ी चीजों से अधिक महत्व देता हूँ। अपने देश में एक छोटे दायरे में बड़ा काम निकल जाता था। आज कल बड़े बड़े कारखानों में हजारों हजार मजदूर काम करते हैं और हम समझते हैं कि बहुत लोगों को मजदूरी मिल गई है और उस से बहुत लोगों को लाभ पहुंचता है। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस काम को करने वाले पहले कितना हीसला रखते थे और वे कितने काम करते थे। कारखाने में सिर्फ यह होता है कि बहुत चीजें इकट्ठी देखने को मिल जाती हैं। मेरा तो अपना विश्वास है कि गांधी जी के बताये अनुसार जब तक हम देश के अन्दर विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तब तक इस देश के इतने लोगों का उद्धार नहीं हो सकेगा। आज सिर्फ भारत में ही नहीं सब देशों में के द्रीकरण होता रहा है, जैसे २ केन्द्रीकरण होता जा रहा है बेकारी बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि पहले घर घर में कूआ होता था और उस में लोग पानी निकाला करते थे और इस तरह से हजारों हजार कूप शहर और गावों में बनते थे। आज एक जगह पानी के कल का कारखाना बना दिया जाता है और उसी के जग्ये से सारे शहर में पानी पहुंचाया जाता है। इस से आराम जरूर होता है मगर मैं समझता हूँ कि अगर एक भूकम्प आ गया और वह पानी का कारखाना टूट गया तो सारे पटना शहर को पानी मिलना बन्द हो जायेगा। अगर घर घर में कूआ होता तो सब के सब नहीं मथ जाते और अगर मथ जाते तो उसको साफ करने में अधिक मेहनत नहीं होती। आज नमार में लोग इस चीज को समझने लग गये हैं। मगर अभी केन्द्रीकरण की हवा चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद विकेंद्रीकरण की बात आयेंगी और सारे समाज पर जोर न दे कर व्यक्ति की तरफ जोर दिया जायेगा क्यों कि जब व्यक्ति अच्छा होगा तभी समाज भी अच्छा होगा। मगर आज इस से उलटा कहा जाता है कि जब समाज ठीक होगा तो सब व्यक्ति ठीक रहेंगे। मैं मानता हूँ कि यदि व्यक्ति ठीक होगा तभी समाज ठीक होगा क्योंकि जब ईंट ठीक नहीं होगी तो मकान भी ठीक नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ कि विकेंद्रीकरण का यही अर्थ है। गांधी जी इनी पर जोर दिया करते थे और इस में मेरा अपना विश्वास रहा है और आज भी विश्वास है। मैं जाना करता हूँ कि जो लोग इस में लगे हुए हैं वे थोड़ा मूत निकाल लेने और कपड़ा बुन लेने से ही सन्तुष्ट न हो कर जो गूड़ तब इस के पीछे छिपे हुए है उन पर ध्यान देगे और इस का जितना विचार नालाश जा सकता है निकाला जायेगा। मैं और था कहूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस समस्या को मदद दगे क्यों कि इन ने उन के बच्चों को मुधारने का काम उठाया है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में लोग इस बात को मानते हैं कि माता ही देश की सिरजनहारिणी होती है। वह सिर्फ बच्चों को पैदा ही नहीं करती बल्कि बच्चों पर अपना सस्कार भी डालती है। बच्चे तभी ठीक होंगे जब माता ठीक होंगी। इस का बड़ा महत्व है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस महत्व को समझेंगे और काम करते जायेंगे।

## विहार कलाभवन का शिलान्यास

तारीख २० नवम्बर, १९५१ को विहार राज्यकलाभवन का शिलान्यास करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

महार्माहम र गपाल, माननीय डाक्टर अनुग्रहनागयण सिंह, बहनो और भाइयो,

मुझ इस बात की बड़ी खुशी है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं इस काम में आ कर शरीक होऊँ। जैसा आप ने कहा कि मन् १९८७ में रामगढ़ कांग्रेस के समय हम लोगों ने पहले पहल सोचा था कि हम चित्र द्वारा विहार का इतिहास लोगों के सामने रखें और उन के लिये कुछ नौजवान चित्रकारों ने जो उस वक़्त यहाँ रहते थे बहुत उत्साह से इस काम को कबूठ लिया था और उन के साथ साथ ही पटनावासी श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने उन का उन्माद बढ़ाया और खुद एक या दो चित्र तैयार किये। कांग्रेस के बाद यहाँ पर यह मवाल उठा कि उन तस्वीरों का क्या किया जाये कहा उन को रखा जाये। कांग्रेस के पास कोई अपना मकान नहीं था जहाँ तस्वीरों को रखा जाता। लेकिन ठीक उसी समय आर्ट स्कूल की स्थापना हो गई और उन चित्रों को आर्ट स्कूल में रखा गया। पीछे जिस समय में जेल में था तब मैं ने सुना कि उस समय के यहाँ के गवर्नर ने उन चित्रों को नकल करा के गवर्नमेन्ट हाउस में रखवाया क्यों कि उन्होने समझा कि ये चित्र अच्छे हैं। इस प्रकार इन से मेरा सम्बन्ध रहा है। मभवत डमी लिये आप ने समझा है कि मेरे हाथों में इस की नींव आप डलवायें जिम के लिये मैं आप का शुकिया अदा करता हूँ।

बात यह है कि जब कभी कोई देश स्वतन्त्र होता है तो उस की बहुमुची उन्नति करना और उस को एक तरह से विकसित करना लोग चाहते हैं। उस की तरफकी अगर किमी एक ही चीज में हुई तो फिर वह देश बड़ा देश नहीं हो सकता, वह आजादी बड़ी आजादी नहीं हो सकती। इस लिये यह जरूरी है कि उस की तरफकी शिक्षा में हो, उस की तरफकी माली हो उस की तरफकी राजनीतिक हो, उस की तरफकी कलाओं के क्षेत्र में हो अर्थात् हर तरह में उसकी तरफकी हो। इस लिये यह स्वाभाविक है कि हमारे स्वतन्त्र होने के पश्चात उस तरह का उन्माद हमारे दिशों में हो और हम इन चीजों की ओर बढ़ें।

मैं खुद तो कोई कला नहीं जानता हूँ मगर उन को देख कर मेरे दिम में प्रायत्ता होती है और मुझे सच्चा आनन्द मिलता है, चाहे वह कला चित्र के रूप में हो, चाहे वह बड़ी उमारों के रूप में हो, चाहे मन्तियों के रूप में हो या मुन्दर गान के रूप में हो। किमी भी रूप में हो जब कला देखने में या सुनने में आती है तो उस में जी प्रफुल्लित होता है। इस लिये जहाँ कहीं मैं जाता हूँ तो इस तरह की चीजों की ओर खाम कर के अपने देश की पुर्गती चीजों को देख कर खुश होता हूँ। अभी तीन दिन ही हुए हैं मैं उड़ीसा में घूम रहा था। तीन दिना में वहाँ स्थापत्य कला और मूर्तिया बनाने को कला के ऐंम ऐंसे नभूने देख जो आज प्रायः हज़ार

वर्षों के बाद भी अपनी जगह पर कायम रहे और जिन के मुकाबले की चीजे साधद दुनिया में बहुत कम मिलेगी। हिन्दुस्तान में उन्नीस तरह की चीजे और भी जगहों में बहुत ही हैं। कोनार्क में सूर्य का मन्दिर एक ऐसा मन्दिर है जिस का जोड़ा साधद कही नहीं मिलेगा। इसी तरह दूसरी जगहों में जहाँ जहाँ में गया हूँ इसी तरह की चीजे देखने में आई हैं। बिहार एक समय दुनिया में ऐसी चीजों का केन्द्र था। आज ही में नालन्दा में बिहार की नीव डालने गया था। वहाँ पर मैं ने कहा था कि केवल विद्या ही नहीं फिलामफी ही नहीं, कला भी नाशदा में बहुत दूर तक पहुँच गई थी। आप को यह मुन कर आश्चर्य होगा कि चीन के उदाहिने में जिस को आज मध्य एशिया कह सकते हैं यहाँ की कला के समाने पाये जाते हैं, और जो यहाँ से ही गई था वे, आई गई उन पुरानी कलाओं का कहना ही सपना है। वहाँ पर हाल में बहुत मुकामे ऐसी मिली हैं जो अजन्ता की गुफाओं की तरह वर्नी हुई हैं और मैं ने यह भी मुना है कि कुछ चित्रकार जो उन के बनाने के लिये लगाये गये थे वे यहाँ से ही ले जाये गये थे और भारत से ही जा कर उन्होंने उन गुफाओं को बनाया था। तो वह कला भारत की बहुत पुरानी चीज है। लेकिन जैसा आपने कहा पुरानी बात को छोड़ भी दे तो वर्तमान काल में भी पटना कला क्षेत्र में अपनी अलग जगह रखता है। चित्र कला में पटना की विशेष कला है जिस को पटना की कला के नाम से कहा जाता है और उस में इधर हाल में सब से अच्छे कलाकार श्री ईश्वरी प्रताप वर्मा थे जो उनी यह के रहने वाले थे। कला उन के घर में परम्परा में चली आई थी और इस लिये उन्होंने भी इन को सीखा था और कलकत्ते के आर्ट्स स्कूल में जा कर बहुत दिनों तक शिक्षक और वाइस प्रिन्सिपल भी रहे थे। तो पुरानी बात को अगर छोड़ भी दे तो हाल में भी हमारा कुछ न कुछ ध्यान कला में रहा है। इसलिये यह बड़ी खुशी की बात है कि आप ने इस को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है और इस के लिये एक भवन बनवाया है और इन को सिखाने के लिये एक स्कूल बनवाया है।

अब तक दो किस्म के लोग भारत में थे जिन में कला को प्रोत्साहन मिला करता था। एक तो बड़ी बड़ी रियासतें थीं, उन के राजा महाराजा लोग कला की नव तरह में मदद करने थे। विभी भी रजवाड़े में आप जा कर देखें तो ऐसी सुन्दर काम वाली चीजे, जिन पर बहुत सुन्दर चित्र बने हुए हैं, आप पायेंगे और जिन को तैयार करने के लिये कलाकार रखे जाते थे। इन रजवाड़ों के अलावा बड़े बड़े जमींदार हुआ करने थे जो कला को प्रोत्साहन दिया करते थे। अब आप जानते हैं कि कालचक्र में समझिये या भारत की खुश किस्मती से समाझिये, सभी रियासतें उठ गई हैं और सब मिल कर एक भारत बन गया है। आज भारत का शासन केवल उनी हिस्से पर नहीं है जो अग्रेजों राज के अधीन था वल्कि उन हिस्सों पर भी आज उमी तरफ आ रहा है जो पहले रियासतें थीं। अब इन रियासतों के हट जाने पर यह कमी जरूर महसूस होती है। भारत सरकार या राज सरकारें अपने ऊपर यह भार ले ले कि इन रियासतों से कला को जो मदद मिली करती थी वह मदद वे सरकारें दें; यदि ऐसा हो तो वह कभी दूर हो सकती है। पर मालूम नहो कि इतना भार गवर्नमेंट अपने ऊपर ले सकती है या नहीं ले सकती है। मगर यह तो हॉना चाहिये ही कि जो जगह खाली हो गई है उस का किसी न किसी तरह भरा जाये। तभी कला आगे बढ़ेगी। बिना प्रोत्साहन

के यह काम नहीं हो सकता। इस लिये मैं चाहता हूँ कि सभी राज्यों में इस का प्रबन्ध होता चाहिये जिस में हर तरह में कला को प्रोत्साहन मिले। उस के लिये हजारों तरकीबें निकाली जा सकती हैं। स्कूलों में कला गिनवाना अच्छी बात है। लेकिन जरूरी तो यह है कि कला घर घर में होनी चाहिये और जीवन के हर काम में लाई जानी चाहिये। आज जापान में तथा और और देशों में घर घर चित्रकार ऐसे निवृत्त बनाने हैं जिन को देखकर लोग खुश हो जाते हैं। इस लिये वहाँ जो गांव के लोग चीजे बनाते हवे विदेशों में जाती हैं। कई तरह की कलायें हमारे देश में भी हैं। अगर आप जाकर आदिवासियों के घरों में देखें तो वहाँ आप को एक प्रकार की सुन्दर कला देखने में आवेगी। बिंदुओं में बनाये हुए रंगों में नहीं मिट्टी आदि के रंग से वे बहुत ही सुन्दर चीजे बनाते हैं। कपड़े में भी अच्छी में अच्छी चीजें वे तैयार करते हैं। मैं अभी एक जगह गया था, वहाँ लोगों ने मुझे पुरानी पुस्तकें दिखायीं। वे ताड़ पत्र पर लिखी हुई हैं। मैंने देखा कि कहीं कहीं उन्हे खा गये हैं। मैंने पूछा कि उन पुस्तकों को कीड़ों से बचाने के लिये वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भवनमेंन्ट के आर्किओलोजिकल डिपार्टमेंन्ट में पूछ कर उन को बचाने का प्रयत्न किया जायेगा; उन्होंने मे इस विषय पर उन में पत्र व्यवहार किया है। मैंने पूछा कि अब आप उन में पूछ रहे हैं पर अब तक इन को बचाने की कौन भी तरकीब आप करने है। वे कहने लगे कि पहले तो नीम की पत्ती से इन पुस्तकों को कीड़ों से बचाने थे। मैंने कहा कि अब क्यों नहीं वे इस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जहाँ जाता हूँ मैंने यह भी देखा है कि बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें किसी न किसी तरह अभी गड़ी हैं। आज कल जो मकान बनते हैं अगर उन की मरम्मत हर पाचवे साल नहीं की जाये तो सब के सब मकान गिर जाये। लेकिन पुरानी चीजें हजारों वर्षों तक कैसे खड़ी रहती। गंगा के किनारे मैंने देखा है कि नदी के काटने से लोग गांव छोड़ कर दूसरी जगह चले गये हैं मगर जो मकान अभी कटने में बच गये हैं वे बिना मरम्मत के ज्यों के त्यों बडे हैं। न मालूम कौन सा मसाला लगाया जाता था जिस की वजह से वे आज भी कायम है। आज मैं नाउन्दा में देखा था कि ईंट की दीवारों ज्यों की त्यों खड़ी हैं। मरे पुत्रने पर उन्होंने बताया कि उन्ग तोरी तो बहुत है लेकिन उन दीवारों पर बिल्कुल नहीं लगी है। हो सकता है उन में कोई न कोई ऐसी चीज हो जिस की वजह से हजारों वर्षों के बाद भी नदी नदी लगने पानी। आज हम मॉन्ट का खर्च बहुत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उन में बह कर मजदूर चीजें दूबगी नहीं हैं। यदि इन में से ५०० वर्ष के बाद कोई मरम्मत हो जायेगा, कोई खड़े हो जायेगा तो उस समय जो लोग होंगे वे देखेंगे कि यह वत कहा तक ठीक है। लेकिन जो आज चीजें हमारे सामने खड़ी हैं वे तो उन में लगे मसाले की मजदूरी का साट्टिफिकेट दे रही हैं। मगर जो चीजें अब तक कायम हैं जिन का मूल्य देने की जरूरत नहीं उन का हम भुगतान चाहते हैं। उस मसाले को खोज कर के हम क्यों नहीं निकाले कि जिस मसाले में हमारे मकान और मन्दिर हजारों वर्षों के बाद भी खड़े रह सकते हैं। मैंने देखा है कि उडीसा के भूर्प मन्दिर में लोहे की शहतीरे बड़ी बड़ी और मजदूर लगी हैं। और अभी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। कुछ हटा कर स्मूजिपम के अन्दर रख दी गई है। और कुछ मंदिरों में गवो गई है। लेकिन किसी में भी जग मैंने नहीं देखा। क्या बात है कि हजारों वर्षों तक हवा पानी में रहने के बाद उस लोहे में जग नहीं लगती। इन सब चीजों पर मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के इंजीनियर

लोग ध्यान दे। मिरफे यही नहीं कि उन्हें पता ठीक ठीक हो पर जो चीज ठीक साबित हो उस को उपेक्षा की दृष्टि में न छोड़ दे।

आप की कला कायम हो रही है। वह बहुत ही अच्छी है। मगर पुरानी चीजों को क्यों ही बेकार समझ कर नहीं छोड़ना चाहिये। आज कलाकार नये रंग बनायें लेकिन मैं यह भी कहूँ कि वे इस की भी खोज करे कि पुराना रंग कैसा होता था जो हजारों वर्षों से कायम है और जिस ने पानी हवा के असर को रोक लिया है। मैं जानता हूँ कि कैमिकल रंग आसानी से मिल जाते हैं लेकिन आसानी ही सब कुछ नहीं है। कला में आसानी की कामना वाछनीय नहीं है और न उस की तरफ़ मन्चे कलाकार जाने हैं। कलाकारों में तो साधना की अक्षय सामर्थ्य होती है। वे पूरी लगन से कला को विकसित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रयत्न में पुरे उन्माह से कला को प्रगति और काय बढना ही जायेगा। मैं इस के लिये आप को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अर्थ में ध्यान दे लिया है।

### मगध ज्ञान प्रतिष्ठान।

मगध ज्ञान प्रतिष्ठान के शिलान्यास के अवसर पर नारीय २० नवम्बर १९५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

विश्वविद्यालयों की प्रस्थान राजधानी उन नागरिक विद्या नगरी में आज हम सब एक पवित्र उद्देश्य लेकर एकत्र हुए हैं। हमारी यह कामना है कि नालन्दा के प्राचीन गौरव को ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जीवित किया जाये। इसी उद्देश्य में हम राज्य की सरकार ने इस स्थान पर पाली एवं प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के लिये और बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करने के लिये मगध ज्ञान प्रतिष्ठान की स्थापना का जो नकल्प किया है। हम सब के हृदय इस उद्देश्य के साथ जुड़े हैं। नालन्दा हमारे इतिहास में अन्यन्त आकर्षक नाम है जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधन के सुरभिप्त पुष्प खिले हैं किन्तु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या सम्बन्धी सूत्र भी नालन्दा के साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालन्दा हम का उज्ज्वल दृष्टान्त था। नालन्दा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उम पार तक फैल गई थी। लगभग छ मी वर्षों तक नालन्दा एशिया का चैतन्य केन्द्र बना रहा।

मगध की प्राचीन राजधानी वैशाल आदि पात्र पर्वतों के मध्य में बना टुटींगरिज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालन्दा उसी राजगृह के नन्त कुण्डों में माया मीठ उत्तर की ओर है। नालन्दा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के सम्बन्ध तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय में नालन्दा गांव में प्रावारिको का आश्रय था। जैन-ग्रन्थों के अनुसार नालन्दा में महावीर और आचार्य मखलिपुत्र गोमाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या बाहिरिक स्थान समझा जाता था जहा महावीर ने चौदह वर्षावाम व्यतीत किये। सूत्र-कृतांग के अनुसार नालन्दा के एक धनी नागरिक लेप ने धन-धान्य, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण

आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और वह उनका शिष्य बन गया था। निव्वत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालन्दा सागिपुत्र की जन्म भूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी बना था। अशोक राजा ने एक मन्दिर बनवा कर उसे परिर्वर्द्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालन्दा की प्राचीनता की अनुभूति बुद्ध और अशोक दोनों से सम्बन्धित है किन्तु एक प्राणवन्त विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरम्भ लगभग गृप्त काल में हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का सम्बन्ध नालन्दा से बताया है और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिङ्नाग ने नालन्दा में आकर अनेक प्रति पक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था जिन में मुद्गुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। चौथी शती में चीनी यात्री फाह्यान नालन्दा में आये थे। उन्होंने सागिपुत्र के जन्म और परिर्वर्द्धन स्थान पर निर्मित स्तूप का दर्शन किया। किन्तु नालन्दा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। सातवी शती में म-ग्राष्ट हर्षवर्धन के समय जब युवानचांग उन देश में आये तो ना-ग्राष्ट अपनी उन्नति के शिखर पर था। युवानचांग ने एक जातिक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालन्दा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न हुए भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी (न-अल-न्दा) सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमारहित और अनन्त होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। रुपये पैसे के दान की सीमा है किन्तु विद्या के दान का लोक में कहीं अन्त नहीं है। इस क्षेत्र में एक व्यक्ति भी अपनी माधना में इतना अधिक दे सकता है कि सारे समार को निहाल कर दे। नालन्दा नाम के पीछे छिपी हुई यह भावना न केवल भूतकाल के लिये थी वरन् भविष्य में भी हमारे इस नये सभ्य प्रतिष्ठान को बराबर उस से प्रेरणा लेनी चाहिये। हमें यह सफल करना चाहिये कि हम अपने मन को उदार बना कर यहाँ सत्य का अनुसन्धान करेंगे और मानव मात्र के लिये उसका उत्सर्ग करते रहेंगे।

नालन्दा विश्वविद्यालय का जन्म जनना के उदार दान में हुआ। कहा जाना है कि इसका मूल आरम्भ पाच सौ व्यापारियों के दान में हुआ था जिन्होंने अपने धन में भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दे दी थी। युवानचांग के समय में नालन्दा विश्व विद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय छ बड़े विहार थे। आठवी सदी के यशोवर्मन के शिला लेख में नालन्दा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विद्यार्थी की पवित्रियों के ऊचे ऊचे शिखर आकाश में मेधों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिन में मुनहले और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उन में अनेक प्रकार के अलंकरण और मन्दर मूर्तियाँ थी। यों तो भारतवर्ष में अनेक सभ्याराम हैं किन्तु नालन्दा उन सब में अद्वितीय है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय में इस विहार में तीन सौ बड़े कमरे और आठ मडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालन्दा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उन में इन वर्णनों की सचाई प्रकट होती है।

आर्थिक दृष्टि से नालन्दा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिन्त बना लिये गये थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिये सौ गाँवों की आय अक्षय

निधि के रूप में मर्पित की गई थी। इतिहास के समय में यह संख्या बढ़कर दो सौ गावों तक पहुँच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इन तीनों राज्यों ने नालन्दा के निर्माण और अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपालदेव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालन्दा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। विदेशों के साथ नालन्दा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालन्दा को खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) के शासक वैश्वदेव सम्राट श्री बाल्यपुत्रदेव ने मगध के सम्राट देवपालदेव के पास अपना दूत भेज कर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर में पाँच गावों का दान नालन्दा विश्व-विद्यालय को दे दिया जाये। ताम्रपत्र के अनुसार नालन्दा के गुणा में आकृत होकर यवद्वीप के सम्राट बाल्यपुत्र ने भगवान् बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने हुए नालन्दा में पाँच बड़े बिहार का निर्माण कराया। उन पाँच नव गावों की आय प्रजा पारमिता आदि का पूजन, चातुर्दश अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षुसंघ के चौरस, भोजन, चिकित्सा, गयनामन, आदि का व्यय धार्मिक ग्रन्थों की प्रतिलिपि एवं बिहार की दूट फूट की मरम्मत (बिहारस्य, चखड स्फुटित समाधानार्थ) आदि के लिये खर्च की जाती थी। यह तीनों मयोग से बचा हुआ एक उदाहरण मात्र है जो विदेशों में कैसे हुई नालन्दा की कीर्ति की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालन्दा महाविहारिय आर्य भिक्षुसंघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्रायें नालन्दा में प्राप्त हुई।

युवानचांग के समय में इस महा विद्यालय में दस हजार छात्र और पन्द्रह सौ अध्यापक थे। इस से ज्ञात होता है कि शिक्षा में आचार्य लोग छात्रों की शिक्षा-दीक्षा में वैयक्तिक ध्यान देते थे। वस्तुतः उस समय में नालन्दा उच्च अध्ययन का ही केन्द्र था जैसा कि पोम्प्रेजुएट या स्नातकोत्तर अध्ययन का केन्द्र हमें समय यहाँ हम स्थापित करना चाहते हैं। चीन, कोरिया, तिब्बत, तुपांग, एव सुदूर मंगोलिया तक के ज्ञान-पिपासु विद्वान् अध्ययन के लिये एव बौद्ध ग्रन्थों की प्राप्ति के लिये नालन्दा आते थे। यहाँ का पुस्तकालय एशिया भर में सब से बड़ा था। अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ यहीं में चीनी यात्रियों के द्वारा चीन पहुँची और वहाँ की भाषा में अनुवादित हुई। एक प्रकार से मार्ग नालन्दा विश्वविद्यालय उच्च ज्ञान-संस्थान के रूप में विकसित हुआ था। किसी रूप में नालन्दा से सम्बन्ध होना गौरव का चिन्ह समझा जाना था। अनेक सिद्धान्त और शास्त्रों के दुर्लभ ग्रन्थों की प्रतिलिपि करणकर जनता यहाँ सुरक्षित कर लेती थी। जिस समय बारहवीं सदी में यहाँ के पुस्तकालयों का अन्त हुआ उस समय बहुत से ग्रन्थ नेपाल और तिब्बत में पहुँच गये जहाँ उनमें से कई आज भी सुरक्षित हैं।

नालन्दा के विश्वविद्यालय में प्रति दिन धार्मिक भेद भाव के बिना एक सौ व्याख्यान होने थे। ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, और कला इन सब विषयों का समावेश वहाँ के पाठ्यक्रम में था। अधिकांश भिक्षु महायान के ग्रन्थों का एव बौद्धों के अन्य अठारह निकायों के ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। किंतु वेद और तदनुवर्ती साहित्य के अध्ययन व अध्यापन का भी प्रबन्ध था। नालन्दा के आचार्यों की यह मानसिक उदारता बड़ी अभूतपूर्व थी और नालन्दा की उन्नति का मूल बीज इसी प्रकार की मानसिक स्थिति थी जो मानव मात्र के ज्ञान और दर्शन को भेद भाव के बिना अपने अक में समेट लेना चाहती थी।

नालन्दा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि में तैयार किया गया था। उभे पढ़ कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिवाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप में पाच विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण जिस से भाषा का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो सके, हेतु विद्या, या तर्क शास्त्र जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कमीटी पर प्रत्येक बात को परख सके चिन्तित्सा विद्या जिसे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके तथा शिल्प विद्या; एक न एक शिल्प का सीखना भी वहाँ अनिवार्य था जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी आनी ह्मि के अनुसार लोभ धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। इस प्रकार नालन्दा ने पाठ्यक्रम के विषय में जो आदर्श रखा था वह आज भी मनन करने योग्य है। इस समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम के कारण ही नालन्दा के छात्रों का अध्ययन तेजस्वी और जीवन में उपयोगी बनता था। युवानचांग नालन्दा के एक छात्र थे जिन्होंने आचार्य शीलभद्र के जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे चरणों में बैठकर न्याय, योग, शब्द शास्त्र, पाणिनीय व्याकरण आदि का पहले अध्ययन किया और पीछे पाच वर्ष तक अनेक बौद्ध शास्त्रों का पारायण किया। युवानचांग महायान शास्त्रों के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। उसी प्रकार इत्सिंग नामक चीनी यात्री ने थेरवाद में सम्बन्धित शास्त्रों का नालन्दा में ही अध्ययन किया।

आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सब में बड़े विद्वान माने जाते थे। उन में पूर्व धर्मपाल इस सन्स्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, जानचन्द्र, प्रभासित्र, स्थिरमति, गुणमति, आदि अन्य आचार्य युवानचांग के गमकालीन थे। जिस समय युवानचांग अपने देश चीन को लौटते थे उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका बैसा ही घनिष्ट समयस्थ बना रहा। जब युवानचांग नालन्दा में बिदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उन में यहाँ रह जाने के लिये अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में ये वचन कहे—“पढ़ देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकता असंभव है लेकिन यहाँ भ्राने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिये मैं भगवान के महान् धर्म की खोज करूँ। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा, सुना है उसे दूसरों के हितार्थ वनाऊँ और अनुवाद रूप में लाऊँ। जिसके फल स्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर में शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि—“यह उदात्त विचार तब बोधिरत्नो जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओ का समर्पण करता है।” युवानचांग को महायान के अनुयायी देव कहते हैं और थेरवाद या हीनयान के अनुयायी मोक्षदेव या मोक्षाचार्य कह कर पुकारते थे। मोक्षाचार्य युवानचांग और शीलभद्र के प्रधान शिष्य जानप्रभ के बीच में युवानचांग के चीन लौट जाने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा। जिस के तीन पत्र आज भी बचे हैं उन में जान होना है कि नालन्दा के विद्वान बाद में भी मस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपि कराकर चीन देश को भेजते रहे। अपने देश में जाकर युवानचांग ने अपने जीवन का शेष भाग भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने में व्यतीत किया। इस में नालन्दा के साहित्य का प्रमुख स्थान था। उसने लिखा है कि स्वयं चीनी सम्राट ने अपनी लेखनी से उस अनुवाद की भूमिका लिखी और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उन ग्रंथों का सब देशों में प्रचार करें। जिस समय इन आदेश पर पूरी तरह अमल



हुआ हमारे पड़ोसी देशों में भी सब ग्रथ पढ़न गये । इन सत्प्रयत्नों का जिन में अनेक चीनी और भारतीय विद्वानों ने देश और काल की दूरी की परवाह न करते हुए उत्साह पूर्वक भाग लिया यह फल हुआ कि लगभग दो हजार मूल संस्कृत ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ जो आज तक चीनी त्रिपिट में सुरक्षित रह गये हैं यद्यपि उनके मूल संस्कृत रूप अब नष्ट हो गये हैं । आज जिस महत्वपूर्ण समस्या की स्थापना हम कर रहे हैं में आशा करता हू कि उसका यह भी एक उद्देश्य होगा कि वह इस चीनी साहित्य को पुनः संस्कृत रूपांतर और हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करे । जिन प्रकार युवानचांग के समय गन्नागर नामक नालन्दा का महान् पुस्तकालय था उसी प्रकार हमें पुनः प्रयत्न करना होगा कि भविष्य में मगध ज्ञान संस्थान के अन्तर्गत हम उन सब पाठ्यप्राकृत और संस्कृत मूल ग्रथों का एक उभय सम्बन्ध में रखे गए अन्य भाषाओं के ग्रथों का पूर्ण संग्रह करने की पूर्ण योजना बनाये और उसे कार्यरूप में परिणत करे । शासन और जनता दोनों के सहयोग से यह कार्य अवश्य सिद्ध होना चाहिये ।

नालन्दा के विद्वानों ने विदेश में जाकर ज्ञान का प्रचार किया । पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट् स्त्रोंग छन गम्पो (६३० ई०) ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिये अपने यहां के विद्वान थोन्मिसम्भोट को नालन्दा भेजा जिस ने आचार्य देवविद् सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की । इस के बाद आठवीं सदी में नालन्दा के कुलपति आचार्य यातिरक्षित तिब्बती सम्राट् के आमन्त्रण पर उस देश में गए । नालन्दा में अन्य विद्या के प्रमुख आचार्य कामरूपीय भी तिब्बत गये थे । नालन्दा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा में बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया । इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक गार्हस्थ्य प्रदान किया और फिर यहाँ अपने बहू के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया । नालन्दा के आचार्य यातिरक्षित ने ही सब से पहले ७८९ ई० में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी । उन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव (७८९ ई०) और दीनकर श्री ज्ञानार्तिथ (९८० ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं । आचार्य अतिथि जिन प्रकार नालन्दा का परिस्थान करने अपने जीवन के अन्तिम समय में संस्कृतों को लेकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये तिब्बत में गये वह बहूनी अत्यन्त ब्राह्मण हैं । उन्होंने एक प्रकार से तिब्बत देश को नये प्रकार की धर्म दीक्षा दी । तिब्बती भाषा में सुरक्षित त्रिपिटक साहित्य का भी पुनः संस्कृत में अनुवाद होना अत्यन्त आवश्यक है । उममें न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति पर तथा प्रकाश पड़ेगा बल्कि नाथन्दा विश्वविद्यालय की ज्ञान साधना के समग्र रूप को देखने और समझने में भी सहायता मिलेगी ! कहा जाता है कि कोरिया के विद्वान भी नालन्दा में विनय और अभिधर्म की शिक्षा के लिये आये थे । आर्यधर्म नाम के एक कोरियाई विद्वान ६३८ ई० में नालन्दा आए । सत्तर वर्ष की आयु में यही स्वर्गवासी हुए । संभव है कोरिया में उस काल के अनुवादित संस्कृत ग्रंथ अभी तक बच गये हों ।

साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालन्दा कला का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र था जिनमें अपना प्रभाव नैपाल, तिब्बत, हिन्दैशिया, एवं मध्य एशिया की कला पर डाला । नालन्दा की कांय मूर्तिया अत्यन्त सुन्दर और प्रभावोत्पादक हैं । विद्वानों का अनुमान है कि कुकिहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तिया नालन्दा शैली से प्रभावित हैं । अस्तुतः नालन्दा की सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित

साधना का गाल थी जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ राष्ट्रीयक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिये कि भूतकाल के इस प्रबन्ध में शिक्षा ले और कला, शिल्प, साहित्य धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केन्द्र नायन्दा में हट्ट पुन स्थापित करे। राष्ट्रीय जीवन में इस प्रकार के महान् कार्य जो मस्कृति के महान् दंड को उंचा उठाते हैं अनेक दृढ़ इती विद्वानों की दीर्घकालीन साधना से सिद्ध होते हैं। मगध ज्ञान प्रतिष्ठान अभी एक छोटा पौधा है। यदि उसे हम प्रयत्न पूर्वक सींचते रहेंगे और जीवन की नई आवश्यकताओं के अनुसार उसका संवर्द्धन करेंगे तो आशा है कि कात्यायन में कल्पवृक्ष के समान इसका विकास होगा।

### मुजफ्फर नगर शहीद स्मारक का उद्घाटन

सरैयागंज मुजफ्फर नगर में तारीख २१-११-५१ को शहीद स्मारक का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा ---

श्रेष्ठेय सभापति जी, शहीद स्मारक समिति के सदस्य वगैरों और भाईयो,

मैं आप सबका हृदय में आभासी हूँ कि आपने ऐसे हम शूभावसर पर इन शुभ काम के लिये आमन्त्रित किया और यह मौका दिया कि शहीदों के प्रति मैं अपनी प्रशंसा जितने दे सकूँ।

यह तो सभी लोग जानते हैं कि जब कभी स्वतन्त्रता के लिये किसी भी देश में काम किया जाता है तो उस में अनेकानेक त्याग, तरस तरस की मूर्खाने वर्दाशत करनी पड़ती है और प्रहुरेणों को अपने प्राण भी देने पड़ते हैं और तब जाकर के उस काम में सफलता मिलती है। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम ने जो अहिंसा का मार्ग ग्रहण किया उसका यह फल हुआ कि हमको जितने त्याग की जरूरत हीनी उतने त्याग किये बिना ही हम अपने कार्य में सफल हुए। तो भी जिन भाइयों ने और जिन बहनों ने अपनी जाने दे दी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके काम किया उन की याद रखना, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना हम सब का कर्तव्य है। और हम लिये मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुजफ्फरपुर के निवासियों ने यह सुन्दर स्मारक यहाँ बनाया है और उसके साथ साथ आपने महात्मा गांधी की एक मूर्ति लकार के रख दी है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि इन शहीदों की जो वृद्ध समस्या हुई, उनका जो त्याग हुआ उसने फलस्वरूप हमको स्वराज्य मिल गया है पर अभी भी स्वराज्य सबकी बहुत काम बाकी है। महात्मा गांधी ने अपने सामने और हमारे सामने समाज का एक चित्र रखा था और वह चाहते थे कि हमारे समाज का पूर्ण पुनर्गठन उमी चित्र के अनुसार हो। पर वह चित्र अभी ज्यों का त्यों पड़ा रह गया है, अभी वह काम में पूरी तरह से नहीं आ सका है और उस के लिये भी अनेकानेक काम करने वालों की जरूरत है।

मेरा अपना विश्वास रहा है कि स्वराज्य की लड़ाई के जमाने में जितने त्याग, परिश्रम और अध्यव्यसाय की जरूरत थी उससे ज्यादा इन चीजों की जरूरत आज है जब हम को तब समाज

का संगठन करना है। राज्याधिकार हमारे आने हार्थों में आ गया है। अगर अब कोई बात बिगड़ती है तो उस की पूरी जिम्मेदारी हमारे मर पर होगी और अगर कोई बात बनती है तो उसका श्रेय भी हमको ही मिलने वाला है। इसलिये अब हम किसी तीमरे को इस बीच में नहीं रख सकते और न यह कह सकते हैं कि उसकी बरह में हमारा यह काम बिगड़ा। अब हमें देश को सुधारना है, देश की उन्नति करनी है। देश की उन्नति करने का अर्थ है इस देश में रहने वाले सभी लोगों की उन्नति, सब लोगों की हर तरह से तरक्की। इसे हम तभी कर सकते हैं जब हम में से सभी लोग ऐसे हों, जो देश की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा को अपना कर्तव्य और अपने जीवन का ध्येय समझते हों। ऐसा किसी को न समझना चाहिये कि स्वराज्य अब आ गया है और इसलिये अब काम का समय बीत गया है और अब तो भोग का समय आ गया है। मच पुत्रिये तो नन्हे कर्मियों के लिये कभी भोग का समय आता ही नहीं। अगर कभी आवेगा भी तो तब जब जो ध्येय महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा था उसे हमने पूरा कर लिया होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे युवक और युवतियाँ हजागों की तादाद में आज भी निकले जो उसे खुशी में, उसी उत्साह के साथ, उसी त्याग और सेवा के साथ, जिस त्याग और उत्साह के साथ लाखों लाख लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ स्वराज्य की लड़ाई में काम किया था काम करने को कटिबद्ध हों। मेरा विचार है कि ऐसे लोग पैदा होंगे। मगर आज चारों तरफ जो हवा देखने को मिलती है उसमें मेरे दिल में कभी कभी शका होती है, कभी कभी घबराहट भी पैदा होती है, कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि जिन अभिलाषाओं को लेकर के हम स्वराज्य की तरफ बढ़े थे, जिन उच्च आदर्शों को हमने अपने सामने रखा था और काम किया था और कर रहे थे उनमें हम विचलित हो गये हैं। इसलिये यह जरूरी है कि लोग इस चीज को समझे और अपनी जवाब-देही को अधिक महसूस करें और दूसरों के सामने इसका नमूना पेश करें कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी जब तक हम समाज को जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बना लेते तब तक हम उसी लगन के साथ काम करते हैं जिस लगन के साथ हमने काम शुरू किया था। अगर हम विचार करके देखें तो समुष्ट हो जायेंगे कि जो कुछ शिक्षायत्ने हम मुगलते हैं उन सब की जड़ में हमारी कमजोरी है, चरित्र की कमजोरी है, दिल की कमजोरी है और इस बात की भी कमजोरी है कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जुल कर उस त्याग और पवित्रता के साथ काम नहीं कर सकते जिससे हम काम किया करते थे। मैं चाहता हूँ कि आज की तरह हम अपने समय को भ्रमण और जोश में खर्च न करके ठोस काम करने में लगावें। वही ठोस काम अन्त में काम देगा क्योंकि आतिश-वाजी की रोशनी से किसी गहर में उजाला नहीं होता। उस के लिये तो ऐसा दिया चाहिये जो थोड़ा ही सही पर बराबर एक तरह से जलता रहे। मेरी पार्थना है कि हमारे हृदय के अन्दर महात्मा गांधी वही दीप फिर से जला दें जो उन्होंने आज से ३० साल पहले जलाया था और ये शहीद जिनके आप स्मारक बना रहे हैं फिर से एक बार हमारे हृदय के अन्दर वही भावना उत्पन्न कर दें जिसको लेकर वे स्वयं शहीद हो गये थे। वे तो इस बात को नहीं सोचते थे और न उन्होंने सोचा कि स्वराज्य मिल जाने पर उनको क्या मिलेगा और वे किस तरह से इससे लाभ उठावेंगे। उन्होंने तो अपने सामने एक ध्येय रख लिया था और उस की प्राप्ति में अपने को बलिदान कर दिया। हमको अभी भी वैसे ही त्यागी पुरुषों की जख्मत है और मैं आशा करता हूँ कि इस स्मारक को बनाने का मतलब भी यही है कि हमारे सामने वे आदर्श बने रहें। मैं आप सब भाइयों से यह अनुरोध करता हूँ कि जब आप इस रास्ते से गुजरें तो यह याद रखें कि उन्होंने स्वराज्य

के लिये अपनी जान दे दी थी मगर उन्होंने स्वराज्य को भोगा नहीं। अगर भोगने की इच्छा होती तो शायद जान भी नहीं देते और अगर जान नहीं देते तो स्वराज्य मिलता भी नहीं। उन्होंने तो अपना काम पूरा किया, अब हम लोग जो बचे हुए हैं उनका कर्तव्य है कि जो काम बाकी रहा है उसको हम पूरा करें। यह स्मारक यही चेतना आपको दे और यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है वह मेरी डम अभिलाषा को पूरी करे।

आप सब को मैं फिर एक बार हृदय में धन्यवाद देता हूँ।

### सदाकत आश्रम

तारीख २१-११-५१ को १ बजे शिनि में महाकन आश्रम में आश्रमवासियों के बीच राष्ट्रपति जी ने कक्षा :--

अनुग्रह वार्, बहनो और भाइयो,

जब जग में पटने आना है तो एक वार मैं थोड़ी देर के लिये ही मही यहाँ की चीजों को देखने के लिये और यह देखने के लिये कि क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, कितने नये आदमी आये हैं, कितने पुराने हैं यहा भी आ जाया करता हूँ। जब पुराने भाइयो के साथ साथ नये लोग भी मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है। इसका अर्थ यह है कि नये लोग यहा आकर के कुछ सीखकर जाते हैं और दूसरी जगहों में लोग इसलिये आते हैं कि वे समझते हैं कि यहाँ कुछ सीखने की चीज है और इसलिये वे सीखने के लिये आते हैं। यह बड़े सतोप की बात है कि यहा के काम को आप लोग इस तरह चला रहे हैं। अभी मालूम हुआ कि यहा काग्रम के दस्तर और विद्यार्थी को मिलाकर २०० आदमी रहने हैं। यह भी बहुत ही शुभ चिन्ह है मैं देखना है कि मकान भी कुछ नये बन गये हैं, खेती का भी काम चल रहा है और नया कार्य भी किया जा रहा है और यह आशा की जा रही है कि काम फलैगा, बढ़ेगा और हर तरह से जो आज तक यहा होता रहा है उसकी उत्पत्ति और तरक्की होगी। यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कुछ हमारे आदिम जाति के भाई भी आगये हैं और वे लोग यहा काम सीख रहे हैं और सीखने के अलावा कितने काम कर भी रहे हैं। मैं ने अभी मुना कि जो लोग यहा दूर से आये हैं वे और पहले के यहा के आश्रम के रहने वाले लोग अपने हाथ से काम कर लेते हैं और काम चला रहे हैं। इस वक़्त तो जरूरत इसी चीज की है कि लोग अपने हाथ से काम करे और दूसरो को भी बतायें। आज तक तो यह तरीका रहा है और एसा ही होता है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वे समझते हैं कि घर में जो काम होता है वह छोटा काम है और उस को वे नहीं करना चाहते। पढ़े लिखे लोग और खाम करके जिन्होंने काठेज और स्कूलों में गिना पाई है वे दफ्तर और कचहरी में जाकर काम सीखना और करना चाहते हैं और घर के काम को वे लोग खगव समझते हैं। तो इससे देश का बहुत नुकसान होता रहा है। जो होशियार लोग हैं वे पुराने कामको छोड़ना चाहते हैं और नये काम को सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं वे सीखे उस सीखने में तो कोई हानि है नहीं पर वे तो पुराने काम को भूल ही जाते हैं। मैं तो यह समझता हू कि

नये काम को सीखकर पुराने काम को ज्यादा योग्यता से किया जाये तभी ज्यादा लाभ हो सकता है। जो लोग यहाँ से किसानों का काम सीख कर जायें और यदि अपनी विद्या मे अच्छी तरह से काम न ले तो सिवाय इस के कि वे यहां आये और काम सीखकर खूद फायदा उठाया उनके पढ़ने का लाभ ही क्या जब उन्होंने उसे और गरीब लोगों में नहीं फैलाया और उन्हें यह तकनीक न दी कि कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मे तो यह चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से सीखकर जायें वे और लोगों के काम भी आये। इसी चीज की जरूरत इस समय है। यहाँ खेती का काम होता है और अन्न पैदा करने का काम बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ किसान तैयार हो सकते हैं। किसान लोग खेती का काम जानते भी हैं यह बात नहीं है कि वे नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत सी बातें सीखने में भी मालूम होती हैं। उन चीजों को उन्हें जानना चाहिये। इसलिए जो लोग नहीं गेयनी वे हैं उनका उन में काम करना जरूरी है।

जब तक गोपालन का काम ठीक मे नहीं पूरा होता तब तक किसानों का काम भी पूरा नहीं हो सकता है। गाय से दूध मिलता है, गोबर मिलता है जो खेती के लिये जरूरी है और बछड़े मिलते हैं जो खेत जोतने के लिये जरूरी है। तो जब तक गोपालन ठीक मे नहीं होगा तब तक उनके काम मे सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिये यह जरूरी है कि गोपालन का काम ठीक मे हो और इस के लिये उनका यह जानना कि कौन सा चारा देने मे अधिक दूध होता है, किन गायों का अच्छा दूध और मजबूत बछड़े होने हैं जरूरी है। हमारे पुराने लोग पुरानी बातों को जानते हैं। जो नयी चीजें हैं वे उनको बतलानी हैं। जो गाय आज एक मेर दूध देती है उसका मुधार करना चाहिये जिस मे वह अधिक दूध दे और उम के बछड़े भी अच्छे हो। जो गाय थोडा दूध देती है उम से क्या लोग पीयेंगे और क्या उमका बछड़ा पीयेंगा। जो बछड़े पाव भर दूध पीकर तैयार होंगे और जो अधिक दूध पीकर तैयार होंगे दोनों अलग अलग होंगे। इसलिये यह जरूरी है कि दूध बढ़ाया जाये, भिर्फ दुहने के लिये नहीं बल्कि बछड़े के लिये भी दूध बढ़ाना जरूरी है। यहाँ शायद उन लोगों कीजो का इन्तजाम हुआ है, गोपालन भी है और खेती के नमूने भी देखने को मिलते हैं। जो थोडा बहुत सीख लेंगे उतना भी गाय के लोगों को बतलाने मे उम मे अधिक लाभ होगा।

जिनको मुखी रहना है उनको उन्हें करना है। लेकिन हम लोग तो बर्बाद कर देने हैं। जहाँ १६ आने काम होना चाहिये उसमें ८-१० आने तो हम काम मे लाते हैं और बाकी हम बर्बाद कर देने हैं। तो किस तरह से अच्छे मे अच्छे फल हम निकाल सके वह धरना जरूरी है। इसीलिये खाद का काम सीखना जरूरी हो गया है। मगर चीजे हूय खाद के जरिये से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट हाउस मे मैं ने कल ऊख उपजाने वालों को इनाम वांटा। यहाँ पर मय जगहों मे ऊख की संतो होती है। मगर एक बीघे में यहाँ और जगहों के मुकाबले में कम पैदा होती है। जिनको इनाम दिया गया है उन्होंने ऊख की तरकीब बहुत की है। मुझे ऊख दिखलाई गयी थी; बास के जेमे ऊख थी जिसको देखकर खुशी होती थी। यहाँ ही के हल, यहाँ ही के खाद, यहाँ ही का पानी और यहाँ ही के काम करने वालों ने उसे पैदा किया है। जहाँ एक बीघे में दवाई मी, तीन मी मन ऊख पैदा होती है उन्होंने २८०० मन, ३००० मन ऊख पैदा की है। यह फर्क बहुत ज्यादा है। जितना हम आज पैदा करते हैं, थोड़ी अधिक जोताई करने मे, कुछ खाद देने मे, कुछ पानी देने से उस जमीन के चौथाई हिस्से में ही वे लोग जो ऊख की खेती मे लगे हुए हैं उतनी ऊख

पैदा कर सकते हैं। तो अभी मैंने छोटी छोटी बातें आपके सामने इसलिये रखीं कि अगर उन पर आप यहाँ ठीक से काम करें और लोगों को गिनाये तो बहुत तरक्की हो सकती है।

यहाँ चर्खों का काम तो होता है। इसको भी चलाना जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे कपड़े की जो जरूरत है वह बहुत हद तक पूरी हो सकती है। हम को खाना हो गया, कपड़ा हो गया, चीनी मिल गई, ऊब से हमने चीनी तैयार कर ली तो ओर दूसरा क्या चाहिये? दूध मिला, चीनी मिली, चावल मिला और कपड़ा मिला तो फिर और क्या चाहिये? अगर यह सब चीजें हम पैदा कर ले तो हम लोग मुश्किल में रह सकते हैं और गवर्नमेंट को भी इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिये जो मीका हमें मिला है उसका आप लोग ठीक से उपयोग करें और जब मैं दूसरी बार आऊं तो इसमें भी अधिक देख और मुन भक्त। जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ का हाल मुनना चाहता हूँ और मुनकर मैं खुश होता हूँ। फिर जब आऊँगा तो देखूँगा कि आपने क्या अधिक सीखा है।

### संस्कृत रिमार्च इंस्टीट्यूट का शिलालाप

संस्कृत रिमार्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा के शिलालाप के अवसर पर मार्च २१ नवम्बर १९५१ को राष्ट्रपति ने कहा—

दस वर्ष हुए होंगे महाराजाधिराज श्री कामेश्वर मिश्र ने मुझे श्री मिथिलेश महेश रमेश व्याख्यानमाला में बिहार के विद्वानों की मउलो के नामों व्याख्यान देने के लिये निमन्त्रण दिया था। उन समय में ने अपने विचार दो व्याख्यानों के काम में प्रकट किये थे। वे व्याख्यान पुस्तकालयकार 'संस्कृत का अध्ययन' नामक पुस्तक में छपे थे। उन व्याख्यान में मैंने संस्कृत वाङ्मय की महत्ता और पूर्णता की ओर ध्यान आकर्षित किया था तथा संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध भाषा-ज्ञान, व्याकरण, वर्णमाला, लिपि, और अक्षर संस्कृत में और विशेषकर पाठीगणित या अक्षरगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्र्योन्पि, भौतिकी, वैद्यक, धर्मशास्त्र, शरीर-रचना, विज्ञान, धातुशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, कृषि और वागवानी, मूर्तिकला, धर्मकला, संगीत, नृत्यकला आदि विषयों का दिग्दर्शन कराया था और अन्त में संस्कृत के अध्ययन की जो आज परिपाटी प्रचलित है उसमें संगीत की आवश्यकता और उपयोगिता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था। मुझे आज यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उस वाङ्मय के अध्ययन और उसमें उपलब्ध सामग्रियों के आधुनिक रूप से अन्वेषण के लिये यह संस्था आज यहाँ स्थापित की जा रही है। मैं मानता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन केवल हमारे ही लिये नहीं बल्कि समस्त की समस्याओं के मुलझाने में भी सहायक हो सकता है और इस लिये मैं इस का आग्रह करना हूँ कि हमारे शिक्षाालयों में इसे काफी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मैंने उस भाषण में यह भी कहा था कि मैं स्वयं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ पर जो कुछ मैंने विद्वानों से सुना है और उनकी खोज और अध्ययन के फल-स्वरूप उनके विचार ग्रन्थों में पढ़े हैं उनके आधार पर ही मैं यह विश्वास हो गया है कि आज हमारी भारी जिम्दगी जैगी बनी है उसका मुल आधार हमारे संस्कृत के ग्रन्थों में मिलना है। वैसे ही हमारे विद्वानों के विचार के आधार पर ही संस्कृत के वाङ्मय में जो साहित्य उपलब्ध है

उमके सम्बन्ध में आज कुछ बातें देना चाहता हूँ। जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको यह बताना अनावश्यक है। जो संस्कृत नहीं जानते, वे आज की शिक्षापद्धति के कारण उन्हीं बातों पर अधिक ध्यान देते हैं जो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं या ऐसे भारतीय कहते हैं जो पाश्चात्य विद्या से स्वयं प्रभावित हुए हैं। इसलिये मैं ऐसे लोगों के विचारों के कुछ उद्धरण दे देना ही इस काम के लिये पर्याप्त समझता हूँ और आशा करता हूँ कि अंग्रेजी पढ़े लिये लोग संस्कृत विद्या के महत्त्व को समझेंगे और उमको पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने में सहायक बनेंगे।

संस्कृत वाङ्मय भारत की ही क्यों सारी मनुष्य जाति के लिये अत्यन्त अमूल्य निधि है। उसकी प्राचीनता, उसकी व्यापकता, उसकी विशदता, उसका सौन्दर्य और मधुरता सभी तो ऐसी हैं जिनमें न केवल मानव की आज तक की संस्कृति का सागर इतिहास उद्योतिमय हो उठता है वरन् मानव का हृदय आनन्द में विभोर हो जाता है और उनको एक ऐसे नये भादशी लोक की भाँकी मिल जाती है जिस में पहुँचने पर ही उसका जीवन सार्थक हो सकता है और उसे भव बाधा से मुक्ति मिल सकती है।

मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का चित्र तो मनुष्य जाति पर भी महत्त्व के विद्या बन गया जा सकता ही नहीं। समार भर में अन्य कोई ऐसी जाति नहीं है जो इतना प्राचीन साहित्य सृजित रख पाई हो जितना प्राचीन साहित्य कि हम भारतीय रख पाये हैं। ऋषियों के अपने ही शब्द सृजित हैं और उन में हम उस काल का चित्र स्पष्ट रूपेण रेखांकित कर सकते हैं। वह चित्र हमारे प्राचीन इतिहास के निर्माण में आज तो महत्त्व है ही और आगे भी रहेगा। आज समार भर में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो यह न मानता हो कि भारतीय वाङ्मय से मानव जाति के प्राचीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त महत्त्व मिल सकती है।

यह केवल इसलिये ही नहीं कि भारतीय वाङ्मय अन्य सब देशों के वाङ्मय में प्राचीन है वरन् इसलिये भी कि प्राचीन सभ्य समार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहाँ वह किसी न किसी रूप में फैल न गया हो। चीन में लेकर आर्यलैंड तक और स्कैन्डीनेविया में लेकर स्वर्णदीपमाला तक भारतीय वाङ्मय का प्रभाव फैला। यह तो सब जानते ही हैं कि भारतीय वाङ्मय के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हजार वर्षों से अधिक पूर्व चीनी भाषा में, तिब्बती में और तत्पश्चात् जापान, भाषा में हो गया था और वह चीनी, तिब्बती और जापानी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया था। बाली, जावा, सुमात्रा और कम्बोज (कम्बोडिया) में भी भारतीय वाङ्मय का बोल बाला था और वह वहाँ की संस्कृति का मुख्य आधार था। पर इस बात को बहुत लोग नहीं जानते कि उसका प्रसार मध्य पूर्व और यूरोप में भी कुछ कम नहीं हुआ। इस बारे में तो कोई शंका ही नहीं कि अद्ययासी शब्दीकाओं के काल में भारत के कितने ही विद्वान उनकी राजधानी में गये और वहाँ उन्होंने भारतीय ज्ञान से उन लोगों को परिचित कराया और भारतीय वाङ्मय के कुछ ग्रन्थों का उनकी राजभाषा में अनुवाद भी किया। किन्तु इस बात के भी पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि मध्य पूर्व और यूरोप की प्राचीन संस्कृति पर भी भारतीय वाङ्मय का अच्छा, खासा प्रभाव पड़ा था और जहाँ तक वहाँ के प्राचीन कहानी साहित्य का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि वह तो बहुत कुछ भारतीय साहित्य का नया रूपान्तर है। सभ्य जगत की सब जातियों के हृदय में बैठ जाने के कारण आज वह उनकी सांस्कृतिक धेतना का

अभिन्न अंग बन गया है और इसलिए उसके सम्यक् अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि इस मूल संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन किया जाये। इसी भव्य की ओर सकेत करने हुए विन्टर-निट्ज ने जर्मन भाषा में अपने भारतीय वाङ्मय के इतिहास में कहा है कि “अपनी प्राचीनता, विशाल भूभाग में अपने विस्तार, अपनी विशदता और समृद्धि, कला की उत्कृष्टता और सध से अधिक संस्कृति के इतिहास की दृष्टि में इस महान्, मूल और प्राचीन वाङ्मय का रूचि से अध्ययन हमारे लिये बांछनीय है”। आगे चलकर वह कहता है कि “यद्यपि भारतीय उसी रक्त माम के नहीं जिसके हम हैं तथापि अब भी यह सम्भव है कि भारतीय विचार जगत में हमें अपनी सांस्कृतिक आत्मा मिल जाये। . . . . . यदि हम अपनी संस्कृति के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो हमें भारत की शरण लेनी चाहिये जहाँ कि इन्डोयूरोपियन जाति का प्राचीनतम वाङ्मय अब भी सुरक्षित मौजूद है”। आगे चलकर वह यह और कहता है कि “हमारे अपने साहित्य पर भारत के साहित्य ने जो प्रभाव डाला है उसको भी हमें कम न मानना चाहिये। हम देखेंगे कि यूरुप के वर्णनात्मक साहित्य का बहुत कुछ आधार भारत का कथा साहित्य है। खासतौर से जर्मन साहित्य और जर्मन दर्शन तो १८वीं शती के प्रारम्भ से भारतीय विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और सम्भवतः यह प्रभाव आज भी बढ़ता ही जा रहा है और इस शती में तो सम्भवतः कहीं अधिक बढ़ जायेगा”। विन्टरनिट्ज का यह कथन आज भी उतना ही क्यों उसमें भी अधिक गन्थ है। जब उसने यह बात कही थी तब मोट्रोजांदाशो के भ्रमावसोपो का पूरा अध्ययन न हुआ था। तब में तो भारतीय इतिहास की प्राचीनता कहीं अधिक बढ़ गई है और गेरे विचार में तदनकूल ही भारतीय वाङ्मय की ओर खासतौर से प्राचीन संस्कृति के इतिहास के लिये वैदिक वाङ्मय की महत्ता और भी बढ़ गयी है। यह कहना तो अनावश्यक ही है कि अपनी जनता के मन के और उनके हृदय को प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्तियों के यथोचित अध्ययन के लिये तो संस्कृत वाङ्मय का महत्त्व अपरमिन है। हमारे जातीय जीवन का कोई अंग नहीं जो हमारे संस्कृत वाङ्मय में प्रतीति निदानों और उसके अभिव्यक्त आदर्शों और वेदनाओं में ओतपत नही हो।

मानव संस्कृति को समझने के लिये, उसमें अपनी जाति का स्थान जानने के लिये और अपनी जातीय आत्मा को पहचानने के लिये ही नही बल्कि कला के सर्वोत्कृष्ट रूप में आनन्द विभोर होने के लिये भी हमारे लिये और हमारे ही लिये क्यों समग्र भर के लिये संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन आवश्यक है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं, मानव अभिव्यक्ति की ऐसी कोई रीति नही, कला का ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें संस्कृत वाङ्मय पूर्णता को न पहुंचा हो। समाज और व्यक्ति, राजा और रक्ष, नागरिक और ग्रामीण, मानव और पशु-पक्षी, सभ्य और असभ्य चेतन और जड़, आत्मा और परमात्मा सब ही की बात तो उन वाङ्मय में हृदयस्पर्शक और अटूठ ढंग से कही गई है। मानव हृदय का ऐसा कोई प्रकोण नही जो उसकी दृष्टि में छिपा रह गया हो या जिसके अन्तर्गत की बात अत्यन्त कोशल में व्यक्त न कर दी गई हो। प्रकृति का ऐसा कोई स्वरूप नहीं जिसका सुन्दर और सही चित्र वहाँ मौजूद न हो। समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसकी व्याख्या और उसके अन्तर्गत काम करने वाले आदर्शों, वेदनाओं और व्यसनों का हृदय चित्र वहाँ न हो और मानव जाति के भविष्य और भाग्य से, सुख और कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा कोई प्रश्न नही जिसका विचारपूर्ण और यथोचित उत्तर वहाँ मौजूद न हो। पशु



पक्षी के जीवन का वैसा वारीक और सही वर्णन और मानव जीवन में उनके महत्व की वैसी व्याख्या और उनके प्रति वैसी मद्भावना तो संसार की किसी भी अन्य जाति के साहित्य में पाई जाती ही नहीं ।

उस में यदि विद्वानों और व्यक्तियों के लिये मामूली हैं तो जनसाधारण और बालकों के लिये भी सामग्री भरी पड़ी है । गन्धर्वों, यक्षों, अमुरों और निजाचरों की अद्भुत सृष्टि और चमत्कारिक शक्ति और कृत्यों का बड़ा ऐंसा और इनका काफी वर्णन है कि औद्भुत्य में प्रमत्त होने वाली बालक जाति को अपनी चाहना को पूरा करने की अतन्त गामग्री मिल जाते हैं । स्मृति में सहज ही घर कर लेने वाली ऐसी उक्तिया हैं जिन में जीवन का ज्ञान भरा है और जिनके सुनने और मन में डाल लेने से ही साधारण जन भी ज्ञानवान बन जाते हैं और ऐसी कथाएँ हैं जिनको सुनने मात्र से ही अपढ भी पण्डित हो जाते हैं ।

साथ ही कला की दृष्टि से भी उसमें वह चमत्कार भरा है जो सम्भवत ही अन्यत्र पाया जाता हो । श्रुत में समुद्र भरने की कहावन यदि कही ठीक अर्थों में पूरी हुई है तो संस्कृत वाङ्मय में ही । अर्थ और शब्द साम्य जितना संस्कृत वाङ्मय में मिलता है वह ओर किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता । यदि अलंकारों की शोभा और शब्द व्यंजना का उत्कृष्ट चमत्कार कही देगा जा सकता है तो वह भी संस्कृत वाङ्मय में । यदि विचार की सूक्ष्मता और दर्पण सम-चित्रण देखना हो तो वह भी अन्यत्र ऐसा नहीं मिलेगा जैसा संस्कृत वाङ्मय में । थोड़े शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत वाङ्मय ही ऐसा वाङ्मय है जिस में शब्दों की सर्वोत्तम व्यंजना हुई है । यह ठीक है कि पाश्चात्य विद्वानों को इन में से कुछ बातें साहित्यिक दृष्टि से कुछ ठीक नहीं मालूम होती और वे अलंकार वाहुल्यता और सूत्र इत्यादि की साहित्यिक दृष्टि से निन्दा करते हैं । किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि साहित्य की उनकी अपनी मायनाएँ हम में भिन्न हैं और उनका दृष्टिकोण वर्तमान संसार की दम भागने की पुर्जन न देने वाली सभ्यता के प्रभाव ने रजित है । इस लिये उनको शब्दों के इन चमत्कारिक प्रयोगों से कोई आनन्द नहीं मिलता । किन्तु निष्पाद-दृष्टि से देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि इस बात का अनुमान कि शब्द कितना बड़ा जादू है संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन से ही हो सकता है ।

केवल संस्कृत भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति करने में ही यह वाङ्मय अनुल्य नहीं है वरन् अभिव्यक्ति की ऐसी कोई गति नहीं जिसमें इसने चोटी की सफलता प्राप्त नहीं की हो । क्या गद्य, क्या पद्य, क्या नाटक और क्या गीत काव्य, सभी में तो संस्कृत लेखक सिद्धहस्त रहे हैं । जैसा कि किन्टर्गिन्ट्ज लिखता है "भारतीय साहित्य में वह सभी कुछ है जो साहित्य शब्द के व्यापकतम अर्थ में निहित है अर्थात् पद्यात्मक, पारलौकिक और ऐहिककाव्य, महाकाव्य, गीतकाव्य, नाटक और नीतिकाव्य और साथ ही वर्णनात्मक और वैज्ञानिक गद्य " (उमी में विषय प्रवेश पृष्ठ १) ।

ईसवी शती के पहले ही हमारे यहां काव्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ही अत्यन्त उन्नत कृतियाँ हो चुकी थीं । यह ठीक है कि अभी तक संस्कृत वाङ्मय का काल क्रम निर्विवाद है

स्थिर नहीं हो पाया है। किन्तु फिर भी यह बात तो लगभग सर्वसम्मत ही है कि ईसा पूर्व १५०० से लेकर ईसा पश्चात् १००० तक संस्कृत वाङ्मय का कोप अमूल्य स्तनों से भरपूर हो चुका था और इनमें से अनेक अनुपम ग्रन्थ तो ईसावी मन् के प्रारम्भ होने से कई सती पूर्व ही लिखे जा चुके थे। पराविद्या में उपनिषदों जैसे ग्रन्थ, महाकाव्य में रामायण और महाभारत जैसे ग्रन्थ और दुःशय काव्य में भास के जैसे नाटक उस समय तक संस्कृत वाङ्मय के अंग हो गये थे। इनकी तुलना के अथवा उनके समान हृदयपर्यंक और असमय ग्रन्थों के विचार में समार भर के साहित्य में और कोई नहीं है। यह ठीक है कि पाश्चात्य विद्वानों में से बहुत से यह स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं कि संस्कृत साहित्य यूनान के साहित्य में भी उत्कृष्ट है किन्तु उनकी भी तो यह स्वीकार करना पड़ता ही है कि उस काल का संस्कृत वाङ्मय लगभग उतना ही उत्कृष्ट था। यदि निष्पक्ष दृष्टि में विचार किया जाये तो यह बात निर्विवाद रूपेण सिद्ध होगी कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य समार की किसी जाति के भी साहित्य में नहीं है।

संस्कृत साहित्य की अपेक्षाकृत इस उत्कृष्टता का कारण कुछ सीमा तक संस्कृत भाषा की अपनी प्रकृतिजन्य विशिष्टता है। उसका व्याकरण और शब्दभंडार कुछ ऐसा ही है कि शब्दों की व्यंजना इतनी भूरी और इतने अर्थभरे ढंग में हो सकती है जितनी कि समार की किसी भी अन्य भाषा में, चाहे वह प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, नहीं हो सकती। उसमें समास की पद्धति के कारण घट में सागर भरा जा सकता है जब कि अन्य भाषाओं में यह उस सीमा तक न कभी सम्भव हुआ है और न हो सकता है। भर्तृहरि की कविता की आलोचना करने हुए संस्कृत भाषा के इस गुण की ओर कीथ सकेत करना है। वह लिखता है कि “समस्त पद करने की संस्कृत की असाधारण शक्ति भर्तृहरि की कविता में अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। मन पर (उसकी कविता का) यही प्रभाव पड़ता है कि उसमें ऐसी एकता है जिसके साथ स्वयं अपने निहित स्वभाव के कारण अपना अस्तित्व खो कर एक हो गये हैं और इस प्रकार जो अगर मन पर पड़ता है वैसा अगर अज्ञेयों जैसी विस्लेषणात्मक भाषा द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता क्योंकि उस में इसी प्रकार की बात को हीली नाट में बंधे हुए कई विधियों द्वारा ही व्यक्त करने के अनिश्चित और कोई चारा नहीं होना और यह तो सम्भव है ही नहीं कि व्यक्त किये जाने वाले विचार की एकता के अन्वय ही संश्लेषणात्मक रीति से एकता रखने वाले वाक्य के द्वारा यह व्यक्त किया जा सके”। (संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १७८)। समारों के साथ साथ संस्कृत शब्दों के बहुअर्थी होने के कारण संस्कृत काव्य में जैसे चमत्कारिक श्लेषों की सृष्टि की जा सकती है वैसी और किसी भाषा में नहीं की जा सकती। मन्थ्याकर नन्दिन ने रामपालचरित नामी जो लघुकाव्य इस विचार से लिखा कि उसका प्रत्येक पद भगवान राम और कवि के मग-कालीन राजा रामपाल दोनों के चरित्र का वर्णन एक साथ करे उसकी आलोचना करते हुए कीथ लिखता है कि “यह काम जो देखने में असम्भव प्रतीत होता है, संस्कृत की अपनी सहज प्रकृति के कारण बिना किसी विशेष कठिनाई के किया जा सकता है। कविता की प्रत्येक पंक्ति को एक पद मान कर उसका पद विस्लेषण प्रत्येक वार विभिन्न रीति में ऐसा किया जा सकता है जिस से विभिन्न पदों को साथ पिछाने में विभिन्न अर्थ वाले शब्द बन जायें। साथ ही समस्त पदों का अर्थ भी विभिन्न प्रकार के समान मान कर विचार

किया जा सकता है, चाहे फिर समस्त पदों में आने वाले शब्दों का अर्थ बराबर एक ही क्यों न किया जाये और समस्त पद का अन्वय समान पदों में ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष महत्व की बात है कि संस्कृत कोष में शब्दों के बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं"। (संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १३७-३८)। मधि और समास पद्धति के कारण और शब्दों के बहुअर्थी होने के कारण संस्कृत भाषा में ऐसा स्वाभाविक लोच है कि उस को किमी भी स्वरूप और प्रयोजन के अनुरूप गढ़ा जा सकता है।

इस आन्तरिक गुण के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय का विकास ऐसे वातावरण में हुआ जो भौगोलिक और जातिगत दोनों ही दृष्टियों से बहुगुणी था। भारत विशाल देश है। उस में हर प्रकार की जलवायु और अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, अनेक जातियों के फूल पौधे, पशु-पक्षी और विभिन्न रंग-रूप और रिवाज वाली जातियाँ पाई जाती हैं। अतः इस सतरंगी पृष्ठभूमि पर भागत के कलाकार यदि अनेक प्रकार के मुन्दर शब्दचित्र बना सके तो यह कुछ अस्वाभाविक बात नहीं थी। एम० विलियम्स लिखता है कि "भारत में सम्पूर्ण प्रकृति के स्वरूप के अनुरूप ही साहित्य भी अत्यन्त विचित्र मात्रा में है। हिमालय की मनमोहिनी छटा से और अद्भुत कल्पना को उन्नेजित करने वाली जलवायु में पीपित कविता का विकास प्राचीन की भग्नपूरना के अनुकूल ही हुआ है"। (कृष्णमाचारि. कथात्मिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १ पर उद्धृत)।

पर संस्कृत वाङ्मय को इतना भमृद्ध और उत्कृष्ट बनाने में भौगोलिक वातावरण से कहीं अधिक भाग भारतीय जाति के जीवन सम्बन्धी आधारभूत आदर्शों और मान्यताओं का रहा है। भारत में मुद्गर अतीत में ही यह विश्वास धर कर गया था कि जीवन केवल एक अनर्गल प्रलाप अथवा एक अर्थहीन स्वप्न न होकर आत्मदर्शन का एक माधन है। यह ठीक है कि भारतीय यह मानते थे कि स्थायी और शुद्ध आनन्द जीवनमरण के चक्र से मुक्ति पाने पर या ब्रह्म में लीन हो जाने पर ही मिल सकती है और यह पार्थिव जीवन असार है किन्तु साथ ही उनका यह विश्वास भी था कि जीव कर्मबन्धन में ऐसा वधा हुआ है कि सत्कर्म करने पर वह शनैः शनैः मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और अकर्म या दुष्कर्म करने पर वह भव बन्धन में और फंसता जाता है। इस विचार में भारतीयों ने मानव जीवन को चार आश्रमों में बाटा और उनके मामने चार पुष्पार्थ रखे। प्रत्येक आश्रम के धर्म को निभा कर और चारों पदार्थों के नियम जीवित रह कर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म में लीन होने का अधिकारी बन सकता है—ऐसा उन का विश्वास था। यदि कोई यह माधन और तप एक जीवन में करने में असमर्थ रहे तो भी उसको निराश होने का कोई कारण नहीं था क्योंकि बारम्बार जगत में वह तब तक जन्म लेता ही रहेगा जब तक वह मुक्ति प्राप्त न करले। अतः भारतीय के जीवन में यह विचार था ही नहीं कि जीवन कभी अन्तिम रूप से सर्वथा निष्फल और प्रयोजनहीन हो सकता है। अन्ततोगत्वा प्रत्येक जीव को ब्रह्म में लीन होना ही है। इसलिये किसी अस्थायी हार को वे सदा की हार न मानते थे। दूसरे शब्दों में मुक्ति के या चिर आनन्द की प्राप्ति के सम्बन्ध में वे पूरे आशावादी थे। उनका यही आशावाद उनके साहित्य का मुख्य आधार है। सारे संस्कृत वाङ्मय में हमें कोई ट्रेजेडी या दुखान्त काव्य या नाटक नहीं मिलता। यह बात नहीं कि काव्य के नायक

को हर प्रकार की याननायें न सहनी पड़ती हों या हर प्रकार की बाधाओं और विघ्नियों का सामना करना पड़ना हो। उसको यह सब भुगतना पड़ना है किन्तु अन्ततोगत्वा उसको ये सब याननायें और विघ्नियाँ उसके सुख और सफ़लता का मोहान ही विद्ध होती हैं। नञ् दमस्ती, हरिश्चन्द्र शैव्या, सत्यवान सावित्री इत्यादि जितनी भी प्रसिद्ध कथाएँ हमारे साहित्य में मिलती हैं इन सभी के नायक विपत्ति सागर को पार कर अन्त में सफलता और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसी विश्वास के कारण हमारा सारा साहित्य क्षणिक वेदनाओं को अमृतत्व प्रदान करने वाला शब्दचित्र ही न होकर व्यक्ति और जगत् के चिरकल्याण की साधना है। कला के उद्देश्य के बारे में हमारे साहित्यिकों का यह विचार न था कि वह केवल लेखक या पाठक के मनोरंजन का ही साधन है वरन् वे साथ ही यह भी मानते थे कि वह चारों पुरुषार्थों का भी साधन है। हमारे प्रधान महाकाव्यों के बारे में तो परम्परागत यह विश्वास सदा से चला आया है कि उनके पठन-पाठन में मनुष्य की मूर्ति हो जाती है। साहित्य मीमांसकों ने भी महाकाव्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि उस में चतुरवर्ग फल, अर्थान् धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की भी साधना होती है। रह रह कर यही धृति भारतीय साहित्य के विभिन्न अंगों से ध्वनित होती है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में अन्ततोगत्वा धर्म और मत्स्य की विजय ही दिखाई गई है। इस आधारभूत आदर्श के कारण भी संस्कृत वाङ्मय का महत्व कहीं अधिक हो जाता है। मानव का पशु से देवत्व पद प्राप्त करना ही कवि की साधना का ध्येय हो सकता है, क्योंकि उमी में उसका अपना आध्यात्मिक कल्याण है और उमी में मानव जाति का कल्याण निहित है। संस्कृत वाङ्मय हमारे कवियों और साहित्यिकों की इसी साधना का फल है।

संस्कृत वाङ्मय की एक और विशेषता यह है कि उसमें सारे व्यक्त जगत् की एकता का चित्रण है। उसकी यह मान्यता है कि जड़ प्रकृति, चेतन पशु पक्षी और जानवान मानव इन सब के अन्तस्तल में एक ही सर्वव्यापी शक्ति विद्यमान रही है। इसलिये नायक के सुख दुख में सारे जड़ और चेतन जगत् का हृदय भी सम्मिश्रित रहता है। इसी कारण संस्कृत वाङ्मय में प्रकृति, पशुओं, पक्षियों का जितना सुन्दर और महान् भूतिपूर्ण वर्णन है वैसे समस्त के किसी अन्य साहित्य में नहीं पाया जाता — यूनानी साहित्य में भी नहीं। संस्कृत के लेखकों को शैवसपीयार के जन्म से जन्मादित्यो पूर्व पापाणो में पावन गीत और मरिताओं में शास्त्र पाठ सुनाई देता रहा है। यहाँ के कवियों ने गंधों को, युक्तों को दूत बनाकर नायक का रुदेश लेकर नायिका के पास अनेक बार भेजा है। संस्कृत वाङ्मय में नायक या नायिका की जीवन धारा की दिशा निर्माण में परमेश्वर और देवगण प्रकृति और उसकी प्रेरक शक्तियाँ, सभी भाग लेती हैं। व्यक्ति के अन्तर्मुख से श्रोता, दर्शक या पाठक को संस्कृत वाङ्मय सारे विश्व का दिग्दर्शन कर देता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, विष्वात्मा में मानव जीवन के इस नादान्य तो इतनी स्पष्टता से केवल संस्कृत वाङ्मय में ही निरूपित किया गया है।

अपनी इन विशिष्टताओं के कारण वह साहित्य अनेक ऐतिहासिक परिवर्तन होने पर आज भी अपना मस्तक ऊँचा किये हुए खड़ा हुआ है और संसार के महान् साहित्यों में सर्वप्रथम स्थान रखता है।

इस सम्बन्ध में एक उद्धरण और जो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी 'व्हाट इंडिया कैन टीच अस्' नामक पुस्तक में लिखा है, देता हूँ। प्रोफेसर मैक्समूलर लिखता है "यदि मैं सारी

दुनिया में एक ऐसे देश की खोज करूं जिसे प्रकृति ने इतना धन, शक्ति और रमणीकता प्रदान की है जितनी कि प्रकृति कर सकती है और जो कुछ सीमा तक पृथ्वी पर स्वर्ग है तो मैं कहूंगा कि वह देश भारत है। यदि मुझमें पूछा जाये कि किस देश में मानव बुद्धि ने अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं में से कुछ का पूरा विकास किया है, जिनमें जीवन की गहनतम समस्याओं पर गहराई से विचार किया है और उनका ऐसा हल निकाला है जिन पर उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिये जिन्होंने प्लेटो और कान्ट का अध्ययन किया है तो मैं कहूंगा कि वह भारत है। जब मैं यह सोचना हूँ कि वह कौन सा साहित्य है जिसमें लोगों को, जो केवल यूनानियों, रोमवालों और सेमिटिक जाति की एक भाषा अर्थात् यद्दियों के विचारों के आधार पर ही पढ़े हें, वह धान मिल सकती है जिनमें हमारे आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक विशद, अधिक व्यापक और सच ही अधिक माननी हो जायेगा अर्थात् एग जीवन हो जायेगा जो केवल पार्थिव ही नहीं है वरन् अमृतमय है तो मैं फिर कहूंगा कि वह भारत है।”

मैं ऊपर दिखा चुका हूँ कि संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन और अनुशीलन कितना आवश्यक, वांछनीय और महत्वपूर्ण है और इसी लिये इसको हमारे सभी शिक्षालयों में केवल स्थान ही नहीं बल्कि काफी प्रोत्साहन भी मिलना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना उतना ही आवश्यक समझता हूँ कि जो लोग केवल संस्कृत का ही अभ्यास करते हैं उनके लिये भी यह अनिवार्य होना चाहिये कि वे आधुनिक परिधि में परिवर्तन प्राप्त करें। आज दुनिया किय तरह चल रही है कि धर जानी है, किन्तु नमस्कार आधुनिक अन्वेषणों के द्वारा विज्ञान ने दिखलाये हैं और उनका किनना गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है और पड़ रहा है यह किसी से छिपा नहीं है और यदि कोई उनके प्रति उदासीनता दिखाना भी चाहे और उनकी ओर से अपनी आवृत्ति भी लेना चाहे तो वह नहीं कर सकता। उदाहरण संस्कृत के विद्वानों को इन विषयों में अधिक ज्ञान नहीं तो कुछ इनके साथ परिचय कर उनमें थोड़ा प्रवेश अवश्य होना चाहिये। यह हिन्दी पुस्तकों द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है पर प्राचीन गीत से शिक्षित पंडित हिन्दी को कुछ हेय दृष्टि में देखने लगे हैं। उनके लिये संस्कृत में भी आधुनिक विषय सम्बन्धी ग्रन्थ बनने चाहिये। मुझे मालूम नहीं कि यह काम कहाँ तक हुआ है अथवा कोई विद्वान इस काम में दिव्यचम्पी ने गृहे है या नहीं। पर मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि कुछ विद्वानों ने आधुनिक विषयों को भी संस्कृत भाषा में प्रसारित और प्रचलित करने का प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार दामोदर परमार्थदर्शन संनं मुना के कि प्राचीन और नवीन दर्शन का बहुत ही सुन्दर और विशद ग्रन्थ है। उसी प्रकार से महात्मा गान्धी जी के सम्बन्ध में और उग विषय पर जिसे लोग गान्धीवाद कहते हैं संस्कृत में तीन पुस्तकें मेरे देखने में आई हैं एक पंडितराज स्वामी श्रीभगवदाचार्य जी 'भारतीय इतिहास', दूसरी पंडित जन गव ही 'उत्तराख्या सह गीता' और तीसरी श्री निराम विरचित 'गान्धी गीत'। मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे संविधान का संस्कृत अनुवाद नैयार हो गया है और उस के प्रकाशित होने का प्रबन्ध हो रहा है। ये शुभ लक्षण हैं और इनमें मालूम होता है कि संस्कृत के विद्वान आज भी मौजूद हैं जो आधुनिक विषयों को उस प्राचीन देववाणी में विद्वानों के सामने उपस्थित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन के साथ यह प्रयत्न भी चलता रहेगा जिसमें यह वाङ्मय जिसकी प्रगति कई शताब्दियों से एक गई है फिर एक बार अपने भ्रोत को जारी कर सके और कुछ शताब्दियों के बाद उस वाङ्मय के

इतिहासकार को यह भी कहने का सुअवसर मिले कि इस युग में भी संस्कृत साहित्य किसी आधुनिक भाषा से आधुनिक विद्या के प्रचार में कम नहीं रहा ।

मैं आशा करता हूँ कि यह सस्था दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करेगी और जिस अर्भलाभा और महत्त्वाकांक्षा के साथ इसकी आज स्थापना की जा रही है वह उसको पूरा कर सकेगी ।

### महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण

तारीख २१ नवम्बर १९५१ को दरभंगा में स्वर्गीय महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा -

देवियो और सज्जनों,

मुझे इस बात की बड़ी आश्चर्य है कि महाराजा बहादुर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस मूर्ति का अनावरण करूँ और महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह के सम्बन्ध में कुछ कहूँ। महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह जिस समय दरभंगे में राज कर रहे थे उस समय और आज में बहुत अन्तर पड़ गया है और जो लोग उस समय के भारत में वाकिफ हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय किसी भी सार्वजनिक या जनता के काम के करने में कितनी कठिनाई और बाधा पड़ा करती थी। आज तो हम स्वतन्त्र हो गये हैं और आसानी से सब काम कर सकते हैं। देश के लोग जैसा चाहे गवर्नमेंट में काम भी सकते हैं। मगर उन दिनों में हालत दूसरी थी। मगर तो भी महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह को देश के प्रति जितना प्रेम था और जितनी श्रद्धा थी और वह जितना निर्भीक थे वह इन बातों में प्रमाणित होता है कि वह उस समय की सरकार की परवाह न करके जो मनासिब समझते थे वह करते थे। यह सब तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग भी बहुत करके यह नहीं जानते होंगे कि कांग्रेस के साथ महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह का एक गहरा और घनिष्ठ सम्बन्ध था। एक कहानी जो अब भी बड़ी कड़ी लोग कड़ा करते हैं मगर आज के कांग्रेसी शायद नहीं जानते होंगे वह यह है कि जब प्रयाग में कांग्रेस का अधिवेशन करने की बात तय हुई उस समय वहाँ जो गवर्नर थे वह इस बात से बहुत नागज हुए कि वहाँ कांग्रेस ही। उस बात का बहुत प्रयत्न किया गया कि एक पंडाल बनाया जाये जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन किया जाये पर दुर्भाग्यवश कोई ऐसी जगह नहीं मिली। और मिलती भी कैसे जब गवर्नर ही ऐसा नहीं चाहते थे। पंडित गंगानाथ झा उस समय के नामी वकील थे। उन्होंने मोचा कि कांग्रेस की इज्जत का सवाल है और अधिवेशन वहाँ अवश्य होना चाहिये। उन्होंने महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह के पास जाकर यह योजना रखी कि एक जगह खरीद ली जाये और वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन करने के लिये इजाजत दी जाये। जहाँ ठीक गवर्नर साहब का मकान था उसके नजदीक ही महाराज ने एक कोठी और मैदान खरीदकर कांग्रेस से कहा कि अधिवेशन कीजिये ।

यह बात गवर्नर के लिये बहुत दुखदायिनी थी पर वह कुछ कर नहीं सकते थे। महाराजाधिराज ने जाने मतलब में कांग्रेस का अभिवेशन करने की आज्ञा दे दी और गवर्नर तप रह गये यद्यपि उनको इस बात का दृश्य हुआ। यह मिमाल है उनकी उम निर्भीकता की जिस से कि वह देश का काम किया करते थे। वह उस समय की कांग्रेस के सदस्य भी थे और वहाँ भी उस बात को कहने में संकोच न करते थे जिसे वह ठीक समझते थे। केवल इतना ही नहीं। उन्होंने उम दान के मिलसिडे को जो इस राज्य की विधिप्रता रही है जारी रखा और उनके बाद के महाराजाधिराज और आज के महाराजाधिराज ने भी उसको कायम ही नहीं रखा है वरन् उसमें अधिक बढ़ाया भी है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब समय बदला है, बहुत सी चीजें बदलेगी और बहुत सी बदल गयी है मगर यज्ञ, कीर्ति वनी रहेगी, उनके प्रति जो प्रेम था वह आज की जैसी अवस्था में भी बना रहेगा। मैं ईश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि वह महाराजाधिराज पर कृपा रखे और महाराजाधिराज की यह भावना बनी रहे जिससे वह हमेशा ऐसे शुभ काम करते रहे। इन शब्दों के साथ मैं इस मूर्ति का अनावरण करता हूँ।

### दरभंगा गोशाला में अभिनन्दन

तारीख २१ नवम्बर सन् १९११ को दरभंगा गोशाला में नागरिकियों की ओर से दिये गये मानव के जश्वर में राष्ट्रति जो ने कर—

श्रीमान महाराजाधिराज बहादुर, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज फिर एक बार इस गोशाला में आकर हमके सम्बन्ध में कुछ सुनने और जानने का मौका मुझे मिला है। जैसा आपने स्वयं कह है कि मैं पड़ली बार यहां नहीं आ रहा हूँ, एक बार और मैं यहां आ चुका हूँ। उस समय से उनकी बहुत तरक्की हुयी है। जो जो काम आपने किया है उसकी रिपोर्ट सुनकर खुशी हो रही है। गो सेवा का काम भारत के लिये आवश्यक है और वह इसलिये आवश्यक है कि यह देश कृषिप्रधान देश है। यहाँ खेती का काम बिना बैल के हो ही नहीं सकता और न मनुष्य का भोजन बिना दूध के पूरा हो सकता है। भोजन के लिये दूध और घी तथा खेती के लिये बैलों की जरूरत सभी महसूस करते हैं। इन दोनों चीजों को गाय ही दे सकती है। इसी लिये गाय का इतना बड़ा महत्त्व हमारे देश में आज से नहीं बल्कि अनन्त काल से माना गया है। यद्यपि हम चाहते हैं कि भारत के लोग हट्टे कट्टे हो और वे परिश्रम करके हर दिशा में तरक्की करे पर खाने और पीने को हमें इतना कम दूध और घी मिलता है कि हम शरीर की उन्नति नहीं कर पाते। इसलिये यह जरूरी है कि हमारी गोशालाओं का इस तरह में संगठन हो कि हमको दूध भी मिले और अच्छे बैल भी मिले। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप ने यहां की गायों की नस्लों की इतनी उन्नति की है कि शायद वे आज हरियाणा की गायों का मुकाबला कर सकें। जो काम यहां हो रहा है वह यहाँ ही नहीं बल्कि सारे सूबे में किया जाना है। मेरा सम्बन्ध जिन जिन गोशालाओं में रहा है मैं उनसे कहता रहा हूँ कि स्थानीय गायों

और सांडों की उन्नति करनी चाहिये। दूर दूर से उनको यहाँ लाकर रखना केवल कठिन ही नहीं है बल्कि असम्भव भी है। क्योंकि जैसे मनुष्य जहाँ पैदा होता है वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल होती है उसी तरह से जानवरों के लिये भी जहाँ वे जन्म लेते हैं वहाँ का हवापानी लाभदायक होता है। देखा गया है कि दूर से अच्छी गायें लायी गयी हैं और कुछ दिनों के बाद उनका दूध भी कम होने लग गया है और उन के बच्चे भी छोटे होने लग गये हैं। इसलिये जहाँ जो गाय हो उसकी ही उन्नति करनी चाहिये। जहाँ तक गोशाला का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूँ कि आज उसे यह अवसर प्राप्त है कि वह यहाँ की गायों की पूरी तरह से उन्नति कर सके, उनका दूध भी बढ़ा सके और उनसे अच्छे बच्चे भी पैदा करा सके। इसलिये आप अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि सभी गोशालाओं में इसी तरह का काम हो।

आप ने गोबध का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मैं तो यही कहूँगा कि जो गोशाला के काम में लगे हुए हैं उनका यह काम है कि वे गोपालन ठीक ढंग से करें। यदि वे ऐसा करते रहे तो फिर गोबध खुद ही बन्द हो जायेगा। गोबध क्यों होता है? इस का कारण यही है कि गायों का पालन ठीक तरह से न होने के कारण जब वे दूध देना बन्द कर देती हैं तो उनका बध कर देना ही लाभदायक होता है, उनका पालना नहीं। मैं तो यह चाहता हूँ कि गोशालाएं गोपालन का आदर्श लोगों के सामने पेश करे और उसको पूरा कराये। मेरी आशा है कि जो काम यहाँ हो रहा है वह पूरा होगा।

आपने श्री कामेश्वरीप्रिया चक्षुदान यज्ञ का उद्घाटन मुझ से करवाया। मैं महाराजाधिराज बहादुर को इस दान के लिये बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ जो काम होता है वह बहुत ही बड़ा काम है क्योंकि यहाँ गरीबों को आखे मिलती हैं जो जिन्दगी के लिये सब से जरूरी चीज है। यह देखकर कि इतना जल्द और इतनी सफाई से यह काम किया जाता है मुझे आश्चर्य है। मैं समझता हूँ कि आप का यह विचार कि इस काम को ओर आगे बढ़ाया जाये बहुत सुन्दर विचार है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको सफलता होगी।

आपने म्युनिसिपैलिटी के सुधार सम्बन्धी बातों का जिक्र किया। मैं भी थोड़े दिनों के लिये पटना म्युनिसिपैलिटी का चेअरमैन था मगर मैं तो और कामों में बसा रहता था और जितना समय उसमें मुझे लगाना चाहिये था उतना नहीं लगा सकता था। पर तो भी मैं म्युनिसिपैलिटियों की समस्याओं को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी सब म्युनिसिपैलिटियों की हालत सुधरे। आप ने जिक्र किया कि आप को काम करने का पूरा अधिकार नहीं है। अधिकार तो लेने की चीज होती है, देने की चीज नहीं है। अधिकार वे ही ले सकते हैं जो उनको जितना अधिकार होता है उससे भी अधिक करके दिखलते हैं। उनके पाम आप से आप अधिकार आजाता है। मैं तो नहीं जानता कि किसी म्युनिसिपैलिटी का काम अधिकार के बिना पड़ा हो। अगर वे काम करना चाहे तो जितना अधिकार उन को है उसी से अधिक अच्छा काम कर सकती है। रुपये पैसे की दिक्कत अधिकार की बात नहीं है। रुपये पैसे की दिक्कत को पूरा करने के लिये आप को आवश्यक उपाय सोचने चाहियें। चूकि अधिकार भी अपने हाथों में आ गया है इसलिये सभी म्युनिसिपैलिटियों को अब अधिकार दिये जा रहे हैं। किन्तु मेरा विचार तो यह है कि आप अधिकारों के फेर में न पड़कर यहाँ वह काम करें जिस पर



आपका पूरी तरह से हक है। और समय न लेकर आप सब बहनों और भाइयों को मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ सब लोगों ने जो प्रेम दिखलाया है उसके लिये आप सब का मैं अनुगृहीत हूँ।

### बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के चित्र का अनावरण

राष्ट्रीय विद्यालय, दरभंगा, में तारीख २२ नवम्बर मन् १९५१ को बाबू ब्रजकिशोर के चित्र का अनावरण करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

महाराजाधिराज बहादुर, बाबू कमलेश्वरी चरण, बहनो और भाइयो,

मैं आज यहाँ सवेरे सवेरे पहुँचा और बहुत दिनों के बाद पहुँचा। इस विद्यालय से, जैसा आपने कहा, शुरू से ही मैं परिचित रहा हूँ और एक बार नहीं मुझे याद नहीं कितनी बार यहाँ आया हूँ और आप लोगों से मिला हूँ और विद्यालय की देख रेख करता रहा हूँ।

जैसा आपने कहा, पूज्य ब्रजकिशोर का इससे विशेष स्नेह था और दूसरे भाइयो से जिन्होंने इस जिले कि राजनीति में भाग लिया बहुत गहरा सम्बन्ध था। इसलिये मुझे यहाँ आकर विशेष खुशी होती है। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा समय नहीं दे सका। आपने शुभ निश्चय किया है कि यहाँ पूज्य ब्रजकिशोर बाबू के चित्र का अनावरण किया जाये। उनके सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ कहना हास्यासपद होगा। मेरे साथ उनका जो सम्बन्ध था उस का वर्णन इतनी थोड़ी देर में नहीं किया जा सकता। वह हमारे लिये ऐसे आदर्श पुरुष थे जिन्होंने त्याग करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई और जो देश की सेवा अपनी जिन्दगी के आखिर दम तक करते रहे, अस्वस्थ रहने पर भी करते रहे और दिन रात उसी में लगे रहे, उसी की चिन्ता करते रहे इस तरह से उनका जीवन समाप्त हुआ। वह हमारे पथप्रदर्शक रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लोगो का तो समय अब समाप्त हो चुका, अब तो मुझ जैसे लोगो को कुछ थोड़े ही और दिन देखने हैं। मेरी प्रार्थना है कि अब जो लोग रहेगें वे उनके पीछे चले और ऐसा कार्य करे जिससे अगर वह जिन्दा रहते तो उन्हें खुशी होती। वह तो चले गये अपने परिश्रम का थोड़ा भी फल उन्होंने नहीं देखा। संभवतः यह बात ईश्वर को मंजूर नहीं थी। और बहुतेरे लोग इसी तरह पहले ही चले गये। पर वह अपनी कीर्ति छोड़ गये हैं और जो रास्ता वह दिखला गये हैं उस पर चलकर ही आप कुछ कर सकते हैं यह मेरा विश्वास है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि नवयुवक लोग इस पर ध्यान दें और जिस निर्भीकता के साथ और त्याग के साथ उन्होंने देश की सेवा की उसी तरह से वे भी करते जायें।

### बाबू धरणीधर के चित्र का अनावरण

तारीख २२-११-५१ को मिथला कालेज दरभंगा में बाबू धरणीधर के चित्र का अनावरण करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

महाराजाधिराज बहादुर, बहनो और भाइयो,

जैसा अभी हमारे प्रिंसिपल कृष्णमोहन कुमार सिंह जी ने कहा यह पहली बार नहीं है जब मैं आपके कालेज में आया हूँ। मुझे सचमुच इस बात की खुशी है कि चन्द वर्षों में इस कालेज

ने इतनी उन्नति की है जहां दो सौ विद्यार्थियों से यह कालेज आरम्भ हुआ था वहां अब इसमें उन की संख्या १९०० हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि दिन दिन इसकी उन्नति होती जायेगी।

हमारे सूबे में काम करने वाले बहुत हो गये हैं और बहुत लोग स्वराज्य के लिये काम कर गये हैं। बाबू धरणीधर उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने पहले पहल महात्मा गांधी का साथ दिया था। आप लोगों को पुराना इतिहास नहीं मालूम होगा, विशेष करके नौजवानों को जिनका जन्म अभी हुआ है तो मालूम होगा ही नहीं। बाबू ब्रजकिशोर और बाबू धरणीधर दरभंगा की ऐसी जुगल जोड़ी थे जिन्होंने सारे बिहार में नव जीवन की लहर फैलाई। बाबू धरणीधर उन लोगों में से थे जो पहले पहल महात्मा गांधी जी के साथ काम करने के लिये चंपारण में गये थे और उसको छोड़ने के बाद अपनी स्त्री के साथ गांवों में काम करते थे। जब असहयोग का आन्दोलन शुरू हुआ तो एक मिनट की हिचकिचाहट के बिना वे उसमें भी शामिल हो गये और वकालत छोड़कर उस में योगदान दिया और अन्त तक काम करते रहे और हर तरह से देश की सेवा करते रहे।

जैसा मैंने ऊपर कहा वह एक निर्भीक पुरुष थे और कहने में इतने खरे थे कि किसी से कुछ कहने में हिचकते नहीं थे। इस सबध में शुरू की एक बात कहता हूँ। जिस समय महात्मा गांधी पहले चंपारण में आये तो उन्होंने कहा कि मैं यहां के लोगों की बोली नहीं समझता हूँ इसलिये एक ऐसा आदमी चाहिये जो मुझे यहां के लोगों की बात समझाये। इस काम के लिये बाबू धरणीधर को बाबू ब्रजकिशोर ने नियुक्त किया। वह और उनके साथ मुजफ्फरपुर के बाबू राम-नौमी प्रसाद भी महात्मा जी के साथ गये। चंपारण पहुंचते ही महात्मा गांधी को सरकार ने यह नोटिस दिया कि २४ घंटे के अन्दर यहां से चले जाओ। महात्मा गांधी ने उसको मानने से इंकार कर दिया। इस पर उन के ऊपर मुकदमा चला। गांधी जी ने इसकी चिंता न की। मुकदमा पेश होने वाला था। महात्मा गांधी ने सब मित्रों को इस बातकी खबर दी। गांधीजी ने बाबू धरणीधर से पूछा कि अगर वह जेल चले गये तो वे लोग क्या करेगे। बाबू धरणीधर ने जवाब दिया : हम लोगों को तो इटरप्रेटर का काम करने के लिये आपने बुलाया था। जब वह काम नहीं रहेगा तो हम लोग अपने अपने घर चले जायेंगे। महात्मा गांधी ने कहा बस इतना ही। बाबू धरणीधर ने कहा कि अभी तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं; हम लोग इस के लिये तैयार नहीं हैं कि हम जेल में चले जायें। इस के लिये हमने सोचा भी नहीं है। बाबू धरणीधर ने आगे कहा, हां इतना हम लोग कर सकते हैं कि जब आप जेल चले जायें तो जो काम आप कर रहे थे उस को हम लोग जारी रखें और अगर हम लोगों को गवर्नमेंट हुक्म दे कि यहां से हम लोग चले जायें तो यहां से हम चले जायेंगे। हम यह न कर सकेंगे कि सरकार के हुक्म को न मानकर हम लोग जेल जायें। गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा इतना ही करोगे तो इतना ही करो। तब इन्होंने कहा कि हम लोग एक बात और करेंगे जब हम लोग सरकारी हुक्म को मानकर चले जायेंगे तो अपने साथियों को कहेगे कि वे आकर इस काम को करें और उसी तरह से जब उनको भी हुक्म होगा तो वे चले जायेंगे और दूसरे काम करने के लिये आयेंगे। यह सुनकर गांधी जी ने कहा कि आधा काम तो हो गया। रात में गांधी जी काम करते रहे। किंतु बाबू धरणीधर सोचते रहे कि यह एक आदमी जिसका कोई अपना नहीं, जिसका कोई यहां से सरोकार नहीं

यहां आकर यहां के लोगों के लिये जेल जायेगा और हम लोग जो दावा करते हैं कि यहां के लोगों की हम सेवा करते हैं अपने अपने घर पर आराम से रहेंगे, यह कहां तक उचित है? अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि वह भी जेल जायेंगे। दूसरे दिन गांधी जी जब कचहरी जाने लगे तो धरणीधर ने उन से कहा कि हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोगों को क्या करना है। आप जब जेल चले जायेंगे तो हम लोग भी जेल जायेंगे। यह सुनकर गांधी जी बहुत खुश हुए और कहा कि अब फतह हमारी है। इस बीच सरकार का हुक्म आया कि मुकदमा उठा लिया जाये। किसी को जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बाबू धरणीधर कितने निर्भीक थे। तो यह तो मैं ने एक शुरू की बात कह दी। इस तरह से उनके जीवन में हजारों हजार उदाहरण मिलेंगे। मौका आने पर वह किसी से पीछे नहीं रहते थे, काम में आगे ही रहा करते थे, त्याग में आगे ही रहा करते थे। इसलिये मुझे बड़ी खुशी है कि उनके चित्र का मैं अनावरण कर रहा हूं और उसकी स्मृति में आपसे यहां कुछ शब्द कह सका हूं।

### महेन्द्र जयन्ती

तारीख २२-११-५१ को छपरे में महेन्द्र जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

यहां जो भाई और बहन है वे सभी जानते हैं कि मैं क्या हूं। मैं ऐसी जगह में आया हूं जहां से मेरा ऐसा सम्बन्ध रहा है कि यहां कुछ कहना भी कठिन है और नहीं कहना भी कठिन है? आपने मानपत्र दिया है मगर किस लिये? जो घर में रहता है वह घर का आदमी होता है, उस के लिये मान पत्र की ज़रूरत नहीं होती। वह तो हमेशा ही आपकी तरह है, वह आता ही रहता है और मिलता ही रहता है। इसलिये और भी कठिनाई हो जाती है।

आज के दिन आपने यहां एक और काम से लोगों को बुलाया और उसमें मुझे भी बुलाया। यों तो आना एक प्रकार से कर्त्तव्य है मगर आने में कठिनाई भी है और वह कठिनाई अपने हृदय की कठिनाई है। इतनी बातें इतने दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं कि अपने को संभाल करके रखना भी कठिन हो जाता है..... आगे मुझ से कुछ कहा नहीं जाता।

### राजेन्द्र पुस्तकालय

तारीख २२-११-५१ को राजेन्द्र पुस्तकालय, छपरा, में राष्ट्रपति जी ने कहा—

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके इस पुस्तकालय में आ सका। मैं एक बार और यहां आया हूं पर मुझे याद नहीं है कि वह यहीं मकान था या कोई और। जैसा आपने कहा कि यह मकान तो नया बना है, इसलिये मैं नहीं कह सकता हूं कि यहीं मकान था या नहीं। इस बीच मैं जिस तरह से पुस्तकालय ने काम किया है उसकी एक छोटी रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है। उससे पता चलता है कि कई तरह के काम आपने अपने हाथ में ले लिये हैं और उनको

पूरा करने का प्रयत्न आप कर रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। इस तरह की संस्थाएं जितनी हों और जितनी जगहों में कायम हो सकें उतना ही देश का भला हो सकता है। किसी संस्था के कायम करने में सच्ची लगन चाहिये और जो कायम करने वाले हो उनमें उसके लिये अनुराग चाहिये। अगर सच्ची लगन के साथ और सच्चे अनुराग से काम करने वाले मिल जायें तो काम बढ़ ही जाता है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत भी आवे तो वे उसको हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पुस्तकालय दिन दिन उन्नत होगा और जो समाज सेवा का काम आपने हाथ में लिया है और जैसे केन्द्र चलाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं उनमें आप सफल होंगे। यद्दु भी एक बड़ी चीज़ है कि इसका सम्बन्ध यहां के कालेज के साथ है अर्थात् यहां के कालेज के विद्यार्थी भी इसमें भाग लेते हैं और प्रोफ़ेसर भी भाग लेते हैं। इसका इस तरह से जो काम चलता है यह एक शुभ चिन्ह है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तकालय पढ़ाई तक ही अपना काम सीमित नहीं रखेगा बल्कि सेवा कार्य और बौद्धिक विकास के काम में भी सहायता देगा और इसका बहुत काम फलेगा। अधिक मैं क्या कहूँ, इतना ही कहता हूँ कि आपका काम दिन दिन आगे बढ़े और आप तरक्की करें।

### जीरादेई में सार्वजनिक सभा

तारीख २५-११-५१ को जीरादेई में की गयी सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति जी ने कहा—  
भाइयो और बहनो,

मुझे यहां करीब-करीब दो वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। इस बीच दो एक मरतबे आने की इच्छा हुई पर कुछ काम की भीड़ ऐसी हो गयी कि मैं नहीं आ सका। इस वक्त किसी तरह से दो तीन दिन निकाल कर आ गया हूँ जिस में यहां के लोगों से मुलाकात हो जाये।

२६ जनवरी १९५० को जब मैंने राष्ट्रपति पद का काम पहले पहल सम्भाला तब से भारत के हरेक सूबे में मैं फिरा हूँ और समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि मैं बराबर सफर करता रहा हूँ और सफर का आज ही आखिरी दिन है। अब दिल्ली पहुंचने पर जब तक चुनाव का झगड़ा रहेगा कही नहीं जाना है, वहां ही चुपचाप बैठना है। क्योंकि कि राष्ट्रपति भले किसी दल द्वारा चुना जाये पर चुने जाने के बाद वह किसी दल विशेष का आदमी नहीं रह जाता और उसकी नज़र में सभी बराबर समझे जाते हैं और आपने संविधान पढा होगा, वह भी सब की भलाई करता है, सब की सेवा करता है और सब लोग भी उसको उसी निगाह से देखते हैं।

स्वराज्य मिले तो कई साल हो गये। पर प्रजातन्त्रात्मक राज्य जब हम ने कायम किया उसको अभी दो साल से कम ही समय गुज़रा है। जो लोग इस काम में नहीं थे उनको आज क्या अन्तर पड़ गया है और स्वराज्य का अर्थ क्या है यह समझ में नहीं आता। इसलिये आप सुनिये जो मैं कहता हूँ। यहां एक बहुत बड़ा काम हो गया है। हिन्दुस्तान का इतिहास चार हजार वर्ष पहले से आज तक लिखित रूप में है ऐसा सुनने में आता है। चार हजार वर्ष पहले से आज तक क्या क्या हुआ इसका पता किताब के जरिये से लग जाता है। मगर उस समय से पहले की हालत

की कोई खबर नहीं है। मगर जब से इतिहास मिलता है उस समय से आज तक हिन्दुस्तान एक कोने से दूसरे कोने तक, हिमालय के पहाड़ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब समुद्र तक एक छत्रराज्य के अन्दर कभी नहीं आया। पहले चक्रवर्ती राजा होते थे। पर चक्रवर्ती कौन कहलाते थे। जिस राजा का आधिपत्य छोटे छोटे राजा मान लेते थे वही चक्रवर्ती कहलाते थे। मगर वे अपना सब काम आप ही करते थे और चक्रवर्ती राजा के अधिकार को सिर्फ डमी रूप में मान लेते थे कि उसके रथ को अपने राज्य से वैश्ववाध गुजरने देते थे। वे ही राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। लेकिन यह तो बहुत पुरानी बात है। उसके बहुत जमाने के बाद चन्द्रगुप्त और अशोक राजा हुए थे और उन्होंने दूर दूर तक अपना राज्य फैलाया था। उनकी राजधानी पटना में थी और वे आज से २२०० वर्ष पहले पैदा हुए थे। अशोक के बड़े बड़े खम्भ अभी भी खड़े हैं जिन पर उन्होंने धर्म की बहुत सी बातें लिखवायी थीं। चम्पारन जिले में एक दो खम्भे अभी भी मौजूद हैं। वह बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए थे। मगर उनका भी राज्य इतनी दूर तक नहीं फैला। अशोक के बाद चन्द्रगुप्त बहुत प्राचीन राजा हुए पर उनका भी राज्य इतना नहीं फैला। मुगलमानों का भी हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा राज्य रहा पर उनका भी राज्य इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं फैला। अंग्रेजों का राज्य भी यहाँ कायम हुआ जो बहुत बड़ा राज्य था पर अंग्रेजों के जमाने में भी हिन्दुस्तान के अन्दर ६०० से अधिक रियासतें स्वतन्त्र रूप से अपना राज्यकाल चलाती रहीं। उन रियासतों में बहुत तो छोटी छोटी रियासतें थीं पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी थीं जैसे हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर, जयपुर, जोधपुर इत्यादि। ये रियासतें एक प्रकार से अंग्रेजों के छत्रछाया में थीं पर वे अपना सब इन्तजाम आप चलाती थीं। यह पहला ही मौका है जब सारे का सारा हिन्दुस्तान एक छत्र शासन के अन्दर आ गया है। हालांकि हिन्दुस्तान के दो हिस्से उससे कटकर अलग भी हो गये हैं, एक हिस्सा पूर्व में और दूसरा हिस्सा पश्चिम में कट गया है मगर जितना रह गया है वह इतना बड़ा है जितना बड़ा हिन्दुस्तान कभी भी एक छत्रराज्य के अन्दर नहीं रहा।

दूसरी महत्व की बात यह हुई है कि यहाँ अब ऐसा राज्य स्थापित किया गया है जिसमें सब का अधिकार है, अब राजा प्रजा का फर्क नहीं रहा। अब सब के सब या तो राजा हैं या सब के सब प्रजा हैं। पहले भी इस देश में ऐसे राज्य हुए थे पर वे बहुत छोटे छोटे थे। आज से करीब २५०० वर्ष पहले मुजफ्फरपुर की तरफ वैशाली में एक ऐसा राज्य था और पंजाब की तरफ भी छोटे पैमाने पर प्रजातन्त्र चलाया गया था। लेकिन अब सारा हिन्दुस्तान ही प्रजातन्त्र हो गया है याने सारे हिन्दुस्तान का राज्य अब प्रजा के चलाने से चलता है। अब ऐसी बात नहीं रही कि जिसके पास धन है, जिसके पास विद्या है वही अकेले राज्य चलायेगा बल्कि अब भारत के शासन में सबका अधिकार रहेगा। मगर इसके लिये शर्त यह है कि लोगों को होश हवास होना चाहिये और इसमें उनके इन्तहान का समय भी नज़दीक आ गया है। इस प्रजातन्त्र में जितने बालिग लोग हैं अर्थात् जिनकी उम्र २१ वर्ष की हो चुकी है उन सब को अधिकार मिल गया है कि वे जैसा चाहें उस तरह से राज्य को चलावे। तो हिन्दुस्तान के अन्दर इतनी बड़ी क्रान्ति हो गयी है अगर गांधी जी ने यहाँ के लोगों को ऐसा तरीका बतलाया कि आहिस्ता आहिस्ता क्रान्ति आ भी गयी और देखने में कुछ मालूम नहीं हुआ। देश में मुसलमानी राज्य कायम हुआ था तो लड़ाई हथी थी, पानीपत में लड़ाई हुई थी जिसमें हिन्दू राजा हार गये और मुसलमान जीत गये और

लोगों को मालूम हो गया था कि फलाना राजा हारा और फलाने की जीत हो गयी। फिर अंग्रेज आये तो मुसलमान हार गये और उनकी विजय हुयी। तो वह चीज ऐसी थी जिसको लोग देख सकते थे, समझ सकते थे। इसमें यह हुआ कि समूचे देश में स्वराज्य स्थापित हो गया, जो यहाँ के लोग चाहते थे वह हो गया और जिनके हाथ में अधिकार था वे चले गये। अब अंग्रेज यहाँ नहीं हैं और किसी को यह मालूम भी नहीं हुआ। अब कोई विदेशी अधिकारी के रूप में इस राज्य में नहीं है, अगर कोई है तो वह सेवक के रूप में है, अधिकारी के रूप में नहीं। अब हम लोग देश को बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं और बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर अब बात बिगड़ेगी तो उसके लिये हम दूसरे किमी पर दोष नहीं रूपा सकते हैं कि फलाने ने आकर बात बिगाड़ी। अब तो राजकाज चलाने वाले अपने ही लोग हैं और अब सब आदमियों को समझना है कि अगर कोई बात बिगड़ती है तो उसमें उनका कितना हिस्सा है। अब सब को सोचना है कि इतना अधिकार जो हाथ में आ गया है उसको कौन किस तरह से सम्भाले। अब इसका पहला इम्तिहान होने जा रहा है। देश में शासन चलाने के लिये जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव होने जा रहा है। जिनको जनता चुन कर भेजेगी वे ही राजकाज चलायेंगे। अब जनता का काम है कि वह ईमानदार से ईमानदार, अच्छे से अच्छे और समझदार से समझदार लोगों को चुन कर भेजे जिनमें जनता जैसा चाहती है उसी तरह से वे राज्य चलावे। मैं तो थोड़े ही दिनों के लिये वहाँ हूँ। जिन दिनों चुनाव हो जायेगा, मुझे हट जाना है और जिसको चुना जायेगा वही वहाँ पर बैठेगा और उनका काम यही होगा कि देश का काम ठीक से चलावें और जो लोग चुन कर जायें उनकी राय के मुताबिक वह चले। तो देश में जो इतनी बड़ी क्रान्ति हो गयी है उसको समझना चाहिये। अक्सर लोगों का यह खयाल होता है कि जब स्वराज्य की लड़ाई चल रही थी उस समय जितने त्याग और परिश्रम की जरूरत थी उतनी आज जब हमें स्वराज्य मिल गया है उन चीजों की जरूरत नहीं रही। यह ठीक है, कि स्वराज्य हासिल करने के लिये बहुत त्याग और परिश्रम की जरूरत थी और लोगों ने त्याग किया। मगर मेरा खयाल है कि इस समय जो काम है वह उस समय के काम से अधिक मुश्किल है। उस समय अंग्रेजों से झगडा था और हम समझते थे और देखते थे कि वे हज़ारों मील दूर से आकर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। उस समय हम सब मिल कर काम करने थे और दुश्मन से मुकाबला करते थे। लेकिन अब वह बात नहीं रही। आप लोगों ने भी महाभारत की कथा पढ़ी ही होगी। उसमें एक तरफ पाच पांडव थे और दूसरी तरफ दुर्योधन १०० भाई थे। आपस में दोनों का झगडा था। लेकिन जिस वक्त गन्धर्वों से दुर्योधन की लड़ाई हुई भीम और अर्जुन को मन ही मन खूब खुशी होती थी कि भले ये लोग पीटे जाते हैं पर युधिष्ठिर ने कहा कि जहाँ हमारी आपस की लड़ाई का प्रश्न है वहाँ पांडव ५ हैं और कौरव १०० हैं मगर जहाँ एक तीसरे से लड़ाई हो वहाँ हम १०० और ५ नहीं हैं बल्कि १०५ हैं। तो जहाँ अंग्रेजों से लड़ाई की बात थी १०५ लड़ रहे थे। अब १०५ की लड़ाई खतम हुई। अब काम मुश्किल है। अब तो १०५ में लड़ाई है। अंग्रेजों से लड़ कर और उन पर अधिकार करके उन्हें हम ने भगा दिया। अब जो लोगों को तकलीफ थी उसको समझना है और समझ कर उसको दूर करना है। आज तो जो एक मन गेहूँ पैदा कर ले वह भी देश का काम कर रहा है। जीरादेई में १०००-१२०० आदमी रहते हैं, वे किसी तरह से मेहनत करके पानी देकर, खाद देकर जैसे भी हो उस तरह से १० मनु के बदले ११ मन अन्न पैदा कर लें तो उनको समझना चाहिये कि वे अपना ही काम नहीं देश का भी

काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश में अन्न की कमी है। उसी तरह से लडके लडकियों की पढ़ाई के सम्बन्ध में, चिकित्सा के प्रबन्ध में, हर दिशा में लोगों को तरक्की करनी है। यह काम कोई आसान नहीं है और इसके लिये लोगों को खूब परिश्रम करना पड़ेगा। इस समय का काम शान्त आदमी का काम है। यह काम तडक भड़क का काम नहीं है। उस समय के काम में गांधी जी ने रास्ता बतलाया था जिसमें कुछ मिलना नहीं था, जेल जाने का काम था। मुसीबत भोगने का काम था लेकिन इस समय स्वार्थ साधन का बहुत रास्ता खुल गया है। जिस काम में लाभ उठाने का कोई रास्ता नहीं उसमें कोई लाभ नहीं उठावे तो उसमें कौन सी तारीफ़ की बात हुई मगर जिस काम में प्रलोभन हो, लाभ करने की गुंजाइश हो उसमें जाकर भी कोई स्वार्थ साधन नहीं करे तो उसी में तारीफ़ की बात है। किसी चीज़ को तोड़ना आसान है, बनाना कठिन है। इस समय देश का बनाने का काम करना है। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको कदम कदम पर अनुभव होता है कि यह कितना कठिन काम है। उस समय बिगाड़ने का काम था और इस समय बनाने का काम हो रहा है। इसलिये उस समय से इस समय अधिक त्याग और परिश्रम की जरूरत है। अधिक लगन से काम करने की जरूरत है और हर तरह के लोगों के इसमें पड़ने की जरूरत है। और यह समझना कि स्वराज्य मिल गया है तो मजा उठाने और आगम से बैठने का वक्त आ गया है गलत है।

आपको इस बात की खुशी है और आप लोग कहते हैं कि अपने जवार का एक आदमी है जो इतने ऊँचे स्थान पर है। यह खुशी की बात है और गर्व करने की बात है मगर वास्तव में गर्व तो तभी करना चाहिये जब जवार में हरेक आदमी ऐसा ही हो। किसी देश का हरेक आदमी तरक्की करता है तभी वह देश बड़ा गिना जाता है। एक आदमी के तरक्की करने से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर एक आदमी बहुत बढ़ जाये और दूसरे लोग हर तरह से छोटे ही रह जाये तो यह बात मरुभूमि में कहीं कोई वृक्ष लग जाये वैसी ही बात हुई। अगर किसी खेत में एक ऊँच बहुत ऊँची हो जाती है और दूसरी सब एक एक हाथ की रह जाये तो क्या उसको अच्छी फ़सल कहेगे? एक खेत में एक ऊँच का पेड़ बास के जैसा बड़ा हो जाये दूसरे पेड़ एक हाथ के रह जायें उस खेत से वह कहीं अच्छा है जिसमें बास के जैसा एक भी पेड़ न हो कर सभी चार चार हाथ, पांच पांच हाथ के हो। तो जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान में सब लोग ऊँचे हों और जब सभी ऊँचे होंगे तभी सब की और देश की तरक्की होगी। मैं आपमें यह कहना चाहता हूँ कि आप खुश हैं तो आप इस बात की कोशिश करें कि सब ऊँचे हों। मैं भी तो इसी गांव में था, पढ़ना शुरू किया और काम करते करते आज इस जगह पर पहुँच गया हूँ। क्या वजह है कि अगर आप चाहें तो वैसा नहीं कर सकते। मान लें कि सभी वहाँ तक नहीं पहुँचे लेकिन आधा ही पहुँच जायें तीसरे हिस्से तक ही पहुँच जायें तो भी तो काफी काम हुआ समझना चाहिये। मैं कहता हूँ कि आजकल के युवक त्याग की भावना अपने में रखें, कार्य करें और ऊँचे हों और वैसा अगर नहीं करेंगे तो बात खोखली रह जायेगी। अगर इस जवार को आप उन्नत बनाना चाहते हो तो इसमें सच्चे त्यागी लोग होने चाहियें और रामराज्य कायम करना चाहिये। जब सब मिल कर काम करेंगे तभी रामराज्य हो सकता है। आप लोगों का हमेशा प्रेम रहता ही है। मरुभूम नहीं फिर कब आप लोगों से मुलाकात होगी। पर जब मौका मिलता है तो मिलने के लिये आ ही जाता हूँ और मिलूंगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।

## कमला मार्केट का उद्घाटन

कमला मार्केट का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

माननीय अजीत प्रसाद जैन, बहनो और भाइयो,

मुझे खुशी है कि आप ने आज मुझे यह मौका दिया है कि मैं यहां आकर इस काम को पूरा करूं। जो रिपोर्ट आप के सामने मार्केट के बारे में सुनायी गई है और उस के बाद जो बातें मिनिस्टर साहब ने हमारे पुरुषार्थियों के बारे में तफसील के साथ हमें बतलायी है उन सब बातों को सुन कर, मैं समझता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। यह मार्केट बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छा बना है और इस तरीके से बनाया गया है कि इस में काफी सफाई रहे और खरीददार और दूकानदार दोनों को हर तरह की मदद और सहूलियत हो जाये। इस के साथ साथ इस मार्केट के साथ श्री कमला जी का नाम जोड़ कर तो आप लोगों ने सोने में सोहगा लगा दिया है। कमला जी हमारे हिन्दुस्तान की उन महिलाओं में थी जिन्होंने ने अपनी सारी जिन्दगी मुल्क की खिदमत में, देश की सेवा में लगा दी, और जिन का भी उन दिनों उन से वास्ता पड़ा उन्हें यह मालूम है कि दिन रात वह किस तरह लोगों की सेवा करने में लगी रहती थीं और देश के काम को आगे बढ़ाती थीं। अपनी सेहत खराब हो जाने पर भी इतनी खराब हो जाने पर भी कि उस के कारण लोगो को उन के जीवन के बारे में घबराहट हो गई थी वह देश के काम में तल्लीन बनी रही और डाक्टरों को राय न मान कर बराबर जनसेवा में लगी रही। उस का जो नतीजा हो सकता था, वही हुआ। वह हमारे बीच में से चली गई। जो मार्केट आप ने बनाया है और जिस में पुरुषार्थियों को सहूलियतें आप देने वाले हैं उस में उनका नाम आप ने जोड़ दिया है। मुझे भरोसा है कि उस से हमेशा पुरुषार्थियो को प्रोत्साहन मिलता रहेगा और उन को अपने काम में कामयाबी होती रहेगी।

आज तक पुरुषार्थियों के काम में जितनी तरक्की हुई है, उसे यहां अपनी आंखों देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस प्रकार के काम की रिपोर्ट मुझे पढ़ने को बराबर मिला करती थी। पर आज इसे देखने पर जो खुशी हुई वह उम्र से कहीं ज्यादा है जो इस काम की तरक्की के पढ़ने से होती थी। यह स्वाभाविक है। क्यों कि आदमी अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उस का असर छपी हुई या लिखी हुई रिपोर्ट के पढ़ने के असर से आदमी के दिल पर कहीं ज्यादा होता है।

आज से चार बरस पहले जब हमारे पुरुषार्थी भाई लाखों की तादाद में पश्चिम से इधर आ रहे थे या आ चुके थे और दिल्ली की हर गली में, हर सड़क पर, फुटपाथ पर, मकानात के बरन्डों में, जगह जगह पर यहां तक कि खाली मैदानों में धूप वर्षा और जाड़े की परवाह न करके डेरा जमा रहे थे उस वक़्त का वह दृश्य मुझे याद है। उस के मुकाबले में आज की हालत रख कर जबकि हजारों मकान तैयार करा कर लाखों आदमियों को बैसाया जा चुका है जब मैं सोचता हूं तो मालूम होता है कि सच मुच गवर्नमेन्ट की ओर से जो काम किया गया है वह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इस में शक नहीं कि जिस मुसीबत और तकलीफों में ये



लोग पड़ गये थे वे इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी थी कि कोई भी उन को पूरी तरह से नज्दत नहीं दिला सकता था। कोई काम चाहे वह गवर्नमेंट करे या और कोई करे वह इतना अच्छा और इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि उस की वजह से ये पुरुषार्थी भाई बहिन, उम हालत में, या उम से मिलती जुलती हालत में फिर हो जायें जिस में कि ये उजड़ने के पहले अपने पैरो में रूहा करते थे और इन को पहले जैसा ही आराम और आशायश मिलने लगे। जैसी हालत थी उम में जो कुछ हो सकता था वह किया गया है और किया जा रहा है। हम ऐसा कर सके हम बात के लिये मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन मैं जानता हू कि उन में से अब भी अनेक बहुत सी मुमीबतों में हैं। उन को जितनी गहृत मिलनी चाहिये उननी नहीं मिल पायी है। लेकिन उन्हें भी हम बात को स्मरण रखना चाहिये कि वे ऐसे बहुत में लोगो से कहीं अच्छी हालत में हैं जिन्हें कि कुछ भी नहीं मिला है। आप ने यह अच्छी बात कही है कि कोई भी महज दूसरो के भगोसे पर ही नहीं रह सकता। उमें अपने पैरो पर आप खड़ा होना ही चाहिये। आप में यह एहसास है यह खुशी की बात है। मैं उन नमाम पुण्यार्थियों को जो पश्चिम में आये हैं मुबारकवाद देता हू। मैं ने अपनी आंखों देखा है इस शहर में और दूसरी जगह जहा जहा मुझे देखने का मौका मिला है कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी बहुत ही हिम्मत और बहुत ही उन्माह के साथ सारी मुमीबतों को बर्दाश्त ही नहीं किया बकि बहुत ही बहादुरी और हिम्मत के साथ अपने लिये कोई न कोई धन्धा निकाला है, कोई न कोई काम काज निकाला है। हम लिये अगर एक तरफ गवर्नमेंट को मैं मुबारकवाद देता हू कि उम ने हम दशा में इतना काम किया है तो दूसरी तरफ उन पुण्यार्थियों को भी वैसे ही मुबारकवाद देना है जिन्होंने अपने आप को अपने पैरो पर खड़ा करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। और उन्हें जो थोड़ी बहुत मदद मिली उम से जितना वे लाभ उठा सकते थे उतना उन्होंने लाभ उठाया है।

### जन्म दिवस पर अभिनन्दन

तारीख ३-१२-५१ को राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभिनन्दन के उत्तर में राष्ट्रपति जी ने कहा—  
बहनो और भाइयो,

मैं आप सब का बहुत अनुगृहीत हूँ कि आज इस दिन पर आपने मेरे लिये अपनी शुभ कामना प्रकट की। ऐसा मौका हर साल एक बार आया ही करता है। जो यहां पर काम करते हैं और आपके साथ जो दूसरे लोग रहते हैं सब ही का प्रेम और सौहार्द मुझे हमेशा मिला है। मेरे लिये यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपका प्रेम पा सका हूँ। मैं सच कहता हूँ कि सारे देश के लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ अच्छा और मेहरबानी का बर्ताव किया है उसी तरह से जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है उन सब ने मेरे साथ मेहरबानी और प्रेम का बर्ताव किया है जिसमें मुझे काम करने में ज्यादा उत्साह भी मिला है। मुझे यह भी विश्वास है कि अगर मुझ से कहीं गलती भी होगी तो लोग मुझे ठीक तरह से समझायेंगे और हर तरह से मदद करने के लिये प्रयत्न करेंगे जिसमें और गलतियां न होने पावें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वह मुझे शक्ति दे, बल दे जिसमें देश की और सब लोगों की सेवा कर सकूँ। आप लोगों को एक बार और हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

## अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रतिष्ठान का उद्घाटन ।

\*अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रतिष्ठान के २७वें अधिवेशन में बुधवार ५, दिसम्बर १९५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

भारत में आपका हार्दिक स्वागत करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है । मुझे इस बात का हर्ष है कि अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी सम्मेलन के वर्तमान अधिवेशन के हमारी राजधानी में होने से आप में से अनेकों को भारत की प्रथम बार यात्रा करने का अवसर मिला है । मुझे आशा है कि आप इस यात्रा से हमारे देश और हमारी जनता से परिचित हो जायेंगे और यहाँ से लौटते समय ऐसी संस्मृति ले कर जायेंगे जो हमारे देशों में पारस्परिक मेल बढ़ाने में सहायक होगी ।

संसार की समस्त जातियों में पारस्परिक शान्ति, मैत्री और सहयोग के आदर्श को भारत ने सर्वदा माना और इनकी प्राप्ति के लिये उनमें व्यावहारिक रूप से कार्य किया । अतः संसार के सब देशों के जिन प्रमुख सांख्यिकी और अर्थशास्त्रियों ने पिछले साठ वर्षों में इस प्रकार के रचनात्मक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पैदा करने के लिये सम्मिलित प्रयत्न किया है उन सब का इस सम्मेलन में स्वागत करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है । अपने प्रकाशित लेखों तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक पत्रों द्वारा वैज्ञानिक लोग साधारणतः एक दूसरे के सिद्धान्तों, विचारों, प्रयासों और सफलताओं से परिचित रहते हैं । किन्तु इस प्रकार के सम्मेलन में मिलने से ही जो वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है और बनाया रखा जा सकता है वह उनके पारस्परिक लाभ के लिये भी बड़ा अच्छा होता है । इसके अतिरिक्त नये विचारों और तरीकों के विकास के लिये भी वैज्ञानिकों का सम्मेलन सर्वदा बहुत फलप्रद रहता है । और मुझे आशा है कि शान्तिमय और समृद्ध जगत के निर्माण के लिये सुदृढ़ नीव के लिये जो सही आर्थिक नीति और कार्यक्रम आवश्यक हैं उसके तय करने के लिये सांख्यिकी क्षेत्र में जो नये विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं उनका विकास इस सम्मेलन के प्रयासों के फलस्वरूप होगा ।

भारत सरकार सांख्यिकी तरीकों के विकास में बहुत दिलचस्पी रखती है और पिछले दिनों में उसने देश में सुसज्जित सांख्यिकी संस्थाओं की स्थापना को बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया है । वह इस बात को जानती है कि वर्तमान युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन की बढ़ी हुई जटिलताओं के कारण तथा सरकार के कार्यक्षेत्र के बढ़ जाने के कारण सरकार के लिये अब यह सम्भव नहीं है कि वह पर्याप्त और पूरी सांख्यिकी सामग्री के बिना अपनी नीतियों का निर्धारण कर सके । इतिहास में पहली बार भारत एक छत्रराज्य बना है । उस का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र १२.२ लाख वर्गमील है अथवा ७८ करोड़ एकड़ है और पिछली जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या ३६ करोड़ १० लाख से कुछ ज्यादा है अतः चीन में छः एकड़ अमरीका में तेरह एकड़ और सोवियट संघ में २८ एकड़ प्रति व्यक्ति के मुकाबले में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति के हिस्से में २.१६ एकड़ भूमि पड़ती है । जो आंकड़े प्राप्त हैं उनसे पता चलता है कि खेती में कुल २६ करोड़ एकड़ भूमि लगी हुई है । और इस हिसाब से तीन चौथाई एकड़ ही फी आदमी के हिस्से में आता है । हमारे यहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति साधन है किन्तु उनके विकास और काम में लाने का तो प्रश्न ही क्या अभी तक उन सब की जाच तक नहीं की गयी है और न उनका पूरा पता चलाया गया है । दूसरे देशों में से अनेकों की अपेक्षा हमारे देशवासियों का

जीवन स्तर बहुत नीचा है। अतः हमें अनेकानेक समस्याओं का मुकाबला करना है और उन्हें सुलझाना है। हमारी सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम को हाथ में ले रही है। उसका चित्र पांच वर्षीय योजना है जोकि हमारे सम्पत्ति साधनों की वास्तविक जानकारी पर आधारित है। योजना को और भी अधिक व्यावहारिक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हमें राष्ट्रीय जीवन की सब बातों के सम्बन्ध में सही और विश्वासनीय जानकारी प्राप्त हो जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं और सम्पत्ति साधनों का सही सही अन्दाजा लगा सकें। सरकार को सही बातें मालूम होनी चाहियें और वह इस स्थिति में होनी चाहिये कि अतीत की तुलना वर्तमान से कर सके और भविष्य की सम्भावनाओं का कुछ अन्दाजा लगा सके। सही बातों की जानकारी न होने पर कोई भी सरकार सफलतापूर्वक उन्नति के लिये पूरी योजना नहीं बना सकती।

यद्यपि वैज्ञानिक और शिल्पिक विकास के कारण पृथ्वी के सुदूर भाग एक दूसरे के बहुत निकट हो गये हैं तथापि जगत की सही बातों के बारे में अभी लोगों में जानकारी की बहुत कमी है। अनेक देशों के सम्बन्ध में सही जानकारी का न होना ही अन्तर्राष्ट्रीय मेल के बढ़ने में मुख्य रुकावट है। यदि हमें ऐसे उदारचित्त विश्व समाज का निर्माण करना है जिसमें एक दूसरे की समस्याओं को समझ कर और उनकी महत्ता को पहचान कर समस्त मानव जातिके लाभ के लिये लोग सम्मिलित प्रयास करें तो यह आवश्यक है कि उनके पास निष्पक्षता से एकत्रित और सही आंकड़े हों तथा ऐसी जानकारी हो और विचारों के स्वतन्त्रतापूर्वक विनिमय करने की पूरी सुविधा हो।

यह विशेष महत्व की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रतिष्ठान का यह अधिवेशन एशियाई देश में हो रहा है। जैसा आप जानते हैं एशिया के देशों में सांख्यिकी संस्थाओं का वैसा विकास और नीति निर्धारण करने में सांख्यिकी का वैसा प्रयोग नहीं किया गया है जैसा कि संसार के अन्य भागों में हुआ है। किन्तु एशिया के सब देशों में आर्थिक विकास के लिये बनाई गयी हाल की योजनाओं को यदि हम ध्यान में रखें तो यह प्रकट है कि सही और विश्वासनीय सांख्यिकी सामग्री को इकट्ठा करना बहुत महत्व की बात हो गयी है। मुझे आशा है कि एशियाई देश में इस सम्मेलन की बैठक होने का परिणाम यह होगा कि यहाँ ऐसी सुसंगठित सांख्यिकी व्यवस्था का विकास हो जायेगा जो एशिया और समस्त पृथ्वी भर के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास का सुदृढ़ आधार निर्माण करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके।

जब भारत सरकार ने इस सम्मेलन के लिये निमन्त्रण दिया था तब हमारे प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि “सांख्यिकी के और अधिक अध्ययन तथा प्रशासन और उद्योग धन्धों में सांख्यिकी रीतियों के और अधिक प्रयोग करने में और उनको प्रोत्साहन प्रदान करने में हमें बड़ी गहरी दिलचस्पी है। अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रतिष्ठान के अधिवेशन के यहाँ होने से इन आगे के अध्ययनों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। तथा अनेक देशों के अनेक स्थाति-नामा सांख्यिकी की उपस्थिति से हमें न केवल बड़ी प्रसन्नता होगी वरन् हमें उससे काफी लाभ ही होगा। अतः हमें आशा है कि आप लोगों के विचार विमर्श से और जो सम्पर्क हमारे सांख्यिक और विशेषज्ञ आज स्थापित कर रहे हैं उससे संसार भर के लाभ के लिये सांख्यिकी विज्ञान की उन्नति के अतिरिक्त हमें अपनी निजी कठिनाइयों के सुलझाने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी।

मैं आप लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके श्रम की अत्यधिक सफलता के लिये भी सद्कामना प्रकट करता हूँ।

## अलीगढ़ विश्वविद्यालय का समावर्तन

अपने दीक्षास्त भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा—

जो विद्यार्थी इस यूनीवर्सिटी से डिग्रिया हासिल करके जिन्दगी की दाढ़ में आज शामिल होने के लिये जा रहे हैं उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरी यह प्रार्थना है कि भगवान उनका भविष्य सुन्दर बनावे। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि उनकी कामयाबी बहुत कुछ उनके अपने खयालों और कामों पर भी मुत्सर करेगी। अगर वे इस दुनिया की शकल सूरत को जिसमें वह दाखिल होने वाले हैं ठीक २ समझ लेंगे और उसको समझने के बाद पूरी सूझ बूझ और लगन के साथ उन फर्जों को पूरा करने में लग जायेंगे जो उन पर आयद होते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह अपनी जिन्दगी में पूरी तरह से कामयाब होंगे और न महज अपना ही भला करेंगे वल्कि वतन और दुनिया के और लोगों का भी भला कर सकेंगे।

उसी दुनिया का एक हिस्सा हिन्दुस्तान है जो अपनी लम्बी तारीख रखता है और जिसने पिछले दिनों में दुनिया की तारीख में अपनी जगह रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइन्दा भी वह अपने लिये जगह कायम रख सकेगा। यह लम्बी तारीख बहुत ही दिलचस्प है और इसमें शक नहीं कि अगर आप इसको देखेंगे और इससे कुछ सीखना चाहेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। मगर इसकी तस्वीर के किसी एक छोटे गोशे को भी मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँ तो उसके लिये न तो मेरे पास वक़्त है और न काबलियत। ऐसी किसी भी चीज़ की तस्वीर के एक टुकड़े को देखना, जब तक उस टुकड़े में सारी तस्वीर की थोड़ी झलक भी न आती हो, ठीक भी नहीं है क्योंकि सिर्फ एक गोशा देखने से हो सकता है कि हमको सारी तस्वीर के बारे में बिल्कुल ग़लत खयाल हो जाये और जो उसका अच्छा हिस्सा है उसको न देखें या जो बुरा हिस्सा है उसको न देखें। तस्वीर को अगर हम पूरी पूरी देखें, चाहे वह छोटे ही पैमाने पर क्यों न ही, तभी हम उसको ठीक समझ सकते हैं। इसलिये मैं इस तरह की कोई कोशिश उस तस्वीर को आपके सामने रखने की नहीं करूँगा। इतना तो हम सब मान ले कि दुनिया में कोई चीज़ आज ऐसी नहीं है जिस पर बीते हुए कल का अमर नहीं हो या जो आइन्दा के कल पर अपना असर नहीं रखती हो; यह एक कुदरती कानून है कि कोई काम ऐसा नही होता जो अपना कुछ न कुछ असर नहीं रखता हो। कोई हरकत ऐसी नहीं होती जो कि जमाने के पक्ष पर अपनी लकीर नहीं छोड़ जाती हो। वह हरकत जितनी बड़ी होगी लकीर भी उतनी लम्बी और जोरदार हो सकती है और हरकत जितनी छोटी होगी उसका निशान उतना ही छोटा रह जायेगा। मगर कोई हरकत बगैर अपना निशान छोड़े रह नहीं सकती; उमी तरह आज जो कुछ इस देश में या किसी भी देश पर बीत रहा है वह हज़ारों, लाखों और करोड़ों कल की हरकतों का नतीजा है और जो आनेवाले कल होंगे वे भी इसी तरह हज़ारों, लाखों और करोड़ों आज का नतीजा होंगे। इसलिये हम आज कोशिश भी करें तो कल के नतीजे से अपने को बिल्कुल बचा नहीं सकते और न आने वाले कल को आज की कार्रवाइयों के नतीजे से बचा सकते हैं। मगर इसके साथ ही यह भी ज़रूर है कि आदमी अपनी कोशिश और हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से इतिहास के रुख को भी बदल देता है और इस तरह के उदाहरण भी बहुत मिलेंगे जहाँ किसी एक आदमी ने इतिहास के

रुख को बदला है, ठीक उसी तरह बदला है जिस तरह बहती हुई धारा के सामने चट्टान को रुकावट पड जाने से धारा दूसरी ओर रुख करके बहने लग जाती है ।

हम भारत के रहने वाले हजारों वर्षों की तारीख के पुतले हैं और आज हमको यह बात मानकर आगे चलना है कि जो कुछ भी हम देश में पाते हैं, जो लोग भी यहां बसते हैं सब यहा के हैं और सब को यहा ही फलना फलना है और यहा ही दफन होना है । अक्लमदी और होशमन्दी इसी में है कि हरेक दूसरे को इस पनपने, फूलने फलने में मदद करे जिससे यह एक सुन्दर बाग बन जाये । हजारों वर्षों का हमारा इतिहास अगर किसी एक बात को सिखाता है तो वह यही है कि हम एक दूसरे के साथ अगर मेल मोहब्बत और रवादारी का बर्ताव रखना चाहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं और अगर इसके बरक्स आपस में लडना झगडना, एक दूसरे पर वेग्तवारी और वेग्तमादी का काम करना और एक दूसरे के साथ बेजा दखल और दस्तनदाजी करना शुरू कर देंगे तो वह किमी के लिये अच्छा नहीं होगा और नतीजा यह होगा कि सब को उसके बुरे फल भुगतने पडेगे । ऐसा होना एक कुदरती बात है क्योंकि जहा हजारो वर्षों से न मालूम कितने तरह के इन्सान आये और बस गये, कितने प्रकार के विचार और धर्म फैले और लोगों में घर कर गये, जहा बबत पाकर बहुतेरी जवाने और भापायें पैदा हो गयी और फैल गयी, जहा भिन्न भिन्न धर्म, मोखतलिफ मजहब लोगों में जारी हो गये वहा अगर यह आपस की रवादारी और मेल जोल न हो तो वहा आदमी की जिन्दगी मुश्किल हो जाये । हम में चाहे जितनी भी शिकायत और ऐब हो, हमने इतना तो समझ लिया है कि जब तक हम रवादारी से काम नहीं लेगे तब तक हमारी जिन्दगी मुश्किल हो जायेगी । हिन्दुओं के जमाने से लेकर जब केवल वे ही इस मुल्क में रहने थे—अगर ऐसा कोई बबत गुजरा हो—आज तक हमारी सारी तारीख इस चीज की गवाही है । हम में कुछ ऐसी ताकत कुदरत ने दी है कि हम विरोधी (मोतनाजा) चीजों के नोक शोक चिकना करके उनको एक में इस तरह जोड़ और पिरो लेते हैं कि हरेक अलग अलग रह करके एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाती है कि सब मिल जुल कर एक अच्छी खुशनुमा चीज तैयार कर देती है । आज कोई भी भारतवासी चाहे उसका कोई भी धर्म या भाषा या कौम या जाति हो, यह नहीं कह सकता कि भारत केवल उसकी ही चीज है क्योंकि इस भारत के बनाने में इमने वैसा ही हिस्सा लिया है जिस तरह बहुतेरे दूसरों ने लिया है और सब की मिली जुली कोशिश का नतीजा ही आज का भारत है । हमारी सस्कृति सब की मिली जुली कोशिश का ही फल है और इसके किसी भी पहलू पर आप गौर करके देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें किसकी कितनी देन है । अक्सर हम सुनते हैं और लोग कहते हैं कि भारत में उत्तर और दखिन में बहुत फर्क है । वह सही है मगर इस फर्क के बावजूद उत्तर और दखिन दोनों एक दूसरे के बराबर ऋणी और कर्जदार हैं और उत्तर ने दखिन को बहुत कुछ दिया है और दखिन ने उत्तर को बहुत कुछ दिया है । उसी तरह हिन्दुओं ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है तो मुसलमानों ने हिन्दुओं को भी बहुत कुछ दिया है । सस्कृति के किसी भी पहलू को आप लें, चाहे भाषा को आप ले लें, चाहे गान विद्या को आप ले लें चाहे आप चित्रकला (मसौरी) को ले लें हरेक को आप पायेंगे कि वह सब का ऋणी है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे से किसी भी बात में अच्छी रह गयी हो ।

इसके साथ साथ हमको यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी एक दूसरी बड़ी खूबी यह रही है कि जहां हमने सब को मिलाया और एक किया वहा हमने किसी को बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं किया बल्कि हरेक को कायम रखते हुए और कायम रहते हुये एक दूसरे से बहुत कुछ लेने देने और सीखने सिखाने का प्रयत्न किया। यही वजह है कि यहा कितने ही धर्म के लोग बसते हैं और वे एक दूसरे पर असर डालते हैं पर कोई किसी को नेस्त नाबूद नहीं करता। मैं कह सकता हूं कि हमारी तारीख की यह सब से बड़ी और नुमाया चीज है कि हमने सब को मिला कर बनाने की ही कोशिश की है और किसी को बिल्कुल मिटा देने की कोशिश नहीं की है। जब हज़ारों वर्षों और करोड़ो इन्सानो की कोशिश की तारीख पर हम एक सरसरी नजर डालते हैं तो यह नतीजा निकलता है और यह नतीजा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बावजूद इसके कि कभी कभी हमें इस तरह की बातें भी देखने में आयीं कि जो उसके खिलाफ मालूम हो। ऐसा होना एक तरह से लाजिमी है। मगर बावजूद इन अपवादो (मुमतसनाओं) के जो कुछ घने न कहा है वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है।

इसलिये जब आज हम आजाद हुए हैं और अपनी किस्मत के फैसले का अख्तियार हमारे अपने हाथो मे आ गया है तो हमको यह तारीखी सबक समझ लेना है और अपने को ऐसे ढांचे में ढालना है कि जिसमे हम अपना और दूसरों का भला कर सकें। जब हमारा सविधान बना तो उस तारीख का ही तकाजा था कि हम उसमें माफ तौर से मंजूर कर ले और सब को इस बात का पुग २ यकीन दिला दे कि इस मुल्क मे जो लोग बसते हैं उनमे से हरेक को पूरी आजादी होनी चाहिये और वह आजादी सिर्फ इसलिये नहीं कि वे अपने धर्म और मजहब की पाबन्दी कर सकें बल्कि इसलिये भी कि वे अपने खयाल और अपने विचारों को पूरी तरह से जाहिर कर सकें और हरेक बिला लिहाज कि वह किस धर्म का मानने वाला है, मर्द या औरत है, कहे जाने वाले किमी ऊचे तबके या नीचे तबके का है, उसको अपनी तरक्की और उन्नति करने के लिये पूरा मौका मिलना चाहिये। इसी वुनियाद पर हमारा सारा सविधान बना है जिममे हमने इन्सान की आपस की बगवरी, अच्छा बर्ताव, मदभाव और एक दूसरे पर ऐतबार की वुनियाद पर मुल्क का और मुल्क के जरिये सारी दुनिया के सभी लोगो के दर्म्यान मे अभन और मुल्ह कायम रखने और तरक्की देने का मनसूवा रखा है। इन्सान की जिन्दगी और तरक्की के लिये उसकी माली हालत को सुधारने की उतनी ही जरूरत है जितनी और किमी चीज की और इसलिये हमने सबको अपनी माली हालत सुधारने का मौका देना और जो किसी वजह से पिछड़े हुए हैं उनके लिये खास सुभीता और रियायत मुहय्या करने की बात सोच रखी है। इसलिये जितना विधान हमको मौका दे सकता है हमने इस बात की कोशिश की है कि इस मुल्क के रहने वाले सभी लोग मुव और चैन से रहे और तरक्की करे और किसी के साथ किसी किस्म की बेजा दस्तनदाजी या मदाखलत न की जाये। यह सब करने मे हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बिल्कुल हमारे लिये नया या अनजान हो बल्कि जैसा मे ने अर्ज किया यह हमारी सारी तारीख का एक सुन्दर फल है जिस को इसने हज़ारो वर्षों मे तैयार किया है और जिसका रस हमारे खून के कतरे कतरे में भरने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आप मे से हरेक इस चीज पर गौर करे और यह समझ ले कि जब हम यह कहते हैं कि भारत मे हमने प्रजातन्त्र (जम्हूरियत) कायम किया है तो हमने सच-मुच इस बात को मान लिया है, तसलीम कर लिया है कि यहां हरेक पूरा आजाद है और रहेगा

और हरेक को यहां की हुकूमत में पूरा हक और हिस्सा रहेगा। एक तरफ विधान यहां के सभी शहरियों और बाशिनदों को यह इतमीनान और यक्रीन दिलाता है कि उसकी आजादी और उसके सभी हक हर तरह से सुरक्षित और महफूज रहेंगे तो दूसरी तरफ वह हर शहरी से इस बात की उम्मीद रखता है कि वह अपना फर्ज मुल्क और मुल्क की सलतनत की तरफ और मुल्क के सभी दूसरे बाशिनदों की तरफ हमेशा अदा किया करेगा। मुल्क और सलतनत के साथ उसका फर्ज वफादारी का है और यहां के दूसरे बाशिनदों की तरफ उसका फर्ज मेल मुहब्बत के बर्ताव और रवादारी का है। अगर हमारे देश के लोग अपने हक और फर्ज दोनों को समझ ले तो फिर यहा सभी चैन की नीद सो सकते हैं और मुल्ककी तरक्की करते हुए वे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अच्छी तालीम पायी है और जो इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं उन पर यह फर्ज आयद होता है कि वह इन चीजों को दूसरों को अच्छी तरह से समझाये और उनको अपना फर्ज अदा करने के लिये तैयार करे।

आज जिस यूनीवर्सिटी में आपने मुझे दावत देकर बुलाया है उसकी तारीख भी कम से कम ७५ वर्षों की है। सर सैयद अहमद खां की दूरबीनी और मुल्क की मोहब्बत का ही यह नतीजा था कि पहली जुन १८७५ ई० को यहा पर पहले पहल स्कूल कायम हुआ जो पीछे चल कर कालेज हुआ और १९२१ में जिसने यूनीवर्सिटी का दर्जा हासिल किया। इस दौरान में यह एक तालीम का बहुत बड़ा केन्द्र (मरकज) बनी रही और इसने मुल्क में और मुल्क के बाहर भी नाम हासिल किया। हिन्दुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की तारीख बनाने में इसने अपने दौरान में काफी हिस्सा लिया। आज भी जब इस मुल्क के अन्दर हम चाहते हैं कि सभी मुल्क के शहरी बनकर एक दूसरे के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात रखते हुये अपनी तरक्की करे यह बहुत कुछ कर सकती है। यही सोचकर हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने हाल ही में एक नया क़ानून बनाया है जिस से उम्मीद की जाती है कि इसका मक़सद हासिल करने में और इससे जो उम्मीद रखी जाती है उनको पूरी करने में काफी मदद मिलेगी। यह सभी यूनीवर्सिटियों का एक खास काम है कि वे रोशनी का मरकज बन जायं और वहां से अच्छे खयाल चारों तरफ फैलें और वहां साहित्य (अदब) सायन्स और जितनी दूसरी इल्मी चीजे हो सकती हैं सब के जरिये तालीम ही नहीं दी जाये बल्कि सब में तरक्की करने का मौका वहां के लोगों को मिले। हमारी यूनीवर्सिटियां इस तरह का काम कर रही हैं और अब उम्मीद की जाती है कि और भी तेजी के साथ उनका काम आगे बढ़ेगा। मैं इस यूनीवर्सिटी से भी यही उम्मीद रखता हूं कि यह एक ऐसा केन्द्र हो जहां लोगों को सब प्रकार की विद्या सीखने का मौका हो और सब में तरक्की की जाये। मैं जानता हूं कि आपके वायस चान्सलर और इस यूनीवर्सिटी के दूसरे अफसरान इसको हर तरह से तरक्की देने में बहुत लग हुये हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से भी जहां तक इसकी मदद की जा सकती है गवर्नमेंट मदद करने के लिये तैयार है। गवर्नमेंट इसकी ग्रांट की मिक्दार भी बढ़ाने के सवाल पर विचार कर रही है और उसने कुछ नये डिपार्टमेंट खोलने के लिये खास ग्रांट भी दी है। इसके इन्तज़ाम को और भी अच्छा करने के लिये पार्लियामेंट ने हाल में ही, जैसा मैं ने ऊपर कहा है, एक क़ानून भी पास किया है। गवर्नमेंट इस यूनीवर्सिटी को देश की अच्छी बड़ी निधि समझती है और वह बराबर ही इसकी हर तरह से मदद करती रहेगी। पर गवर्नमेंट के सहारे ही कोई तालीमी संस्था न तो पूरी तरक्की

कर सकती है और न देशवासियों का प्यार पा सकती है। वैसा दर्जा हासिल करने के लिये यूनी-वर्सिटी को देश की इक्तमादी और तमद्दनी जिन्दगी का कारगर अंग बन जाना चाहिये।

भारत की तमद्दनी जिन्दगी का अंग बनने के लिये इस यूनीवर्सिटी को और दूसरी यूनी-वर्सिटियों को भी मुलहेकुल के उसूल की रोशनी फैलाने वाला ऐसा मरकज बन जाना चाहिये जिसकी जीती जागती किरण देश के हर कोने में और जनता के हर तबके में फैल कर हर तरह के फिरकेदाराना खयाल को और झगड़ों को जलाकर भस्म कर दें। मेरा खयाल है कि इस उसूल के मुआफिक जह्नियत बनाने के लिये ज़रूरी है कि हर यूनीवर्सिटी में हमारे बाहरी फर्कों की बजाय हमारी जिन्दगी की बुनियादी एकताओं की ओर लोगो का ध्यान खास तौर से दिलाया जाये। यह तवारीखी सच्चाई है कि बाहरी तौर पर बहुत से फर्क होने के बावजूद तह में भारत के हर सूबे के रहनेवाले और हर मजहब के मानने वाले एक हैं। मेरा अपना खयाल है कि आपसी मतभेद बहुत कुछ इस वजह से भी है कि भाषा के फर्क के कारण, हम एक ही बात को अलग अलग नामों से सुनते हैं। अगर हम इस बात का इत्तजाम करे कि अपनी तहजीब की बुनियादी बातों को अपने देश की हर जवान में उसी के लफ्जों में रखे तो मुमकिन है कि यह खाई कुछ हद तक पट जाये। मसलन जिसे सम्कृत में परमात्मा कहते हैं उसी को फारसी जवान में ख्दा कहा जाता है और अरबी में अल्लाह, पर अल्लाह शब्द मुनकर परमात्मा की पूजा करने वाले को यह नहीं लगता कि उसी के भगवान का दूसरा नाम लिया जा रहा है और न अल्लाह की इबादत करने वाले को परमात्मा लफ्ज उसी के मालिक का दूसरा नाम लगता है। कबीर, जायमी और रहीम जैसे गायगे ने जवान के फर्क से पैदा होने वाली इस दिमागी ग्वाई को दूर करने की कोशिश की थी। मैं समझता हू कि अब वक़्त आ गया है कि दूसरी भाषाओं के लफ्जों को सुनते ही भड़क जाने की आदत हमारे लोग छोड़ दे और उन लफ्जों के पीछे जो खयाल होने हैं उनको समझने की कोशिश करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लफ्जों के फेर से जिन बातों को हम आपस में एक दूसरे की विरोधी समझे बैठे थे वे दर अमल एक ही माने वाली हैं।

कम से कम इनकी बात तो हम सब को करनी ही है कि हम इस मुल्क के अदब (साहित्य) को, चाहे वह किसी भाषा में क्यों न हो हर भाषा में हर तबके के लोगों के लिये मुहय्या करे ताकि हमारे देश के सब लोगों को एक दूसरे के खयालों, आदर्शों और अग्रमानों का कुछ पता चले और वे एक दूसरे के दिल और दिमाग को ठीक तरह से समझ सकें। अब तक अगर हमारे यहा कुछ तबकों में एक दूसरे के बारे में शबह्हा बना हुआ है तो उसकी वजह कुछ हद तक यह है कि वे एक दूसरे के अदब और खयालात की ओर कान में रुई दिये बैठे हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे की बात को हमदर्दी से सुना होता और उन पर गौर किया होता तो शबह्हा बहुत दूर हो गया होता। मेरा खयाल है कि शबह्हा दूर करने और मुश्किल तबकों को एक दूसरे के नजदीक लाने में यह यूनीवर्सिटी अच्छा खासा काम कर सकती है। हमारी मौजूदा तहजीब बहुरंगी है। उस में अनेक क़ौमों और युगों की देन बुनी हुई है। उसका ठीक ठीक नक्शा उतारने के लिये अनेक तरह के उलेमा और कारीगरों की ज़रूरत है। इस नक्शे के बनाने में और कम से कम इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने भारत की तहजीब में क्या पाठ अदा किया और यहां की जनता की क्या खिदमत की है इस बारे में तो यह यूनीवर्सिटी ज़रूर नुमायां काम कर सकती है।



इसके अलावा आजकल की ज़रूरतों को पूरा करने में भी इसे हिस्सा बंटाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि गान्धी मेमोरियल हास्पिटल के साथ यह यूनिवर्सिटी यहां पर आंखों के इलाज का कालेज खोल रही है। हमारे देश में आंखों की शिकायत बहुत लोगों को रहती है और इसलिये इस तरह के कालेजों की हमारे यहां काफ़ी ज़रूरत है और यह कालेज उम ज़रूरत को पूरी करेगा।

मुझे इस बात की उम्मीद है कि इस यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी, प्रोफेसर साहबान और मुन-जिम अपने तवारीखी फर्ज को समझते हैं और उनको पूरा करने में कोशां हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी इस लगन के नतीजे के तौर पर इस यूनीवर्सिटी का भविष्य (मुस्तकबिल) इसके पिछले दिनों से भी कहीं ज्यादा शानदार होगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगो ने मुझे इन होनहार नौजवानो से अपनी बात कहने का यह मौका दिया। आपने यूनी-वर्सिटी की एजाजी डिग्री देकर मेरी इज्जत बढ़ाई इस के लिये भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

### अलीगढ़ यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन

तारीख ८-१२-५१ को अलीगढ़ युनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में राष्ट्रपति जी ने कहा--

अलीगढ़ यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेमीडेट, तथा दूसरे तालबे इल्म,

आपका मैं पहले इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनको मोहब्बत और प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में इस तरह के यूनियन की एक खास जगह है और खास करके इस यूनीवर्सिटी में जिसने इतना काम किया है और जिसने, जैसा आपने कहा, सिर्फ तालीम का ही काम न करके हमारी तहजीब और तमद्दुन में भी इतना हिस्सा लिया है ऐसी यूनियन का होना निहायत ज़रूरी है और लाज़िमी है। मुझे यह बताया गया है कि यह यूनियन किस तरह काम करता रहा है और आज भी कर रहा है।

आपने यूनीवर्सिटी की ज़रूरतों को और यूनियन की ज़रूरतों को बहुत तरह से मेरे सामने रखा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम सब को यह समझ लेना है कि अब कोई यह नहीं कह सकता है कि गवर्नमेंट उसकी नहीं है और गवर्नमेंट उससे अलग कोई चीज है। आप जब मुझ से कहते हैं कि गवर्नमेंट में यह करा दीजिये वह क्या दीजिये तो मैं आपसे कहूंगा कि आपही करा लीजिये क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि अब गवर्नमेंट आपकी है और आप जिस तरह से काम चलाता चाहते हैं, जो काम उससे लेना चाहते हैं उसको आप उससे ले सकते हैं, करा सकते हैं। अगर सच्ची जम्हूरियत हमारे मुल्क के अन्दर कायम है तो यह हरेक आदमी समझे कि उसको क्या करना है और कैसे चलना है। हमारे संविधान के जो उसूल हैं उनसे हरेक आदमी को यह हक है कि लोग मिलजुल कर अच्छे से अच्छे आदमी को अपना नुमाइन्दा बनायें जो मुल्क की फायदे की बात सोचे और जिम पर लोगों का भरोसा हो। लोग जैसा चाहेंगे वही ज़रूर करेंगे। मगर नुमाइन्दे बेहतरनीन आदमी चुने जाने चाहिये। बेहतरनीन आदमी वही समझे जायेंगे जिनके दिल में यह खयाल होगा कि वे किसी एक खास गिरोह के, किसी खास सूबे के,

किसी खास तबके के नहीं हैं बल्कि मुल्क के सब सूबों के, सब हिस्सों के नुमाइन्दे हैं। जो सब के फायदे को अपना समझते हैं वे ही मुल्क के बेहतरीन आदमी हैं। अब जो कुछ हमारे मुल्क का काम बिगड़ेगा या बनेगा वह हमारे आदमियों से ही बिगड़ेगा या बनेगा। तो इसमें जितने यूनानी-वर्गिस्टों के लोग हैं उनको खास करके मदद देने की जरूरत है जिसमें अच्छे से अच्छे आदमी आयें और वे अच्छे में अच्छे काम करें।

मैं मानता हूँ कि देश में जितनी तालीम चाहिये उतनी आज नहीं हो रही है। मगर जब सब लोगों की ख्वाहिश होगी तबो यह चीज हो सकेगी। हमारे यहां के युवकों को समझ लेना चाहिये कि किसी खास मकसद को कैसे पूरा किया जाता है। अब उनका वक्त आ रहा है। जो पहले की पीढ़ी के हम लोग थे, हम लोगों का वक्त करीब करीब खतम हो चुका है और हम लोगों के चलने का वक्त आया है। अब आपके हाथ में सारी बागडोर आने वाली है। आप अपनी जवाबदेही को समझे और उसको पूरी करें। अब तो लोगों को अपने मन के अरमानों को पूरा करने की पूरी भूल्लियत है। जम्हूरियत की सब से बड़ी निशानी यही होती है कि जो नुमाइन्दे होते हैं वे लोगों के नुमाइन्दे होते हैं। अगर लोगों के नुमाइन्दे अच्छे होंगे तो जम्हूरियत अच्छी होगी। अगर मुल्क के लोग अच्छे हों तो नुमाइन्दे अच्छे होते हैं। अगर नुमाइन्दे बुरे होते हैं तो मुल्क के लोग अच्छे नहीं कहे जा सकते। मैं तो यही कहूंगा कि हम में से हरेक को यह सोचना चाहिये कि हरेक आदमी को हम ऐसा सुधारें और बनायें कि वह अच्छे से अच्छा आदमी हो सके और मच्छी खिदमत करने के लिये तैयार हो और जो अपने को हमेशा कुर्बान करने के लिये तैयार हो और दूसरों की खिदमत के लिये तैयार रहे। अगर इस तरह के लोग मुल्क में हो जायेंगे तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं रह जायेगी, कोई मुसीबत नहीं रह जायेगी। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही है और आज से नहीं, बहुत ज़माने से रही है कि हम एक दूसरे पर अविश्वास करते रहे, दूसरों की चीजों को हड़पने की कोशिश करते रहे और अपने छोटे स्वार्थ के लिये मुल्क के या और लोगों के बड़े बड़े कामों को ताचीज समझते रहे। यही वजह है कि हमें दूसरों की गुलामी करनी पड़ी। इंग्लैण्ड की हिस्ट्री आप जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेज यहा आये, यहा उन्होंने अपनी सलतनत कायम की ओर कितने दिनों तक शान से उन्होंने यहां राज्य किया। इन दोनों तवारीखों का मुकाबला कर के हम फर्क देख सकते हैं। आपको ऐसा कोई अंग्रेज नहीं मिलेगा जो गवर्नर जनरल की हैसियत से आया हो और इंग्लैण्ड के हित को छोड़ कर अपने लिये राज्य कायम करने की कोशिश की हो। लेकिन हमारा इतिहास यही है कि कहीं किसी को किमी सूबे में भेजा गया और उमने अपना म्रतन्त्र राज्य वहां कायम कर लिया। यह कभी इस मुल्क की तारीख में हम देखते हैं पर अब जरूरत हम चीज की है कि मुल्क के हित को सब में ऊपर रखें।

आज दुनिया छोटी हो गयी है। इसलिये आज कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं। आप आज बात की बात में कहीं जा सकते हैं, कहीं की खबर ले सकते हैं। ऐसी हालत में यदि छोटे छोटे राज्य कहीं कायम भी किये जायें तो खिंदा नहीं रह सकते। अब तो सारे मुल्क को हम एक बनाये रख सकें तभी उसके लिये हम दुनिया में कोई जगह बना सकते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े को लेकर हम कोशिश करेंगे तो हम नीचे चले जायेंगे। इस लिये हम में से हरेक को यह इरादा कर

लेना चाहिये और पक्का इरादा करना चाहिये कि वह सब लोगों के साथ मिल कर इस लगन से मुल्क की तरक्की में लग जायेगा कि दुनिया के सामने वह कह सके कि हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है ।

इस यूनीवर्सिटी ने जो नुमायां काम किया है मुझे उम्मीद है कि यह उससे बढ़कर आगे नुमायां काम करेगी । आप लोग जो इस यूनियन में काम करते हैं इस मकसद को अपने सामने रख कर काम करे । अपने जी में कोई शक व शुबह न रखें । जब तक आप खुद ही अपने हक को छोड़ देने के लिये तैयार न हों तब तक आपका हक कोई न छीन सकेगा । अगर आप अपने हक पर कायम रहेंगे और अपने हक को नहीं छोड़ेंगे और दूसरों के हक को आप नहीं लेना चाहेंगे तो आपका भी हक कोई न छीन सकेगा । यह जरूरी है कि हम से हरेक आदमी अपना हक समझे और अपना फर्ज भी समझे क्यों कि बिना फर्ज के हक नहीं होता । मैं तो चाहता हूं कि आप इस बात को समझे और अपना काम करते जायें । आप ने जो दावा किया उसके बारे में मुझे यही कहना है कि गवर्नर साहब तो यहां मौजूद नहीं है । अगर वह रहते तो उनके सामने दावा पेश करना अच्छा रहता । गवर्नमेंट आफ इण्डिया की ओर से मैं दतना ही कह सकता हू कि उनके सामने हमेशा यह खयाल रहता है और जहां तक हो सकता है वह उसे पूरा करने की कोशिश करती है । उसकी मजबूरी हो सकती है, कीताही नहीं हो सकती । मजबूरी को भी आपको देखना चाहिये और सोचना चाहिये । इन चीजों के बावजूद जो कुछ हो सकता है किया जाता है ।

अभी आपने अपने यूनियन का मेम्बर होने के लिये मुझ से कत्ता । इसे मैं खुशी के साथ मजूर करता हू ।

### अलीगढ़ में नागरिक अभिनन्दन

तारीख ८ १२-५१ को अलीगढ़ म्यूनिमिपैलिटी तथा दूसरी मस्थाओं के अभिनन्दन पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति ने कहा—

महामहिम राज्यपाल महोदय, बहनो और भाइयो,

मेहरबानी करके आप सब शान्त हो जायें जिससे जो दो चार लफ्ज मुझे कहने हैं वे आप सुन सकें ! बड़े प्रेम और जोश के साथ मेरा यहां स्वागत किया गया है । जबसे यूनीवर्सिटी के काम के सिलसिले में मैं आपके इस शहर में पहुंचा हू तब से हर तरह से मोहब्बत और प्रेम मुझे मिलता रहा है । आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद में इस सभा में आये हैं और जिस तरह से आपने जोश दिखाया है वह एक तरह से तो बहुत अच्छी चीज है । मगर साथ ही जोश को काबू में रखना जरूरी है । अभी आपके यहां रेलवे लाइन बगल में ही है । आप जानते हैं कि रेल का इंजिन एक छोटी सी चीज होता है पर चूक वह अपने अन्दर भाप को काबू में रख सकता है इसीलिये इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींच कर ले जाता है । अगर वह अपनी भाप निकल जाने दे तो वह कोई काम नहीं कर सकता । आपको भी अपने जोश को काबू में रख कर के काम लेना चाहिये । इस जोश में ऐसी कई बातें हैं जिनसे हमें उम्मीद बंधती है । पर अक्सर हमारा जोश ऐसा होता है जो बर्बाद हो जाता है और उससे हम पूरा काम नहीं ले सकते । मैं यह जानता हूं कि आजकल आपका

जोश पहले से कम नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके दिलों के अन्दर जोश है मगर उसे काबू में करना चाहिये। सिर्फ दो चार मिनट पहले आपने उसे काबू में नहीं किया था। उस वक्त धक्कम धक्का के अलावा और कुछ नहीं सुना जाता था और इस वक्त आप शान्ति से बैठे हैं और जो कुछ मुझे कहना है उसे सुन सकते हैं और चाहे तो उस पर अमल भी कर सकते हैं।

आपका यह ज़िला बहुत ही उपजाऊ ज़िला है। यहां पर आबपाशी का इन्तज़ाम अच्छा है और खेती भी अच्छी तरह से चलती है। यह जगह आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से, ऐसे वक्त से जिसका पूरा पूरा इतिहास भी नहीं मालूम है अच्छी समझी जाती रही है। आज भी अलीगढ़ का मक्खन दूर दूर तक जाता है। एक समय था जब अलीगढ़ की गाय हिन्दुस्तान में मशहूर हुआ करती थी। तो यह बात कोई छोटी बात नहीं है। जैसी आपको ज़मीन मिली है और जैसा अपने वजुर्गों से हुनर आपको मिला है वह कुछ मामूली नहीं है। उसको आप और भी उन्नत करे, और भी बढ़ायें। सिर्फ खेती के मामले में ही नहीं, कारीगरी के मामले में भी आपकी जगह मशहूर थी। आजकल जिस तरह से और सब चीजों में होता है उसी तरह से खाने की चीजों में भी लोग फेंट दिया करते हैं। आटे में भी चावल में भी लोग फेंटते हैं, घी का और तेल का तो कुछ कहना ही नहीं। अगर खेती में भी कुछ फेंट दिया जाये तो ताज़्जुब की कोई बात नहीं। यहां पास में ही जो प्रदर्शनी है उस में दिखलाया गया है कि किस तरह से कोआपरेटिव सोमायटी के जरिये से कानून को ऐसा मुधारा जा रहा है कि कोई खराब चीज ग्राहक के पास नहीं जा सके। अगर यह इतज़ाम हो गया तो चीजों का ऐसा मुधार हो सकता है कि किसी को कोई शक ही नहीं रह जाये कि चीजों में कोई चीज फेंट कर बेची जा रही है जैसा आज कल आम तौर से किया जाता है। यह मुधार सब के लिये जरूरी है। किसी भी देश की तरक्की के लिये वहां के लोगो का चरित्र दुस्त होना जरूरी है। यहां पर मैं सिर्फ अलीगढ़ की ही बात नहीं कह रहा हूँ; यह सारे हिन्दुस्तान की बात है। लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं और कहते हैं और उन की तरफ से शिकायत सुनने में आती है। मैं लोगो से कहना हूँ कि यह तो बेजा बात है। लेकिन यह भी हमें सोचना है कि अगर शिकायत करते हैं तो हम किम की करते हैं। अगर हम में से कोई भाई गलती करते हैं और और उस की हम शिकायत करते हैं तो हम को यह भी शौर करना चाहिये कि क्या उस में ही हमारा भी कुछ हिस्सा नहीं है। चोर बाज़ारी की शिकायत लोग करते हैं। मैं आप से पूछता हूँ कि चोर बाज़ारी कौन करते हैं। क्या एक आदमी के किये वह हो सकती है? क्या बेचने वाला ही कमूरमन्द है और दूसरे सब अच्छे ही अच्छे हैं? मेरा अपना खयाल है कि जो लोग गल्ला पैदा करते हैं और ज़रूरत से ज्यादा अपने पास रख लेते हैं और उस को बाज़ार में बेच कर खाने वालों को नहीं पहुँचाते हैं वे भी चोरबाज़ारी के गुनाहगार हैं। वह व्यापारी और बानिया जो अनाज खरीद कर इस खयाल में अनाज अपने पास रखता है कि बुरे दिन आने पर उसे बेच कर वह ज्यादा नफ़ा कर सके वह भी चोरबाज़ारी करता है। जो लोग खरीद कर खाते हैं और छटाक जो राशन में अन्न मिलता है उस से ही सतुष्ट न हो कर और बाज़ार से खरीदते हैं वे भी मेरी समझ में चोरबाज़ारी के कमूरवार हैं। इस लिये मेरा आप से यह कहना है कि अगर आप इन सब चीजों को दुस्त करना चाहते हैं तो आप को सोचना होगा कि कितनी बुराइया हम देखते हैं उन में हमारा भी कुछ न कुछ हिस्सा है या नहीं। दूसरों को नसीहत देने के बजाय, सिबाब

के बजाय अगर हम अपने को दुस्त कर लें तो हम इस काम में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर लेंगे और अगर इसी तरह से सभी लोग अपने को दुस्त कर लें तो कोई बुरा ही नहीं रहेगा। पर आज कल जो कुछ होता है उस का दोष हम दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं क्यों कि ऐसा करना बड़ी आसान बात है। बुराई में हमारा हिस्सा क्या है इस पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन होना यह चाहिये कि हम दूसरों की तरफ न जा कर अपनी तरफ ध्यान दें क्यों कि अपनी तरफ ध्यान देना ज़्यादा आसान है। हम अपनी ग़लती को जितना समझ सकते हैं उतना दूसरे नहीं समझ सकते या दूसरे की ग़लती को हम नहीं समझ सकते। उसी तरह से आप अपनी अपनी ग़लती को जानना चाहे तो जितना आप जान सकते हैं उतना दूसरे नहीं। दूसरों की ग़लती को समझने की कोशिश करने में हो सकता है कि हम ग़लती करें। लेकिन अपने बारे में ग़लती नहीं हो सकती है। इस लिये सब से आसान काम है अपने को दुस्त करना और सब से मुश्किल काम है दूसरों की ग़लती को समझना। लेकिन हम आसान काम पर ध्यान नहीं देते और मुश्किल काम में लग जाते हैं। सचाई को समझना ज़रूरी है।

अभी तीन ही वर्ष पहले हमारे हाथ में अपने मुल्क की किस्मत का फैसला करने का अधिकार आया और अभी दो वर्ष पूरे भी नहीं हुए हैं जब हम स्वतन्त्र हो कर अपना एक प्रजातन्त्र कायम कर पाये हैं। उन चन्द वर्षों में देश में तरह तरह की मुसीबतें आयीं। उन को हम ने बर्दाश्त किया। उन को सम्भाला पर अब तक भी उन में पूरा छुटकारा हम को नहीं मिला है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं नौजवान लोग हैं। गुलामी के समय में जो लोगों की हालत थी उन को उन्हें ने पूरी तरह से अपनी आँवों से नहीं देखा है। शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा हो। आज के भारत की जो हालत है उसे पहले की हालत से मुकाबला कर के देखे और सोचे तो आप को फर्क मालूम पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तानियों का राज है। यहाँ अब किसी एक आदमी का राज नहीं बल्कि इस हिन्दुस्तान के अन्दर जितने लोग बसते हैं चाहे उन का कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, वे किसी भी जाति के हों, किसी भी सूत्र के रहने वाले हो, सब का यह राज्य है। मैंने एक जगह पर और भी कहा था कि हमारे देश के अन्दर अब राजा प्रजा का फर्क नहीं रह गया है। अब या तो सब के सब राजा हैं या सब के सब प्रजा हैं। हमारे अपने देश की किस्मत का फैसला हमारे अपने हाथों में आ गया है और अगर हमारे लोग ठीक तरह से काम करें तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। अगर वे इस चीज़ को ठीक तरह से न समझेंगे और ग़लती करेंगे तो हो सकता है कि हम गिरे, अगर हम कमजोरी दिखलायेंगे तो हमारा भविष्य बुरा हो सकता है। मुझे आशा है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। जो मुसीबतें हैं उन को हम दूर कर सकेंगे, इस देश को फिर से ऊँचा उठा सकेंगे और दुनिया से कबूल करायेंगे कि भारत भी एक बड़ा, ऊँचा, सचरित्र और सुन्दर देश है। यह हम को कर के दिखलाना है। इस के लिये हर तरह की कोशिश चाहिये। इस में सब की मदद की ज़रूरत है। इस में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख कर बुद्धि लगा, समझ लगा कर अकलमन्दी से काम चलायें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो बहादुरी से देश की हिफ़ाज़त कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेहनत से धन पैदा कर सकते हैं और सब की लिये पैदा कर सकते

है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुल्क की खिदमत में अपना वक्त गुजार सकते हैं। हर तरह के आदमी की मुल्क को जरूरत है। जिस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वराज्य के लिये लड़ रहे थे, मैं मानता हूँ कि उस वक्त हम ने त्याग किया, मेहनत की, बहुत तरह की मुसीबतें झेली। मगर मैं यह भी मानता हूँ कि स्वराज्य हासिल करने के काम का तरीका हमारा कुछ और था। जो हमें काम करना है वह दूसरी तरह का काम है। मगर अभी भी देश को सभी लोगों की कुर्बानी की जरूरत है, वैसी कुर्बानी की जैसी कुर्बानी और त्याग लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई के समय दिखलाई थी। उस समय जो देश प्रेम की आग जला करती थी वह आज देखने में नहीं आती है। वह इस लिये कि हम आजाद हो गये हैं। ऐसा होना चाहिये कि इस आजादी को हम अच्छे से अच्छे काम में लायें, और इन के जरिये से ज़ादा से ज़्यादा हम अपने को और देश को उठावें। इस का नतीजा यह नहीं होना चाहिये कि लोग यह समझने लग जायें कि काम का वक्त खतम हुआ और आराम का वक्त आ गया है। जब तक भारत के अन्दर एक भी अन्तपढ़ आदमी है, जब तक एक भी आदमी को दोनों शाम खाने पीने को नहीं मिलता, जब तक एक भी आदमी के शरीर पर पूरा बन्ध नहीं है, जब तक एक भी आदमी दवा के बिना मरता है तब तक हमारा काम पूरा नहीं कहा जा सकता और उन काम को पूरा करना हम में से हर एक का काम है। इन लिये हम में से हर एक को इन कामों के लिये तैयार रहना चाहिये। अभी जो काम करना है वह पहले के काम से ज़ादा ज़रूरी और मुश्किल है। क्योंकि पहले कोई काम बिगड़ना था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हम इज्जाम रखते थे। अब हम वह नहीं कर सकते। अब हम में से कोई यह नहीं कह सकता कि कोई काम बिगड़ना है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर है। अब हम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक अपना फर्ज अदा करना है।

आपने यहाँ की जरूरतों को बतया और आपने जो कुछ कहा है उसकी भी बतया। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप ने यहाँ की सड़कों की तरक्की की है तथा और तरह में भी काम किये हैं। उन के लिये मैं आप को बधाई देना चाहता हूँ और आप से यह कहना चाहता कि आप यह नहीं समझें कि अब हम आजाद और गवर्नमेंट अपनी हैं इसलिए सब कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ देना चाहिये। गवर्नमेंट पर सब कुछ छोड़ देने में काम नहीं चलेगा। आप को तो अपने पैरों पर खड़ा होना है और काम करना है। हा गवर्नमेंट से मदद लेना चाह तो ले सकते हैं। आप अपना काम ठीक तरह से करेंगे तो गवर्नमेंट को आप की मदद करनी पड़ेगी। मुझे आशा है कि आप इन शहर की तरक्की में और मुल्क की तरक्की में हाथ बटायेगे। एक बार आप को और धन्यवाद।

### भारतीय कृषिक मांत्विकी सस्था का पंचम वार्षिक अधिवेशन

\*भारतीय कृषिक मांत्विकी सस्था के पंचम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर १२ दिसम्बर १९५१ को अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा—

मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि अपने उपयोगी अस्तित्व के पांच वर्ष इस सस्था ने पूरे कर लिये हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस के जन्म से ही मेरा इस संस्था के साथ सम्बन्ध रहा

है। अतः स्वभावतः ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कृषिक सांख्यिकी के अध्ययन की उन्नति करने में और उस की गवेषणा के कार्य को बढ़ाने में इसने बड़ी प्रगति की है। विशेषतः पिछले दो वर्षों में नमूने के तौर पर जांच पड़ताल करने की प्रशिक्षा की व्यवस्था करके आप की संस्था ने कृषिक आकड़ों के बेहतर बनाने के इस प्रभावी साधन के प्रयोग के सम्बन्ध में लोगो में दिलचस्पी पैदा कर दी है। अब तक आप की संस्था ने अपनी पत्रिका की तीन जिल्द प्रकाशित की हैं और इसने विदेशों में अच्छा नाम पाया है।

सही कृषिक आंकड़ों का एकत्रित करना मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि न केवल विकास की योजना बनाने के लिये वरन् पंच-वर्षीय योजना जिसे कि हमने अभी हाल में बनाया है और जिसे कि अगले वर्ष में हम काम में लाना चाहते हैं उसकी प्रगति का अनुमान लगाने के लिये इन आंकड़ो की बुनियादी आवश्यकता है। फसलो के क्षेत्र और पैदावार सम्बन्धी आंकड़ों को बेहतर बना कर अन्न की उत्पत्ति के बारे में विश्वासनीय अनुमान लगाने की आवश्यकता की ओर पिछले वर्ष में ने अपने भाषण में आप का ध्यान खींचा था। अतः यह जान कर मुझे संतोष हुआ कि फसल का अनुमान लगाने के लिये यत्र तत्र नमूने के तौर पर अन्दाज करने की जो रीति अब तक पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग के तौर पर काम में लाई जा रही थी वह अब सघ के लगभग सभी राज्यों में वार्षिक प्रक्रिया के रूप में अपना ली गई है और गेहूँ और चावल की पैदावार का अनुमान लगभग सारे सघ के लिये प्राप्य है। मुझे यह भी पता चला है कि फसल में लगी हुई भूमि के आंकड़ो को और अधिक सही बनाने और उन को और अधिक व्यापक क्षेत्र में इकट्ठा करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। मांटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिन प्रदेशों में प्रत्येक खेत की पूरी तरह नाप जोख के बाद क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने के लिये पटवारी हैं वहां पटवारी के काम की पूरी तरह से और वैज्ञानिक रीति में देख भाल कर के यह सुधार किया गया है। जहां कि इस काम का इन्तजाम नहीं है और जहां कि प्रति खेत का माप नहीं होता वहां उन परिणामों के आधार पर जो कि अब तक की गई जांच से निकले हैं इस प्रकार का कोई समुचित नमने का तरीका लागू करना और कम से कम अस्थायी रूप में तब तक के लिये लागू करना, जब तक कि जिन प्रदेशों में पहले से ही भूमापना चुकी है वहां पूर्ण आगणना के लिये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाती और जहां भूमापन अब तक नहीं हुई है वहां प्रति खेत की भूमाप नहीं हो जाती, सम्भाव्य प्रतीत होता है। मुझे बताया गया है कि उडोसा के कोणपुट जिले के चावल की खेता में लगी हुई भूमि का अनुमान इतिहास में संभवतः पहली बार पिछले वर्ष नमूने के तरीके से सफलता पूर्वक कर लिया गया है, हालांकि उम भाग का भूमाप बिल्कुल भी तो नहीं हुआ है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि ढोंगों की संख्या तथा मछलियों की पैदावार का अन्दाजा लगाने के लिये नमूने के तरीके से क्षेत्रकीय अनुसंधान किये गये हैं और उन का परिणाम बहुत आशाजनक निकला है और इस काम को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। वास्तव में यह बहुत संतोष की बात है कि कृषिक आंकड़ों को और अच्छा बनाने का जो काम अब तक किया गया है उसको और अच्छी तरह से संयोजित करने की बहुत ध्यापक पंच-वर्षीय योजना बना ली गई है और उस योजना को योजना आयोग ने भी अनुमोदित कर दिया है। इस कार्यक्रम के पूरा होने पर हमारी कृषिक पैदावार सम्बन्धी

आंकड़ों की बुनियाद सही हो जायेगी और मुझे आशा है सरकार इस कार्य को आवश्यक पूर्ववर्तिता प्रदान कर देगी ।

आंकड़ों को एकत्रित करने के कुछ एक दूसरे पहलू की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । प्रशिक्षित माहिरो के द्वारा किन्ही प्रकार के आंकड़ों के एकत्रित करने के लिये नये नये नमूने के तरीको के निकालने को मैं पसन्द करता हूँ । परन्तु तो भी मेरी यह भावना है कि पटवारी के कागजों में हमारे पास पहले से ही जानकारी का बड़ा भंडार भरा पड़ा है और अपने देश के बुनियादी कृषिक गठन के समझने के लिये हमने उस भण्डार का वैसा प्रयोग नहीं किया है जैसा हमें करना चाहिये । नमूने के नये नये तरीकों की खोज में और प्रशिक्षित माहिरो की आवश्यकता पर जोर देने में हम इस बात को भूल गये मालूम होते हैं कि पटवारी के विभिन्न वर्तमान प्रकारों के बारे में, किसान की जोत के क्षेत्र तथा वह भूमि किस काम के लिये प्रयोग की जा रही है उस के बारे में, जोत टुकड़ियों में कितनी बंट गई है उस के बारे में तथा कृषि सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये पटवारी के कागजों का कितना महत्व है ।

कृषि की बुनियादी आर्थिक इकाई किसान की जोत होती है । और जब तक कि हम अपने सारे कृषिक आंकड़ों का सम्बन्ध किसान की जोत से कायम नहीं कर लेते तब तक हम कृषि सुधार के लिये आवश्यक विकास योजना को ठीक ठीक नहीं बना सकते । एक जमाना था जब अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि भूमिधारी किसानों द्वारा छोटी जोत में सब से अच्छी पैदावार होती है । किन्तु आज मशीनी यन्त्र और तरीको के काम में लाने और उन की प्राप्यता के कारण लोग बड़े बड़े क्षेत्र वाली जोत को अच्छा समझने लगे हैं । किन्तु मैं यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकता कि क्या इस प्रकार के आंकड़े प्राप्य हैं और क्या कम से कम इस देश में प्राप्य हैं जिन से यह वैज्ञानिक परिणाम निकलता हो कि बड़ी जोतों में अवश्य ही फी एकड़ ध्यादा पैदावार होती है । हमें यह पता नहीं है कि कितनी ज़मीन खेतिहरे के पास है और कितनी ऐसे लोगों के पास है जो किसान नहीं हैं । हमें यह पता नहीं है कि स्वामिन्व के इस विभेद से दोनों प्रकारों की भूमि की पैदावार में क्या अन्तर पड़ गया है । विभिन्न क्षेत्रों की जोतों की पैदावार की अपेक्षाकृत शक्ति के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते । हमें यह भी पता नहीं है कि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होने से उस की पैदावार पर क्या असर पड़ता है । मुझे यह ज्ञात है कि इन समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिये कुछ ग्रामों का भ्रमण हुआ है किन्तु अभी सामग्री इतनी कम है कि उस के आधार पर समस्त देश के लिये अथवा संघ के किसी बड़े भाग के लिये किसी प्रकार का वैध निर्णय नहीं किया जा सकता । इस विषय की तो पर्याप्त जांच होनी चाहिये जिस से कि हम इस बारे में इधर या उधर कोई दृढ़ निर्णय कर सकें ।

किसान से पूछ ताछ कर इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल करना आसान काम नहीं है । वह तो पिछड़ा हुआ है और अशिक्षित है और अनेक बार तो वह उस उद्देश्य को समझ ही नहीं पाता जिस के लिये इस जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है । उसे इस बात का आश्वासन दिलाना पड़ता है कि यह जानकारी उसी की भलाई के



लिये इकट्ठी की जानी है और यह तभी इकट्ठी की जा सकती है जब यह उन लोगों द्वारा जाच पड़ताल करके की जाये जो किसानों में से ही इस के लिये शिक्षा दे कर तैयार किये गये हैं। यही कारण है कि पटवारी के कागजात में से जानकारी निकालने को मैं इतना महत्व देता हूँ। पिछले दिनों में पटवारी जैसे सरकारी नौकर के काम के प्रति अविश्वास के कुछ भी कारण क्यों न रहे हों वे कारण आजकल वर्तमान नहीं हैं। अब तो पटवारी जनता का नौकर है। वह तो गाँव का ही होता है और वहाँ उस की अच्छी स्थिति और सम्मान होता है और उसे वहाँ के लोगों की स्थिति और कठिनाइयों की पूरी जानकारी होती है। यह ठीक है कि वह साव्यक नहीं है और न वह नमूने की रीति के सिद्धान्तों का तथा आंकड़े इकट्ठे करने के वर्तमान तरीकों से ही परिचित है। विला प्रशिक्षा और दिग्दर्शन के प्रयोग के तौर पर फसल काट कर फी एकड़ की पैदावार का अन्दाजा लगाने के वैज्ञानिक तरीके भी वह काम में नहीं ला सकता है। किन्तु ऐसी बातों के बारे में जैसी कि पट्टेदारी जोत का क्षेत्र, जोत का टुकड़ों में बंटना और भूमि का उपयोग है उस की जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है। भूमाप किये हुए प्रदेशों में पटवारी व्यवस्था एक अभूतपूर्व व्यवस्था है जो अकबर के जमाने से या उस से पहले से भी हमारे यहाँ चली आ रही है। समय ने इस की उपयोगिता को सिद्ध किया है। मुझे इस बात में विशेष प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने जो अनेक जांचे कराईं उन से पता चला कि फसल में लगी हुई भूमि के क्षेत्र सम्बन्धी तथा भूमि के उपयोग सम्बन्धी अन्य बातों के बारे में जो जानकारी उस के कागजात में है वह लगभग सही ही है। यह सम्भव है कि अपने कागजों में इन्दराज के लिये और खास तौर से उन दिनों जब कि उस पर दूसरे कामों का बड़ा भार पड़ जाता है वह अपने क्षेत्राधिकार में के खेतों की जाच खुद न करे। किन्तु मैं यह बात मोचना भी नहीं चाहता हूँ कि वह और लोगों की अपेक्षा कम ईमानदार है और ऐसे लोगों के मुकाबले में जिन्हे आप उस की जगह पर काम करने के लिये रख सकते हैं, वह अपने काम के प्रति अधिक उपेक्षा का भाव रखता है। मानव स्वभाव तो सर्वत्र एक सा ही है और इस लिये उस के काम के महत्व के प्रति मन्देह पैदा करने के सब सकेतों को हमें विना पूरी तरह मोचे विचारों से स्वीकार न करना चाहिये। मेरे इस कथन का यह आशय नहीं है कि उस को अधिक प्रशिक्षा, उस के काम की अधिक देखभाल और उस की नौकरी की बेहतर शर्तों की जरूरत नहीं है। मुश्किल काम और दिलजोई से काम करने के लिये तो ये शर्तें मन के लिये एक सौ हैं। पटवारी का यह बड़ा गुण है कि वह हमारी माल्खिन्की व्यवस्था के लिये स्थानीय और पूर्णतया विकसित एजेन्सी का मुदृढ़ आधार हमें देता है। ऐसी कार्य व्यवस्था जो इस प्रकार की एजेन्सी द्वारा काम में नहीं लाई जाती हो और जिस के लिये वाहरी मदद की आवश्यकता पड़ती हो वह हमारे देश के कृषिक आकड़ों के सम्बन्ध में कुछ अधिक काम की न होगी। अतः मेरा यह दुःख विचार है कि हमारे कृषिक आंकड़ों के लिये प्रति खेत भू माप किये हुए प्रदेशों में पटवारी की व्यवस्था अभिन्न अंग के समान है। और मैं इस सम्मेलन के सामने यह प्रस्ताव रखता हूँ कि वह पटवारी के पास की जानकारी को इस प्रकार मुख्यस्थित करने की रीति और साधन निकाले जिस से कि देश के कृषिक आर्थिक गठन की सभी प्रमुख बातें प्रभावी रूप से स्पष्ट हो जायें।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रारम्भ की गई सन् १९५० की अखिल विश्व कृषिक आगणना के कार्यक्रम के प्रति सकेत करने के लिये ही मैंने यह बातें आप से कहाँ हैं । इस कार्यक्रम से यह अभिप्रेत था कि प्रत्येक सरकार कृषि सम्बन्धी और विशेषतया कृषिकजोत और उन की प्रमुख बातों अर्थात् उन के क्षेत्र, उन के पट्टीदारी के रूप, भूमि के प्रयोग, मजदूरों के और यान्त्रिक शक्ति से काम लेने के तरीके तथा खेती के द्वारा जीविका उपार्जन करने वाले लोगों की संख्या और लक्षणों के सम्बन्ध में सही और तुलनात्मक आकड़े इकट्ठे करे । मुझे स्मरण है कि जब मैं खाद्य और कृषि मंत्री था तो खाद्य और कृषि मंत्रालय से हमें यह कार्यक्रम मिला था । मुझे यह भी स्मरण है कि इस में यह योजना थी कि देश की हरेक जोत का निरीक्षण कर के उस के बारे में आकड़े इकट्ठे किये जायें । मुझे तब यह लगा था कि यह सब जानकारी इकट्ठी करने में हमें कम से कम देश के उन भागों में जहाँ कि पट्टीदारी व्यवस्था है कुछ मुश्किल न होनी चाहिये । मुझे यही लगा कि यह सब जानकारी तो पट्टीदारी के कागजात में दर्ज बातों के पुनर्संयोजन में इकट्ठी की जा सकती है । स्थायी बन्दोवस्त वाले इलाकों में इस प्रकार के कोई कागजात नहीं है और वहाँ ऐसी जानकारी को इकट्ठा करने में कुछ मुश्किल होगी और मुझे ऐसा लगा कि अगर जोत प्रति जोत की जांच कर के ये सब आकड़े इकट्ठा करने का यदि समुचित प्रबन्ध न हुआ तो संभवतः हमें वहाँ नमूने के तौर पर अन्दाजा लगाने की रीति की सहायता लेनी पड़ेगी । बंगाल और बिहार के भी उन इलाकों में जहाँ मुस्तकिल बन्दोवस्त है कुछ साल हुए भू माप और बन्दोवस्त की कार्यवाही हुई थी और न केवल हर गांव के हर खेत का ही नक्शा बनाया गया था, और नक्शा डाला गया था वरन् गांव के लोगों के, और गांव के हर खेत के हकों का भी लेखा तैयार किया गया था । गांव की खेतीदारों को देयने में न केवल गांव में खेतों की गणना का ही पता चल सकता है वरन् हरेक किसान ही जोत में खेतों के क्षेत्र, इत्यादि का भी पता चल सकता है । इन्हीं कागजात में जोत के क्षेत्र इत्यादि की भी लगभग पूरी जानकारी मालूम की जा सकती है । इन में अगर कोई कमर है तो वह केवल इतनी ही होगी कि कुछ मामलों में यह जानकारी अब इस वजह से शायद ठीक न हो सके कि जोत मालूम है कि खेत या जोत का इस बीच में और बंटवारा हो गया हो या उन में हक हक्क मुस्तकिल हो गये हो । भूमाप और बन्दोवस्त की रिपोर्टों में भी जानकारी भरी पड़ी है जो चाहे कुछ पुरानी हो गई हो पर फिर भी साधारण योजना बनाने के लिये अच्छा आधार मिद्ध हो सकती है । मुझे स्मरण है कि कृषि मन्त्रालय की एक विशेष समन्वय समिति ने इस पूरे प्रश्न पर विचार किया था और उस ने इस सम्बन्ध में थोड़े-थोड़े योजना और व्यवस्था का तत्परीक्षा सरकार के विचारार्थ पेश किया था । किन्तु मुझे यह जान कर खेद हुआ कि यद्यपि भारत ने ऐसा करने की अपनी राजामन्दी प्रकट की थी किन्तु यह अभी उस आगणना को हाथ में लेने में सफल नहीं हुआ है । यह खेद इस कारण और भी अधिक है क्योंकि मुझे यह ज्ञात हुआ है कि खाद्य और कृषि संस्था के जो अन्य देश सदस्य हैं उनमें से अनेकों ने खाद्य और कृषि संस्था द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अन्दर अन्दर इस आगणना को पूरा कर लिया है । खाद्य और कृषि संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त मैं यह समझता हूँ कि हमारी अपनी खातिर ही पट्टीदारी के कागजात का यथासम्भव अधिकतम उपयोग कर के जोत सम्बन्धी यह आगणना हमें कर लेना चाहिये । यदि पूरी आगणना के लिये हमारे पास

धन और समय नहीं है तो भी मैं समझता हूँ कि यह सब आंकड़े नमूने की रीति से भी सम्भवतः संयोजित किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है उस के लिये यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। और मैं आप से यह आग्रह कर के कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है और इस बात की भी आवश्यकता है कि विलम्ब के बिना यह आगणना पूरी कर ली जाये।

### प्रेसी डेन्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स क्लब

तारीख १५-१२-५१ को प्रेसीडेन्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स क्लब के सालाना जलसे में इनाम पाने वालों को इनाम देते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनों और भाइयों, बच्चों और बच्चियों,

आज यहाँ आ कर मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना गाना मैं ने सुना इतना नाच देखा और इस मे भी बह कर खुशी इस बात की हुई कि बच्चों को इनाम बाटने का मौका मुझे मिला।

मैं देखता हूँ कि बच्चों में कुछ ऐसे हैं जो सब चीजों में बहुत हिस्सा लेते हैं, खेल कूद में भी तथा और तरह से भी आगे रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन से मैं कहूँगा कि वे अच्छी तरह से उन का मुकाबला करे और जब कभी फिर अगले वर्ष डम तरह का मुकाबला हो तो वे इस बात की कोशिश करे कि उन को हरा कर वे खुद इनाम ले सकें और अगले वर्ष में उन को ही इनाम देने का किसी को मौका मिल सके। यह काम जब आप आज से ही कोशिश करेंगे तभी हो सकेगा क्यों कि जब साल भर में बच्चे तैयारी करते हैं—पढ़ने लिखने में या खेल कूद में भी—तब जा कर वह डम तरह की योग्यता हासिल करते हैं। मैं चाहूँगा कि सब बच्चे अभी से खेल कूद में, मीथने पढ़ने में, इस तरह से लग जायेंगे जिस में अगले वर्ष उन को इनाम लेने का मौका मिल सके।

बड़े लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि उन लोगों ने इतना सुन्दर नाच और गाना सुनाया और दिखाया कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं चाहता हूँ कि इस की दिन प्रति दिन तरक्की हो क्योंकि इस में केवल यही नहीं है कि वे लोगों को खुश करते हैं बल्कि अपने समय को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। काम से फुर्त होने पर तो इसी तरह के मन बहलाव के काम में आराम मिलता है और यह जरूरी है कि इस तरह के काम में समय लगाया जाये।

मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ आज मैं आप सब से मिल सका और खेल तमाशा देख सका।

### राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन

\*राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालय संघ की कार्यकारिणी और अन्तर्विश्वविद्यालय समिति के संयुक्त अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

यहाँ मेरे समक्ष केवल भारत, बर्मा और लंका के विश्वविद्यालयों के ही नहीं वरन् अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के भी, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उपकुलपति और अन्य उच्चाधिकारी भी समवेत हैं और इसलिये जो आदर आपने मुझे इस सम्मेलन के उद्घाटन करने का निमन्त्रण

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

देकर प्रदान किया है उसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ। मेरा विचार है कि यह पहला अवसर है कि जब ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है और भारत के इंटरयूनीवर्सिटी बोर्ड और विशेषत दिल्ली का विश्वविद्यालय इस बात के लिये अपने को विशेष गौरवान्वित समझता है कि उसे ऐसे प्रख्यात विद्वानों की मेहमाननवाजी करने का अवसर मिला है। आपने विचार विनिमय के लिये जो विषय अर्थात् “सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि में विश्वविद्यालयों का स्थान” रखा है वह इस सम्मेलन के सदस्यों के लिये ही नहीं वरन् संसार भर के विचारवान नर नारियों के लिये भी काफी महत्वपूर्ण और हृदयग्राही है। हम लोगों के लिये जो आज संसार में जीवित हैं बहुत सी वस्तुएं बहुत मामूली सी लगती हैं। किन्तु आज से कुछ पहले तो उन्हें अभूतपूर्व और चमत्कारिक वस्तुएं माना जाता। पिछले कुछ वर्षों से भौतिकीय विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में नये तथ्यों के पता चलने की जो रफ्तार रही है उसने केवल दूनिया की शकल मूरत ही नहीं बदली है वरन् दूर दूर प्रदेशों के रहने वाले नर नारियों का जीवन भी बिल्कुल बदल दिया है। भाप और बिजली ने यातायात के साधन, औद्योगिक उत्पादन और संचार साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है, औषधि और शल्य के क्षेत्र में जो नई बातें खोज निकाली गई हैं उनसे शरीर के अनेक रोगों की, जो अभी तक असाध्य रोग समझे जाते थे, चिकित्सा आसान हो गई है। इस प्रकार विज्ञान ने जीवन को सहल और आरामदेह बनाने के अनेक साधन मनुष्य को प्रदान कर दिये हैं। इन्हीं खोजों ने उसके हाथ में जीवन के हर क्षेत्र में विनाश के ऐसे साधन दे दिये हैं जिन का कि कभी कल्पना अथवा स्वप्न में भी अनुमान नहा किया गया था। पिछले वर्षों में आणविक शक्ति को कावू में लाने के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसमें तो विनाश के साधनों में आजतक जो तरक्की हुई थी उससे कहीं ज्यादा विनाश शक्ति मनुष्य के हाथों में आ गई है। उसके कल्याणकारी प्रयोगों या प्रभावों के सम्बन्ध में अभी तक कोई बात हमें ठीक तरह से न तो ज्ञान है और न ही वे दिखाई देते हैं। इस प्रकार मानव जाति और सभ्यता के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या संसार के सामने है। मेरा वर्तमान जगत के सम्बन्ध में यह अन्दाजा गलत नहीं है कि आदमी ने आज दानवों की सी शक्ति और मत्ता अथवा उम शक्ति और सत्ता में भी अधिक मत्ता और शक्ति, जो दानवों की अब तक ममत्ता जानी रही है, प्राप्त कर ली है। किन्तु उसके कल्याणकर प्रयोग के रहस्य को उमने नहीं जान पाया है। संभवतः मेरा यह कहना ठीक ही होगा कि उसने उससे कल्याणकर प्रयोगों के स्थान पर उसके बुरे प्रयोगों को ही सीखा है। यदि हम उसका कल्याणकारी प्रयोग नहीं कर पाये तो जितनी ही शक्ति और मत्ता अधिक होगी उतनी ही विनाशकारी सामर्थ्य होगी। आज हम कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव को विज्ञान ने जो ज्ञान और शक्ति प्रदान की है यदि उसका उचित प्रयोग और नियन्त्रण करने का रहस्य उसने न जाना तो मानव जाति के मर पर मृत्यु नाचने लगेगी।

हमारे पुराणों में एक कथा है जिसे मैं यहां इस तथ्य पर प्रकाश डालने के लिये दुहरा देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि एक दुष्प्रकृति वाला भस्मामुर नामी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गये और उसे दर्शन दिये और उससे कहा कि वह कोई भी वर मांगे और उसे आश्वासन दिया कि भगवान वह वर प्रदान करेंगे। उस असुर ने अपनी कठोर तपस्या में अनेक यातनायें सही थी और इस प्रस्ताव से वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

उस ने यह वर मांगा कि भगवान उस को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह जिस व्यक्ति के सर पर हाथ रखे वह नुस्तर्त ही भस्म हो जाये। भगवान ने वचन दे दिया था और उसे भंग नहीं कर सकते थे इसलिये उन्होंने ने वह शक्ति उसे प्रदान कर दी। असुर मन में यह सोचने लगा कि विश्व भर में मानवों या देवताओं में ऐसा कौन सब से अधिक शक्तिशाली है जिसे भस्म कर सारे भूत जगत भर का वह एकलत्र प्रभु बन जाये। उसने सोचा कि ऐसा उस देवता के बिना कोई नहीं हो सकता जिसने उसे यह विनाश की शक्ति प्रदान की है और उसने मन में भगवान शिव को भस्म करने की ठानी जिससे वह विश्व भर का निष्कटक स्वामी बन जाये और उनकी पत्नी पार्वती का पाणिग्रहण कर ले। उसके इस विचार को जानकर भगवान भागे और वह असुर उनके पीछे दौड़ा। भगवान को कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ वह उस असुर से अपनी रक्षा कर सकने। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने उन की यह दुरवस्था देखी और उनकी रक्षा के लिये आयी। असुर के मामने वह अपने पूरे रूप और लावण्य से प्रकट हुई और उससे कहा कि तू भगवान शिव को इसलिये मारने की चेष्टा करता है क्योंकि तू मुझ को चाहता है। इसलिये यदि तू मुझे विशिष्ट नृत्य से प्रमत्त कर दे तो मैं स्वयं ही तुझे अपने को अर्पण करने को प्रस्तुत हूँ। घमण्ड और विमोह के कारण असुर इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और नाचने लगा। नाच की एक मुद्रा ऐसी थी जिस में उस अपना हाथ अपने सर पर रखता था और उस ने जैसे ही यह बात की वैसे ही वह अपने वरदान के कारण वही भस्म हो गया। वर्तमान युग के देवताओं ने साजिश करके मनुष्य के हाथ में संहार की ऐसी असीम शक्ति दे दी है और उसके आश्वो के सामने ऐसा विक्षिप्त करने वाला आकर्षण दिया है जिसे वह अपने ज्ञान के मद में सुन्दर और अभूतपूर्व समझता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ताण्डव नृत्य के नाचने के लालच से वह हमें दूर रखे। इस लालच से क्योंकि बचे यह समस्या अनेकानेक मनुष्यों के मामने आज उपस्थित हो रही है। हमें यह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये कि देवी सरस्वती मनुष्य को उस शक्ति और सत्ता के उचित प्रयोगो के रहस्यों को बताये जो उसने मानव को प्रदान कर दी है और उसे इस योग्य बना दे कि जिस शक्ति से आज पूर्ण विनाश का खतरा है उसी को वह कल्याण साधन के लिये प्रयोग कर सके और उसके प्रयोग से मानव की शक्ति और सत्ता का विनाश होने के बजाय उसके दोषो का ही नाश हो। इतिहास हमें यही शिक्षा प्रदान करता है कि जब तक ज्ञान सुबुद्धि संयुक्त और नियन्त्रित न हो तब तक वह केवल स्वयं पर्याप्त तो है ही नहीं वरन् अहितकारी भी सिद्ध हो सकता है। अतः विश्वविद्यालयों को केवल ज्ञान प्रदान, उसका प्रसार और उसकी वृद्धि ही न करनी चाहिये वरन् उनको सुबुद्धि का भी ऐसा आगार होना चाहिये जहाँ से ज्योति की किरण फैल कर मानव आत्मा को प्रकाशित कर देती है और उस देवी ज्योति से आत-प्रोत कर देती हैं।

इसी विचार को रहस्यमयी भाषा के वजाय सीधी माधी भाषा में मैं आपके सामने रखूँ। कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जिन से सारे जगत के रूप रंग के पूर्णरूपेण परिवर्तित हो जाने की संभावना है। आणविक शक्ति ने मनुष्य को देवताओं की शक्ति, समस्त भूमण्डल को आनन्दमय स्वर्ग अथवा निपट एकाकी प्रगाढ शान्तिमय समाधिस्थल बना देने की शक्ति, प्रदान कर दी है। वाष्प और विद्युत के साथ साथ जो क्रान्तिकारी परिवर्तन चले आये उन सब का आप सब को ज्ञान है। किन्तु आणविक शक्ति के इस भीम के सामने वे दोनों तो बेचारे घुटनों चलने वाले शिशु थे।

अतः यह विचार सर्वथा बुद्धिसंगत है कि शक्ति की इस महावृद्धि में मानव के सामाजिक गठन और मानसिक स्वरूप में उस से भी कहीं अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन निहित है जो कि बाष्प अथवा विद्युत के कारण हुआ था ।

आज की समाज के खोल से जो दूसरी क्रान्तिकारी शक्ति टकरा रही है वह है वह निर्दमनीय आन्दोलन जो स्वामित्व प्राप्त और पेशेवर वर्गों के मुकाबले में जीवन की सबसे अन्धरी वस्तुओं के बराबर बराबर पाने के लिये असह्य जन समूह के और विशेषतः आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई एशिया और सागर द्वीपमाला के अग्रे नर नारियों के हृदय में लहरा रहा है । गत शताब्दियों में जन साधारण का समस्त जीवन और परिश्रम इस विश्वास से बंधा था कि उनके परिश्रम का पुरस्कार कुटिल दैव की इच्छा पर निर्भर करता है और इस बारे में न तो उनका कोई चांग है न कोई वचत । अतः अपने दुःख भरे भाग को वे मरे हुए मन से माने रहते थे । किन्तु जहाँ तक संसार के और कम से कम एशिया के करोड़ों नर नारियों का मंत्रन्ध है भाग्य का यह आधार वर्तमान व्यवस्था और विधान के तले से खिसक गया है या खिसका जा रहा है । उचित हो या अनुचित किन्तु उनमें से आज अनेक यह समझ रहे हैं कि उनका अभाव और कष्ट दयासागर और सर्वज्ञाता भगवान की देन न होकर कुटिल मानवों, वर्गों और राष्ट्रों के दुष्प्रयोजनों का परिणाम है । अपनी वर्तमान दुरवस्था के विरुद्ध उठ पडने के लिये अनेकों को क्षुधा का अकुश मजबूर कर रहा है । इसीलिये तो आज के जगत की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के मिटाने के लिये करोड़ों नर नारी आगे बढ़ रहे हैं । मानव जातिके इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने असह्य साधारण नर नारियों का समूह उस ऐतिहासिक सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध, जो उनके जीवन को शासन और नियम में बाँधे हुए है, इस प्रकार तुमुल युद्ध करने के लिये और नव समाज के निर्माण के लिये कटिबद्ध हो कर उठ खड़ा हुआ हो ।

यदि हमारे युग की ये दोनों क्रान्तिकारी शक्तियाँ स्वभावतया अनमेल या विरोधी होतीं तब तो मानव जाति के बचे रहने की लेशमात्र आशा न होती । भाग्यवश बात बिल्कुल उलटी है । अभी कल तक ही तो मानव जाति के उत्पादन यन्त्र में यह सामर्थ्य न थी कि वह सफेद और रंगवाले सभी मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । यह ठीक है कि वाष्प और विद्युत ने उत्पादन में बहुत वृद्धि की थी किन्तु फिर भी उस की कुछ सामर्थ्य बिल्कुल सीमित थी और इस से यह आशा न की जा सकती थी कि यह द्रुतगति से बढ़ने वाली मानव जाति की नित्य बढ़ने वाली आवश्यकताओं की और खास तौर से उस अवस्था में जब साधारण जनो के मन में भी यह बात बैठ गई है कि उन्हें भी वर्गों के बराबर ही उत्पादन सब वस्तुओं में समान भाग मिलना चाहिये, पूर्ति कर सकेगी । यह होना अनिवार्य था ही । जब शक्ति सीमित थी तो उत्पादन सीमित ही हो सकता था पर उत्पादित वस्तुओं के भागीदारों की सख्या तो न तो सीमित थी और न सीमित हो सकती थी । किन्तु आणविक शक्ति ने तो मानव जाति को असीम और सीमाहीन शक्ति प्रदान कर दी है । यदि इसे सृजनात्मक प्रयोजनों के लिये काम में लगाया जाये तो यह उत्पादन की असीम शक्ति पैदा कर देगी और इतने सम्पन्न जगत की सृष्टि कर देगी कि जिस में अपने भाई बहनों के भाग पर किसी तरह का असर डाले बिना प्रत्येक नर नारी जो कुछ चाहेगा ले सकेगा । दूसरे शब्दों में जीवन की अच्छी वस्तुओं के पाने के लिये जन साधारण की क्रान्तिकारी अक्षा की पूर्ति का साधन यही क्रान्तिकारी शक्ति है ।

किन्तु इस बारे में कि इन दो क्रान्तिकारी शक्तियों का मेल वह सामाजिक चेतना कर सकती है या नहीं जो आजकल मानवों के कार्यों का संचालन कर रही है शंका के लिये गुंजाइश है। बहुत कुछ सीमा तक यह चेतना सीमित शक्ति और सीमित उत्पादन युग की पुत्री है। अतः यह अनिवार्य सा है कि जीवन के इन नये तथ्यों के स्वाभाविक और निहित परिणामों को समझने में यह असफल सिद्ध हो। युद्ध और अभाव के प्रति वर्तमान सामाजिक चेतना के रुख से यह आशंका और भी दृढ़ हो जाती है। आज भी इस सत्य का भास इसे हुआ प्रतीत नहीं होता कि इन दोनों का पूर्णतया अन्त करना ही मानव जाति के बचाव और बने रहने की पहली शर्त है। अभी हाल तक युद्ध का अर्थ इस के सिवाय और कुछ न था कि कोई भी वर्ग या प्रादेशिक समूह किसी दूसरे वर्ग या राष्ट्र से अपने झगड़ों को सुलझाने के लिये अपनी शक्ति का विध्वसात्मक प्रयोग उस के विरुद्ध करे। ये लोग इस प्रकार के प्रयोगों को निःशक होकर इस लिये कर सकते थे क्योंकि जिन वस्तुओं को वे मूल्यवान समझते थे उन का सीमित विनाश ही सीमित शक्ति से हो सकता था; जब कि वैसे प्रयोग से वे उन ध्वेषों की पूर्ति कर सकते थे जिन्हें वे युद्ध द्वारा विनष्ट होने वाली कुछ वस्तुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इस के अतिरिक्त सीमित उत्पादन से जीवन की अच्छी वस्तुएँ इतने परिमाण में उत्पादित नहीं की जा सकती थी कि सब लोग उन में हिस्सा लगा सके। अतः व्यक्ति और समूह के लिये यह अनिवार्य था कि अपनी चाही हुई वस्तुओं को वे दूसरे हिस्सा मागने वालों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करके भी हथिया लें। दूसरे शब्दों में सीमित उत्पादन के युग में मानवीय समूह का यह विचार था कि उनके सुखद जीवन के लिये युद्ध एक फलदायी साधन है। इस अवस्था में विकसित सामाजिक चेतना का स्वभावतः ही युद्ध के प्रति इस के अतिरिक्त और कोई दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता था कि वह वांछनीय है और कम में कम मानव जीवन में अनिवार्य और अपरिहार्य तो है ही। युद्ध के बारे में यह रुख हमारे सामाजिक मन का ऐसा अविच्छिन्न अंग बन गया है कि केवल युद्ध के नाम को सुनने ही महज में ही उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने के बजाय अनेक मनुष्य जिनमें विद्वान और उच्चगजर्नैतिक पद धारण करने वाले भी सम्मिलित हैं उसे वर्गीय और राष्ट्रीय मतभेदों और झगड़ों के हल करने का प्रभावी साधन समझते हैं और उसे सगठित सामूहिक जीवन वा स्वाभाविक और निहित अंग मानते हैं। युद्ध के प्रति अपनी प्रकृति जनित प्रतिक्रियाओं के कारण यह सामाजिक चेतना स्वभावतः असीम शक्ति के युग में युद्ध के परिणामों का अन्दाजा लगाने में असमर्थ है। जैसा कि मैंने अभी कहा है आणविक शक्ति ने मनुष्य को असीम शक्ति पदान कर दी है। इस के विध्वसात्मक प्रयोगों के परिणाम न तो किसी प्रदेश और न किसी काल तक ही सीमित रखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह नतीजा अनिवार्य प्रतीत होता है कि आरम्भ होने वाले इस नये युग में मानव के अस्तित्व के लिये युद्ध घातक सिद्ध होगा। किन्तु मुझे भय है कि युद्ध के प्रति अपनी सहज भावना के कारण हमारी सामाजिक चेतना इस सत्य को आसानी से नहीं पहचान सकेगी और मानव जीवन की व्यवस्था में आणविक शक्ति के असली महत्व को पहचानने में भी असमर्थ रहेगी।

अपने जीवन के अभाव के विरुद्ध जन साधारण के विप्लव से पैदा होने वाले प्रश्नों का हल भी यह चेतना सफलतापूर्वक नहीं कर सकती। पिछले सहस्रों वर्षों से अनेकों की गरीबी और दुःख तथा थोड़े लोगों की सम्पन्नता और सस्कृति मानव जीवन का अनिवार्य और अपरिहार्य

तथ्य है। यह ठीक है कि मानव के प्रति स्नेह और सद्भावना से ओतप्रोत अनेक ऋषियों और महात्माओं ने अनेकों की इस दुःख भरी अवस्था के लिये आसू बहाय है। उनमें से कुछ ने तो इस बात के लिये रोष भी प्रकट किया है कि वे थोड़े लोग उम्र सभय भी जब उनके अनेक भाई हर प्रकार की यातनाओं और विपत्तियों को सह रहे हैं स्वयं अमनन्द में रीन हैं। किन्तु चाहे उन्होंने न इस परिस्थिति को धैर्य से सहा अथवा धार्मिक जोश से उसके विरुद्ध आग उगली यह बात तो रही ही आई कि गरीबी न तो मिटी और न मिटायी जा सकी और अभाव के भूत को सदा के लिये दफन न किया जा सका। सीमित उत्पादन और अभाव की अनिवार्यता की ऐसी स्थिति में हमारी वर्तमान सामाजिक चेतना का जन्म हुआ।

अतः आज मे छः वर्ष पहले युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी न तो किसी राष्ट्र को और न किसी वर्ग को शान्ति के ही दर्शन हुए और न सम्पन्नता के ही। किन्तु इस बात के समझने के बजाय कि उनकी वर्तमान दुःखस्था का कारण उनकी अपनी सामाजिक चेतना का दोष है उनमें से प्रत्येक यह विश्वास करता है कि वह सब उसके मुखालिफ राष्ट्रों या वर्गों के दिल के अन्दर बुराई की बहुतायत की वजह है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कि वे एक दूसरे पर दोषारोपण या प्रतिदोषारोपण बड़े जोर के साथ न करते हों। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारे जीवन का रोग आज किसी एक राष्ट्र का पापमय हृदय नहीं है वरन् वह तो इतिहास सृजित सामाजिक चेतना का मानव जीवन की नयी शक्तियों से अनमेल है। सच ही आज मनुष्य के सामने जो विपत्ति है वह संगठन की या वस्तुओं की विपत्ति न होकर चेतना की विपत्ति है। दूसरे शब्दों में आज जिस बात की हमें कमी है वह न तो वस्तुओं की कमी है और न संगठन की। वह तो उस अखण्डनीय इच्छा-निवृत्त और सर्वतोन्मुखी दृष्टि का अभाव है जो हमें अपनी शक्ति और साधनों को ठीक प्रयोग करने के योग्य बना सके। इसलिये स्वभावतः इस रोग का निदान वस्तुओं या संस्थाओं के जगत में न होकर चेतना के क्षेत्र में है। गांधी जी की भाषा में कहा जा सकता है कि हमारी आज सर्वोपरि आवश्यकता संसार की विजय न होकर हृदय का परिवर्तन है। आज सब से ज्यादा आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है न कि भौतिक शक्ति की।

यही सर्वोपरि आवश्यकता सच्चे विश्व-विद्यालयों को मानव जाति का भावी प्राणकता बना देती है। अन्य मानवीय संस्थाएँ चाहे उनकी शक्ति या शस्त्र कैसे भी क्यों न हों इस विपत्ति के सामने फलहीन और असहाय है। यह ठीक है कि अपने विभिन्न रूपों में राज्य मानव समाज की इन बुराइयों को दूर करने की कौशिश करता रहा है। इस दिशा में इस सफलता भी मिली है। किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि भूमण्डल पर न्यायपूर्ण समाज के पैदा करने के लिये राज्य को दाई और धाय मानने के सूक्ष्म परिणाम स्वरूप ही जगत में तानाशाही का जन्म और विकास हुआ है और जिसका कि स्वाभाविक अर्थ ही यह है कि कुछ लोगों का अनेक लोगों पर प्रभुत्व हो। राज्य का प्रदान अस्त्र शक्ति है जो बताती कम है और बिगाड़ती है अधिक। अतः जहाँ राज्य सामन्तशाही युग की अराजकता के मिटाने में सफल हुआ है वहाँ उस ने राष्ट्रों और वर्गों की अराजकता को पैदा कर दिया है और उस अराजकता से आज मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। राज्य के समान ही अन्य सामाजिक संस्थायें भी मानव को हमारे युग की विपत्ति पर विजय पाने के योग्य नहीं बना सकती हैं। इस पर काबू पाने के लिये हमें ऐसी सामाजिक चेतना की आवश्यकता है जो समस्त भूमण्डल में मानवीय



हरकतों के हर पहलू और क्षेत्र को ठीक ठीक तरह से पहचान ले और जो किसी एक बर्ग या राष्ट्र की खोल के अन्दर ही बन्द न रहे । यथावत निमित्त और संचालित विश्वविद्यालय के अतिरिक्त और कोई संस्था इस प्रकार की एकीकृत और विश्वव्यापी चेतना की सृष्टि नहीं कर सकती । विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम कार्य मानव की चेतना को ठीक तरह ढालने और रूपित करने का और विभेद भरी मानव जाति की सामाजिक चेतना में अखण्ड एकता पैदा करने का है । हम सब जानते हैं कि प्रत्येक देश और युग में विश्वविद्यालय गत पीढ़ियों के विचारों को नई पीढ़ियों को देने तथा नये तथ्यों की खोजों और पुग्ने तथ्यों के आग विकास का द्विमुखी काम करना रहा है । दूसरे शब्दों में विश्वविद्यालय का यह ऐतिहासिक मिशन रहा है कि प्रत्येक नई पीढ़ी को सामाजिक चेतना दे और इस प्रकार उसकी अपनी चेतना को ढाले और रूपित करे । किन्तु इस कार्य का एक निहित अंग यह भी है कि एक ही मानवीय समूह में एक साथ ही कार्यशील विभिन्न चेतनाओं का एकीकरण किया जाये । जब कि अन्य संस्थाओं में से प्रत्येक स्वाभावतः दूसरो से अलग करने वाली संस्था ही होती है विश्वविद्यालय अपने में ही बन्द संस्था न तो है और न हो सकती है ।

नवयुग द्वारा लादे गये इस भार को विश्वविद्यालय किस प्रकार सफलता से वहन कर सकता है । मेरा विचार है कि इस बारे में सफलता प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय को कई बातें करनी पड़ेगी । प्रथम तो मानव समाज के विकास की कहानी के सम्बन्ध में इसे अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा । आज तक इस कहानी की प्रधान बात मानव समाज में शक्ति का स्थान है । इतिहास की लगभग प्रत्येक पुस्तक के अधिक भाग में युद्धों और सघर्षों का वर्णन होता है और उस का बहुत थोड़ा ही अंश सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों और आदर्शों के विकास से सम्बद्ध होता है । योद्धाओं को ही, न कि वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कवियों, कलाकारों को, उस में प्रमुख स्थान मिलता है । आज भी इतिहास की अनेक पुस्तकों से यही ध्वनित होता है कि मानव-जीवन-नाटक को गतिमान बनाने वाली और आगे बढ़ाने वाली शक्ति केवल संगठित भौतिक शक्ति ही है । किन्तु हिसात्मक संघर्ष तो जीवन का दैनिक तथ्य नहीं है, यह तो एक ऐसा अपवाद है जो कभी कभी ही देखने में आता है । मानव जीवन का मूल एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध न होकर एक सृजनात्मक प्रयास के बाद दूसरा सृजनात्मक प्रयास है । अतः जो अनथक सृजनात्मक और आध्यात्मिक कार्यधारा मानव को भूमण्डल के अन्य सब जीवों से विभिन्न करती है उसी के आधार पर सारे मानव इतिहास का पुनर्निर्वचन आवश्यक है । अब यह बात स्वीकार की जा रही है कि इतिहास अन्ततोगत्वा मानव चेतना की ही कहानी है । मेरे विचार में अब समय आ गया है कि जगत भर के विश्वविद्यालय मिल जुल कर इस बात का संगठित प्रयास करें कि मानव की कहानी अपने मूल भूत तत्त्व अर्थात् सृजनात्मक और आध्यात्मिक कार्यधारा के आधार पर ही पुनर्निरूपित की जाये । सम्भवतः यह बात कुछ परम्परागत विचारों से बेमेल मालूम हो पर मेरा यह विश्वास है कि मानव कोरी भौतिक शक्तियों का ही प्राणी अथवा अपने कावू के बाहर की परिस्थितियों, अपनी वाह्य स्थितियों का ही असहाय दास नहीं है । उसमें तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि उन परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुकूल ढाल ले या रूपित कर ले और अतीत में उमने ऐसा अनेक बार किया भी है । यह विश्वविद्यालय का धर्म है कि वह उस में इस सुप्त आत्मा को जागृत करे जो उसे अपनी परिस्थि-

तियों का, जो परिस्थितियां कि बहुत कुछ उसी की सृष्टि हैं, दास रहने के बजाय, जैसा कि वह आज है, उसे उनका मालिक बना दे ।

इस बारे में जो दूसरा परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है वह यह है कि इतिहास की पुस्तकों का मानक्षेत्र राष्ट्र के बजाय सारा भूमण्डल हो । आज तो राष्ट्र की ओट मानव को सर्वथा आंखों से छिपा देती है । पर अन्ततोगत्वा ससार के हर कोने में मानवों की सृजनात्मक प्रेरणा ही ने तो उसे सभ्यता और संस्कृति को बनाने के लिये मजबूर किया है । ठीक है उस में बहुत प्रकार के धारों हैं । किन्तु अन्ततोगत्वा ये सब ही तो मानव आत्मा की सृष्टि है, यद्यपि उनमें प्रदेश जलवायु और सामाजिक जीवन ने भी कुछ हद तक अपना रंग मिला दिया है । अतः सब इतिहास की पुस्तकों में प्रधान महत्व मानवात्मा को दिया जाना चाहिये और प्रदेश और समूह के प्रभाव को दूसरे दर्जे की महत्ता ही मिलनी चाहिये ।

सामाजिक विकास की समस्या के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय वर्गों का अंग बने रहने के बजाय जन जीवन से रल मिल जाये । आरम्भ में जन जीवन से यह इसलिये सर्वथा अलग था क्योंकि साधारण जनों के पास न तो इतना अवकाश था और न इतने आर्थिक साधन कि वे इसमें बराबर प्रवेश कर सकें । यह अलगाव बना इसलिये रहा ताकि बाजार के कोलाहल और उद्विग्नताओं से दूर रह कर प्रशान्त और पक्षपात रहित वातावरण में उसके सदस्य सत्य की खोज में लगे रहें । किन्तु अब अवस्था बदल गई है और विश्वविद्यालय अब मानव जाति के साधारण जनों की प्रभावी और सीधी सेवा कर सकता है । यह ऐसा कर ही नहीं सकता वरन् नव चेतना की छत्रछाया में साधारण जनों को एकत्रित करने के लिये उसे ऐसा करना जरूरी भी है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भूतकाल में वर्गों की चेतना, साधारण जन की चेतना से बहुत विभिन्न थी । किन्तु उन दोनों के बीच की इस मानसिक खाई से उन दिनों वैसे भयावह परिणाम होने का खतरा न था जैसा कि आजकल है । अगर यह बनी रही तो इस बात का पूरा खतरा है कि सभ्यता का मन्दिर ही कहीं जल कर खाक न जाये ।

मेरे विचार से एक और कारण से भी जन साधारण के जीवन और अरमानों से विश्वविद्यालय का एकीकरण आवश्यक है । यदि अभाव के विरुद्ध जन साधारण की वर्तमान क्रान्ति को सृजनात्मक और रचनात्मक दिशा की ओर न ले जाया गया तो यह ज्वालामुखी का ऐसा लावा सिद्ध हो सकती है जो अच्छी बुरी सभी चीजों का विनाश कर दे । इस क्रान्ति को ठीक दिशा में ले जाने की अविलम्ब आवश्यकता है । यदि विश्वविद्यालय जिस का इस दिशा में अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिये जन साधारण से सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय कर ले तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को उनकी अपनी पृष्ठभूमि में यथास्थान रखने का कार्य यह सफलता से कर सकेगा और इस प्रकार जन साधारण को वह सूझ और समझ दे सकेगा जो उनको अपने निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारों को ठीक प्रकार से प्रयोग करने में समर्थ कर दे ।

किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ जनसाधारण से विश्वविद्यालय का मेल सर्वोपरि इसलिये आवश्यक है कि उनमें वह वैसी चेतना पैदा करे जैसी कि नवयुग के लिये आवश्यक

है। हमारे युग की इन दो क्रान्तिकारी शक्तियों का संयोग सम्पन्नता और शान्ति की दुनिया के निर्माण के लिये तभी होगा जब जन साधारण भी ऐसी चेतना से अनुप्राणित और संचालित हों।

इन विचारों की क्रान्ति के सर्वोपरि महत्व के संदर्भ में डी में राष्ट्र-मंडल के विश्व-विद्यालयों के असोसियेशन और इंटरयूनीवर्सिटीज बोर्ड के संयुक्त सम्मेलन के महत्व को आंकता हूँ। मेरा विचार है कि राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालयों के नवनिर्माण में यह असोसियेशन महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। मेरी यह दृढ़ आशा है कि आप के विचार विनिमय से विश्वविद्यालयों को प्रेरणा मिलेगी कि वे आगत युग में विचार और कार्यक्षेत्र में नेता होने के अपने उचित स्थान को पहचाने और ग्रहण करें और वह आध्यात्मिक और चारित्रिक शक्ति तथा सूक्ष्म प्रदान करे जो इस असीम शक्ति और साधनों का, जिन्हें ज्ञान ने मनुष्य के हाथों में दिया है, उचित नियन्त्रण और संचालन कर सकती है।

### माडर्न हाई स्कूल

माडर्न हाई स्कूल, वाराणसी, नई दिल्ली के फाउंडर्स डे समारोह के अवसर पर १३-१२-५१ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

मरदार शोभा सिंह, हेड मास्टर, बहनो, और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे इस स्कूल को बहुत दिनों के बाद फिर एक बार अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। जब आपने मुझे पहले पहल बुलाया था उसको बहुत जमाना बीत गया और मुझे याद है कि उस वक्त आपने मुझे दोपहर को बुलाया था और शायद खाना भी खिलाया था। इस मरतबा आप ने ऐसे वक्त पर बुलाया जब खाने का वक्त ही नहीं रहा। लेकिन इस बार उस में भी ज्यादा और बेहतर चीजें मुझे देखने को मिली। मैंने अच्छी तरह से बच्चों के काम को देखा और जो चीजें आप यहां बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं उन सब चीजों के अच्छे नतीजे को देखा, गर्व वक्त बहुत कम ही रह गया था। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ी तरक्की की है और दिन ब दिन और ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं क्योंकि जैसा आपने कहा पिछले चन्द महीनों के अन्दर आप ने कई नयी चीजें दाखिल की हैं और कितनी ही नयी चीजों में आपने ज्यादा तरक्की की है। हमारे यहां इस चीज की जरूरत है कि हमारे बच्चे खूब अच्छी तरह से सिर्फ पढ़कर ही नहीं निकलें बल्कि सब तरह में होशियार होकर निकलें। उन के अंग मजबूत हों, शरीर भी अच्छा हो, सेहत भी अच्छी हो, वे खेल कूद में भी अच्छे हों, दुनिया की खबर भी उनको हो और इन के अलावा जो कुछ स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई के किताबी इम्तहान होते हैं उनको भी अच्छी तरह से पास कर सकें। मैंने देखा कि आप ने सब चीजों की तरफ पूरा ध्यान दिया है और स्कूल के इम्तहान का नतीजा भी आप का बहुत अच्छा हुआ है और उस के साथ साथ जिस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं उसमें बहुत सी बातें जानने और सीखने को उनको मिल जाती है और हर तरह से उनकी सेहत का भी खयाल रखा जाता है। जरूरत ऐसे ही स्कूलों की है। आप ने यह कहा कि लड़कों की तादाद बढ़ता जा रही है और बहुत ज्यादा दस्तावेज आपके पास आती हैं जिनमें से बहुत कम ही को आप ले सकते हैं।

इस के माने यह है कि आप के स्कूल की कद्र यहा के लोग कर रहे हैं और बच्चों से ज्यादा उनके मां बाप कर रहे हैं और इस लिये अपने बच्चे को यहा भोजना चाहते हैं। बच्चे यहा बहुत होंगे और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप उन को सिखाते हैं, पढाते हैं वे बहुत खुश रहते होंगे और बच्चों के लिये यह बड़ी चीज है कि जो उन को सिखाया पढाया जाये उनका उस मे पूरा जी लग जाये, उनके ऊपर कोई जबर नही गुजरे, ऐसा उनको नही मालूम हो कि स्कूल मे आना एक बोझ है और पढने पढाने से ज्यादा नजर और खयाल छुट्टी की तरफ लग जाये कि कब घटी बजेगी और घर जायेंगे। जहा जहा सिखाने पढाने का मुन्दर इतजाम होता है वहा सब मे बड़ी चीज यही होती है कि वहा बच्चे रहना चाहते हैं, घर भागना नही चाहते। मैं समझता हूँ कि आपने जैसा इतजाम किया है उसमें बच्चों को इस का मौका मिलता है। मैंने अभी पूछा कि यह बच्चों का कितनी देर रखना जरूरी है। मालूम हुआ कि गर्मी के दिनों मे तो वे साढे आठ बजे से ६ बजे तक रहते हैं और सर्दी के दिनों मे जल्द अघेरा हो जाता है और बच्चे इतनी देर तक नही रह सकते इसलिये पाच बजे तक घर पहुच जाते हैं। इतनी देर तक बच्चे यहा रह जाते हैं और यहा ही दोपहर का खाना भी खाने हैं, खेलते भी हैं, पढते भी हैं, सीखते भी हैं। इसमें उनको पूरा मौका मिलता है कि खाम यहा के टीचरों के साथ रहकर वे कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें। इस तरह के टीचरों की जवाबदेही बढजाती है। क्योंकि जितना ज्यादा संपर्क उनका बच्चों से होता है उतना ज्यादा उन का जो तौर तरीका, रहन सहन और चरित्र है उसका असर बच्चो पर पडता है और पडना भी चाहिये। हमारे यहा के स्कूलो और कालेजों में जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वह यह है कि पढाई की तरफ वे अधिक ध्यान देते हैं और चरित्र बनाने की तरफ उनका बहुत कम खयाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी देर तक आप के बच्चे यहा रहते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि उन के चरित्र पर यहा के टीचरों के चरित्र का अमर पडेगा और आप के टीचर अच्छे हैं तो उनका अपना चरित्र अच्छा होगा इस मे कोई शक नही और बच्चो का चरित्र भी अच्छा होगा। यह तो जो बच्चों के साथ ज्यादा संपर्क मे हैं वे ही कह सकते हैं और सब से ज्यादा टीचर ही कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तरक्की आज तक आपकी हुई है वह दिन ब दिन बढ़ती जायेगी और जो दूसरी शाखा आप खोलना चाहते हैं जहा और बच्चों को आप ले सकेंगे वह खुल जायेगी और उस की वजह से आप और लोक प्रिय होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह काम आपका दिन ब दिन बढ़ेगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और खास कर के बच्चों को जो यहा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उन को भी बधाई देना चाहता हूँ।

### भारतीय विज्ञान विद्या परिषद् के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन

\*भारतीय विज्ञान विद्या परिषद् के १७वे अधिवेशन का नई दिल्ली में २७ दिसम्बर १९५१ को उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा—

यद्यपि विज्ञान की किसी भी शाखा से बिल्कुल सबधित न होने के कारण मेरी भावना यह है कि मुझे स्थातिनामा वैज्ञानिकों के सम्मेलन के उद्घाटन करने का कोई अधिकार नही है तथापि आज संध्या को आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस संबध में मुझे एक अन्य अवसर की याद आती है जब मैं ऐसी ही स्थिति मे था। मुझे चिकित्सकों के एक सम्मेलन का

उद्घाटन करने के लिये तथा औषधीय और शल्य वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिये निमंत्रित किया गया था। मेरी यह भावना थी कि मुझे वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। किन्तु अन्ततोगत्वा इस बात के लिये मैं यह सोचकर तैयार हो गया कि चाहे चिकित्सक के नाते मेरा कोई अधिकार न हो किन्तु रोगी के रूप में चिकित्सकों के अध्ययन और प्रयोग का विषय होने के कारण मैं वहाँ जाने का दावा कर सकता हूँ। वैज्ञानिक होने का मेरा दावा नहीं है किन्तु मेरी यह भावना है कि सब विज्ञानों का अन्तिम ध्येय और व्यावहारिक उद्देश्य साधारण जनों की सर्वतोन्मुखी उन्नति और कल्याण करना है और होना चाहिये। साधारण जन के नाते मेरा यह अधिकार है कि मैं सब वैज्ञानिकों से यह अपेक्षा करूँ कि वे अपना समय और शक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान साधारण जन के कल्याण के लिये लगायें। विज्ञान के प्रति मेरे दृष्टिकोण को समझने की कुजी यही है।

यह सतोष की बात है कि पिछले पचास वर्षों में इस देश में विज्ञान के अध्ययन तथा वैज्ञानिक गवेषणा की भारी प्रगति हुई है। मुझे स्मरण है कि कलकत्ता विश्व विद्यालय की उन दिनों ऐंट्रेस परीक्षा कही जाने वाली परीक्षा को पास करके जब मैं स्कूल से निकला और कलकत्ते के प्रेसीडेंसी कालेज में मैं प्रविष्ट हुआ तब विज्ञान को वैसा कुछ महत्व या स्थान नहीं दिया जाता था जैसा कि तब से हमारे शिक्षा संस्थाओं के विषयक्रम में इसे दिया जाने लगा है। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो मैं यह कह सकता हूँ कि उन दिनों बी० एस० सी० की कोई अलग डिग्री नहीं होती थी किन्तु बी० ए० की ही एक डिग्री होती थी जिसकी दो शाखा होती थी; एक को तो 'ए' शाखा कहते थे जिसमें कि केवल साहित्य और कला के विषय ही पढाये जाते थे और दूसरी को 'बी' शाखा कहते थे जिसमें अग्रेजी और हिमाव दो अनिवार्य विषय होते थे और तीसरे विषय में भौतिकी और रसायनिक विज्ञान होते थे। आज कल तो बी० ए० के पहिले ही ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और कोई भी विद्यार्थी साहित्य और कला में इंटरमीजियेट परीक्षा देने के बजाय केवल विज्ञान विषयों को लेकर इंटरमीजियेट साइंस परीक्षा की तैयारी कर सकता है और उस में उत्तीर्ण होकर केवल विज्ञान विषयों का ही अध्ययन करके बी० एस० सी० और एम० एस० सी० डिग्रियों का अधिकारी बनने के लिये आगे कदम बढ़ा सकता है। स्वाभावतः इसका फल यह हुआ है कि हमारे विद्यार्थी विज्ञान में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं और हमारे विश्व विद्यालयों में और हमारे अच्छे दर्जे के विद्यालयों में से अधिकांश में विज्ञान विषयों को पढने के लिये प्रबन्ध है। स्नात्कोत्तर अध्ययन और गवेषणा को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। विज्ञान के विभिन्न विषयों और वैज्ञानिक गवेषणा के विभिन्न पहलुओं से संबंध रखने वाले हमारे यहाँ कई गवेषणा प्रतिष्ठान हैं। और मुझे विश्वास है कि इन सब केन्द्रों में काफी मौलिक काम किया जा रहा है। हमारे विद्वानों में से कुछ को सारे जगत में अच्छी ख्याति मिली है और उन्होंने अपने लिये ही नहीं वरन् अपने देश के लिये भी नाम और यश कमाया है। यह सब ठीक ही है और यही आशा की जा सकती है कि जो दिलचस्पी इस क्षेत्र में आज कल दिखाई देती है वह बराबर बढ़ती रहेगी।

ऐसा तो होना ही चाहिये क्योंकि आज कल के जगत में किसी भी देश के लिये यदि वह विपत्ति से बचना चाहता है तो वैज्ञानिक अध्ययन में पीछे रहना अच्छा न होगा। विज्ञान ने और अन्य देशों की वैज्ञानिक सफलताओं ने जिस प्रवृत्ति को चला दिया है उस से यदि हम बचना भी चाहें तो भी हमारे लिये उस से बचा रहना संभव न होगा। और इस लिये संसार में जो प्रगति इस संबंध

में हो रही है उसके साथ साथ ही हमें भी आगे बढ़ना है। इस प्रयोजन के लिये उन दो बातों को, जो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरी में अलग लगती हैं, ध्यान में रखना होगा। सैद्धांतिक अथवा मौलिक प्रकार की गवेषणा का तो एक प्रश्न है और दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिये ऐसी मौलिक गवेषणा के परिणामों के प्रयोग करने का प्रश्न दूसरा है और इस दूसरे प्रश्न से यह प्रश्न भी पैदा होता है कि खेत में, कारखाने में, घर में, में, और सार्वजनिक स्थान में प्रत्येक नर-नारी चाहे वह बाल हो या वृद्ध, धनी हो अथवा निर्धन, उस के दैनिक जीवन में व्यावहारिक प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी को कैसे फैलाया जाये। मूलभूत अथवा सैद्धांतिक गवेषणा के महत्व को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता क्यों कि सिद्धांत के व्यावहारिक प्रयोग का प्रश्न तो तभी पैदा हो सकता है जब सिद्धांत निर्धारित हो गया हो। किंतु इस कथन से कि साधारण मनुष्य का सैद्धांतिक गवेषणा से कोई अधिक मवध नहीं है, चाहे फिर यह बात इसी कारण से क्यों न हो कि वह उसे समझना नहीं है, सैद्धांतिक गवेषणा का मूल्य या महत्व तो कम नहीं होता। साधारण मनुष्य का मवध तो वैज्ञानिक जानकारी के व्यावहारिक प्रयोग से ही होता है। उसे मोटर में चढ़कर चलने में आनन्द आता है। यदि किसी व्यावहारिक वैज्ञानिक रीति से उसे अपने छोटे से खेत में उसमें कुछ अधिक मन अनाज पैदा करने में सहायता मिलती है जो वह अब तक उस में पैदा करता रहा है तो उसे बड़ा हर्ष होता है। जो रोग असाध्य समझा जाता रहा है उस से यदि किसी औषधि से वह बच जाता है तो उसे खुशी होती है। यदि यह भी कहा जाये कि उसे उस गहरी वैज्ञानिक जानकारी में कुछ दिलचस्पी भी है जिसके आधार पर मोटर बनी है, या खेती के औजार बनते हैं या किचाई के लिये नल या खाद बने हैं जिन से कि अधिक अन्न उपजाने में उसे सहायता मिलती है अथवा जिस के आधार पर रोगों के निदान अथवा चिकित्सा की अत्यन्त श्रेष्ठ रीतियाँ निकली हैं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह उसमें कुछ ज्यादा वास्ता रखता है। साधारण जन के प्रतिनिधि के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि वैज्ञानिक जानकारी का मेरे जीवन को बेहतर बनाने में क्या भाग है और उसका व्यावहारिक प्रयोग उभ उद्देश्य के लिये कैसे किया जा सकता है और उसके परिणाम क्या होंगे हे इस में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे आशा है कि जो प्रमुख वैज्ञानिक यहाँ एकत्रित हुए हैं वे मेरी इस बात में बुरा न मानेंगे कि साधारण जन के नाते मैं तभी सन्तुष्ट होऊँगा जब हमारी समस्याओं के व्यावहारिक हल निकाल कर हमारे सामने हमारे वैज्ञानिक रख देंगे। ये हल भी ऐसे नहीं होंगे चाहिये जो मेरी सामर्थ्य अर्थात् मेरे सीमित साधनों और औजारों को ध्यान में रखकर मेरी समझ में अथवा मेरे व्यावहारिक रीति में उनको प्रयोग करने की मेरी सामर्थ्य में बाहर के हैं। मैं आपमें यही निवेदन करूँगा कि आप अपने काम को इस प्रकार चलाये कि उस के परिणाम साधारण जनो को सहज में ही स्वीकार हों। मेरा विश्वास है कि उन में सहज बुद्धि की कुछ कमी नहीं है। तथा यदि एक बार वैज्ञानिक जानकारी के परिणामों की उपयोगिता के बारे में वे आश्चर्य हो गये और यदि इन पर अमल करना उन की शक्ति और साधनों के बाहर की बात न हुई तो वे उन को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और अपनायेंगे और वास्तव में वे ऐसा करते भी हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि उन को वे सब परिणाम साधारण व्यावहारिक और बुद्धिगम्य रीति से उपलब्ध हाने चाहिये। मैं जानता हूँ कि संभवतः यह सब बातें वैज्ञानिकों के निजी कार्य क्षेत्र की नहीं हैं और संभवतः राज्य को, अथवा सार्वजनिक संस्थाओं को वैज्ञानिक जानकारी और व्यावहारिक रीतियोंका जनता में प्रसार करने के लिये कार्य करना आवश्यक हो सकता है। किंतु आपको उनका इस तरह विकास कराया है

जिन्हें कि राज्य और दूसरी स्थायी अपना सके और जनता में उनका प्रचार कर सकें। मुझे यकीन है कि इन बातों की ओर आप उदासीन नहीं हैं। किंतु मेरी यह भावना है कि संभवतः आपके कार्य क्षेत्र के बारे में साधारण जनता क्या दृष्टिकोण है यदि मैं उसे आपको बताऊं तो आपको उस पर ध्यान देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

एक और बात है जिसकी ओर ध्यान दिलाने में मुझे काफी हिवकिवाहट है और संकोच है तथापि मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। आधुनिक विज्ञान को अतीत की सफलताओं के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिये और न उनको उपेक्षा करनी चाहिये। उसे ऐसा सब भी न करना चाहिये जब कि इन के तह में का सिद्धांत अथवा उनकी पृष्ठभूमि या तो स्वयं विदित नहीं अथवा हो सकता है कि उन लोगों को भी ज्ञात न थी जिन्होंने वास्तव में ये सफलताएँ हासिल की थीं। आपकी अनुमति से मैं अपने आशय को स्पष्ट करने के लिये कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। इजीप्टियों ने हाल के दिनों में बड़ी तरक्की की है लेकिन तब भी इस देश के और संभवतः अन्यत्र के पुराने जमाने के इजीप्टियों और निर्माताओं को हमें उपेक्षा के भाव से न देखना चाहिये। मैं नहीं जानता कि उन दिनों कोई ऐसे इजीप्टियों के विद्यालय, या अन्य स्थायी थी या नहीं जिन्होंने दक्षिण भारत के मन्दिरों अथवा ताज अथवा मुगल सम्राटों के किलों के निर्माण करने वालों को शिक्षा प्रदान की थी। इनमें भी कम प्रथम और कम महत्व वाली इमारतों की उन के कलात्मक महत्व के अतिरिक्त यह खूबी रही है कि वे यदि हजारों वर्ष तक नहीं तो सैकड़ों वर्ष तक तो अवश्य आतप, वर्षा सब सहकर के भी ज्यों की त्यों खड़ी है। जहाँ भी लोहे के टुकड़े इस्तेमाल किये गये हैं वहाँ उम्र हालत में भी जबकि जहाँ उनको लगाया गया था वहाँ से हटाये जाकर उन्हें खुले मैदान में वर्षा तक पड़ा रहने दिया गया है वर्षा, आतप के सारे आघात सहकर वे उसी तरह से बचे हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य उड़ीसा में कुणारक के सूर्य मन्दिर के चारों ओर दिखाई देता है। हमारी सब नई इमारतों में आधुनिक युग का बना हुआ मसाला लगता है। मैं कभी कभी सोच करता हूँ कि क्या इन पुरानी इमारतों में लगे हुए मसालों की भी कभी जाच पड़ताल की गई है? अथवा इन की वैज्ञानिक परीक्षा की गई है और क्या इन्हे खराब पाया गया है अथवा ज्यादा खर्चीला पाया गया है और इस लिये इन का परित्याग कर दिया गया है ?

इसी प्रकार हम यह जानते हैं कि देशी चिकित्सा प्रणालियों में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे वास्तव में रोग दूर हो जाता है। यद्यपि हमारी जड़ी बूटियों के सबध में कुछ गवेषणा होती रही है तथापि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि उन औषधियों, और नुसखों और उन के बनाने के तरीकों के बारे में जिन्हें कि सब लोग जानते हैं और जो हमारी किताबों में मिलते भी हैं कोई वैज्ञानिक खोज की गई है और वे क्यों इतने अच्छे साबित होते हैं इस बात के कारणों का पता चलाया गया है।

दूसरे देशों में जितनी पैदावार फी एकड़ की जा सकती है उस की अपेक्षा हमारे देश में कृषि में फी एकड़ पैदावार कहीं कम होती है। कोशिश आज कल यह की जा रही है कि ऐसे तरीकों, खाद और दूसरी चीजों का इस्तेमाल शुरू किया जाये जिनसे कि पैदावार बढ़ जाये। और प्रयोग के लिये आरम्भ किये गये खेतों तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों की खेती की पैदावार अन्य देशों की अधिक से अधिक पैदावार के बराबर तक हुई है किंतु हम इस बात को नहीं भूल

सकते कि हमारे कृषक आधुनिकतम कृषिक सिद्धांतों के व्यावहारिक प्रयोगों में से कुछ से परिचित हैं। उदाहरणार्थ एक के बाद दूसरे प्रकार की फसल लगाने की रीति से और अपनी उर्वरा शक्ति को पुन प्राप्त करने के लिये भूमि को बिना जोते छोड़ देने की रीति से तथा गहरी जुताई करने से जो लाभ होता है उसमें भी वे परिचित हैं। सिंचाई के लिये पानी को ऊपर उठाने के लिये भी उनके पास पुगने यांत्रिक साधन हैं। हमें यह भी स्मरण रखना है कि हमारी भूमि के बड़े भाग में शताब्दियों से खेती होती रही है और तब भी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रही है। गो कि हमारे यहां पैंदोवार उन देशों से कम है जहां खेती कुछ शताब्दियों से ही आरम्भ हुई है। मुझे यह मालूम नहीं है कि इन पुगने तरीकों और साधनों का इस विचार में कि उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है अध्ययन करने के लिये पर्याप्त ध्यान दिया गया है या नहीं और उस सबध में कुछ गवेषणा की गयी है या नहीं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पुगनी चीजों और तरीकों को सुधारने में उसमें कहीं कम मुश्किल और खर्चा होगा जितना कि नई चीजों और औजारों को नये मिररे से और खास तौर से खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने में होगा।

इस बात के बावजूद कि मुझे ऐसा कहने के लिये प्रतिक्रियावादी अर्थात् ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो आगे देखने के बजाय अपनी दृष्टि पीछे की ओर लगाये रहता है मैं यह कहना चाहता हू कि सभवत कुछ पुगनी चीजे ऐसी हैं जिनकी जाच पडताल करना आवश्यक है। यह ठीक है कि मैं उन महान् मुधारों की ओर जो वैज्ञानिक गवेषणा के कारण सब दिशाओं में हुए हैं अपनी आंखें बन्द नहीं कर लेना चाहता। और न अपनी समस्याओं के हल करने के बारे में उन के व्यावहारिक प्रयोग के प्रति उदासीन ही हू। किन्तु मौजूदा चीजों और तरीकों की मैं इस हद तक हिमायत करता हू कि उनकी अच्छाई, बुराई की पूरी जाच किये बिना उन को त्याग न देना चाहिये। मुझे कुछ ऐसा खयाल है कि विज्ञान किमी बात को भी बिना कारण ही अच्छा बुरा नहीं मान लेता वरन् उनको अपनाते से पहले उन्हें को समझने की कोशिश करता है। मेरा मुझाव यह है कि किमी चीज का भी परित्याग करने से पहले इसी प्रकार की जाच की जानी चाहिये और किमी चीज को इस लिये न फेंक देना चाहिये कि वह पुगनी है।

आपका जितना समय मैं लेना चाहता था उस में मैं ने कुछ ज्यादा ले लिया है। आपका समय लेने के लिये ही नहीं वरन् विज्ञान और वैज्ञानिक विषयों के प्रति साधारण मनुष्य के अवैज्ञानिक तरीके से बातें करने के लिये भी मैं आपमें क्षमा चाहता हू। भारतीय विज्ञान विद्या-परिषद् ने विज्ञान के ससार में अपना स्थान बना लिया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिये मुझे निमंत्रित करके आपने मेरा जो आदर किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हू।

### कस्तूरवा बालिका आश्रम

ता० ३१-१२-५१ को कस्तूरवा बालिका आश्रम, ओब्ला में उसके आठवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा —

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू जी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे यह मौका दिया है कि मैं आपकी इस संस्था को देख सकू। यह बात सच है कि मैं आज पहले पहल इस संस्था में आया हू और इसके पहले



कभी मुझे यहां क्या हो रहा है इसको देखने का मौका नहीं मिला था। आपने यह भी ठीक ही कहा है कि इसके पहले आप लोगों का इसका मौका कुछ ज्यादा मिला करता था कि हम सब आपके साथ मिल कर जो काम आप कर रहे हैं उस में हाथ बटावे। और इस समय वह मौका कुछ कम हो गया है जिसका कारण आपको अच्छी तरह मालूम है। मगर मैं बतला देना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हू कि चाहे हम खुलकर आपके साथ बैठकर हाथ न बटा सके लेकिन हमारे दिल और हमारी सहानुभूति इस तरह के कामों में अभी भी वैसी है जैसे पहले थी और मैं आशा रखता हू कि जो भाई और बहन इस काम में इस वक्त लगे हुए हैं इस काम को उत्साह के साथ आगे बढ़ाते जायेंगे। हम लोगों को मौका मिलेगा तो मदद देने में हम भी न हिचकेगे।

बहुत दिनों की बात है। शायद सन् १९२४-२५ की बात है कि जब ज़ोरो से देश भर में असहयोग आंदोलन २०-२१ में आरम्भ हुआ, उसके दो, तीन साल के बाद आप जानते ही हैं उस में सुरती आ गई थी। उसी सुस्ती के जमाने में विहार विद्यापीठ नाम की संस्था विहार में काम कर रही थी। उसी संस्था के इसी तरह के समारोह में मैंने श्री राजगोपालाचारी को निमंत्रण दिया था कि, जैसे आपने मेरे हाथ से आज यह पारितोषिक वितरण कराया है उसी प्रकार वे आवे और बच्चों को आशीर्वाद दे। उस समय उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने यह कहा था कि १९२०-२१ में एक बड़ा आन्दोलन हुआ और उसका असर सारे देश भर में पड़ा। आज वह अगचे कुछ कम और कुछ हीला पड़ गया है मगर तो भी हमको विश्वास रखना चाहिये कि जब समय आयेगा फिर वह जोर पकड़ लेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह की जो संस्थाएँ हैं वह चिराग की तरह इस आन्दोलन की ज्योति को आज भी जीवित रख रही हैं और जैसे एक दिव्य से आप हजार दिव्ये जला सकते हैं उसी तरह इस तरह की संस्थाएँ काम करती रहती हैं। उस चीज को मैं भूलता नहीं हू। मैं मानता हू कि चाहे आपको यह लगता हो कि आपके साथ हम लोगों का इतना हाथ नहीं बटता जितना पहले होता था और चाहे आपके मन में यह खयाल आता है कि लोगों की सहानुभूति कम हो गई है या वे दूसरे कामों में जिन में उनकी दिलचस्पी ज्यादा है अधिक वक्त देते हैं तो भी आपको मानना चाहिये कि जो इस तरह की रचनात्मक संस्थाएँ हैं वे महज टिमटिमाते हुए चिराग की ही तरह नहीं हैं बल्कि एक ऐसे दिव्य ज्योति वाले सूर्य के समान हैं जो एक बार फिर हमारे देश को अपनी लपट में लेकर अधूरे पड़े काम को पूरा करने में हमको मदद देगा। मैं मानता हू कि जो रचनात्मक कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने हम को बताया था और जिस के अनुरूप ही यह संस्था थोड़ी बहुत अपनी शक्ति के अनुसार काम कर रही है, वह रचनात्मक कार्यक्रम ऐसा है जो भारत को गांधी जी के स्वप्नों के अनुसार बना सकेगा। अगर हमने इस रचनात्मक कार्यक्रम को छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह होगा कि हमने उस चित्र को भुला दिया है जो उन्होंने ने हमारे सामने रखा था और या उस की जगह कोई दूसरा चित्र अपने सामने रख लिया है और उसे पूरा करने में लग गये हैं। मेरा अपना विश्वास है कि भारत अभी भी गांधी जी के बताये चित्र को भुला नहीं है और यद्यपि बहुत सी चीजें ऐसी देखने में आती हैं जिन से मालूम होता है और कुछ थोड़ी सी निराशा भी होती है, कि हम उनके रास्ते से अलग होते जा रहे हैं उसको भूलते जा रहे हैं या कम से कम उस पर ध्यान कम दे रहे हैं तो भी उस कार्यक्रम में अभी भी इतनी शक्ति है कि यकन यक समय वह हमारे सामने फिर आयेगा और सामने आकर हम सब से कबूल करा लेगा कि

हमें उसी पथ पर चलना है। इसलिये जितनी सस्थायें यह काम कर रही हैं उनमें मैं हमेशा दिलचस्पी रखता हूँ और उन की जो कुछ थोड़ी बहुत मुझ से सेवा हो सकती है मैं करने के लिये तैयार रहता हूँ। यद्यपि इस तरह के काम में आज कल मैं अधिक समय नहीं दे सकता हूँ और न इस क्षेत्र में अधिक काम ही कर सकता हूँ किंतु मुझे विश्वास है कि फिर मौका आयेगा जब मुझे यह काम करना होगा और उसी में लगना होगा। यह मैं इसलिये मोचता हूँ क्यों कि मैं मानता हूँ कि यही काम सब से बड़ा है। इसलिये जो भाई बहन इस काम में लगे हुए हैं वे इसमें घबराये नहीं, इसे छोटा नहीं समझे। अगर दिन प्रति दिन उन के नाम व तस्थीरे अब्बारो में न छपे तो उसकी परवाह न करके वे इस काम को करते जायें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बालिकाएँ यहाँ तैयार हो रही हैं वे आगे चल कर देश की और भी उन्नति करेगी और देश को उस रास्ते पर ले जायेगी जिस पर गांधी जी ले जाना चाहते थे। इसलिये मैं बालिकाओं को बधाई देता हूँ कि उनका सौभाग्य है कि वे यहाँ आईं और यहाँ आकर सेवा कार्य कर रही हैं। जो कुछ उन्होंने कार्य करके दिखलाया उससे संतोष हुआ। वे एक जगह नहीं अनेक प्रातों से आईं हैं। मुझे आशा है कि यहाँ से दीक्षित होकर वे अपनी अपनी जगह में अपने अपने स्थान में एक एक केन्द्र बन जायेगी और अपने कार्यों के द्वारा इस ज्योति को फैलायेगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा इस काम को करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जायेगी और जैसे जैसे वह संख्या बढ़ती जायेगी काम का फैलाव होता जायेगा। मैं इस आशा में हूँ और यह उम्मीद रखता हूँ कि इसमें कमी त्रुटि या कमी नहीं होने पायेगी।

आपने रुपये की कमी की शिकायत की है। मैं मानता हूँ कि अक्सर अपने काम में हम रुपये की कमी महसूस किया करते हैं। पर महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो काम करने वाले होंगे उन को रुपये की कमी नहीं होगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपको रुपये की कमी नहीं रहेगी। आपने भी इसका अनुभव किया है। एक सज्जन ने जिन को आपके इस काम से प्रेम है, खुद आकर अपनी मर्जी में आपको जगह दे दी है। इसी तरह से आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको लोग देखेंगे और उम में प्रभावित होकर आपकी सहायता करेंगे और आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी।

अभी जो काम आप कर रहे हैं उस में मैं कुछ खाम सलाह नहीं दे सकता हूँ क्यों कि मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने इस काम में इतना समय लगाया है जिन्होंने इस के मन्थन में बहुत विचार किया है और जिन्हें इस कार्य का कुछ न कुछ सक्रिय अनुभव है, वे ही लोग इनका मंचालन कर रहे हैं। उनके सामने मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह सकूँगा जो खुद वे नहीं जानते हों, या जिस का उन्हें अनुभव न हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज कल हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि उस में चरित्र पर कम ध्यान दिया जाता है। गैर सरकारी संस्थायें, इस तरह की रचनात्मक संस्थायें विद्यार्थियों को चरित्रवान बना सके तो वह बहुत बड़ा काम होगा—ऐसा काम जिसके लिये मारा देश उनका अहसानमंद रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने यहाँ इस बात का प्रवन्ध करेंगे।

जिन लड़कियों ने इनाम पाया उन को मैं बधाई देता हूँ और जिन्होंने नहीं पाया उन को सलाह देता हूँ कि वे रंज न करें; वे कोशिश करें और अगर आज नहीं तो कल वे भी इनाम पायेंगी।

आपने यह कहा है कि १५० लड़कियों के रहने की जगह यहाँ हो जाये तो अच्छा है। आपके यहाँ जगह तो है। मकान की जरूरत है। आज कल हमारे यहाँ जितनी सस्थायें चलती हैं उन सब

संस्थाओं को पैसे की कमी होने का एक विशेष कारण यह है कि हम मकानों में बहुत खर्च करने लगे हैं। बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हैं। कम खर्च में हमें इस तगी को दूर करना चाहिये। आपको मालूम ही है कि गांधी जी ने अपने लिये सेवा ग्राम में झोंपड़ी बनवाकर देश के सामने एक उदाहरण रख दिया। उसमें रहकर वे सारे देश का काम करते थे। हमारे बच्चों के पढ़ाने का काम भी झोंपड़ी में हो सकता है। मैं चाहूँगा कि कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा मकान आप बनावे और उस में बच्चियों को पढ़ावे, सिखावे और अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया तो पैसे की कमी—वह कमी जो आप महसूस करते हैं—उसे आप कम महसूस करोगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस बात पर ध्यान देंगे।

आप सब भाइयों और बहनों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को बधाई देता हूँ।

### आल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसायटी

\*आल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसायटी के नये भवन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति ने कहा—

श्री मैनन, बहिनो और भाइयो,

यह बड़े सतोप की बात है कि यहां राजधानी में आप की संस्था का स्थायी स्थान अब बन जायेगा। सन् ३१ से आप की संस्था अस्तित्व में रही है और अपने इस जीवन काल में इसने अपना कार्य क्षेत्र देश के सुदूर भागों में फैला लिया है। और वहां इस की अपनी प्रादेशिक समितियां आज कल कार्य कर रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप ने अपना काम केवल कला निर्माण तक ही सीमित नहीं रखा है वरन् जनता में उस के प्रचार के लिये भी सक्रिय कदम उठाये हैं और जैसा कि अभी बताया गया है सौ से अधिक प्रदर्शनियां की हैं। यह अत्यन्त सुन्दर विचार है कि अखिल भारतीय चलती फिरती कला प्रदर्शनी की जाये और मेरा यह विश्वास है कि ऐसी जो प्रदर्शनी आप ने संगठित की है वह देश के अनेक नगरों में जा चुकी है और जनता को अत्यन्त पसन्द आई है। कला की सेवा के लिये आप देश से बाहर जा चुके हैं और इस नगर में और अन्यत्र कई बार अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी संगठित की हैं। आप अब तक जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं उस के लिये मैं आप को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं यह विश्वास सहित कह सकता हूँ कि आप अपने कामों से उन सब लोगों के आदर के अधिकारी बन गये हैं जो हमारी राष्ट्रीय कला से प्रेम करते हैं। अपनी प्रदर्शनीय वस्तुओं के रखने के लिये और अन्य प्रयोजनों के लिये जिस भवन के निर्माण का आप का विचार है वह मेरे विचार में आधुनिक भारतीय कला तथा अन्य देशों के कला के नमूनों के रखने का एक अच्छा आगार होगा। आपकी मांग कुछ ज्यादा नहीं है और कम से कम मुझे यह आशा है कि आप का काम रुपये की कमी के कारण न रुकेगा। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार जिस ने प्रारम्भिक अनुदान दे कर इस कार्य के सम्बन्ध में

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

अपनी दिलचस्पी पहले ही जाहिर कर दी है जो भी मांग आप करेंगे उस पर सहानुभूति-पूर्ण पूरा विचार करेगी ।

अभी हाल के दिनों में हमारे देश भारत में कला को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस पर यह कठिनाइयां पड़ी किन्तु अब उस के खूब फूलने और पनपने का समय आ गया है । मेरा विश्वास है कि ऐसे युगों में जिस में हो कर कि आज हमारा देश गुजर रहा है मानव आत्मा की विभिन्न धरोहरों में अभिव्यक्ति हुई है । हम न अभी हाल में ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है और उस की अभिव्यक्ति केवल राजनैतिक सस्थाओं में ही न होगी वरन् आर्थिक समुन्नति तथा "कला के विभिन्न रूपों में भी होगी ।" धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्श अत्यन्त पुरातन काल से भारतीय कला के प्राण और हृदय रहे हैं । मैं स्वयं न तो कलाकार हूँ और न कलाविद् किन्तु मेरी यह भावना है कि मञ्ची कला केवल वास्तविक का ही कोग चित्रण नहीं है । यह तो सर्वदा ही ऐसे विचार की ओर उन्मुख रहती है जो अभी वास्तविकता में परिणित नहीं हुआ । फोटोग्राफी द्वारा लिया गया चित्र वास्तविकता का प्रतिबिम्ब हो सकता है तथा हमें उस वस्तु की याद दिला सकता है जिस के बारे में हम ने सुना है या जिसे देखा है और या जिस की हमें अनुभूति हुई है किन्तु वह मञ्ची कलात्मक सृष्टि का दर्जा नहीं पा सकता । आदर्श को वास्तविकता कभी पूरी तरह से पकड़ या प्रतिबिम्बित नहीं कर सकती । इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि कला वास्तविकता से कुछ विभिन्न और पृथक वस्तु है । इस का अर्थ केवल यही है कि वास्तविकता में जो कभी हूँ उस को कला पूरी करे । यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कलाकार की पृष्ठभूमि धार्मिक और आध्यात्मिक हो जिसे उसकी कला अनुप्राणित होती हो । दूसरे शब्दों में जैसा कि महात्मा गांधी का कथन है कला आत्मा की अभिव्यक्ति है । बाह्य रूपों का महत्व इसी सीमा तक है जितना कि वे मानव की अन्तरआत्मा की अभिव्यक्ति होते हैं । मञ्ची कला के लिये यह आवश्यक है कि वह अन्तर्गत के दर्शन के संबंध में मानव चेतना की सहायता करे ।

यही बात है जो कला को एक साथ ही सर्वव्यापी और संकुचित बनाती है । यह सर्वव्यापी इस दृष्टि में है क्योंकि वह सब के लिये आकर्षक होती है । यह संकुचित इस दृष्टि में है कि कुछ ही लोग उस सत्य को पहचानते हैं जो हम की तह में होता है । मेरी यह आशा है कि नव जागरण और नव जीवन के इस युग में हमारे कलाकार कला के क्षणिक स्वरूप के पीछे न दौड़ कर उस के अनन्त सत्य की ही साधना करेंगे । अन्ततोगत्वा कलाकार की सब से बड़ी देन यही तो है कि वह असंख्य अपरिचित व्यक्तियों के विचारों और जीवन का निर्माण करता है और यह वह तभी कर सकता है जब कि उस की कला सत्य का प्रतिबिम्ब हो । इसी अर्थ में सत्य सौन्दर्य है, और सौन्दर्य सत्य है । हमें ऐसे कलाकारों की आवश्यकता है जो हमारे देश के लक्षाधिलक्ष वासियों के जीवन को कल्याण मार्ग पर चला दें और जो उन्हें अपने भाग्य की गरिमा और महानता की झांकी दिखा दें और जो मानव जाति की सेवा में अपनी सृजनात्मक शक्ति को लगा दें । आप भारत के कलाकारों के सामने यह आदर्श हो और आप को ऐसी प्रेरणा हो यही इस शुभ अवसर पर भगवान से मेरी विनती है ।

## बाल भवन का उद्घाटन

तारीख २४-२-५२ को बम्बई में बाल भवन का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा--

महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री जी, बहिनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप ने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस समारोह में शरीक हो सका। एक जमाना था जब यह समझा जाता था कि बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिये उन को कड़ी सजा देना, मार पीट करना जरूरी है और मैं समझता हूँ कि पुराने खयाल के लोग आज भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि बगैर इस तरह की सख्ती के कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती है और उन में अगर कोई दोष आ जाये, ऐब आजाये तो, उस को दूर नहीं किया जा सकता है। मगर आज ससार के विद्वान जो इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, जो इस का अध्ययन कर रहे हैं वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ हमारे सभी बच्चों के अन्दर मौजूद हैं और उन शक्तियों को जाग्रत कर देने का काम हमारे शिक्षा शास्त्रियों का है। उन को दबा कर, कड़ी सजा दे कर उतनी खूबी और आसानी से उनके एब आप दूर नहीं कर सकते हैं जितनी खूबी और आसानी से उन के अन्दर अच्छी भावना जाग्रत कर के उन के ऐबों को आप निकाल सकते हैं और इस लिये आजकल यहाँ ही नहीं सभी जगहों में यह एक मानी हुई बात हो गई है कि बच्चों को तालीम देने के लिये उन के अन्दर जो अच्छी अच्छी शक्तियाँ छिपी हुई हैं उन को जाग्रत करना चाहिये और चूँकि सख्ती से ज्यादा प्यार और मोहब्बत का असर पड़ता है इसलिये प्यार और मोहब्बत से अधिक काम लेना चाहिये। यह जो बाल भवन आप ने कायम किया है और इस तरह की जो दूसरी संस्थायें काम कर रही हैं वे इसी आधार पर काम कर रही हैं। हम यह भी देखते हैं कि हमारे देश के अन्दर या शायद और देशों में भी बच्चों की शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकी ज्ञान, अक्षर ज्ञान माना जाता है और इसी ज्ञान को उन को देने के लिये उन के साथ सख्ती की जाती है या स्कूलों में पढ़ाने का जो पाठ्य क्रम होता है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। मगर मनुष्य का जीवन केवल पुस्तक से ही पुरा नहीं होता है; उम के लिये और भी चीजें जरूरी हैं जिन में चरित्र बहुत ही जरूरी चीज है और अगर हम चरित्र को दुस्त नहीं करें और उस को ऐसा मौका नहीं दें कि वह ठीक तरह से स्फुटित हो सके तो पुस्तकी ज्ञान न तो मनुष्य को बड़ा कर सकता है और न ऊँचा उठा सकता है। और चरित्र को दुस्त करने में जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह की आब व हवा में बच्चे पाले जाते हैं जब वे बड़े होते हैं तो उन का बड़ा असर होता है। इसलिये इस तरह की जितनी भी संस्थायें अपने देश में काम करें जहाँ बच्चों को इस का मौका मिले कि उन को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं मिले बल्कि और बातों का भी ज्ञान मिले उतना ही अच्छा होगा। केवल पुस्तकी ज्ञान से तो काम नहीं होने वाला है, चरित्र गठन और भी ज्यादा जरूरी है और ऐसी संस्थाओं में जो ऐसे काम होते हैं मैं समझता हूँ वे देश के लिये बड़े कल्याणकारी काम होंगे। इस लिये मुझे जब किसी बच्चों की शिक्षा संस्था में जाने का मौका मिलता है तो मैं उस संस्था को इसी नज़र से देखना चाहता हूँ कि

वहां उन के चरित्र के अच्छा बनने के क्या साधन हैं, उस पर किस तरह से जोर दिया जाता है और बच्चों के अच्छे नागरिक बनाने के लिये क्या काम होते हैं । उस लिये जब बाला साहब ने मुझ से इस बात का आग्रह किया कि मैं यहां हाज़िर हो कर इस समारोह में भाग लू तो मैं ने खुशी से उसे इस लिये स्वीकार कर लिया कि और कुछ नहीं तो इस में सम्मिलित हो कर थोड़ा प्रोत्साहन दे दू और इसी भावना से मैं यहां आया हूँ ।

जो कुछ बच्चों ने यहां गा कर, खेल कर दिखलाया उस से मुझे बहुत ही सतोष हुआ । मैं समझता हूँ कि आप के बच्चे इस बाल भवन से और अधिक लाभ उठाते जायेंगे । बम्बई जैसे शहर में पैसों की कमी नहीं होनी चाहिये । जो आपने निवेदन किया है उम के फलस्वरूप मुझे पूरी आशा है कि इस काम को आगे बढ़ाने में पूरी सहायता मिलती जायेगी । मैं आप सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतने बच्चों को एकत्रित देख कर जो उल्लास और खुशी होती है उस का मौका आप ने दिया । जिस तरह से किसी आदमी को फूलों के बगीचे में जा कर खिले हुए फूलों को देख कर आनन्द होता है वैसे ही जिन की अवस्था अधिक हो जाती है और जहां मुझने लगते हैं उन को बच्चों के बगीचे में जा कर आनन्द होता है, उन का हृदय प्रफुल्लित होता है और मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ जिसे के लिये मैं आप को विशेषतया धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

### न्यू टेक्सटाइल स्पिनिंग मशीनरी

\*न्यू टेक्सटाइल स्पिनिंग मशीनरी के थाना जिले में २५ फरवरी सन् १९५२ को उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा—

आज के उत्सव में भाग लेने में तथा नेशनल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड के कारखाने का उद्घाटन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है । इस देश में आधुनिक युग में जो उद्योग धन्धे आरम्भ किये गये हैं उनमें सब से पुराना कपड़ा उद्योग है और जैसा कि आपने कहा है लगभग सौ वर्ष हुए जब कि यहाँ प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था तब से हमारा कपड़े का उद्योग बहुत बढ़ गया है । यह उद्योग आजकल औसतन लगभग ४ अरब गज कपड़ा तथा ३५ करोड़ पीड वज़नी सूत पैदा कर सकता है । हमारे देश का यह सब से बड़ा उद्योग है और देश भर के समस्त औद्योगिक उत्पादन का लगभग चतुर्थांश उत्पादन यह उद्योग करता है । अतः इस के महत्त्व को बढ़ा करके बताया जा सकता ही नहीं । हमारे कपड़े के कारखाने काम कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं और इसलिये हमें कपड़ा बनाने की मशीन बहुत भारी तादाद में आयात करनी पड़ती है । सन् १९४८-१९४९, १९४९-१९५०, १९५०-१९५१ में औसतन आयात लगभग १० करोड़ २१ लाख रुपये का रहा है । यही नहीं कि हम को इतने अधिक यन्त्रों का आयात नहीं करना चाहिये वरन् आजकल यह भी आवश्यक है कि इस बड़े और आवश्यक उद्योग के चालू रखने के लिये हम दूर देशों पर अपनी निर्भरता को कम करें । यह बात अब लोग पहचान रहे हैं कि जब तक या तो सारे या कम से कम बहुत ज्यादा ऐसे यन्त्र अपने यहाँ पैदा नहीं करने लगते जितने कि हमारे कारखानों के चालू रहने और बढ़ने के लिये जरूरी हैं तब तक विभिन्न क्षेत्रों में हमारा औद्योगिकरण पूरा नहीं हो सकता, और न उसको अच्छी तरह से चलाया जा सकता है और न उससे

उतना काम लिया जा सकता है। बहुत से क्षेत्रों में हम ऐसी मंजिल तक पहुंच गये हैं जहां हमारे कारखानों के बढ़ाने और चलाने के लिये काम में आने वाले मशीनी पुर्जों का निर्माण आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में कपडा बुनने की, रई ओंठने की, पटसन और शक्कर की, मशीनरी का यहां उल्लेख किया जा सकता है। अतः मुझे हर्ष है कि नेशनल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड हमारे कपडा कारखानों में आने वाली मशीन बना सकेंगे और उसकी अधिकांश मांग को पूरा कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि आप की सालाना पैदावार लगभग सवा करोड़ रुपये की होगी और हमारे कपडा उद्योग में काम आने वाली सूत कातने की मशीनों की बीस फीसदी आवश्यकता को पूरी कर सकेंगे। और कपडा उद्योग में काम आने वाले कुल रिग फ्रेमों की चालीस पैतालीस प्रतिशत आवश्यकता पूरी कर सकेंगे। मुझे आशा है कि टैक्समाको कारखाने के साथ साथ जो कि कुछ साल पहले ही से चालू है और जिसने भारत और पाकिस्तान की २०० से अधिक कपडा मिलों को ८०० रिगफ्रेम दिये भी है और जिसकी चीजें पूरी तरह सन्तोषजनक पायी गयी हैं आप उन चीजों की हमारे यहां की मांग को पूरा कर सकेंगे जिन चीजों को ये दोनों कारखाने बनाते हैं। तब भी इस दिशा में बहुत कुछ करने को बाकी रहेगा। और इस तरह काम जो आगे बढ़ा है उससे मुझे आशा होती है कि बड़े दिन दूर नहीं है जब हम इस स्थिति में हो जायेंगे कि अपनी कातने की मशीनों की आवश्यकता को ही नहीं बरन् बुनने की मशीनों की भी पूरी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। आपके अध्यक्षों के लिये मैं आपको बधाई देना हूँ और इस बात के लिये भी बधाई देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में समग्र के मंत्र में पुराने और माल बनाने वाले अर्थात् इंग्लैण्ड के टैक्समटाडल मशीनरी मेकर्स लिमिटेड का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गये हैं और उनको जो व्यावहारिक अनुभव हुआ है वह आपके कारखाने को इस प्रकार मिल जायेगा और काम में आने वाली मशीनों को और अधिक अच्छा बनाने की जो बग़ावर गवेषणायें हो रही हैं उनके परिणाम में भी आप को लाभ होगा। यह भी बधाई की बात है कि यह कारखाना इस माल के उपभोक्ताओं का सहकारी उद्योग है और इस की पूजा में भारतीय कपडा मिलों के मालिकों का ही ज्यादा हिस्सा है। हमें यह बात अनुभव से पता चली है कि काल पुरजे बनाने वाली मशीनों के अभाव के कारण हमारे देश के औद्योगिकीकरण की प्रगति किस प्रकार रुकी पड़ी रही है। इसके समतुलित और सर्वतोन्मुखी और शीघ्रता से विकास के लिये ऐसे नुनियादी उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे उद्योगपतियों और पूजिपतियों में अध्यक्षों की कमी नहीं है और जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव से प्रकट है हमारे श्रमिकों में ऐसी सहज वृद्धि है कि वे ऐसे काम को जन्दी सीख लेते हैं। शिल्पिक शिक्षा के प्रसार, पूजा की प्राप्यता और अपने प्राकृतिक सम्पत्ति साधनों के समुचित प्रयोग के आधार पर हम आगे के लिये यह विश्वास कर सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का युग आरम्भ होने वाला है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप उद्योगपति और पूजिपति राष्ट्रीय पुनरुद्धार के इस महान् कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेंगे और इसमें अपना बहुत मूल्यवान् अंश दान करेंगे।

श्री कृष्णराज ठैकरसी और आप के साथियों और सहकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उद्योग में आपकी पूरी सफलता के लिये सद्कामना करता हूँ। तथा मैं इंग्लैण्ड के टैक्स-

टाइल मशीनरी मेकर्स लिमिटेड के प्रति और विशेषतया मिस्टर कैनथ प्रैस्टन के प्रति उन की उस तत्परता के लिये अपनी कृतज्ञता और आदर प्रकट करता हूँ जिस से कि वे इस देश में इस उद्योग के आरम्भ करने के लिये हमारी महायत्ना के लिये आगे बढ़े और इस की उन्नत के लिये जो दिलचस्पी वह बराबर दिखाते रहे और जिस के वारं मे मुझे भरोसा है कि वह हमारे लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस काम्रवाने का उद्घाटन करता हूँ और इसकी सफलता के लिये पूरी सद्कामना प्रकट करता हूँ।

### राज्य एशियाटिक सोसायटी, बम्बई

\*२५ फरवरी १९५२ को राज्य एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाखा के समक्ष बोलने हुए राष्ट्रपति ने कहा—

माननीय श्री चावला, बहनो और भाइयो,

राज्य एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाखा तथा जिस केन्द्रीय पुस्तकालय को अभी मैंने देखा है उस में आकर मुझे बड़ी प्रमत्तता हुई है। आपने यह ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकालय ही नहीं है वरन् नव जीवन और क्रियाशीलता का भी केन्द्र है। पिछले वर्षों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने साहित्य और कला के अध्ययन के लिये बहुत कुछ किया है। भारतवर्ष में पूर्वायविषयों के अध्ययन के वे पथ प्रदर्शक थे और ऐसी शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक थे। मुझे इस में शका नहीं है कि भविष्य में भी वे अपनी परम्पराओं का पालन करने रहेंगे। परन्तु इस पुस्तकालय को चलाने के लिये आवश्यक निधि एकत्रित करने के लिये वे लोगों से लाटरी खरीदने की अपील किया करते थे किन्तु अब मुझे इसमें कोई शका नहीं है कि यदि इसी रीति से निधि इकट्ठी की भी जा सकती हैं तो आप संभवतः इस समस्या को उस में अलग ही रखेंगे। मुझे विश्वास भी है कि आज कल इतने अच्छे काम के लिये निधि इकट्ठी करने के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यदि आज किसी बात की कमी है तो वह ऐमें सच्चे और अच्छे आदर्शियों की कमी है जो किसी विशेष समस्या का काम ठीक ठीक तरह से चला सके। आप के पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उन की कुछ झांकी ही अभी अभी मुझे मिली है। वहाँ जो समय मैंने व्यतीत किया है वह इतना नहीं है कि कुछ उदाहरण देखा जा सके। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसी से मुझे यह पता चल गया है कि आपने कितनी मूल्यवान् पुस्तकें कितनी अधिक संख्या में यहाँ इकट्ठी कर ली हैं और अब तो आपने अपना काम और भी बढ़ा लिया है। आप इसी बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अनेक विद्वानों को अध्ययन करने और अपनी गवेषणा का परिणाम जनता के सामने रखने की सुविधा ही आप प्रदान करे वरन् आपने यह भी निश्चय कर लिया है कि इस केन्द्रीय पुस्तकालय के द्वारा सर्व साधारण की सेवा भी करें और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि इतने अधिक लोग इस संस्था द्वारा साहित्य सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसा कारलायल ने कहा है पुस्तकालय ही सच्चा विश्वविद्यालय हो सकता है और पुस्तकालयों के द्वारा ही देश की प्रगति हो सकती है। मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है कि जब हम इस वाक्य का गर्व कर सकेंगे कि हमारे देश के

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।



नगरों में ही नहीं वरन् गावों में भी पुस्तकालय है। प्राचीन युगों में हमारे देश वामी साहित्य और पठन पाठन को इतना महत्त्व न देते थे जितना कि अन्य देशों में दिया जाता रहा है। सच तो यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा देने की रीति कुछ और ही थी। हमारे यहाँ बहुत कुछ सीमा तक सस्कृति की रक्षा और प्रसार मौखिक शब्द द्वारा अथवा अन्तरानुभूति द्वारा ही हुआ है। और उन्ही शब्दों द्वारा उसकी इतनी उन्नति हो सकी है। आधुनिक युग में तो इसके लिये पुस्तकों की भी छपी हुई सामग्री की भी आवश्यकता है और इसलिये मुझे कोई शंका नहीं है कि पुस्तकालय आन्दोलन का भविष्य महान् है। पहले से ही यह हमारे देश में फैल रहा है और मुझे यह आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में कोई भी नर या नारी अशिक्षित न होगी। तब पुस्तकालय का कार्य सफल हो गया होगा और इस पुस्तकालय ने भी अपने पुराने गौरव की रक्षा कर ली होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आपका कार्य इतनी अच्छी तरह से आरम्भ हुआ है। मुझे आशा है कि जैसा आपका पुराना इतिहास रहा है जैसी सफलतायें आपको वीते दिनों में मिली हैं उसी प्रकार की सफलतायें आपको भविष्य में भी मिलेंगी। आपकी सफलता के लिये मेरी पूरी सद्कामना है। इस पुस्तकालय में आने का जो अवसर आपने मुझे दिया है और इसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहने का भी जो अवसर मुझे दिया है उस के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### पूना विश्वविद्यालय में अभिनन्दन

\*पूना विश्वविद्यालय में २६ फरवरी १९५२ को उपकुलपति डाक्टर जयकर के अभिनन्दन भाषण के उत्तर में राष्ट्रपति ने कहा—

महामहिम राज्यपाल साहब, डाक्टर जयकर, बहनो और भाइयो,

इस विश्वविद्यालय में आने के लिये मुझ से किसी प्रकार के आग्रह करने की आवश्यकता तो पड़ ही न सकती थी। मुझे पैंतीस वर्ष पहिले की जब मैं प्रथम बार महात्मा जी के सपक में आया था एक घटना की याद आज आती है। वे तब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और बिहार गये हुए थे। वे उन दिनों चम्पारन में ठहरे हुए थे और वहाँ वेतिया के निकट किसी स्थान को सध्या समय जा रहे थे। उन्होंने तभी सारे देश का दौरा समाप्त किया था। श्री गोखले के आदेशानुसार वर्ष भर तक कोई भाषण न करने का उन्होंने निश्चय किया हुआ था। यह वर्ष तब तक पूरा न हुआ था और उन्होंने चम्पारन में कार्य आरम्भ कर दिया था। उन से मैंने एक बात पूछी “आपने सारे देश के सब स्थानों को देखा है, समस्त देश में आप किस स्थान को सर्वोत्तम मानते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया “पूना आधुनिक तीर्थ स्थान है। मुझे ऐसा और कोई स्थान मालूम नहीं है जहाँ त्याग भावना इस प्रकार केन्द्रित हो गयी हो जिस प्रकार कि वह पूना में केन्द्रित है और जब भी तुम्हें अवसर मिले तुम जाओ और पूना अवश्य देखो”। मैंने उन की यह सम्मति मानी और बिहार के बाहर सर्व प्रथम जिस स्थान की मैंने यात्रा की वह पूना ही था। यह ठीक है कि उस से पहले मैं बंगाल में ही आया था। किन्तु बंगाल और बिहार का विभाजन तो अभी हाल में ही हुआ है और कुछ वर्ष पहले तो वह एक ही प्रांत थे। मैं सन् १८ में पूना आया था। तब से ही त्याग के इस केन्द्र के लिये मेरे मन में आदर और सम्मान रहा है। मुझे स्मरण है कि जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तो मैं उन संस्थाओं में से कुछ में गया था जो उन दिनों यहाँ चल रही

थी। डाक्टर पराजपे उस समय सभवतः यहाँ से चले गये थे किन्तु इस बारे में मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकती किन्तु यहाँ अन्य लोग थे जो उन सस्थाओं को चला रहे थे जिन में मैं उस समय गया था। तब से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि जब कभी भी मैं इस ओर आऊँ तो यहाँ मे कुछ प्रेरणा प्राप्त करने के लिये इस स्थान में अवश्य आऊँ।

आपने बहुत ही शुभ परिस्थितियों में कार्य आरम्भ किया है। आपके पास मुन्दर भवन है, वृहत् उद्यान है और इन से भी कहीं अधिक और मूल्यवान् आपके पास त्याग भावना वाले और विद्वान् कार्यकर्त्ता हैं। ये ही तो एक सच्चे विश्वविद्यालय के निर्माता हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि त्याग और विद्या की पुरानी परम्परा के कारण तथा तीस वर्षों में अधिक राजनैतिक कार्य के पूना के केन्द्र होने के कारण बनी अपनी राजनैतिक कार्य की परम्परा के कारण आप यदि उस स्थान में अधिक ऊँचा नहीं तो कम से कम उतना ऊँचा स्थान तो प्राप्त कर ही लेंगे जितना कि किमी भी अन्य विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। यह भी बड़े सतोष की बात है कि आप उत्तमोत्तम प्रत्याय के गवेषणा कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। और अब आप विज्ञान की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं जिसे कि अब तक पूना में अपना उचित स्थान नहीं मिला था क्योंकि अब तक पूना में साहित्य और कला के पक्ष पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार अर्थात् न केवल राज्य सरकार वरन् केन्द्रीय सरकार भी आपकी सहायता के लिये प्रस्तुत रहेगी; क्योंकि वे हर ऐसे विश्वविद्यालय की सहायता करने के लिये तत्पर हैं जो गवेषणा का कार्य करता है और सर्व साधारण में शिक्षा का प्रचार करता है। भारत सरकार ने अपनी दो मन्थियों को यहाँ स्थापित करके आपके कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। मैं समझता हूँ कि यह बात महाराष्ट्र को वैज्ञानिक शिक्षा के महान् केन्द्र बनाने की पूर्व परिभाषा के समान ही है। अपने प्रयासों में आपको सफलता हो ऐसी मेरी शुभकामना है। और डाक्टर जयकर जैसे उपकुलपति के नेतृत्व में आप का विश्वविद्यालय काम कर रहा है और उन की सुरक्षण में आप के शैशव काल का लालन-पालन हुआ है। इसलिये आपको यह विश्वास रखना चाहिये कि सब काम ठीक हो जायेंगे और वह दिन दूर नहीं है कि जब आपका यह विश्वविद्यालय इस देश के महान्तम और सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक हो जायेगा। इस विश्वविद्यालय में आने का और यहाँ आकर कुछ पुराने और कुछ नवयुवक मित्रों में मिलने का जो अवसर आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और यद्यपि मेरा यहाँ आना बहुत ही थोड़ी देर के लिये हुआ है तथापि मैं यहाँ की बहुत ही सुखद स्मृति अपने साथ लेकर जाऊँगा।

### नाथी बाई दामोदर ठक्करसी कालेज, पूना

तारीख २६-२-५२ को श्री नाथी बाई दामोदर ठक्करसी कालेज, पूना में राष्ट्रपति जी ने कहा—

महामहिम राज्यपाल महोदय, डाक्टर करवे, श्रीमती नाथी बाई ठक्करसी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं इस कालेज में आ सका और आप सब बहनो और भाइयों के दर्शन कर सका। अभी थोड़ी देर पहले मैं पूना यूनीवर्सिटी में गया था और वहाँ

मैं ने कहा था कि आज मे प्रायः ३३-३४ वर्ष पहले १९१८ में मैं यहाँ आया था और उस वक़्त मैं एक विशेष इच्छा लेकर आया था। महान्मा जी ने मुझे बताया था कि पूना में बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जिन में काम करने वाले त्याग की भावना में उन संस्थाओं की सेवा कर रहे हैं। मैं उन संस्थाओं को देखने आया था और उन संस्थाओं के मेवकों के दर्शन के लिये उस समय आया था और यहाँ आकर जो संस्थायें चल रही थीं उन को देखा था। मालूम नहीं वे यहाँ से कितनी दूरी पर हैं और कहा है और उस समय जो संस्थायें मैं ने देखी थीं वे आज भी कायम हैं या नहीं। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी उम समय लगी थी वह यह थी कि मैं ने देखा था कि हमारे यहाँ के वचिचियों को ऐसी शिक्षा मिल रही थी जिसमें वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को बचाए रखने में सक्षम हो सकें। मैं ने उस वक़्त देखा था कि जिसे डोमिस्टिक साइंस कहा जाता है उसे घर में काम तरह से रोटी बनानी चाहिये वचिचियों उमें सीखनी थी। मैं ने यह भी देखा था कि हमारे घरों में जो पूजा होती है उसके लिये फूल सजाकर रखना भी वे सीखनी थीं और मैं ने यह भी देखा था कि अक्षर ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान भी दिया जाता था। आपने ठीक ही कहा है कि उस वक़्त जो चीज़ आपने लगाया था वह बढ़कर एक बड़ा वृक्ष हो गया है और उस के फूल और फल अब देखने में आ रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि केवल महान्मा जी के लिये ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये करके साह्य जैसे मेवक दत्तचित्त होकर अपनी भारी जिम्मेदारी इस काम में लगा सके। अगर वैसा मेवक नहीं होता तो शायद इस तरह का काम नहीं होता और ऐसा मेवक नहीं होता तो वैसा दानी भी नहीं होता। मेवक और दानी दोनों का यह शुभ संयोग था कि यह यूनीवर्सिटी और कालेज इन स्थान पर बना है और मैं आशा करता हूँ कि इसकी दिनों दिन और भी उत्तरोत्तरी होगी, और जैसा आपने कहा, यह आज भी सारे भारतवर्ष की महान्मा संस्थाओं का आदर्श रूप है, उसमें भी आगे बढ़कर यह एक केन्द्र बनेगी जो अपनी शाखाओं प्रतिशाखाओं को सभी जगहों में फैलाकर इस आदर्श को प्रसारित कर सकेगी। मेरी यह आशा है और मैं यह मनाता हूँ कि हमारे घर में हमारी संस्कृति आज भी सुरक्षित है। चाहे उस पर जो भी आकाश आवे, जो भी आक्रमण हो मगर हमारे घरों के अन्दर वह सुरक्षित है और उसको सुरक्षित रखने वाली हमारी वहने, हमारी माताएँ और हमारी लड़कियाँ हैं। जब तक वे सुरक्षित हैं, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है और इस तरह की संस्थायें जो हमारी संस्कृति को सुरक्षित रख सकती हैं, और जो हमारी माताओं, वहनों और वचिचियों को इस तरह से तैयार कर सकती हैं देश के लोगों की सहृदयता की पात्र हैं और उनको वह मिलनी चाहिये।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने आपकी सहायता की है और एक अलग यूनीवर्सिटी स्थापित करके आपको इस बातकी स्वतंत्रता दी है कि आप जिस तरह से जो पाठ्य-क्रम बनाना चाहें बनावें और आपने उस स्वतंत्रता से लाभ उठाया है और आपने एक अलग पाठ्य-क्रम जो हमारे यहाँ की स्त्रियों के योग्य है बनाया है। आजकल के ज़माने में चारों तरफ़ हम लोग कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इस तरह का भेद नहीं होना चाहिये पर जो प्रकृति ने भेद कर दिया है उसको अगर हम चाहें भी तो दूर नहीं कर सकते और इसलिये हमारी शिक्षा में भी कुछ न कुछ भेद आता ही है, दोनों के कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ भेद आता ही है। अगर कार्य क्षेत्र अलग हो तो उस कार्य क्षेत्र

में काम करने के लिये तैयारी के लिये भेद होना ही चाहिये और इसलिये हमारे यहां के शिक्षा-संबंधी काम के लिये अलग पाठ्यक्रम होना उचित है।

मैं आशा करता हूँ कि आपकी दिन प्रति दिन तरक्की होती जायेगी और दिन ब दिन करवे साहब के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चलता रहेगा और उनके आशीर्वाद में यूनिवर्सिटी बढ़ती रहेगी। मैं श्रीमती नाथी बाई और उनके स्वर्गीय पति को जिनने अपने दान में इसकी सहायता की और दूसरे धनी मानी लोगों को जिनकी सहायता मिली बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी वे देश की सहायता करते रहेंगे और देश में इस तरह की सहायों कायम होती रहेगी और देश का काम होता रहेगा।

आपने जो आशीर्वाद के वचन कहे उन के लिये मैं और भी धन्यवाद देता हूँ।

### पूना नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन

तारीख २-१०-५२ को शाम के ५-३० बजे पूना म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने कहा ---

महामहिम राज्यपाल महोदय, श्रेष्ठिय पुण्यनीय वाक्य करवे, बहनों और भाइयो,

- मेरे लिये यह बहुत ही शुभ और गौरव का दिन है। मैं आपके नगर में कई बार पहले भी आ चुका हूँ और पूना नगर के निवासियों ने मेरे प्रति प्रेम पहले भी दिखलाया है और जब आज एक दूसरे पद पर मुझे देश के नियुक्त कर दिया है तो फिर एक बार आप सब बहनों और भाइयों के दर्शन का मौका पाना मैं अपना तीभाग्य समझता हूँ।

बहुत दिन पहले भारतवासियों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जागृति पैदा हुयी और बहुत दिनों तक देश के लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये त्याग किया; तरह तरह के कष्ट उठाये और बहुतों ने भाइयो बहनेरी बहनों ने हर प्रकार के रण, हर प्रकार की मर्जीयत बर्दाश्त करके इस स्वतन्त्रता की प्राप्ति में सहायता पहुँचायी जो नगर गारे देश में अग्रगण्य समझे जाते हैं उनमें बहुत अच्छा स्थान आपके नगर का है जिनने एक प्रकार से पहले से ही स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेना आरम्भ किया और जब तक वह काम चलता रहा उतमें हीसा शरीर रहा और भिर्क शरीर ही नहीं रहा, जो कुछ बलिदान उतको उतमें देना पड़ा वह देना रहा। आपने उन महा-पुरुषों के नाम लिये हैं, जो इस स्वतन्त्रता संग्राम में देश की जागृति और उन्नति के लिये अपने परिश्रम से, अपने अत्यवसाय से और अपने त्याग से आगे बढ़े और जैसा मैंने एक दूसरे स्थान पर कहा था, यहां के लोगों में त्याग की बृत्ति, सेवा की बृत्ति ने आज गारे देश के लिये इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ स्थान बना दिया है और अगर किसी को देश के लिये कोई काम करना होता है तो यहां के इतिहास को जानकर वह यहां आता है और यहां से अनुप्राणित होकर जाता है। मैं जब पहले यहां आया था तो उसी भावना से आया था।

हमारे देश का पिछले प्रायः १०० वर्षों का इतिहास एक प्रकार से सुन्दर और दूसरे प्रकार से जटिल इतिहास रहा है। सुन्दर इस अर्थ में कि हम अपने देश को स्वतन्त्र करने के काम में लगे रहे और उसके लिये जो कुछ भी करना पड़ा उसको देश के लोगों ने खुशी खुशी से किया, जो कुछ सहना पड़ा उसको भी उसी तरह से हसते हंसते सहते रहे और उन अनगिनत बहनों और भाइयों के त्याग का यह फल है कि देश आज स्वतन्त्र हुआ है। हम जिस पीढ़ी के हैं वह बहुत ही भाग्यवान् पीढ़ी रही है क्योंकि हमें दोनों देखने का मौका मिला ; हमने संग्राम भी देखा और उसका अन्त भी देखा और उसके बाद आज हम स्वतन्त्रता भी देख रहे हैं और इसलिये मैं अपनी पीढ़ी को बहुत भाग्यवान् पीढ़ी मानता हूँ। जो लोग अब आयेंगे वह इस संग्राम को नहीं देख सकेंगे और जो पहले गुजर गये उन्होंने मार्ग दर्शन तो कराया, हमारे लिये सब कुछ त्याग तो किया पर अपनी उस तपस्या का फल वे नहीं देख सके। जो ही, मनुष्य का धर्म तो यही है कि जो कर्तव्य उसके सामने आवे वह उसको पूरा करता जाय फल तो ईश्वर के हाथ है और आज से हमारे लिये आप सौभाग्य समझिये या समझिये कि एक तरह से यह घटना सी हो गयी है कि हमने संग्राम और उस का फल दोनों देखे हैं। आज उन सब भाइयों और बहनों के प्रति जिन्होंने इस संग्राम में सब कुछ त्यागा और अपनी खुशी से त्यागा मस्तक श्रद्धा और भक्ति की भावना से नीचे झुक जाना है और ऐसा होना चाहिये। और आज जो यहां आप स्वराज्य देख रहे हैं तो उसके साथ जो जवाबदारी आयी है उसको भी आपको देखना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उन लोगों के त्याग का जो फल आज देश को मिला है उसको किस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से सारे देश के लिये और सारे समार के लिये उसे हमेशा कायम रख सकते हैं और जो उससे लाभ हो सकता है उसको पहुंचा सकते हैं। इसलिये जब मैं सोचता हूँ कि आज भारत की क्या दशा है तो बहुत सी ऐतिहासिक बातें भी सामने आती हैं।

सब से बड़ी चोज जो स्वराज्य के बाद हमको करनी थी और जिसको हमने किया है वह यह है कि इतिहास में, जहां तक मैं समझता हूँ, प्रथम बार इतना बड़ा भारतवर्ष एक छत्र राज्य के अन्दर हमने कर दिया है और एक मंत्रिधान को मान कर उसके अनुसार हम देश का शासन कर रहे हैं। भारत के दायें और बायें दोनों पक्ष एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम की तरफ कट गये हैं मगर तो भी इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब इतना बड़ा भारत एक छत्र राज्य के अन्दर आया हो। चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे ; उनका रथ अब्राध रूप से सारे देश में चलता था, मगर केवल उतना ही होता था ; उनका हुक्मनामा सारे देश में नहीं चलता था। आज एक केन्द्रीय शासन सारे देश में चल रहा है और सब से बड़ी बात यह है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, किमी के सर पर कुछ लाद कर नहीं बल्कि सब की सदृच्छा से, सब की श्रद्धा के साथ और सब की अच्छी भावना के साथ यह काम चल रहा है। यह एक अद्भुत दृश्य हम भारत में देख रहे हैं और इसलिये हमारा गौरव और भी बढ़ा है। मगर उसके साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बड़ी है। जब हम जवाबदारी की दान सोचते हैं तो एक दूसरी ऐतिहासिक बात मज़र के सामने आ जाती है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य भी रहा है कि जब कभी हमें उन्नति करने का मौका मिला है या हमारे ऊपर कोई विपत्ति आयी है तो आपसी फूट और झगड़े के कारण, कुछ संकुचित भावना और वृद्धि के कारण हम एक दूसरे के साथ मिल कर न तो देश की उन्नति करने में काम कर सके हैं और न जब कभी हमारे ऊपर दूसरों का आक्रमण हुआ है तो उससे

देश की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। और आज जब हम इतने बड़े भारतवर्ष को एकछत्र के अन्दर लाये हैं तो हमें अपनी इस पुरानी कठिनाई को नहीं भूलना चाहिये। प्रत्येक भारतवासी का सब से पहला कर्तव्य यह है कि वह इस स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिये और इस संविधान को, जिसके मातहत सारा देश आज आ गया है, सुरक्षित रखने के लिये हमेशा तैयार रहे। किसी भी देश की स्वतन्त्रता जब तक उसके नागरिक—स्त्री और पुरुष, बड़े और छोटे, बूढ़े और बच्चे—सब तैयार नहीं रहें तब तक वह सुरक्षित नहीं रह सकती है। आपस में अगर किसी विषय में मतभेद हो, अगर हम किसी कार्यक्रम में हेरफेर करना चाहें तो उसमें भले ही एक राय न हो। इस चीज में कभी किसी देश में न तो एक मत हुआ है और न होना आवश्यक अथवा उचित ही है। मगर एक विषय में एकमत, एक हृदय और एक मस्तिष्क होकर सब को काम करना है और वह है भारत को सुरक्षित रखने का काम। इस लिये जब मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अपने पूर्वजों की कर्तव्य भावना के कारण, उनके त्याग के कारण और सारे देश के लोगों की तपस्या के कारण हमें स्वतन्त्रता मिली है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना अपना सब से बड़ा कर्तव्य समझें। आज प्रत्येक भारतवासी को यह समझना है कि किस तरह से वह स्वराज्य को चलाने में जो उसको हिस्सा मिला है, अख्तियार मिला है उसको अदा करेगा, उसको जो हक हासिल हुआ है और दूसरी तरफ जो जवाबदेही आयी है उसको वह किस तरह अदा करेगा। जब वह अपने कर्तव्य और निष्ठा और दूसरे के स्वत्व को समझेगा तभी वह भारतवर्ष को सुरक्षित रख सकेगा और जिस तरह से हम उन्नति करना चाहते हैं उन्नति कर सकेगा। हमारे सामने प्रश्न बहुत है और यह बड़े संतोष की बात है कि हमें एक बड़ा प्रोत्साहन भी मिला है। जो काम हमने आरम्भ किया है वह अच्छी तरह से आरम्भ किया है। हिन्दी में एक छोटी सी कहावत है 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' याने जो वृक्ष अच्छे होने होते हैं उनके पत्ते आरम्भ से ही मुन्दर और चिकने होते हैं और जो वृक्ष इस तरह से बढता है वह बड़ा वृक्ष होता है। हमारी नवजात स्वतन्त्रता के जो पत्ते निकले हैं वे अच्छे और चिकने निकले हैं और उसका सब से बड़ा सबूत यही है कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हुआ है वह शान्ति पूर्वक समाप्त हुआ है। यह एक इतना बड़ा काम था कि जो लोग इस काम में लगे थे वे भी घबराते थे और यद्यपि हमने संविधान में इसका पूरा प्रबन्ध सोच लिया था मगर जब तक वह काम समाप्त नहीं हुआ तब तक हमारा दिल घबराता था कि न जाने पहली परीक्षा में हम किस तरह उत्तीर्ण होने दें और होते हैं या नहीं होते हैं। मगर ईश्वर की दया से और इस देश के भाइयों और बहनों की शान्तिप्रियता और देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा के कारण यह काम अच्छी तरह से निबह गया। मेरा मतलब यह नहीं कि कौन चुने गये हैं और कौन नहीं चुने गये हैं, किस दल विशेष के लोग चुने गये हैं या नहीं चुने गये हैं। कोई न कोई तो चुने जायेंगे ही। मगर मन्त्र से संतोष की बात यह है कि शान्ति के साथ प्रत्येक मतदाता को स्वतन्त्रतापूर्वक मत देने का अवसर मिला और शान्ति के साथ इस मुअवसर का उन्होंने उपयोग भी किया। अकसर लोग डरा करते थे और कहा भी करने थे कि यहां अभी बहुत से लोग निरक्षर हैं। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो अक्षर ज्ञान को ही सारा ज्ञान नहीं मानते। मैं मानता हूँ कि अक्षर ज्ञान भी अच्छी चीज है मगर बिना अक्षर ज्ञान के भी मनुष्य में वृद्धि हो सकती है ज्ञान हो सकता है और हमारे देश की परम्परा रही है कि बिना अक्षरज्ञान के लोगों को ज्ञान मिल गया है। अपने

व्याख्यानों द्वारा, प्रवचनों द्वारा हमारे यहां के साधु सन्तों ने गांव गांव में पहुंच कर स्त्रियों और पुरुषों में ऊंचे से ऊंचे और कठिन से कठिन सिद्धान्तों को इतनी सरल और मार्मिक भाषा में फैला दिया है कि गांव के निरक्षर लोग भी उनका ज्ञान रखते हैं। तो उन पर मेरा विश्वास पूरा था और आज तो उस चुनाव ने गण विवादों को और भी दह कर दिया है कि हमारे देश में निरक्षर लोग भी काफी बुद्धि रखते हैं, उनका मस्तिष्क काफी सुधरा हुआ है और वे काम कर सकते हैं और उनके सामने कड़े से कड़े प्रश्न भी रख दिये जायें तो उनको समझ कर उन पर वे अपना निर्णय भी दे सकते हैं। उमलिये मैं देखता हूं कि वंश के चिकने पत्ते हैं। अब आगे इस काम को बढ़ाना है, और चलाना है।

अभी चार पाच वर्षों से हमको स्वराज मिला है। अभी वह थोड़ा अधूरा स्वराज्य था। अधूरा इस अर्थ में था कि अभी हमने मविधान के अनुभाग सब काम शुरू नहीं किया था। यद्यपि अधिकार तो हमारे हाथ में आया मगर उस अधिकार का पूरा निरूपण अभी नहीं हुआ था और हर तरह से कटौत क्या करना चाहिये उसका हमने पूरी तरह से निश्चय किया नहीं था। अब संविधान के अनुभाग अगले महीने दो महीने के अन्दर हमारे सब काम शुरू हो जायेंगे और तब हम हर तरह से उस योग्य हो जायेंगे कि इस देश के भाग्य का निर्वहण करें, उसको अच्छा, सुन्दर और भव्य बनाकर यहाँ से दरिद्रता को भगा दें। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो उसके लिये जो बदनामी होगी वह हमारी होगी और अगर वह पूरा हो सका तो उसके लिये हमारी नेकनामी हो सकती है। उमलिये हमारा यह कर्तव्य है और विशेष करके जो लोग चुने गये हैं उनका और भी कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा उत्साह करें जिसमें जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, जो जनता के दुख हैं उनका निवारण हो और हम प्रगति करें, देश उन्नति करे और हर तरह से आगे बढ़े। जो चुने गये हैं उनका कर्तव्य तो है ही मगर जो चुननेवाले हैं, जो देश के निवासी हैं उनका भी कर्तव्य है कि वे उनको अपने स्थान पर रोक रखें क्योंकि जब तक ऊपर से अज्ञान नहीं पड़े तब तक अच्छे आदमी भी निरक्षर हो कर पिछड़ सकते हैं और प्रजातन्त्र का सही काम है कि प्रजा का अज्ञान जो लोग सामन्ताधिकारी बनाये जायें उन पर हमेशा रखे। मैं यह भी मानता हूं कि प्रजातन्त्र में जैसी प्रजा होती है वैसी ही शासक भी होते हैं। अगर प्रजा कर्तव्य निरूप हो, अगर प्रजा सब में प्रेम करके देश का हित सब में ऊपर रखती है तो वैसे ही उसके चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अगर वे योग्य नहीं होंगे तो उनको अपने स्थानों से हटाना पड़ेगा और उनके स्थानों पर दूसरे जायेंगे। उमलिये मैं चाहता हूँ कि लोग अपने कर्तव्य को समझें। यहाँ में शासकों की सजा से नहीं बोल रहा हूँ इमलिये शासकों को क्या करना है यह यहाँ कहना जरूरी नहीं है। मगर जो शासकों के ऊपर है, जिनको शासकों को नियुक्त करना है, जो प्रजापति हैं उनका भी अपना कर्तव्य और धर्म समझना चाहिये और जो शासक नियुक्त किये गये हैं उनकी बारंबारकी से हमेशा देखने रहना चाहिये और अगर उनमें भूल हो तो वे उनको चेतावनी देने से और तभी वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। यह तो एक आकस्मिक भी बात होती है कि कौन किस स्थान पर रख दिया जाता है। यह मैं मानता हूँ कि जो जिस स्थान पर रख दिये जायें उनको अपना काम पूरा करना चाहिये। चाहे वे छोटे से छोटे काम में ही क्यों न लगा दिये जायें मगर यदि वह देश सेवा का काम हो तो उनकी उम्रे उसी तरह खूबी और निष्ठा से करना चाहिये जिस तरह कि किसी बड़े काम को करना चाहिये। मैं इस बात को सही मानता

हूँ। इसलिये मैं ने बहुत जगहों पर ऐसा कहा है और उसे यहाँ फिर दोहराता हूँ। भारत आज इस योग्य है कि एक तुच्छ और मामूली आदमी को देश का राष्ट्रपति बनाकर ऊँचे से ऊँचे स्थान पर नियुक्त कर दे और वास्तव में उसने अपने एक तुच्छ सेवक को उम स्थान पर बैठा दिया है मगर मैं मानता हूँ कि देश पूना शहर में मउको पर झाड़ू लगाने को कहे तो मैं उम उमी लुशी से कम्पा जिम लुशी से उम काम को कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग आज उमी भावना से काम करें, ऊँचे पद पर आकर अपने कर्तव्य का जिम तरह से पालन करें उमी प्रकार निष्ठा के साथ अगर ऐसे काम में लगाये जायें जिमको वे छोटा ममझते हैं तो उम करें। जब हमारे देश के भवक उम तरह से काम करेंगे तभी देश की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेगी और उमको कभी न कोई डर रहेगा और न कोई खतरा रहेगा। एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमके बिना अक्सर करके भूल होती है और अक्सर करके देश का बुरा होता है और अपनी भी बुराई होती है। हम इस बात को याद रखें कि कोई भी काम जब तक उसमें मनुष्य मच्छाई के साथ न पड़े, जब तक जो करता है, जो कहता है और जो गोचता है सब का सामञ्जस्य नहीं होता, जब तक जो भी काम होता है वह देश के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की भावना से नहीं होता, त्याग की भावना से नहीं होता। तब तक वह भिलना बड़ा भी कभी न हो सकेगा जो जाता है। जब मैं कभी कभी मोचता हूँ और देखता हूँ कि बहुत बातों में हमारा स्तर जितना था—और उमसे उमको उठना चाहिये था—वह उससे नीचे उतर गया है तो मने उम बात का अफसोस होता है, कुछ भीही घबराहट भी होती है क्योंकि यह आवश्यक है कि हमारा चरित्र ऊँचा रहे। हम हर तरह से सच्चे रहे तभी हम काम को ठीक अजाम दे सकते हैं। ऐसा मा उम होता है कि हम जानें लोगों को यहाँ एक अध्यापक की तरह कुछ सिखाने की धृति कर रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि जब हम चारों तरफ देखते हैं और उम बात को सुना करते हैं कि मन्त्राजारी था है, रिजर्व की चालू है तो हम मोचते हैं कि इन चीजों को दुखत करने का भार हम में सेना पर है और यदि हम अपने को दुखत कर दें तो यह कहीं रह नहीं जायेगी। मनुष्य जब एकत्रित हो कर सामूहिक रूप से काम करने लगता है तो समाज का गठन होता है। दो तरीके हैं जिन में उम समाज को मुधार जा सकता है। एक तरीका तो है अज्ञान का जिमसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति ठीक रहे और दूसरा यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि समाज को अज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी परम्परा व्यक्ति को मुधारने की रही है और व्यक्ति के मुधारने में ही समाज उल्ला धनता है। आज दुनिया में पहले ही भावना फेल रही है और वह व्यक्ति पर उतना भरोसा नहीं करके समाज के अज्ञान पर ही भरोसा करती है। मगर हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जब तक व्यक्ति मुधार नहीं समाज कैसे मुधार सकता है और व्यक्ति पर कोई अज्ञान कर सकता है। उमलिये मैं मानता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी व्यक्ति को मुधारने का अधिक खाल रखें और व्यक्ति को मुधारने का मन्त्र्य अपने को मुधारना होता है। तो मने में पहले हमको अपने को मुधारना चाहिये, बजाय दूसरों की तरह देखने के। अपने को मुधारना एक तरह से मने में आगमन है और दूसरी तरह से कठिन भी है। आसान तो इस तरह से है कि अपने ऐम को हम जितना समझ सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिये अपने को अगर हम मुधार लें तो कम से कम एक व्यक्ति को भी मुधार सकते हैं और कठिन इस तरह से है कि अपनी जो बुराइयाँ होती हैं उनको जानते हुए



भी उन पर अंकुश लगाना आदमी के लिये आसान नहीं होता है। इसलिये मैं तो यह चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी लोग व्यक्ति को सुधारने को अपना कर्तव्य मानकर सारे देश को सुधारने का प्रयत्न करें और जब सब लोग सुधर जायेंगे तो समाज भी सुधर ही जायेगा।

देश में प्रश्न तो बहुत हैं और अगर एक एक प्रश्न को लेकर विचार किया जाये तो न तो उसके लिये समय है और न मैं अपने को उसके योग्य मानता हूँ। मैं ने तो एक दो मूलभूत विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया और मैं आशा करता हूँ कि आप उन पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे और ऐसा नहीं समझेंगे कि एक आदमी यों ही आकर कुछ कह कर चला गया। उमी पर देश का सब कुछ निर्भर है।

आपने मुझ पर यह भार सौंप कर कि मैं इन दो चित्रों का अनावरण कर दूँ और भी मेरा गौरव बढ़ाया है। इन दोनों आदमियों के साथ मेरा सम्बन्ध घनिष्ठ रहा है, वह प्रायः भाई भाई के ऐसा सम्बन्ध पिछले ३०-३२ वर्षों से रहा है। उनके सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ। भारतवर्ष का जो इतिहास लिखा जायेगा उनके पत्रे उनकी कृतियों से रंगे होंगे और जो कुछ वे कर गये हैं या कर रहे हैं उन सब को भविष्य का भारत सीखेगा, जानेगा। यद्यपि आज सरदार वल्लभ भाई चले गये हैं पर उन्होंने जो भारत का एकीकरण किया वह तो एक ऐसा काम हुआ है जो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। जवाहरलाल जी के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने शासन का भार ही अपने ऊपर नहीं लिया है बल्कि जिस परिश्रम और अध्यवसाय से वह काम कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है और उन्होंने भारत के गौरव को सारे संसार में स्थापित कर दिया है और यह हमारे लिये एक दूसरा शुभ चिन्ह है कि आज हम चारों ओर के लोगों के प्रेम और श्रद्धा का भाजन बने हैं। यह उनका काम रहा है। तो ऐसी दो महान् विभूतियों के चित्रों को अनावरण करने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका आभार मानता हूँ। इसके अलावा पूना के नागरिकों को जिनमें सभी विचारों और खयालों के लोगों ने शरीक होकर मेरा स्वागत किया किन्तु शब्दों में धन्यवाद दूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि आपने जो मेरे प्रति आदर दर्शाया है ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने को उसके योग्य साबित कर सकूँ। इन शब्दों के साथ मैं इन चित्रों का अनावरण करता हूँ।

### पूना आवज़रवेटरी

तारीख २९-२-५२ को १० बजे दिन में पूना आवज़रवेटरी में राष्ट्रपति जी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं इस प्रयोगशाला में जो कुछ काम हो रहा है उसका कुछ अंश देख सका। आपका काम बहुत महत्व रखता है, विशेष करके भारत ऐसे देश में रहा के लोग बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर रहते हैं यह जानना हमारे लिये आवश्यक है कि कब वर्षा होगी, कहां तूफान आयेगा, कहा सूखा पड़ेगी इत्यादि। और जब तक ये सब चीजें पूरी तरह से नहीं मालूम हों देश का काम आगे नहीं बढ़ सकता, कृषि का काम आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी

तरह से देश उन्नति नहीं कर सकता। इसलिये आप के काम का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। यह देख कर मुझे प्रसन्नता हुई कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मगर केवल उतना ही काम यहां नहीं होता, और भी दूसरे काम इस प्रयोगशाला में होते हैं। जैसे हवाई जहाज का उड़ना इस देश में बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि दूसरे देशों के मुकाबले में इस देश में बहुत थोड़े दिनों में उसकी बहुत तरक्की हुई है। उस के लिये आपकी प्रयोगशाला को बहुत काम करना है क्योंकि जब तक इस बात का पता नहीं रहे कि कहां पानी बरसने वाला है, कहां तूफान आने वाला है—क्योंकि इन चीजों का असर हवाई जहाज के उड़ान पर पड़ता है—तब तक हवाई जहाज सुरक्षित तरह से नहीं चलाया जा सकता। इस प्रयोगशाला में जितने प्रयोग हो रहे हैं वह समुद्री जहाज के लिये भी आवश्यक है क्योंकि समुद्री जहाज के लिये भी इसका पता रहना जरूरी है कि कहां तूफान आ रहा है, समुद्र में कहा जाने योग्य है और कहा नहीं। अतः देश और विदेश के संबन्ध कायम रखने के लिये जिसमें आयात निर्यात होता रहे और देश में किस तरह से लोगो का धन बढे, लोगो की मुख समृद्धि बढे उसके लिए आपका काम महत्वपूर्ण है। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग जो इस काम में लगे हुए हैं उसे देश सेवा का काम समझकर करे। देश में तरह तरह के काम हो रहे हैं। हम लोगो ने अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसको सुरक्षित रखना और लोगो को समृद्धशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको अपने कर्तव्य को समझना चाहिये और मेरा विश्वास है कि आप भाई जो इस काम में लगे हुए हैं अपने कर्तव्य को समझते हैं। आप ऐसा नहीं समझे कि जिस काम में आप लगे हुए हैं उसका कोई नतीजा नहीं होता है। उसका नतीजा बहुत ठीक होता है, उसका फल बहुत ठीक होता है। इसलिये आप के काम को देखने का मुझे सुअवसर मिला उस में मुझे खुशी है। आपने जो शब्द कहे उन के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप दत्तचित्त होकर अपने काम को करते जायेंगे।

### हिगणे स्त्री शिक्षण मस्था

तारीख ०९-०-५२ को ११ बजे दिन में श्री हिगणे स्त्री शिक्षण मस्था पूना में राष्ट्रपति जी ने कहा—

श्रद्धेय पूजनीय डाक्टर करवे साहब, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज में मवेरे मवेरे आपकी इस मस्था में आ सका और इसको देख सका। जैसा अभी कहा गया बहुत थोड़े में इसका आरम्भ हुआ था और आज ५०, ५५ वर्ष के बाद यह इतना बड़ा वृक्ष हो गया जिसका छोटा बीज यहाँ बपन हुआ था और इसका कार्यक्षेत्र भी आह्रिता आह्रिस्ता बड़ गया है और आज तो केवल यहाँ ही नहीं बल्कि दूर दूर तक इसकी शाखायें काम कर रही हैं और सभी जगहों में हमारे बच्चों को इनके द्वारा शिक्षा मिल रही है। मैं ने आपकी मस्था के संबन्ध में बहुत पहले सुना था और एक बार पहले १९१८ साल में यहाँ पहले पहल आकर इसे देखा भी था। जो यह उस वक़्त थी और आज है उसमें बड़ा भारी

अन्दर पड़ गया है और अब तो मुझे इसका पता भी नहीं कि उस वक्त मैं ने क्या क्या देखा था और जो कुछ मैंने देखा था उसमें कौन कौन सी चीज आज है और कौन सी चीजें आज नहीं हैं और कौन सी चीजें आज नहीं बन गई हैं। मगर इस तरह से काम हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर उसका यह स्वरूप हो गया है। उस समय की एक सुन्दर चीज आज भी मौजूद है, वह यह कि हमारी बच्चियों को इस तरह से शिक्षा दी जाती है जिसमें वह अपनी संस्कृति को, अपने देश की रीति रिवाज को कायम रखते हुए शिक्षित भी हो जायें और आधुनिक जगत में जो कुछ हो रहा है उस को भी समझ जायें। और हमारे यहां आज ऐसी ही शिक्षा जरूरी है। मैं मानता हू कि हमारे घरों में आज भी हमारी संस्कृति अधिक सुरक्षित रहती है। जो लोग बाहर जाने आते हैं उनको बाहर की बहुत सी चीजें देखने में आती हैं, बहुत कुछ मीसने को भी मिलता है, उन से जो हम लाभ उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिये। मगर साथ ही हमारी जो अपनी चीजें हैं उनको खाने में बुद्धिमत्ता नहीं है। उन में जो अच्छी चीजें हैं जिन में हमें लाभ पहुंच सकता है उनको सुरक्षित रखना चाहिये और उन्हें हमारी बहनों ने हमारे घरों के अन्दर रखा है। उन में शिक्षा का प्रचार होता चाहिये और केवल अन्ध विश्वास पर नहीं बल्कि समझ बूझकर कि उन में क्या लाभ है क्या हानि है और जो योग्य हों, ठीक हो, ऐसे को कायम रखना चाहिये जिसमें हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है और वहीं शिक्षा हमारी बच्चियों को यहाँ मिलती है। मैं उसी दिन में इस बात को मानना आया हू कि यहाँ की जो रीति है, जो शिक्षा देने की पद्धति है वह बहुत अच्छी है और यदि इस चीज को भारत के दूसरे भागों की समस्याओं में भी पहुंचाया जा सके तो मैं समझता कि इसमें देश को बड़ा लाभ हुआ और अगर आप उस काम को कर सके तो मैं समझता हू कि आपको करना चाहिये। डाक्टर कर्वे महोदय ने इस काम को आरम्भ में किया है। बहुत लोग कोई न कोई काम आरम्भ करते हैं तो थोड़े में आरम्भ करते हैं और वह काम आगे बढ़ जाता है। मगर यह काम ही लोगों का सौभाग्य होता है कि जो पीया उन्होंने लगाया उसको वृक्ष बनने देय सके और उस के फल देख सकें और उनका विकास कर सकें। यह उम्बर की दवा है, क उन्होंने उंग चुर देना। आपने लगाये वृक्ष का फल देखकर उनके हृदय में किन्तु उत्पन्न होता होगा इसका दूसरे लोग अनुमान ही कर सकते हैं उसका अनुभव नहीं कर सकते। मेरा तो यह मत है कि जग प्रचार में इस समस्या को आपने महाराष्ट्र में डाला वहाथा है उसी तरह से सार भारत में शिक्षा फैलाने में आप दिलचस्पी ले। यदि दूसरी जगहों में शिक्षा प्रचार में आप थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेंगे तो काम बहुत आगे बढ़ेगा। मैं जानता हू कि वह दिलचस्पी रहती है क्योंकि अभी हाल में ही हमारे प्रांत में एक छोटी सी समस्या खुली है जिस में कुछ दिन पहले मैं गया था उसमें सम्मिलित होने के लिये उन लोगों ने आपको नमस्त्रण दिया था और आप वहा जाने वाले थे मगर वहा के लोगों के दुर्भाग्य में आप अस्वस्थ हो गये और उस समारोह में शरीक नहीं हो सके। तो यह मैं जानता हू कि आप का ध्यान उस ओर है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि दूसरी जगहों में भी आप कुछ सहायक हो सके और लोगों को प्रोत्साहन दे सके तो उससे और काम बढ़ेगा।

जिन बच्चियों ने सुन्दर खेल दिखलाया, सुन्दर कसरत दिखलाई और जिन के हाथों की वनाई चित्रकारी और सुन्दर फूल की रंगोली इत्यादि हम ने देखी और देखकर प्रसन्नता हुई उन सब को मैं आशीर्वाद देता हू कि वे और भी उन्नत हों, और भी भारत के लिये उपयुक्त बनकर उसे सुखी और संपन्न बनावें।

## भड़ोच नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन

तारीख १ मार्च १९५२ को दिन में ९ वजे भड़ोच म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

भड़ोच म्युनिसिपैलिटी और लोकल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, मद्रम्यगण, वहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं इस शहर में और जिले में एक बार और आ सका। जैसा आपने अपने मानपत्र में कहा है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ मगर उस समय में और आज मे बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया है। उस समय हम एक परगधीन जमीन के लोग थे और परगधीन देश में रह रहे थे और स्वतंत्रता के लिये कटिबद्ध होकर एक नये प्रशासन के समाम में लगे हुए थे। महान्मा गांधी जी ने हमारे देश को ही नहीं मारे समार के लिये एक नया शासन, एक नये सम्राज का तरीका बताया था और हम उसी का प्रयोग अपने कपजोर हाथों और जीवों के साथ कर रहे थे। आज वह सम्राज समाप्त हो चुका है और आज भारत के लोग सब उठा कर कट सकते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। अपने भाग्य निर्णय का पूरा अधिकार अपने लोगों के हाथ में आ गया है और इस देश को हम गुन्दर, समृद्ध और प्रभावशाली बनाये तो उम्मीद थीय हमको भिरीया।

अभी हाल में ही हमने जो नया संविधान तैयार किया उसके अनुसार मारे देश में चुनाव हुआ है। वह चुनाव अपने बड़े पैमाने पर हुआ आज तक अपने बड़े पैमाने पर मभार के इतिहास में किसी भी देश में कहीं के लोगों ने नहीं किया है। हम सब चुनाव के पहले कुछ भयभीत थे कि देखें कहा तक हम इसमें सफल होंगे हैं। लेकिन ईश्वर की दया से हम पूरी मगर से सफल हुए। मैं यहा इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि किस दल के लोग सफल हुए। मैं तो सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों ने समझ म्मर एक दुसरे पर भरोसा करके इस चुनाव में भाग लिया और जिसकी उन्होंने अच्छा समझ उसकी चतु लिखा। और अब जो लोग चुने गये हैं उन पर यह भारी जम्मेदारी आ गयी है कि वे देश के काम को ठीक तरह से चलावें और हमारा शासन ऐसा हो कि जिसमें देश का सौख्य बढ़े, देश के अन्दर जो गरीबी अभी भी मौजूद है वह दूर हो और जिन लोगों में शिक्षा का अभाव है उसको भी हम दूर कर सकें और अभी इस वक्त हमारी जो कठिनाइयाँ, मुश्किलें हैं उनको भी हम दूर कर सकें। मैं मानता हूँ कि पिछले ८-९ वर्षों में जो हमने अपने हाथ में अधिकार ले कर थोड़ा बहुत काम किया है उसमें भी त्रुटि नहीं है। मगर यह भी हमको मान लेना चाहिये कि जब कोई नया बड़ा काम हाथ में आता है तो उसके साथ साथ कठिनाइया भी मानने आती हैं और स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे सामने बड़ी कठिनाइया भी आयीं। स्वतंत्रता हमको किसी मगर देश के दो भाग हमसे अलग हो गये; यद्यपि हम अपने काम में बहुत दत्तचित्त होकर पडे मगर बंटवारे के साथ साथ और कई प्रकार की विपत्तियाँ और कठिनाइया भी आयीं। उन विपत्तियों और कठिनाइयों को सभालना और उन से लोगों को वचाना कोई आसान काम नहीं था। हमारे लोग किसी न किसी तरह से सम्भले। इस काम में हमारा समय, देश का बहुत कुछ धन लग गया, क्योंकि जो बंटवारे की वजह से निर्वासित हो गये उनको बसाने का काम भी एक बड़ा काम था और हम सब इसी काम में लगे रहे इसी वजह से और दूसरे काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सके, जितना

हमको करना था और जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर सके। माथ ही हम यद् भी कहना चाहते हैं कि जो काम हमको करने थे उन में हमारे सामने दूसरी कठिनाइयाँ भी आईं और हमारे ही मानने नहीं बल्कि समार के सभी देशों के सामने आयी और वे उम लड़ाई के फल स्वरूप थी जिस लड़ाई के समाप्त होने ही हम को आजादी मिली थी। जो उतना बड़ा संसार व्यापी युद्ध कई वर्षों तक चला उसी का दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा और हम आज भी भोग रहे हैं। उसके बुरे परिणामों में एक यह भी हुआ कि चीजों की दर में बहुत तेर फेर हुआ और जो चीजों का दाम बढ़ना उस वक्त्र आरम्भ हुआ वह अभी भी बढ़ ही रहा है, अभी तक घट नहीं रहा है। उसके साथ साथ हमको यह भी देखने में आया कि सभी लोगों का दिल कुछ कमजोर हो गया और मनुष्य को मनुष्य के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिये, जो ईश्वर पर विश्वास और धर्म पर विश्वास होना चाहिये और जिन के सहारे मनुष्य अपने चरित्र को कायम रखते हैं उम में भी कमी आ गयी। उसका बुरा परिणाम हुआ और आज सभी जगहों पर बहुत तरह की कमजोरी देखने में आ रही है। मगर सब चीजों का पता लगाने में मायूम होना है कि जो कुछ हमने तीन चार वर्षों में किया है वह कम नहीं हुआ है। कठिनाइयों के होने हुए भी जो काम किया गया है उसकी तरफ भी आप ध्यान दें।

आपने मुझे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र का अनावरण करने का अवसर देकर मुझे गौरवान्वित किया है। महात्मा जी के सबध में मेरे लिये या किमी के लिये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल भारत का ही इतिहास नहीं सारे समार का इतिहास साक्षी है कि उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन भारतवासियों के विचारों में किया। केवल विचारों में ही उन्होंने परिवर्तन नहीं किया बल्कि हम कमजोर लोगों को भी अपने साथ लेकर कहा से कहा पहुँचा दिया। जब महात्मा गांधी पहले पहल १९१५ साल में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आये थे तो कौन कह सकता था कि उन की जिन्दगी में, उनके देखते देखते भारत स्वतंत्र हो सकेगा और भारत की स्वतंत्रता देखकर वह यहा से जायेंगे। मगर उन्होंने स्वतंत्रता ही नहीं दी, हमारे सामने ऐसे आदर्श भी रखे जिन पर अगर हम चले तो केवल भारत का ही नहीं सारे संसार का कल्याण करेगे और आज यह हमारी कमजोरी है जिसके लिये हम सब को शर्मिन्दा होना पडता है कि उनके बताये रास्ते पर जितनी खूबी और विश्वास के साथ हम चलना था हम नहीं चले। तो महात्मा गांधी के संबंध में मैं क्या कहूँ ?

सरदार पटेल महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे इस में कोई संदेह नहीं, और जो बड़े बड़े काम उन्होंने किये वे आपसे छिपे नहीं हैं क्योंकि वह आपके ही थे और आप के ही होकर सारे देश के हुए थे। उनके संबंध में मैं और क्या कहूँ। जो स्वराज्य प्राप्ति के बाद उन्होंने बड़ा काम किया वह भारत के इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जायेगा। वह काम सारे भारत को एकीकरण का काम था। आप भारत के हजारों वर्षों के लम्बे इतिहास के पन्ने उलट कर देखें। आप कभी इतना बड़ा भारत एक छत्रराज्य के अन्दर नहीं पायेंगे। भारत में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े बादशाह और शहनशाह हुए। भारत में अंग्रेजी राज्य भी बहुत दिनों तक खूब जोरों से चला मगर जिस तरह एक छत्र और एक संविधान के नीचे सारा भारत आज आगया है उस तरह से किसी भी इतिहास काल में नहीं था। बात यह थी कि चक्रवर्ती राजा का रथ अब्बाध रूप से सारे

भारत में चलता था मगर केवल रथ ही चलता था राज्य की हुकूमत नहीं चलती थी। मुगल बादशाह भी दिल्ली के तख्त पर बैठे, उन्होंने राज्य किया, बादशाहत की, उनकी सलतनत चली लेकिन उस समय भी भारत के ऐसे हिस्से रहे जहां लोग बहुत कुछ स्वतंत्र होकर अपना काम चलाते रहे और बहुत ऐसे सूबे भी थे जो बिल्कुल दिल्ली के मातहत नहीं हुए। अंग्रेजी राज्य में तो आप जानते हैं कि ५०० से ऊपर छोटे बड़े राज्य सारे भारत में चलते रहे और अंग्रेजी राज्य उन पर यद्यपि कुछ न कुछ अधिकार रखता था मगर तो भी उनका कारबार अपनी रीति में, स्वतंत्र ढंग से चलता रहा। यह तो सरदार पटेल की करामात थी कि जिसने सभी देशी रजवाड़ों को मिलाकर सारे भारत को एक संविधान के अन्दर ला दिया और आज यद्यपि पश्चिम में पंजाब आदि प्रांत और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल भारत से कट गया है और इस तरह भारत के दो पख कट गये हैं तो भी जितना भाग रहा है वह इतना बड़ा है। जनता बड़ा भारत किसी भी ऐतिहासिक काल में एक छत्र राज्य में नहीं रहा। यह काम, जैसा मैंने कहा, सरदार पटेल का ही है और इसलिये उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। ऐसे महान् पुण्यों के विचार अनावरण करने का आपने मुझे गौरव प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभार मानता हूँ।

मैं कह रहा था कि जब से स्वराज्य मिला क्या क्या बड़े काम हुए। सब में बड़ा काम तो यही हुआ कि सारा भारत एक है, एक छत्र राज्य के अन्दर आया। उसके अलावा इतना बड़ी राज्य क्रांति के बाद हम सारे देश में शांति बनाये रख सके और जब जब अन्न की कमी हुई, जब जब इस बात का भय हुआ कि लोग भूखों मरेंगे उस वक़्त महंगा ही सही मगर किसी न किसी तरह से सारे देश में अन्न पहुँचा कर एक आदमी को भी हमने भूखों नहीं मरने दिया यह कोई छोटी बात नहीं। इसके अलावा और छोटी मोटी चीजें हुई हैं। यह तो सभी लोग जानते ही हैं अंग्रे सभी लोग समझ सकते हैं कि किन किन बातों में सुधार हुआ है, किन किन बातों में कमी रह गयी है। जो कमी रह गयी है उन पर ध्यान लोगों का जाता है मगर जो पूरा हो गया है उसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, उसकी ओर लोगों का ध्यान कम जाता है। तो मैं यह चाहता हूँ कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद किस तरह देश का कारबार चल रहा है इसको ध्यान में रखकर दोनों तरफ ध्यान दें और जिस तरह से व्यापारी आय और व्यय, आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब लगा कर देखना है कि व्यापार में लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है उसी तरह आप भी दोनों तरफ मिला जुलाकर लाभ और हानि का हिसाब निकालें। मेरा अपना विश्वास है कि लाभ की तरफ ही पलड़ा झुकेगा। मैं यह सब इसलिये नहीं कहता हूँ कि इससे मुझे सतोष होना चाहिये बल्कि मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि जो हमें अबसर मिला है उससे सतोष और आइन्दा के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं या आइन्दा चलायेंगे उन पर जवाबदारी आ गयी है। हम यह चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे और एक देश में नहीं बल्कि सभी देशों में बनी रहे, उनके धन की वृद्धि हो, स्वास्थ्य की वृद्धि हो, उनमें शिक्षा का अभाव और बीमारी कम हो और साथ साथ उनके विचार और चरित्र भी ऊँचे होने चाहियें। इन सब चीजों में हमें उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है। यह काम दोनों का है। एक तरफ यह गवर्नमेंट का काम रहता है और दूसरी तरफ देश की जनता का भी कर्तव्य होता है। यह सभी देशों के इतिहास में देखा गया है कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है, जब कोई देश स्वतंत्र होता है या कोई बड़ी घटना होती है जिसका असर देश भर के लोगों पर पड़ता है तो उसका फल यह होता है कि हर प्रकार की जागृति उसके

साथ होती है और वह एक विषय में नहीं बल्कि बहुमुखी होकर हर तरफ देवने में आती है। वही वात भारत के सामने आयी है। हमारी जागृति, हमारी उन्नति बहुमुखी होनी चाहिये और मेरा विश्वास है कि वह होगी। हम हर तरह से सुखी और समृद्ध होंगे और हम स्वस्थ भी होंगे और हमारा चरित्र भी उच्च होगा और हम हर तरह से आगे बढ़ेंगे। इसमें जनता भी मदद करेगी, गवर्नमेंट भी काम करेगी और प्रत्येक भारतवासी यह महसूस करेगा कि यह देश मेरा है। अगर कोई बात विगड़ती है तो उसकी शिकायत होती है और कोई बात बनती है तो तारीफ भी उसी की है। इसलिये हमारा काम है कि जो कुछ करना कराना है उसको पूरा करे और जो दूसरों से कराना है उसमें भी सहायक हो सके तो हों, जो कुछ सहानुभूति चाहिये वह दें, हर तरह से उस काम को पूरा करने में मदद करे। मैं आशा रखता हूँ कि जिस तरह से भारत के लोगों ने हमें बड़े काम में सहायता दी है और जिस तरह से अपनी चातुरी, देश प्रेम और शक्तिप्रियता से सबने काम लिया है उभी तरह से देश में यदि शान्ति बसाये रखने में सहायक बने हूँ तो हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुन्दर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य को समझे, देश में प्रेम करे और अपनी जवाबदेही को समझे। इसमें गुजरात के लोगों को विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो हम दूर के रहने वाले हैं, जो विदेशी लोग हैं वे भी महात्मा गांधी के ग्रंथों को पढ़कर उनके वाक्यों को पढ़कर जो गुजराती में लखे और छपे गये हैं अनुप्राणित होते हैं तो गुजरात के लोगों का जहा वर्षों तक गांव गांव में घूमकर उन्होंने काम किया क्या कमी हो सकती है। मैं तो मानता हूँ कि आप अपने कर्तव्य को समझने ह और उसको पूरा करेंगे। अपने मन में मैं यही कहना हूँ कि महात्मा जी का जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात ने उनका साथ दिया और उनका सब कुछ गुजरात में रहा और मेरा सब कुछ गांधी जी में हुआ और इन्होंने गुजरात में भी हुआ। जब कभी मुझे गुजरात के अन्दर आने का मौका मिलता है तो मैं यह नहीं मना करता हूँ कि मैं कभी दूसरे प्रांत में गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगना है कि मैं आने ही प्रांत में हूँ और अपने ही भाइयों और बहनों के बीच हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप से सारे भारतवासियों के लोगों को बड़ा आशा है। आप लोग जिस काम में भी हों देश को उन्नति करे, अपनी जवाबदेही क्या है उसको समझे और अदा करे। आप सब बहनों और भाइयों ने जो प्रेम दर्शाया, जो आदर स्वागत किया उसको लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन चित्रों का अनावरण कर देना हूँ।

### भड़ौच गांधी अस्पताल

तारीख १ मार्च १९५२ को ४ बजे दोपहर को भड़ौच में नये अस्पताल का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

डाक्टर चन्डूलाल देसाई, मुराजी भाई, बहनों और भाइयों,

मैं आप के यहाँ आज आया हूँ और आपने मेरे हाथों में इस अस्पताल का उद्घाटन कराना ठीक समझा और मुझे यह प्रतिष्ठा और गौरव दिया इसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हमको स्वराज्य तो मिल गया है पर गांधी जी हमको बराबर कहा करने थे कि हमारा स्वराज्य स्थायी तभी होगा जब हम रचनात्मक काम करेंगे और ऐसी काम को अगर हम स्थायी

बनाना चाहते हैं तो उसके लिये रचनात्मक कार्यक्रम का णलन आवश्यक और अनिवार्य है और इस प्रकार की संस्थायें जो देश में जहाँ तहाँ बन गई हैं जिनके द्वारा जनता की सेवा हो रही है वे ऐसी आब व हवा तैयार करती हैं, वायुमंडल तैयार करती हैं जिसमें कि सब काम कर सकते हैं। अभी जो आप ने इस अस्पताल का थोड़ा सा इतिहास कहकर बतलाया उससे मैं तो यह अर्थ लगाता हूँ कि कोई भी काम जो शुद्ध भावना से सच्ची श्रद्धा से आरम्भ किया जाता है और जिस में कुछ लोग दत्तचित्त होकर लग जाते हैं तो ईश्वर उसको पूरा कर देता है। जिस सच्ची भावना से, शुद्ध श्रद्धा के साथ आपने इस काम को शुरू किया था उसी का यह फल है कि आज आप यहाँ इतना बड़ा अस्पताल कायम करके उसके द्वारा आप जनता की सेवा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी अभी काम होगा और जो कुछ पैसे की जरूरत होगी वे भी आपको अनायास ही उसी तरह से मिल जायेंगे जिस तरह से अब तक आपकी जो आशा हुई वह पूरी हुई है। और विशेष करके गुजरात में यह कहना आवश्यक नहीं है क्योंकि गुजरात के लोगों के दान से भारत के दूसरे दूसरे भागों में भी बहुत काम चलते हैं और हो रहे हैं तो यहाँ पैसे की वजह से कोई काम रुक जाये इसे तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका रचनात्मक काम के तरीके को मानकर चलना चाहिये और उस के द्वारा लोगों की सेवा जहाँ तक हो सके करते जायें और मेरा यह विश्वास है कि अगर आप चाहेंगे तो यह काम और भी आगे बढ़ जायेगा और काम पूरा होगा। इसमें भी यह आपका बड़ा भारी सौभाग्य है कि एक सत का सहारा आपको मिल गया है।

हमारे देश में आज तक साधु संतों का गौरव रहा है और उन्होंने जो लोगों की सेवा की है उसी का यह फल है कि हम में अभी भी धार्मिक भावना रह गयी है और अभी भी आने चरित्र और संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास रह गया है। समय पाकर कुछ बुराई भी आ गयी है मगर उनको दूर करना हमारे लोगों का काम है। वे लोग आज तक हमारे गुरु बने रहे हैं। इसीलिये मैं तो चाहता हूँ कि वे इस तरह की सहायता करें जो सब को मिले और आप उसको ग्रहण करें और आगे काम करें।

इस समय देश में बहुत रचनात्मक कार्य की जरूरत है। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। उसके लिये जहाँ तक काम किया जा सके वह होना चाहिये। हमारे यहाँ लोगों में बीमारी है और रोग फैला हुआ है उनको दूर करने के लिये जहाँ तक काम किया जा सके होना चाहिये। हमारे लोगों में गरीबी फैली हुई है उसको दूर करने के लिये जहाँ तक हम कर सके हमको करना चाहिये। काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है और जो कोई भी काम करना चाहे उसके लिये काफी मैदान खुला पड़ा हुआ है जहाँ वह अपनी शक्ति भर काम कर सकता है। इसलिये जब मैं सोचता हूँ कि जब हम स्वराज्य का आन्दोलन चला रहे थे उस वक्त में और आज में क्या अन्तर है तो देखता हूँ कि उस वक्त जितना काम करना था उससे भी अधिक काम करने की जरूरत आज है। बहुत से लोग ऐसा मान बैठे हैं कि अब स्वराज्य तो मिल गया, अब काम करने का समय नहीं रहा, अब भोग का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि काम करने वालों के लिये तो भोग का समय कभी नहीं आता। जितना स्वराज्य के आन्दोलन में काम करना था उससे भी अधिक काम स्वराज्य प्राप्ति के बाद करने की भारत में जरूरत है। उस वक्त



जितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था उससे कहीं अधिक कठिनाइयों का आज हमें सामना करना है। उस वक्त तो लोग चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो और सब लोग अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक साथ होकर काम करने के लिये तैयार भी हो जाते थे; चाहे और बातों में एक मत एक गय हो या नहीं हो मगर स्वराज्य प्राप्ति के लिये देश के सभी विचारधारा के लोग एक हो जाते थे। इसलिये वह काम तो सहज था। उस वक्त हमें एक भारी शक्ति का मुकाबला करना था और शक्ति का विरोध हम सब एकत्रित होकर ही कर सकते थे और करते थे। अब जब हमारे अपने हाथों में अधिकार आ गये तो भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न आदर्श, भिन्न भिन्न शैली, तरीके आदमी के सामने आते हैं, हम में से कोई अब पूरब खीचता है, कोई पश्चिम खीचता है, कोई उत्तर खीचता है और कोई दक्षिण खीचता है और उसका फल यह होता है कि हमारी गाड़ी उतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती जितनी बढ़नी चाहिये। इसलिये मैं मानता हूँ कि अभी जो काम है वह अधिक कठिन काम है और उस समय जितने त्याग की आवश्यकता होती थी उससे अधिक इस वक्त है। जब महात्मा गांधी ने देश के लोगों को पुकारा था और कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिये आगे बढ़ो, उसमें जो कुछ कष्ट सहना पड़े उसको सहो जितने लोग उस काम में आकर जुटे, शरीक हुए वे यह समझ बूझ कर शरीक हुए कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है और उनको अपने स्वार्थ के लिये किसी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिये, उनको अगर कुछ मिल सकता है तो सरकार से दंड मिल सकता है, अगर कुछ मिल सकता है तो जेलखाना मिल सकता है, अगर कुछ मिल सकता है तो अपने धन का अपहरण मिल सकता है। उस समय मनुष्य के सामने कोई प्रलोभन नहीं था। आज हज़ारों तरह के प्रलोभन हम में से प्रत्येक के सामने हैं और उस वक्त जो आते थे वे प्रलोभन से बचे ही रहते थे, प्रलोभन होता ही नहीं था। मगर आज प्रलोभन सामने हैं और जो अपने को बचा सके तो मैं मानता हूँ कि उसमें अधिक श्रेय है। इसलिये आज का नया अधिक कठिन है, अधिक कठिन इस वजह से भी है कि अब हमें किसी विदेशी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। अब तो अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम और अध्यवसाय से जो कुछ देश का भला हम कर सकते हैं उसे करना है। इसलिये अब कोई बात बिगडती है तो उसका दोष हम दूसरों के सर पर नहीं मढ़ सकते, उसे हमें अपने सर पर उठाना पड़ेगा। और सब कठिनाइयों को देखते हुए मेरा तो यह विश्वास है कि आज का काम उन दिनों के काम से अधिक कठिन है। आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच्चे त्यागी हो और इस समय जो लोगों के सामने प्रलोभन हैं उन से अपने को बचा सके और जिन के सामने सेवा के सिवाय न कोई आदर्श हो और न कोई ध्येय हो। जब ऐसे देश के सच्चे सेवक आकर इस काम में जुटें तो जो कुछ आज कठिनाई है वह दूर हो जायेगी और हौनी भी चाहिये।

आज देश स्वतंत्र हो गया है और लोगों में उमंग और स्फूर्ति आई है। इसका यह फल होना चाहिये कि हमारी उन्नति बहुमुखी हो और हम हर तरह से उन्नति करें और यह तभी हो सकता है जब हम सच्ची भावना से इस काम में लगे। इसलिये मैं तो रचनात्मक काम को उन दिनों में भी महत्व दिया करता था और आज भी देता हूँ और सच पूछिये तो उन दिनों से आज अधिक देता हूँ। कुछ ऐसी भी भावना हम लोगों के दिलों में आ जाती है कि अब स्वराज्य हो गया है, अपनी सरकार हो गयी है, अब जो कुछ करना कराना है अपनी सरकार को करना चाहिये अब हमें

कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि सरकार अपनी है पर तो भी जिनको सेवा करनी है उनको करते ही रहनी चाहिये और तभी वे सरकार से भी ठीक काम करा सकेंगे। महात्मा जी कहा करते थे कि जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों में सुधार करना चाहते हैं उनको रिफार्मर होकर काम करके सरकार को रास्ता दिखलाना चाहिये और वे ही लोग सरकार का पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। तो आज हमको ऐसे ही पथ प्रदर्शकों की जरूरत है जो देश के लोगों को और सरकार को ठीक रास्ता दिखलायें और दिखलाये केवल कहकर ही नहीं बल्कि करके दिखलायें। इसलिये ऐसे काम का महत्व है और मैं आशा करता हूँ कि जो केन्द्र गुजरात में सारे देश के लिये महात्मा गांधी ने स्थापित किया वह फिर भी आगे ही रहेगा और सब के लिये वह मिसाल की तरह होगा जिसको देखकर सब आगे चलेगे।

मैं सब भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने इस काम में सहायता दी है या आगे सहायता देंगे उन सब को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह काम दिन-दिन बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा।

### साबरमती आश्रम

तारीख २-३-५२ को साढ़े आठ बजे सुबह साबरमती आश्रम अहमदाबाद में राष्ट्रपति-जी ने कहा—

बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे यह दूसरा सुअवसर मिला कि मैं यहां आ सका और इस आश्रम का दर्शन कर सका। जैसा मैं ने कहा इस आश्रम से मेरा सम्बन्ध तो बहुत दिनों से चलता आया है। मैं समझता हूँ कि प्रायः ३५ वर्ष हुए जब पहले पहल इस आश्रम में मैं आया था उस समय न तो इतने मकान थे और न बड़े बड़े मकान थे। यहां एक छोटे मकान से काम आरम्भ हुआ था। उस वक्त भी मैं आया था और दो चार रोज रह कर गया था। उस के बाद जब तक महात्मा गांधी इस आश्रम में रहे बार-बार उन से मिलने आया करता था। जब बापू वर्षों चले गये तब से यहां मेरा आना जाना कम हो गया पर तो भी जो सम्बन्ध जुड़ा था, जो प्रेम हुआ था, वह तो बना रहा ही। इस लिये जब कभी मुझे इधर आने का मौका मिलता है तो मैं यहां आ कर आश्रम की बहनों और भाइयों से मिल लिया करता हूँ।

बाद में बापू ने इस आश्रम को हरिजनों की सेवा के लिये छोड़ दिया और इस काम में १९३१ से यह बराबर लगा हुआ है। जिस वक्त बापू डांडी मार्च के लिये यहां से निकले थे तो यह कह कर गये थे कि स्वराज्य ले कर आयेँगे तो इस आश्रम में लौटेंगे, नहीं तो नहीं लौटेंगे। पर जब स्वराज्य बापू को नहीं प्राप्त हुआ तो वह नहीं आये। जब स्वराज्य प्रप्त

के वाद उनके यहां जाने का अवसर भाया तो हमारे दुर्भाग्य से बापू चले गये । मगर जो कुछ वह छोड़ गये हैं, जो कुछ इस संसार के लिये वह सिखा और बता गये हैं वह तो ज्यों का त्यों हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि जो काम बापू ने आरम्भ किया था और जिस को वह पूरा नहीं कर पाये थे उस को हम पूरा करें। उस को पूरा करने में इस प्रकार के आश्रम का बहुत बड़ा भाग है और विशेष कर के जो हरिजनों का काम था वह तो बापू के बहुत प्रिय कामों में एक काम था और इस लिये जब बापू ने इस आश्रम को छोड़ा तो इसे हरिजन निवास बना कर ही छोड़ा। तो अभी भी बापू ने जो काम आरम्भ कर दिया था वह सब काम पूरा नहीं हुआ है; जैसे हरिजनों का यह काम पूरा नहीं हुआ है। उसी तरह बापू जो एक नया समाज संगठन करना चाहते थे, नयी रीति से दुनिया को चलाना चाहते थे उस समाज का संगठन नहीं हो पाया है; और यद्यपि हमारे हाथों में राजसत्ता आ गई है, अधिकार आ गये हैं लेकिन उन आदर्शों को अभी हम पूरा नहीं कर पाये हैं। इस लिये जो लोग इस तरह के आश्रम चला रहे हैं या बापू के बताये रास्ते पर चल कर शिक्षा ले रहे हैं वे उन के अधूरे काम को पूरा करें। जो लोग इस तरह के रचनात्मक काम में लगे हुए हैं उन का सब से बड़ा कर्तव्य होता है कि अपनी कार्यवाही से वे दूसरों को अपनी ओर खींचें और उस रास्ते पर ले आवें। किसी को अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही क्यों कि बापू ने स्वयं इतना कह दिया है; इतना लिख दिया है और लिख कर इतना पत्रों में छपा है कि अगर कोई सीखना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो तो उस के लिये नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस के अनुसार चलना चाहिये। अब यही काम है। उस पर हम चलेंगे तो बापू देश को जिधर ले जाना चाहते थे उधर हम उसे ले जा सकेंगे। इस लिये जो लोग इस तरह की संस्थाओं में काम कर रहे हैं उन पर जवाबदेही आ गई है, वे आदर्शस्वरूप रह गई हैं और उनका काम है कि अपने रास्ते पर दूसरों को ले आवें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जिन्होंने बापू के कामों को समझा है और उन के सिद्धान्त को अपनाया है हमेशा बापू के रास्ते पर चलते रहेंगे और देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज सवेरे सवेरे आप सब भाइयों और बहनों के दर्शन से मुझे आनन्द हुआ।

### गुजरात विद्यापीठ

तारीख २ मार्च १९५२ को दिन में ८-३५ बजे गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में पुस्तकालय के मकान के शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा—

गुजरात विद्यापीठ के अध्यापकगण, विद्यार्थियो, बहनो और भाइयो,

जब मुझे से कुछ दिन पहले यह कहा गया कि मैं विद्यापीठ का कुलपति हूँ तो मैंने इस को अपने लिये एक बड़ा गौरव समझा और उस का कारण अभी आप ने बता ही दिया। विद्यापीठ के कुलपति स्वयं महात्मा गांधी थे और उन के बाद सरदार वल्लभ भाई कुलपति रह चुके हैं। उस स्थान पर यदि मुझे रहने को कहा जाये तो उस को गौरव के अतिरिक्त और दूसरा क्या मैं मानूँ? इस लिये मैंने इस को सहर्ष स्वीकार किया। मैं जिस पद पर आज हूँ

उस का और कई यूनीवर्सिटियों से भी सम्बन्ध है, एक का मैं कुलपति हूँ और कई यूनीवर्सिटियों का निरीक्षक या जो कहिये मैं हूँ और उन के साथ मेरा कुछ न कुछ सम्बन्ध रहता है; उन की कार्यवाही की कुछ न कुछ देख भाल करनी पड़ती है; पदवी दान के अवसर पर भी जाना होता है । मैं आप से सच कहता हूँ मैं यहां के कुलपति के पद को उन में से किसी से भी कम नहीं, अधिक ही मानता हूँ और इस का कारण यह है कि इस संस्था के साथ मेरा आज तक सम्बन्ध रहा है; जैसा आप ने कहा, १९१९-२० से जब इस को महात्मा गांधी ने कायम किया तब से मेरा सम्बन्ध रहा है और इस का भी विशेष कारण है । क्यों कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में पिछले १०० वर्षों से रही है वह एक प्रकार की रही है और एक ध्येय विशेष को ले कर जारी की गई थी और अभी भी वह बहुत कुछ उसी रास्ते पर उसी ध्येय को सामने रख कर चल रही है । जबसे भारत को स्वराज प्राप्त हुआ है तब से बहुत तरह के प्रश्न सामने आये और इतने समय में हम इस सारी पद्धति को बदल नहीं पाये हैं । यह पद्धति जिस वक्त आरम्भ की गई थी उस वक्त जिन लोगों ने इस को जन्म दिया था उन्होंने इस काम में अपना विशेष उद्देश्य यह रखा था कि किस तरह से भारत में अपने देश की संस्कृति और विचारों का वे प्रचार करे और साथ ही साथ यह भी सोचा था कि इस देश के राजकाज में मदद करने वाले भारतवासी उन को मिलें । इन दोनों चीजों को सामने रख कर उन्होंने इस को आरम्भ किया और जो उन्होंने ने निश्चय किया होगा कि अपनी संस्कृति का प्रचार करे । उस का भी कारण यही था कि वे समझते थे कि हमारी संस्कृति, हमारी विद्या, हमारा साहित्य कुछ ऐसा नहीं है जिस से हम को कुछ सीखने को मिल सकता हो, और इस लिये वे तो यह मान कर ही अपनी विद्या हमें सिखाना चाहते थे कि उस से हमारा उपकार है और हागा । इस तरीके से उन्होंने इस काम को आरम्भ किया । हमारे देश के लोगों ने भी उसे अर्थकरी विद्या होने के कारण खुशी से स्वीकार किया । सच पूछिये तो यह विद्या बहुत अर्थकरी भी नहीं थी क्यों कि जिन रीतियों से, जिन कारणों से देश की दीनता को दूर कर के उस को हम बड़ा और समृद्ध बना सकते थे न तो वे चीजें सीखने को मिली और न उस तरीके से पूरा लाभ उठाने को मिला । ती भी जो कुछ उन्होंने ने सिखाया, बताया हम ने माना । मैं यह भी मानता हूँ कि इस देश में अंग्रेजों और दूसरे योरोपीय लोगों ने हमारी अपनी विद्या, हमारे अपने साहित्य को भी एक प्रकार से फिर हम को सिखलाया । हम कुछ इस तरह से मोह में पड़ गये थे कि हम भी समझने लग गये थे कि हमारे पास कुछ नहीं है ; और उन्होंने ने उस विद्या को फिर से जीवित कर के हमारी आंखें खोल दीं । तो इस लिये हमें उन का आभार मानना चाहिये । मगर जब हम दोनों तरफ का हिसाब लगाते हैं और देखते हैं तो हम मानते हैं कि हमारे ऊपर एक भारी बोझ भी उन्होंने ने लादा । वह बोझ यह था कि विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने की वजह से हमारा मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हो सका जितना वह हो सकता था और हमारे नवयुवकों के मस्तिष्क पर विदेशी भाषा का बोझ इतना पड़ा कि उस की वजह से वह बहुत कुछ दबा है ।

लोग कहते हैं कि इस शिक्षा का फल यह हुआ है कि हमारे यहां लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम आरम्भ किया, इस शिक्षा का यह फल हुआ कि हमारे लोगों ने आज संसार में जो कुछ है

में प्रगति पाई है और आज तो उन के साथ वे मुकाबला भी कर सकते हैं। इस का उत्तर मञ्जु याद है; उसे महात्मा गांधी ने १९२१ में एक बड़ी सभा में दिया था। उड़ीसा में महात्मा गांधी उन दिनों दौरा कर रहे थे। मैं भी उन के साथ था। एक बड़ी सभा में एक सज्जन ने उठ कर यह प्रश्न किया “महात्मा जी, आप तो अंग्रेजी शिक्षा की इतनी शिकायत करते हैं तो क्या उसी शिक्षा के फलस्वरूप आप नहीं हैं? क्या उसी शिक्षा के फलस्वरूप लोकमान्य तिलक नहीं हैं? क्या और जो दूसरे बड़े बड़े लोग हमारे देश में फैले हुए हैं वे उसी शिक्षा के फलस्वरूप नहीं हुए हैं?” महात्मा जी ने उस का बहुत सुन्दर उत्तर दिया। उन्होंने ने कहा “अगर यह शिक्षा हम लोगों को नहीं मिली होती तो कौन कह सकता है कि हम जो हैं वही नहीं होते, यह कौन कह सकता है कि अगर यह शिक्षा हम को अपनी भाषा द्वारा मिली होती तो जो हम हैं उस से भी हम बड़े नहीं होते? यह कौन कह सकता है कि लोकमान्य तिलक जिन्होंने अपनी विद्वत्ता के कारण इतनी प्रसिद्धि पाई है वह अपनी भाषा में शिक्षा पाये होने तो इससे भी कहीं अधिक विद्वान नहीं होते?” और उन्होंने ने उत्तर दिया “शंकराचार्य उतनी छोटी अवस्था में सारे भारत में केवल फिरे ही नहीं बल्कि उन्होने तो अपना सिक्का भी जमा लिया था जो अभी तक कायम है। तो क्या उन्होंने ने अंग्रेजी शिक्षा पाई थी। अभी हाल के दिनों में तुलसीदास जी ने सारे देश में ख्याति पाई, और भी लोग बहुत ऐसे हुए जिन्होंने केवल नाम ही नहीं पाया बल्कि जिन के वचन का प्रभाव करोड़ों आदमियों के जीवन पर दिन प्रतिदिन पड़ता है और करोड़ों आदमी मुग्धरते हैं। तो क्या उन्होंने ने अंग्रेजी शिक्षा पाई थी। कौन कहता है कि लोकमान्य शंकराचार्य से भी बड़े तुलसीदास से भी बड़े नहीं होते अगर वह अपनी भाषा में शिक्षा पाते”। मैं मानता हूँ कि वह उत्तर अभी भी अपने स्थान पर सही है। इस लिये मेरा अपना विश्वास रहा है और आज भी है कि अपनी भाषा में शिक्षा होनी चाहिये। अपनी भाषा में शिक्षा पाने से लोग उतने ही काल में अधिक विद्या प्राप्त कर सकते हैं जितनी विद्या विदेशी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर के।

इस बात में सुधार करना सिर्फ इन सस्थाओं का काम होना चाहिये। केवल इतना ही नहीं। मैं ने पर साल भी कहा था कि प्रयोग का काम गवर्नमेन्ट बहुत कम करती है। गवर्नमेन्ट का और सिलसिला होता है और उसी के अनुसार वह अपना काम करती रहती है और उस की इतनी जवाबदारी रहती है, इतनी बातों का विचार करना पड़ता है कि अगर कोई प्रयोग करे भी तो उस को डर रहता है कि कही उस में सफलता नहीं हुई तो हमारे ऊपर बड़ी जवाबदारी आजायेगी। इस लिये कोई भी गवर्नमेन्ट प्रयोग के काम में नहीं पड़ना चाहती। हमारी गवर्नमेन्ट भी तो गवर्नमेन्ट ही है। वह भी प्रयोग नहीं करेगी। इस लिये जो प्रयोग का काम है वह इस तरह की स्वतन्त्र संस्थाएँ कर सकती हैं और उन का यह काम है कि प्रयोग कर के उस के फल को गवर्नमेन्ट के सामने रखें और गवर्नमेन्ट को मजबूर करे कि प्रयोग का काम हो गया है, उस का फल सामने है और उस के अनुसार दृढ़ हो कर गवर्नमेन्ट को उस काम को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिये महात्मा गांधी जी के तरीके के अनुसार गवर्नमेन्ट यूनियर्सिटीयों में स्कूलों और कालेजों में नहीं काम करती है। जैसा मैं ने कहा वह उसे अभी

भी प्रयोग का काम समझती है इस लिये उस पर चलने की उस की पूरी हिम्मत नहीं होती । तो इस काम को आप को पूरा करना है । यहां बापू ने बुनियादी तालीम का रास्ता दिखलाया । उन्होंने ने इस सम्बन्ध में बहुत लिखा है । मुझे याद है कि जब १९३७-३८ साल में हमारे कांग्रेस के लोगों ने शासन भार अपने ऊपर लिया था तो बापू ने एक सम्मेलन किया था जिस में उन्हो ने देश भर के अच्छे अच्छे शिक्षाशास्त्रियों को आमन्त्रित किया था और वहां पर उन्होंने ने बुनियादी तालीम की बात रखी थी । उस के पहले से भी उन्होंने ने लेखों द्वारा अपने विचारों का प्रचार तो किया था लेकिन वह लोगों से वादविवाद कर के तजुरबा कर के, लोगों को समझा बुझा कर के इस के सम्बन्ध में कोई निर्णय करना चाहते थे और मुझे यह भी याद है कि वहां बुनियादी तालीम के सम्बन्ध की दो मुख्य चीजें आई थी । एक तो यह कि काम करा कर के ही शिक्षा देनी चाहिये ; धंधे के जारये ही शिक्षा देनी चाहिये । इस चीज को तो शिक्षाशास्त्रियों ने मान लिया और मान लिया इस वजह से कि आज पश्चिम के देशों में भी और विशेषकर अमेरिका में इस प्रकार की शिक्षा ही सब से उत्तम शिक्षा मानी जाती है । यहां के शिक्षाशास्त्रियों ने देखा कि बापू के विचार यद्यपि वह वहां की शिक्षापद्धति से परिचित नहीं थे, कोई उसका विशेष अध्ययन भी नहीं किया था और स्वतन्त्र रूप से उस निर्णय पर पहुंचे थे जो सब से उन्नत विशिष्ट शिक्षाशास्त्रियों के विचारों से मिलते थे और उन्होंने ने उसे मान लिया । मगर उस के दूसरे भाग को उन्हो ने उस वक्त भी नहीं मारा और मैं समझता हूं कि आज भी वे उसे नहीं मानते हैं । बापू का सोचना था कि भारत एक गरीब देश है । वह शिक्षा को सर्व साध्य बनाना चाहते थे जिस में वह प्रत्येक आदमी को मिले और उस का खर्च कम पड़े और उसके खर्च का भार देश पर नहीं पड़े । इस लिये बापू का विचार था कि लोगों को धंधा करा कर शिक्षा दी जाये और उम धंधे से इतना पैदा हो कि शिक्षा का खर्च निकल आये अर्थात् शिक्षा सेफ़ स्पोर्टिंग हो जाये । वह यह चाहते थे और उन का यह विश्वास था कि यह हो सकेगा । मगर शिक्षाशास्त्रियों ने उसे स्वीकार नहीं किया । उन का खयाल था कि जहां भी यह पद्धति शुरू होगी विद्यार्थी जिस तरह से कारखाने में लोग काम करते हैं वैसे ही करने लग जायेंगे ; और उन का शिक्षा की ओर ध्यान न जा कर पैसे की ओर चला जायेगा । जो इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे वे कहते थे कि शिक्षा के विचार से तो वह ठीक है मगर उस में पैसे कमाने की बात आ जाने से शिक्षा का उतना महत्व नहीं रह जायेगा । मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे यहां के जितने शिक्षाशास्त्री हैं उन्होंने ने इस बात को नहीं माना है और जहां जहां गवर्नमेन्ट ने तालीमी संघ की पद्धति मानी भी है उस ने इस बात को पूरी तरह से नहीं माना है । मैं आज भी मानता हूं कि बापू का विचार ठीक था और इस विद्यालय जैसी संस्थाओं का यह काम है कि वह इस बात को कर के दिखलाये कि पैसे भी निकल सकते हैं और विद्यार्थी भी चरित्रवान हो सकते हैं, उन के मस्तिष्क और विचार विकसित हो सकते हैं और वे और विद्यार्थियों के मुकाबले में बेहतर और अच्छे हो सकते हैं । मैं जानता हूं कि जहां लोगों ने इस का प्रयोग किया है, गवर्नमेन्ट की तरफ से जो प्रयोग किया गया है उस में सफलता मिली है । मैं जानता हूं कि बिहार में एक छोटे पैमाने पर डम का प्रयोग किया गया । सीभाग्य से जो लोग वहां पर गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं उन्होंने ने इस को समझा है और इस को वे पूरा करना चाहते हैं । उन लोगों ने इस का काम भलाया है और यह भी सी-

भाग्य की बात है कि उस वक्त के अप्रेज अधिकारियों ने उन को प्रयोग करने का मौका दिया और और उसी का यह नतीजा हुआ है। मैंने सुना है कि १०० में प्रायः ७० विद्यार्थी कम ावर के निकाल लेते हैं और वे समझते हैं कि यह आरम्भिक काल है, अभी सब चीज की पूरी उन्नति नहीं हुई है शिक्षक भी नये हैं; उन को अभी पूरा अनुभव भी नहीं था। वे तो समझते हैं कि सारे का सारा खर्च विद्यार्थियों के जरिये से वे निकाल लेंगे। अभी जब हम सारे देश में सर्वव्यापी शिक्षा की बात सोचते हैं तो करोड़ों रुपये का खर्च सामने आ जाता है और घबडा कर छोड़ देते हैं। न स्पया हमारे पास आज है और न कल होने वाला है। वह तो आहिस्ता २ होगा। कभी हम घबडा जाते हैं कि क्या कभी ऐसा समय आयेगा भी जब हम प्रादमरी ऐज्युकेशन को मारे देश के लिये अनिवार्य बना सकेंगे या नहीं और कोई कोई पूछने भी लगते हैं। मगर तालीमी संघ की बात ठीक तरह से मान ली जाये तो हम २०-३० वर्षों के अन्दर शिक्षा को सर्वव्यापी बना सकते हैं। अतः मैं यह चाहता हूँ कि यह विद्यालय और इस तरह की जितनी संस्थायें हैं इस प्रकार का प्रयोग करके काम को पूरा कर के दिखलावें और गवर्नमेन्ट को मजबूर करे कि यह काम होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि जब गवर्नमेन्ट अपनी गवर्नमेन्ट है और उस को लोकमत से चलना है तो वह उसे मान लेगी और गवर्नमेन्ट को मजबूर करने का यही तरीका है। इस लिये मैं तो मानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं का रहना आवश्यक है। इस लिये परमाल भी मैंने कहा था कि प्रयोग का काम चलते रहना चाहिये। यह भी आप को समझना चाहिये कि प्रयोग का काम खत्म होने वाला नहीं है। कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे क्या चीज है उस को देखने की उस की उत्सुकता होती है और फिर वहाँ जाने पर और आगे की चीज देखने की उस की उत्सुकता होती है। उसी तरह मैं प्रयोग का काम होता है और वह खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे प्रगति होगी, नये रास्ते नया ससारा, नयी दुनिया हमारे सामने आती जायेगी और उन तक पहुँचना हमारा ध्येय होता जायेगा। इस लिये मैं यही मानता हूँ कि इस तरह की संस्थाओं को केवल चलते ही रहना नहीं चाहिये बल्कि उन को दूसरी तरह की संस्थाओं से स्वतन्त्र रहना चाहिये। इस मामले में उन को किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहना चाहिये, चाहे वह गवर्नमेन्ट का बन्धन हो चाहे और किसी दूसरे का; क्योंकि बन्धन का अर्थ यह होगा कि वे अपनी रीति से नहीं चल सकेंगी, कहीं न कहीं उन को रुकावट आयेगी। बापू ने भी यही मान कर उन्हें स्वतन्त्र रहने को कहा था क्योंकि वे समझते थे कि किसी प्रकार की रुकावट हमारे रास्ते में आयेगी, और यदि किसी प्रकार का बन्धन हम महसूस करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। इस लिये हम चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट अपनी है, उन से आप को सहायता मिले तो आप ले मगर गवर्नमेन्ट के बन्धन में नहीं रहें और गवर्नमेन्ट से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वह ऐसी संस्थाओं को सहायता दे तो अपनी ओर से उन को कोई शर्त नहीं लगानी चाहिये बन्धन नहीं रखना चाहिये और उन को आजादी दे देनी चाहिये कि जिस रूप से वे चाहें काम करें। तभी उस दान से भला हो सकता है; और दान देने वाले को उस का फल मिल सकता है। और इस लिये मुझे और भी खुशी होती है कि आप ने मुझे इस पद पर बैठाया है कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें, जो आप का विचार है उसे लोगों को बता सकें और जो काम आरम्भ हुआ जैसा का ध्येय अभी पूरा नहीं हुआ उस को पूरा कर सकें। इस में मुझ से जो सेवा हो सकती है मैं देने के लिये तैयार हूँ। मैं आप सब बहिनों और भाइयों का आभार मानता हूँ

कि आप ने मुझे यह अवसर दिया। जिन बहनों और भाइयों ने आज पदवी पाई है उन से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्रत आप ने लिया है जो शिक्षा आप को यहाँ से मिली है और इस के अलावा इस अवसर पर जो आप ने प्रतिज्ञा की है उस का स्मरण रखें और यदि उस का स्मरण रलेंगे तो आप गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। मेरी आप से यही विनती है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप को वह शक्ति दे कि आप उस रास्ते पर चल सकें।

### वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण

वल्लभ विद्यानगर बॉयस हाई स्कूल, गुजरात, में तारीख २-३-५२ को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण तथा आषो के अंगनाला का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपति जी ने कहा —

श्री मुखार जी, भाई, बहनो और भाइयो,

मेरे सवरे अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में गया था और सध्या के समय उस की शाखा को यहाँ देखने आ गया। विद्यापीठ का काम तब तक पूरा नहीं हो सकना है जब तक कि हम गांवों को आने हाथ में नहीं ले और गांव के लोगों के लिये काम करने वाले, उन में सभी प्रकार के काम करने वाले हम तैयार नहीं कर सके। यही सोच कर इन विद्यालय का जन्म हुआ था और आज २०-२२ वर्षों के काम के बाद हम यह देख सका है कि उन के लिये वितना और भी अभी काम बाकी है और कितने प्रकार के काम हम में करने हैं। भारत अभी भी गांवों में ही बसता है। १०० में ७० आदमी गांव में ही रहते हैं और गांव में ही जो शहर में रहते हैं उन का भी बहुत कर के काम चलता है। इस लिये जब तक हमारे गांव का सुधार न हो, उस की पूरी उन्नति न हो तब तक भारत का सुधार और उन्नति नहीं हो सकती। इस चीज को महात्मा गांधी ने हम को बार बार बतलाया और ग्राम सेवा को अपना व्रत बनाया और ग्राम सेवा के लिये सेवक तैयार करने का व्रत लिया। विद्यापीठों का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था और विद्यापीठों ने जो कुछ किया उस में ग्राम सेवक तैयार करने का काम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम रहा। मगर केवल विद्यापीठ में सेवक तैयार होने से तो सब काम होता नहीं, उन को गांव गांव में जा कर बैठना चाहिये और गांवों के लोगों की किस तरह से उन्नति हो सकती है इस को देखना चाहिये और उस में सहायता करनी चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि सब प्रकार की उन्नति हो। किसी एक विषय को ले कर हम लोगों की उन्नति करना चाहे तो वह पूरी उन्नति नहीं होगी। इस लिये सब तरह की उन्नति होनी चाहिये; खेती की उन्नति होनी चाहिये, कला की उन्नति होनी चाहिये, कारीगरी की उन्नति होनी चाहिये, शिक्षा की उन्नति होनी चाहिये, लोगों को रोगमुक्त होना चाहिये, लोगों को स्वच्छ शुद्ध और साथ साथ पीठक भोजन मिलना चाहिये। जब तक इन सब चीजों का शिक्षा पद्धति में समावेश हम नहीं करे और सब के लिये कुछ न कुछ बंध न हो, तब तक हमारा काम



पूरा नहीं हो सकता। इस लिये मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ आप जो काम कर रहे हैं उन में इन सब चीजों पर ध्यान है और सब से बड़ी बात तो यह है कि यहाँ गांवों के बच्चों को ला कर इन सब चीजों को सिखा कर उन को योग्य बनाया जा रहा है कि वे भी जब शिक्षा प्राप्त कर बाहर जायें तो इस तरह की सेवा कर सकें। मैं तो आशा रखता हूँ कि यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं उन में से बहुतेरे ऐसे होंगे जो गांव को सेवा ही अपना काम मानेंगे और उस में ही अपना जीवन लगायेंगे। ऐसे भी जरूर होंगे जो यहाँ की शिक्षा पा कर अपने कारबार में, अपने धंधे में लग जायेंगे। वह भी होना चाहिये। मगर हम यह आशा रखते हैं कि उन में से एक अच्छी संख्या ऐसे लोगों की जरूर निकलेगी जो ग्राम सेवक हो कर काम करेंगे। यह भी मुझे देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं या प्राथमिक स्कूलों में होने वाले हैं वे भी यहाँ आ कर कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं गमनता हूँ कि इन शिक्षकों को भी ग्राम में ही काम करना है। अब यदि यहाँ के वातावरण में थोड़े दिन भी ब्रेक रह जायें और यहाँ की पद्धत से कुछ भी उपाय का परिचा हो जायें तो वे अपने जीवन में जहाँ कहीं भी काम करेंगे लोगों को लाभ पहुँचा सके। इस लिये यह भी एक बड़ी चीज रह रही है। मैं ने यह भी देखा कि नेत्र रोगों से रोमारोगियों को आर दवा ही नहीं पाते हैं बल्कि नेत्र के इलाज का भी आप ने प्रयत्न किया है और उपाय के लिये आप को अच्छे टर्ना और सूर्योपचार डक्टर भी मिल गये हैं। गोगाला की उन्नत तो भारत की उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक है ही क्यों कि जब तक गाँवों खाने के लिये दूध और उस से बनी हुई चीजें नहीं मिलें, जब तक हमारी बेटी के लिये अच्छे बेल हम को नहीं मिलें तब तक भारत ही किस तरह से उन्नत हो सकती है? और शेतों के लिये गोगाला की उन्नति अत्यन्त आवश्यक है। इसी लिये गावरमती में भी महात्मा जो ने आरम्भ से श्रेष्ठ गोगाला रखी थी और जहाँ जहाँ वे गये सभी जगहों में उन्होंने तो सेवा को बहुत महत्त्व दिया। उन को भी आप चला ही रहे हैं। खेती का काम हो रहा है। महात्मा गाँवों ने चर्चों को जितने घरेलू धंधे हैं सब का केन्द्र माना था और वह कहते थे कि जिन ताँहसा नक्षत्रों में सूर्य प्रधान है उसी तरह से साँव घरेलू धंधों में चर्चा है। मैं यहाँ आँव को कोई शिगा नहीं देने जाया हूँ, मैं वैसा कर भी नहीं सकता। मैं तो सूत कात लेता हूँ कड़े बुनवा लेता हूँ और अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा कर लेता हूँ। यह तो इस विद्यालय का प्रत्येक आदमी समझ सकता है और ऐसा होना भी चाहिये क्यों कि आप ने इस विद्यालय का नाम वल्लभ विद्यालय दिया है और आज उन की प्रतिमा का अनावरण मुझ से करवाया है। सरदार वल्लभ भाई भारत में एक ऐसी विभूति हो गये हैं जिस ने भारत का एकीकरण ही नहीं किया बल्कि उस की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये जितना काम किया उतना बहुत कम लोगों ने किया। लोग समझते हैं कि सरदार एक सख्त और कड़े आदमी थे। मगर जिन लोगों का उन के साथ परिचय था और परिचय से भी अधिक घनिष्ठता का सौभाग्य जिन को मिला वे इस बात को जानते हैं कि अगर वे कड़े थे तो उस के साथ साथ फूल के जैसा नरम भी थे और उस नरमी और मृदुता का इस से और दूसरा आप क्या प्रमाण खोज सकते हैं कि गाँव के शरीरों के दुःख निवारण के लिये ग्राम की उन्नति में उन्होंने इतना बड़ा काम किया और कराया। एक आदमी थोड़ा ही काम कर सकता है, अगर उस को खुद करना हो। मगर जो जितना बड़ा होता है उस की शक्ति भी उतनी ही बड़ी होती है और उस की शक्ति की माप यही होती है कि वह कितने लोगों से काम करा सकता है।

केवल एक मनुष्य की शक्ति तो परिमित होती है मगर उस शक्ति को अगर वह पूरी तरह से काम में लावे और दूसरों से भी काम करवा सके तो उस को शक्ति प्राप्त हो जाती है। सरदार वल्लभभाई की शक्ति इस विषय में बहुत विस्तृत और फैली हुई थी और यह विद्यालय और इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ यह प्रमाण दे रही हैं कि कितनी दूर तक वह सोचते थे और काम करते थे और कराते थे। तो जग मुझे यहाँ आने के लिये आमन्त्रित किया गया तो मैंने उसे इस लिये स्वीकार कर लिया कि यहाँ जो काम हो रहा है उसे देखने का मुझे मौका मिलेगा। और यहाँ के काम को देख कर दूसरी जगहों के लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इस लिये जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं इस तरह काम को देखना चाहता हूँ और मेरे हृदय में यह भावना होती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम जा कर कुछ काम में प्रोत्साहन दे दूँ। इस लिये मैं यहाँ बड़ी खुशी के साथ आया और आप सब बहनों और भाइयों के दर्शन हुए, इस संस्था को देखा और यहाँ क्या काम हो रहा है उसको भी देखा। मैं यहाँ से सतोंप के साथ जा रहा हूँ कि जो काम सरदार के नाम पर शुरू किया गया है वह ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक चलेगा। मैं आप का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

### फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पदक प्रदान

\*मिस डोरथ डेविस को फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पदक प्रदान करते हुए राष्ट्रपति जी ने ता० ८-३-५२ को कहा—

मेरा यह सर्वदा विचार रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिये जो अच्छे से अच्छे कार्य हो सकते हैं उनमें से एक उपचर्या का काम है, चाहे फिर कोई उसे घन्टों के रूप में या शौकिया हो क्यों न करे। यदि कोई उपचारिका अपने कार्य को लगन से, प्रसन्नता से और दिल से करे तो उसको अपने काम में अधिकतम आनन्द मिलेगा ही। रोगियों व घायलों की पीड़ा और दुःख का निवारण करने से तथा दुखियों और पीड़ितों को मेत्रा और सहायता करने से उपचारिका हरेक दुखिया की धात्री के समान हो जाती है और वास्तव में स्वतः ही इन पीड़ितों के प्रति उसके मन में माया बहन की सी ममता रहती है। उपचारिका पेशे की एक सदस्या को सर्वोत्कृष्ट इस अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास अर्थात् फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पदक के प्रदान करने के इस सुखमय उत्सव में भाग लेने में मुझे विशेष प्रमत्तता है। जैसा कि आप सब जानते हैं यह पदक उस देवी के नाम से जिसे ज्योतिवाहिनी देवी (लेडी विद दी लैम्प) कहते हैं दिया जाने लगा है। उपचर्या की उच्च परम्पराओं के नाते हरेक को तब गर्व होना चाहिये जब उसे यह ज्ञात हो कि इस पेशे में प्राप्य सर्वोत्तम पुरस्कार उस के किसी भी हमपेशा को मिल रहा है। अतः आज मैं उपचर्या के पेशे के सब सदस्यों को साधारण-तया और जो उस महान् संस्था के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं उनको विशेषतया बधाई देता हूँ। इस के पहले कि मैं फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पदक को भारतीय सैनिक उपचर्या

मेवा की प्रमुख मैट्रन मिस डोरिथ डेविस को उस यश के लिये जिस की वह उचित पात्र है प्रदान करूं और इस के लिये उन्हें बधाई दूं मैं इस पुरस्कार के उल्लेख की ओर आप का ध्यान खीचना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। इण्डियन जनरल हास्पिटल न० १२ में सागर पार मलाया में सेवा करते हुए मिस डोरिथ डेविस ने २ अगस्त १९३९ से २५ अक्टूबर सन् १९५१ तक अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवायें की हैं। कर्तव्यों के प्रति उन का अनथक उत्साह और महती लगन रही है। ४ अक्टूबर सन् ४६ के प्रातःकाल २ बजे अंगुल स्टेशन पर माल गाडी से मद्रास कलकत्ता मेल के लड़ जाने से हुई भीषण रेलवे दुर्घटना में घायल हुए लोगों की रक्षायता कर के इन्होंने मानव जाति की अत्यन्त उत्तम और उल्लेखनीय सेवा की है। मिस डोरिथ डेविस तुम्हें ही अपने दिव्य से निकल आयी और जब तक हरेक घायल व्यक्ति की ठीक ठीक उपचर्या नहीं हो गई तब तक वह बड़े लगन और सहानुभूति से कार्य करती रही। यहाँ ८० अत्यन्त घायल व्यक्ति थे और ३७ लाशें थी। दिल्ली और पूर्वी पंजाब समादेश (जो अद्य पश्चिमी समादेश है) के शुरु होने पर और जिस में कि १७ दिसम्बर १९४७ से जम्मू और काश्मीर भी शामिल हैं मिस डेविस को मुख्य मैट्रन के रूप में सैनिक उपचर्या मेवा का प्रभार दिया गया और यह कार्य २० मार्च १९५० को उन्होंने तब छोड़ा जब कि प्रमुख मैट्रन के रूप में उन की पदोन्नति हो गई। इस अवधि में उन्होंने अपने कर्तव्य का बड़ी लगन, उत्साह और हर्ष से पालन किया।

### मिसेज इलीनर रूजवैल्ट को डिग्री प्रदान

\*१५ मार्च, १९५२ को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से मिसेज इलीनर रूजवैल्ट को डाक्टर की डिग्री प्रदान करने के लिये विशेष समावर्तन समारोह में राष्ट्रपति जी ने कहा—

आज हम यहाँ उस महान् और उदारमना देवी अर्थात् मिसेज इलीनर रूजवैल्ट का सम्मान करने के लिये एकत्रित हुए हैं। वास्तव में वह विश्व की एक विभूति है क्योंकि उन का नाम न केवल उन के अपने देश के घर घर में वरन् उन सब देशों के घर घर में भी जिन में स्वतन्त्र और मानव आदर्शों की इज्जत की जाती है सब को ज्ञात है। १२ वर्ष से अधिक समय तक अपने पति राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवैल्ट की सहार्थिणी के नाते संयुक्त राज्य की वह सर्व प्रथम नारी थी। उस महाविभूति का यश उन के अपने अनोखे और अनेक गुणों के कारण तो था ही किन्तु बहुत अश में वे मिसेज रूजवैल्ट की स्नेहमयी सेवाओं का भी फल था। जैसा कि आप जानते हैं अपनी युवा अवस्था में ही उन्हें बहुत दुःखदायी शारीरिक पीडा सहनी पड़ी और संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के उच्च आसन पर किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक लम्बे अवसर तक वे रहे और उस अवधि में उन को सर्वप्रथम तो राष्ट्र के अन्दर की कठिन आर्थिक स्थिति की ओर तत्पश्चात् लम्बे और विनाशकारी युद्ध के भार और मुश्किल से पैदा हुई भारी चिन्ताये सहनी पड़ी।

\*अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

जिन दिनों राष्ट्रपति की पत्नी के रूप में वह व्हाइट हाउस की स्वामिनी थी उन दिनों उन को अपना अधिक समय कुटुम्ब के कार्यों और महान् पद के सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने में व्यतीत करना पड़ा। किन्तु मिसेज रूज़वैल्ट की सहानुभूति, शक्ति और कुशाग्र बुद्धि तब भी सजग रही। अपने पति के स्वर्गवास के पश्चात् साधारण जन की सेवा करने के लिये अर्थात् असमानता और कमी को मिटाने के लिये, कष्ट और बाधा को दूर करने के लिये और वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विकास करने के लिये और मानव को सुखी बनाने के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सारी शक्ति और समय लगा दिया है। अपने पति के साथ साथ जीवन आदर्शों के लिये अर्थात् स्वतन्त्रता के लिये, मानवाधिकार के लिये सब नर-नारियों को, चाहे उन का रंग कैसा भी क्यों न हो, और वे किसी भी देश के वासी क्यों न हों, न्याय प्राप्त कराने के लिये उन्होंने ने सघर्ष किया और उन सब आदर्शों की वह बराबर समर्थक रही है। उन को आज इस विश्व विद्यालय द्वारा सम्मान प्रदान करना उन आदर्शों के लिये उत्साही और एकाग्रता से कार्य करने वाले व्यक्ति का आदर करना है जिन आदर्शों को कि हमारे गणतन्त्र ने हमारे सविधान में सर्वोच्च स्थान दिया है और जिन्हें प्राप्त करना हमारी जनता का सतत प्रयोजन और प्रयास है। श्रीमती रूज़वैल्ट की वन्दना करके हम ऐसी विभूति की वन्दना करते हैं जिस का मानव जाति के ध्येय और आर्थिक उत्थान के लिये किया गया प्रयास संसार भर की मुशिक्षित नारियों के लिये प्रेरणा और उदाहरण बन गया है।

### दिल्ली राज्य के बाय स्काउट्स और गाइड्स

तारीख २७-३-५२ को मुगल गार्डन्स में दिल्ली राज्य के बाय स्टाकाउट्स और गाइड्स के सम्मुख राष्ट्रपति जी ने कहा—

बुलबुलो और सिंह बच्चो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं तुम सब से मिल सका और तुमने जो इतने खेल दिखलाये, जो गाने सुनाये और जो कुछ कर के यहां पर दिखलाया उस से हम को बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज कल स्कूलों के बच्चों के लिये ऐसा सुन्दर प्रबन्ध हुआ है इस का मुझे पता नहीं था और यह देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोगों ने स्कूल की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उस से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। मैं चाहता हू कि इस तरह का काम सभी स्कूलों में जारी किया जाये जिस में सभी बच्चों और बच्चियों को जो वहां शिक्षा के लिये जायें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं मिले, लिखने पढ़ने का ही काम वे नहीं सीखें बल्कि उन का चरित्र भी अच्छा और सुन्दर हो, उन का तौर तरीका भी सुन्दर हो, आपस में मिल जुल कर रहना भी सीखें और एक दूसरे की मदद में इतनी तत्परता हो कि कोई भी वक्त किसी पर आवे तो उस की सभी मिल कर मदद करें। इस वक्त जो कुछ तुम बच्चे और बच्चियां सीखोगी वह आइन्दा चल कर तुम्हारे जीवन में काम देगा। बचपन में जो कुछ आदमी सीखता है उसे वह जिवन्गी

भर भूलता नहीं और इस वक्त जो संस्कार पड़ जाता है जो अच्छी बातें वह सीख लेता है वह बराबर याद रहती है और उस से अपना और दूसरों का भला और कल्याण करता है । अतः मैं इस तरह की कार्यवाही जो सब जगहों में की जाती है उसमें इसलिये दिलचस्पी लेता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस से बच्चों का चरित्र अच्छा बनता है और इस से जिन्दगी में सब से मिल जुल कर रहने की आदत पड़ जाती है, एक दूसरे की तकलीफ में मुसीबत में सहायता करने की आदत पड़ती है और बहुत सी चीजें जो काम में आती हैं वह भी वे सीख लेते हैं और उस वजह से वे बहुत काम के लायक हो जाते हैं । इस लिये मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ यह समारोह किया गया और इस में बच्चे और बच्चियों को मौका मिल सका कि वे मुझ से मिल सकें और मुझे मौका मिला कि मैं उन से मिल सकूँ । मैं सब बच्चियों और बच्चों को बधाई देता हूँ और साथ ही उन भाई और बहनों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस समारोह का इतना सुन्दर प्रबन्ध किया । मुझे इस बात का अफसोस जरूर रहा कि जितना वक्त मुझे देना चाहिये था जिस में हरेक स्कूल अपने खेल और करतूतें अलग अलग कर के दिखलाता उतना समय हम नहीं दे सके । तो भी मैं समझता हूँ कि जो कुछ खेल सभी लोगों ने यहाँ देखे, गाने सुने उन से सभी को पूरा सन्तोष हुआ । हम सब तुम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं कि तुम लोग फूलों फूलों और जो आज तुम छोटी बुरबुर हो बड़ी हो जाओ और जो आज सिह बच्चे हो जवान सिह हो जाओ और देश का और अपना कल्याण करो ।

### राजाजी फुटबाल टूर्नामेंट

ता० २८-३-५२ को राजाजी फुटबाल टूर्नामेंट टीमों को ट्राफी देते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा—

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस साल फिर मुझे मौका मिला कि मैं आप का ऐसा सुन्दर खेल देख सकूँ और दोनो टीमों को जिन्होंने यहाँ आ कर खेल दिखलाया मैं धन्यवाद देता हूँ । जीतना हारना तो खेल में होता ही है, उस से कुछ आता जाता नहीं, लेकिन जो खेल आप ने दिखलाया यहाँ जितने लोग हाज़िर हैं सभी उसे देख कर खुश हुए और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो खेल है वह जारी रहे और उसमें काफ़ी तरक्की होती जाये जिसमें सारे देश के लोग इसमें अधिक दिलचस्पी ले सकें । पर साल और झायद एक साल पहले भी दो मरतबे आप का खेल मैं ने देखा । जो पहले आपस में खेलते हैं बहुतेरे वे ही अभी भी खेलते हैं । शायद कुछ नये इस साल आये हें । दुनिया का काम ऐसा ही चलता है कि पुराने जाते हैं और नये आते हैं और यही बात खेल में भी होती है । उम्मीद है कि नये दिनों दिन तरक्की करते जायेंगे और पुराने से बेहतर होते जायेंगे और पुराने भी उन की तरक्की देख कर खुश होंगे कि उन के सिखाये हुए लोग बेहतर हुए । मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खेल जारी रखेंगे । एक बार फिर मैं आप को मुबारकबाद देता हूँ ।

## राष्ट्रपति भवन में संगीतसव

\*राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में २९ मार्च १९५२ को भारत के चार ख्यातिनामा संगीतज्ञों को पुरस्कार वितरण करने के अवसर पर राष्ट्रपतिजी ने कहा—

बहनो और भाइयो,

जिन संगीतज्ञो को अभी अभी पुरस्कार मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ। यह अत्यन्त सन्तोष की बात है कि शिक्षा मन्त्रालय ने इन पुरस्कारों को देने की व्यवस्था करने का निश्चय किया है और मुझे यह आशा है कि कालान्तर में यह व्यवस्था उन लोगों के लिये प्रोत्साहन का कारण सिद्ध होगी जो लोग कि हमारे देश में ललित कलाओं और संगीत में लगे हुये हैं। हमारे देश में भूतकाल से यह परम्परा गूँधी है कि हमारे राजगण और उनकी राजसभा अपने महत्वपूर्ण कृत्यों में से यह भी एक कृत्य मानते थे कि अपने प्रतिभाशाली संगीतज्ञो को मुक्त हस्त से परिश्रय देकर प्रोत्साहन दें। यह तो उचित ही है कि अब जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है हम उस परम्परा को पुनर्जीवित करें और कला और कलाकारों का परिश्रय देने का उत्तरदायित्व राज्य अपने हाथ में ले। मुझे आशा है कि जो मामूली शुरुआत आज हम कर रहे हैं वह समय पाकर फलदायिनी सिद्ध होगी और हमारे देश की नयी पीढ़ी के लोगों को अपने संगीत की प्रतिभा के विकास करने के लिये भी प्रोत्साहित करेगी। मुझे संगीत की गहनताओं का कोई परिचय नहीं है और न मुझे इसकी किसी प्रकार की प्रशिक्षा ही मिली है। किन्तु जब मैं संगीत सुनता हू तो अपने देश के अशिक्षित और संगीत की गहनताओं और विशेषताओं से अपरिचित करोड़ों लोगों की तरह ही द्रवित हो जाता हूँ। मेरा विचार है कि अन्ततः तब अच्छे गाने की यही सब से सच्ची और बड़ी कसौटी है। मेरा यह सौभाग्य था कि मेरा जन्म ग्राम में हुआ जहाँ मैंने अपने बाल्यकाल को व्यतीत किया। प्रभात के झटपुटे में स्त्रियों को मैंने गाते हुए सुना है जब कि वे चक्की में नाज पीसती थी। मैंने किसानों और मजदूरों को अपने खेतों में काम करते हुए गाते भी सुना है। तपती गरमी में आज भी उनको उमी उल्लास और आनन्द से काम करते आप गाते पायेंगे जिस प्रकार कि वे मूसलाधार, वर्षा के समय गाते हैं। वर्षाऋतु में जब अभी वर्षा नहीं होती और इसलिये धान पाटने के लिये पानी नहीं होता तब मैंने उनको देखा है और उनका गाना सुना है जो मेघों के देवता भगवान इन्द्र की प्रार्थना के लिये वे गाते हैं जिससे कि वह देश को जीवनदायिनी वर्षा का वरदान दे। यह तो ऐसा गान है जो संगीत विद्या से अनभिज्ञ लोग अपने जैसे लोगों के लिये ही गाते हैं। किन्तु वह संगीत तो अत्यन्त उदात्त होगा ही जो उन लोगों के द्वारा गाया जाता है जिन्होंने संगीत के लिये अपना जीवन लगा दिया है और जिनका संगीत न केवल आनन्द देने के लिये है वरन् जीवन को अच्छा करने के लिये भी है। इस योजना की व्यवस्था का आशय यही है कि हम अपने कलाकारों को जो भी प्रोत्साहन हम प्रदान कर सकते हैं प्रदान करें जिससे कि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना महान् भाग ले सकें। यही कारण है कि जो मैं इसको इतना महत्व देता हूँ। मुझे आशा है कि यह काम फलेगा और फूलेगा और जिस उद्देश्य के लिये यह किया जा रहा है उसको भी यह पूरा करेगा।

अब मैं संगीतज्ञों से प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी कला का कुछ ऐसा प्रदर्शन दिखायें जो सब को अनुप्राणित और आनन्दविभोर कर दे।

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

## भारतीय विद्या भवन की शाखा का शिलान्यास

भारतीय विद्या भवन की शाखा के मकान का शिलान्यास करते समय ता० ३०-३-५२ को राष्ट्रपति जी ने कहा—

मुन्शीजी, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपने मुझे यह मौका दिया है कि मैं इस समारोह में शरीक हो सका। जैसा अभी मुन्शी जी ने कहा, एक प्रकार से भारतीय विद्या भवन से मेरा सम्बन्ध गुरु से ही रहा है और यद्यपि मैं ऊपर से इसको कम देखता रहा हूँ मगर मेरी दिलचस्पी हमेशा बनी रही है। जैसी हालत आज हिन्दुस्तान और दुनिया की है उसमें यह इस काम के लिये कायम किया गया था कि यह इस बात की गवेषणा करे कि हमारी संस्कृति किस ढंग की हो, किस रूप की होनी चाहिये; और इसमें हम अपनी पिछली संस्कृति और आज की आधुनिक बातों को मिला कर कुछ सोच निकाले। इसीलिये यह काम आपने आज तक किया है और आइन्दा भी आप करते जायेंगे। इन १४ वर्षों में भवन ने काफी काम किया है। अगर हम केवल उन पुस्तकों को ही देखें जिनका प्रकाशन भवन की ओर से किया गया है और इस बात पर भी ध्यान दें कि वे पुस्तकें कैसी हैं, उनमें कितनी बातें आयी हैं और कितने विषयों से उनका सम्बन्ध रहा है तो हमको मालूम हो जायेगा कि कितने विस्तार के साथ यह भवन काम करता आया है और आगे करना चाहता है। मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ कि जो कुछ आपके यहाँ प्रकाशित हुआ है वह सब कुछ मैं ने पढ़ा है; मगर जो कुछ थोड़ा बहुत उलट पुलट कर, जब कोई नयी पुस्तक आ जाती है, मैं ने देखा है उससे मुझे मालूम होता है कि एक एक पुस्तक के लिखने में कितनी खोज की ज़रूरत पड़ी होगी और कितने विद्वानों ने परिश्रम करके एक एक पुस्तक लिखी होगी। जो साहित्य के ग्रन्थ आपने प्रकाशित किये हैं वे बहुत थोड़े समय में किये हैं; वह कोई कम परिश्रम का काम नहीं था। उसमें विद्वानों को काफी समय लगाना पड़ा होगा, काफी खोज करनी पड़ी होगी, काफी पुस्तकालयों को ढूँढना पड़ा होगा, उलटना पुलटना पड़ा होगा। इसलिये साहित्य के ग्रन्थों का जो प्रकाशन आपने शुरू किया है उसमें काफी परिश्रम पड़ा होगा और एक नहीं बहुत से विद्वानों ने सहयोग देकर इस काम को पूरा करने का प्रयत्न किया होगा। इसके अभी दो ही ग्रन्थ निकल सके हैं और बाकी मैं समझता हूँ कि छपने के लिये तैयार है। वे भी समय पाकर निकल आयेगे। मगर इतना ही नहीं; केवल साहित्य के सम्बन्ध में ही नहीं लिख कर और दूसरे विषयों को भी, जिनका संस्कृति के साथ सम्बन्ध होता है, आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैं इस बात के लिये श्री मुन्शी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको हर प्रकार के विद्वानों और कलाकारों का काफी सहयोग मिला है और आइन्दा भी मिलता रहेगा। जिन लोगों ने सहयोग दान दिया है उनको धन्यवाद तो है ही मगर मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करना और उनसे काम लेना यह कोई आसान काम नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव मुझे इस प्रकार के काम का है उससे मैं यह जानता हूँ कि विद्वानों को इकट्ठा करना और उनसे कुछ लिखवाना और लिखवाकर प्रकाशित करना कोई आसान बात नहीं है। इस में केवल समय ही नहीं लगता बल्कि और भी कई प्रकार के परिश्रम करने पड़ते हैं; और हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन सब का सामना करके श्री मुन्शी इतना कर सके यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि वह हमारे सब की बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राचीन और नवीन, पुरानी और नयी दोनों चीजों को मिला कर आज की चीज तैयार करना चाहते हैं। उसका नमूना तो स्वयं श्री

मुन्शी और श्रीमती मुन्शी हैं जो हमारे प्राचीन और नवीन दोनों के सम्मिश्रण हैं और इसीलिये उन्होंने जो यह काम आरम्भ किया है वह काम पूरा होगा इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है ।

आपने कहा है कि भवन को रुपये की कमी रहती है मगर आप विश्वास रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो रुपये आ जाते हैं । मेरा भी विश्वास है कि जब कोई अच्छा काम होता है और उस काम के करने वाले अच्छे लोग होते हैं तो रुपये की कमी की वजह से काम नहीं रुकता । महात्मा गांधी तो बराबर ही कहा करते थे कि रुपये की कमी होना इस तरह की किसी भी संस्था के लिये एक अच्छी बात है और ज्यादा रुपये का होना संस्था के गिरने का कारण हो सकता है । रुपये की कमी नहीं बल्कि ज्यादा रुपये का हो जाना ही संस्था के बिगड़ने का कारण हो सकता है । मुझे खुशी है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो जो दानी लोग इस देश में हैं उन्होंने ने आपके काम को देखकर, समझ कर उसका आदर किया है और मदद की है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आइन्दा भी जो कुछ भी आप करना चाहेंगे उसमें आपको बराबर मदद मिलती जायेगी ।

यह आपने अच्छा सोचा है कि दिल्ली में जो नये पुराने सब का एक प्रकार से एक संगम स्थान हो रहा है इसकी एक शाखा खोलें और मैं आशा करता हूँ कि इस शाखा से आपका काम आगे बढ़ेगा और जो इसका ध्येय है उसको पूरा करने में पूरी मदद मिलेगी । मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बहनों और भाइयों ने यहा आकर डम काम को आशीर्वाद देने का कष्ट उठाया है उनका उतना ही यह उम्मीद बंधाने के लिये कि यह काम हो सकेगा काफी होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब इस भवन को आशीर्वाद दे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस ध्येय के साथ यह कायम किया गया है वह पूरा हो सके ।

### गंधर्व महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती

४ अप्रैल १९५२ को गन्धर्व महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर संगीत समारोह का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

इस बात की मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि गन्धर्व विद्यालय आन्दोलन को अब ५० वर्ष पूरे हो रहे हैं । इसके प्रवर्तक श्री विष्णु प्रभाकर भारत के ग्यानिनामा संगीतज्ञ ही न थे वरन् पहुँचे हुए भवत भी थे । जिस समय उन्होंने भारतीय संगीत के लिये अपने जीवन को समर्पण कर दिया उस समय साधारणतः विद्यालयों में शिक्षा पाने वाले युवक-युवतियों के लिये संगीत की शिक्षा की कोई सुविधा न होती थी । चूँकि संगीत का सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था से इस प्रकार का विभाजन लगभग एक शताब्दि से चला आ रहा था इसलिये अनेक लोगों के मन में तो यह भावना भी न रही थी कि संगीत का भी चरित्र निर्माण में और आत्म विकास में कोई विशिष्ट स्थान है और न उन में से अनेक यही मानते थे कि उच्च कोटि का संगीत मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है । सच तो यह है कि उन दिनों संगीतज्ञों के प्रति शिक्षित और राजकर्मचारी वर्ग का कुछ उपेक्षा और कुछ विरोध का ही भाव था । कम से कम मध्यवर्ग के लोगों में बहुत सों के



मन में यह भाव था कि संगीत का धन्धा तो कुछ हेय धन्धा ही है जिसे वे ही नर नारी कर सकते हैं जिनका चरित्र कुछ ऐसा वैसा हो। यहां ऐसा विचार क्यों कर पैदा हुआ इस बात की विशद समीक्षा करने का न यह अवसर है और न मेरे पास समय। जो हो उस समय संगीत की शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाने का प्रयास कुछ आसान बात नहीं थी। किन्तु सब कठिनाइयों के बावजूद भी विष्णु दिगम्बर ने इस दिशा में कदम उठाया और भारतीय संगीत की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया।

भारतीय संगीत भी ऐसा है जिसके लिये किसी भी जाति को अभिमान हो सकता है। स्मरण रहे कि युग युगान्तर से भारतीय संगीत हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। विदेशी दासता के उन युगों में भी जब संगीत की शिक्षा के प्रचार के लिये कोई व्यवस्था न थी और जब उसे राजकोष से कोई सहायता और राज का कोई प्रोत्साहन प्राप्त न था वह हमारे जीवन का अंग निरन्तर बना ही रहा। जहां तक मैं समझता हूँ इसका कारण यही था कि भारतीय संगीत हमारे यहां केवल ऐन्द्रिक उपभोग या उत्तेजना का विषय न होकर आत्म दर्शन और आध्यात्मिक आनन्द का साधन था। इतने पुराने युग में जितना कि वैदिक काल है हमारे देश में संगीत का जीवन में यही स्थान था। सब जानते हैं कि हमारे यहां वैदिक मंत्रों को गाकर ही पाठ किया जाता था और उसके लिये राग भी निश्चित हो गये थे। सच तो यह है कि हमारे यहां का संगीत शास्त्र भी वैदिक मंत्रों के शुद्ध गान के लिये ही निर्मित हुआ और तभी उसमें स्वर और राग का इतना महत्व ठहराया गया। इस प्रकार अपने जन्म से ही भारतीय संगीत का सम्बन्ध जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से हो गया। युग पर युग बीते, समाज और राज्य में अनेक परिवर्तन हुए किन्तु भारतीय संगीत और मानव की आध्यात्मिक प्रेरणा से जो मौलिक सम्बन्ध स्थापित हुआ वह ऐसा ही बना रहा। दूसरे शब्दों में यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीय संगीत तो भारतीय जन जीवन का ही विशिष्ट किन्तु अभिन्न अंग है। अन्य देशों की बात तो मैं नहीं जानता किन्तु अपने देश के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र या स्वरूप या अंग नहीं है जिस में संगीत पूरी तरह से रखा मिला न हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह हमारे साथ बना रहता है। जिस दिन बालक सस्यार में अपनी आंखें खोलता है उस दिन संगीत से भी उसका कुछ परिचय हो जाता है। नामकरण, कर्ण-छेदन विवाह, इत्यादि इत्यादि में तो संगीत होता ही है। ऐसा कोई तीज त्यौहार नहीं होता जिसमें गाना-बजाना न होता हो, ऐसा कोई पर्व और संस्कार नहीं जिसमें संगीत न हो। घर में ही क्यों? हमारे यहां खेत में और चौपाल में, चक्की चलाने में और धान कूटने में भी संगीत चलता ही रहता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने हमारे लोगों के लिये सर्गात के संयोग का ऐसा विधान कर दिया है कि उसके बिना वे न तो जीवित रह सकते हैं और न कोई काम ही कर सकते हैं। पहले हमारे लगभग सभी काम किसी न किसी प्रकार के संगीत से ही आरम्भ होते थे। संगीत से हमारे देशवासियों का ऐसा ऐतिहासिक मोह है कि आज भी सस्यार के अन्य सप्त देशों से कहीं अधिक हमारी सभा सोसायटियों में और हमारे चित्रपटों में संगीत की बाहुल्यता दिखाई देती है। यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे लिये संगीत केवल क्षाणिक विनोद की वस्तु न होकर ऐसा चिरस्थायी आनन्द है जो हमारे रग में और रोम रोम में बसा हुआ है और जिसके बिना हमें आत्मशान्ति और आत्मसुख मिलता ही नहीं है।

जहाँ तक मैं समझता हूँ संगीत का जीवन में यही स्थान होना भी चाहिये। यदि मानव जीवन में कोई ऐसी वस्तु है जो मानव को क्षण के विनाशकारी चंगुल से छुड़ा कर अमरता प्रदान करती है, जो उसे इस चिन्ताकुल जगत के झगड़ों से ऊपर उठा कर ऐसे लोक में पहुँचा देती है जहाँ न कोई मलिनता है और न द्वेष, न कोई स्पर्धा है और न कोई सर्वत्र तो वह केवल और केवल मात्र संगीत ही है। मानव तो क्या पशु पर भी इसका ऐसा जादू है कि वह इसकी ओर खिंचा चला आता है, चाहे फिर ऐसा करने से उसके प्राण ही क्यों न संकट में पड़ जायें। संगीत के सामने कोई शत्रु और कोई शस्त्र भी नहीं ठहर सकता। तभी तो इतिहास में कई बार यह घटना घटी है कि विजेता को क्रूरता और उसकी सेना द्वारा किये जाने वाले हत्या-काण्ड को गायक ने अपने गान से रोक दिया है। यह आत्मा को अपनी निजी बोली है। किसी प्रकार की भी दीवार, चाहे वह राजकीय सीमा की दीवार हो, अथवा भाषा की दीवार हो उसे रोक नहीं सकती। गायक का राग श्रोता के हृदय को इस प्रकार आन्दोलित करता है कि दूसरों से अपनी विभिन्नता का तो प्रश्न ही क्या अपने तन मन की भी उसे सुधि नहीं रहती। अतः जनमन से जो कोई काम और कुछ चीज नहीं करा सकती वह संगीत करा सकता है। यह कहना अनुचित न होगा कि उसको सी प्रेरक शक्ति ससागर में दूसरी कोई नहीं है।

मेरा विचार है कि यही कारण है कि हमारे यहाँ संगीत भक्ति का अभिन्न अंग बन गया। हमारे यहाँ जितने भक्त हुए सभी तो संगीत में ओत प्रोत थे। प्रातः स्मरणीय चैतन्य महाप्रभु और भक्त शिरोमणि मीरा का नाम ऐसा कौन सा भारतीय है जो नहीं जानता। किन्तु उनकी भक्ति संगीत में मूर्तिमान् हो उठी थी। और आज भी उनके पदों का गान मानवात्मा को आनन्द विभोर कर देता है। हमारे साधु सन्तों की संगीत साधना का ही यह प्रभाव था कि कबीर, सूर, तुलसी, तुकाराम, नरसी मेहता ऐसी कृतियाँ कर गये जो हमारे और ममार के साहित्य में सर्वदा ही अपना विशिष्ट स्थान रखेगी। यदि मैं यह कह दूँ कि हमारा संगीत इसी भगवद् भक्ति के चारों ओर ही चक्कर काटता है तो कुछ अनुचित बात न होगी। हमारे संगीत का ध्येय उत्तेजना पैदा करना न होकर मानव को वह शान्ति प्रदान करना है जिसमें उसे अपने व्यक्तित्व की पूर्णता मिल जाती है और जिसे प्राप्त करने के पश्चात् फिर और किसी बात की तृष्णा नहीं रहती और कोई मोह नहीं रहता और कोई वासना नहीं रहती। यही कारण है कि हमारे यहाँ श्रृंगारिक संगीत भी राधाकृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है।

अपनी इसी विशिष्टता के कारण हमारा संगीत वह शक्ति सिद्ध हुआ है जो भारत में वसने वाली सब जातियों और सब सम्प्रदायों के लोगों को एक सूत्र में बांध सकी। कम से कम यह तो प्रत्यक्ष ही है कि अन्य क्षेत्रों में अनेक विरोध और द्वेष होने पर भी भारतीय संगीत में सभी प्रदेशों और पथों के लोग एक हैं, रहे हैं, और आगे भी एक रहेंगे। यह ऐसा सूत्र है जिसे राजनैतिक तलवार काट नहीं सकती है, जिसे धर्मान्धता तोड़ नहीं सकती है, जिसे प्रादेशिकता तुड़ा नहीं सकती है और जिसे भाषा विभेद अलग नहीं कर सका है। ठीक है भारत में संगीत की दो प्रणालियाँ हैं। किन्तु इन प्रणालियों के कारण ही मन में यह विचार पैदा न होना चाहिये कि उनमें किसी प्रकार का मौलिक विरोध या विभिन्नता है। वे तो भारतीय संगीत के दो स्वरूप हैं और वास्तविक विभिन्नताओं के होने पर भी उनकी आत्मा एक ही है। यह सत्य इसी से स्पष्ट है

कि इन दोनों की ही तह में राग और स्वर के भारतीय सिद्धान्त है। अतः इन वाह्य विभेदों से उनकी आन्तरिक समता के सम्बन्धों के बारे में किसी प्रकार का भ्रम न होना चाहिये। इन्हीं सिद्धान्तों के कारण भारतीय संगीत का अपना विशिष्ट रूप है जो उसे यूरुप और अन्य देशों के संगीत से सर्वथा विभिन्न कर देता है। अतः भारतीय संगीत की आलोचना करते समय हमें इसकी इस विशिष्टता को न भूलना चाहिये। कभी कभी आलोचक इस बात को भूल जाने के कारण भारतीय संगीत की आलोचना उन तथ्यों के आधार पर करने लगते हैं जिन पर कि यूरुप का संगीत आधृत है। किन्तु ऐसा करना तो आलोचना के उसूलों की ओर से आख मोड़ लेना है। पाश्चात्य संगीत का ध्येय एक है और भारतीय संगीत का दूसरा। उनकी परख तो उसी ध्येय के अनुसार हमें करनी चाहिये जिन पर वे आधृत हैं। इस बात के कहने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं कि वह गायन संगीत नहीं कहा जा सकता जो श्रोता के हृदय में आनन्द की लहर न दौड़ा दे और इसलिये जगत भर के संगीत में यह आधार भूत एकता तो है ही। किन्तु मानव के हृदय में इस आनन्द के उद्रेक की रीति विभिन्न हो सकती है। जहा पाश्चात्य संगीत की ऐसा करने की अपनी विशिष्ट रीति है वहा भारतीय संगीत यही बात दूसरी रीति से करता है। इसके साथ ही साथ आनन्द के सम्बन्ध में भी कुछ विभेद तो होता ही है। जैसा मैं कह चुका हूँ भारतीय संगीत का ध्येय तो आध्यात्मिक आनन्द का उत्पन्न करना है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग भी भारतीय संगीत की आलोचना करने बैठते हैं वह इस बात को अनजान में भी न भूले।

संगीत की शक्ति महान् है और आधुनिक युग के वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग में तो वह शक्ति कहीं अधिक बढ़ाई जा सकती है। जहा पहले किसी अच्छे गायक के संगीत को कुछ थोड़े लोग ही सुन कर आनन्द विभोर हो सकते थे वही आज रेडियो के कारण उसी संगीतज्ञ का मधुर गान लाखों लोग एक साथ ही सुन सकते हैं और यदि टेलिविजन का भी प्रवन्ध हो तो उसके हाव भाव भी देख सकते हैं। इसी प्रकार जहा पहले गायक की मृत्यु उसके गान को समाप्त कर देती थी वहा अब यह सम्भव है कि उसके गान को अमर कर दिया जाये और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसके मधुर राग में आनन्द विभोर होते रहे।

संगीत की शक्ति की इस वृद्धि के कारण आज यह सम्भव हो गया है कि अपनी विद्या या कला में गायक उसमें कहीं अधिक धन पैदा कर सके जितना कि वह पहले पैदा कर सकता था। किन्तु शक्ति के विकास के दो खतरे भी हैं। पहला खतरा तो यह है कि किसी क्षणिक आर्थिक लाभ के लिये गायक भारतीय संगीत की ऐतिहासिक परम्परा को सर्वथा निर्मूल न रखे और अधिक लोगो तक अपने गान को पहुँचाने के लिये भारतीय संगीत के मूलभूत सिद्धान्तों में पतित हो जाये। दूसरा खतरा यह है कि वह अपनी इस महान् शक्ति का प्रयोग ऐसी बात के लिये कर बैठे जो देश और जाति के लिये अहितकर है। अतः हमारे यहा के संगीतज्ञों और कलाकारों का यह धर्म है कि वे अपने को इन दोनों खतरों से बचाने के लिये प्रतिक्षण सावधान और जागरूक रहे। मेरा यह आशय नहीं है कि भारतीय संगीत का विकास न हो अथवा उसमें कोई नई बात न हो। किन्तु विकास का यह अर्थ नहीं कि उसका अपना निजी स्वरूप ही समाप्त हो जाये। अतः मैं यह फिर कहूँगा कि हमारे कलाकारों को ऐसी कोई बात न करनी चाहिये जिससे भारतीय संगीत की शुद्धता और निर्मलता में किसी प्रकार का दोष पैदा होता हो।

इसके साथ ही हमें इस शक्ति का प्रयोग ऐसी किसी बात के लिये नहीं करना चाहिये जो मानव को पतन की ओर ले जाता हो। चरित्र निर्माण में संगीत का जितना प्रभाव हो सकता है उतना सम्भवतः और किसी बात का नहीं होता। इस सत्य को पहचान कर प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक नामी प्रसिद्ध पुस्तक में यह विधान लिखा है कि राज्य के संरक्षकों के शिक्षा क्रम में संगीत अनिवार्य होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि संगीत मानव को पृथ्वी पर ही स्वर्ग के निर्माण में सफल कर सकता है। मुझे यही आशा है कि संगीत के इसी उच्च आदर्श को हमारे सब गायक और संगीतज्ञ अपने सामने रखेंगे। भारतीय संगीत शास्त्रियों को केवल अतीत की देन से ही सन्तुष्ट न रहना चाहिये वरन् उसके विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये। भारतीय संगीत के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त गवेषणा की आवश्यकता है। उस काम को हमारे गंधर्व विद्यालय ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें विदेशों को भी अपने संगीत से परिचित कराना है। साथ ही हमें विदेशों से ऐसी बातें जैसा कि आर्कस्ट्रा हैं लेने में भी संकोच न करना चाहिये।

अतः हमारे संगीतज्ञों के सामने बड़ा विशद कार्य क्षेत्र पड़ा है। किन्तु सब से बड़ा काम तो उनका यही है कि वे अपनी संगीत शक्ति को, अपनी कला साधना को भारत में और पृथ्वी में स्वर्ग स्थापित करने के लिये लगायें। आप सब जानते हैं कि भारतीय संगीत का यही ऐतिहासिक उद्देश्य और प्रयोजन था। इतिहास के इस भार को आप सब को निभाना है और मुझे आशा है कि भारत के गन्धर्व विद्यालय और कला केन्द्र अपने पिछले काम से प्रोत्साहन पाकर भारत की झोपड़ी झोपड़ी और ग्राम ग्राम में संगीत को पुनः उसी प्रकार गुजाने में लग जायेंगे जिस प्रकार कि हमारे सन्त जनों ने उन में किसी युग में संगीत और शान्ति की लहर भर दी थी। इसी महान् काम को पूरा करने में जन जीवन का कल्याण है और इसी में है उनके अपने निजी जीवन की सफलता और उनकी कला की सार्थकता।

### ब्रजसाहित्य मण्डल के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन

ता० ५-४-५२ को ब्रज साहित्य मंडल के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रपति जी ने कहा --

सज्जनों,

मुझे यहाँ आकर अचम्भा हुआ। मैं ग्राम्य गीतों में या ग्राम्य जीवन में कुछ दिलचस्पी रखता रहा हूँ पर मुझे यह मालूम नहीं था कि इतना काम इस दिशा में हमारे यहाँ हो रहा है और हुआ है। हिन्दी प्रान्त में जहाँ की भाषा हिन्दी कही जा सकती है इतने अच्छे पैमाने पर यह काम हो रहा है यह बड़े संतोष की बात है। सच पूछिये तो इस तरह के काम में सब से पहले रास्ता अंग्रेजों ने दिखाया। अगर ग्रियर्सन की उन पुस्तकों को आप देखें जिनका सम्बन्ध ग्राम्य जीवन से है तो अभी भी उन पुस्तकों में आपको इतने शब्द मिलेंगे जिनको शायद गांव के रहने वाले भी नहीं जानते हों। एक छोटी से छोटी चीज को आप ले लीजिये, जैसे चरखा जिसको कि हम लोगों ने गांधी जी के आने के बाद से थोड़ा बहुत चलाना शुरू किया। ग्रियर्सन ने न मालूम कितने वर्ष पहले से चरखे को लेकर उसके प्रत्येक अंग का नाम गांव गांव में घूम घूम कर पूछ पूछ कर लिखा है। आज अगर किसी से, जो चरखा संघ में काम कर रहे हैं, उन सब का नाम पूछा जाये

तो शायद वे भी उसके प्रत्येक अंग का नाम नहीं बता सकेंगे। मगर ग्रियसन ने लिखा है यही बात है हल के बारे में। आज तक बिहार के गांवों में हल के प्रत्येक हिस्से के लिये, प्रत्येक भाग के लिये, जो अलग अलग शब्द हैं उन सब के अलग अलग नाम उसने बता दिये हैं। फिर बिहार के सब जिलों में एक ही शब्द नहीं चलता है। अलग अलग भागों में, किस जिले में किस नाम से, उसका प्रत्येक अंग कहा जाता है, यह भी उसने बता दिया है। तो इसकी प्रेरणा सब से पहले उसने दी। मैं ने देखा कि आज से २०-३० बरस पहले संस्कृत में एक ऐसी चीज़ डकट्टी की गयी थी। इसी तरह से हमारे यहा कुछ प्रचलित पद्य, कुछ ऐसे प्रचलित दोहे, चौपाई हैं जिन्हें गृहस्थ लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, अभी तक काम में लाते हैं। अगर आप नक्षत्रों के बारे में देखें तो पता चलेगा कि इन्हीं पद्यात्मक पदों से फलानी तिथि को फलाने नक्षत्र का फल यह होगा, पानी फलाने समय में बरसेगा आदि आदि बातों का पता लगाया जाता था। इस तरह की चीजें आज भी प्रचलित हैं और गांववाले जानते हैं। इसी तरह से गाय को, घोड़े को, बैल को, परखने के लिये, हाथी के गण दोष जानने के लिये, सब गावों में प्रचलित कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब भी लोग वहां चलाते जा रहे हैं। अब अनेक जानने वाले लोग नहीं रह गये हैं या उनकी ज़रूरत नहीं रह गयी है इसलिये लोग भूलने जा रहे हैं। केवल नाम ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चिकित्सा का भी, घोड़े की बीमारी के लिये, लोगों की बीमारी के लिये, इन सब चीजों के लिये क्या चिकित्सा होनी चाहिये वह सब इस तरह की चीजों में मिलती थी; लेकिन अब तो शायद वह मिलेगी भी नहीं। तो इसमें शक नहीं कि हमारे ग्राम्य जीवन में इतना मसाला भरा पडा है कि अगर उस सब को हम जमा कर लें तो पहले के इतिहास का हम निर्माण अभी भी कर सकते हैं। और वह इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं, कौन किस लडाई में मरा, और किस लडाई में हारा उस का इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य जीवन का इतिहास है और उससे उसकी बहुत मुन्दर सामग्री तैयार हो सकती है। मैं समझता हू कि वह इतिहास जो होगा वह हमारी संस्कृति का एक अच्छा इतिहास होगा। तो इसमें शक नहीं कि इस तरह के काम की बहुत ज़रूरत है।

अभी आपने संथालों के बारे में बात कही। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे कुछ नवयुवक लोग इसमें लगे हुये हैं। मैं ने तो देखा है कि अंग्रेजों ने उनके गीतों को डकट्टा किया है और अंग्रेजों में उसका अनुवाद तैयार किया है और एक नहीं बल्कि कितनों ने न केवल संथालों के बल्कि और दूसरी जातियों के लोगों के जीवन के सम्बन्ध के विषय में इतनी सामग्री हासिल की है जितनी हम लोगों ने नहीं की है; और वह इसलिये कि हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। तो चाहे अब तक हमने किया हो या नहीं किया हो मगर अब समय आ गया है कि हमारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ जाये क्योंकि इसके बगैर तो हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से ही कोई देश स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता है बल्कि अपनी हरेक चीज़ में स्वतन्त्रता होनी चाहिये। उसमें ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिये कि वह स्वयं इन चीजों का निर्माण कर सके और साथ ही साथ दूसरों को भी वह कुछ नयी प्रेरणा दे सके। वह तभी हो सकता है जब कि जो कुछ हमारी संस्कृति में आज संचित है उसको हम पहले जानें। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो आधुनिक चीजें हैं उनको हम न ले। उनको हम सहर्ष लें। मगर जो कुछ भी हम करें उसका आधार हमारी अपनी संस्कृति ही हो सकती है। अगर पुरानी संस्कृति को हम छोड़ देंगे तो हम वेजड़ से हो जायेंगे और जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं है कभी

ऊपर की चीज टिक नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, फल फूल नहीं सकती। इसलिये हमारी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी चीज को समझें। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है चाहे फिर भले ही आज की नयी रोशनी की चीजों से अपना काम चल सकता हो। मेरा विश्वास है कि इस तरह की बहुत सी चीजें हम को मिल सकती हैं।

हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में आपने अभी कहा है कि हमारी आज की खड़ी बोली में शब्द भंडार बहुत कम है, शब्द थोड़े से हैं और यह भी आपने कहा है कि हमारी शक्ति भी नहीं है कि हम नये शब्दों को मिला सकें। मगर गांव के लोगों को आप देखें कि उनमें कैसी शक्ति है कि जब कोई नयी चीज देखते हैं तो किसी न किसी तरह से शब्द निकाल लेते हैं। मैं ने अपने प्रान्त के कई हिस्सों में कई नये शब्दों का प्रयोग देखा जिनका अर्थ सुन्दर होता है। इस तरह हमारे ग्रामीण लोग भाषा की उन्नति कर रहे हैं, यद्यपि वे अशिक्षित हैं। इसलिये इन सब चीजों का अध्ययन आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि इन सब चीजों का आप संग्रह करेंगे। यदि संग्रह के बाद उसके एक एक के शब्द को लेकर आप अध्ययन करेंगे तो एक एक शब्द के इतिहास में हमारी संस्कृति का इतिहास मिले सकेगा। अंग्रेज़ी में एक किताब हिस्ट्री आफ दी वर्ड्स है। हमारे यहाँ भी यदि हम शब्दों का इतिहास खोजे, उन्हें तो मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति का इतिहास बहुत हद तक मिल सकता है। आपने जो काम शुरू किया है यह बहुत ही सुन्दर काम है और मैं समझता हूँ कि वह महत्व का भी काम है। हां, इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और उसके साथ साथ पैसे का खर्च भी करना पड़ता है। पर मेरा अपना यह अनुमान है कि अगर आप को काम करने वाले मिलेंगे तो पैसे के बगैर काम रुकेगा नहीं। काम होते रहने से पैसा मिलेगा ही। आप अपनी गवर्नमेंट पर भी जोर डाल सकते हैं और अगर काम ठीक होता रहेगा तो गवर्नमेंट को आप मजबूर कर सकते हैं। आविर गवर्नमेंट भी आप ही की तो है, मेरा अनुमान है कि रुपये के बगैर आपका काम रुकेगा नहीं। हा, आरम्भ में जब तक लोगो को इसकी आवश्यकता, इसकी महत्ता मालूम न होगी, तब तक हो सकता है कि कुछ कठिनाई आपको पड़े। मगर एक बार अगर लोग यह समझेंगे कि यह ऐसा काम है जिसमें देश का लाभ होने वाला है तो मैं समझता हूँ कि आपको हर तरह से मदद मिलेगी। मुझे यह देख कर बड़ी प्रमत्तता हुई है और मैंने जैसा पहले कहा मुझे यह देख कर अचम्भा भी हुआ, कि इतनी व्यापक मात्रा में काम प्रायः सभी प्रान्तों में हो रहा है। ग्राम्य गीतों को जमा करना बड़ा काम है; उसमें समय लगेगा। आजकल हिन्दी में बहुत ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और बहुत अब भी प्रकाशन के लिये हैं, उनसे भी शायद अधिक ग्रन्थो को प्रकाशित कगना पड़ेगा। क्योंकि गांवों में इन सब चीजों की कमी नहीं है। गीत तो हर मौके पर हैं। बच्चा पैदा होते समय, जनेऊ संस्कार के समय, मुडन के समय, बेटों की विदाई के समय प्रत्येक कार्य में अलग अलग गीत हैं। यहां तक कि कोई मर जाता है तो उस अवसर पर गीत गाया जाता है। तो संगीत हमारे जीवन में भरा हुआ है। और इन सब गीतों को आप इकट्ठा करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोगों के निरक्षर होने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमारी सभ्यता ही कुछ ऐसी रही है, हमारी प्राचीन परम्परा कुछ ऐसी रही है कि निरक्षर होते हुये भी लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें सिखलायी गयी हैं। आजकल लोग पुस्तक पढ़ कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले हमारे यहाँ ज्ञान केवल आंख से ही नहीं कान के द्वारा भी लोगो को दिया जाता था।

इसी तरीके से हमारे यहां ऐसे लोगों ने भी अच्छे से अच्छे दर्शन के सिद्धान्तों को सीखा जिनको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता; वह उनको जीवन में मिल गया है। वह एक ऐसी चीज है जिस पर हम सब को गर्व होना चाहिये किन्तु मेरा अपना खयाल है कि इन चीजों को हम कुछ भूलने जा रहे हैं। इसलिये हमें जरूरत है कि उन्हें हम पुनर्जीवित करें। तब हमारी बहुत कुछ तरक्की हो सकती है। मैं समझता हूं कि आपके प्रयास में आपको हर तरह की मदद मिलेगी। मेरे द्वारा तो जो कुछ मदद मिल सकेगी उसे पहुंचाने में मैं हर वक्त तैयार रहूंगा।

### हाथरस नगरपालिका द्वारा अभिनन्दन

ता० ५-४-५२ को हाथरस नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति-जी ने कहा—

हाथरस नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यगण, बहनो और भाइयो,

मुझे आपके शहर में आने का यह पहला ही मौका मिला है और जो कुछ आपने मेरे सम्बन्ध में कहा है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां आये चन्द घण्टे ही हुए लेकिन इधर उधर जाने का जो मौका मिला है उसके अन्दर मैं ने लोगों का प्रेम और उत्साह देखा है और उसका मेरे दिल पर काफ़ी असर पड़ा है। यह हमारे देश के लिये बहुत ही शुभ चिन्ह है कि नगरपालिकाएं शिक्षा के काम में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी है और यह आशा की जाती है कि थोड़े ही काल में, शिक्षा के प्रसार को देखते हुए हम इस वदन्ति को दूर कर सकेंगे कि इस देश में अभी अक्षर ज्ञान बहुत कम लोगों को है। सब से बड़ी जो कठिनाई नगरपालिकाओं को अथवा दूसरी संस्थाओं को शिक्षा के प्रसार में आती है वह यह है कि उनके पास इतना धन नहीं है कि जिससे कि वे पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का प्रसार कर सकें और सभी बालक बालिकाओं के लिये योग्य शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें। भारत वर्ष एक गरीब देश है और उसके पास अगर काफ़ी पैसा नहीं हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिये हम को यह भी सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपनी शिक्षा पद्धति को चलावे जिससे कि कम खर्च में ज्यादा फल निकल सके। केवल शिक्षा के प्रचार में ही नहीं बल्कि और सब जितने लोकहित के काम होते हैं उन सब कामों के लिये ऐसी पद्धति सोच निकालनी होगी जिसमें कम खर्च में बड़ा काम हो सके। मैं आशा करता हूं कि आपकी नगरपालिका इस ओर भी ध्यान देगी और केवल लकीर का फकीर न होकर, जो पुराने ढर्रे से सब काम चल रहा है उस पर न चल कर कुछ ऐसा ढंग निकालेगी जिससे कि कम पैसे के अन्दर ही काम हो सके। यह सच बात है कि किसी नगरपालिका को ऐसा काम करने के लिये पूर्ण आजादी नहीं है मगर तो भी जब इस दिशा में काम शुरू होगा तो प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस ओर जायेगा और अगर कुछ इसमें ऐसी चीज निकलेगी जिसमें देश का लाभ होता हो तो उसे प्रान्तीय सरकार मंजूर करेगी और चलायेगी। मैं ने कुछ शिकायत की दृष्टि से नहीं बल्कि इस खयाल से इन बातों को आपसे कहा है कि अब जब हम स्वतन्त्र हो गये हैं तब हम को सभी चीजों में एक नये दृष्टिकोण से सब चीजों को देखते हुए और सब बातों में देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा परिवर्तन

करना होगा जिससे कि हम देश को आगे बढ़ा सकें, ऊंचा उठ सकें और हम को इस बात के लिये ठहरना न पड़े, विचार करना न पड़े कि जब इतना पैसा होगा तब हम इस काम को कर सकेंगे। यही सोचकर महात्मा गांधी जी ने जब बुनियादी तालीम की नींव डाली तब उन्होंने यह कहा था कि यह शिक्षा पद्धति ऐसी होगी जिसमें पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते विद्यार्थी अपने लिये खर्च कमा लेगा, पैदा कर लेगा। अगर इस शिक्षा को हमारे देश के सभी शिक्षा पंडित और शिक्षा शास्त्री मंजूर कर लेते और सभी गवर्नमेंटें अगर मंजूर कर लेती और चलाती तो मेरा विश्वास है कि अब तक शिक्षा का काम बहुत आगे निकला होता और अभी भी कर ले तो पैसे की कमी की वजह से हमारा काम न रुकेगा और जो कम रह गया वह आगे बढ़ जायेगा।

आपने अपने मानपत्र में दो एक बातों का और भी जिक्र किया है। आपने सड़कों के सम्बन्ध में कहा है। यदि गवर्नमेंट से पैसा मिल जाये तो यहां की सड़कों की मरम्मत या तरक्की आप करा सकेंगे। बात सही है। मैं ने दर्यापत किया है और मुझे यह आश्वासन मिला है कि सड़कों की मरम्मत के लिये आपकी जो दरखास्त या मांग है उस पर प्रान्तीय सरकार इस वर्ष विचार करेगी और मैं आशा करता हूं कि उस विचार का फल आपकी नगरपालिका को कुछ अच्छा ही होगा। आपने ड्रेनेज का भी जिक्र किया है। उम सम्बन्ध में जहां तक मुझे जानकारी हुई है उससे यह मालूम हुआ है कि इसका काम अगर रुका है तो पैसे की कमी की वजह से नहीं रुका है बल्कि कुछ काम ऐसा है कि वह खुद ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सका। उसके लिये जमीन हासिल करनी पडती है और "लैण्ड एक्विजिशन" में समय लगता है और शायद वह भी आगे करना है। उसकी वजह से कुछ देर हो रही है और जो सामान विदेश से मंगाना है और जिसके लिये विदेश में आर्डर भेजा जा चुका है, उस सामान के पहुंचने में भी कुछ विलम्ब हुआ है, इस वजह से जतना रुपया आपको इस काम के लिये मिला है उतना भी आप पूरा खर्च नहीं कर पाये हैं और शायद आपके उस कोष में से एक लाख रुपये की रकम अभी बची रह गयी है। इन सब बातों से भी मुझे पूरा विश्वास है कि प्रान्तीय सरकार आपकी मांग पर, आपकी दरखास्त पर ध्यान देगी। आप अपना काम करते जाये तो इसमें शक नहीं कि आपकी सभी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करेगी। इसलिये आप अपने काम करते जाये और इसका भरोसा रखें कि प्रान्तीय सरकार आपको हर तरह से मदद देगी। आपने मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया और मेरा जो आदर किया उस के लिये मैं आप सब भाई बहनों का बहुत आभारी हूं।

### हरि आई अस्पताल

ता० ५-४-५२ को हाथरस में हरि आई अस्पताल का उद्घाटन करते समय राष्ट्रपतिजी ने कहा—

देवियो और सज्जनो,

मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं इस अस्पताल का उद्घाटन कर सका। यह आपके अलीगढ़ ज़िले को ही श्रेय है कि उसने नेत्र रोगियों को किसी न किसी तरह से कुछ चिकित्सा:



पहुँचा कर उनको आराम देने का प्रयत्न किया है और आपने जो काम यहां आरम्भ किया है वही काम अलीगढ़ में डा० मोहनलाल ने और कुछ बड़े पैमाने पर आज से कई वर्षों से कर रखा है। इसलिये मुझे इस बात की और भी खुशी है कि यहां पर आपने इस काम को शुरू किया और इसको गवर्नमेंट की मदद के दिना आज तक आपने चलाया। जब से हम को स्वराज्य प्राप्त हुआ या यह कहे कि उसके पहले से भी कुछ इस तरह की भावना हम लोगों के दिल में पैदा हो गई है कि जो कुछ करना, कराना है वह केवल गवर्नमेंट की मदद से ही हम कर सकते हैं या करा सकते हैं। बहुत सी चीजें जो देश में पहले लोग पुण्य का काम समझ कर किया करते थे, जो बहुत इस तरह की चीजें धनी-मानी लोग चलाया करते थे उन सब को चलाने के लिये, वैसा काम करने के लिये भी बहुत हद तक हम सरकार पर ही अब निर्भर करने लग जाते हैं। आजकल शिक्षा का काम बढ़ रहा है और ठीक बढ़ रहा है। मैं जिस वक्त छोटा बच्चा था उस वक्त प्राईमरी स्कूल शायद कहीं भी भारत भर में नजर नहीं आते थे। मगर इसका यह अर्थ नहीं था कि लोगों को कुछ सीखने पढ़ने का मौका ही नहीं था। बल्कि हर गाव में जो अच्छे धनी लोग थे उनके दरवाजे पर, गुरुजी या मौलवी साहब बैठाये जाते थे और केवल उनके बच्चों को ही नहीं बल्कि गाव के और बच्चों को भी वे शिक्षा दिया करते थे। इस तरह से अस्पताल सभी जगहों में तो नहीं थे मगर कोई गांव ऐमा नहीं होगा जहा कोई छोटा मोटा वैद्य या हकीम नहीं रहता हो, जो गाव के लोगों के स्वास्थ्य की खबर न लेता हो। तो वह एक तरीका था जिसमें गवर्नमेंट पर भार कम पड़ता था और लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम चलाने का अभ्यास होता था। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट के लोगों ने यह समझ रखा है कि सब कुछ उनको करना है और वही सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ लोगों का भी यह खयाल हो रहा है कि जो कुछ हो वह गवर्नमेंट को ही करना चाहिये और उसी पर भार पड़ना चाहिये। मैं समझता हू कि इस तरह से अपने को निःकुल पगु बना देना देश के लिये बहुत अच्छा नहीं है और जितनी संस्थाएं ऐसी हो सके जो अपने पैरों पर खड़ी होकर देश की सेवा कर सके उन संस्थाओं का काम होना चाहिये, चलना चाहिये और देश के जो धनी-मानी लोग हैं उनमें दान की प्रवृत्ति होनी चाहिये कि अच्छे काम में वे दान दिया करे।

तो यहा मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आपने अब तक गवर्नमेंट से मदद नहीं ली है। मैं समझता हू कि जो आपने इतना काम केवल अपने प्रयत्न से कर दिखलाया है तो जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट आपको मदद जरूर करेगी और गवर्नमेंट को मैं समझता हू कि यह देखना चाहिये कि जो काम लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कर रहे हैं और अगर उसमें मदद की कमी की वजह से काम की तेजी में कुछ कमी आ जाती है तो वहां पर अवश्य ही वह लोगों का मदद करे और यदि आप जिस तरीके से काम करते रहे हैं वह करते रहे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एक सज्जन ने आपको ज़मीन दान दी, जिस तरह से आपके मकान के लिये जरूरत के पैसे मिल गये और जिस तरह से आप तीस हजार सालाना लोगों से लेकर उसको चलाने में आगे खर्च करते रहे हैं वैसे ही और सुविधायें भी आपको मिलती रहेगी और जो थोड़ी बहुत सहायता आपको यहां की नगरपालिका से या और दूसरी संस्थाओं से मिलती है, उस सहायता से आप आगे भी अपना काम चलायेंगे। मैं तो इसको पवित्र और ठीक समझता हूँ और जैसा कि मैं ने कहा है कि इस वजह से अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका काम पैसे के बगैर नहीं रुकेगा। अभी तक आपका काम

महीं रुका है और आइन्दा भी जब आपने इतना करके दिखलाया है रुपये की कमी के कारण आपका काम नहीं रुकेगा। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने आपकी सहायता की है उसी तरह वे और भी बड़े पैमाने पर करने जायेंगे; जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती जायेगी आपकी सहायता बढ़ती जायेगी और आपकी संस्था को जरूरत होगी तो गवर्नमेंट से आपको मदद मिलेगी और मिलनी चाहिये। मैं उन सब भाई और बहनों को जिन्होंने आपके इस शुभ काम में मदद की है, चन्दा दिया है और विशेषकर जिन सज्जनों ने अपने जीवन को इसमें लगा दिया है, उनको धन्यवाद देता हूँ उन्होंने तो अपना सब कुछ इसी में उत्सर्ग कर दिया, तो ऐसे लोग हमारे देश में हैं और उनके द्वारा देश का ठीक काम होगा। आपने मुझे यह मौका दिया है इसके लिये मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

### ब्रज साहित्य मण्डल

ब्रज साहित्य मण्डल के अधिवेशन का उद्घाटन करते समय ता० ५-४-५२ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

उपस्थित सज्जनों और देवियों,

आप ने मुझे यह गुअवसर और मोभाग्य दिया कि मैं इन सम्मेलन में आज उपस्थित हो सका इस के लिये मैं आप का बहुत अतःप्रीति हूँ। आज भी भारतवर्ष में असंख्य नर-नारियाँ हैं जो ब्रज में आना अपने लिये पूर्वजन्म के किमी पुण्य का फल मानते हैं। मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ जो यहा से कुछ दूर पर है। भेरे जैसे के लिये तो यह पुण्य तीर्थ स्थान है ही। इस लिये मैं आप को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप ने मुझे यहा बुलाया और एक ऐसे काम में भाग लेने का मौका दिया जो कि अपने प्रकार का बहुत ही सुन्दर, बहुत ही महत्व का काम है। यहा पर जो ब्रज भाषा सम्बन्धी खोज का काम, ग्रन्थों के प्रकाशन का काम और सामग्री एकत्रित करने का काम मंडल द्वारा किया जा रहा है वह बड़े महत्व का काम है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का काम और और जगहों में भी हो। मगर साथ ही यह तो गद्य को मानना ही पडेगा कि जहा तक ब्रज भाषा का सम्बन्ध है, वह इतना अधिक महत्व रखती है कि उसकी बराबरी में और दूसरी भाषा, जिस का हिन्दी से कोई सम्बन्ध है, नहीं आ सकती। अगर हम यह कहे कि इस शताब्दी के पूर्व तक इस के आरम्भ तक, प्रायः बड़े में बड़े और अच्छे से अच्छे काव्य के लिये भारत भर में ही ब्रज भाषा ही मानी गई तो शायद अत्युक्ति नहीं होगी। और आज भी जो लोग उस माधुर्य को पान कर चुके हैं राष्ट्र अब आश्चर्य करते होंगे कि वह चीज आज उनको इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी मात्रा में पहले होती थी। जो हाँ, अब जो काम आप कर रहे हैं वह बहुत ही सुन्दर और बड़े महत्व का काम है। मैं केवल एक दो बात कह देना चाहता हूँ। ऐसे काम में किसी प्रकार की संकीर्णता को नहीं आना देना चाहिए। और न किसी

संकुचितभाव को ही कोई स्थान मिलना चाहिये । इस का कारण यह है कि हमारे देश का इतिहास आज तक कुछ ऐसा रहा है कि अक्सर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना तो पसन्द करते हैं और यद्यपि हमारी संस्कृति की एकसूत्रता है जो सारे भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, बांधे हुए है, मगर उस एकसूत्रता के साथ साथ ऊपर से देखने वालों को बहुत विभिन्नता भी देखने में आती है । भय इस बात का रहता है कि कहीं इस विभिन्नता को हम इतना महत्व न दे दें कि जिस में वह एकसूत्रता किसी तरह से पीछे पड़ जाये । इसलिये जो लोग किसी एक सीमित क्षेत्र में भारत वर्ष के किसी एक अंश में काम करते हैं उन को हमेशा यह याद रखना है कि यह देश एक है, सारा भारतवर्ष एक है, और यद्यपि इस के अन्दर आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से सब बातों की स्वतंत्रता रही है, अलग अलग अपनी रीति-नीति, अपने अपने ढंग, अपने रस्म-रिवाज रहे हैं, मगर इन सब के अन्दर, इन सब की तह में इन सब के नीचे एकसूत्रता बनी रही है । इस चीज को आज और भी दृढ़ करना है और इसलिये जो किसी सीमित क्षेत्र में काम करते हैं वे इस चीज को याद रखे । मैं ने कुछ शब्द आप के लिये लिख कर रखे थे और चाहता तो मैं ही पढ़ कर सुनाता । पर इस में शायद परिश्रम ज्यादा पड़े । इसलिये मैं ने अपने मित्र श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन से निवेदन किया है कि वह मेरे भाषण को पढ़ दें और आप से मैं आशा करूंगा कि आप उस को सुनें ।

मैं आप ब्रजवासियों को अत्यन्त भाग्यशाली मानता हूं । आप उस मंडल के निवासी हैं जो भगवान् कृष्ण की लीला भूमि है । ठीक है, उन के देहोत्सर्ग को आज अनेक शताब्दियां व्यतीत हो चुकी हैं । किन्तु इन सब शताब्दियों के, इन सब परिवर्तनों के बावजूद इस ब्रजभूमि में, इसके वायु और आकाश में, इस के नगरो और नगरियों में, इस की बीथियों और बाजारों में, इस की अट्टालिकाओं और बाटाकियों में, मोहन की मुरलिया आज भी गूज रही है उन की सुरभि आज भी बसी हुई है और उस की काकरी काकरी में आज भी उन की पदचाप सुनाई देती है । जहां हम जैसे लोगों को यात्रा करके आने पर ही यह आनन्दामृत प्राप्त हो सकता है वही आप को अपनी द्वार देहरी पर ही, अपनी बोली में ही भगवान् की शांकी नित्यप्रति मिलती रहती है ।

भगवान् के गौरव और महिमा से आप ही नहीं आप की बोली भी गौरवान्वित हो गई है । यह तो संसार विदित है कि आप की बोली अन्यन्त मधुर और कोमल है । उस में कर्णकटु ध्वनियां तो लगभग ही नहीं । बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि वह तो कविता और संगीत के लिये ही गठी गई है । अपनी इस विशिष्टता के कारण भी ब्रजभाषा संसार की बोलियों में अपनन्त विशिष्ट स्थान रखती, किन्तु अपनी इस ध्वनिमाधुरी से भी कहीं अधिक यह इसलिये महान् है क्योंकि यह भगवान् कृष्ण की लीला का अविरल गान है । ब्रजभाषा का तो उन की लीला से इतना तादात्म्य हो गया है कि उन के लीला गान से पृथक भी इस का अपना अस्तित्व है, यह बात केवल इने गिने कुछ ही लोगों को ज्ञात होगी । ब्रजभाषा की बात कीजिये और तुरन्त सब के मन में “मैया मैं नहीं माखन खायो” प्रतिध्वनित होने लगेगा । मैं नहीं जानता कि किसी अन्य बोली का भी किसी महाविभूति की जीवन लीला से इतना तादात्म्य है । मेरी आनकारी में तो यह गौरव केवल ब्रजभाषा को ही प्राप्त है ।

यह भी तो कोई साधारण गौरव नहीं है । इस की महानता इसी से व्यक्त है कि कृष्णगाथा भारतीय जन जीवन की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि है । मैं समझता हूँ कि रामगाथा और कृष्णगाथा ऐसे दो पहिये हैं जिन पर भारतीय जन जीवन विसृष्टया भारतीय ग्राम्यजीवन सारी गत शताब्दियों में चलता रहा है । भारत की लगभग हर भाषा के साहित्य का अधिकांश आज इन्हीं दोनों गाथाओं के आधार पर बना है । साहित्य ही क्यों भारतीय कला का भी इन दोनों गाथाओं से बड़ा सम्बन्ध है । आजकल जिसे “ओपेन एयर थियेटर” बोलते हैं उस प्रकार का थियेटर अनेक शताब्दियों से रामलीला के रूप में हमारे देश में होता रहा है और रामलीला आबाल-वृद्ध के मन को न केवल आनन्द से ही भर देती है वरन वह उन के चरित्र निर्माण और आदर्श साधन का भी बड़ा प्रबल साधन रही है । उस ही का तो यह प्रताप है कि जब भारत के ग्रामों में साक्षरता लुप्त सी हो गई है और जब उन की शिक्षा दीक्षा की प्राचीन पद्धति सर्वथा मिट सी गई है, भारत के कृषक आज भी मानवता के आदर्शों से पूर्णतया परिचित है । जहाँ विद्यालय पैमाने पर खुले स्थान में होने वाले नाटक का काम रामलीला पूर्ण करती थी वहीं गांव गांव में भक्ति रस का संचार करने वाले नाटक के रूप में रासलीला थी । भारत के भोले भाले किसान और मजदूरों को भी इस ने भगवान कृष्ण के जीवन और आदर्शों से उसी प्रकार परिचित करा दिया है जिस प्रकार कि वे अपने-वह बच्चों से परिचित होते हैं । जहाँ अन्य प्रकार के नाटक केवल नगरवालों के मनोविनोद के लिये ही होते थे, रामलीला और रासलीला राजा रक, बालवृद्ध, नर और नारी सवर्ण और अवर्ण सभी के लिये होती थी ।

इतना ही क्यों, हमारी स्थापत्य कला, हमारी वास्तुकला, हमारी चित्र कला सभी में तो राम और कृष्ण की गाथा बुनी हुई है । अतः यदि मैं यह कहूँ कि हमारी संस्कृति का ताना राम और कृष्ण गाथा रूपी दो धागों से पूरा गया है तो उस कथन में कोई अतिशयोक्ति न होगी । ठीक है, उस के बाने में यूनानी, अरब, ईरानी, शक, हूण, और न जाने कितने अन्य धागे लगे हैं और उस का वर्तमान स्वरूप इन सभी के रंग में रंगा हुआ है किन्तु वे इन्हीं दोनों गाथाओं के ताने में आकर बुन गये हैं । अतः सूर्य चन्द्र के समान ये दोनों गाथायें हमारे मारे जीवन को ज्योतिमय कर रही हैं और उसको प्राण और प्रेरणा प्रदान कर रही हैं, करती रही हैं और मुझे अटल विश्वास है कि सर्वदा करनी रहेंगी ।

मैं समझता हूँ कि इन गाथाओं का हमारे जनमन और जनजीवन पर इतना प्रभुत्व इसी लिये है कि ये दोनों ही मानव हृदय की श्रेष्ठतम भावनाओं और वेदनाओं की मूर्तिमयी प्रतिमा हैं । संसार में बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जो इन गाथाओं से ऐसे नये जगत की झाकी न पा लेता हो जहाँ पहुंचने को मानव पृथ्वीतल पर अपनी लीला प्रारम्भ करने के दिन से ही लालायित रहा है । कला की दृष्टि में और मानव आदर्शों की दृष्टि से ये अत्यन्त ही उत्कृष्ट और जीवनदायिनी हैं । उन की विशद व्याख्या करने का यह अवसर नहीं है । किन्तु इन में से कृष्ण गाथा के सम्बन्ध में कुछ कहे बिना मैं आप के कार्य के गुणवत् को ठीक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता और इस लिये यहां मैं इस के एक विशिष्ट पहलू की ओर दृष्टि खींच देना चाहता हूँ ।

कृष्णगाथा में कुछ ऐसा जादू है कि न केवल भारत भूमि में जन्मे और पले व्यक्ति ही इस में लीन हुए हैं वरन् भारत में आने वाले विदेशी भी इस के पीछे पागल हो उठे हैं। इतिहास साक्षी है कि यवन और गक जो भारत में व्यापार अथवा विजय के लिये आये वे भी भगवान कृष्ण के उपासक बन गये। इतना ही क्यों मध्यकालीन भारत में जो तुर्क और मुगल आये वे भी कृष्णगाथा के रंग में रंग गये। ताज ने पुकार कर कहा : 'हों तो मुगलानी, हिन्दवानी हवै के रहूंगी' और आलम ने "तांथल कांकरी बैठ चुन्वों करें" का इरादा किया। मियां रसखान तो 'प्रेम देव की छवि निरखि भये मियां रसखानि"। इतना ही नहीं उन की इच्छा यह भी हुई कि यदि इस मर्त्य लोक में उन्हें फिर आना पड़े तो उन की यही प्रार्थना होगी कि :

मानुस हों तो वही रसखान बसों मिलि गोकुल गांव गुवारन  
जो पशु हो कहा बस मेरो चरों नित नद की धेनु मंशारन  
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो ब्रजछत्र पुरन्दर धारन  
जो खग हौ बसेरो करो वही कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन।

आखिर वह कौन सी बात है जिस के कारण भारतीय और अभारतीय सभी कृष्णगाथा से इतने प्रभावित हुए। मैं समझता हूँ कि इस का कारण यह है कि इस में मानव की परमात्मा के प्रति भक्ति और मानव की सौंदर्योपासना का इतना घनिष्ट और सहज सयोग है कि कोई भी व्यक्ति इसके आकर्षण से बच नहीं सकता। यदि यह कहा जाये कि कृष्ण गाथा में ईश्वर-भक्ति रूप की प्रतिभा बन कर प्रकट हुई है तो कोई अत्युक्ति न होगी। अतः धर्म और रूप पिपासु इस की ओर जाये बिना रह ही नहीं सकते। यह कहना अनुचित न होगा कि एक दृष्टि से सारी मानव जाति को धर्म पिपासु और रूप पिपासु इन दो ही वर्गों में बांटा जा सकता है। अतः जहां धर्म और रूप दोनों की ही तृप्ति होती हो वहां तो मानव जाति के प्रति व्यक्ति को आत्मिक तृप्ति मिलेगी ही। उदाहरणार्थ कवि गिरोमणि सूरदास के कृष्णभक्ति सम्बन्धी इस प्रसिद्ध पद को लीजिये :

मैया मैं नहीं माखन खायो

ख्याल परे ये सखा सबै मिल, मेरे मुख लपटायो  
तु ही निरखि नान्है कर अपने, मैं कैसे कर पायो  
मुख दधि पीछ बूढ़ि इक कीन्ही, दौना पीठ दुरायो  
डारि साटि मुसकाइ जसोदा, स्यामहि कंठ लगायो  
बालविनोद गोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो  
"सूरदास" यह जसुमति कौ मुख, सिव विरंचि नहि पायो।

कृष्ण की यह बालछवि इतनी मोहक है कि इस पर कौन सा ऐसा दिल वाला आदमी है जो बलिहारी न हो जायेगा। इसी प्रकार गोविन्द स्वामी का यह पद लीजिये :—

हौ बलिजाऊं कलेऊ कीजै

खीर खांड घृत अति मीठौ है, अबकि कौर बछ लीजै  
वैनी बढे मुनो मन मोहन मेरी कह्यो पतीजै  
औद्यो दूध सद्य धौरी को, सात घूट जो पीजै

हैं वारी या वदन कमल पर, अंचल प्रेमजल भीजै  
बहुरि जाय खेलों जमुना तट, गोविन्द संग कर लीजै ।

इस में भी भक्ति और सौंदर्य का वही समन्वय है। रूप और भक्ति का यह संयोग काव्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कृष्ण गाथा ने बड़ा घनिष्ठ स्थापित किया है। सारा भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य का पर्याप्त विशिष्ट अंग कृष्ण की ही भक्ति के चारों ओर घूमता है। आज भी चाहे हिन्दुस्तानी संगीत हो और चाहे कर्नाटकी संगीत, इन दोनों ही में तो राधा कृष्ण की भक्ति प्रतिध्वनित हो रही है। हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख कलाकारों में अनेक मुसलमान उस्ताद हैं और रहे हैं किन्तु जब पक्का राग वे गाते हैं तो वही राधा कृष्ण लीला सम्बन्धी। उन्हें ध्यान भर के लिये भी नहीं लगता और मैं समझता हूँ कि यह उचित ही है कि वे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो उन के लिये अनुचित है। मैं ने देखा है कि अनेक उस्ताद इन राधा कृष्ण के पदों में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपने तन मन की सुधि नहीं रहती और उन की आंखों से अवरिल धारा बहने लगती है। इसी प्रकार भारतीय नृत्य से राधा कृष्ण की लीला हटा दी जाये तो उस का अधिकांश आकर्षण जाता ही रहेगा। अतः कला के क्षेत्र में कृष्ण गाथा ने यहां के सभी विभिन्न प्रदेशों के लोगों को, सब ही विभिन्न भाषा भाषी लोगों को, सभी धर्मावलम्बियों को, ऐसे सूत्र में बांध दिया है जो केवल आत्मा का संबन्ध है। इस प्रकार उस ने भारत की विभिन्न जातियों और विभिन्न प्रदेशों के लोगों के एकीकरण का अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया है।

इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य से आप के उत्तरदायित्व की गुरुता कही अधिक बढ़ जाती है। इस महान् कृष्ण गाथा का आज अन्य भाषाओं में कही अधिक साधन और वाहन होने के नाते व्रज भाषा का आज बड़ा महत्व है। उस का, उस के बोलने वालों का, उस के कलाकार और साहित्यकारों का यह पवित्र कर्तव्य है कि इतिहास के इस गुरुभार को यथाविधि पहचाने और उस के वहन करने को प्रस्तुत हो। रूप और भक्ति के इस मिलन को और भी दृढ़ बनाना उस को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करना आज व्रज भाषा के उपासकों का धर्म है भारत को आज इस प्रकार के मेल की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि इस मेल के बाद किसी प्रकार के धार्मिक द्वेष और असहिष्णुता का प्रश्न तो पैदा हो ही नहीं सकता। जो रूप और धर्म दोनों का ही एक सा उपामक है उस के लिये यह संभव नहीं हो सकता कि उन में से किसी एक की खातिर किसी प्रकार का अनाचार अथवा अत्याचार करे। उसी भक्ति और रूप के मेल से हमारे देश के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे से मिलने का पूरा अवसर होगा। केवल रूप की उपासना मानव को गड़बड़े में गिरा सकती है और केवल पंथ का अनुदार आग्रह मानव को अशान्ति के पथ पर ले जा सकता है। किन्तु जब वे दोनों मिल जायेंगे तब इस प्रकार की अतिक्रम संभावना लग भग नहीं के बराबर ही रहेगी। इसलिये मेरा विचार है कि आप की यह संस्था अपने भावी कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के अनुकूल बनायेगी जिस से कि यह उस काम को पूरा करने में सहायक हो जो व्रज के प्राचीन इतिहास, जो मुरली मनोहर की लीला ने इस के ऊपर रख दिया है।

इस भार की गुरुता इस बात से और बढ़ गई है कि ब्रज भाषा के इतिहास से स्पष्ट है कि जनता की और विशेषतया सरल ग्रामीण जनता की अपनी बोली में इतने उच्च कोटि का साहित्य हो सकता है कि वह युग और देश का प्रतीक और प्राण ही न हो, वरन् अनन्त काल तक नर नारियों के जीवन में प्रतिध्वनित होता भी रहे। हमारे देश में तो यह विश्वास भी रहा है कि नगर के बजाय जनपद में स्थित बनों और आश्रमों में ही मानव को वह अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है जो उत्तम काव्य के लिये आवश्यक है। रामायण, महाभारत इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थों के रचयिता नगरों के वासी न हो कर आश्रमों के ही ऋषि मुनि थे। अतः हमारे देश में जनपद और नगर की संस्कृति में कुछ अधिक अन्तर न था। हां नागर कुछ बातों में चतुर अवश्य होते थे किन्तु जहां तक कला और काव्य का प्रश्न था उस में ग्रामवासियों की जितनी देन है उतनी संभवतः नगरवासियों की नहीं है। तुलसीदास, मूरदास, इत्यादि महान भक्ति-कवि ग्रामों की ही सन्तान तो थे। दुर्भाग्यवश विदेशी राज्य में हमारे नगरों और ग्रामों में संस्कृति की दृष्टि से पर्याप्त विभेद हो गया। जहां ग्राम इसी भूमि और इसी आकाश की वस्तु रहे वहीं नगरो का प्रचलित शिक्षा पद्धति के कारण रिश्ता सुदूर यूरोप और इंग्लैंड से भारत भूमि की अपेक्षा कहीं अधिक घनिष्ट हो गया। अतः बहुतेरे नगरवासियों अर्थात् नवशिक्षित वर्ग के लोगों को, भारत की ऐतिहासिक विरासत की अपेक्षा यूरोप की संस्कृति ने अधिक प्रभावित किया। मेरे इस कथन का यह आशय कदापि नहीं है कि विदेशों की किसी बात को अच्छा समझना या अपनाता कोई बुरी बात है। वैसा तो होना चाहिये किन्तु हम में से हरेक को यह भी समझना चाहिये कि हमारा जीवन यहां की वायु, यहां के आकाश, यहां की भूमि और यहां के इतिहास से इतना जकड़ा हुआ है कि उन से अलग होना अपने अस्तित्व को उसी तरह से खतरे में डाल देना है जैसे कि शरीर पर से खाल को छील देने से उस का बना रहना असंभव हो जाता है। अतः अब समय आ गया है कि स्वतन्त्र भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जनता से गठबन्धन और भी दृढ़ कर ले और जन जीवन से किसी प्रकार भी कटा कटा न रहे। हम का आशय यह है कि हमारा साहित्य साधना यही के लोगों के जीवन और प्रकृति के स्वरूप से प्रेरित होनी चाहिये। यदि ऐसा हम ने किया तो हमारा साहित्य गमले का पुष्प न रह कर जन जीवन की प्राकृतिक वसन्त में प्रफुल्लित सर्व-व्यापी मौरभमय झाड़ी और वन बन जायेगा। यदि कवीर, मूरदाम और तुलसी दास आज भी जन जीवन के प्राण बने हुए हैं, यदि उन के पद आज भी खेतों में काम करने वाले नर नारियों के मुख से मुनाई पड़ते रहते हैं तो उस का कारण यही है कि उन्होंने जनता के हृदय की धडकन को ही कविता का रूप दिया।

जब मूरदास गाते हैं कि :

मुने री मैं ने निर्वल के बल राम,  
पिछली साख भरूँ सतन की, अडे संवारे काम।

तो वह गान क्या पंडित और क्या अपठ क्या किसान क्या मजदूर के हृदय में इसलिये गूज उठता है क्योंकि वह उसी की बोली में है जिसे वह खेत में, चौपाल में और पनघट पर दिन प्रति दिन सुनता है और बोलता है और उस में उसी वेदना की ध्वनि है जो उस के अपने हृदय में खटक रही है। अतः आप ब्रज भाषियों पर इतिहास का यह भार भी है कि आप साहित्य को नगर की चेरी बनी रहने देने के बजाय जन जीवन का प्रतिनिधि बना दें।

किन्तु इस के साथ ही साथ मैं आप से यह भी कहूँगा कि जन बोली में जन जीवन का ही गान करने की बात का किसी को यह आशय न लगा लेना चाहिये कि वह केवल किसी प्रदेश का ही बंदी बन जाये। आप जानते हैं कि मानव-हृदय, प्रदेश के साथ साथ ही सारे संसार का भी होता है। मानव की मूल भूत वृत्तियों और वेदनाओं में संसार भर में साम्य है और इसलिये महान् साहित्य वह है जो प्रदेश की खिड़की से मानवता की झांकी दिखा दे। इस लिये जन जीवन में अपनी जड़ें फैलाने के साथ साथ ही आप को अपने मस्तक को खुले आकाश में और सूर्य को प्रकाश में ऊपर उठाये रखना चाहिये और जहाँ से भी वायु और प्रकाश आता हो वहीं से उस को लेना चाहिये। ऐसा करने के लिये आप को दो बातों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। पहली बात तो यह है कि आप को संगार के सब समृद्ध साहित्यों से पूरा पूरा लाभ उठाना होगा। दूसरी बात आप को यह करनी होगी कि अपनी विशिष्ट बोली का भारत की अन्य बोलियों से सम्बन्ध बनाये रखना होगा। आधुनिक संसार में अपने घरोदे में ही बन्द हो कर बैठने की भावना प्रत्येक वर्ग के लिये हानिकर ही नहीं बल्कि घातक भी सिद्ध हो सकती है। मानव जाति जिस स्थिति में है उस में यह आवश्यक है कि अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हुए भी प्रत्येक ही भाषा अथवा धर्म पर आश्रित समूह अन्य समूहों से पूरी तरह से सहयोग और समन्वय करने के लिये तत्पर रहे। इसी प्रकार के समन्वय से आधुनिक हिन्दी का रूप बना है। उस में अवधी, मैथिल, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, इत्यादि बोलियों का समन्वय हुआ है और उन सब के साहित्य से ही उस का भण्डार भरा है। काव्य की दृष्टि से यह भण्डार कुछ कम नहीं है। जिस में तुलसी की विनय पत्रिका और रामचरितमानस, सूर के सूर सागर जैसे ग्रन्थ हों वह भाषा संसार की किसी भाषा के काव्य साहित्य से टक्कर ले सकती है, और उस के लिये इस प्रदेश की सब बोलियों के लोगों को गर्व हो सकता है क्योंकि यह सब इन की सम्मिलित संपत्ति है। आप का धर्म है कि अतीत की इस महान् देन से अनुप्राणित हो कर इस भण्डार को और भी भरपूर करने में लग जाये।

ऐसा करने के लिये आप को कुछ बातें करनी ही होंगी। आप को प्रथमतः इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी जनता को ब्रज भाषा का भक्ति काव्य कम पैसों में मिल सके। उस के अधिकृत संस्करण भी आप को निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। पहले से ही आपने गवेषणा का कुछ काम अपने हाथ में लिया है। उसे आप को और भी बढ़ाना चाहिये। और विशेषतया इस बात की वैज्ञानिक परीक्षा करनी चाहिये कि किन परिस्थितियों और किन भावनाओं के कारण ब्रज साहित्य का वह रूप बना जो उसका है। इस के साथ ही आप को भक्ति और रूप की आनन्द धारा से हमारे जनजीवन को प्लाविन करने के लिये रास लीला को पुनर्जीवित करने पर भी विचार करना चाहिये।

इतिहास ने आप को भारी देन दी है और दिया है उतना ही गुण भार। यह आप की लगन और यौवन को चुनौती है कि आप इस ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को उसी लगन से पूरा करें जिस लगन से कि सूरदास ने भगवान् कृष्ण की भक्ति अपने जीवन में और अपने देशवासियों के जीवन में भर दी थी और इस देश को उसी मुरली की तान से फिर भर दें जिस मुरली की ध्वनि किसी यग में कालिन्दी के तटवर्ती कुंजों को गुंजित किया करती थी।



## हैदराबाद कला प्रदर्शनी

\*नई दिल्ली हैदराबाद राज्यमन्दिर में हैदराबाद सरकार द्वारा आयोजित पुरातत्व और हस्त कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने १० अप्रैल को कहा—  
बहनो और भाइयो,

यह बड़ा सुन्दर विचार था कि भारत की राजधानी में इस प्रदर्शनी को किया जाये। जब मैं कुछ महीने पहिले हैदराबाद गया था तो तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने मुझे बताया था कि वे लोग यहा इस प्रदर्शनी को करना चाहते हैं जिससे कि राजधानी की जनता को और आजकल इतनी बड़ी तादाद में जो अन्य यात्री यहां आते हैं उनको न केवल अत्यन्त ऐतिहासिक महत्व की उन वस्तुओं का ही, वरन् उन आधुनिक वस्तुओं का भी, जो हैदराबाद राज्य में पैदा की जाती हैं, कुछ परिचय मिल जाये।

एक प्रकार से दक्षिण और उत्तर के बीच में सगम स्थल होने का हैदराबाद को ही सौभाग्य प्राप्त है और इसलिये उसे दोनों ही दिशाओं में प्ररणा मिली है। वहां की वस्तुएं महान कलात्मक कृतिया हैं और उनके कुछ नमूने आप यहां देख रहे हैं जिनमें कि अजन्ता की चित्रकारी और अलोरा की गुफाओं की वास्तुकला नसार प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार की अन्य काफ़ी वस्तुएं जो कि इनकी प्रसिद्ध नहीं हैं जितनी चाहिये और जिनमें से कुछ हैदराबाद राज्य के पुरातत्व विभाग की कोशिशों से मिली है आप यहां देखेंगे।

इन कृतियों के अतिरिक्त तथा उन इमारतों के अलावा जिनके बारे में यहां चित्रों से कुछ अनुमान लगाने में आप समर्थ होंगे आप यहां अनेक पाण्डु लिपियां भी देखेंगे जिनका कि अलौकिक महत्व है जोर जिन्हे शताब्दियों से सुरक्षित रखा गया है और अभी भी वे ऐसी ही ताजा लगती हैं मानों कि यह कल ही तो कागज़ पर रोशनाई द्वारा लिखी गयी थी और जिन्हे कि हम बिल्कुल भूल गये थे।

प्रदर्शनी में घूमते घूमते आप सिक्कों के भी एक सुन्दर सग्रह को देखेंगे जिन में से कि कुछ सिक्के १००० ईसा पूर्व शती तक के हैं और उनमें हमारे मौजूदा सिक्कों को छोड़ कर जिन्हे कि यहा इन प्रदर्शनी में नहीं रखा गया है और जिनको यहां प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है हमारे अपने काल तक के सिक्के हैं।

जो हस्तकलाएं यहां अच्छी तरह से फूल-फल रही थी और जो परिश्रय न मिलने के कारण अब मृतप्रायः हो रही हैं उनके भी कुछ नमूने आप यहां देख सकेंगे। आप यहां जवाहरात की कला के और बीदरी कला के काम के नमूने भी देख सकेंगे और विभिन्न प्रकार के सुन्दर बनावट के काम देख सकेंगे। जो कला हमारी प्राचीन विरासत है और जिसे हम अब भूले जा रहे हैं उनके भी कुछ नमूने देख सकेंगे। अतः यह प्रदर्शनी महत्व की तो है ही इसमें कुछ और अन्य नई बात

भी हैं । पुरानी चीजें ही नहीं बरन् आधुनिक चित्रकारों द्वारा बनाये गये चित्रों को भी हम यहाँ देख सकेंगे । यदि आप बदनको जाकर देखेंगे तो आप उस राज्य की जनता को इस दिशा में प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे ।

प्रदर्शनी और आपके बीच में मैं अधिक देर तक बाधा बन कर खड़ा रहना नहीं चाहता हूँ मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की अन्य प्रदर्शनियाँ भी हों और मैं तो यह पसन्द करूँगा कि वे न केवल १५ दिनों के लिये न केवल एक महीने के लिये हों बरन् दिल्ली में ऐसा कोई स्थान होना चाहिये जिसमें देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार की वस्तुएं रख दी जायें जिससे कि यदि कोई यात्री यहाँ आये तो उनको देख सके और उसको इस बात का कुछ अन्दाज़ा लग सके कि यहाँ कैसी कैसी अच्छी चीजें पैदा की जाती हैं ।

हस्तकलाकारों में से अनेक अपनी कला भूल जा रहे हैं क्यों कि उन्हें परिश्रय नहीं मिलता । मुझे यकीन है कि उन दर्शकों में से जो इस प्रदर्शनी में घूमेंगे और उनकी वस्तुओं को देखेंगे ऐसे अनेक लोग होंगे जो इन कलाकारों को परिश्रय देना चाहेंगे और उनकी वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे । इस प्रदर्शनी के संयोजकों की पूर्ण सफलता के लिये मैं सद्कामना करता हूँ और विशिष्टतया हैदराबाद के उन लोगों का कि जिन्होंने इसको सगठित किया है मैं इस बात के लिये आभारी हूँ कि दिल्ली के रहने वाले हम लोगों को उन्होंने ने ऐसा करके लाभ पहुंचाया है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करता हूँ ।

### सिख शिक्षा सम्मेलन

तारीख १२-४-५२ को ३६वें सिख सम्मेलन में राष्ट्रपतिजी ने कहा—

श्रीमन्त महाराजाधिराज, बहनों और भाइयो,

आज आपके ३६वें सम्मेलन में मुझे भी शरीक होने का मौका मिला इसके लिये मैं उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिये आमन्त्रित किया था । भारतवर्ष में शिक्षा के प्रचार का काम बहुत ही जरूरी है । अभी भी हम अगर और देशों से मुकाबला करें तो यह मालूम होगा कि यहाँ बहुत ही कम स्त्री और पुरुष हैं जिन्होंने वैसी शिक्षा पायी है जैसी शिक्षा उनको मिलनी चाहिये और इसलिये कोई भी संस्था जो शिक्षा के प्रचार में मदद करती है वह हरेक, आदमी का सहयोग और मदद पाने की हकदार है । इसलिये यह संस्था जो इतने वर्षों से सिखों के बीच में हर प्रकार की शिक्षा का प्रचार करती आयी है हरेक तरह से हमारे धन्यवाद की पात्र है ।

मे कई मौकों पर आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को कह चुका हूँ । जो इस वक्त शिक्षा की चलती हुई प्रणाली है उससे मुझे पूरा संतोष नहीं है और जिस काम के लिये यह प्रणाली जारी हुई थी वह काम अभी भी कुछ न कुछ है और चूँकि हम अभी इतने कम अर्थों में इन पुरानी चीजों को हटा कर उनकी जगह पर नई प्रणाली दाखिल नहीं कर सके हैं इसलिये अभी भी वही प्रणाली बहुत बातों में जारी है । सब से बड़ी कमी जो मुझे शिक्षा में महसूस होती है वह तो यह है कि हम एक तरफ अपने लड़के और लड़कियों को दिमागी शिक्षा तो देते हैं, पुस्तकी ज्ञान या और तरह का ज्ञान तो हम उनको देते हैं मगर हमारे शिक्षालयों में स्कूलों में, कालेजों में तथा यूनीवर्सिटियों में कहीं भी उनके चरित्र बनाने का कोई खास इन्तजाम या प्रबन्ध नहीं है और अगर आज भी हमारे देश में शिक्षित लोग सुचरित्र हैं तो वह शिक्षा की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि स्कूल और कालेज की शिक्षा के अलावा उनको अपने घरों में अपने मातापिता से, अपने गुरुजनों से, अपने धार्मिक नेताओं से शिक्षा मिलती है । उसी शिक्षा का यह फल है कि वे अभी भी सुचरित्र रहते हैं । मैं चाहता हूँ कि जो संस्थाएँ हैं जो गैरसरकारी हैं और जिनको इस बात की आज़ादी है कि वे अपनी रीति से अपना काम कर सकें वे कम से कम इस कमी को अपने शिक्षालयों से, अपने स्कूलों और कालेजों से ज़रूर दूर करे । इसलिये मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने धार्मिक शिक्षा को अपनी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग रखा है इसलिये मैं इसके साथ साथ आशा करता हूँ कि चरित्र निर्माण की शिक्षा बच्चे और वाच्यों को ज़रूर मिलती होगी और मिलनी चाहिये ।

कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसके काम करने का एक खास तरीका होता है । जो संस्था गवर्नमेंट के नियमों से बंधी हुई नहीं होती है उसको बहुत बातों में आज़ादी रहती है कि जिसको वह ठीक समझे उस रास्ते पर चल कर अपना काम करे । इसलिये इस सम्मेलन जैसी संस्था का, जिसको इस बात की आज़ादी है कि वह अपनी इच्छा मुताबिक जिसको वह मुनासिब समझे उसी तरह से शिक्षा दे, क़ायम रहना ज़रूरी है क्योंकि जो इस तरह की आज़ाद संस्थाएँ हैं वही गवर्नमेंट के सामने भी अपने तज़ुरजे और अनुभव से नये रास्ते बतला सकती हैं और अपना काम करके गवर्नमेंट को भी मजबूर कर सकती हैं कि उनके बताये रास्ते पर गवर्नमेंट भी चले । इस लिये यद्यपि हम वक्त एक तरह से गवर्नमेंट का मुखिया समझा जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की स्वतन्त्र संस्थाएँ क़ायम हों और स्वतन्त्रता के साथ अपना काम करती रहे जिस में उनके काम की अच्छाई को गवर्नमेंट भी ले सके और अगर वे सिखा सकती हों, बता सकती हों तो उनसे सीख सकें और अपने काम को कर सकें । ऐसा ही स्वतन्त्र देशों में सभी ज़मानों में हुआ करता है । कोई भी सरकार बहुत तेज़ी से नहीं बदती है । उसको आगे पीछे दायें बायें सभी बातों को देखना पड़ता है और बहुत बातों पर विचार करना पड़ता है । इसलिये उसकी तेज़ी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, उसकी रफ़्तार बहुत कम होती है । ये स्वतन्त्र संस्थाएँ

यदि अपना काम ठीक करे और ठीक तरह से चलाये तो सरकार की रफ्तार को भी तेज कर सकती है और उसको भी आगे बढ़ा सकती है। इसलिये जब मुझे कहा गया कि मैं आपके सम्मेलन में हाज़िर होऊ तो मैंने खुशी से कबूल किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्था ज़रूरी है। उसके ज़रिये से जितना ज्यादा काम ले सकें, जितनी जनता की सेवा कर सकें उतना काम, उतनी सेवा करने का मौका उसे देना चाहिये। अब गवर्नमेंट भी अपनी हो गयी है जिस पर आप ज्यादा दबाव दे सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप अपने काम को जारी रखें और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके काम में हर तरह से मदद दे और सभी भाई बहन की मदद इसे मिलती रहे।

### इण्डियन रैडक्राफ्ट सोसायटी का वार्षिक अधिवेशन

\*दी इण्डियन रैडक्राफ्ट और सेंट जान एम्बुलेन्स असोसियेशन के वार्षिक साधारण अधिवेशन में २१ अप्रैल १९५२ को राष्ट्रपतिजी ने कहा—

दी इण्डियन रैडक्राफ्ट और सेंट जान एम्बुलेन्स असोसियेशन से सम्बन्धित सज्जनों में से अनेको मे मिलने की मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इन दोनों महान् संस्थाओं से अपने निकट सम्बन्धों में मैं बहुत प्रमन्न हूँ। उनके सम्बन्ध में तो किसी प्रकार का मतविभेद क्षणमात्र के लिये भी हो ही नहीं सकता और इन को तो सभी अपनी सहानुभूति और सहायता प्रदान कर सकते हैं और इनमें दिलचस्पी ले सकते हैं। राजकुमारी जी ने पहले ही सन ५१ की प्रमुख सफलताओं में से कुछ का वर्णन कर दिया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस रिपोर्ट से प्रकट होने वाली सन्तोषजनक प्रगति के लिये इससे सम्बन्धित लोग न्यायोचित गर्व कर सकते हैं।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता है कि सेंट जान एम्बुलेन्स असोसियेशन तथा ब्रिगेड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। असोसियेशन की क्लासों की उपस्थिति में बहुत वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष में जितने डिबीजन बने हैं और उनमें जितने सदस्य शामिल हुए हैं उनसे इस देश में इस आन्दोलन की जन प्रियता निस्सन्देह रूपेण व्यक्त होती है।

किन्तु राजकुमारी जी के साथ साथ मैं भी इस बात के लिये अपनी निराशा व्यक्त करता हूँ कि हमारी बहनों में से बहुत कम गृह उपचर्या की प्रशिक्षा लेने के लिये आगे बढ़ी है। अपने देश की युवती नारियों से मैं पुनः अपील करता हूँ कि वे असोसियेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा से लाभ उठायें और उपचर्या की कला में अपने को प्रशिक्षित करें। यह तो परम्परा से और उनके अपने स्वभाव के कारण उनका अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र है।

सेंट जान एम्बुलेन्स असोसियेशन के ब्रिगेड के „पदधारियों और सदस्यों की निस्पृह सेवा की मैं तारीफ़ करता हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि उन्होंने ने वर्ष भर में सहस्रों ही घायल व्यक्तियों की प्राथमिक सहायता की है। रेडक्राफ्ट की रिपोर्ट में काफ़ी

अच्छे ठोस कार्य का वर्णन है। तथा उस रिपोर्ट से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अन्न की कमी के क्षेत्रों में और विशेषतया विहार और मद्रास के राज्यों में दूरी की कठिनाइयों पर विजय पा कर्मीटियों ने वितरण करने के लिये आवश्यक चीजे बड़ी तादाद में बहुत शीघ्रता से भिजवा कर सोसायटी ने जो सेवा का कार्य किया है उसके लिये वह प्रशंसा की पात्र है। इसकी माथी सोसायटियों से भारत के कष्ट निवारण के लिये मिली हुई उदार सहायता एक बार फिर यह प्रदर्शित करती है कि रैडक्रास संगठन के सुदूर स्थित सदस्यों में भ्रातृभाव के सम्बन्ध है। यह भी सन्तोष की बात है कि हमारी सोसायटी संसार के उन अन्य भागों की राष्ट्रीय रैडक्रास सोसायटियों की सहायता कर सकी जहाँ कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सेवा की आवश्यकता पैदा हो गयी थी।

मैं इस बात से भी प्रमन्न हूँ कि अपने साधनों पर अभूतपूर्व भार पड़ने पर भी सोसायटी साधारण जनता तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों की सेवा में अपने सारे कार्यों, को अबाधरूपेण करने में समर्थ बनी रही और अपनी हैडक्वार्टर निधि से पिछले वर्ष में वह प्रतिरक्षा में लगे हुए लोगों के लिये लगभग साठे सात लाख रुपया खर्च कर सकी। यह कार्य, जो अस्पताल सर्विस-सेवशन कर रहा है और जिसके द्वारा फौजी रोगियों की सुविधा के लिये वस्तुएं प्रदान की जाती हैं और गर्वदा के लिये अयोग्य हुए भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल बंगलौर रैडक्रास होम में की जाती है और जिसे लड़ाई के क्षेत्रों में रैडक्रास वैलफेयर सर्विस द्वारा किया जाता है और जिसके द्वारा फौजी अस्पतालों में रोगियों के मनबहलाव द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है, प्रशंसा के योग्य है। इसके मैडिकल आफ्टर केयर फंड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की चैकित्सक सहायता का जो प्रबन्ध है वह भी प्रशंसनीय है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रसूति और शिशु कल्याण संस्था ने भी निरन्तर ठोस प्रगति की है तथा लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल को अपने नियन्त्रण में लाने के स्वास्थ्य सचिवालय के हाल के निर्णय से सोसायटी का कुछ धन वच जायेगा जिसे कि वह माताओं के स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ाने के लिये और विशेषतया ग्राम क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये काम में लगायेगी। यह कहा जाता है कि सभ्यता शिशुओं के कोमल चरणों पर चलती है और इसलिये शिशुओं और माता की उचित देखभाल करने के प्रयोजन से की जाने वाली भृत्यवान सेवा करने का इस संस्था का जो पथ प्रदर्शक कार्य है उसका महत्व तो बड़ा कर कहा ही नहीं जा सकता।

भविष्य के भारत में जो महती सेवा करनी रैडक्रास के भाग्य में लिखी है उसकी स्पष्टता साक्षी तो सम्भवतः इसी से मिल जाती है कि जिस जूनियर रैडक्रास के सदस्य हमारे देश में मानवोचित सेवा के आन्दोलन में ज्योति वाहक है उसका निरन्तर विकास और विस्तार होता जा रहा है।

पिछले वर्ष में जो उत्तम और श्रेष्ठ कार्य आपने किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और भविष्य के लिये आपके प्रति मेरी सद्भावना है। साधारण घटनाओं की सामान्य धारा से इतिहास की कुछ घटनायें अलग दिखाई देती हैं और अपने स्वभाव के कारण वे अलौकिक लगती हैं। तिरानवें वर्ष व्यतीत हुए जब चालीस सहस्र मृतप्रायः और घायल

सिपाहियों की देख कर, जो सेल्फरिनेफो के रक्त रजित क्षेत्र में पड़े हुए थे और जिन की देख भाल करने वाला वहां कोई न था, एक आदमी इतना द्रवित हुआ कि उसने उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सिलसिला आरम्भ किया जिसके द्वारा प्रथम जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए और रैडक्रास का जन्म हुआ। लगन और सावधानी से सेवा किये जाने के कारण यह तब से बहुत बढ़ गयी है और ऐसी महान् अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बन गयी है जिसका सर्वप्रथम काम निष्पक्ष भाव से मानव के कष्ट निवारण करना है। रैडक्रास का नाम ही विपद्ग्रस्त सब लोगो की सहायता का अनीखा प्रतीक उसी प्रकार बन गया है जिस प्रकार कि तीर दिशासूचक चिन्ह समझ जाता है। अतः मुझे विश्वास है कि भारत में रैडक्रास को हमारी जनता से अधिकाधिक सहायता मिलेगी जिसमें कि वह अपने दया कार्य को और अधिक प्रभावी रूप से करने में समर्थ हो।

मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि राजकुमारी जी के लिये यह सम्भव हो सका है कि वह इन दोनों मानवोचित संस्थाओ की अध्यक्षता बनी रहने की अपनी सहमति दे सकी जिनका कार्य कि स्वास्थ्य मन्त्रालय में जिसकी अध्यक्षता वह है वह इतनी गरिमा से कर रही है।

### हिन्द कुष्ठ निवारण सघ :

\*हिन्द कुष्ठ निवारण सघ के वार्षिक अधिवेशन पर २१ अप्रैल १९५२ को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने कहा --

१९५१ वर्ष के लिये सघ की रिपोर्ट में वर्णित अति उत्तम कार्य के लिये माननीय राजकुमारी जी और हिन्द कुष्ठ निवारण सघ को मैं बधाई देता हूँ। रिपोर्ट की यह बहुत ही लाभदायक बात है कि वह न केवल सघ के कार्य का ही अपोरेवार वर्णन करती है वरन् देश में होने वाले कुष्ठ सम्बन्धी कामों में से अनेको का भी उसमें संक्षिप्त निरूपण है। अब जब कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् होने वाली कठिनाइयों की प्रथम मंजिल को हमारा देश पार कर चुका है और हम इन सब क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य और राष्ट्रनिर्माण कार्य में लग रहे हैं यह बड़े सांभाध्य की बात है कि भारत के स्वास्थ्य बनाने का प्रश्न राजकुमारी जी के हाथ में है जिन में कि इस अत्यंत कठिन कार्य को पूरा करने की अर्थात् आवश्यक भोजन न मिलने से दुर्बल और विरुद्ध परिस्थितियों से दबी हुई जनता को पुनः स्वास्थ्य लाभ कराने के लिये आवश्यक योग्यता, विवेक और लगन है। महात्मा जी की सुपात्र शिष्या होने के नाते वे दलित लोगों के हित में बहुत उत्साह और लगन से कार्य करती रही हैं। उनके उत्साहपूर्ण नेतृत्व के कारण कुष्ठ निवारण का कार्य स्वभावतः ही अच्छी तरह से चल रहा है। कुष्ठ के समान अब तक उपेक्षित विषय की ओर जितना ही अधिक हमारा ध्यान जायेगा और अब तक उपेक्षित कोनों में पड़े हुए लोगों के इस विभाग का भाग्य जितना ही चमकेगा उतना ही हम सच्चे प्रजातन्त्र की परीक्षा पास करने के लिये और अच्छी तरह से सज्जित होंगे। अतः यह जानकर कि हमारे देश में कुष्ठ उपेक्षित विषय नहीं है मेरी प्रसन्नता का कोई पागवार नहीं है।

\* अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

महात्मा जी की आत्मा सब ही इस से प्रसन्न होगी क्योंकि जैसा कि राजकुमारी जी ने कहा है कुष्ठ पीड़ित लोगों की सेवा और उसकी रोकथाम का कार्य राष्ट्रपिता के मन को बहुत प्रिय था ।

राजकुमारी जी, अभी अभी यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के सामने कुष्ठ की समस्या को रखने का जो आपने कदम उठाया है वह सफल सिद्ध हुआ है और आजकी यह आशा कि कुष्ठ गवेषणा की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास द्वारा की जाये अब पूरी हो रही है । मुझे आशा है और मेरी यह प्रार्थना है कि केन्द्रीय कुष्ठ गवेषणा और शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना के प्रयास में आप बहुत शीघ्र ही इसके बराबर सफलता प्राप्त कर लें ।

इस बात से बड़ा ढाढस होता है कि कुष्ठ सम्बन्धी जानकारी में प्रतिवर्ष काफी अभिवृद्धि हो रही है और इसकी चिकित्सा प्रणाली में सुधार हो रहा है । कुष्ठ आन्दोलन के समुचित संगठन द्वारा इतने समय के अन्दर कुष्ठ को काबू में लाना सम्भव होगा जिसका कि कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है । पिछली शताब्दियों में कुष्ठ की अवावण परछाईं संसार पर पड़ती रही है और लाखों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा की दासता तथा असह्य बहिष्कार सहना पड़ा है । किन्तु इस प्राचीन रोग से छुटकारा दिलाने की आशा अब चिकित्सा विज्ञान वाले दे रहे हैं । जैसे जैसे इस रोग से मुक्ति पाने की सभावना बढ़ रही है वैसे वैसे इस रोग के शिकंजे में पड़े हुए लोगों को बचाने का काम भी जल्दी से अधिकाधिक महत्व वाला होता जा रहा है । इस आन्दोलन का यह आवश्यक भाग है कि ऐसी कालोनी बसाई जाये जहाँ कि इन लोगों को प्रशिक्षा दी जा सके और आत्म विश्वास प्राप्त कराया जा सके ; उन को अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य प्रदान की जा सके । कार्य के इस पहलू को मैं विशेष महत्व देना चाहता हूँ । चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ-में ही केवल यह कालोनी सहायक सिद्ध न होगी वरन् उसके पश्चात् भी लाभदायक सिद्ध होगी । क्योंकि रोग मुक्ति के पश्चात् भी इन अभाग्य लोगों के बारे में दूसरे लोगों के मन में भ्रान्त भावनायें बनी रहती हैं । उनको फिर से बसाने के काम के लिये और अधिक लगन से किये जाने वाले कार्य की तथा सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी । अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपकी अध्यक्षता ने इस समस्या के मानवीय और सामाजिक पहलू पर प्रकाश डाला है क्योंकि ऐसे दृष्टिकोण के बिना डाक्टरी सहायता भी पूरी सफलता के लिये संभवतया प्रभावी सिद्ध न होगी । अखिल भारतीय चिकित्सा प्रतिष्ठान के शिलान्यास करने के अवसर पर राजकुमारी जी ने चिकित्सा के बारे में यह ठीक ही और आग्रहपूर्वक कहा था कि चिकित्सा का कार्य केवल एक धन्धा न होकर सारी जाति की सामाजिक सेवा भी है । मैं यह मानता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने कुष्ठ चिकित्सा का कार्य हाथ में लिया है उन में से अनेकों ने इस को धन्धे के रूप में न अपना कर मानवोचित और दयापूर्ण सेवा के रूप में अपनाया है । भगवान से प्रार्थना है कि आपकी संख्या बढ़े और अपने इस पुनीत कार्य को आप पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी और मानवीय सहानुभूति से करें ।















